

संयुक्त प्रान्तीय

म्यूनिसिपलटीज़ ऐक्ट

नं०२ सन १९१६ ई०



विस्तृत व्याख्या और सन १९२४ ई० तककी नजीरों तथा
समग्र संशोधनों एवं तत्सम्बन्धी अन्य कानूनी
और उपयोगी विषयो सहित



लेखक

बाबू बृजेशबहादुर बी०ए०; एल०एल०बी०; वकील हाईकोर्ट



प्रकाशक

पं० चन्द्रशेखर शुक्ल

प्रोप्राइटर

‘हिन्दी-लॉ-जरनल’ और ‘कानून प्रेस’



मुद्रित

कानून प्रेस—कानपुर



(सर्वाधिकार सुरक्षित)

सन १९२४ ई०

मूल्य ८) ६० प्रति

पुस्तक मिलने का पता:—

‘कानून प्रेस’ रानीमण्डी-कानपुर

प्राक्-कथन

आज हम संयुक्त प्रान्त का म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट, न० २ सन् १९१६ ई०, विस्तृत व्याख्या और समग्र नजीरो सहित हिन्दीमें छापकर हिन्दी साहित्य प्रेमी भाइयों के सामने सहर्ष उपस्थित कर रहे हैं। म्यूनिसिपलटियों के कानून का सशोधन इस ऐक्ट के द्वारा, सन १९१६ ई० में विशेष रूप से किया गया, जिसके द्वारा स्थानीय स्वराज्य के विशेष अधिकार प्रजा के निर्वाचित मेम्बरो को दिये गये। म्यूनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, यह दोनों स्थानीय स्वराज्य (लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट) की प्रथम मीढ़ी हैं। म्यूनिसिपल बोर्ड द्वारा शहरो भादि एव डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा देहादी रकबो का शासन सुधार, और उन्नति का भार लोकमत द्वारा निर्वाचित सदस्यों के हाथ में दिया गया है। इस कानून का प्रभुत्व उन सेठ साहूकारों, व्यापारियों, दूकानदारों, रईसों, धनवानों और जायदाद रखने वालों, एव रहने या काम करने वालों पर है जो संयुक्त प्रान्त के कसबों और शहरों में निवास करते, जायदाद रखते तथा काम करते हैं। जनता को जितना अधिक काम अपने स्थानीय कानूनों से पड़ता है उतना काम भारतीय कानूनों से नहीं पड़ता। और स्थानीय कानूनों में जनता के लिये म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट की बराबर कोई अन्य कानून महत्वपूर्ण नहीं है, और आशा की जाती है, कि यह ग्रन्थ सर्वोपयोगी और अधिक लाभदायक साबित होगा।

अभी तक अंग्रेजी में इस ऐक्ट पर कोई व्याख्या नहीं लिखी गई है, परन्तु प्रायः सभी अन्य प्रान्तों के म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट पर कमेंट्रीया (व्याख्या) मौजूद है। हमारे इस ऐक्ट के सशोधन, रूलस, आर्डर, सर्म्यूलर, विज्ञापन, सूचनाएँ, तथा नजीरों किसी किताब में एक जगह संकलित नहीं की गई हैं, इस त्रुटि के पूरा करने के उद्देश्य से यह ग्रन्थ प्रकाशित किया जाता है। आशा है कि अंग्रेजी जानने वाले कानून पेशा लोग तथा म्यूनिसिपलटियों के अंग्रेजी जानने वाले चेयरमैन, मेम्बर और अफसर भी इस ग्रन्थ से लाभ उठा सकेंगे। इस ग्रन्थ के प्रकाशन में हिन्दी साहित्य का विशेष गौरव इस कारण है कि सर्वप्रथम इस उपयोगी कानून पर हिन्दी में सर्वाङ्गपूर्ण ऐसी व्याख्या प्रकाशित हुयी।

इस ग्रन्थ में गवर्नमेन्ट आर्डर, सरक्यूलर रेजोल्यूशन, रूलस और म्यूनिसिपल मैनुअल के आवश्यक भाग, हाईकोर्ट की सब नजीरों, ऐक्ट की दफा के साथ यथास्थान दी गयी हैं एव तत्सम्बन्धी अन्य कानूनों की दफाओं को उसी स्थान में अविकल उद्धृत कर दिया गया है या उसकी उपयुक्त व्याख्या कर दी गई है। क्लिष्ट विषय को व्याख्या में सरल करके और उदाहरण दे के समझा दिया गया है। इस कानून सम्बन्धी आज तक जितनी नजीरें हुई हैं वे सब दफा के अनुसार दे दी गई हैं वलिक लिखने के पश्चात् और समग्र ग्रन्थ छप चुकने तक जितनी नजीरें हुई हैं वे भी ग्रन्थ के पीछे लगा दी गई हैं। एक पेज "चिटो" का इसलिये लगा दिया गया है कि घताये हुये स्थानों पर चिटोंको अलग २ करके पाठक चिपकाएँ जिससे किसी दफा को पढ़ते हुये उसके सम्ब-

ग्रन्थ में हाल तक की नजीरों का पता पाठकों को चल जाय। इसके अतिरिक्त पाठकों की सुविधा के लिये अनेक प्रकार की सूचिया भी दी गई हैं जिससे किसी विषय के देखने की इच्छा होते ही तत्क्षण वह विषय पाठकों को मिल सके। प्रकरणों की सूची, दफावार सूची, शब्दार्थ सूची, सकेताक्षरों की सूची, आदि दी गई हैं। विशेष कर हम पाठकोंका ध्यान "विषय सूची" (Index) की ओर दिलाते हैं। यद्यपि विषय सूची से ग्रन्थ की उपयोगिता बहुत बढ़ जाती है तथापि हमारा विश्वास है कि अब तक किसी हिन्दी ग्रन्थ में विषय सूची बनाने का भारी पारश्रम नहीं उठाया गया है।

प्राथमिक शिक्षा का कानून इस ऐक्टका सम्बन्धी है। इसलिये उसको भी अन्तमें जोड़ दिया गया है। इण्डियन एलेक्शनस आफ्फेलेज ऐक्टका आवश्यक भाग भी छाप कर पीछे लगा दिया है। इसमें मेम्बरों के चुनाव के समय के अपराध और उनके लिये दण्ड नियत किये गये हैं। निर्वाचनों की गर्मा गर्मी में अनेक लोग बहुत सी कार्रवाई पेशी कर बैठते हैं कि जो कानून में जुर्म मानी गई है, अतएव इस कानून से सबको परिचित होना चाहिये।

लेखक महोदय ने अनवरत परिश्रम करके यथासाध्य इस ऐक्ट को ऐसा लिखा है कि म्यूनिसिपल बोर्ड के माननीय सभ्य मेम्बरों का केवल इसी एक ही ग्रन्थ से पूरा काम चल सके। उन्हें दूसरे कानूनों या मैनुअल आदि देखने, पढ़ने का कष्ट न उठाना पड़े, तथा म्यूनिसिपलिटियों के शासनाधीन जनता को अपने स्थानीय कानून का पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाय, बोर्ड के अनुचित हुकमों पर आपत्ति कर सके, अनधिकारी अफसर या मेम्बर के कामों में हस्तक्षेप कर सके, और यह जान सकें कि किस अफसर का अधिकार कैसे हुकम या दंड देने का है, किस हुकम की अपील कितनी मियाद के अन्दर कहा पर किस प्रकार की जायगी। स्थानीय सफाई रखने, पानी पहुँचाने, रोशनी करने, इमारत बनाने की आज्ञा देने, शिक्षा देने, स्वास्थ्य रक्षा करने, दण्ड देने और टैक्स बाधने आदि के क्या नियम हैं और वे नियम किस प्रकार बरते जाते हैं इत्यादि। सागंश यह कि जनता अपने और बोर्ड के अधिकार और कर्तव्य पूर्णतया इस ग्रन्थ के द्वारा समझ सकेगी। जनता के अधिकारों और कर्तव्यों की बात कहते हुये यहा पर थोडा सा उल्लेख म्यूनिसिपल मेम्बरों के निर्वाचन के विषय में करना अनुचित न होगा। नगर के स्वास्थ्य, सफाई, शान्ति आदि के सुप्रबन्ध के लिये अपने प्रतिनिधि चुनना, उन अधिकारों में जो इस ऐक्ट के द्वारा दिये गये हैं, सबसे बडा अधिकार है, और वही जनता का सबसे बडा कर्तव्य भी है। जहा पर स्वार्थत्यागी प्रजा प्रतिनिधि चुने जाते हैं- वे बुद्धिमत्ता से इस कानून का निष्पक्ष सदुपयोग केवल कानून और जनता के मतलबों के लिये करते हैं, और जनता को सब प्रकार का लाभ रहता है। किन्तु इसके विरुद्ध देखा जाता है कि उभैदवार मेम्बर वोट लेने के समय लम्बी चीड़ी बातें देश और जनता को सुख शांति पहुँचाने के बारे में करते हैं, तथा अनेक प्रकार से विश्वास दिलाते हैं, मगर मेम्बर होने के पश्चात्, तुरन्त या कुछ समय बाद उनकी गति विधि ठीक उलट जाती है। इसलिये मेम्बरोंके निर्वाचनमें जनताको किसी व्यक्तिके प्रभावपर कुछ ध्यान न देना चाहिये। निस्वार्थ,सद्विचारशील न्यायपरायण कर्तव्यनिष्ठ,समहृष्टि रखने वाले विद्वान या प्रभावशाली हो। वोट उसी व्यक्ति को देना चाहिये जिसमें निस्वार्थ भाव से निरभिमान योग्य काम करने की शक्ति हो। वोट सदैव स्वतन्त्र विचार से देना चाहिये। साथ

ही साथ उम्मेदवारों से भी हमारा निवेदन है कि मेम्बरी को अपना मान मर्यादा बढ़ाने का एक उपाय समझ कर उसकी चाह करना घोर अन्याय है। मेम्बरी के अधिकारी वही हैं जिनमें यथेष्ट योग्यता है, जो अपना समय दे सकते हैं और जिनमें सेवा करने का नियम बद्ध धार्मिक उत्साह है।

हिन्दी की सेवा देश सेवा का एक विशेष अङ्ग है, इसलिये जिन सज्जनों से मुझे इस ग्रन्थ के प्रकाशित करने में सहायता मिली वे सब सज्जन धन्यवाद के पात्र हैं। इस ऐकट के लिखे जाने का प्रारम्भिक विवरण इस प्रकार है—

नवम्बर सन् १९२२ ई० में, अंग्रेजी कानूनों का हिन्दी में छापने और प्रिवी काउन्सिल तथा भारत की प्रधान अदालतों की नयी नजरों को हिन्दी में प्रकाशन करने के उद्देश्य से 'कानून प्रेस की स्थापना हुई। हिन्दी में 'हिन्दी-लॉ-जरनल' नामक मासिक पत्र प्रकाशित हुआ एव कानूनी किताबें छपना प्रारम्भ हुआ। जब हमें हिन्दी प्रेमी जनता द्वारा प्रोत्साहन मिला तो इस ऐकट को मूल ही नहीं बल्कि सर्वाङ्गपूर्ण व्याख्या और समग्र नजरों सहित छापने के लिये हम प्रस्तुत हुये। अनेक कानून पेशा योग्य सज्जनों से उपरोक्त विधि से इस ऐकट के लिखने के लिये निवेदन किया किन्तु सब लोग यह कह कर पीछे हट गये कि अभी तक अंग्रेजी कमेन्ट्री इस पर नहीं हुई इसलिये यह कार्य दुःसाध्य है। दृढ संकल्प की सफलता भगवान अवश्य करते हैं। सन् १९२३ ई० की शीघ्र में स्वास्थ्य लाभ के लिये नैनीताल के समीप घोड़ापाल नामक स्थान में मैं ठहरा हुआ था, एक दिन यह सुना कि समीप ही एक वकील साहब ठहरे हैं थोड़ेही समय में उनके साथ हेल मेल होगया और परस्पर श्रद्धा और मैत्री बढ़ गई। यह सज्जन धानू कृष्णमुरारीलाल बी० ए०, एल० एल० बी०; वकील के वकील थे। आप के अनुभव द्वारा हमें अपने उक्त उद्देश्य में बहुमूल्य सहायता मिली और सबसे बड़ कर यह सहायता मिली कि आप ही के द्वारा इस ग्रन्थ के लेखक महोदय का परिचय हुआ इसलिये हम सर्व प्रथम श्रीयुत बा० कृष्णमुरारीलाल बी० ए०, एल० एल० बी०, वकील हाईकोर्ट को बहुमान पुरस्तर धन्यवाद देते हैं।

दूसरे धन्यवाद के पात्र श्रीयुत बा० वृजेशवहादुर बी० ए०, एल० एल० बी०, वकील हाईकोर्ट है। जिनके असीम परिश्रम से ऐसा ग्रन्थ लिखा गया। हम आप के इस उत्साह के लिये विशेष धन्यवाद देते हैं कि इस ऐकट पर व्याख्या लिखने का साहस किया जिस पर अभी तक अंग्रेजी में व्याख्या नहीं लिखी गई है। अन्त में हम अपने कानून प्रेस के सब कर्मचारियों को धन्यवाद देते हैं जिनके परिश्रम का फल यह हुआ कि हम हिन्दी प्रेमी जनता के सामने इस उपयोगी ग्रन्थको छाप कर प्रस्तुत करने को समर्थ हुए।

इस ग्रन्थ के छपने में यद्यपि सब बातों का ध्यान रखा गया है किन्तु फिर भी जो अशुद्धियाँ या त्रुटियाँ रह गई हों उनके लिये पाठक यह सोच कर क्षमा करें कि अपने ढंग के सर्वप्रथम और इतने बड़े ग्रन्थ में ऐसा होना असम्भव नहीं है।

हमें विश्वास है कि इस ग्रन्थ से सयुक्त प्रान्त की म्यूनिसिपलटियों के शासनाधीन जनता एव बोर्डों के मेम्बरों, कर्मचारियों आदिको लाभ पहुँचेगा। यदि किसी अंग में ऐसा हुआ तो हम अपने उद्देश्य और परिश्रम को सफल समझेंगे।

भूमिका

म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट न० २, सन १९१६ ई० में संशोधन करने के लिये कई एमेंडमेंट ऐक्ट पास हो चुके हैं। इस सब ऐक्टोंके हुक्मोंके अनुसार इस ग्रन्थके मूल भाग में परिवर्तन कर दिये गये हैं। मूल में जहाँ कहीं कोई संशोधन किया गया है, हाशिये पर संशोधन करने वाले ऐक्टका नम्बर और सन छाप दिया गया है।

प्रान्तीय सरकार द्वारा बनाये हुये लगभग सब नियम (Rules) ग्रन्थमें मिलेगे। जो नियम जिस दफा से सम्बन्ध रखता है, उसी दफा के नीचे व्याख्यामें वह छापा गया है। सब आवश्यक गवर्नमेंट आर्डर, सक्च्यूलर, हिदायते सरकारी विज्ञापन, बोर्ड आब् रेविन्यू तथा सेनिटेरी इंजिनियरके हुक्म इत्यादि इत्यादि भी यथास्थान दिये गये हैं। जहाँ आवश्यक समझा गया है म्यूनिसिपल मैनुअलमें दिये हुये नमूने के रेग्युलेशन और बाई-लॉ (Model Regulations and Bye Laws) भी उद्धृत कर दिये गये हैं।

म्यूनिसिपल मैनुअल के पेजोंके हवाले, सन १९२२ ई० की छपी हुई मैनुअलके पहले एडिशनके दिये गये हैं।

कानून की भाषा, विशेषकर अनुवादमें, कुछ विशेष दृष्टिको प्रतीत होना अनिवार्य है। उर का अर्थ लगाने के कुछ मुख्य नियमोंपर आरम्भ ही में विचार करना चाहिये —

१ म्यूनिसिपलटीज ऐक्टके द्वारा म्यूनिसिपलटियोंसे सम्बन्ध रखने वाले कानूनका संग्रह किया गया है। अतएव म्यूनिसिपलटियोंके सम्बन्धमें जो कानूनी प्रश्न उत्पन्न हो उनके उत्तर के लिये इस ऐक्ट ही को खोजना चाहिये (देखिये गोकुल मन्दर बनाम पद्मानन्द सिंह 29 I A 196=22 Cal 707. P C)

२ ऐक्टकी किसी दफाका अर्थ लगाने के लिये पहले दफा की भाषापर विचार करना चाहिये (नरेन्द्रनाथ बनाम कमल वाशिनी I L R 23 Cal 674 F B)

३ ऐक्टकी भाषाका अर्थ व्याकरणके नियमोंके अनुसार लगाना चाहिये। पारिभाषिक शब्दोंका अर्थ वही लगाना चाहिये जो कानूनमें दिया गया हो। अन्य शब्दोंका वही अर्थ लगाना चाहिये जो साधारण बोल चाल में उनका लगाया जाता हो (मातगिनी बनाम मोक्करा I L R 19 Cal 674 F B, और ला मेस्युरियर बनाम माजिद हुसैन I L R 29 Cal 890 F B)

४ यदि भाषाका साधारण अथवा व्याकरणके अनुसार अर्थ किये जाने से कानूनमें किसी प्रकारका स्पष्ट विरोध उत्पन्न होता हो, या ऐसा अर्थ लगाने से कोई शब्द निरर्थक जान पड़ेते हो, या किसी प्रकारका अन्याय उनके द्वारा होता हो, तो उनका वह अर्थ लगाया जा सकता है जो उस स्थानपर उचित जान पड़े। और अर्थ ऐसा लगाना चाहिये जो विषय और प्रसंगके अनुकूल हो (देवनारायण बनाम कुकुर विन्द, 24 I L R All, 319)

५ म्युनिसिपलट्रियोंका क़ानून जनताके अनेक प्रकारके अधिकारोंमें हस्तक्षेप करता है ऐसे क़ानूनके हर्षणका अर्थ बड़ी हीशियारीसे लगाया जाना चाहिये और जहातक संभव हो सके जनताके अधिकारोंकी रक्षाकी जाना चाहिये (दस्सू बनाम सरकार पहादुर G A L J 544 और कामतानाथ बनाम चैयगमैन म्युनिसिपल बोर्ड इलाहाबाद, 2 A L J 676=28 All I L R 196)

६ म्युनिसिपलटीज ऐक्ट एक टैक्स लगाने वाला क़ानून भी है। ऐसे क़ानूनका सख्तीके साथ अर्थ लगाना चाहिये। सख्तीसे अर्थ लगाने के लिये भाषाका शाब्दिक अर्थ देना जाना चाहिये। ऐसा अर्थ लगानेपर यदि कोई शख्स किसी टैक्सका जिम्मेदार ठहराया जा सके, तो उसपर टैक्स बाधा जाय अन्यथा नहीं। भाषाका सार लेकर या क़ानूनके साधारण उद्देश्यपर विचार करके किसी को टैक्स देनेका जिम्मेदार नहीं ठहरा देना चाहिये, (मनिन्द्र चन्द्र बनाम सेक्रेटरी भाव स्टेट, I L R 34 Cal 257=5 C L J 148, और मायलापूर हिन्दू पर्मानेन्ट फण्ड बनाम मदरास कारपोरेशन I L R 34 Mad 408=18 M L J 349, और चिलिंग वैलीटी फ़ैक्ट्री बनाम सेक्रेटरी भाव स्टेट I L R 34 Cal 257=5 C L J 148)

ऐक्टके मूलका यथासाध्य शाब्दिक अनुवाद करनेकी चेष्टा की गई है। भाषाको समझाने अथवा स्पष्ट करने के अभिप्रायसे क़ानूनके मूलको दूसरे शब्दोंमें बदलना सर्वथा खतरनाक होता है (दुर्गा चौधरानी बनाम जवाहिर सिंह चौधरी, I L R 18 Cal 23P C) अन्तमें पाठकगणसे यह निवेदन करना आवश्यक समझता हूँ कि अंग्रेजी क़ानूनके शब्दोंका हिन्दमें अनुवाद करने में, और, इस ऐक्टपर कोई अंग्रेजीकी कमेंट्री न होने के कारण, व्याख्या लिखने में अनेक कठिनाइया उपस्थित हुईं। मेरे मित्र पं० चन्द्रशेखर जी शुक्ल, प्रोफ़ाइटर क़ानून प्रेस, कानपुर, की प्रेरणा और प्रोत्साहन दिखानेपर ही मैंने इस ऐक्टकी व्याख्या लिखनेका साहस किया। पं० चन्द्रशेखर जी का हिन्दी से अगाध प्रेम परम सराहनीय है। जो अशुद्धियाँ या त्रुटियाँ इस ग्रंथमें हो उनके लिये पाठक मुझे क्षमा करें और यदि हिन्दी प्रेमियोंकी कुछ भी सेवा इस ग्रंथसे हो तो उसके लिये धन्यवाद के पात्र श्रीमान् पं० चन्द्रशेखर जी हैं।

बृजेशबहादुर

वी० ए०, एल० एल० वी०,

वकील हाईकोर्ट

एटा

तारीख १८ अगस्त सन १९२४ ई०

संकेताक्षरों की सूची

A या All	इन्डियन लॉ रिपोर्ट्स इलाहाबाद सीरीज
A. I R (All. S.)	आल, इन्डिया रिपोर्टर इलाहाबाद सेक्शन
A L J	इलाहाबाद लॉ जरनल
A W N	इलाहाबाद वीकली नोट्स
Bom I L. R.	इन्डियन लॉ रिपोर्ट्स बम्बई सीरीज
Cal	इन्डियन लॉ रिपोर्ट्स कलकत्ता सीरीज
Cr L J.	क्रिमिनल लॉ जरनल
(Cr S)	क्रिमिनल सेक्शन
C W. N.	कलकत्ता वीकली नोट्स
(F B)	फुलबेथ
H L J	हिन्दी-लॉ-जरनल (कानपुर)
I C	इन्डियन केसेज
I L R.	इन्डियन लॉ रिपोर्ट्स
Mad	इन्डियन लॉ रिपोर्ट्स मद्रास सीरीज
O C	अवध केसेज
O L J	अवध लॉ जरनल
(P C)	प्रिवी कौन्सिल
Rev & Cr L J.	रेविन्यू ऐन्ड क्रिमिनल ला जरनल
(Vol)	वाल्यूम

संयुक्त प्रान्त का (1911) नं०
म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट नं० १
 सन् १९१६ ई०की

दफावार सूची

प्रथम प्रकरण
 प्रारम्भिक-विवरण

दफा	विषय	पेज
१	सक्षिप्त नाम विस्तार और आरम्भ	
२	परिभाषा	
१	बोर्ड (Board)	
२	इमारत (Building)	
३	बाई-लॉ (Bye-Law)	
४	शहर (City)	
५	हाता (Compound)	
६	मोरी (Drain)	
७	निवासी (Inhabitant)	
८	ठहरने का स्थान (Lodging house)	
९	म्यूनिसिपलटी (Municipality)	
१०	विज्ञापन (Notification)	
११	काबिज (Occupier)	
१२	बोर्ड का अफसर (Officer of Board)	
१३	मालिक (Owner)	
१४	इमारत का भाग (Part of the building)	
१५	पेट्रोलियम (Petroleum)	
१६	जन संख्या (Population)	
१७	नियमित किया हुआ (Prescribed)	
१८	आम स्थान या सार्वजनिक स्थान (Public place)	
१९	आम रास्ता या सार्वजनिक रास्ता (Public street)	
२०	रेग्युलेशन (Regulation)	

संयुक्त प्रान्त, का
म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट नं० २
 सन् १९१६ ई०की

दफावार सूची

प्रथम प्रकरण

प्रारम्भिक-विवरण

दफा	विषय	पेज
१	सक्षिप्त नाम विस्तार और आरम्भ	३
२	परिभाषा	३
१	बोर्ड (Board)	३
२	इमारत (Building)	३
३	बाई-लॉ (Bye-Law)	३
४	शहर (City)	३
५	हाता (Compound)	३
६	मोरी (Drain)	३
७	निवासी (Inhabitant)	३
८	ठहरने का स्थान (Lodging house)	३
९	म्यूनिसिपलटी (Municipality)	३
१०	विज्ञापन (Notification)	३
११	काबिज (Occupier)	३
१२	बोर्ड का अफसर (Officer of Board)	३
१३	मालिक (Owner)	३
१४	इमारत का भाग (Part of the building)	३
१५	पेट्रोलियम (Petroleum)	३
१६	जन संख्या (Population)	३
१७	नियमित किया हुआ (Prescribed)	३
१८	आम स्थान या सार्वजनिक स्थान (Public place)	३
१९	आम रास्ता या सार्वजनिक रास्ता (Public street)	३
२०	रेग्युलेशन (Regulation)	३

दफा	विरण	पेज
२१	नियम (Rule)	८
२२	बोर्ड का नौकर (Servant of the Board)	८
२३	रास्ता (Street)	८
२४	गाड़ी (Vehicle)	८
२५	घरेलू काम के लिये पानी (Water for domestic purpose)	९
२६	पानी का कारखाना (Water Works)	९
२७	अनेक अधिकारों में से अधिकार देना	९

प्रकरण २

म्यूनिसिपलटियों का सङ्गठन और संचालन

(म्यूनिसिपलटियों की स्थापना)

३	म्यूनिसिपलटियों और शहरों की स्थापना	११
४	विज्ञापन से पहले की कार्यवाही	१२
५	म्यूनिसिपलटी में किसी रकब के मिला लिये जाने का प्रभाव	१३

(म्यूनिसिपल बोर्ड)

६	म्यूनिसिपल बोर्डों का सङ्गठित किया जाना और उनके साधारण काम	१३
७	म्यूनिसिपल बोर्ड के कर्तव्य	१५
८	कार्य जिनके करने या न करने के लिये बोर्ड स्वाधीन है	१९
९	बोर्ड में साधारणतया कौन शरुस होंगे	२२
१०	बोर्डके साधारण सङ्गठनमें परिवर्तन करनेका प्रान्तीय सरकारका अधिकार	२४
११	बोर्डमें स्थानीय तथा समुदायोंके विशेष प्रतिनिधि भेजे जानेके सम्बन्धमें हुकम	२५
१२	भिन्न २ दीनों के विशेष, प्रतिनिधि भेजे जाने के हुकम पर शासित शर्तें	२५
१३	सयोगवश जगह खाली होने के विषय में विशेष नियम	३०

(निर्वाचन अर्थात् चुनाव)

१४	निर्वाचकों की योग्यताये	३०
१५	निर्वाचकों की नामावलियों	४२
१६	उम्मेदवारों की सूची	४२
१७	दफा १४ व १५ और १६ के कुछ शब्दोंकी व्याख्या	४४
१८	भिनेजरो, ट्रस्टियों इत्यादि का नाम दर्ज करने के विषय में नियम द्वारा हुकम	४५

(निर्वाचन सम्बन्धी अज्ञिया)

१९	अर्जों के द्वारा निर्वाचन पर आक्षेप करने का अधिकार	४६
२०	अर्जों का नमूना और पेश किया जाना	४७
२१	प्रतिपातक कार्यवाही	४९
२२	निर्वाचन निर्णय कर्ता अदायत	५०
२३	ज्ञापता	५१

दफा	विषय	पेज
२४	निर्वाचन निर्णय कर्ता अदालत के अधिकार	५४
२५	निर्वाचन निर्णय कर्ता अदालत का फैसला	५५
२६	निर्वाचन सम्बन्धी अर्जों की कार्रवाई को आगे चलने से रोक दिया जाना	५६
२७	कृष्यवहारों के कारण अयोग्य ठहरा दिया जाना	५७
२८	कृष्यवहार	५७
२९	निर्वाचन कराने की विधि और निर्वाचन के सम्बन्ध की अन्य बातें	५९

(म्यूनिसिपलटियों के, निर्वाचनों के लिये नियम-Rules)

—परिभाषा	६२
—निर्वाचको की योग्यता निर्णय करने की शारिख	६२
—निर्वाचको और निर्वाचन के उम्मेदवारों का दर्ज किया जाना	६३
—निर्वाचन के लिये समय और स्थान	६९
—उम्मेदवारों की नामजदगी	७०
—वोट लेने की विधि	७२
—शिड्यूल न० १	७९
—शिड्यूल न० २	८०
—शिड्यूल न० ३	८१
—शिड्यूल न० ४	८२
—शिड्यूल न० ५	८३

(बोर्ड पर अधिकार)

३०	प्रान्तीय सरकारका बोर्डको भग कर देनेका या उसके स्थान पर दूसरा बोर्ड नियत करने का अधिकार	८४
३१	बोर्ड को अलग कर दिये जाने के परिणाम	८५
३१ (ए)	बोर्ड को भग कर दिये जानेके परिणाम	८६
३२	कमिश्नर तथा जिला मजिस्ट्रेट का निगरानी का अधिकार	८६
३३	म्यूनिसिपलिटि के कामों और खर्चाओं की सरकारी अफसरों द्वारा जांच	८७
३४	बोर्डके किसी रेजोल्युशन अथवा हुक्मके अनुसार कोई काम आगे किये जानेसे रोक देने का कमिश्नर या जिला मजिस्ट्रेट का अधिकार	८७
३५	प्रान्तीय सरकार और कमिश्नर का अधिकार जब बोर्ड अपने किसी कृतव्य कापालन न करे	८९
३६	आकस्मिक आवश्यकता के पड़ने पर जिला मजिस्ट्रेट के विशेष अधिकार	९०

(म्यूनिसिपलटि के मेम्बर)

३७	मेम्बरों को बदलाव दिये जाने की मनाही	९०
३८	मेम्बरों के पद की अवधि	९१
३९	मेम्बरों का इस्तीफा	९३
४०	मेम्बरों का अलग किया जाना	९३
४१	दफा ४० के अनुसार अलग किये हुये मेम्बरों पर लग जाने वाली अयोग्यताये	९५
४२	"म्यूनिसिपल कमिश्नर" शब्दका बोर्डके किसी मेम्बरके दिये काममें लाया जाना	९६

दफा	विषय	पेज
	(चेयरमैन तथा चाईस चेयरमैन)	
४३	चेयरमैन का निर्वाचन या नामजदगी	९६
४४	बोर्ड द्वारा चेयरमैन न चुने जाने की दशा में कार्रवाई	९८
४५	चेयरमैनके पद पर दूसरी बार चुने जाने या नामजद किये जानेकी योग्यता	९८
४६	चेयरमैन के पद की अवधि	९८
४७	चेयरमैन का इस्तीफा	१००
४८	चेयरमैन का अलग किया जाना	१००
४९	चेयरमैन का सर्वथा बोर्ड का मेम्बर माने जाने के विषय में हुक्म	१००
५०	बोर्ड के काम जिनका करना बोर्ड का कर्तव्य है	१००
५१	चेयरमैन के अन्य कर्तव्य	१०१
५२	चेयरमैन से रिपोर्ट इत्यादि मागने का बोर्ड का अधिकार	१०२
५३	चेयरमैनका अपने अधिकारों और कर्तव्योंका किसी चाईसचेयरमैनको सौंप देना	१०३
५३	(ए)चेयरमैनका दफा५०के क्लॉज़ (ए) के अनुसार दिये हुये अपने अधिकारोंको सौंप देना	१०४
५४	चाईस चेयरमैन का निर्वाचन, पद की अवधि, और इस्तीफा	१०५
५५	चाईस चेयरमैन के कर्तव्य	१०५
५६	निर्वाचन, नामजदगी, और जगहों के खाली होने के विज्ञापन	१०६
	(एक्जिक्यूटिव अफसर)	
५७	एक्जिक्यूटिव अफसर रखने का बोर्ड को अधिकार	१०६
५८	एक्जिक्यूटिव अफसरको दंड दिया जाना और उसका डिस्मिस किया जाना	१०६
५९	एक्जिक्यूटिव अफसर की जगह एचजी नियुक्त करना	१०७
६०	बोर्ड के काम जो एक्जिक्यूटिव अफसर को करना आवश्यक है	१०७
६१	एक्जिक्यूटिव अफसर के हुक्मों के विरुद्ध अपील का हक	१०८
६२	एक्जिक्यूटिव अफसर का किसी दूसरे को अपने अधिकार सौंप देना	१०९
६३	बोर्ड या कमेटीका एक्जिक्यूटिव अफसरसे रिपोर्ट आदि मागनेका अधिकार	११०
६४	बहुस में भाग लेने का एक्जिक्यूटिव अफसर का अधिकार	११०
६५	प्रान्तीय सरकार का एक्जिक्यूटिव अफसर नियुक्त कर देने का अधिकार	१११
	(अन्य कर्मचारी)	
६६	सेक्रेटरियों का नियुक्त किया जाना	१११
६७	सेक्रेटरियों को दंड दिया जाना और उनका डिस्मिस किया जाना	११२
६८	हेल्य अफसरों तथा इजिनियरों का नियुक्त किया जाना	११२
६९	इजिनियरों और हेल्य अफसरोंको सजादी जाना और उनको डिस्मिस करना	११४
७०	अस्थाई कर्मचारी जिनकी अकस्मात् आवश्यकता पड़ने पर जरूरत होती है	११४
७१	अस्थाई कर्मचारियों की सख्या निर्णय करनेका बोर्ड का अधिकार	११५
७२	पदों का मिला दिया जाना	११५

दफा	विषय	पेज
७३	शिक्षा विभागके कर्मचारियोंकी नियुक्ति और उनका डिस्मिस किया जाना	११५
७४	ऊँची श्रेणी के स्थाई कर्मचारियों का नियुक्त और डिस्मिस किया जाना	११६
७५	नीची श्रेणी के स्थाई कर्मचारियों का नियुक्त किया जाना	११६
७६	नीची श्रेणी के स्थाई कर्मचारियों को सजा देना और डिस्मिस करना	११७
७७	दफा ७१ से दफा ७६ तक में दिये हुये अधिकारों पर बंधेज	११८
	—सेनेटरी इन्स्पेक्टर	११९
	—म्यूनिसिपलटियों की विभक्ति	१२१
	—ओवरसियरों तथा सब ओवरसियरोंकी नियुक्त किये जानेके विषयमें नियम	१२१
	—पानीके कारखाने तथा पानीके निकासके उपायोंको कायम रखनेके लिये कर्मचारियोंको नियुक्त और डिस्मिस करनेके विषयमें नियम	१२२
	—बिजलीके कारखानेके कर्मचारी नियुक्त किये जानेके विषयमें नियम	१२३
	(कुछ कर्मचारियों के लिये विशेष हुक्म)	
७८	जिन सरकारी कर्मचारियोंको बोर्डने अपने काममें लियाहो तथा जिन बोर्डके कर्मचारियों को सरकारने अपने काममें लियाहो उनकी पेशान और डिस्मिस किया जाना	१२३
७९	छुट्टी का एलाऊन्स प्रावीडेंट फंड वार्षिक वजीफे और इनाम	१२४
८०	पूर्वोक्त दफा के अनुसार दिये हुये अधिकारों पर बंधेज	१२७
	(मेम्बरों, अफसरों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी)	
८१	रुपया या जायदाद की हानि, बर्बाद जाने या अपव्यय होने पर मेम्बरों की जिम्मेदारी	१२७
८२	मुआहिदों इत्यादि में भाग लेने वाले मेम्बरों को दण्ड	१२८
८३	कर्मचारियों का मुआहिदों आदि के लाभ से वास्ता रखने के विरुद्ध हुक्म	१३१
८४	बोर्ड के अफसरों और कर्मचारियों का सार्वजनिक कर्मचारी होना	१३२
८५	कुछ निर्दिष्ट म्यूनिसिपल कर्मचारियोंको अपना कर्तव्य न पालन करनेका दण्ड	१३४

प्रकरण ३

कामकाज का चलाया जाना

(म्यूनिसिपल मीटिंग और कार्रवाहियाँ)

८६	बोर्ड की मीटिंग	१३६
८७	मीटिंगों में काम काज का किया जाना	१३७
८८	कोरम	१३७
८९	मीटिंग का चेयरमैन	१३८
९०	मीटिंग का सर्वसाधारण के लिये खुला होना	१३९
९१	मीटिंगके चेयरमैनका उसको नियमयुद्ध और शान्त रखनेका अधिकार	१३९
९२	बोर्डों के द्वारा फैसला	१३९

दफा	विषय	पेज
९३	मीटिंगों में उपस्थित होने और बोलने का कुछ अफसरों का अधिकार	१४०
९४	याददास्त की किताब (मिनिट बुक) और रेजोल्युशन (पत्र व्यवहार हिसाब किताब बजट इत्यादिका कार्यक्रम)	१४०
९५	पत्र व्यवहार हिसाब किताब बजट इत्यादि का कार्यक्रम	१४२
	—नियम	१४३
	—मासिक हिसाब	१४४
	—वार्षिक रिपोर्ट	१४५
	—नकशा चुंगी की कैफियत-जन सख्या	१४९
	—परिशिष्ट (ए) बोर्ड का संगठन दिखाने को	१५१
	—परिशिष्ट (बी) स्कूलों के खर्च तथा स्थिति दिखाने को	१५२
	—परिशिष्ट (सी) पानी के कारखानों, मोरियों, आदिके खर्च दिखाने को	१५०
	—परिशिष्ट (डी) पानी का कारखाना	१५४
	—परिशिष्ट (ई) किसी अवसर पर प्रदान की हुई रकमों की कैफियत	१५५
	—सेनेटरी रिपोर्ट	१५६
	—म्यूनिसिपल पत्र व्यवहार और कागजों, रजिस्ट्रों इत्यादिके विषयमें नियम	१५८
	(ठेके या सुआहिदे)	
९६	ठेके या सुआहिदों की मजूरी	१६१
९७	सुआहिदों अथवा ठेकों की लिखा पड़ी	१६२
९८	दस्तावेजों की रजिस्ट्री (बजट)	१६३
९९	बजट	१६३
	—फार्म (ए) बजट का व्यवहार	१६६
१००	दुहराया हुआ बजट	१७६
१०१	साल समाप्त होने पर की काम से कम बाकी जो बजट में दिखाई जाय	१७६
१०२	चुंगी बोर्ड का बजट	१७६
१०३	बजट द्वारा नियत किये हुये खर्च से अधिक खर्च करने की मनाही (कमेटियां और ज्वाइन्ट-कमेटिया)	१७७
१०४	कमेटियों का नियत किया जाना	१७७
१०५	मेम्बरों के अतिरिक्त अन्य शख्सों का नियुक्त किया जाना	१८२
१०६	कमेटियों में जगहों का खाली होना	१८२
१०७	कमेटी का वेयरमेंट	१८२
१०८	कमेटियों का कार्यक्रम	१८२
१०९	कमेटियों का बोर्ड के आधीन होना	१८२
११०	ज्वाइन्ट कमेटी	१८३
	(बोर्डोंका अपने अधिकारोंका परतना और उनको दूसरों को सौंप देना)	१८३
१११	घट अधिकार जो केवल बोर्डके लिये रखे गये हैं कि घट रेजोल्युशनके द्वारा बरे	१८५

दफा	विषय	पेज
११२	अधिकारों का बोर्ड के द्वारा सौंपा जाना (बोर्डके कामों और कार्रवाइयोंका जायज होना)	- १८५
११३	अनुमान और बचतें	१९२

प्रकरण ४

म्यूनिसिपल कोष और जायदाद

११४	म्यूनिसिपलटी का कोष	१९४
११५	म्यूनिसिपलटी के कोषका रखा जाना और उसका ब्याज भादि पर उठाया जाना	१९५
११६	बोर्ड के अधिकार में जायदाद	१९७
११७	भाराजी का जबरदस्ती प्राप्त किया जाना	१९८
११८	बोर्ड का अधिकार ऐसी जायदाद का प्रबन्ध तथा निगरानी करने का जो उसके प्रबन्ध में दी गई हो	१९९
११९	सार्वजनिक सस्थाय	२००
१२०	म्यूनिसिपलटी के कोष और जायदाद का काम में लगाया जाना	२०१
१२१	कोई रकबा म्यूनिसिपलटी न रहने पर म्यूनिसिपल कोष का ठिकाने लगाया जाना	२०३
१२२	रकबा म्यूनिसिपलटी में शामिल न रहने पर म्यूनिसिपल कोष को ठिकाने लगाना	२०३
१२३	दफा १२१ व १२२ के द्वारा मिली हुई जायदाद का सरकार द्वारा काम में लगाया जाना	२०४
१२४	बोर्ड का अधिकार जायदाद अलग करने का	२०४
१२५	म्यूनिसिपल कोष से बदलाव (सुभाविजा) दिया जाना	२०६
१२६	मेलों इत्यादि में पुलीस के द्वारा विशेष रक्षा किये जाने का खर्च बोर्ड द्वारा दिया जाना	२०७
१२७	म्यूनिसिपल कोष और जायदाद से सम्बन्ध रखने वाली अन्य बातें	२०७

प्रकरण ५

म्यूनिसिपलटीके कर

(करों का लगाया जाना और उनमें परिवर्तन किया जाना)

१२८	कर जो लगाये जा सकते हैं	२०९
	—अवध और रुहेलखण्ड रेलवे	२१३
	—ग्रेट इन्डियन पेनिन्सुला रेलवे	२१४
	—रुहेलखण्ड और कमायू रेलवे	२१४
	—बंगाल और नार्थ-वेस्टर्न रेलवे	२१४

दफा	विषय	पेज
	—बाम्बे बरौदा और सेन्ट्रल इन्डिया रेलवे	२१४
	—ईस्ट इन्डियन रेलवे	२१४
१२९	पानी के महसूल के लगाये जाने पर बन्धेज	२१५
१३०	अन्य करों के लगाये जाने पर बंधेज	२१६
१३१	प्राथमिक प्रस्तावों का तैय्यार किया जाना	२१६
१३२	प्रस्तावों के तैय्यार किये जानेके बाद की कार्रवाई	२१७
१३३	प्रान्तीय सरकार या कमिश्नर का प्रस्तावों को ना मजूर करने, मजूर करने या तरमीम करने का अधिकार	२१८
१३४	टैक्स लगाये जाने के विषय में बोर्ड का रेजोल्युशन	२१९
१३५	करों का लगाया जाना	२२०
१३६	कर में परिवर्तन करने के लिये जाबता (कार्रवाई)	२२०
१३७	किसी टैक्समें सुधार करने या उसको रद्द कर देनेका सरकारका अधिकार	२२१
	(मिलाये हुये कर)	
१३८	करों का मिला दिया जाना	२२१
	(इमारतों आराजियों या दानोंके वार्षिक मूल्यपर करोंका कूतना और वसूल करना)	
१३९	माफी के कारण कर का घटा दिया जाना	२२२
१४०	वार्षिक मूल्य की व्याख्या	२२३
१४१	कूते हुये करों की सूची तैय्यारकी जाना	२२४
१४२	सूची का प्रकाशित किया जाना	२२४
१४३	सूची के इन्दराजों पर उज्रदारियों	२२५
१४४	सूची की तस्दीक और उसका रखा जाना	२२५
१४५	सूची का दुहराया जाना और उसकी अवधि	२२६
१४६	करों की कूली हुई रकमों के इन्दराजों का अखण्ड होना	२२६
१४७	सूची में तरमीम और परिवर्तन का किया जाना	२२७
१४८	तरमीम करने के लिये सूचना देने की जिम्मेदारी	२२८
१४९	वार्षिक मूल्य पर कुछ करों के दिये जाने की जिम्मेदारी	२२९
१५०	इसी प्रकार के अन्य करों के अदा करने की जिम्मेदारी	२३०
१५१	खाली रहने के कारण माफी	२३१
१५२	फिर से आवाद होने की सूचना देने की जिम्मेदारी	२३२
	(करों की वसूली, चुकौता, माफी और कर लगानेके सबन्धकी अन्य बातें)	
१५३	नूतने वसूल करने और अन्य बातों के लिये नियम	
१५४	चुगी की हदे नियत करने का अधिकार	२३२
१५५	चुगी का कर देने से बचने के लिये दण्ड	२३४
१५६	चुकीता	२३५
१५७	माफी	२३६
		२३७

दफा	विषय	पेज
१५८	जिम्मेदारी प्रकट करने का कर्तव्य	२३९
१५९	पता लगाने का अधिकार (टैक्स लगाये जानेके विरुद्ध अपीलें)	२३९
१६०	कर लगाये जाने के सम्बन्ध में अपील	२३९
१६१	मियाद और तलब किये हुये कर का पहले से जमा कर दिया जाना	२४०
१६२	हाईकोर्ट को फैसले के लिये कोई मामला भेजा जाना	२४०
१६३	खर्चा	२४२
१६४	दीवानी और फौजदारीकी अदालतोंको कर के मामलों के सुननेका अधिकार न होना	२४२
१६५	वचन	२४३

प्रकरण ६

म्यूनिसिपलटीके कुछ मतलबों अर्थात् तलब की हुई रकमोंका वसूल किया जाना

१६६	बिल का पेश किया जाना	२४५
१६७	बिल में क्या क्या लिखा जाना चाहिये	२४६
१६८	मांग का नोटिस	२४६
१६९	वारंट का जारी किया जाना	२४७
१७०	वारंट की तामील के लिये जबरदस्ती किसी घर में प्रवेश करना	२४७
१७१	वारंट की तामील किये जाने की विधि	२४८
१७२	वारण्ट के अनुसार माल का बचा जाना और उससे जो रुपया मिले उसका लगाया जाना	२४९
१७३	उस कार्रवाई की विधि जो उस दशा में की जायगी जब वारण्ट की तामील किसी ऐसी जायदाद के विरुद्धकी जाय जो म्यूनिसिपलटीके चाहर हो	२५०
१७४	फीस और खर्च	२५१
१७५	वचन	२५२
१७६	कुर्की और नीलामके बदले नालिश करनेका अधिकार	२५२
१७७	जायदाद गैर मनकूलाका फरोंके अदा करनेका जिम्मेदार होना	२५२

प्रकरण ७

इमारतों और सार्वजनिक मोरियों और सार्वजनिक रास्तों और आग बुझाने और मैला उठवाने और पानी पहुँचाने और देनेके सम्बन्ध में अधिकार और दण्ड

(इमारतोंके सम्बन्धमें क़ायदे)

१७८	इमारत बनाने और कुआँ खोदने के इरादेकी सूचना	२५३
-----	--	-----

दफा	विषय	पेज
१७९	वह नकशे और हाल जो कि नोटिसको जायज बनाने के लिये आवश्यक है	२५८
१८०	बोर्ड द्वारा काम बनानेकी मंजूरी दी जाना	२५८
१८१	इजाजत कबतक कामकी रहेगी	२६१
१८२	जिन कामोंकी इजाजत लेनेकी आवश्यकता हो उनका मुआइना	२६१
१८३	मुआविजा ऐसी हानिके विषयमें जो उस हुक्मके कारण उठानी पड़ी हो जो दफा १८० के अनुसार दिया गया हो	२६३
१८४	इजाजतका असर	२६३
१८५	कानून के विरुद्ध काम बनाना या इमारतमें परिवर्तन करना	२६५
१८६	कामको बनने से रोक देनेका और बनी हुई इमारतको गिरवा देनेका, बोर्ड का अधिकार	२६६

(आग बुझाना)

१८७	भाग बुझाने वालोंकी मंडली स्थापित करना और कायम रखना	२६७
१८८	भाग बुझानेके लिये आग बुझाने वाली मंडलीका और अन्य शख्सोंका अधिकार	२६७

(सार्वजनिक मोरियां)

१८९	सार्वजनिक मोरियोंका बनाया जाना	२६९
१९०	सार्वजनिक मोरियोंमें परिवर्तन किया जाना	२६९
१९१	इमारतों तथा आराजियोंके मालिकों का सार्वजनिक मोरियोंको काममें लाने का अधिकार	२७०
१९२	पानीके निकासका मेल सार्वजनिक मोरियोंसे करानेका बोर्डका अधिकार	२७०
१९३	सर्वसाधारणों के किसी व्यक्तिका अपनी मोरियोंको किसी दूसरे शख्सकी आराजीसे होकर लेजानेका अधिकार	२७१
१९४	मालिकका अधिकार उस नालीका रास्ता बदल देनेका जो उसकी आराजी में बनाई गई हो	२७२

(मैला उठवाना और सफाई करवाना)

१९५	मकानसे मैला उठवानेकी व्याख्या	२७३
१९६	बोर्डका, मकानका मैला उठवाने इत्यादिको अपने जिम्मे लेना, तथा इस कामको छोड़ देना	२७३
१९७	मैला साफ करनेका काम म्यूनिसिपलटीका अपने जिम्मे लेनेपर उपर	२७४
१९८	मकानका मैला उठवाने के कामको, जब उसको बोर्ड अपने जिम्मे लेले जारी रखना	२७४
१९९	मकानका मैला उठवाने के विषयमें म्यूनिसिपलटीके नौकरोंका अधिकार	२७४
२००	मौरूसी भंगियों और कृपकों के हककी वचत	२७५
२०१	काममें उपेक्षा के लिये मौरूसी भंगियोंको सजा	२७५
२०२	कृपकोंके द्वारा सफाईका ठोक प्रबन्ध न किये जानेपर कार्रवाई	२७५

(सड़कोंके विषयमें क़ायदे)

२०३	सड़कों या गलियों के निकालने या बनाने के इरादे का नोटिस	२७६
-----	--	-----

दफा	विषय	पेज
२०४	कामका मुलतवी करदेना और उसका विवरण मांगना	२७७
२०५	गली या सड़ककी मजूरी बोर्ड द्वारा दी जाना	२७७
२०६	इजाजत कबतक कामकी रहेगी	२७८
२०७	गली या सड़कका कानून के विरुद्ध बनाया जाना	२७८
२०८	बिना मजूर की हुई गली या सड़कमें परिवर्तन करने, और उसपर बनी हुई इमारतोंको गिरवा देनेका बोर्डका अधिकार	२७८
२०९	गली और सड़कों और मोरियोंके ऊपर मकानों आदि के आगे बढ़े हुये भागों के विषयमें बोर्डकी मजूरी	२७९
२१०	बिना इजाजत लिये सड़कों गलियों या मोरियों के ऊपर निकले हुये भागों के बनाने के लिये दण्ड	२८२
२११	सड़कों और गलियों और मोरियों के ऊपर से किसी ऐसी इमारतको जिसने कि उनका कोई भाग दबा लिया हो और इमारतोंके निकले हुये भागोंको, हटा देनेका अधिकार	२८२
२१२	किसी सड़क या गलीको चौरस (समतल) करने या उसपर खरजा बनाने, इत्यादि, की आज्ञा देनेका अधिकार	२८४
२१३	इमारतोंके बनाये जाने इत्यादिके समयमें सड़कों या गलियोंकी रक्षा करने के विषयमें आज्ञा देनेका अधिकार	२८५
२१४	झाड़ियों और वृक्षोंके छटवानेकी आज्ञा देनेका अधिकार	२८६
२१५	सयोग बश रुकावटके हो जानेपर, इसको हटवा देनेका अधिकार	२८७
२१६	ऐसे हीजो, या बरसाती पानीके नलों का प्रबन्ध, जिनसे किसी सड़क या गली पर असर पड़ता हो	२८७
२१७	सड़कों और गलियोंका नाम रखा जाना और इमारतोंपर नम्बर डाले जाना	२८७
२१८	इमारत इत्यादिमें ब्रेकैट लगानेका अधिकार	२८८

(सार्वजनिक सड़के या गलिया)

२१९	सार्वजनिक सड़के या गलियाँ बनाने और सुधारने और उनपर मकान बनाने के लिये स्थान निकालनेका अधिकार	२९०
२२०	बेचने वाले और अन्य रास्तोंका सार्वजनिक सड़क या गलीको काममें लाना	२९१
२२१	किसी सड़क या गलीको सार्वजनिक सड़क या गली ठहरा देना	२९२
२२२	सार्वजनिक सड़को और गलियोंमें इमारतोंकी लैन (पंक्ति) निश्चय कर देनेका अधिकार	२९३
२२३	सार्वजनिक सड़के या गलिया इत्यादि बनाने के समय बोर्डके कर्तव्य	२९४

(पानीका पहुँचाना)

२२४	पानीके कारखाने के बनाने और उसमें परिवर्तन करनेका बोर्डका अधिकार	२९५
२२५	निजी पानीके रास्ते आदि, को साफ़ या बन्द करनेकी आज्ञा देनेका अधिकार	२९५
२२६	फैलने वाली बीमारीके फैलनेकी दशामें अत्यन्त आवश्यकताके समयके अधिकार	२९६
२२७	किसी ऐसे स्थानके पाससे जिससे पानी प्राप्त होता हो पाखानों आदिका हटाया जाना	२९९

दफा	विषय	पेज
१७९	वह नकशे और हाल जो कि नोटिसको जायज़ बनाने के लिये आवश्यक है	२५८
१८०	बोर्ड द्वारा काम बनानेकी मंजूरी दी जाना	२५८
१८१	इजाजत कबतक कामकी रहेगी	२६१
१८२	जिन कार्योंकी इजाजत लेनेकी आवश्यकता हो उनका मुआइना	२६१
१८३	मुआविजा ऐसी हानिके विषयमे जो उस हुक्मके कारण उठानी पड़ी हो जो दफा १८० के अनुसार दिया गया हो	२६३
१८४	इजाजतका असर	२६३
१८५	कानून के विरुद्ध काम बनाना या इमारतमे परिवर्तन करना	२६५
१८६	कामको बनने से रोक देनेका और धनी हुई इमारतको गिरवा देनेका, बोर्ड का अधिकार	२६६

(आग बुझाना)

१८७	आग बुझाने वालोंकी मंडली स्थापित करना और क़ायम रखना	२६७
१८८	भाग बुझानेके लिये आग बुझाने वाली मंडलीका और अन्य शख्सोंका अधिकार	२६७

(सार्वजनिक मोरियां)

१८९	सार्वजनिक मोरियोंका बनाया जाना	२६९
१९०	सार्वजनिक मोरियोंमे परिवर्तन किया जाना	२६९
१९१	इमारतों तथा आराजियोंके मालिकों का सार्वजनिक मोरियोंको काममे लाने का अधिकार	२७०
१९२	पानीके निकासका मेल सार्वजनिक मोरियोंसे करानेका बोर्डका अधिकार	२७०
१९३	सर्वसाधारणोंके किसी व्यक्तिका अपनी मोरीको किसी दूसरे शख्सकी आराजीसे होकर लेजानेका अधिकार	२७१
१९४	मालिकका अधिकार उस नालीका रास्ता बदल देनेका जो उसकी आराजी मे बनाई गई हो	२७२

(मैला उठवाना और सफ़ाई करवाना)

१९५	मकानसे मैला उठवानेकी व्याख्या	२७३
१९६	बोर्डका, मकानका मैला उठवाने इत्यादिको अपने जिम्मे लेना, तथा इस कामको छोड़ देना	२७३
१९७	मैला साफ़ करनेका काम म्यूनिसिपलटीका अपने जिम्मे लेनेपर उच्च	२७४
१९८	मकानका मैला उठवाने के कामको, जब उसको बोर्ड अपने जिम्मे लेले जारी रखना	२७४
१९९	मकानका मैला उठवाने के विषयमे म्यूनिसिपलटीके नौकरोंका अधिकार	२७४
२००	मौखसी भंगियों और कृपकों के हककी वचत	२७५
२०१	काममे उपेक्षा के लिये मौखसी भंगियोंको सजा	२७५
२०२	कृपकोंके द्वारा सफ़ाईका ठीक प्रवन्ध न किये जानेपर कार्रवाई	२७५

(सड़कोके विषयमे क़ायदे)

२०३	सड़कों या गलियों के निकालने या बनाने के इरादे का नोटिस	२७६
-----	--	-----

दफा	विषय	पेज
२०४	कामका मुलतवी करदेना और उसका विवरण मांगना	२७७
२०५	गली या सड़ककी मजूरी बोर्ड द्वारा दी जाना	२७७
२०६	इजाजत कबतक कामकी रहेगी	२७८
२०७	गली या सड़कका कानून के विरुद्ध बनाया जाना	२७८
२०८	बिना मजूर की हुई गली या सड़कमें परिवर्तन करने, और उसपर बनी हुई इमारतको गिरवा देनेका बोर्डका अधिकार	२७८
२०९	गली और सड़कों और मोरियोंके ऊपर मकानों आदि के आगे बढ़े हुये भागों के विषयमें बोर्डकी मजूरी	२७९
२१०	बिना इजाजत लिये सड़कों गलियों या मोरियों के ऊपर निकले हुये भागों के बनाने के लिये दण्ड	२८२
२११	सड़कों और गलियों और मोरियों के ऊपर से किसी ऐसी इमारतको जिसने कि उनका कोई भाग दबा लिया हो और इमारतोंके निकले हुये भागोंको, हटा देनेका अधिकार	२८२
२१२	किसी सड़क या गलीको चौरस (समतल) करने या उसपर खरजा बनाने, इत्यादि, की आज्ञा देनेका अधिकार	२८४
२१३	इमारतोंके बनाये जाने इत्यादिके समयमें सड़कों या गलियोंकी रक्षा करने के विषयमें आज्ञा देनेका अधिकार	२८५
२१४	झाड़ियों और वृक्षोंके छटवानेकी आज्ञा देनेका अधिकार	२८६
२१५	सयोग बरा रुकावटके हो जानेपर, इसको हटवा देनेका अधिकार	२८७
२१६	ऐसे हीनों, या बरसाती पानीके नलों का प्रवन्ध, जिनसे किसी सड़क या गली पर भस्म पड़ता हो	२८७
२१७	सड़कों और गलियोंका नाम रखा जाना और इमारतोंपर नम्बर डाले जाना	२८७
२१८	इमारत इत्यादिमें ब्रैकेट लगानेका अधिकार	२८८
(सार्वजनिक सड़के या गलियां)		
२१९	सार्वजनिक सड़के या गलियां बनाने और सुधारने और उनपर मकान बनाने के लिये स्थान निकालनेका अधिकार	२९०
२२०	बेचने वाली और अन्य शख्सोंका सार्वजनिक सड़क या गलीको काममें लाना	२९१
२२१	किसी सड़क या गलीको सार्वजनिक सड़क या गली ठहरा देना	२९२
२२२	सार्वजनिक सड़को और गलियोंमें इमारतोंकी लैन (पंक्ति) निश्चय कर देनेका अधिकार	२९३
२२३	सार्वजनिक सड़के या गलिया इत्यादि बनाने के समय घोटके कर्तव्य	२९४
(पानीका पहुँचाना)		
२२४	पानीके कारखाने के बनाने और उसमें परिवर्तन करनेका बोर्डका अधिकार	२९५
२२५	निजी पानीके रास्ते आदि, को साफ़ या बन्द करनेकी आज्ञा देनेका अधिकार	२९५
२२६	फैलने वाली बीमारीके फैलनेकी दशाम अत्यन्त आवश्यकताके समयके अधिकार	२९६
२२७	किसी ऐसे स्थानके पाससे जिससे पानी प्राप्त होता हो पाखानों आदिका हटाया जाना	२९९

दफा	विषय	पेज
२२८	पानी का कर लगाने वाले बोर्ड की जिम्मेदारियां	३००
२२९	सुआहिदे के अनुसार पानी देना	३०१
२३०	पानी देनेकी फीस	३०१
२३१	किसी दुर्घटना आदि के होने पर बोर्ड का जिम्मेदारी से मुक्त होना	३०१
२३२	अन्य मतलबोंके लिये पानीका दिया जाना, धरेलू मतलबोंके लिये पानी दिये जानेके आधीन होना	३०२
२३३	पानी दिये जानेके अधिकारका बंधन लगाने वाले नियमोंके आधीन होना	३०२
२३४	मीटरों और मिलाने वाले नलों के सम्बन्ध में हुकम	३०३
२३५	पानी दिये जाने के सम्बन्धमें नियम	३०३
	—पानी दिये जानेके विषयमें नियम	३०४
	—सर्वसाधारण को पानी दिया जाना	३०५
	—मीटर	३०७
	—हौज, टकिया और पाखाने इत्यादि	३०८
	—काम किसके द्वारा कराये जाय और उनकी निगरानी	३०८
	—बोर्ड के अधिकार	३११
	—कर्तव्य और मनाहियां	३१२
	—दण्ड	३१५
	(ऐसे इमारतों आदिके हटा देनेका अधिकार जो सार्वजनिक कामोंमें बाधक हों)	
२३६	मोरी पर या पानी पहुँचाने के कामोंपर बिना आज्ञा इमारत बनाना या पेड़ लगाना	३१५

प्रकरण ८

अन्य अधिकार और दण्ड

(बाजार या मडिया बंध स्थान, खाद्य पदार्थका बेचा जाना इत्यादि)

२३७	बिक्रीके लिये पशुओंके बंध करनेके स्थान	३१६
२३८	उन पशुओंको बंध करनेके स्थान जो बिक्रीके लिये न हो या जो धार्मिक प्रयोजन के लिये बंध न किये जाय	३१७
२३९	जिला मजिस्ट्रेटके अधिकार उन पशुओंके सम्बन्धमें जो बिक्रीके लिये बंध न किये जाय	३१७
२४०	पेसे मासफा ठिकाने लगाया जाना जो किसी ऐसे बाई-लोंके विरुद्ध भीतर लाया जाय जो भीतर लानेके प्रबन्धके विषय में हों	३१८
२४१	कुछ निर्दिष्ट वस्तुओं के बेचे जाने के लिये बाजारों या दुकानों को लैसन्स दिया जाना	३१८
२४२	उन पशुओंको जो दूधके लिये रखे जाय या जिनका मास खानेके काममें लाया जाय अनुचित राशय देना	३२०
२४३	खाने या पीनेकी वस्तुओं और औपधियोंके बेचनेके स्थानोंका सुआइना करना	३२१

दफा	विषय	पेज
२७२	घृणित पदार्थोंको न उठवाना	३४१
२७३	कूड़ा करकट और पाएाने आदिके ठिकाने लगानेका प्रबन्ध	३४१
	—खाहयोंमे गाड़ना	३४२
	—जलादेना	३४३
	—खाहया खोदनेकी थानहिलकी विधि	३४३
	—गड्ढोंमें दबादेना	३४४
	—अन्य विधियां	३४४
	—ईंटके भट्टोंमे	३४४
	—गड्ढे और खाहयां खोदने के विषयमे हिदायते	३४४
२७४	कूड़ा करकट और मैले आदिका अनुचित रूपसे ठिकाने लगाने के लिये दण्ड	३४५
२७५	पशुओंके मृतशरीरोंका ठिकाने लगाया जाना	३४५
२७६	सार्वजनिक सड़क या गली इत्यादि पर मैला पानी वहाने के लिये दण्ड	३४६
२७७	हमारतमें प्रवेश करने, और उनको औपधियोसे शुद्ध करानेका अधिकार	३४६
२७८	हमारत जो मनुष्यके निवासके अयोग्य हों	३४६
२७९	हैजा, शीतला आदि रोगोंकी सूचना न देने के लिये दण्ड	३४७
२८०	रोगियोको हटवा के अस्पताल भिजवा देना	३४८
२८१	उन कामोंके लिये दण्ड जो कोई ऐसे लोग करें जो रोगोंसे पीडित हों	३४९
२८२	ऐसी खेतीके करने और ऐसी खादके काममे लाने या इस प्रकार सीचनेकी मनाही जो स्वास्थ्यके लिये हानिकारक हो	३५०
२८३	मालिकको हानिकारक वनस्पतिके साफ कराने के लिये आज्ञा देनेका अधिकार	३५१
२८४	खादे हुये स्थानोंको भरवा देने या उनका पानी निकलवा देने के लिये हुक्म देनेका अधिकार	३५१
२८५	कुबरेस्तानों और मरघटोंके विषयमें अधिकार	३५१
२८६	नहाने और बछादि धौनेके स्थान	३५२
	(हमारतों आदिकी जाच करना उनमें प्रवेश करना और उनकी तलाशी करना इत्यादि)	
२८७	साधारण जाच	३५३
२८८	इस मतलबसे मुआइना करना कि कानून के खिलाफ कोई काम बनाया जाने से रोका जाय	३५४
२८९	प्रवेश करने के सम्बन्धमें अधिकार	३५४
२९०	बोर्डका इस विषयमे हुक्म देनेका अधिकार कि कोई कोई काम स्वयं बोर्डके प्रबन्धसे बनवाये जाय	३५४
	(किराया या लगान और खर्च)	
२९१	आराज़ीके किराया या लगानका वसूल किया जाना	३५५
२९२	अन्य स्थावर जायदादके किराये या लगानका वसूल किया जाना	३५५
२९३	भूमिसिपलटीकी जायदादको काममे लानेकी फीस, सिवाय उस दशाके कि ऐसी जायदाद पट्टेपर दी जाय	३५५

दफा	विषय	पेज
२९४	लैसन्स आदिकी फीसें (जो लोग बोर्डकी ओरसे कामपर रसे गये हों उनके काममें बाधा डालना)	३५६
२९५	जो लोग बोर्डकी ओरसे नियत किये गये हों उनके काममें बाधा डालने के लिये दण्ड	३५६

प्रकरण ९

नियम, रेग्युलेशन, और वाई-लॉ

२९६	नियम बनानेकी प्रान्तीय सरकारकी जिम्मेदारी और अधिकार	३५७
२९७	कार्रवाहियों आदिके लिये रेग्युलेशन बनानेका अधिकार	३५९
२९८	बोर्डका अधिकार वाई-लॉ बनानेका	३६२

सूची न० १

(किसी म्यूनिसिपलटी के लिये वाई-लॉ)

(ए) इमारत	३६५
(बी) मोरियां पाखाने चहबच्चे आदि	३६६
(सी) आग बुझाना	३६७
(डी) मैला उठवाना	३६७
(ई) सड़के या गलियां	३६७
(यफ) बाजार या मंडियां, बधस्थान और खाद्य पदार्थोंका बेचाजाना इत्यादि	३६८
(जी) हानिकारक व्यापार	३६९
पेट्रोलियमके गोदामके लिये लैसन्स	३७०
शर्तें जिनपर लैसन्स दिया जायगा	३७२
(यच) सार्वजनिक सुरक्षिता और सुख	३७६
(आई) आरोग्यता और बीमारीका रोकना	३७७
(जे) विविध	३७९

सूची न० २

(पहाडी म्यूनिसिपलटी के लिये अन्य वाई-लॉ)

सार्वजनिक सुरक्षिता और सुख	३८०
आरोग्यता और बीमारीका रोकना	३८१
विविध	३८१
२९९ नियमों और वाई-लॉओंका उल्लंघन करना	३८१
३०० सरकार द्वारा बनाये हुये नियमोंका पहटे से प्रकाशित कर दिया जाना	३८२
३०१ बोर्ड द्वारा बनाये हुये रेग्युलेशनों तथा वाई-लॉओंका समर्थन आदि	३८२

दफा	विषय	पेज
प्रकरण १०		
कार्रवाई या ज़ाबत		
(म्यूनिसिपलटी के नोटिस)		
३०२	आज्ञा पालन के लिये उचित अवधिका नियत कर दिया जाना	३८५
३०३	नोटिसकी तामील	३८५
३०४	आम नोटिस देनेकी विधि	३८७
३०५	फारमका दोष	३८७
३०६	आम नोटिसकी या ऐक्टके किसी ऐसे हुकमकी आज्ञा पालन न करना जो सर्वसाधारण पर लागू हो	३८७
३०७	ऐसे नोटिस की आज्ञा पालन न करना जो किसी विशेष शख्सके नाम जारी किया गया हो	३८८
३०८	मालिकके आज्ञा पालन न करनेकी दशामें काबिजकी जिम्मेदारी	३९२
३०९	मालिकके आज्ञा पालन न करनेकी दशामें कामोके कराने का काबिज का अधिकार	३९३
३१०	काम बनाये जानेपर काबिजके बाधक होनेपर कार्रवाई	३९३
३११	काम बनानेका खर्चा काबिजके द्वारा वसूल किया जाना	३९४
३१२	दफा २११ व २६२ व २६४ व २६५ व २७८ के अनुसार किसी चीजका बोर्ड द्वारा हटाये जानेका खर्चा वसूल किया जाना	३९४
३१३	एजेन्टों और ट्रस्टियोंके लिये बचत	३९५
(मुकद्दमें चलाये जाना)		
३१४	मुकद्दमे चलानेका अधिकार	३९६
३१५	अपराधोंके सम्बन्धमें राजीनामा या फ़ैसला कर लेनेका अधिकार	३९७
३१६	म्यूनिसिपलटीकी जायदादको हानिके लिये हर्जा	३९८
३१७	अपराधोंके विषयमें और म्यूनिसिपलटीके अधिकारियोंको सहायता देने के विषयमें पुलिसके अधिकार और कर्तव्य	३९९
(बोर्डके हुकमों की अपील और बोर्डके विरुद्ध मुकद्दमें)		
३१८	बोर्डके हुकमकी अपील	३९९
३१९	फ़ैसले के लिये हाईकोर्टको मामला भेजा जाना	४००
३२०	खर्चा	४००
३२१	अपील सुनने वाले अधिकारीके हुकमका अन्तिम होना	४०१
३२२	किसी किसी दशामें मुकद्दमे स्थगित कर दिये जाना	४०१
३२३	अदालतके किसी किसी हुकमोंकी अपील	४०१

दफा	विषय	पेज
३२४	उस मुआवजेकी संख्याका झगड़ा जो बोर्डको भेदा करना हो	४०२
३२५	स्थानीय अधिकारियोंके झगड़ोंका फैसला	४०३
३२६	बोर्डपर या उसके अफसरोंपर नालिशे	४०३

प्रकरण ११

परिशिष्ट

३२७	प्रान्तीय सरकार द्वारा अधिकारोंका सौंपा जाना	४०७
३२८	याददाश्त की किताबों और कूते हुये करों की सूचियों की जांच के लिये सुभीता कर दिया जाना	४०७
३२९	नियमों रेगुलेशनों और वाई लॉओके प्रकाशित कर देने के लिये हुक्म	४०७
३३०	म्यूनिसिपलटीके कामजोंके साबित करनेकी विधि	४०७
३३१	कामजोंको पेश करने के लिये म्यूनिसिपलटी के कर्मचारियों को तलब करने के विषयमे बन्धेज	४०९
३३२	म्यूनिसिपलटीके कामों और रजिस्ट्रोंकी जांच करनेका मेम्बरोका अधिकार	४०९
३३३	बोर्डके स्थापित होनेतक जिला मजिस्ट्रेटका बोर्डके अधिकारोंको बरतना	४१०
३३४	कानूनोंका रद्द किया जाना और बचते	४१०
३३५	इण्डियन रेलवेज ऐक्ट सन् १८९० ई० के सम्बन्धमे बचत	४११
३३६	उन कामोंका जायज़ ठेहराया जाना जो हंस ऐक्टके आरम्भ होनेसे पूर्व किये गये हों	४११

प्रकरण १२

मुश्तहिरा रकबे

३३७	मुश्तहिरा रकबोंका सङ्गठन	४१२
३३८	मुश्तहिरा रकबोंमे कानूनों को प्रचलित करना और उनमें करोंका लगाना और उनकी कमेटियोंका सङ्गठन	४१२
३३९	जो रकबे रकबासुश्तहिरा न रहे उनके कोषका काममें लगाया जाना	४१४

(शिड्यूल न० १)

—बोर्ड के अधिकार और कर्तव्य ४१५-४२०

(शिड्यूल नं० २)

—एक्जिक्यूटिव अफसर के अधिकारों की सूची ४२१-४२७

(शिड्यूल न० ३)

—टैक्स लगाने के प्रस्तावों का नोटिस ४२८

दफा	विषय	पेज
—माग के नोटिस का फार्म	(शिडयूल नं० ४)	४२९
—धारण्ट का फार्म	(शिडयूल न० ५)	४३०
—फार्म उस माल असवाव की सूची का जो कुर्क किया जाय और नीलाम के नोटिस का	(शिडयूल न० ६)	४३१
—प्रान्तीय सरकार के अधिकार जो सौंपे नहीं जा सकते	(शिडयूल न० ८)	४३२-४३५
—अपराधों की सूची	(शिडयूल न० ९)	४३६-४३८
—कानून जो इस ऐक्ट के द्वारा रद्द किये गये		४३९
सन १९२४ ई० की नई नज़ीरें		
—इस ऐक्ट के छपने के समय तक जितनी नयी नज़ीरें हाईकोर्टोंमें हुयी		४४०-४४८
सं० प्रा० प्राथमिक शिक्षाका कानून ऐक्ट नं० ७ सन १९१९ ई०		
—दफाओं की सूची		४५१
इंडियन, एलेक्शन आफेन्सेज़ ऐण्ड इन्क्वाइरीज़ ऐक्ट		
नं० ३९ सन १९२० ई०		
—निर्वाचन सम्बन्धी अपराध		४६१
—ताजीरात हिन्द और जावला फौजदारी का खंशोधन		४६१
दफा १७१ (ए) इस प्रकरण के अभिप्रायों के लिये		४६२
दफा १७१ (बी) रिशवत		४६३
दफा १७१ (सी) अनुचित दबाव		४६४
दफा १७१ (डी)		४६५
दफा १७१ (ई)		४६६
दफा १७१ (एफ)		४६७
दफा १७१ (जी)		४६७
दफा १७१ (एच)		४६७
दफा १७१ (आई)		४६७

अन्य कानूनोंकी दफाएं या हुकम जिनका विवरण इस ग्रन्थमें
यथा स्थान दे दिया गया है

न० शु०	सन्	ऐक्ट न०	नाम कानून	दफा या आर्डर	पेज
१	१८६०	४५	ताजीरात हिन्द	दफा १०७	५९
२	१८६०	४५	ताजीरात हिन्द	दफा १६७	१३२
३	१८६०	४५	ताजीरात हिन्द	दफा २६८	३२४
४	१८६०	४५	ताजीरात हिन्द	प्रकरण ९ (ए)	-
५	१८६१	५	इन्डियन पुलिस ऐक्ट	दफा ३४	१९४
६	१८७२	९	कानून सुआहिदा	दफा २ (डी)	५८
७	१८७२	१	कानून शहादत	दफा ११५	२६३
८	१८८२	२	इन्डियन ट्रस्ट ऐक्ट	दफा २०	१९६
९	१८८५	१३	इन्डियन टेलीग्राफ ऐक्ट	दफा १०	२८९
१०	१८९४	१	लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट	दफा १८	४०२
११	१८९८	५	जाबता फौजदारी	दफा १०९	३६
१२	१८९८	५	जाबता फौजदारी	दफा ११०	३७
१३	१८९९	४	गवर्नमेन्ट विटिडिड्स ऐक्ट	दफा ३	२५७
१४	१८९९	८	इन्डियन पेट्रोलियम ऐक्ट	दफा २(ए) व ३(१)	६
१५	१९०१	२	कानून लगान आगरा	दफा ११	३५
१६	१९०४	१	स० प्रान्त का जनरल क्लॉजेज ऐक्ट	दफा ४	१८४
१७	१९०४	१	स० प्रान्त का जनरल क्लॉजेज ऐक्ट	दफा २३	३८२
१८	१९०८	५	जाबता दीवानी	दफा १२२	२४१
१९	१९०८	५	जाबता दीवानी	आर्डर २९	१५
२०	१९०८	५	जाबता दीवानी	आर्डर ४६	२४१
२१	१९०८	५	जाबता दीवानी	आर्डर ४६ कल १	५३
२२	१९०८	५	जाबता दीवानी	आर्डर ४७ कल १	५४
२३	१९१३	७	इन्डियन कम्पनीज ऐक्ट	दफा २५४	१२९
२४	१९१४	९	लोकल अथॉरिटीज लोन्स ऐक्ट	दफा ३	२०२
२५	१९१५-१६		गवर्नमेन्ट आब इंडिया ऐक्ट	दफा ८० (३)	२१२
२६	१९१९	७	स० प्रान्त का प्राइमरी ऐज्युकेशन ऐक्ट	समग्र	४४९-४५९
२७	१९२०	३९	इन्डियन एलेक्शन्स आफ्नेसेज ऐण्ड इनक्वाइरीज ऐक्ट	भाग १	४६०-४६८

शब्दार्थ सूची

अ

अवधि—मियाद
अफसर—पदाधिकारी
अपीलाण्ट—अपील करने वाला
आम—सार्वजनिक
आराज़ी—जमीन
ओहदा—पद

इ

इस्तदायी—प्रारम्भिक
इमारत का भाग—देखो पेज ६

उ

उपदफा—दफा का हिस्सा या अंश
उपेक्षा—गफलत

ए

एक्ट—कानून

क

कर—टैक्स, "महसूल" शब्द सर्व जगह
'Rates' के लिये आया है
कतई—जिसके आगे कोई कार्रवाई न होसके
काविज—देखो पेज ५
कायम मुकाम—प्रतिनिधि
कलौज—दफा या उपदफा का एक भाग
कन्डून्मेण्ट—छावनी, फौजी पड़ाव
कंट्रान्ट—सुआहिदा

ग

गजट—गवर्नमेंट गजट
गलीज—भैला, बूड़ा करफट आदि
गाठी—देखो पेज ८
गैरटी—जिम्मेदारी

गैरमनकूला—स्थावर सम्पत्ति
गैर मुसलिम—जो मुसलमान न हो

च

चश्मा—पानी का सोता, श्रोत
चकले—रडियों के रहने की जगहें
चहवच्चे—कुण्ड कुण्डी, मैले पानी का
या पीनेके पानी का दौज़
चेयरमैन—सभापति

ज

ज्वलनशील—जल उठने वाली
जायज—जो कानून से योग्य हो
जन सख्या—देखो पेज ७
जिम्मेदारी—पावन्दी, उत्तर दायित्व

ट

टूनामेण्ट—खेल, कसरत, दौड़ आदि में
स्कूलोंका एक दूसरे से मुकाबिला
ट्रेण्डर—रकम जिस पर कोई व्यक्ति कोई
ठेका या काम लेने या करने की
तैयारी प्रकट करता है

टैक्स—कर

ड

डिस्ट्रिक्ट—जिला, प्रदेश

ढ

ढोर—पशु, जानवर

त

तजवीज—राय, अदालती फैसला
तशखीस—जाच के बाद निश्चित करना
तामीरात—काम

द

दीन—मजहब

न

नाजायज—वे कानूनी

नामजद—घोषित किया हुआ

नियम—देखो पेज ८

नियत क्रिया हुआ—देखो पेज ७

निवासी—देखो पेज ४

निर्वाचन—चुनाव

निर्दिष्ट—रताया गया

नोटिस—विज्ञापन

प

प्रतिनिधि—कायम मुकाम

प्रचलित—रायज

परिशिष्ट—तितम्मा, जुड़ा हुआ

प्रान्त—सूबा

प्रार्वाङ्ग फड—जो रुपया तनक़्वाह से

काट कर जमा रहे और नौकरी

छोड़नेपर दिया जाय

प्रिसाइटिंग अफसर—वोट जाचनेका

अफसर

पेट्रोलियम—देखो पेज ६

परेफिन—देखो पेज ७

पोल—लिखित सम्मति देना

पोलिग स्टेशन—वोट देने की जगह

फ

फरीक़सानी—प्रतिपक्षी, पक्षकार

फीस—उजरत, मेहनताना

फड—पूजी

ब

बजट—तख़्मीना आमदनी व खर्च

बधस्थान—जानवर क़त्ल करने की जगह

बाई-लॉ—देखो पेज ३

बेञ्जीन—देखो पेज ७

बोर्ड—देखो पेज २

बोर्ड का अफसर—देखो पेज ५

बोर्ड का नौकर—देखो पेज ८

म

म्युनिसिपलटी—देखो पेज ४

मलबा—इमारत का सामान

मनक़ूला—जगम सम्पत्ति

मदाख़िलत बेजा—अनुचित दख़ल देना

मात्रा—परिमाण

मालिक—देखो पेज ५

मिनरल भाइल—देखो पेज ७

मुहर्रि—मुशी

मुआहिदा—क़द्दक़्त

मुकरर—नियत

मुताल्लिक—अनुकूल, सम्बन्ध

मुआइना—निरीक्षण

मुन्तक़िल—दृष्टा देना

मुसका—जानवरो के मुह बाधनेकी जाली

मुशतहिरा रक़्बा—उन छोटे छोटे क़स्बोंकी

म्युनिसिपलटी, जिनमे आवादी और

आमदनी कम होने के कारण म्युनि-

सिपलटी के सब काम नहीं किये

जाते परन्तु उनमे से कुछ मुख्य

कामों के किये जाने का प्रबन्ध

कर दिया जाता है

मोरी—देखो पेज ४

र

रक़्बा—क्षेत्रफल

रॉक भाइल—देखो पेज ७

रास्ता—देखो पेज ८

रूल—सरकार के बनाये नियम

रेग्युलेशन—देखो पेज ८

रेस्पण्डेण्ट—जिसके विरुद्ध अपील किया

जाय

गङ्गानारायण वनाम कानपुर म्यूनिसिपलटी, I L R 19 All 313=1897

A W N. 65.

२४३, ३२०, ३७५, ३७६

च

चौली वनाम म्यूनिसिपल बोर्ड मुजफ्फरनगर 12 A L J. 1102=26 I C 781 ३३८

धन्द्रभान वनाम गिरवरलाल 3 A L J. 420=1906 A W N 97 ५६

छ

छोटे वनाम म्यूनिसिपल बोर्ड लखनऊ 9 O C 29 ३८९

ज

जगन्नाथ वनाम सरकार बहादुर 31 I. C 526=17 Cr L J 350 २५७

जगन वनाम सरकार बहादुर 19 A L J 942 ३९७, ४१०

जीवा वनाम सरकार बहादुर 10 A L J. 286=13 Cr L J 841=17 I C 713 ३९०

जुगलकिशोर वनाम जुगलकिशोर, 8 A L J 509=33 All. I L R. 540=10 I C 1 ४०५

झ

झुनवा वगैरा वनाम म्यूनिसिपल बोर्ड धामपुर 21 A L J 101 ४०५

द

दस्सू वगैरा वनाम सरकार बहादुर 6 A L J 544 ३३९

न

नवाब खां वनाम मुहम्मद जामिन 10 A L J 219=16 I C 191. ४८

निहाल मुहम्मद वनाम सरकार बहादुर 21 A L J 775=L R 4 A 226 (C) ४४७

नलिनकुमार सुकरजी वनाम सरकार बहादुर 11 A L J 721=20 I C 1003=14 Cr L J 523 ३३०

नन्हामल वनाम म्यूनिसिपल बोर्ड हाथरस 11 A L J 486=3 All I L R 375 २८३

नन्दराम वनाम छोटे वगैरा 11 A L J 945=21 I C 575 (F B) ५३

प

पावेल, एम० जे० वनाम म्यूनिसिपल बोर्ड मंसूरी, 22 All 1 L R 123 (F B) १०४, ३९६

पुरुषोत्तमदास वनाम सरकार बहादुर 17 A L J 254=50 I C 494 =20 Cr L J 318 ३९७

पूना शहरकी म्यूनिसिपलटी वनाम मोहनलाल, 9 Bom I L R 51 २२०

प्यारेलाल वनाम सरकार बहादुर 15 A L J 187=39 All I L R 309=38 I C 308 ५, ३४५

व

बच्चालाल बनाम सरकार बहादुर 15 A L J 530=40 I C 700=18 Cr L J 700	१४
बुलाजीदास बनाम सेक्रेटरी आव् स्टेट 6 A L J 458=31 All. I L R 371=I C 896	८९
बाबूराम बनाम सरकार बहादुर, 16 A L J 623=46 I C. 848	२३५
बाबूलाल बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड फर्रुखाबाद 21 A L J 828	२६४, ३३९
ब्रजभूषणलाल बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड कन्नौज 22 A L J 599	४४६

भ

भतीषी चुन्नीलाल बनाम सरकार बहादुर 58 I C 944	२८६, ३३६
भैरोनाथ बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड बनारस 1901 A W N 56	२५५

म

म्यूनिसिपल बोर्ड बनारस बनाम रामकृष्णदास, 1922 H L J 87=1922 A I R 386 (All Sec)	९, ४४५
म्यूनिसिपल बोर्ड नजीवाबाद बनाम शिवनारायण, 2 A L J 216	१६३
म्यूनिसिपल बोर्ड आगरा बनाम अशरफ़ीलाल 20 A L J 1	३९
म्यूनिसिपल बोर्ड मसूरी बनाम गुडआल 1 A L J 155	२४७
म्यूनिसिपल बोर्ड बुलन्दशहर बनाम दखनलाल 5 A L J 45	२८४
म्यूनिसिपल बोर्ड बनारस बनाम गजाधर 40 All I L R 162=16 A L J 793=47 I C. 848	४०६
म्यूनिसिपल बोर्ड इटावा बनाम देवीप्रसाद, 18 A L J 572	३८, ३३९
म्यूनिसिपल कमेटी अजमेर बनाम किरफ़ायत उल्ला, 12 A L J 291	३८
मन्नू बनाम सरकार बहादुर 17 A L J 976=52 I C 785=20 Cl L J 705	३३१, ३७३, ३९७, ४००
महिमा रञ्जन राय बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड बनारस, 1 A L J 377	२८४
मनोरञ्जन सुकर्जा ब्रजोगोपाल गोस्वामी, 22 C W N 678=46 I C 729	५९
मन्नू बनाम सरकार बहादुर, 18 A L J 187	३३१, ३७३
माखनलाल बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड आगरा 18 A L J 180=54 I C. 459.	४०५
मुहम्मद गजनपफर उल्ला बनाम बाबूलाल, 19 A L J 521	४०२
मुहम्मद वख़्श चगैरा बनाम मुहम्मद अब्दुल चाक़ी खां चगैरा, 21 A L J 661	४३, १३०
मुहम्मद अब्दुल चाक़ी खां बनाम सिराजउल हसन चगैरा 17 A L J 844	४८, ५३
मुहम्मद इनाम उल्ला खां बनाम मुहम्मद महसन 12 A L J 459=21 I. C 655 (F B)	५४
मुहम्मद रुस्तमअली खां बनाम म्यूनिसिपल कमेटी करनाल, 47 I A 25= 56 I C 1=18 A L J. 466=32 C L J 471 (P. C)	२७७
मुहम्मद रजी खां बनाम मुहम्मद असगर खां, 1922 I. L. R All 485	४४५
मुहम्मद रजा बनाम सरकार बहादुर 65 I. C 767=23 Cl. L J. 191 -	४४६

गङ्गानारायण बनाम कानपुर म्यूनिसिपलटी, I L R 19 All. 313=1897

A. W N '65

२४३, ३२०, ३७५, ३७६

च

चौली बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड मुजफ्फरनगर 12 A L J 1102=26 I C 781 ३३८

चन्द्रभान बनाम गिरवरलाल 3 A L J 420=1906 A W N 97 ५६

छ

छोटे बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड लखनऊ 9 O C 29. ३८९

ज

जगन्नाथ बनाम सरकार बहादुर 31 I. C 526=17 Cr L J 350 २५७

जेगन बनाम सरकार बहादुर 19 A L J 942 ३९७, ४१०

जीवा बनाम सरकार बहादुर 10 A L J 286=13 Cl L J 841=17

I C 713 ३९०

जुगलकिशोर बनाम जुगलकिशोर, 8 A L J 509=33 All. I L R.

540=10 I C 1 ४०५

झ

झुनवा वगैरा बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड धामपुर 21 A L J 101 ४०५

द

दरसू वगैरा बनाम सरकार बहादुर 6 A L J 544 ३३९

न

नवाब खा बनाम मुहम्मद जामिन 10 A L J 219=16 I C 191 ४८

निहाल मुहम्मद बनाम सरकार बहादुर 21 A L J 775=L R 4 A

226 (Cl) ४४७

नलिनकुमार मुफ्फरजी बनाम सरकार बहादुर 11 A L J 721=20 I C

1003=14 Cl. L J 523 ३३०

नन्हामल बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड हाथरस 11 A L J 486=3 All I L R 375 २८३

नन्दराम बनाम छोटे वगैरा 11 A L J 945=21 I C 575 (F B) ५३

प

पावेल, एम० जे० बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड मंसूरी, 22 All 1 L R 123

(F B) १०४, ३९६

पुरुषोत्तमदास बनाम सरकार बहादुर 17 A L J 254=50 I C 494

=20 Cr L J 318 ३९७

पूना शहरकी म्यूनिसिपलटी बनाम मोहनलाल, 9 Bom I L R 51 २२०

प्यारेटाल बनाम सरकार बहादुर 15 A L J 187=39 All I L R

309=38 I C 308 ५, ३४५

व

बच्चालाल बनाम सरकार वहादुर 15 A L J 580=40 I. C 700=18
Cr L J 700

बुल्लाकीदास बनाम सेक्रेटरी आव् स्टेट 6 A. L J 458=31 All I L R.
371=I C 896

बाबूराम बनाम सरकार वहादुर, 16 A L J 623=46 I C. 848

बाबूलाल बनाम म्यूनिस्सिपल बोर्ड फुहखावाद 21 A L J 828

बजभूषणलाल बनाम म्यूनिस्सिपल बोर्ड कन्नौज 22 A L J 599

भ

भतीबी चुन्नीलाल बनाम सरकार वहादुर 58 I C 944

भैरोंनाथ बनाम म्यूनिस्सिपल बोर्ड बनारस, 1901 A W N 56

म

म्यूनिस्सिपल बोर्ड बनारस बनाम रामकृष्णदास, 1922 H L J 87=1922
A I R 386 (All Sec)

म्यूनिस्सिपल बोर्ड नजीबाबाद बनाम शिपनारायण, 2 A L J 216

म्यूनिस्सिपल बोर्ड आगरा बनाम अशरफीलाल 20 A L J. 1

म्यूनिस्सिपल बोर्ड मसूरी बनाम गुडआल 1 A L J 155

म्यूनिस्सिपल बोर्ड बुलन्दशहर बनाम दक्खनलाल 5 A L J 45

म्यूनिस्सिपल बोर्ड बनारस बनाम गजाधर 40 All I L R 162=16 A.
L J 793=47 I C. 848

म्यूनिस्सिपल बोर्ड इटावा बनाम देवीप्रसाद, 18 A L J 572

म्यूनिस्सिपल कमेटी अजमेर बनाम कफायत उल्ला, 12 A L J. 291

मन्नु बनाम सरकार वहादुर 17 A L J 976=52 I C 785=20 Cr
L J 705

महिमा रञ्जन राय बनाम म्यूनिस्सिपल बोर्ड बनारस, 1 A L J 377

मतोरञ्जन मुर्ज़ी ब्रजोगोपाल गोस्वामी, 22 C W N 678=46 I C 723

मन्नु बनाम सरकार वहादुर, 18 A L J 187

माखनलाल बनाम म्यूनिस्सिपल बोर्ड आगरा 18 A L J 180=54 I C 459

मुहम्मद गजनपफर उल्ला बनाम बाबूलाल, 19 A L J 521

मुहम्मद बहश चमौरा बनाम मुहम्मद अब्दुल बाकी रा चमौरा 21 A L J 661

मुहम्मद अब्दुल बाकी खां बनाम सिराजउल हसन चमौरा 17 A L J 844

मुहम्मद इनाम उल्ला खा बनाम मुहम्मद अहसन 12 A L J 459=21 I.
C 655 (F B)

मुहम्मद रुस्तम अली खा बनाम म्यूनिस्सिपल कमेटी करनाल, 17 I A 25=

56 I C 1=18 A L J. 466=32 C L J 471 (P. C)

मुहम्मद रज़ी खा बनाम मुहम्मद असगर खा, 1922 I. L R All 485

मुहम्मद रज़ा बनाम सरकार वहादुर 65 I. C. 767=23 Cr. L J. 191

गङ्गानारायण बनाम कानपुर म्यूनिसिपलटी, I. L. R 19 All. 313=1897
A W N 65 २४३, ३२०, ३७५, ३७६

व

चौली बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड मुजफ्फरनगर 12 A L J 1102=26 I C 781. ३३८
चन्द्रभान बनाम गिरवरलाल 3 A L J 420=1906 A W N 97 ५६

छ

छोटे बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड लखनऊ 9 O C 29. ३८९

ज

जगन्नाथ बनाम सरकार बहादुर 31 I C 526=17 Cr L J 350 २५७
जेगन बनाम सरकार बहादुर 19 A L J 942 ३९७, ४१०
जीवा बनाम सरकार बहादुर 10 A. L J. 286=13 Cr L. J 841=17
I C 713 ३९०
जुगलकिशोर बनाम जुगलकिशोर, 8 A L J 509=33 All. I L R,
540=10 I C 1 ४०५

झ

झुनवा वगैरा बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड धामपुर 21 A L J 101 ४०५

द

दस्सू वगैरा बनाम सरकार बहादुर 6 A L J 544 ३३९

न

नवाब खा बनाम मुहम्मद जामिन 10 A L J 219=16 I C 191 ४८
निहाल मुहम्मद बनाम सरकार बहादुर 21 A L J 775=L R 4 A.
226 (C) ४४७
नलिनकुमार सुकरजी बनाम सरकार बहादुर 11 A L J 721=20 I C
1003=14 Cr L J 523 ३३०
नन्हामल बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड हाथरस 11 A L J 486=3 All I L R ३75 २८३
नन्दराम बनाम छोटे वगैरा 11 A L J 945=21 I C 575 (F B) ५३

प

पावेल, एम० जे० बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड मंसूरी, 22 All. 1 L R 123
(F B) १०४, ३९६
पुरुपोतमदास बनाम सरकार बहादुर, 17 A L J 254=50 I C 494
=20 Cr L J 318 ३९७
पूना शहरकी म्यूनिसिपलटी बनाम मोहनलाल, 9 Bom I L R 51 २२०
प्यारेलाल बनाम सरकार बहादुर 15 A. L J 187=39 All I. L R
309=38 I. C 308 ५, ३४५

सरकार बहादुर बनाम चालकृष्ण I L R 24 All 439	३६४, ३७६
सरकार बहादुर बनाम प्यारेलाल 12 A L J 254=36 All I L R 185=23 I C 745	३८९
सरकार बहादुर बनाम बाबूराम 67 I C 828=25 O C 1	४४७
सुल्तान बख्श चमैरा बनाम अब्दुलहमीद 21 A L J 639	६०
सुधन सुयाला हाजरा का मामला, H L J 1923, P 75=64 I C 636	४५
सुन्दरलाल बनाम मुहम्मद फायक 16 O C 36=18 I C 122	५३
सूरजनारायण बनाम जङ्गबहादुर I L R 45 All 687=74 I C 2	४४३
सोनूपिले बनाम म्यूनिसिपल कमिश्नर माया वरम, I L R 28 Mad 520	३७५

ह

हरसरनदास बनाम सरकार बहादुर, 11 A L J 688=20 I C 611 =14 Cr L J 45	२५६
हजारीलाल बनाम सरकार बहादुर, 36 All I L R 227=12 A L J 312=25 I C 326	३८९
हाजी इस्माइल हाजी इसहाक बनाम चम्बई के म्यूनिसिपल कमिश्नर I L R 28 Bom 253	३७४
हामिदहुसेन बनाम पटना म्यूनिसिपलटी, 17 C L J 131=15 I C 548	२४३
होरीलाल बनाम सरकार बहादुर, 21 A L J 149	१९८, २७५

मुहम्मद कासिम बनाम म्युनिसिपल बोर्ड सहारनपुर, 1923 A I R 371
(All Sec)=75 I C. 607 ४४७

मोरन बनाम चेरमैन मोतीदारी म्युनिसिपलटी I L R 17 Cal 329 २४३, २१९, ३७५

र

रहस बिहारीलाल बनाम म्युनिसिपल बोर्ड कानपुर, 35 L, C 222. २६१

राधाकृष्ण वर्गैरा बनाम म्युनिसिपल बोर्ड बनारस, 1905 A. W N 111=
2 A. L J 321 १६३

राधावल्लभ बनाम सरकार बहादुर 12 A L J 227=23 I C 192=15
Cr. L J 240 २५६

रामदयाल बनाम सरकार बहादुर 7 A L J 1075=33 All I. L R
147=8 I C 569 ३८, २६६

रामप्रताप बनाम सरकार बहादुर, 18 A L J 229=55 I C 302 ३८, ३८७, ३८८, ३८९

रामनाथ बनाम सरकार बहादुर, 12 A L J. 497 ४४३

रामनाथ बनाम म्युनिसिपल बोर्ड मथुरा, 12 A L J 740=26 I C 670 २६०

रामचन्द्र बनाम मौलाबख्श 21 A L J 882=L R 4 A 583 ४४८

रामास्वामी गोंडन, सी० के० बनाम मरधू चेलाप्पा गोंडन, 1923 A I R
192 (Mad) ९७

श

श्यामलाल बनाम सरकार बहादुर, 1 A L J 694=14 I C 602=13
Cr L J 250 २५७

शीतलप्रसाद बनाम म्युनिसिपल बोर्ड कानपुर, 12 A L J 595=36
All I. L R 430=25 I C. 323 ३९०

स

स्टाम्प रेफरेन्स, 19 All I L R, 293 (F B) ४०९

स्ट्रेची, टी० ई० बनाम म्युनिसिपल बोर्ड कानपुर, 1899 A W N. 97 १३८, २१९, २४३

सडोला वर्गैरा बनाम सरकार बहादुर, 16 A L J 149 ४०४

सरकार बहादुर बनाम अमीर हसन खा, 15 A L J 159=38 I C
736=9 Cr L R 112 १४, २६५

सरकार बहादुर बनाम रामचन्द्र, 1897 A W N 133 १९३

सरकार बहादुर बनाम कृपाराम, 1882 A W N 231 २३६

सरकार बहादुर बनाम सुकन्दलाल, 1901 A W N 203 २५५

सरकार बहादुर बनाम जगन्नाथप्रसाद, 1904 A W N 233 २५७

सरकार बहादुर बनाम हाशिमअली, 15 A L J 461 २६७

सरकार बहादुर बनाम मुहम्मद यमुफ 15 A L J 290=39 All. I
L R 386 ३८३

सरकार बहादुर बनाम पाटनदीन 1905. A W N, 19=2 A. L. J 261 ३२९

विषय

पेज

—कर सम्बन्धी मामलों में हारिम अपील के हुक्म का अन्तिम होना,	२४२
—हुक्म के अन्तिम होने का अर्थ, नकारों,	२४२-३
—बोर्ड के हुक्म की अपील सुनने वाले अधिकारी का हुक्म अन्तिम होना,	४०१
अनिश्चिन	
—बोट के सम्बन्ध में कार्रवाई,	७५
—निर्वाचन निर्णयकर्ता अदालत के द्वारा निर्वाचन रद्द करने का अनिश्चित हुक्म,	५६
अपील	
—निर्वाचन निर्णयकर्ता अदालत के हुक्म की	५२-३
—भलग किये हुये मेम्बर द्वारा,	९४
—चेयरमैन को, वार्डस चेयरमैन के हुक्म की,	१०६
—एक्जिक्यूटिव अफसर के हुक्मों की,	१०८
—एक्जिक्यूटिव अफसर द्वारा दण्ड दिये जाने पर,	१०७
—सेक्रेटरी द्वारा, दण्ड या डिस्मिसी की जाने पर,	११२
—नीची श्रेणी के रथाई कर्मचारियों द्वारा,	११७
—बोर्ड के सौंपे हुये अधिकारों के हुक्मों की,	१८६
—सुनने का अधिकार बोर्ड द्वारा कमेटियों को सौंपा जाना,	१९०
—कर लगाये जाने आदि की,	२३९
—कर सम्बन्धी अपील के लिये शर्त,	२३९
—बोर्ड के हुक्मों की अपील जो दफा १८० (१), १८६, २०५ (१), २०८, २११, २२२ (६), २४१ (२), २४५, २७८, २८१ के अनुसार दिये जाय, या जो दफा २९८ की मद (जी) के बाई लों के अनुसार दिए जायें,	३९९
—दफा २०१, २०२ और २५८ के हुक्म की,	४०१
अपील सुनने वाला अधिकारी	
—का अधिकार मियाद बढ़ा देने का,	३९९
—के हुक्म का अन्तिम होना,	४०१
अपराध—अपराधों	
—में राजीनामा,	१९७
—म्युनिसिपल ऐक्ट के अपराधों के रोखने के सम्बन्ध में सहायता देने का पुलिस का कर्तव्य	३९९
—इस ऐक्ट के अपराधों के मुकद्दमें सुनने के अदालत के अधिकार पर शर्त,	३९६
—म्युनिसिपल ऐक्ट के अपराधों का सिद्ध्यूल	४३६-८
अफसर—अफसरों	
—बोर्ड का, की व्याख्या,	५
—कुछ अफसरों का बोर्ड की मीटिंग में भाग लेने का अधिकार,	१४०
अभिनन्दन पत्र	
—का व्यय म्युनिसिपल कोष से दिया जाना,	२१
अर्जी	
—उनान सम्बन्धी	४६-७

विषय सूची

Index

विषय	पेज
—अखण्ड प्रमाण—देखिये प्रमाण'	
अजायब घर	
—घनवाने का बोर्ड का अधिकार,	१९
अदालत	
—बोर्ड के हुकम में हस्तक्षेप करने का अदालत दीवानी का अधिकार,	३८-९
—निर्वाचन निर्णय कर्ता अदालत	५०
— " " " पिउल ऐक्टों के अनुसार बौन थीं	५१
— " " " के लिये जानता	५१-५४
— " " " के अधिकार	५४-५
— " " " का फैसला	५५-६
— " " " के फैसले का अन्तिम होना	५२-३
— " " " दीवानी को ऐक्ट की दफा ३४ के हुकम में हस्तक्षेप करने का अधिकार न होना	८९
— " " " दीवानी को कर के मामले सुनने का अधिकार न होना,	२४२
—मजान बनाने की इजाजत न दी जाने पर अदालत दीवानी में दावा नहीं हो सकता	२६०-१
—आराखी के दबाये हुये भाग से इमारत को हटा लेने का नोटिस दिये जाने पर दीवानी में दावा,	१८३
—ऐसे नोटिस पर यदि मिलकियत का झगड़ा हो तो अदालत दीवानी में दावा,	२८४
—व्यभिचार के अपराधों में कार्रवाई करने के हेतु अदालत के लिये शर्तें,	३२५
—आरोग्यता सम्बन्धी हुकम में अदालत को हस्तक्षेप करने का अधिकार न होना	३३८-९
—बाई-लॉ के उल्लंघन का दण्ड देने से पूर्व अदालत को अधिकार है कि बाई-लॉ के उचित या अशुचित होने पर विचार करे	५६४
—लेसन्सकी मनाही करदी जाने पर अदालत के अधिकार,	३९३-५
— का अधिकार नोटिस में अवधि का काफी होना या न होना निश्चय करने का,	३८६
—इस ऐक्ट के मुकदमें सुनने के अधिकार के लिये शर्तें,	३९६
अधिकार	
—जो बोर्ड के लिये रक्षित है,	१८५, ४६५
—जो चेयरमैन के लिये रक्षित है,	१००
—जो एक्जिक्यूटिव अफसर के लिये रक्षित है,	१०७, ४३९
अधिकार की सीमा, अदालत की	
—देखिये "अदालत"	
अन्तिम	
—बोर्ड के हुकम का अन्तिम होना,	३८-९
—पुनरावलोकन कमेटी के हुकम का अन्तिम होना,	६७-३८-९
—निर्वाचन निर्णय कर्ता अदालत के हुकम का अन्तिम होना,	५२-३

विषय

पेज

—कर सम्बन्धी मामलों में हारिंग अपील के हुक्म का अन्तिम होना,	२४२
—हुक्म के अन्तिम होने का अर्थ, नज़ारों,	२४७-७
—बोर्ड के हुक्म की अपील सुनने वाले अधिकारी का हुक्म अन्तिम होना,	४०१
अनिश्चित	
—बोर्ड के सम्बन्ध में कार्यवाही,	
—निर्वाचन निर्णयकर्ता अदालत के द्वारा निर्वाचन रद्द करने का अनिश्चित हुक्म,	७५
अपील	६६
—निर्वाचन निर्णयकर्ता अदालत के हुक्म की	५१-३
—भालग विधे हुये मेम्बर द्वारा,	९४
—चेयरमन को, वार्डस चेयरमन के हुक्म की,	१०६
—एक्जिक्यूटिव अफसर के हुक्मों की,	१०८
—एक्जिक्यूटिव अफसर द्वारा दण्ड दिये जाने पर,	१०७
—सेक्रेटरी द्वारा, दण्ड या डिस्मिसी की जाने पर,	११०
—नीची श्रेणी के स्थानीय कर्मचारियों द्वारा,	११७
—बोर्ड के सौंपे हुये अधिकारों के हुक्मों की,	१८६
—सुनने का अधिकार बोर्ड द्वारा कमेटीयों को सौंपा जाना,	१९०
—कर लगाये जाने आदि की,	२३०-
—कर सम्बन्धी अपील के लिये शर्तें,	१६९
—बोर्ड के हुक्मों की अपील जो दफा १८० (१), १८६, २०५ (१), २०८, २११, २२३ (५), २४१ (२), २४५, २७८, २८५ के अनुसार दिये जाय, या जो दफा २१८ की मद (बी) के वार्ड लॉ के अनुसार दिए जायें,	
—दफा २०१, २०२ और २५८ के हुक्म की,	१९०
अपील सुनने वाला अधिकारी	१०१
—का अधिकार मियाद बढ़ा देने का,	
—के हुक्म का अन्तिम होना,	१९९
अपराध—अपराधों	४०१
—में राजीनामा,	
—म्यूनिसिपल ऐक्ट के अपराधों के रोक्ने के सम्बन्ध में सहायता देने का पुलिस का कर्तव्य	३०७
—इस ऐक्ट के अपराधों के मूकहमें सुनने के अदालत के अधिकार पर शर्तें,	३९९
—म्यूनिसिपल ऐक्ट के अपराधों का शिड्यूल	३९६
अफसर—अफसरों	४३६-८
—बोर्ड या, की ब्यारया,	
—कुछ अफसरों का बोर्ड की मीटिंग में भाग लेने का अधिकार,	
अभिनन्दन पत्र	
—का व्यय म्यूनिसिपल कोष से दिया जाना,	
अर्जें	
—चुनाव सम्बन्धी	

विषय	पेज
— चुनाव सम्बन्धी अज्ञा का नमूना व पेश किया जाना	४७
— एक अर्जी के द्वारा कई उम्मेदवारों के चुनाव पर आशेष,	४८
— चुनाव सम्बन्धी अर्जी में फरीकसानी कौन ब्राये जाय,	४९, ५२
— दी जानि पर प्रतिपातक मार्गदर्श,	४९, ५१
— देखिये निर्वाचन निर्णय कर्ता अदालत' और जाबता' भी, अर्जी दावा	
— बोर्ड पर या उसके मेम्बर, अफसर, कर्मचारी पर नाबिश के अर्जी दाना में यह लिखा जाना चाहिए कि नोटिस दिया जा चुका है,	४०४
अत्याऊस	
— मागे हुये अफसर के अत्याऊस में चन्दा,	१२३
— छुट्टा का, बोर्ड के कर्मचारियों को, कमिश्नर की मजूरी से,	१२४-५
— वरुणाई	१२५
— देखिये "भत्ता" भी	
अलग	
— किया जाना बोर्ड का, और उसके परिणाम,	८४, ८६
— किये हुये मेम्बर की फिर से मेम्बरी की योग्यता,	९५
— किया जाना मेम्बरों का,	९३
— किया जाना चेयरमैन का,	१००
— स्थावर जायदाद कमिश्नरकी मजूरी से अलग की जा सकती है,	२०५
— ५००) ६० से कमकी स्थावर जायदाद कलक्टर की मजूरी से अलग की जा सकती है,	१०५
— पेट्टे पर स्थावर जायदाद का अलग किया जाना,	२०५
— सार्वजनिक सड़क के लिये जो आराजी बोर्ड ने ली हो, उसका अलग किया जाना,	२९१
— किया जाना मकूला जायदाद का,	२०६
— बोर्ड का अधिकार जायदाद अलग करने का,	२०४-५
अवधि	
— मेम्बरों के पदकी,	९१
— चेयरमैन के पदकी,	९८-९
— वार्डस चेयरमैन के पदकी,	१०५
— नोटिस में आज्ञा पालन के लिये अवधि नियत कर दी जाय, यदि कोई कानूनी अवधि नियत न हो,	३८५
— आज्ञा पालन के लिये अवधि काफी थी या नहीं, अदालत निश्चय करेगी,	३८५
अवध और रुहेल खण्ड रेलवे	
— पर म्यूनिसिपल्टियों के कर,	२१४
अस्पताल	
— खोलने, कायम रखने आदिका बोर्डका कर्तव्य,	१६
— की आर्थिक-सहायता,	१८
— फलने वाले रोगों के, खोले जाने के लिये हिदायतें,	३४८-९
— असर—देखिये 'प्रभाव'	

विषय	पेज
इस्तीफा	-
—मेबर का,	९३
—चेयरमैन का,	१००
—वाइस चेयरमैन का	१०५
श	
ईस्ट इण्डियन रेलवे	
—पर म्युनिसिपलिटियों के कर,	२१४
उ	
उखाड़ना	
—(तरन्जा, नाठी, पत्थर, लालटेनों के समूह इत्यादि उखाड़नेके लिये दंड,	३३३
उम्मेदवार—उम्मेदवारो	
—की योग्यतायें,	४२
—के लिये अयोग्यतायें,	४२, ३
—की सूचा,	६८, ४२
—की कुच्यवहारों के कारण अयोग्यता,	५७
—का दर्जे किया जाना,	६२
—की नामजदगी के लिये नियम,	७०, ७२
—की सूची में परिवर्तन	६८
—की सूची का टागा जाना	६८, १
—की नामजदगी अलग २ होगी,	७१
—की नामजदगी के फारम पर पाच निर्वाचकों के हस्ताक्षर होंगे,	७१
—जो उम्मेदवार जायज रूप से नामजद हों उनका डिङ्गूल,	७२
—का निर्वाचन, बिना वोट लिये हुये,	७२
—एजेण्ट निर्वाचन स्थानों में नियत कर सकता है	७३
—और उसके एजेण्ट को निर्वाचन के नक्शे की नकल आदि करने का अधिकार,	७६
ऊ	
ऊट	
—या घोडा आदि पास पहुंचने पर, न हटाने के लिये दण्ड,	३२९
ऋ	
ऋण	
—बोर्ड द्वारा लिया जाना,	२०६
ऋणी	
—बोर्ड का बनट,	१७६, ७
ए	
एण्ट	
—की म्याख्या,	६२

विषय

पेज

इन्सपेक्टर, सरकारी

- प्रिवेनशन आव एडल्टरेशन ऐक्ट के अनुसार नियुक्ति, ३२२-३
 —का खाद्य पदार्थों की जाच करना और नमूने सरकारी जाच करने वाले के पास भेजने का अधिकार, ३२३

इनाम

- कर्मचारियों को, १२४
 —देने पर बंधेज, १२७

इमारत—इमारतों

- की व्याख्या, २
 —दफा १२९ के लिये व्याख्या, २१५
 —में अस्थाई वस्तुयें और शरण स्थान शामिल नहीं हैं, ३
 —के आगे बढे या निकले हुये भागों को दूर करना, बोर्ड का कर्तव्य, १६
 —खतरे वाली इमारतों को दूर करना, बोर्ड की कर्तव्य, १६
 —पर कर, देखिये 'जाबता'
 —किसी इमारत में परिवर्तन, जिस पर कर लगा हो, का नोटिस यूनिक्सिपलटी को देना चाहिये, २२८
 —ऐसा नोटिस कब देना चाहिए, २२८
 —ऐसा नोटिस न देने के लिये दण्ड, २२८, ९
 —का वार्षिक मूल्य और मालिक का नाम व पता बताने की निवासी की जिम्मेदारी, २३९
 —में पशु आदिका पता लगाने को प्रवेश करना, २३९
 —की मालियत निर्णय करने को, उसमें प्रवेश करना, २३९
 —की नियमित लैन, २९३
 —गलीज, को साफ़ कराने का बोर्ड का अधिकार, ३४१
 —से घृणित पदार्थ न उढवाने के लिये दण्ड, ३४१
 —में सफेदी कराने या औषधियों से साफ़ कराने का हुक्म देने का अधिकार, ३४६
 —जो मनुष्य के निवास के अयोग्य हों, बोर्ड के अधिकार, ३४६

इमारत का भाग

- की व्याख्या, ६

इमारत बनाना

- इमारत बनाना, फिर से बनाना या भारी परिवर्तन करना, २५३
 —उक्त विषयों का नोटिस देना चाहिए, २५३
 —किस दशा में नोटिस देना आवश्यक है, २५३
 —सरकारी इमारतों के बनाने जाने आदि का नोटिस, २५७
 —, के नोटिस के सग नक़शा और ढाल भी भेजा जाय, २६८
 —, की बोर्ड द्वारा मजूरी या नामजूरी, २५९
 —अनुमान, बोर्ड द्वारा नोटिस का उत्तर न दिये जाने पर, २५९
 —बनान के विरुद्ध बनाना और उसके लिये दण्ड, २६५
 —रोक देना, और बनी हुई इमारत गिरवा देना, बोर्ड के अधिकार, २६६

विषय	पेज
इस्तीफा	
—मेबर का,	९३
—चेयरमैन का,	१००
—वाइस चेयरमैन का	१०५
र	
ईस्ट इण्डियन रेलवे	
—पर म्यूनिसिपलिटियों के कर,	२१४
उ	
उखाडना	
—खरन्ना, नाली, पत्थर, लालटेनों के समूह इत्यादि उखाडनेके लिये दंड,	३३३
उम्मेदवार-उम्मेदवारों	
—की योग्यतायें,	४२
—के लिये अयोग्यतायें,	४२, ३
—की सूचा,	६८, ४२
—की कुव्ववहारों के कारण अयोग्यता,	५७
—का दर्ज किया जाना,	६२
—की नामजदगी के लिये नियम,	७०, ७०
—की सूची में परिवर्तन	६८
—की सूची का टागा जाना	६८, ९
—की नामजदगी अलग २ हागी,	७१
—की नामजदगी के फारम पर पाच निर्वाचकों के हस्ताक्षर होंगे,	७१
—जो उम्मेदवार जायज रूप से नामजद हों उनका शिड्यूल,	७२
—का निर्वाचन, बिना वोट लिये हुये,	७२
—एजेण्ट निर्वाचन स्थानों में नियत कर सकता है	७३
—और उसके एजेण्ट की निर्वाचन के नक़्शों की नक़्कल आदि करने का अधिकार,	७६
ऊ	
ऊट	
—या घोडा आदि पास पट्टचने पर, न हटाने के लिये दण्ड,	३२९
ऋ	
ऋण	
—बोर्ड द्वारा लिया जाना,	२०६
ऋणी	
—बोर्ड का बजट,	१७६, ७
ए	
एक्ट	
—की ग्याख्या,	६२

विषय	पेज
—प्राइमरी एज्युकेशन—(Primary Education)	१, १८, ४५०
—पेट्रोलियम—(Petroleum)	६, ३३२, ३७०, ३७१
—डेवोल्यूशन—(Devolution)	११
—हैक्नी कैरिज—(Hackney Carriage)	१३
—वैक्सिनेशन—(Vaccination.)	१३, १८
—सयुक्त प्रांत का जनरल क्लॉजेज (General Clauses)	१४, ४४, १८४, २०५, ३८२
—जाबता दीवानी,	१५, ५३, ५४, २४१
—इलेक्ट्रिसिटी (Electricity)	१६
—ताजीरात हि द,	३२ ५९, १२८, १३२, ३२४,
—जाबता फौजदारी,	३२, ३६, १७
—सयुक्त प्रान्त और अवध का ऐक्ट, मालखुजारी	३५
—कम्पनीज (Companies)	४६, १४१
—कांटेक्ट	५८
—स्टाम्प	६२, ६६
—प्रिवेन्शन आव एडल्टेरेशन (Prevention of Adulteration)	११४, ३२२
—प्राविडेण्ट फंड्स (Provident Funds)	१२
—प्रावेन्शन आव क्रुअल्टी टु एनिमल्स (Prevention of Cruelty to Animals)	१००
—पुलिस	१
—ट्रस्ट	१९६
—चरिटेबल एंडाउमेंट्स (Charitable Endowments)	२०१
—लोकल ऑथॉरिटीज लोन्स (Local Authorities Loans)	२०९, २, २०६
—इन्तकाल जायदाद,	२०५
—लैण्ड एक्विजिशन (Land Acquisition)	२०५, ४०१
—गवर्नमेण्ट आव एडिया ऐक्ट,	२११
—रेलवे	२१३
—कुछ दशाओं में म्यूनिसिपल कर्ों से माफी का ऐक्ट न० २ सन १८८१ ई०,	२३६, ३३८
—आर्मी डिस्सिपलिन ऐण्ड रेग्युलेशन ऐक्ट, (Army Discipline and Regulation)	२३७
—कैटिल ट्रेसपास ऐक्ट (Cattle Trespass)	२५१, ३२०
—गवर्नमेण्ट बिल्डिंग्स ऐक्ट, (Government Buildings)	२५१
—कानून शहादत,	२५१
—पजाब म्यूनिसिपल ऐक्ट	२५१
—टेलिग्राफ (Telegraph)	२५१
—फैक्ट्रीज (Factories)	३४०
—स्पेसिफिक रिलीफ (Specific Relief)	३४०
—कानून मियाद	३४०
एक्विजिक्च्यूटिव आफसर	
—रखना, बोर्ड का अधिपति	३४०
—रखने के लिये प्रांतीय सरकार की मजूरी,	३४०
—फी एवजी,	३४०

विषय

पेज

—द्वारा किये जाने वाले बोर्ड के काम	१०७
—के आधीन कर्मचारी,	१०८
—की काम सौंपने की बोर्ड की हिदायत,	१०८, २६३, ४
—के हुक्मों की अपील,	१०८
—के अधिकार और उनका शिष्टयूल,	१०९, २६३ ४, ४२१, ४२७,
—द्वारा काम सौंपे जाना,	१०९
—की सौंपे हुये कामा की जिम्मेदारी	११०
—से रिपोर्ट आदि मागने का अधिकार	११०
—का अधिकार बहस में भाग लेने का,	११०
—नियुक्त करने का प्रान्तीय सरकार का अधिकार	१११
—का वेतन जब वह प्रान्तीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाय,	१११
—के शिक्षा विभाग के कर्मचारी में कय आधीन होंगे,	११६
—का अधिकार नीची श्रेणी के कर्मचारी नियुक्त आदि करने का,	११६ ७
—का अधिकार नीची श्रेणी के कर्मचारियों को दण्ड आदि देने का,	११७
—कर्मचारियों की नियुक्त डिभिस्त आदि करने पर बंधन,	११८

एक्स आफीशियो

—मेम्बर	९२
—के पद की अवधि,	९१
—चेयरमैन के पद की अवधि,	९९

एजेण्ट

—द्वारा व आराजियों के माझिक, जो ग्यूनिसिपल्टी में रहते न हों, को आसा दी जा सकती है कि अपने एजेण्ट नियत करें,	३७२
—की जिम्मेदारी आग पाळन करने की और काम में रुपया लगाने की,	३९६
—निर्वाचन में उम्मेदवार निर्वाचन स्थानों में एजेण्ट नियत कर सकता है,	७३

एनक्रोच (Encroach) देखिये "दवा लेना"

एम्पेण्टिस सेनिटैरी इन्स्पेक्टर, १२०

एचजी —एडिजक्व्यूटिव आफसर का, १०७

एस्टापिल —मरान बनाने की इजाजत देने से बोर्ड के विरुद्ध एस्टापिल नहीं होता, २६३

क

कपड़े	
—मैले कपड़े धोने के घाट बनवाना,	१०
—अव स्थानों में मैले कपड़े धोने का मजारी,	३५२
—मैले कपड़े धोने की शैलियों को मजारी और दण्ड,	३५०
कब्रिस्तान	
—का मरपट को बंद कर देना,	२५२



विषय	पेज
—निजी	३५१
—या मरघट बनाने के लिये बोर्ड की इजाजत	३५१
—मृतशरीर को स्वीकृत क़बरिस्तान या मरघट के अतिरिक्त अथ जगह गाड़ना, जलाना	३५२
कमिश्नर	
—का बोर्ड पर अधिकार	८६, ७
—का अधिकार किसी ऐसे काम को रोक देने का जो बोर्ड के हुकम से हो रहा हो,	८७, ८९
—ऐसे हुकम में अदालत को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं,	८९
—का अधिकार जब बोर्ड कर्तव्य का पालन न करे,	८९
—का अधिकार बोर्ड के कर्तव्य पालन के लिये जिला मजिस्ट्रेट को नियत करने का,	८९
—देखिये "सौंपना" भी,	
कमेटी—कमेटियो	
—का नियुक्त किया जाना	१७७, ८
—रेग्युलेशन के द्वारा स्थापित हो सकती हैं,	१७७
—सलाह देने वाली कमेटी,	१७८
—सलाह देने वाली कमेटी रेग्युलेशन के द्वारा स्थापित हो सकती हैं,	१७८
—के मेम्बर हटाये जाना,	१७८
—जिनको स्थापित करने की शिफारिस की गई है,	१७८
—में बाहरी शक्तों की नियुक्त,	१८२
—में स्त्रियों की नियुक्त,	१८२
—की ज़ाली जगह भरना,	१८२
—का चेयरमैन,	१८२
—का कार्यक्रम,	१८२, ३
—अपील सुनने का अधिकार बोर्ड द्वारा कमेटी को सौंपा जाना,	१९०
कर	
—जो म्यूनिसिपलटी लगा सकती है,	२०९, १०
—जो एक साथ नहीं लगाये जा सकते,	२१०, २१३
—लगाये जाने का वसूल,	२१०
—सीधे और परोस,	२१०
—व्यापार पर विशेष कर,	२११
—निर्मादायी की आमदनी पर	२१२
—व्यापारों, व्यवसायों, और कामों पर कर, कमिश्नरकी मजूरी,	२१२
—हुत्तों पर,	२१२
—मकानों पर,	२०९, २१२
—हेसियत आर जायदाद पर,	२०९, २१२
—रेलवे पर, देखिये "रेलवे"	२०९, २१२
—जिनके लिये गवर्नर जनरल और उनरी कौंसिल का समर्थन चाहिए होता है,	२१८
—में सुधार करने, परिवर्तन या रद्द करने का सरकार का अधिकार,	२२१
—मिटायें हूये	२२१

विषय

पेज

कर

—माफी के कारण कर वा घटाया जाना,	२२२-३
—के मामले सुनने का अधिकार किसी दीवानी या फौजदारी की अदालत को नहीं है,	२४२
—सम्बन्धी मामलों में हाकिम अपील का हुक्म अन्तिम होगा,	२४२
—लगाने वाले प्रस्ताव का नोटिस,	४२८
—दोस्रिये, "अपाल" "रेलवे" "पानीका कर" "सफाई के कर" जायता कर लगाने के लिये,	
—'जायता' 'शुक्ती' 'जिम्मेदारी' भी,	

कर्ता

—हिन्द कुटुम्बका, कर्ता का निर्वाचक होने का अधिकार,	४६, ६२, ६३
---	------------

कर्तव्य

—बोर्ड के,	१५-२२, ४१५
—चेयरमैन के,	१००-१०२
—वाइस चेयरमैन के	१०५-६
—एक्जिक्यूटिव अफसर के,	४२१
कर्मचारी—(कर्मचारियों)	
—अस्थाई	११४
—स्थाई की सख्या का निर्णय,	११५
—शिखा विभाग के	३१५-६
—ऊंची श्रेणी के	११६
—नीची श्रेणी के स्थाई	११६ ७
—कुछ कर्मचारियों की विशेष योग्यता और उनके लिये नियम,	११०
—पानी के कारखाने के,	१२२
—विजली के कारखाने के,	१२३
—मारे हुये कर्मचारी की पेन्शन, डिमिस्सी आदि,	१२३-४
—नौ मुआहिदों आदि के लाभ से वास्ता रखने की मनाही,	१२१-२
—बोर्ड के कर्मचारियों का सार्वजनिक कर्मचारी माना जाना,	१३२
—कुछ निर्दिष्ट कर्मचारियों को कर्तव्य पालन न करने के लिये दंड,	१३४
—प्रमाणों से मैला उठवाने के काम के सम्बन्ध में म्यूनिसिपल्टी के कर्मचारियों के अधिकार,	२७४
—का रजिस्टर, कागज, आदि पेश करने के लिये तालब कराने की मनाही,	४०९

कृषि

—जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हो, उसके सम्बन्ध में बोर्ड के अधिकार,	३५०
—की मनाही कर देने पर मुआविजा,	३५०
कृषक—कृषकों	
—मैला उठाने का काम बोर्ड द्वारा किये जाने पर कृषकों के हककी वचत,	२७५
—के द्वारा सफाई का ठीक प्रबंध न किये जाने पर कार्रवाई,	२७५

कलक्टर

—निर्वाचन निर्णय कर्ता अदाउत या अधिकार कलक्टर के पास धीरे हुक्म आदि तामील कराने के लिये भेजने का,	५४
---	----

विषय	पेज
कलक्टर	
—ऐसा हुक्म भेजे जाने पर कर्तव्य,	५४
—के द्वारा बोर्ड का किराया या लगान वसूल किया जाना,	३५५
—सुआविज्ञा के विषय में झगडा होने पर कलक्टर के द्वारा फैसला,	४०२
क्लेश जनता को	
—जनता को क्लेश पहुँचाने वाले कामों को दूर करना, बोर्ड का कर्तव्य,	१५
—जनता को क्लेश या कष्ट पहुँचाने वाले व्यापार, व्यवसाय के सम्बन्ध में बोर्ड के अधिकार,	३२३
—ऐसे व्यापार आदि को म्यूनिस्सिपलटी के बाहर एक मील तक रोक देने का अधिकार,	३२४
—जनता को क्लेश पहुँचाने वाले काम की व्याख्या	३२४
—इमारत या आराजी को जनता को क्लेश पहुँचाने से रोकने का बोर्ड का अधिकार,	३३५
—पत्थर आदि रौंदना रोक दिया जाना, जन वह जनता के लिये क्लेश दायक हो,	३३२
कागज-कागजात	
—में क्या २ शामिल है,	१५८
—दफ्तर के कागजात या रजिस्टर आदि रखने, नष्ट करने आदि के नियम,	१५८ ६१
—की नकलें देलिये "नकलें"	
—की नकलों का शहादत में स्वीकार किया जाना,	४०८
कानून पेशा मेम्बर	
—मुकदमों में बोर्ड के विरुद्ध पैरवी करने की मनाही,	९४
कानपुर	
—की म्यूनिस्सिपलटी में रजिस्ट्री की हुई कंपनियों के मैनेजर को निर्वाचक होने का अधिकार,	४६, ६२
काम	
—की जगह और नाप के लिये इमारत में प्रवेश करने का चैयरमैन आदि का अधिकार,	३५३
—पानी पहुँचाने के काम, और अय काम बोर्ड के कर्मचारियों के द्वारा कराने का हुक्म देने का अधिकार,	३५४
कारपोरेशन या कारपोरेट बाडी (Corporations or Corporate Body)	
—देरिये "संगठित संस्था"	
कार्यक्रम	
—कमेटियों का,	१८२, ३
—हिसाब किताब के लिये,	१४४
कार्रवाई	
—चुनाव सम्बन्धी अर्जी की तपा रोक दी जाना,	५६
—प्रतिपातक	
—बोर्ड या कमेटी की जायज होना,	४९, ५०
—अपील की जाने पर मुस्तवी करदी जाना,	१९२
काचिज	४०१
—की व्याख्या	
—वार्डिन मृत्य पर मकान का कर काचिज से वसूल किया जाना,	५
—सफाई के कर वसूल किये जायने,	२२९
	२३०

विषय

पेज

काविज

- मालिक या काविज को नोटिस दिया जाना कि इमारत या कुआ मराना आदि बंद कर दे, या गिरादे २६६
- दफा १९६ के नोटिस से इमारत बाहर निकाल दी जाने के लिये मालिक या काविज दरखास्त कर सकता है, २७४
- मालिक या काविज को झाड़ियों या वृक्षों के छटवाने की आज्ञा, २८६
- बरसाती पानी के निकास का प्रबंध करने के लिये मालिक या काविज को आज्ञा देना, २८७
- नम्बर की तर्ती मकान पर लगवाने की मालिक काविज को आज्ञा, २८७
- मोरी, कुड़ा, पाजाना आदि जल के पास से हटाने का मालिक काविज को हुक्म, २९९
- मालिक या काविज को पानी के कारखाने से पानी देने का मुआहिदा ३०१
- कच्चायक व्यापारों आदि का नोटिस मालिक या काविज को दिया जाना ३२३
- चकले आदि हटाने का मालिक या काविज को नोटिस, ३२५
- टूटी फूटी इमारत या सुरक्षित हुए के सम्बन्ध में हुक्म मालिक या काविज को देना ३३४
- आरोग्यता सम्बन्धी मोरी कुड़ी आदि के हुक्म मालिक या काविज को देना ३३७
- तालाबों इत्यादि से उत्पन्न होने वाली कच्चायक घातों को दूर करने की आज्ञा मालिक या काविज को दी जा सकती है, ३४०
- बलीज इमारतों आदि को साफ कराने का हुक्म मालिक या काविज को, ३४१
- घृणित पदार्थों को न उठवाने के लिये मालिक या काविज को दण्ड, ३४१
- मकान का छूटा करस्ट आदि फेंकने के लिये मालिक काविज को दण्ड, ३४५
- मैला पानी चहाने के लिये मालिक या काविज को दण्ड, ३४६
- मनुष्य के निवास के अयोग्य इमारतों के सम्बन्ध में मालिक काविज को हुक्म, ३४६
- हेजा, शीतला आदि की सूचना देने का मालिक काविज का कर्तव्य, ३४७
- बनस्पति, झाड़ियां साफ कराने का मालिक या काविज को हुक्म, ३५१
- छोटे हुए स्थानों को भरवा देने या पानी निकाल देने के लिये मालिक या काविज को हुक्म, ३५१
- नोटिस की आज्ञा पालन मालिक के द्वारा न की जाने पर काविज को हिदायत कि किराया या लगान बोर्ड को दे, ३९२
- या कर्तव्य किराया आदि बनाने का, ३९२
- बोर्ड द्वारा आज्ञा दिये हुये काम काविज द्वारा किया जाना जर्ची मालिक से वसूल करना, ३९३
- काम बनवाने में काविज का बाधक होने पर परिचार्ज, ३९३
- काम बनवाने का जर्ची काविज के द्वारा वसूल किया जाना ३९४
- कार्तकार**
- मौजूदी, ३५
- साक्रिनुमिक्रियत और रिधर दर से लगान देने वाले, ३४
- कास्टिंग बोट**
- नये चैयरमैन के चुनाव में पुराने चैयरमैन का, ९७
- चैयरमैन का, बोर्ड की माटिंग में, १३९
- किराया**
- दूतरे की आराची पर मोरी बनाने का या मोरी से भेज करने का, और उसकी वसूली, २७२
- या लगान जो बोर्ड का बाकी हो उसका वसूल किया जाना, ३५५

विषय

।।।।।

खाने पीने की वस्तु-वस्तुयें

—की जाच करने और ठिकाने लगाने का अधिकार,	३२१
—के रखे जाने आदि के स्थान की जाच,	३२२
—के नमूने जाच के लिये भेजने का सरकारी इन्स्पेक्टर का अधिकार,	३२२,३
—के बनाने बेचने की कुछ रोगियों को मनाही,	३४९,५०

खाली इमारत

—को सुरक्षित आदि कराने का बोर्ड का अधिकार,	३३७
—के फिर से आवादा हो जाने का नोटिस देना चाहिए,	३३२
—ऐसी सूचना न देने के लिये दण्ड,	३३२

खाली रहना

—के कारण इमारतों आराजियों के कर की माफी,	२३१
—इमारतों आदि का, पहाड़ी म्यूनिसिपलटी में,	२३१
—कर से माफी के लिये नोटिस,	२३१
—इमारत आदि के भाग का और कर से माफी,	२३१
—इसके लिये नमूने का नियम,	२३२

खेती-देखिये "कृषि"

खेल	
—इस प्रकार खेलना कि लोगों को जोखों हो,	३३४
खोदा हुआ स्थान	
—को भरवाने या पानी निकलवाने का हुक्म,	३५१

ग

गऊधन शीतला

—का टीका लगाने का प्रबंध करने का बोर्ड का कर्तव्य,	
गहूँ	
—जो हानिकर हों उनके सम्बन्ध में बोर्ड के अधिकार,	३४०
—जो दफा २९८ की मद (जे) के विरुद्ध लौदे गये हों, उनके सम्बन्ध में बोर्ड के अधिकार,	३५१

गमना गमन

—के उपाय बनवाने का बोर्ड का अधिकार,	२०
-------------------------------------	----

गलती

—बूने हुये कर की सूची, विल आदि में, और उसका प्रभाव,	
—मांग के नोटिस, नारण्ट आदि में, और उसका प्रभाव	२४३

गलीज

—इमारतों और आराजियों को साफ कराना,	
------------------------------------	--

गलियाँ—देखिये "सड़कें"

गान्धी	
—की त्याग्य,	
—बिना उचित योजना लगाये चराना और दण्ड,	२३८

	विषय	पेज
	गाड़ी	
	—को बोर्ड की आराजी पर रचना और दण्ड,	३३०
	—थोड़ी देर को सड़ा कर लेना अपराध नहीं है,	३३०
	—से माल या सवारी उतारने चढ़ाने के लिये सड़क घेरना,	३३५
	—को इस प्रकार छोड़ना कि उससे सड़क पर रुकावट हो,	३३५
	गिना जाना	
	—परचों के गिरे जानें में किसी को विध्न डालने का अधिकार नहीं होता,	७७
	गिरवा देना	
	—वनी हुई इमारत का, बोर्ड का अधिकार,	२६६
	—इमारत का जो मनुष्य के निवास के अयोग्य हो,	३४६
	—टूटा प्यूटी इमारत गिरवा देने का बोर्ड का अधिकार,	३३४
	—बिना इजाजत बनाई हुई सड़क पर की इमारतें	२७८-९
	—नियमित लैन से आगे बनी हुई इमारतें	२९४
	गुब्बारे	
	—आग के गुब्बारे, इस प्रकार छोड़ना कि मनुष्य या जायदाद को जोखें हो,	३३४
	गैर मनकूला जायदाद—देखिये “स्थावर”	
	गैर मुसलिम समुदाय	२५
	ग्रेट इण्डियन पेनिनसुला रेलवे	
	—पर ग्युनिसिपलटियों के कर,	६१४
	घ	
	घाट	
	—नहाने व वस्त्र आदि धोने के बनाना, बोर्ड का अधिकार,	१९
	घरेलू काम के लिये पानी	
	—की व्याख्या,	९
	—पानी के कारखाने से घरेलू काम के लिये पानी पहले दिया जायगा,	२०२
	घृणित	
	—ग्यवसायों, पेशों, और व्यवहारों को दूष करना, बोर्ड का कर्तव्य,	१५
	—पदार्थों को न उठवाने के लिये दण्ड,	३४१
	—पदार्थों को जमा करने के लिये स्थान नियत करना,	३४२
	—पदार्थों को उठवाने के लिये समय और विधि नियत करना,	३४२
	च	
	चक्रला	
	—हटवाने आदि का मैजिस्ट्रेट का अधिकार,	३२५
	—हटवाने आदि की बाराबाई निसर्कें हुक्म से की जा सकती है या किसकी अर्जी पर जा सकती है,	३२६
	—हटाने का हुक्म न मानने के लिये दण्ड,	१२०
	चीफ सेनिटरी इन्स्पेक्टर,	
	सुकीता	
	—करा का उन्नीता करने का अधिकार,	२३६
	—करों का उन्नीता करने के लिये नियम,	२३६

विषय	पेज
ज्वलनशील	
—इमारतों में ज्वलनशील वस्तुयें लगाने की मनाही करने का अधिकार	३३०-३३१
—इमारतों से ज्वलनशील वस्तुयें हटाने का हुक्म,	३३०-३३१
—ऐसा हुक्म देने पर बोर्ड द्वारा मुआवजा दिया जाना,	३३०-३३१
—आज्ञा के विरुद्ध ज्वलनशील वस्तुयें इमारत से न हटाने या लगाने के लिये दण्ड,	३३१
—वस्तु की मात्राकी इमारत में जाच करने का अधिकार,	३३१
—वस्तुकी फ़ानूनी मात्रा से अधिक मिलने पर कार्रवाई,	३३१-३३२
—वस्तु जमा करने आदि की मनाही,	३३२
—देशिय "पेट्रोलियम" भी	
ज्वायट कमेटी	
—स्थापित की जाना,	१८३-१८४
—की शर्तें दस्तावेज में लेख बद्ध करदी जाय,	१८४
—की दस्तावेज में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है,	१८४
—में किसी प्रश्न पर मतभेद होने पर उसका फैसला,	१८४-१८५
ज्वायट स्टॉक कम्पनी—की व्याख्या,	१२९
जाच	
—के लिये राय पदार्थों के नमूने भेजे जाना,	३२३
—देशिय "मुआइना"—	
जाबता	
—म्युनिसिपलटी स्थापित करने के लिये,	१२
—बोर्ड पर दावा करने के लिये,	१५, ४०३-४०६
—विजली का कार्यालय बनाने के लिये,	२१
—समुदायों द्वारा भोग्य नामजद किये जाने के लिये,	२३
—गुनरावलोकन कमेटी के लिये	६६-६७
—निर्वाचन-निर्णय कर्ता अदालत के लिये	५१-५४
—निर्वाचकों की नामावली तैयार की जाने के लिये,	६३-६९
—उम्मेदवार नामजद किये जाने के लिये,	७०-७२
—वोट लिये जाने के लिये,	७२-७७
—बोर्ड की मीटिंग के लिये,	१३६-१४२, १०२-१०३
—कमेटीयों की मीटिंगों के लिये,	१८२
—बोर्ड की जायदाद अलग किये जाने के लिये,	२०५-२०६
—ट्रेकेट तार के खम्भे आदि लगाने के लिये,	२८९
—बारजाने से पानी दिये जाने की दरखास्त के लिये,	३०५
—बोर्ड के हुक्मों की अपील के लिये,	३९९-४०२
—आराजी के मुआवजे का झगडा होने पर,	४०२-४०३
—हाईकोर्ट की फैसले के लिये मामला भेजे जाने पर,	५२, ५३, २४१, ४००

विषय

जायदाद, कर लगाने के लिये

- का सखती से अनुसरण करना चाहिए,
- प्रस्तावों का तैयार किया जाना,
- प्रस्तावों में क्या र दिखलाया जाय,
- नियमों का पसोदा,
- प्रस्तावों और नियमों का प्रशासित किया जाना,
- प्रस्तावों पर उच्च,
- प्रस्तावों की तरमीम,
- निश्चित प्रस्तावों का कमिश्नर को भेजा जाना,
- कमिश्नर या प्रान्तीय सरकार के अधिकार,
- कर लगाने के लिये बोर्ड का रेगुल्येशन,
- कर लगा दिया जाना,

जायदाद, इमारतों या धाराजियों पर कर लगाने के लिये

- कुले हुये वर्गों की सूची तैयार कराना,
- सूची प्रकाशित की जाना,
- सूची पर उद्गदारिया,
- सूची की तसदीक और रखा जाना,
- सूची का दुहराया जाना और अवधि,
- सूची में तरमीम या परिवर्तन,
- तरमीम या परिवर्तन की नोटिस,

जायज

- बोर्ड या कमेटी की कार्रवाई जायज मानी जाना,
- काम जो इस ऐक्ट के आगम से पूर्व किये गये हों का जायज माना जाना,

जायदाद

- बोर्ड के अलग कर दिये जाने पर,
- की आदि के लिये मंगरो की जिम्मेदारी,
- जिस पर बोर्ड का अधिकार माना जाता है,
- भगियों द्वारा जमा किया हुआ मौला बोर्ड की जायदाद है
- के रजिस्टर और उनके लिये हिदायतें,
- का जनरदस्ती प्राप्त किया जाना,
- ग्युनिसिपलटी की जायदाद के भाग दवा लेने से जनता की रोकने के लिये नियम,
- ग्युनिसिपलटी की जायदाद को उखाड़ने आदि के लिये दण्ड,
- ग्युनिसिपलटी की जायदाद की काम में लाने की फीस,
- ग्युनिसिपलटी की जायदाद को छानि पहुँचाने के लिये दण्ड और हर्जा,
- देखिये "स्थावर, मनकूला, अलग कराना, नञ्जल, दुर्की," की जिम्मेदारी
- बोर्ड के मंगरों की, जायदाद को हानि, नरनाद जान और अपव्यय की,

विषय	पेज
ज्वलनशील	
—इमारतों में ज्वलनशील वस्तुयें लगाने की मनाही करने का अधिकार	३३०-३३१
—इमारतों से ज्वलनशील वस्तुयें हटाने का हुक्म,	३३०-३३१
—ऐसा हुक्म देने पर बोर्ड द्वारा मुआवजा दिया जाना,	३३०-३३१
—आज्ञा के विरुद्ध ज्वलनशील वस्तुयें इमारत से न हटाने या लगाने के लिये दण्ड,	३३१
—वस्तुकी मात्राकी इमारत में जाच करने का अधिकार,	३३१
—वस्तुकी कानूनी मात्रा से अधिक मिलने पर कार्रवाई,	३३१-३३२
—वस्तु जमा करने आदि की मनाही,	३३२
—देखिये "पेट्रोलियम" भी	
ज्वायंट कमेटी	
—स्थापित की जाना,	१८३-१८४
—की शर्तें दस्तावेज में लेख बद्ध करदी जाय,	१८४
—की दस्तावेज में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है,	१८४
—में किसी प्रश्न पर मतभेद होने पर उसका फैसला,	१८४-१८५
ज्वायंट स्टॉक कम्पनी —की व्याख्या,	१२९
जाच	
—के लिये खाद्य पदार्थों के नमूने भेजे जाना,	३२३
—देखिये "मुआइना"—	
जाबता	
—म्युनिसिपलटी स्थापित करने के लिये,	१२
—बोर्ड पर दावा धरने के लिये,	१५, ४०३-४०६
—बिनली व वास्तुशिल्प बनाने के लिये,	२१
—समुदायों द्वारा गेम्बर नामजद किये जाने के लिये,	२३
—पुनर्गठन कमेटी के लिये	६६-६७
—निर्वाचन-निर्णय कर्ता अदालत के लिये	५१-५४
—निर्वाचकों की नामावली तैयार की जाने के लिये,	६३-६९
—उगोदवार नामजद किये जाने के लिये,	७०-७२
—बोट किये जाने के लिये,	७२-७७
—बोर्ड की मीटिंग के लिये,	
—कमेटीयों की मीटिंगों के लिये,	१३६-१४२, १०२-१०३
—बोर्ड की जायदाद अलग किये जाने के लिये,	१८२
—गैजट तार के सम्बन्ध आदि लगाने के लिये,	२०५-२०६
—इमारतों से पानी दिये जाने की दम्नकारण के लिये,	२८९
—बोर्ड के हुक्म की अपील के लिये,	३०५
—आयमी के पुराने का सगटा होने पर,	३९९-४०२
—हार्बर का कर्म के लिए मापला भेजे जाने पर,	४०२-४०३
	५२, ५३, २४१, ४००

विषय	पेज
ड्रामवे	
—बनाना बोर्ड का अधिकार,	२०
ट्रस्ट ऐक्ट	
—की दफा २० में बताई हुई जमानतों में म्यूनिसिपलटी की जायदाद लगाई जाना,	१९६
ट्रस्टी	
—का अधिकार निर्वाचक होने का,	४६
—की जिम्मेदारी मात्रिक की ओर से बोर्ड की आज्ञा पालन करने और कामों में रुपया लगाने की	३९५
टीका	
—भाऊयन शीतला का, लगाने का प्रबंध करना,	१६
टूटी फूटी	
—इमारत, भीत, मकान में लगी हुई वस्तुयें आदि के गिनते जोखों हो, सम्बंध में बोर्ड के अधिकार,	३३४
टूर्नामिण्ट	
—स्कूलों के टूर्नामिण्ट के लिये म्यूनिसिपल कोष से रुपया दिया जाना,	२१
टेण्डर	
—उके गिनके लिये टेण्डर मांगा जाना आवश्यक है,	१४४
—मागने के लिये नियम,	१४४
—देने वाले से जमानत,	१४४
टेण्डर्ड बोट या परचे—देखिये “अनिश्चित परचे”	
टेलिग्राफ	
—या टेलिफोन या लालटेन आदि के खर्चे ब्रेवेट लगाने का बोर्ड का अधिकार,	२८८
टेलिफोन—देखिये “टेलिग्राफ”	
ठ	
ठहरने के स्थान—की व्याख्या,	४
ठेके	
—लेने वाला नके के पदपर माना जाय या नहीं,	४३-४४
—में भाग लेने की मेम्बरों को मनाही और दण्ड,	१२८
—दशायें गिनमें यह नहीं माना जायगा कि मेम्बर ने ठेके में भाग लिया	१२८ १२९
—में भाग लेने की कर्मचारियों को मनाही और दण्ड	१३१
—दशायें गिनमें यह नहीं माना जायगा कि कर्मचारी ने ठेके में भाग लिया,	१२९
—से बाधता रखने वाले शरत की बोर्ड की नौकरी के लिये अयोग्यता,	१३१
—गिनके लिये टेण्डर मांगा आवश्यक है,	१४४
—के लिये टेण्डर मागने के नियम,	१४४
—गिनके लिये बोर्ड की मजूरी आवश्यक है,	१६१
—अथ ठेकों की मजूरी,	१६२
—कुछ ठेकों की बोर्ड का इजिनियर मजूरी दे सकता है,	१६२
—की लिखा पढ़ी,	१६२

विषय	पेज
जिला मजिस्ट्रेट	
—मेम्बरों की नामनदगी जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश पर की जायगी,	२३
—का अधिकार पुनरावलोकन कमेटी का सभापति नियुक्त करने का,	६६
—पुनरावलोकन कमेटी की कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट के पास भेजी जाय,	६७
—का अधिकार निर्वाचकों की नामावली त्रुटिपूर्ण करने का,	६७
—नामजद करने वाले अफसर की नियुक्त के लिये जिला मजिस्ट्रेट की मजूरी,	७१
—नामजद करने वाले अफसर के फंसले की निगरानी करने का जिला मजिस्ट्रेट को अधिकार,	७१
—निर्वाचन व्यवस्थापक की नियुक्त के लिये जिला मजिस्ट्रेट की मजूरी	७२
—परचों के बदल जादि का जिला मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाना,	७६
—निर्वाचन सम्बन्धी कागजों के सुआर्दना करने के रेग्युलेशन जिला मजिस्ट्रेट बनयेगा,	७७
—का अधिकार बोर्ड के कामों पर निगरानी करने, रिपोर्ट आदि मगाने और अपने निचर प्रगट करने का,	८६
—का अधिकार काम को रोक देने का,	८७
—का अधिकार पी के सिवाय बेचे जाने के लिये पशु मध न किये जाय,	३१७
—ना अधिकार जब पशु धार्मिक प्रयोजन के लिये बध किये जाय,	३१७
—नई म्युनिसिपलटी स्थपित की जाने पर जिला मजिस्ट्रेट का अधिकार बोर्ड के अधिकारों को बरतने का,	४१०
जुर्माना	
—की रकम म्युनिसिपलटी के कोष में जमा होगी,	१९४
जोखों	
—काम जिनसे सबक पर जोखों हो, के लिये बोर्ड की लिखित आज्ञा,	२८५
—बाले काम किये जाने पर परदा आदि का हुक्म देने का अधिकार,	२८६
—सर्वसाधारण को जोखों से बचाने के लिये, सबक या अय काम बताये जाने के समय बोर्ड द्वारा उपाय,	२९४
—झाड़िया या गृह जिनसे जोखों हो, कटवाने का अधिकार,	२८६
—जान माल को जोखों होने पर ज्वला शील वस्तुओं का डेर लगाने की मनाही,	३३२
—होने पर खान में से पत्थर आदि खोदे जाने की मनाही,	३३२
—आनेयअक्ष, आतिशवाजी, श्चबाराँ से जोखों के लिये दण्ड,	३३४
—टूटी फूटी इमारतें, भीत आदि से जोखों होने पर बोर्ड के अधिकार,	३३४
—कुआ, तालाब, हौज आदि से जोखों होने पर बोर्ड के अधिकार	३३४
झ	
झूठी पहचान	
—निर्वाचक की झूठी पहिचान करना,	५८-५९
झाड़िया	
—और वृक्षों की शाखायें कटवाना,	२८६
—आराजा के मालिक को झाड़िया साफ कराने का हुक्म देना,	३५१
ट	
टफिया	
—दोनों को पानी पिलाने की,	३०८

विषय	पेज
हामवे	
—बनाना बोर्ड का अधिकार,	२०
ट्रस्ट ऐक्ट	
—की दफा २० में बताई हुई जमानतों में म्यूनिसिपल्टी की जायदाद लगाई जाना,	१९६
टस्टी	
—का अधिकार निर्वाचक हेतु का,	४६
—की जिम्मेदारी मालिक की ओर से बोर्ड की आज्ञा पालन करने और कामों में रूपाया लगाने की	३९५
टीका	
—गऊथन शीतला का, लगवाने का प्रबंध करना,	१६
टूटी फूटी	
—इमारत, भौत, मकान में लगी हुई वस्तुयें आदि के जिनसे जोखों हो, सम्बन्ध में बोर्ड के अधिकार,	३३४
टूर्नामेण्ट	
—कूलों के टूर्नामेण्ट के लिये म्यूनिसिपल कोष से रूपाया दिया जाना,	२३
टेंडर	
—ठेके जिनके लिये टेंडर मागा जाना आनश्यक है,	१४४
—मागने के लिये नियम,	१४४
—देने वाले से जमानत,	१४४
टेंडर्ड बोर्ड या परचे— देखिये "अनिश्चित परचे"	
टेलिग्राफ	
—या टेलिफोन या लालटेन आदि के एम्बे ट्रेकेट लगाने का बोर्ड का अधिकार,	२८८
टेलिफोन— देखिये "टेलिग्राफ"	

ठ

ठहरने के स्थान— की व्याख्या,	४
ठेके	
—लेने वाला ठेके के पदपर माना जाय या नहीं,	४३-४४
—में भाग लेने की मेम्बरों को मनाही और दण्ड,	१२८
—दशायें जिनमें यह नहीं माना जायगा कि मेम्बर ने ठेके में भाग लिया	१२८-१२९
—में भाग लेने का कर्मचारियों को मनाही और दण्ड	१३१
—दशायें जिनमें यह नहीं माना जायगा कि कर्मचारी ने ठेकेमें भाग लिया,	१२९
—से वास्ता रखने वाले शरत की बोर्ड की नौकरों के लिये अयोग्यता,	१३१
—जिनके लिये टेंडर मागना आवश्यक है,	१४४
—के लिये टेंडर मागने के नियम,	१४४
—जिनके लिये बोर्ड की मजूरी आवश्यक है,	१६१
—अथ ठेकों की मजूरी,	१६२
—कुछ ठेकों की बोर्ड का इजिनियर मजूरी दे सकता है,	१६२
—की लिखा पढी,	१६२

विषय

पेज

ड

ड्रेन (Drain)

—देखिये "मोरी"

ड्रेनेज

—देखिये "पानी का निकास"

डिसइन्फेक्ट (Disinfect)

—देखिये "ओषधियों से साफ करना"

डिप्युटी सेनिटरी इन्जिनियर

—ग्युनिस्तिपल सस्थाओं की जाच कर सकता है, ८७

ढ

ढोर,

—सो पानी पिलाने की टकियाँ,

३०८

—सडक या सार्वजनिक स्थान पर ढोर बाधने की मनाही और दंड,

३२९

—जो सडक आदि पर बंधों हो वह बाडे में ले जाया जा सकता है, देखिये "पशु" ३२९

त

तखते

—दूबानों के तखते या पानी से बचाव के लिये तपते लगाने की इजाजत, २८०

तखमीना बजट

—देखिये "बजट"

तलब करना

—ग्युनिस्तिपलटी के अफसर या कर्मचारी को फ़ाराज आदि पेश करने के लिये तलब करने की मनाही, ४०९

तरकारी

—देखिये "फल"

तसदीक

—की हुई नक़लें, देखिये "नक़लें"

तहबजारी

—बिना वार्ड लॉ बनाय नहीं ली जा सकती,

२९१

—के लिये स्थान और फ़ीस का शिड्यूल नियत और तैयार होना चाहिये,

२९२

—ने दर का शिड्यूल अनेक स्थानों में टागा जाना चाहिये,

२९२

—यदि कोई बोर्ड तहबजारी न लेना चाहे तोपाई लॉ इस लिये बना लेना चाहिये,

२९२

ताऊन

—की सूचना देने का कर्तव्य और सूचना न देने के लिये दण्ड,

३४७

तामील

—सगत सस्था पर समन की तापील

—गारट की,

१५

—गारट की तापील किये जाने की विधि,

२४७-२४८

२४८

विषय	पेज
तामिल	
—म्यूनिसिपलटी के बाहर की जायदाद के लिये वारन्ट और उसकी तामिल,	२५०
—म्यूनिसिपल नोटिस का,	३८५-३८६
—इमारत या आरामगी के मालिक क्रमिन्न पर नोटिस की तामिल	३८६
—नापालिय पर नोटिस की तामिल	४८६
—के लिये सुनीच घर का नौकर नहीं माना जा सकता,	३८६-३८७
—बिल की तामिल	३८५-३८६
ताल्लव	
—बनवाना बोर्ड का अधिकार,	१९
—की मरम्मत, सफाई आदि का हुक्म देना बोर्ड का अधिकार,	२९५
—का पानी पीने योग्य न रहने पर उसको बदल कर देना,	२९६
—के पास से मोरी, कुडी, कुड़ा आदि हटाने का हुक्म देना,	२९९
—भयप्रद ताल्लव का सुरक्षित कराने या घेराने का हुक्म देना,	३३४
—जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हैं, के सम्बन्ध में बोर्ड के अधिकार,	३४०
तारीख	
—निर्वाचकों की योग्यता निर्णय करने की,	६२
—निर्वाचकों की नामावली पब्लिकक्यूटिव अफसर या सेक्रेटरी को दी जाने की,	६३
—निर्वाचकों की नामावली टागे जान की,	६५
—निर्वाचकों की नामावली पर उन्नदारिया करने की,	६६
—ऐसी उन्नदारिया प्रकाशित करने की,	६६
—ऐसी उन्नदारिया फैंसले के लिये,	६६-६७
—निर्वाचकों की नामावली अंतिम रूप से तैयार कर ली जाने की,	६८
—निर्वाचकों की नामावली किस तारीख तक प्रभावयुक्त रहेगी,	६८
—निर्वाचन की,	६९
—वार्षिक रिपोर्ट पेश करने के लिये	१४५
—मिला मजिस्ट्रेट द्वारा वार्षिक रिपोर्ट कमिश्नर को भेजने के लिये,	१४७
—पानी का कारखाना, मोरी, निवास आदि के खर्च की रिपोर्ट सेनिटरी इन्जिनियर को भेजने के लिये,	१५३
—आरोग्यता सम्बन्धी रिपोर्ट सेनिटरी कमिश्नर को भेजे जाने का,	१५६
—मुहाफिज दफ्तर द्वारा पत्र व्यवहार की मिसलें भेजे जाने की,	१६०
—बजट की मीटिंग के लिये,	१६४
—डुहराया हुआ बजट के लिये,	१७६
	थ
थरी	
—उगाने की सार्वजनिक सड़क पर मनाही,	२९१
	द
दफ्तर	
—बनवाना बोर्ड का अधिकार,	१९

विषय	पेज
नकल—नकलें	
—निर्वाचन के नकशे की नकल करने का उम्मेदवार या एजेंट का अधिकार,	७६
—बोर्ड के हुक्मकी नकल प्राप्त करने में जो दिन लगे वह अपील की मियाद में नहीं गिने जायगे,	३९९
—तस्दीक की हुई म्यूनिसिपलटी के कागजों की नकल शहादत में स्वीकार किया जाना,	४०८
—तस्दीक की हुई नकल दिये जाने के लिये हिदायतें,	४६८
—तस्दीक की हुई नकलें II) के जनरल स्टाम्प पर होंगी,	४०८
—बिना तस्दीक की हुई नकलें सादे कागज पर दी जाना और उनका प्रभाव,	४०८
—दस्तावेजों की नकल के लिये नमूने के वार्षिक लॉ,	४०९
नकशा	
—म्यूनिसिपलटी का नकशा स्केल पर बनवाना चाहिए और सार्वजनिक स्थान दिखाया जाना चाहिये,	२०४
नज़र सानी	
—निर्वाचन निर्णय कर्ता अदालत का अधिकार नजरसानी करने का,	५२, ५४
—अपील सुनने वाले अधिकारी का अधिकार नजरसानी करने का,	४०१
नजूल	
—का रजिस्टर,	१९८
—की व्याख्या,	१९९
—का प्रबंध करने का बोर्ड का अधिकार,	१९९
—के नियम में मुकद्दमा,	१९९
—के बेचने या पट्टे पर देने के लिये मजूरी,	१९९
—को बोर्ड बिना मजूरी के अपने काम में नहीं ला सकता,	२००
—से आमदनी,	२००
—यथा सम्भव बेची न जाय,	२००
नफे का पद	
—मेम्बरी के अयोग्य बनाने के लिये नफे का पद कैसे माने गये हैं,	४३-४४
नमक	
—के गोदाम बोर्ड खोल सकता है,	२१
नम्बर	
—इमारतों पर नम्बर लगाने या लिखने का बोर्ड का अधिकार,	२८७
नम्बर धरी तरखती	
—मकानों के मालिक या क्राविज वों नम्बर की तरखती लगाने का हुक्म देना,	२८७-२८८
—को गिराने, बिगाड़ने आदि के लिये दंड,	२८८
नमूना	
—साथ पदार्थों का नमूना लेकर सरकारी जाच करने वाले के पास भेजना,	३२३
नमूने के नियम	
—नियमों की सूची मिलके लिये नमूने के नियम बना दिये गये हैं,	३३३-३३४

विषय

पेज

नमूने के चार्ज-लॉ

- वैदायश और मौतों के लिये,
- इमारतों के आगे घटे हुये भागों के लिये,
- म्युनिसिपलटी की जायदाद को काम में लाने की फीसों के लिये,
- सूची उन विषयों की जिनके लिये नमूने के चार्ज लॉ बना दिये गये हैं,
- दस्तावेजों आदि की नक़लों के लिये,

१८
२८०
३५६
३६२-३६३
४०९

नमूने के रेग्युलेशन

- मेम्बरों द्वारा प्रश्न पूछे जाने के लिये,
- ट्रडी की तनख्वाह, अलाऊत आदि के लिये,
- बोर्ड की मीटिंग करने के लिये,
- कमेटियों के कर्तव्य नियत करने के लिये,

११३
१२५
१३६
१७८-१८१

नल

- जोड़ने वाले नलकी व्याख्या,
- मिलाने वाला नलकी व्याख्या,
- पानी पहचाने वाला नलकी व्याख्या,

३०४
३०५
३०५

नहाना

- के घाट बनवाना, बोर्ड का अधिकार,
- मर्द, स्त्री, तथा पशुओं के लिये नहाने के स्थान नियत करना,
- की मनाही करना,

१९
३५२
३५२

नावालिग

- निर्वाचक नहीं हो सकता,
- पर नोटिस की तामील,

३२
३८६

नाम

- म्युनिसिपल सगठित सरथा का,
- सड़क का रखना और इमारतों आदि पर लिखवाना,
- को विगाड़ने आदि के लिये दण्ड,

१४-१५
२८७
२८८

नामजद

- बोर्ड के नामजद मेम्बर और उनकी सख्या,
- बोर्ड के नामजद मेम्बरों में से दो को प्रांतीय सरकार नामजद करेगी और शेष को समुदाय,
- मेम्बर नामजद करने के सम्बन्ध में प्रांतीय सरकार का अधिकार,
- मेम्बर नामजद करने का अधिकार कमिश्नरों को सौंप दिया गया है,
- मेम्बर नामजद जिला मैजिस्ट्रेट की सिफारिश पर किये जायगें,
- मेम्बरों की सख्या में परिवर्तन करने का प्रांतीय सरकार का अधिकार,
- बोर्ड अलग किये जाने पर फिर बोर्ड बनाने के लिये मेम्बर नामजद करना,
- प्रांतीय सरकार का अधिकार निश्चय कर देने का कि किसी बोर्ड में चेयरमैन होगा,
- ऐसे बोर्ड का चेयरमैन नामजद किया जाना,
- बोर्ड द्वारा चेयरमैन न चुने जाने पर उसका नामजद किया जाना,
- चेयरमैनी पर दूसरी बार नामजद किये जाने की योग्यता,

२२
२२
२२
२३
२३
२४
८५
९६
९६
९८
९८

विषय	पेज
नियम पत्र	
—उच्चों का नियम पत्र में जमानत लेना चाहिये, और वाप पूरा न करने का दण्ड,	१४४
नियमित क्रिया हुआ	
—की व्याख्या,	७
निमित्त लेन	
—इमारतों की,	२५०, २५१, २६२, २६३
—नियत करने का बोर्ड का अधिकार	२९३
—से बढ़ी हुई इमारत बोर्ड के अधिकार से बनाई जा सकती है,	२९३
—के कारण इमारत बनाना रोक दिये जाने पर मुआवजा,	२९३
निर्वाचन	
—बोर्ड अलग पर दिये जाने पर,	८५
—चेयरमैन का,	९६
—वांछित चेयरमैन का,	१०४
—पर आपेय,	१६
—की कार्रवाई में नै जास्तगी,	५७
—के सम्बन्ध की अय बातें,	५९-६०
—के लिये तारीख, समय और स्थान,	६९-७०
—का नोटिस,	७०
—जिस उम्मेदवार का निर्वाचन हो जाय उसको सूचना दी जाय,	७६
—सम्बन्धी आदि नियमों का उद्घोषण करने या फर्तव्य पालन न करने के लिये दण्ड,	७७-७८
—में वोट लेने की विधि,	७०-७५
—बिना वोट लिये निर्वाचन हो जाना,	७२
—देखिये "अदालत, अर्जी, उम्मेदवार, निर्वाचक, निर्वाचन स्थान, निर्वाचन व्यवस्थापक, वोट, परचा"	
निर्वाचन व्यवस्थापक	
—की नियुक्ति	७२-३
—के कर्तव्य और सहायक,	७३
—का कार्टिंग वोट,	७७
निर्वाचन स्थापन	
—बोर्ड नियत करेगा,	७२
—में उम्मेदवारों के एजेण्ड,	७३
निर्वाचक	
—बिना बंधा हिंदू क्लब के कर्तों का निर्वाचक होने का अधिकार,	४६, ६२, ६३
—राजिस्टर्ड कंपनी के मैनेजर का,	४६, ६२
—की योग्यतायें,	३०-३२
—अयोग्यतायें जिनके कारण कोई निर्वाचक दर्ज नहीं हो सकता,	३२
—दर्ज न किये जाने पर उपाय,	३७-४०

विषय

पेज

निर्वाचित

- बोर्ड के मेम्बर और उनकी सत्या, २२, २३, ४२
 --मेम्बरों की सत्या में परिवर्तन, २४

निवासी

- की व्याख्या ४
 --की जिम्मेदारी कर की जिम्मेदारी प्रगट करने की, २३९
 --ऐसा जिम्मेदारी पूरा न करने पर निवासी को दंड, २३९

नीलाम

- म्यूनििसिपलटी के मतालवे के बाकीदार का चौर मकूला जायदाद का, २४६
 --म्यूनििसिपलटी की जायदाद काम में लाने के लिये फ्रॉस नीलाम या मुअहिदे के द्वारा नियत की जायगी ३५५

नोटिस

- मतालवे की माग का, २४६
 --दुर्क किये जाने पर जायदाद के मालिक का, २४९
 --इमारत बनाने, फिर से बनाने आदि का, २५३
 --कुआ खोदने या बढ़ाने का, २५३
 --इमारत में प्रवेश करने के लिये नोटिस २५३
 --म्यूनििसिपलटी का, व्याक्ति के नाम, और उसकी आज्ञा पालन न करने पर दण्ड ३८८-३८९
 --कानूनी होना चाहिये और उस पर हस्ताक्षर, ३८९-३९०
 --की आज्ञा पालन न की जाने पर बोर्ड का कर्तव्य, ३९१
 --बोर्ड आदि पर नालिश के लिये नोटिस, ४०३
 --ऐसे नोटिस में क्या लिखा जाय, ४०३-४०४
 --ऐसा नोटिस कब आवश्यक नहीं होता, ४०६
 --कर लगाने वाले नोटिस का फारम, ४२८
 --माग का नोटिस का फारम, ४२९
 --दुर्क किये हुये माल के नीलाम का नोटिस का फारम, ४३१
 --देखिये "आम नोटिस, तामील, मालिक, काबिज"

नेकचलनी

- की जमानत, ३६-३७

प

पट्टा

- बोर्ड की रथावर जायदाद का पट्टा, २०५
 --का लगान अवध प्रान्त में, २०५

पड़ाव

- बनवाना, बोर्ड का अधिकार, १९
 पद-पदों-का मिला दिग जाना, ११५
 पब्लिक न्यूसेन्स-के लिये "क्लेश पढुचाने वाले काम" १७९
 पब्लिक वर्क्स कमेटी १७९
 पब्लिक हेल्थ कमेटी १७९

विषय	पेज
प्रोत्साह दिखाना	
—की व्याख्या,	४९
फ्लम्बर	
—देखिये “पानी दिया जाना”	
पशु—पशुओं	
—पर कर,	१०९
—को बोर्ड की आराजी पर खड़ा करना और उसके लिये दंड,	३२०
—देखिये, “टोर, दूध, बध स्थान” भी	
पहले से प्रकाशित कर दिया जाना	
—की व्याख्या,	३८२
—नियम या बाई लॉ जो प्रान्तीय सरकार बनावेगी,	३८१
—बाई लॉ जो बोर्ड बनाये	३८३
पहाड़ी म्युनिसिपलटी	
—देखिये “म्युनिसिपलटी”	
पत्र व्यवहार	
—इंजिनियर, पानी के इंजिनियर या सुपरटेन्डेंट की नियुक्ति के लिये,	११२
—हेल्थ अफसर रखने के लिये,	११३
—के लिये कार्यक्रम,	१४२-१४३
—सरकार से पत्र व्यवहार करने के नियम,	१४३
—म्युनिसिपलटी के पत्र व्यवहार काराज आदि रखने, नष्ट करने के नियम,	१५८-१६१
—के लिये छद्मफिज इफ्तर के रजिस्टर,	१५९
पाखाने	
—और पेशाब खाने बनवाने का बोर्ड का कर्तव्य,	१६
—और पेशाबखानों के विषय में हुकम देने का बोर्ड का अधिकार,	३३७
—कारखानों, स्कूलों आदि के लिये विशेष पाखाने	३४०
—और पेशाबखानों की जाच करने का अधिकार,	३४१
पागल खाने	
—बनवाने का बोर्ड का अधिकार,	१९
पाद	
—सड़क पर बाधने के लिये इजाजत,	२८६
पानी का कर	
—लगाया जाना और उस पर बंधेज,	२१०-२१५
—लगाय जाने का आशय,	२१५
—जो बसूल हो, वह पानी के काम ही में लगाया जाय,	२१५
—रगाने वाले बोर्ड की जिम्मेदारियां,	३००

विषय

पेज

पानी का कारखाना

—की व्याख्या,	३१८
—छावनी में बढ़ाने के लिये मशीन,	३१८-३१९
—के कर्मचारियों की नियुक्ति और उनके लिये पत्र व्यवहार,	३२९
—के कर्मचारियों की नियुक्ति व शिफ्टिंग के विषय,	२५१
—का बजट सेनिटरी इन्जिनियर को भेजा जाना,	१९
—काम की रिपोर्ट सेनिटरी इन्जिनियर को भेजा जाना,	१९
—बनाने आदि का अधिकार,	
—से सुआहदे के अनुसार पानी देना,	
—के पानी की फीस,	२१४
—से परेड मतलों के लिये परेड पानी दिनांक,	२७९
—से पानी का दिया जाना निम्नो के लिये (परेड),	
—के भीतर और नहर का खर्च और निरीक्षण,	
—से पानी दिये जाने के लिये,	२०१, २०२
—की परिभाषा,	३१६

पानीकी समीक्षा

—पर से इनका दूध करने का अधिकार,	३५१
---------------------------------	-----

पानी का निष्कास

—के काम करने के लिये अधिकार,	१८२
—के लिये अधिकार करने का अधिकार,	१८२
—इसका काम करने के लिये अधिकार का अधिकार,	३०८
—इसका काम करने के लिये अधिकार का अधिकार,	२०
—के लिये अधिकार करने के लिये अधिकार का अधिकार,	२१

पानीकी सफाई

—के लिये अधिकार करने के लिये अधिकार,	१२३
—के लिये अधिकार करने के लिये अधिकार,	२८८
—के लिये अधिकार करने के लिये अधिकार,	२२, ६३
—के लिये अधिकार करने के लिये अधिकार,	२४५
—के लिये अधिकार करने के लिये अधिकार,	२४६
—के लिये अधिकार करने के लिये अधिकार,	२४२
—के लिये अधिकार करने के लिये अधिकार,	२६८

विषय	पेज
बध स्थान	
(उन पशुओं के जो बित्री के लिये न हों)	
—का नियत करना और अय स्थानों में बधकी मनाही,	३१७
—जो पशु धार्मिक प्रयोजन से बध किये जाय उनके लिये बध स्थान नियत नहीं हो सकते,	३१७
बंगाल और नार्थ वेस्टर्न रेलवे	
—पर म्यूनिसिपलटियों के कर,	२१४
वनस्पति	
—साफ़ कराने का हुक्म देना,	३५१
चरसाती पानी, देखिये "पानी, बरसाती"	
चेकैट	
—लाछेटेनों, डेलीग्राफ, विजली आदि के चेकैट मकानों पर लगवाना,	२८८
बहुमत	
—से मीटिंग के काम का फैसला,	१४०
वाई लॉ	
—की व्याख्या,	३
—बनाने का बोर्ड का अधिकार,	३६२
—प्रांतीय सरकार द्वारा आज्ञा दी जाने पर वाई लॉ बनाने का कर्तव्य,	३६२
—बनाने का उद्देश,	३६२-३६३
—कुछ विषय जिनके लिये बोर्ड वाई लॉ बना सकता है,	३६२
—सूची उन विषयों की जिनके लिये नमूने के वाई लॉ बना दिये गये हैं,	३६२-३६३
—जिन म्यूनिसिपलटियों में एक्जिक्युटिव अफसर हो उनके लिये वाई-लॉ बनाने के सम्बन्ध में हिदायतें,	३६३
—की एक प्रति सरकार को भेजी जाय,	३५१
—कुछ विशेष वाई-लॉ की प्रति या सिविल सर्जन को भेजी जाय,	३५१
—के द्वारा जो अधिकार बोर्ड को दिये जाय वह चैयरमैन चरतेगा,	३६४
—विषय जिनके लिये सब म्यूनिसिपलटियां वाई-लॉ बना सकती हैं,	३६५-३७१
—विषय जिनके लिये पहाड़ी म्यूनिसिपलटियां वाई लॉ बना सकती हैं,	३८०-३८१
—बोर्ड द्वारा बनाये हुए वाई-लॉ का पहले से प्रकाशित किया जाना और समर्थन,	३८३
—में परिवर्तन करने का प्रांतीय सरकार का अधिकार,	३८१
—में बोर्ड द्वारा परिवर्तन करने के लिये मजूरी,	३८३
—का रद्द किया जाना,	३८३-३८४
—की किताब और उसका सर्वसाधारण द्वारा देला जाना,	४०७
वाईकी	
—कम से कम जो साल समाप्त पर बचना चाहिए,	१७१
—ऐसी माठी नियत करने का अधिकार कमिश्नर की सौंपा गया है,	१७१
बाग	
—लगाना, बोर्ड, का अधिकार,	१९

विषय	पेज
बाजार	
—मास, मञ्जली, फल, तरकारी के और उनकी स्थापना,	३१८
—के लिये लैसस,	३१८-३१९
बाड़ा	
—सड़क आदि पर बाधा हुआ तो बाड़ा को ले जाना,	३२९
—में पशुओं की खिलाने पिलाने आदि की फीस,	२५१
बाध	
—बनाना बोर्ड का अधिकार,	१९
बाम्बे घरीदा व सेन्ट्रल इण्डिया रेलवे	
—पर म्युनिसिपलिटियों के कर,	२१४
बाला खाने	
—सड़कों पर आगे बढ़े हुये बालाखाने बनाने की इजाजत,	२७९
बाहर	
—म्युनिसिपलटी की हद्दों के बाहर म्युनिसिपलटी द्वारा काम किये जाना,	१९, २०, २०१, २०२
—म्युनिसिपलटी के बाहर बंध स्थान नियत करना,	३१६
—जनता को बलेश पहुचाने वाले काम का म्युनिसिपलटी के बाहर एक मील तक रोक दिया जाना,	३२४
—म्युनिसिपलटी क बाहर गड्ढे तालाब आदि को भरवाने का हक्क,	३५१
बाहरी शहस	
—कमेटिया में नियुक्त किये जा सकते हैं,	१८२
—की सख्या, कमेटी में,	१८२
बायलर	
—को कारखाने से पानी दिया जाना,	३०८
बिजली	
—का कारखाना बनाना, बोर्ड का अधिकार,	२०
—का कार्यालय बनाने के लिये दरखास्त और कार्रवाई,	२१
—के कारखाने के कर्मचारी और उनकी नियुक्ति,	१२३
—के लिये मकानों आदि पर खम्बे, ब्रेकेट आदि लगवाना,	२८८
बिना बटा हिन्दू कुटुम्ब	
—के कर्ता का अधिकार निर्वाचक हेनि का,	४६, ६२, ६३
बिल	
—म्युनिसिपलटी के मतालये का पेश किया जाना,	२४५
—में क्या लिखा जाना चाहिये,	२४६
—की तामील, देखिये "तामील"	
—में गलती,	२४३
बीमा	
—आग का, और उसके अभिप्रायों के लिये आग से हानि,	२६८

विषय	पेज
बैचा जाना	
—कुर्क किये हुये मात्र का,	२४९
—देखिये "अलग करना" भी	
बैलट देखिये "परचा"	
बैलट बक्स—देखिये "परचे का बक्स"	
बोर्ड	
—का नाम,	१३
—का सगठित सरथा होना,	१३
—पर दावा देखिये "दावा"	
—के कर्तव्य,	१५-१९
—काम जो बोर्ड कर सकता है,	१०-२२
—का सगठन और उसमें परिवर्तन,	२२-२४
—में विशेष प्रतिनिधि,	२५
—भग किया जाना,	८४
—के स्थान पर दूसरा बोर्ड नियत किया जाना,	८४
—अगल किये जाने के परिणाम,	८५
—अलग किये जाने पर फिर से सगठन,	८५
—भग कर दिये जाने के परिणाम,	८६
—द्वारा कर्तव्य पालन न किये जाने पर कार्रवाई,	८९
—द्वारा चेयरमैन न चुने जाने पर कार्रवाई,	९८
—के नाम जो चेयरमैन करेगा,	१००
—के काम जो एन्जिक्वयुटिव अफसर करेगा,	१०७
—को हिदायत एन्जिक्वयुटिव अफसर को काम सौंपने की,	१०८
—के लिये हिदायतें काम सौंपने के विषय में,	१८७-१९२
—बाई-लों के द्वारा जो अधिकार बोर्ड को दिये जाय वह चेयरमैन करतेगा,	३६४
—नये बोर्ड के स्थापित होने तक जिला मजिस्ट्रेट उसके काम करेगा,	४१०
—के अधिकार और कर्तव्यों का शिड्यूल,	४१५-४२०
बोर्ड का अफसर	
—की व्याख्या,	
—का सार्वजनिक कर्मचारी होना,	५
बोर्ड का नौकर	१३२
—की व्याख्या,	
—का सार्वजनिक कर्मचारी होना,	८
बोर्ड आच पब्लिक हेल्थ	१३२
—आगेयता सम्बन्ध या सब मामले पहले बोर्ड आच पब्लिक हेल्थ को भेजे जाय,	१४४

विषय

पेज

भ

भत्ता

—सफर का, १२५

भग

—बोर्ड का भग किया जाना, ८४-८६

भगी—भगियो

—का कर्तव्य पेशावश और मौतों की सूचना देने का, १७-१८

—द्वारा कर्तव्य पालन न किये जाने के लिये दण्ड, १३४

भगी मौरूसी

—मकानों से मैला उठवाने का काम बोर्ड द्वारा किये जाने पर भगी मौरूसी के हक की वचत, २७५

—के दण्ड, काम में उपेक्षा के लिये, २७५

—के अधिकार की जबती की अपील, ४०१

भारी परिवर्तन

—हमारत में भारी परिवर्तन की व्याख्या, २५३

—के सम्बन्ध में नज़ारों, २५६-२५७

भीख

—हठ पूर्वक भीख मागने के लिये दण्ड, ३२७

—लेने के लिये व्यगता या फोडा आदि खोलने के लिये दण्ड, ३२७

म

मकान

—पर कर, २१०-२१२

मछली—देखिये "मास"

मतालचे

—जो प्रकरण छ में बतार्द हुई विधि से वसूल किये जा सकते हैं, २४५

—देखिये वीर मकूला "नालिश, कुर्की" भी,

मनकूला जायदाद

—बोर्ड की मकूला जायदाद अलग की जाना, २०६

—देखिये "नालिश, कुर्की" भी

मन्दिशी—देखिये "टीर, पशु"

म्यूनिस्सिपल कमिन्स

—का अर्थ, ९६

—का सार्वजनिक कर्मचारी होना, ९६

म्यूनिस्सिपल स्कूल

—देखिये "स्कूल"

विषय	पेज
देखा जाना	
—कुर्क किये हुये माल का,	२४९
—देखिये "अलग करना" भी	
बैलट देखिये "परचा"	
बैलट वक्स—देखिये "परचे का वक्स"	
बोर्ड	
—का नाम,	१३
—का सगठित सरथा होना,	१३
—पर दावा देखिये "दावा"	
—के कर्तव्य,	१५-१९
—काम जो बोर्ड कर सकता है,	१०-२२
—का सगठन और उसमें परिवर्तन,	२२-२४
—में विशेष प्रतिनिधि,	२५
—भग किया जाना,	८४
—के स्थान पर दूसरा बोर्ड नियत किया जाना,	८४
—अगल किये जाने के परिणाम,	८५
—अलग किये जाने पर फिर से सगठन,	८५
—भग कर दिये जाने के परिणाम,	८६
—द्वारा कर्तव्य पालन न किये जाने पर कार्रवाई,	८९
—द्वारा चेयरमैन न चुने जाने पर कार्रवाई,	९८
—के नाम जो चेयरमैन करेगा,	१००
—के काम जो एक्जिक्युटिव अफसर करेगा,	१०७
—को हिदायत एक्जिक्युटिव अफसर को काम सौंपने की,	१०८
—के लिये हिदायतें काम सौंपने के विषय में,	१०७-११२
—बाई-लॉ के द्वारा जो अधिकार बोर्ड को दिये जाय वह चेयरमैन बरतेगा,	३६४
—नये बोर्ड के स्थापित होने तक क्लिफ मजिस्ट्रेट उसके काम करेगा,	४१०
—के अधिकार और कर्तव्यों का शिड्यूल,	४१५-४२०
बोर्ड का अफसर	
—की व्याख्या,	
—का सार्वजनिक कर्मचारी होना,	५
बोर्ड का नौकर	१३२
—की व्याख्या,	
—का सार्वजनिक कर्मचारी होना,	८
बोर्ड भाग पब्लिक हेल्थ	१३२
—आयोगता सम्बन्ध सच मागते पहले बोर्ड आव पब्लिक हेल्थ को भेजे जाय,	१४४

विषय

पेज

मासिक हिसाब

—देखिये "हिसाब किताब"

मिनिट—देखिये "याद दास्त"

मिलिक्रयत

—जायदाद की मिलक्रियत के विषय में वेर्डि से झगडा होने की दशा में दीवानी में दावा, २९३-२९४

मिलाये हुये कर

मीटिङ्ग

—वेर्डि की १३६

—का मुल्तवी किया जाना, १३६-१३७, १३८

—का स्थान, १३६

—की सूचना देने के लिये रेग्यूलेशन १३७

—का कोरम, १३७-१३८

—मुल्तवी की हुई मीटिङ्ग, १३७-१३८

—का चेयरमैन, १३८

—सभापति उस मीटिङ्ग का जिसमें नया चेयरमैन चुना जाय, ९७

—में सर्व साधारण को जाने का अधिकार, १३९

—को नियम बन्द रखना, १३९

—में बहुमत से फेसला, १३९

—में कुछ अफसरों को भाग लेने का अधिकार, १४०

—की कार्रवाई का समर्पण, १४०

—कमेटी की मीटिङ्ग, १८३

मीटर—देखिये "पानी देना"

मुआईना

—कमिश्नर व जिला मजिस्ट्रेट का अधिनार मुआईना करने का ८६

—म्यूनिसिपल सरुधाओं का मुआईना सरकारी अफसरों द्वारा, ८७

—निर्वाचन के परचों आदि का, ७७

—कर के सम्बन्ध में पता लगाने की इमारत का, २३९

—सरकारी इमारतों के बनाये पर, २५७

—उन इमारतों का जिन के बनाने के लिये इजाजत लेना होती है, २६३-२६२

—बाजार, दुकानों, आदि का, ७२१

—बध स्थानों का, ७२१

—उन स्थानों का जहाँ औपधिया बेची जाती हैं, ७२१

—इमारतों और आवासियों का काम देखने के, ३५३

—किसी इमारत आदि का जिसमें कानून के विरुद्ध कोई काम बनाया गया हो, ३५४

—याद दास्त की किताब का, और कूते हुये कर की सूची का, ४०७

—मेम्बरों द्वारा म्यूनिसिपल्टी के कामकों आदि का, ४०९

—नियमों, बाँडे लों और रेग्यूलेशनों की किताबों का, ४०७

	पेज
विषय	
म्यूनिस्त्रिपलटी—म्यूनिस्त्रिपलटियां	
—की व्याख्या,	४
—की स्थापना,	११
—की हद्द,	१२
—जो शहर हैं,	३-४
—में नया रकवा मिलना,	१६
—की हलकों में विभक्ति,	२५
—की विभक्ति हेतु अफसर रखने के लिये,	११३-११४
—की विभक्ति सेनिटरी इन्स्पेक्टर रखने के लिये,	१२०-१२१
म्यूनिस्त्रिपलटी पदाब्दी	
—में मकान खाली रहने के कारण कर की माफी नहीं होती,	२३१
—में मार्ग का नियम लागू नहीं है,	२२८
—विषय जिनके लिये म्यूनिस्त्रिपलटी पदाब्दी बाँधें लों बना सकती है,	३८०-३८१
मरघट—देखिये “कनरिस्तान”	
मरदुम शुमारी	
—कराना, बोर्ड का अधिकार,	२०
माफी	
—कर की माफी	२०२-२२३
—इमारतों अराकियों के खाली रहने के कारण कर की,	२३१
—घरीबी के कारण कर की माफी,	२३७
—कर से माफी देने का अधिकार,	२३७
—कर से फौजी नौकरों की माफी,	२३७-२३९
—कर से देशी नरेशों की माफी,	२३८
मांस	
—जो बाँधें-लों के विरुद्ध म्यूनिस्त्रिपलटी के भीतर लाया जाय,	३१८
—की दूकानों व बाजारों की स्थापना,	३१८
—की दूकानों आदि के लेसन्स, देखिये “बध, बध स्थान” भी,	३१८-३१९
माग का नोटिस	२४६
मांगा हुआ भफसर	
—के सम्बन्ध में नियम,	१२४
—की पेशन, एलाऊस आदि,	१२३-१२४
मार्ग	
—के नियम की उपेक्षा,	
—देखिये “जिला मजिस्ट्रेट, धार्मिक प्रयोजन”	३२८
मालिक	
—की व्याख्या, देखिये “बापिका” भी,	५-६

विषय

पेज

मासिक हिसाब

—देखिये "हिताब किताब"

मिनिट—देखिये 'पाद दास्त'

मिल्कियत

—जागदाद की मिल्कियत के विषय में वेडि से झगडा होने की दशा में दीवानी में दावा, २९३-२९७

मिलाये हुये कर

४२१-२२२

मीटिङ्ग

—वेडि की

१३६

—का मुल्तवी किया जाना,

१३६-१३७, १३८

—का स्थान,

१३६

—की सूचना देने के लिये रेग्यूलेशन

१३७

—का कोम,

१३७-१३८

—मुल्तवी की हुई मीटिङ्ग,

१३७-१३८

—का चेयरमैन,

१३८

—सभापति उस मीटिङ्ग का जिसमें नया चेयरमैन चुना जाय,

१७

—में सर्वे साधारण की जाने का अधिकार,

१३९

—को निगम बन्द रखना,

१३९

—में बहुमत से फैसला,

१४०

—में कुछ अफसरों की भाग लेने का अधिकार,

१४०

—की वारंवारि का समर्थन,

१४०

—कमटी की मीटिङ्ग,

१८३

मीटर—देखिये "पानी देना"

मुआईना

—कमिश्नर व किला मजिस्ट्रेट का अधिहार मुआईना करने का

८६

—म्यूसिपल सरप्राजों का मुआईना सरकारी अफसरों द्वारा,

८७

—निर्वाचन के परचों आदि का,

७७

—कर के सम्बन्ध में पता लगाने की इमारत का,

२३९

—सरकारी इमारतों के बनाने पर,

२५७

—उन इमारतों का जिन के बनाने के लिये इजाजत लेना होती है,

- २६७-२६२

—बाजार, दुकानों, आदि का,

३२१

—बध स्थानों का,

३२१

—उन स्थानों का जहां औपधिया बेची जाती हैं,

३२१

—इमारतों और आराजियों का काम देवने की,

३५३

—किसी इमारत आदि का जिसमें कानून के विरुद्ध कोई काम बनाया गया हो,

- ३५४

—याद दास्त की किताब का, और कूले हुये कर की सूची का,

४०७

—मेम्बरों द्वारा म्यूसिपल्टी के क्रागजों आदि का,

- ४०९

—नियमों, बाई लॉ और रेग्यूलेशनों की किताबों का,

४०७

विषय	पेज
मेरी, सार्वजनिक	
—को बिना आज्ञा के काम में लाने का दंड,	२००
—से रुमावट हटवाने का बोर्ड का अधिकार,	२८७
—में मैला कूड़ा आदि डालने के लिये दंड,	३४५
—पर से हमारत, पेज आदि हटाना,	३१५
मोरी, निजी,	
—का मेळ सार्वजनिक मोरी से कराने का बोर्ड का अधिकार,	२७७
—दूसरे की आराजी पर बनाने के लिये, या दूसरे की मोरी से मेळ करने के लिये दरखास्त,	२७१
—ऐसी दरखास्त पर कार्रवाई,	२७१-२७२
—जो दूसरे की आराजी पर बनी हो, का रास्ता बदलना,	२७२-२७२
—को हटाने, बद करने आदि के अधिकार,	३३७
—की जाच करने का बोर्ड का अधिकार,	३४१
—का पानी सार्वजनिक स्थान में बहाने के लिये दंड,	३४६

य

याद दाख्त	
—के जायज माने जाने के विषय में अनुमान,	१२३
याद दाख्त, की किताब	
—में मोर्टिग की कर्रवाई लिखा जाना,	१४०
—में लिखी कर्रवाई का पढा जाना और समर्थन,	१४०
—कर देने वाले और निर्वाचकों का अधिकार याददाख्त की विधान जाचने का,	४०५
योग्यता	
—भ्युनिसिपलटी के निर्वाचकों की	३५
—स्थवस्थापिक काउंसिल के निर्वाचकों की,	३५
—उम्मेदवारों की योग्यता,	४६
—अलग किये हुये मेम्बर की, फिर से निर्वाचन या नामजदगी की,	९५
—बुद्ध पदों पर केवल विशेष योग्यता के कर्मचारी नौकर रखे जाय	११६
—कुछ कर्मचारियों के लिये विशेष योग्यतायें,	११९, १२१-१२२, १२३

र

रजिस्टर	
—और कागज आदि के रखने और नष्ट करने के नियम,	१५८-१६१
—ग्रहाफिस दफतर के रजिस्टर,	१५९-१६०
—भ्युनिसिपलटी की जायदाद के,	१९८
रजिस्ट्री	
—दस्तावेजों का वीन करा सकता है,	१६३
रद्द	
—कानून जो हम ऐक्ट के द्वारा रद्द किये गये,	४१०, ४३९

विषय

पेज

राजीनामा

- करने का अधिकार, ३९७
- अपराध जिनका राजीनामा किया जा सकता है और जिनका नहीं किया जा सकता, ३९७
- कर लेने का प्रभाव, ३९८
- रकम जो राजीनामा के द्वारा वसूल हो कोष में जमा की जाय, ३९८

रास्ता—की व्याख्या, ८

रास्ता सार्वजनिक—की व्याख्या, ७

रिटर्निंग अफसर (Returning officer)

—देखिये "निर्वाचन व्यवस्थापक"

रिपोर्ट चार्जिक—देखिये "वार्चर रिपोर्ट"

रिवाइजिंग भयारिटी—देखिये "पुनरावलोकन कमेटी"

रिचीजन देखिये "निगराना"

रीछ

—और हाथी व ऊट के घोड़ा पास पहुचने पर न हटाने के लिये दण्ड, ३२९

रुकावट

- इसाले बनाने समय सबक पर रुकावट करना, २८५
- सबक पर रुकावट करने वाले वृक्ष व झाड़ियों को कटवाना, २८६
- सबक पर से रुकावट स्वयं बोर्ड द्वारा दूर कराई जाना, २८७
- सबक पर नानाप्रकार की रुकावट, और उनसे लिये दण्ड, ३३५-३३६
- हटाने का खर्च बोर्ड द्वारा वसूल किया जाना, २६६

रहेलखण्ड कमायू रेलवे

—पर म्युनिसिपलटियों के कर, २१४

रेक्रिमिनेट्री (Recriminatory)

—देखिये "प्रातिघातक"

रेगुलेशन

- की व्याख्या, ८
- आर वार्ड लॉ में भेद, ८
- बनाने के विषय में बोर्ड को हिदायतें, १८७
- बनाने का चाई का अधिकार, ३५९-३६०
- सूची उन विषयों की जिनके लिये बोर्ड रेगुलेशन बना सकता है, ३६०
- प्रान्तीय सरकार का अधिकार रेगुलेशन बनाने का, और उनका प्रभाव, ३६१
- साधारण और विशेष, ३८२
- बोर्ड द्वारा बनाये हुये रेगुलेशन जिनके लिये प्रान्तीय सरकार का समर्थन चाहिये होता है, ३८३
- बोर्ड द्वारा बनाये हुये रेगुलेशन में परिवर्तन करने का प्रांतीय सरकार का कमिश्नर का अधिकार, ३८३
- को रद्द करने या परिवर्तन करने के लिये मजदूरी, ३८३
- रद्द करने का प्रांतीय सरकार या कमिश्नर का अधिकार, ३८३-३८४
- की किताब दफ्तर में रखा जाय और उसका पुर्नार्चना, ४०७
- देखिये "नगूने व रेगुलेशन"

विषय	पेज
रेजोल्यूशन	
—बोर्ड के रेजोल्यूशन का प्रकाशित किया जाना,	१४०
—की नक़ल मजिस्ट्रेट व कमिश्नर को भेजी जाय,	१४१
—के शब्दों में परिवर्तन,	१४१
—का छ मास तक प्रचलित रहना और छ मास के भीतर उसमें परिवर्तन,	१४१-१४२
—कमेटियों के रेजोल्यूशन प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं,	१८३
—बोर्ड के अधिकार जो रेजोल्यूशन के द्वारा बरते जायगे,	१८५
—का मेम्बरों की किसी विशेष सख्या के द्वारा पास किया जाना,	१२९
रेफरेन्स	
—देखिये "हार्डवेर" को मामला फ़ैसले के लिये भेजा जाना,	
रेलवे	
—पर कर लगाने के लिये मजूरी,	२१३
—से उचित कर लिये जाने की सरकार से आज्ञा,	२१३
—पर कर के लिये दरस्वारत,	२१३
—कम्पनिया जिनको ग्युनिसिपल कर देना होते हैं,	२१३-२१४
—की इमारतें जिनपर कर नहीं लिया जा सकता,	२१४-२१५
—की इमारतों पर सरकारी इमारतों का ऐक्ट, न० ४ सन १८९९ लागू नहीं है,	२५७
रेलवे ऐक्ट	
—पर इस ऐक्ट का कोई प्रभाव नहीं है,	४११
रोग	
—देखिये "फैलने वाले रोग"	
रोग चिकित्सा	
—का प्रबंध अपनी ओर से करना, बोर्ड का अधिकार,	११
रोग चिकित्सक	
—का कर्तव्य कुछ रोगों की सूचना देने का, और सूचना न देने पर दण्ड,	३४७
रोशनी	
—कराना, बोर्ड का कर्तव्य,	१५
—बिना रोशनी लगाये गाड़ी आदि चलाना और दण्ड,	३२८
—कुछ गाड़ियों को रोशनी बरने से माफ़ी,	३२८
—ग्युनिसिपलटी की रोशनी बुझाने के लिये दण्ड,	३३१
ल	
लकड़ी	
—और अन्य ज्वलन शील वस्तुओं का ढेर लगाने की मनाही,	३२२
लगान —देखिये "किराया"	
लालदवा	
—से पानी रक़्त बरने के लिये हिदायतें,	२९८
लालटेन	
—के ब्रेकेट आदि मशानों पर लगवाना,	२८६
—की रोशनी बुझाने के लिये दण्ड,	३३१

विषय	पेज
लिखापट्टी	
—सुअहिरों या टैकों की,	१६२
लैसन्स	
—पशु बंध करने का,	३१६
—गास मछली फल आदि की दूकानों व बाजारों का,	३१८-३१९
—के लिये फीस,	३५६
—पेट्रोलियम के लिये,	३७०-३७३
—दफा २९८ की मद (G) के अनुसार लैसन्स देने से मनाही कर दिये जाने पर उपाय,	३७३-३७५
लैसन्सदार	
—पानी देने के कामों के लिये,	३०३

व

व्यभिचार	
—के लिये मारा फिरना और अनुरोध करना और दण्ड,	३२५
—अपराध के लिये इस्तफाता,	३२५
व्यापार	
—पर विशेष कर लगाने के विरुद्ध हिदायत,	२११
—पर कर लगाने के लिये मजूरी,	२१२
—पर कर लगाने के उमूल,	२१२
—कष्टदायक व्यापार का रोकना,	३२३
व्यय	
—प्राथमिक शिक्षा पर व्यय,	१७
—विषय जिनके व्यय का भार म्युनिसिपल बोर्ड पर डाला गया है,	२०-२१
—क्रम जिसके अनुसार बोर्ड अपनी जिम्मेदारियों में व्यय करेगा,	२०१
व्यवसाय	
—हानिकारक व्यवसाय को दूर करना, बोर्ड का कर्तव्य,	१५
—पर कर,	२०९
—पर कर लगाने की मजूरी,	२१३
—पर कर लगाने के उमूल,	२१२
—कष्टदायक व्यवसाय का रोकना,	३२३
व्यवहार	
—हानिकारक दूर करना, बोर्ड का कर्तव्य,	१५
व्यवस्थापिक काऊंसिल	
—समुक्त प्रांतकी व्यवस्थापिक काऊंसिल के निर्वाचनों की योग्यतायें,	३५
घाईंस चैयरमैन	
—का निर्वाचन,	१०५
—के पद की अवधि,	१०५
—का इस्तफा,	१०५
—के कर्तव्य,	१०५
—द्वारा बोर्ड की मीटिंग की जाना,	१३६
—को चैयरमैन के अधिकार सौंपे जाना,	१०३

विषय	पेज
बाधा डालना	
—म्युनिसिपल्टियों के कर्मचारियों के काम में, ओर दृष्टि	१५१
वारंट	
—म्युनिसिपल्टी के मतालवे के लिये वारंट,	२४६
—के द्वारा मकान जायदाद नीलाम हो सकती है,	२४६
—या कानून के विरुद्ध जारी किया जाना,	२४७
—ही तापील,	२४७-२४८
—ऐसी जायदाद के लिये जो म्युनिसिपल्टी के बाहर हो,	२५०
—या फारम,	२५१
—म्युनिसिपल्टी की जायदाद को हानि पहुँचाने या हर्जा बसूल करने की वारंट	२९८
—ऐसे वारंट का फारम,	४३०
वार्षिक मूल्य	
—इमारतों आराखियों के वार्षिक मूल्य की व्याख्या,	२२३
—बोर्ड का अधिकार घटा देने का,	२२३
—बताने का निवासी की जिम्मेदारी,	२३९
वार्षिक रिपोर्ट	
—म्युनिसिपल्टी के शासन व आमदनी खर्च की,	१४३, १४५, १४८
—आरोम्यता सम्बन्धी वार्षिक रिपोर्ट	१४५, १४८, १५६
—का वृत्तांत भाग,	१४५
—कैफियतों जो वार्षिक रिपोर्ट के संग भेजी जायगी,	१४६, १४९
—हिदायतें वार्षिक रिपोर्ट के लिये,	१४५, १५७, १५८
—परिशिष्ट जो वार्षिक रिपोर्ट के संग भेजे जायेंगे,	१५३, १६५
—जिला मजिस्ट्रेट और कमिश्नर द्वारा वार्षिक रिपोर्ट की जल्द,	१४४
—तारीख जिस तक वार्षिक रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट या कमिश्नर को भेजी जाय,	१४७
—जिस दशा में कमिश्नर को, और किसमें जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जाय,	१४५
वार्षिक बजट	
—म्युनिसिपल कर्मचारियों की,	१२५, १२७
विपत्ति-स्थानीय	
—में सहायता देना, बोर्ड का अधिकार,	२९
विशेष रेजोल्यूशन	
—और उसने लिये करेम,	—
—बाले कामकी पहले से सूचना देना चाहिए,	१३७
विस्तार	१३७
म्युनिसिपलटीज ऐक्ट का,	—
विक्षिप्त	—
—अदालत द्वारा विनिस ०६५५	शक्स
विज्ञापन-की व्याख्या,	नहीं हो सकती,

विषय	पेज
वोट	
—लेने के लिये जावता और नियम,	७२-७७
—एवजी के द्वारा नहीं दिया जा सकता,	७३
—का गिना जाना,	७५-७७
—किसी कर्मचारी को वोट न हाठ नहीं बनाना चाहिए,	७७
—देने का निर्वाचन व्यवस्थापक का अधिकार,	७७
—नाजायज वोट,	७४
—द्वारा बोर्ड की मीटिंग में काम का फैसला,	१३९
वोट देना	
—के लिये जावता,	७३-७४
—की विधि,	७४
—जब दूसरा शब्द किसी निर्वाचक के नाम से वोट दे चुका हो,	७५

श

शख्स-का अर्थ,	४४
शहर	
—की व्याख्या,	३
—नाम ग्युनिसिपल्टियों के जो शहर मानी गई हैं,	४
—की स्थापना	११
शहादत	
—प्रतिपातक कार्रवाई में,	५०
—चुनाव सम्बन्धी अर्थों में शहादत का लिखा जाना,	५२
—में ग्युनिसिपल्टी के वायना की नकलें स्वीकार की जाना,	४०८
शिष्टयूल	
—न० १,	४१५-४२०
—न० २,	४२१-४२७
—न० ३,	४२८
—न० ४,	४२९
—न० ५,	४३०
—न० ६,	४३१
—न० ७,	४३२-४३५
—न० ८,	४३६-४३८
—न० ९,	४३९
शिक्षा	
—प्राथमिक शिक्षा का स्थूल,	१६, १७, १८, १९
—प्राथमिक शिक्षा के स्थूलों की सगवारी सहायता,	१८-१९
—पर रजर्च व रूठों की स्थिति दिखाने की क्रियत, वार्षिक रिपोर्ट के लग भेजी जाय,	१५२
—विभाग के कर्मचारी और उनकी नियुक्ति आदि,	११५

विषय	पंज
वाधा डालना	
—म्युनिसिपल्टियों के कर्मचारियों के काम में, और दंड,	१५६
चारण्ट	
—म्युनिसिपल्टी के मतालवे के लिये वारंट,	२४६
—के द्वारा मकूल जायदाद नीलाम हो सकती है,	२४६
—ना कानून के विरुद्ध जारी किया जाना,	२४७
—की तामील,	२४७-२४८
—ऐसी जायदाद के लिये जो म्युनिसिपल्टी के बाहर हो,	२५०
—ना फारम,	२५१
—म्युनिसिपल्टी की जायदाद से हानि पहुँचाने का हर्जा उमूल करने को वारंट	२९८
—ऐसे वारंट का फारम,	४३१
वार्षिक मूल्य	
—हमारतों आराजियों के वार्षिक मूल्य की व्याख्या,	२२३
—बोर्ड का अधिकार घटा देने का,	२२३
—बताने का निवासी की जिम्मेदारी,	२२३
वार्षिक रिपोर्टें	
—म्युनिसिपल्टी के शासन व आमदनी रखे की,	१४३, १४५, १४८
—आरोग्यता सम्बन्धी वार्षिक रिपोर्टें	१४५, १४८, १५१
—का घुतात भाग,	१४५
—कैफियतें जो वार्षिक रिपोर्ट के संग भेजी जायगी,	१४६, १४९
—हिदायतें वार्षिक रिपोर्ट के लिये,	१४५, १५७, १५८
—परिशिष्ट जो वार्षिक रिपोर्ट के संग भेजे जायगे,	१५३, १६५
—जिला मजिस्ट्रेट और कमिश्नर द्वारा वार्षिक रिपोर्ट की जर्च,	१४७
—तारीख जिस तरु वार्षिक रिपोर्टें जिला मजिस्ट्रेट या कमिश्नर को भेजी जाय,	१४७
—जिस दशा में कमिश्नर को, और किसमें जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जाय,	१४५
वार्षिक बजीफे	
—म्युनिसिपल कर्मचारियों की,	१२५, १२७
विपत्ति-स्थानीय	
—में सहायता देना, बोर्ड का अधिकार,	२०
विशेष रेजोल्यूशन	
—और अगरे लिये मारम,	१३७
—वाले कामकी पहले से सूचना देना चाहिए,	१३७
विस्तार	
म्युनिसिपलटीज ऐक्ट का,	२
विक्षिप्त	
—अदागत द्वारा विजिस ठहराया हुआ शख्स बोर्ड ना मेम्बर नहीं हो सकता,	३२
विज्ञापन-की व्याख्या,	५

विषय

पेज

हाथी

—घोडा पास आने पर न हटाना, ३२९

हानिकारक

—मनस्पति, पेशे, व्यवसाय, व्यवहार दूर करना, १५

—स्थानों का सुधार करना, २०

—वस्तुओं को क्रमों में लेना, बेचने की मनाही करना, ३२१

हाल

—बनवाना, बोर्ड का अधिकार, १९

हिसाब किताब

—ओर उसकी जाच, १४३

—मासिक आमदनी व खर्च का हिसाब किताब १४४, १४५

—पर हस्ताक्षर, १४५

—मासिक हिसाब किताब के लिये फारम, १४५

हेल्थ अफसर

—का कर्तव्य पैदापश व मौतों के सम्बन्ध में, १७

—का प्रांतीय विभाग और उस की स्थापना के कारण व शर्तें, ११२, ११३

—रखने के लिये म्युनिसिपलिटियों की श्रेणियां, ११३, ११४

—रखने के लिये दरन्जास्त, ११३

—के कर्तव्य, ११३, ११४

हीजा

—के फैलने के समय के लिये आवश्यक हिदायतें, २९६, २९९

—की सूचना देने का कर्तव्य और सूचना न देने के लिये दण्ड, ३४७

—देखिये "फैलने वाले रोग, अस्पताल" भी

हैस्त्रियत और जायदाद

—पर कर, २०९, २१२

—पर कर लगाये जाने के उसूल, २१२, २१३

हौज

—की सुरक्षित कराने या घेर देने का हुक्म, ३३४

—जो सारथ्य के लिये हानिकारक जान पड़े, ३४०

१, ५६, २११

छप कर तैय्यार हैं--

नाम किताब	मूल्य	डाक सूचं
हिन्दू-लॉ	१२)	१=)
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट सन १९२४ ई० संशोधन सहित	२)	३=)
” ” ” ”	उर्दू २)	३=)
पंचायत ऐक्ट पूर्ण व्याख्या सहित	॥)	१=)
म्यूनिसिपलटीज़ ऐक्ट	८)	३=)
हिन्दी-लॉ-जरनल सन १९२२-२३ ई०	११॥)	कुछ नहीं
सन १९२३-२४ ई०	१०)	”

छप रहे हैं:—

म्यूनिसिपलटीज़ ऐक्ट उर्दू
 म्यूनिसिपलटीज़ ऐक्ट मूल
 इनकम टैक्स पूर्ण व्याख्या और कुल नज़ीरों सहित
 ज़ाबता फौजदारी पूर्ण व्याख्या और कुल नज़ीरों सहित

लिखे जा रहे हैं:—

बड़े बड़े क़ानूनी ग्रन्थ पूरी व्याख्या और कुल नज़ीरों सहित लिखे जा रहे हैं ।

पता—क़ानून प्रेस, रानीमंडी क़ानपुर ।



संयुक्त प्रान्तीय

म्यूनििसिपलटीज एक्ट नं० २

सन् १९१६ ई० ×

एक्ट न० १, सन् १९१८ ई० सं० प्रा० का म्यूनििसिपलटीज (एम्बेडमेंट) एक्ट
एक्ट न० २, सन् १९१९ ई० सं० प्रा० का म्यूनििसिपलटीज (एम्बेडमेंट) एक्ट
एक्ट न० ६, सन् १९१९ ई० सं० प्रा० का म्यूनििसिपलटीज (एम्बेडमेंट) एक्ट
एक्ट न० ३८, सन् १९२० ई० डेजोटयूशन एक्ट
एक्ट न० ९, सन् १९२२ ई० सं० प्रा० का म्यूनििसिपलटीज (एम्बेडमेंट) एक्ट

के संशोधनों सहित

[संयुक्त प्रान्त की म्यूनििसिपलटियों से सम्बन्ध रखने वाले
कानून का संग्रह और संशोधन करने के लिये एक्ट]

यह उचित जान पड़ता है कि म्यूनििसिपलटियोंसे सम्बन्ध रखने वाले कानून
का समग्र और संशोधन किया जाय, अतएव नीचे इस लेख के अनुसार कानून
बनाया जाता है ।

× नोट—संयुक्त प्रांत का प्राथमिक एजुकेशन एक्ट (Primary Education Act) १० ०
सन् १९१९ ई० अर्थात् प्राथमिक शिक्षा कानून, इस एक्ट का भाग और परिशिष्ट समझा जायगा ।

प्रकरण १

प्रारम्भिक विवरण

दफा १ संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरम्भ

१ यह एक्ट संयुक्त प्रान्तीय म्यूनिसिपलटीज एक्ट सन् १९१६ ई०" कहलायेगा।

२ इसका विस्तार उन स्थानोंमें होगा जो संयुक्त प्रान्त के लेफ्टिनेन्ट गवर्नर के शासन में हों।

३ पहली जुलाई सन १९१६ ई० से यह कानून लागू होगा।

दफा २ परिभाषा

इस एक्टमें सिवाय किसी ऐसे स्थानके जहाँ विषय अथवा प्रसंग की दृष्टि से यह अर्थ अयुक्त या अनुचित हो—(नीचे लिखे शब्दों का वही अर्थ माना जायगा जो उस शब्द का किया गया है)

१ बोर्ड (Board) का अर्थ है म्यूनिसिपल बोर्ड और किसी ऐसी अवस्थामें जब बोर्डको किसी अधिकारका दिया जाना या उस पर किसी कामकी जिम्मेदारी का डाला जाना पाया जाय तो 'बोर्ड' शब्दमें कोई ऐसी कमेटी भी जिसको बोर्डने नियुक्त किया हो तथा बोर्डका कोई मेम्बर अफसर, या नौकर भी जिसको इस एक्ट द्वारा या इस एक्टके अनुसार, उस अधिकारको बरतने या उस कामके करनेका अधिकार या आज्ञा दी गयी हो शामिल समझे जायेंगे।

व्याख्या—

बोर्डके अधिकांश अधिकार किसी न किसी मेम्बर कर्मचारी, या कमेटीके द्वारा बरते जाते हैं और बोर्डकी अधिकांश जिम्मेदारिया भी उन्हींके द्वारा पूरी कराई जाती हैं। आवश्यकतानुसार बोर्ड उनको अपने अधिकार और जिम्मेदारिया सौंप दिया करता है। इस लिए कानूनमें यह स्पष्ट कर दिया गया कि जहाँ कहीं बोर्डको किसी अधिकारका दिया जाना या उस पर किसी जिम्मेदारी का डाला जाना पाया जाय, तो जिस मेम्बर, कर्मचारी या कमेटीको ऐसा अधिकार या जिम्मेदारी बोर्ड सौंपे, वही कानूनकी दृष्टिमें बोर्ड के स्थान पर मान लिया जायगा, अर्थात् ऐसे मेम्बर, कर्मचारी या कमेटीके अधिकार और जिम्मेदारिया वही मान ली जावेंगी जो स्वयं बोर्डको उस विषयमें प्राप्त हों और ऐसे सौंपे हुये अधिकार या जिम्मेदारीके सम्बन्धमें उक्त मेम्बर, कर्मचारी या कमेटी के द्वारा किये हुये कार्य बोर्डकी किये हुये कार्य समझे जायेंगे।

२ इमारत (Building) शब्दका अर्थ है कोई मकान झोपडा उत्तार या और किसी प्रकारका छाया हुआ घर चाहे वह किसीभी कामके लिये हो और चाहे वह किसी पदार्थका बना हो तथा ऐसे मकान झोपडे उत्तारे, या छाये हुये घरका

प्रत्येक भागभी 'इमारत' शब्दमें शामिलसमझा जायगा, परन्तु डेरा या अन्य कोई वैसाही शरणस्थान जो एक जगहसे दूसरी जगहको उठाके लेजाया जासके और जो अस्थाईहो (अर्थात् जो थोड़े समयके लियेही स्थापितकर लियेगयाहो) 'इमारत' शब्दमें शामिल न समझा जायगा ।

व्याख्या—

'इमारत' शब्दमें डेरे इत्यादिके शामिल न होनेके विषयमें एक्ट न० १, सन् १९०० ई० में कोई हुक्म नहीं था । परन्तु इस सम्बन्धमें हाईकोर्टकी एक स्पष्ट नज़र इस एक्ट न० २ सन् १९१६ ई० के पास होनेसे पूर्व हो गयी थी, देखिये कामतानाथ घनाम 'चेयरमैन म्यूनिसिपल बोर्ड इलाहाबाद 28 All I L R 196 इस नज़रका मामला यह था कि कामतानाथने फण्डोंकी कनातोंसे एक जगह घेरली इसलिये उनपर एक्ट न० १ सन् १९०० ई० की दफा ८७ (दोनिये हालके एक्टकी दफा १७८) की आज्ञा के विरुद्ध, बिना इजाजतके "इमारत बना लेने का" जुर्म लगाया गया । हाईकोर्टने तजवीज किया कि कनातोंका खडा फर लेना अथवा सिर्की आदिका कोई छोटासा क्षोपडा घना लेना (जैसे कि प्रायः परा कुलियों, मालिगानों वगैरके लिये बना लिये जाते हैं) इमारतका बनाना किसी हालतमें नहीं कहाजा सकता । कानूनको इम नज़रके अनुकूल बनानेके अभिप्रायसे, डेरे तथा वसे ही अन्य अस्थाई शरणस्थान अत्र 'इमारत' शब्दमें शामिल नहीं रगे गये हैं ।

यह बात ध्यान देनेके योग्य है कि इस एक्टमें 'इमारत' शब्दमें फेवल ऐसे मकान शामिल माने गये हैं जिनके ऊपर छत हो । यदि कोई म्यूनिसिपल बोर्ड चाहे तो बिना छतवाले घेर (Compound) डेरे इत्यादि बनाये जाने या लगाये जानेके विषयमें दफा २९८ (७) के अनुसार नियम बना सकता है । दफा १२९ में पानीका कर लगाये जानेके विषयमें 'इमारत' शब्दकी व्याख्या देखिये । वह व्याख्या, केवल उक्त दफाहीके लिये है ।

३ बाई-लॉ (Bye Law) का अर्थ है ऐसा बाई लॉ जो इस एक्टके द्वारा दिये हुये किसी अधिकारके अनुसार बनाया गया हो ।

नोट—बाई-लॉ का शब्दार्थ है कोई ऐसा निजी कानून या कायदा जो कोई सगठित सरथा (Corporate body) जैसे म्यूनिसिपल बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या कोई बैंक या व्यापारी कम्पनी इत्यादि, अपने कायके चलानेके अभिप्रायसे बाले । बाई लॉ बनानेका अधिकार म्यूनिसिपल बोर्डको दफा २९८ में दिया गया है । देखो इस एक्ट की दफा २९८

४ शहर (City) का अर्थ है कोई ऐसी म्यूनिसिपलटी जिसकी जनसंख्या एक लाख (१०००००) या इससे अधिक हो और ऐसी म्यूनिसिपलटी भी जो दफा ३ के अनुसार प्रकाशित किये हुये विज्ञापन द्वारा शहर मान ली गयी हो ।

व्याख्या—

इस एक्टसे पूर्व सयुक्त प्रान्तकी म्यूनिसिपलटिया, अपनी जनसंख्याके अनुसार, ५ श्रेणियोंमें विभक्तकी जाती थी । परन्तु इस एक्टमें केवल दो श्रेणिया रची गयीं हैं, अर्थात् शहरकी म्यूनिसिपलटिया और अन्य म्यूनिसिपलटिया । कुछ निर्दिष्ट बड़े नगरोंकी म्यूनिसिपलटिया शहर मानी गयीं हैं, अन्य सबकी गणना सामान्य म्यूनिसिपलटियोंमें की गयी है, शहरकी म्यूनिसिपलटियोंका पद उचा रखा गया है । जैसे हस्तक्षेप करनेका अधिकार सामान्य म्यूनिसिपलटियोंमें प्रायः कमिश्नर

हकीको दिया गया है परन्तु शहरकी म्यूनिसिपलटीर्यामें उन्हीं विषयोंमें हस्तक्षेप करनेका अधिकार प्रायः प्रान्तीय सरकारको दिया गया है ।

सयुक्त प्रान्तमें नीचे लिखी हुई म्यूनिसिपलटियां शहर मानी गयीं हैं, अर्थात् मेरठ, मसूरी, आगरा, बरेली, कानपुर, इलाहाबाद, धनारस, नैनीताल, लखनऊ और फैजाबाद । (देखो म्यूनिसिपल मैन्युवल पेज १८९)

५ हाता (Compound) का अर्थ है कोई ऐसी जमीन चाहे वह चारों ओर से घिरी हो या न हो, जिसका लगाव किसी इमारतसे हो या सड़ सड़ कई इमारतोंसे हो ।

६ मोरी (Drain) शब्दमें शामिल समझी जायेंगी मँलेकी नाली, नल, खाई, पानीके निकासके रास्ते या कोई अन्य युक्ति जो गदापानी कड़ा और अशुद्धपानी या बरसातीपानी या जमीनके तलेके किसी स्रोतके जलको बहानेके लिये हो तथा गदगी जमा करनेके लिये गड़ेहुये बरतन ट्रेप (Trap) चहबचचे या फ्लश टैंक (Flush tank) और अन्य सहायक युक्तियां, जो उनसे सम्बन्ध रखती हों, भी मोरी शब्द में शामिल समझी जायेंगी ।

नोट—ट्रेप (Trap) का अर्थ है मोरीका कोई मोड़ (Bend) या बुकाव (Sag) या अय युक्ति जो इस आशय से बनाई गई हो कि मोरीमें बहने वाली गदगी उसमें ठहरके अशुद्ध वायु या हानिकारक गैस को पीछे लौटने से रोकें, परन्तु जो पानी के बहाव में बाधक न हो । फ्लश टैंक (Flush Tank) कोई बड़ी अथवा हज़ार गैलनोंसे पानी मोरियोंको साफ करनेके लिये बेगसे निकलता है 'फ्लश टैंक' कहलाता है ।

७ निवासी (Inhabitant) अर्थात् 'रहने वाले' शब्दका अर्थ है (जब उसका प्रयोग किसी स्थानीय रक़वेके सम्बन्धमें किया गया हो) कोई शख्स जो उक्त रक़वेमें साधारणतः रहता हो या काम काज करता हो या जो उस रक़वेमें किसी और मनकूला (स्थावर) जायदादका मालिक हो या जिसका ऐसी जायदादपर कब्ज़ा हो ।

८ ठहरनेका स्थान (Lodging house) में शामिल समझे जायेंगे कोई इमारतोंका समूह या कोई इमारत या इमारतका भाग, जो तीर्थ करने वाले यात्रियों और सुस्ताफिरोंके ठहरानेके काममें लाया जाता हो ।

९ म्यूनिसिपलटी शब्दका अर्थ है कोई ऐसी स्थानीय रक़बा जो, दफ्ता ३ के अनुसार जारी किये हुये विज्ञापानके द्वारा म्यूनिसिपलटी निश्चित कर दिया गया हो या (उक्त दफ्ताके हुक्मोंके आधीन) कोई ऐसी स्थानीय रक़बा जो इस एक्टके आरम्भ होनेके समय म्यूनिसिपलटी था ।

व्याख्या—

पहले ऊपर दी हुई 'शहर' की व्याख्या देखिये । 'म्यूनिसिपलटी' शब्दमें वह म्यूनिसिपलटियां जो इस एक्टके पार होनेके उपरान्त दफ्ता ३ के अनुसार, स्थापित की जायें तथा

यह न्यूनिसिपलटियां भी जो इस एक्टके पास होनेसे पूर्व मौजूद थीं, होना सम्मिलित रखी गई हैं परन्तु शर्त यह रखी गई है कि जो न्यूनिसिपलटियां पहलेसे स्थापित थीं यह उनी हालतमें न्यूनिसिपलटियां मानी जायेंगी, यदि दफा ३ में दिये हुए हुक्मोंमेंसे कोई हुक्म याचक न हो जैसा कि ऊपर बड़े हुए " उक्त दफाके हुक्मोंके आधीन " शब्दोंसे प्रगट किया गया है।

१० विज्ञापन (Notification) का अर्थ है ऐसा कोई विज्ञापन जो सरकारी गजटमें प्रकाशित किया जाये।

११ क्वायिज़ (Occupier) शब्दमें शामिल समझा जायगा कोई मालिक जो अपनीही आराजी या इमारत पर वास्तवमें दखल रखता हो।

व्याख्या—

'क्वायिज़' शब्द की व्याख्या करनेमें उसका सम्पूर्ण अर्थ बतानेका उद्योग नहीं किया गया है। उसके अन्तर्गत कौन कौन समझे जायेंगे यह प्रश्न सुला छोड़ दिया गया है अतएव इसका निश्चय प्रत्येक मामले पर विचार करने ही से हो सकता है।

प्यारेलाल बनाम सरकार ब (15 All L J 187) के मुकद्दमें यह प्रश्न हाई कोर्टके सामने पेश हुआ कि कोई ऐसा शासक जिसको मन्दिरके पहले अधिकारिने मन्दिरको कायम रखने, साफ करने तथा उसके सम्बन्धके अन्य कार्योंको करनेका जिम्मेदार बनाया था, उस मन्दिर पर क्वायिज़ माना जा सकता है या नहीं? हाईकोर्टने शब्द क्वायिज़की इस प्रकार व्याख्या करते हुए कि क्वायिज़का अर्थ है ' कोई शक्ति जो किसी जायदाद, जैसे घर भयवा जमानका वास्तवमें कब्जा ले या जो वास्तवमें उसपर कब्जा रखता हो, या जिसके कब्जेमें वास्तवमें वह हो' यह तत्वीज किया कि प्यारेलाल, केवल इस कारण कि मन्दिरके एक पहले अधिकारिने उसको मन्दिरके कायम रखने साफ करने या मन्दिरके अन्य कार्य करनेका जिम्मेदार बना रखा था, किसी तरह उस मन्दिरका क्वायिज़ नहीं कहा जा सकता।

इस विषयमें कि प्यारेलालको एक पहलेके अधिकारिने (हालके अधिकारिने नहीं) जिम्मेदार बनाया था हाईकोर्टने तर्जवीजमें लिया कि ' मन्दिरको कायम रखने, उसकी सफाई करन और उसके अन्य कार्योंको करनेका जिम्मेदार बनाये जानेके कारण यदि प्यारेलाल मन्दिर पर कब्जा रखनेवाला कहा भी जा सके तो भी मिसिलमें केवल इतना ही सुनत है कि पहले वाले अधिकारिने प्यारेलालको जिम्मेदार बनाया था, इस समय भी मन्दिरका एक अधिकारी है जिसका नाम छगन लाल है, परन्तु नीचे वाली अदालतकी तर्जवीजमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे यह पता चले कि छगनलालने भी प्यारेलालका उक्त सब कार्योंका जिम्मेदार बना रखा है।'

१२ बोर्डका अफसर (Officer of the Board) का अर्थ है कोई ऐसा शख्स जो किसीसे पहले पदपर नियुक्त हो जो पद इस एक्टके द्वारा या इस एक्टके अनुसार कायम किया गया हो या जारी रखा गया हो परन्तु उसमें बोर्डका कोई मेम्बर या किसी कमेटीका मेम्बर, केवल बोर्ड या कमेटीका मेम्बर होनेकी हैसियतसे शामिल न समझा जायगा।

१३ मालिक (Owner) शब्द में शामिल समझा जायगा कोई ऐसा शख्स

जो किसी आराजी या इमारतका लगान अथवा किराया या उस लगान अथवा किरायेका कोई भाग पाता हो या पानेका अधिकार रखता हो, चाहे वह शख्स ऐसा किराया या किरायेका भाग अपने निजी हकके द्वारा पाता हो, या ट्रस्टीकी हैसियतसे या किसी शख्सके एजेन्ट होनेकी हैसियतसे या किसी धार्मिक अथवा खैरती कामके लिये या एक रिसीवर (Receiver) की हैसियतसे जो किसी अदालतके द्वारा या अदालतके हुक्मके अनुसार नियुक्त किया गया हो और ऐसा शख्स भी शब्द 'मालिक' में शामिल होगा जो ऊपर गिनाई हुई किसी हैसियतसे ऐसा किराया या किरायेका भाग पानेका अधिकारी हो यदि वह आराजी अथवा इमारत किसी आसामी या किरायेदारको उठा दी जावे।

व्याख्या—

'मालिक' शब्दकी इस कानूनमें जो व्याख्या की गई है उससे यह स्पष्टत प्रगट होता है कि मालिक शब्दमें ऐसे शख्स भी शामिल समझे जायेंगे जो किसी आराजी या मकानका लगान या किराया पाने के केवल अधिकारी हों, चाहे यथार्थम उनको (उस आराजी या मकानके किराये पर उठे न होनेके कारण) कोई किराया मिलता न हो और शब्द किरायाके अग्रे 'किरायाका कोई भाग' शब्दोंके बढा देनेसे, यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि उस हालतमें जब किसी आराजी या मकानके कई साझेदार हों तो प्रत्येक साझेदार इस एक्टकी दृष्टिमें उसका मालिक समझा जायगा और प्रत्येक साझेदारकी वही जिम्मेदारिया होंगी जो किसी आराजी या मकानके एक अकेले मालिककी इस एक्टमें मानी गई हैं।

१४ इमारतका भाग (Part of the building) में शामिल समझी जायगी कोई दीवार तहखाना या जमीनके नीचेका कोई रास्ता, बरामदा स्थाई प्लेटफार्म (चबूतरा), मकान की छुर्ली, जीना या दरवाजेकी सीढी जो किसी निर्मित इमारतके लगाव में बनी हुई हो या उस इमारतके हातेके भीतर हो या जो ऐसी जमीन पर बनाई गई हो जो भविष्यमें बनाई जाने वाली किसी इमारत का स्थान (Site) या हाता होने वाली हो।

१५ पेट्रोलियम (Petroleum) शब्द का वही अर्थ है जो इन्डियन् पेट्रोलियम् एक्ट स० १८९९ ई० में 'पेट्रोलियम्' शब्दकी व्याख्यामें दिया गया है।

नोट—इन्डियन् पेट्रोलियम एक्ट न० ८ सन १८९९ ई० में 'पेट्रोलियम' शब्दकी व्याख्या इस प्रकारकी गई है—

“शब्द पेट्रोलियममें निम्न प्रकारके द्रव (पतले पदार्थ) भी शामिल हैं—

१ वे सब द्रव जिनको साधारणत रॉक ऑयल (Rock oil) रगून का तेल, बरामका तेल, पैरेफिन तेल (Paraffin oil), मिनरल तेल (Mineral oil), मिट्टीका तेल, पेट्रोलिन (Petroleum), गैसोलिन (Gasoline), बेनजोलीन (Benzoline), बेनजोल (Benzole) के नाम दिये जाते हैं।

२ कोई सङ्गते जल उठनेवाला द्रव, जो पेट्रोलियम, कोयला, शिस्ट (Schist) पर

शैल (Shale) प्रत्तर, पीट (Peat अर्थात् सड़ी हुई जड़ें, छालें इत्यादि), या अन्य शिलाजतुमय पदार्थ (Bituminous), या पेट्रोलियमसे निकली हुई किसी वस्तुसे बनाया गया हो ।

३ कोई द्रव या लसदार मिश्रित वस्तु जिसकी रचनामें पूर्वोक्त कोई पदार्थ पाया जाता हो ।

परन्तु कोई तेल जो साधारणतः चिकनाहट देनेके काममें लाया जाता हो आर जिसका फ्लैशिंग पॉइंट (Flashing point) फ़ैरनहाट थर्मामीटर (Fahrenheit Thermometer) के दो सौ डिग्री पर या उससे ऊंचा हो, पेट्रोलियम शब्दों में शामिल न समझा जायेगा । ”

फ्लैशिंग पॉइंटका अर्थ है 'तापकी वह क्रमसे कम डिग्री जिस पर पेट्रोलियममें से ऐसी भाप निकलने लगे कि उसमें से अग्निकी क्षणिक ज्योति या चाला जल उठे, जब कि पेट्रोलियम एकटके पहले शिड्यूलमें दी हुई हद्दियातोंके अनुसार ऐसे यंत्र द्वारा उसकी परीक्षानी जाये जिस पर इस एकटके आदेशानुसार, परीक्षा करनेसे ठीक पहलेकी पाच वर्षकी अवधिके भीतर सुहर लगाई गई हो या जिसके विषयमें सर्टीफिकेट दिया गया हो और ऐसे सशोधनोंके बाद निम्न काममें लाया जाना परीक्षाके परिणामोंपर पढ़चनेके लिये उक्त सर्टीफिकेटमें प्रताया गया हो । 'पेट्रोलियम' जिनको 'रॉक ऑयल' 'मिनरल ऑयल' इत्यादिक नाम भी दिये जाते हैं, एक प्रकारका गहरे भूरे अथवा हलके हरे रंगका द्रव होता है जो भूगर्भ की ऊपरी तहों से निकलता है । पेट्रोलियम सहजसे जल उठने वाला द्रव है और रोशनी के लिये जलाने तथा मोटर आदिकी मशीनोंको चलानेके काममें आता है । पेट्रोलियमको गरम करके साफ करने पर नानाप्रकारकी वस्तुएँ जैसे मिट्टीका तेल, बेन्जीन, गैसोलीन, पैरेफिन, इत्यादि निकलती हैं । बेन्जीन रबर गलानेके काममें तथा कपड़ों परसे मैल और चिकनाहट छुड़ानेके काममें आता है । बेन्जोल और बेन्जोलीन केवल अशुद्ध बेन्जीन हैं । गैसोलीन हवाकी गैस (Gas) बनानेके काममें आता है । पेट्रोलियमको साफ करने में एक प्रकारकी मोमके समान वस्तु निकलती है जिसको पैरेफिन कहते हैं । अथ वस्तुओं से मिश्रके वह जलाने और चिकनाहट देनेके काममें आता है । पेट्रोलिन एक प्रकारका पैरेफिन है जो रंगके पेट्रोलियममें से निकलता है ।

'विट्रियुमन' अर्थात् शिलाजतु एक प्रकारकी, कोल तारके समान वाली, गाढी वस्तु है जो भूमि में से चरिपयन और डेड सागरोंके तटों पर तथा अथ स्थानोंमें निकलती है । चूना ककड़ इत्यादिके मिलाने उत्तरा सिमेंट (Cement) बनता है जो पुलों, छतों इत्यादिके बनानेके काममें आता है ।

१६ जनसख्या (Population) का अर्थ है (जब इस शब्दका प्रयोग किसी स्थानीय रकदेके सम्बन्धमें किया जाय) वह जन सख्या जो उस समय पर प्रान्तकी सबसे हालकी सरकारी मर्दुमशुमारीके नकशोंके अनुसार हो ।

१७ नियमित किया हुआ (Prescribed) का अर्थ है इस एकटके द्वारा या इस एकटके अनुसार या किसी अन्य कानूनके अनुसार नियमित किया हुआ ।

१८ आम स्थान या सार्वजनिक स्थान (Public place) का अर्थ है कोई स्थान जो किसीकी निजकी जायदाद न हो और जिसको काममें लाने अथवा जिससे लाभ उठानेमें सर्वसाधारणको कोई रोक न हो, चाहे ऐसा स्थान म्युनिसिपलटीके अधिकारमें हो या न हो ।

१९ आमरास्ता या सार्वजनिक रास्ता (Public Street) का अर्थ है —

(ए) ऐसा रास्ता जिसको बोर्डने दफा २२१ के हुक्मोंके अनुसार आम रास्ता अर्थात् सार्वजनिक रास्ता ठहरा दिया हो। या

(बी) ऐसा रास्ता जो उस ज़मीन (जिस पर रास्ता हो) के मालिककी स्पष्ट या उपलक्षित आज्ञासे म्यूनिसिपल कोष या किसी सार्वजनिक कोष (Fund) से समतल (बराबर) किया गया हो या जिस पर खरजा बनाया गया हो या पक्का किया गया हो या जिस पर पानीका निकास बनाया गया हो या गन्दगीके बहानेके लिये जिस पर, नाली बनाई गई हो या जिसकी मरम्मत की गई हो।

२० रेग्यूलेशन (Regulation) का अर्थ है ऐसा रेग्यूलेशन, जो इस कानून के द्वारा दिये हुये अधिकारके अनुसार बनाया गया हो। (रेग्यूलेशन को जावता कहते हैं)

व्याख्या—

वार्डलॉज और रेग्यूलेशनमें यह भेद है कि वार्डलॉज वह कायदे कहलाते हैं जो म्यूनिसिपलटी अपने कर्तव्योंको पालन करनेके सहायतायें बनाती है। जैसे सफाई रखना, सबके बनवाना, हानिकारक व्यापारोंकी रोकना इत्यादि म्यूनिसिपलटीके कर्तव्य हैं इन कर्तव्योंके पालन करनेके सम्बन्धमें जो कायदे म्यूनिसिपलटी बनाये वह वार्ड लॉज कहलाते हैं।

रेग्यूलेशन वह कायदे होते हैं जिनका म्यूनिसिपलटीके कर्तव्योंसे कोई सम्बन्ध नहीं होता वरन जो स्वयं म्यूनिसिपलटीकी सस्थाको चलानेके लिये बनाये जाते हैं। जैसे निम्न लिखित विषयों पर जो कायदे बनाये जाय वे रेग्यूलेशन कहलायेंगे अर्थात् (१) चौककी मीटिंग कहा और कब हो (२) मीटिंगका नोटिस किस प्रकार दिया जाय (३) कमेटीया कैसे बनाई जाय और उनका काम किस प्रकार चलाया जाय (४) चेयरमैनको कौन कौनसे अधिकार सँपे जाय (५) किस कर्मचारीसँ क्या अमानन लीजाये इत्यादि। रेग्यूलेशन बनानेका अधिकार बोर्डको दफा २१७ में दिया गया है।

२१ नियम (Rule) का अर्थ है ऐसा नियम जो इस कानूनके द्वारा दिये हुये अधिकारके अनुसार बनाया गया हो।

नोट—नियम बनानेका अधिकार इस एक्ट में केवल प्रांतीय सरकार को दफा २१६ में दिया गया है। और दफा ३०० में वह शक्त जिनके आधीन नियम बनानेका अधिकार है बतलाई गई है।

२२ बोर्डका नौकर (Servant of the Board) का अर्थ है कोई शख्स जो बोर्डसे तनखाह पाता हो और बोर्डका नौकर हो।

२३ रास्ता (Street) का अर्थ है कोई सड़क, पुल पगडण्डी, गली, चौराहा चौक कूचा या रास्ता जिस परसे सर्वसाधारणको या सर्वसाधारणके किसी भागको निकलनेका अधिकार हो और उसमें दोनों बाजू की मोरियां या नालियां और वह आराजियां जो उस रास्तेसे मिली हुई जायदादों की नियमित हद्दों तक हों, शामिल हैं चाहे ऐसी आराजियोंके ऊपर कोई बरामदा या इमारतका कोई अन्य ऊपरी खण्ड निकला हुआ हो।

२४ गाड़ी (Vehicle) का अर्थ है कोई पहियेदार सवारी जो रास्ते पर

घलाई जा सके और उसमें वाईसिकल, ड्राईसिकल या मोटरकार भी शामिल समझे जायगे।

२५ घरेलू कामके लिये पानी (Water for domestic purpose)

मे ऐसा पानी शामिल न समझा जायगा जो चौपायों के या घोड़ोंके, या गाड़िया धोनेके काममें आये उस हालतमें जबकि उक्त चौपाये घोड़े या गाड़िया बेंचनेके लिये या किरायेके लिये रखी जाती हो या कोई किराये पर माल ढोने वाला (Public Carrier) उनको रखता हो और न उपरोक्त शब्दोंमें ऐसा पानी शामिल समझा जायगा जो किसी व्यापार तैयारी माल (Manufacture) या कारखार चलायनेके लिये हो या जो पानी इमारत बनानेके लिये हो या बागोंके सींचने के लिये हो या फोहारों (Fountains) के लिये या किसी सजावटके लिये हो।

२६ पानीका कारखाना (Water works) में सव झीले, तालाब,

नदिया, चहन्नच्चे, नग्मे, पम्प कुए हीज एक्वेडक्ट (Aqueduct) खोदी हुई नालिया वदरों, बड़े नल छोटे नल पलिया इलिन हाईड्रेण्ट यन्त्र, उबे नलिया और ऐसे सब यन्त्र, भाराजिया इमारत पुल और वह वस्तु जो पानी पहुँचानेके लिये हो या जो पानी पहुँचानेके काममें लाये जायें, शामिल समझे जायगे।

२७ जब किसी अधिकारीको यह अधिकार दिया जाना प्रगट किया गया हो कि वह किसी शख्सको कोई एक काम या कोई दूसरा काम करनेको हुकम दे तो उक्त अधिकारीको अधिकार होगा कि अपनी इच्छानुसार उक्त शख्सको दोनों कामोंमें से किसी कामके करनेका हुकम दे और यदि उस मामलेमें ऐसा करना सम्भव हो तो दोनों कामोंके करनेका हुकम दे सकता है या वह अधिकारी उक्त शख्सको यह अधिकार दे दे कि वह उन दोनों कामोंमेंसे जिस किसीको करना पसन्द करे उसीको करे।

व्याख्या—

न० २७ का हुकम इस कारण रग्न दिया गया है कि यह बात स्पष्ट हो जाय कि जब इस एक्टमें बोर्ड या उसके किसी कर्मचारी इत्यादिको यह अधिकार दिया गया हो कि किसी शख्सको दो या अधिक कामोंमेंसे किसी एकके करनेका हुकम दे, तो उस शख्सको उन कामोंमेंसे जिस कामके करनेका बोर्ड या उक्त कर्मचारी हुकम दे घटी उस शख्सको करना पड़ेगा और बोर्ड या उक्त कर्मचारी को वह शख्स इस बात पर मजबूर नहीं कर सकता कि उसीकी इच्छानुसार उनमेंसे एक काम छूटके अपने कराया जाय। उदाहरणके लिये देखिये दफा २६३ (बी)। किसी तुएके विषयमें बोर्ड उसके मालिकको यह हुकम दे सकता है कि उसकी मरम्मत करे या उनको सुरक्षित करे या घेर दे। इनमेंसे जिन कामको आवश्यक समझे उसीके करनेके लिये हुकम दे सकता है और यदि उक्त दफामें ऐसी इजाजत दी गई हो, तो इजाजत कामोंके करनेका हुकम दे सकता है।

नोट 'रामना' म्यूनिसिपल बोर्ड बनास बनाम रामटण्डाम (हिंदी लॉ जनरल १९२२ई० पेज ८७)में इलाहाबाद हाईकोर्टने तय किया कि म्यूनिसिपल बोर्ड द्वारा रोजागार सफाई होनेके कारण वह गरीब जनताकी रास्ता नहीं मानी जा सकती। इसका मामला यह था कि बनास शहरमें एक गली थी। रामटण्डामे मसान का कुछ

हिरसा इस गली की जमीन के ऊपर था उसका बहना था । कि भेरे मजान का यह हिस्सा बहुत दिनों का बना है मैंने फिर से इसे बना लिया है । म्यूनिसिपलटी ने नोटिस दिया कि गलीके ऊपर ना हिग्गा हटादो, यह भिन्न इजाजत बना है । इस गलीके नीचे एक नाली बीचमें थी । म्यूनिसिपलटीके द्वारा रोजाना गनी आर नाली को सफाई होती थी । रामकृष्ण पर इस अपराधमें खूमाना किया गया । रामकृष्णने दारवानामें दावा कर दिया कि गली की जमीन मेरी है म्यूनिसिपलटी का एक उगम नहीं है । यह गंगा मुहूर् के मजान तब चल कर खतम होगया थी । प्रारम्भिक अदालत अपीलने तय किया कि गली पुगनी है आर दूगरे आदमियोंने जो मजान उसमें है वे उस गली को हक आसाइश की तरह काम में लाते हैं मुहूर् गली का मालिक है । हाईकोर्टने तय किया कि गली मुसलमान बादशाहों के समय की बनी है । म्यूनिसिपलटी के द्वारा रोजाना सफाई होने के कारण जनता की रास्ता नहीं माना जायगी । रास्ते के दोनों तरफ अगल नाली हों तो जनता की रास्ता मानी जा सकती है मगर बीच में नाली होने के कारण आम रास्ता नहीं मानी जायगी ।



प्रकरण २

म्यूनिसिपलटियों का सङ्गठन और सञ्चालन

म्यूनिसिपलटियों की स्थापना

(Declaration).

दफा ३ म्यूनिसिपलटियों और शहरों (की म्यूनिसिपलटियों -) की स्थापना

१ प्रान्तीय सरकारको अधिकार होगा कि विज्ञापन द्वारा—

(ए) किसी स्थानीय रकबके विषयमें प्रकाशित करदे कि वह म्यूनिसिपलटी है

(बी) किसी म्यूनिसिपलटीके विषयमें जिसकी जनसंख्या एक लाख (१०००००) से कम हो, यह प्रकाशित कर दे कि वह ' शहर ' (City) है।

(सी) किसी म्यूनिसिपलटी की हद नियत करे।

(डी) किसी रकबको किसी म्यूनिसिपलटीमें सम्मिलित करे, या उसके बाहर निकाल दे।

(इ) उपरोक्त कलाजोंके अनुसार दिये हुये किसी विज्ञापनको रद्द करे।

२ उपदफा (१) के अनुसार कोई विज्ञापन प्रकाशित करने का अधिकार इस शर्त के आधीन होगा कि वह विज्ञापन उस पूर्व सूचना के छपने के पश्चात् दिया जाय, जिस के लिये दफा ४ में आज्ञा दी गई है और जब ऐसा विज्ञापन—

(ए) किसी ऐसे स्थानीय रकबके विषयमें हो जिसमें या तो कोई पूरी छावनी हो या किसी छावनीका कोई भाग हो।

तो ऐसा विज्ञापन गवर्नर जनरल और उनकी कौंसिलकी मजूरीसे, जो पहलेसे प्राप्त कर ली गई हो, जारी किया जाना चाहिये।

व्याख्या—

दफा ३ की उपदफा २ में से कलान (बी) तथा (सी), देवोल्यूशन एक्ट (Devolution Act), न० ३८, सन १९२० ई० की दफा २, और शिड्यूल १, के द्वारा निकाल दिये गये हैं।

शब्द "शहर" के लिये दैग्विये डम कानून की दफा २ (४) और "म्यूनिसिपलटी" और "जनसरया" (भाषादी) शब्दों के लिये दैग्विये दफा २ के (९) और (१६)

सर्क्यूलर न० २५ ए तारीख २१ अप्रैल सन १८६१ ई० के द्वारा आज्ञा दी गई है कि "जब कभी किसी रकबे के विषय में यह चाहा जाय कि म्यूनिसिपलटीज एक्ट उस पर लागू कर दिया जाय तो निम्न लिखित बातों की रिपोर्ट देना आवश्यक होगा अर्थात् —

(१) नयी स्थापित की जाने वाली म्यूनिसिपलटी की हद्द, (२) नगर, कसबा, या नगरों के समूह, की जन सख्या, (३) किस वर्ग (Classes) के लोग उनमें रहते हैं, (४) नगर या, नगरों के समूहकी आय कितनी होगी, और किन किन स्रोतों से होगी, (५) बोर्ड में कितने मॅम्बर रखे जाते की इच्छा की जाती है ।

हद्दें — म्यूनिसिपलटी की हद्दें सर्वथा बटे स्पष्ट रूप से निश्चय की जाना चाहिये । यदि कोई प्रत्यक्ष हद्द, जैसे सड़क अथवा नदी, मिल जाय तो घड़ी हद्द मानी जा सकती है । अन्य दशाओं में एक स्थान से दूसरे स्थान तक सीध में जो लकीर पड़े वह हद्द निश्चय कर ली जाय । ऐसे स्थान, जहाँ तक सम्भव हो, ईंट, चूने या पत्थर के खम्भों के द्वारा, स्थाई रूप से, नियत कर दिये जायें । एद में, जहाँ तक सम्भव हो, टेढ़ी लकीरें न डाली जाय सिवाय उस दशा के, जहाँ कि कोई सड़क या नदी हद्द मानी जाय । यह ध्यान रखना चाहिये कि इस एक्ट की दफा ३ की आज्ञा यह है कि उन स्थानीय रकबों का, जो किसी म्यूनिसिपलटी में सम्मिलित किये जाने को हों, या किसी म्यूनिसिपलटी से निकाले जाने को हों, पूरा वृत्तान्त दिया जाना चाहिये । केवल उन हद्दों का वर्णन दे देना जो दुहराये जाने के बाद रची जायेंगी, काफी नहीं होगा । केवल हद्दों का वर्णन जब तक कि वह विशेष रूप से मांगा न जाय, नहीं देना चाहिये । G O न० १६६३ XI—३८९ A, तारीख २ जुलाई सन १८९० ई० के अनुसार जब कभी कोई परिवर्तन म्यूनिसिपलटी की हद्दों में किये जाय तो सेनिटरी कमिश्नर (Sanitary Commissioner) को तुरन्त उसकी सूचना देना चाहिये, और उस तारीख की भी सूचना देना चाहिये जिससे कि नयी हद्दें सट्टयाओं के द्वारा जनता की स्थिति निर्णय (Statistics) करनेके काम में लायी जायगी जब कोई रकबा म्यूनिसिपलटी न रहे, या किसी म्यूनिसिपलटी से बाहर निकाल दिया जाय, तो म्यूनिसिपल फंड (Fund) का क्या किया जायगा, इसके विषय में देखिये दफाये १२१ से १२३ तक ।

दफा ४ विज्ञापन से पहले की काररवाई

१ दफा ३ के अनुसार किसी विज्ञापन के जारी क्रिये जाने से कम से कम दो मास पूर्व प्रान्तीय सरकार उसका मसविदा अङ्गरेजी और देशीय भाषाओं में एक नोटिस के संग जिसमें यह लिखा होगा कि सरकारी गजट में छपने के दो मास उपरान्त मसविदा पर विचार किया जायगा सरकारी गजट में प्रकाशित करेगी और ऐसे मसविदा तथा नोटिस को जिहा मजिस्ट्रेट की कचहरी में और उस स्थानीय रकबे के भीतर या उससे मिली हुई किसी जगह में एक या एक से अधिक विशेष और प्रत्यक्ष स्थान में लगना देगी ।

२ विज्ञापन जारी करने से पूर्व प्रान्तीय सरकार को उचित होगा कि किसी ऐसे उक्त या राय पर ध्यान दे जो उक्त दो मास की अवधि के भीतर मसविदा के सम्बन्ध में उसके पास लिख के किसी रास में भेजी हो ।

दफा ५ म्यूनिसिपलटी में किसी रकबके 'मिला लिये जाने का प्रभाव'

जब दफा ३ के अनुसार किये हुये किसी विज्ञापन के द्वारा कोई स्थानीय रकबा किसी म्यूनिसिपलटी में सम्मिलित कर लिया जाय तो इस प्रकार सम्मिलित किये जाने पर वह रकबा उन सब विज्ञापनो नियमो (Rules) रेग्युलेशनों (Regulations) बाई लॉ (by law) हुक्मो और रिटायरों के आधीन हो जायगा जो इस कानून, या किसी दूसरे कानूनके अनुसार जारी किये गये हो या बनाये गये हो, और जो इस रकबके सम्मिलित होनेके समय सारी म्यूनिसिपलटी में प्रचलित हो।

व्याख्या—

पुराने म्यूनिसिपलटीज एक्ट, अर्थात् एक्ट न० १, सन १९०० ई०, की दफा ८ इस प्रकार तरमीम कर दी गई है कि यह बात स्पष्ट हो जाय कि वह नियम, रेग्युलेशन और बाई लॉ, जो अन्य कानूनों के अनुसार बनाये गये-हो जैसे किराये की गाडियों का एक्ट, (Hackney, Carriage Act) टीका लगाने का एक्ट (Vaccination Act) इत्यादि भी ऐसे सम्मिलित किये हुये रकबे में प्रचलित हो जायगे।

म्यूनिसिपल बोर्ड

दफा ६ म्यूनिसिपल बोर्डों का संगठित किया जाना और उनके साधारण काम

प्रत्येक म्यूनिसिपलटी में एक म्यूनिसिपल बोर्ड होगा और प्रत्येक ऐसा बोर्ड एक सङ्गठित संस्था (Body Corporate) होगी और बोर्ड को वही नाम दिया जायगा जो उस स्थान का हो, जिसके नाम से म्यूनिसिपलटी प्रसिद्ध हो और प्रत्येक बोर्ड पिछले बोर्ड का सदा उत्तराधिकारी होता जायगा और उस संस्था की एक आम मुहर (Common Seal) होगी और इस कानून या अन्य किसी कानून के द्वारा लगाये हुये वन्देजो या गवों के आधीन उस संस्था को अपने नाम से दावा दायर करने का अधिकार होगा और उसी नामसे उस पर दावा दायर हो सकेगा और उसको मनकूला तथा गर मनकूला जायदाद (स्थावर और जग्गम) के प्राप्त करने, अपने कर्जे में रखने, और अलग करने (मुन्तकिल) का और मुआहिदा में शरीक होने का अधिकार होगा।

व्याख्या—

बोर्ड सभा, मण्डली या कम्पनी आदि जिनमें बहुतेमे सभासद, मेम्बर या साध्रीदार हों, जिसका संगठन और स्थापना किसी कानूनके द्वारा की गई हो, और जो कानूनकी दृष्टिमें एक व्यक्तिके समान मानी जाय उसको "संगठित संस्था" कहते हैं। संगठित संस्था (Body Corporate or Corporation) के उदाहरण हैं, म्यूनिसिपल तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रजिस्ट्रीकी हुई बंके, ब्यापारी कम्पनिया, इत्यादि। संगठित संस्थाकी निजी सम्पत्ति, अधिकार और जिम्मेदारिया होता है, जो

उसके मेम्बरों अथवा साक्षीदारोंकी निजी सम्पत्ति, अधिकार और जिम्मेदारियोंसे अलग होती है। जैसे यदि कोई सगठित संस्था कर्ज ले, तो ऐसा कर्जा केवल ऐसी संस्थाकी सम्पत्ति ही से वसूल किया जा सकता है, मानो वह संस्था एक व्यक्ति है जिसकी यह जिम्मेदारी है कि वह अपने कर्जको अपनी सम्पत्तिसे चुकाये, यदि संस्थाकी सम्पत्तिसे उसका कर्जा पूरा न चुके तो उसके किसी मेम्बर अथवा साक्षीदारकी निजी जायदादसे ऐसा कर्जा वसूल नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार यदि किसी सगठित संस्थाके पास कोई जायदाद हो तो उसके किसी मेम्बर या साक्षीदारका उस पर कोई निजी अधिकार नहीं होता।

सगठित संस्थाके मेम्बर या साक्षीदार बदल जानेसे उसकी अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मेम्बर आदि बदलते रहते हैं, परन्तु संस्था अपने पुराने नामसे पूर्ववत् काम काज करती रहती है। मेम्बरों आदि की जो नयी मण्डलियाँ बदलती जाती हैं वही उस संस्थाकी सम्पत्ति, अधिकारों, तथा जिम्मेदारियोंके लिये पिछली मण्डलियोंकी उत्तराधिकारी होती जाती हैं, ठीक जैसे किसी व्यक्तिके मर जाने पर उसका लडका उसका उत्तराधिकारी हो जाता है। यह उत्तराधिकारित्व (Succession) सगठित संस्थाका एक विशेष लक्षण है।

म्यूनिसिपल बोर्डे सगठित संस्थाका नया चुनाव होकर जब कोई नया बोर्ड बन जाता है तो यह नया बोर्ड म्यूनिसिपल सम्पत्तिका उसी प्रकार अधिकारी हो जाता है जैसा कि पुराना बोर्ड था। पुराने बोर्डकी सब जिम्मेदारियाँ उस पर पड़जाती हैं और अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। इस सम्बन्धमें देखिये बच्चालाल बनाम सरकार बहादुर, 15 A. L. J 530 = 40 I. C. 700 = 18 Cr. L. J 700 इस मामलेमें बच्चालाल पर कोई अपराध करनेका, म्यूनिसिपल एक्टके अनुसार, मुकद्दमा चलाया गया था। बच्चालालने वह काम जिसके कारण वह अपराधी ठहराया जाता था जिस समय किया था तब म्यूनिसिपलियोंका पुराना एक्ट, नं० १, सन १९०० ई० प्रचलित था। इतनेमें नया एक्ट, नं० २, सन १९१६ ई०, पास हो गया, और बच्चालाल पर मुकद्दमा चलाये जानेकी आज्ञा इसी नये एक्टके अनुसार नये बोर्डने दी। बच्चालालने यह उच्च किया कि नये बोर्ड को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि नये एक्टके हुक्मोंके अनुसार किसी ऐसे अपराधके लिये, जो पुराने एक्टके समयमें किया गया था, मुकद्दमा चलाये जानेका हुक्म दे, क्योंकि नये एक्टमें कोई ऐसी दफा नहीं है जो इस बातकी इजाजत दे। परन्तु हाईकोर्टने, दफा ६ के आधार पर, तजवीज किया कि बच्चालालका यह उच्च नहीं चल सकता क्योंकि "म्यूनिसिपल बोर्ड एक सगठित संस्था है जिसमें नया बोर्ड पुराने बोर्डका उत्तराधिकारी होता जाता है, जिसकी एक आम मुहर होती है, और जिसको अपने नामसे मुकद्दमा दायर करनेका अधिकार प्राप्त होता है।"

एक ऐसेही मुकद्दमे में अर्थात् सरकार बहादुर बनाम अमीरहसनखा 15 A. L. J 159 = 38 I. C. 736 में यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि ऐसे मामलेमें अपराधीको वह दण्ड दिया जाना चाहिये जो नये एक्टमें रखा गया है, या कि वह जो, उसी अपराधके लिये, पुराने एक्टमें था। इस विषयमें न्यायज्ञ (The United Provinces) १९०० पर यह निश्चय किया कि जय दिया जाना चाहिये जो पुराने एक्टमें

General Clause
अपराध पुराने
उसे अपराधके लिये

प्रत्येक
सकती।

कानूनकी आज्ञाये
जो उस नगरका

हो, जिसमें वह म्यूनिसिपलटी हो, और म्यूनिसिपलटीका बोर्ड भी उसी नामसे कहल्यता है। जैसे कानपुर नगरकी म्यूनिसिपलटी "कानपुर म्यूनिसिपलटी" कहलायगी और उसका बोर्ड "कानपुर म्यूनिसिपल बोर्ड" कहलायगा।

प्रत्येक सगठित सस्था अपने नामसे मुकद्दमा दांयर करनेकी अधिकारी होती है, और उसी नामसे उस पर दावे किये जाते हैं, अर्थात् यह आवश्यक नहीं होता कि उसके सारे सभासदों या मेम्बरोके नाम देकर उनको मुकद्दमेमें फरीक बनाया जाय। ऐसे दावोंके नियम जाबता दीवानी (Civil Procedure Code) के आर्डर (Order) २९ में दिये गये हैं जिसका सक्षेप वर्णन इस प्रकार है —

"(१) सगठित सस्थाकी ओरसे अर्जोदावे पर दस्तखत और उसकी तसदीक सेक्रेटरी या कोई डायरेक्टर या सगठित सस्थाका कोई अन्य प्रधान अफसर जो मुकद्दमेका हाल जानता हो, कर सकता है। (२) समनकी तामील सेक्रेटरी, या डायरेक्टर (Director), या सस्थाके किसी प्रधान अफसर पर की जायगी, और इस प्रकारभी समनकी तामील मानली जायगी कि सस्थाका पता लिखकर समन सस्थाके दफतरमें पहुचा दिया जावे या डाकके द्वारा भेज दिया जाय। (३) अदालत, सेक्रेटरीको या किसी डायरेक्टर, या प्रधान अफसरको, जो उन प्रश्नोंका उत्तर दे सके, जो मुकद्दमेके सम्बन्धमें किये जावें, किसी समय अदालतमें हाजिर होनेका हुक्म देसकती है।"

एक 'आम मुहर' का होनाभी सगठित सस्थाका एक लक्षण है। आम मुहरकी आवश्यकता यह है कि सगठित संस्थामें बहुतसे सभासद होते हैं, अतएव किसी ऐसे चिह्नका होना (जैसे कि आम मुहर) जरूरी है, कि जिस पत्र पर वह लगा दी जावे तो वह सब मेम्बरोके दस्तखतोंके तुल्य मानी जासके। G O न० १०९५ X-११३, ता० १४ अक्टूबर सन १८८४ ई०, के द्वारा आजा है कि नित्यके सामान्य काम कार्योंमें इस मुहरका लगाया जाना आवश्यक नहीं है। परन्तु जो मुआहिदे (Contracts) जरूरी (Important) हों उन सब पर, तथा उन मुआहिदों पर जिनके विषयमें एक्टमें यह आज्ञा दीगई हो कि आम मुहर उन पर लगायी जाय, उसका लगाया जाना आवश्यक है। जैसे एक्टकी दफा १२४ में विशेष रूपसे आज्ञा है कि जब जायदाद का हन्त-काल (Transfer) हो तो यह मुहर अवश्य लगायी जाय।

दफा ७ म्यूनिसिपल बोर्ड के कर्तव्य

१ प्रत्येक बोर्ड का कर्तव्यहोगा कि वह म्यूनिसिपलटी के भीतर नीचे लिखी बातों का उचित प्रबन्ध करे—

(ए) आम सडकों और स्थानों में रोशनी कराना।

(बी) आम सडकों और स्थानों पर छिड़काव कराना।

(सी) आम सडकों, स्थानों, और मोरियों को साफ कराना, हानिकारक वनस्पति को दूर कराना, और पेसी सब बातों को दूर कराना, जो जनता के लिये कष्टदायक हों (Nuisances)।

(डी) हानिकारक खतरे वाले, तथा घृणित (Obnoxious) व्यवसायों, पेशों, और व्यवहारों को दूर कराना।

(इ) जनताकी कुशल स्वास्थ्य और आरामके हेतु ऐसे रोकों (Obstructions) या, इमारतों के आगे निकले हुये भागों (Projections) को दूर करना जो अनुचित हो।

(एफ) खेतों वाली इमारतों और स्थानों को सुदृक्षित-बनाना या दूर करना।

(जी) मुर्दों की ठिकाने लगाने (Disposal) के स्थान प्राप्त करना, कायम रखना, बदल देना, और उनका प्रबन्ध करना।

(एच) आम (सार्वजनिक) रास्तों पुलियों, बाजारों, बधस्थानों (Slaughter house) बम्पुलिसों (Latines) पाखानों पेशाबखानों, मोरियाँ, पानी की निकासी के लिये और मैले पानी को दूर करने की तामीतों को बनाना उनमें परिवर्तन करना और उनको कायम रखना।

(आई) सड़कों के किनारों पर और अन्य सार्वजनिक स्थानों में पेड़ लगवाना और उनको कायम रखना।

(जे) जहाँ कहीं जल की प्राप्ति काफी न होने के कारण, या जल स्वास्थ्यकर न होने के कारण, निवासियों के स्वास्थ्य के लिये भय हो, वहाँ स्वच्छ और स्वास्थ्यकर जल की काफी प्राप्ति का प्रबन्ध करना और जो जल मनुष्यों के काम में आता हो तो उसको दूषित होने से बचाने के लिये रखवाली करना, और जो जल दूषित हो गया हो उसको मनुष्यों के काम में न आन देना।

(के) पैदाइश और मौतों को रजिस्टर में दर्ज कराना।

(एल) जनता के गऊ-यून-सीतला का टीका (Vaccination) लगवाने का प्रबन्ध करना और उसको जारी रखना।

(एम) आम (सार्वजनिक) अस्पताल और औषधालय स्थापित करना कायम रखना और उनको आर्थिक सहायता देना और जनता के लिये रोगों की चिकित्साका अपनी ओर से प्रबन्ध करना।

(एन) प्राथमिक शिक्षाके लिये स्कूल जारी करना और उनको कायम रखना।

(ओ) आग बुझाने में सहायता देना और आग लग जाने पर जान और माल की रक्षा करना।

(पी) जो जायदाद बोर्ड के कब्जे या अधिकार में हो या जिसका प्रबन्ध उसके सिपुर्ट कर दिया गया हो उसको कायम रखना और उसकी उन्नति करना।

(क्यू) ऐसे नफ़े भेजने

(आर) रिपोर्ट

रिपोर्ट तैयार करना जिनके

कानून के द्वारा उस पर

२ परन्तु जन यह है कि उस काम के लिये जितका वर्णन उपदफा (१) के ब्लाज (एन) में किया गया है, कोई प्रबन्ध उचित न समझा जायगा जब तक कि उसमें बोर्ड की साधारण आमदनी का उसमें से विशेष सेवाओं द्वारा आई हुई बोर्ड की आमदनी निकाल के, कम से कम पाच प्रति सैकड़ा सूच न किया जाय ।

व्याख्या—

क्लाज (डी) के लिये देखिये दफा २४५ जिसमें बोर्डको हानिकारक व्यवसायोंके प्रबन्ध करनका अधिकार दिया गया है । इस एक्टकी दफा २९८ में बोर्डको हानिकारक, खतरे वाले और घृणित व्यवसायोंके लिये बाई लॉज (Bye Laws) बनानेका अधिकार दिया गया है, और दफा ८ की उपदफा (१) के क्लोज (आई) के द्वारा बोर्डको अधिकार है कि ऐसे व्यवसायोंके लिये या तो स्वयं उचित स्थान नियत और प्राप्त करे या प्राप्त करनेमें सहायता दे ।

क्लाज (ई) के लिये देखिये इस एक्टकी दफायें २०९, २१०, २११ जिनमें सड़कों या नालियों पर निकली हुई इमारतें बनाने, या सड़कोंके भाग दबा लेनेके विषयमें सजायें और बोर्डके अधिकार दिये गये हैं । दफा २६५ में रास्ते रोकनेके लिये सजा दी गई है और इन सम्बन्धोंमें बाई-लॉ बनानेका अधिकार दफा २९८ की उपदफा (२) की मद (इ) में दिया गया है ।

क्लाज (एफ) के लिये देखिये दफा २६३ ।

क्लाज (जी) के लिये देखिये दफा २८५ और दफा २९८ की उप दफा (२) ।

क्लाज (जे) के लिये देखिये दफायें २२४ से २३५ तक ।

क्लाज (के) पैदाइशों और मौतोंका हिसाब रखनेके लिये प्रत्येक बोर्डको आज्ञा दी गई है कि दफा २९८ की उपदफा (२) की मद (जे) के क्लोज (बी) के अनुसार बाई-लॉ बनाये । नमूनेके लिये हम सम्बन्धमें बाई-लॉ भी बना दिये गये हैं जो म्यूनिसिपल मैनुअलके २७२-२७३ पेजोंमें दिये गये हैं । म्यूनिसिपल मैनुअलके पेज ३१२-३१३ पर कुछ हिदायतें भी इस विषयमें दी गई हैं जिनका सारांश यह है -

“चेयरमैन या एग्जिक्युटिव अफसरके लिये आवश्यक होगा कि वह म्यूनिसिपल कर्मचारियों के कर्तव्य, पैदाइशों और मौतोंकी सूचनाकी जाच हरयादि करनेके विषयमें, नियम नियत करदे । ठीक ठीक गणना सभी हो सकती है जब दो जरियोंमें सूचना मांगी जाय । एक तो जनताको आज्ञा दी जाय कि वह, इस विषयमें नियत किये हुये, किसी दफतरमें, या किसी अफसरको, पैदाइश या मौतकी घटनाआकी सूचना दे । दूसरे, भगियोंके जिम्मे यह कर्तव्य करदे कि वे, जिस अफसरकी इसका काम सौंपा गयाहो, उसको इन घटनाओंकी सूचनादे । इतने दिनों के अनुभवसे मालूम हुआ है कि जो भगी किसी घटनाकी सूचनादे उसको कुछ इनाम दिया जाना आवश्यक है । तिन म्यूनिसिपल पलटियोंमें कि हेल्थ अफसर (Health Officer) रखा गया हो उनमें पैदाइश और मौतोंको रजिस्टरमें दर्ज कराना उमीक जिम्मे होगा । अ य म्यूनिसिपल पलटियोंमें यह आवश्यक होगा कि इस कामके लिये कोई विशेष कर्मचारी नियत किया जाय । परन्तु यह कर्मचारी और वह अफसर जिनको भगी सूचनादे, एकही शालय न होना चाहिये, परन अग्य २ दो शालय हों । बाँटके मेम्बर भी इन घटनाओंकी जाच करनेके लिये उत्साहित किये जायें, और हेल्थ अफसरके लिये उचित होगा कि वह गणने हकीम डाक्टरों आदिसे मिलता शलता रहे, क्योंकि उनकी सहायतासे मौतोंका कारण पूणतया मालूम हो सकता है । क्वररस्तानके मुहर्रीरों, मदानाक्षणों, भार तकियादारोंकी सहा

यता, मौतोंका पता लगानेके लिये, और दार्दियोंकी सहायता पैदाइशोंका पता लगानेके लिये, ली जा सकती है। इस विषयमें नमूनेके चार्ट लॉ जो बना दिये गये हैं वह मक्षेपमें यह है —

(१) घरका मुखिया, सरायका भटियारा, और कोई ऐसा शख्स जिसकी मियुर्दगीमें किसी धर्मशाला आदिका प्रबन्ध हो, उसका कर्तव्य होगा कि कुटुम्बमें, या उन लोगोंमें जो धर्मशाला आदिमें उठें कोई मौत या पैदाइशकी घटना होने पर, तीन दिनके भीतर, या तो स्वय सूचना दे, या किसी अन्य शख्सके हाथ लिखके सूचना भेजें।

(२) चार्ट लॉ न० (२) में बताया गया है कि घटनाकी सूचना देनेमें क्या २ बातें लिखना चाहिये, जैसे नाम, अवस्था, जाति, मुहल्ला, स्त्री या पुरुष इत्यादि।

(३) प्रत्येक मुहल्लेके भगीका कर्तव्य यह होगा कि ऐसी किसी घटनाकी, ३ दिनके भीतर, सेनिटरी इन्स्पेक्टरको (Sanitary Inspector), या जो शख्स इस कामके लिये नियत किया गया हो उसको सूचना दे।

(४) यदि कोई शख्स ऐसी घटनाकी सूचना न देगा तो, घरके मुखिया आदि पर, १०) रुपया जुर्माना होगा, और यदि भगी सूचना न दे तो उस पर ५) १० जुर्माना होगा"।

क्लाज (एल) के लिये दिये गये वैक्सिनेशन एक्ट, न० १३, सन १८८० (Vaccination Act, 13 of 1880) और उसके अनुसार बनाये हुये नियम।

क्लाज (एम) किसी बोर्ड के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह स्वय सार्वजनिक अस्पताल इत्यादि स्थापित करे और जारी रखे। यदि कोई बोर्ड किसी ऐसे अस्पताल की, जो किसी अन्य सार्वजनिक सस्था में स्थापित किया हो, या जारी रखा हो, आर्थिक और अन्य प्रकार की केवल सहायता करता रहे, तो यह माना जायगा कि ऐसे जोड़ने दफा ७के क्लोज 'एम' की आज्ञा पालन करदी।

क्लाज (एन) प्राथमिक शिक्षा के स्कूल स्थापित करना और उनको जारी रखना बोर्ड का एक मुख्य कर्तव्य माना गया है, और दफा ७ की उपदफा (२) में आज्ञा दी गई है कि बोर्ड अपनी आय का कम से कम ५ रुपया प्रति सैकड़ा इस मद में व्यय करे। इसके सम्बन्ध में देखिये प्राइमरी एजुकेशन एक्ट, न० ७ सन १९१९ई० (Primary Education Act, 7 of 1919) जो म्यूनिसिपलटीज एक्ट सन १९१६ ई० का ही भाग और परिशिष्ट समझा जाता है।

शिक्षा के लिये म्यूनिसिपलटी की ओर से क्या व्यय किया जाय, और म्यूनिसिपल स्कूलों के प्रबन्ध किस प्रकार किया जाना चाहिये, इसके विषय में G O न० ३६७ XI-२९५ E तारीख ३ मार्च सन १९१६, की आज्ञा का मक्षिप्त सार यह है - "सरकार का यह अभिप्राय नहीं है कि म्यूनिसिपल स्कूलों के चलाने के लिये कोई ऐसे नियम बाध दे जिनका बोर्ड अक्षरशः पालन करे, परन्तु सरकार से शिक्षा के लिये सहायता प्राप्त करनेके लिये नीचे लिखे नियमोंका पालन किया जाना आवश्यक है। प्राथमिक शिक्षाके लिये रुपया जो इस एक्टकी आज्ञानुसार प्रत्येक बोर्डको देना पडता है, या तो स्वय बोर्डके वर्नाक्यूलर मिडल प्राइमरी और प्रिपेरेटरी स्कूलों (Vernacular Middle Primary and Preparatory Schools) में लगाया जायगा, या घुसे ही स्कूलों में लगाने के लिये डिस्ट्रिक्ट बोर्डको दे दिया जायगा। ऐसे स्कूलोंका प्रबन्ध करनेके बाद यदि कोई रकम शेष रह जाय तो शिक्षा सम्बन्धी किसी अन्य कार्यमें लगाई जा सकती है। स्कूल जो म्यूनिसिपल बोर्ड स्थापित करे, या जारी रखे, उनका मुआहना स्कूलोंके इन्स्पेक्टर या नायब इन्स्पेक्टर, इत्यादि बिना रोक टोकके कर सकेंगे। किस प्रकारकी शिक्षा इन स्कूलोंमें देना चाहिये

इस विषयमें यह आज्ञायें दी गई हैं कि प्रथम तो योग्य शिक्षकोका नियत किया जाना जरूरी है और दूसरे पढाई का इस प्रकार प्रबन्ध किया जाय कि भिन्न भिन्न कक्षाओंकी पढाईमें एक दूसरे से सम्बन्ध रहे, आशा यह की जायगी कि जहाँ तक सम्भव हो उन नियमोंका अनुसरण किया जाय जो डिस्ट्रिक्ट बोर्डके लिये उक्त विषयोंमें बना दिये गये हैं। स्कूलोंको आर्थिक सहायता देनेसे यह आशाकी जाती है कि उन सब आज्ञाओंका, जहाँ तक सम्भव हो, अनुसरण किया जाय, जो प्राथमिक शिक्षाकी कमेटीने दी है। विदेय कर सहायता केवल ऐसे स्कूलोंको देना चाहिये जिनकी स्थिति आर्थिक तथा अन्य दृष्टियों से पकी हो, और जो, यदि स्वयं पूरे प्राइमरी स्कूल न हों, तो किसी प्राइमरी स्कूल से सम्बन्ध रखते हों, और उनमें से पास करके विद्यार्थियों की एक उचित संख्या अपर प्राइमरी (Upper Primary) कक्षा में पहुँचती हो। बोर्डों को ध्यान रखना चाहिये कि प्राइमरी (प्राथमिक) शिक्षा के सम्बन्ध में उनकी साधारण नीति (Policy) ऊपर वर्णन की हुई नीति के अनुसार होना चाहिये। यदि कोई बोर्ड जान बूझ कर उन शर्तों का, जिन पर सरकारा सहायता दी जाती है, उल्लंघन करेगा तो इसका यह परिणाम होगा कि सरकारी सहायता बन्द कर दी जायगी।

कलाज (ओ) के लिये देखिये दफायें १८७, १८८ और २९८।

कलाज (पी) के लिये देखिये दफायें ११६ और ११८।

कलाज (क्यू) के लिये देखिये दफा ९५।

२ म्यूनिसिपलटियों के बोर्ड प्राय "विशेष सेवायें" (Special Services) अपने ऊपर ले लिया करते हैं जैसे निजी घगलों के हातों में लालटेन जलाना, अथवा किसी मुहल्ले के पाखाने साफ कराना इत्यादि। इनमें जो व्यय बोर्ड को अपने कोष से लगाना पडता है वह बसूल होने पर "विशेष सेवाओं से आमदनी" की मद में डाला जाता है। वास्तव में वह आमदनी नहीं है वरन जो रुपया बोर्ड चुर्च कर चुकता है वही वापिस मिलता है। अतएव प्राथमिक शिक्षा के लिये ५ रुपया प्रति सैकडा देने के लिये बोर्ड की कुल आमदनी में से वह आमदनी निकाल दी जाती है जो "विशेष सेवाओं" के द्वारा उसको होती है।

दफा ८ कार्य जिनके करने या न करनेके लिये बोर्ड स्वाधीन है

१ म्यूनिसिपलटी के भीतर बोर्ड नीचे लिखे कार्यों को यदि चाहे, कर सकता है, और म्यूनिसिपलटी की हद्द के बाहर कमिश्नर की मजूरीसे उनको कर सकता है—

(ए) किसी रकबे में, चाहे उन पर इमारते बनी हों, या चाहे वह खाली हों, नये सार्वजनिक रास्ते बनवाना, और इस अभिप्रायसे उपरोक्त रास्तोंके किनारे मकान तथा उनके हातों के बनाने के लिये जमीन प्राप्तकरना।

(बी) सार्वजनिक पार्क, बाग पुस्तकालय अजायबघर (Museum) पागल-खाने, हाल (Hall) दफ्तर धर्मशाले ठहरनेके स्थान, पडाव, मुहताजखाने, दुग्धशाला (Dairy) स्नानागार (Baths) नहानेके घाट बस्त्रादि धोनेके घाट पानी पीनेके नल, तालाब कुएँ, बाध, तथा अन्य कोई तामीर, जो जनता के लिये लाभदायक हो बनवाना, स्थापित, करना, और कायम रखना।

- (सी) हानिकर स्थानों का सुधार करके उनको उपयोगी बना लेना ।
- (डी) प्राथमिक शिक्षा के स्कूल स्थापित करने और जागी रखने के अतिरिक्त, शिक्षा सम्बन्धी कार्यों की उन्नति अन्य उपायों के द्वारा करना ।
- (इ) महुमशुमारी कगना और पेसी सूचनाओं के लिये इनाम देना जिनके द्वारा पैदाइश और मौतों की गणना ठीक २ दर्ज हो सके ।
- (एफ) पैदाइश (Survey) करना ।
- (जी) स्थानीय विपत्तियों (Local Calamities) के पडने पर सहायता देने के लिये काम जागी करके, और उनको कायम रख के, या अन्य प्रकार, से जनता की सहायता करना ।
- (एच) ऐसे कुत्तों को जो किसी के पालतू न हो बन्द कर के रखने या मार डालने का प्रबन्ध करना ।
- (आई) दफा २९८ की मद (जी) के अंश (ए) में अङ्कित किये हुए किसी व्यवसायोंके लिये अथवा वस्तुयें बनानेके लिये कारखाने जारी करने के लिये, कोई उपयुक्त स्थान प्राप्त करना, अथवा प्राप्त करने में सहायता देना ।
- (जे) मैले के ठिकाने लगाने को कोई फार्म (Farm) अर्थात् कृषिक्षेत्र, अथवा कारखाना, जारी करना और उसको कायम रखना ।
- (के) टामचे रेल की सड़के या गमनागमनके अन्य उपायों को और बिजली की रोशनीके, या बिजलीके कारखाने बनाना, उनको आर्थिक सहायता देना, या उनके मुनाफे की जिम्मेदारी लेना ।
- (एल) मेले और प्रदर्शनी (Exhibition) लगाना या स्थापित करना ।
- (एम) सिवाय उस उपायके जिसका वर्णन दफा ७ में, या इस दफाके पूर्वोक्त हुक्मोंमें किया गया है और कोई उपाय हाथमें लेना जिसके द्वारा जनताकी कुशल, स्वास्थ्य और सुखकी वृद्धि होनेकी सम्भावना हो ।
- (एन) कोई ऐसा काम करना जिसके व्यय के विषय में प्रान्तीय सरकार या बोर्ड यह निश्चय करदे कि उक्त व्यय का भार म्यूनिसिपल कोष पर पडना उचित है । परन्तु ऐसा निश्चय यदि कोई शहर का बोर्ड करे, तो प्रान्तीय सरकारकी मजूरीसे और यदि कोई अन्य बोर्ड करे तो कमिश्नरकी मजूरीसे करे ।

२ बोर्ड यह भी व्यवस्था कर सक्ता है कि म्यूनिसिपलटीके किसी कार्यके लाभसे म्यूनिसिपलटीकी हदोंके बाहर भी उपकार हो ।

परन्तु शर्त यह है कि गवर्नर जनरल और उनकी कौंसिलकी इजाजत पहलेसे प्राप्त किये बिना, किसी म्यूनिसिपलटीके पानीके कारखानेके लाभ, किसी ऐसे स्थानीय

कृषेको लाभ पहुचानेके लिये विस्तृत न किये जायगे जो कोई पूरी छावनी या उसके कुछ भागही, या जिसमें कोई पूरी छावनी या छावनीका कुछ भाग सम्मिलत हो।
 व्याख्या—

(ग) के सम्बन्धमें देखिये दफा २१९ ।

(घ) के सम्बन्धमें देखिये दफा २४९। इसके त्रिपयमें बोर्डको याई लॉ बनानेका अधिकार दफा २९८ की मद H के अन्त (घ) के अनुसार दिया गया है ।

(जे) फार्म स्थापित करनेके त्रिपयमें म्यूनिसिपल मैन्युअलके पेज ३०७ पर हिदायत दी हुई है । उसके द्वारा म्यूनिसिपल बोर्डका ध्यान इस बातकी ओर दिलाया गया है कि पासानो आदिके गदे पानीमें नाइट्रोजन (Nitrogen) बहुत होता है जिससे यह भूमिकी उपजाऊ शक्ति खानेमें अत्यन्त उपयोगी है । इसलिये जहा कहीं सम्भव हो उसको ऐतोंके सौचनेके काममें लाना चाहिये ।

(के) देखिये म्यूनिसिपल मैन्युअलके पेज २७३ से २७७ तक ।

यदि कोई बोर्ड बिजलीका कार्यालय बनाना चाहे, उसको सरकारी पब्लिक वर्क्स (Public Works) विभागके इंजिनियरसे दरखास्त करना होगी । उक्त विभाग, खर्चके अन्दाजके लिये, ताल मीना बना देगा । बोर्ड उसपर प्रस्ताव पास करके, कमिश्नर की सेवामें इस अभिप्रायसे भेजेगा कि कमिश्नर उसको चीफ इंजीनियर (Chief Engineer) के द्वारा सरकारी म्यूनिसिपल विभागको भेज दे । इस पर जब मजूरी मिल जाय तो बिजलीका इन्स्पेक्टर (Electrical Inspector) बिना तालमीना आदि तैयार करेगा । उसको चेयरमैन प्रस्तावके द्वारा सरकार की अन्तिम मजूरीके लिये भिजवायेगा । अन्तिम मजूरी मिल जानेपर इण्डियन इलेक्ट्रिक एक्ट (Indian Electricity Act LX 1910) के अनुसार लैसन्स लेना होता है, तत्परिचात् कारखानेके बनानेके लिये बोर्ड टेण्डर (Tender) मागेगा, किन्तु बिना प्रान्तीय सरकार की मजूरीके बोर्डको टेण्डर स्विकार करनेका अधिकार न होगा । कोई शरस जिसका वेतन २५० रुपये मासिकसे अधिक होगा बिना प्रान्तीय सरकार की मजूरीके नहीं रखा जा सकता और कोई शरस कारखानेमें किसी ऐसे पद पर जिसमें थेलीके कामसे अभिज्ञता होना आवश्यक रखा गया हो बिना इलेक्ट्रिकल इन्स्पेक्टर की मजूरीके नियुक्त नहीं किया जा सकेगा । (विज्ञापन न० १९०६ XI-६H तारीख ६ जुलाई सन १९१६ई०)

(एन) प्रान्तीय सरकारने निम्न लिखित त्रिपयों पर व्ययका भार म्यूनिसिपल कोष पर डाला जाना उचित माना है —

- (१) म्यूनिसिपलटीके हदोंके भीतर निम्कका गोदाम खोलना ।
- (२) स्कूलोंके खेलनेके टूर्नामेंट (Tournament) में चन्दा देना । चन्देकी रकम भिन्न भिन्न पदाओंके लिये नियत करदी गयी है ।
- (३) ऐसे काट्योंमें व्यय करना जिसका मुख्य उद्देश जनताको लाभ और आराम पहुचानेका हो
- (४) म्यूनिसिपल कर्मचारियोंको, जो कसौली को कुत्ता काटेका हलज कराने जाय, वैसी ही आर्थिक सहायता देना जैसी कि सरकारी नौकरोंको सरकार देती है (देखिये म्यूनिसिपल मैन्युअलके पेज २५३ और २५४)

—हालमें प्रान्तीय सरकारने यह निश्चय कर दिया है कि गवर्नर अथवा गवर्नरजनरलके आतिरिक्त यदि बोर्ड किसीको अभिनन्दना पत्र (Address) दे तो उसपर जो व्यय हो उसका भार

म्यूनिसिपल कोष पर ढाला जाना उचित नहीं है। परन्तु यह बात ध्यान देने योग्य है कि बोर्ड यह मनाई नहीं की गयी है कि अपनी इच्छानुसार जिसको वह चाहे अभिनन्दन पत्र न दे, वरन् वह हुक्म केवल इतनाही है कि दफा ८ के क्लोज (एन) के अनुसार, सिवाय गवर्नर या जनरलके अन्य किसीको अभिनन्दन पत्र देनेका ब्यय मंजूर नहीं किया जायगा। हमारी यह हुक्म अधिकारों पर अमर डालता है और परिवर्तन शील है।

दफा ९ बोर्ड में साधारणतः कौन शख्स होंगे

१ सिवाय उस दशाके जिसके लिये इसके बाद वाली दफामें कोई हुक्म हो प्रत्येक बोर्ड में साधारणतः नीचे लिखे शख्स सम्मिलित होंगे —

- (ए) निर्वाचित मेम्बरों (Elected) की उतनी संख्या जितनी कि प्रान्तीय सरकार इस अभिप्राय से विज्ञापन द्वारा नियत कर दे।
- (बी) जब कोई ऐसा शख्स जो बोर्ड का मेम्बर नहीं है चैयरमैन चुना जाय या नामजद किया जाय तो ऐसा चुना हुआ या नामजद किया हुआ शख्स।
- (सी) जिन म्यूनिसिपलटियोंमें दफा ११ के अनुसार भिन्न भिन्न दीनोंको अपने प्रतिनिधि (Separate Representation) भेजनेका अधिकार दे दिये जाने का हुक्म कर दिया गया है तो वे शख्स जो, उप दफा (१) में बताई हुई विधिके अनुसार नामजद किये गये हो और जिनकी संख्या (यदि कोई हो) निर्वाचित मेम्बरों की नियमित संख्या की एक तिहाई से अधिक न होगी।
- (डी) अन्य म्यूनिसिपलटियोंमें ऐसे लोग जो उपदफा (३) में बताई हुई के अनुसार नामजद किये गये हो, और जिन की संख्या (यदि कोई हो) निर्वाचित मेम्बरों की नियमित संख्याकी एक तिहाईसे अधिक न होगी।

२ जो मेम्बर उपदफा (१) के क्लोज (सी) के अनुसार नामजद किये जाय हैं उनमें से दो से अधिक को प्रान्तीय सरकार नामजद करने की अधिकारी न और शेष को ऐसे नामजद करने वाले समुदाय नामजद करेंगे जिनको प्रान्तीय सरकार इस अभिप्राय से कायम कर दे।

परन्तु शर्त यह है कि कोई समुदाय, जिसको दफा ११ के अनुसार अपने प्रतिनिधि अलग भेजने का अधिकार दे दिया गया है नामजद करने वाला समुदाय न कायम किया जायगा।

३ उपदफा (१) के क्लोज (डी) के अनुसार जो मेम्बर नामजद किये जा सकते हैं उनको प्रान्तीय सरकार या तो स्वयं नामजद कर सकती है या वह उस विधि से नामजद किये जायेंगे जो प्रान्तीय सरकार नियम द्वारा नियमित कर दे।

व्याख्या—

प्रत्येक प्रकारके मेम्बरोंकी संख्या और उनके निर्वाचन आदिके विषयमें जो एक दफामें हुक्म है उनको एक ठिकाने करके समझने में सुविधा होगी इस आशयसे वे नीचे दिये जाते हैं।

(१) चैयरमैन—यदि कोई बाहरी शख्स चैयरमैन बनाया जाय तो बोर्ड का वह भी एक मेम्बर माना जायगा।

(२) निर्वाचित मेम्बर—प्रत्येक म्यूनिसिपलट्रीके लिये प्रान्तीय सरकार इनकी सख्या निश्चय करदेगी। इनमें से कुछ मेम्बर दफा ११ की उपदफा (१) क्वाज (बी) के अनुसार किसी विशेष 'दीन' (सजहय) के मेम्बर हो सकते हैं।

(३) नामजद मेम्बर—यदि सरकार चाहेतो कुछ मेम्बर नामजद करसक्तीहै परन्तु इनकी सख्या निर्वाचित मेम्बरोंकी एक तिहाईसे अधिक न होगी। इनको चाहे प्रान्तीय सरकार स्वयं नामजद करदे या जिस प्रकार चाहे नामजद करादे। जिन म्यूनिसिपलट्रियों में भिन्न भिन्न दीनों के मेम्बर होंगे उन में नामजद मेम्बरोंकी सख्या निर्वाचित मेम्बरों से चौथाई से अधिक न होगी और उनमें से दोसे अधिक को प्रान्तीय सरकार नामजद न कर सकेगी, शेषको वह समुदाय नामजद करेंगे जिन को प्रान्तीय सरकार अधिकारदे और जो समुदाय उन दीनोंके न होंगे जो अपने मेम्बर अलग भेजते हों।

—सयुक्त प्रान्तकी, प्रत्येक म्यूनिसिपलट्रीके लिये भिन्न २ प्रकारके मेम्बरोंकी जो सख्या नियत करदी गईहै उसके लिये दियेये म्यूनिसिपल मैनुअलके पेज १८९ से १९१ तक।

—मेम्बर नामजद करने वाले समुदायोंके लिये नामजद करनेकी विधि— (१) जब कोई चेंबर ऑव कामर्स (Chamber of Commerce अर्थात् व्यापारियाकी सभा), रेलवे कम्पनी या कोई अन्य सभा या सस्था को, चाहे वह सगठित (Incorporated) हो या न हो, एक्टकी दफा ९ की उपदफा (२) के अनुसार मेम्बर नामजद करनेका अधिकार दिया गयाहो तो यह अधिकार किसी ऐसे शरत्के द्वारा बरता जायगा जिसको उस समय उस सभा या सस्थाके साधारण स्थानीय काम क्वाज चलाने का अधिकार सौंपा गयाहो।

परन्तु शर्त यह है कि इलाहाबाद विद्वाविद्यालय (University) नामजद करनेके अधिकारको सेनट (Senate) के द्वारा बरतेगी। (२) यदि दो या दो से अधिक सभायें या सस्थायें मिलाके एक नामजद करने वाला समुदाय बनाया गयाहो तो, ऊपर दी हुई विधि से, प्रत्येक ऐसी सभा या सस्था एक शरत्को चुन लेगी, और ऐसे चुने हुये शरत्तों में फिर जिसके लिये सबसे अधिक वोट (Vote) हों वही उस समुदायकी ओरसे नामजद मेम्बर माना जायगा। यदि ऐसे दो या अधिक शरत्तों के लिये बराबर वोटहों तो चिट्ठी डालके उनमेंसे एक चुन लिया जायगा।

(३) कोई शरत्त जो किसी नामजद करने वाले समुदायकी ओरसे मेम्बर नामजद किया गया हो, उसके लिये यह आवश्यक होगा कि उस तारीख से, जिस पर कि उसके नामजद होने की सूचना चेंबरमें को और जिला मेजिस्ट्रेटको दी गई हो, तीन दिन समाप्त होने तक, न तो बोर्डकी मीटिंग में जाय, और न मेम्बरकी हैसियतसे कोई अन्य कार्य करे। (विज्ञापन नं० २०९२—IX—६ H, तारीख १६ अगस्त सन् १९१६ ई०)

—सयुक्त प्रान्तके म्यूनिसिपलट्रीज एक्ट १९१६ ई०की दफा ३२७ के द्वारा दिये हुये अधिकारको बरतते हुये प्रान्तीय सरकारने, दफा ९ की उपदफायें (२) और (३), तथा दफा १० के क्वाज (ए) के द्वारा दिये हुये म्यूनिसिपल बोर्डोंके मेम्बर नामजद करनेके अधिकारको, कमिश्नरियों के कमिश्नर को सौंप दियाहै। साधारणत मेम्बरोंकी नामजदगी जिला मेजिस्ट्रेटकी सिफारिशके अनुसारकी जायगी, और जिला मेजिस्ट्रेट, (सिवाय उस हालतके कि किसी विरोध कारणसे वह बोर्डके मेम्बरों का निर्वाचन हो जानेके बादके लिये अपनी सिफारिशको मुन्तवरी करदे) इस बातकी सिफारिश कि किसको नामजद मेम्बर कराना चाहता है, उस तारीखसे कमसे कम तीन मास पूर्व, जिस पर कि उस नामजद किये हुये मेम्बरकी जो उस समय मेम्बर हो, अबाधि समाप्त होगी, भेज देगा। (विज्ञापन

नं० ४२७० XI—H४ तारीख २७ नवम्बर सन् १९१७ ई० और विज्ञापन न० ५९४ XI—१०८ C, तारीख २७ फरवरी सन् १९०५ ई०)

—यदि कोई जज खफीफा (Smallcause Court Judge) या कोई सबजद, या मुन्सिफ बोर्ड का मेम्बर, सेक्रेटरी, या वार्ड्स चैयरमैन निर्वाचित हो, या नामजद किया जाय, तो उस पदको स्वीकार करने से पूर्व उसके लिये आवश्यक होगा कि जिला जजके द्वारा हाईकोर्ट के दरवास्तदे कि उसको वह पद स्वीकार करनेकी आज्ञादी जाये। (हाईकोर्ट का सरक्युलर न० १, ता० ३ फरवरी सन् १८८३ ई०)

दफा १० बोर्ड के साधारण सङ्गठनमें परिवर्तन करनेका प्रान्तीय सरकार का अधिकार

१ प्रान्तीय सरकार किसी म्युनिसिपलटी के विषय में विज्ञापन द्वारा यह निश्चय कर सकती है कि उसकी स्थित के विचार से पूर्वोक्त दफा के हुक्मों का उस म्युनिसिपलटी में लगाया जाना अनुचित है, और ऐसी हालत में बोर्ड में साधारणतः नीचे लिखे शब्दों सम्मिलित होंगे—

(ए) प्रान्तीय सरकार द्वारा नामजद किये हुये मेम्बरों की ऐसी सूख्या जो प्रान्तीय सरकार इस अभिप्रायसे, विज्ञापन द्वारा, नियमित कर दे। और

(बी) निर्वाचित मेम्बरों की ऐसी सूख्या जो प्रान्तीय सरकार इस अभिप्रायसे, विज्ञापन द्वारा, नियमित कर दे। और

(सी) जब कोई ऐसा शब्द जो मेम्बर नहीं है, चैयरमैन चुना जाय, या नामजद किया जाय, तो ऐसा चुना हुआ या नामजद किया हुआ शब्द।

परन्तु शर्त यह है कि किसी ऐसी म्युनिसिपलटी के विषय में कोई विज्ञापन उप दफा (१) के अनुसार जारी न किया जायगा जिसका बोर्ड, दफा ९ के हुक्मों के अनुसार, पहले ही सङ्गठित किया जा चुका हो।

व्याख्या—

दफा १० उन म्युनिसिपलटियों पर लागू की जा सकती है जिनमें किसी विशेष कारणोंसे दफा ९ के अनुसार बोर्डका साधारण सङ्गठन रखना उचित नहीं होता। जैसे नैनीतालमें मुख्य आबादी अङ्गरेजों तथा ऐसे परदेशियोंकी होनेके कारण जो केवल ग्रीष्म ऋतुमें आ कर निवास करते हैं, उसके बोर्डका सङ्गठन दफा ९ के अनुसार करना उचित नहीं समझा गया, वरन् उसकी विशेष स्थितिकी दृष्टिसे उस पर दफा १० लागू करके बोर्डमें निर्वाचित तथा नामजद मेम्बरों की संख्या लगभग बराबर रखी गयी है, और उसके बोर्डमें मुसलमानों तथा चौर मुस्लिमों की जगहें भी अलग अलग नहीं रखी गयी हैं।

—परन्तु प्रान्तीय सरकारको यह अधिकार नहीं दिया गया है कि किसी ऐसी म्युनिसिपलटी के विषयमें जिसका बोर्ड दफा ९ के अनुसार बनाया जा चुका हो, यह निश्चय करे कि उनमें दफा १० लागू करदी जाय, केवल जो नये बोर्ड १ जुलाई सन् १९१६ ई० (अर्थात् इस एक्टके प्रचलित होने की तारीख) के बाद बनाये जाय उनमेंसे जिनमें चाहे दफा १० लगा दे सकती है।

— सयुक्त प्रान्तमें अब तक केवल दो बोर्ड हैं जिनका सङ्गठन दफा १० के अनुसार किया गया है अर्थात् (१) नैनीताल (२) ललितपुर ।

दफा ११ बोर्डमें स्थानीय तथा समुदायोंके विशेष प्रतिनिधि भेजे जानेके सम्बन्धमें हुक्म

१ किसी म्यूनिसिपलटी, या एक से अधिक म्यूनिसिपलटियों के लिये नियम द्वारा प्रान्तीय सरकार नीचे लिखे विषय नियमित कर सकती है —

(ए) म्यूनिसिपलटीकी दो या दो से अधिक हलकों (Wards) में विभक्ति और उन प्रतिनिधियों की चल्त्या, जो प्रत्येक हलके से चुनी जायगी ।

(बी) निर्वाचित मेम्बरों में जनता के किसी समुदाय के विशेष प्रतिनिधि भेजे जाने के विषय में उपाय ।

२ परन्तु शर्त यह है कि वह समुदाय जिनको दीन (मजहब) के विचार से प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार होगा वह केवल नीचे लिखे दो समुदाय होंगे अन्य कोई नहीं —

(ए) वह समुदाय जिसमें केवल मुसलमान रखे जायगे ।

(बी) वह समुदाय जिसमें मुसलमानों के अतिरिक्त और सब दीनों (मजहब) के शास्स रखे जायगे ।

३ परन्तु यह भी शर्त है कि दो प्रतिनिधियोंसे अधिक भेजनेका किसी ऐसे समुदाय को, नियम द्वारा, अधिकार न दिया जायगा जिसको विशेष प्रतिनिधि भेजने का हुक्म दीनके विचारके अतिरिक्त, किसी अन्य विचारसे दिया गया हो, जयतक कि म्यूनिसिपलटी किसी नियम के द्वारा, जो इस विषय में हो, विशेष रूपसे इस हुक्मसे विमुक्त न कर दी गई हो ।

व्याख्या—

इस दफा के अनुसार दीनकी दृष्टिसे केवल मुसलमानोंको विशेष प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार दिया गया है अन्य किसी दीन (मजहब) को नहीं ।

—अन्य विचारोंमें विशेष प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार अनेक म्यूनिसिपलटियों को प्राप्त है । जैसे कापुर म्यूनिसिपलटीमें मारवाडियोंको दो विशेष प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार है । कासगञ्ज म्यूनिसिपलटीमें रेलवेके गौकरों की एक मेम्बर भेजनेका अधिकार है, इत्यादि ।

दफा १२ भिन्न भिन्न दीनोंके विशेष प्रतिनिधि भेजे जानेके हुक्म पर शासित शर्तें

१ प्रान्तीय सरकार का, उन नियमों के बनाने का अधिकार जिनके द्वारा पूर्वोक्त दफा की उपदफा (२) में निर्दिष्ट किये हुये किसी समुदाय को दीन के विचार से विशेष प्रतिनिधि भेजने का अधिकार इस प्रकार दिया जाय कि उस समुदाय को बोर्ड के निर्वाचित मेम्बरोंकी कुछ जगह देदीजाय, इस दफामें वर्णित शर्तोंमें अधीन होगा ।

२ किसी समुदाय को जगहोंकी जो संख्या दी जावेगी वह किसी म्यूनिसिपलटी के बोर्ड में निर्वाचित मेम्बरों की जगहों की पूर्ण संख्या के आधार पर निश्चित न की जायेगी, वरन उक्त पूर्ण संख्या में से उन सब निर्वाचित मेम्बरों की जगहों को घटा के, जो किसी समुदाय या समुदायों को दीन के विचार के अतिरिक्त, अन्य किसी विचार से दी गई हों, निश्चित की जायेगी।

३ उक्त समुदाय को जो जगहें दी गई हों, उनका उपदफा (२) में बताई हुई जगहों की पूर्ण संख्या के साथ वही समानुपात (Proportion) होगा जो किसी म्यूनिसिपलटी में उक्त समुदाय की जन संख्या का म्यूनिसिपलटी की पूर्ण जन संख्या के साथ समानुपात होगा।

परन्तु शर्त यह है कि, इस दफा में दिये हुये हिसाब के लगाने के लिये, यदि उक्त समुदाय की जन संख्या—

(ए) म्यूनिसिपलटीकी पूर्ण जन संख्या के २५ प्रति सैकड़ा से कम होगी तो २६ भर बढ़ा दी जायेगी। और

(बी) यदि म्यूनिसिपलटीकी पूर्ण जन संख्याके २५ प्रति सैकड़ासे अधिक हो परन्तु ३८५ प्रति सैकड़ा से कम हो तो बढ़ाके उसकी ऐसी संख्या कर दी जायेगी जिसका समानुपात (Proportion) पूर्ण जन संख्या के साथ वही हो जो अन्त में बताये हुये समानुपात का है।

४ जब उस हिसाबका जो उपदफा (३) में नियमित किया गयाहै उत्तर (Result) एक भिन्न संख्या (Fraction) आवे या उसमें एक पूर्णाङ्क संख्या (Whole number) और एक भिन्न संख्या, दोनो हों तो सिवाय उस दफा के कि वह भिन्न संख्या $\frac{1}{2}$ से बड़ी हो और उसका अंश किसी ऐसे समुदाय पर पड़ता हो जिसमें म्यूनिसिपलटी की पूर्ण जन संख्या के आधे से कम शख्स शामिल हों, तो भिन्न संख्या काट दीजावेगी परन्तु यदि ऊपर बताई हुई दोनो बातें उपस्थित हो तो प्रान्तीय सरकार दफा ९ या १० के हुक्म के अनुसार, अर्थात् जैसी हालत हो विज्ञापन द्वारा निर्वाचित मेम्बरों की जगहों की संख्या में वर्तमान समय के लिये एक जगह बढ़ा देगी, और पूर्वोक्त हिसाब में जितनी पूर्णाङ्क संख्या (Whole number) हो उसके ऊपरसे इस नई कायमकी हुई जगह को भी उक्त समुदाय को दे देगी।

५ जब जब कि सूधेकी नई मर्दुमशुमारी (Census) के अन्तिम नकशे (Returns) प्रकाशित किये जाय प्रान्तीय सरकार उन नकशोंके आधारपर दशमलव (Decimal) के एक अङ्क तक जिसका अङ्क पूर्णाङ्क संख्याके ज्यादा निकट हो (To one and the nearest place of decimal) यह निश्चय करेगी कि सयुक्त प्रान्त की कुल म्यूनिसिपलटियों में (नैनीताल और मसूरी की म्यूनिसिपलटियों को छोड़ कर) उस समय मुसलमानों की आबादी के जोड़ को उक्त म्यूनिसिपलटियों की कुल आबादी के जोड़ से, प्रति सैकड़ा क्या हिसाब है (Percentage) और जो संख्या प्रति सैकड़ा इस प्रकार निश्चय की जावे, उसके विषय में यह समझा जायेगा कि वह उपदफा (३) के

कलाज (वी) में ३८५ प्रति सैकड़ा की सख्या (जो उक्त कलाज में निर्दिष्ट की गयी है) की जगह उस तारीख से जब कि वह प्रिहापन के द्वारा, जो इस विषय में हो, प्रकाशन की जाय बदल के रखी गयी है, और उस समय तक के लिये रखी गयी है, जब तक कि उन उपदफा के अनुसार नया विहापन जारी न हो ।

व्याख्या—

दीन के विचारसे जिन समुदायों को दफा ११ की उपदफा (२) के अनुसार विशेष प्रतिनिधि (अर्थात् अपनी सख्याके हिसारसे जितने प्रतिनिधि भेज सकते हों उससे अधिक) भेजनेका अधिकार दिया गया है व केवल दो हैं अर्थात् (१) मुसलिम (२) गैर मुसलिम, इन दोनोंमें से जिसकी जन संख्या किसी विशेष म्यूनिसिपल्टीमें कम होगी उसीको विशेष प्रतिनिधि भेजने का अधिकार हो जायगा और उस को जगह देनेके बाद जो जगह उचरहेगी वह दूसरे समुदायको मिल जायगी । जो नियम दफा १२ में बताया गया है वह उस समुदाय के लिये है जिसको इसकी जन सख्या कम होनेके कारण, विशेष प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार हो । प्रत्येक म्यूनिसिपल्टीमें यह वह समुदाय होगा जिसकी जनसख्या दूसरे समुदायकी जनसख्यासे कम हो जैसे आगरा की म्यूनिसिपल्टीमें गैर मुसलिम जनसख्या अधिक है । इस लिये उसमें मुसलमानोंको विशेष प्रतिनिधि, दफा १२ के अनुसार दिये जायगे । इसके विपरीत नदायू म्यूनिसिपल्टीमें मुसलमानोंकी जनसख्या अधिक है इस लिये विशेष प्रतिनिधि भेजने का अधिकार, दफा १२ के अनुसार, केवल गैर मुसलिम समुदायको होगा ।

—नीचे लिखे उदाहरणोंके द्वारा उपदफा (२) का अर्थ समझनेमें सुविधा होगी —मान लीजिये कि किसी म्यूनिसिपल्टीमें कुल २० निर्वाचित मेम्बरों की जगह है । उनमेंसे २ मेम्बर चुनने का अधिकार व्यापारिया की किमी सभाको दिया गया है, और २ मेम्बर चुननेका अधिकार विद्याविद्यालय को दिया गया है । अतएव इन विशेष प्रतिनिधियों की ४ जगहें पहले २० में से घटादी जायगी । शेष १६ जगहें जो बचीं उनके आधार पर हिसाब लगाया जायगा, कि उनमें से कितनी जगहें मुसलमानोंको, और कितनी गैर मुसलिमोंको दी जाय ।

—उपदफा (३) के अनुसार, जिस समुदायको विशेष प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार हो, उसको इन उची हुई १६ जगहोंमें से कितनी जगहें दी जायगी? वह जगहें इस प्रकार बाटी जायगी । मान लीजिये कि उक्त म्यूनिसिपल्टी की कुल जनसख्या ४०,००० है, और उनमें से १०,००० मुसलमान हैं अर्थात् मुसलमानों की संख्या कुलकी $\frac{1}{4}$ है, तो मुसलमानों को, १६ की $\frac{1}{4}$ अर्थात् ४ जगहें, दी जायेंगी, शेष १२ गैर मुसलिमोंको मिलेंगी ।

—उस दशा के लिये जब कि दफा ११ की उपदफा (२) में बताये समुदायों में से किसी एक की जन सख्या बहुत कम हो तो कानून के द्वारा उस समुदाय को कुछ विशेष प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार दे दिया जाता है, अर्थात् जितने प्रतिनिधि उस समुदायके भागमें सख्याके हिसाब से आते उतमें कुछ वृद्धि करदी जाती है इस विषयमें यह नियम है —

(५) यदि किसी म्यूनिसिपल्टीमें किसी समुदाय की जन सख्या २५ प्रति सैकड़से कम हो तो उसकी जन सख्याका १०० के साथ जो समानुपात (Proportion) हो उस समानुपात में $\frac{1}{4}$ भर वृद्धि करनी जायगी । यह ध्यान रहे कि $\frac{1}{4}$ की वृद्धिका अर्थ “प्रति सैकड़ा $\frac{1}{4}$ की वृद्धि” कर देने का न लगाया जाय, वरन यह

३/४ की वृद्धि समनुपातकी सरयामें की जायेगी (देखिये प्रश्न न० २ जो उदाहरणार्थ नीचे हल किये गये हैं)

(बी) यदि किसी समुदाय की जन सख्या कुल जन सख्या के २५ प्रति सैकड़ा से अधिक हो, परन्तु ३८ ५ से कम हो तो ऐसे समुदायकी जन संख्या ३८ ५ प्रति सैकड़ा मानली जायगी और उसको उतनी जगहोंदे दी जायगी जितनी ३८ ५ प्रति सैकड़ा के हिसाब से आवे ।

स्वाभावत यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह ३८ ५ की सख्या किस प्रकार मान ली गयी है ? समुक्त प्रान्त की म्यूनिसिपलटियों की पूर्ण जनसख्या के जोड़ और उन सब म्यूनिसिपलटियों के मुसलमानों की जन सख्या के जोड़ का अनुपात (Ratio) है १०० - ३८ ५, अर्थात् म्यूनिसिपलटियोंकी आबादीमें १०० पर ३८ ५ मुसलमान हैं इसीसे यह सरया ले ली गयी है ।

वप दफा (४)—मान लीजिये कि उपरोक्त हिसाब लगाने से किसी समुदाय के भाग में जो जगहें आवें वह भिन्न सरया (Fraction) हो जैसे $\frac{३}{४}$, $\frac{१}{२}$ इत्यादि, अथवा उसमें एक पूर्णा संख्या (Whole number) आवे, और एक भिन्न सख्या भी, जैसे $\frac{४}{३}$ तो ऐसी दशा में क्या करना होगा, क्योंकि मेम्बरों की वेचल पूर्णा संख्याही हो सकती है, जैसे १, २, ३ इत्यादि । इस दशा के लिये यह उपाय बताया गया है —

(अ) (१) यदि भिन्न सरया आधे से अधिक हो, और (२) समुदायकी जन सरया कुल जन सख्या के $\frac{१}{२}$ से कम हो, अर्थात् यदि यह दोनों दशायें उपस्थित हों, तो निम्न संख्या बढ़ाके १ मानली जायगी, अर्थात् मेम्बरोंकी जितनी पूर्णा संख्या हिसाबसे आवे, उसमें एक मेम्बर और बढ़ाके उक्त समुदायको दे दिया जायगा ।

[उसूल यह है कि जब थोड़े में किसी समुदायके मेम्बर आवेने कम हों, और भिन्न सख्या इकाई से थोड़ी सी कम रह जाने के कारण उस समुदायके मेम्बर और कम हुआ जाता हो, तो ऐसी दशामें ऐसे समुदायको एक और मेम्बर दूसरे समुदायको हावि न होगी । इसके विपरीत यदि किसी समुदायके से अधिक मेम्बर न्यायके समुदायके सग ऐसी

(आ) उपस्थित न हों नञ्चे प्रश्न मेम्बरों की संख्या उन्नर

में, अर्थात् उडादी जायगी । से दफा १२ में, सरया

बताई हुई सग कायदे की

अथ $\frac{३}{४}$ जो आबादी ६० %, अर्थात् दी जायगी और गैर

प्रश्न (२) एक म्यूनिसिपलटी में जिसमें मुसलमानों की आबादी २० प्रति सैकड़ा है, मेम्बरोंकी १६ जगहें हैं तो उसमें मुसलमानोंको कितनी जगहें मिलेंगी? मुसलमानोंकी आबादी है २०%,

उत्तर— उनके प्रतिनिधियों का अनुपात हुआ $\frac{20}{100} = \frac{1}{5}$

परन्तु जब किसी समुदायकी जन संख्या २५ % से कम होती है तो दफा १२ के अनुसार जो अनुपात जन संख्याके हिसाबसे आता है उसमें $\frac{1}{5}$ भर वृद्धि करदी जाती है, $\frac{1}{5}$ में $\frac{1}{5}$ भर वृद्धि करदी जायगी, अर्थात् —

$\frac{1}{5}$ का $\frac{1}{5} = \frac{1}{25}$ भर वृद्धि होगी ।

$\frac{1}{5} + \frac{1}{25} = \frac{6}{25}$

अथ यह देखना है कि जब एक मेम्बरमें $\frac{6}{25}$ भर मुसलमानोंकी जगहें होंगी तो १६ मेम्बरों में कितनी होगी ?

$1 \quad 16 \quad \frac{6}{25} \quad \propto = 16 \times \frac{6}{25} = 6\frac{4}{5}$

अब यह देखना चाहिये कि $\frac{6}{5}$ जो भिन्न संख्या उत्तरमें है वह बढ़ाके एक की जा सकती है कि नहीं। $\frac{6}{5}$ छोटा है $\frac{1}{5}$ से। इस लिये दोनों शतों जो ऊपर (अ) में बताई गयी हैं पूरी नहीं होती। अतएव $\frac{6}{5}$ उड़ा दिया जायगा और मुसलमानों को केवल ४ जगहें मिलगी ।

प्रश्न (३) एक म्यूनिसिपलटी में मुसलमानों की आबादी ३५ प्रति सैकड़ा है और बोर्ड में १८ मेम्बर हैं, तो मुसलमानों को कितनी जगहें मिलेंगी ?

उत्तर—मुसलमानों की आबादी २५ % से अधिक है, परन्तु ३८ % से कम है, इस लिये दफा १२ के अनुसार उनके सग यह रियायतकी जायगी कि उनकी आबादी ३५ प्रति सैकड़ाकी जगह ३८ प्रति सैकड़ा मानली जायगी ।

मुसलमानों के प्रतिनिधियों का अनुपात पहा—

$\frac{35}{100} = \frac{35}{100} = \frac{7}{20} = \frac{7}{20} \times \frac{1}{1} = \frac{7}{20}$

इस अनुपातके हिसाबसे यह देखना है कि १८ जगहोंमें मुसलमानों को कितनी जगहें मिलेंगी ?

$1 \quad 18 \quad \frac{7}{20} \quad \propto = 18 \times \frac{7}{20} = 6\frac{3}{10}$

अत्र इतना और देरना है कि $\frac{3}{10}$ जो भिन्न संख्या जवाबमें आई है वह उड़ा दी जायगी या बढ़ाके १ कर दी जायगी ।

यह भिन्न संख्या $\frac{3}{10}$ से बड़ी है और मुसलमानोंकी जन संख्या ३८ % मानी गयी है, अर्थात् वह भी म्यूनिसिपलटीकी कुल जन संख्याके $\frac{3}{10}$ से कम है अतएव यह दोनों शतों जो ऊपर (अ) में बताई गई हैं, पूरी होजाती हैं, इसलिये प्रान्तीय सरकार इस भिन्न संख्याको यथाके १ मान लगी । यह १ जगह भी मुसलमानों को दी जावेगी, अर्थात् मुसलमानों को ६+१=७ जगहें मिलेंगी ।

—उपदफा (५) में जो ३८ प्रति सैकड़ा अनुपात दिया गया है वह हालमें बदल दिया गया है । G O No 2197 / XI-32 तारीख २१ जुलाई सन् १९२३ ई० के द्वारा प्रकाशित कर दिया गया है कि प्रान्तकी महामन्त्री सन १९२३ ई० के अन्तिम नम्बरेके आधारपर श्रीमान गवर्नरने अपने मन्त्रियों (Ministers) की सहमतिसे समस्त प्रान्त की म्यूनिसिपलटीज एक्ट सन् १९१६ ई० की दफा १२ की उपदफा (५) में प्रान्तकी सय म्यूनिसिपलटियों की (सिवाय नैनीताल और मसूरी की म्यूनिसिपलटियोंके) कुल जन संख्याके जोड़का उक्त म्यूनिसिपलटियोंके मुसलमानों की जन संख्याका प्रति सैकड़ा अनुपात ३७ प्रति सैकड़ा करने की आज्ञा दे दी है ।

$\frac{1}{2}$ की वृद्धि समनुपातकी सख्यामें की जावेगी (देखिये प्रश्न न० २ जो उदाहरणार्थ नीचे हल किये गये हैं)

(वी) यदि किसी समुदाय की जन सख्या कुल जन सख्या के २५ प्रति सैकड़ा से अधिक हो, परन्तु ३८.५ से कम हो तो ऐसे समुदायकी जन सख्या ३८.५ प्रति सैकड़ा मानली जायगी और उसको उतनी जगहें दे दी जायगी जितनी ३८.५ प्रति सैकड़ा के हिसाय से आवें ।

स्वाभावत यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह ३८.५ की सख्या किस प्रकार मान ली गयी है ? संयुक्त प्रान्त की म्यूनिसिपलटियों की पूर्ण जनसंख्या के जोड़ और उन सत्र म्यूनिसिपलटियों के मुसलमानों की जन सख्या के जोड़ का अनुपात (Ratio) है १०० : ३८.५, अर्थात् म्यूनिसिपलटियोंकी आबादीमें १०० पर ३८.५ मुसलमान हैं इसीसे यह संख्या ले ली गयी है ।

उप दफा (४)—मान लीजिये कि उपरोक्त हिसाब लगाने से किसी समुदाय के भाग में जो जगहें आवें वह भिन्न सख्या (Fraction) हो जैसे $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{5}$ इत्यादि, अथवा उसमें एक पूर्ण संख्या (Whole number) आवे, और एक भिन्न सख्या भी, जैसे $\frac{1}{2}$ तो ऐसी दशा में क्या करना होगा, क्योंकि मेम्बरों की केवल पूर्णाङ्क सख्या ही हो सकती है, जैसे १, २, ३ इत्यादि । इस दशा के लिये यह उपाय बताया गया है —

(अ) (१) यदि भिन्न संख्या आधे से अधिक हो, और (२) समुदायकी जन संख्या कुल जन संख्या के $\frac{1}{2}$ से कम हो, अर्थात् यदि यह दोनों दशायें उपस्थित हों, तो भिन्न सख्या बढ़ाके १ मानली जायगी, अर्थात् मेम्बरोंकी जितनी पूर्णाङ्क सख्या हिसाबसे आवे, उसमें एक मेम्बर और बढ़ाके उक्त समुदायको दे दिया जायगा ।

[उसूल यह है कि जब बोर्ड में किसी समुदायके मेम्बर आधेसे कम हों, और भिन्न सख्या इकाई से थोड़ी सी कम रह जाने के कारण उस समुदाय का एक मेम्बर और कम हुआ जाता हो, तो ऐसी दशामें ऐसे समुदायको एक और मेम्बर मिल जाने से, दूसरे समुदायको कोई विशेष हानि न होगी । इसके विपरीति यदि किसी समुदायके, बोर्ड में, आधे से अधिक मेम्बर हों, तो ऐसे समुदायके सग ऐसी रियायत करना, न्यायके विरुद्ध होगा ।]

(आ) अन्य सब दशाओं में, अर्थात् यदि (अ) में यथाई हुई दोनों दशायें सगसा उपस्थित न हों तो भिन्न संख्या उदादी जायगी ।

नीचे हल किये हुये प्रश्नों से दफा १२ में बताये हुये सत्र कायदे स्पष्ट हो जायगे ।
प्रश्न (१) एक म्यूनिसिपलटी में, जिसमें गैरमुसलिमों की आबादी ६० प्रति सैकड़ा है, मेम्बरों की १६ जगहें हैं । उनमें स गैर मुसलिमों को कितनी जगहें मिलेंगी ?

उत्तर—गैर मुसलिमों की जन संख्या है ६० %,

उनके प्रतिनिधियों का अनुपात हुआ $\frac{60}{100} = \frac{3}{5}$

जब एकमें गैर मुसलिमों का होगा $\frac{3}{5}$ मेम्बर तो १६ में कितने होंगे ?

$$1 \quad 16 \quad \frac{3}{5} \quad x = \frac{3 \times 16}{5} = \frac{48}{5} = 9\frac{3}{5}$$

अब $\frac{3}{5}$ जो भिन्न संख्या जवाबमें आई है, यह $\frac{3}{5}$ से बड़ी है, किन्तु गैर मुसलिमों की आबादी ६० %, अर्थात् $\frac{3}{5}$ से ज्यादा है दोनों दशायें उपस्थित न होने के कारण भिन्न संख्या उदादी की जायगी और गैर मुसलिमों को केवल ० जगहें मिलेंगी ।

प्रश्न (२) एक म्युनिसिपल्टी में जिसमें मुसलमानों की आबादी २० प्रति सैकड़ा है, मेम्बरोंकी १६ जगहें हैं तो उसमें मुसलमानोंको कितनी जगहें मिलेंगी? मुसलमानोंकी आबादी है २०%,

उत्तर— उनके प्रतिनिधियों का अनुपात हुआ $\frac{20}{100} = \frac{1}{5}$

परन्तु जब किसी समुदायकी जन संख्या २५ % से कम होती है तो दफा १२ के अनुसार जो अनुपात जन संख्याके हिसाबसे आता है उसमें $\frac{1}{5}$ भर वृद्धि कर दी जाती है, $\frac{1}{5}$ म $\frac{1}{5}$ भर वृद्धि कर दी जायगी, अर्थात् -

$\frac{1}{5}$ का $\frac{1}{5} = \frac{1}{25}$ भर वृद्धि होगी ।

$$\frac{1}{5} + \frac{1}{25} = \frac{6}{25}$$

अब यह देखना है कि जब एक मेम्बरमें $\frac{6}{25}$ भर मुसलमानोंकी जगहें होंगी तो १६ मेम्बरों में कितनी होगी ?

$$16 \times \frac{6}{25} = 3.84 \approx 4$$

अब यह देखना चाहिये कि $\frac{6}{25}$ जो भिन्न संख्या उत्तरमें है वह बढ़ाके एक की जा सकती है कि नहीं। $\frac{6}{25}$ छोटा है $\frac{1}{5}$ से। इस लिये दोनों शतों जो ऊपर (अ) में बताई गयी हैं पूरी नहीं होतीं। अतएव $\frac{6}{25}$ उड़ा दिया जायगा और मुसलमानों को केवल ४ जगहें मिलगी।

प्रश्न (३) एक म्युनिसिपल्टी में मुसलमानों की आबादी ३५ प्रति सैकड़ा है और बोर्ड में १८ मेम्बर हैं, तो मुसलमानों को कितनी जगहें मिलेंगी ?

उत्तर— मुसलमानों की आबादी २५ % से अधिक है, परन्तु ३८ % से कम है, इस लिये दफा १२ के अनुसार उनके संग यह रियायतकी जायगी कि उनकी आबादी ३५ प्रति सैकड़ाकी जगह ३८ प्रति सैकड़ा मानली जायगी।

मुसलमानों के प्रतिनिधियों का अनुपात पहा—

$$\frac{35}{100} = \frac{7}{20} = \frac{3}{8} = \frac{3}{8} \times \frac{3}{3} = \frac{9}{24}$$

इस अनुपातके हिसाबसे यह देखना है कि १८ जगहोंमें मुसलमानों को कितनी जगहें मिलेंगी ?

$$18 \times \frac{9}{24} = 6.75 \approx 7$$

अब हतना और देखना है कि $\frac{9}{24}$ जो भिन्न संख्या जवाबमें आई है वह उड़ा दी जायगी या बढ़ाके १ कर दी जायगी।

यह भिन्न संख्या $\frac{9}{24}$ से बड़ी है और मुसलमानोंकी जन संख्या ३८ % मानी गयी है, अर्थात् वह भी 'म्युनिसिपल्टीकी कुल जन संख्याके $\frac{9}{24}$ से कम है अतएव यह दोनों शतों जो ऊपर (अ) में बताई गई हैं, पूरी होजाती हैं, इसलिये प्रान्तीय सरकार इस भिन्न संख्याको बढ़ाके १ माफ लगी। यह १ जगह भी मुसलमानों को दी जावेगी, अर्थात् मुसलमानों को ६+१=७ जगहें मिलेंगी।

—उपदफा (५) में जो ३८ % प्रति सैकड़ा अनुपात दिया गयाहै यह हालमें बदल दिया गया है। G O No 2197 / XI-32 तारीख २१ जुलाई सन् १९२३ई० के द्वारा प्रकाशित कर दिया गया है कि प्रान्तकी महुंमशुमारी सन १९२३ई०के अन्तिम नकशेके आधारपर अधिमान गवर्नरने अपने वजीरों (Ministers) की सहमतिसे सयुक्त प्रान्त की म्युनिसिपल्टीज एक्ट सन् १९१६ई० की दफा १२ की उपदफा (५) में प्रान्तकी सभ म्युनिसिपल्टियों की (सिवाय नैनीताल और मसूरी की म्युनिसिपल्टियोंके) कुल जन संख्याके जोड़का एक म्युनिसिपल्टियोंके मुसलमानों की जन संख्याका प्रति सैकड़ा अनुपात ३७ % कायम करने की आज्ञा दे दी है।

दफा १३ संयोगवश जगह खाली होनेके विषयमें विशेष नियम

जब किसी बोर्डमें कोई जगह किसी निर्वाचित मेम्बरकी मृत्यु, इस्तीफा, या हटा दिये जानेके कारण खाली हो या इस कारण खाली हो कि उस जगहके विषय में यह निश्चय कर दिया गया हो कि उसके भरनेके लिये निर्वाचन न किया जाय, और यदि जिस मेम्बर की जगह इस प्रकार खाली हुई हो उसके पदकी अवधि जगह खाली होने के दिनसे छः मासके भीतर समाप्त होजाने वाली हो तो बोर्डको अधिकार होगा कि यह हुक्म दे दे कि आगामी साधारण निर्वाचन तक वह जगह खाली छोड़ दी जाय।

व्याख्या—

इस दफा का उद्देश यह है कि थोड़े समयके लिये व्यर्थ निर्वाचन का श्रमेला न करना पड़े।

—यदि बोर्ड, दफा १३ के अनुसार, जगह खाली छोड़ दिये जाने का हुक्म न देगा, तो निर्वाचनके नियम १८ (२) के अनुसार, एक मासके भीतर, ऐसी जगहके लिये निर्वाचन कर लिया जायेगा। ऐसे चुने हुये मेम्बरके पदकी अवधिके लिये देविये दफा ३८ की उप दफा (३)।

—नामजद मेम्बरों में से किसी की जगहके विषयमें ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठ सकता, क्योंकि दफा ३८ के अनुसार नामजद मेम्बर, पूरे तीन वर्ष के लिये नामजद किया जाता है संयोग वश यदि किसी नामजद मेम्बरकी जगह थोड़े समयके लिये खाली हो जाती है, तो उसकी जगह दूसरा मेम्बर केवल उतने ही समयके लिये नामजद नहीं किया जाता।

—रेजोल्यूशन No 1244/IX—372E, तारीख १९जून सन् १९१६ई०के द्वारा यह निश्चय कर दिया गया है कि हर तीसरे वर्ष बोर्डके सब मेम्बरों की जगहें खाली होंगी और एक सग सब जगहों के लिये निर्वाचन किया जायेगा। इसी तीन वर्ष पर होने वाले निर्वाचनके लिये दफा १३ में शब्द "साधारण निर्वाचन" लाये गये हैं।

निर्वाचन

दफा १४ निर्वाचकों की योग्यतायें

१ कोई शख्स इस एक्ट के या इस एक्ट के अनुसार बने हुये किसी नियम के किसी उद्देश के लिये, निर्वाचक (Elector) न समझा जायेगा जब तक कि उसका नाम निर्वाचकों की नामावली (Electoral roll) में लिखा न गया हो।

२ नीचे लिखे- शख्स यदि उन पर दफा ३ में वर्णित कोई अयोग्यता लागू न होती हो, निर्वाचकों की नामावली में दर्ज किये जाने के अधिकारी होंगे :—

(ए) प्रत्येक ऐसा शख्स, जिस पर किसी वर्ष में, उस तारीख पर जो इस एक्ट १०९ अभिप्राय से नियम द्वारा नियत कर दी गयी हो सीधे (Directly) सन १९२२ ई० और उसी की निजी हैसियतपर म्युनिसिपलटीके कर चुक्री (Octroi) टोल (Toll अर्थात् प्रवेश कर) तथा अन्य ऐसे २ करो को छोड़ के, लगाये गये, उन- करोंका जोड़, उनकी वार्षिक दर से, उस कम न हो, जो इस अभिप्राय से, नियम द्वारा

(बी) प्रायः केसा शहस्र जो उपरोक्त तारीखसे ठीक पहलेके कमसे कम बारह माससे म्यूनिसिपलटीमें रह रहाहों और जो उपरोक्त तारीखपर-

(१) किसी विश्वविद्यालयका ग्रेज्युएट (Graduate) हो । या

(२) इनकमटैक्स देता हो । या

(३) किसी ऐसे मकान या इमारत का जो म्यूनिसिपलटीमें हो मालिक हो, जिसका वार्षिक मूल्य कमसे कम उतना हो जितना कि नियम द्वारा इस अभिप्रायसे नियत कर दिया गया हो । या

(४) म्यूनिसिपलटीमें कोई ऐसा मकान या इमारत उसके कब्जेमें हो जिस का वार्षिक मूल्य उतना हो जितना कि नियम द्वारा, इस अभिप्रायसे नियत कर दिया गया हो । या

(५) जिसकी वार्षिक आमदनी कमसे कम उतनी हो, जितनी नियम द्वारा इस अभिप्रायसे नियत कर दी गई हो । या

(६) जो स्वयं अपने इकसे ऐसी आराजीका मालिक हो जिस पर कमसे कम उतनी मालगुजारी प्रतिवर्ष देना पडतीहो जितनी नियम द्वारा इस अभिप्रायसे नियत कर दी गई हो । या

(७) जो स्वयं अपने इकसे ऐसी आराजीका मालिक हो जिस पर मालगुजारी माफ हो, यदि मालगुजारी की वह रकम जो उस आराजी पर अववाव (Rates) के निर्णय करनेके आशयस नाममात्रको लगाई गई हो अकेली या और मालगुजारियोंके सहित, जो उपरोक्त आराजीका मालिक अन्य आराजियोंके दिर्पयमें भदा करता हो कमसे कम उतनी हो जितनी कि नियम द्वारा इस अभिप्रायसे नियत कर दी गई हो । या

(८) जो किसी ऐसी आराजीका असामी साकित-उल-मिल्कियत (Ex-proprietary tenant) या असामी मौदसी (Occupancy tenant) या स्थिर दरसे लगान देने वाला असामी (Fixed rate tenant) हो, जिस पर कमसे कम उतना लगान बधा हो जितना कि, नियम द्वारा इस अभिप्रायसे नियत कर दिया गया हो, या कमाय की कमिश्नरी की पहाडी पट्टियोंमें रखकरका असामी हो ।

परन्तु शर्त यह है कि कोई योग्यतामें जिनका वर्णन क्लोज (बी) के (२) से (८) तक अंशोंमें किया गयाहै, किसी म्यूनिसिपलटीसे सम्बन्ध न रखेगी, जब तक कि वह नियम द्वारा उस म्यूनिसिपलटीमें लगान न दी गयी हों ।

परन्तु शर्त यह भी है कि कोई योग्यताय जो (३) (४) (६) (७) (८) अंशोंमें अङ्कित की गई है उन योग्यताओंसे ऊंची न रखी जायगी जो उन्ही विषयोंमें, संयुक्त प्रान्त की व्यवस्थापिका सभा (U P Legislative Council) के निर्वाचकों को उसकी निर्वाचकों की नामावलीमें दर्ज किये जानेके लिये नियमित की गई है ।

दफा १३ संयोगवश जगह खाली होनेके विषयमें विशेष नियम

जब किसी बोर्डमें कोई जगह किसी निर्वाचित मेम्बरकी मृत्यु, इस्तीफा, या हटा दिये जानेके कारण खाली हो या इस कारण खाली हो कि उस जगहके विषय में यह निश्चय कर दिया गया हो कि उसके भरनेके लिये निर्वाचन न किया जाय, और यदि जिस मेम्बर की जगह इस प्रकार खाली हुई हो उसके पदकी अन्धि जगह खाली होने के दिनसे छः मासके भीतर समाप्त होजाने वाली हो तो बोर्डको अधिकार होगा कि यह हुकम दे दे कि आगामी साधारण निर्वाचन तक वह जगह खाली छोड़ दी जाय।

व्याख्या—

इस दफा का उद्देश यह है कि थोड़े समयके लिये व्यर्थ निर्वाचन का क्षमेला न करना पड़े।

—यदि बोर्ड, दफा १३ के अनुसार, जगह खाली छोड़ दिये जाने का हुकम न देगा, तो निर्वाचनके नियम १८ (२) के अनुसार, एक मासके भीतर, ऐसी जगहके लिये निर्वाचन कर लिया जायेगा। ऐसे चुने हुये मेम्बरके पदकी अप्रधिके लिये देदिये दफा ३८ वीं उप दफा (३)।

—नामजद मेम्बरों में से किसी की जगहके विषयमें ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठ सकता, क्योंकि दफा ३८ के अनुसार नामजद मेम्बर, पूरे तीन वर्ष के लिये नामजद किया जाता है संयोग वश यदि किसी नामजद मेम्बरकी जगह थोड़े समयके लिये खाली हो जाती है, तो उसकी जगह दूसरा मेम्बर केवल उतने ही समयके लिये नामजद नहीं किया जाता।

—रेजोल्यूशन No 1244/LX—372E, तारीख १९जून सन् १९१६ई०के द्वारा यह निश्चय कर दिया गया है कि हर तीसरे वर्ष बोर्डके सब मेम्बरों की जगहें खाली होंगी और एक सग सब जगहों के लिये निर्वाचन किया जायगा। इसी तीन वर्ष पर होने वाले निर्वाचनके लिये दफा १३ में शब्द “साधारण निर्वाचन” लाये गये हैं।

निर्वाचन

दफा १४ निर्वाचकों की योग्यतायें

१ कोई शख्स इस एक्ट के या इस एक्ट के अनुसार बने हुये किसी नियम के किसी उद्देश के लिये, निर्वाचक (Elector) न समझा जायगा जब तक कि उसका नाम निर्वाचकों की नामावली (Electoral roll) में लिखा न गया हो।

२ नीचे लिखे शख्स यदि उन पर दफा ३ में वर्णित कोई अयोग्यता लागू न होती हो, निर्वाचकों की नामावली में दर्ज किये जाने के अधिकारी होंगे—

(ए) प्रत्येक ऐसा शख्स, जिस पर किसी वर्ष में, उस तारीख पर जो इस एक्ट नं० ९ अभिप्राय से नियम द्वारा नियत कर दी गयी हो सीधे (Directly) सन १९२२ ई० और उसी की निजी हैसियतपर म्यूनिसिपलटीके कर चुक्री (Octroi) टोल (Toll अर्थात् प्रवेश कर) तथा अन्य ऐसे २ करों को छोड़ के लगाये गये हो और उन करोंका जोड़, उनकी वार्षिक दर से, उस कम से कम सहाय से कम न हो, जो इस अभिप्राय से, नियम द्वारा नियत कर दी गयी हो।

(बी) प्रायः ऐसा शक्य जो उपरोक्त तारीखसे ठीक पहलेके कमसे कम चारह माससे म्युनिसिपलटीमें रह रहाहो और जो उपरोक्त तारीखपर-

(१) किसी विश्वविद्यालयका ग्रेज्युएट (Graduate) हो । या

(२) इनकमर्टेक्स देता हो । या

(३) किसी ऐसे मकान या इमारत का जो म्युनिसिपलटीमें हो मालिक हो, जिसका वार्षिक मूल्य कमसे कम उतना हो जितना कि नियम द्वारा इस अभिप्रायसे नियत कर दिया गया हो । या

(४) म्युनिसिपलटीमें कोई ऐसा मकान या इमारत उसके कब्जेमें हो जिसका वार्षिक मूल्य उतना हो जितना कि नियम द्वारा, इस अभिप्रायसे नियत कर दिया गया हो । या

(५) जिसकी वार्षिक आमदनी कमसे कम उतनी हो, जितनी नियम द्वारा इस अभिप्रायसे नियत कर दी गई हो । या

(६) जो स्वयं अपने हकसे ऐसी आराजीका मालिक हो जिस पर कमसे कम उतनी मालगुजारी प्रतिवर्ष देना पडतीहो जितनी नियम द्वारा इस अभिप्रायसे नियत कर दी गई हो । या

(७) जो स्वयं अपने हकसे ऐसी आराजीका मालिक हो जिस पर मालगुजारी माफ हो, यदि मालगुजारी की वह रकम जो उस आराजी पर अवकाय (Rates) के निर्णय करनेके आशयसे नाममात्रकी लगाई गई हो अफेडी या और मालगुजारियोंके सहित, जो उपरोक्त आराजीका मालिक अन्य आराजियोंके विषयमें अदा करता हो कमसे कम उतनी हो जितनी कि नियम द्वारा इस अभिप्रायसे नियत कर दी गई हो । या

(८) जो किसी ऐसी आराजीका असामी साकित-उल-मिल्कियत (Ex-proprietary tenant) या असामी मौकूसी (Occupancy tenant) या स्थिर दरसे लगान देने वाला असामी (Fixed rate tenant) हो, जिस पर कमसे कम उतना लगान बधा हो जितना कि, नियम द्वारा इस अभिप्रायसे नियत कर दिया गया हो, या कमायू की कमिश्नरी की पहाडी पट्टियोंमें उपकरका असामी हो ।

परन्तु शर्त यह है कि कोई योग्यतामें जिनका वर्णन कलाज (बी) के (२) से (८) तक अंशोंमें किया गयाहै, किसी म्युनिसिपलटीसे सम्बन्ध न रखेगी, जब तक कि वह नियम द्वारा उस म्युनिसिपलटीमें लगा न दी गयी हो ।

परन्तु शर्त यह भी है कि कोई योग्यतायें जो (३) (४) (६) (७) (८) अंशोंमें अङ्कित की गई हैं उन योग्यताओंसे ऊंची न रखी जायगी जो उन्ही विषयोंमें, संयुक्त प्रान्त की व्यवस्थापिका सभा (U P Legislative Council) के निर्वाचकों को उसकी निर्वाचकों की नामावलीमें दर्ज किये जानेके लिये नियमित की गई हैं ।

एक्ट न० ६
सन् १९१९ ई०

एक्ट न० २
सन् १९१९ ई०

एक्ट न० ३
सन् १९१९ ई०

एक्ट १९२१ सन १९२२ ई०

अन्तमें शर्त यह भी है, कि इस दफाके हुम्मोके होतेहुये भी, किसी शरत्स को उस निर्वाचनके लिये जो संयुक्त प्रान्तके म्यूनिसिपलटीज एमेण्डमेण्ट एक्ट (U P Municipalities amendment Act 1922) के आरम्भ होनेके बाद पहले पहल हो, किर्से म्यूनिसिपलटीमें निर्वाचक बननेका अधिकार न होगा, सिवाय उस दशाके कि उक्त संयुक्त प्रान्तके म्यूनिसिपलटीज एमेण्डमेण्ट एक्ट सन् १९२२ ई० के आरम्भ होनेके समये म्यूनिसिपलटीमें निर्वाचक दर्ज किये जानेका अधिकार प्राप्त हो या संयुक्त प्रान्तकी व्यवस्थापिका सभा की निर्वाचकों की नामावलीमें उसका नाम दर्ज हो।

३ कोई शरत्स, चाहे वह अन्य प्रकार योग्यता रखता हो, निर्वाचकों की नामावली में दर्ज किये जानेका अधिकारी न होगा, यदि उपरोक्त तारीख पर:—

(ए) वह २१ वर्ष की अवस्थाका न हो चुका हो। या

(बी) ब्रिटिश राज की प्रजा न हो। या

(सी) उसको किसी अधिकार प्राप्त अदालत ने विक्षिप्त (Unsound mind) ठहरा दिया हो। या

(डी) वह ऐसा दिवालिया हो जो अपने ऋण के भार से क़ानून के अनुसार छूट न चुका हो। या

(ई) जिसको, ताजीरातहिन्द (Indian Penal Code) के अनुसार, ६ मास से अधिक का जेलखाना या देशान्तरवास के दण्ड मिलने का हुक्म हो चुका हो, या किसी अदालत फौजदारी से ऐसे अपराध के लिये दण्डित किया गया हो, जिस अपराध के विषय में प्रान्तीय सरकार ने या ठहरा दिया हो, कि वह इतना आचार विरुद्ध है कि उस अपराध करने वाला शरत्स वोट देने के योग्य नहीं है। या जिसको जाबत फौजदारी (Criminal Procedure Code) के अनुसार सदाचार (नेकचलनी) के लिये जमानत दाखिल करने का हुक्म दिया गया हो और उपरोक्त हुक्म या दण्ड पीछे से उलट न दिया गया हो, या रद्द न कर दिया गया हो या अपराधी को माफ़ न कर दिया गया हो। या

(फफ) कोई रकम जिसका वर्णन दफा १६६ में किया गया है, उसके ऊपर एक्ट १९२१ सन १९२२ ई० बाकी हो।

न्याख्या—

(ए) तथा (बी) में जिन तारीखों का उल्लेख किया गया है उनके लिये ३० सितम्बर नियत की गई है। (देखिये निर्वाचन सम्बन्धी नियमोंमें पहला नियम)

दफा १४ में वह सब योग्यताएँ बताई गई हैं, जिनमें से किसी एकके प्राप्त होनेसे किसी शरत्स को म्यूनिसिपलटी का निर्वाचक होनेका अधिकार हो जाता है। इनमें से पहली दो योग्यताएँ, अर्थात् जिनका उल्लेख उपदफा (२) के क्लॉज (ए) में और क्लॉज (बी) (१) में किया गया है।

वह कानूनके द्वारा, प्रत्येक म्यूनिसिपलटी के लिये आवश्यक रखी गई हैं। शेष सारी योग्यतायें उन्हीं म्यूनिसिपलटियों में काममें लाई जायगी जिमें नियम द्वारा वे सब, या उनमें से कोई, लगा दी जायें। परन्तु सारी योग्यतायें जिनके द्वारा किसी को निर्वाचक होनेका अधिकार हो सकता है, इस दफामें गिना दीगई हैं। अतएव नियम केवल इस लिये बनाये जा सकते हैं कि उनमें से कौन २ सी योग्यतायें किसी विशेष म्यूनिमिपलटी में लगाई जायगी। किन्तु पूर्वोक्त योग्यताओं के अतिरिक्त कोई नई योग्यता किसी म्यूनिसिपलटी के लिये नियमके द्वारा कायम न की जासकेंगी। (गवर्नमेण्ट रेजोल्यूशन-म्यूनिसिपल विभाग No 1244 XI—372 E)

—(२) (ए) प्रकृत्या सबसे पहले उन लोगों को निर्वाचक बनने का अधिकार दिया गया है जो म्यूनिसिपलटी को कर देते हैं। यह नियम द्वारा निश्चय कर दिया जाता है कि कर की, या एकसे अधिक करों की मिलाके कमसे कम कितनी रकम देनेपर किसी शरत्को निर्वाचित होने का अधिकार प्राप्त होगा। परन्तु इस कमसे कम रकमके निर्णय करने में टोल (Toll प्रवेश कर) या चुगी, और ऐसे ही ऐसे अन्य कर, शामिल न किये जावेंगे। कारण यह है कि टोल, चुगी आदि ऐसे कर हैं जिनके द्वारा किसी की हंसियत का पता नहीं चल सकता, और न ऐसे करों की कोई बंधी हुई रकम हो सकता है जो प्रतिवर्ष अदाकी जाय, वरन प्रत्येक शरत्को आवश्यकतानुसार, ऐसे कर, किसी वर्ष में कम, किसी में अधिक, किमी में बिल्कुल नहीं, देने पडते।

निर्वाचक होनेके लिये केवल यही बात आवश्यक नहीं कि करों की एक कमसे कम रकम कोई शरत् अदा करताहो वरन यह भी आवश्यक है कि उसको यह रकम अपनी निजी हंसियतके कारण देना पडती हो। जैसे यदि किसी नावालिगके कर उसका बली अदा करताहो, और बली ही के नागसे वह कर लगाये भी गये हों, तो उक्त बली को, नावालिग की ओरसे ऐसी रकम देने के कारण निर्वाचक होने का अधिकार प्राप्त न होगा।

—(२) (बी) (१) म्यूनिमिपलटी को कर देने वालों के पीछे विश्वविद्यालयों (Universities) के ग्रेज्युएटों (Graduates) को निर्वाचक होने का अधिकार दिया गया है, चाहे वे कोई कर अदा करते हों या न अदा करते हों। म्यूनिमिपलटीके विद्वान और योग्य निवा मियों का इसके द्वारा सन्मान किया गया है। इस एक्टमें पूर्व केवल इलाहाबाद के विश्वविद्यालयके ग्रेज्युएटों को निर्वाचक होने का अधिकार था, परन्तु अब सब विश्वविद्यालयों के ग्रेज्युएटों को यह अधिकार दे दिया गया है। केवल शर्त यह है कि उस वर्षके ३० सितम्बर पर जितने ग्रेज्युएटों को म्यूनिमिपलटी में निरात करते हुये कमसे कम १२ मास हो चुके होंगे, वही निर्वाचक माने जायगे।

—(२) (बी) (२) 'वापिक मूल्य' की ध्याल्याके लिये देविये इस एक्ट की दफा १४०। 'मालिक' शब्दके लिये देविये दफा २ का न० १३।

—(२) (बी) (३) इस कानूनमें माफीदारोंको म्यूनिमिपलटीका निर्वाचक बननेका अधिकार दिया गया है। इसके लिये भी एक कमसे कम रकम नियम द्वारा नियत कर दी जायगी। यदि वह मालगुजारी जो उनकी माफी पर नाममात्रकी बंधी गयी हो उक्त नियमित रकम से कम न हो, तो उनको निर्वाचक बननेका अधिकार होगा या अगर किसी निर्मादारके पास माफी भी हो और अन्य ऐसी जिम्मेदारी भी, जिसकी मालगुजारी उसको देना पडती हो, तो माफी पर नाममात्रको लगाई हुई मालगुजारी की रकम और वह रकम जो वह अपनी अन्य जिम्मेदारीके सम्बन्धमें देना हो, दोनों मिलाके यदि उक्त नियमित रकमसे कम न हो, तो भी वह निर्वाचक होना अधिकारी होगा।

नाममात्रको मालगुजारी थापनेसे अभिप्राय यह है कि यद्यपि माफीदारसे मालगुजारों की नहीं जाती तथापि माफियों पर भी मालगुजारी की रकम निश्चय अवश्य कर दी जाती है। कारण यह कि अन्धान माफीदारों को भी देना पड़ता है और यह अन्धान माफीदारों पर इसी नाममात्रको लगाई हुई मालगुजारीके आधार पर नियत किये जाते हैं।

— (२) (थ्री) (८) कानून लगान एक्ट नं० २ सन् १९०१ ई० की दफा ८ में रियर दासे लगान देने वाले असामी (Fixed rate tenant) की व्याख्या इस प्रकार की गई है —

“जब कोई आराजी जो किसी ऐसे जिले, या जिलेके भागके भीतर हो जिसका बन्दोबस्त (Settlement) नित्यके लिये कर दिया गया हो, ऐसे बन्दोबस्तके समयसे लगातार, रगान को एक ही दर पर, किसी असामीके कब्जेमें चली जाती हो, तो वह आसामी उसी दर पर, इस बातके अधिकारी होगा कि उसको हक मौस्ती (दखीलकारी) प्राप्त रहे ”

— उपरोक्त एक्ट की दफा १० में काश्तकार साकित-उल्ल् मिल्कियत (*Ex-proprietory tenant*) की व्याख्या इस प्रकार की गई है —

“प्रत्येक ऐसा मालिक, जिसके मिल्कियतके हक, जो किसी मुहाल या मुहालके किसी टुकड़ेके, चाहे वह उसके किसी भागमें हो या उसके किसी विशेष रकबेमें हो, इस एक्टके आरम्भ होनेके समय या उसके पश्चात्, उसके हाथमें निकल जाय (मुतकिल हो जाय), चाहे इजराय टिकरीसे नीलामके द्वारा, या किसी दीवानी या मालकी अदालतके हुक्मसे, या ऐसे इन्तकालके द्वारा जो स्वेच्छासे किया जाय, परन्तु जो मुहालके किसी साक्षीदार को हिया (दान) करनेके द्वारा या मुहालके साक्षीदारों अदला बदला होनेके द्वारा न निकले हो, अपत्ति आराजी सीर और उस आराजीका, जो वह इन्तकालकी तारीख पर लगातार १२ वर्षसे जोतता रहा हो, असामी मौस्ती हो जायगा, और उसको इस बातका अधिकार होगा कि उस आराजीका छेन्ने लगान पर कब्जा रखे, जो उस दरसे चार आना प्रति रुपया कम हो, जो गैर मौस्ती-असामियोंको आस पास की उसी प्रकार की, और वैसे ही लाभों की, आराजीके विषयमें देना पड़ता हो ”

(२) रेहन भोग बन्धक (*Usufructuary mortgage*) इस दफाके लिये इन्तकाल (*Transfer*) माना जायगा।

(२) यदि किसी मुहालके मालिकके हिस्सेका केवल कोई भाग, या उसके किसी रकबेमें कोई टुकड़ा, इस प्रकार अलग (मुतकिल) किया जाय तो वह मालिक अपनी आराजी सीर की, और उस आराजी की, जिसको वह इन्तकाल की तारीख पर लगातार १२ वर्ष से जोतता रहा हो, केवल अपनी आराजीका असामी मौस्ती हो जायगा जितनी ऐसे भाग या टुकड़ेसे सम्बन्ध रखती हो, या जो हिसाबसे ऐसे भाग या टुकड़ेके हिस्सेमें पड़े।

(४) प्रत्येक ऐसा असामी और प्रत्येक असामी जिसको ऐसा ही हक, इसी प्रकारके हुक्म जो एक्ट नं० १८ सन १८७३ ई०, या एक्ट नं० १२ सन १८८१ ई०, या किसी अन्य कानून, या एक्ट, जो उस समय प्रचलित हो, के द्वारा प्राप्त हो, असामी साकित उल्ल् मिल्कियत कहलायेगा और उन बातोंकी ओड कर जिनके विषयमें अन्य प्रणार स्पष्ट आज्ञा हो, उसको वह सारे अधिकार प्राप्त होंगे और उन सारी जिम्मेदारियोंका भार उस पर होगा जो मौस्ती असामियोंको इस एक्टके द्वारा दिये गये हैं, और उन पर डाली गई हैं।

(५) कलक्टरके लिये आवश्यक होगा कि एक सालगुजारी की दफा ३६ मुमालिक मगरथी व शुमाली व अवय, न० ३ सन १९०१ ई० (N W P & Oudh Land Revenue Act, 3 of 1901) के अनुसार उस आराजीके विषयमें, जिसमें पेसा एक मौरूसी प्राप्त होजाय, यह बात कागजमें चट्टवा दे, और यह लगान जो उस पर दिया जाने को हो नियत कर दे ।

(६) इस दफामें वर्णनकी हुई किसी आज्ञासे, किसी ऐसी आराजीमें मौरूसी एक प्राप्त न होगा, जो किसी ऐसे सार्वजनिक या निजी कार्यके लिये अलग की जाय, जो कार्य इस प्रकारका हो कि उसके कारण उस आराजीमें यह कार्य और खेती संग संग न हो सकती हो ।

—कानून लगान १० २ सन १९०१ ई० की दफा ११ में मौरूसी असामी (Occupaney tenant) की व्याख्या इस प्रकार की गई है —

“प्रत्येक अमामीको, जो एक ही आराजी पर १२ वर्ष की अवधि तक काबिज रहा हो, उस आराजीमें एक मौरूसी प्राप्त होगा—

परन्तु शर्त यह है कि किसी असामीको इस दफाके अनुसार किसी ऐसी आराजीमें मौरूसी एक प्राप्त न होगा जिस पर यह—

(ए) ऐसे पट्टेदार की हैसियतसे रजिस्टरी किये हुये पट्टेके द्वारा जिसकी अवधि ७ वर्षमें कम न हो । या

(बी) ठेकेदार की हैसियतसे । या

(सी) अमामी सिकमी (Sub tenant) की हैसियतसे काबिज रहे ।

एक मौरूसी प्राप्त नहीं होगा—

(डी) आराजी सीरमें । या

(ई) किसी ऐसी आराजीमें जो पौती पड़ाव हो, या अन्य ऐसा रकबा हो जो किसी सार्वजनिक कार्य, या सर्वसाधारणके लाभके किसी कार्यके लिये प्राप्त किया गयाहो या कच्चेमें रखा गया हो, या जो ऐसे पड़ाव या अन्य रकबेका एक भागहो ”

यह भी शर्त है कि १२ वर्षकी अवधि गिनने में ऐसी अवधि जिसमें उक्त आराजी, इन एकटकी आज्ञाओं के विरुद्ध, सिकमी अमामी की उठादी गई हो, या अन्य प्रकार अलग (मुन्तकिल) की गई हो, हिसाब लगाने में छोड़ी जायगी, परन्तु इससे यह नहीं समझा जायगा कि असामी की जेत का तता टूट गया ।

—उप दफा (२) की दूसरी शर्त में आज्ञा दी गई है कि (३) (४) (५) (७) तथा (८) में अङ्कितकी हुई योग्यतायें किसी भूमिसिपलटी में ऐसी नहीं रखी जा सकती जो, उन्हीं विषयों में, संयुक्त प्रान्तकी व्यवस्थापिका सभा (U P Legislative Council) की सभरीके लिये नियत की हुई योग्यताओं से ऊची हों । उक्त व्यवस्थापिक सभाके लिये उन विषयोंमें निम्न लिखित योग्यतायें रखी गई हैं —

(१) किसी मकान या इमारत का मालिक या किरायेदार, जिस मकान या इमारतके किराया का मूल्य (Rental value) ३६ रुपये वार्षिकसे कम न हो ।

(२) किसी ऐसी आराजीका मालिक जिस पर कमसे कम २५) २० सालगुजारी बची हो ।

(३) किसी ऐसी आराजी माफ़ी का मालिक, जिसकी नाममात्रको बंधी हुई माफ़ीगुजारी,

नाममात्रको मालगुजारी बाधनेसे अभिप्राय यह है कि यद्यपि माफीदारसे मालगुजारी ली नहीं जाती तथापि माफियों पर भी मालगुजारी की रकम निश्चय अग्रद्वय कर दी जाती है । कारण यह कि अब घात माफीदारों को भी देना पड़ता है और यह अबघात माफीदारों पर इम्मी नाममात्रको लगाई हुई मालगुजारीके आधार पर नियत किये जाते हैं ।

—(२) (बी) (८) कानून लगान एक्ट नं० २ सन् १९०१ ई० की दफा ८ में स्थिर दरमें लगान देने वाले अस्वामी (Fixed rate tenant) की व्याख्या इस प्रकार की गई है —

“जब कोई आराजी जो किसी ऐसे जिले, या जिलेके भागके भीतर हो जिसका बन्दोबस्त (Settlement) नित्यके लिये कर दिया गया हो, ऐसे बन्दोबस्तके समयसे लगानार, लगान की एक ही दर पर, किसी अस्वामीके कब्जेमें चली जाती हो, तो वह आसामी उसी दर पर, इस बातका अधिकारी होगा कि उसको हक मौरूसी (दलीलकारी) प्राप्त रहे ”

—उपरोक्त एक्ट की दफा १० में काश्तकार साकित-उल् मिल्कियत (Ex-proprietary tenant) की व्याख्या इस प्रकार की गई है —

“प्रत्येक ऐसा मालिक, जिसके मिल्कियतके हक, जो किसी मुहाल या मुहालके किसी टुकड़ेके, चाहे वह उसके किसी भागमें हो, या उसके किसी विशेष रकमें हो, इस एक्टके आरम्भ होनेके समय या उसके पश्चात्, उसके हाथमें निकल जाय (मुतकिल हो जाय), चाहे इजराय डिकरीमें नीलामके द्वारा, या किसी दीवानी या मालकी अदालतके हुकमसे, या ऐसे इन्तकालके द्वारा जो स्वेच्छसे किया जाय, परन्तु जो मुहालके किसी साझीदार को हिजा (दान) करनेके द्वारा या मुहालके साझीदारोंमें अदला बदला होनेके द्वारा न निकले हो, अपनी आराजी सीर और उस आराजीका, जो वह इन्तकालकी तारीख पर लगातार १२ वर्षसे जोतता रहा हो, आसामी मौरूसी हो जायगा, और उसको इस बातका अधिकार होगा कि उस आराजीका ऐसे लगान पर कब्जा रखे, जो उस दरसे चार आना प्रति रुपया कम हो, जो गैर मौरूसी अस्वामियोंको आस पाम की उसी प्रकार की, और वैसे ही लाभों की, आराजीके विषयमें देना पड़ता हो ”

(२) रेहन भोग बन्धक (Usufructuary mortgage) इस दफाके लिये इन्तकाल (Transfer) माना जायगा ।

(३) यदि किसी मुहालके मालिकके हिस्सेका केवल कोई भाग, या उसके किसी रकमेंमें कोई टुकड़ा, इस प्रकार अलग (मुतकिल) किया जाय तो वह मालिक अपनी आराजी सीर की, और उन आराजी की, जिसको वह इन्तकाल की तारीख पर लगातार १२ वर्ष से जोतता रहा हो, केवल उतनी आराजीका आसामी मौरूसी होजायगा जितनी ऐसे भाग या टुकड़ेसे सम्बन्ध रखती हो, या जो हिस्सासे ऐसे भाग या टुकड़ेके हिस्सेमें पड़े ।

(४) प्रत्येक ऐसा अस्वामी और प्रत्येक आसामी जिसको ऐसा ही हक, इसी प्रकारके हुकम जो एक्ट नं० १८ सन १८७३ ई०, या एक्ट नं० १२ सन १८८१ ई०, या किसी अन्य कानून, या उन बातोंको छोड़ कर जिनके विषयमें अन्य प्रकार स्पष्ट आज्ञा हो, उसको वह सारे अधिकार प्राप्त होंगे और उन गैर जिम्मेदारियोंका भार उन पर होगा जो मौरूसी अस्वामियोंको इस एक्टके द्वारा दिये गये हैं, और उन पर डाली गई हैं ।

(५) कलक्टरके लिये आदेशक होगा कि एक मालगुजारी की दफा ३६ मुमालिक मगरबी व शुमाली व अत्रय, न० ३ स० १९०१ ई० (N W P & Oudh Land Revenue Act, 3 of 1901) के अनुसार उम आराजीके विषयमें, जिसमें ऐसा हर मौरूसी प्राप्त होजाय, यह बात कागजोंमें चढ़वा दे, और वह लगान जो उस पर दिया जाने को हो नियत कर दे ।

(६) इस दफामें वर्णकी हुई किसी आज्ञासे, किसी ऐसी आराजीमें मौरूसी हक प्राप्त न होगा, जो किसी ऐसे सार्वजनिक या निजी कार्यके लिये अलग की जाय, जो कार्य इस प्रकारका हो कि उसके कारण उस आराजीमें यह कार्य और ऐसी संग संग न हो सकती हो ।

—कानून लगान न० २ सन १९०१ ई० की दफा ११ में मौरूसी असामी (Occupancy tenant) की व्याख्या इस प्रकार की गई है —

“प्रत्येक असामीको, जो एक ही आराजी पर १२ वर्ष की अवधि तक कृषिज रहा हो, उस आराजीमें हर मौरूसी प्राप्त होगा—

परन्तु शर्त यह है कि किसी असामीको इस दफाके अनुसार किसी ऐसी आराजीमें मौरूसी हक प्राप्त न होगा जिस पर वह—

(ए) ऐसे पट्टेदार की हैसियतसे रजिस्टरी किये हुये पट्टेके द्वारा जिसकी अवधि ७ वर्षसे कम न हो । या

(बी) ठेकेदार की हैसियतसे । या

(सी) असामी सिकमी (Sub-tenant) की हैसियतसे कृषिज रहे ।

हक मौरूसी प्राप्त नहीं होगा—

(डी) आराजी सीरमें । या

(ई) किसी ऐसी आराजीमें जो कौमी पड़ाव हो, या अन्य ऐसा रकबा हो जो किसी सार्वजनिक कार्य, या सर्वसाधारणके लाभके किसी कार्यके लिये प्राप्त किया गयाहो या कब्जेमें रखा गया हो, या जो ऐसे पड़ाव या अन्य रकबेका एक भागहो ”

यह भी शर्त है कि १२ वर्षकी अवधि गिनने में ऐसी अवधि जिसमें उक्त आराजी, इस पट्टकी आज्ञाओं के विरुद्ध, सिकमी असामी को उठादी गई हो, या अन्य प्रकार अलग (मुन्तकिल) की गई हो, हिसान लगाने में छोड़दी जायगी, परन्तु इससे यह नहीं समझा जायगा कि असामी की जेत का ताता टूट गया ।

—उप दफा (२) की दूसरी शर्त में आज्ञा दी गई है कि (३) (४) (५) (७) तथा (८) में अङ्कितकी हुई योग्यतायें किसी म्युनिसिपलटी में ऐसी नहीं रखी जा सकती जो, उन्ही विषयों में, संयुक्त प्रान्तकी व्यवस्थापिका सभा (U P Legislative Council) की मन्वरीके लिये नियत की हुई योग्यताओं से उची हो । उक्त व्यवस्थापिक सभाके लिये उन विषयोंमें निम्न लिखित योग्यतायें रखी गई हैं —

(१) किसी मकान या इमारत का मालिक या किगयेन्टर, जिस मकान या इमारतके किराया का मूल्य (Rental value) ३६ रुपये वार्षिक कम न हो ।

(२) किसी ऐसी आराजीका मालिक जिस पर कमसे कम २५) ६० मालगुजारी बधी हो ।

(३) किसी ऐसी आराजी माली का मालिक, जिसकी नाममात्रको बधी हुई मालगुजारी,

या तो अकेली, या दूसरी मालगुजारियों के सहित, जो उसके मालिकको, अन्य आराजियोंके विषय में अदा करनी पडती हैं, २५) रुपये से कम न हो ।

(४) आगरा कानून लगान सन १९०१ ई० (Agra tenacy Act 1901) में दी हुई व्याख्याओंके अनुसार, जो ऐसा काइतकार हो, जिसकी आराजी पर सदाके लिये कब्जा रखता है (Permanent tenure holder), या स्थिर दरसे लगान देने वाला काइतकार (Fixed rate tenant) हो या जो अवधके कानून लगान, सन १८८६ ई० में दी हुई व्याख्याओं, के अनुसार मालिक अदना (Under Proprietor) हो, या काइतकार मौख्सी हो, और जो, इन हलियतोंसे कमसे कम २५) ₹० लगान अदा करता हो।

(५) आगरा कानून लगानमें दी हुई व्याख्याके अनुसार, या अवध कानून लगान सन १८८६ ई० के अनुसार, किसी प्रकार का काइतकार हो, मिचाय काइतकार सिकमी के, जिसके कब्जे में इतनी आराजी हो कि जिस पर, उस हलियतमें, उसको कमसे कम ५०) रुपया लगान नकद अदा करना होता हो, या जिन्स आदिके द्वारा उतनी ही रकम भरनी पडती हो ।

(६) सयुक्त प्रान्तके उन रकबोंमें जहां आगरा कानून लगान सन १९०१ ई०, या अवध का कानून लगान सन १८८६ ई०, प्रचलित नहीं है, कोई काइतकार जिसके कब्जे में उतनी आराजी हो जिस पर उस हलियतसे, उसको कमसे कम, ५०) रुपया लगान नकद अदा करना पडता हो, या जिन्स आदिके द्वारा, उतनी ही रकम भरनी पडती हो ।

—उप दफा (३) के क्लॉज (ई) में नीचे लिखे शब्द सयुक्तप्रान्तके म्यूनिसिपलटीज एक्टमें पढे पढे एक्ट नं० ९ सन १९२२ ई० के द्वारा बढ़ाये गये हैं —

“या किसी अदालत फौजदारी से ऐसे अपराधके लिये दण्डित किया गया हो जिस अपराध के विषयमें प्रान्तीय सरकारने यह ठहरा दिया हो, कि वह इतना आचार विरुद्ध है, कि उस अपराध का करने वाला घोट देनेके योग्य नहीं है”

उक्त सशोधन (तरमीम) से पूर्व इस क्लॉजके जो शब्द थे उनके द्वारा दण्ड विषयक कानूनों (Penal Laws) के अपराधों में सजा होने से, म्यूनिसिपलटी की मेम्बरी के अयोग्य हो जाने के लिये, यह आवश्यक था, कि कमसे कम छ ६ मासकी कैद हुई हो, चाहे वह अपराध ताजी रात हिन्द का हो, या किसी अन्य दण्ड विषयक कानून का। परन्तु इस नये सशोधनके द्वारा केवल ताजीरात हिन्दके अपराधों में सजा होने पर यह आवश्यक है कि छ. मासकी कैद हुई हो। अन्य दण्ड विषयक कानूनों के अपराधों में यदि किसी अपराधके लिये किसी शास्सकी छ माससे कम की भी कैद हो, या केवल जुर्मानाही हो (यदि प्रान्तीय सरकारने उस अपराधको इस क्लॉजके अनुसार आचार विरुद्ध ठहरा दिया हो) तो भी उक्त शास्स मेम्बरी के अयोग्य हो जायगा ।

—नेक चलनी (Good behaviour) की जमानत मागे जाने के हुक्म, जायता फौजदारी, एक्ट १० ५ सन १८९८ ई०, की दफा १०९, तथा ११०, में इस प्रकार दिये गये हैं —

दफा १०९—“जय कभी किसी प्रेसीडेन्सी (Presidency) मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट, सभ-दिविजनल (Sub divisional) मजिस्ट्रेट, या, मजिस्ट्रेट दर्जा अन्वय, को यह सूचना मिले कि —

(ए) ऐसे मजिस्ट्रेटके अधिकारकी स्थानीय सीमाके भीतर, कोई शास्स अपनी उपस्थिति

(मीटिंगों)के टिपाने का प्रयत्न कर रहा है, और इस बातके विज्ञापन कर लोके लिये कारण मौजूद है, कि वह शरम बोई अपराध करनेके लिये ऐसा प्रयत्न कर रहा है। या (बी) ऐसा क्षमाके भीतर, कोई ऐसा शरम है, जिनके पास निर्वाहके लिये कोई प्रत्यक्ष उपाय नहीं जा पड़ता, या जो अपना हाल स्तोपप्रद नहीं बता सकता है,

तो भागे यथाई हुई विधिके अनुसार, ऐसे शरमको वह मजिस्ट्रेट आज्ञा दे सकता है, कि वह वजह जाहिर करे कि, उतने समयके लिये (जो समय कि एक वर्ष से अधिक न हो) जितना कि मजिस्ट्रेट उचित समझे, उसका मुचलका और जमानत नेक चलनी की ली जानेके लिये हुक्म क्यों न दिया जाय "

दफा ११० इस प्रकार है—“जब कभी किसी प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेटको जिला मजिस्ट्रेटको या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को, या मजिस्ट्रेट दर्जा अन्तर्गत को, जिसे प्रान्तीय सरकार द्वारा इस सम्बन्धमें विशेष रूपसे अधिकार दिया गया हो, सूचना मिले कि उसके अधिकारकी स्थानीय सीमा (Local limits of Jurisdiction) के भीतर, कोई ऐसा शरम है—

(अ) जोकि नित्य शरम डाल करता है, या छुर्न करने के लिये घरों में घुसा करता है, या चोर है। या

(बी) जो नित्य चोरी का माल लिया करता है, यह बात जानते हुये कि वह माल चोरी का है। या

(सी) जो नित्य चोरों की रक्षा करता है, या उनको छिपाके रखता है, या चोरी का माल छिपाने में, या छिकाने लगाने में, सहायता देता है। या

(डी) जो नित्य दूसरों की जायदादको हानि पहुंचाता है, या अवरुद्धस्ती, पेजा तौरसे माल धीनता है, या धोखा देता है, या जाली सिद्धे, नोट स्टाम्प (Stamp) बनाता है, या ऐसे कामों के करने की कोशिश करता है। या

(ई) जो नित्य ऐसे अपराध किया करता है, जिसे शान्तिमें याधा पडती है, या ऐसे अपराधोंके करने की कोशिश करता है, या उनके करनेके लिये दूसरोंको प्रोत्साहित करता है (Abets)। या

(एफ) जो ऐसा निडर और खतरनाक है कि उसका धिना जमानत दिये, बेरोक टोक, रहनेमें समाजके लिये जोरिम है,—

तो भागे यथाई हुई विधिके अनुसार, ऐसे शरमको वह मजिस्ट्रेट आज्ञा दे सकता है, कि वह वजह जाहिर करे कि उतने समयके लिये, (जो समय कि ३ वर्ष से अधिक न हो,) जितना कि मजिस्ट्रेट उचित समझे, उसका मुचलका और जमानत नेक चलनी की ली जानेके लिये हुक्म क्यों न दिया जाय "

—निर्वाचका की नामावली (Electoral roll) की तैयारीके विषयमें देखिये निर्वाचनके नियम न० ३ से १५ तक।

—निर्वाचकों की नामावली तैयार किये जानेके सम्बन्धमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न उपास्थित होता है, अर्थात् यह कि यदि किसी ऐसे शरमका नाम, जो उक्त नामावलीमें दर्ज किये जानेका अपनेकी अधिकारी समझता है, नहीं लिखा जाता, तो उसको अपना नाम दर्ज करानेके लिये क्या

उपाय हैं ? निर्वाचन समन्धी नियम ९ के अनुसार यह अपना नाम दर्ज किये जानेके लिये अर्जीक द्वारा प्रार्थना कर सकता है। ऐसी अर्जी पुनरावलोकन कमेटी (Revising authority) के सामने पेश होती है। कमेटी निदचय करती है कि अर्जी देने वालेका नाम दर्ज किया जाय या नहीं। यदि पुनरावलोकन कमेटी यह निर्णय करे कि उसका नाम दर्ज नहीं होना चाहिये, तो ऐसे शासकको एक आशा और रह जाती है, वह यह कि, कमेटीके हाथसे निकलके नामावली जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है, और उक्त मजिस्ट्रेटको भी अधिकार होता है कि जो नाम वह चाहे घटा दे, या बढ़ा दे परन्तु यह मजिस्ट्रेट की हृच्छा पर निर्भर है, कोई अर्जी आदि दिये जानेका कानूनमें कोई हुकम नहीं है। मजिस्ट्रेट द्वारा संशोधन किये जाने पर नियम न० १३ के अनुसार हुकम है कि फिर कोई परि वर्तन नामावलीमें न किया जायगा। प्रश्न यह है कि यदि जिला मजिस्ट्रेट भी ऐसे शासकका नाम दर्ज न करे तो फिर आगे भी कोई उपाय ऐसे शासकको रह जाता है या नहा ?

यह प्रश्न यज्ञ जरूरी है, क्योंकि बहुधा निर्वाचनों की नामावली तैयार किये जाने पर अनेक शासक ऐसे होते हैं जो अपने को योग्यता प्राप्त समझते हैं परन्तु जिनका नाम, या तो भूल चूकसे छूट जाता है, या यह भी सम्भव है कि किसी का नाम किसी कारणसे जान भूलके छोट दिया जाय।

यदि म्यूनिसिपल बोर्ड कोई काम अपने अधिकारों के विरुद्ध, या अपने अधिकारों के बाहर करता है तो जाबता दीवानी की दफा ९ के अनुसार अदालत दीवानी में दावा दायर करने का अधिकार अवश्य प्राप्त है। जहाँ कहीं इस एक्टमें हुकम दिया गया है कि बोर्ड, अथवा बोर्ड द्वारा नियुक्त की हुई किसी कमेटी, का हुकम अन्तिम (Final) होगा तो केवल इतनाही माना जा सकता है कि जब तक बोर्ड या उक्त कमेटी अपने अधिकारों के अनुसार, और अपने अधिकारों के भीतर, काम करेगी तबही तक उसका हुकम अन्तिम होगा। परन्तु यदि कोई बोर्ड, या कमेटी अपने अधिकारोंकी बाह्य में, किसी प्रकार का अन्धे करना चाहे, और कोई ऐसा हुकम दे, या फैसला करे, जो उसके अधिकारों के विरुद्ध हो, या उनके अनुसार न हो, तो अदालत दीवानी को हस्तक्षेप करने का अवश्य अधिकार होगा। इस सिद्धान्त का समर्थन अनेक बार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया है, जैसे अब्दुल् अजीज बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड पीलीभीत 2 A. L. J. 222 में तजवीज हुआ, कि यदि म्यूनिसिपल बोर्ड कोई ऐसा अधिकार या इतरकार्य करतता है जो कानूनमें उसको न दिया गया हो तो, मुकद्दम के द्वारा, अदालत दीवानी में उस पर आक्षेप किया जा सकता है। परन्तु यदि बोर्ड कानून द्वारा दिये हुये अधिकारों के भीतर अपने को सीमानाद्ध रखता है, तो अदालत दीवानी में कोई मुकद्दमा बोर्ड पर, उन अधिकारों के बरतने के सम्बन्धमें, नहीं दायर किया जा सकता है। इस सिद्धान्त की पुष्टि नीचे लिखी नजों से भी होती है—रामदयाल बनाम सरकार बहादुर, 7 A. L. J. 1075, म्यूनिसिपल कमेटी अजमेर बनाम किरायात उल्ला, 12 A. L. J. 291, म्यूनिसिपल बोर्ड इटावा बनाम देवीप्रसाद 18 A. L. J. 572, रामप्रताप बनाम सरकार बहादुर, 18 A. L. J. 229, कशमीरीलाल बनाम सरकार बहादुर, 19 A. L. J. 541 इसी सिद्धान्तके हुकम अन्तिम माना गया है, तो भी यदि किसी योग्यता प्राप्त शासक का नाम, चेजा तौरसे, नामावली में दर्ज नहीं किया जाता, तो ऐसा शासक अदालत दीवानी की शरणले सकता है। इस विषय पर दुर्भाग्यसे सन १९२३ ई० तक कोई फैसला नहीं हुआ था, केवल एक मुकद्दमा अर्थात्—अब्दुल् रहीम बनाम म्यूनिसिपल बोर्डकोयन, 22 All I. L. R. 143 इस विषयमें दायर

हुआ था। मुद्दे का यह ध्यान था कि पुनरावलोकन कमेटी (Revising authority) ने वेजा तौरसे उसका नाम उम्मेदवारों की नामावली से (Candidates list) काट दिया था। (नोट — उम्मेदवारों की नामावली, और निर्वाचकों की नामावली, दोनों से, नाम छूट जाने का एक ही असर है और दोनों के लिये एकसे ही कानूनी उपाय होंगे) दुर्भाग्यवश मुद्दे ने यह दावा म्यूनिसिपल बोर्ड पर किया था। हाईकोर्ट ने तजवीजमें यह निश्चय किया कि दावा म्यूनिसिपल बोर्ड पर नहीं किया जाना चाहिये था, क्योंकि म्यूनिसिपल बोर्ड, अपनी सगठित हैसियत से, (Corporate Capacity) पुनरावलोकन कमेटीके कृत्यवहारों, और वेजा कामों, का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। म्यूनिसिपल बोर्ड को निर्वाचकों की, या उम्मेदवारों की, नामावली में हस्ताक्षर करने का, या उनमें तरमीम करने का कोई अधिकार नहीं होता, वरन केवल जिला मजिस्ट्रेट ही को नामावलियों के दुहराने या तरमीम करने का अधिकार होता है। केवल इसी विषय पर मुद्दे के खिलाफ फैसला करके हाईकोर्ट ने अन्य किसी बात पर राय नहीं दी।

तत् पश्चात् सन १९२१ ई० में ऐसाही एक मामला फिर हाईकोर्ट के सामने आया, देखिये — म्यूनिसिपल बोर्ड आगरा बनाम अशरफीलाल, 20 A L J 1 माननीय मिस्टर जस्टिस वाल्डाने उक्त मुकद्दमे में एक विस्तृत, तथा योग्य, फैसला देते हुए आरम्भही में इस मामले के महत्वकी ओर ध्यान दिलाया है, और लिखा है कि यह मामला केवल मुद्देही के लिये नहीं, वरन सारी समाजके लिये, महत्व पूर्ण है और इस विषयमें कानूनको स्पष्ट कर देने की आवश्यकता है।

मामला यह था कि अशरफीलाल का नाम निर्वाचकों की, और उम्मेदवारों की, दोनों नामावलियों में उस समय तक चढा हुआ था जब कि पुनरावलोकन कमेटी ने उक्त नामावलियों को पास किया, किन्तु उक्त कमेटी की बैठकके उपरान्त, अशरफीलाल का पता आदि इस प्रकार बदल दिया गया, कि यह जान पडने लगा, कि जिस शक्स का नाम चढा था, वह यह अशरफीलाल नहीं था, वरन और कोई अशरफीलाल था। अदालत ने तजवीज में लिखा कि इस प्रकार अशरफीलाल के पते आदिमें परिवर्तन होजानेका कारण निम्नलिखित तीन कारणोंमेंसे कोई हुआ, अर्थात् (१) या तो पुनरावलोकन कमेटीके मेम्बरोंसे भूल होगयी हो और ऐसा परिवर्तन निर्दोष रूपसे उनके द्वारा होगया हो। या (२) उन्होंने अपने कर्तव्योंके पालन करनेमें यह काम, वेजा तौर से, जान बूझके, किया। या (३) किसीने द्वेष भावसे, तथा बदला लेनेके लिय, बीचम पडके, यह कार्य उनसे कराया। यह द्वेषी व्यक्ति सम्भव है कि बोर्डका कोई मेम्बर हो अथवा बोर्डका कोई कर्मचारी हो।

अदालतने तजवीज किया कि यदि किसी शक्सका नाम, जो ऐसी योग्यता रखता हो, कि उसके द्वारा उसको म्यूनिसिपलटी या अन्य किसी सस्थाकी निर्वाचकोंकी नामावलीमें अपना नाम दर्ज करानेका अधिकार प्राप्त हो, ऐसी किसी नामावलीमें कानूनके विरुद्ध और हानि पहुँचानेके अभिप्राय से (Wrong fully) दर्ज नहीं किया जाता है, या गलत दर्ज कर दिया जाता है, और इस प्रकार दर्ज करने या गलत दर्ज करनेका मतलब यह हो कि निर्वाचनके दिन वह वोट देनेके अधिकार से वञ्चित रहे, या इस मतलबसे, कि मेम्बरों की उम्मेदवारोंके लिये उसकी नामजदगी नामजूर होनाय (चाहे इस भूल का सशोधन पीछेमे कर भी दिया गयाहो, और निर्वाचन होतेसे पूर्व उसकी नामजदगी भी मन्तर करली गई हो) तो ऐसी दशामें यह बात माना जायगी कि उसको ऐसी हानि पहुँची जिमके लिये कानून की शरण चाही जा सकती है (चारा जोई की जा सकती है) और ऐसे शक्सको हरना पानेका एक होगा। यदि यह बात भी प्रमाणित हाजाय कि वक्त शक्सका नाम

द्वेष पूर्वक (Maliciously अर्थात् फीनासे) छोड़ दिया गया था, या द्वेष पूर्वक गलत दर्ज का दिया गया था तो हरजे की ऐसी घड़ी रकम दिलाई जा सकती है कि जिसमें (अपराधियों ने) पूरा दण्ड मिले ऐसे हरजेके दावेमें जब दावा म्यूनिसिपल बोर्डके ऊपर भी हो, और बोर्डके प्रत्येक मेम्बर पर, और एग्जीक्यूटिव अफसर (Executive Officer) के ऊपर भी हो, तो मालिक तथा एजेंट (Principal & agent) के साधारण कानूनके अनुसार यह बात निश्चय कर देना आवश्यक है कि कौन कितना धरजा देनेका जिम्मेदार है जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी उन के ऊपर डाली जासके ।

अबदुल्हमी यनाम म्यूनिसिपल बोर्ड कोयल वाली नजीर का कोई हवाला इस मुद्दामें की तजवीजमें नडा दिया गया है । सम्भवत अदालत का ध्यान उसकी ओर आकर्षित नहीं किया गया ऐसा दावा किस पर होना चाहिये इस विषय पर दोनों नजीरों के फैमलोंमें परस्पर विरोध है, परन्तु माननीय मिस्टर जस्टिस वाटसन ने अदरफीलाल की तजवीज में इस विषय पर स्पष्ट आज्ञा दी है और लिखा है कि — "मुद्दालेह डिन पर दावा किया गया है स्वयं म्यूनिसिपल बोर्ड और उसके प्रत्येक मेम्बर तथा एग्जीक्यूटिव अफसर है । यह दावा इन सब पर ठीक किया गया है क्योंकि मुद्दई यह नहीं जान सकता (और सर्वसाधारणमें किसी को खबर नहीं हो सकती) कि म्यूनिसिपल संस्थाके भीतर भीतर क्या फाररवाई हो रही है । हरजेके विषयमें भी सख्तिस्तर वहम इस तजवीजमें की गई है ।

"बोर्ड का कोई मेम्बर (बोर्ड की मेम्बरीकी हैमियतसे अलग अर्थात् अपनी निजी हैसियत से) किसी ऐसे कामके लिये, जिसमें वह शरीक नहीं था, और जिसमें उसने कोई भाग नहीं लिया और जिसके विषयमें किसी दूसरेको उसने कोई अधिकार नहीं दिया अपनी गाठ से हरजा देने का जिम्मेदार नहीं हो सकता । परन्तु बोर्ड का कोई मेम्बर जिसने या तो प्रत्यक्ष या उपलक्षरूप से (Directly or indirectly अर्थात् सरीहतन् व कगायतन) मुद्दई को उसके इस हकसे कि उसका नाम उम्मेदवारकी नामावलीमें चढाया जाय वञ्चित रखे जाने की कोशिशमें किसीको हिम्मत दिलाई हो, भडकाया हो, हिदायत की हो, या उस कोशिशमें अपनी सहमति प्रगट की हो, अर्थात् जिम्मे उस काम में सहायता दी हो या प्रोत्साह (Abet अयानत) दिया हो (और इस मामलेमें इस प्रकार की सहायता जरूर दी गई है और प्रोत्साह अवश्य दिलाया गया है) तो ऐसा मेम्बर अपनी गाठ से हरजा देनेका जिम्मेदार होगा, चाहे म्यूनिसिपल बोर्ड भी साथ ही साथ हरजेका देनदार हो या न हो । म्यूनिसिपल बोर्ड मालिक (Principal) की हैसियत से (अर्थात् यह सार्वजनिक कोष जो म्यूनिसिपलटी के बज्जेमें रहता है, और जिसमेंसे म्यूनिसिपल बोर्ड किसी ऐसे काम का हरजा देनेका जिम्मेदार है जो उसने अपनी सगठित हैसियतसे किया हो) किसी ऐसे काम का हरजा देनेका जिम्मेदार होगा जो उसने नित्यप्रतिके कामोंके समान बिना किसी प्रस्ताव (Resolution) के पास किये । नाजयज (Informally) या विधिपूर्वक (Formally) प्रस्ताव पास करके किया हो, और ऐसे काम का हरजा देनेका भी म्यूनिसिपल बोर्ड ही जिम्मेदार होगा जो किसी अधिकार प्राप्त फमेटीने किया हो, जैसी कि पुनरावलोकन कमेटी है जिसको म्यूनिसिपल बोर्ड ने नियुक्त किया है और म्यूनिसिपल बोर्ड किसी ऐसे कामका हरजा देनेका भी जिम्मेदार होगा जो उसके किसी फर्मन्चारीने राजायज तौर पर उस समयमें और उस विधिते किया हो जिम समय पर और जिम विधिते म्यूनिसिपलटी ने काम करने को उसने तोककर रखा हो, अर्थात् यदि यह काम किसी ऐसे

कर्मचारिने किया जिसका कि यह कर्तव्य था कि मुद्दईना नाम ठीकर नामावलीमें चढाता और उसने अपने नित्यके काम काज करनेमें उसका नाम गलत चढाया तो उसके लिये म्यूनिसिपल्टी जिम्मेदार होगी।

—ऐसे मुकद्दमें मुद्दईके सामने सर्वथा एक कठिनाई उपास्थित होती है कि मुकद्दमेंको साधित करनेके लिये जो जो कागज चाहिये होते हैं वह मुद्दालेह भयाव् बोर्डके कब्जेमें होते हैं, और बोर्ड स्वाभावत उनको पेश नहीं करना चाहता। अतएव इस विषय पर भी तजवीजमें स्पष्ट दिवायतें दे दी गई हैं। माननीय जजन लिखा है कि “इस मुकद्दमेंकी विशेष हालतों की दृष्टिसे और इस कारण कि मामला सर्वसाधारण के लिये महत्वपूर्ण है (Of public importance) हम यह आवश्यक समझते हैं कि कुछ अन्य विषयों पर भी अपनी राय लिखें और दिवायतें दें”—“इस प्रकार के मुकद्दमेंमें यदि मुद्दई मामले से सम्बन्ध रखनेवाले (Relevant) कागजों का जो मुद्दा लेहके कब्जेमें होते हैं, पता लगाने (Discovery) के यह उपाय न करे जिनका फ़ानूनमें अधिकार दिया गया है और यदि अदालत भी उन कागजोंको पेश करानेमें सहायतान दे, तो मुद्दई मुद्दालेह के मुकाबिलेमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुद्दालेह सारी वान्तविक घटनाओं से अभिज्ञ होता है— मुद्दई का यह अधिकार है और उस अदालतका जिसमें मुकद्दमा दायर किया जाता है, यह कर्तव्य है कि इस बात पर अनुरोध करे, कि वह सब कागज जो मौजूद हों, या जो किसी समय मौजूद थे, और जो मुकद्दमेंके हाल पर प्रकाश डालते हों, अदालत में पेश किये जाय। जाबता दीवानीके आर्डर ११ रूल १२के अनुसार किसी फरीकको, जैसे इस मुकद्दमेंमें मुद्दईको यह अधिकार है कि बिना बयान हलफ़ी दाखिल किये, वह अदालत से प्रार्थना करे कि दूसरे फरीक को हुक्म दिया जाय कि वह उन सब कागजों (Documents) का मौजूद होना, जो उसके कब्जे या अधिकार में हों, और जो मुकद्दमेंके किसी प्रदनसे सम्बन्ध रखतेहों, हलफसे घयान करे। यह घताना भी आवश्यक है कि सार्वजनिक सस्थाको इस नियमका पालन किस प्रकार करना चाहिये—यह आवश्यक नहीं है कि वह सब कागजात जो म्यूनिसिपल्टी के कब्जे में हों और जो निर्वाचकों अथवा उम्मेदवारों की नामावलीके विषयमें हों, चाहे जिस प्रकारके यह हों अदालतमें पेश किये जाय। वरन् आवश्यकता इस बात की है कि वह सब कागज जो मुद्दई का नाम उम्मेदवारों या निर्वाचकों की नामावलीमें चढाये जानेके विषयमें हों, और प्रत्येक ऐसा कागज (चाहे जिसके सामने यह पेश हो चुका हो) जो मुद्दईके नाम चढाये जानेके सम्बन्धमें हों, और यह सब कागज जिनसे यह बात प्रकाशित हो कि मुद्दईके नाम का जो ऐसी नामावलीयोंमें प्रथम इन्दराज था, उसमें क्या परिवर्तन हुआ, या उसमें क्या बदलावा घटाया गया, तथा यह पत्र व्यवहार भी जो बोर्डके मेम्बरों से और एक्जिक्युटिव अफसर, या सेक्रेटरी, या बोर्डके अन्य अफसर या मुद्दररसे हुआ हो और जो मुद्दईका नाम चढाये जानेके विषयमें हों, और मुद्दईके नामके विषयमें नामावलीमें जा कुछ संशोधन या परिवर्तन किये गये हों, अदालतमें पेश किये जाय। यदि कोई कागज गप कर दिया गया हो, या छापके दफतरसे निकाल दिया गया हो, तो ययान हलफ़ीमें यह दिवाया जाना चाहिये कि वह मौजूद था और उसका नाम घणन सहित दिया जाना चाहिये। यदि कोई कागज म्यूनिसिपल्टीके कब्जेमें था और अथ नहीं है, तो उसके न रहनेका कारण बोर्डके किसी ऐसे अफसर को यनाया चाहिये जो यह बात जानता हो कि वह कागज क्या हुआ, और क्यों और कब यह नष्ट कर दिया गया, या दफतरसे निकाल दिया गया।

दफा १५ निर्वाचकोंकी नामावलियां

१ बोर्ड के निर्वाचित मेम्बर वह लोग होंगे जो म्यूनिसिपलटी के निर्वाचको के द्वारा चुने जाय।

२ परन्तु शर्त यह है कि जब कोई म्यूनिसिपलटी चुनावके मतलबके लिये हलकों में विभक्त कर दी गई हो तो—

- (ए) प्रत्येक हलकेके लिये निर्वाचकों की एक अलग नामावली, या एक से अधिक नामावलियां बनाई जायगी।
- (बी) कोई शख्स एकसे अधिक नामावलीमें दर्ज किये जानेका अधिकारी न होगा।
- (सी) प्रत्येक मेम्बर को जो किसी हलकेका प्रतिनिध (Representative) होगा, वह निर्वाचक चुनेगे जिनके नाम उपरोक्त हलकेकी नामावली या नामावलियोंमें दर्ज होंगे।

३ परन्तु शर्त यह भी है कि जब किसी म्यूनिसिपलटीमें किसी समुदायके विषय में नियम द्वारा, यह निश्चय कर दिया गया हो कि उसको बोर्डके निर्वाचित मेम्बरोंमें प्रतिनिधि भेजनेका कोई विशेष अधिकार प्राप्त है, तो—

- (ए) ऐसे समुदायके निर्वाचको की एक अलग नामावली, या एक से अधिक नामावलियां, बनाई जायगी। और
- (बी) किसी शख्स को जो उपरोक्त समुदायका होगा अपने समुदाय की नामावलीके अतिरिक्त, अन्य किसी नामावलीमें अपना नाम दर्ज कराने का अधिकार न होगा।
- (सी) जो मेम्बर ऐसे समुदायका प्रतिनिधिहोगा उसको वह निर्वाचक चुनेगे जिनका नाम उपरोक्त समुदाय की नामावली, या नामावलियोंमें लिखा हो।

दफा १६ उम्मेदवारों की सूची

१ सिवाय उन दशांशों के जो उपदफा (२) में बताई गई हैं, प्रत्येक शख्स जो म्यूनिसिपलटी की निर्वाचकों की नामावली में निर्वाचक दर्ज होगा, वह मेम्बरोंके लिये खड़े होनेके योग्य समझा जायगा।

२ कोई शख्स चाहे वह अन्य प्रकार योग्यता रखता हो म्यूनिसिपलटी की मेम्बरोंके लिये खड़े होनेका अधिकारी न होगा, यदि वह—

- (ए) सरकारी नौकरीसे डिस्मिस् कर दिया गया हो (निकाल दिया गया हो) और उसको सरकारी नौकरीपर फिर रखे जाने की मनाही होगी हो। या
- (बी) किसी अधिकार प्राप्त हाकिम अर्थात् अधिकारी (Authority) के हुक्म के द्वारा उसको कानूनका पेशा करने की मनाही करदी गई हो। या

- (सी) जिसी ऐसे नफेके पद (Place of profit) पर हो जिसका प्रदान करना या देना म्यूनिसिपल बोर्डके हाथमें हो । या
- (डी) दफा २७ या दफा ५१ के अनुसार अयोग्य हो । या
- (ई) वेतन पानेवाला मजिस्ट्रेट या पुलिस का अफसर हो । या
- (एक) अङ्गरेजी पढ़ और लिख न सकता हो, या कमसे कम मान्यता की कोई एक भाषा पढ़ लिख न सकता हो ।

परन्तु शर्त यह है कि उपरोक्त (ए) तथा (बी) कलाजोंमें वर्णित अयोग्यताये प्रांतीय सरकारके हुकम से, जो इस अभिप्रायसे जारी किया जाय, हटा दी जा सकती है ।

व्याख्या—

छाज (सी) में बताई हुई अयोग्यताम जो शब्द “नफेके पद पर” (Place of Profit) हैं उनका अर्थ लगानमें कटितारिका सामने आना सम्भव है । हाल ही में इस विषय पर एक मामला हाईकोर्टके सामने पेश हुआ था । देखिये मुहम्मद बरकात वगैरा बनाम मुहम्मद अब्दुल्लायाकीर्खा वगैरा 21 A L J 661 मामला यह था कि मुहम्मद अब्दुल याकी खाँ, हलाहाबाद म्यूनिसिपलटीके मेम्बर चुने गये । उक्त मुहम्मद अब्दुल याकीखाँ, और उनके कुटुम्ब के कुछ और लोगोंके पास, हलाहाबाद म्यूनिसिपलटीकी मिट्टीका तेल थोकमें देनेका कुछ वर्षोंसे ठेका था । उनके चुनाव पर आक्षेप करनेके अभिप्राय से शर्जी दी गई । चुनाव पर आक्षेप किये जाने का एक कारण यह बताया गया कि म्यूनिसिपलटी की मिट्टी का तेल देना ठेका लिये होनेसे उक्त अब्दुलयाकीर्खा एक ऐसे ‘नफेके पद पर’ हैं जिसका प्रदान करना, या देना म्यूनिसिपल बोर्डके हाथमें है । अतएव यह दफा १६ (सी) के अनुसार मेम्बरीके उम्मेदवार तक नहीं हो सकते थे, चुनाव तो बूर रहा । इस प्रश्न पर राय लेनेके लिये कमिश्नरने मामला दफा २३ (ई) के अनुसार, हाईकोर्ट की भेजा । हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि म्यूनिसिपलटी को मिट्टीका तेल देनेका ठेका लिये होनेके कारण यह नहीं कहा जा सकता कि उसका ठेकेदार ऐसे ‘नफेके पद’ पर है कि जिसके कारण वह दफा १६ की उपदफा (३) के छाज (सी) के अनुसार मेम्बरी की उम्मेदवारीके लिये अयोग्य और उसका निर्वाचन नाजायज ठहरा दिया जाय । तजवीज में हाईकोर्ट ने “नफाके पद” की सविस्तर व्याख्या की है जिसका कुछ भाग नीचे दिया जाता है — शब्द “पद” (Place) के साधारण अर्थ पर दृष्टि रखते हुये, किसी ठेकेदार के विषयमें जो, दाम पर, म्यूनिसिपलटीको कोई चीज दिया करता है, यह नहीं कहा जा सकता कि वह एक नफेके पद पर है । हमारी राय है कि दफा १६ की उपदफा (३) के छाज (सी) में उक्त शब्दों का उचित अर्थ ऐसे पदसे है, कि उस पद पर जो शायद नियत हो वह उस पदके कारण किसी विशेष नाम, या उपाधि, (खिताब) से कहलाया जाने लगे । और उस पदके द्वारा उस शायद की कोई निश्चित हैसियत (Definite Standing) हो, और पद पर रये जाने वाले तथा पद पर रहने वाले के बीच ऐसा नाता हो, जिसमें स्वामित्व और दासत्व के अंश और लक्षण पाये जाते हों, अर्थात् उस पद का बोर्ड से इस प्रकार का सम्बन्ध हो कि जो शायद उस पद पर नियुक्त हो, बोर्ड उसकी अपनी आज्ञा के अनुसार काम करने पर मजबूर कर सके, ऐसे पद के बहुत से उदाहरण सङ्घ रीतिसे ध्यानमें आसकते हैं । जैसे एक ‘सलाह देने वाला इंजीनियर’ (Consulting Engineer), जो किसी धंधी हुई फीस (Retaining fee) पर अपनी सम्मति, अथवा किसी मामले पर रिपोर्ट, देने की तैयार रहता है, का पद ऐसा है । यदि कोई डाक्टर म्यूनिसिपल बोर्ड के लिये कोई निश्चित काम किया करता है, चाहे वह अपना पूरा

दफा १५ निर्वाचकोंकी नामावलियां

१ बोर्ड के निर्वाचित मेम्बर वह लोग होंगे जो म्यूनिसिपलटी के निर्वाचकों के द्वारा चुने जाय।

२ परन्तु शर्त यह है कि जब कोई म्यूनिसिपलटी चुनावके मतलबके लिये हलकों में विभक्त कर दी गई हो तो—

(ए) प्रत्येक हलकेके लिये निर्वाचकों की एक अलग नामावली, या एक से अधिक नामावलियां बनाई जायगी।

(बी) कोई शख्स एकसे अधिक नामावलीमें दर्ज किये जानेका अधिकारी न होगा।

(सी) प्रत्येक मेम्बर को जो किसी हलकेका प्रतिनिध (Representative) होगा, वह निर्वाचक चुनेगे जिनके नाम उपरोक्त हलकेकी नामावली या नामावलियोंमें दर्ज होंगे।

३ परन्तु शर्त यह भी है कि जब किसी म्यूनिसिपलटीमें किसी समुदायके विषय में नियम द्वारा, यह निश्चय कर दिया गया हो कि उसको बोर्डके निर्वाचित मेम्बरोंमें प्रतिनिधि भेजनेका कोई विशेष अधिकार प्राप्त है, तो—

(ए) ऐसे समुदायके निर्वाचकों की एक अलग नामावली, या एक से अधिक नामावलियां, बनाई जायगी। और

(बी) किसी शख्स को जो उपरोक्त समुदायका होगा अपने समुदाय की नामावलीके अतिरिक्त, अन्य किसी नामावलीमें अपना नाम दर्ज कराने का अधिकार न होगा।

(सी) जो मेम्बर ऐसे समुदायका प्रतिनिधिहोगा उसको वह निर्वाचक चुनेगे जिनका नाम उपरोक्त समुदाय की नामावली, या नामावलियोंमें लिखा हो।

दफा १६ उम्मेदवारों की सूची

१ सिवाय उन दशाओं के जो उपदफा (२) में बताई गई हैं, प्रत्येक शख्स जो म्यूनिसिपलटी की निर्वाचकों की नामावली में निर्वाचक दर्ज होगा, वह मेम्बरोंके लिये खड़े होनेके योग्य समझा जायगा।

२ कोई शख्स चाहे वह अन्य प्रकार योग्यता रखता हो म्यूनिसिपलटी की मेम्बरोंके लिये खड़े होनेका अधिकारी न होगा, यदि वह—

(ए) सरकारी नौकरीसे डिस्मिस् कर दिया गया हो (निकाल दिया गया हो) और उसको सरकारी नौकरीपर फिर रखे जाने की मनाही होगई हो। या

(बी) किसी अधिकार प्राप्त हाकिम अर्थात् अधिकारी (Authority) के हुकम के द्वारा उसको कानूनका पेशा करने की मनाही करदी गई हो। या

- (सी) किसी ऐसे नफेके पद (Place of profit) पर हो जिसका प्रदान करना या देना म्युनिसिपल बोर्डके दायमे हो । या
- (डी) दफा २७ या दफा ४१ के अनुसार अपोग्य हो । या
- (ई) वेतन पानेवाला मजिस्ट्रेट या पुलिस का अफसर हो । या
- (एक) अङ्गरेजी पद और रिटि न सकता हो, या कमसे कम मान्तकी कोई एक भाषा पढ़ लिख न सकता हो ।

पन्तु सर्वे यह है कि उपरोक्त (ग) तथा (घी) क्लार्जमें घणित अपोग्यताये मान्तीय सरकारके हुकम से जो इस अभिप्रायसे जारी किया जाय, हटा दी जाकती है।

व्याख्या—

क्लाज (सी) में बताए हुए अपोग्यतामें जो शब्द “नफेके पद पर” (Place of Profit) है वका अर्थ लगामें कठिनाईका सामने आना सम्भव है । हाल ही में इस विषय पर एक मामला हाईकोर्टके सामने पेदा हुआ था । देखिये मुहम्मद यश वगैरा यनाम मुहम्मद अब्दुलबाकीयाँ वगैरा 21 A. L. J. 661 मामला यह था कि मुहम्मद अब्दुल बाकीयाँ, इलाहाबाद म्युनिसिपल बोर्डके मेम्बर चुने गये । उक्त मुहम्मद अब्दुल बाकीयाँ, और उनके कुटुम्ब के कुछ और लोगोंके पास, इलाहाबाद म्युनिसिपलटीको मिट्टीका तेल धोकमें देनेका कुछ वर्षोंसे ठेका था । उनके चुनाव पर आक्षेप करनेके अभिप्राय से अर्जी दी गई । चुनाव पर आक्षेप किये जाने का एक कारण यह बताया गया कि म्युनिसिपलटी को मिट्टी का तेल देनेका ठेका लिये होनेसे उक्त अब्दुलबाकीयाँ एक ऐसे ‘नफेके पद पर’ हैं जिसका प्रदान करना, या देना म्युनिसिपल बोर्डके दायमें है । अतएव यह दफा १६ (सी) के अनुसार मेम्बरके उम्मेदवार तक नहीं हो सकते थे, चुनाव तो बुर रहा । इस प्रश्न पर राय लेके लिये कमिश्नरने मामला दफा २३ (ई) के अनुसार, हाईकोर्ट को भेजा । हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि म्युनिसिपलटी को मिट्टीका तेल देनेका ठेका लिये होनेके कारण यह नहीं कहा जा सकता कि उसका ठेकेदार ऐसे ‘नफेके पद’ पर है कि जिसके कारण यह दफा १६ की उपदफा (३) के क्लार्ज (सी) के अनुसार मेम्बर की उम्मेदवारीके लिये अपोग्य और उसका निर्वाचन नाजायज ठहरा दिया जाय । तजवीज में हाईकोर्ट ने “नफेके पद” की सविस्तर व्याख्या की है जिसका कुछ भाग नीचे दिया जाता है — शब्द “पद” (Place) के साधारण अर्थ पर दृष्टि रखते हुये, किसी ठेकेदार के विषयमें जो, काम पर, म्युनिसिपलटीको कोई चीज दिया करता है, यह नहीं कहा जा सकता कि वह एक नफेके पद पर है । हमारी राय है कि दफा १६ की उपदफा (३) के क्लार्ज (सी) में उक्त शब्दों का उचित अर्थ ऐसे पदसे है, कि उस पद पर जो दाखल नियत हो वह उस पदके कारण किसी विधायक, या उपाधि, (खिताब) से कहलाया जाने लगे । और उस पदके द्वारा उस दाखल की कोई निश्चित हैसियत (Definite Standing) हो, और पद पर रखे जाने वाले तथा पद पर रखने वाले के बीच ऐसा नाता हो, जिसमें स्वामित्व और दाखल के अन्त और लक्षण पाये जाते हों, अर्थात् उस पद का बोर्ड से इस प्रकार का सम्बन्ध हो कि जो दाखल उस पद पर नियुक्त हो, बोर्ड उसको अपनी आज्ञा के अनुसार काम करने पर मजबूर कर सके, ऐसे पद के बहुत से उदाहरण सहज रीतिसे ध्यानामें आसकते हैं । जैसे एक ‘सलाह देने वाला इंजीनियर’ (Consulting Engineer), जो किसी धंधे हुई फीस (Retaining fee) पर अपनी सम्मति, अथवा किमी मामले पर रिपोर्ट, देने को तैयार रहता है, का पद ऐसा है । यदि कोई डाक्टर म्युनिसिपल बोर्ड के लिये कोई निर्दिष्ट काम किया करता है, चाहे वह अपना दूरा

समय देनेका नौकर हो या अपने समयका केवल कोई भाग देनेका हो, तो ऐसे डाक्टरका पद भी नफे का पद है। और म्यूनिसिपल बोर्डके प्रत्येक कर्मचारीका पद, चाहे जिस श्रेणीका वह कर्मचारी हो, वह भी नफे का पद है। इस बातको हम अनुभव करतेहैं कि एक टेकेदारकी रसियत जो स्वयं बोर्डका मेम्बरभी हो नाज़ुकहो सकती है, और एकही शाख के टेकेदार और मेम्बर होनेसे, कठिन और सकटमें बालने वाली दशाए सामने आसकती हैं। परन्तु जिस प्रश्न का हमको फैसला करना है वह केवल इतना ही है कि "नफे के पद" का ठीकर अर्थ लगातेहुए उसमें म्यूनिसिपलटी का कोई टेकेदार शामिल समझा जा सकता है या नहीं। हमारी राय है कि ऐसा नहीं किया जासकता।

(४) सरकारी नौकरों में से मेम्बरी के लिये केवल तनखावाह पाने वाले मजिस्ट्रेट और पुलिस अफसर अयोग्य ठहराये गये हैं क्योंकि इन लोगों के विषयमें यह समझा गया है कि अपने पद के बल से यह लोग अपने चुनाव के लिये अनुचित दबाव डाल सकते हैं। परन्तु अन्य किसी सरकारी नौकर के लिये मेम्बर होने की मनाही नहीं की गई है न आनरेरी मजिस्ट्रेट के लिये मनाही है। इस कलाजके साथ दफा ४३ देखिये। 'घबरमैनीके लिये उस दफाके अनुसार केवल तनखावाह पाने वाले मजिस्ट्रेट और पुलिस अफसर ही नहीं, धरन सारे सरकारी नौकर जो तनखावाह पाते हैं अयोग्य ठहराए गए हैं।

—सयुक्त प्रान्त का म्यूनिसिपलटीज एमेंडमेंट एक्ट न० ९ सन् १९२२ ई० के द्वारा म्यूनिसिपल छटियों के कानून में एक महत्व का परिवर्तन, दफा १६ की तरफ़ीम करके, किया गया है। उक्त एमेंडमेंट एक्ट से पूर्व दफा १६ में वह विशेष योग्यताए बताई गई थीं जिनके प्राप्त होनेसे किसी ऐसे शाखको जिसका नाम निर्वाचकों की नामावली में दर्ज होता था, म्यूनिसिपलटी की मेम्बरी के लिये उम्मेदवार होने का अधिकार प्राप्त होजाता था। परन्तु उक्त एक्ट के द्वारा प्रत्येक शाख को जो निर्वाचक है यह अधिकार दे दिया गया है कि वह म्यूनिसिपलटी की मेम्बरी के लिये भी सदा हो सकता है, अर्थात् मेम्बरी की उम्मेदवारिके लिये कोई विशेष योग्यताएँ नहीं रखी गई है। इसी लिये अब उम्मेदवारों की कोई सूची तैयार करने की भी आवश्यकता नहीं रह गई।

—कलाज (एफ) भी उक्त सन् १९२२ई० के एमेंटिंग एक्ट, के द्वारा बढ़ाया गया है अशिक्षित और अनपढ़ निर्वाचक इस कलाजके द्वारा मेम्बर नहीं हो सकने।

दफा १७ दफा १४, १५ और १६ के कुछ शब्दों की व्याख्या

(ए) शब्द 'शख्स' का अर्थ है 'मानव जाति का कोई व्यक्ति' (In dividual human being) ।

(बी) किसी शख्स के विषयमें माना जायगा कि वह कर 'सीधा' (Directly चराह-रास्त) अदा करताहै यदि वह उस करको स्वयं अदा करता हो, या कानूनके अनुसार नियत किये हुये, एजेंट (Agent) के द्वारा अदा करता हो ।

व्याख्या—

इस कलाजके अनुसार दफा १४, १५, और १६ में जहाँ जहाँ 'शख्स' शब्द आयाहै उससे मतलब समझना चाहिये 'मानव जाति का कोई व्यक्ति' अर्थात् स्त्री और पुरुष दोनों शब्द 'शख्स' में शामिल समझे जायंगे। अतएव इस कलाजके द्वारा स्त्रियों का नाम भी निर्वाचकों की नामावलियों में लिखा जा

सकता है और छियों को निर्वाचित मेम्बर होने का भी अधिकार प्राप्त होगा ।

—'व्यक्ति' (Person) शब्द के अर्थ का एक हालका मुकद्दमा देखो—हिन्दी-लॉ-जर्नल सन १९२३ ई० पेज ७५ मामला यह था कि सुधन सुवाला हाजराने वकालत करने की आज्ञा पटना हाईकोर्टसे मांगी, चीफजस्टिस मिलर, जस्टिस मलिक और जस्टिस ज्वालाप्रसाद के इजलास में यह दरखास्त पेशाहुई सुधनसुवाला हाजराने सन १९२१ ई० में कलकत्ता यूनिवर्सिटी की बी० एल० की परीक्षा पासकी । पटना के जिलाकी अदालतों में वकालत करनेके लिये पटना के जिला जजकी अदालत में यह दरखास्त दी । जिलाजजने दरखास्त हाईकोर्ट में भेजदी —

हाईकोर्ट ने यह फैसला किया कि लीगल प्रेक्टिशनर्स एक्टकी दफा ६, ७ और ८ के पढ़ने से यह मालूम होता है कि उपरोक्त कानून केवल पुरप के लिये बनाया गया है । और उपरोक्त कानून की दफा ६ के अनुसार हाईकोर्ट ने जो नियम वकीलों के सम्बन्धमें बनाये हैं उनसे भी यही मालूम होता है और वास्तवमें सन १७९३ई० से लेकर आजतक किसी छीने किसी अदालतमें वकालत नहीं कीहै । मिस साहबाकी तरफसे यह बहसकी गयी कि जनरल क्लाजेज एक्ट १८९७ की दफा १३ के अनुसार मिस साहबाको वकालत करने का अधिकार है । उपरोक्त दफा इस प्रकार है कि "गवर्नर जनरल इन काउन्सिलके जारी किये हुये सब एक्टों और नियमों में जो शब्द पुरुपके लिये इस्तेमाल किये जायगे उनमें यह मान लिया जायगा कि वे शब्द छियों के लिये भी इस्तेमाल किये गये हैं जब तक कि विषय का सम्बन्ध न टूटता हो" हाईकोर्ट ने यह फैसला किया कि इसमें कोई शक नहीं है कि औरतें इतनी ही अच्छी तरहसे वकालत कर सकती हैं जितना कि पुरुप । लेकिन प्राचीन कालसे आज तक जितने कानून वकीलों के सम्बन्धमें बने हैं उनसे पता चलता है कि औरतें वकालत करने से वर्जित की गयी हैं । जनरल क्लाजेज एक्ट जारी होने के समय यह बात तय थी कि शब्द 'वकील' से केवल पुरुप का मतलब जाना जायगा इस कारण जनरल क्लाजेज एक्ट का असर लीगल प्रेक्टिशनर्स एक्ट पर नहीं पडता है । दूसरी बहस मिस साहबाकी तरफसे यह की गयी कि लीगल प्रेक्टिशनर्स एक्टमें पुरुप का शब्द नहीं प्रयोग किया गया है बल्कि 'व्यक्ति' (Person) का किया गया है और 'व्यक्ति' शब्दमें छी भी शामिल है । इसके उत्तरमें हाईकोर्ट ने यह कहा कि जब कोई नया कानून जारी होता है तो यह बात मान लेना चाहिये कि नये कानूनके द्वारा पुराना कानून नहीं बदलता है जब तक कि नये कानूनमें साफ साफ न लिखा हो कि अमुक कानून इस प्रकार बदला जाता है । प्राचीन कालमें औरतें वकालत करने से वर्जित रही हैं इसलिये लीगल प्रेक्टिशनर्स एक्टके शब्द 'व्यक्ति' से यह बात न मानी जायगी कि इसमें छिया भी शामिल हैं । तीसरी बहस मिस साहबाकी तरफसे यहकी गई कि लीगल प्रेक्टिशनर्स एक्टकी दफा ३६में वकीलों की दखाली करना वर्जितहै और इस दफामें भी शब्द 'व्यक्ति' का प्रयोग हुआ है इस लिये अगर यह माना जाय कि जहां जहां शब्द व्यक्ति आया है उससे मतलब केवल पुरुप का है तो उपरोक्त दफासे यह मतलब निकलता है कि औरतें वकीलों की दखाली कर सकती हैं । इसका उत्तर हाईकोर्ट ने यह दिया कि प्रत्येक दफाके शब्दों का अर्थ दफाके मतलब के अनुसार लगाना चाहिये । दफा ३६ के अनुसार दखाली वर्जित है चाहे पुरुप ही या छी । यही बात 44 C 290 में मानी गई है इसलिये दरखास्त नामजूर हो । यह दरखास्त देखो 64 I C 636, 3 P L T 69 । हालमें मिस साहबा को वकालत करने का अधिकार मिल गया है ।

दफा १८ मेनेजरो, ट्रस्टियों इत्यादि का नाम दर्ज करनेके विषयमें नियम द्वारा हुक्म

दफा १४, १५, १६ और १७ में वर्णन किये हुये हुक्म किसी ऐसे नियम के आधीन

होगे जिसके द्वारा किसी मैनेजर या विना चटे हुये ख़ानदान (ख़ानदान मुश्तरका) या कम्पनी या कारख़ाना (Firm) या अन्य किसी संस्था या जन समूह या जमीन के ट्रस्टी (Trustee) को वोट देने या वोटों का मेम्बर चुने जानेका अधिकार दिया गया हो।

व्याख्या—

निर्वाचन नियम (Election rule) नं० २ के द्वारा विना चटेहुये हिन्दू ख़ानदानों को और कानपुर म्युनिसिपलटी में ऐसी कम्पनियों को जिनकी रजिस्टरी कम्पनीज एक्ट (Companies Act) के अनुसार कराई गई है, यह अधिकार दिया गया है कि यदि ऐसे ख़ानदान या कम्पनी को अपनी भामदनी के द्वारा या दफा १४ में गिनाई हुई कोई अन्य योग्यता प्राप्त होने के द्वारा निर्वाचक होने का अधिकार हो तो ऐसा ख़ानदान या कम्पनी एक व्यक्ति के समान मान ली जायगी और ख़ानदानके कर्ता अथवा कम्पनीके मैनेजर आदि का नाम निर्वाचकों की नामावलीमें दर्ज कर दिया जायगा निर्वाचन सम्बन्धी अर्जियाँ (Election petitions)

दफा १९ अर्जिके द्वारा किसीके निर्वाचन पर आक्षेप करने का अधिकार

१ वोटों का मेम्बर चुने जाने पर किसी शख्स के निर्वाचन पर नीचे लिखे कारण उपस्थित होने से चुनाव सम्बन्धी अर्जा के द्वारा, आक्षेप किया जा सकता है—

(ए) कि उक्त शख्सने निर्वाचन की काररवाई के समय (दौरान में) अथवा निर्वाचन की काररवाई के सम्बन्ध में दफा २८ में दिये हुए “कुन्य बहार” शब्द की व्याख्या के अनुसार कोई ‘कुन्यवहार’ (Corrupt Practice) किया—

(बी) कि उक्त शख्स इस कारण निर्वाचित (Elected) मेम्बर ठहरा दिया गया कि एक या एक से अधिक वोटें अनुचित रूप से अस्वीकार अथवा स्वीकार कर ली गईं। या इस कारण भी आक्षेप किया जा सकता है कि किसी और कारणोंसे ऐसे शख्स का निर्वाचन जायज रूपसे अधि कारयुक्त (Lawful) वोटों की बहु संख्या (Majority) के द्वारा नहीं हुआ।

२ किसी शख्सके वोटोंका मेम्बर चुने जाने पर नीचे लिखे कारणोंके आधार पर आक्षेप नहीं किया जा सकता :—

(ए) कि किसी शख्सका नाम जो वोट देने की योग्यता रखता था निर्वाचकों की नामावली या नामावलियों में दर्ज किये जाने से छोड़ दिया गया या यह कि किसी शख्सका नाम जो वोट देने की योग्यता नहीं रखता था निर्वाचकों की नामावली या नामावलियोंमें दर्ज कर दिया गया—

(बी) कि इस एक्टका अथवा किसी नियमका अनुसरण नहीं किया गया, या उन विधियोंमें जो इस एक्ट अथवा किसी नियमके द्वारा आवश्यक ठहराई गईं हों, कोई गलती की गई, और न किसी ऐसे अफसर अथवा अफसरों की जिन पर इस एक्ट के हुकम या किसी नियमके पूरा करने

(तामील) का भार डाला गया हो, गलती, नियम विरोध (Ier egularity) विधिविरोध (Informality) के कारण आक्षेप किया जा सकता है। सिवाय उस दंगले कि जब इस प्रकार अनुसरण न किये जाने, भूल, गलती नियम विरोध विधिविरोध के कारण चुनाव के नतीजे पर कोई प्रधान प्रभाव पड़ा हो (Materially affect)।

ठ्याख्या—

उपदफा (२) (ए) के द्वारा केवल निर्वाचकों की नामवलीमें भूल चूक हो जानेके कारण चुनाव पर आक्षेप किये जाने की मनाही कर दी गई है क्योंकि प्रथम तो यह कि जनता को एक मौका दे दिया जा चुका है कि नामावलियोंके विषयमें अजिया देके भूल चूक को ठीक करा ले, या यदि किसी का नाम बेजा दर्ज हो गया हो, तो उसको कटवा दे। और दूसरे यह कि यदि नामावली की भूल चूक से निर्वाचन रद्द कर दिये जाय, तो सम्भव है कि कोई निर्वाचन कभी हो ही न सके क्योंकि जहाँ हजारों नामों की सूची बनाई जाती है वहाँ दो एक गलतियाँ हो जाना सामान्य बात है। इसी प्रकार जो विधियाँ और नियम, निर्वाचनके लिये नियत कर दिये गये हैं, उनसे कार्रवाहियों का थोड़ा बहुत विचलित हो जाना, अनिवार्य है। इसलिये कलाज (बी) में यह आज्ञा है कि ऐसी छोटी २ बातों के कारण जिसका बहुत ही किसी उम्मेदवार की सफलता या असफलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो चुनावपर आक्षेप न किया जाय। केवल उस दशामें चुनावपर आक्षेप करने की आज्ञा दी गई है, जब कोई उम्मेदवार यह बात प्रकट कर सके, कि ऐसी किसी छोटी भूल चूक, अथवा बेजावतगी आदि के कारण चुनाव के परिणाम पर प्रभाव पड़ गया है।

—जब कि उन चोटोंके परचोंकी सरया जो डाले गये हैं नामावलीमें दर्ज किये हुये निर्वाचकों की सख्यासे अधिक निकलें, तो इस दशामें यह माता जायगा कि जिस शरसका निर्वाचन बहुसख्या से हुआ हो वह नाजायज रूपसे और कानूनके विरुद्ध हुआ, और उसका कोई प्रभाव नहीं हो सकता विशेष कर जब कोई कायदा इस विषयमें न हो कि ऐसी दशामें क्या किया जाना चाहिये। देखिये मनेन्द्रनाथ सेन बनाम जे० वास० साहय चैयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सुलना, 32 C L, J 124 = 60 I C 547

दफा २० अर्जीका नमूना और पेश किया जाना

१ जिस दिन चुनावकी कार्रवाई हुई हो उस दिनको छोड़के, १५ दिनके भीतर चुनाव-सम्बन्धी अर्जी (Election petition) पेशकी जाना चाहिये और उक्त अर्जीमें वह कारण, या वे सब कारण, जिनके आधार पर रैस्पॉण्डेंट (फरीकसानी) के चुनाव पर आक्षेप किया जाता है दे दिये जाना चाहिये और उक्त अर्जीमें ऐसा सक्षिप्त हालभी दिया जाना चाहिये जिससे उन सब कारणों का, जिनके आधार पर चुनाव पर आक्षेप किया जाता है समर्थन हो।

२ कोई ऐसा उम्मेदवार जिसके पक्षमें वोट डाले गये हों और जो अर्जीमें यह दावा करताहो कि वह उस शरसके बदले जिसके चुनाव पर आक्षेप किया जाताहो, निर्वाचित ठहराया जाय, उक्त अर्जी पेश कर सकता है या म्यूनिसिपलटीके कोई दस या दससे अधिक निर्वाचकभी ऐसी अर्जी पेश कर सकते हैं।

३ उस शरसको जिसके चुनाव पर आक्षेप किया जाताहो, अर्जीमें रैस्पॉण्डेंट बनाना

चाहिये। और उस दशामें जबकि अर्जमें यह प्रार्थनाहोकि ऐसे शरहसके बदले किसी दूसरे शरहसको निर्वाचित ठहराया जाय, तो प्रत्येक असफल उम्मेदवारकोभी जिसको ऐसे शरहसकी अपेक्षा अधिक वोट मिलेहो, अर्जमें रेस्पण्डेण्ट बनाना चाहिये।

व्याख्या—

दफा २० की उपदफा (१) की आज्ञा है कि अर्जमें वह सब कारण (Grounds) लिखे जाय जिनके आधार पर किसीके निर्वाचन पर आक्षेप किया जाता हो और ऐसे हाल (Circumstances) भी दर्ज किये जाय जिनसे उक्त कारणों का समर्थन होता हो। शब्द "हाल" (Circumstances) से क्या आशय है यह बात शकासे खाली नहीं है, क्योंकि इस शब्दके द्वारा यह बात साफ नहीं होती कि चुनाव सम्बन्धी अर्जमें किसी कुण्यवहार की सब 'घटनायें' (Specific instances) भी दर्ज की जाना आवश्यक हैं या नहीं? नवाग्रहा बनाम मुहम्मद जामिन 10 A. L. J. 219=16 I C 191 चाले मामलेमें अर्जी देने वालेने चार घटनायें (Specific instances) अपनी अर्जमें दर्ज की थीं। पन्द्रह दिन की अवधि समाप्त हो जानेके उपरान्त उसके छ अन्य घटनाओं का पता चला। उसने दरखास्त दी कि अर्जी तरमीम करके उक्त छ घटनायें भी अर्जमें बढ़ा दी जायें। हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि अर्जी देने वाले को उक्त छ घटनाओं को अर्जमें बढ़वा देनेका अधिकार प्राप्त है, और उनके साबित करनेके लिये वह शहादत भी पेश कर सकता है। माननीय थीफ जस्टिस रिचर्डस साहब ने, तजवीज में इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि ईश लेण्डका चुनाव सम्बन्धी कानून भी इन बातों की आज्ञा देता है, और यह राय भी लिखीहै कि केवल १५ दिन की अवधि इतनी थोड़ी है कि उसके भीतर प्रायः ऐसा हो सकता है कि अर्जी देने वाले के लिये यह बात सम्भव न हो कि वह सारी घटनाओंका पता लगाके उनका वृत्तान्त अर्जों में दे दे।

परन्तु जिस समय उपरोक्त नवाग्रहा वाला मामला पेश हुआ था उस समय के न्यूनिस्सिपलट्रीज एक्ट में तथा उसके अनुसार बनाये हुये नियमों में कोई हुकम इस विषय में नहीं था कि चुनाव सम्बन्धी अर्जोंमें क्या २ बातें लिखी जाना चाहिये।

—(२) चुनाव सम्बन्धी अर्जोंके सम्बन्धमें एक प्रश्न यह उत्पन्न होताहै कि कोई असफल उम्मेदवार एकही अर्ज के द्वारा एक से अधिक सफल उम्मेदवारों के चुनाव पर आक्षेप करसकताहै या नहीं था कि यह आवश्यक है कि यदि एक से अधिक सफल उम्मेदवारों के चुनाव पर आक्षेप करनाहो तो उसके खिलाफ अलग २ अर्जियां दी जाय? मुहम्मद अब्दुल बाकीखा बनाम सिराजुल्ल हसन वगैर 17 A. L. J. 844 में यह मामला हाईकोर्ट के समाने पेश हुआ कि, जब मेग्बरी की ३ जगहोंके लिये ३ उम्मेदवार खड़े हुये और उनमेंसे ३का चुनाव जायज ठहरा दिये जानेपर एक असफल उम्मेदवारने अर्जी दी, कि अनेक कारणों से तीनों सफल उम्मेदवारों का चुनाव नाजायज है और प्रार्थना की कि उक्त तीनों उम्मेदवारों का चुनाव नाजायज ठहराया जाकर मैं निर्वाचित ठहराया जाऊँ रेस्पण्डेण्टों की तरफ से यह बहस पेश की गई कि दफा २० में स्पष्ट आज्ञाहै कि जो उम्मेदवार अर्जी दे, वह एक ऐसा दावस होना चाहिये जो अर्जोंके द्वारा दावा करे, कि उस शरहसकी जगह जिसके चुनावपर आक्षेप किया जा रहा है उक्त अर्जी देने वाला निर्वाचित माना जाय अब अर्जी देने वाला मेग्बरी की एक ही जगह को तो भर सकता है। इस लिये यह बहस पेश की गई कि कानून की आज्ञा यह है, कि अर्जी केवल एकही सफल उम्मेदवार के खिलाफ दी जाय क्योंकि यदि ३ रेस्पण्डेण्टोंके खिलाफ एकही अर्जी दी जाती है तो दफा २० के प्रावों के अनुसार यह माना जायगा कि अर्जी देने वाला तीनों की जगह अकेला भरने को तैयार है।

हाइकोर्ट ने तजवीज किया कि अर्जी देने वालेको अधिकार है कि एकही अर्जी में सब सफल उम्मेदवारोंके विरुद्ध उज्जदारी करदे और यह प्रार्थना करे कि वह सब, या उनमें से कोई एक मेम्बरीसे हटा दिया जाय। इस फैसलेके हाईकोर्ट ने दो कारण दिये। प्रथम यह कि दफा २०के उपरोक्त शब्दोंका, केवल इतनाही मतलब है कि जब कोई असफल उम्मेदवार किसी सफल उम्मेदवारके चुनाव पर आक्षेप करे, तो उसको अर्जी में यह बात भी प्रगट करना चाहिये कि वह स्वयं मेम्बरी करने को तैयार है, और समाजकी सेवा करने की इच्छासे अर्जी दे रहा है, केवल दूसरे को हटाके घर नहीं बँठ रहेगा, दूसरे यह कि, यदि ऐसा असफल उम्मेदवार सबके खिलाफ अलग २ अर्जी दे, तबभी तो वहाँ कठिनाई सामने आ सकती है, क्योंकि यदि वह तीनों अर्जियों में जीत जाय तो भी तो वह तीनों की जगह नहीं भर सकेगा।

—(१) अर्जी में फरीक़्तानी किसको बनाना चाहिये, इस विषयमें दो कायदे इस उपदफामें बताये गये हैं —

(१) जिस शासकके चुनाव पर आक्षेप किया जाय, उसको तो, हर हालमें, रेस्पॉण्डेंट (फरीक़्तानी) बनाना चाहिये, क्योंकि, किसी की अनुपस्थिति में, और उसको जवाबदारी का अवसर दिये बिना, कोई मामला कोई अदालत फैसल नहीं कर सकती।

(११) यदि अर्जी में इस प्रार्थना के अतिरिक्त कि, अमुक शासक का निर्वाचन नाजायज ठहराया जाय, यह प्रार्थना भी हो, कि किसी दूसरे शासक का निर्वाचन उसके बदले जायज ठहरा दिया जाय, तो ऐसी अर्जी में नीचे लिखे शब्दों को फरीक़्तानी बनाना चाहिये अर्थात्—

(अ) उस शासकको जिनके चुनाव पर आक्षेप किया जाय। और (आ) उन सब शासकों को भी जिनके लिये वोट, उस शासकके वोटों की संख्या से, जिसका चुनाव जायज ठहरा दिये जाने की प्रार्थना अर्जी में की गई हो, अधिक पड़े हों। जैसे, यदि मेम्बरी की एक जगहके लिये A B C D E पाच उम्मेदवार खड़े हों और A के लिये ५०० वोट, B के लिये ४००, C के लिये ३००, D के लिये २०० और E के लिये १०० वोट पड़ें, और A का निर्वाचित हो जाना प्रकाशित कर दिया जाय, और D उसके चुनाव पर आक्षेप करने के लिये अर्जी दे और अर्जी में यह प्रार्थना करे कि A का चुनाव नाजायज ठहराया जावे, और D का चुनाव, उसके बदले, जायज ठहराया जावे, तो ऐसी अर्जी में A को फरीक़्तानी बनाना तो आवश्यक है ही, पर A के अतिरिक्त B तथा C को भी फरीक़्तानी बनाना चाहिये, क्योंकि D की अपेक्षा B तथा C के लिये अधिक वोट पड़े थे। E को फरीक़्तानी बनाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि E के लिये वोट D से कम पड़े थे। यह हुक्म इस सिद्धान्त पर निर्भर है, कि कानून का अनीष्ट सर्वथा यह है कि मुकद्दमों की संख्या-वृद्धि (Multi plicity of Suit) न हो, वरन जितने शब्दों का किसी मामले से सम्बन्ध हो या जिनके अधिकारों पर उस मुकद्दमे के फैसले से कोई प्रभाव पड़े, वह सब शासक अदालतके सामने उपस्थित हों, जिनमें कि, सबकी बात सुनके, अदालत ऐसा फैसला दे सके, कि फिर उन मामले पर किसी को कोई मुकद्दमा दायर करने की आवश्यकता न रह जाय। (दफा २१ की व्याख्या भी देखिये)

दफा २१ प्रतिघातक काररवाई (Recriminatory Proceedings)

प्रत्येक फरीक़्तानी (Respondent) को अधिकार होगा कि वह यह साबित करने के लिये शहादत दे कि कोई शख्स जिसके विषय में यह दावा किया जाता हो कि, वह शख्स उक्त फरीक़्तानी के बदले निर्वाचित ठहराया जाय, या जिसके विषय में यह

चाहिये। और उस दशामें जबकि अर्जमें यह प्रार्थनाहोकि ऐसे शख्सके बदले किसी दूसरे शख्सको निर्वाचित ठहराया जाय, तो प्रत्येक असफल उम्मेदवारकोभी जिसको ऐसे शख्सकी अपेक्षा अधिक वोट मिलेहो, अर्जमें रैम्पाण्डेण्ट बनाना चाहिये।

व्याख्या—

दफा २० की उपदफा (१) की आज्ञा है कि अर्जमें यह सब कारण (Grounds) लिखे जाय जिनके आधार पर किसीके निर्वाचन पर आक्षेप किया जाता हो और ऐसे हाल (Circumstances) भी दर्ज किये जाय जिनसे उक्त कारणों का समर्थन होता हो। शब्द "हाल" (Circumstances) से क्या आशय है यह बात साफसे खाली नहीं है, क्योंकि इस शब्दके द्वारा यह बात साफ नहीं होती कि चुनाव सम्बन्धी अर्जमें किसी कुस्यवहार की सब 'घटनायें' (Specific instances) भी दर्ज की जाना आवश्यक हैं या नहीं? नवायरा घनाम मुहम्मद जामिन 10 A L J 219=16 I C 191 वाले मामलेमें अर्ज देने वालेने चार घटनायें (Specific instances) अपनी अर्जमें दर्ज की थीं। पन्द्रह दिन की अवधि समाप्त हो जानेके उपरान्त उसको छ अन्य घटनाओं का पता चला। अपने दरम्बारत दी कि अर्जों तरमीम करके उक्त छ घटनायें भी अर्जमें बढ़ा दी जायें। हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि अर्ज देने वाले को उक्त छ घटनाओं को अर्जमें बढ़ावा देनेका अधिकार प्राप्त है, और उनके साबित करनेके लिये वह दाहादत भी पेश कर सकता है। माननीय चीफ जस्टिस रिचर्डस साहय ने, तजवीज में इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि इन्हें केवल १५ दिन की अवधि इतनी थोड़ी है कि उसके भीतर प्रायः ऐसा हो सकता है कि अर्ज देने वाले के लिये यह बात सम्भव न हो कि वह सारी घटनाओंका पता लगाके उनका वृत्तान्त अर्जों में देदे।

परन्तु जिस समय उपरोक्त नवाय खा वाला मामला पेश हुआ था उस समय के ग्यूनिसिपलटीज एक्ट में तथा उसके अनुसार बनाये हुये नियमों में कोई हुकम इस विषय में नहीं था कि चुनाव सम्बन्धी अर्जोंमें क्या २ बातें लिखी जाना चाहिये।

—(२) चुनाव सम्बन्धी अर्जोंके सम्बन्धमें एक प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि कोई असफल उम्मेदवार एकही अर्जों के द्वारा एक से अधिक सफल उम्मेदवारों के चुनाव पर आक्षेप करसकता है या नहीं या कि यह आवश्यक है कि यदि एक से अधिक सफल उम्मेदवारों के चुनाव पर आक्षेप करनाहो तो सबके खिलाफ अलग २ अर्जियां दी जाय? मुहम्मद अब्दुल बाकीखा वनाम सिराजउल हसन वगैरा 17 A L J 844 में यह मामला हाईकोर्टके समाने पेश हुआ कि, जय मेम्बरी की ३ जगहोंके लिये ३ उम्मेदवार खड़े हुये और उनमेंसे ३का चुनाव जायज ठहरा दिये जानेपर एक असफल उम्मेदवारने अर्ज दी, कि अनेक कारणों से तीनों सफल उम्मेदवारों का चुनाव नाजायज है और प्रार्थना की कि उक्त तीनों उम्मेदवारों का चुनाव नाजायज ठहराया जाकर मैं निर्वाचित ठहराया जाऊं रैम्पाण्डेण्टों की तरफ से यह बहस पेश की गई कि दफा २० में स्पष्ट आज्ञा है कि जो उम्मेदवार अर्जों दे, वह एक घना शख्स है उक्त अर्जों देने वाला निर्वाचित माना जाय अब अर्जों देने वाला मेम्बरी की एक ही जगह को तोमर सकता है। इस लिये यह बहस पेश की गई कि कानून की आज्ञा यह है, कि अर्जों केवल एकही सफल उम्मेदवार के खिलाफ दी जाय क्योंकि यदि ३ रैम्पाण्डेण्टोंके खिलाफ एकही अर्जों दी जाती है तो दफा २० के शब्दों के अनुसार यह माना जायगा कि अर्जों देने वाला तीनों की जगह अकेला मरने को तैयार है।

हाइकोर्ट ने तजवीज किया कि अर्जी देने वालेको अधिकार है कि एकही अर्जी में सब सफल उम्मेदवारोंके विरुद्ध उद्गारी करदे और यह प्रार्थना करे कि वह सब, या उनमें से कोई एक मेम्बरीसे हटा दिया जाय। इस फैसलेके हाईकोर्ट ने दो कारण दिये। प्रथम यह कि दफा २०के उपरोक्त शब्दोंका, केवल इतनाही मतलब है कि जब कोई असफल उम्मेदवार किसी सफल उम्मेदवारके चुनाव पर आक्षेप करे, तो उसको अर्जी में यह बात भी प्रगट करना चाहिये कि वह स्वयं मेम्बरी करने को तैयार है, और समाजकी सेवा करने की इच्छासे अर्जी दे रहा है, केवल दूसरे को हटाके घर नहीं बठ रहेगा, दूसरे यह कि, यदि ऐसा असफल उम्मेदवार सबके खिलाफ अलग २ अर्जी दे, तभी तो वही कठिनाई सामने आ सकती है, क्योंकि यदि वह तीनों अर्जियों में जीत जाय तो भी तो वह तीनों की जगह नहीं भर सकेगा।

—(३) अर्जी में फरीक़्तमानी किमको बनाना चाहिये, इस विषयमें दो कायदे इस उपदफामें बताने गये हैं —

(1) जिम शास्के चुनाव पर आक्षेप किया जाय, उसको तो, हर हालमें, रेस्पॉण्डेंट (फरीक़्तमानी) बनाना चाहिये, क्योंकि, किसी की अनुपस्थिति में, और उसको जवाबदिही का अवसर दिये बिना, कोई मामला कोई अदालत फैसल नहीं कर सकती।

(11) यदि अर्जी में इस प्रार्थना के अतिरिक्त कि, अमुक शास् का निर्वाचन नाजायज ठहराया जाय, यह प्रार्थना भी हो, कि किसी दूसरे शास् का निर्वाचन उसके बदले जायज ठहरा दिया जाय, तो ऐसी अर्जी में नीचे लिखे शास्कों को फरीक़्तमानी बनाना चाहिये अर्थात्—

(अ) उस शास्को जिसके चुनाव पर आक्षेप किया जाय। और (आ) उन सब शास्कों को भी जिनके लिये वोट, उस शास्के वोटों की सख्या से, जिसका चुनाव जायज ठहरा दिये जाने की प्रार्थना अर्जी में की गई हो, अधिक पडे हों। जैसे, यदि मेम्बरी की एक जगहके लिये A B C D E पाच उम्मेदवार पडे हों और A के लिये ५०० वोट, B के लिये ४००, C के लिये ३००, D के लिये २०० और E के लिये १०० वोट पडे, और A का निर्वाचित हो जाना प्रकाशित कर दिया जाय, और D उसके चुनाव पर आक्षेप करने के लिये अर्जी दे और अर्जी में यह प्रार्थना करे कि A का चुनाव नाजायज ठहराया जावे, और D का चुनाव, उसके बदले, जायज ठहराया जावे, तो ऐसी अर्जी में A को फरीक़्तमानी बनाना तो आवश्यक है ही, पर A के अतिरिक्त B तथा C को भी फरीक़्तमानी बनाना चाहिये, क्योंकि D की अपेक्षा B तथा C के लिये अधिक वोट पडे थे। E को फरीक़्तमानी बनाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि E के लिये वोट D से कम पडे थे। यह हुबन इम सिद्धान्त पर निर्भर है, कि कानून का अमोप्ट सर्था यह है कि मुकद्दमों की सख्या-वृद्धि (Multiplicity of Suit) न हो, यद्यत् जितने शास्कों का किसी मामले से सम्बन्ध हो या जिनके अधिकारों पर उस मुकद्दमे के फैसले से कोई प्रभाव पडे, वह सब शास् अदालतके सामने उपस्थित हों, जिसमें कि, सबकी बात सुनके, अदालत ऐसा फैसला दे सके, कि किन् उम मामले पर किसी को कोई मुकद्दमा दायर करने की आवश्यकता न रह जाय। (दफा २१ की व्याख्या भी देखिये)

दफा २१ प्रतिघातक काररवाई (Recriminatory Proceedings)

प्रत्येक फरीक़्तमानी (Respondent) को अधिकार होगा कि वह यह साबित करने के लिये महादत दे कि कोई शास् जिसके विषय में यह दावा किया जाता हो कि, वह शास् उक्त फरीक़्तमानी के बदले निर्वाचित ठहराया जाय, या जिसके विषय में यह

दावा किया जाता हो कि उक्त फरीकसानी की अपेक्षा पहले उस शख्स का निर्वाचित ठहराये जाने का अधिकार है, निर्वाचित ठहराये जाने के योग्य नहीं है। उक्त फरीकसानी को इस बातकी शहादत देने का वैसाही अधिकार होगा जैसे कि उसने ही उस शख्सके निर्वाचनके विरुद्ध अर्जी दी हो।

व्याख्या—

“प्रतिघात” करने का अर्थ है ‘उल्टी घात करना या हमले के बदले हमला करना’।

इस दफा के द्वारा दो प्रकारके शरतों को, “प्रतिघात” करने का अधिकार, दिया गया है, अर्थात्

(१) उस उम्मेदवार को जो चुनावमें सफल हुआ है और जिसके चुनाव पर आक्षेप करने के अभिप्राय से अर्जी दी गई है। इस दशा में प्रश्न यह उठता है कि प्रतिघात करने के लिये सफल उम्मेदवार किस प्रकार की शहादत दे सकता है? उसको यह अधिकार होगा कि अपनी सफाई भी पेश करे अर्थात् अर्जी देने वाले के आक्षेप को रद्द करे, और ऊपर से यह भी अधिकार है कि ऐसी शहादत भी पेश करे कि जिसके द्वारा स्वयं अर्जी देने वाले की उन अनुचित कारवाइयों पर जो उक्त अर्जी देने वाले ने भी चुनाव में की हों, आक्षेप हो। मानो स्वयं उसने भी अर्जी देने वाले पर अर्जी दी हो। इसी प्रकार उस दशा में जब कि अर्जी निर्वाचकों की ओरसे दी गई हो तो सफल उम्मेदवार को उस शरत के खिलाफ भी जिसका चुनाव जायज ठहराने की प्रार्थना अर्जीमें की गई हो, शहादत देने का, उपर धतये हुये अधिकारों के समान ही अधिकार होंगे

(२) उन सब अमफल उम्मेदवारों को भी जिनके लिये अर्जी देनेवाले की अपेक्षा अधिक वोट पड़े थे और जिनका फरीक बनाया जाना दफा २० की उपदफा (३) के अनुसार जरूरी रखा गया है प्रतिघातका अधिकार दिया गया है। इन फरीकसानियों को यह अधिकार होगा कि अर्जीमें जिस शरत का निर्वाचन जायज ठहराने की प्रार्थना हो, और उस शरत का निर्वाचन जायज ठहराये जानेका एक एक फरीकमानियोंसे अधिक बतलाया गया हो तो ऐसे शख्स की उन अनुचित कारवाइयों की शहादत दें, जो उस शख्स ने भी निर्वाचन में की हों, मानो स्वयं इन लोगों ने भी उस शख्स के खिलाफ अर्जी दी हो। माराश यह कि दफा २१ इस बात की इजाजत देती है कि अर्जी के सारे फरीक एक दूसरे की कलाई खोले जिससे कि अदालत पर सब की अनुचित कारवायों का हाल प्रकट हो जाय और यदि अदालत सफल उम्मेदवार का चुनाव नाजायज ठहराना निश्चय करे, तो अदालत को यह निर्णय करने में सुविधा हो कि किम रैस्पण्डेंट (फरीकसानी) को उस की जगह दी जाय।

दफा २२ निर्वाचन-निर्णय-कर्त्ता अदालत (Election Court)

१ खिवाय उस दशाके जबकि कोई दूसरा शख्स, या दूसरी अदालत इस अभिप्राय से बनाये हुये फिस्ती नियमके द्वारा नियत कर दी गई हो, निर्वाचन सम्बन्धी अर्जी उस कमिश्नरी का कामेन्टर सुनेगा, जिसमें वह म्यूनिसिपलटी हो, जिसके निर्वाचन का झगडा हो और कमिश्नर उक्त अर्जी को जिले के उस स्थानमें सुनेगा जिसमें उक्त म्यूनिसिपलटी हो।

२ निर्वाचन सम्बन्धी अर्जी, और निर्वाचन सम्बन्धी अर्जी के सुने जाने (समाप्त) के सम्बन्धमें कोई दरखास्त, पूर्वोक्त कमिश्नर को, या पूर्वोक्त शख्स या अदालत को,

दी जा सकती है या उस जिले के कलक्टरको दी जा सकती है जिसमें वह म्यूनि-
सिपलटी हो जिसके कि निराचन का प्रगडा हो।

व्याख्या—

अर्जी देने वालों की सुविधाके लिये इस दफा में यह हुक्म कर दिया गया है कि निर्वाचन सम्बन्धी अर्जी जिले के कलक्टरके सामने भी पेशकी जा सकती है। यद्यपि अर्जी की समाप्त कमी-
शनरी करेगा, तथापि, केवल अर्जी पेश करने के लिये, जिले के बाहर किसी को जाने की आवश्यकता नहीं। कमिश्नरके लिये यह आज्ञा भी है कि वह अर्जी उसी म्यूनिसिपलटी में सुने (समाप्त करे) जहा का प्रगडा हो, जिससे कि फरीकों को अपनी शहाहत पेश करने में सुभीता हो।

निर्वाचन सम्बन्धी अर्जी के सुने जाने (समाप्त) के सम्बन्धमें सन प्रकारकी दरखास्तें भी उस कलक्टरके सामने पेशकी जा सकती हैं। अतएव जिले के कलक्टरको ऐसी २ दरखास्तें भी जैसे तलबी गवाहानकी, या कागज आदि तलब कराने की, दी जा सकती हैं।

—निर्वाचन सम्बन्धी अर्जियों के सुने का अर-यार इस एक्टके द्वारा कमिश्नर को दिया गया है। परन्तु इस विषयमें बहुतमे परिवर्तन होते आये हैं। निर्वाचनों के सम्बन्धमें, समय समय पर, जो फैसले हुये हैं, उनके समझने की सुविधा के लिये, एक साक्षित दृष्टि इन परिवर्तनों पर डाल लेना चाहिये।

सन १९०५ ई०के पूर्व निर्वाचन सम्बन्धी अर्जियोंको जिला मजिस्ट्रेट सुनता था। सन १९०० ई० में म्यूनिसिपलटीज एक्ट न० १, सन १९०० ई०, पास (Pass) हुआ किन्तु उक्त अर्जियां सुननेका अर-यार जिला मजिस्ट्रेट ही को रहा। जिला मजिस्ट्रेट का हुक्म अन्तिम होता था। सन १९१० ई० में (२६ जुलाई और ४ अगस्तके विज्ञापन न० २६४० और न० २७३३ D ७७३ XI के द्वारा) नये नियम प्रकाशित किये गये। इन नियमों में आज्ञा दी गई कि निर्वाचन सम्बन्धी अर्जियों की समाप्त "अधिकार प्राप्त अदालत" (Competent Court) करेगी। ऐसी अदालतोंका फैसला अन्तिम होगा या नहीं, इसके विषयमें कोई हुक्म नहीं दिया गया था। "अधिकार प्राप्त अदालतें" दीवानी की अदालतें मानी गई थीं। तरपश्चात् १८ मार्च सन १९१४ ई०के विज्ञापन न० १०२८, XI ७७३ D के द्वारा, यह अर-यार फिर कमिश्नर को दिया गया और उसका फैसला अन्तिम माना गया। हालके एक्ट न० २, सन १९१६ ई०, में दफा २२ के अनुसार, कमिश्नरको यह अर-यार दिया गया है और दफा २३ की, उपदफा (२) के क्लॉज (ई) के अनुसार कमिश्नर का फैसला अन्तिम (Final) माना गया है।

दफा २३ जाबता (Procedure)

१ सिवाय उस दशाके जबकि इस एक्ट अथवा किसी नियमके द्वारा, कोई अन्य हुक्म दिया गया हो, निर्वाचन सम्बन्धी अर्जियों के सुने जाने में, उस जाबते (Procedure) के अनुसार कारवाई की जायगी, जोकि जाबतादीवानी (Civil Procedure code) में मुकद्दमों की समाप्त (सुने जाने) के लिये बताया गया है जहा तक कि उक्त जाबते और इस एक्ट, अथवा किसी नियममें, परस्पर विरोध न हो, और जहा तक कि वह जाबता लागू किया जा सकता हो।

दावा किया जाता हो कि उक्त फरीकसानी की अपेक्षा पहले उस शाखस का निर्वाचित ठहराये जाने का अधिकार है, निर्वाचित ठहराये जाने के योग्य नहीं है। उक्त फरीकसानी को इस बातकी शहादत देने का वैसाही अधिकार होगा जैसे कि उसने ही उस शाखसके निर्वाचनके विरुद्ध अर्जी दी हो।

व्याख्या—

“प्रतिघात” करने का अर्थ है ‘उल्टी घात करना या हमले के बदले हमला करना’।

इस दफा के द्वारा दो प्रकारके शाखसों को “प्रतिघात” करने का अधिकार दिया गया है, अर्थात्

(१) उस उम्मेदवार को जो चुनावमें सफल हुआ है और जिसके चुनाव पर आक्षेप करने के अभिप्राय से अर्जी दी गई है। इस दशा में प्रश्न यह उठता है कि प्रतिघात करने के लिये सफल उम्मेदवार किस प्रकार की शहादत दे सकता है? उसको यह अधिकार होगा कि अपनी सफाई भी पेश करे अर्थात् अर्जी देने वाले के आक्षेप को रद्द करे, और ऊपर से यह भी अधिकार है कि ऐसी शहादत भी पेश करे कि जिसके द्वारा स्वयं अर्जी देने वाले की उन अनुचित कार्रवाईयों पर जो उस अर्जी देने वाले ने भी चुनाव में कीं हैं, आक्षेप हो। मानो स्वयं उसने भी अर्जी देने वाले पर अर्जी दी हो। इसी प्रकार उस दशा में जब कि अर्जी निर्वाचकों की ओरसे दी गई हो तो सफल उम्मेदवार को उस शाखस के खिलाफ भी जिसका चुनाव जायज ठहराने की प्रार्थना अर्जीमें की गई हो, शहादत देने का, उपर धताये हुये अधिकारों के समान ही अधिकार होंगे

(२) उन सब अफल उम्मेदवारों को भी जिनके लिये अर्जी देनेवाले की अपेक्षा अधिक बोट पड़े थे और जिनका फरीक बनाया जाना दफा २० की उपदफा (३) के अनुसार जरूरी रखा गया है प्रतिघातका अधिकार दिया गया है। इन फरीकसानियों को यह अधिकार होगा कि अर्जीमें जिस शाखस का निर्वाचन जायज ठहराने की प्रार्थना हो, और उस शाखस का निर्वाचन जायज ठहराये जानेका हक एक फरीकसानियोंसे अधिक बतलाया गयाहो तो ऐसे शाखस की उन अनुचित कार्रवाईयों की शहादत दें, जो उस शाखस ने भी निर्वाचन में की हैं, मानो स्वयं इन लोगों ने भी उस शाखस के खिलाफ अर्जी दी हो। माराश यह कि दफा २१ इस बात की इजाजत देती है कि अर्जी के सारे फरीक एक दूसरे की कलई खोलें जिससे कि अदालत पर सब की अनुचित कार्रवायों का हाल प्रकट हो जाय और यदि अदालत सफल उम्मेदवार का चुनाव नाजायज ठहराना निश्चय करे, तो अदालत को यह निर्णय करने में सुविधा हो कि किस रैस्पण्डेंट (फरीकसानी) को उस की जगह दी जाय।

दफा २२ निर्वाचन-निर्णय-कर्त्ता अदालत (Election Court)

१ सिवाय उस दशाके जबकि कोई दूसरा शाखस, या दूसरी अदालत इस अभिप्राय से बनाये हुये किसी नियमके द्वारा, नियत कर दी गई हो, निर्वाचन सम्बन्धी अर्जी उस कमिश्नरी का कमिश्नर सुनेगा, जिसमें वह म्यूनिसिपलटी हो, जिसके निर्वाचन का झगडा हो, और कमिश्नर उक्त अर्जी को जिले के उस स्थानमें सुनेगा जिसमें उक्त म्यूनिसिपलटी हो।

२ निर्वाचन सम्बन्धी अर्जी, और निर्वाचन सम्बन्धी अर्जी के सुने जाने (समाप्त) के सम्बन्धमें कोई दरखास्त, पूर्वोक्त कमिश्नर को या पूर्वोक्त शाखस या अदालत को,

दी जा सकती है या उस जिले के क्लर्कको दी जा सकती है जिसमें वह म्यूनि-
सिपल्टी हो जिसके फिनिशिंग का झगडा हो।

व्याख्या—

अर्जी देने वालों की सुविधाके लिये हम दफा में यह हुक्म कर दिया गया है कि निर्वाचन सम्बन्धी अर्जी फिल के क्लर्कके सामने भी पेशकी जा सकती है। यद्यपि अर्जी की समाप्त कमि-
शनरी करेगा, तथापि, केवल अर्जी पेश करने के लिये, जिले के बाहर किसी को जाने की आवश्यकता नहीं। कमिशनरके लिये यह आना भी है कि यह अर्जी उसी म्यूनिसिपल्टी में सुने (समाप्त करे) जहाँ का झगडा हो, जिससे कि फरीकों को अपनी शहाहत पेश करने में सुभीता हो।

निर्वाचन सम्बन्धी अर्जी के सुने जाने (समाप्त) के सम्बन्धमें सय प्रकारकी दरखास्तें भी उक्त क्लर्कके मामले पेशकी जा सकती हैं। अतएव जिले के क्लर्कको ऐसी २ दरखास्तें भी पैसे तलबी गवाहानकी, या फागज आदि तलब कराने की, दी जा सकती है।

—निर्वाचन सम्बन्धी अर्जियों के सुनने का अरथार इस एक्टके द्वारा कमिशनर को दिया गया है। परन्तु इस विषयमें बहुतसे परिवर्तन होते आये हैं। निर्वाचनों के सम्बन्धमें, समय समय पर, जा फैसले हुये हैं, उनके समझने की सुविधा के लिये, एक साक्षि दृष्टि इन परिवर्तनों पर डाल लेना चाहिये।

सन् १९०० ई०के पूर्व निर्वाचन सम्बन्धी अर्जियोंको जिला मजिस्ट्रेट सुनता था। सन् १९०० ई० म म्यूनिसिपल्टीज एक्ट न० १, सन् १९०० ई०, पास (Pass) हुआ किन्तु उक्त अर्जियां सुननेका अरथार जिला मजिस्ट्रेट ही को रहा। जिला मजिस्ट्रेट का हुक्म अन्तिम होता था। सन् १९१० ई० में (२६ जुलाई और ४ अगस्तके विज्ञापन न० २६४० और न० २७३३ D ७७३ XI के द्वारा) नये नियम प्रकाशित किये गये। इन नियमों में आज्ञा दी गई कि निर्वाचन सम्बन्धी अर्जियों की समाप्त "अधिकार प्राप्त अदालत" (Competent Court) करेगी। ऐसी अदालतोंका फैसला अन्तिम होगा या नहीं, इसके विषयमें कोई हुक्म नहीं दिया गया था। "अधिकार प्राप्त अदालत" दीवानी की अदालतें मानी गई थीं। तत्पश्चात् १८ मार्च सन् १९१४ ई० के विज्ञापन न० १०२८, XI ७७३ D के द्वारा, यह अरथार फिर कमिशनर को दिया गया और उसका फैसला अन्तिम माना गया। हालके एक्ट न० २, सन् १९१६ ई०, में दफा २२ के अनुसार, कमिशनरको यह अरथार दिया गया है और दफा २३ की, उपदफा (२) के क्लॉज (ई) के अनुसार कमिशनर का फैसला अन्तिम (Final) माना गया है।

दफा २३ जाबता (Procedure)

१ सिवाय उस दशाके जबकि इस एक्ट अथवा किसी नियमके द्वारा, कोई अन्य हुक्म दिया गया हो, निर्वाचन सम्बन्धी अर्जियों के सुने जाने में, उस जाबते (Proc-
edure) के अनुसार काररवाई की जायगी जोकि जाबतादीवानी (Civil Procedure
code) में मुकद्दमों की समाप्त (सुने जाने) के लिये बताया गया है जहां तक
कि उक्त जाबते और इस एक्ट, अथवा किसी नियममें, परस्पर विरोध न हो, और जहां
तक कि वह जाबता लागू किया जा सकता हो।

२ परन्तु शर्त यह है कि—

- (ए) दो, या दो से अधिक शख्स जिनके निर्वाचन पर आक्षेप किया जाता हो, एकही अर्जी में फरीकसानी बनाये जा सकते हैं, और उनके मुकद्दमों का फैसला साथ साथ हो सकता है, और दो या दो से अधिक निर्वाचन सम्बन्धी अर्जियों की समागत साथ साथ हो सकती है, परन्तु जहां तक ऐसी मिली हुई पेशी, या समागतके कारण इस बातके मानने में किसी प्रकार का विरोध न हो, यह माना जायगा कि अर्जी प्रत्येक फरीकसानी के खिलाफ अलग २ दी गई है।
- (बी) अदालत इस बातके लिये बाध्य न होगी कि वह शहादत पूरी पूरी लिखे या लिखावये परन्तु अदालत ऐसी शहादतकी याददाश्त लिख लेगी जो, उसकी रायमें, मुकद्दमे के फैसल करने के लिये काफी हो।
- (सी) अदालत को अधिकार होगा कि जबतक काररवाई चलती रहे, उसके भीतर, जब चाहे अर्जी देने वाले को हुक्म दे कि वह, उस खर्चकी अदायगी की, जो किसी फरीकसानी का पड चुका हो या जिसके, भविष्यमें पड़ने की, सम्भावना हो, जमानत दे, या जितनी जमानत दी जा चुकी हो, उसके आगे, और जमानत दे।
- (डी) किसी विचार्य विषय (तन्कीह) को फैसल करने के मतलब से अदालत केवल उतनी ही शहादत, जबानी या कागजी को पेश करने का हुक्म देने के लिये, अथवा ऐसी शहादत लेने के लिये बाध्य होगी, जितनी कि वह आवश्यक समझे।
- (ई) जब तक मुकद्दमे की काररवाई चलती रहे (दौरान समागत) उसके भीतर अदालत को, जिस समय वह चाहे, अधिकार होगा कि कोई कानूनी प्रश्न, जाबता दीवानी सन १९०८ई० के पहले शिड्यूल (Schedule) के आर्टिकल ४६ के अनुसार हाईकोर्ट को परामर्शार्थ भेज दे (Reference) किन्तु किसी कानूनी प्रश्नकी, अथवा मुकद्दमेकी घटनाओं (Facts) से सम्बन्ध रखने वाले किसी प्रश्नकी अपील न होगी। और न कोई दरखास्त निगरानी (Revision) की, उक्त अदालतके फैसले के विरुद्ध या उसके सम्बन्ध में दी जा सकेगी।
- (एफ) अदालतको अधिकार होगा कि, किसी ऐसे शख्सकी दरखास्त पर, जिसे विश्वास यह हो कि अदालत का फैसला उसके लिये हानिकारक है अपने फैसले के किसी विषय पर पुन विचार (Review) करे।

व्याख्या—

उपदफा (२) के बलाज (ए) में इस बात की स्पष्ट आज्ञा दी गई है कि एक ही अर्जी के द्वारा, दो या दो से अधिक सफल उम्मेदवारों के किसी अलग-अलग उम्मेदवारके पास उम्मेदवारी का अधिकार है। यदि ऐसे सुवृत्त मौजूद हों कि जिसने कि वह अपना मुकद्दमा, ऐसे सब

फल उम्मेदवारों को फरीक़ घना के मजदूत क्यों न करले, जिससे कि उसको यह आशा होसके कि यदि किसी एक फरीक़सानो के खिलाफ़ मुकद्दमा स्थापित न हो सका, तो किसी दूसरे के खिलाफ़ ही स्थापित होने की सम्भावना होगी। (देखिये मुहम्मद अन्दुलयाकीया घनाम सिराजुल् हसन 7 A L J 844)। उपरोक्त विषय में जो कुछ दावा दफा २० की उपदफा (२) के शब्दों में उत्पन्न होती है, उसके लिये देखिये दफा २० की व्याख्या।

—(२) (ई) रेफरेन्स (Reference) के विषय में जायता दीवानिकी आर्डर ४६ का प्रायदा (१) इस प्रकार है —

“यदि किसी ऐसे मुकद्दमे या अपील की पेशीके समय या पेशी से पूर्व, जिसकी डिकरीसे अपील नहीं किया जा सकता या किसी ऐसी ही डिकरी के इजरायमें कोई फानूनी प्रश्न या किसी से रिवाज (Usage) के विषयमें जिसका असर कानून के समान हो, कोई प्रश्न उत्पन्न हो, और जिसके विषयमें, उम अदालत को, जिनके सामने मुकद्दमा या अपील पेश हो, या जो डिकरी के जराय की काररवाई कर रही हो, कोई शक़ा उत्पन्न हो, तो ऐसी अदालत को अधिकार होगा, कि जिस अपनी मर्जी से या किसी फरीक़ की दरख्वास्त पर, मुकद्दमे की घटनाओं (Facts) का, तथा उन विषय का, जिसपर कि अदालत को शक़ा हो, हाल लिख के, अपनी सम्मति सहित हाईकोर्ट को भेजने के लिये भेज दे।

—अपीलमें अनेक कारणों से कानून की मन्दा सदा यही रही है कि निर्वाचन निर्णय कर्ता अदालत (Election Court) का फैसला अन्तिम हो, अर्थात् उससे कोई अपील न की जा सके। इंग्लैण्ड का कानून भी इसीके अनुसार है माननीय मिस्टर जस्टिस टेडबाल, खुरीलाल घनाम रघुनन्दन प्रसाद 11 A L J 659 की तजवीज में इस विषयमें लिखते हैं कि “म्यूनिसिपल चुनाव सम्बन्धी मामलों के लिये इंग्लैण्डमें एक विशेष अदालत कानून के द्वारा घना दी जाती है जो चुनाव सम्बन्धी अर्जिया सुनती है। उस अदालतमें केवल एक फैसला करने वाला होता है, जो “कमिश्नर” कहलाता है उसके फैसलेसे अपील नहीं होती। हमारा यह विश्वास है कि कानून की मसलहत सदा यही रही है कि जिस अदालत, कमिश्नर, या अन्य अफसर को, चुनाव सम्बन्धी अर्जिया सुनने का अधिकार दिया जाय, उसका फैसला अन्तिम हो”।

निम्न लिखित तीनों मुकद्दमे हाईकोर्टके सामने उस समय में पेश हुये थे जब निर्वाचन सम्बन्धी अर्जों के सुनने का अधिकार “अधिकार प्राप्त अदालत” (Competent Court) को था, और कोई स्पष्ट हुक्म भी इस विषयमें नहीं था, कि ऐसी अदालत के फैसलेसे अपील नहीं होगी। धीरे धीरे साधारणतः दीवानी अदालत के सत्र ही फैसलोंमें अपील की इजाजत होती है, तो भी हाईकोर्ट इन सय मुकद्दमा में यही तजवीज किया कि निर्वाचन सम्बन्धी मामले के फैसलेसे अपील नहीं की जा सकती देखिये खुदीलाल घनाम रघुनन्दनप्रसाद 11 A L J 659=20 I C 497 इन्द्राम बनाम छोटेलाल वगैरा 11 A L J 945=21 I C 575 (फुल पेज) सुन्दरलाल नाम मुहम्मद फायक 16 O C 36=18 I C 122

—इस सम्बन्धमें एक विषय पर और विचार करना चाहिये। निर्वाचन विषय-कर्ता अदालत के फैसलेसे अपील तो नहीं हो सकती, किन्तु किसी शक़स को इस बात का अधिकार है या नहीं कि उक्त अदालतमें अर्ज देनेके बदले वह कोई दावा (Suit) निर्वाचन के सम्बन्धमें दायर करे, या यह दावा (Suit) निर्वाचन निर्णय कर्ता अदालत के फैसले के पश्चात् दायर करे। इस विषय

में एक मामला हाईकोर्ट की एक फुल बेंच (Full Bench) के सामने पेश हो चुका था। "इस्तिफार हक (Declaration of right) का एक असफल उम्मेदवार ने, उम्मेदवार पर, जिसका चुनाव जायज ठहरा दिया जा चुका था, दायर किया था। उसमें कि "इस्तिफार" (Declaration) इस बात का कर दिया जाय, कि मुद्दालत का जायज नहीं हुआ। फुल बेंच ने तैजजीव किया कि "इस बातका प्रश्न कि कोई म्यानिस्सिपलटी जायज रूप से हुआ या नहीं केवल ऐसी अर्जी के द्वारा उठाया जा सकता है जो १९०१ सन १९०० ई० की दफा १८७ के आधार पर प्रान्तीय सरकार द्वारा बनाये हुये नियमों पेश की गई हों" देखिये मुहम्मद इनामउलहक बनाम मुहम्मद अहसन 12 A L (F B)=21 L, C 655.

—(२) (एफ) पुन विचार—किन कारणों के उपस्थित होने से अदालत अपने पुन विचार (नजरसानी) करना स्वीकार करेगी इसके विषयमें कोई आज्ञा इस एक्ट में नहीं है। जायतादीवानी के आर्ट ४७ क़ायदा १ के अनुसार नीचे लिखे कारणों के उपस्थित होने पर पुन विचार हो सकता है, अर्थात्—

(1) किसी नये तथा आवश्यक मामले या शहादत का, पता लगने के कारण ज्ञान, उचित उद्योग किये जाने पर भी, किसी फरीक को न होसका हो, या जो उचित जाने पर भी, डिकरी या हुक्मके पास किये जाने के समय, पेश न किया जा सका हो।

(II) या किसी ऐसी गलती, अथवा भूल के कारण जो प्रत्यक्ष रूप से मिसल पड़ती हो।

(III) या किसी अन्य ऐसे कारण से जो पुन विचार के लिये काफी समझा जा

—पुन विचार (नजरसानी) की दरदवास्त की नार्मजूरी की अपील नहीं होती परन्तु जाने की जायतादीवानी के अनुसार अपील हो सकती है। परन्तु निर्वाचन निर्णय कर्ता ऐसी दरदवास्त को मजूर करले तो भी कोई अपील न होगी।

दफा २४ निर्वाचन-निर्णय-कर्ता अदालतके अधिकार

१ सिवाय उस दशाके, कि जब इस अभिप्रायसे बनाये हुये, किसी नियम इसके विरुद्ध कोई हुक्म हो, निर्वाचन निर्णयकर्ता अदालतके वही सब अख्तियार होंगे जो अदालत दीवानी के जजके होते हैं और वह किसी तामीलके लिये अथवा किसी अन्य ऐसे ही हुक्मके जारी करने के लिये, जिला की अनुमतिसे, जिला-मजिस्ट्रेट की कचहरी के किसी चपरासी, या अन्य अफसरोंसे काम ले सकता है।

२ निर्वाचन-निर्णय-कर्ता अदालतको अधिकार होगा कि खर्चकी अदायगी कोई हुक्म, या खर्चके जमानन पत्र का रूपया वसूल करने के लिये कोई हुक्म, उक्त अदालत ने दिया हो उस जिलाके कलेक्टर को, जिसमें मामले से सम्बन्धवादी म्यानिस्सिपलटी हो, तामीलके लिये भेज दे, और इस प्रकार भेजे हुये हुक्म की तामील कलेक्टर उसी तरह करेगा, मानो वह हुक्म सन १९०१ ई०के, या कानून लगान अथवा सन १८८६ ई० के अवध कानून लगान (अर्थात् जैसी

किसी काररवाई में कलक्टरही का दिया हुआ हुकम है।

दफा २५ निर्वाचन-निर्णय-कर्त्ता अदालतका फैसला

अगर अदालत ऐसी तहकीकात (Enquiry) के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, किसी शख्सके विषयमें जिसके निर्वाचन पर अर्जी के द्वारा आक्षेप किया गया हो, यह निश्चय करे कि उसका निर्वाचन जायज हुआ था तो वह ऐसे शख्सके विरुद्ध अर्जी खारिज कर देगी, और यदि अदालत उचित समझे तो मुकद्दमे का खर्चा दिलाने का भी हुकम दे सकती है।

२ यदि अदालत यह निश्चय करे कि किसी शख्स का निर्वाचन नाजायज था तो वह, या तो—

(ए) यह बात प्रकाशित कर देगी कि मेम्बरी की एक जगह सयोगवश खाली हो गई है। या

(बी) किसी अन्य उम्मेदवार का जायज रूपसे निर्वाचन हो जाना प्रकाशित कर देगी, अर्थात् उस विशेष मामले की दशा पर दृष्टि डालते हुये इन दोनों बातों में से जो बात उचित जान पड़े वैसाही करेगी और दोनों हालतों में, यदि चाहें तो, मुकद्दमे का खर्चा दिलाने का भी हुकम दे सकती है।

३ उस दशामें जबकि अदालत मेम्बरी की जगह सयोगवश खाली होजाना प्रकाशित करे, तो वह, वोटों को, उस खाली जगहके भरने के लिये, काररवाई करने का हुकम देगी।

व्याख्या—

अदालत को अधिकार दिया गया है कि, किसी का चुनाव नाजायज ठहराने पर, चाहे तो उस जगह के विषय में यह हुकम दे दे, कि उसके भरने के लिये फिरसे निर्वाचन किया जाय, या चाहे किसी अयफल उम्मेदवार को उस जगह पर निर्वाचित ठहरा दे। सामान्यत यदि किसीका चुनाव किसी ऐसे कारण से नाजायज ठहराया गया हो जिससे कि स्वयं उस को तो कोई अनुचित लाभ पहुंचा हो परन्तु किसी दूसरे उम्मेदवार को उस कारण कोई सीधी हानि न पहुंची हो तो ऐसी दशा में अदालत जगह को खाली ठहरा देगी। जैसे यदि कोई उम्मेदवार किसी निर्वाचक को रिशयत दे के उसका वोट प्राप्त करले तो उस वोट में उसको अनुचित लाभ पहुंचा, किन्तु यह नहीं कह सकता, कि यदि ऐसा शख्स रिशयत न पाता, तो जिसको वोट देता, इसलिये किसी अन्य उम्मेदवार को इस रिशयत से कोई सीधी हानि नहीं पहुंचती।

दूसरी दशा यह है, कि जब कोई उम्मेदवार कोई ऐसा काम करे, कि जिससे अन्य उम्मेदवार को सीधी हानि पहुंचे। इस दशा में, अदालत जिस अयफल उम्मेदवार का हक समझेगी, उसको जगह दे देगी, कोई दूसरा निर्वाचन किये जाने का हुकम न देगी, जैसे यदि किसी उम्मेदवार ने मरेहुये अथवा अनुपाधित निर्वाचक की ओर से वोट छुवा लिये हों जिनके द्वारा उस का निर्वाचन पहुंचाया से होगया हो तो ऐसी दशा में अन्य उम्मेदवारों को उसके इसपाम से सीधी हानि पहुंचती है।

—दफा २५ में अदालतको अहत्कार दिया गया है कि यदि वह चाहे तो किसी फरीकको मुकदमा का खर्चा दिलवाय, अतएव चन्द्रमान वनाम गिरवरलाल 3 A. L. J. 420=1906 A. W. N 97 वाली नजीर अब वे असर है।

दफा २६ निर्वाचन सम्बन्धी अर्जाकी काररवाईको आगे चलने से रोक दिया जाना

१ पूर्वोक्त दफाके हुकमों के होते हुये भी यदि किसी निर्वाचन सम्बन्धी अर्जा को सुनते हुये अदालतकी यह राय हो कि शहादतसे प्रकट होता है, कि उस निर्वाचनकी काररवाइयो में जिसके सम्बन्धमें अर्जा दी गई है, कुव्ववहारो (Corrupt practices) में ऐसी सीमा तक, काम लिया गया है, कि उनके कारण निर्वाचनकी समस्त काररवाईको रद्द कर देना उचित होगा, तो अदालत उन समस्त काररवाइयो को रद्द करने का ऐसा अनिश्चित हुकम (Conditional order) अर्थात् शर्तिया हुकम दे देगी और ऐसे हुकमकी सूचना उन सब उम्मेदवारों को देगी, जो निर्वाचित ठहराये गये हों किन्तु जो उक्त अर्जा में फरीक न बनाये गये हों, और उनको हुकम देगी कि इस बातकी चर्चा जाहिर करे, कि उक्त अनिश्चित हुकम अन्तिम (Absolute) क्यों न कर दिया जाय।

२ ऐसी सूचना दिये जाने पर उक्त उम्मेदवारों में से जो चाहे उपस्थित हो कर चर्चा जाहिर कर सकता है और किसी गवाहको, जिसकी गवाही मुकदमे में हो चुकी हो, उससे कोई प्रश्न करने के अभिप्राय से, फिर से, अदालत के द्वारा, बुलवा सकता है।

३ तत्पश्चात् अदालत या तो उक्त अनिश्चित हुकमको मसूख कर देगी, या उसका अन्तिम किये जाने का हुकम देगी। और यदि अदालत हुकमको अन्तिम कर देगी, तो बोर्ड को आज्ञा देगी कि निर्वाचनकी काररवाई फिरसे करने के उपाय करे।

भावार्थ (Explanation) — शब्द 'निर्वाचनकी काररवाइया जिसके में-अर्जा दी गई हो' और 'समस्त काररवाइया' का इस कलाजमें अर्थ उन सब काररवाइयो से है (नामजदगी और मेम्बरो के निर्वाचित ठहराये जाने की काररवाइया के सहित) जो वोट डाले जाने के किसी एक अवसर पर की गई हो, चाहे उस अवसर पर किसी इलक के प्रतिनिधि, या अन्य प्रतिनिधि चुने जानेको, एक, या एकसे अधिक शख्सों के निर्वाचनके-लिये वोट लिये गये हो।

व्याख्या—

भावार्थ का मतलब यह है कि यदि अदालत दफा २६ के अनुसार निर्वाचन मसूख करती निश्चय करेगी, तो जितने शरतों के लिये एन नामानली क निर्वाचनों में एकही स्थान में और एकही समय पर वोट डालें होंगे, उन सब का निर्वाचन मसूख हो जायगा। परन्तु यदि दो अलग अलग निर्वाचन हुये हों चाहे वह एक ही समय पर, और एकही स्थान में हुये हों तो एक के मसूख होने से दूसरा नहीं मसूख होगा। जैसे यदि किसी म्यूनिसिपलटी में हिन्दू और मुसलमानों की जगहों के लिये एकही समय पर और एकही स्थान में वोट लिये गये हों, तो एक निर्वाचन मसूख होने से दूसरा रद्द नहीं होगा कारण यह है कि दोनोंके निर्वाचक अलग-र होते हैं अलग-र शरतों में वोट डाले जाते हैं और दोनों की कुल काररवाइयाँ अलग-र अलग-र होती हैं।

—उपदफा (१) का यह भाष्य है कि अगर किसी एक या एकसे अधिक उम्मेदवारोंके कुन्य-वहारोंके कारण सब उम्मेदवारों का निर्वाचन मसूदा किया जाय तो उन, सफल उम्मेदवारों को भी जो मुकद्दमें में परीक नहीं पायाये गये हैं, अदालत एक मौका दे कि जो कुछ उनको उज्ज कराना हो करें क्यों कि निर्वाचन के मसूदा किये जाने का असर उनपर भी पड़ेगा । अतएव अदालत के लिये आज्ञा है कि यह पहले मसूदा का अनिश्चित हुबम दे, अर्थात् ऐसा हुबम जिसको उक्त सफल उम्मेदवारों के उज्ज सुनने के पश्चात् अदालत चाहे मसूदा करदे और चाहे अन्तिम करदे ।

दफा २७ कुन्यवहारोंके कारण, अयोग्य ठहरा दिया जाना

जिस उम्मेदवार के विषय में अदालत को यह विदित हो जाय कि उपरोक्त दफाके अनुसार यह किसी कुन्यवहार का अपराधी है तो अदालत को अधिकार होगा, कि ऐसे उम्मेदवारको किसी ऐसी अवधिमें लिये जो पाच वर्षसे अधिक नहो बोर्डका मेम्बर चुने जानेके अयोग्य ठहरा दे या किसी ऐसे पद या जगहपर नियुक्त किये जाने, अथवा रख जानेके अयोग्य ठहरा दे, जिसका प्रदान करना या देना बोर्डके हाथमें हो ।

दफा २८ कुन्यवहार

किसी शख्स के विषय में यह माना जायगा कि उसने कुन्यवहार किये, जो सीधे या किसी प्रकार की आडमें (Directly or indirectly) स्वयं या अन्य किसीके द्वारा—

- (१) किसी वोट देने वाले को जाल (Fraud) करके, या जान बूझ के मित्या कथन करनेसे (Intentional misrepresentation) या दबाव डालके (Coercion), या किसी प्रकार की हानि पहुँचानेकी धमकी देके (Threat of injury) बहका के इस बात पर राजी कर लेता है, या बहकाके राजी कर लेने की कोशिश करता है कि वह किसी उम्मेदवारके पक्षमें वोट दे, या किसी उम्मेदवारके पक्षमें वोट देनेसे बाज रहे (वोट नदे) ।
- (२) किसी वोट देने वाले को, किसी उम्मेदवारके पक्षमें वोट देने, या वोट देने से बाज रखनेके अभिप्रायसे, कुछ रुपया या किसी प्रकारका ऐसा बदलाव जिसका कुछ मूल्य हो (Valuable Consideration) या कोई जगह या पद, देने केलिये कहे, या दे या किसी शख्ससे कोई जाती लाभ, या नफा, पहुँचाने की प्रतिज्ञा करे ।
- (३) किसी ऐसे वोट देने वालेके नामसे वोट दे या दिलवाये, जो कि वह शख्स नहीं है, जो वोट दे रहा है ।
- (४) उपरोक्त (१), (२) और (३) कलाजोंमें अहित किये हुये कामों में से, किसी के करने के लिये प्रोत्साह दिलाये (Abets) ('प्रोत्साह के उस अर्थ के अनुसार जो ताजीरात हिन्द में इस शब्द का दिया गया है) ।

भाषाये (Explanation) "किसी शख्ससे जाती लाभ या नफेकी प्रतिज्ञा करना" में शामिल समझी जायगी कोई ऐसी प्रतिज्ञा, जो रंग्य उसी शख्सके लाभके लिये हो तथा कोई ऐसी प्रतिज्ञा जो किसी ऐसे शख्स के लाभ के लिये हो जिससे उस पहले शख्स का कुछ वास्ता हो । किन्तु उक्त शब्दोंमें कोई ऐसी प्रतिज्ञा शामिल न समझी जायगी

जिसके द्वारा किसी विधेय म्यूनिसिपल कामके पक्षमें, या किसी ऐसे ही कामके विरुद्ध सम्मति देने की प्रतिज्ञा की जाय।

व्याख्या—

क्लाज (२) में जो शब्द "बदलाव" (Consideration) आया है, उसकी व्याख्या कानून मुभाहिदा (Contract Act) की दफा २ में इस प्रकार की गई है —

"जब प्रतिज्ञा करने वाले (Promisor) के कहने से, उस शरत ने जिसने कि प्रतिज्ञा की हो (Promisee) या और किसी शरत ने कोई काम किया हो, या करने से बाज रहा हो (अर्थात् करने से रुक गया हो) या वर्तमान समयमें वह शरत कोई काम करे या करनेसे रुक जाय या भविष्य में कोई काम करने या करने से रुक जाने का वादा करे, तो ऐसा काम या काम करनेसे रुक जाना या वादा उस प्रतिज्ञा का "बदलाव" (Consideration) कहलाता है।"—

ऐसे बदलाव का कुछ मूल्य होना आवश्यक है, अर्थात् उसके द्वारा या तो प्रतिज्ञा करने वाले को या उसके जिससे प्रतिज्ञा की जाय कोई लाभ, नफा, अधिकार इत्यादि प्राप्त हो या उन दोनोंमें से कोई एक घाटा, नुकसान इत्यादि सहने का तैयार हो या कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर ले। यह बदलाव का मूल्य समझा जायगा।

—निर्वाचनों में प्रायः यह दृश्य देखनेमें आता है, कि उम्मेदवारों की अलग अलग मण्डलियां बन जाती हैं। प्रत्येक उम्मेदवार अपने वशके वोट अपनी मण्डली वालों को दिलवाता है, निर्वाचन के सम्बन्धमें जो काम काज होते हैं वह वाट लिये जाते हैं और एक दूसरे का हाथ बटाते हैं मान लीजिये कि A, B, C तीन उम्मेदवारों ने एक ऐसी ही मण्डली बना ली और A ने कुछ शरतों की झूठी पहिचान (Wrong identification) करके उनसे वोट दिलवाया। तो ऐसी दशामें केवल A का ही निर्वाचन मसूख सेना चाहिये, या कि B और C का भी? क्या B और C की वचत यह कह के हो सकती है कि A स्वयं एक उम्मेदवार था उसने निर्वाचकों की झूठी पहिचान अपने ही लाभ के लिये की? जब A के इस कुव्यवहार के कारण उक्त झूठे निर्वाचकों को वोट देने का अवसर मिल गया, और उन्होंने हम लोगों के पक्षमें भी वोट डाल दिये, तो उनको ऐसा न करने देने का हमारे पास कोई उपाय न था। अतएव A के कुव्यवहार का हमारे चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पडना चाहिये? परन्तु B और C की वचत इस प्रकार नहीं हो सकती। क्योंकि जब A, B, C तीनों एक ही मण्डली में थे, एक दूसरे की सहायता करते थे और एक दूसरे की ओर से काम करते थे, तो ऐसी दशा में सब एक दूसरे के एजेण्ट माने जायेंगे, और एक दूसरे के कामोंके जिम्मेदार होंगे। चुनाव के सम्बन्धमें एजेण्टी (अर्थात् किसी दूसरे की ओर से काम करना) का अर्थ साधारण कानून के अर्थ से कुछ विभिन्न है। चुनाव में एक तो अधिकार पत्र द्वारा नियत किये हुये एजेण्ट होते हैं जो निर्वाचन नियम नं० ४० के अनुसार बनाये जाते हैं। इन अधिकार प्राप्त एजेण्टों के अतिरिक्त वह सब शरत भी चुनाव के सम्बन्धमें एजेण्ट माने जाते हैं जो किसी उम्मेदवार के लाभ के लिये चुनावमें कोई काम करें। लार्ड हाटसबरी ने अपनी पुस्तक "इंग्लिश लॉज" (English Laws) की जिस्ट १२ के पन्ना ४४७ पर लिखा है कि "एजेण्टी क्या होती है, यह बात प्रत्येक मामले की दशा पर एन्टि डालके निश्चय करना चाहिये"।

नोट—उपरोक्त मामला एक चुनाव सम्बन्धी अर्जी में, सन १९२३ ई० के चुनाव में, इलाहाबाद की निर्वाचन-निर्णय-सर्त अदालतमें सामने पेश हुआ था। मामलेकी तमवीजाके आधार पर यह व्याख्या है।

—यदि किसी अन्तपक्षकी, निर्वाचक उम्मेदवार स्वयं या उसका एजेन्ट पहचान करता है, तो अपने ऊपर इस बातकी जिम्मेदारी लेता है, कि वह उसको स्वयं पहचानता है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने निम्नाहृत मामले में यह तजवीज किया, कि दूसरे शब्दों का नाम धारण कराके वोट दिलवाने के अपराध के लिये यह आवश्यक है, कि जो ऐसे शब्दोंसे वोट दिलवाये, उसने जान बूझके और इरादा करके यह काम किया हो। यदि यह बात साधित न हो कि निर्वाचित उम्मेदवारने, या उसके एजेन्टने, धोखा देने, या जाल धनाने, या बेजा इानि पहचानने के अभिप्रायसे (Fraudulently & wrongfully) किसी शब्दसे, किन्ती दूसरे शब्दोंका नाम धरके, वोट दिलवाया तो उनके ऊपर यह अपराध नहीं लगाया जा सकता कि उन्होंने एक शब्दके नामसे दूसरेसे वोट दिलवाया (Impersonation) देविये। मनोरजन मुकर्जी बनाम ब्रजो गोपाल गोस्वामी 22 C W N 678=46 I. C 729

—किसी कामके लिये 'प्रोत्साह दिलाने' की व्याख्या ताजीरात हिन्द, एक्ट न० ४५ सन १८६० की दफा १०७ में इस प्रकारकी गई है —

“कोई शब्द किसी कामके करने के लिये प्रोत्साह दिलाता है (Abets) यदि वह—
(१) किसी शब्दको उस कामके करने के लिये उभारता है।

(२) किसी एक या एकसे अधिक शब्दों के साथ मिलके, उस कामके करने के लिये साजिश (Conspiracy) करता है, यदि उस साजिशके अनुसार, और उस कामके करने के उद्देशसे, कोई काम किया जाता है, या कोई ऐसा काम नहीं किया जाता जिसका कि न किया जाना (Omission) कानूनके विरुद्ध हो।

(३) जान बूझके, उस कामके किये जाने में, किसी कामके द्वारा, या कोई काम न करने के द्वारा जिसका न किया जाना कानूनके विरुद्ध हो, सहायता देता है।

भावार्थ (१) (Explanation)—किसी कामके करने के लिये उभारना ऐसे शब्दोंके विषयमें कहा जायगा जो अपनी इच्छा पूर्वक, मिथ्या कथनके द्वारा, या किसी ऐसी बातको, जिसको बतला देने का उसके ऊपर भार हो, इच्छा पूर्वक छिपा लेने के द्वारा, इरादा करके उस कामको कराये या उसके कराने का प्रयत्न करे या उस कामको कराने के प्रयत्न करने की, चेष्टा करे।

उदाहरण A, एक सार्वजनिक (पब्लिक) अफसरको किसी अदालतके घाटके द्वारा अधिकार दिया गया कि वह Z को गिरफ्तार करे (पकड़े)। B इस बातको जानते हुये, और इस बातको भी जानते हुये कि C, Z नहीं है, जान बूझके बतला देता है कि C, Z है। और ऐसा बतला देकर A, से C को गिरफ्तार करा देता है, तो यह कहा जायगा कि B ने उभारके C की गिरफ्तारी के लिये प्रोत्साह दिलाया।

भावार्थ (२)—जो कोई किसी कामके किये जाने के समय, या उसके किये जाने से पूर्व, कोई ऐसा काम करता है, कि पूर्वक कामके किये जाने में सुविधा हो और ऐसे शब्दोंके कामसे पूर्वक कामके किये जानेमें सुविधा हो भी जाय, तो ऐसे शब्दोंके विषयमें यह कहा जायगा कि उसने कामके करने में सहायता दी।”

दफा २९ निर्वाचन कराने की विधि और निर्वा

अन्य बातें

नीचे लिखे मामलोंका प्रबन्ध नियमोंके द्वारा होगा और ये

म्यूनिसिपल निर्वाचनके नियम

परिभाषा

सिवाय ऐसे स्थानके, जहा विषय अथवा प्रसंगकी दृष्टिसे, यह अर्थ अयुक्त, या अनुचित, हो इन नियमों में —

- (ए) "सरकार" का अर्थ "प्रान्तीय सरकार" होगा ।
- (बी) "जमानत" (Security) शब्दमें शामिल होंगे, नकद रूपया, सरकारी कागज, (नोट आदि) या अन्य स्टॉक, (Stock) और कोई दस्तावेज, जिसमें जायदाद आढ़ (बन्धक या बार) हो ।
- (सी) "एक्ट" का अर्थ संयुक्त प्रान्तीय म्यूनिसिपलटीज एक्ट नं० २, सन १९१६ ई० होगा ।
- (डी) "मुखतार नामा" (Power of Attorney) का अर्थ होगा, कोई ऐसा मुखतार नामा जिसकी ग्याख्या इण्डियन स्टाम्प एक्ट १८९९ (Indian Stamp Act 1899) में दी गई है ।

नोट — इण्डियन स्टाम्प एक्ट, न० २ सन १८९९, की दफा २ के न० २१ में, 'मुखतार नामा' (Power of Attorney) की ग्याख्या इस प्रकार दी गई है "मुखतार नामामें शामिल होगा कोई दस्तावेज (Instrument) जिस पर कोर्टफास (रसूय अदालत) के उस कानूनके अनुसार, जो उस समय प्रचलित हो, कोई कोर्टफास न देना पड़नी हो, और अितके द्वारा किसी एक विशेष शरतसे यह अधिकार दिया जाय कि, मुखतार नामा देने वाले के लिये, और उसकी ओर से, वह शरत काम करे ।

निर्वाचकों की योग्यता निर्णय करने की तारीख

१ मसूरी और नैनीतालकी म्यूनिसिपलटियों को छोड़के, सब म्यूनिसिपलटियों के लिये, एक्टकी दफा १४ की ४प दफा (२), और (३), के लिये तारीख, ३० सितम्बर नियतकी गई है ।

बिना घंटे हुये (मुश्तरफा) हिन्दू खानदानों को, और कानपुर म्यूनिसिपलटी में रजिस्टरी की हुई कम्पनियों को, प्रतिनिधि भेजने का अधिकार ।—

२ एक्ट की दफा १८ के सम्बन्धमें, कोई यिना यटा हुआ (मुश्तरफा) हिन्दू खानदान, (और षाण्णूर म्यूनिसिपलटी में कोई ऐसी कम्पनी जिसकी कि कम्पनियोंके एक्ट (Companies Act) के अनुसार रजिस्टरी की गई हो) यदि कोई ऐसी योग्यता रखता हो, या रखती हो (सिवाय उन योग्यताओं के जो कि एक्ट की दफा १४ (२) के खान (बी) के अन्त (1) या (11) में अंकित की गई हैं) जिसके मूल पर सर्वे साधारण में से कोई व्याक्ति, निर्वाचक दूजे किये जाने का अधिकारी हो

सकता है, तो उक्त खानदान का कर्ता, (और कानपुर में कम्पनी का मैनेजर (प्रबन्ध कर्ता) या अन्य कोई शाख जिसको कम्पनी ने मुखतार नामे के द्वारा, जायज तौर पर, इस विषयमें अधिकार दिया हो) निर्वाचक दर्ज किये जाने का अधिकारी होगा परन्तु शर्त यह होगी कि एकही शाख अपनी निजी हैसियतसे, और प्रतिनिधि होने की हैसियतसे, अर्थात् दोनों हैसियतों से, निर्वाचक दर्ज नहीं किया जायगा ।

निर्वाचकों और निर्वाचन के उम्मेदवारों का दर्ज किया जाना

दफा २९ के क्लोज (सी) के सम्बन्ध में ।

३ (१) प्रत्येक साधारण निर्वाचन से पूर्व जो दिसम्बर का मास पड़े, उसकी पहली तारीख पर, या उससे पूर्व, (या मसूरी और नैनीताल की म्यूनिसिपलटियों में अगस्तकी दसवीं तारीख पर) ऐसा शाख, या ऐसे शाख, जिनको बोर्ड प्रस्तावके द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट की मजूरी से, इस कामके लिये नियत करे, उस नकदों के अनुसार, जो शिड्यूल न० १ में दिया गया है । निर्वाचकों की एक नामावली, या अधिक नामा वलिया, तैयार करेंगे, जिनमें उन लोगों के नाम दर्ज होंगे, जिनको निर्वाचक दर्ज किये जाने का अधिकार प्राप्त है, और उस पर अपने हस्ताक्षर करके, उसको बोर्ड के एक्जिक्युटिव अफसर (Executive Officer) अथवा सेक्रेटरी, के हवाले कर देंगे ।

(२) निर्वाचकों के नाम, नामावली या नामावलियोंमें, चर्णके क्रमानुसार (Alphabetical Order) चढाये जायेंगे, और उस पर गिनती के नम्बर डाले जायेंगे ।

४ (१) निर्वाचकों की नामावली के तैयार करने में निम्न-लिखित जायते से कार्य किया जायगा —

१ प्रत्येक म्यूनिसिपलटीमें एक्जिक्युटिव अफसर, (Executive Officer) या सेक्रेटरी उन शाखों की सूची रखेगा, जो किसी विश्वविद्यालय (University) के ग्रेज्युएट (Graduate) हों । और —

म्यूनिसिपलटी के निवासी हों, और उसमें प्रत्येक ऐसे ग्रेज्युएट का नाम दर्ज करेगा, जो इस विषय में दख्खास्त करे, और अपना नाम दर्ज किय जाने के अधिकार को साबित करदे ।

२ प्रत्येक म्यूनिसिपलटी में एक्जिक्युटिव अफसर, या सेक्रेटरी, असेसमेण्ट रजिस्टर (Assessment register) (यदि कोई हो) से, जो कि म्यूनिसिपल जापिस में तैयार किये जाते हैं, एक सूची उन शाखोंकी (यदि कोई हों) बनावेगा, जिनको कि निर्वाचकोंमें नाम लिखानेका अधिकार इस कारण प्राप्तहो कि वह म्यूनिसिपलटी को एक निर्दिष्ट रकम कर की देते हैं और प्रत्येक शाखीदार के नाम के सामने वह याकी दर्ज कर देगा जो, सूची की तैयारी के समय, उस शाखके जिम्मे चाहिये हो ।

३ उन म्यूनिसिपलटियोंमें जिनके नियासियों को, इनकम टैक्स (Income-tax) देने के कारण, नाम दर्ज करानेका अधिकार प्राप्तहो एक्जिक्युटिव अफसर या सेक्रेटरी जिले के कलक्टर से, उन शाखोंकी सूची प्राप्त करेगा, जिनका कि नाम इनकम

म्यूनििसिपल निर्वाचनके नियम

परिभाषा

सिमाय ऐसे स्थानके, जहा विषय अथवा प्रसंगकी दृष्टिसे, यह अर्थ अयुक्त, या अनुचित, हो इन नियमों में:—

- (ए) “सरकार” का अर्थ “प्रान्तीय सरकार” होगा ।
- (बी) “जमानत” (Security) शब्दमें शामिल होंगे, नकद रपया, सरकारी कागज, (नोट आदि) या अन्य स्टॉक, (Stock) और कोई दस्तावेज, जिसमें जायदाद आढ़ (बन्धक या बार) हो ।
- (सी) “एक्ट” का अर्थ संयुक्त प्रान्तीय म्यूनििसिपलटीज एक्ट नं० २, सन १९१६ ई० होगा ।
- (डी) “मुखतार नामा” (Power of Attorney) का अर्थ होगा, कोई ऐसा मुखतार नामा जिसकी ब्याख्या इण्डियन स्टाम्प एक्ट १८९९ (Indian Stamp Act 1899) में दी गई है ।

नोट — इण्डियन स्टाम्प एक्ट, न० २ सन १८९९, की दफा २ के न० २१ में, ‘मुखतार नामा’ (Power of Attorney) की ब्याख्या इस प्रकार दी गई है “मुखतार नामामें शामिल होगा कोई दस्तावेज (Instrument) जिस पर कोर्टफास (रसूय अदालत) के उस कानूनके अनुतार, जो उस समय प्रचलित हो, कोई कोर्टफास न देना पकनी हो, और जिसके द्वारा किसी एक विशेष शक्तको यह अधिकार दिया जाय कि, मुखतार नामा देने वाले के लिये, और उसकी ओर से, वह शक्त काम करे ।

निर्वाचकों की योग्यता निर्णय करने की तारीख

१ मसूरी और नैनतालकी म्यूनििसिपलटियों को छोडके, सब म्यूनििसिपलटियों के लिये, एक्टकी दफा १४ की उप दफा (२), और (३), के लिये तारीख, ३० सितम्बर नियतकी गई है ।
बिना घटे हुये (सुदतरका) हिन्दू खानदानों को, और कानपुर म्यूनििसिपलटी में रजिस्टरी की हुई कम्पनियों को, प्रतिनिधि भेजने का अधिकार ।—

२ एक्ट की दफा १८ के सम्बन्धमें, कोई बिना घटा हुआ (सुदतरका) हिन्दू खानदान, (और कानपुर म्यूनििसिपलटी में कोई ऐसी कम्पनी जिसकी कि कम्पनियोंके एक्ट (Companies Act) के अनुसार रजिस्टरी की गई हो) यदि कोई ऐसी योग्यता रखता हो, या रखती हो (बिनाय उन योग्यताओंके जो कि एक्ट की दफा १४ (२) के खान (बी) के अन्त (1) या (11) में भक्ति की गई हैं) जिसके बट पर सभ्य साधारण में से कोई ब्यक्ति, निर्वाचक दर्ज किये जाने का अधिकारी हो

शाल्यों के हवाले, कर दी जायेंगी जो कि उनकी सहायता से, एक्ट के हुकमों के अनुसार, और इस नियम के बाद वाले नियम के अनुसार, निर्वाचकों की नामावली या नामा वलिया तैयार करेंगे, और उन हालतों में जब कि निर्वाचकों की नामावली और सूची में कोई भेद हो, तो उन कारणों को दर्ज कर देंगे जिनकी वजह से वह भेद हो।

- ६ (१) निर्वाचकों की नामावली में किसी शहर का नाम एक से अधिक बेर दर्ज नहीं किया जायगा, चाहे वह उा योग्यताओं में से, जो इस एक्ट के द्वारा, या इस एक्ट के अनुसार, नियत की गई हों, एक से अधिक, योग्यता रखता हो।
- (२) किसी शहर का नाम किसी हलके (Ward) के निर्वाचकों की नामावली में दर्ज नहीं किया जायगा, जब तक कि वह या तो उस वार्ड (Ward) में स्वयं रहता हो, या उस वार्ड में कोई जायदाद का कर उसके जिम्मे लगा हो।
- (३) कोई शहर जिसको कि किसी वार्ड की नामावली में नाम दर्ज कराने का अधिकार हो, और वह म्यूनिसिपलटी के भीतर रहता हो तो, उसका नाम उस वार्ड की नामावली में दर्ज किया जायगा, जिसमें कि वह रहता हो, अन्य किसी वार्ड की नामावली में नहीं।
- (४) कोई शहर जो कि म्यूनिसिपलटी के भीतर रहता न हो जिसको अपना नाम दर्ज कराने का इस कारण अधिकार हो कि, उस पर एक से अधिक हलके में जायदाद का कोई पैसा कर बैधा है जिसके द्वारा निर्वाचक होने की योग्यता उसको प्राप्त है, तो उस शहर का नाम उस हलके की नामावली में दर्ज किया जायगा जिसमें उस पर सब हलकों से अधिक कर बैधा हो।

७ प्रत्येक साधारण निर्वाचन से पूर्व, नई सूचियां और निर्वाचकों की नामावलिया तैयार करना आवश्यक न होगा, वरन वही नामावलिया और सूचिया जो उस समय प्रचलित हों यदि ऐसा करने में अधिक सुविधा हो, दोहरा ली जायें, और ऐसे परिवर्तनों के बाद, जो कि किसी विशेष दशाओं में आवश्यक हों, स्वीकार करली जायें।

- ८ (१) निर्वाचकों की नामावली, या नामावलियों की उर्दू और नागरी भाषाओं में प्रतियां जो कि उपरोक्त नियमों के अनुसार तैयार की गई हों, म्यूनिसिपल दफ्तर में, तथा अन्य ऐसे स्थानों में, जिनको बोर्ड, रेजिस्ट्रेशन के द्वारा, समय २ पर नियत करे टांग दी जायेंगी और दिसम्बर के अन्तिम सात दिन तथा जनवरी के पहले सात दिन तक टगी रखी जायेंगी (या मसूरी और नैनीताल की म्यूनिसिपलटियों में अगस्त के पिछले चौदह दिन टगी रखी जायेंगी) यदि म्यूनिसिपलटी हलकों में विभाजित हो, तो निर्वाचकों की नामावली की उपरोक्त प्रतियों के अतिरिक्त प्रत्येक बोर्ड के निर्वाचकों की नामावली की एक प्रति उस वार्ड में, उपरोक्त विधि के अनुसार, वार्डके किसी विशेष और प्रत्यक्ष स्थान (Conspicuous place) या स्थानों में टांगी जायेंगी। उन म्यूनिसिपलटियों में जिनके नाम सरकार निदचय कर देगी, उसी प्रकार से निर्वाचकों की नामावली की या नामाव लियों की प्रतिया, अंग्रेजी में भी टांगी जायेंगी और यह नामावलिया या तो सारी म्यूनिसिपलटी की होंगी, या उसके कुछ वार्डों की होंगी, जैसा कि, प्रत्येक दशा के लिये सरकार नियत कर दे।

टैक्स देने वालों के रजिस्टर में चढ़ा हो।

४ इन म्यूनिसिपलटियों में जिनके निवासियों को अपना नाम दर्ज कराने का इस कारण अधिकार हो, कि वह अपने निजी हक से किसी ऐसी आराजी के मालिक हैं जिस पर कि मालगुजारीकी एक निर्दिष्ट रकम चढ़ा या तो भदा करते हैं, या जिस पर ऐसी निर्दिष्ट रकम नाम मात्र (Nominally) चंधी है। या इस कारण कि कानूतकार साकित-उल मिलिकयत (Ex-proprietory-tenant) या कानूतकार दखीलकार (Occupancy tenant) की हैसियतसे उनके कब्जेमें कोई ऐसी आराजी है, जिसपर एक निर्दिष्ट रकम लगानकी चंधी है, तो एक्जिज्युटिव अफसर या सेक्रेटरी जिलाके कलक्टर से ऐसे शहरोंकी एक सूची प्राप्त करेगा।

५ उन म्यूनिसिपलटियों में जिनके निवासियों को अपना नाम दर्ज कराने का इस कारण अधिकार प्राप्त हो, कि वह एक निर्दिष्ट वार्षिक मूल्य के किसी मकान या इमारत के मालिक हैं या उस पर उनका कब्जा है, तो इन कारणों से अधिकार रखने वालों की सूची, एक्जिज्युटिव अफसर, या सेक्रेटरी, की निगरानी में, ऐसी कर के असेसमेंट रजिस्टर से, (यदि इमारतों के वार्षिक मूल्य पर कोई कर लगाया गया हो), तैयार की जावेगी, जिस म्यूनिसिपलटी में ऐसा कोई कर नहीं लगा है, उसमें ऐसे मकानों और इमारतों की एक सूची जिनका वार्षिक मूल्य (Annual), एक नियत की हुई कम से कम रकम (Minimum) से कम न फूटा गया हो, और जो सूची कि बोर्ड द्वारा मजूरकी गई हो म्यूनिसिपलटी के दफ्तर में रखी जावेगी, और बोर्ड इस सूची का समय २ पर सशोधन करता रहेगा। यह सशोधन चाहे उस सूचना के आधार पर हो, जो इमारतों के बनाने की इजाजत की दरखास्तों के द्वारा बोर्ड को प्राप्त हो, या अन्य किसी प्रकार से।

६ जिन म्यूनिसिपलटियों के निवासियोंका अपना नाम दर्ज करानेको अधिकार इस कारण हो कि उनकी एक निर्दिष्ट वार्षिक आमदनी है, एक्जिज्युटिव अफसर, या सेक्रेटरी, कलक्टर से, या अन्य सरकारी अफसरों से, उन शहरों की सूचीया प्राप्त करेगा, जो कि सरकारी नौकरी में है, और कारखानों तथा मजदूरोंको नौकर रखने वालों से उन लोगोंकी जो कि उन और जिनकी कि, नियमित कम से कम रकम से, कम आमदनी न हो।

(१, २) क्लॉज (१) के अनुसार जो सूची बनाई जायगी उसमें, बिना बटे हुए हिन्दू खानदानों के ऐसे कर्तोंके भी नाम दर्ज होंगे, जिनको कि उसमें नाम दर्ज करानेका, नियम (२) के द्वारा, अधिकार प्राप्त है।

(१, ३) जहां कहीं कोई सूची किसी ऐसे रजिस्टर से तैयार की गई है, जो कि म्यूनिसिपल दफ्तर में रखा जाता, हो तो हर एक इन्दुराज में, उस रजिस्टर की उस मद का हवाला दिया जायगा, जिस पर कि उस इन्दुराज का आधार है, और वह एक, या अधिक शहर जो नियम (३) के द्वारा नियत किये गये - हों, इस सूची का उस रजिस्टर से मिलान करेंगे, जिससे वह तैयार की गई हो।

५ नियम (४) में बताई हुई सूचीया नियम (३) के द्वारा नियत किये हुए, शहर, या

किसी ऐसे स्थान में, जिसको कमेटी के सभापति ने नियत किया हो, ऐसे दावों और उज्रों को सुनेगी, और दुली बैठक में उन पर हुकम सुनावेगी उस समय और उस स्थान की, जत्र और जहा यह अर्जिया सुनी जायेंगी, सूचना नोटिसके द्वारा पब्लिकयुटिव अफसर, या सेक्रेटरी, प्रत्येक ऐसे शरस को जिसने दावा किया हो, या उज्र किया हो, या ऐसे शरस को, जिसके विरुद्ध उज्र किया गया हो, खुनी बैठक से पूरे ३ दिन पहले दे देगा, और उक्त समय और स्थान, का, नोटिस, उन स्थानों में भी प्रकाशित किया जायगा, जो निर्वाचकों की नामावली प्रकाशित करने के लिये नियम न० ८ के द्वारा नियमित किये गये हों।

(२) कोई शरस, जो कि नियम न० ३ (१) के अनुसार, नामावली तैयार करने को नियुक्त किया गया है, उप नियम (१) के अनुसार बनी हुई कमेटी, का मेम्बर नियुक्त नहीं किया जायगा।

(३) यदि उप नियम (१) के अनुसार बनी हुई किसी कमेटी का कोई मेम्बर, काम करने से इन्कार करे, या कमेटी म काम करने से असमर्थ होजाय, तो वह अधिकारी जिसने कि ऐसे मेम्बर को नियुक्त किया था, यदि वह आवश्यक समझे, उसके बदले दूसरे शरसको नियुक्त करके, उस खाली जगहको भरदे सकता है।

११ यदि अन्तिम दिन की बैठक समाप्त होने से पूर्व किसी समय पर पुनरावलोकन कमेटी को यह विदित हो कि निर्वाचकों की किसी नामावली में उन नामों के अतिरिक्त जिनके सम्बन्ध में दावे किये गये हैं कुछ और नाम चढानेसे रह गये हैं, या यह विदिति हो, कि किसी नामावलीमें उा इन्दराजों के अतिरिक्त जिनके रिषय में उज्र किये गये हैं, कोई ऐसे इन्दराज हुए हैं जिनको निकाल देना चाहिये, या सुधार देना चाहिये, तो उसको अधिकार होगा, कि जिन शरसों पर इसका असर पडता हो, उनको ऐसी नोटिस देकर जो उसकी राय में उचित हो, और ऐसी जाच के बाद जो वह काफी समझे, आज्ञा दे कि वह छूटे हुये नाम भर दिये जायें, या वह इन्दराज निकाल दिये जायें, या सुधार दिये जायें।

१२ हर एक दावा या उज्र जिस का नोटिस दिया गया हो, और हर एक भूल, अधवा अयुक्त इन्दराज जिसका पता स्वयं कमेटी को चला हो, के सम्बन्ध म पुनरावलोकन कमेटी (Revising authority) की काररवाईया लेख चढ करली जायेंगी और कमेटी की अतिम बैठक के बाद, सात दिन के भीतर, जिला मजिस्ट्रेट की सेवा में भेज दी जायेंगी।

१३ (१) उन सशोधनोंके आधीनचा पुनरावलोकन कमेटीकी अतिम बैठकके बाद, एक मामके भीतर, जिला मजिस्ट्रेट निर्वाचकोंकी किसी नामावली में किये जाने का हुकमदे —

(ए) उस कमेटी के दिये हुए हुकम अतिम होंगे।

(बी) निर्वाचकोंकी नामावलीका सशोधन उा हुकमोंके अनुसारकर दिये जायगा। और

(सी) इस प्रकार सुद्ध की हुई नामावली में, जय तक कि वह प्रचलित रहेगी, कोई परिवर्तन न किया जायगा।

(२) गिा सशोधनों का हुकम जिला मजिस्ट्रेट को देना है, उस को चाहिये, कि पब्लिकयुटिव अफसर या सेक्रेटरी को दी तुरन्त—

निर्वाचकों की प्रत्येक नामावली के संग निम्न लिखित सूचियां लगा दी जायेंगी —

- १ एक सूची जिसमें वह सब नाम दिये हों जो कि पिछली नामावली में बढ़ाये गये हों ।
 - २ एक सूची जिसमें वह सब नाम दिये हों जो कि पिछली नामावली में से निकाल दिये गये हों ।
- (२) सारी म्यूनिसिपलटी में विज्ञापन लगा के और वहाँ में (यदि कोई वार्ड हों) मनादी के द्वारा, घोषणा भी कर दी जायगी, कि निर्वाचकों की नामावली या नामावलियां तैयार हो गई है और उनकी प्रतियां म्यूनिसिपलटी के दफ्तर में और अन्य नियत किये हुए स्थानों में जाची जा सकती हैं ।
- १ (१) किसी शरस को जिसका नाम निर्वाचकों की नामावली, या नामावलियों में, चढ़ाया न गया हो, और जिसका यह दावा हो, कि उसको अपना नाम उनमें चढ़वाने का अधिकार है, या किसी शरस को जिसका नाम नामावली में चढ़ा हो, और जो किसी अन्य शरस के नामकी नामावली में सम्मिलित किये जाने में उजू करता हो, अधिकार होगा, कि वह सात जनवरी को या उससे पूर्व, (या मसूरी और मैनीताल की म्यूनिसिपलटियों में ३१ अगस्त को या उससे पूर्व) अपने दावे, या उजू का, एविजन्थुटिव अफसर, या सेक्रेटरी को, लिखा हुआ नोटिस दे (नोटिसमें उन योग्य ताओं का वर्णन होना चाहिये, जिन पर ऐसे दावे का आधार हो, या उन कारणों का जिनसे कि उजू किया जाता हो) और ऐसे दावे, या उजू, इस प्रकारसे प्रकाशित कर दिये जायेंगे, कि दावेदारों की, और उन लोगों की, जिनके विरुद्ध उजू किये गये हों, सूची बना कर उस वार्ड में, जिसके वह दावे या उजू हों, लगाई जायगी, या यदि वार्ड न हों, तो म्यूनिसिपलटी भरमें विशेष और प्रत्यक्ष स्थानों में, और म्यूनिसिपल दफ्तरमें, लगा दी जायगी, और इस प्रकार लगाई हुई सूची, १० से १५ जनवरी तक लगी रहने दी जायेंगी (या मसूरी और मैनीतालकी म्यूनिसिपलटियों में २ से ७ सितम्बर तक लगी रहने दी जायगी) ।
- (२) यह आवश्यक होगा कि प्रत्येक शरस एक प्रथम अर्जी के द्वारा ऐसा दावा, या उजू, करे, और या तो अर्जी को दावेदार स्वयं जाकर पेश करे, या किसी शरस के द्वारा पेश कराये, जिसको कि उसने, कानूनके अनुसार, मुखतारनामे के द्वारा, इस विषय में अधिकार दिया हो ।

नोटः—इण्डियन स्टाम्प एक्ट (Indian Stamp Act) के हुकों के अनुसार मुखतारनामे पर एक रुपैया स्टाम्प लगाना चाहिये, और हर दावेदार को प्रथम २ स्टाम्प लगी हुई मुखतारनामे की दस्तावेज पेश करना पड़ेगी, चाहे कई दावेदार एक ही शरसका अपना एजेंट नियत करें ।

- १० (१) एक कमेटी या कमेटिया (जिनको आगे "पुनरावलोकन कमेटी" Revision authority का नाम दिया जायगा) और जिसमें, बोर्डके रेजोल्यूशन द्वारा नियत किये हुये, बोर्ड के दो मम्बर होंगे, और जिसका सभापति, जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा नियुक्त किया हुआ कोई सरकारी अफसर होगा, १ और १६ सितम्बर के बीचमें, ऐसे समय पर, और म्यूनिसिपलटी के भीतर

किसी ऐसे स्थान में, जिसको कमेटी के सभापति ने नियत किया हो, ऐसे दावों और उर्ज़ों को सुनेगी, और सुली बैठक में उन पर हुकम सुनायेगी उस समय और उस स्थान की, जय और जहा यह अर्जिया सुनी जायेंगी, सूचना नोटिसके द्वारा पब्लिकयुटिव अफसर, या सेक्रेटरी, प्रत्येक ऐसे शास को जिसने दावा किया हो, या उर्ज़ किया हो, या ऐसे शास को, जिसके विरुद्ध उर्ज़ किया गया हो, सुली बैठक से पूरे ३ दिन पहले दे देगा, और उक्त समय और स्थान का नोटिस, उन स्थानों में भी प्रकाशित किया जायगा, जो निर्वाचकों की नामावली प्रकाशित करने के लिये नियम न० ८ के द्वारा नियमित किये गये हैं।

(२) कोई शास, जो कि नियम न० ३ (१) के अनुसार, नामावली तैयार करने को नियुक्त किया गया है, उस नियम (१) के अनुसार बनी हुई कमेटी, का मेम्बर नियुक्त नहीं किया जायगा।

(३) यदि उस नियम (१) के अनुसार बनी हुई किसी कमेटी का कोई मेम्बर, काम करने से इन्कार करे, या कमेटी में काम करने से असमर्थ होजाय, तो वह अधिकारी जिसने कि ऐसे मेम्बर को नियुक्त किया था, यदि वह आवश्यक समझे, उसके बदले दूसरे शासको नियुक्त करके, उस जगहको भर दे सकता है।

११ यदि अन्तिम दिन की बैठक समाप्त होने से पूर्व किसी समय पर पुनरावलोकन कमेटी को यह विदित हो कि निर्वाचकों की किसी नामावली में उन नामों के अतिरिक्त जिनके सम्बन्ध में दावे किये गये हैं कुछ और नाम चढानेसे रह गये हैं, या यह विदित हो, कि किसी नामावलीमें उन इन्दराजों के अतिरिक्त जिनके प्रियय में उर्ज़ किये गये हैं, कोई ऐसे इन्दराज हुये हैं जिनको निकाल देना चाहिये, या सुधार देना चाहिये, तो उसको अधिकार होगा, कि जिन शासों पर इसका असर पडता हो, उनको ऐसी नोटिस देकर जो उसकी राय में उचित हो, और ऐसी जाच के बाद जो वह काफी समझे, आज्ञा दे कि वह छूटे हुये नाम भर दिये जायें, या वह इन्दराज निकाल दिये जायें, या सुधार दिये जायें।

१२ हर एक दावा या उर्ज़ जिस का नोटिस दिया गया हो, और हर एक भूल, अधवा अयुक्त इन्दराज जिसका पता स्वयं कमेटी को चला हो, के सम्बन्ध में पुनरावलोकन कमेटी (Revising authority) की काररवाईया लेख बन्द करली जायेंगी और कमेटी की अन्तिम बैठक के बाद, सात दिन के भीतर, जिला मजिस्ट्रेट की सेवा में भेज दी जायेंगी।-

१३ (१) उन सशोधनों के आधीनजो पुनरावलोकन कमेटीकी अन्तिम बैठकके बाद, एक मासके भीतर, जिला मजिस्ट्रेट निर्वाचकोंकी किसी नामावली में किये जाने का हुकमदे —

(ए) उस कमेटी के दिये हुए हुकम अन्तिम होंगे।

(बी) निर्वाचकोंकी नामावलीका सशोधन उन हुकमोंके अनुसारकर दिया जायगा। और

(सी) इस प्रकार सुद्ध की हुई नामावली में, जय तक कि यह प्रचलित रहेगी, कोई परिवर्तन न किया जायगा।

(२) जिन सशोधनों का हुकम जिला मजिस्ट्रेट दे, उनकी सूचा, उस को चाहिये, कि पब्लिकयुटिव अफसर या सेक्रेटरी को देदे, और यह सूचना पाते ही तुरन्त—

- (ए) निर्वाचकों की नामावली में, और उसकी प्रति या प्रतियों में जो कि नियम ५ के अनुसार टापी गई हों, ऐसे सुधार कर देगा जिनका कि हुक्म दिया गया हो।
- (बी) निर्वाचकों की नामावली में, और उसकी प्रति में, तद्रीक कर देगा कि सुधार जिला मजिस्ट्रेट के हुक्म से किया गया है, और उस तद्रीक पर अपने हस्ताक्षर कर देगा।
- (सी) जिस शासक पर उसका असर पड़ता हो उसको सूचना देगा कि सुधार कर दिया गया है।

१४ निर्वाचकों की नामावलिया सातवीं फरवरी तक तैयार करली जावेंगी (या मसूरी और नैनीताल की म्यूनिसिपलटियों में २१ सितम्बर तक) और फरवरी की दसवीं तारीख से प्रचलित हो जायेंगी, (या मसूरी और नैनीताल की म्यूनिसिपलटियों में २५ सितम्बर से) और उन सुधारों के आधीन जो उनमें नियम न० १३ के अनुसार किये जायें, उस फरवरी मास की दसवीं तारीख तक, जो कि म्यूनिसिपलटी, या किसी समुदाय (Class) या हलका (Ward) के आगामी साधारण निर्वाचन के पहले पड़ें, प्रचलित रहेंगी (या मसूरी और नैनीताल की म्यूनिसिपलटियों में २५ सितम्बर तक)।

१५ (१) वह शासक, या एक से अधिक शासक, जो निर्वाचकों की नामावली तैयार करने के लिये नियुक्त किये गये हों, जब उक्त नामावली को तैयार करेंगे, तो एक सूची ऐसे शासकों की भी बनायेंगे, जो निर्वाचकों में दर्ज किये गये हों, और जो बाई के भन्धर चुने जाने की योग्यता रखते हों, और वह ऐसी सूची पर अपने हस्ताक्षर करेंगे, और उसको एक्जिक्युटिव अफसर या सेक्रेटरी के हवाले कर देंगे। और नियम न० १ से नियत न० १४ तक के हुक्म, जो निर्वाचकों का नामावली के विषय में बनाये गये हैं, जहां तक हो सके, इस नियम के अनुसार बनाई हुई सूची पर भी लागू होंगे। यदि म्यूनिसिपलटी हलकों (Wards) समुदायों में बाट दी गई हों, तो एक एक सूची प्रत्येक हलके या समुदाय के लिये तैयार की जायगी।

(२) जब ये सूचिया दोहरा ली जायें, तब एक्जिक्युटिव अफसर या सेक्रेटरी, एक पूरी सूची (जो आगे उम्मेदवारों की सूची या नामावली कहलायगी) उन सब शासकों की, जिनके कि नाम उन सूचियों में सम्मिलित हों, वर्ण श्रम के अनुसार तैयार करेगा।

(३) सिवाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हुक्म से और पुनरावलोकन कमेटी की बैठक के अन्तिम दिन से एक मास के भीतर, उक्त सूचियों में जब कि पुनरावलोकन कमेटी के द्वारा वह दोहरा ली जायें, कोई नाम न बढ़ाया, जायगा न निकाला जायगा। न उम्मेदवारों की सूचीमें कोई नाम बढ़ाया जायगा, न उससे निकाला जायगा जब तक कि वह प्रचलित रहेगी।

नोट—देखिये नोट नियम न० १७ ने नाचे।

१६ निर्वाचकों की नामावली या नामावलिया, जो कि नियम न० १ से १४ तकके अनुसार बनाई और दोहराई गई हों, और उम्मेदवारों की सूची जो नियम न० १५ के अनुसार बनाई गई हो,

यह उस दिन या उस दिनसे पूर्व, जिससे कि यह नामावली या नामावलिया, और यह सूची, प्रचलित हों, म्युनिसिपल्टी के दफ्तरमें टागवी जायेंगी, और जतक कि यह नामावली, या नामावलिया, या सूची प्रचलित रहें, तब तक टगी रहने दी जायेंगी। म्युनिसिपल्टी के निवासियों के मोल लेने के लिये, उनकी प्रतिपां भी ऐसे उचित मध्य पर जो कि बोर्ड का धैर्यमैम नियत करे, तैयार रखी जायेंगी।

नोट—देमिपे नोट नियम न० १७ के नीचे।

१७ यदि निर्वाचका की नामावली, या उम्मेदवारों की सूची, ठीक समय पर तैयार न हो सके, तो वही निर्वाचकों की नामावली, या उम्मेदवारों की सूची, जो ऐसी तैयारी के समयसे पूर्व प्रचलित थी, उम समय तक प्रचलित रहेगी जब तक कि नई निर्वाचकों की नामावली या उम्मेदवारों की सूची तैयार हो न जाय।

नोट—एमेगडमेट एक्ट न० ९, सन १९२२ के द्वारा एक्टरी दफा १६ बदली गई है। नई दफा १६ के अनुसार म्युनिसिपल्टी के जितने निर्वाचक होते हैं वह तब मेम्बरी की उम्मेदवारों के योग्य समझे जाते हैं। मेम्बरी की उम्मेदवारों के लिये कोई विशेष योग्यताएँ नहीं रची गई हैं। इस लिये उम्मेदवारों की सूची (जिसका उल्लेख उपरोक्त नियम न० १५, १६ और १७ में हुआ है) की तैयारी की अब केवल इतनी ही आवश्यकता रह गई है कि निर्वाचकों की नामावली में से उन लोगों के नाम निम्नलिखित दिने जायें जो दफा १६ की उप दफा (३) के अनुसार मेम्बरी के अयोग्य हों।

निर्वाचन के लिये समय और स्थान

दफा २९ के कलाज (ई) के सम्बन्ध में।

१८ (१) साधारण निर्वाचन का समय पहली और बीसवीं मार्च के बीचमें, (या मसूरी और नैनीताल की म्युनिसिपल्टियों के लिये पन्नीस और तीस सितम्बर के बीच में) कोई ऐसा दिन होगा, जो कि बोर्ड जनवरी या फरवरी की किसी मीटिंग (या मसूरी और नैनीताल की म्युनिसिपल्टियों में अगस्त की किसी मीटिंग Meeting) में निश्चय कर देगा।

(२) जब किसी बोर्ड में नीचे लिखे कारणों से कोई जगह खाली हों, अर्थात् —

(ए) किसी निर्वाचित मेम्बर की मृत्यु, इस्तीफा, या हटाये जाने के कारण, या यह निश्चय कर दिये जाने के कारण, कि किसी मेम्बर की जगह आगामी साधारण निर्वाचन तक खाली रहती जाये, या

(बी) किसी बोर्डके निर्वाचित मेम्बरों की संख्या में, एक्ट की दफा ९ या १० के अनुसार, कृत्ति कर दी जाने के कारण, या

(सी) किसी निर्वाचित मेम्बर के, एक्टकी दफा ३८ (४) के अनुसार, पद की अवधि समाप्त हो जाने से—तो, सिवाय उस हालतके जबकि उपरोक्त कलाज (ए) में वर्णन की हुई दशा हो, और यदि, दफा १३ के अनुसार, हुक्म देदे कि आगामी साधारण निर्वाचन तक पद खाली रखा जाय, वह खाली जगह, दूसरे निर्वाचन के द्वारा, जो कि जगह खाली होने से एक मासके भीतर, बोर्ड के प्रस्तावके द्वारा नियत की हुई तारीख पर किया जावेगा, भर दी जावेगी।

१९ बोर्ड एक मीटिंगमें निश्चय करेगा, कि किस समय पर, और कितने घंटों तक, और किस

- (ए) निर्वाचकों की नामावली में, और उसकी प्रति या प्रतियों में जो कि नियम ८ के अनुसार टांगी गई हों, ऐसे सुधार कर देगा जिनका कि हुकम दिया गया हो।
- (बी) निर्वाचकों की नामावली में, और उसकी प्रति में, तस्दीक कर देगा कि सुधार जिला मजिस्ट्रेट के हुकम से किया गया है, और उस तस्दीक पर अपने हस्ताक्षर कर देगा।
- (सी) जिस शास पर उसका असर पड़ता हो उसकी सूचना देगा कि सुधार कर दिया गया है।

१४ निर्वाचकों की नामावलीया सातवीं फरवरी तक तैयार करली जावेंगी (या मसूरी और नैनीताल की म्यूनिसिपलटियों में २१ सितम्बर तक) और फरवरी की दसवीं तारीख से प्रचलित हो जायेंगी, (या मसूरी और नैनीताल की म्यूनिसिपलटियों में २५ सितम्बर से) और उन सुधारों के आधीन जो उनमें नियम न० १३ के अनुसार किये जायें, उस फरवरी मास की दसवीं तारीख तक, जो कि म्यूनिसिपलटी, या किसी समुदाय (Class) या हलका (Ward) के आगामी साधारण निर्वाचन के पहले पड़ें, प्रचलित रहेंगी (या मसूरी और नैनीताल की म्यूनिसिपलटियों में २५ सितम्बर तक)।

१५ (१) वह शास, या एक से अधिक शास, जो निर्वाचकों की नामावली तैयार करने के लिये नियुक्त किये गये हों, जब उक्त नामावली को तैयार करेंगे, तो एक सूची ऐसे शासों की भी बनायेंगे, जो निर्वाचकों में दर्ज किये गये हों, और जो वार्ड के मेम्बर चुने जाने की योग्यता रखते हों, और वह ऐसी सूची पर अपने हस्ताक्षर करेंगे, और उसको पब्लिकयुटिव अफसर या सेक्रेटरी के हवाले कर देंगे। और नियम न० १ से नियत न० १४ तक के हुकम, जो निर्वाचकों का नामावली के विषय में बनाये गये हैं, जहा तक हो सके, इस नियम के अनुसार बनाई हुई सूची पर भी लागू होंगे। यदि म्यूनिसिपलटी हलकों (Wards) समुदायों में बांट दी गई हो, तो एक एक सूची प्रत्येक हलके या समुदाय के लिये तैयार की जायगी।

(२) जब ये सूचिया दोहरा ली जायें, तब पब्लिकयुटिव अफसर या सेक्रेटरी, एक पूरी सूची (जो आगे उम्मेदवारों की सूची या नामावली कहलायगी) उन सब शासों की, जिनके कि नाम उन सूचियों में सम्मिलित हों, वर्ण क्रम के अनुसार तैयार करेगा।

(३) सिवाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हुकम से और पुनरावलोकन कमेटी की बैठक के अन्तिम दिन से एक मास के भीतर, उक्त सूचियों में जब कि पुनरावलोकन कमेटी के द्वारा बट दोहरा ली जायें, कोई नाम न बढ़ाया, जायगा न निकाट जायगा। न उम्मेदवारों की सूचीमें कोई नाम बढ़ाया जायगा, न उससे निकाट जायगा जब तक कि वह प्रचलित रहेगी।

नोट—देविये नोट नियम न० १७ ने नाचे।

१६ निर्वाचकों की नामावली या नामावलीया, जो कि नियम न० १ से १४ तकके अनुसार बनाई और दोहराई गई हों, और उम्मेदवारों की सूची जो नियम न० १५ के अनुसार बनाई गई हो।

२५ नामजदगी का फारम उस नकदो के अनुसार होगा, जो कि शिड्यूल न० २ में दिया गया है।

२६ प्रत्येक नामजदगी के फारम को उम्मेदवार, या उसका प्रस्तावक, या अनुमोदक, नामजदगी के फारम लिये जाने के अंतिम दिन तक, शाम के चार बजे से पूर्व, म्यूनिसिपल्टी के दफतर में, एक्जिक्युटिव अफसर या सेक्रेटरी को, देगा, और वह उसके पाने पर उस पर गिर्ता का नम्बर डाल देगा।

नोट—किसी नामजदगी के फारम के दिये जाने से २४ घण्टे के भीतर एक्जिक्युटिव अफसर या सेक्रेटरी को चाहिये कि उस फारम की जाच यह देखो के लिये करे, कि वह नियम न० २१ से २५ तक के अनुसार है या नहीं। और यदि वह फारम उन नियमों के अनुसार न हो, तो नामजद रिये हुये शरस को नोटिस देके, या अन्य प्रकार, उन बातों की सूचना दे, जिनम कि वह फारम, उसकी राय में, उक्त नियमों के अनुसार न है। रिजु ऐसी सूचना न देने या उस सूचना में कोई अशुद्धता या चतृती होने से, कारवाईयों के नायत होने पर कोई प्रभाव न पड़ेगा।

२७ (१) नामजदगीका फारम दिये जाने के बाद, जितनी जल्दी कि सम्भव हो एक्जिक्युटिव अफसर या सेक्रेटरी, नामजद किये हुए शरस को नामजदगी की सूचना भेजेगा और उस शरस का नाम उन नामजदगीयों की सूची में लिख देगा, जो कि उन स्थानों में टाग दी जायेगी, जो निर्वाचन नामावली को प्रकाशित करने के विषय में नियम ८ में नियमित की गई हैं।

(२) नामजदगीयों की सूची, शिड्यूल ३ में दिये हुए फारम पर होगी।

२८ जो शरस (या एक से अधिक शरस), कि जिला मजिस्ट्रेट की मजूरी से बोर्ड के रेजो ल्युशन द्वारा, इस अभिप्राय से नियत किया जाय (जिसको भागे "नामजद करने वाला अफसर" का नाम दिया गया है) नामजदगी के फारम दिये जाने की मियाद समाप्त हो जाने के बाद, दूसरे दिन, म्यूनिसिपल दफतर में दोपहर के ११ बजे, और तीसरे पहर के २ बजे दिन के बीच में, काफी समय तक, उपस्थित रह कर, नामजदगी के फारमों का जायज होना, या न होना, निर्णय करेगा। नामजदगी का फारम केवल एक ही कारण से नाजायज ठहराया जा सकेगा अर्थात् यह कि उसमें नियम न० २१ से नियम न० २६ तक में बताये हुए हुकमों में से किसी हुकम का, अनुसरण नहीं किया गया है।

२९ प्रत्येक उम्मेदवार, और उसके प्रस्तावक (Proposer) और अनुमोदक (Secunder) को, (परन्तु अन्य किसी शरस को नहीं) अधिकार होगा, कि नामजद करने वाले अफसर की कार रवाई के समय उपस्थित रहे।

३० नामजद करने वाला अफसर अपना फैसला लिख के देगा, और उस दशा में जब कि वह किसी फारम को नाजायज ठहरा दे तो जिस शरस का फारम नाजायज ठहराया गया है, यदि वह फैसला होने के तीन दिन के भीतर, अर्थात् दे, तो जिला मजिस्ट्रेट को अधिकार होगा कि वह उक्त फैसले की निगरानी (Revision) करे।

३१ यदि कोई नामजदगी का फारम नाजायज ठहराया जाय, तो नामजद करने वाला अफसर उस नामजदगी के फारम को, अपने फैसले के सहित, मजिस्ट्रेट के पास तुरन्त भेज देगा।

३२ यदि जिला मजिस्ट्रेट, नामजद करने वाले अफसरके किसी फैसले को रद्द करे, तो वह अपने उस हुकम की सूचना एक्जिक्युटिव अफसर या सेक्रेटरी को दे देगा।

स्थान में, (यदि वोटों के डाले जाने की आवश्यकता हो) निर्वाचकों की वोटें ली जायेंगी, और यदि वह तारीख निश्चय करेगा जिस तारीख तक कि उम्मेदवारों की नामजदगिया ली जायेंगी, परन्तु वह तारीख वोट डाले जाने की तारीखसे कमसे कम १२ दिन पूर्व होगी।

२० निर्वाचन से कमसे कम १५ दिन पूर्व एग्जिक्यूटिव अफसर या सेक्रेटरी, निर्वाचन का एक विज्ञापन (नोटिस) तैयार करेगा, और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, और निम्न-लिखित विषयों का विज्ञापन भी तैयार करेगा:—

(ए) प्रतिनिधियों की संख्या, जो प्रत्येक वार्ड, या समुदाय की ओर से चुने जायेंगी।

(बी) तारीखें जिन पर कि नामजदगिया की जा सकती हैं। और:

(सी) किस समय, कितने घंटों तक, और किस स्थान में (यदि वोटों के डाले जाने की आवश्यकता हो) प्रत्येक वार्ड या समुदाय के, निर्वाचकों के घोट लिये जायेंगे।

और एग्जिक्यूटिव अफसर या सेक्रेटरी उनी विधि से इन विज्ञापनों को प्रकाशित करेगा, जो कि नियम नं० (८) में निर्वाचकों की नामावली प्रकाशित करने के लिये, बताई गई हैं।

उम्मेदवारों की नामजदगी

दफा २८ (डी) के सम्बन्धमें।

२१ वार्ड की भेम्बरी के निर्वाचन के लिये प्रत्येक उम्मेदवार, लेख द्वारा, नामजद किया जायगा।

२२ ऐसे लेख पर (जिसको कि आगे 'नामजदगी का फारम' का नाम दिया जायगा) कम से कम पांच निर्वाचकों के साफ और सुस्पष्ट (अर्थात् जो पढे जा सकें) हस्ताक्षर होंगे, जिनमें से पहले दो 'प्रस्तावक' और 'अनुमोदक' (Proposer and Seconder) माने जायेंगे, और उम्मेदवार के भी हस्ताक्षर, इस बात के प्रमाणमें होंगे कि वह अपनी नामजदगी करने के लिये राजी है। हस्ताक्षर करने वाले, ऐसे निर्वाचक होना चाहिये, जो कि उस कलके (Ward) या समुदाय (Class) (यदि कोई हो) की निर्वाचकों की नामावली में दर्ज हों, जिस कलके या समुदाय से उम्मेदवार अपना निर्वाचन चाहता हो।

२३ (१) प्रत्येक उम्मेदवार एक अलग नामजदगी के फारम के द्वारा नामजद किया जायगा, परन्तु एक ही उम्मेदवार अपनी इच्छानुसार चाहे जितने फारमों के द्वारा नामजद किया जा सकता है। और यदि कोई एक नामजदगी का फारम, नियमानुसार भर दिया गया होगा, और नियमानुसार उस पर हस्ताक्षर हो गये होंगे, तो वह काफी होगा।

(२) एक ही निर्वाचक चाहे जितने नामजदगी के फारमों पर हस्ताक्षर कर सकता है, परन्तु तब यह है कि उसके हस्ताक्षर किसी फारम पर निम्नभावों (ये भरस) होंगे, जब वह उतने जायज फारमों पर हस्ताक्षर कर चुका हो, जितनी स्थानें जगहों कि भरी जाने को हों।

इस उपनियम के मतलब के लिये, नामजदगी के फारमों के विषय में यह माना जायगा कि उन पर उसी क्रम से हस्ताक्षर हुए हैं, जिस क्रम से कि वे, नियम नम्बर २६ के अनुसार पढ़े किये जायें।

२४ कोई शर्त इसका कि नाम उम्मेदवारों की सूची में दर्ज न हो, नामजद नहीं किया जायगा।

२५ नामजदगी का फारम उस नक़दो के अनुसार होगा, जो कि शिड्यूल नं० २ में दिया गया है।

२६ प्रत्येक नामजदगी के फारम को उम्मेदवार, या उसका प्रस्तावक, या अमुमोदक, नामजदगी के फारम लिये जाने के अंतिम दिन तक, वाम के चार बजे से पूर्व, म्यूनिसिपल्टी के 'दफ्तर में, एक्जिक्युटिव अफसर या सेक्रेटरी को, देगा, और वह उसके पाने पर उस पर गिन्ती का नम्बर डाल देगा।

नोट—विगी नामजदगी के फारम के दिये जाने से २४ घण्टे के भीतर एक्जिक्युटिव अफसर या सेक्रेटरी को चाहिये कि उस फारम की जाच यह देखने के लिये करे, कि वह नियम न० २१ से २५ तक के अनुसार है या नहीं। और यदि वह फारम उन नियमों के अनुसार न हो, तो नामजद किये हुये शरस को नोतिा देके, या अन्य प्रकार, उन बातों की सूचना दे, जिनमें कि वह फारम, उसकी राय में, उक्त नियमों के अनुसार न हों। किंतु ऐसी सूचना न देने या उस सूचना में कोई अपुद्धता या गलती होने से, वारवाइशों के बावजूत होने पर कोई प्रभाव न पड़ेगा।

२७ (१) नामजदगीका फारम दिये जाने के बाद, जितनी जल्दी कि सम्भव हो एक्जिक्युटिव अफसर या सेक्रेटरी, नामजद किये हुए शरस को नामजदगी की सूचना भेजेगा और उस शरस का नाम उन नामजदगीयों की सूची में लिख देगा, जो कि उन स्थानों में टाग दी जायेगी, जो निर्वाचन नामावली को प्रकाशित करने के विषय में नियम ८ में नियमित की गई हैं।

(२) नामजदगीयों की सूची, शिड्यूल ३ में दिये हुए फारम पर होगी।

२८ जो शरस (या एक से अधिक शरस), कि जिला मजिस्ट्रेट की मजूरी से बोर्ड के रेजो ल्यूशन द्वारा, इस अभिप्राय से नियत किया जाय (जिसको आगे "नामजद करने वाला अफसर" का नाम दिया गया है) नामजदगी के फारम दिये जाने की मियाद समाप्त हो जाने के बाद, दूसरे दिन, म्यूनिसिपल दफ्तर में दोपहर के ११ बजे, और तीसरे पहर के २ बजे दिन के बीच में, काफी समय तक, उपस्थित रह कर, नामजदगी के फारमों का जायज होना, या न होना, निर्णय करेगा। नामजदगी का फारम केवल एक ही कारण से नाजायज ठहराया जा सकेगा अर्थात् यह कि उसमें नियम न० २१ से नियम न० २६ तक में बताये हुए हुकमों में से किसी हुकम का, अनुसरण नहीं किया गया है।

२९ प्रत्येक उम्मेदवार, और उसके प्रस्तावक (Proposer) और अमुमोदक (Seconder) को, (परन्तु अन्य किसी शरस को नहीं) अधिकार होगा, कि नामजद करने वाले अफसर की फार रवाह के समय उपस्थित रहे।

३० नामजद करने वाला अफसर अपना फैसला लिख के देगा, और उस दशा में जब कि वह किसी फारम को नाजायज ठहरा दे तो जिस शरस का फारम नाजायज ठहराया गया है, यदि वह फैसला होने के तीन दिन के भीतर, अर्जा दे, तो जिला मजिस्ट्रेट को अधिकार होगा कि वह उक्त फैसले की निगरानी (Revision) करे।

३१ यदि कोई नामजदगी का फारम नाजायज ठहराया जाय, तो नामजद करने वाला अफसर उस नामजदगी के फारम को, अपने फैसले के सहित, मजिस्ट्रेट के पास मुरन्त भेज देगा।

३२ यदि जिला मजिस्ट्रेट, नामजद करने वाले अफसरके किसी फैसले को रद्द करे, तो वह अपने उस हुकम की सूचना एक्जिक्युटिव अफसर या सेक्रेटरी को दे देगा।

३३ (१) प्रत्येक ऐसी नामजदगी, जिसको कि नामजद करने वाले अफसर ने नाजायज न ठहरा दिया हो, जायज मानी जायगी ।

(६) कोई नामजदगी जिसको कि नामजद करने वाला अफसर ने नाजायज ठहरा दिया हो, और जिसको कि जिला मजिस्ट्रेट, निगरानी करके जायज ठहरा दे केवल उस दशामें जायज मानी जायगी, जबकि मजिस्ट्रेटके उस हुक्म की सूचना एक्टिंग्यु टिव अफसर, या सेक्रेटरी के पास, सात दिनके भीतर पहुंच जाय अन्यथा नहीं ।

३४ निर्वाचनके दिनसे पांच दिन पूर्व, एग्जिक्युटिव अफसर या सेक्रेटरी प्रत्येक वार्ड या समुदाय के लिये (यदि कोई हो), और यदि वार्ड या समुदाय न हों, तो पूरी म्यूनिसिपलटीके लिये एक शिड्यूल तैयार करेगा, जिसमें कि नाम वर्ण माला के क्रमसे लिखे जायेंगे और जिसमें कि उन सब उम्मेदवारोंके नाम लिखे होंगे, जिनकी कि नामजदगी जायज ठहराई गई है और जिन्होंने कि अपने नाम वापस न लिये हैं । यह शिड्यूल उस नरुशे के अनुसार होगा जो कि नियम न० २७ में नियमित किया गया है सिवाय इसके कि उसमें एक शीर्षक होगा जो कि हल्कों या समुदायों के (यदि कोई हों) बतावेगा ।

३५ वह शिड्यूल उन स्थानोंमें लगा दिया जायगा, जो कि नियम न० ८ में, निर्वाचकों की नामावली के प्रकाशित किये जाने के लिये नियमित किये गये हैं ।

३६ (१) यदि उन उम्मेदवारों की सख्या जिनका नाम शिड्यूलमें दर्ज हो, और जिन्होंने कि उम्मेदवारी से अपना नाम, घोट लिये जाने के समय से पूर्व, वापस न लिया हो, खाली जगहोंसे अधिक हों तो निर्वाचन के दिन उस विधि के अनुसार जो आगे बताई गई है, घोट डलवाये जायेंगे ।

(२) यदि उम्मेदवारों की सख्या और खाली जगहों की सख्या बराबर हों, तो ऐसे सब उम्मेदवार निर्वाचित समझे जायेंगे ।

(३) यदि ऐसे उम्मेदवारों की सख्या, खाली जगहों की सख्या से कम हो, तो ऐसे सब उम्मेदवार निर्वाचित समझे जायेंगे और बौडे, रेजोल्यूशन द्वारा शेष जगहों के लिये नई नामजदगिया मागेगा ।

(४) यदि कोई ऐसा उम्मेदवार न हो, तो बौडे, रेजोल्यूशन द्वारा फिर से नामजदगी किये जानेका हुक्म देगा ।

(दोखिये—सुलतान बरकत बगौरा बनाम अबदुल हमीद, 21 A. L. J 639 जो दफा २९ की ब्याख्या में लिखा गया है) ।

वोट लेनेकी विधि

दफा २९ के क्लोज (ई) के सम्बन्ध में

३७ बौडे एक या एक से अधिक उचित इमारतें, या चौकिया (जिनको आगे "निर्वाचन स्थान" Polling Station पोलिंग स्टेशन का नाम दिया जायगा) हर ऐसे रकवे के लिये नियत करेगा, जहां कि वोट डाले जायेंगे ।

३८ बौडे, जिला मजिस्ट्रेट की मजूरी से, एक शाख (या अधिक शाखों) को (जिनको आगे "निर्वाचन व्यवस्थापक" का नाम दिया गया है) हर निर्वाचन स्थान पर "रेजोल्यूशन

के द्वारा नियुक्त करेगा, और हर "निर्वाचन व्यवस्थापक" (Returning Officer) की सहायता के लिये एक या एक से अधिक शास्त्र, जितने वह आवश्यक समझे, होंगे। ऐसे शास्त्रों को निर्वाचन व्यवस्थापक नामजद करेगा, और "निर्वाचन स्थान" में जो काम यह लोग करेंगे, उनका व्यवस्थापक जिम्मेदार होगा। यदि निर्वाचन के समय या उससे पूर्व, कोई निर्वाचन व्यवस्थापक काम करने से इन्कार करे या काम करने के असमर्थ होजाय, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, किसी अन्य योग्य शास्त्र को उसकी जगह पर काम करने को नियुक्त करेगा।

३९ हर "निर्वाचन व्यवस्थापक" (Returning officer) को निर्वाचकों की नामावली की एक प्रति दी जायेगी, और एक प्रति निर्वाचन के उम्मेदवारों के उस शिड्यूल (Schedule) की जिसमें जायज नामजदगिया दर्जे हों, जिसका हवाला नियम न० ३४ में दिया गया है, दी जायेगी।

४० हर निर्वाचा व्यवस्थापक 'निर्वाचन स्थान' (Polling station) में शान्ति पूर्वक कारर बाई होने का प्रवन्ध करेगा, और ध्यान रखेगा कि निर्वाचन में कोई अनीति नहो, और निर्वाचकों की उस सरया को नियत करेगा, कि जो एक घेर में भीतर लाई जायेगी। और उन शास्त्रों के जो उसकी सहायता देने को नामजद किये गये हैं और मुहरिरीं, उम्मेदवारों, और ड्यूटी पर होने वाले कानिस्ट्रबलों, के सिवाय, किसी अन्य शास्त्र को भीतर आने की आज्ञा न देगा। परन्तु शर्त यह है कि प्रत्येक उम्मेदवार को अधिकार होगा कि काफ़ी स्टाम्प पर लिखे हुए मुखतारनामे के द्वारा, एक एक एजेण्ट को, अपने उदले, हर निर्वाचन स्थान में, उपस्थित रहने के लिये, नियत करदे।

४१ निर्वाचन स्थान में वोट स्वयं जाकर देना चाहिये, और कोई वोट एजन्टी द्वारा (By Proxy) स्वीकार न किये जायेंगे।

४२ वोट 'बैलट' के द्वारा डाले जायेंगे, और बैलट (Ballot) एक कागज का परचा होगा (जिसको आगे "परचे" का नाम दिया गया है) जो कि शिड्यूल न० ४ में दिये हुए फारम के अनुसार होगा। इस परचे में उम्मेदवारों की सूची इसी क्रम से छपी जायेगी, जैसी कि, नियम ३४ में नियमित किये हुए शिड्यूल, में दी गई है।

४३ (१) जब कोई शास्त्र वोट देने आये, परन्तु वोट देने के पश्चात् नहीं, तो निर्वाचन व्यवस्थापक, या कोई मुहरिरी जो कि वोट देने वालों को मिलान, नामावली में करने को नियुक्त किया गया हो, स्वयं अपनी इच्छा से उस शास्त्र से निम्न-लिखित प्रश्नों में से एक, या दोनों, कर मन्ता है। और उम्मेदवार या उसके एजेण्ट (Agent) के, इस बात की दरग्यास्त करने पर, उसको ऐसे प्रश्न अत्र इय पढ़ना हामे —

(ए) क्या तुम वही शास्त्र हो जिसका कि इस इन्दराज में वणन है (नामावलीमेंसे पूरा इन्दराज पढकर सुनायेगा) ?

(गी) क्या तुम इस निर्वाचन में वोट दे चुके हो ? (इस हल्के में या किसी अन्य हल्के में)।

(२) जिन शास्त्र से कि इनमें से किसी प्रश्न का उत्तर माया जाय, तो उसका वोट, जब तक यह उत्तर न दे, नहा लिया जायगा।

(३) प्रत्येक शास्त्र जो वोट देने आये, उसका नाम, और निर्वाचकों की नामावली का वह नम्बर जो उसके नाम पर पडा हो, एक मूर्ती में लिखे जायेंगे जो उस

३३ (१) प्रत्येक पेसी नामजदगी, जिसको कि नामजद करने वाले अफसर ने नाजायज न ठहरा दिया हो, जायज मानी जायगी ।

(६) कोई नामजदगी जिसको कि नामजद करने वाले अफसर ने नाजायज ठहरा दिया हो, और जिसको कि जिला मजिस्ट्रेट, निगरानी करके जायज ठहरा दे केवल दस दशामें जायज मानी जायगी, जबकि मजिस्ट्रेटके उस हुकम की सूचना 'एक्टिव टिव अफसर, या सेक्रेटरी के पास, मात दिनके भीतर पहुंच जाय अन्यथा नहीं ।

३४ निर्वाचनके दिमसे पाच दिन पूर्व, एग्जिक्यूटिव अफसर या सेक्रेटरी प्रत्येक वार्ड या समुदाय के लिये (यदि कोई हो), और यदि वार्ड या समुदाय न हो, तो पूरी ग्यूनिसिपलटीके लिये एक शिड्यूल तैय्यार करेगा, जिसमें कि नाम वर्ण माला के क्रमसे लिखे जायेंगे और जिसमें कि उन सब उम्मेदवारोंके नाम लिखे होंगे, जिनकी कि नामजदगी जायज ठहराई गई है और जिन्होंने कि अपने नाम वापस न लिये हों । यह शिड्यूल उस नकशे के अनुसार होगा जो कि नियम न० २७ में नियमित किया गया है सिवाय इसके कि उसमें एक शीर्षक होगा जो कि हलकों या समुदायों को (यदि कोई हो) बतावेगा ।

३५ वह शिड्यूल उन स्थानोंमें लगा दिया जायगा, जो कि नियम न० ८ में, निर्वाचकों की नामावली के प्रकाशित किये जाने के लिये नियमित किये गये हैं ।

३६ (१) यदि उन उम्मेदवारों की संख्या जिनका नाम शिड्यूलमें दर्ज हो, और जिन्होंने कि उम्मेदवारी से अपना नाम, वोट लिये जाने के समय से पूर्व, वापस न लिया हो, खाली जगहोंसे अधिक हों तो निर्वाचन के दिन उस विधि के अनुसार जो आगे बताई गई है, वोट डलवाये जायेंगे ।

(२) यदि उम्मेदवारों की संख्या और खाली जगहों की संख्या बराबर हों, तो ऐसे सब उम्मेदवार निर्वाचित समझे जायेंगे ।

(३) यदि ऐसे उम्मेदवारों की संख्या, खाली जगहों की संख्या से कम हो, तो ऐसे सब उम्मेदवार निर्वाचित समझे जायेंगे और बॉर्ड, रेजोल्यूशन द्वारा शेष जगहों के लिये नई नामजदगीया मागेगा ।

(४) यदि कोई ऐसा उम्मेदवार न हो, तो बॉर्ड, रेजोल्यूशन द्वारा फिर से नामजदगी किये जानेका हुकम देगा ।

(दोषिये—सुलतान बरकत बगैरा बनाम अबदुल हमीद, 21 A. L. J 639 जो दफा २९ की ध्याख्या में लिखा गया है) ।

वोट लेनेकी विधि

दफा २९ के क्लोज (ई) के सम्बन्ध में

३७ बॉर्ड एक या एक से अधिक उचित इमारतें, या चौकिया (जिनको आगे "निर्वाचन स्थान" Polling Station पोलिंग स्टेशन का नाम दिया जायगा) हर ऐसे रकवे के लिये नियत करेगा, जहां कि वोट डाले जायेंगे ।

३८ बॉर्ड, जिला मजिस्ट्रेट की मजूरी से, एक शख्स (या अधिक शख्सों) को (जिसको आगे "निर्वाचन व्यवस्थापक" का नाम दिया गया है) हर निर्वाचन में अध्यक्ष होने के लिये, रेजोल्यूशन

के द्वारा नियुक्त करेगा, और हर "निर्वाचन व्यवस्थापक" (Returning Officer) की सहायता के लिये एक या एक से अधिक शास्त्र, जितने वह आवश्यक समझें, होंगे। ऐसे शास्त्रों को निर्वाचन व्यवस्थापक नामजद करेगा, और "निर्वाचन स्थान" में जो काम यह लोग करेंगे, उनका व्यवस्थापक निम्नेदार होगा। यदि निर्वाचन के समय या उससे पूर्व, कोई निर्वाचन व्यवस्थापक काम करने से इन्कार करे या काम करने के अममर्थ होजाय, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, किसी अन्य योग्य शास्त्र को उसकी जगह पर काम करने को नियुक्त करेगा।

३९ हर "निर्वाचन व्यवस्थापक" (Returning officer) को निर्वाचकों की नामावली की एक प्रति दी जायेगी, और एक प्रति निर्वाचन के उम्मेदवारों के उस शिड्यूल (Schedule) की जिसमें जायज नामजदगिया दर्ज हों, जिसका हवाला नियम न० ३४ में दिया गया है, दी जायेगी।

४० हर निर्वाचन व्यवस्थापक 'निर्वाचन स्थान' (Polling station) में शान्ति पूर्वक कार्रवाई होने का प्रबन्ध करेगा, और ध्यान रखेगा कि निर्वाचन में कोई अनीति नहो, और निर्वाचकों को उस सत्या को नियत करेगा, कि जो एक बेर में भीतर लाई जायेगी। और उन शास्त्रों के जो उसकी सहायता देने को नामजद किये गये हों और मुहरिरीं, उम्मेदवारों, और इयूटी पर होने वाले कानिस्ट्रिबलों, के सिवाय, किसी अन्य शास्त्र को भीतर आने की आज्ञा न देगा। परन्तु शर्त यह है कि प्रत्येक उम्मेदवार को अधिकार होगा कि काफी स्टाम्प पर लिखे हुए मुखतारनामे के द्वारा, एक एक एजेण्ट को, अपने चदले, हर निर्वाचन स्थान में, उपस्थित रहने के लिये, नियत करदे।

४१ निर्वाचन स्थान में वोट स्वयं जाकर देना चाहिये, और कोई वोट एजन्टी द्वारा (By Proxy) स्वीकार न किये जायेंगे।

४२ वोट 'बैलट' के द्वारा डाले जायेंगे, और बैलट (Ballot) एक कागज का परचा होगा (जिसको आगे "परचे" का नाम दिया गया है) जो कि शिड्यूल न० ४ में दिये हुए फारम के अनुसार होगा। इस परचे में उम्मेदवारों की सूची उसी क्रम से छपी जायेगी, जैसी कि, नियम ३४ में नियमित किये हुए शिड्यूल, में दी गई है।

४३ (१) जब कोई शास्त्र वोट देने आये, परन्तु वोट देने के पश्चात् नहीं, तो निर्वाचन व्यवस्थापक, या कोई मुहरिरी जो कि वोट देने वालों को मिलान, नामावली से करने को नियुक्त किया गया हो, स्वयं अपनी इच्छा से उस शास्त्र से निम्न लिखित प्रश्नों में से एक, या दोनों, कर सकता है। और उम्मेदवार या उसके एजेण्ट (Agent) के, इस बात की दरखवास्त करने पर, उसको ऐसे प्रश्न अवश्य पूछना होंगे—

(ए) क्या तुम वही शास्त्र हो जिसका कि इस इन्दराज में वर्णन है (नामावलीमेंसे पूरा इन्दराज पढकर सुनायेगा) ?

(बी) क्या तुम इस निर्वाचन में वोट दे चुके हो ? (इस हल्के में या किसी अन्य हल्के में)।

(२) जिस शास्त्र से कि इनमें से किसी प्रश्न का उत्तर मागा जाय, तो उत्तर घोट, जय तक यह उत्तर न दे, नहा लिया जायेगा।

(३) प्रत्येक शास्त्र जो वोट देने आये, उसका नाम, और निर्वाचकों की नामावली या वह चम्बर जो उसके नाम पर पडा हो, एक गुंठि में लिखे जायेंगे जो उस

नकशे के अनुसार होगी, जो शिष्टयुक्त न० ५ में दिग्गलाया गया है। इसके पश्चात्, चोट देने वाला, यदि वह पत्र लिख सकता हो, उस खाने में हस्ताक्षर कर देगा, जो इस अभिप्राय से उपरोक्त सूची में रखा गया है। या यदि वह पढ़ा लिखा न हा, तो अपनी निशानी, या अंगूठे का निशान, लगा देगा, अर्थात् जैसा निर्वाचन व्यवस्थापक उसमें कहे। जो निशान इस प्रकार बनाया जाय उसकी कोई उमने दवार, या उसका प्रजेण्ट, जो निर्वाचक की पहचानता हो, या निर्वाचन व्यवस्थापक, या उसका कोई सहायक तस्वीर करेगा। सूची कागज के अलग २ पत्रों पर रखी जायगी, जिन पर कि क्रमानुसार गिनती के नम्बर डाले जायेंगे। परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि एक समय में, केवल एक ही कागज का पत्रा काम में रखा जाय।

(४) चोट देने वाला तब उस सूची को जो कि गत छाज में घटाई गई है, निर्वाचन व्यवस्थापक के सामने पेश करेगा, जो यह निश्चय करने के पश्चात्, कि सूची पर जायज रूप से हस्ताक्षर, निशानी, या चिन्ह कर दिया गया है, चोट को घतलयेगा कि कितने शरसों के लिये घोट दिये जा सकते हैं, और क्या २ शरसों (यदि कोई हों) इस सम्बन्ध में हैं, और चोट देने वाले को परचे का बाहर वाला पत्र दे देगा, जिसके दोनों पत्रों पर म्यूनिसिपलटी का कोई चिह्न पडा होगा, और, सा ही सग, उसके साथ वाले भीतरी पत्र पर, चोट देने वाले का निर्वाचकों की नाम चली में का नम्बर, चोट कर लेगा, और चोट देने वाले के नाम पर निर्वाचकों की नामावली में एक चिह्न, या यह जाहर करने के लिये बना देगा कि निर्वाचक को परचा मिल चुका। इस इन्दिराज से यह नहीं जाहिर किया जायगा कि कौनसा परचा उसको दिया गया।

४४ (१) चोट देने वाला, परचा पाते ही उस स्थान को जायगा, जो कि इस काम के लिये अलग नियत कर दिया गया हो और वहा प्रत्येक उम्मेदवार, जिसके वास्ते कि वह चोट देना चाहता है, के नाम के आगे एक क्रॉस (Cross x) का चिह्न बना देगा। वह तब परचे को इस प्रकार मोट देगा, कि यह न दिग्गई दे कि उसने किसको चोट दिये, और इस प्रकार मुडा हुआ परचा, एक बक्स में डाल देगा (जो कि आगे परचा डालने का बक्स कहलायेगा)। यदि कोई चोट देने वाला परचा न पढ सकता हो, या उस पर क्रॉस (Cross x) का चिह्न न बना सकता हो, तो निर्वाचन व्यवस्थापक चोट देने वाले का चोट उस के परचे पर उसकी इच्छा अनुसार बनवा देगा, और परचे को, परचे के बक्स में, डलवा देगा।

(२) यदि एक से अधिक क्रॉस किसी उम्मेदवार के नाम के सामने लगाये गये हों, तो वह परचा नाजायज होगा।

(३) परचे का बक्स ऐसा बना होगा, कि परचे उसके अन्दर डाले जा सकें, परन्तु बिना ताला खोले हुए निकाले न जा सकें।

(४) परचे पढ़ने आरम्भ होने से ठीक पहले, निर्वाचन व्यवस्थापक ऐसे शरसों को, जो कि निर्वाचन स्थानमें उपस्थित हों, दिखला देगा कि परचों का बक्स खाली है, और तब उसमें ताला डाल देगा, और उस पर अपनी मुहर इस प्रकार लगा देगा

कि यिा उस मुहर को तोड़े यह सुल न सके और अपनी दृष्टिके सामने, परचे पडने के लिये, उसको रखेगा, और उसको इसी प्रकार ताछा लगा हुआ, और मुहर किया हुआ, रहने देगा ।

४५ कोई परचा जिस पर उक्त रूपसे निशान न लगाया गया हो, या जिसमें, जितने मेम्बर चुने जाने को हों, उनसे अधिक, उम्मेदवारों को वोट दिये गये हों, या जिस पर कोई निशान ऐसा बनाया गया हो, जिससे कि वोट देने वाला, वोट देने के पश्चात्, पहचाना जा सके, तो ऐसा परचा नाजायज होगा ।

४६ यदि कोई शरस कहे कि मैं अमुक निर्वाचक हू, जिसका कि नाम निर्वाचकों की नामावली में दिया हो, और जब कोई अन्य शरस उस नामसे वोट दे चुका हो, तब परचा मागे, तो परचा मागने वाला, निर्वाचन व्यवस्थापक के, उन प्रश्नों को जो वह पूछे, उक्त रूप उत्तर देकर, परचे पर निशान करने के लिये उसी प्रकार अधिकारी होगा, जैसे कि अन्य सन वोट देने वाले । परन्तु ऐसा परचा (ऐसा परचा हा नियमों में टेंडर्ड बैलट (Tendered ballot) अर्थात् “अनिश्चित” परचा कहलायेगा) अन्य परचों से भिन्न रंग का होगा, और बक्स में डाले जाने के बदले, निर्वाचन व्यवस्थापक को दे दिया जायगा, जो कि उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, और वोट देने वाले का नाम, और निर्वाचकों की नामावली वाला उसका नम्बर परचे पर डाल देगा, और अलग गद्दी में रख लेगा, और निर्वाचन व्यवस्थापक उसको वोटों की गिनती में शामिल नहीं करेगा । उस वोट देने वाले का हस्ताक्षर, निशानी, या अगुटे का निशान, (जैसी कि दस्ता हो) उस सूची में नहीं बनाया जायगा जो कि नियम ४३ के क्लॉज (३) में नियमित की गई है, धरन एक अलग सूची पर बनाया जायगा जो कि ऊपर बताये हुये फारम ही पर ररी जायगी, और जिसका शीर्षक होगा “अनिश्चित वोटों की सूची” ।

४७ परचे डाले जाने के समाप्त होने पर निर्वाचन व्यवस्थापक, उन लोगों के सामने जो, उसकी सहायता के लिये नामजद किये गये हों, तथा ऐसे उम्मेदवारों और उनके एजेन्टों (यदि कोई हों) के सामने जो उपस्थित हों—

- (ए) परचों के बक्स (Ballot box) को खोलेंगा, और उन परचों को जो वह जायज ठहराये, उन परचों से जो वह नाजायज माने, प्रथक करेगा, और नाजायज परचों की पीठ पर शब्द “रद्द किया गया” लिखके, रद्द किये जाने के कारण भी लिख देगा ।
- (बी) प्रत्येक उम्मेदवार को जो जायज वोट दिये गये हों गिनेगा, और निम्न लिखित नियम नं० ५१ के हुक्मों के आधीन, जिन उम्मेदवारों के लिये सबसे अधिक जायज वोट आये हों, उनके निर्वाचित होने की घोषणा कर देगा ।
- (सी) एक नक्शा तैयार करेगा, और उसको तस्दीक करेगा, जिसमें कि नीचे लिखी बातें दर्ज होंगी अर्थात् (१) उन शरसों की सख्या जो वोट देने आये (२) उन शरसों के नाम जिनके पक्षमें जायज वोट दिये गये (३) जो जायज वोट प्रत्येक शरसके लिये दिये गये उनकी सख्या (४) उन शरसों के नाम जो निर्वाचित हुये (५) उन परचों की सख्या जो नाजायज माने गये, और (६) अनिश्चित परचों (Tendered votes) की सख्या ।

- (४) परचों के भीतरी आधे पत्त, और अनिश्चित परचे और वह परचे जो उन्हें जायब ठहराये हों और वह परचे जो उन्होंने रद्द कर दिये हों, और नियम नं० ४३ न नियमित की हुई सूची, और अनिश्चित परचों की सूची जो नियम नं० ४६ में नियमित की गई है, सबको प्रथक २ घण्टलों में बांधके, डा पर मुहर लगा देगा, और प्रत्येक घण्टलके ऊपर उसके भीतर रखे हुये कागजों का वर्णन दर्ज कर देगा और उस निर्वाचनकी तारीख डाल देगा, जिसके सम्बन्धके वह कागज हों । और
- (६) किसी उम्मेदवार या उसके एजेंट को उस नकल की नकल करने या उसमें से किसी भागकी नकल करने की आज्ञा दे देगा । और परचों के घडलों पर उम्मेदवार या उसके एजेंट को मुहर लगाने की आज्ञा दे देगा, या उसमें से किसी ऐसे घण्टल पर जिस पर वह मुहर लगाना चाहे, मुहर लगाने की आज्ञा दे देगा ।

नोट—नियम नं० ४० से ४७ तक, मसूरी की म्यूनिसिपलटी पर लागू न होंग ।

४८ निर्वाचन व्यवस्थापक तब उस नकल को एग्जिक्युटिव अफसर, या सेक्रेटरी के पास भेज देंगे और परचों के घडलों और, उपरोक्त नियम में बताई हुई सूचियों को, जिला मजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे, और प्रत्येक ऐसे शरस के पाम जो निर्वाचित ठहराया गया हो, उसके निर्वाचित हो जाने की सूचना भेज देंगे, या दे देंगे ।

४९ एग्जिक्युटिव अफसर, या सेक्रेटरी, उस नकल को बोर्ड के दफतर में रखा देगा, और पर, उसकी, दफतर के समय में, बिना किसी फीस के दिये हुए, एक मास तक उम्मेदवार या निर्वाचक, जाय चाहे जाच कर, सकेंगे ।

५० (१) जिला मजिस्ट्रेट, एक वर्ष तक, वैलटके परचों, और, सूचियों को, जो कि उसके पास निर्वाचन व्यवस्थापक ने भेजे हों रखे रहेगा, और इसके उपरान्त, उस दशा में जब कि उनको अधिक समय तक रखने के लिये कोई विशेष कारण न जान पड़े, तो उनको नष्ट करा देगा ।

(२) परचों के घडल (चाहे वह उन परचों के हों जो गिनती में लिये गये हों, या उनके हों जो रद्द किये गये हों, या अनिश्चित परचों के हों) और उनके भीतरी पत्त उस काल में जब कि वह जिला मजिस्ट्रेट के कब्ज में रहे सिवाय ऐसी निर्वाचन निर्णय कर्ता अदालत के हुकम के जिसको कि उस निर्वाचन के मामले तय करने का अधिकार हो, नहीं खोले जायेंगे, और न घडलों के भीतर के कोई कागज जाचे जायेंगे, और न कहीं पेश किये जायेंगे । इन बातों के लिये हुकम निर्वाचन निर्णय कर्ता अदालत (Election court) उन् दशा में देगी, जब कि बयान हलफी (Affidavit) के द्वारा, या अन्य प्रकार, उसको यह विदवास हो कि भीतरी या बाहरी पत्तों को, जाच की या पेश किये जाने की, किसी ऐसी अर्जी के सम्बन्ध में जो कि किसी निर्वाचन पर, या नकल (Return) पर उन्न करने के अभि प्राय से दी गई हो आवश्यकता है या किसी ऐसे मुकद्दमे के दायर करने या चलाने के लिये, आवश्यकता है, जो परचों के सम्बन्ध में किसी जुर्म के कारण थलाया गया हो । और किसी ऐसे हुकम को अदालत किसी ऐसी शर्तों के आधीन दे सकती है, जो वह उचित समझे, और जो इन विषयों में हो, कि उनको कौन

शरस, किस समय पर, कह, और किस विधि से खोलेंगे जांच करेंगे या पेश करेंगे।

(३) अन्य सत्र कागजों की, जो कि ऐसे कठने में हों, जांच करने का जनता को, उस समय पर, और उन शर्तों के अधीन और ऐसी फीस के देने पर, और उन रेग्युलेशनों (Regulations) के अधीन, जो कि इस विषय में जिला मजिस्ट्रेट नियमित करदे, अधिकार होगा।

५१ जब किसी उम्मेदवारों के वोटों की सग्या करावर हो और एक वोट के बडा दिये जाने से में से कोई शरस निर्वाचित ठहराया जाने के योग्य हो सकता हो, तो निर्वाचन व्यवस्थापक और उसके सहायक) या परस्पर मतभेद होने की दशा में बहुमति से, ऐसा वोट लिख के देंगे। न्यु किसी अन्य दशा में निर्वाचा में वोट देने के अधिकारी वह न होंगे। यदि व्यवस्थापक और कि सहायकों की राय दो, या अधिक, उम्मेदवारों के पक्ष में बराबर करावर हों तो फिर से निर्वाचन किया जायगा।

५२ कोई शरस निर्वाचन व्यवस्थापक द्वारा वोटों के जाचे जाने में या गिने जाने में विघ्न न होगा, न किसी प्रकार दखल देगा।

५३ कोई शरस, जिसको कि म्यूनिसिपलटी के निर्वाचन के सम्बन्ध में कोई कर्तव्य सौंपे गये, कोई हाल इस विषय में कि किसी विशेष परचे में किस उम्मेदवार को कोई वोट दिया गया, स्वयं खोलेंगा, न जान पूछा के किसी दूसरे को उसके खोलने की आज्ञा देगा।

५४ कोई शरस किसी नकल, विज्ञापन, अधवा अन्य कागज को, जो इन नियमों के अनुसार म्यूनिसिपलटी के दफ्तर में या किसी अन्य स्थान में लगाया गया हो, नहीं विगाडेगा, न हानि-हुचायेगा, न छेडेगा, न हटायेगा।

५५ (१) उस दशा में जब कि, एक ही निर्वाचन में, एक से अधिक खाली जगहें, वोट लेकर, भरी जाने को हों, तो वह मेम्बर जिसका कि सय से कम वोटों के द्वारा निर्वाचन हुआ हो उस शरस की जगह निर्वाचित माना जायगा जिसकी जगह साधारणत सत्र से पहले खाली होती, और वह मेम्बर जिसका निर्वाचा केवल पहल के हुण्ड मेम्बर से अधिक वोटों के द्वारा हुआ हो, उस शरस की जगह निर्वाचित माना जायगा जिसकी जगह कि ऊपर बताये हुण्ड शरस के बाद (दूसरे नम्बर पर) खाली होती, और वह मेम्बर जिसका निर्वाचन सब से अधिक वोटों के द्वारा हुआ हो, वह उस शरस की जगह निर्वाचित माना जायगा, जिसकी जगह साधारणत सब से पीछे खाली होती। इत्यादि।

(२) कोई प्रश्न, सिवाय उसके जिसके लिये कि ऑर्ज़ (१) में हुकम दिया गया है, जो इस विषय में उत्पन्न हो कि, सयोगवदा खाली हुई जगहों के लिये जो मेम्बर एक ही निर्वाचन में चुने जाय, उनमें से किसको कौन सी जगह दी जाय, उसको बोर्ड रेजोल्युशन के द्वारा निश्चय करेगा।

दफ्ता २९९ की उपदफा (१) के अनुसार

५६ दफा २९९ की उपदफा (१) के द्वारा दिये हुये अधिकार को बरतते हुये प्रान्तीय सरकार आज्ञा दे सकती है कि प्रत्येक शरस—

- (१) जो इन नियमों के विपरीत, कोई नामावली, सूची, या अन्य कागज बनायेगा, या जो इन नियमों के विपरीत उनमें परिवर्तन करेगा। या
- (२) जो किसी ऐसे प्रश्न का, जो नियम न० ४३ के अनुसार उससे पूछा जाय, उस वृत्त के झूठा उत्तर देगा। या
- (३) जो दफ्ता ४० के अनुसार दिये हुए निर्वाचन व्यवस्थापक के (Returning Officer) के किसी हुक्म को न मानेगा या निर्वाचन व्यवस्थापक द्वारा वोटों के लिये या गिने जाने में धिक्क डालेगा या किसी प्रकार दखल देगा। या
- (४) जिसको म्यूनिसिपलटी के निर्वाचन के सम्बन्ध में कोई फर्तव्य सौंपे गये हों, और वह बिना जायज अधिकार के, कोई हाल, इस नियम में कि किसी विशेष पक्ष में किस उम्मेदवार को कोई वोट दिया गया है, खोलेंगा या जान बूझ के किसी दूसरे को, खोलने की आज्ञा देगा। या
- (५) जो किसी नकल विश्वापन या अन्य कागज को, जो इन नियमों के अनुसार म्यूनिसिपलटी के दफ्तर में, या अन्य किसी स्थान में लगाया गया हो, बिगाड़ने हानि पहुँचायेगा, छेड़ेगा, या हटायेगा। या
- (६) जिसको इन नियमों के अनुसार किसी काम या काररवाई के करने का हुक्म दिया गया हो और वह उसके करने में उपेक्षा करे, या उसके करने से इनकार करे—
ऐसे शाखसको जुर्मानेका दण्ड दिया जा सकता है, जिसकी सख्या पाच सौ ५००) रुपये तक हो सकती है।



शिड्यूल नं० १

Schedule I

Ward (हलके)
Class (समुदाय) For the (वास्ते)

Electoral roll of the (निर्वाचन नामावली वास्ते)

Municipality (म्यूनिसिपलटी)

Serial number क्रमांक नम्बर	Name of elector निर्वाचक का नाम	Name of father बाप का नाम	Caste or religion जाति या मजहब	Occupation पेशा या काम	Address पता	Nature of Qualification किस प्रकार की योग्यता रखता है	Remarks कैफियत
						(ए) (बी) (1) (बी) (II) (बी) (III) इत्यादि	

- (१) जो इन नियमों के विपरीत, कोई नामावली, सूची, या अन्य कागज बनायेगा, या जो इन नियमों के विपरीत उनमें परिवर्तन करेगा। या
- (२) जो किसी ऐसे प्रश्न का, जो नियम नं० ४३ के अनुसार उससे पूछा जाय, ज्ञान वृद्ध के झूठा उत्तर देगा। या
- (३) जो दफा ४० के अनुसार दिये हुए निर्वाचन व्यवस्थापक के (Returning officer) के किसी हुकम को न मानेगा या निर्वाचन व्यवस्थापक द्वारा वोटों के जांचे या गिने जाने में विघ्न डालेगा या किसी प्रकार दखल देगा। या
- (४) जिसको म्यूनिसिपलटी के निर्वाचन के सम्बन्ध में कोई फर्तव्य सौंपे गये हों, और वह बिना जायज अधिकार के, कोई हाल, इस नियम में कि किसी विशेष परसे में किस उम्मेदवार को कोई वोट दिया गया है, सोलेगा या जान वृद्ध के निर्मा दूसरे को, सोलने की आज्ञा देगा। या
- (५) जो किसी नकल विज्ञापन या अन्य कागज को जो इन नियमों के अनुसार म्यूनिसिपलटी के दफ्तर में, या अन्य किसी स्थान में लगाया गया हो, बिगाएगा हानि पहुंचायेगा, छेड़ेगा, या हटायेगा। या
- (६) जिसको इन नियमों के अनुभार किसी काम या काररवाई के करने का हुकम दिया गया हो और वह उसके करने में उपेक्षा करे, या उसके करने से इनकार करे—
ऐसे शाखको जुर्मानेका दण्ड दिया जा सकता है, जिसकी सख्या पाच सौ ५००) रुपये तक हो सकती है।



शिब्बूल नं० १

राष्ट्रपूज्य नं० २
Schedule III

नामजदगियोंकी सूचीका फारम

की म्यूनिसिपलिटो । उन शख्सों की सूची जो म्यूनिसिपल बोर्ड के मेम्बर चुने जाने के लिये,

नामजद किये गये । ता०

सन १९२ ई०

Municipality of

List of persons nominated for Election as members of the

Municipal

Board, 192

नाम Name	वर्णन Description	(निवास स्थान) Abode	पेशा या काम Occupation	हलंका, यदि कोई हो किस समुदाय के लिये, नामजद किया गया । Ward, if any, for which class nominated
१	२	३	४	५

शिड्यूल नं० २ (Schedule II)

नामजदगी का फारम (Form of Nomination Paper)

... की म्युनिसिपलटी एक मेम्बर का निर्वाचन, हलका (Ward) • समुदाय के लिये... .. के लिये... .. के लिये... ..
 जो तारीख .. सन १९२ ई० को होगा।

हमारे, जिनके कि हस्ताक्षर नीचे हैं, जो कि (हलका समुदाय के लिये) निर्वाचक हैं, और हमारा नाम निर्वाचकों की नामावली में चढ़ा है, इस लेख के द्वारा (पेशा) जो में रहता है, और जिसका नाम कि उम्मेदवारों की सूची में १० पर चढ़ा है, को उपरोक्त निर्वाचन के लिये उम्मेदवार नामजद करते हैं।

We, the undersigned, being Electors Enrolled in the Electoral roll (for the . ward . . class) hereby nominate son of (occupation) residing in . whose name is entered in the Candidate list at number , as a candidate, at the above Election —

नम्बर	नाम	बाप का नाम	पेशा	पता	निर्वाचकों की नामावली पर का नम्बर
१					
२					
३					
४					
५					

मैं नीचे दस्तखत करने वाला, जो कि निर्वाचनके लिये एक योग्यता प्राप्त शख्स हूँ, उपरोक्त निर्वाचन में उम्मेदवार नामजद किये जाने की, इस, लेखके द्वारा, राजामन्नी देता हूँ।

तारीख

१९२ ई०

हस्ताक्षर

1916 Schedule III

नामजदगियोंकी सूचीका फारम

नामजद किये गये । ता०
Municipality of
Board, 192

की म्यूनिसिपलटी । उन शख्सों की सूची जो
सन् १९२ ई०
List of persons nominated for Election as members of the Municipal Board,

नाम Name	वर्णन Description	निवास स्थान Abode	पेशा या काम Occupation	हलका, यदि कोई हो किन समुदाय के लिये, नामजद किया गया । Ward, if any, for which class nominated
१	२	३	४	५

शिड्यूल नं० ४ Schedule IV.

परचे का फारम

(Form of Ballot Paper)

की म्यूनिसिपल्टी (Municipality of. . .)
 (Book No . . .)
 किताब नम्बर की म्यूनिसिपल्टी (Municipality of)
 (Serial No.)
 गिन्ती का नम्बर (Book No)
 परचेका भंतीरी पर्त (Counterfoil of Ballot paper)
 (Serial No.)
 गिन्ती का नम्बर (Serial No.)
 हलका समुदाय
 म्यूनिसिपल्टी के मेम्बरोँ का निर्वाचन (. हलका के लिये) जो
 समुदाय
 १९२२ को हुआ ।

नामावली में दर्ज किये हुये निर्वाचकों की सख्या

नम्बर	निर्वाचनके लिये उम्मेदवारका नाम और वर्णन	वोटर के फॉस (X या +) बनाने के लिये खाना
१	A	
२	B	
३	C	
४	D	
५	E	

शेड्यूल नं० ५ - Schedule V
हस्ताक्षरों के लिये कागज़ नं०.....
Signature Sheet No

निर्वाचकों की नामावली में का नम्बर Number on Electoral roll	नाम Name	यदि वोट देने वाला पढ़ा हो तो उसके हस्ताक्षर, और यदि पढ़ा न हो तो उसकी निशानी और गवाह का हस्ताक्षर । Signature of voter, if literate, or mark of voter with Signature of witness, if illiterate

बोर्ड पर अधिकार

दफा ३० प्रान्तीय सरकारका बोर्डको भङ्ग कर देनेका, या उस के स्थान पर दूसरा बोर्ड नियत करनेका अधिकार

एक्ट नं० २ सन १९१९

यदि किसी समय किसी लिखी या जयानी दरखास्तके द्वारा, या किसी अन्य प्रकार प्रान्तीय सरकारको यह विदित हो, कि कोई बोर्ड किसी ऐसे कर्तव्य या कर्तव्योंको जो इस एक्टसे या इस एक्टके द्वारा या अन्य किसी कानूनके द्वारा जिम्मे डाले गये हों, पूरा न करनेमें आग्रह करता है या यह कि अपने अख्तयारसे जानेंमें या उनका अनुचित प्रयोग करनेमें आग्रह करता है तो प्रान्तीय सरकारको अधिकार होगा कि बोर्डकी जवाबदही पर विचार करनेके पश्चात् एक हुक्मके द्वारा सरकारी गजटमें उन कारणोंके सहित जिनके आधार पर वह हुक्म दिया प्रकाशित कर दिया जायगा किसी ऐसी अवधिके लिये, जो कि उक्त हुक्ममें कर दी जायगी, बोर्डको भङ्ग कर दे (Dissolve) या बोर्डको अलग करके म्यूनिसिपलटीका काम काज किसी औरको सौंप दे (Supersede the board) ।

व्याख्या—

जनताके प्रतिनिधियोंसे कानून द्वारा दिया हुआ स्थानीय स्वराज्य छीन लेना अथवा उसे के विश्वासपात्र प्रतिनिधियोंको निकाल देकर अपमानित करना भारी दण्ड है। अतएव इस ऐसे शब्द रखे गये हैं कि जिनसे स्पष्ट ज्ञात हो जाय कि यह दफा सामान्य भूल चूकोंके काममें नहीं लाई जा सकती। वरन जब बोर्ड अपने कर्तव्योंका पालन न करनेमें या अपने यारोंसे बाहर काम करनेमें या अपने अख्तयारोंका अनुचित प्रयोग करनेमें आग्रह करे, तभी दफा काममें लाई जा सकती है। शब्द “ आग्रह ” के लाये जानेसे यह भी विदित होता है। यह दफा उसी सूरतमें काममें लाई जायगी जब बोर्डको चेतावनी देने पर भी वह न माने।

बोर्डको भङ्ग कर देनेका अधिकार इस दफामें म्यूनिसिपलटीज एमेण्डमेण्ट एक्ट, न० २ १९१९ ई० के द्वारा बढ़ाया गया है। बोर्डको अलग कर देनेसे (Supersede) जनताके हक पर भी असर पड़ता है। म्यूनिसिपलटीका काम जनताके प्रतिनिधियोंसे निकाल लिया जाता है और सरकार द्वारा नियत किये हुए किसी शास्स या शासकोंके दे दिया जाता है। परन्तु दूसरी दफामें अर्थात् जब बोर्ड भङ्ग किया जाता है (Dissolved) तो जनताको दूसरे प्रतिनिधि चुन लेनेका अधिकार होता है।

—इस दफाके आरम्भमें शब्द “ किसी लिखी या जयानी दरखास्त ” (Representation) भी एमेण्डमेण्ट एक्ट न० २ सन १९१९ ई० के द्वारा बढ़ाये गये हैं। इसके द्वारा यह बात प्रकट कर दी गई है कि जिस किसीको बोर्डकी अनुचित काररवाइयोंसे कोई शिकायत हो, वह दरखास्तके द्वारा प्रान्तीय सरकारको उक्त काररवाइयोंसे परिचित करके, प्रार्थना कर सकता है कि प्रान्तीय सरकार दफा ३० में दिये हुए अधिकारोंको उसे बोर्डके खिलाफ बरते।

दफा ३१' बोर्डके अलग कर दिये जानेके परिणाम

जब दफा ३०के हुकमके अनुसार बोर्ड अलग कर दिया जायगा (Superseded) तो—

(ए) बोर्डके सब मेम्बर उस तारीख पर जो हुकममें अंकित की होगी मेम्बरी के पदको खाली कर देंगे परन्तु इससे क्लॉज (इ.) के अनुसार उनके फिरसे निर्वाचित या नामजद किये जानेकी योग्यतामें कोई बाधा न होगी।

(बी) जितने समयके लिये बोर्ड अलग किया जायगा उस समयमें कोई एक या एकसे अधिक शख्स जिनको प्रान्तीय सरकार इस अभिप्रायसे नियत कर दे, जहा तक ऐसा करना सम्भव हो बोर्डके अधिकारोंको यदि वे चाहें धरत सकते हैं और बोर्डकी जिम्मेदारियोंका पालन करनेका उनका कर्तव्य होगा और ऐसा एक शख्स या एकसे अधिक शख्स सब अभिप्रायोंके लिये बोर्ड माने जायेंगे।

(सी) बोर्डके अलग कर दिये जाने पर उस समय तक जब तक कि क्लॉज (बी) के अनुसार कोई एक या एकसे अधिक शख्स नियत न किये जायें या यदि ऐसा कोई शख्स नियत किया ही न जाय तो उस समय तक जबतकके लिये बोर्ड अलग किया गया हो, वह सारी जायदाद जो बोर्डके अधिकार और अधीनतामें हो, भारत संस्र्दाटक अधिकार और अधीनतामें रहेगी।

(डी) जिस समय तकके लिये बोर्ड अलग कर दिया जायगा दफा ९ या १० या दफा ११ के किसी नियमके अनुसार दिये हुए विज्ञापन, निष्प्रभावी रहेंगे परन्तु उसके उपरान्त फिर प्रभावित हो जायेंगे।

(इ) जिस अवधिके लिये कि बोर्ड अलग किया गया हो उसके समाप्त होने से पूर्व बोर्डका फिरसे सङ्गठन करनेके अभिप्रायसे निर्वाचन कर लिया जायगा और नामजदगियां कर दी जायेंगी या दोनो बातें कर दी जायेंगी अर्थात् जैसी आवश्यकता हो।

व्याख्या—

(ए) जब वह अवधि समाप्त हो जिसके लिये कोई बोर्ड अलग किया जाय तो पुराने बोर्डके मेम्बर चुनावके लिये चले हो सकते हैं और नामजद भी किये जा सकते हैं।

(बी) इस हाजके अनुसार उस शख्स या उन शख्सोंको जो म्यूनिसिपलटीका काम चलानेको नियत किये गये हों यह आज्ञा दी गई है कि वे यदि न चाहें तो बोर्डके किसी विशेष अधिकारको न धरतें परन्तु जितनी जिम्मेदारियां बोर्ड पर डाली गई हैं उनका पालन करना उनके लिये जरूरी होगा।

—ऐसा शख्स या ऐसे शख्स जो बोर्डका काम चलानेके लिये नियत किये जायेंगे वह भी सङ्गठित सस्था (Corporate body) माने जायेंगे और उनको म्यूनिसिपल सङ्गठित सस्थाके नामसे दावा दायर करनेका अधिकार होगा।

(बी) क्लॉज (डी) के द्वारा यह आवश्यक रखा गया है कि जब बोर्ड फिरसे स्थापित किया जाय तो उसका सङ्गठन उसी प्रकारका रखा जायगा जैसा कि बोर्डको अलग किये जानेके पूर्व था।

(इ) दफा ३३३ के अनुसार जब कोई नया बोर्ड स्थापित किया जाता है तो उसके लिये निर्वाचन आदि करानेके प्रबन्धका भार कलक्टर पर होता है। किन्तु जब किसी बोर्डके अलग किये जानेके पश्चात् फिरसे नया बोर्ड इस दफाके अनुसार स्थापित किया जाता है तो निर्वाचकोंकी नामावली तैयार कराने आदिका भार कलक्टर पर नहीं होता बरन उस शायस या उन शख्सों पर होता है जो म्यूनिसिपलटीका काम करनेको प्रान्तीय सरकार द्वारा नियत किये जाते हैं।

दफा ३१ए. बोर्डको भङ्ग कर दिये जानेके परिणाम

जब कोई बोर्ड दफा ३० के अनुसार दिये हुए हुक्मके द्वारा भङ्ग कर दिया जाय (Dissolved) तो—

(ए) बोर्डके सब मेम्बर उस तारीख पर जो कि उक्त हुक्ममें अंकित कर दी गई होगी मेम्बरीके पदको खाली कर दंगे परन्तु इससे क्लॉज (बी) के अनुसार उनके निर्वाचित या नामजद किये जानेकी योग्यतामें कोई बाधा न होगी।

(बी) एक तारीख पर, (जो उस तारीखसे पूर्व होगी जो कि क्लॉज (ए) में बताई गई है) जो उक्त हुक्ममें दे दी जायगी बोर्डका फिरसे सङ्गठन करनेके अभिप्रायसे मेम्बरोका निर्वाचन कर लिया जायगा और नामजदगिया कर दी जायगी अर्थात् जैसी आवश्यकता हो।

(सी) इस एक्टकी दफा ३८ के हुक्मके होते हुए भी कोई शख्स जिसका निर्वाचन क्लॉज (बी) के अनुसार होगा या जो उस क्लॉजके अनुसार नामजद किया जायगा, वह उस तारीख से मेम्बर होगा जो क्लॉज (ए) में बताई गई है।

नोट—यह पूरी दफा म्यूनिसिपलटीज एम्पेंडमेण्ट एक्ट न० २ सन १९१९ई०के द्वारा बढाई गई है।

दफा ३२ कमिश्नर तथा जिला मजिस्ट्रेटका निगरानीका अधिकार

कमिश्नर या जिला मजिस्ट्रेटको जब वह बोर्डका मेम्बर न हो अपनी कमिश्नरी या जिलाकी हद्दोंके भीतर अर्थात् जैसी दशा हो, अधिकार होगा कि वह:—

(ए) किसी ऐसी जायदादका जो बोर्ड अथवा किसी ज्वाइंट (Joint) कमेटीके काममें हो या कब्जेमें हो, मुआइना करे या मुआइना (जाच) कराये या ऐसे कामका मुआइना करे या कराये, जो बोर्ड अथवा किसी ऐसी कमेटीकी आज्ञानुसार हो रहा हो।

(बी) किसी ऐसी किताब या कागज (Document) को जो बोर्ड या ऐसी कमेटीके कब्जेमें हो या उसके अधिकार और अधीनता में हो लिखित हुक्मके द्वारा तलब करे और मुआइना करे।

(सी) लिखित हुक्मके द्वारा किसी बोर्ड या ऐसी कमेटीको आज्ञा दे कि वह

कोई कैफियत (Statements) हिसाब किताब रिपोर्ट (Reports) या कागजोंकी नकले, जो बोर्ड या कमेटीकी काररवाइयो या कर्तव्योंसे सम्बन्ध रखती हैं और जिनको तलब करना वह उचित समझे, उसके पास भेजे ।

(डी) अपने कोई विचार जिनका कि बोर्ड या कमेटीकी काररवाइयों या कर्तव्योंके सम्बन्धमें प्रगट करना वह उचित समझे, इस उद्देशसे लेखबद्ध करे कि बोर्ड अथवा कमेटी उन पर विचार करे ।

व्याख्या—

दफा ५० के क्लॉज (सी) के द्वारा हुक्म है कि उन सब कागजों, रिपोर्ट इत्यादि (जिनका वर्णन दफा ३२ के क्लॉज 'सी' में किया गया है) का कमिश्नर तथा जिला मजिस्ट्रेटको भेजनेका कर्तव्य चेयरमैनका होगा ।

—क्लॉज (डी) के द्वारा कलक्टर अथवा कमिश्नरको केवल इतना ही अधिकार दिया गया है कि वह बोर्ड या कमेटीकी किसी काररवाइ या कर्तव्यके विषयमें अपनी राय लिखें और उससे बोर्डको सूचित करें । बोर्ड या कमेटीका कर्तव्य होगा कि वह उस राय पर विचार करे परन्तु इस धातका अधिकार बोर्ड या कमेटीको होगा कि चाहे उस रायको स्वीकार करे या अस्वीकार करे ।

दफा ३३ म्यूनिसिपलटीके कामों और संस्थाओंकी सरकारी अफसरों द्वारा जांच

कोई ऐसा अफसर जो इस अभिप्रायसे प्रान्तीय सरकारके द्वारा नियत किया गया हो किसी ऐसी इमारत या संस्था (Institution) का जो पूर्णतया या जिसका कोई भाग बोर्डके खर्चसे बनाया गया हो या कायम रखा जाता हो और उसके सम्बन्ध के सब रजिस्टर हिसाब किताब और अन्य कागजोंकी, जिस समय वह चाहे जांच कर सकता है ।

नोट—दफा ३३ के अनुसार प्रांतीय सरकारने नीचे लिखे अफसरोंकी म्यूनिसिपलटीके कामों और संस्थाओंका मुआदना करनेके लिये नियत किया है —

सरकारी सेनिटरी इंजिनियर
सेनिटरी कमिश्नर
डिप्टी (नायब) सेनिटरी कमिश्नर
सब सिविल सर्जन
सब एक्जिक्युटिव इंजिनियर
म्यूनों के सब इन्स्पेक्टर

संयुक्त प्रान्त

(विज्ञापन न० २५५९ /४१-८८, ताग्ल १६ अगस्त सन १९१७)

दफा ३४ बोर्डके किसी रेजोल्यूशन अथवा हुक्मके अनुसार कोई काम आगे किये जानेसे रोक देनेका कमिश्नर या जिला मजिस्ट्रेटका अधिकार

(१) कमिश्नर या जिला मजिस्ट्रेट अपनी कमिश्नरी या जिलेकी हदोंके भीतर

लिखित हुकमके द्वारा, इस कानूनके अनुसार या किसी दूसरे कानूनके अनुसार दिये हुये या जारी किये हुये बोर्डके या किसी कमेटीके या बोर्डके किसी अफसर या कर्मचारीके या ज्वाइट कमेटीके किसी अफसर या कर्मचारीके किसी हुकम या रेजोल्यूशन (प्रस्ताव) के अनुसार होते हुये कामका किया जाना या आगे उस कामका चलाया जाना, रोक दे सकता है। यदि उस कमिश्नर या जिला मजिस्ट्रेटकी रायमें वह रेजोल्यूशन या हुकम इस प्रकारका हो कि जनताको उस रेजोल्यूशन या हुकमकी वजहसे कोई रुकावट क्लेश (Annoyance) या हानि पहुँचती हो या किसी रुकावट क्लेश या हानि पहुँचनेकी सम्भावना हो, जब कि वह (अर्थात् जनता) किसी ऐसे काममें प्रवृत्त हो जिसके करनेका उसको कानूनके अनुसार अधिकार हो या उस हुकम अथवा रेजोल्यूशनके कारण मनुष्यकी जान स्वास्थ्य या रक्षाके लिये जोरिम (खतरा) हो, या यदि उस हुकम अथवा रेजोल्यूशनके कारण बलवा या झगड़ा हो, या हो जानेकी सम्भावना हो। कमिश्नर या जिला मजिस्ट्रेट को यहभी अधिकार है कि किसी शख्स को, ऐसे रेजोल्यूशन या हुकमके अनुसार, या ऐसे रेजोल्यूशन या हुकमकी आड़में (Under Cover of) किसी कामके करने, या उसके जारी रखने से, रोकदे।

२ जब किसी 'शहर' (City) की म्यूनिसिपलटीके विषयमें कोई हुकम उपदफा (१) के अनुसार दिया जाय, तो जिला मजिस्ट्रेट, कमिश्नरके जरिये से, या स्वयम् कमिश्नर, अर्थात् जैसी हालत हो, प्रान्तीय सरकारके पास उस हुकमकी एक नकल, उन कारणोंके सहित, जिनसे कि वह हुकम देना पड़ा हो, भेज देगा। ऐसी नकलके भेजे जाने पर प्रान्तीय सरकार, उस हुकमको, यदि वह उचित समझे, रद्द करदे सकेगी, या उसमें परिवर्तन कर सकेगी।

३ जब ऐसा हुकम जिला-मजिस्ट्रेट किसी अन्य म्यूनिसिपलटी को दे, तो उस हुकम की एक नकल, उन कारणोंके सहित जिनसे कि वह हुकम देना पड़ा हो, जिला मजिस्ट्रेट तुरन्त कमिश्नरके पास भेज देगा। ऐसी नकलके भेजे जाने पर, कमिश्नर उस हुकमको, यदि वह उचित समझे, रद्द करदे सकेगा या उसमें परिवर्तन कर सकेगा।

४ जब किसी रेजोल्यूशन या हुकमके अनुसार किसी कामके किये जाने, या उसको आगे चलाये जाने की मनाही किसी ऐसे हुकमके द्वारा की जाय, जो उपदफा (१) के अनुसार दिया गया हो और उस समय तक प्रचलित हो तो बोर्डका कर्तव्य होगा, कि यदि वह हाकिम जिनसे उक्त उपदफाके अनुसार हुकम दिया हो, ऐसा करने को कहे, तो ऐसी कोई कार्रवाई करे जिसके करनेका उसको उस दशामे अधिकार होता, यदि उक्त रेजोल्यूशन या हुकम मंजूर न हुआ होता या दिया न गया होता, और जो इस भाँतिप्रारंभसे आवश्यक हो कि कोई शख्स उस रेजोल्यूशन या हुकमकी आड़में जिसके आगे चलाये जानेकी मनाही करदी गई हो, किसी कामके करने या करते रहने से रोका जाय।

व्याख्या—

उप दफा (१) में शब्द "या किसी दूसरे कानून के अनुसार" इस अभिप्राय से रखे गये हैं कि जब बोर्ड किसी दूसरे कानून के अनुसार कोई काम करे, तो उस दशा इस दफा के अन्तर्गत हुकम दिया जा सके।

—उपदफा (४) का आशय यह है कि जय बोर्ड हुक्म मजिस्ट्रेट या कमिश्नर दे, तो उस हुक्म का पालन भी बोर्ड के द्वारा करा सके। जैसे, यदि यह आवश्यक हो, कि बोर्ड मीटिंग करे, और हुक्म रजोल्यूशन पास करके उस रजोल्यूशन या हुक्म को मसूदा करे, जिसकी कि मनाही कर दी गई हो और उस शास्त्र को जिसको कि ऐसे मसूदा किये हुए रजोल्यूशन के द्वारा किसी काम के करने की आज्ञा बोर्ड दे चुका हो, हुक्म दे कि वह शास आगे कोई काम न करे, तो मजिस्ट्रेट या कमिश्नर बोर्ड को, इन सब बातों के पूरा करने का भी हुक्म दे सकता है। केवल तब यह है कि मजिस्ट्रेट या कमिश्नर बोर्ड को किसी ऐसे ही काम के करने का हुक्म दे सकेगा, जिसके करने का बोर्ड को, कानून के अनुसार अधिकार हो।

—इस दफाके अनुसार जो हुक्म दिये जायें उनको शासन सम्बन्धी हुक्म समझना चाहिये, और उनमें किसी अदालत दीवानी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं हो सकता। अतएव जय कि एक म्यूनििसिपल बोर्ड ने एक शास को एक मन्दिर बनाने की इजाजत दी, और जिला मजिस्ट्रेट ने एक्ट नं० १ सन १९०० ई० की दफा १८३ के अनुसार, म्यूनििसिपल बोर्ड के उक्त हुक्म को रद्द कर दिया, और प्रान्तीय सरकार ने उस हुक्म का समर्थन किया, तो उस शास ने जिसको कि इजाजत दी गई थी, अदालत दीवानी में दावा दायर किया, और प्रार्थना की कि इस बात का इश्तिकार कर दिया जाय कि उसको मन्दिर बनवाने का अधिकार प्राप्त था। हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि ऐसा दावा नहीं दायर किया जा सकता। जिला मजिस्ट्रेट को उक्त हुक्म देने का अधिकार था और अदालत दीवानी उस हुक्म में किसी प्रकार हथ नहीं डाल सकती। ट्रेणिये, उलाकीदास बनाम सेनेटरी ऑव स्टेट वर्तमा 6 A L J 458=31 All I L R 371=1 I C 896

नोट—एक्ट नं० १ सन १९०० ई० की दफा १८३ के हुक्म, वर्तमान एक्ट वी दफा ३४ के समान थे।

दफा ३५ प्रान्तीय सरकार और कमिश्नरका अधिकार जब बोर्ड अपने किसी कर्तव्यका पालन न करे

१ यदि किसी समय कोई लिखी हुई या जवानी तरक्वास्त (Representation) के पेश किये जाने पर, या अन्य प्रकार, प्रान्तीय सरकार को यह विदित हो कि किसी शहर (City) के बोर्ड, या कमिश्नर को यह विदित हो कि शहरों की म्यूनििसिपलटी के सिवाय किसी अन्य म्यूनििसिपलटी के बोर्ड ने, किसी ऐसे कर्तव्यका पालन नहीं किया है जो इस एक्टके द्वारा या उसके अनुसार, या किसी अन्य कानूनके द्वारा या अनुसार उसके ऊपर डाला गया हो, तो प्रान्तीय सरकार या कमिश्नर को (अर्थात् जैसी कि दशा हो) अधिकार होगा, कि बोर्ड से कैफियत (Explanation) मांगने के पश्चात् और यदि बोर्ड इस दफाके अनुसार काररवाई किये जाने के विरुद्ध कोई उच्च क्रम तो उस उच्च पर विचार करने के पश्चात् लिखित हुक्म के द्वारा उस कर्तव्य के पालन करने के लिये कोई अवधि नियत कर दे।

२ यदि उस कर्तव्य का पालन ऐसी नियत की हुई अवधि के भीतर न किया जाय तो प्रान्तीय सरकार या कमिश्नर को (अर्थात् जैसी दशा हो) अधिकार होगा कि जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा करने केलिये नियत करदे, और यह आज्ञा दे कि उस कर्तव्य को पूरा करने का व्यय (यदि कुछ हो) उस अवधि के भीतर जो कि नियत

की जाय, बोर्ड उक्त जिला मजिस्ट्रेट को भटा कर दे ।

३ यदि वह व्यय इस प्रकार भटा न किया जाय, तो जिला मजिस्ट्रेटको अधिकार होगा कि प्रान्तीय सरकार या कमिश्नर की (अर्थात् जैसी कि दशा हो) मजूरी पहले से प्राप्त करके उस शख्स के नाम, जिसके कब्जेमें म्यूनिसिपल कोष हो, इस हिदायत के साथ हुक्म दे कि वह उक्त व्यय को उक्त कोष से भटा करे ।

व्याख्या—

प्रान्तीय सरकार इस दफा के अनुसार बोर्ड से कैफियत मागने का अपना अधिकार कमिश्नर को सौंप दे सकती है । कौन २ से व्यय म्यूनिसिपल कोषसे किये जानेके पश्चात् वह व्यय जिसका वर्णन दफा ३५ में है, वसूल किया जा सकता है इसका क्रम दफा १२० में दिया गया है ।

दफा ३६ आकस्मिक आवश्यकता के पड़ने पर जिला मजिस्ट्रेट के विशेष अधिकार

१ आकस्मिक आवश्यकताके पड़ने पर जिला मजिस्ट्रेट को अधिकार होगा कि किसी ऐसी तामीर (Work) को बनाने (Execution) या ऐसे कार्य के किये जाने का, प्रबन्ध करे जिसके बनाने या करने का अधिकार म्यूनिसिपल बोर्ड को प्राप्त हो, और जिसके विषय में उसकी यह राय हो कि जनता की सुरक्षता या रक्षा की दृष्टि से, उस तामीर का तुरन्त बनाया जाना या काम का किया जाना आवश्यक है, और वह यह हिदायत कर सकता है कि उस तामीर आदि के बनाये जाने या काम के कराने में जो रुपया लगे, वह बोर्ड तुरन्त भटा करे ।

२ यदि उक्त खर्चा इस प्रकार भटा न किया जाय तो जिला मजिस्ट्रेटको अधिकार होगा कि उस शख्सके नाम जिसके कब्जे में म्यूनिसिपलटी का कोष हो, इस हिदायत के साथ आज्ञादे, कि वह उक्त खर्चे को उक्त कोष में से भटा करे ।

३ जिला मजिस्ट्रेट के लिये आवश्यक होगा कि प्रत्येक मामले की, जिसमें वह इस दफाके अनुसार दिये हुये अधिकार बरतें, रिपोर्ट तुरन्त कमिश्नर को भेज दे ।

म्यूनिसिपलटी के मेम्बर

(Municipal Members)

दफा ३७ मेम्बरों को बदलाव दिये जाने की मनाही

प्रान्तीय सरकारकी मजूरी के सिवाय, बोर्डको अपने किसी मेम्बरके किसी प्रकार का बदलाव (Remuneration अर्थात् हक उल्खिदमत) देने का अधिकार न होगा ।

परन्तु शर्त यह है कि के विषयमें नहीं दी जायगी जो सेक्रेटरी नियत ।

सरकारने
दखिये

करने का अधिकार कमिश्नरों

(१८)

दफा ३८ मेम्बरों के पदकी अवधि

१ बोर्डके मेम्बरके पदकी अवधि तीन वर्षकी होगी, सिवाय उन मेम्बरों के जो इस दफाकी उपदफा (१ ए), (२), और (३) में वर्णित हैं और यह अवधि निर्वाचन या नामजदगी की तारीखसे आरम्भ होगी, या यदि निर्वाचन अथवा नामजदगी जगह खाली होने से पहले ही होगई हो, तो उस तारीख से आरम्भ होगी जब जगह खाली हो ।

(१ ए) दफा ३१ के क्लज (ई) या दफा ३१ ए के क्लज (बी) के अनुसार जब बोर्ड फिरसे बनाया गया हो तो उसके मेम्बरों के पदकी अवधि उतने समयकी होगी जितने समय कि वह मेम्बर, जिसकी जगह पर वह नियुक्त किया गया हो अपने पद पर रहने का अधिकारी होता, यदि बोर्ड भंग न किया गया होता या अलग न कर दिया गया होता ।

(२) ऐसे मेम्बरकी अवधि जो किसी पदपर होनेके कारण मेम्बर (Ex-officio-member) बनाया गया हो, (परन्तु ऐसे मेम्बरके सिवाय जो केवल चेयरमैन होने के कारण मेम्बरी के पद पर माना जाता है) उस समय तक होगी जब तक कि वह अधिकारी (Authority) जिसने उसको नामजद किया हो उसको मेम्बर रखना चाहे । और यह अवधि नामजदगी की तारीखसे आरम्भ होगी, या यदि नामजदगी जगह खाली होने से पूर्व ही कर दी गई हो, तो उस तारीखसे आरम्भ होगी, जिस तारीख पर कि जगह खाली हो ।

(३) किसी ऐसे मेम्बरके पदकी अवधि जो किसी का निर्वाचन नाजायज कर दिये जाने पर निर्वाचित ठहराया गया हो, या जो किसी ऐसी जगहके भरने के लिये निर्वाचित किया गया हो, जो किसी मेम्बरकी मृत्यु या इस्तीफा देने, या अलग कर दिये जाने के कारण, सयोगवश खाली हुई हो, उसके निर्वाचनकी तारीखसे आरम्भ होगी, और उस समय तक रहेगी जब तक कि वह शख्स, जिसका निर्वाचन नाजायज कर दिया गया हो, या वह मेम्बर जिसकी जगह भरने के लिये उसका निर्वाचन हुआ हो (अर्थात् जैसी दशा हो) सामान्य दशा में अपनी जगह पर मेम्बर रहने का अधिकारी होता, यदि उसका निर्वाचन नाजायज न कर दिया गया होता या जगह खाली न हुई होती ।

(४) परन्तु शर्त यह है कि प्रान्तीय सरकारको अधिकार होगा, कि किसी समय पर बोर्ड के सगठनके सम्बन्ध में किसी परिवर्तन को, जो दफा ९ या दफा १० के अनुसार या दफा ११ के किसी नियमके अनुसार दिये हुये किसी विज्ञापनके द्वारा किया जा सकता है कार्यरूपमें लाने के अभिप्राय से अथवा किसी ऐसे हुक्मको कार्यरूपमें लाने के अभिप्रायसे जो मेम्बरों के चारी चारी से काम करने की किसी प्रणाली को

स्थापित करने, या ऐसी प्रणाली में परिवर्तन करने के लिये, या ऐसे ही किसी अन्य अभिप्रायसे बनाया गया हो विज्ञापन द्वारा कोई तारीख नियत कर दे जिस पर कि किसी बोर्ड के सच मेम्बरों की या उनमें से कुछकी अवधि समाप्त हो जायगी, और ऐसी दशमि इन मेम्बरों के पदकी अवधि इसे प्रकार बढ़ा या घटा दी जायगी, जिससे कि वह अवधि उपरोक्त नियतकी हुई तारीख पर समाप्त हो जाय।

(५) परन्तु शर्त यह भी है कि कोई शख्स जो कि अपने पदकी अवधि समाप्त हो जाने के कारण मेम्बर न रहा हो, यदि वह अन्य प्रकार योग्यता रखता हो तो फिर से निर्वाचन या नामजदगी के योग्य समझा जायगा।

व्याख्या—

उप दफा (१ ए) म्यूनिसिपलटीज एमेन्डिंग एक्ट न० २ सन १९१९ के द्वारा उन मेम्बरों के पदकी अवधि नियत करने के लिये उठाई गई है जो किसी बोर्ड को भग कर दिये जाने या शल्ला कर दिये जाने के पश्चात् नया बोर्ड स्थापित किये जाने पर निर्वाचित या नामजद किये जाते हैं।

—उप दफा (२) में जो शब्द “एक्स ऑफिशियो मेम्बर” (Ex-officio-member) आया है उसका अभिप्राय किसी ऐसे मेम्बर से है जो किसी पद पर होने के कारण मेम्बर नामजद किया जाता है। जैसे प्राय सिविल सर्जन या हाकिम परगना (Sub-divisional) “एक्स ऑफिशियो मेम्बर” नियत किये जाया करते हैं, ऐसा शख्स अपने नामसे नहीं, वरन पदके नामसे नामजद किया जाता है, जिसके कारण, यदि उस शरसकी, जो उस पद पर हो, एक जगहसे दूसरी जगह बदली हो जाय, तो दूसरा शख्स जो उस पद पर बदलके आवेगा, वह पहले शरसकी जगह आपसे आप मेम्बर समझा जाने लगेगा।

—उपदफा (३) केवल निर्वाचित मेम्बरों पर लागू है, नामजद मेम्बरों पर नहीं। देखिये दफा १३ की व्याख्या।

उपदफा (४) दफा ९ में इस विषय में हुक्म है कि बोर्डमें साधारणत कौन मेम्बर होंगे। दफा १० में प्रान्तीय सरकार को अधिकार दिया गया है कि दफा ९ के अनुसार जो साधारण सगठन बोर्डों का होता है उसमें किसी बोर्ड के लिये परिवर्तन करदे। दफा ११ में इस विषयमें हुक्म है कि म्यूनिसिपलटी के किस बोर्डसे, कितने मेम्बर होंगे, और किन २ समुदायों के विशेष प्रतिनिधि होंगे।

उपदफा (४) का मतलब यह है कि यदि कभी प्रान्तीय सरकार उपरोक्त दफाओं के अनुसार नियत किये हुये, बोर्डके सगठनमें कोई परिवर्तन करना चाहे, तो वह आज्ञा दे सकती है कि किसी मेम्बर के या सच मेम्बरों के पदकी अवधि अमुक तारीख पर समाप्त हो जायगी, और उस तारीखसे नये परिवर्तन के अनुसार बोर्डमें मेम्बर होंगे। मान लीजिये कि एक बोर्डमें १० निर्वाचित और २ नामजद किये हुये मेम्बर हैं। जब इन मेम्बरों के पदकी अवधि एक वर्ष बँकी रह जाय, तब प्रान्तीय सरकार बोर्ड के सगठनमें यह परिवर्तन करना निश्चय करे कि आगे उसमें ९ निर्वाचित और २ नामजद मेम्बर होंगे, तो जो तारीख प्रान्तीय सरकार नियत कर देगी उस पर पुराने निर्वाचित मेम्बरों के पदकी अवधि समाप्त हो जायगी। अर्थात् पदकी अवधि समाप्त होने से उतना समय घटा दिया जायगा कि नियत तारीख पर सबकी

इसी प्रकार यदि प्रान्तीय सरकार यह निश्चय करे कि किसी समुदाय के विशेष प्रतिनिधि अलग अलग नहीं रहेंगे वरन यारी २ से, कभी एक के, कभी दूसरेके रत करेंगे, तो भी ऐसी प्रणाली के अनुसार बोर्ड का संगठन करने के लिये, प्रान्तीय सरकार किसी समय पर जिन मेम्बरों की यह चाहे, पदकी अवधि समाप्त हो जाने का हुक्म दे सकती है।

दफा ३९ मेम्बरों का इस्तीफा

१ जो मेम्बर (चेयरमैन को छोड़ के) इस्तीफा देना चाहे, वह अपना लिखा हुआ इस्तीफा चेयरमैन के द्वारा कमिश्नरको भेज सकता है।

२ जब कमिश्नरके द्वारा इस्तीफा मजूर कर लिये जानेकी सूचना बोर्डके पास पहुँच जाय, उस समयसे यह समझा जायगा कि उस मेम्बरने अपनी जगह खाली करदी।

दफा ४० मेम्बरों का अलग किया जाना

१ शहरकी म्यूनिसिपलटी में प्रान्तीय सरकार को और अन्य म्यूनिसिपलटियों में कमिश्नरको अधिकार होगा कि किसी ऐसे मेम्बरको बोर्डसे अलग करदे।-

- (प) जो लगातार तीन माससे अधिक तक बोर्डकी मीटिंगोंमें अनुपस्थित रहे और ऐसी अनुपस्थितिका कोई ऐसा कारण न पेश कर सके, जो बोर्डकी सम्मतिमें स्तोपजनक हो। या
- (बी) जो ऐसा दिवालिया हो, जो अपने ऋणकी जिम्मेदारीसे मुक्त न किया जा चुका हो। या
- (सी) जिसको किसी अदालत फौजदारीने छ माससे अधिककी कैदकी सजा दी हो, या कालेपानीका हुक्म दियाहो, या जिसको जावता फौजदारीके अनुसार नेत्र चल्नीकी जमानत देनेका हुक्म दिया गया हो, और वह सजा या हुक्म पीछेसे रद्द या माफ न कर दिया गया हो, या अपराधी को माफी न मिल गई हो। या
- (डी) जिसने, कमिश्नरकी लिखी हुई आज्ञा प्राप्त किये बिना दफा ८२ के अर्थ के अनुसार, जान बूझकर, सीधे या किसी आडमे (Directly or Indirectly) या अपने साझेदारके द्वारा, किसी ऐसे सुआहिदेमें जो बोर्डके साथ किया जाय, या जो बोर्ड करे, या जो बोर्डकी ओरसे किया जाय, या किसी ऐसे काम (Employment) में जो बोर्ड कराये, या करे, या बोर्डकी ओरसे किया जाय, कोई भाग प्राप्त कियाहो, या प्राप्त करके लेता रहा हो, या ऐसे सुआहिदे या कामसे किसी प्रकारका वास्ता कर लिया हो, या करके वास्ता जारी रखाहो।
- (ई) जिसने, दफा ८० की उपदफा (२) के क्लॉज (डी) या (ई) में बताये हुये मामलोके सिवाय कि जो ऐसे मामलेमें, जान बूझकर मेम्बरीकी हैसियतसे, काम किया हो, जिसमें वह या कोई उसका साझेदार, सीधा या किसी आडमे (Directly or Indirectly) कोई जाती वास्ता रखता हो, या

जिस मामलेमें वह किसी मवकिल, मालिक (Principal) या किसी दूसरे शख्सकी ओरसे अपने पेशेके सम्बन्धमें कोई वास्ता रखताहो। या (एफ) जो कानून पेशा शख्स होकर किसी मुकद्दमे या अन्य काररवाईमें, किसी अन्य शख्सकी ओरसे, बोर्डके विरुद्ध, या भारतमंत्री (Secretary) के विरुद्ध उस हालत में जबकि उक्त भारत मंत्री किसी ऐसी भारती नजूल के विषयमें जिसका प्रबन्ध बोर्डके जिम्मे हो, कोई मुकद्दमा लड़ रहा हो, काम करे, या वकालत करे, या जो किसी अन्य शख्सकी ओरसे किसी ऐसी फौजदारीकी काररवाईमें जो बोर्डने उसपर चलाई हो, या जो बोर्डकी ओर से उसपर चलाई गई हो, काम करे या वकालत करे।

२ कोई मेम्बर, जो उपदफा (१) के क्लज (डी), (ई), या (यफ) के अनुसार कमिश्नरके हुक्मसे, अलग कर दिया गयाहो, हुक्म पानेसे एक मासके भीतर, उस हुक्मकी अपील प्रान्तीय सरकारके पासकर सकताहै, और ऐसी अपील होने पर प्रान्तीय सरकार को अधिकार होगा कि, यदि वह उचित समझे, तो कमिश्नर के हुक्म को रद्द करदे, और मेम्बर को उसकी जगहपर बहाल करदे।

३ प्रान्तीय सरकार किसी ऐसे मेम्बरको बोर्डसे अलग कर सकती है, जिसने उसकी रायमें किसी प्रकार बोर्डकी मेम्बरीका ऐसा घोर अनुचित प्रयोग (Flagrantly abused) किया हो, कि जिसके कारण उसका आगे मेम्बर रखा जाना जनता (Public) के लाभ केलिये हानि कारक हो।

४ परन्तु शर्त यह है कि जब प्रान्तीय सरकार या कमिश्नर (अर्थात् इनमें से जिसको अधिकार हो), इस दफाके पूर्वोक्त हुक्मोंके अनुसार काररवाई करनेका विचार करे, तो जिस मेम्बरके विरुद्ध ऐसी काररवाई करनाहो, उस मेम्बरको जवाबदिही करनेका अवसर देना चाहिये, और जब किसी मेम्बरको अलगकरदिये जानेका हुक्म दिया जाय, तो यह आवश्यक होगा कि उन कारणोंको लेख बद्ध कर दिया जाय जिनके लिये वह मेम्बरीसे हटाया जाता हो।

व्याख्या—

क्लज (ए) के अनुसार मेम्बरी से हटा दिये जाने के लिये यह आवश्यक है कि मेम्बर लगातार तीन मास तक किसी मीटिंग में न गया हो, चाहे इस अवधि में कितनी ही मीटिंगें हुई हों। परन्तु केवल तीन मीटिंगों में अनुपस्थित रहने से कोई मेम्बर अलग नहीं किया जा सकता। ऐसा भ्रम इस कारण हो सकता है कि साधारणतः प्रतिमास बोर्ड की एक मीटिंग हुआ करती है। ऐसे मेम्बर को अलग करने का अधिकार कमिश्नर अथवा प्रान्तीय सरकार को दिया गया है, परन्तु यह निर्णय करने का अधिकार बोर्ड को दिया गया है कि अपनी अनुपस्थितके लिये जो जवाब अथवा कारण मेम्बर पेश करता है वह सतोष जाक है कि नहीं,। यह कुछ अमान्य सी बात है।

(मी) नेक चालनी की जमानत के लिये देखिये दफा १४ की व्याख्या।

में है उनके लिये

—जो मेम्बर क्लज (डी) की रसे गये हैं, अर्थात् दफा

दो प्रकार के दण्ड सकते हैं

दूसरे उसके ऊपर दफा १६८ तारीख हिन्दू के अनुसार मुकद्दमा भी चलाया जा सकता है। देविघो इस पृष्ठ की दफा ८२।

—क्लॉज (ई) का भाष्य यह है कि कोई शम्स मेम्बरी की हैसियत से किसी ऐसे काम में हाथ न डाल सके जिस काम के नफे या आमदनी से, स्वयं उसका कोई वास्ता हो, या जिससे उसके किसी मवकिल का वास्ता हो अथवा किसी ऐसे शास्स का वास्ता हो जिसका कि वह एजेंट हो, क्यों कि ऐसी दशा में उसका केवल अपने ही लाभ की चिन्ता हो सकती है, म्यूनिसिपल्टी के लाभ की नहीं। केवल दो हालात हैं जो दफा ८२ के क्लॉज (डी) और (ई) में वर्णित हैं जिनमें कोई शास्स क्लॉज (ई) के अनुसार अपराधी नहीं ठहराया जा सकता है अर्थात्—

१ यदि बोर्ड ने कोई कर्जा जनता से लिया हो और उस कर्ज का कोई भाग किसी मेम्बर ने भी दिया हो, तो ऐसी दशा में कोई मनाही इस विषय में नहीं है कि उस कर्ज के सम्बन्ध में ऐसा मेम्बर कोई काम न करे या कोई राय न दे। देखिये दफा ८२ का क्लॉज 'डी'।

२ यदि कोई मेम्बर बोर्ड की तरफ से वकील हो, और फीस पाता हो, तो उसके लिये इस बात की मनाही नहीं है कि वह मेम्बरी की हैसियत से उस मुकद्दमे के सम्बन्ध में कोई काम न करे अथवा राय न दे देखिये दफा ८२ का क्लॉज (ई)।

—उप दफा (१) में बहुत सी ऐसी सूक्तें यताई गई हैं जिनके कारण कमिश्नर या प्रान्तीय सरकार कितना मेम्बर को अलग कर दे सकती है। ये सब सूक्तें किसी निश्चित अपराध के लिये हैं। परन्तु उपदफा (३) किसी निश्चित अपराध के लिये नहीं है इसी से केवल प्रान्तीय सरकार को इस बात के निर्णय करने का अधिकार दिया गया है कि किसी मेम्बर का कोई काम ऐसी सीमा तक पहुँचता है कि नहीं कि क्लॉज (३) के अनुसार वह मेम्बरी से अलग किया जा सके।

दफा ४१ दफा ४० के अनुसार अलग किये हुए मेम्बरों पर लग जाने वाली अयोग्यतायें

१ जो मेम्बर उपरोक्त दफा की उप दफा (१) के क्लॉज (ए) के अनुसार अलग किया जाय, यदि अन्य प्रकार वह योग्य हो तो, फिरसे निर्वाचन के लिये योग्य समझा जायगा, और नामजद भी किया जा सकेगा।

२ जो मेम्बर उपरोक्त दफा की उप दफा (१) के क्लॉज (बी) के अनुसार अलग किया जाय, वह मेम्बरी के लिये योग्य न समझा जायगा, जब तक कि वह अपने ऋण की जिम्मेदारी से मुक्ति प्राप्त न कर ले।

३ जो मेम्बर कि उपरोक्त दफा की उप दफा (३) के अनुसार अलग किया जाय, वह अलग किये जाने की तारीख से, तीन वर्ष तक, मेम्बरी के लिये योग्य न समझा जायगा।

४ जो मेम्बर उपरोक्त दफा के अन्य किसी हुजूम के अनुसार, अलग किया जाय, वह मेम्बरी के लिये योग्य न समझा जायगा, जब तक कि उसके विषय में यह ठहरा न दिया जाय, कि अब वह मेम्बरी के लिये अयोग्य नहीं रहा, और उसके विषय में यह बात निश्चित करने का अधिकार प्रान्तीय सरकार अथवा कमिश्नर को होगा अर्थात् इन दोनों में से जिसने उसके अलग किये जाने का हुक्म दिया हो।

दफा ४२ 'म्यूनिसिपल कमिश्नर' शब्द का बोर्डके किसी मेम्बरके लिये काम में लाया जाना

"म्यूनिसिपल कमिश्नर" शब्द में, जहां कहीं वह किसी ऐसे कानून में आए, जिसका विस्तार सयुक्त प्रान्त में हो, शामिल होगा, बोर्ड का कोई मेम्बर, जो इस एक्ट के अनुसार नामजद या निर्वाचित किया गया हो।

नोट—ताजीरात हिन्द की दफा-२१ (१०) के अनुसार प्रत्येक म्यूनिसिपल कमिश्नर "सार्वजनिक नौकर" (Public Servant) होता है।

चेयरमैन तथा वार्ड्स चेयरमैन

दफा ४३ चेयरमैन का निर्वाचन या नामजदगी

१ जब कभी चेयरमैन की जगह खाली होनेके कारण, या इस कारण कि उसकी जगह खाली होने वाली हो, या अन्य किसी कारणसे, चेयरमैनके नियुक्त किये जानेकी आवश्यकता हो, तो बोर्ड अपने मेम्बरोमें से किसीको, या किसी ऐसे शख्सको जो मेम्बर चुने जाने की योग्यता रखता हो, विशेष रेजोल्यूशन (Special resolution) के द्वारा चेयरमैन चुन लेगा। परन्तु शर्त यह है कि, सरकारी खजान्चीके सिवाय, कोई शख्स जो वेतन पानेवाला सरकारी नौकर हो, चेयरमैन नहीं चुना जासकेगा।

२ उस दशामें जबकि कोई नई म्यूनिसिपलटी स्थापित की गई हो चेयरमैनकी खाली जगह बोर्डके बनजाने से दस दिनके भीतर, और अन्य म्यूनिसिपलटियोंमें जगह खाली होनेसे दस दिनके भीतर भरदी जाना चाहिये और यदि जगह सयोगश खाली हुई हो, तो जगह खाली होनेसे १५ दिनके भीतर, भरदी जाना चाहिये।

३ परन्तु शर्त यह है कि प्रान्तीय सरकारको अधिकार होगा कि विज्ञापनके द्वारा प्रकाशित करदे कि इस दफाके पूर्वाक्त हुक्म किसी एक, या एक से अधिक, म्यूनिसिपलटियों पर लागू न होंगे, और ऐसी दशामें प्रान्तीय सरकार स्वयं किसी ऐसे शख्सको जिसको वह योग्य समझे चेयरमैन नामजद करदेगी। परन्तु किसी ऐसी म्यूनिसिपलटी के विषयमें, जिसमें कि दफा ५७ के अनुसार, प्रान्तीय सरकारकी मंजूरी द्वारा, बोर्डने एग्जिक्यूटिव अफसर (Executive officer) रखा हो, या जिसमें दफा ६५ के अनुसार एग्जिक्यूटिव अफसर नियुक्त किया गया हो, कोई ऐसा विज्ञापन छ. माससे अधिक के लिये नहीं दिया जायगा, न छ माससे अधिक वह प्रचलित रहेगा।

भावार्थ—(Explanation) "वेतन पाने वाला सरकारी नौकर" (Salaried (Servant of Government) शब्दोंमें शामिल होगा कोई शख्स जो सरकारसे वेतन पाता हो, चाहे वह अपना पूरा समय देनेका सरकारी नौकर न हो परन्तु उन शब्दोंमें कोई ऐसा शख्स जिसको कि पेंशन मिलती हो शामिल न समझा जायगा।

व्याख्या—

"विशेष रेजोल्यूशन" के लिये देखिये इस एक्टकी दफा ८८।

—चेयरमैन के निर्वाचन के सम्बन्धमें यह समस्या उत्पन्न होती है कि नये मेम्बरों का निर्वाचन हो जाने पर, जत्र बोर्ड की मीटिंग नया चेयरमैन चुनने के लिये बैठे, तो पुराना चेयरमैन उस मीटिंग का सभापति हो सकता है कि नहीं, और अपना वोट नये चेयरमैन के निर्वाचन के लिये दे सकता है कि नहीं ? एक्ट में हम विषयमें कोई स्पष्ट आज्ञा नहीं है ।

यदि यह बात मानी जाय कि चेयरमैन के पदकी अवधि भी मेम्बरों के पदकी अवधि के साथ ही समाप्त हो जाती है, तो कुछ कठिनाइया सामने आती हैं। जैसे यह कि नये चेयरमैन के चुनावके लिये जो मीटिंग जोड़ी जाय उसमें एक सभापति का होना आवश्यक है, क्योंकि बिना सभापति के कोई मीटिंग नहीं होती। मान लीजिये कि किसी बोर्ड में मेम्बरों की सम संख्या है, और ऐसी मीटिंग के सभापति के चुनने में आधे २ मेम्बरों की राय अलग रहे, तो ऐसी दशा में क्या किया जायगा ? फिर यह कि एक्टमें केवल चेयरमैन को मीटिंग जोड़ने का अधिकार दिया गया है। देखिये दफा ५१ और दफा ८६ की उप दफा (२)। यदि पुराना चेयरमैन नये चेयरमैन के निर्वाचन के लिये, अपने पदके समाप्त होने की तारीखसे पूर्वही, मीटिंग का नोटिस जारी न कराये, या न करा सके, तो यह कठिनाई सामने आती है कि मीटिंग जोड़ने का अधिकार कौन करते ? इसी प्रकार के अनेक विचारों से यह उचित जान पड़ता है कि चेयरमैन के पदकी अवधि समाप्त हो जाने पर भी ऐसी कठिनाइया बचाने के लिये, यही माना जाना उचित है कि पुराने चेयरमैन के कार्यनिर्वाहक अधिकार (Executive Functions) उस समय तक बने रहते हैं जब तक कि नये चेयरमैन का निर्वाचन न हो जाय ।

मद्रास हाईकोर्ट के सामने एक ऐसा ही प्रश्न 'तभल्लक' बोर्ड के चेयरमैन के विषय में हाल में पेश हुआ। उक्त हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि 'तभल्लक' बोर्ड के सब मेम्बरों का पद की अवधि उस दिन समाप्त हो जाती है जत्र प्रान्तीय सरकार विज्ञापन द्वारा एक्ट के अनुसार नियत कर दे। किन्तु बोर्ड का काम चलाने के लिये पुराना सभापति (President) अपने पद पर उस समय तक रहेगा और उसके कार्य निर्वाहक अधिकार उस समय तक रहेंगे जब तक कि नया सभापति न चुन लिया जाय। देखिये सी० के० रामास्वामी गौडन बनाम मुत्तू वेलाप्पा गौडन 1923 All I R (Mad) 192

मद्रास की नजीर, ऐसे उसूल पर अवलम्बित है कि यह आदात की जा सकती है कि यदि कोई ऐसा मामला हमारे हाईकोर्ट के सामने पेश होगा तो भी फंसला इस उसूल से भिन्न न होगा। ताराश यह कि यही बात निर्णय होती है कि चेयरमैन के कार्यनिर्वाहक अधिकार उस समय तक रहते हैं जब तक कि नया चेयरमैन चुना न जाय। और ऐसे कार्य निर्वाहक अधिकारों के द्वारा पुराना चेयरमैन, नये चेयरमैन के निर्वाचन के लिये मीटिंग कर सकता है, उस मीटिंग का सभापति हो सकता है, और ऐसी मीटिंग में यदि किसी दो शाखों के लिये बराबर २ वोट आये, तो पुराना चेयरमैन अपना कास्टिंग वोट (Casting) भी दे सकता है, क्योंकि ऐसी दशा में कास्टिंग वोट का देना एक कार्य निर्वाहक अधिकार अन्वय होगा। परन्तु यदि वोट बराबर न हों, तो पुराने चेयरमैन को अपना वोट किसी उम्मेदवार के पक्ष में देना चाहिये, क्योंकि कार्य के निर्वाह के लिये ऐसी दशा में चेयरमैन का वोट आवश्यक न होगा।

—कोई सरकारी नौकर जो चेतना पाता है चेयरमैन नहीं हो सकता, परन्तु बोर्ड का मेम्बर होने के लिये केवल कुछ विशेष सरकारी नौकरों के लिये मनाई है, देखिये दफा १६ (ई)।

दफा ४४ बोर्डके द्वारा चेयरमैन न चुने जानेकी दशमं काररवाई

यदि कोई बोर्ड पूर्वोक्त दफा में बताई हुई विधि के अनुसार चेयरमैन न चुन लेता तो, यदि वह बोर्ड शहर की म्यूनिसिपलटी का हो, प्रान्तीय सरकार, और अन्य दशमं में, कमिश्नर, एक चेयरमैन नामजद कर देगा।

व्याख्या—

चेयरमैन की नामजदगी या तो किसी शख्स के निजी नाम से की जा सकती है, या पद के नाम से। यदि नामजदगी पद के नाम से की गई हो, जैसे "अमुक जगहका हाकिम पराको" तो जो शख्स उस पद पर किसी समय होगा, वही चेयरमैन माना जायगा। इसके विपरीत यदि नामजदगी किसी अफसर के निजी नाम से की जाय, तो यदि कोई दूसरा शख्स बदल के उस पद पर आये तो वह चेयरमैन नहीं होगा, जब तक कि उसकी नामजदगी फिर से न की जाय।

दफा ४५ चेयरमैनके पदपर दूसरीवार चुनेजाने या नामजद किये जानेकी योग्यता

१ पद खाली करने वाला चेयरमैन, यदि वह अन्य प्रकार योग्यता रखता हो चेयरमैनके लिये फिरसे निर्वाचित या नामजद, किया जासकता है।

२ परन्तु शर्त यह है कि कोई शख्स चेयरमैनके पदकी दो अवधिसे अधिक, प्रान्तीय सरकारकी मजूरी के किसी शहरका, और बिना कमिश्नरकी मजूरीके अन्य म्यूनिसिपलटीका, चेयरमैन निर्वाचित न किया जासकेगा।

दफा ४६ चेयरमैनके पद की अवधि

१ किसी ऐसे चेयरमैनके पदकी अवधि, सिवाय एक्स-आफिशियो चेयरमैन (अर्थात् जो किसी पदपर होनेके कारण चेयरमैन बनाया गया हो) जो अपने निर्वाचन या नामजदगी की तारीख पर बोर्डका मेम्बर हो, उतनी होगी जितना समय उसकी मेम्बरीकी अवधिमें शेष रह गया हो।

२ किसी ऐसे चेयरमैनके पदकी अवधि (सिवाय एक्स-आफिशियो चेयरमैन) जो अपने निर्वाचन या नामजदगी की तारीख पर बोर्डका मेम्बर नहीं है—

(ए) तीन वर्षकी होगी, सिवाय उन दशाओंके जो (बी), (सी) (५) कलाजोमें वर्णित है।

(बी) उस दशामे जबकि बोर्डें अलग कर दिया जाय, (Superseded) उस तारीख तक होगी, जिसपर कि बोर्डें अलग कर दिया जाय।

(सी) उस दशामे जबकि दफा ३० के अनुसार दिये हुये हुक्मके द्वारा, दफा ३८ की उपदफा (४) के अनुसार दिये हुये विज्ञापनके द्वारा, भंग (Dissolve) कर दिया जाय, उस तारीख तक होगी जिस कि बोर्डें भंग कर दिया जाय।

(डी) उस दशामे जबकि दफा ४४ के अनुसार वह किसी चेयरमैनी

संयोगवश खाली हुई जगह भरनेके लिये, नामजद किया गया हो, उस समय तक होगी, जितना समय कि उस शख्सकी अवधिमें शेष हो, जिसकी जगह भरनेके लिये वह नामजद किया गया है।

३ किसी एक्स-आफिशियो (Ex-officio अर्थात् ऐसा शख्स जो किसी पद पर होनेके कारण चेयरमैन बनाया गया हो) चेयरमैनके पदकी अवधि उस समय तक रहेगी, जब तक वह अधिकारी (Authority), जिसने कि उसको नामजद किया हो, उसको मेम्बर रखना चाहे।

४ परन्तु शर्त यह है कि उस दशामे, जब कि दफा ४३ की उपदफा (३) के अनुसार दिया हुआ विज्ञापन प्रभावित न रहे, और बोर्डको अपना चेयरमैन चुननेका अधिकार प्राप्त होजाय, तो वह चेयरमैन जो उक्त उपदफाके अनुसार प्रान्तीय सरकारके द्वारा नामजद किये जानेके कारण, चेयरमैनके पद पर था, उस तारीखसे चेयरमैनीके पदपर न समझा जायगा, जिस तारीखपर कि बोर्ड अपना चेयरमैन निर्वाचित करले।

व्याख्या—

तीन प्रकार के चेयरमैन हो सकते हैं, अर्थात् —

१ "एक्स आफिशियो चेयरमैन—(Ex officio Chairman) ऐसा चेयरमैन उतने समय तक चेयरमैनी के पद पर रहेगा जब तक कि वह अधिकारी चाहे, जिसने नामजद किया हो। परन्तु नामजदगी ऐसे चेयरमैन की भी तीन वर्ष के लिये ही की जाती है।

२ "चेयरमैन जो बोर्ड का मेम्बर भी हो"—ऐसा चेयरमैन उस समय तक पद पर रहेगा जब तक कि उसकी मेम्बरी के पद की अवधि बरकी रहे, अर्थात् ऐसे चेयरमैन के पद की अवधि सच मेम्बरों के पद की अवधि के संग समाप्त होगी।

३ "चेयरमैन जो बोर्ड का मेम्बर न हो"—(४) ऐसा चेयरमैन तीन वर्ष के लिये निर्वाचित होगा। उसके पद की अवधि, अन्य मेम्बरों के पद की अवधि के संग समाप्त न होगी, परन्तु उस तारीख पर समाप्त होगी जिस तारीख पर कि उसको चेयरमैनी करते पुरे तीन वर्ष हो जाय। (५) यदि कोई श्रीचही में अलगकर दिया जाय तो स्पष्टतः उसके चेयरमैनीकी अवधि भी बोर्डके संग समाप्त हो जायगी। (६) यदि बोर्ड दफा ३० के अनुसार भंग कर दिया जाय, तो भी ऐसे चेयरमैनके पद की अवधि बोर्ड भंग किये जानेकी तारीखसे समाप्त हो जायगी। और यदि बोर्ड के सगठनमें कोई परिवर्तन दफा ३८ की उपदफा (४) के अनुसार किया जाय और सच मेम्बरों के पद की अवधि, किसी तारीखपर, प्रान्तीय सरकारके हुकमसे समाप्त हो जाय, तो ऐसे चेयरमैनके पद की अवधिभी समाप्त हो जायगी। (७) यदि कभी श्रीच में, संयोगवश किसी चेयरमैनका पद खाली हो जाय, जैसे जब कोई चेयरमैन एक वर्ष चेयरमैनी करने के पश्चात् मर जाय, और बाँध उसकी जगह दूसरा चेयरमैन, १५ दिन के भीतर दफा ४३ की उपदफा (२) के अनुसार नियोजित न करे और प्रान्तीय सरकार अपना कामभर को दफा ४४ के अनुसार चेयरमैन नामजद करना पड़े तो ऐसा चेयरमैन बेचुन रहने ही समय के लिये नामजद होगा जितना समय कि मृत चेयरमैन की अवधि में बारी रह गया हो।

दफा ४४ बोर्डके द्वारा चेयरमैन न चुने जानेकी दशामें काररवाई

यदि कोई बोर्ड पूर्वोक्त दफा में बताई हुई विधि के अनुसार चेयरमैन न चुन लेता तो, यदि वह बोर्ड शहर की म्यूनिसिपलटी का हो, प्रान्तीय सरकार, और अन्य दशामें में, कमिश्नर, एक चेयरमैन नामजद कर देगा।

व्याख्या—

चेयरमैन की नामजदगी या तो किसी शरत के निजी नाम से की जा सकती है, या पद के नाम से। यदि नामजदगी पद के नाम से की गई हो, जैसे "अमुक जगहका हाकिम परतला तो जो शरत उस पद पर किसी समय होगा, वही चेयरमैन माना जायगा। इसके विपरीत यदि नामजदगी किसी अफसर के निजी नाम से की जाय, तो यदि कोई दूसरा शरत बदल के उस पद पर आये तो वह चेयरमैन नहीं होगा, जब तक कि उसकी नामजदगी फिर से न की जाय।

दफा ४५ चेयरमैनके पदपर दूसरीवार चुनेजाने या नामजद किये जानेकी योग्यता

१ पद खाली करने वाला चेयरमैन, यदि वह अन्य प्रकार योग्यता रखता है चेयरमैनकी लिये फिरसे निर्वाचित या नामजद, किया जासकता है।

२ परन्तु शर्त यह है कि कोई शरत चेयरमैनकी पदकी दो अवधिसे अधिक, प्रान्तीय सरकारकी मजूरी के किसी शहरका, और बिना कमिश्नरकी मजूरीके अन्य म्यूनिसिपलटीका, चेयरमैन निर्वाचित न किया जासकेगा।

दफा ४६ चेयरमैनके पद की अवधि

१ किसी ऐसे चेयरमैनके पदकी अवधि, सिवाय एक्स-आफिशियो (अर्थात् जो किसी पदपर होनेके कारण चेयरमैन बनाया गया हो) जो अपने चयन या नामजदगी की तारीख पर बोर्डका मेम्बर हो, उतनी होगी जितना समय उसकी मेम्बरीकी अवधिमें शेष रह गया हो।

२ किसी ऐसे चेयरमैनके पदकी अवधि (सिवाय एक्स-आफिशियो चेयरमैन) जो अपने निर्वाचन या नामजदगी की तारीख पर बोर्डका मेम्बर नहीं है—

(ए) तीन वर्षकी होगी, सिवाय उन दशाओंके जो (बी), (सी) (डी) क्लाजमें वर्णित हैं।

(बी) उस दशामें जबकि बोर्ड अलग कर दिया जाय, (Superseded) उस तारीख तक होगी, जिसपर कि बोर्ड अलग कर दिया जाय।

(सी) उस दशामें जबकि दफा ३० के अनुसार दिये हुये हुक्मके द्वारा दफा ३८ की उपदफा (५) के अनुसार दिये हुये विघापनके भंग (Dissolve) कर दिया जाय, उस तारीख तक होगी जिस कि बोर्ड भंग कर दिया जाय।

(डी) उस दशामें जबकि दफा ४४ के अनुसार वह किसी चेयरमैन

संयोगवश खाली हुई जगह भरनेके लिये, नामजद किया गया हो, उस समय तक होगी, जितना समय कि उस शख्सकी अवधिमें शेष हो, जिसकी जगह भरनेके लिये वह नामजद किया गया है।

३ किसी एक्स-आफिशियो (Ex officio अर्थात् ऐसा शख्स जो किसी पद पर होनेके कारण चेयरमैन बनाया गया हो) चेयरमैनके पदकी अवधि उस समय तक रहेगी, जब तक वह अधिकारी (Authority), जिसने कि उसको नामजद किया हो, उसको मेम्बर रचना चाहे।

४ परन्तु शर्त यह है कि उस दशामें, जब कि दफा ४३ की उपदफा (३) के अनुसार दिया हुआ विज्ञापन प्रभावित न रहे, और बोर्डको अपना चेयरमैन चुननेका अधिकार प्राप्त होजाय, तो वह चेयरमैन जो उक्त उपदफाके अनुसार प्रान्तीय सरकारके द्वारा नामजद किये जानेके कारण, चेयरमैनके पद पर था, उस तारीखसे चेयरमैनके पदपर न समझा जायगा, जिस तारीखपर कि बोर्ड अपना चेयरमैन निर्वाचित करले।

व्याख्या—

तीन प्रकार के चेयरमैन हो सकते हैं, अर्थात् —

१ “एक्स आफिशियो चेयरमैन—(Ex officio Chairman) ऐसा चेयरमैन उतने समय क चेयरमैनी के पद पर रहेगा जब तक कि वह अधिकारी चाहे, जिसने नामजद किया हो। रन्तु नामजदगी ऐसे चेयरमैन की भी तीन वर्ष के लिये ही की जाती है।

२ “चेयरमैन जो बोर्ड का मेम्बर भी हो”—ऐसा चेयरमैन उस समय तक पद पर रहेगा जब तक कि उसकी मेम्बरी के पद की अवधि बाकी रहे, अर्थात् ऐसे चेयरमैन के पद की अवधि जब मेम्बरों के पद की अवधि के सग समाप्त होगी।

३ “चेयरमैन जो बोर्ड का मेम्बर न हो”—(५) ऐसा चेयरमैन तीन वर्ष के लिये निर्वाचित होगा। उसके पद की अवधि, अन्य मेम्बरों के पद की अवधि के सग समाप्त होगी, धरन उस तारीख पर समाप्त होगी जिस तारीख पर कि उसको चेयरमैनी करते पुरे तीन वर्ष हो जाय। (६) यदि कोई चीजही में अलगकर दिया जाय तो स्पष्टतः उसके चेयरमैनीकी अवधि भी बोर्डके सग समाप्त हो जायगी। (७) यदि बोर्ड दफा ३० के अनुसार भग कर दिया जाय, तो भी ऐसे चेयरमैनके पद की अवधि बोर्ड भंग किये जानेकी तारीखसे समाप्त हो जायगी। और यदि बोर्ड के सगठनमें कोई परिवर्तन दफा ३८ की उपदफा (४) के अनुसार किया जाय और सग मेम्बरों के पद की अवधि, किसी तारीखपर, प्रान्तीय सरकारके हुक्मने समाप्त हो जाय, तो ऐसे चेयरमैनके पद की अवधिभी समाप्तहो जायगी। (८) यदि कभी बीच में, संयोगवश किसी चेयरमैनका पद खाली हो जाय, जैसे जब कोई चेयरमैन, एक वर्ष चेयरमैनी करने के पश्चात् मर जाय, और बोर्ड उसकी जगह दूसरा चेयरमैन, १५ दिन के भीतर दफा ४३ की उपदफा (२) के अनुसार निर्वाचित न करे और प्रान्तीय सरकार अथवा कमिश्नर को दफा ४४ के अनुसार चेयरमैन नामजद करता पड़े तो ऐसा चेयरमैन के उक्त उतने ही समय के लिये नामजद होगा जितना समय कि मृत चेयरमैन की अवधि में बाकी रह गया हो।

दफा ४७ चेयरमैन का इस्तीफा

१ यदि बोर्ड का कोई चेयरमैन इस्तीफा देना चाहे तो लिखा हुआ इस्तीफा ज़िला मजिस्ट्रेट के द्वारा—

(ग) शहरके बोर्ड का चेयरमैन होने की दशामें, प्रान्तीय सरकार को भेजे । और

(घी) अन्य किसी बोर्ड का चेयरमैन होने की दशा में कमिन्तर को भेजे ।

२ जब बोर्ड को यह सूचना मिल जाय कि प्रान्तीय सरकार अथवा कमिन्तर (अर्थात् दोनों में से जिसको भेजा गया हो) इस्तीफा मजूर कर लिया है उस यह माना जायगा कि उक्त चेयरमैन ने अपना पद खाली कर दिया ।

दफा ४८ चेयरमैनका अलग किया जाना

१ कोई चेयरमैन जिसके विषय में दफा ४० के अनुसार यह हुक्म होगया हो तो वह बोर्ड की मेम्बरी से हटा दिया जाय, ऐसे हुक्म के हो जाने पर चेयरमैन न रहेगा ।

२ प्रान्तीय सरकार को अधिकार होगा कि किसी चेयरमैन को, काम में स्वार्थिक उपेक्षा-प्रकट करने के कारण, चेयरमैनी के पद से अलग कर दे ।

३ परन्तु शर्त यह है कि जब प्रान्तीय सरकार उप दफा (२) के अनुसार कर्तव्य वाई करने का विचार करे तो उस चेयरमैन को अवसर दे कि वह अपने उस भाग्य जिसके कारण उसको अलग करने का विचार हो, के विषय में जो जवाबदेही चाहे, करे, और यदि प्रान्तीय सरकार ऐसे चेयरमैन को अलग करने का हुक्म दे उस हुक्म के कारणों को लेख-बद्ध करे ।

दफा ४९ चेयरमैनका सर्वथा बोर्ड का मेम्बर माने जानेके में हुक्म

उस दशामें जब कि किसी बोर्ड का चेयरमैन बोर्डका मेम्बर न हो तो वह बोर्ड के पद पर होने की हैसियत से (Ex-officio) उस समय तक मेम्बर माना जाय तक कि वह चेयरमैन रहेगा ।

नोट—देखिये दफा ९ (१) (बी) और दफा १० (१) (सी) ।

दफा ५० बोर्डके काम जिनका करना बोर्डका कर्तव्य है

बोर्ड के निम्नलिखित इस्तराफोंको चेयरमैन बरत सकता है, और निम्नलिखित कर्तव्यों और कामों का पालन करने और निर्वाह करने का भार चेयरमैन पर अन्य किसी प्रकारसे वे नहीं बरतें या नहीं किये जायेंगे:—

(ग) वह अख्तियार जो दफा ७०, ७५, ७६ के द्वारा, बोर्ड के कर्मचारियों को नियुक्त करने, दण्ड देने और डिस्मिस् करने (निकाल देने) के विषय में चेयरमैन को दिये गये हैं ।

- (बी) जो रेग्युलेशन (Regulation) इस विषय में हों उनके अनुसार, उन प्रश्नों का तय करना, जो बोर्डके कर्मचारियों की नौकरी, छुट्टी (स्ख-सत), विशेष अधिकारों (Privileges), और भत्ते (Allowances) के विषय में उत्पन्न हों ।
- (सी) दफा ३२ के अनुसार कमिश्नर और जिला मजिस्ट्रेट की सेवा में कैफियत (Statements), हिसाब, रिपोर्ट, या कागजों की नकलें का भेजना, और दफा ९४ के क्लॉज (४) और (५) और दफा १०८ की उप दफा (१) के अनुसार, बोर्ड या बोर्ड की किसी कमिटी, के द्वारा पास किये हुये प्रस्तावों (Resolution) की नकलें भेजना ।
- (डी) शिड्डिवूल न० १ के खाने (कालम Column) न० ३ में बताये हुये अधिकारों, कर्तव्यों, और कामों, में से वह, जो दफा ११२ के अनुसार बोर्ड ने चेयरमैन को सौंप दिये हो ।
- (ई) बोर्ड के अन्य सब कर्तव्य, अख्तियार, और काम, सिवाय उनके—
- १ जो कि एग्जिक्युटिव अफसर (जहा कही एग्जिक्युटिव अफसर हो) दफा ६० के द्वारा दिये गये हो ।
 - २ जो कि शिड्डिवूल न० १ के खाना न० २ में बताये गये हैं ।
 - ३ जो कि दफा ११२ के अनुसार बोर्डने किसी और को सौंप दिये हों ।

ब्याख्या—

म्यूनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन को कानून ने विस्तृत अधिकार दिये हैं । इस दफा के क्लॉज (ई) के अनुसार, कुछ विशेष अधिकारों को छोड़ के, चेयरमैन बोर्ड के सारे अख्तियारों को धरत सकता है ।

—चेयरमैन अपने कोई अधिकार दफा ५३ के अनुसार चाईसचयरमैनको सौंप सकता है, और दफा ५३ ए के अनुसार अपने अधिकार म्यूनिसिपल कर्मचारियों को सौंप सकता है ।

दफा ५१ चेयरमैन के अन्य कर्तव्य

चेयरमैन का यह भी कर्तव्य होगा कि—

- (ए) यदि किसी उचित कारण से वह अस्मर्थ न हो, तो बोर्डकी सब मीटिंगों को जोड़े (Convene) और उनका सभापति हो, और जो रेग्युलेशन (Regulation) कि इस विषय में बनाये गये हों, उनके अनुसार मीटिंगों के काम काज को अपनी अध्यक्षता में चलाये ।
- (बी) बोर्ड के शासन के आर्थिक विभाग (Financial Administration) पर दृष्टि रखे, और कार्यनिर्वाहक विभाग (Executive Administration) की टेन्ट रंग करे और उनमें जो दोष हो उनकी ओर बोर्ड का ध्यान भाकार्थित करे ।

(सी) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जिनके करने का हुक्म, इस एक्ट में उसको दिया गया है, या जिनके करने का भार इस एक्ट के द्वारा उस पर डाला गया है।

दफा ५२ चेयरमैनसे रिपोर्ट इत्यादि मांगनेका बोर्डका अधिकार

१ बोर्ड का अधिकार होगा कि चेयरमैन से:—

(ए) किसी ऐसे मामलेका कोई नकशा (Return), कैफियत (Statement) तख्मीना (Estimate) जनताकी स्थिति निर्णय करने के लिये किसी प्रकारकी सख्यायें (Statistics), या कोई अन्य सूचना, जो म्यूनिसिपलटी के शासनसे सम्बन्ध रखती हो, मांगे।

(बी) उक्त विषयों के सम्बन्धमें कोई रिपोर्ट या जवाब (Explanation) मांगे।

(सी) किसी ऐसी मिसिल, पत्र व्यवहार, या खाका (Plan) या अन्य कागजकी नकल, जो चेयरमैनकी हैसियतसे उसके कब्जे या अधिकार में हो, या जो उसके दफ्तर में या म्यूनिसिपलटी के किसी कर्मचारी के दफ्तर में, लिखे हुये हों, या दाखिल हो मांगे।

२ चेयरमैनको प्रत्येक दरखास्तकी जो उपदफा (१) के अनुसारकी जाय, तामील बिना अनुचित विलम्ब किये, कर देना आवश्यक होगा।

३ चाहे इस दफाके उपरोक्त क्लॉजों की आज्ञाओं में, या अन्य किसी कानूनमें कोई बात इसके विपरीत हो, बोर्ड को अधिकार होगा कि उन शर्तों और बन्धनों के आधीन जो कि रेग्युलेशनों में नियमित कर दिये जायें, ऐसे रेग्युलेशन (Regulation) बना दे कि जिनके द्वारा मेम्बरो को बोर्डकी मीटिंग में प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हो।

व्याख्या—

यद्यपि म्यूनिसिपलटीज एक्टमें चेयरमैन को विस्तृत अधिकार दिये गये हैं, तथापि, म्यूनिसिपलटीके शासन सम्बन्धी विषयों में, उसको एक मात्र स्वतंत्र नहीं रखा गया है। इस दफाके अनुसार बोर्ड को अधिकार दिया गया है कि चेयरमैनसे जिस विषयमें चाहे रिपोर्ट या जवाब मांगे, या किसी कागज, नकशा, नकल, कैफियत इत्यादि, के विषयमें आज्ञा दे कि चेयरमैन उसको बोर्ड के सामने पेश करे। चेयरमैन का कर्तव्य होगा, कि जितनी शीघ्रतासे सम्भव हो, वह बोर्ड की ऐसी आज्ञा का पालन करे। तत्पश्चात् बोर्ड ऐसे किसी विषयमें प्रस्ताव (Resolution) के द्वारा अपनी सम्मति दे सकता है, या चेयरमैन के किसी कामकी, या उसके किसी भूलकी निन्दा कर सकता है, या उस पर अपनी अप्रसन्नता या अविश्वास प्रकट कर सकता है।

उप दफा (३) के द्वारा, हमी के समान, एक अधिकार मेम्बरों को दिया गया है। जिस विषयमें मेम्बर कोई सूचना चाहे, या म्यूनिसिपलटी के संचालनके सम्बन्ध में जिस मामले पर उस को कोई शका या सन्देह हो, उसके विषयमें वह मीटिंग में प्रश्न करके उत्तर मांगे, तो चेयरमैन का यह कर्तव्य होगा कि उस प्रश्न का उत्तर या जो स्वयं दे या उस कर्मचारी से दिलिये जिसके हाथमें यह काम हो जिसके कि सम्बन्ध में ऐसा प्रश्न पूछा गया हो। ऐसे प्रश्नों के लिये बोर्ड रेग्युलेशन

घना सकता है। इस विषयमें 'मूने के रेग्युलेशन (Model Regulation) भी बना दिये गये हैं जिनमें से कुछ का सारांश नीचे दिया जाता है, —

मीटिंगसे कमसे कम एक सप्ताह पूर्व मेम्बर को ऐसा प्रश्न लिखके सेक्रेटरी के पास भेज देना चाहिये। सेक्रेटरी ऐसे प्रश्न को चेयरमैन के सामने पेश कर देगा। चेयरमैन बोर्ड के किसी अफसर को, या किसी कमेटी के चेयरमैन को ऐसे प्रश्न का उत्तर तैयार करने का आज्ञा दे सकता है। ऐसा प्रश्न तार्किक (Argumentative) नहीं होता चाहिये। किसी बातको पहिले ही से, बिना प्रमाण, मान लेकर, उसी के आधार पर कोई प्रश्न (Hypothetical) नहीं पूछना चाहिये। और ऐसे किसी सवालसे किसी व्यक्ति की, या समाजके किसी भागकी, निन्दा (बदनामी, हतुक) नहीं होना चाहिये। तात्पर्य यह है कि प्रश्न का केवल किसी सूचना के मागने के उद्देश सेही पूछना उचित है। यदि उपरोक्त कोई दोष प्रश्नमें पाया जाय तो चेयरमैन उसको ना मजूर कर सकता है। मीटिंग में चेयरमैन स्वयं, या कोई अफसर, या किसी कमेटी का चेयरमैन उस प्रश्न का उत्तर पढ देगा। ऐसे प्रश्न और उनके उत्तर, भी मीटिंग की काररवाईके भाग समझे जायेंगे, और मीटिंग की काररवाई के सग प्रकाशित किये जायेंगे। जो मेम्बर प्रश्न करे वह, उसका उत्तर पढ जाने से पूर्व, प्रश्नको वापिसले सकता है। यदि वह मेम्बर मीटिंगमें उपस्थित न हो तो चेयरमैन किसी और मेम्बर को उस प्रश्नके करने की, और उसका उत्तर पढ दिये जाने की आज्ञा दे सकता है।

नोट—(यह नमूने के रेग्युलेशन ग्युनिसिपल मेयुअलके पन्ना ४९८ पर दिये हुये हैं। यदि कोई बोर्ड चाहे तो इनमें कोई परिवर्तन कर सकता है।)

—बोर्ड को एक्जिक्युटिव अफसर तथा कमेटियों पर जो अधिकार दिये गये हैं उनके लिये देखिये दफायें ६३ और १०९।

—मेम्बरों को जो अधिकार मुआइना (आच) के सम्यन्धमें दिये गये हैं उनके लिये देखिये दफा ३३२।

दफा ५३ चेयरमैनका अपने अधिकारों और कर्तव्योंका किसी वाइस-चेयरमैनको सौंप देना

१ चेयरमैन, साधारण या विशेष आज्ञा के द्वारा किसी वाइस-चेयरमैन को अधिकार दे सकता है कि वह चेयरमैन की आधीनता (Control) में, उसके अधिकारों कर्तव्यों और नामों में से किसी एक या एक से अधिक को बरते, खिन्नाय उनके जो दफा ५१ के क्लॉज (ए) और (बी) में दिये गये हैं।

२ इस दफा की उपदफा (१) के अनुसार दी हुई आज्ञा के सङ्ग, चेयरमैन किसी अधिकार के बरतने, या कर्तव्यके पालन करने, या किसी कामके करनेके विषय में जो शर्त चाहे नियमित कर सकता है या बन्धेज लगा सकता है।

३ विशेष कर किसी आज्ञा के सङ्ग यह शर्त लगाई जा सकती है कि उपदफा (१) के द्वारा दिये हुये किसी अधिकार को बरतते हुये जो हुकम वाइस-चेयरमैन दे, यदि एक निर्दिष्ट समयके भीतर, उसकी अपील चेयरमैनके सामनेकी जाय तो चेयरमैन को ऐसे हुकम के रद्द कर देनेका या उसकी निगपनी (Revision) करनेका अधिकार होगा।

व्याख्या—

उपदफा (१) में शब्द "साधारण या विशेष आज्ञा" जो आये हैं, उनमें यह भेद है, कि किसी शासक को साधारण आज्ञा देदी जाने पर, किसी एक प्रकारके प्रत्येक मामलेमें, उस आज्ञाके बल पर, अपनी इच्छासे काम करनेका अधिकार प्राप्त हो जाता है। परन्तु विशेष आज्ञा केवल किसी एक कामके लिये दी जाती है। इसके सम्बन्धमें देखिये दफा ३१४ की व्याख्यामें वर्णित क्रिया हुआ मामला एम जे पोव्ल बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड, संसूरी 22 1 L R 123. F B (फुल्लेव)

—चेयरमैन जिस कामको चाहे चाहेस चेयरमैन को सौंप सकता है, केवल नीचे लिखे कर्तव्यों का भार विशेषतः चेयरमैन पर है, इनको वह किसी चाहेस चेयरमैन को नहीं सौंप सकता—बोर्डकी मीटिंग जोडना, और उनका सभापति बनना, म्यूनिसिपलटीके शासनके आर्थिक तथा कार्यनिर्वाहके विभागोंकी देखभाल करना।

दफा ५३ ए. चेयरमैनका दफा ५० के क्लॉज (ए) के अनुसार दिये हुये अपने अधिकारोंको सौंप देना

१ चेयरमैन, साधारण या विशेष आज्ञाके द्वारा बोर्डके किसी कर्मचारी को अधिकार दे सकता है, कि वह चेयरमैन की आधीनता में उसके उन अधिकारों में से जो दफा ५० के क्लॉज (ए) में वर्णित हैं, किसी एक या एकसे अधिकको, बरते।

२ उपदफा (१) के अनुसार दी हुई आज्ञा के रग, चेयरमैन किसी अधिकारको बरतने के विषयमें, जो शर्त चाहे, नियमित कर सकता है, या जो बन्देज चाहे लगा सकता है।

३ उपदफा (१) के द्वारा दिये हुये किसी अधिकार को बरतते हुये जो हुकम बोर्ड का कोई कर्मचारी दे, उसको रद्द कर देनेका, या उसकी निगरानी करनेका अधिकार चेयरमैनको होगा।

व्याख्या—

यह दफा एक्टमें एमेंडिंग एक्ट न० २, सन १९१९ ई० के द्वारा बटाई गई है। दफा ५० के क्लॉज (ए) के द्वारा नीचे लिखे अधिकार चेयरमैन को दिये गये हैं अर्थात्—

- (१) अकस्मात आवश्यकता पडने पर अस्थाई (Temporary) कर्मचारी नियुक्त करना।
- (२) नीची श्रेणीके स्थाई कर्मचारियों (Permanent inferiorstaff) को नियुक्त करना।
- (३) नीची श्रेणीके स्थाई कर्मचारियोंको निकालना या उनको दण्ड देना। इस दफाके अनुसार

यह सब अधिकार, चेयरमैन, म्यूनिसिपलटीके किसी कर्मचारीको सौंप सकता है।

—दफा ५३ और ५३ (ए) में जो अधिकार चेयरमैन को किसी हुकमके रद्द करनेके विषयमें दिये गये हैं उनमें यह अन्तर है, कि दफा ५० के अनुसार चाहेस चेयरमैन के हुकमको चेयरमैन उसी दरामें रद्द कर सकता है जब उस हुकमकी अपील चेयरमैन के पास कीजाय, परन्तु किसी कर्मचारीके हुकममें जो दफा ५३ (ए) के अनुसार दिया गया हो, चेयरमैन अपनी इच्छासे हस्तक्षेप कर सकता है, और बिना किसी अपीलके भी ऐसे हुकमको रद्द कर सकता है या उसकी निगरानी कर सकता है।

दफा ५४ वाइस चेयरमैनका निर्वाचन, पदकी अवधि, और इस्तीफा

१ प्रत्येक बोर्ड में एक वाइस चेयरमैन होगा या एक सीनियर (Senior) और एक जूनियर (Junior) वाइस चेयरमैन होगा, जो बोर्ड अपने मेम्बरों में से विशेष रेजोल्यूशन (Special Resolution) के द्वारा जब जैसी आवश्यकता पड़े चुन लेगा।

२ किसी वाइस चेयरमैन के पद की अवधि उसके निर्वाचन की तारीख से, एक वर्ष की होगी या उतनी होगी, जितनी कि उसकी मेम्बरी के पद की अवधि में शेष रह गई हो अर्थात् इन दोनों में से जो थोड़ी हो।

३ जो वाइस चेयरमैन इस्तीफा देना चाहे उसको चाहिये कि, लेख द्वारा, चेयरमैन को अपना इच्छा की सूचना दे और जब उसका इस्तीफा बोर्ड मजूर कर लेगा, उस समय से यह माना जायगा कि उसने अपना पद खाली कर दिया।

व्याख्या—

जिस बोर्ड में दो वाइस चेयरमैन चुने जाय तो यह आवश्यक है कि उनमें से एक सीनियर (Senior) अर्थात् उच्च पदका हो और दूसरा जूनियर (Junior) अर्थात् नीचे पद का हो। चेयरमैन की अनुपस्थिति में काम करनेका अधिकार पहले सीनियर वाइस चेयरमैन को होता है, उसके बाद जूनियर वाइस चेयरमैन को। देखिये दफा ५५ की उप दफा (२)।

—वाइस चेयरमैनके पद की अवधि सर्वथा एक वर्ष की होती है, चाहे वह किसी नये बोर्डके बनने के समय निर्वाचित किया जाय, या बीच में फर्मा चुना जाय। जैसे, यदि कोई वाइस चेयरमैन के पद पर छ मास रहने के उपरान्त इस्तीफा दे दे, और एक नया वाइस चेयरमैन उसकी जगह चुना जाय तो यह नया वाइस चेयरमैन एक वर्ष के लिये ही चुना जायगा उस अवधि के लिये नहीं जितनी कि इस्तीफा देने वाले वाइस चेयरमैन की बाकी रह गई हो। केवल शर्त यह है कि यदि उसके मेम्बरी की अवधि, जो वाइस चेयरमैन चुना जाय, एक वर्ष से कम रह गई हो, तो यह उतने ही समय के लिये चुना जा सकता है जितनी अवधि कि उसके मेम्बरी के पद की अवधि में बच रही हो।

दफा ५५ वाइस-चेयरमैन के कर्तव्य

१ वाइस चेयरमैन का कर्तव्य होगा कि—

(ए) यदि किसी उचित कारण से (मुनासिब उजह से) वह असमर्थ न हो जाय तो चेयरमैन की अनुपस्थिति में बोर्ड की मीटिंग का सभापति हो, मीटिंग में काम काज चलाने का प्रबन्ध करे, और मीटिंगको नियम बखर रखे (Mantam Order) और इसके निमित्त अपनी आज्ञा का पालन कराये (Enforced Order), और जब वह इस प्रकार मीटिंगका सभापतिहो तो उन अधिकारोंको भी जो दफा ९१ में वर्णित है, यदि वह चाहे, बखत।

(बी) चेयरमैन का पद खाली होने की दशा में या चेयरमैन के असमर्थ हो जाने, या थोड़े समय के लिये अनुपस्थित रहने, की दशा में चेयरमैन के किसी अन्य कर्तव्य का भी पालन करे और आवश्यकता पड़ने

पर, चेयरमैन के किसी अन्य अधिकार को भी बरते।

(सी) किसी ऐसे कर्तव्य का पालन किसी समय पर करे, और आवश्यकता पड़ने पर, किसी ऐसे अधिकार को बरते, जो इस कानून की दफा ५३ के अनुसार चेयरमैन ने उसको सौंपा हो।

२ जहां दो वाइस चेयरमैन हों, तो सीनियर वाइस-चेयरमैन, और उसकी अनुपस्थितिमें, जूनियर वाइस-चेयरमैन, उपदफा (१) के कलाज (ए) और (बी) में अंकित किये हुये कर्तव्यों का पालन करेगा, और अधिकारों को, यदि वह चाहे बरतेगा। और कलाज (सी) में अंकित किये हुए कर्तव्यों का पालन, और अधिकारों का बरतना उस वाइस चेयरमैन के ऊपर होगा जिसका नाम उस हुकम में लिखा हो जिस हुकम के द्वारा वह कर्तव्य और अधिकार सौंपे गये हों।

दफा ५६ निर्वाचन, नामजदगी और जगहोंके खाली होनेके विज्ञापन

बोर्ड के मेम्बर या चेयरमैन का प्रत्येक निर्वाचन, और नामजदगी, और मेम्बर या चेयरमैन की प्रत्येक जगह का खाली होना, सरकारी गजट में प्रकाशित किया जायगा।

नोट—इस विषयमें जो गवर्नमेण्ट आर्डर हैं वह म्यूनिसिपल मैयुअल के पन्ना २१० पर दिये हुए हैं।

एक्जिक्युटिव अफसर

The Executive Officer

दफा ५७ एक्जिक्युटिव अफसर रखनेका बोर्डका अधिकार

१ कोई बोर्ड विशेष प्रस्ताव के द्वारा, एक्जिक्युटिव अफसर नियुक्त कर सकता है।

२ एक्जिक्युटिव अफसर की नियुक्ति (तकरूरी) वेतन, और उस पद से सम्बन्ध रखने वाली अन्य शर्तों, प्रान्तीय सरकार की मजूरी के आधीन होंगी।

नोट—“विशेष प्रस्ताव” की व्याख्या के लिये देखिये दफा ८८

दफा ५८ एक्जिक्युटिव अफसरको दण्ड दिया जाना, और उसका डिस्मिस किया जाना

१ कोई बोर्ड, विशेष प्रस्ताव के द्वारा, अपने एक्जिक्युटिव अफसर को दण्ड दे सकता है या डिस्मिस कर सकता है।

२ उस प्रस्ताव की, जिसके द्वारा किसी एक्जिक्युटिव अफसर को दण्ड दिया जायगा, या कोई एक्जिक्युटिव अफसर डिस्मिस किया जाय, उसको सूचना दी जायगी, और जिस दिन उक्त प्रस्ताव एक्जिक्युटिव अफसर को मिले, उस दिन से पन्द्रह दिन समाप्त होने तक, वह कार्यरूप में न लाया जायगा, या उस दशा में जब कि उप दफा

(३.) के अनुसार अपील दायर की जाय, तो उस समय तक उक्त प्रस्ताव कार्यरूप में न लाया जायगा जब तक कि अपील फैसल न हो ।

३ कोई एक्जिक्युटिव अफसर दण्ड पाने या डिस्मिस किये जाने का प्रस्ताव पाने से पन्द्रह दिन के भीतर, प्रान्तीय सरकार के पास अपील कर सकता है और इस प्रकार अपील होने पर प्रान्तीय सरकार को अधिकार होगा, कि उस सजा या डिस्मिस किये जाने के, हुकम को या तो मजूर करे, या ना मजूर करे, या उसमें कोई परिवर्तन करदे ।

४ उप दफा (३) के अनुसार अपील होने पर प्रान्तीय सरकार को अधिकार होगा कि, यदि वह उचित समझे तो उक्त एक्जिक्युटिव अफसर को जब तक अपील फैसल न हो, काम पर से अलग (सुभन्तिल) करदे ।

दफा ५९ एक्जिक्युटिव अफसर का जगह एवजी नियुक्त करना

१ किसी एक्जिक्युटिव अफसर के छुटी लेके अनुपस्थित रहने के काल में, या जब कभी उसका पद अन्य प्रकार थोड़े समय के लिये खाली हो, बोर्ड को अधिकार होगा कि वह, उस जगह पर काम करने के लिये, किसी शख्स को नियुक्त कर दे ।

२ प्रत्येक शख्स जो इस प्रकार नियुक्त किया जायगा, वह उन अधिकारों को यदि चाहे बरत सकेगा और उन कर्तव्यों का पालन करना उसके लिये आवश्यक होगा, जो इस एक्ट या किसी अन्य कानून से, या उनके द्वारा उस शख्स को दिये गये हैं, या उस शख्स पर डाले गये हैं, जिसकी जगह पर काम करने के लिये वह शख्स नियुक्त किया गया है ।

३ दफा ५७, तथा दफा ५८, में दिये हुये हुकम, जो एक्जिक्युटिव अफसर पर लागू हैं, ऐसे शख्स पर भी लागू होंगे जो उपदफा (१) के अनुसार, नियुक्त किया जाय ।

दफा ६० बोर्डके काम जो एक्जिक्युटिव अफसर को करना आवश्यक हैं

१ जिस म्युनिसिपलटी में कि दफा ५७ या ६५ के अनुसार एक्जिक्युटिव अफसर नियुक्त कर लिया गया हो, बोर्ड के नीचे लिखे अधिकार उक्त अफसरके द्वारा बरते जायेंगे, अन्य किसी के द्वारा नहीं अर्थात् —

(ए) मंडी या बाजारो (Market) या बंध स्थानो (मजपह), या किरायेकी गाहियों के लैसंसों (Licences) के भतिरिक्त, प्रत्येक ऐसे लैसंसको जो बोर्ड दे सकता हो, अपने हस्ताक्षरसे देने, जारी करने, या मना कर देने का अधिकार ।

(बी) किसी ऐसे लैसंसको स्थगित (Suspend) कर देने या वापिस ले लेने का अधिकार ।

(सी) प्रत्येक ऐसी रकमको जो बोर्डकी किसी पर चाहिये हो या जो बोर्डको पेशकी जाये लेने, वसूल करने, और उसकी म्युनिसिपल फंड (Fund) में जमा करने का अधिकार ।

(डी) वह सब अधिकार जो सिविलियल न० २ के खाना न० १ में अंकित की हुई दफाओं और उपदफाओं के द्वारा दिये गये हैं या जहाँ ऐसी दफाओं या उपदफाओं के पीछे शब्द 'कुछ भाग' (In part) लिखे हैं, तो जो अधिकार उक्त दफाओं और उपदफाओंके उक्त भागोंके द्वारा दिये गये हैं, जिनका पता, उक्त सिविलियलके खाना न० २ में दिये हुये वर्णन से, चलता हो, तथा उन सब कामों के करने का अधिकार, जो ऐसे अधिकारों को बरतने के लिये आवश्यक हो।

(ई) बोर्डके कर्मचारियों के सम्बन्ध में, वह अधिकार जो एग्जिक्यूटिव अफसरको दफा ७५ और ७६ में दिये गये हैं और किसी ऐसे पद के कर्मचारी को छुट्टी देने का अधिकार, जिसके नियुक्त करने का अधिकार उसको हो।

(एफ) कोई अन्य अधिकार जो बोर्ड ने एग्जिक्यूटिव अफसरको सौंप दिया हो।

॥ २२ सिवाय उस दशाके जिसके विषयमें दफा ७३ में हुकम है, बोर्डके सब कर्मचारी एग्जिक्यूटिव अफसरके आधीन (मातहत) होंगे।

व्याख्या—

एग्जिक्यूटिव अफसरके अधिकारों के लिये देखिये, सिविलियल न० २

—म्युनिसिपलटीज एक्ट न० २, सन १९१६ई० की यह मन्शा है कि जिस म्युनिसिपलटी में एग्जिक्यूटिव अफसर रखा गया हो, उसमें बोर्डके अधिकांश कार्यनिर्वाहके (Executive) अधिकार एग्जिक्यूटिव अफसरही को दिये जायें, और दफा ६० की उप दफा (२) के द्वारा म्युनिसिपल बोर्डके सब कर्मचारी एग्जिक्यूटिव अफसरके आधीन बना दिये गये हैं, केवल बोर्डके शिक्षा विभागके कर्मचारी एग्जिक्यूटिव अफसरके आधीन, उस दशामें नहीं होंगे, जब कि बोर्ड ने रजिस्ट्रेशनके द्वारा इनको शिक्षा समिती (Education Committee) के आधीन कर दिया हो (देखिये दफा ७३)।

—जब कमी म्युनिसिपलटी के कर्मचारियों को कोई अधिकार बोर्ड देना चाहे या किसी कर्तव्यों के पालन करने का भार उन पर डालना चाहे, तो बोर्डके लिये उचित होगा, कि जहाँ एग्जिक्यूटिव अफसर हो वहाँ ऐसे अधिकार एग्जिक्यूटिव अफसरही को दे और कर्तव्यों का भार भी उसी पर डाले। और एग्जिक्यूटिव अफसर ऐसे अधिकारों तथा कर्तव्यों को दफा ६२ के अनुसार किसी अन्य कर्मचारी को सौंप सकता है, परन्तु ऐसे अधिकारों तथा कर्तव्यों को बरतने के लिये जो कार्य किये जायेंगे, उनका उत्तरदाता, बोर्डके प्रति, एग्जिक्यूटिव अफसरही होगा, (देखिये G O No 1102 X 389 E तारीख २० मई १९१६)

दफा ६१ एग्जिक्यूटिव अफसरके हुकमोंके विरुद्ध अपील करनेका हक

१ किसी ऐसे हुकमके विरुद्ध जो एग्जिक्यूटिव अफसरने उन अधिकारों के अंतर्गत दिया हो, जो अधिकार उसको दफा ६० में दिये गये हैं अपील बोर्डके पास न होगी, सिवाय उस दशाके जब—

(ए) वह हुकम ऐसा हुकम हो, जिसके सामने शिडियूल न० २ के खाना न० ३ में कोई इन्दराज हो और वह इन्दराज किसी ऐसे रेग्युलेशन के अनुसार निष्प्रभावी न कर दिया गया हो, जो दफा २९७ की उपदफा (१) के क्लॉज (इ) के अनुसार बनाया गया हो, और प्रचलित हो। या

(बी) वह हुकम किसी लाइसन्स (Licence) के विषयमें हो और किसी 'वाई-लॉ' के द्वारा, उसके विरुद्ध अपील किये जा सकने की आज्ञा दे दी गई हो।

२ उस दशामे जितने कि अपील की जा सकती हो, हुकमकी सूचना दिये जाने की तारीख से, या उस तारीख से, जिस पर कि, इस एक्टके हुकमों के अनुसार, यह मान लिया जाय कि हुकम की सूचना दे दी गई, दस दिन के भीतर अपील दायर की जानी चाहिये।

३ जब अपील उक्त अवधिके भीतर दायर कर दी जायगी, तो उक्त हुकम उस समये तक, स्थगित रहेगा, जब तक कि अपील फैसल न हो जाय।

व्याख्या—

उप दफा (१) के क्लॉज (ए) का अर्थ यह है—शिडियूल न० २ में वह सब अधिकार अंकित किये गये हैं जो एक्टके द्वारा एक्जिक्यूटिव अफसर को दिये गये हैं। उक्त शिडियूलके खाना न० ३ में यह बता दिया गया है कि एक्जिक्यूटिव अफसरके किन किन हुकमों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकेगी। अतएव यदि शिडियूल न० २ के किसी इन्दराजके सामने खाना न० ३ में यह लिखा भी हो कि एक्जिक्यूटिव अफसर के इस हुकम की अपील हो सकेगी, परन्तु गौड रेग्युलेशन (Regulation) के द्वारा यह निश्चय करदे कि उसकी अपील नहीं हो सकेगी, तो खाना न० ३ का इन्दराज निष्प्रभावी समझा जायगा, और उस हुकमकी अपील नहीं हो सकेगी।

—उप दफा (२) में जो यह शब्द "जिस पर कि इस एक्टके हुकमों के अनुसार यह माना जायगा कि हुकमकी सूचना दे दी गई" आये हैं, उनके लिये देखिये इस एक्टकी दफा ३०३। जैसे उन प्रसंगों में जब कि कोई नोटिस धाकसे भेज दिया जाय, या किसी के घर पर छोड़ दिया जाय, यह माना लिया जाना आवश्यक है कि ऐसे नोटिस की सूचना दे दी गई है।

दफा ६२ एक्जिक्यूटिव अफसरका किसी दूसरेको अपने अधिकार

सौंप देना

१ चेयरमैन की मजूरीसे एक्जिक्यूटिव अफसर साधारण या विशेष हुकम के द्वारा बोर्डके किसी कर्मचारीको यह अधिकार दे सकता है कि एक्जिक्यूटिव अफसरकी आधीनता में किसी ऐसे अधिकारको जो कि एक्जिक्यूटिव अफसरको इस एक्टके द्वारा या इस एक्टके अनुसार दिया गया हो बरते।

२ जो हुकम कि एक्जिक्यूटिव अफसर उपदफा (१) के अनुसार दे, उसमें किसी अधिकारके धरतनेके विषयमें कोई शर्त नियमितकी जासकती है, या बन्धेज लगाया जा सकता है।

३ किसी ऐसे हुक्मको जो बोर्डका कोई कर्मचारी किसी ऐसे अधिकारको चरतबे हुये, जो उसको उपदफा (१) के अनुसार दिया गया हो, एक्जिक्यूटिव अफसर रद्द कर सकता है या उसकी निगरानी (Revision) कर सकता है ।

व्याख्या—

“साधारण या विशेष हुक्म” (General or special order) के लिये देखिये दफा ५३ की व्याख्या ।

—दफा ६० की उपदफा (२) के अनुसार बोर्डके सत्र कर्मचारी एक्जिक्यूटिव अफसरके आधीन रखे गये हैं । दफा ६२ के द्वारा एक्जिक्यूटिव अफसरको अधिकार दिया गया है कि अपने आधीन बोर्डके कर्मचारियोंमें से किसीको जो काम चाहे सौंप सकता है । परन्तु किसी कामको इस प्रकार सौंप कर एक्जिक्यूटिव अफसर अपनी किसी जिम्मेदारीसे नहीं छूट सकता, वरन बोर्डके प्रति, ऐसे सौंपे हुये कामोंके लिये भी जिम्मेदारी एक्जिक्यूटिव अफसर ही की रहेगी ।

दफा ६३ बोर्ड या कमेटीका एक्जिक्यूटिव अफसरसे रिपोर्ट आदि मांगनेका अधिकार

१ बोर्डको या बोर्डकी किसी कमेटीको अधिकार होगा कि एक्जिक्यूटिव अफसर से तलब करे—

(ए) कोई नक्शा (Return), कैफियत (Statement), तख्मीना (Estimate), जनताकी स्थिति निर्णय करनेके लिये किसी प्रकारकी सन्ध्या (Statistics) या कोई अन्य सूचना, जो म्यूनिसिपलटीके शासनसे सम्बन्ध रखती हो ।

(बी) उक्त विषयोंके सम्बन्धमें कोई रिपोर्ट या जवाब ।

(सी) किसी मिसिल पत्रव्यवहार, या खाका या अन्य कागजकी नकल, जो एक्जिक्यूटिव अफसर होनेकी हैसियतसे, उसके कब्जेमें हो या अधिकार में हो, या जो उसके दफतरमें, या उसके आधीन किसी कर्मचारीके दफतरमें लिखे हुये हों या दाखिल हों ।

२ एक्जिक्यूटिव अफसरको प्रत्येक दरखवास्त, जो उपदफा (१) के अनुसारकी जाय, की तामील बिना अनुचित विलम्ब किये, कर देना आवश्यक है ।

दफा ६४ बहसमें भाग लेनेका एक्जिक्यूटिव अफसरका अधिकार

एक्जिक्यूटिव अफसरको अधिकार होगा कि, चेयरमैनकी आज्ञासे या किसी ऐसे प्रस्ताव (Resolution) के बल पर जो इस विषयमें बोर्डकी या किसी कमेटीकी मीटिंग में पास कर दिया गया हो किसी ऐसे मामले, जिसपर बहस होरही हो सम्प्रानेके अभिप्रायसे कुछ भाषण करे । परन्तु ऐसी मीटिंगमें उसको किसी विषयमें, वोट देनेका अधिकार न होगा, न कोई प्रस्ताव पेश करनेका अधिकार होगा ।

दफा ६५ प्रान्तीय सरकारका एक्जिक्यूटिव अफसर नियुक्त कर देने का अधिकार

१ प्रान्तीय सरकारको अधिकार होगा कि किसी शहर (City) की म्युनिसिपलटीके बोर्डको हुक्म दे कि वह एक्जिक्यूटिव अफसर नियुक्त करनेके अधिकारको जो उसको दफा ५७ के द्वारा दिया गया है या एक्जिक्यूटिव अफसर की जगह काम करने को किसी शहरके नियुक्त करनेके अधिकारको, जो उसका दफा ५९ के द्वारा दिया गया है, बरते (काममें लवे) ।

२ उपदफा (१) के अनुसार जो हुक्म दिया जाय उसमें वह अवधि नियमित कर दी जानी चाहिये जिसके भीतर बोर्डको उस हुक्मकी तामील करना चाहिये ।

३ यदि बोर्ड—

(ए) नियमित अवधिके भीतर एक्जिक्यूटिव अफसर नियुक्त न करे या उसकी जगह काम करने के लिये किसी शहरको नियुक्त न करे । या

(बी) ऐसे शहरको नियुक्त करनेके उपरान्त, जिसकी नियुक्ति (तर्कहरी) प्रान्तीय सरकारने मजूर न की हो उस अवधिके भीतर जो प्रान्तीय सरकारने फिरसे दी हो, किसी ऐसे शहरको नियुक्त न करे जो मजूर किया जा चुका हो (Approved),

—तो प्रान्तीय सरकारको अधिकार होगा कि यदि वह ऐसा करना ठीक समझे तो किसी शहर को चुनले, और उसको एक्जिक्यूटिव अफसरके पद पर या उसकी जगह काम करनेको नियुक्त करदे, और उसका वेतन, प्राविडेंटफंड (Provident Fund) अथवा पेंशन (Pension) के लिये चन्दा (Contribution) और नौकरीकी शर्तें भी जैसी उचित समझे, नियत कर दे ।

४ जब उपदफा (३) के अनुसार प्रान्तीय सरकार किसी एक्जिक्यूटिव अफसरको नियुक्त करे, तो उस रकमका भौसत जो बोर्डकी ओरसे, उक्त अफसरको वेतन और छुट्टी पर रहनेके समयका एलाउन्स (Allowance) और रकम चन्दा प्राविडेंट फण्ड (Provident Fund) तथा पेंशनकी मदों में, उस कालमें दीजायें, जब तक कि वह नौकर रहे, एक हजार रुपया मालिकसे अधिक न होगा ।

अन्य कर्मचारी

(Other Servants)

दफा ६६ सेक्रेटरियोंका नियुक्त किया जाना

१ प्रत्येक म्युनिसिपलटीके बोर्डको जिसमें कोई एक्जिक्यूटिव अफसर न हो, आवश्यक होगा कि विशेष प्रस्तावके द्वारा, एक या एकसे अधिक सेक्रेटरी नियुक्त करे ।

२ प्रत्येक ऐसी नियुक्ति, और उसका वेतन तथा अन्य शर्तें कमिश्नरकी मजूरी के आधीन होगी ।

व्याख्या—

हस्त दफाके हुक्मके अनुसार केवल जहाँ म्यूनिसिपलटियों में सेक्रेटरी नियुक्त किये जाते हैं जिनमें एक्जिक्यूटिव अफसर नहीं होता। ऐसी म्यूनिसिपलटियों में सेक्रेटरी की नियुक्ति, वेतन, इत्यादि कमिश्नरकी मजूरी पर निर्भर होते। परन्तु उन म्यूनिसिपलटियों में जिनमें एक्जिक्यूटिव अफसर होता है प्रथम तो यह आवश्यक नहीं है कि सेक्रेटरी नियुक्त किया जाय। दूसरे यदि ऐसी म्यूनिसिपलटी का बोर्ड सेक्रेटरी रचना निश्चय करे, तो उसकी नियुक्ति दफा ७१ के अनुसार की जायगी। दफा ७१ के अनुसार नियुक्त किये हुये सेक्रेटरी की नियुक्ति, वेतन, इत्यादि, के लिये कमिश्नर की मजूरी नहीं चाहिये और उसको सजा देने, तथा निकाल देने, के लिये भी बोर्ड को स्वाधीनता प्राप्त होती है।

—सेक्रेटरी की नियुक्ति के सम्बन्धमें दफा ३७ की आज्ञा देखिये, अर्थात् यदि बोर्डका कोई सेक्रेटरी ही सेक्रेटरी नियुक्त किया जाय तो उसको कोई वेतन नहीं दिया जा सकता।

दफा ६७ सेक्रेटरियों को दण्ड दिया जाना और उनको डिस्मिस् किया जाना

१—कोई बोर्ड, विशेष रेजोल्यूशनके द्वारा, किसी सेक्रेटरी को, जो उपरोक्त दफा के अनुसार नियुक्त किया गया हो उन शर्तों के आधीन जो दफा ५८ में एक्जिक्यूटिव अफसर को सजा देने और डिस्मिस् करने के विषयमें नियमित है, सजा (दंड) दे सकता है या डिस्मिस् कर सकता है।

२ परन्तु शर्त यह है कि ऐसे रेजोल्यूशन (Resolution) के विरुद्ध, जो उपदफा (१) के अनुसार पास किया गया हो, अपील लेने या सेक्रेटरी को उक्त अपीलके फैसल होने तक काम पर से अलग (मुअत्तिल) करनेका अधिकार कमिश्नरको होगा, न कि प्रान्तीय सरकारको।

नोट—देखिये दफा ६६ की व्याख्या।

दफा ६८ हेल्थ अफसरों तथा इन्जिनियरोंका नियुक्त किया जाना

१ किसी बोर्ड को अधिकार होगा कि विशेष रेजोल्यूशनके द्वारा और यदि प्रान्तीय सरकार किसी शहरकी म्यूनिसिपलटी के बोर्ड को आज्ञा दे तो उसके लिये आवश्यक होगा, कि वह एक हेल्थ अफसर (Health officer), एक इन्जिनियर, और एक पारिक कारखाने का इन्जिनियर (Water Engineer) (Superintendent) नियुक्त करे

२ प्रत्येक ऐसी नियुक्ति, और
की मजूरी के आधीन होगी।

तथा अन्य

हेल्थ अफसरों

एक प्रान्तीय
निकालने
अफसर, हस्त

का
से, नहीं

एक
हेल्थ

(Guarantee) नहीं होती थी, क्योंकि कोई म्यूनििसिपल्टी अपने हेल्थ अफसर को जय चाहे अलग पर सकती थी। दूसरे यह कि एकही म्यूनििसिपल्टी में पसे रहने के कारण उनको तरकीबी भी कोई अधिक आशा नहीं होती थी। म्यूनििसिपल्टियां हेल्थ अफसरों को अच्छा वेतन भी नहीं दे सकती थीं। अतएव, इस भावनासे कि योग्य अफसर इस पदके लिये मिल सकें, सरकारने हेल्थ अफसरों का एक प्रान्तीय विभाग स्थापित कर दिया है। इस विभागके अफसर एक म्यूनििसिपल्टी से दूसरी को, तरकी पर, बदले जा सकते हैं। उनके पद का वेतन भी काफी नियत करके सरकारने उमका आधा भार अपन उपर ले लिया है। और सरकारने यह निश्चय कर लिया है कि दफा ६८ की उप दफा (२) के अनुसार किमी हेल्थ अफसर की नियुक्ति की मजूरी केवल उसी दशा में देगी जय कि यह सरकारी विभाग का आदमी हो।

गिन शनों पर म्यूनििसिपल्टियां हेल्थ अफसर को चौकर रंगी वह संक्षेप में यह है —

प्रान्तीय सरकार ने प्रान्त की म्यूनििसिपल्टियों को चार श्रेणियों में विभक्त कर दिया है। पहली श्रेणी में वह म्यूनििसिपल्टियां रखी गई हैं जिनकी जन संख्या १५०००० या इससे अधिक है। इनको अग्रज दर्जे का हेल्थ अफसर रखना जरूरी है। दूसरी श्रेणी में वह म्यूनििसिपल्टियां हैं जिनकी जन संख्या ५००००, या इससे अधिक है। इनको दूसरे दर्जे का हेल्थ अफसर रखना पड़ता है। तीसरी श्रेणी में साधारणतः वह म्यूनििसिपल्टियां सम्मिलित की जाती हैं जिनकी आमदनी ५०००० रुपये से कम न हो। इनको तीसरे दर्जे का हेल्थ अफसर रखा जाता है। प्रान्त की अन्य सब म्यूनििसिपल्टियां चौथी श्रेणी में रखी गई हैं। हेल्थ अफसरों का विभाग 'डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ (Director of public health)' के अधीन होगा। मेडिकल आफिसर ऑफ हेल्थ (ज्यास्त हेल्थ अफसर के नाँव रखने के लिये कोई चौर्डे या तो 'डायरेक्टर ऑफ हेल्थ' से यह प्राप्ति कर सकता है कि अमुक अफसर का तयादल करके वह इस म्यूनििसिपल्टी में रख दिया जाय। या साधारण दरखास्त होने पर वह डायरेक्टर, चौर्डे के पास एक सूची ऐसे उम्मेदवारों की भेज देगा, जो मेडिकल आफिसर ऑफ हेल्थ के पद के लिये पूर्णतया योग्य ह। चौर्डे को अधिकार है कि इस सूची में से जिसको वह रखना चाहे उसको छुट ले, और 'डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ' के द्वारा, सरकार की मजूरी प्राप्त करके, उसको नियुक्त कर ले। 'मेडिकल अफसर ऑफ हेल्थ' (Medical officer of health) की बदली एक म्यूनििसिपल्टी से दूसरी म्यूनििसिपल्टी को डायरेक्टर किया करेगा, परन्तु इस विषय में चौर्डे की सम्मति से काम किया जायगा।

'मेडिकल आफिसर ऑफ हेल्थ' के कर्तव्य संक्षेप में यह होंगे —

- (ए) म्यूनििसिपल्टी में जनता की आरोग्यता के प्रश्नों की देख भाल करना। ऐसे अफसर का सत्र से प्रधान कर्तव्य नगर की सफाई (Conservancy) की देख भाल करना है। ऐसे अफसर का यह भी कर्तव्य होगा कि म्यूनििसिपल्टी की जाच करके आरोग्यता के प्रश्नों की दुष्टियों की रिपोर्ट दे और उनकी उद्धार के उपाय बतलाये।
- (बी) गऊ धन सीतला के टीके (Vaccination) की देख भाल करना।
- (सी) मौतों तथा पैदाइश के दर्जे किये जान के प्रश्नों की देख भाल करना।
- (डी) यदि चौर्डे ने उमको इस बात का अधिकार दिया हो, तो खाद्य पदार्थों की जाच करना, और जा पदार्थ मनुष्य के खागे योग्य न हों, उनकी, एकट को दफा २४४

के अनुसार, कब्जे में करना, और हटवा देना। और किसी साथ पदार्थ का, जिस में कोई मेल होने की शका हो, नमूना मील लेकर, सरकारी जाच करे वाले (Public analyst) के पास भेजना। जिन नगरों में लेबोरेटरी अर्थात् रस क्रिया स्थान (Laboratory) हो तो शक उत्पन्न होने पर, पानीकी जाच करना और जिन म्यूनिसिपलटियों में एक्ट नं० ६ सन १९१२ (Prevention of Adulteration Act 6 of 1912) लागू हो, उनमें शका होने पर, दूध की जाच करना।

भिन्न २ दर्जों के मेडिकल आफिसरों के रखने के लिये म्यूनिसिपलटियों की श्रेणिया इस प्रकार की गई हैं:—

दर्जा १ इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, लखनऊ, आगरा, नैनीताल, मंसूरी।

दर्जा २ अरेली, हारद्वार, मेरठ, मथुरा सहारनपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद, शाहजहापुर फर्रुखाबाद, फतेहगढ़, झांसी, फैजाबाद-अयोध्या, मिरजापुर, गोरखपुर, देहरादून।

दर्जा ३ अदायू, चदौसी इटावा, हाथरस, जौनपुर, पीलीभीत, सीतापुर, बहराच, हापड़।

दर्जा ४ अन्य सब म्यूनिसिपलटिया।

देसिये म्यूनिसिपल मैनुअल के पन्ने २९१ से २९५ तक।

—दर्जा २ के 'मेडिकल आफिसर आंव् हेल्थ' (Medical Officer of Health) की शिक्षा परीक्षा इत्यादिके नियमोंके लिये देखिये म्यूनिसिपल मैनुअलके पन्ने २९५ से २९७ तक।

—सिवाय हेल्थ अफसरके, अन्य जिन अफसरोंके नियुक्त किये जानेकी आज्ञा दफा ६८ में दी गई है उनकी नियुक्तिके विषयमें जो पत्र व्यवहार किया जाय वह सरकारी पब्लिक वर्क्स विभाग शाखा इमारते तथा सडकें—(Public Works Department, Buildings & Roads Branch) से सेनिटेरी इन्जिनियरके द्वारा किया जाना चाहिये। देखिये G O No 1077 xi 49 तारीख ३१ मई, सन १९१८।

दफा ६९ इन्जिनियरों और हेल्थ अफसरोंको सजा दी जाना और उनको डिस्मिस करना

बोर्ड, विशेष रेजोल्यूशन (प्रस्ताव) के द्वारा किसी अफसरको जो दफा ६८ के अनुसार नियुक्त किया गया हो उन शर्तोंके आधीन जो दफा ५८ में एविर्जक्यूटिव अफसरको सजा देने और डिस्मिस करने के विषयमें नियमित है, सजा दे सकता है या डिस्मिस कर सकता है।

दफा ७० अस्थायी कर्मचारी जिनकी अकस्मात आवश्यकता पडने पर जरूरत होती है

अकस्मात आवश्यकता पडने पर अस्थायी (Temporary) कर्मचारियोंको नियुक्त करने और उनका वेतन निश्चय करनेका अधिकार चेयरमैनको नीचे लिखी हुई शर्तोंके आधीन प्राप्त होगा, अर्थात्—

(ए) चेयरमैन ऐसे अधिकारको बरतने में बोर्डके किसी ऐसे हुक्मके विपरीत काम न करे कि जिसके द्वारा किसी विशेष कार्यके लिये अस्थायी कर्मचारियोंको नियुक्त करनेकी मनाहीकी गई हो। और

(बी) प्रत्येक नियुक्ति जो चेयरमैन इस दफाके अनुसार करे उसकी रिपोर्ट, बोर्डकी जो पहली मीटिंग ऐसी नियुक्तिके पश्चात् हो, उसमें देवी जाय।

दफा ७१ स्थाई कर्मचारियोंकी सख्या निर्णय करनेका बोर्डका अधिकार

बोर्डको अधिकार होगा कि रेजोल्यूशन (Resolution) पास करके यह निश्चय कर दे कि कौन २ कर्मचारी (एक्जिक्यूटिव अफसरको और दफा ६६ के द्वारा नियुक्त किये हुये सेक्रेटारियोंको और इंजिनियरों और हेल्प अफसरोंऔर अस्थायी (Temporary) कर्मचारियोंको जो दफा ७० के अनुसार नियुक्त किये गये हों, बोर्डके) बोर्डके कर्तव्योंके पूरा करनेके लिये, आवश्यक हैं और कितना वेतन किस २ को दिया जायगा।

व्याख्या—

इस दफाके द्वारा बोर्डको केवल इतनाही अधिकार दिया गया है कि वह यह निश्चय करदे कि म्यूनिसिपलटीका काम चलानेको कितने कर्मचारी चाहिये, और जो वेतन प्रत्येकको दिया जायगा वह नियत करदे। किसी प्रारसको किसी पद पर नियुक्त करनेका अधिकार इस दफाके द्वारा बोर्डको नहीं दिया गया है, वरन गिन २ पदों पर कर्मचारियोंको नियुक्त करनेका अधिकार उनके वेतन के हिसाबसे बोर्डको और चेयरमैन और एक्जिक्यूटिव अफसरको दिया गया है। देखिये दफा ७४ और ७५।

दफा ७२ पदोंका मिला दिया जाना

इस एक्टके अथवा किसी नियमके हुक्मोंके अधीन बोर्डको अधिकार होगा कि किसी एक शब्सको दो या अधिकपदोंके कर्तव्योंके पूरा करने पर नियत कर दे।

व्याख्या—

कोई विशेष हुक्म इस विषयमें होने पर कि किसी कर्मचारीको एकसे अधिक पदोंका काम नहीं सौंपा जाना चाहिये, बोर्डको यह अधिकार न होगा कि दो पदोंके कामोंको मिला दे। जैसे सेनिटरी इन्स्पेक्टरके विषयमें यह आज्ञा है कि उसको अन्य कोई काम न दिया जाय जिससे कि इसकी पूरा समय सफाई आदिके देखनेके लिये मिले। अतएव बोर्डको सेनिटरी इन्स्पेक्टरको अन्य कोई काम देनेका अधिकार नहीं है।

दफा ७३ शिक्षा विभागके कर्मचारियोंकी नियुक्ति और उनका डिस्मिस किया जाना

बोर्डके शिक्षाविभागके कर्मचारियों (Educational establishment) में से किसीको नियुक्त करने छुटी देने, सजा देने डिस्मिस करने (अर्थात् निकाल देने),

और उन पर निगरानी रखनेका अधिकार किसी ऐसी म्यूनिसिपलटीमें जिसमें इस विषयमें प्रस्ताव पासकर लिया गया हो, बोर्डकी शिक्षा कमेटी (Education Committee) को होगा, परन्तु उक्त अधिकार किसी ऐसी शर्तों या बन्धनोंके आधीन चरते जायगे जो कमेटीके द्वारा उनके किसी दूसरेको सौंपे जानेके विषयमें, या अन्य किसी विषयमें रेजोल्यूशनके द्वारा लगाये गये हों।

व्याख्या—

शिक्षाविभागके कर्मचारियोंको शिक्षाकमेटीके आधीन कर देनेके लिये यह आवश्यक है कि बोर्डने रेजोल्यूशनके द्वारा यह बात निश्चित कर दी हो। यदि कोई विशेष प्रस्ताव इस विषयमें पास न किया गया होगा तो बोर्डके अन्य कर्मचारियोंके समान ही शिक्षाविभागके कर्मचारी भी दफा ७४ तथा ७५ के हुक्मोंके अनुसार नियुक्त किये जायेंगे, और दफा ७६ और ७७ के अनुसार उनकी भी दण्ड दिया जायगा और डिस्मिस् किये जावेंगे। और वेभी दफा ६० की उपदफा (२) के अनुसार एक्जिक्यूटिव अफसर ही के मातहत (आधीन) होंगे।

दफा ७४ ऊंची श्रेणीके स्थाई कर्मचारियोंका नियुक्त और डिस्मिस् किया जाना

किसी ऐसे हुक्मोंके आधीन जो इसके विरुद्ध दफा ५७ से दफा ७३ तक में हों, उन कर्मचारियोंको, जिनका मासिक वेतन पचास रुपये (या, शहरकी म्यूनिसिपलटी में पच्चास रुपये) से अधिक हो बोर्ड नियुक्त करेगा, और बोर्ड ही उनको सजा देगा, और डिस्मिस् करेगा।

व्याख्या—

दफा २९७ की उप दफा (१) के एज (एफ) के द्वारा बोर्डको अधिकार दिया गया है कि विशेष रेजोल्यूशन (Special Resolution) के द्वारा, रेजोल्यूशन (Resolution) बनाके, दफा ७४ में दी हुई, ५०) या ७५) रुपये की रकम, को बढ़ा दे। वदाहरणार्थ, बोर्ड ऐसे रेजोल्यूशनके द्वारा, यह निश्चय कर वे सकता है, कि उन कर्मचारियोंका नियुक्त करने, सजा देने इत्यादि का अधिकार बोर्डको होगा जिनका मासिक वेतन, साधारण म्यूनिसिपलटी में, ७५) रुपया हो, या, शहरकी म्यूनिसिपलटीमें, १००) रुपया हो।

—यदि बोर्ड चाहे तो दफा ११२ के अनुसार अपने इस अधिकारको, किसी दूसरेको सौंप सकता है। देखिये दिव्युल १० (१)।

दफा ७५ नीची श्रेणीके स्थाई कर्मचारियोंका नियुक्त किया जाना

१ ऐसे ही हुक्मोंके आधीन, उन म्यूनिसिपलटियोंमें जहां एक्जिक्यूटिव अफसरहो-

(ए) उन कर्मचारियोंको, जिनका मासिक वेतन बीस रुपये से (या शहरकी म्यूनिसिपलटीमें तीस रुपये से) अधिक न हो, एक्जिक्यूटिव अफसर नियुक्त करेगा। और

(बी) उन कर्मचारियोंको जिनका मासिक वेतन बीस रुपये से अधिक हो, परन्तु पचास रुपये से अधिक न हो (या शहरकी म्यूनिसिपलटी में

तीस रुपये से अधिक हो परन्तु पछत्तर रुपये ने अधिक न हो) एक्जि-
क्यूटिव अफसर नियुक्त करेगा। परन्तु प्रत्येक ऐसी नियुक्ति चेयरमैन
की मञ्जूरी के आधीन होगी।

२ ऐसे ही हुक्मों के आधीन, उन म्यूनिसिपलिटियों में जहाँ एक्जिक््यूटिव अफसर न
हो, उन कर्मचारियों को जिनका मासिक वेतन पचास रुपये से (या शहर की म्यूनि-
सिपलटी में पछत्तर रुपये से) अधिक न हो, चेयरमैन नियुक्त करेगा।

नोट "ऐसे ही हुक्मों के आधीन" इन शर्तों से अर्थ है वह हुक्म जो, इसके विरुद्ध, दफा ५७
से दफा ७३ तक में हैं—देखिये दफा ७४।

दफा ७६ नीची श्रेणीके स्थाई कर्मचारियों को सजा देना और डिस्मिस करना

१ ऐसेही हुक्मोंके आधीन, उन म्यूनिसिपलिटियोंमें जहाँ एक्जिक््यूटिव अफसरहो—

(ए) उन कर्मचारियोंको, जिनका मासिक वेतन दस रुपये से (या, शहरकी
म्यूनिसिपलटीमें पन्द्रह रुपये से) अधिक न हो, एक्जिक््यूटिव अफसर
सजा (दण्ड) दे सकता है या डिस्मिस कर सकता है, और

(बी) उन कर्मचारियोंको, जिनका मासिक वेतन दस रुपये से अधिकहो
परन्तु पचास रुपये से अधिक न हो, (या गढ़की म्यूनिसिपलटीमें
पन्द्रह रुपये से अधिक हो परन्तु पछत्तर रुपयेसे अधिक न हो), एक्जि-
क्यूटिव अफसर सजा दे सकता है, या डिस्मिस कर सकता है, परन्तु
ऐसी दगामें प्रत्येक हुक्म जिसके द्वारा कोई कर्मचारी डिस्मिस किया
जाय, या जिसके द्वारा किसी शख्सपर, उसके एक मासके वेतनसे
अधिक रकम का जुर्माना किया जाय या जिसके द्वारा एक माससे
अधिक के लिये कोई कर्मचारी अपने कामपर से हटाया जाय (मुअ-
निल किया जाय), या जिसके द्वारा, दण्ड देनेके अभिप्रायसे, किसी
का पद घटा दिया जाय (तनञ्जुल), की अपील चेयरमैनके पासकी
जासकेगी।

२ ऐसेही हुक्मोंके आधीन, उन म्यूनिसिपलिटियोंमें जहाँ एक्जिक््यूटिव अफसरन हो—

(ए) इन कर्मचारियोंको जिनका मासिक वेतन दस रुपये से (या शहरकी
म्यूनिसिपलटीमें पन्द्रह रुपयेसे) अधिक न हो, चेयरमैन सजा देसकता
है, या डिस्मिस कर सकता है। और

(बी) उन कर्मचारियोंको जिनका मासिक वेतन दस रुपये से अधिक न हो
(या शहरकी म्यूनिसिपलटीमें पन्द्रह रुपयेसे अधिक हो परन्तु पछत्तर
रुपये से अधिक न हो) चेयरमैन सजा देसकता है या डिस्मिस कर
सकता है, परन्तु ऐसी दगामें उस प्रकारके प्रत्येक हुक्मकी, जो उपदफा
(१) के अलावा (बी) में वर्णित है, अपील बोर्डके पासकी जासकेगी।

व्याख्या—

दफा ७५ और ७६ में जो कमसे कम (Minimum) और उँचीसे उँची रकमें (Miximum) बतवाई गई हैं, वहभी, दफा २९७ की उपदफा (१) के क्लॉज (एफ) के अनुसार बनाये हुये रेग्युलेशनके द्वारा बढ़ाई जा सकती हैं । देखिये दफा ७४ की व्याख्या ।

—दफा ७६ की उपदफा (२) के क्लॉज (बी) के द्वारा जो अधिकार अपील सुननेका बोर्ड को दिया गया है, उसको बोर्ड किसी दूसरेको सौंप देसकता है । देखिये शिडियूल न० (१)

दफा ७७ दफा ७१ से दफा ७६ तकमें दिये हुए अधिकारोंपर बन्धेज

१ दफा ७१, ७३, ७४, ७५, और ७६ के हुन्म—

(ए) दफा ७८ के आधीन होंगे । और

(बी) किसी नियम के, विरोधतः किसी ऐसे नियम के आधीन होंगे जो किसी ऐसे पदों पर, या किसी ऐसे विशेष पद पर, नौकर रखे जाने के विषय में, जिन पदों या जिस पद के लिये, किसी पेशे में निपुणता का होना आवश्यक रखा गया हो, कोई शर्तें लगाते हों, या जो उन पदों या उस पद पर से काम से हटा दिये जाने (Suspension) के विषयमें, डिस्मिस किये जाने के विषय में, कोई शर्तें लगाते हों ।

२ दफा ७४ ७५, और ७६ के हुन्म किसी ऐसे रेग्युलेशन (Regulation) के हुक्मोंके भी आधीन होंगे, जो उस वेतनकी अधिकसे अधिक (Maximum) या कमसे कम (Minimum) संख्याको बढ़ानेके विषयमें हों जो उक्त दफाओंमें बोर्ड और चेयरमैन और एक्जिक्यूटिव अफसरके ऐसे अधिकारोंके सम्बन्धमें नियमित हैं, जो उनको अपने अपने आधीन कर्मचारियोंपर प्राप्त है ।

व्याख्या—

उपदफा (१) के क्लॉज (ए) के अनुसार जो अधिकार कर्मचारियोंके वेतन नियत करने, इनको नियुक्त या डिस्मिस करने इत्यादि विषयोंमें दिये गये हैं, वह उन कर्मचारियों पर लागू न होंगे जो सरकारी नौकर हों और जो बोर्डको प्राप्ति दे दिये गये हों । ऐसे मागे हुए कर्मचारियोंके डिस्मिस किये जाने, या दूध दिये जानेके विषयमें दफा ७८ में हुन्म दिये गये हैं ।

—उपदफा (१) के क्लॉज (बी) का मतलब यह है कि कोई २ पद ऐसे हैं जिनपर केवल वही लोग नौकर रहे जा सकते हैं जो किसी विशेष काममें निपुण हों, या कोई परीक्षा पास कर चुके हों, या नियमित योग्यताएँ रखते हों, जैसे थ्रिजलीक कारखानेके नाकरोंके पद, या पानीके कारखानेका इन्जिनियर इत्यादि । ऐसे पद पर, चेयरमैन, एक्जिक्यूटिव अफसर इत्यादि ऐसेही किसी आदमीको नौकर रख सकते हैं जिनमें वह योग्यता मौजूद हो जो किसी नियमके द्वारा नियमित हों ।

दूसरी प्रकार, दफा ७१ के अनुसार बोर्डको जो अधिकार कर्मचारियोंका वेतन नियत करनेका दिया गया है, वह अधिकार भी किसी ऐसे नियमके आधीन होगा जो प्रान्तीय सरकारने किसी कर्मचारीके वेतनके विषयमें बना दिया हो । जैसे, सेनिटरी इन्स्पेक्टरके विषयमें प्रान्तीय सरकारकी आज्ञा है कि कमसे कम ६० रुपये मासिकसे कम वेतन न दिया जाय, तो इस नियमके विरुद्ध, बोर्डके

दफा ७१ के द्वारा, यह अधिकार न होगा कि किसी सैनिटेरी इन्स्पेक्टरका वेतन ६० रुपये मासिक से कम नियत कर दे।

—उपदफा (२) दफा ७४, ७५ और ७६ में जो अधिकार, कर्मचारियोंको नियुक्त करने, दण्ड देने वगैरह के विषयमें दिये गये हैं वह बोर्ड, चेयरमैन, अथवा एक्ज़िक्यूटिव अफसरको, कर्मचारियों के वेतनकी सख्याके हिसाबसे दिये गये हैं। अर्थात् उक्त दफाओंमें यह बतलाना दिया गया है कि अमुक सख्यासे अमुक सख्या तक वेतन पाने वाले कर्मचारियोंको बोर्ड नियुक्त करे, सजा इत्यादि दे, और अमुक सख्यासे अमुक सख्या तक वेतन पानेवालेको चेयरमैन नियुक्त करे, इत्यादि। इस उपदफाके द्वारा आज्ञा दी गई है कि यदि बोर्ड चाहे तो इन सख्याओंकी रेग्युलेशनके द्वारा बढाके अपने, या चेयरमैन या एक्ज़िक्यूटिव अफसरके अफसरोंको बढा सकता है।

—कुछ कर्मचारियोंकी विशेष योग्यताओं, वेतन, नियुक्ति आदिके विषयमें प्रान्तीय सरकार द्वारा नियम बना दिये गये हैं, वह सक्षेपमें नीचे दिये जाते हैं —

सैनिटेरी इन्स्पेक्टर

१ नीची श्रेणिके निगरानी करनेवाले सफाईके कर्मचारियों (Subordinate Supervising Conservancy Staff) की उपयोगिता बढ़ानेके अभिप्रायसे नीचे लिखे नियम (Rules) बनाये गये हैं, जिनके द्वारा प्रान्तके किसी २ बोर्डके लिये यह आवश्यक कर दिया गया है कि वह उक्त काम पर केवल शिक्षित (Trained) कर्मचारियोंको नौकर रखें। यह नियम केवल उन्हीं म्यूनिसिपल्टियों पर लागू हैं जिनकी वार्षिक आमदनी बीस हजार रुपयेसे अधिक हो।

२ बोर्डोंको चाहिये कि वे (नीचे लिखे) नियम १० की ओर विशेष ध्यान दें, अर्थात् यह कि कोई बोर्ड किसी चीफ सैनिटेरी इन्स्पेक्टर, या सैनिटेरी इन्स्पेक्टरको, नीचे लिखे कार्योंके अतिरिक्त, अन्य किसी कार्यमें बिना हायरक्टर आण्ड पब्लिक हेल्थ (Director of Public Health) की आज्ञाके न लगाये —

(१) आरोग्यताके उपायोंके प्रबन्ध (Sanitation)

(२) मौतों और पैदायशोंका दर्ज करना।

(३) पब्लिक (सार्वजनिक) आरागियों आदिको दबा लिये जाने (Enforcement) बचाना।

“उनके वास्तविक कामके अतिरिक्त सैनिटेरी इन्स्पेक्टरों पर प्रायः नाना प्रकारके कामोंका भार डाल दिया जाता है जैसे कि कर (Tax) का जमा करना। यह अत्यन्त आवश्यक है कि यदि आरोग्यताके उपायोंकी ओर उतना अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है जितना दिया जाना कि सब आवश्यक तरीकार करते हैं सुतर्फिक कामोंका दृष्टत सैनिटेरी इन्स्पेक्टरों पर नहीं डाला जाना चाहिये, जिससे कि वे अपना पूरा समय आरोग्यताके उपायोंकी निगरानी और देगमालमें लगा सकें। केवल छोटे २ नगरों (Towns) में इस बातकी आज्ञा दी जा सकती है कि सैनिटेरी इन्स्पेक्टरके कामके मत, सेक्रेटरी या म्यूनिसिपल ओवरसियर (Overseer) का काम एगा दिया जाय, यदि सैनिटेरी कमिश्नरकी रायमें इस प्रकार दो कामोंके मिला दिये जानेसे आरोग्यताके कामों में कोई हर्ज न हो।

(देखिये रेजोल्यूशन नं० ११३१ तथा ३९०१ XA - १६ ई०, तारीख २६ मार्च और ३१ अक्टूबर, सन १९१२ ।)

जो नियम कि सेनिटेरी इन्स्पेक्टरोंके सम्बन्धमें बनाये गये हैं, सक्षेपमें यह हैं --

(दफा ७७ की उपदफा (१) के क्लॉज (बी) के सम्बन्धमें)—

१ सफाईके कर्मचारियों (Conservancy Staff) की कमसे कम सख्या, जो किसी बोर्डको रखना चाहिये, वह नीचे लिखे नियमोंमें बताई गई है ।

२ इन नियमोंके मतलबके लिये प्रान्तीय सरकार म्यूनिसिपलटियोंको दो दर्जोंमें विभक्त करेगी, अर्थात्

दर्जा १ वह म्यूनिसिपलटिया जिनकी जन सख्या एक लाख या इससे अधिक हो ।

दर्जा २ वह म्यूनिसिपलटिया जिनकी वार्षिक आमदनी बीस हजार रुपये से कम न हो ।

३ दर्जा १ की प्रत्येक म्यूनिसिपलटी ऐसे भागों में बांटी जायेगी कि प्रत्येक भागकी जन सख्या २० हजार और २५ हजार के बीच में हो । प्रत्येक ऐसे भागके लिये एक सेनिटेरी इन्स्पेक्टर रखा जायगा । और प्रत्येक एक लाख निवासियों के लिये एक चीफ सेनिटेरी इन्स्पेक्टर रखा जायगा । परन्तु ऊपर बताये हुये भागों के ५ भागसे अधिक की निगरानी किसी चीफ सेनिटेरी इन्स्पेक्टर को नहीं सौंपी जायगी ।

४ सिवाय नैनीतालके, दूसरे दर्जे की सब म्यूनिसिपलटियों में कमसे कम एक सेनिटेरी इन्स्पेक्टर रखा जायगा । नैनीतालकी म्यूनिसिपलटी में कमसे कम दो रखे जायेंगे ।

५ प्रान्त की म्यूनिसिपलटियों को, दर्जों में प्रान्तीय सरकार ने जिस प्रकार बाटा है वह परिशिष्ट ए (Appendix A) में दिये गये हैं, परन्तु शर्त यह है कि प्रान्तीय सरकार जन चाहे, किसी म्यूनिसिपलटी का दर्जा बदलके दूसरे में रख सकती है ।

६-७ सेनिटेरी इन्स्पेक्टर और चीफ सेनिटेरी इन्स्पेक्टर के पदों पर केवल ऐसेही शर्त रखे जायेंगे जिन्होंने कि सेनिटेरी इन्स्पेक्टरी की परीक्षा पास की हो । जिन शर्तों ने केवल अप्रेंटिस सेनिटेरी इन्स्पेक्टर (Apprentice Sanitary Inspector) की नीची परीक्षा पास की हो, उनको कोई बोर्ड, अर्थाई रूपसे, केवल तीन वर्ष तकके लिये, नौकर रख सकता है ।

८ सेनिटेरी इन्स्पेक्टर कमसे कम एक वर्ष तक परीक्षा (Probation) पर रहेंगे ।

९ अप्रेंटिस सेनिटेरी इन्स्पेक्टर का वेतन ६०) रुपया प्रति माससे कम न होगा । सेनिटेरी इन्स्पेक्टर का ७०) रुपया और चीफ सेनिटेरी इन्स्पेक्टर का १००) रुपये से कम न होगा ।

१० कोई बोर्ड किसी चीफ सेनिटेरी इन्स्पेक्टर, या सेनिटेरी इन्स्पेक्टर को नीचे लिखे कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में बिना डायरेक्टर आर्द् पब्लिक हेल्थकी आज्ञा के न लगायगा ।

(१) आरोग्यता के उपायों के प्रबन्धमें ।

(२) मौतों तथा पैदायशों को दर्ज कराने में ।

(३) पब्लिक (सार्वजनिक) आराजियों आदि को दबा लिये जाने से बचाने में ।

११ प्रत्येक सेनिटेरी इन्स्पेक्टर और चीफ सेनिटेरी इन्स्पेक्टरके लिये एक दिनपत्रिका (Diary) रचना आवश्यक होगा जिसमें वह आरोग्यता के उपायों की सब रिपोर्टें दर्ज किया करेगा, और उनके विषयमें जो नये प्रबन्ध कराना चाहे वह "दिनपत्रिका" में लिखेगा ।

16 यह "दिनपत्रिका" मेडिकल,

ऑफिसर आव् हेरथ के पास भेजी जायगी, या यदि म्यूनिसिपल्टी में यह अफसर न रखा गया हो तो, जिसको 'चेयरमैन या एक्जिक्यूटिव अफसर आज्ञा दे उसको भेजी जायगी, जिस अफसरके पास 'दिनपत्रिका' भेजी जायगी वह अपनी राय लिखके उसको एक्जिक्यूटिव अफसर के पास भेज देगा, या यदि एक्जिक्यूटिव अफसर न हो तो 'चेयरमैनके पास भेज देगा।

आज्ञा दी जाने पर ऐसी 'दिनपत्रिका' डायरेक्टर आव् पब्लिक हेरथ, या उसके नायबों या सिविल सर्जन की सेवा में देखने के लिये भेजी जायगी।

१२ सेनिटरी इन्स्पेक्टरों पर उन्हीं समस्याओं का अधिकार होगा जो उनको नौकर रखेंगी। उनके सयादले, छुट्टी, तथा विन्मिस् किये जाने क विषय में वही कायदे माने जायेंगे जो अन्य म्यूनिसिपल कर्मचारियों के लिये हैं।

परिशिष्ट ए.

(Appendix A)

म्यूनिसिपल्टियों की विभक्ति

दजॉ १-भागरा, इलाहाबाद, बरेली, बनारस, कानपुर लखनऊ, मेरठ।

दजॉ २-भल्मोडा, अमरोहा, आजमगढ, नहरायच, थलिया, बादा, भृन्दावन, बदायूँ, बुलन्द शहर चन्द्रासी, देहरा, देवबन्द, इटावा, फतहगढ-फर्रुखाबाद, फतेहपूर, फीरोजाबाद, फैजाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हापड, हरदोई, हरिद्वार (यूनिअन), हाथरस, जौनपुर, झांसी, कासगज, खुर्जा, (कोइल) अलीगढ, ललितपुर, मिरजापुर, मुरादाबाद, मसुरी, मथुरा, मुजफ्फर नगर, नगीना, नैनीताल, नजीबाबाद, नज्बागज (घाराबकी), पीलीभीत, रायबरेली, राउकी, महारनपुर, सम्भल, शाहजहापुर, सिकन्दराबाद, सीतापुर, तिलहर लखीमपुर, कूच, सडीला।

सेनिटरी इन्स्पेक्टरोंकी शिक्षा, परीक्षा इत्यादिके विषयम देखिये परिशिष्ट बी (B) म्यूनिसिपल मैन्फैबल के पन्ने ३०१ से ३०४ तक।

ओवरसियरों तथा सब ओवरसियरोंके नियुक्त किये जानेके विषयमें नियम

(दफा ७७ की उप दफा (१) के क्लॉज (बी) के सम्यन्ध में) —

कमिश्नरकी विशेष आज्ञा प्राप्त किये बिना कोई बोर्ड किन्हीं शरैसको ओवरसियर (Overseer) या सब ओवरसियर (Sub Overseer) के पद पर न रखेगा जब तक कि उस शरैस न नीचे लिखी हुई योग्यताओं में से कोई प्राप्त न की हो —

१ किन्हीं सरकारी इन्जिनियरों के कालेज से सब ओवरसियरी की परीक्षा पासकी हो, और पास कर लेने पर कम से कम पाच वर्ष का, साधारण पब्लिक वर्क्स (Ordinary public works) की निगरानी का अनुभव (तजुब्या) प्राप्त किया हो। या

२ किसी सरकारी इंजिनियरी के कालेज से ओवरसियरी की परीक्षा पास की हो और पब्लिक वर्क्स (अर्थात् सार्वजनिक काम) की निगरानी का अनुभव कमसे कम १२ मास का उसका हो । या

३ सरकारी, या किसी रेल के पब्लिक वर्क्स विभाग में स्थाई या अस्थाई कर्मचारियों में कम से कम लगातार पांच वर्ष तक सब-ओवरसियरी के पद पर नौकरी की हो । और जिसने एक सर्टिफिकेट (Certificate) किसी ऐसे इंजिनियर से प्राप्त किया हो जिसका पद डिवीजनल इंजिनियर (Divisional Engineer) से कम न हो, या किसी रेल के इंजिनियर से, जो समान पद का हो प्राप्त किया हो और जिसमें उम्मेदवार के सदाचरण, और नौकरी में काम की योग्यता प्रगट करने, और सर्वे (Survey अर्थात् पैमायश) तथा लेवल (Level) कर सकने का सर्टिफिकेट दिया गया हो ।

—जब तक कि अपनी नियुक्ति से कम से कम तीन वर्ष पूर्व से वह सयुक्त प्रान्त में न रह रहा हो ।

(देखिये विज्ञापन No 1906 x 1 6 H तारीख ५ जुलाई, सन १९१६, और विज्ञापन No 356 x 1 71 H तारीख २६ जनवरी, सन १९१७, और विज्ञापन No 34 x 1 549 E तारीख ९ सितम्बर, सन १९२०)

पानीके कारखाने, तथा पानीके निकासके उपायोंको कायम रखनेके लिये कर्मचारियोंको नियुक्त और डिस्मिस करनेके विषयमें नियम

१ पानीका कारखाना (Water works) या पानीके निकासके उपायोंका कारखाना (Drainage works) जारी रखने के लिये जो कर्मचारी रखे जायें, उनमें कोई श्राक्स २५०) रुपये मासिक से अधिक के वेतन पर, सिवाय प्रान्तायि सरकार की मन्जूरी के न रखा जायगा ।

२ सिवाय सेनिटरी इंजिनियर की मन्जूरी के, कोई श्राक्स उपरोक्त कारखानों में नीचे लिखे पदों में से किसी पर, जिनके कि लिये कला विज्ञानकी कोई विशेष योग्यता (Technical Qualification) आवश्यक है, नौकर न रखा जायगा —

- (१) एन्जिन चलानेवाला या एन्जिन चलाने वाले का नायब, या किसी ऐसे एन्जिन को चलाने वाला जो म्यूनिसिपलटी के कामों के लिये, पानी, या गन्दगी को खींचता और बहाता हो ।
- (२) पानी के कारखाने का इन्स्पेक्टर या सब-इन्स्पेक्टर ।
- (३) नियम (१) और (२) के अनुसार नियुक्त किया हुआ कोई श्राक्स अपने पेशे के कर्तव्यों को पूरा न करने के कारण डिस्मिस न किया जायगा जबतक कि सेनिटरी इंजिनियर की राय उस मामले में प्राप्त न कर ली जाय ।

(देखिये विज्ञापन No 1

विजलीके कारखानेके कर्मचारी नियुक्त किये जानेके विषयमें नियम, संक्षेपमें यह हैं

(दफा ७७ की उप दफा (१) के क्लॉज (बी) के सम्बन्धमें)—

नियम न० ८ विजली के कारखाने के कर्मचारियों में से कोई शरस २५०) रुपये मासिक से अधिक के वेतन पर, बिना प्रान्तीय सरकार के म्यूनिसिपल विभाग की मजूरी के नियुक्त न किया जायगा ।

नियम न ९ और १० सिवाय विजलीके इन्सपेक्टर (Electrical Engineer) की मजूरीके कोई शरस उपरोक्त कारखानेमें नीचे लिखे पदोंमेंसे किसी पर, जिनके लिये कि कला विज्ञान की विशेष योग्यता होना आवश्यक है, नौकर न रखा जायगा —

शिफ्ट इञ्जिनियर (Shift Engineer)

सब-स्टेशन इञ्जिनियर (Sub-Station Engineer)

पावर हाउस सुपरिन्टेन्डेन्ट (Power House Superintendent)

स्विच बोर्ड एट्टेन्डेन्ट (Switch board Attendant)

मेन सुपरिन्टेन्डेन्ट (Main Superintendent)

फोरमैन वायरमैन (Foreman Wireman)

फोरमैन लाइन्समैन (Foreman Linesman)

(देखिये विज्ञापन No 1906 XI 6 H, तारीख ५ जुलाई सन १९१३ ई०)

दफा ७८ जिन सरकारी कर्मचारियोंको बोर्डने अपने काममें लिया हो, तथा जिन बोर्डके कर्मचारियोंको सरकारने अपने काम में लिया हो, उनकी पेन्शन और डिस्मिस् किया जाना

१ किसी ऐसे कर्मचारी की पेन्शन और छुट्टी की तनख्वाह (Leave allowances) में बोर्ड को चन्दा देकर भाग लेना होगा (Shall contribute)—

(ए) जिसकी नौकरी (मुलाजिमत) सरकार ने बोर्ड को मांगे दे दी हो, या जिसको बदल के अपने काम पर से बोर्ड के काम में दे दिया हो । या

(बी) जिसकी नौकरी (मुलाजिमत) बोर्ड ने सरकार को मांगे दे दी हो, या जिसको बदल के अपने काम पर से सरकार के काम में दे दिया हो । या

(सी) जिससे कुछ काम सरकार लेती हो और कुछ बोर्ड ।

२ चन्दे का पैसा भाग (Contribution) उस हद तक होगा, जितना कि गवर्नर जनरल और उनकी कौंसिलके बनाये हुए किसी साधारण नियमों (General rules) या विशेष हुकमों, के द्वारा नियमित हो ।

३ सरकार की सम्मति के बिना, बोर्ड किसी ऐसे कर्मचारी को, जिसका वर्णन उप-दफा (१) के क्लॉज (ए) और क्लॉज (सी) में किया गया है अपने काम पर से छुड़ा न सकेगा, न किसी ऐसे कर्मचारी को, जिसका वर्णन उप दफा (१) के क्लॉज (बी) में किया गया है विलकुल डिस्मिस कर सकेगा, जब तक कि उसने सरकार को कम से कम छ मास का नोटिस न दे दिया हो ।

४ इस दफामे शब्द "सरकार" का अर्थ है "भारत सरकार" (Government of India) या कोई प्रान्तीय सरकार ।

व्याख्या—

धोमान भारत मन्त्री (Secretary of State for India) ने अपने राज लेख (Despatch) न० १३ तारीख ७ फरवरी सन १८८९ ई० के द्वारा आज्ञा दी है कि जो सरकारी अफसर देशी रियासतों, म्यूनिसिपलटियों, रेल की कम्पनियों आदि को मागे दिये जायें, उनके विषय में जो नियम हों उनमें इस प्रकार परिवर्तन किया जाय कि जिससे यह यात स्पष्ट विदित हो जाय कि—

१ जो अफसर मागे दिये जायेंगे उनको केवल उतनाही बदलार (Remuneration) मिलेगा जितना कि तय हो गया हो, या जितनेकी भारत सरकार ने मन्जूरी दी हो ।

२ जो अफसर इस प्रकार मागे दिये जायेंगे, जय कि वे किसी बाहरी काम पर रहेंगे, उन पर वे सब कामपे लागू होंगे, जो कि उन अफसरोंके आचार व्यवहार, सजा इत्यादि (Disciplinary rules) के विषय में बनाये गये हों जो कि वास्तव में सरकारी नौकरी पर काम कर रहे हों ।

—इस प्रकार मागे दिये जाने से पूर्व ही जिन अफसरों का पेन्शन का हक सरकार पर होगया हो तो सरकार उनकी पेन्शन की जिम्मेदारी अपने ऊपर रखती है और निस रियासत, म्यूनिसिपलटी इत्यादि को ऐसे अफसर मागे देती है उनसे, प्रतिमास, एक रकम पेन्शन की मद में लिया करती है । (देखिये म्यूनिसिपल मैन्यूअल के पन्ने ३१८-३१९)

दफा ७९ छुट्टी का एलाउन्स प्राविडेन्ट फण्ड, वार्षिक वज़ीफे और इनाम

१ प्रत्येक ऐसी दशा में जिसमें कि बोर्ड को किसी अफसर या कर्मचारी को वेतन देने का अधिकार हो, उसको, किसी ऐसे रेग्युलेशनो (Regulations)के आधीन जो इस विषय में हो, ऐसे अफसर या कर्मचारी को छुट्टी की तनखाह, (एलाउन्स) भी देने का अधिकार होगा ।

२ बोर्ड एक प्राविडेन्ट फण्ड भी स्थापित कर सकता है और जारी रख सकता है, और स्वयं भी उस फण्ड में कुछ रकम दे सकता है (Contribnte)

३ बोर्ड, अपने किसी ऐसे कर्मचारी को जिसको प्राविडेन्ट फण्ड के लाभ में भाग लेने का अधिकार प्राप्त न हो, जब कि उक्त कर्मचारी नौकरी का पूरा समय काट के कार्य त्याग (Retire) करे, इनाम (Gratuity) प्रदान कर सकता है ।

४ प्रान्तीय सरकार की मजूरी पहले से प्राप्त करके, बोर्ड—

(ए) किसी ऐसे कर्मचारी को जो कार्य त्याग करने की तारीख (Date of Retirement) पर किसी ऐसे प्राविण्डेट फंड में, जो उप दफा (२) के अनुसार स्थापित किया गया हो, चन्दा न देता रहा हो, या जिसने ऐसे प्राविण्डेट फंड में दस वर्ष से कम की अवधि तक चन्दा दिया हो । और

(बी) किसी ऐसे अफसर या कर्मचारी को, जिसके, अपने पद के काम को करने में, चोट लगी हो, परन्तु ऐसी चोट स्वयं अपनी ही भूलचूक से न लगी हो, या उस दशा में जब कि ऐसी चोट के कारण मृत्यु हो जाय तो ऐसे अफसर या कर्मचारी के कुटुम्ब को ।

—वार्षिक वजीफा (Annuity) प्रदान कर सकता है, या उसके लिये वार्षिक वजीफा मोल लेने का प्रबन्ध कर सकता है ।

५ घोड़े, ऐसी ही मंजूरी प्राप्त करके, उप दफा (४) के क्लॉज़ (बी) के अनुसार काम करने के बटले, किसी ऐसे अफसर या कर्मचारी को, जिस का वर्णन उक्त क्लॉज़ में है, या उसके कुटुम्ब को "करुणाई एलाउन्स" (Compassionate allowance) दे सकता है ।

व्याख्या—

म्युनिसिपल्टी के कर्मचारियों को पेन्शन नहीं मिलती । इसलिये यह आवश्यक समझा गया कि जो शासक, पूरे समय तक म्युनिसिपल्टी की सेवा करके, वृद्धावस्था के कारण अपने काम पर से हटे, उसके निर्वाह का कुछ प्रबन्ध होना चाहिये । दफा ७९ में उन अनेक प्रकार की सहायताओं का उल्लेख है जो म्युनिसिपल्टी ऐसी दशा में अपने कर्मचारियों को देती है

—छुट्टी की तनखाह —दफा २९७ की उप दफा (१) के क्लॉज़ (एच) के अनुसार छुट्टी की तनखाह (Allowance) आदि देने के विषय में घोड़े को रेग्युलेशन बनाने का अधिकार है । नमूने के रेग्युलेशन (Model Regulation) जो इस विषय में म्युनिसिपल मैनुअल में दिये गये हैं उन के विषय में सिफारिश की गई है कि म्युनिसिपल्टियां उन्हीं को पास कर लें । वह संक्षेप में यह हैं —

१ घोड़े को किसी कर्मचारी को एलाउन्स, जो उसको काम परसे अनुपरिग्रहित रहने के काल में दिया जायगा, तथा वह एलाउन्स जो किसी ऐसे शासक को दिया जायगा जो किसी दूसरे की जगह एवजी करे, उन्हीं नियमों के अनुसार दिया जायगा जो सरकारी सिविल सर्विस रेग्युलेशनों के अनुसार अकॉवेन्टेड (Unconvenanted) अफसरों को दिया जाता है ।

२ सफर का भत्ता (Travelling allowance) भी वही दिया जायगा जो उक्त अफसरों को दिया जाता है ।

—छुट्टी के एलाउन्स के लिये प्रान्तीय सरकार ने नीचे लिखा नियम (Rules) दफा २९६ की उप दफा (२) के क्लॉज़ (बी) के अनुसार बना दिया है, और उसी के अनुसार छुट्टी का एलाउन्स घोड़ों के कर्मचारियों को दिया जाया करता है । वह नियम यह है —

‘कमिश्नर की पहले से आज्ञा प्राप्त किये बिना कोई म्युनिसिपल घोड़ा अपने किसी अफसर या कर्मचारी को कोई छुट्टी, या छुट्टी का एलाउन्स, या एवजी का एलाउन्स नहीं देगा, जो उससे

अधिक हो, जो सिविल सर्विस रेग्युलेशनों (Civil Service Regulations) के अनुसार (यदि ऐसा अफसर या कर्मचारी सरकारी नौकर होता) उसको मिल सकता ।

—प्राविडेंट फण्ड—म्यूनिसिपल्लैजि के कर्मचारियों के वेतनमें से प्रति मास थोड़ा सा रुपया काटके म्यूनिसिपल्लैजि अपने पास जमा कर लेती है, और जितना रुपया मासिक ऐसे शर्क्स की तनख्वाह से काटती है उसका आधा रुपया अपने पास से प्रतिमास जमा करती जाती है । अन्त में जब कर्मचारी अपने काम पर से हटता है तो यह एकत्रित रकम उसको दे दी जाती है । ऐसी रकम को प्राविडेंट फण्ड (Provident Fund) कहते हैं ।

—ढाकखाने के सेविंग्स बैंक (Savings Bank) के कायदोंमें इस बातकी आज्ञादे दी गई है, कि म्यूनिसिपल्लैजियों के धेयरमैन, म्यूनिसिपल्लैजियों के कर्मचारियों के प्राविडेंट फण्ड का हिसाब ढणक बैंक में रख सकते हैं । परन्तु भारत सरकारके फिनेन्स और कामर्स विभाग (Finance & Commerce) के रेजोल्यूशन न० ३१२२, ता० २४ जुलाई सन १९१६के द्वारा यह आज्ञा दी गई है कि म्यूनिसिपल्लैजियों को प्राविडेंट फण्ड ढाकखाने में जमा करने की इजाजत तभी दी जायगी, जब कि उनके बोर्ड उन रेग्युलेशनों के अनुसार काम करें जो प्रान्तीय सरकार तथा कमिश्नर के द्वारा समय र पर मजूर किये जाया करते हैं । दफा २९७ की उप दफा (२) के अनुसार भी प्रान्तीय सरकार को अधिकार है कि प्राविडेंट फण्डके विषयमें रेग्युलेशन बनाये । जो रेग्युलेशन प्रान्तीय सरकार इस विषयमें बना देगी उनके सामने बोर्ड के रेग्युलेशन रद समझे जायेंगे । (देखिये—दफा २९७ की उप दफा (१) का बलाज (एल) और उप दफा (२) ।

प्राविडेंट फण्ड के स्थापित किये जाने के विषयमें नीचे लिखे नियम (Rules) प्रान्तीय सरकार ने बना दिये हैं —

“जो बोर्ड प्राविडेंट फण्ड स्थापित करना चाहे उसको नीचे लिखी शर्तों का अनुसरण करना होगा —

(ए) प्राविडेंट फण्डमें खन्दा देने का अधिकार केवल उन्हीं कर्मचारियों को होगा, जिनका मासिक वेतन १०) रुपया या इससे अधिक हो ।

(बी) जो भाग बोर्ड किसी अफसर या कर्मचारी के प्राविडेंट फण्डमें दिया करेगा उसकी संख्या उस रकमके आधे से अधिक न होगी, जो ऐसा अफसर या कर्मचारी स्वयं दिया करेगा ।

(सी) केवल उन्हीं अफसरों और कर्मचारियों को प्राविडेंट फण्ड का खन्दा, देना आवश्यक होगा जो किसी ऐसे पद पर नियुक्त किये जायें जिस पदके लिये प्राविडेंट फण्ड का खन्दा देना जरूरी रखा गया हो, या उन अफसरों या कर्मचारियों के लिये आवश्यक हो जो तरकी पाके ऐसे किसी पद पर पहुँच जायें ।

(डी) बोर्ड को उन रेग्युलेशनों का अनुसरण करना आवश्यक होगा जो प्रान्तीय सरकार बनाये ।” (विज्ञान No. 1906 Pt. -6 H तारीख ५ जुलाई सन १९१६)

—यदि कोई बोर्ड चाहे कि दस रुपया मासिक वेतन पाने वालों के लिये प्राविडेंट फण्ड का खन्दा देने की शर्त न रखी जाय, वरन बससे उची रकम पाने वालों के लिये, (जैसे १५) या २०) रुपये पाने वालों के लिये) तो बोर्ड इसकी मजूरी की प्रार्थना कर सकता है । परन्तु प्रान्तीय सरकार

की यह राय है कि योर्कों को दफा ७९ के अनुसार इनाम (Gratuity) या वार्षिक बचिफा (Annuity) देने की अपेक्षा इसी में सुविधा होगी कि वह दस रुपये मासिक वेतन पाने वालों तक से प्राविडेंट फण्ड जमा कराय ।

—भारत सरकारने विज्ञापन न० २०२, तारीख ३० अक्टूबर सन १९०३ ई० के द्वारा प्राविडेंट फण्ड एक्ट, न० ९, सन १८९७ ई० (Provident Funds Act IX of 1897) को उन सब प्राविडेंट फण्डों पर लागू कर दिया है जो इस प्रान्तमें म्यूनििसिपल एक्टके अनुसार स्थापित किये जायें । इस एक्टके लागू कर दिये जाने से दो प्रकार के लाभ हैं अर्थात् एक तो यह कि प्राविडेंट फण्डमें चन्दा देने वाले किसी कर्मचारी के मर जाने पर वह रकम जो उसकी जमा होती है, उक्त एक्ट के हुकों के अनुसार सुविधा से मिल जाती है, और दूसरे यह कि उन कर्मचारियों का प्राविडेंट फण्ड, जिनके लिये उसका देना जरूरी रखा गया है किसी कृर्जे में कुर्क नहीं हो सकता । (देखिये G O No 4082 XI-700 A, तारीख २६ नवम्बर सन १९०३) ।

—प्राविडेंट फण्डके लिये नमूने के रेग्युलेशनों (Model Regulation) के लिये देखिये म्यूनििसिपलटी मैनुअलके पन्ने ४३९ से ४४३ तक ।

—उप दफा (३) उन कर्मचारियों के लिये है जिनका वेतन १० रुपये प्रति माससे कम हो । ऐसे कर्मचारियों को, जब वह नौकरी का पूरा समय व्यतीत कर चुक तो बोर्ड कोई रकम इनाम की दे सकता है ।

—उप दफा (४) के अनुसार या तो बोर्ड स्वयं कोई रकम वार्षिक बचिफे की दे सकता है या किसी बैंक, कम्पनी इत्यादि में, जो इस प्रकार का कार्य करती हों, कोई इक्की रकम देकर, यह तय कर दे सकता है कि वह बैंक या कम्पनी ऐसे कर्मचारी को एक नियत की हुई रकम प्रति वर्ष दिया करे ।

दफा ८० पूर्वोक्त दफाके अनुसार दिये हुये अधिकारों पर बंधेज

दफा ७९ के हुकम इस शर्त के आधीन होंगे, कि बोर्ड बिना प्रान्तीय सरकार की विशेष मजूरी के किसी अफसर या कर्मचारी को, या उसके कुटुम्ब को, कोई पेंशन या वार्षिक बचिफा, या इनाम, उससे अधिक न देगा, जितना पाने का, कि वह गवर्नर जनरल और उनकी कौंसिल अथवा प्रान्तीय सरकार द्वारा दिये हुये, किसी साधारण या विशेष (General or special) हुकम के अनुसार, अधिकारी होता, यदि वह नौकरी, जिलके द्वारा वह उस पेंशन, या वार्षिक बचिफा, या इनाम, पाने के योग्य हुआ हो सरकारी होती और उसी अर्ध तक तथा उसी वेतन पर की गई होती, और अन्य प्रकार भी उसी ढंग की होती ।

मेम्बरों अफसरो और कर्मचारियों की जिम्मेदारी

दफा ८१ रुपया या जायदादकी हानि, बर्बाद जाने, या अपव्यय होने पर, मेम्बरोंकी जिम्मेदारी

प्रत्येक शख्स बोर्डके रुपये या अन्य जायदादकी हानि, बर्बाद जाने, या अपव्यय होने का जिम्मेदार होगा यदि ऐसी हानि, बर्बाद जाना, या अपव्यय उसकी

अधिक हो, जो सिविल सर्विस रेग्युलेशनों (Civil Service Regulations) के अनुसार (यदि ऐसा अफसर या कर्मचारी सरकारी नौकर होता) उसको मिल सकता है ।

— प्राविडेंट फण्ड-म्यूनिसिपलटी के कर्मचारियों के वेतनमें से प्रति मास थोड़ा सा रपया काटके म्यूनिसिपलटी अपने पास जमा कर लेती है, और जितना रूपया मासिक ऐसे शैक्स की तनखाह से काटती है उसका आधा रूपया अपने पास से प्रतिमास जमा करती जाती है । अन्त में जब कर्मचारी अपने काम पर से हटता है तो यह एकत्रित रकम उसको दे दी जाती है । ऐसी रकम को प्राविडेंट फण्ड (Provident Fund) कहते हैं ।

— डाकखाने के सेविंग्स बैंक (Savings Bank) के कार्यद्वारा इस बातकी आज्ञा दी गई है, कि म्यूनिसिपलटियों के चेयरमैन, म्यूनिसिपलटियों के कर्मचारियों के प्राविडेंट फण्ड का हिसाब डबल बैंक में रप सकते हैं । परन्तु भारत सरकारके फिनेन्स और कामर्स विभाग (Finance & Commerce) के रेजोल्यूशन नं० ३१२२, ता० २४ जुलाई सन १९१६के द्वारा यह आज्ञा दी गई है कि म्यूनिसिपलटियों को प्राविडेंट फण्ड डाकखाने में जमा करने की इजाजत तभी दी जायगी, जब कि उनके बोर्ड उन रेग्युलेशनों के अनुसार काम करें जो प्रान्तीय सरकार तथा कमिश्नर के द्वारा समय र पर मजूर किये जाया करते हैं । दफा २९७ की उप दफा (२) के अनुसार भी प्रान्तीय सरकार को अधिकार है कि प्राविडेंट फण्डके विषयमें रेग्युलेशन बनाये । जो रेग्युलेशन प्रान्तीय सरकार इस विषयमें बना देगी उनके सामने बोर्ड के रेग्युलेशन रद्द समझे जायेंगे । (देखिये-दफा २९७ की उप दफा (१) का क्लोज (एंज) और उप दफा (२) ।

प्राविडेंट फण्ड के स्थापित किये जाने के विषयमें नीचे लिखे नियम (Rules) प्रान्तीय सरकार ने बना दिये हैं —

“जो बोर्ड प्राविडेंट फण्ड स्थापित करना चाहे उसको नीचे लिखी शर्तों का अनुसरण करना होगा —

(ए) प्राविडेंट फण्डमें चन्दा देने का अधिकार केवल उन्हीं कर्मचारियों को होगा, जिनका मासिक वेतन १०) रूपया या इससे अधिक हो ।

(बी) जो भाग बोर्ड किसी अफसर या कर्मचारी के प्राविडेंट फण्डमें दिया करेगा उसकी संख्या उस रकमके आधे से अधिक न होगी, जो ऐसा अफसर या कर्मचारी स्वयं दिया करेगा ।

(सी) केवल उन्हीं अफसरों और कर्मचारियों को प्राविडेंट फण्ड का चन्दा, देना आवश्यक होगा जो किसी ऐसे पद पर नियुक्त किये जायें जिस पदके लिये प्राविडेंट फण्ड का चन्दा देना जरूरी रखा गया हो, या उन अफसरों या कर्मचारियों के लिये आवश्यक हो जो तरकी पाके ऐसे किसी पद पर पहुँच जायें ।

(डी) बोर्ड को उन रेग्युलेशनों का अनुसरण करना आवश्यक होगा जो प्रान्तीय सरकार बनाये ।” (विज्ञान No 1906 X1 -6 H तारीख ५ जुलाई सन १९१६)

— यदि कोई बोर्ड चाहे कि दस रूपया मासिक वेतन पाने वालों के लिये प्राविडेंट फण्ड का चन्दा देने की शर्त न रखी जाय, वरन उससे ऊँची रकम पाने वालों के लिये, (जैसे १५) या २०) रूपये पाने वालों के लिये) तो बोर्ड इसकी मजूरी की प्रार्थना कर सकता है । परन्तु प्रान्तीय सरकार

- (ढी) उसने किसी ऐसे ऋण से डिबेंचर (Debenture) लिया हो, या किसी अन्य प्रकार वास्ता रखता हो, जो कि बोर्ड ने लिया हो, या बोर्ड की ओर से लिया गया हो । या
- (ई) उसको, बोर्ड ने अपना वकील नियत कर रखा है । या
- (एफ) बोर्ड के हाथ किसी ऐसी वस्तु के ऋभी २ बेचे जाने में कोई भाग या वास्ता रखता है जिस वस्तु का व्यापार वह करावर किया करता है, और जो उतने मूल्य की बेची जाय कि वह मूल्य किसी एक वर्ष में, ऐसी रकम से अधिक न हो, जो बोर्ड, सरकार की मजूरी से, इस विषय में, नियत कर दे । या
- (जी) वह किसी ऐसे मुआहिदे में फरीक है जो बोर्ड के साथ दफा १९६ के फलाज (सी) के हुक्मों के अनुसार, या दफा २२९ के हुक्मों के अनुसार किया गया हो ।

व्याख्या—

म्यूनिसिपल्टी के किसी मेम्बर को म्यूनिसिपल्टी के कामों से, किसी प्रकार का, लाभ या मना नहीं उठाना चाहिये, न उनको म्यूनिसिपल्टी का, कोई काम या ठेका स्वयं लेना चाहिये, न किसी भाग में या किसी सामेदार के द्वारा लेना चाहिये । कारण यह कि यदि म्यूनिसिपल्टी के ठेके देने वाले, तथा अन्य कार्यों के पराने वाले, मेम्बर स्वयं उन ठेकों और कामों को ले लें, तो स्वार्थ के सामने म्यूनिसिपल्टी के लाभ या उनको ऋभी प्यान नहीं रह सकता । अतएव कानून की यह भाजा है कि कोई मेम्बर किसी भाग में भी किसी प्रकार, म्यूनिसिपल्टी के कामों से लाभ न उठाने पावे । यदि कोई मेम्बर अपने किसी नातेदार या मित्र के नाम से ठेके ले ले और स्वयं उसके नके में भाग ले तो वह दफा १६८ तानिारात हिन्द का भाराधी ठहराया जायगा । परन्तु कुछ दशाओं ऐसी भी हैं जिनमें किसी मेम्बर का किसी ठेके या काम से सम्बन्ध होते हुए भी यह नहीं माना जाता कि वह, ऐसे सम्बन्ध के द्वारा कोई अनुचित लाभ उठाता है, और उन दशाओं का वर्णन उप दफा (२) में किया गया है ।

—ज्वाइंट स्टॉक कम्पनी (Joint Stock Company) की व्याख्या इण्डियन कम्पनीज एक्ट न० ७ सन् १९१३ (Indian Companies Act 7 of 1913) की दफा २५४ में इस प्रकार दी गई है—

(एक्ट के) इस भाग के मतलबों के लिये, जहां तक कि उन कम्पनियों की रजिस्ट्री से सम्बन्ध है, जिनकी रजिस्ट्री कि हिस्सों से सीमा बद्ध कम्पनी (Limited) के समान की जाती है ज्वाइंट स्टॉक कम्पनी का अर्थ है, कोई ऐसी कम्पनी जिसमें स्थाई (Permanent) अदा किया हुआ (Paid up) या कुल निश्चित मूल धन (Nominal Share Capital of fixed amount) हिस्सों में बांट दिया गया हो, और जिसमें ऐसे बाटे हुए हिस्से भी निश्चित रकम के हों, या ऐसे हिस्से हिस्सेदारों को स्टॉक (Stock) के प्रकार दिये गये हों, और ऐसे हिस्से बेचे, या अन्य प्रकार अलग किये जा सकते हों, या जिसमें ऐसा मूल धन ऐसे हिस्सों में बाटा गया हो जो कि कुछ तो एक प्रकार के हों और कुछ दूसरी प्रकार के, और इस कम्पनी का नियम यह रखा गया हो, कि केवल कम्पनी के मेम्बर ही को ऐसे हिस्से या स्टॉक दिये जायें, अन्य किसी शरत का नहीं ।

उपेक्षा या दुर्व्यवहार (जो उस समय में किया गया हो जबकि वह बोर्ड का मेम्बर हो) का सीधा परिणाम (Direct Consequence) हो, और कमिश्नरकी, पहिले से आज्ञा प्राप्त करके, ऐसे शख्सके विरुद्ध बोर्ड हज्जे का दावा दायर कर सकता है, या प्रान्तीय सरकार, भारत मन्त्री (Secretary of State) के नामसे, ऐसा दावा दायर कर सकती है ।

व्याख्या—

प्रत्येक मेम्बर का यह कर्तव्य है कि वह म्यूनिसिपलटी के रुपये या जायदाद को किसी प्रकार की हानि न होने दे, और म्यूनिसिपलटी के रुपये की वन्हीं कामों में लगाये जिनके लिये कानून आज्ञा देता हो । कानूनकी आज्ञा के विरुद्ध यदि रूपया किसी यातमें लगाया जायगा तो वह अपव्यय माना जायगा । और चाहे सपूर्ण बोर्ड, एक मत होकर, ऐसे किसी व्ययकी अनुमति दे, तो भी प्रत्येक मेम्बर उस अपव्यय का जिम्मेदार होगा । जैसे प्रान्तीय सरकार की आज्ञा है कि गवर्नर, और गवर्नर जनरलके, अतिरिक्त और किसी को अभिनन्दन पत्र (Address) देने का व्यय म्यूनिसिपल कोषसे न दिया जाय । यदि बोर्ड के मेम्बर किसी और को अभिनन्दन पत्र दें, और बोर्ड का रूपया उसमें खर्च करें तो, इस दफा के अनुसार, ऐसे मेम्बर उस व्ययके जिम्मेदार होंगे ।

दफा ८२ मुआहिदों इत्यादिमें भाग लेने वाले मेम्बरको दण्ड

१ बोर्डके किसी मेम्बरके विषयमें, जो सिवाय कमिश्नरकी लिखित आज्ञा प्राप्त किये और किसी प्रकार, किसी ऐसे ठेके, या मुआहिदे, या काममें जो बोर्डके सग किया जाय, या जो बोर्ड सञ्च करे, या दे, या बोर्डकी ओर से किया या दिया जाय, कोई भाग या वास्ता (Interest), सीधा या किसी आडमें (Directly or Indirectly) स्वयं या किसी साझेदारके द्वारा, जान बूझ कर, प्राप्त करे, या प्राप्त करके जारी रखे, यह माना जायगा, कि उसने दफा १६८ ताजीरात हिन्द (Indian Penal Code) में दिया हुआ अपराध किया ।

२ परन्तु शर्त यह है कि, केवल इस कारण, किसी शख्सके विषय में, उप दफा (१) के मतलबों के लिये, यह नहीं माना जायगा कि उसने किसी ठेके या मुआहिदे या काममें कोई भाग या वास्ता प्राप्त किया या जारी रखा, कि—

(ए) वह किसी आराजो या इमारतो के पट्टे में, या बेचने में, या मोल लेने में या उसके ठेके पर दिये जाने, बेचे जाने, या मोल लिये जाने के विषयमें किसी मुआहिदे में, कोई भाग या वास्ता रखता है, यदि ऐसा भाग या वास्ता उसने मेम्बर होने से पूर्व प्राप्त किया हो ।

(बी) वह किसी ऐसी ज्वाइंट स्टॉक कम्पनी (Jointstock Company) में भाग रखता है, जो बोर्डके साथ कोई ठेका करे, या जिससे बोर्ड कोई काम ले, या जिससे बोर्ड की ओर से काम लिया जाय । या

(सी) वह किसी ऐसे समाचारपत्र में भाग या वास्ता रखता है, जिसमें, बोर्ड की काररवाई के विषय में कोई विज्ञापन प्रकाशित किया जाय । या

- (डी) उसने किसी पेसे ऋण से डिबेंचर (Debenture) लिया हो, या किसी अन्य प्रकार वास्ता रखता हो, जो कि बोर्ड ने लिया हो, या बोर्ड की ओर से लिया गया हो । या
- (ई) उसको, बोर्ड ने अपना बर्काल नियत कर रखा है । या
- (एफ) बोर्ड के हाथ किसी पेसी वस्तु के कभी २ बचे जाने में कोई भाग या धाम्ता रखता है जिस वस्तु का व्यापार वह चरावर किया करता है, और जो उतने मूल्य की बची जाय कि वह मूल्य किसी एक वर्ष में, ऐसी रकम से अधिक न हो, जो बोर्ड, सरकार की मजूरी से, इस विषय में, नियत कर दे । या
- (जी) वह किसी पेसे सुआहिदे में फरीक है जो बोर्ड के साथ दफा १९६ के फलाज (सी) के हुज्मा के अनुसार, या दफा २२९ के हुज्मा के अनुसार किया गया हो ।

व्याख्या—

म्यूनिसिपल्टी के किसी मेम्बर को म्यूनिसिपल्टी के कामों से, किसी प्रकार का, लाभ या भका नहीं उठाना चाहिये, न उनको म्यूनिसिपल्टी का, कोई काम या देका रख्य लेना चाहिये, न किसी भाउ में या किसी साझेदार के द्वारा लेना चाहिये । कारण यह कि यदि म्यूनिसिपल्टी के ठेके देने वाले, तथा अन्य कार्यों के करारों वाले, मेम्बर स्वयं उन ठेकों और कामों को ले लें, तो स्वार्थ के सामने म्यूनिसिपल्टी के लाभ का उनके कमी ध्यान नहीं रह सकता । अतएव कानून की यह भाणा है कि कोई मेम्बर किसी भाउ में भी किसी प्रकार, म्यूनिसिपल्टी के कामों से लाभ न उठाने पाये । यदि कोई मेम्बर अपने किसी साझेदार या मित्र के नाम से ठेके ले ले और स्वयं उसके नफे में भाग ले तो यह दफा १२८ ताजिरात हिन्द का अरराधी ठहराया जायगा । परन्तु कुछ दशायें ऐसी भी हैं जिनमें किसी मेम्बर का किसी ठेके या काम से सम्बन्ध होते हुए भी यह नहीं माना जाता कि वह, ऐसे सम्बन्ध के द्वारा कोई अनुचित लाभ उठाता है, और उन दशाओं का वर्णन उप दफा (२) में किया गया है ।

—ज्वाइंट स्टॉक कम्पनी (Joint Stock Company) की ध्यारया इण्डियन कम्पनीज एक्ट न० ७ सन् १९१३ (Indian Companies Act 7 of 1913) की दफा २५४ में इस प्रकार दी गई है—

(एक्ट के) इस भाग के मतलबों के लिये, जहां तक कि वा कम्पनियों की रजिस्ट्री से सम्बन्ध है, जिन्की रजिस्ट्री कि हिस्सों से सीमा बद्ध कम्पनी (Limited) के समान की जाती है ज्वाइंट स्टॉक कम्पनी का अर्थ है, कोई ऐसी कम्पनी जिसमें स्थाई (Permanent) अदा किया हुआ (Paid up) या कुल निश्चित मूल धन (Nominal Share Capital of fixed-amount) हिस्सों में बांट दिया गया हो, और जिसमें ऐसे बाटे हुए हिस्से भी निश्चित रकम के हों, या ऐसे हिस्से हिस्सेदारों को स्टॉक (Stock) के प्रकार दिये गये हों, और ऐसे हिस्से बेचे, या अन्य प्रकार अलग किये जा सकते हों या जिसमें ऐसा मूल धन ऐसे हिस्सों में बाटा गया हो जो कि कुछ तो एक प्रकार के हों और कुछ दूसरी प्रकार के, और इस कम्पनी का नियम यह रखा गया हो, कि केवल कम्पनी के मेम्बर ही को ऐसे हिस्से या स्टॉक दिये जायें, अन्य किसी शरत को नहीं ।

ऐसे कम्पनी, (जब रजिस्टरी के द्वारा, उसके मेम्बरों की जिम्मेदारी इस एक्ट के अनुसार सीमाबद्ध करा दी जाय) हिस्सों से सीमाबद्ध कम्पनी मानी जायगी।

स्टाक (Stock)—उस धन को, जो कोई राजा अपनी आवश्यकता के लिये ऋण लेता है, तथा व्यापार करने वाली कम्पनियों के मूल धन को, 'स्टाक' कहते हैं।

—“पेडअप कैपिटल” (Paid up Capital) किसी कम्पनी के मूल धन का जो भाग हिस्सेदारों के पास से किसी समय आ चुका है उसको 'पेडअप कैपिटल' अर्थात् 'आया हुआ मूल धन' कहते हैं।

—डिबेंचर—ऋण लिये हुये मूलधनके बदले में जो तमरसुक कम्पनी, अथवा म्यूनिसिपलटी आदि दिया करती है, उसको डिबेंचर (Debenture) कहते हैं।

—यदि कोई वकील म्यूनिसिपलटी का मेम्बर हो, और वह म्यूनिसिपलटी की ओर से उसके मुकद्दमों में वकालत का काम भी करता हो, तो ऐसी दशा में, यह नहीं माना जायगा, कि ऐसा वकील म्यूनिसिपलटी का काम स्वयं लेकर, ऐसा अनुचित लाभ उठाता है, कि वह, दफा ८२ के अनुसार, अपराधी माना जाय।

—क्लर्क (एफ) का मतलब यह है कि यदि कोई मेम्बर जो किसी वस्तुके बेचने का व्यापार किया करता हो म्यूनिसिपलटी के हाथ कभी उस वस्तु को बेचे तो ऐसा मेम्बर भी दफा ८२ के अनुसार अपराधी न होगा। परन्तु दो बातें हैं अर्थात् —

१ उस वस्तु का बेचना उस मेम्बर का काम होना चाहिये। इस बात की कानून आज्ञा नहीं देता कि किसी विशेष वस्तु की म्यूनिसिपलटी को आवश्यकता पडने पर, बेचल उतने ही समयके लिये, कोई मेम्बर उस वस्तु का व्यापारी बन जाय, और म्यूनिसिपलटी से लाभ उठा ले।

२ दूसरी बात यह है कि ऐसी दशाके लिये, प्रत्येक बोर्ड, प्रान्तीय सरकार की मंजूरी से एक सन्या नियत कर देगा, कि इतने रुपये तक का माल ऐसा मेम्बर प्रति वर्ष म्यूनिसिपलटी के हाथ बेच सकता है, उससे अधिक नहीं।

विज्ञापन No 2400 x। 27 H ता० २९ जुलाई सन १९१६ के द्वारा प्रान्तीय सरकार ने कमिश्नरों को अपने उस अधिकार को सौंप दिया है जो दफा ८२ की उपदफा (२) के क्लॉज (एफ) के अनुसार, उसको दिया गया है, अर्थात् उस सन्या की मंजूरी देना जो बोर्ड इस विषयमें नियत करदे कि अमुक सन्या से अधिक का माल कोई मेम्बर किसी वर्षमें बोर्डके हाथ न बेचे।

—ताजीरात हिन्द एक्ट न० ४५ सन १८६० की दफा १६८ इस प्रकार है—

“यदि कोई शासक सार्वजनिक नौकर (Public Servant) हो, और सार्वजनिक नौकर होने की हैसियतसे उसका यह कर्त्तव्य हो, कि वह कोई व्यापार न करे, और वह शासक व्यापार करे, तो ऐसे शासक को सादी कैद का दण्ड दिया जायगा, जिसकी अवधि एक वर्षसे अधिक न होगी, या उस पर जुर्माना किया जा सकता है या दोनों प्रकारके दण्ड दिये जा सकते हैं”।

इस दफा के साथ देखिये एक्ट की दफा ४० के क्लॉज (डी) और (ई)।

—मुहम्मद यख्वा बंनम मुहम्मद अन्दुल बाकी खां वगैर 21 A L J 661 वाले मामले में हाईकोर्ट ने यह तजवीज किया कि मिट्टी का तेल म्यूनिसिपलटी को देने का ठेका किसी शासक के पास होने के कारण यह नहीं माना जा सकता कि वह शासक उस म्यूनिसिपलटी का मेम्बर चुने जाय

के अयोग्य है, क्योंकि किसी ठेकेदार का म्यूनिसिपलटी से कोई ऐसा सम्बन्ध नहीं होता जिसके कारण यह माना जा सके, कि वह म्यूनिसिपलटी के किसी नफे के पद पर है (देखिये दफा १६ का क्लॉज 'सी' और उसकी व्याख्या) । परन्तु दफा ८२ के हुक्मके अनुसार ऐसे शख्स को मेम्बर चुन लिये जाने पर ठेके का काम करने की आज्ञा कमिश्नर से प्राप्त कर लेना आवश्यक होगा ।

दफा ८३ कर्मचारियों का मुआहिदों आदिके लाभसे वास्ता रखने के विरुद्ध हुक्म

१ कोई ऐसा शख्स जो, सिवाय ऐसे भाग या वास्ताके जो कोई शख्स म्यूनिसिपलटी का नौकर होने की हैसियत से रखता हो, सीधा या किसी आडमे (Directly or indirectly), स्वयं या अपने साझेदारके द्वारा, कोई भाग या वास्ता, किसी ऐसे ठेके या मुआहिदेमें रखताहो, जो बोर्डके साथ किया गया हो, या जो बोर्डने स्वयं दिया हो, या उसकी ओर से दिया गया हो या किसी ऐसे काम में भाग या वास्ता रखता हो, जो बोर्ड के साथ, या उसके अधिकार में, किया जाता हो, या स्वयं बोर्ड करता हो, या उसकी ओर से किया जाता हो, तो वह शख्स उक्त बोर्ड का नौकर होने के अयोग्य हो जायगा ।

२ म्यूनिसिपलटी का कोई ऐसा नौकर, जो सीधे या किसी आड में स्वयं या अपने साझेदार के द्वारा, किसी ऐसा मुआहिदा या ठेका या काममें जिसका वर्णन ऊपर दिया गया है, कोई भाग या वास्ता प्राप्त करे या प्राप्त करके जारी रखे, म्यूनिसिपलटी का नौकर न रहेगा, और उसकी जगह खाली हो जायगी ।

३ म्यूनिसिपलटी के किसी नौकरके विषयमें, जो जान बूझके, कोई भाग या वास्ता, सीधा या किसी आडमें, किसी ऐसे मुआहिदे या ठेके में प्राप्त करे, या प्राप्त करके जारी रखे, या उस सीमा के भागें जहां तक कि उसका सम्बन्ध म्यूनिसिपलटी के नौकर होने की हैसियत से उस कामसे हो, किसी ऐसे काममें भाग या वास्ता प्राप्त करे या प्राप्त करके जारी रखे, जो ऐसे बोर्ड के साथ या उसके अधिकारमें किया जाये, या जो काम स्वयं ऐसे बोर्ड ने दिया हो, या ऐसा बोर्ड करता हो या उसकी ओर से दिया गया हो या किया जाता हो, जिस बोर्ड का कि वह नौकर हो, यह माना जायगा जायगा कि उसने दफा १६८ ताजीरात दिन्द में बताया हुआ अपराध किया ।

४ इस दफा का कोई हुक्म किसी ऐसे मुआहिदे, ठेके, अथवा काममें, जो बोर्ड के साथ, या उसके अधिकार में किया जावे, या स्वयं बोर्ड दे, या करता हो, या उसकी ओर से दिया जाय, या किया जाता हो, किसी ऐसे भाग या वास्ते पर लागू न होगा, जिसका वर्णन दफा ८२ की उप दफा (२) के क्लॉज (बी) और (टी) और (जी) में किया गया है, और न किसी ऐसे भाग या वास्ते पर लागू होगा, जो, कमिश्नर की मजूरी से, किसी भाराजी या इमारतके किराये या पट्टे या बेंचे जाने या मोल लिये जाने में, या उनसे सम्बन्ध रखने वाले किसी मुआहिदे में प्राप्त किया गया हो, या प्राप्त करके जारी रखा गया हो ।

ऐसे कम्पनी, (जव रजिस्ट्री के द्वारा, उसके मेम्बरो की जिम्मेदारी इस एक्ट के अनुसार सीमाबद्ध करा दी जाय) हिस्सों से सीमाबद्ध कम्पनी मानी जायगी ।

स्टाक (Stock)—उस धन को, जो कोई राजा अपनी आवश्यकता के लिये क्रय लेता है, तथा व्यापार करने वाली कम्पनियों के मूल धन को, 'स्टाक' कहते हैं ।

—“पेडअप केपिटल” (Paid up Capital) किसी कम्पनी के मूल धन का जो भाग हिस्सेदारों के पास से किसी समय आ चुका है उसको 'पेडअप केपिटल' अर्थात् 'भाया हुआ मूल धन' कहते हैं ।

—डिबेंचर—क्रय लिये हुये मूलधनके बदले में जो तमरसुक कम्पनी, अथवा म्यूनिसिपलटी आदि दिया करती है, उसको डिबेंचर (Debenture) कहते हैं ।

—यदि कोई वकील म्यूनिसिपलटी का मेम्बर हो, और वह म्यूनिसिपलटी की ओर से उसके मुकद्दमों में वकालत का काम भी करता हो, तो ऐसी दशा में, यह नहीं माना जायगा, कि ऐसा वकील म्यूनिसिपलटी का काम स्वयं लेकर, ऐसा अनुचित लाभ उठाता है, कि वह, दफा ८२ के अनुसार, अपराधी माना जाय ।

—क्लाज (एफ) का मतलब यह है कि यदि कोई मेम्बर जो किसी वस्तुके बेचने का व्यापार किया करता हो म्यूनिसिपलटी के हाथ कभी उस वस्तु को बेचे तो ऐसा मेम्बर भी दफा ८२ के अनुसार अपराधी न होगा । परन्तु दो शर्तें हैं अर्थात् —

१ उस वस्तु का बेचना उस मेम्बर का काम होना चाहिये । इस बात की कानून आज नहीं देता कि किसी विशेष वस्तु की म्यूनिसिपलटी को आवश्यकता पडने पर, केवल उतने ही समयके लिये, कोई मेम्बर उस वस्तु का व्यापारी न जाय, और म्यूनिसिपलटी से लाभ उठाले ।

२ दूसरी शर्त यह है कि ऐसी दशाके लिये, प्रत्येक बोर्ड, प्रान्तीय सरकार की मंजूरी से एक सख्या नियत कर देगा, कि इतने रुपये तक का माल ऐसा मेम्बर प्रति वर्ष म्यूनिसिपलटी के हाथ बेच सकता है, उससे अधिक नहीं ।

विज्ञापन No 2400 xi 27 H ता० २९ जुलाई सन १९१६ के द्वारा प्रान्तीय सरकार ने कमिश्नरों को अपने उस अधिकार को सौंप दिया है जो दफा ८२ की उपदफा (२) के क्लॉज (एफ) के अनुसार, उसका दिया गया है, अर्थात् उस सख्या की मजूरी देना जो बोर्ड इस विषयमें नियत करदे कि अमुक सख्या से अधिक का माल कोई मेम्बर किसी वर्षमें बोर्डके हाथ न बेचे ।

—ताजीरात हिन्द एक्ट न० ४५ सन १८६० की दफा १६८ इस प्रकार है—

“यदि कोई शाल्य सार्वजनिक नौकर (Public Servant) हो, और सार्वजनिक नौकर होने की हैसियतसे उसका यह कर्तव्य हो, कि वह कोई व्यापार न करे, और वह शाल्य व्यापार करे, तो ऐसे शाल्य को सादी कैद का दण्ड दिया जायगा, जिसकी अवधि एक वर्षसे अधिक न होगी, या उस पर जुर्माना किया जा सकता है या दोनों प्रकारके दण्ड दिये जा सकते हैं” ।

इस दफा के साथ देखिये एक्ट की दफा ४० के क्लॉज (डी) और (ई) ।

—मुहम्मद यखश यनाम मुहम्मद अब्दुल बाकी खां वगैर 21 A L J 661 वाले मामले में हाईकोर्ट ने यह तर्जवीज किया कि मिट्टी का तैल म्यूनिसिपलटी को देने का ठेका किसी शाल्य के पास होने के कारण यह नहीं माना जा सकता कि वह शाल्य उस म्यूनिसिपलटी का मेम्बर बुने जति

के अयोग्य है, क्योंकि किसी ठेकेदार का म्यूनिसिपलटी से कोई ऐसा सम्बन्ध नहीं होता जिसके कारण यह माना जा सके, कि वह म्यूनिसिपलटी के किसी नफे के पद पर है (देखिये दफा १६ का क्लॉज 'सी' और उसकी व्याख्या) । परन्तु दफा ८२ के हुक्मके अनुसार ऐसे शख्स को मेम्बर चुन लिये जाने पर ठेके का काम करने की आज्ञा कमिश्नर से प्राप्त कर लेना आवश्यक होगा ।

दफा ८३ कर्मचारियों का मुआहिदों आदिके लाभसे वास्ता रखने के विरुद्ध हुक्म

१ कोई ऐसा शख्स जो, सिवाय ऐसे भाग या वास्ताके जो कोई शख्स म्यूनिसिपलटी का नौकर होने की हैसियत से रखता हो, सीधा या किसी आड़में (Directly or indirectly), स्वयं या अपने साझेदारके द्वारा, कोई भाग या वास्ता, किसी ऐसे ठेके या मुआहिदेमें रखताहो, जो बोर्डके साथ किया गया हो, या जो बोर्डने स्वयं दिया हो, या उसकी ओर से दिया गया हो या किसी ऐसे काम में भाग या वास्ता रखता हो, जो बोर्ड के साथ, या उसके अधिकार में, किया जाता हो, या स्वयं बोर्ड करता हो, या उसकी ओर से किया जाता हो, तो वह शख्स उक्त बोर्ड का नौकर होने के अयोग्य हो जायगा ।

२ म्यूनिसिपलटी का कोई ऐसा नौकर, जो सीधे या किसी आड़ में स्वयं या अपने साझेदार के द्वारा, किसी ऐसा मुआहिदा या ठेका या काममें जिसका वर्णन ऊपर दिया गया है, कोई भाग या वास्ता प्राप्त करे या प्राप्त करके जारी रखे, म्यूनिसिपलटी का नौकर न रहेगा, और उसकी जगह खाली हो जायगी ।

३ म्यूनिसिपलटी के किसी नौकरके विषयमें, जो जान बूझके, कोई भाग या वास्ता, सीधा या किसी आड़में, किसी ऐसे मुआहिदे या ठेके में प्राप्त करे, या प्राप्त करके जारी रखे, या उस सीमा के आगे जहा तक कि उसका सम्बन्ध म्यूनिसिपलटी के नौकर होने की हैसियत से उस कामसे हो, किसी ऐसे काममें भाग या वास्ता प्राप्त करे या प्राप्त करके जारी रखे, जो ऐसे बोर्ड के साथ या उसके अधिकारमें किया जाये, या जो काम स्वयं ठेके बोर्ड ने दिया हो, या ऐसा बोर्ड करता हो या उसकी ओर से दिया गया हो या किया जाता हो, जिस बोर्ड का कि वह नौकर हो, यह माना जायगा जायगा कि उसने दफा १६८ ताजीराव दिन्द में बताया हुआ अपराध किया ।

४ इस दफा का कोई हुक्म किसी ऐसे मुआहिदे, ठेके, अथवा काममें, जो बोर्ड के साथ, या उसके अधिकार में किया जावे, या स्वयं बोर्ड दे, या करता हो, या उसकी ओर से दिया जाय, या किया जाता हो, किसी ऐसे भाग या वास्ते पर लागू न होगा, जिसका वर्णन दफा ८२ की उप दफा (२) के क्लॉज (बी) और (डी) और (जी) में किया गया है, और न किसी ऐसे भाग या वास्ते पर लागू होगा, जो, कमिश्नर की मजूरी से, किसी आराजी या इमारतके किराये या पट्टे या बच्चे जाने या मोल लिये जाने में, या उनसे सम्बन्ध रखने वाले किसी मुआहिदे में प्राप्त किया गया हो, या प्राप्त करके जारी रखा गया हो ।

व्याख्या—

जिस प्रकार दफा ८२ में मेम्बरों के लिये मनाही की गई है कि म्यूनिसिपलटी के किसी मुआहिदे ठेक या काम में भाग न लें, या वास्ता न रखें, उसी प्रकार, इस दफा में, म्यूनिसिपलटी के नौकरों और कर्मचारियों के लिये मनाही है।

—उप दफा (२) और उप दफा (३) म्यूनिसिपलटी के नौकरों के लिये हैं। यदि कोई नौकर कोई भाग या वास्ता किसी काम या मुआहिदा या ठेके में प्राप्त करके जारी रखे तो ऐसा नौकर म्यूनिसिपलटी की नौकरी से निष्कल दिया जावेगा। और यदि जान बूझ के वह कोई भाग या वास्ता प्राप्त करे या प्राप्त करके जारी रखे, तो ऐसा नौकर दफा १६८ ताजीरात हिन्द के अनुसार अपराधी ठहराया जावेगा। उप दफा (३) में शब्द “जान बूझ के” विचार करने योग्य है। यह शब्द उप दफा (२) में नहीं रखे गये हैं।

—उप दफा (१) के शब्दों पर विचार करने से ज्ञात होता है कि वह म्यूनिसिपलटी के नौकरों से सम्बन्ध नहीं रखती है। उसमें केवल इतना हुक्म है कि कोई शासक जिसका कोई वास्ता म्यूनिसिपलटी के किसी मुआहिदे या ठेके या काम से हो वह म्यूनिसिपलटी का नौकर न रहा जावेगा।

—उप दफा (४) में कुछ बचतें रखी गई हैं, अर्थात् यदि कोई नौकर ऐसा भाग या वास्ता म्यूनिसिपलटी के किसी काम से रखे जिनका चर्चन दफा ८२ के (बी) और (डी) और (जी) क्लॉजों में किया गया है तो वह दफा ८३ के अनुसार अपराधी न ठहराया जायगा। या कोई नौकर ऐसा भाग या वास्ता रख सकता है जिसका चर्चन दफा ८२ की उप दफा (१) में है, परन्तु इस दफा में कमिश्नर की मजूरी लेना आवश्यक होगी।

दफा ८४ बोर्डके अफसरों और कर्मचारियोंका सार्वजनिक (पब्लिक) कर्मचारी होना

बोर्ड का प्रत्येक अफसर या कर्मचारी, ताजीरात हिन्द में दी हुई सार्वजनिक कर्मचारी की व्याख्या के अर्थ के अनुसार, सार्वजनिक कर्मचारी (मुलाजिम) माना जायगा। और ताजीरात हिन्द की दफा १६१ में जो व्याख्या “जायज बदलाव” (Legal Remuneration) की दी गई है, उसमें जो शब्द “गवर्नमेण्ट” (सरकार) का आया है, उस शब्द में, इस दफा के अभिप्रायों के लिये, “बोर्ड” शामिल माना जायगा।

व्याख्या—

ताजीरात हिन्द एक्ट नं० ४५ सन १८६० की दफा १६१ इस प्रकार है—

“कोई शासक जो सार्वजनिक कर्मचारी है, या सार्वजनिक कर्मचारी होनेकी आशा करता है, किन्हीं शासकसे स्वयं अपने लिये, या किसी दूसरे शासकके लिये, अपने जायज बदलावके अतिरिक्त कोई पागैसॉपिक (Gratification) जिस प्रकार हो है, या लेतेता है, या स्वीकार करनेकी प्रतिज्ञा करता करता है, इस अभिप्रायसे, या इस बातके इनाममें, लिया अपने पद देगा, या करनेसे बाज रहेगा (नहीं करेगा) या वह निर्यात या लिया जाय कि वह पदके कामोंके साथ या रिहायत पद किमी या रहेगा (

सख्ती नहीं करेगा) या वह पारितोपिक इस अभिप्रायसे लिया जाय या इस बातके इनाममें लिया जाय, कि वह कर्मचारी भारतकी व्यवस्थापक (Legislative) या कार्यकारिणी (Executive) सरकार या प्रेसीडेन्सीकी सरकार या किसी लेफ्टनेण्ट गवर्नर या किसी सार्वजनिक कर्मचारीसे किसी शास्त्रके लिये कोई भलाई या बुराई करा देगा, या ऐसी भलाई या बुराई करानेकी चेष्टा करेगा तो ऐसे शास्त्रको कैदकी सजा दी जायगी, जो दोनों प्रकारमें से किसी प्रकारकी हो सकती है, और जिसकी अवधि ३ वर्ष तककी हो सकती है या उस पर जुर्माना किया जा सकता है, या कैद और जुर्माना दोनों दण्ड दिये जा सकते हैं ।

भाषार्थ (Explanation)—“सार्वजनिक कर्मचारी होनेकी आशा करता है” यदि किसी शास्त्रको किसी पदके मिलनेकी आशा न हो, फिर भी वह दूसरोंको धोखा देकर यह विश्वास दिलाये कि उसको पद मिलनेकी आशा है और यह विश्वास दिलाये कि पद मिलजाने पर वह किसीकी कुछ सेवा करेगा और ऐसा विश्वास दिलाके वह कोई पारितोपिक प्राप्त करले तो ऐसा शास्त्र धोखा देनेका (Cheating) अपराधी हो सकता है, परन्तु जिस अपराधका इस दफामें वर्णन किया गया है उसका वह अपराधी न होगा ।

“पारितोपिक” (Gratification) शब्द पारितोपिकका अर्थ केवल आर्थिक पारितोपिकसे नहीं है न केवल ऐमेटी पारितोपिकसे जिसके मृत्युका अनुमान रुपयेके द्वारा होसकता हो ।

“जायज बदलाव” (Legal remuneration) शब्दका अर्थ जायज बदलावकेवल ऐसे बदलावमें नहीं है जो कोई सार्वजनिक कर्मचारी कानूनके अनुसार माग सकता हो, परन्तु उसमें वह सब बदलाव भी शामिल हैं, जिनके स्वीकार करनेकी आज्ञा उसको, उस सरकारसे मिली है, जिस का वह नौकर है ।

“किसी कामके करनेके अभिप्रायसे या इनाममें”—कोई शास्त्र जो कोई पारितोपिक इस अभिप्रायसे पाता हो कि वह किसी ऐसे कामको कर देगा जिसके फर देनेका वास्तवमें उसका इरादा न हो, या किसी ऐसे कामके कर देनेके इनाममें पाता है जिसको वास्तवमें उसने किया नहीं है, तो ऐसा शास्त्र इन शब्दोंके अर्थके अनुसार अपराधी हो जाता है ।

उदाहरण १(ग) ‘अ’ एक मुन्सिफ है। वह ‘क’ से जो एक बैंक का मालिक है अपने भाइको ‘क’ के बैंकमें, एक पद इस बातके इनाममें दिलवा देता है, कि ‘अ’ ने एक मुकद्दमेमें ‘क’ को जिता दिया, तो ‘अ’ ने वह अपराध किया जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है । -

(घ) ‘अ’ जो किसी आधीन रियासतके रेजीडेन्टके पद पर है, उस रियासतके मन्त्रीसे एक लाल रुपया लेता है। यह बात तो विदित नहीं होती कि ‘अ’ यह रुपया इस अभिप्रायसे लेता है, या इस बातके इनाममें लेता है, कि वह अपने पदका कोई विशेष काम कर देगा या किसी कामके करनेसे बाज रहेगा, या यह कि उसने यह रुपया अंगरेजी सरकारके द्वारा उस रियासतकी कोई विशेष सेवा करा देने या करा देनेकी कोशिश करनेके अभिप्रायसे या उसके इनाममें लिया है, परन्तु यह विदित होता है कि ‘अ’ ने यह रुपया इस अभिप्रायसे या इस बातके इनाममें लिया कि अपने पदके कामके करनेमें सब बातोंमें वह उस रियासतकी रियासत करेगा तो ‘अ’ ने वह अपराध किया जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है ।

(सी) ‘अ’ जो एक सार्वजनिक कर्मचारी है, ‘क’ को यहकाके, यह झूठा विश्वास दिलाता है कि ‘अ’ के प्रभावसे ‘क’ को विताप मिला है और इस प्रकार ‘क’ को यहका कर, इस बात पर राजी

व्याख्या—

जिस प्रकार दफा ८२ में भेय्यरों के लिये मनाही की गई है कि म्यूनिसिपलटी के किसी मुआहिदे, ठेक या काम में भाग न लें, या वास्ता न रखें, उसी प्रकार, इस दफा में, म्यूनिसिपलटी के नौकरों और कर्मचारियों के लिये मनाही है।

—उप दफा (२) और उप दफा (३) म्यूनिसिपलटी के नौकरों के लिये हैं। यदि कोई नौकर कोई भाग या वास्ता किसी काम या मुआहिदा या ठेके में प्राप्त करके जारी रखे तो ऐसा नौकर म्यूनिसिपलटी की नौकरी से निकाल दिया जावेगा। और यदि जान बूझ के वह कोई भाग या वास्ता प्राप्त करे या प्राप्त करके जारी रखे, तो ऐसा नौकर दफा १६८ ताजीरात हिन्द के अनुसार अपराधी ठहराया जावेगा। उप दफा (३) में शब्द “जान बूझ के” विचार करने योग्य हैं। यह शब्द उप दफा (२) में नहीं रये गये हैं।

—उप दफा (१) के शब्दों पर विचार करने से ज्ञात होता है कि वह म्यूनिसिपलटी के नौकरों से सम्बन्ध नहीं रखती है। उसमें केवल इतना हुकम है कि कोई शख्स जिसका कोई वास्ता म्यूनिसिपलटी के किसी मुआहिदे या ठेके या काम से हो वह म्यूनिसिपलटी का नौकर न रखा जावेगा।

—उप दफा (४) में कुछ बचते रखी गई हैं, अर्थात् यदि कोई नौकर ऐसा भाग या वास्ता म्यूनिसिपलटी के किसी काम से रखे जिनका वर्णन दफा ८२ के (बी) और (डी) और (जी) खंडों में किया गया है तो वह दफा ८३ के अनुसार अपराधी न ठहराया जायेगा। या कोई नौकर ऐसा भाग या वास्ता रख सकता है जिसका वर्णन दफा ८२ की उप दफा (१) में है, परन्तु इस दफा में कामिशनर की मजूरी देना आवश्यक होगा।

दफा ८४ बोर्ड के अफसरों और कर्मचारियों का सार्वजनिक (पब्लिक) कर्मचारी होना

बोर्ड का प्रत्येक अफसर या कर्मचारी, ताजीरात हिन्द में दी हुई सार्वजनिक कर्मचारी की व्याख्या के अर्थ के अनुचार, सार्वजनिक कर्मचारी (मुलाजिम) माना जायेगा। और ताजीरात हिन्द की दफा १६१ में जो व्याख्या “जायज बदलाव” (Legal Remuneration) की दी गई है, उसमें जो शब्द “गवर्नमेण्ट” (सरकार) का आया है, उस शब्द में, इस दफा के अभिप्रायों के लिये, “बोर्ड” शामिल माना जायेगा।

व्याख्या—

ताजीरात हिन्द एक्ट नं० ४५ सन १८६० की दफा १६१ इस प्रकार है—

“कोई शख्स जो सार्वजनिक कर्मचारी है, या सार्वजनिक कर्मचारी होनेकी आशा करता है, किन्ना दायमसे स्वयं अपने लिये, या किसी दूसरे शख्सके लिये, अपने जायज बदलावके अतिरिक्त कोई पारितोषिक (Gratification), वह चाहे जिस प्रकार हो स्वीकार करता है, या लेता है, या स्वीकार करनेकी प्रतिज्ञा करता है, या लेनेकी चेष्टा करता है, और वह पारितोषिक इस अभिप्रायसे, या इस बातके इनाममें, लिया जाय कि वह कर्मचारी अपने पदका कोई फौज कर देगा, या करनेमें बाज रहेगा (नहीं करेगा) या वह पारितोषिक इस अभिप्रायसे या इस बातके इनाममें लिया जाय कि वह कर्मचारी अपने पदके कामोंके करनेमें किसी शख्सके साथ कुछ रिआयत करेगा या रिआयत करनेसे बाज रहेगा या किन्ना दायमके साथ सख्ती करेगा या सख्ती करनेसे बाज रहेगा (अर्थात्

सहती नहीं करेगा) या वह पारितोषिक इस अभिप्रायसे लिया जाय या इस बातके इनाममें लिया जाय कि वह कर्मचारी भारतकी व्यवस्थापक (Legislative) या कार्यकारिणी (Executive) सरकार या प्रेसीडेन्सीकी सरकार या किसी लेफ्टिनेण्ट गवर्नर या किसी सार्वजनिक कर्मचारीसे किसी शासके लिये कोई भलाई या बुराई करा देगा, या ऐसी भलाई या बुराई करनेकी चेष्टा करेगा तो ऐसे शासको कैदकी सजा दी जायगी, जो दोनों प्रकारमें से किसी प्रकारकी हो सकती है, और जिसकी अवधि ३ वर्ष तककी हो सकती है या उस पर जुर्माना किया जा सकता है, या कैद और जुर्माना दोनों दण्ड दिये जा सकते हैं ।

भावार्थ (Explanation)—“सार्वजनिक कर्मचारी होनेकी आशा करता है” यदि किसी शासको किसी पदके मिलनेकी आशा न हो, फिर भी वह दूसरोंको धोखा देकर यह विश्वास दिलाये कि उसको पद मिलनेकी आशा है और यह विश्वास दिलाये कि पद मिलने पर वह किसीकी कुछ सेवा करेगा और ऐसा विश्वास दिलाके यह कोई पारितोषिक प्राप्त करले तो ऐसा शास धोखा देनेका (Cheating) अपराधी हो सकता है, परन्तु जिस अपराधका इस दफामें वर्णन किया गया है उसका यह अपराधी न होगा ।

“पारितोषिक” (Gratification) शब्द पारितोषिकका अर्थ केवल आर्थिक पारितोषिकसे नहीं है न केवल ऐसीही पारितोषिकसे जिसके मूल्यका अनुमान रुपयेके द्वारा होसकता हो ।

“जायज बदलाव” (Legal remuneration) शब्दका अर्थ जायज बदलावकेवल ऐसे बदलावसे नहीं है जो कोई सार्वजनिक कर्मचारी कानूनके अनुसार माग सकता हो, परन्तु उसमें यह सब बदलाव भी शामिल हैं, जिसे स्वीकार करनेकी आज्ञा उसको, उस सरकारसे मिली है, जिस का वह नौकर है ।

“किसी कामके करनेके अभिप्रायसे या इनाममें”—कोई शास जो कोई पारितोषिक इस अभिप्रायसे पाता हो कि वह किसी ऐसी कामको कर देगा जिसके कर देनेका वास्तवमें उसका इरादा न हो, या किसी ऐसे कामके कर देनेके इनाममें पाता है जिसको वास्तवमें उसने किया नहीं है, तो ऐसा शास इन शब्दोंके अर्थके अनुसार अपराधी हो जाता है ।

उदाहरण १(ए) ‘अ’ एक मून्सिफहै। वह ‘क’ से जो एक बैक का मालिक है अपने भाइको ‘क’ के बैंकमें, एक पद इस बातके इनाममें दिलवा देताहै, कि ‘अ’ने एक मुकद्दमेमें ‘क’ को जिता दिया, तो ‘अ’ने वह अपराध किया जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है ।

(बी) ‘अ’ जो किसी आधीन रियासतके रेजीडेन्टके पद परहै, उस रियासतके मन्त्रीसे एक लाय रुपया लेताहै। यह बात तो विदित नहीं होती कि ‘अ’ यह रुपया इस अभिप्रायसे लेताहै, या इस बातके इनाममें लेता है, कि वह अपने पदका कोई विशेष काम कर देगा या किसी कामके करनेसे बाज रहेगा, या यह कि उसने यह रुपया अंगरेजी सरकारके द्वारा उस रियासतकी कोई विशेष सेवा करा देने या करा देनेकी कोशिश करनेके अभिप्रायसे या उसके इनाममें लिया है, परन्तु यह विदित होता है कि ‘अ’ ने यह रुपया इस अभिप्रायसे या इस बातके इनाममें लिया कि अपने पदके कामोंके करनेमें सब बातोंमें वह उस रियासतकी रिआयत करेगा तो ‘अ’ ने वह अपराध किया जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है ।

(सी) ‘अ’ जो एक सार्वजनिक कर्मचारी है, ‘क’ को यहकाके, यह झूठा विश्वास दिलाता है कि ‘अ’ के प्रभावसे ‘क’ को रितायत मिला है और इस प्रकार ‘क’ को यहका कर, इस बात पर राजी

कर लेता है कि उस सेवाके लिये वह 'अ' को रपया दे तो 'अ' ने वह अपराध किया जिसका वर्णन इस दफामें है।

दफा ८५ कुछ निर्दिष्ट म्यूनिसिपल कर्मचारियोंको अपना कर्तव्य

न पालन करने का दण्ड

१ यदि कोई भगी जो बोर्ड का नौकर हो—

(ए) सिवाय नौकरी के लिखित मुआहिदे की शर्तों के अनुसार, या सिवाय बोर्ड की आज्ञा के अपनी नौकरी से स्तीफा दे। या

(बी) बिना किसी उचित कारण के, जिसका नोटिस, जब ऐसे नोटिस का दिया जाना सम्भव हो बोर्ड को दे दिया गया हो, अपने काम पर से गैर हाजिर रहे—

उसको अपराध साबित हो जाने पर कैद का दण्ड दिया जा सकता है जिसकी अवधि दो मास तक की हो सकती है।

२ कमिश्नर यह आज्ञा दे सकता है कि भविष्य में किसी निश्चित तारीख से उप दफा (१) के हुकम बोर्ड के किसी और दर्जे के नौकरो पर भी, जिनका सर्वसाधारण के स्वास्थ्य और कुशलता से प्रगाढ़ सम्बन्ध हो, लागू होंगे।

परन्तु शर्त यह है कि जब कमिश्नर, इस उपदफा के अनुसार, कोई हुकम दे, तो वह तुरन्त उसकी एक नकल हुकम के दिये जाने के कारणों के सहित, प्रान्तीय सरकार को भेज देगा। प्रान्तीय सरकार ऐसी नकल के मिलने पर उस हुकम को चाहे रद्द कर दे या कोई परिवर्तन करने के पश्चात्, या बिना किसी परिवर्तन ही के, स्थायी रूप से, या उतनी अवधि तक के लिये जिनकी कि वह उचित समझे, आज्ञा दे दे कि वह हुकम प्रचलित रहे।

व्याख्या—

जनता के स्वास्थ्य की दृष्टि से भगियों का काम इतना आरश्यक है कि, उनके एक दो दिन के लिये भी रुक जाने से बड़ी हानि की सम्भावना होती है। भगी स्वयं इस बात को जानते हैं कि वह जनता की ऐसी सेवा करते हैं जो उनके अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता है। इसीसे भगियों को किसी प्रकार की शिकायत होने पर सर्वत्र उनके सामने एक सहज उपाय हडताल कर देने का होता है। कानून में इस विशेष दफा के रचनेका मुख्य उद्देश्य ऐसी हडतालों को रोकने का है। परन्तु इस दफा का हुकम बहुत सरत है, और यह आवश्यक है कि उनको बहुत सोच समझ के काम में लाया जावे। स्पष्टत यह दफा केवल उसी दशा के लिये है जब कि किसी नगर के भगियों के अकस्मात् हडताल कर देने से सर्व साधारण के स्वास्थ्य के लिये कोई बड़ा मय उत्पन्न हो जावे।

—इस दफा के हुकम यदि कमिश्नर चाहे तो म्यूनिसिपलटी के किसी अन्य दर्जे के कर्मचारियों के लिये भी लगा सकता है परन्तु केवल उन्हीं कर्मचारियों पर यह दफा लागू की जा सकती है जो किसी ऐसे काम पर हों कि उसमें विघ्न पड़ने से जनता की कुशल और स्वास्थ्य पर असर पड़े।

—जब कि एक म्यूनिसिपलटी के भगियो ने बोर्ड को नोटिस दिया कि उनका वेतन बढ़ा दिया जाय और जब उक्त नोटिस का उत्तर न मिला तो सब भगियो ने दूसरा नोटिस दिया कि, यदि हमारी माग पूरी न की जायगी तो अमुक तारीख पर हम काम छोड़ देंगे और नोटिस में अंकित की हुई तारीख पर सब ने काम छोड़ दिया। जिला मजिस्ट्रेट ने दस ऐसे भगियो पर जो मामले में भगुआ ये मुकद्दमा कायम करके हेल्थ अफसर की गवाही ली। हेल्थ अफसर ने बयान किया कि हैजा फैल जाने का भय था। जिला मजिस्ट्रेट ने सभ की सजा दफा ८५ के अनुसार, कर दी। हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि "इस दफा का हुकम बहुत कडा हुकम है और उसको बहुत होशियारी से काम में लाना चाहिये। मजिस्ट्रेट की काररवाई कड़ी अवश्य थी जायता फौजदारी की दफा २४२ और २४३ के विचार से कानून के विरुद्ध नहीं थी। देखिये अगनु घनाम सरकार बहादुर ! 21 A. L. J 808!



जितनी कि कानूनके द्वारा आवश्यक मानी गई है, तो कोरम पूरा नहीं माना जाता, और ऐसी मीटिंग मुलतवी कर देना होती है ।

साधारण कामों के करने के लिये म्यूनिसिपलटी की मीटिंग का कोरम एक तिहाई माना गया है, अर्थात् जिस मीटिंगमें, कमसे कम एक तिहाई मेम्बर, उपस्थित हों, उसमें म्यूनिसिपलटी के साधारण काम काज किये जा सकते हैं । परन्तु वह काम, जिनके लिये आज्ञा है कि विशेष रेजोल्यूशनके द्वारा किये जाय, उनके लिये मीटिंगमें कमसे कम आधे मेम्बरों का होना आवश्यक रखा गया है ।

—बोर्ड को जिन जिन कामों के करनेका अधिकार दिया गया है, उनमेंसे कुछ ऐसे महत्वके माने गये हैं कि ऐक्टके द्वारा आज्ञा दी गई है, कि उनके विषयमें जय कोई घात निर्णय की जाय तो कमसे कम आधे मेम्बरों का सलाहसे (अर्थात् विशेष रेजोल्यूशन द्वारा) की जाय जैसे इकजिक्युटिव अफसर अथवा सेक्रेटरी को नियुक्त करना, या रेग्युलेशन बनाना, इत्यादि ।

—एक तिहाई या आधी सत्या जो साधारण और विशेष रेजोल्यूशनके लिये रखी गई है उसका अर्थ उस संख्या की तिहाई या आधे से है, जो मेम्बरों की बोर्डमें किसी समय पर हो, न कि मेम्बरों की उस संख्याकी तिहाई या आधे से, जो कानूनके द्वारा किसी बोर्ड के लिये नियमित है । जैसे यदि किसी बोर्डमें आठ निर्वाचित और दो नामजद मेम्बरों का होना कानूनके द्वारा रखा गया है, और किसी मीटिंग होने के समय निर्वाचित मेम्बरों में से एककी मृत्यु हो चुकी हो, और नामजद मेम्बरों में से, केवल एकही नामजद किया गया हो, तो ऐसी दशा में केवल आठ मेम्बर बोर्ड में माने जायगे ।

—उप दफा (३) का मतलब यह है, कि यदि किसी मीटिंग में मेम्बरों का कोरम पूरा न हो, और उस मीटिंग का काम दूसरी मीटिंग के लिये, मुलतवी कर देना पड़े, तो ऐसी दूसरी मीटिंग पर दफा ८८ की उप दफा (१) और (२) में दिये हुये हुकम लागू न होंगे । ऐसी दूसरी मीटिंग में जितने मेम्बर उपस्थित होंगे, चाहे उनके द्वारा कोरम पूरा होता हो या नहीं, वही मुलतवी किये हुये कामों को कर सकेंगे । और यदि मुलतवी किया हुआ काम दूसरी मीटिंग में भी किसी कारणसे न किया जा सके, या समाप्त न हो सके, और फिरसे उसको तीसरी मीटिंगके लिये मुलतवी करना हो, तो ऐसी तीसरी मीटिंगमें भी पूरा कोरम होने की आवश्यकता न होगी परन्तु यह जरूरी है कि ऐसी मुलतवी की हुई मीटिंगों में वही काम किये जाय जो कि पहिली मीटिंग में पेश होने को थे । इस लिये, जब कि कानून की आज्ञा है कि किसी प्रस्ताविक टैक्स पर म्यूनिसिपलटी का कोई निवासी उन्न कर सकता है, और एक निवासीने ऐसा उन्न किया और उक्त उन्न एक मीटिंगमें पेश हुआ, जिसमें कि सम्पूर्ण बोर्डके केवल एक तिहाई मेम्बर उपस्थित थे, और यह मीटिंग एक मुलतवी की हुई मीटिंग थी । परन्तु पहिली मीटिंगमें उक्त उन्न पेश होने का नहीं था तो हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि इस मीटिंग को टैक्सके उन्न पर विचार करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि प्रस्तावित टैक्स का उन्न स्पेशल (विशेष) मीटिंगको सुनना चाहिये, और विशेष मीटिंगके कोरमकी इस कारण आवश्यकता थी कि यह प्रदन पहिली मीटिंगमें पेश होने को नहीं था । देखिये टी, ई, स्ट्रैची बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड कानपूर, 1899 A W N 97

दफा ८९ मीटिंगका चेयरमैन

अगर किसी मीटिंगमें न तो चेयरमैन उपस्थित हो, न वाईसचेयरमैन, तो जो मेम्बर उपस्थित हों वह अपने मे से निम्न मीटिंग निर्वाचित कर

लगे। और ऐसा चेयरमैन उन कुल कर्तव्यों का पालन करेगा, और उन सब अधिकारों को, (यदि चाहे) चरत सकेगा जो बोर्डके चेयरमैनके हैं, जब कि वह मीटिंगका सभापति हो, पालन करेगा या चरत सकेगा।

नोट—मीटिंग के सभापति के कर्तव्यों तथा अधिकारों के लिये देखिये ऐक्ट की दफा ५१ की उप दफा (१) और दफा ५५ की उप दफा (१) का क्लॉज (ए) और दफा ९१।

दफा ९० मीटिंगका सर्व साधारणके लिये खुला होना

प्रत्येक मीटिंगमें सर्वसाधारण को आने की आज्ञा होगी, सिवाय उस दशाके कि मीटिंगके सभापति की यह राय हो कि मीटिंग के पूरे समय में, या उसके किसी भाग में, सर्वसाधारण मीटिंग में न आने दिये जाय।

दफा ९१ मीटिंगके चेयरमैनका, उसको नियम बद्ध और शान्त रखने का अधिकार

जब बोर्डकी किसी मीटिंगमें कोई मेम्बर, या अन्य कोई शख्स, चेयरमैन की किसी ऐसी आज्ञा का पालन न करे, जिस आज्ञाके द्वारा कि चेयरमैन किसी काररवाई, या बहस, या मामले, को फायदे के विरुद्ध होना निर्णय कर दे या किसी ऐसी आज्ञा का पालन न करे जिसके द्वारा चेयरमैन किसी अन्य प्रकार मेम्बरोंके व्यवहारोंका अथवा मीटिंग के काम काज का, प्रबन्ध करे, या उस दशा में जब कि कोई मेम्बर या कोई शख्स इरादा करके मीटिंग में बाधा डाले तो चेयरमैन ऐसे मेम्बर या शख्सको मीटिंगसे बले जाने का हुक्म दे सकता है और यदि वह मेम्बर या शख्स ऐसा न करे (अर्थात् मीटिंग से चला न जाय) तो उसको मीटिंग से हटा देने, या बाहर कर देने, के अभिप्राय से ऐसे बल (Force) को काममें ला सकता है जो आवश्यक हो, या जिसका काममें लाया जाना चेयरमैन, नेकनीयती से, आवश्यक समझता हो।

दफा ९२ वोटोंके द्वारा फैसला

१ उन सब प्रश्नों का, जो बोर्डकी किसी मीटिंग में पेश हों, फैसला उन मेम्बरों के बहुमतके अनुसार होगा, जो उपस्थित हों, और वोट (राय) दे।

२ उस दशा में जब कि दो पक्षके वोट बराबर हों तो चेयरमैन एक और वोट अर्थात् कास्टिंग वोट (Casting vote) देगा।

३ इस दफाके उपरोक्त हुक्म दफा ९४ की उप दफा ६ के हुक्मों के, और इस ऐक्ट तथा किसी अन्य कानूनके द्वारा दिये हुये, या उनके अनुसार दिये हुये, किसी ऐसे हुक्मों के, अधीन होंगे जिनके द्वारा यह आज्ञा दी गई हो, कि किसी रेजोल्यूशन का समर्थन मेम्बरों के किसी विशेष भाग (Proportion) के द्वारा, या मेम्बरों की किसी विशेष सख्या के द्वारा, होना चाहिये।

व्याख्या—

यदि कोई मेम्बर किसी प्रश्नपर वोट न देना चाहे तो उसको अधिकार है कि अपना वोट न दे।

वाकी जितने मेम्बर वोट देंगे उन्हींकी सख्याके हिसाबसे यह देखा जायगा कि बहुमत (Majority) किस पक्षकी है ।

—प्रत्येक दशमं चेयरमैन बोर्डका मेम्बर माना जाता है (देखिये दफा ९ की उपदफा (१) का क्लॉज (बी) और दफा १० की उपदफा (१) का क्लॉज (सी) और दफा ४९) इसलिये चेयरमैनको भी दूसरे मेम्बरोंके समान प्रत्येक प्रश्न पर जो बोर्डके सामने पेश हों एक वोट देनेका अधिकार होता है । परन्तु इस घोटके अतिरिक्त यदि किसी प्रश्न पर दो पक्षोंके परस्पर बराबर वोट हों, तो चेयरमैनको एक वोट और देनेका भी अधिकार होता है । ऐसा वोटको कास्टिंग वोट कहते हैं ।

—बहुसंख्यसे किसी प्रश्नका फैसला केवल उस दशमं न होगा जब कि इस एक्ट या किसी अन्य कानूनके द्वारा किसी विशेष घातके लिये यह हुक्म हो कि मेम्बरोंकी एक कमसेकम सख्या या मेम्बरोंकी सख्याका कोई विशेष भाग उसका समर्थन करे । जैसे दफा १०५ के द्वारा बोर्डकी किसी कमेटीमें ग्राहकका कोई शरत केवल उस दशमं नियत किया जा सकता है जब कि बोर्डके मेम्बरोंमेंसे कमसेकम आधे मेम्बर उसमें सहमत हों ।

दफा ९३ मीटिंगों में उपस्थित होने और बोलनेका कुछ अफसरों का अधिकार

सेनिटेरी इंजिनियर (Sanitary Engineer), सेनिटेरी कमिश्नर (Sanitary Commissioner), या नायब सेनिटेरी कमिश्नर, या जिलाके सिविल सजंन, एक्जिक्यूटिव इंजिनियर (Executive Engineer), और स्कूलों के इन्स्पेक्टर, और अन्य किसी अफसरको, जिसको प्रान्तीय सरकार ने विशेष रूपसे, यह अधिकार दिया हो, यह हक होगा, कि बोर्डकी किसी मीटिंग में उपस्थित हों और अपने अपने विभागों के किसी मामले के सम्बन्धमें बोर्डके सामने कुछ भाषण दें ।

दफा ९४ याददाश्तकी किताब (मिनिटबुक) और रेजोल्यूशन

१ बोर्डकी मीटिंगमें जो मेम्बर उपस्थितहो, उनके नाम, और जो काररवाई मीटिंग में की गई हो, और जो रेजोल्यूशन पास किये गये हों, एक किताब में लिखे जायगे, जो मिनिट बुक (Minute book) कहलायगी ।

२ काररवाईकी याददाश्त (Minutes) या तो उसी मीटिंगमें, या उसके बाद वाली मीटिंग में, पढी जायगी । और जब उनको वह सब मेम्बर या उनमें से अधिकांश (Majority) जो उनके पढे जाने के समय उपस्थित हों, और जो उन काररवाइयों के समय भी उपस्थित रहे हों, जिनकी कि याददाश्तें वह हैं, उनका ठीक होना स्वीकार कर ले, तो उस मीटिंगके चेयरमैन के हस्ताक्षर के द्वारा, जिसमें कि उनका ठीक होना स्वीकार किया गया है, यह तस्दीक किया जायगा कि वह पास की गई ।

३ प्रत्येक रेजोल्यूशन जो बोर्डकी किसी मीटिंग में पास किया जाय, जहाँ ऐसा करना सम्भव हो किसी स्थानीय समाचार पत्रों में जो अङ्गरेजी भाषामें छपता हो, और किसी स्थानीय समाचार पत्रमें जो देशी भाषा में छपता हो प्रकाशित किया जायगा । और जहाँ दोनों ऐसे समाचार पत्र न हो तो किसी ऐसे स्थानीय समाचार पत्रमें प्रका-

शित किया जायगा जो उन भाषाओं में से किसी एक या दूसरी भाषामें प्रकाशित होता हो। और यदि किसी प्रकार का कोई स्थानीय समाचार पत्र न हो, तो ऐसी विधि से प्रकाशित किया जायगा जो प्रान्तीय सरकार, नियम द्वारा नियमित कर दे।

४ प्रत्येक रेजोल्यूशन, जो कोई बोर्ड फ़िली मोटिंग में पास करे, की नक़ल मीटिंग की तारीख से दस दिनके भीतर कमिश्नर और जिला मजिस्ट्रेट के पास भेजी जायगी।

५ जब, इसके पश्चात्, कि किसी रेजोल्यूशन के विषयमें उप दफा (३) या उप दफा (४) के अनुसार कार्रवाई की जा चुके परन्तु इससे पूर्व कि उन याददाश्तों (Minutes) पर, जिनमें उक्त रेजोल्यूशन लिखा गया हो, हस्ताक्षर किये जायं, जैसी कि उप दफा (२) में आह्ला है, उक्त याददाश्तों के शब्दों में कोई परिवर्तन किया जाय, तो ऐसा परिवर्तन, विज्ञापन द्वारा, प्रकाशित कर दिया जायगा, या उसकी सूचना कमिश्नर और जिला मजिस्ट्रेट को देदी जायगी अर्थात् जैसी कि दशा हो।

६ बोर्ड को किसी रेजोल्यूशन में उसके पास होने के पश्चात्, छ मासके भीतर, कोई परिवर्तन न किया जायगा (Modified), न वह रद्द किया जायगा (Cancelled) —

(ए) जब तक कि ऐसा नोटिस पहिले से न दे दिया गया हो जिसमें वह रेजोल्यूशन जिसमें परिवर्तन किये जाने, या जिसके रद्द किये जाने, का प्रस्ताव है, और उक्त रेजोल्यूशन में परिवर्तन किये जाने या रद्द किये जाने, की तद्वरीक (Motion) या प्रस्ताव (Proposition) लिखे गये हों। और

(बी) ऐसा परिवर्तन या रद्द किया जाना, सिवाय ऐसे रेजोल्यूशन के न किया जा सकेगा, जिसका समर्थन बोर्डके मेम्बरों की सम्पूर्ण संख्या के कमसे कम आधे मेम्बरों से कमने किया हो।

व्याख्या—

(उप दफा २) काररवाइयों की याददाश्तें जो लिखी जाती हैं उनके पढ़े जाने का अभिप्राय यह है, कि यदि कोई भूलचूक हो गई हो, या उनमें किसी प्रकार की अशुद्धता हो, तो वह ठीक की जा सकें। मेम्बरों को यह अधिकार होता है कि याददाश्तों के पढ़े जाने पर वह किसी ऐसी भूलचूक अथवा अशुद्धता की धोर ध्यान दिलायें, और यदि सब मेम्बरों की उनके विषयमें एकसी राय न हो तो वोट लेकर यह निश्चय किया जा सकता है कि भूलचूक हुई या नहीं। परन्तु केवल उन्हीं मेम्बरों को इस बात का अधिकार होता है जो स्वयं उन मीटिंगमें उपस्थित थे जिसकी कार्रवाई पढ़ी जा रही है। कारण यह कि ऐसे ही मेम्बर जान सकते हैं कि वास्तवमें क्या कार्रवाई हुई थी और उसकी याददाश्त लिखे जाने में क्या भूलचूक हुई।

(उप दफा (३) यदि अंगरेजी भाषा और किसी देशी भाषा दोनों के समाचार पत्र छपते हैं, तो रेजोल्यूशन दोनों में प्रकाशित किये जायेंगे। और यदि किसी एकही भाषा का समाचार पत्र उस स्थान से निकलता हो, तो एकही में प्रकाशित कर दिया जायगा। उस दशाके लिये जबकि किसी म्युनिसिपलटी से कोई भी समाचार पत्र न निकलता हो, प्रान्तीय सरकार ने नीचे लिखा नियम बना दिया है—

घाकी जितने मेम्बर वोट देंगे उन्हींकी सख्याके हिसाबसे यह देखा जायगा कि बहुमत (Majority) किस पक्षकी है ।

—प्रत्येक दशामें चेयरमैन बोर्डका मेम्बर माना जाता है (देखिये दफा ९ की उपदफा (१)का क्लॉज (बी) और दफा १० की उपदफा (१) का क्लॉज (सी) और दफा ४९) इसलिये चेयरमैनको भी दूसरे मेम्बरोंके समान प्रत्येक प्रश्न पर जो बोर्डके सामने पेश हों एक वोट देनेका अधिकार होता है । परन्तु इस वोटके अतिरिक्त यदि किसी प्रश्न पर दो पक्षोंके बराबर बराबर वोट हों, तो चेयरमैनको एक वोट और देनेका भी अधिकार होता है । ऐसे वोटको कास्टिंग वोट कहते हैं ।

—बहुमतसे किसी प्रश्नका फैसला केवल उस दशामें न होगा जब कि इस एक्ट या किसी अन्य कानूनके द्वारा किसी विशेष घातक लिये यह हुक्म हो कि मेम्बरोंकी एक कमसेकम सख्या या मेम्बरोंकी सख्याका कोई विशेष भाग उसका समर्थन करे । जैसे दफा १०५ के द्वारा बोर्डकी किसी कमेटीमें बाहरका कोई शख्स केवल उस दशामें नियत किया जा सकता है जब कि बोर्डके मेम्बरोंमेंसे कमसेकम आधे मेम्बर उसमें सहमत हों ।

दफा ९३ मीटिंगों में उपस्थित होने और बोलनेका कुछ अफसरों का अधिकार

सेनिटेरी इंजिनियर (Sanitary Engineer), सेनिटेरी कमिश्नर (Sanitary Commissioner), या नायब सेनिटेरी कमिश्नर, या जिलाके सिविल सज्जन, एक्जिक्यूटिव इंजिनियर (Executive Engineer), और स्कूलों के इन्सपेक्टर, और अन्य किसी अफसरको, जिसको प्रान्तीय सरकार ने विशेष रूपसे, यह अधिकार दिया हो, यह हुक्म होगा, कि बोर्डकी किसी मीटिंग में उपस्थित हों और अपने अपने विभागों के किसी मामले के सम्बन्धमें बोर्डके सामने कुछ भाषण दे ।

दफा ९४ याददाश्तकी किताब (मिनिटबुक) और रेजोल्यूशन

१ बोर्डकी मीटिंगमें जो मेम्बर उपस्थितहो, उनके नाम, और जो काररवाई मीटिंग में की गई हो, और जो रेजोल्यूशन पास किये गये हों, एक किताब में लिखे जायगे, जो मिनिट बुक (Minute book) कहलायगी ।

२ काररवाईकी याददाश्त (Minutes) या तो उसी मीटिंगमें, या उसके बाद वाली मीटिंग में, पढी जायगी । और जब उनको वह सब मेम्बर या उनमें से अधिकांश (Majority) जो उनके पढे जाने के समय उपस्थित हों, और जो उन काररवाइयों के समय भी उपस्थित रहे हों, जिनकी कि याददाश्त वह है, उनका ठीक होना स्वीकार कर ले, तो उस मीटिंगके चेयरमैन के हस्ताक्षर के द्वारा, जिसमें कि उनका ठीक होना स्वीकार किया गया है, यह तस्दीक किया जायगा कि वह पास की गई ।

३ प्रत्येक रेजोल्यूशन जो बोर्डकी किसी मीटिंग में पास किया जाय, जहां ऐसा करना सम्भव हो किसी स्थानीय समाचार पत्रों में जो अङ्ग्रेजी भाषामें छपता हो, और किसी स्थानीय समाचार पत्रमें जो देशी भाषा में छपता हो प्रकाशित किया जायगा । और जहां दोनों ऐसे समाचार पत्र न हों तो किसी ऐसे स्थानीय समाचार पत्रमें प्रका-

अफसरों से हो, किया जायगा, और जिनके द्वारा कोई निवेदन पत्र (Representation) जो बोर्ड को प्रान्तीय सरकार के पास भेजना हो, भेजे जायगे। -

- (घी) उन कार्यों के नक्शों (Plans) की तैयारी और जो रूपया उनमें लगेगा उनके तख्मीने (Estimates) की तैयारी, जो कि पूर्णतया, या जिनका कोई भाग, बोर्ड के खर्च से बनाया जाने को हो।
- (सी) वह अधिकारी जिसके हुक्म से, और वह शर्तें जिनके आधीन ऐसे नक्शे और तख्मीने मजूर किये जा सकते हैं।
- (डी) वह शाख या कम्पनी जो ऐसे नक्शे और तख्मीने तैयार करेगी, और जिनसे ऐसे काम बनवाये जायगे।
- (ई) हिसाब किताब जो बोर्ड रखा करेगा और वह विधि जिसके अनुसार ऐसे हिसाब किताब की जाच की जायगी, और वह प्रकाशित किये जायगे, और जाच करने वालों के वह अधिकार, जो उनको किसी व्यय के नामजूर करने तथा अनुचित व्यय के विषय में होंगे।
- (एफ) वह तारीख जिससे पूर्व बजट की मजूरी के लिये मीटिंग की जायगी।
- (जी) वह विधि और वह फारम (Forms) जो बजट के तैयार करने में काम में लाये जायगे।
- (एच) वह शर्तें जिनके आधीन किसी बोर्ड को, जिसके विषय में कोई हुक्म दफा १०२ के अनुसार जारी किया गया हो, अपने बजट में कम बढ़ करने या परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त होगा। और
- (आई) नक्शे (Returns) कैंफिअंते (Statements) या रिपोर्टें (Reports) जो बोर्ड की ओर से भेजी जायगी।

व्याख्या—

(क्लाज ए) के लिये नीचे लिखा नियम (Rule) प्रान्तीय सरकार ने बना दिया है—

नियम

दफा ९५ के क्लॉज (ए) के सम्बन्ध में—

१ सब पत्र व्यवहार जो बोर्ड से और सरकार से, या कमिश्नर से, या किसी सरकारी विभागके अफसरसे, या किसी सरकारी विभागके जिलामें रहने वाले प्रतिनिधि से (District Divisional Representative) या किसी ऐसे अफसर से जो जिला मजिस्ट्रेट के आधीन हो, या जो साधारणतः जिला मजिस्ट्रेट के अधिकार में या उसके आधीन काम किया करता हो—

और सब सूचनायें जो मेम्बर दफा ३९ के अनुसार या जो चेयरमैन दफा ४७ के अनुसार अपने पद से ३ स्तीफा देने के इरादे के विषय में, भेजे—और सब निवेदन पत्र (Representative) जो बोर्ड सरकार को भेजे—

—जिला मैजिस्ट्रेट के दफ्तर के द्वारा भेजे जायगे।

नियम

(दफा ९४ की उप दफा (३) के सम्बन्ध में),—

—रेजोल्यूशनों का जो बोर्ड की किमी मीटिंग में पास किये जाय प्रकाशित किया जाना ।

“उन म्यूनिसिपलटियों में जिनमें कि कोई स्थानीय समाचार पत्र न छपता हो, प्रत्येक रेजोल्यूशन जो बोर्ड की किसी मीटिंग में पास किया गया हो, की नक़ल, मीटिंग की तारीख से १० दिन के भीतर, नोटिस-बोर्ड (अर्थात् नोटिस चिपकाने का तख़्ता) पर सर्वसाधारण को सूचित करने के अभिप्राय से, उस इमारतमें, जहाँ कि बोर्ड की मीटिंगें साधारणतः हुआ करती हैं, टांग दी जायगी, और ३० दिन तक टगी रहने दी जायगी ।

(विज्ञापन No. 1906 XI-6 H. तारीख ५ जुलाई सन १९१६ ई०)

—उप दफा (४) और (५) के सम्बन्ध में देखिये दफा ५० का क्लॉज (सी)

—(उप दफा ६) म्यूनिसिपल बोर्ड के हुकमों में कुछ स्थिरता होना चाहिये । आज कुछ और फल कुछ और होने से जनता को हानि की सम्भावना हो सकती है । अतएव कानून की आज्ञा है कि प्रत्येक रेजोल्यूशन कम से कम ६ मास तक प्रचलित रहना चाहिये । परन्तु यदि किसी कारण से ६ मास से पूर्व उसमें कोई परिवर्तन करने की इच्छा की जाय, तो नीचे लिखी शर्तों के अनुसार, काररवाई की जाना चाहिये —

१ सब मेम्बरों को नोटिस दिया जाय, और उस नोटिस में वह पूरा रेजोल्यूशन दर्ज कर दिया जाय, जिसमें परिवर्तन चाहा जाता है, या जिसको रद्द किये जाने की इच्छा की जाती है, तथा वह रेजोल्यूशन भी दर्ज होना चाहिये, जो पूर्व रेजोल्यूशन के बदले पास किये जाने की इच्छा की जाती है । उद्देश्य यह है कि सब मेम्बरों को दोनों रेजोल्यूशन का मुक़ाबिला करके, विचार करने का अवसर मिल जाय ।

२ दूसरी शर्त यह है कि पहिले वाला रेजोल्यूशन उसी दशा में परिवर्तित या रद्द किया जा सकता है, जब कि मेम्बरों में से (जो उस समय हों) कम से कम आधे उस परिवर्तन की, या रेजोल्यूशन को रद्द किये जाने की राय दें । यह बात ध्यान देने योग्य है कि जितने मेम्बर मीटिंग में उपस्थित हों उनमें से आधों की राय मिल जाना पूर्व रेजोल्यूशन में परिवर्तन करने या उसको रद्द करने के लिये, काफी नहीं होती, वरन जितने मेम्बर उस समय बोर्ड में हो उनमें से आधों की राय होना आवश्यक है ।

पत्र व्यवहार हिसाब किताब बजट इत्यादिका कार्यक्रम

दफा ९५ पत्र व्यवहार, हिसाब किताब बजट इत्यादिका कार्यक्रम

नीचे लिखी बातों का उन नियमों के अनुसार प्रबन्ध किया जायगा, और उन्हीं नियमों के अनुसार वह की जायगी जो प्रान्तीय सरकार बना दे, अर्थात्—

(ए) वह एक, या एक से अधिक चीन्च के दफ्तर, यदि कोई हों जिनके द्वारा वह पत्र व्यवहार जो बोर्डों और प्रान्तीय सरकार या प्रान्तीय सरकारों के

अफसरों से हो, किया जायगा, और जिनके द्वारा कोई निवेदन पत्र (Representation) जो बोर्ड को मान्तीय सरकार के पास भेजना हो, भेजे जायगे। -

- (बी) उन कार्यों के नकशों (Plans) की तैयारी और जो रूपया उनमें लगेगा उनके तख्मीने (Estimates) की तैयारी, जो कि पूर्णतया, या जिनका कोई भाग, बोर्ड के खर्च से बनाया जाने को हो।
- (सी) वह अधिकारी जिसके हुकम से, और वह शर्तें जिनके आधीन ऐसे नकशे और तख्मीने मजूर किये जा सकते हैं।
- (डी) वह शाख या कम्पनी जो ऐसे नकशे और तख्मीने तैयार करेंगी, और जिनसे ऐसे काम बनवाये जायगे।
- (ई) हिसाब किताब जो बोर्ड रखा करेंगे और वह विधि जिसके अनुसार ऐसे हिसाब किताब की जाच की जायगी, और वह प्रकाशित किये जायगे, और जाच करने वालों के वह अधिकार, जो उनको किसी व्यय के नामजूर करने तथा अनुचित व्यय के विषय में होंगे।
- (एफ) वह तारीख जिससे पूर्व बजट की मजूरी के लिये मीटिंग की जायगी।
- (जी) वह विधि और वह फारम (Forms) जो बजट के तैयार करने में काम में लाये जायंगे।
- (एच) वह शर्तें जिनके आधीन किसी बोर्ड को, जिसके विषय में कोई हुकम दफा १०२ के अनुसार जारी किया गया हो, अपने बजट में कम बढ़ करने या परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त होगा। और
- (आई) नकशे (Returns) कौफिअते (Statements) या रिपोर्टें (Reports) जो बोर्ड की ओर से भेजी जायगी।

व्याख्या— -

(क्लॉज ए) के लिये नीचे लिखा नियम (Rule) मान्तीय सरकार ने बना दिया है —

नियम

दफा ९५ के क्लॉज (ए) के सम्बन्ध में —

१ सब पत्र व्यवहार जो बोर्ड से और सरकार से, या कमिश्नर से, या किसी सरकारी विभागके अफसरसे, या किसी सरकारी विभागके जिलामें रहने वाले प्रतिनिधि से (District Divisional Representative) या किसी ऐसे अफसर से जो जिला मजिस्ट्रेट के आधीन हो, या जो साधारणतः जिला मजिस्ट्रेट के अधिकार में या उसके आधीन काम किया करता हो—

और सब सूचनायें जो मेम्बर दफा ३९ के अनुसार या जो चैयरमैन दफा ४० के अनुसार अपने पद से स्वीकार देने के ह्रादे के विषय में, भेजे—और सब निवेदन पत्र (Representative) जो बोर्ड सरकार को भेजे—

—जिला मजिस्ट्रेट क दफ्तर के द्वारा भेजे जायगे।

२ जो पत्र व्यवहार बोर्ड और सरकार से होगा उसको जिला मजिस्ट्रेट कमिश्नर के दफ्तर के द्वारा भेजेगा ।

नोट—आरोग्यता के (Sanitation) सम्बन्ध के सब मामले, और सब दरख्वाशों, चाहे वह जनता की आरोग्यता के सम्बन्ध में किसी काम के लिये रुपया प्रदान किये जाने के विषय में हों, या किसी ऐसे ही काम के लिये रुपया कर्ज मागने के विषय में हों, पहिले बोर्ड आव पब्लिक हेल्थ (Board of public health) को विचार करने के लिये भेजी जाना चाहिये ।

(G. O. No 93 O M. x1 522 E 1 तारीख ३१ अगस्त सन १९२२ई०)

—कामों के नकशे तथा तख्तीनों की तैयारी और मंजूरी और ठेकों के लिये टेण्डर (Tender) मागने के लिये जो नियम प्रान्तीय सरकार ने बनाये हैं उनका सारांश यह है—

- १ साधारणत जिन कामों में २०) से अधिक व्यय होने की सम्भावना हो उन सब के लिये पहिले से नकशे और तख्तीने बनवा लिये जाय ।
- २ जिस काम में २००) ५० से अधिक व्यय होने को हों, उसका ठेका बिना टेण्डर मागे न दिया जाय ।
- ३ टेण्डरों के लिये विज्ञापन दिया जाय । विज्ञापन में उस काम का, जो किये जाने को हो, वृत्तान्त दिया जाय, और वह तारीख् आकितकी जाय जिस तारीख् तक कि टेण्डरलिये जायगे ।
- ४ जब टेण्डर स्वीकार किया जाय तो टेण्डर देने वाले से जमानत ली जाय ।
- ५ नियम पत्र (Contract) में वह दण्ड लिख दिया जायगा जो ठेकेदार को, यदि वह शर्तें पूरी न करे, देना होगा ।

(विज्ञापन No 1906 x1 6 H तारीख ६ जुलाई सन १९१६ ई०)

—दस हजार रुपये से अधिक के कामों के नकशों की तैयारी और तख्तीने, और उनकी मजूरी, चाहे वह आरोग्यता के सम्बन्ध के काम (Sanitary works) हों, या साधारण काम हों, के लिये देखिये, विज्ञापन न० 7 H-x1 तारीख ४ जनवरी सन १९२१, और म्यूनिसिपल मैनुअल के पन्ने २६६ से २७३ तक ।

नोट—नीचे लिखे काम आरोग्यता के सम्बन्ध के काम माने गये हैं—

गदगी वहाने के उपाय या काम (Sewerage), पानी के निकास के उपाय या काम (Drainage), पानी का कारखाना (Water works), बंध स्थान (मजतब), मड़ी या बाजार, विशेष नमूने के बने हुए इन्हने के स्थान (Model lodging houses) होटल, औपचालय, सराय, नहाने के घाट, पाखाने, इत्यादि ।

—उप दफा (ई) के सम्बन्ध में नीचे लिखे नियम प्रान्तीय सरकार ने बना दिया है ।

नियम

(मासिक हिसाब)

१ प्रत्येक मास के समाप्त होने पर एक कैफियत (Statement) बोर्ड की आमदनी और खर्च की, जय जय और जैसे कि आमदनी और खर्च होते गये (Process) बनाई

जायगी, जिस पर एक्जिक्युटिव अफसर या सेक्रेटरी, के और चेयरमैन के दस्तखत होंगे, और यह कैफियत बोर्ड के सामने पेश की जायगी।

२ यह कैफियत उस फारम A के अनुसार बनाई जायेगी जो बजट के लिये नियमित किया गया है। उस फारम में केवल नीचे लिखे परिवर्तन कर दिये जायगे—

- (१) खाना न० ३ में चालू साल (Current year) का तख्मीना बजट लिखा जायगा (बजट के फारम में यह खाना न० ६ में होता है।
- (२) खाना न० ४ में जिस मासकी कि कैफियत तैयार की जा रही हो, उससे पहले का जो महीना हो, उस महीने की आखिरी तारीख तक की वास्तविक आमदनी और खर्च लिखे जायगे।
- (३) खाना न० ५ में उस मासकी वास्तविक आमदनी और खर्च लिखे जायगे जिसकी कि कैफियत तैयार की जा रही है।
- (४) खाना न० ६ में खाना न० ४ और खाना न० ५ का जोड़ (मीजान) होगा।
- (५) एक खाना न० ७ बड़ा दिया जायगा, जिसमें गत वर्षकी उसी श्रावधि की वास्तविक आमदनी और खर्च लिखा जायगा।

(विज्ञापन No 4000 x1 10 H तारीख ४ अक्टूबर सन १९१६)

—देखिये म्यूनिसिपल एकाउन्टकोड भी (Municipal Account Code)

उप दफा (आई) के सम्बन्धमें नीचे लिखे नियम बनाये गये हैं—

म्यूनिसिपलटी के शासनकी और जनताके भारोग्यता की

वार्षिक रिपोर्ट

(Annual Administration & Sanitary Report)

१ प्रतिवर्ष १५ मई को, या उससे पूर्व, बोर्ड म्यूनिसिपलटी के शासन, और आमदनी, और खर्च, के विषयमें, उस वर्ष की जो गत ३१ मार्च को समाप्त हुई हो, एक रिपोर्ट पेश करेगा। 'शहरों' की जिन म्यूनिसिपलटियों में पचास हजार, या इससे अधिक की आबादी हो, या अन्य म्यूनिसिपलटियों में जिनमें कि जिला मजिस्ट्रेट चेयरमैन हो ऐसी रिपोर्ट कमिश्नरकी जाच (Review) के लिये भेजी जायगी। अन्य दशाओं में रिपोर्ट, जिला मजिस्ट्रेट को जाचके लिये, या तो सीधी उन्ही के पास, या हाकिम परगनाके द्वारा (जैसा जिला मजिस्ट्रेट प्रत्येक म्यूनिसिपलटी के लिये नियमित कर दे) भेजी जायगी। सिवाय उन म्यूनिसिपलटियों के जो मुफसिल की हों (अर्थात् जो सदर स्थान की हों) या जो गैर जरूरी हों, ऐसी रिपोर्ट छापके भेजी जायगी। इसका "वृत्तान्त भाग" (Narrative portion) नीचे बताई हुई सीमा से बड़ा नहीं होना चाहिये अर्थात्—

- (१) शहर की म्यूनिसिपलटियों की रिपोर्टों का 'वृत्तान्त भाग' बीस छपे हुये पन्नों से बड़ा न हो।
- (२) अन्य म्यूनिसिपलटियों की रिपोर्ट का दस छपे हुये पन्नों से बड़ा न हो इसके अतिरिक्त यदि कोई नोट (लेख) म्यूनिसिपलटी का इन्जिनियर पानी के कारखानों के विषयमें, या गुन्दगी बहाने के कामों के विषय में दे तो चार पन्ने उसके भी हों

शासन की जो विशेष (Noteworthy) बातें हैं वही लिखी जायें। रिपोर्ट जितनी छोटी हो उतना ही अच्छा है, केवल जो बातें और सरयायें दी गई हों, और उस वर्ष के कामके जो मुख्य लक्षण हों वह समझ में आजाना चाहिये। जो परिशिष्ट और कैफिअतें चूताई गई हैं उनके अतिरिक्त कोई और नकशे न लिये जाय। चेयरमैन की यह जिम्मेदारी होगी कि वह वार्षिक रिपोर्ट का मसौदा तैयार करके बोर्डके सामने पेश करे। अपनी कोई राय व कोई बहस रिपोर्टमें नहीं दी जाना चाहिये। सरकारी विभागों के अफसरों की कोई निन्दा न की जाय, न उनके, या उनके कामों के, गुण दोषों के विषय में कुछ लिखा जाय। रकमों आदि के नकशों का हवाला, वृत्तान्त (Narrative) के उन भागों में, हासिये पर दे देना चाहिये, जिनमें उन नकशों के सम्बन्ध में कुछ लिखा गया हो, और यदि सम्भव हो तो नकशों के हाशियों पर भी, वृत्तान्त के भागों का, हवाला दे दिया जाय। छपी हुई रिपोर्टों पर आखिरी तारीख वह दी जाना चाहिये जिस पर कि आखिरी पन्ने, शुद्ध करके, छपने को भेज दिये गये हों। जिस दित रिपोर्ट छप कर छापे खाने से निकली हो उसकी तारीख रगान कागज पर छाप कर रिपोर्ट के पहले पन्ने पर चिपका दी जाना चाहिये। जो रिपोर्ट सरकार की सेवा में भेजी जाय, उन में जो सरयायें दी जाय, उनके ठीक होनेकी जिम्मेदारी उस अफसर पर होगी जो रिपोर्ट भेजेगा, और जब रिपोर्ट छप चुके, तो ऐसे अफसर को चाहिये कि वह सरयायों का मिलान, और जाच, अपने दफ्तर में करा लेवे। इस मिलान और जाच का सर्टिफिकेट साथ होना चाहिये। नकशों में जो रकमों दी जाय उनमें से आने पाई उडा दिये जाय, सिवाय उन स्थानों के जहाँ कोई दर, या प्रति सैकडे का हिसाब दिखाया जाने को हो।

(देखिये म्यूनिसिपल मैनुअल के पन्ने २४९ से २५१ तक)



पारिशिष्ट (वी)

कैफियत, उन स्कूलों के खर्च तथा स्थिति दिखानेके लिये जो म्यूनिसिपल बोर्ड से कायम रखे जाते हैं, या जिनको सहायता दी जाती है।

	३१ मार्च सन् १९ को	कोषाना की सख्या
<p>इन्द्रा म्यूनिसिपल स्कूल जिनकायमबन्ध म्यूनिसिपल तथा डिस्ट्रिक्टबोर्ड करते हैं</p> <p>इन्द्रा म्यूनिसिपल कालेज और स्कूल जिन को म्यूनि-सिपलबोर्ड सहायता देताहो</p> <p>लडकोंकी विशेष शिक्षा— लडकोंके स्कूलों में शिक्षा के दर्जे— लडकियों के स्कूल जिनका प्रबन्ध म्यूनिसिपल और डिस्ट्रिक्टबोर्ड करते हैं— लडकियोंके स्कूल जिनको म्यूनिसिपल बोर्ड सहायता करता हो— लडकियों के स्कूलों का जोड लडकियों के शिक्षाके दर्जे— सुतकारके म्यूनिसिपल बोर्ड से रखे जाके</p>	<p>३ स्कूलों और शिक्षाके दर्जोकी सख्या</p> <p>४ अंग्रेजी स्कूलों में</p> <p>५ शिक्षा के दर्जों में</p> <p>६ वरनाकपूलरके मिडिलके दर्जोमें</p> <p>७ वरनाकपूलर स्कूलके अपर दर्जोमें</p> <p>८ वरनाकपूलर स्कूलके निचे दर्जोमें</p> <p>९ अन्य विशेष स्कूलों में</p> <p>१० शिक्षों का खर्च</p> <p>११ पुढाईना</p> <p>१२ बर्तानेके</p> <p>१३ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चन्दा</p> <p>१४ स्कूलों जो सहायता प्रदान करी</p> <p>१५ वार २ इनिवाले खर्चोना जोड</p> <p>१६ इमारतें और उनकी मरम्मत</p> <p>१७ कैफियत</p>	<p>म्यूनिसिपल बोर्ड से व्यय</p>

नोट—वरनाकपूलर मिडिल

लडके

अन्तम (Final)

परिया ने लिये भेठ धरे हैं, नह भां

परिशिष्ट (सी)

“भूतिसिपलटीके पानीके कारखाने और मोरियो और पानीके निकासके कामके खर्च दिखाने के लिये ।

(इसकी एक प्रति ३० अप्रैल को, या उससे पूर्व सेन्ट्रिटेरी इंजिनियर को भेजना चाहिये)

पानीका कारखाना				गन्दगी बहाने (मोरियो) और पानीके निकासके काम			
खर्च की किस्म	रकम जो बजटमें मजूर की गई-	खर्चकी सख्या	जोड़	खर्चकी किस्म	रकम जो बजटमें मजूर की गई	खर्च की सख्या	जोड़
१ नौकरो का-				१ नौकरो का-			
(ए) स्थायी नौकर				(ए) स्थाई			
(बी) दफ्तरके मुतफरिंक खर्च				(बी) अम्प्राई			
(सी) किराया				(सी) दफ्तरके मुतफरिंकखर्च			
२ पानी पम्प करनेका-				(डी) किराया			
(ए) फीसला				२ काम बनानेका-			
(बी) तेल और वस्तुयें जो खराब जाय				(ए) बन्द नालिया			
(सी) अन्य वस्तुयें				(बी) ऊपरी मोरिया			
३ पानी नदीसे लेनेका-				(डी) पाखाने			
(ए) नदीकी धाराको ठीक करना				(ई) पेल-डिपो (Pail-depot)			
(बी) पानी बहनेके सुस्तों और कुओंकी सफाई				३ मरम्मत का-			
४ पानी धिरानेके ड्रैज और फिल्टर				(ए) बन्द नालिया			
(ए) पानी धिरानेके होजों की सफाई				(बी) ऊपरी मोरिया			
(बी) फिल्टरोंकी तली की सफाई और तलीका घदला जाय				(सी) पाखाने			
(सी) घालूहा मोल लेना				(डी) पेल-डिपो			
५ पानी पहुँचाना-				४ कलों का-			
(ए) नल और पुरजे				(ए) नई कलोंका मोल लेना			
(बी) पानी नापनेके यन्त्र (मीटर)				(बी) पुरानी कलोंकी मरम्मत			
६ मरम्मत-				५ अन्य खर्च-			
(ए) होजोंकी				(ए) भाराजी जो काममें ले ली गई उसका मुआविजा			
(बी) इमारतों और हातोंकी				(बी)			
(सी) कलोंकी				(सी)			
७ पानीकी जाच-				(डी)			

परिशिष्ट (डी)

पानी का कारखाना

सन् १९ ..-१९ के कामकी कैफियत

(इसकी एक प्रति सेनिटरी इन्जिनियरको ३० अप्रैलको या इससेपूर्व भेज देना चाहिये)

जन संख्या

सन् १९०१ की मर्दुमशुमारो के अनुसार-म्यूनिसिपलटी के भीतर

" " " छावनी में

जोड़

कामोंका खर्च

बनाये जानेका प्रारम्भिक खर्च

काम बढ़ाये जानेका और सुधारोंका खर्च, गतवर्षके अखीर तक

इस वर्षका

कामों के खर्च का जोड़

फिल्टर किये हुये पानीका खर्च

वर्ष भरमें, छावनीके सहित गैलन

प्रतिदिनका औसत "

प्रतिदिनका औसत जो किसी मासमें अधिकसे अधिक रहाहो "

प्रतिदिनका औसत, केवल छावनीमें "

औसत उन घरोंका जिनमें प्रतिदिन फिल्टर किया हुआ पानी पम्प किया गया "

वार्षिक खर्च और आमदनी

कारखाना कायम रखनेके खर्च रुपया

कुल खर्च, सूद और ऋण जो अदा किया गया हो उसके सहित "

पानीके कारखानेसे आमदनी

पानीका टैक्स जो वर्षमें वसूल किया गया रुपया

पानीकी विक्रीसे, और अन्य आमदनी "

कुल आमदनी "

उन घरोंकी संख्या जिनमें नल लगाया गया, वर्षकी समाप्ति पर

केवल धरेलू मतलबोंके लिये

अन्य मतलबों के लिये

जोड़

रुपया उन नलोंकी जिनमें पानी नापनेका यंत्र (मीटर) लगाया गया

परिशिष्ट (ई)

उन रकमोंके खर्चकी कैफियत जो किसी अवसरपर प्रदानकी गई हों और जो बारवार मिलने वाली रकमे न हो (Non-Recurring grants) और ऋणकी कैफियत

१	२	३	४	५	६	७	८	९
प्रदान की हुई रकम और ऋणका विवरण (अधिकार पाने या लानेका, अभिप्राय, सख्या)	सख्या जो गतवर्षकी समाप्ति तक रही है	जिस वर्षकी रिपोर्ट है, उसमें जो सख्या प्राप्त हुई हो	जोड़	गतवर्षकी समाप्ति तकका खर्च	जिस वर्षकी रिपोर्ट हो उसका खर्च	जोड़	सख्या जो सालके विस्तृत वाकी है ।	कैफियत

म्यूनिसिपलटी की सेनिटेरी रिपोर्ट (आरोग्यता सम्बन्धी)

उस वर्षके लिये जो ३१ मार्च सन-१९.. को समाप्त हुआ ।

(३० अप्रैल को या उससे पूर्व इसको एक प्रति सीधी सेनिटेरी कमिश्नर को भेजना चाहिये ।

१ कुल वार्षिक आमदनी लिखो, गत वर्ष की बाकी को छोड़ के, और गत वर्ष की बाकी लिखो, वर्ष की सफाई से आमदनी और खर्च लिखो ।

२ संक्षेप में आरोग्यता के सम्बन्ध के जो मुख्य दोष हों उनको लिखो, उन दोषों के दूर करने के लिये जो उपाय किये गये हों सो लिखो, और नये प्रस्तावित काम जिनके बनाने का विचार ही सो लिखो ।।

३ उस वर्ष में जो आरोग्यता सम्बन्धी काम किये गये हों या बनाये जा रहे हों उनको लिखो इस मद में शामिल होना चाहिये —

(ए.) गन्दगी बहाने के काम, और पानी के निकास के काम (Sewage & Drainage)

(१) उन घरों की सख्या जिनसे गन्दगी और गन्दा पानी बहाने की नालियों का मेल हो ।

(२) गन्दगी बहाने, और पानी के निकास के कामों में तरकी ।

(बी) पानी पहुंचाने (Water-Supply) के काम में तरकी, और उन मकानों की सख्या जिनमें नल नया लगाया गया है ।

(सी) सफाई के कामों में तरकी, अर्थात् ।

उन सार्वजनिक और निजी पाखानों की सख्या जिनमें पानी मौजूद हो ।

(डी) उनके स्थान में तरकी, और

(ई) कोई और तरकी जो की गई हो ।

४ कूड़ा कंकट और मैला किस प्रकार हटाया जाता है और ठिकाने लगाया जाता है ।

(ए) स्थान जो दफा २७३ के अनुसार नियत किये गये हों ।

(बी) सार्वजनिक पाखानों (चम्पुलिस) में कितने कदमचे भादमियों और खिचों के लिये ऐसे हैं, जिनसे कि काम लिया जा सकता हो, और वह किस नमूने के बने हैं ।

(सी) पेशाबखानों और कूड़ा जमा करने के बरतनों की सख्या और नमूना ।

(डी) निजी पाखाने जो काम में बने जाते हों, उनकी सख्या और नमूना ।

(ई) मैला बचाने के गड्डों की कुल सख्या, प्रतिदिन के मैले की अनुमान

की हुई मिकदार, और उसको ले जाने वाली गाड़ियों की सुर्या ।

५ दफा १८६, १९२, २११, २४५, २६७, २६८, २६९, २७६, २७८, और २८४ के अनुसार जारी किये गये, और प्रत्येक दफा के कितने मौदिसों की तामील की गई ।

६ लिप्यो कि दफा २९८ की नीचे लिखी मर्दों के अनुसार बाईं लों बनाए गये हैं कि नहीं—ए बी, सी डी, ई (सी), एफ, जो, आई और जे (ए), (बी), (डी) ।

७ खाने और औषधियों में मेल करने की मनाही का कानून (Adulteration of food & drugs Act) के अनुसार कितने मुकद्दमे चलाये गये, और उनके नतीजे ।

८ नीचे लिखी बातों पर संक्षेप रिपोर्ट दो —

(ए) जनता का साधारण स्वास्थ्य ।

(बी) विशेषतः वर्ष में किसी फैलने वाली बीमारी के उत्पन्न होने की रिपोर्ट उसके आरम्भ होने और समाप्त होने की तारीखों के सहित, और उक्त बीमारी के रोकने के उपाय जो किये गये हों, और फैलने वाले रोगों के रोगियों को अलग रखने के प्रबन्ध ।

(सी) बच्चे जो पैदा हुये हों उनकी सुर्या, और पहली जनवरी से ३१ दिसम्बर तक उन बच्चों की मौतों जो एक वर्ष से कम के हों ।

(डी) वह रकूमे जिनमें मौतों का हिसाब सब से अधिक पड़े ।

म्यूनिसिपल पत्र-व्यवहार और कागजों, रजिस्ट्रों इत्यादि के विषय में नियम (Rules)

म्यूनिसिपल बोर्ड की कारवाइयों, मिनिट बुक, पत्र व्यवहार, हिसाब किताब, बजट इत्यादि की दफाआ के साथ, प्रान्तीय सरकार द्वारा बनाये हुये नियम, जो म्यूनिसिपलटी की खत किताबत, कागज, रजिस्ट्र इत्यादि के रखे जाने, और उनके नष्ट किये जाने के सम्बन्ध में हैं, दे दिया जाना उचित है। विज्ञापन No 1906 x1 6 H, तारीख ५ जुलाई, १९१६ के द्वारा नीचे लिखे नियम प्रकाशित कर दिये गये हैं —

१ इन नियमों में, जब तक कि विषय अथवा प्रसङ्ग की दृष्टि से ऐसा अर्थ अनुचित न हो —

(१) “मुहाफिज दफ्तर” (अर्थात् दफ्तर के कागजों का रक्षक) का अर्थ होगा, वह धारस जो मुहाफिज खाने के वास्तविक चारज (Charge) में हो।

(२) शब्द “कागजात” में रजिस्ट्र भी शामिल होंगे।

२ म्यूनिसिपलटी के दफ्तर का उतना भाग, जितना कि पत्र व्यवहार और कागजों को उचित रीति से रखने और उन पर कब्जा रखने के लिये आवश्यक हो, बोर्ड अलग कर देगा, और इस प्रकार अलग किया हुआ अर्थात् मुहाफिज खाना कहलायगा।

३ पत्र व्यवहारों के बचे हुए कागजों में से, वह कागज जिनमें किसी काम में देर हो जाने का कारण बताया गया हो, या जो केवल जावते के पत्र हों (जैसे वह-पत्र जिसके द्वारा किसी पत्र के साथ आये हुए कागज लौटा ले गये हों), जब मिसिल बन्द की जाय, मुहाफिज दफ्तर नष्ट कर देगा।

४ जो कागज कि छपा लिया जाय उसका असल मुहाफिज दफ्तर उस समय नष्ट कर देगा जब कि असल के बदले छपा हुआ कागज आजाय। परन्तु शर्त यह है कि धरमैन या एग्जिक्युटिव अफसर आज्ञा दे सकता है, जिस आज्ञा के कारण उसी कागज पर लिख दिये जायगे, कि कोई असल कागज भी, छपे हुये कागज के साथ, या तो उसकी मिसिल ही में, या अन्य किसी स्थान में, किसी ऐसी अवधि के लिये जो अंकित कर दी गई हो, रखा जाय।

५ वह कागज रजिस्ट्र, आदि जो इन नियमों के सग दिये हुए A और B शिष्टयुक्तों में अंकित किये गये हैं इतनी अवधि के लिये रखे रहने दिये जायगे, जितनी अवधि कि प्रत्येक कागज आदि के लिये बताई गई हो, और उसके उपरान्त नष्ट कर दिये जायगे।

परन्तु शर्त यह है कि धरमैन या एग्जिक्युटिव अफसर आज्ञा दे सकता है, जिस आज्ञा के कारण कि उसी मिसिल, कागज आदि पर लिख दिये जायगे, कि कोई मिसिल, कागज, रजिस्ट्र उस अवधि से, जो कि उसके लिये नियमित हो, अधिक अवधि तक रखा जाय।

६ किसी अवधि के हिसाब की जाच की समाप्ति की तारीख, वह मानी जायगी जो उक्त अवधि के हिसाब की जाच के नोट के अन्त पर दर्ज हो।

७ जब किसी पत्र व्यवहार या कागज या रजिस्ट्र के लिये कोई निर्दिष्ट अवधि नियमित हो, तो उस अवधि का हिसाब उस पदकी शब्दाई से लगाया जायगा जो उस मिसिल या कागज या रजिस्ट्र के पूरा होने के बाद पड़े।

कागजों तथा रजिस्ट्रोंके लिये मुहाफिज दफतरका रजिस्टर

१	२	३	४	५	६	७	८	९
नम्बर	कागजों तथा रजिस्ट्रोंका वर्णन	मुहाफिज स्थानमें कसी जानकी तारीख	तारीख जिसपर कि मिसिल, कागजोंके नष्ट किये जाने के लिये याची जाना चाहिये	दस्तावेज मुहाफिज दफतर	तारीख जिसपर कि मिसिल कागजोंके नष्ट किये जाने के लिये वास्तवमें याची मर्गी	यदि नष्ट किये जानेका हुजूम दिया गया हो, तो नष्ट किये जानेकी तारीख	उस आफसरके दस्तावेज जितने नष्ट कियेका हुजूम दिया हो,	ऑफिसर

१० फारम जो न० ९ में नियमित हैं, गवर्नमेन्ट प्रेस से मगाये जायेंगे।

११ (१) प्रति वर्ष महिला सुलाह से, या इस तारीख के पश्चात्, जितना जल्द सम्भव हो मुहाफिज दफतर पत्र व्यवहार की सब मिसिलों को देखना उस क्रम से आरम्भ करेगा जो क्रम कि उनका उस रजिस्टर में हो जो पूर्वोक्त नियम के अनुसार नियमित है, और प्रत्येक ऐसी मिसिलके सम्बन्ध में जो रजिस्टर में दर्ज हो आवश्यक हदराज करेगा। प्रत्येक मिसिल में से वह, हर ऐसे कागज को निकालेगा, जो उस अवधि के अनुसार, जो ऐसे कागज के लिये आ दिह्यूलों में, जो इन नियमों के साथ लगा दिये गये हैं, नियमित हैं, नष्ट करने के योग्य हो गये हैं और ऐसे कागजों को अपने रजिस्टर के इतिर चेयरमैन या एक्जिक्यूटिव अफसर या सेक्रेटरी की जाँच के लिये पेश करेगा और चेयरमैन या एक्जिक्यूटिव अफसर या सेक्रेटरी, इन नियमों के अनुसार, और उन दिह्यूलों के अनुसार जो इन नियमों के साथ लगा दिये गये हैं, उन पर आवश्यक हुजूम देगा।

(२) इसी प्रकार मुहाफिज दफतर, दिह्यूल B में दिये हुये दर्जोंके अनुसार सब कागजों और रजिस्ट्रों की जाँच करेगा और इन कागजों तथा रजिस्ट्रों को, जो नष्ट कर दिये जाने के योग्य हो गये हैं, नियम ९ के द्वारा नियमित किया हुआ, कागजों और रजिस्ट्रों के रजिस्टर के तहत, उचित अफसर के सामने पेश करेगा। ऐसा अफसर उन पर उसी विधि से हुकम देगा जैसा कि इस नियम के पहिले वाले क्लॉज में नियमित है।

(३) यदि इस विषय में कोई शक हो कि कोई पत्र या कागज या रजिस्टर, किस दर्जे का है, या इस विषय में कि उसके ररों रहने दिये जानेकी ठीक अवाधि क्या है, तो ऐसा पत्र, कागज या रजिस्टर चैयरमैन या एक्जिक्यूटिव अफसर की जाँच के लिये पेश किया जायगा, यदि वह पहिले ही पेश न किया जा चुका हो।

१२ यदि किसी पत्र व्यवहार की मिसिल के सब कागज नष्ट कर दिये जाँय, तो मुहाफिज दफ्तर के रजिस्टर खाना न० १० में नीचे लिखा हुन्दराज कर दिया जायगा —

मेरी उपास्थिति में पूरी मिसिल नष्ट कर दी गई।

(दस्तखत चैयरमैन या एक्जिक्यूटिव अफसर या सेक्रेटरी)

तारीख . . .

(मुहाफिज दफ्तर के दस्तखत) . . .

यदि मिसिल में से केवल कुछ ही पत्र या कागज नष्ट किये गये हों, तो रजिस्टर में नीचे लिखा हुन्दराज कर दिया जायगा . . . नम्बरों के कागज मेरी उपास्थितिमें नष्ट कर दिये गये।

(दस्तखत चैयरमैन या एक्जिक्यूटिव अफसर या सेक्रेटरी)

तारीख . . .

(मुहाफिज दफ्तरके दस्तखत) . . .

१३ जो कागज नष्ट करने के लिये चुने जाँय वह यदि खुफिया (गुप्त) हों तो तुरन्त जला दिये जायेंगे। जो कागज खुफिया न हों वह यदि रही में बेचे जाय, तो छोटे छोटे टुकड़ों में पाह दिये जायँ जिससे कि यह पता न लग सके कि उनमें क्या लिखा था।

(शिड्यूल A के लिये देखिये म्यूनिसिपल मैनुअलका पन्ना ३२४ और शिड्यूल B के लिये देखिये पन्ने ३२५ और ३२६)।

शिड्यूल B विज्ञापन No 2441 xi H 98 तारीख २४ नम्बर १९२१ के द्वारा नया बदल दिया गया है।)

ठेके या मुआहिदे (Contracts)

दफा ९६ ठेकों या मुआहिदोंकी मजूरी

१ हर ऐसे ठेके या मुआहिदे के लिये, बोर्ड की मजूरी की, जो रेजोल्यूशन के द्वारा दी जाय, आवश्यकता है।

(ए) जिसके लिये बजट में सबील नहीं की गई है। या

(बी) जिसकी मालिभत, या सख्या, उस दशा में जब कि वह किसी शहर के बोर्ड की ओर से हो, एक हजार रुपये से, और अन्य दशाओं में, दारौं सौ रुपये से, अधिक हो।

२ कोई ठेका या मुआहिदा, जो उन दोनों प्रकार का न हो, जिनका वर्णन उप दफा (१) में किया गया है, बोर्ड के रेजोल्यूशन के द्वारा, मजूर किया जा सकता है, या उसको बोर्डकी कोई कमेटी, जो सलाह देने वाली कमेटी (Advisory Committee) न हो, जिसको इस विषय में, रेग्युलेशन के द्वारा, अधिकार दिया गया हो, या बोर्ड का कोई एक, या एक से अधिक, अफसर, या नौकर जिसको, या जिनको, अधिकार दिया गया हो, मजूर कर सकते हैं।

३ परन्तु शर्त यह है कि उस दशा में जब किसी किये जाने वाले काम (Project) के नकशे और तखमीने बोर्ड ने किसी ऐसे नियम के अनुसार जो इस विषय में बनाया गया हो, मजूर कर लिये हों, और उस काम का किया जाना बोर्ड ने किसी ऐसे इजि नियर को सौंप दिया हो, जो उसका नौकर हो, या उसके काम पर हो, तो बोर्ड को अधिकार होगा कि कमिश्नर की मजूरी पहिले से प्राप्त करके, रेजोल्यूशन के द्वारा, ऐसे इजिनियर को, उन कुछ ठेकों के, या मुआहिदों के या किसी विशेष प्रकार के एक या एक से अधिक ठेकों के, या मुआहिदों के, मजूर करने का, जिनकी कि आवश्यकता किये जाने वाले काम (Project) के पूरा करने के लिये हो अधिकार दे, और इस तरह इस प्रकार दिये हुए अधिकार को बरतनेके सम्बन्धमें कोई शर्त या बन्धन लगाये।

नोट—ठेकों की मजूरी देने के अधिकार को बोर्ड कमेटियों आदि को सौंप सकता है देखिये C O. No 1328 X1 5 H ता० १९ जून सन १९१६ ई० जो दफा ११२ की व्याख्या में दिया गया है।

दफा ९७ मुआहिदों अथवा ठेकोंकी लिखा पढ़ी

१ प्रत्येक मुआहिदा या ठेका जो बोर्ड करे या दे या बोर्ड की ओर से किया जाय या दिया जाय, और जिसकी मालिखत या रकम ढाई सौ रुपये से अधिक हो लिखित होगा।

२ प्रत्येक ऐसे मुआहिदे या ठेके नामे पर—

(ए) चेयरमैन, या वार्ड्स चेयरमैन, और एक्जिक्युटिव अफसर या किसी एक सेक्रेटरी के हस्ताक्षर होंगे। या

(बी) किसी ऐसे शख्स या ऐसे शख्सों के हस्ताक्षर होंगे जिसको या जिनको पूर्वोक्त दफा की उप दफा (२) या (३) के अनुसार मुआहिदे या ठेके की मजूरी का अधिकार दिया गया है, यदि बोर्ड ने उसको या उनको इस विषय में भी अधिकार उसी प्रकार दिया हो।

३ अगर कोई मुआहिदा या ठेका जिस पर इस दफा के पूर्वोक्त हुक्म लागू हों, सिधाय उक्त हुक्मों के अनुसार, किसी अन्य प्रकार किया जायगा तो बोर्ड पर उसका बन्धन (पाबन्दी) न होगा।

व्याख्या—

जब कि किसी बोर्ड ने सडक पर कूटने के लिये पथर के टुकड़े देने के टेंडर (Tender) मांगे और एक शरस राधाकृष्ण का टेंडर रेजोल्यूशन के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। कुछ पथर इस रेजोल्यूशन के अनुसार बोर्ड को दिया भी गया, और उसके दाम बोर्ड की ओरसे अदा किये गये।

राजशाह बोर्ड ने पत्थर लेने से इनकार कर दिया, तत्र राधाकृष्ण ने बोर्ड पर दावा किया। कोई मुआहिदा लिखा हुआ इस विषय में नहीं था, केवल बोर्ड का लिखा हुआ रेजोल्यूशन मौजूद था। हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि जो मुआहिदा राधाकृष्ण वगैरह और म्यूनिसिपलटी से हुआ (उसकी घस प्रकार लिखा पढ़ी न किये जाने के कारण और दस्तावेज न किये जाने के कारण, जैसी कि म्यूनिसिपलटी एक्ट की आज्ञा है)। उसके आधार पर म्यूनिसिपलटी पर दावा नहीं किया जा सकता चाहे उस मुआहिदे के अनुसार कुछ पत्थर राधाकृष्ण वगैरह ने दिया भी हो। कानून मुआहिदा (Contract Act) की दफा ६५ और ७० और ७३ से राधाकृष्ण वगैरह को कोई सहायता नहीं मिलती देखिये राधाकृष्ण वगैरह बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड बनारस, 1905 A W N 111; 2 A L J 321 परन्तु जब एक मुआहिदेकी दस्तावेज लिखी गई और ठेकेदार ने उस पर दस्त खत किये, और दस्तावेज की पीठ पर चाइस चेयरमैन और सेक्रेटरी के भी दस्तखत हुये और दस्तावेज की शर्तों का, तथा बोर्ड की मजूरी प्राप्त होने का हवाला दिया गया तो हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि एक्ट न० १ सन १९०० ई० की दफा ४७ के हुक्मों का पालन होगा। (देखिये म्यूनिसिपल बोर्ड नजीबाबाद बनाम दिव्यनारायण 2 A L J 216)

नोट—एक्ट न० १ सन १९०० की दफा ४७ हाल की एक्ट की इस दफा ९७ के समान थी ।

दफा ९८ दस्तावेजों की रजिस्ट्री

उस दशामें जब कि रजिस्ट्रीका एक्ट सन १९०८ ई० (Indian Registration Act 1908), या कोई कायदा जो उस कानून के अनुसार बनाया गया हो, किसी दस्तावेज के विषय में कोई काम करने की आज्ञा या इजाजत, उस शख्स को जिसने वह दस्तावेज लिखी हो, या उस शख्स को जिसको उस दस्तावेज से कोई हक प्राप्त होता हो, दी हो, और दस्तावेज बोर्ड की ओर से लिखी गई हो, या वह ऐसी दस्तावेज हो जिसके अनुसार बोर्ड को कोई हक प्राप्त होता हो, तो ऐसा काम, चाहे उसके विरुद्ध कोई हुक्म पूर्व कथित कानून में हो, या उसके अनुसार बनाये हुये किसी नियम में हो, चपरमैन या एक्जिक्युटिव अफसर या बोर्ड का सेक्रेटरी या बोर्ड का अन्य कोई अफसर, जिसको रेगुलेशन के द्वारा इस विषय में अधिकार दिया गया हो, कर सकता है ।

—न्याय्या—

इस दफा के अनुसार, रजिस्ट्री कराने में जिन कामों की आवश्यकता होती है, जैसे दस्तावेज को रजिस्ट्री के लिये पेश करना, अथवा उसको रजिस्ट्री हो जाने पर वापिस लेना, इत्यादि, सम कामों को चेयरमैन या दफा में आंकित किये हुये कोई अफसर कर सकता है ।

बजट (Budget)

दफा ९९ बजट

१ प्रत्येक बोर्ड एक पूरा हिसाब वास्तविक आमदनी और खर्च का, तथा उस आमदनी और खर्च का जिसके होने की आशा हो, उस वर्ष के विषय में जो उस ३१ मार्च, को समाप्त होती हो जो उस तारीख के बाद पड़े जो इस विषय में नियम के द्वारा

नियत की जाय, तैयार करायेगा। और साथ ही साथ बोर्ड की आमदनी और खर्च का तखमीना बजट, उस वर्ष के विषय में जो आगामी पहिली अप्रैल को प्रारम्भ होती हो तैयार करायेगा और उसको एक ऐसी मीटिंग में पेश करायेगा जो प्रति वर्ष उस तारीख से पूर्व जो इस विषय में नियम के द्वारा नियत की जाय, होगी।

२ दफा १०२ के हुकमों के आधीन बोर्ड उक्त मीटिंग में उन रकमों को जो तखमीना बजट में भिन्न २ मदों के व्यय के लिये रखी गई हैं (Appropriations) और आमदनी के उन उपायों को (Ways & means) जो उसमें दर्ज हो, निश्चय करेगा, और विशेष रेज़ोल्यूशन के द्वारा एक बजट मंजूर करेगा, जो प्रान्तीय सरकार के पास, या एसे अफसरों के पास भेजा जायगा, जिनके पास भेजे जाने का प्रान्तीय सरकार ने हुकम, दिया हो।

३ ऐसे ही हुकमों के आधीन समय समय पर, जब कभी, हालत पर दृष्टि करके ऐसा करना उचित जान पड़े, तो बोर्ड उस बजट को जो उप दफा (२) के अनुसार मंजूर किया गया हो, विशेष रेज़ोल्यूशन के द्वारा कम बढ़ कर सकता है, या उसमें परिवर्तन कर सकता है।

ध्याख्या—

पह बात स्मरणीय है कि सरकारी विभागों के काम काज किये जाने के लिये जो वर्ष माना जाता है वह पहिली अप्रैल से आरम्भ होता है और ३१ मार्च को समाप्त हुआ करता है।

—(उपदफा १) प्रान्तीय सरकार ने, नियम द्वारा, उस मीटिंग के लिये जिसमें बजटकी मंजूरी दी जायगी यह आज्ञा दी है कि वह १५ मार्च से पहले करली जाय। यदि १४ मार्च को कोई बोर्ड बजट की मंजूरी के लिये मीटिंग करे, तो उप दफा (१) के अनुसार आवश्यक होगा कि गत वर्ष की पहिली अप्रैल से इस वर्ष की १४ मार्च तक, जो वास्तविक आमदनी और खर्च हुआ हो उसका हिसाब तैयार कराया जावे, तथा १४ मार्च से ३१ मार्च तक (अर्थात् जो दिन कि चालू वर्ष में बाकी रह गये हों) जो आमदनी और खर्च होने की आशा की जाय, इसका भी हिसाब तैयार कराये। और इसी चालू साल की आमदनी और खर्चों के द्वारा अनुमान करके आगामी वर्ष जो पहली अप्रैल से आरम्भ होगा, के लिये भी एक तखमीना बजट (अर्थात् अनुमान से जो आमदनी और खर्च वस में होगा) तैयार कराये।

—बजट के लिये नीचे लिखे नियम प्रान्तीय सरकार ने बनाये हैं —

१ बजट हूब फारम A के अनुसार तैयार किया जायगा जो नियमों के सग दिया गया है।

२ बजटके सग एक सूची फारम B के अनुसार होगी जिसके द्वारा यह बताया जायगा कि कौन २ से नये काम (Original works) इस वर्षमें बोर्ड करनेका प्रस्ताव करता है, और अन्य बातें जिनके लिये उक्त फारम में स्थान रखे गये हैं वह भी दिखाई जायगी। यह सूची बजट का भाग मानी जायगी।

३ सा० १५ मार्च से पूर्व एक मीटिंगकी जायगी जिसमें कि बजट पर विचार किया जायगा, और उसकी मंजूरी दी जायगी सिवाय उन ऋणी बोर्डों में जिनके विषय में कोई हुकम दफा १०२ के अन्वय दिया जा चुका है। ऋणी बोर्डों में ऐसी मीटिंग १५ फरवरी से पूर्व की जायगी।

४ जब किसी ऋणी बोर्ड, जिसके विषयमें कोई हुक्म दफा १०२ के अनुसार दिया गया हो, के बजट की मजूरी कमिश्नर दे दे तो बिना कमिश्नर की पहले से मजूरी प्राप्त किये हुये बोर्ड किसी रकम को अन्तिम बाकी (Closing balance) से किसी मदमें न ले जायगा न उसमें से कोई रकम किसी ऐसी वृद्धि के पूरा करने के लिये बदलके खर्चाई जायगी, जो वृद्धि उन खर्चों में हो जो कि चार २ हुआ करते हैं (Recurring Charges), न उन खर्चों में, जो कि भिन्न २ मदों के लिय फारम B में दर्ज किये गये हों, कोई परिवर्तन किया जायगा ।

५ दुहराया हुआ बजट फारम A के अनुसार तैयार किया जायगा, केवल उसमें नीचे लिखे परिवर्तन कर दिये जायगे —

- (१) खाना न० ३ में गत आर्थिक वर्ष (Financial year) की वास्तविक आमदनी और खर्च, अर्थात् जिस वर्ष का कि हिसाब तैयार करके बन्द किया जा चुका हो दिया जायगा ।
- (२) खाना न० ४ में वह प्रथम तख्तीना (Original Estimate) उस चालू साल का, जिसमें कि दुहराया हुआ बजट तैयार किया जा रहा हो दिया जायगा ।
- (३) खाना न० ५ में चालू साल के उस मास तक की वास्तविक आमदनी और खर्च, जिस मास तक का कि हिसाब तैयार हो चुका हो, दिया जायगा ।
- (४) खाना न० ६ में दुहराया हुआ तख्तीना दिया जायगा ।

—उप दफा (२) के हुक्म के सम्यन्धमें प्रान्तीय सरकार की आज्ञा है कि मजूर किया हुआ बजट कमिश्नर को और जिला मजिस्ट्रेट को भेजा जाय । पानी के कारखाने और पानी के निकासके कामों के (Works & Drainage) लिये जो बजट का तख्तीना हो, उसकी नकलें सरकारके सेनिटरी इंजिनियरको भेजी जाय ।

(देखिये G. O. No 1860 XI 10 H, तारीख १ जुलाई सन १९१६ ई०)

फार्म (ए)

Form A

बजट का व्योरा (Budget Statement)

आमदनी और खर्च का तख्मीना (अनुमान से) . की म्यूनिसिपलटी की जन संख्या ...
आमदनी का तख्मीना ।

मद का नम्बर	आमदनी की मद	गत् वर्ष की वास्तविक आमदनी		चाहू वर्ष का तख्मीना		प्रथम छ मास की वास्तविक आमदनी		१९१९ का तख्मीना	
		१९१८	१९१७	१९१८	१९१७	१९१८	१९१७		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	
		रु	आ पा	रु	आ पा	रु	आ पा	रु	आ पा
१	बाकी जो गत वर्षके समाप्त होने पर बची थी म्यूनिसिपल महसूल (Rates) और कर (Taxes)								
२	चुगी *								
३	इमारतों और आराजियोंके वार्षिक मूल्यका कर								
४	जानवरों और गाड़ियोंका कर (ए) गाड़ियों और अन्य सवारियोंका टैक्स और नाव (नौका) का टैक्स (कर) (बी) कुत्तोंका टैक्स (सी) उन जानवरोंका कर जो सवारीकी, गाड़ियोंमें जोतने-इत्यादिके कामोंमें आते हैं								

* पूरी आमदनी (Gross) रु० , नापसिया रु० , खालिस आमदनी (अर्थात् वापसियोंको छोड़ के) रु०

नोट—जो रकम कि वापसियोंमें खर्च की गई हो, वह इस फारम (ए) के खर्च की तरफ नहीं दिखाई जायगी। खालिस आमदनी इस फारम के नकशे में आमदनी की तरफ दिखाई जायगी। खालिस आमदनी निम्नप्रारों के द्वारा निर्णय की जायगी (फारम न० १० और (५) जो चुगी के सदर दफतर में तैयार किये जाते हैं) साथ ही चुगी की उस खालिस आमदनी की रकम में, इसका मिलान रिया जायगा, जो कुल आमदनी (Gross) म से नापसियों को घटा के आवे। इन दोनों विधियों से जो, दरयायें आवें, यदि जन्मे परस्पर अंतर हो तो, तब आवश्यक हो, ऐसे अंतर का कारण बनाना चाहिये।

मद का नम्बर	शामदनी की मद	गत वर्ष की वार्षिक आमदनी	चाहू वर्ष का तलमीना	प्रथम छ मास की वार्षिक आमदनी १९१९	१९१९ का तलमीना
१	२	३	४	५	६
		र आ पा	र आ पा	र आ पा	र आ पा
५	ब्यापारों, पेशों और कामों का टैक्स (ए) ब्यापारों, पेशों और कामों का टैक्स (कर) (बी) विशेष ब्यापारों और पेशों का कर				
६	टोल अर्थात् प्रवेशकर (सड़कों और जलमार्गों पर)				
७	पाणी का कर (Water tax)				
८	रोडानी का महसूल				
९	सफाई के कर (कूड़ा ढटो तथा पाकाने का)				
१०	अन्य कर				
१०ए					
१०बी					
११	महसूलों और करों का जोड़ (मजान) दूसरे पन्ने पर लेजाया गया (Carried over)				

* सब करों की अलग २ आमदनी अलग २ पन्नों में दिखाना चाहिये, चाहे जितनी मदें डालना पड़े, जैसे, हेसियत और जायदाद पर टैक्स, यात्रियों पर टैक्स इत्यादि ।

मद का नम्बर	आमदनी की मद	गत वर्ष की वास्तविक आमदनी	बालू चर्ब का तख्तीना	प्रथम छ मास की वास्तविक आमदनी	१९...१९... १९...१९... का तख्तीना
१	२	३	४	५	६
		रु आ. पा	रु. आ पा	रु आ पा	रु आ पा.
	विछले पन्नेसे लाया गया (Brought forward)				
१२	विशेष एक्टों (Special Acts) द्वारा आमदनी बाडोंसे (Pounds काजी हौज) ...				
१३	किराये की गाडियोंसे ...				
१४	शराबों और औपधियोंके लैसन्सोंसे ...				
१४ए	अन्य बातोंसे * ...				
१५	जोड (मीजान) ...				
	करोंसे भलग, जो आमदनी यूनिसिपल जाय दाद तथा अधिकारों के द्वारा हो ...				
१६	आराजियों, मकानों, सराया, डारु बद्दलों, का किराया				
१७	आराजियों की तथा आराजियों की उपज, के विकने से आमदनी				
१८	सफाईसे आमदनी (करों और महसूलोंके अतिरिक्त)				
१९	शिक्षा सम्बन्धी सस्थाअसि फीसँ और अन्य आमदनी				
२०	रोग चिकित्सा की सस्थाओं (Medical Institutions) से फीसँ और अन्य आमदनी				
२१	मण्डियों, बघ स्थानोंसे फीसोंकी, और अन्य आमदनी				
२१ए	मण्डिया (बाजार)				
२१बी	बघ-स्थान				
२२	टाम्वे (Tramway) से फीसँ और अन्य आमदनी				
२३	पानी की बिक्री—				
	(१) पानी की बिक्री से आमदनी				
	(२) मीट्रों (Meters) का किराया ..				
	(३) अन्य मदें ...				
२३ए	नकलों की फीस ...				
२३बी	मेले ..				
२३सी	रजिस्ट्री की फीसँ ..				
२३डी	बैल गाडियों (Carts) के लैसन्स की फीसँ				
२३ई	मुतफिरिक				
२४	यूनिसिपल और अन्य एक्टोंके अनुसार जुर्माने रुपये का सूद				
२५	साधारण मतलयों के लिये ...				
२६	शिक्षा के ..				
२७	रोग-चिकित्सा ..				
२८	कूजों का प्रिमियम (Premium) ..				
२९	जोड (मीजान)				
	दुसरे पन्ने पर ले जाया गया				

* विशेष कानूनों (Special Acts) के अनुसार जो जुर्माने मुकदमोंमें किये जाय, वर "जुर्माने" की मद (नं० २४) में बाड़ी जाना चाहिये।

सद का नम्बर	आमदनी की मद	गत वर्ष की वास्त- विक आमदनी	चाहूँ वर्ष का तखमीना	प्रथम छ मास की वास्तविक आमदनी १९१९ के	१९१९ का तखमीना
१	२	३	४	५	६
		रु आ पा	रु आ पा	रु आ पा	रु आ पा
	पिछले पन्ने से लाया गया				
	सरकार आदि के द्वारा प्रदान की हुई रकमें (Grants) और चन्दे (Contributions) साधारण और विशेष मतलों के लिये—				
	सरकार से				
३०	साधारण मतलों के लिये				
३१	शिक्षा के				
३२	रोग चिकित्सा के				
	स्थानीय कोषों से (From local funds)				
३३	साधारण मतलों के लिये				
३४	शिक्षा के				
३५	रोग-चिकित्सा के				
	अन्य जरियों से				
३६	साधारण मतलों के लिये				
३७	शिक्षा के				
३८	रोग चिकित्सा के				
३९	जोड़ (मीजात)				
	मुतफरिक्				
४०	सरे साधारण में से किसी व्यक्ति की जो सेवा की गई हो उसके विषय में वसूली				
४१	अन्य मदें				
४२	जोड़				
४३	वर्षकी पूरी आमदनी—गत वर्षकी बाकीको छोड़के असाधारण (Extraordinary) और ऋण				
४४	सरकारी नोट आदि (Securities) की बिक्रीसे आमदनी और सेविंग्स बैंकसे रुपया उठाने से				
४५	{ सरकार से				
४६	{ जो खुले बाजार (Open market) में लिया गया				
४७	सिंकिंग कोष (Sinking fund) में से लिया गया ऋण चुकाने को जोड़				
	दूसरे पन्ने पर दे जाया गया				

मद का नम्बर	आमदनी की मद	गत वर्ष की वास्तविक आमदनी		चारू वर्ष का तलमीना		प्रथम छ मास की वास्तविक आमदनी १९.....१९...के	१९...१९... का तलमीना
		३	४	५	६		
१	२	रु आ पा	रु आ पा	रु आ.पा	रु आ पा		
४८	पिछले पन्ने से लाया गया						
४९	पेशगी दी हुई रकमें { स्याहँ						
५०	जमा की हुई रकमें { दूसरी						
५१	जोड़						
५२*	कुल आमदनी, गत वर्ष की बाकी को छोड़के						
५३*	कुल आमदनी, गत वर्ष की बाकी सहित						
५४	आबादी के प्रति व्यक्ति पर कितना कर पडा (मद ११)						
५५	आबादी के प्रति व्यक्तिसे कितनी आमदनी पड़ी						

* इस मद में मद ४३ और मद ५१ का जोड़ दिखाना चाहिये ।

* " " " १ " " ५२ का जोड़ दिखाना चाहिये ।

तखमीना (अनुमान) किये हुये खर्च

मंदा का नम्बर	खर्च की मंदा	गत वर्ष का वास्त- विक खर्च		आगू वर्ष के खर्च के तखमीना		१९१६ के पहले छ मास के वास्त- विक खर्च		१९१६ के लिये तखमीना	
		रु	भा पा	रु	भा पा	रु	भा पा	रु	भा पा
१	साधारण शासन और रुपया वसूल करनेमें खर्च								
२	साधारण शासन (दफ्तरके कर्मचारी, मुआइना, औचतनिक मजिस्ट्रेटके कर्मचारी, इत्यादि)								
३	करोंका जमा किया जाना, जिसमें माल रखनेके गोदामभी शामिल है (कर्मचारी, हिसाबके रजिस्ट्रों और कागजकी खरीदारी, रुपयेके बक्स(गोलके चौकियोंकी मरम्मत, इत्यादि)								
४	प्रवेश करों का सडकों तथा जल मार्गों पर जमा करने का खर्च								
५	भारतियों की पैमाइश								
६	वापसियां (सिवाय बुगी की वापसियों के)								
७	पेन्शनें और इनाम (Gratuities)								
८	वार्षिक वजीफे (Annuities)								
	जोड								
	जनता की सुरक्षता								
९	भाग (कर्मचारी, इन्जनों का मोल देना, वालटियां, मरम्मत, इत्यादि)								
१०	रोशनी(लैंप मोल देना, तेल, मरम्मत इत्यादि)								
११	पुरिस (कर्मचारी, कपड़ोंकी खरीदारी, लाल टेनें, इत्यादि चौकियों की मरम्मत)								
१२	जगहरी जन्तुओं और सर्पों के मारनेके इनाम								
	जोड								

(अर्पूर्ण है आगे वाले पेज को इसमें शामिल समझिये)

मद का नम्बर	खर्च की मद	गत वर्ष का वास्तविक खर्च	चाहूँ वर्ष के खर्च के तख्मिनी	१९१९ के पहले छ मास के वास्तविक खर्च	१९१९ के लिये तख्मिनी
१	२	३	४	५	६
		रु आ पा	रु आ पा	रु आ पा	रु आ पा
१२	सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुख (Convenience)				
१३	पानी का फारखाना { बनाने का प्रारम्भिक खर्च कर्मचारी, मरम्मत, इत्यादि				
१४	शुद्धि के काम { बनाने का प्रारम्भिक खर्च कर्मचारी, मरम्मत इत्यादि				
१५	सफाई (जिसमें शामिल होंगी सड़क-की सफाई, छिडकाव और बग्गुलिस)				
१६	(ए) नीची श्रेणी के कर्मचारी				
१७	(बी) पशुओं का मूल्य और खुराक				
१८	(सी) वह वस्तुएँ और तामिरें जो इस काम के लिये चाहिये होती हैं (Plant)				
१९	तथा मुतफरिक खर्च				
२०	(डी) सड़कों पर छिडकाव				
२१	द्वेष अफसरों तथा सेनिटेरी इन्स्पेक्टरके साथ में खर्च				
२२	अस्पताल और औषधालय				
२३	ताऊन (Plague) के खर्च				
२४	सीतला का टीका (Vaccination) जोड जो दूसरे पक्ष पर ले जाया गया				

(इस पेज को इससे पहले पेज में शामिल समझिये)

मदद का नम्बर	खर्च की मदें	गत वर्ष का वास्त- विक खर्च	बालू सालके खर्च के तत्पश्चात्	१९१६ के पहले छ मास के वास्त विक खर्च	१९१६ के लिये तत्पश्चात्
१	२	३	४	५	६
		रु आ पा	रु आ पा	रु आ पा	रु आ पा.
	पिछले पन्नेका जोड़ (Brought forward)				
२१	आरोग्यता सम्बन्धी अन्य आवश्यकतायें				
२२	घाजार और बध स्थान				
२३	बाडे (Pounds)				
२४	हाक बगले और सराय				
२५	पेड लगाना (Arboriculture), मार्बजनिक बाग और तजरबा करने के लिये खेती				
२६	पशुओं के रोग चिकित्सा का खर्च (Veterinary Charges)				
२७	पैदाइश और मौतों का रजिस्टर किया जाना				
२८	सर्वजनिक काम {	कर्मचारी *			
२९		इमारतें			
३०		सडकें			
३१		चस्तुर्व (गोदाम) जोड़			
		सर्वजनिक शिक्षा-			
३२	स्कूल और कालेज				
३२ए	स्कूल की इमारतों का बनाना और मरम्मत				
३२बी	जमीन की खरीदारी और मुआविजा, जो स्कूलों के लिये ली गई				
३३	चन्दे (Contributions)				
३४	पुस्तकालय, अजायब घर, पशुसाले, इत्यादि				
३५	जोड़				

* इतिथिपरी के उन कर्मचारियों का कुछ खर्च, जो विद्या विदेश विमान या काम के लिये न रते गये हैं, मद २८ में दिखाना चाहिये। परन्तु उन दशाओं में निम्न कि कोई इतिथिपर, पूर्णतया विमान विदेश मत रख के लिये रता गया हो, तो उसकी तनन्बाइ उसी मद में दिखाना चाहिये (G O No. 4668 X1—10 H, ता० २३ नवम्बर सन १९१६ ई०)।

मद का नम्बर	खर्च की मदें	गत वर्ष का वास्तविक खर्च	वास्तविक खर्च के तख्तीने	१९१९ के पहिले छ मास के वास्तविक खर्च	१९१९ के लिये तख्तीने
१	२	३	४	५	६
	चन्दे*	रु आ पा	रु आ पा	रु आ पा	रु आ पा
३६	साधारण मतलबों के लिये ...				
	मुतफरिक्				
३७	अणपर ब्याज { गत वर्ष के हिसाब में ब्याज				
३८	{ चालू साल का ब्याज ..				
३९	डिमकाजट (अर्थात् बढ़ा या मित्तीकाटा)				
४०	जो काम निजी शख्सों के लिये किये गये हों उनका वास्तविक खर्च ..				
४१	{ छपाई का खर्च				
४१ए	{ कानून का खर्च (अर्थात् मुकद्दमों, रजिस्ट्री कराने आदि का)				
४१बी	{ प्राविडेंट फण्ड				
४१सी	{ नजूल की भाय में सरकार का हिस्सा				
४१डी	{ किराया				
४१ई	{ भेले				
४१एफ	{ मुतफरिक्				
४३	जोड़				
४४	खर्चों का सम्पूर्ण जोड़ ...				
	दूसरे पन्ने पर ले जाया गया .				

* जिन मतलबों के लिये चन्दे दिये जाय वह अलग २ उन्हीं मदों में दिखाये जाय, जैसे स्कूलों के लिये चन्दा, या सार्वजनिक शिक्षा के लिये, इत्यादि। जो चन्दे कि किसी विशेष मतलब के लिये न दिये गये हों, या जो किसी ऐसे मतलब के लिये दिये गये हों जिसकी अलग मद न हो, वह इस मद में रखे जाय।

मद का नम्बर	खर्च की मदें	गत वर्ष का वास्तविक खर्च		चालु वर्ष के खर्च के तख्मिनी		१९१९ के पहले छ मास के वास्तविक खर्च		१९१९ के लिये तख्मिनी	
		रु	भा पा	रु	भा पा	रु	भा पा	रु	भा पा
	पिछले पन्ने का जोड़								
	असाधारण और ऋण								
४५	पर व्याज पर लगाया हुआ रु०								
४६									
४७	रकमें जो सिरिंग फंड को दी गईं								
४८	ऋणों की अदायगी								
४९	पेशगी रकमें { स्थाई (Permanent) अन्व								
५०									
५१	जोड़								
५२	कुल खर्च x								
	बाकी—								
५४	रकमें जो जमा की गईं								
५५	वास्तविक बाकी								
५६	जोड़								
५७	सम्पूर्ण जोड़ (Grand Total) *								
५८	रकमें जो व्याज आदि पर लगाई गईं								
५९	स्थाई रूप से दी हुई पेशगी रकमें								

x इस मद में, न० ४४ और न० ५२ का जोड़ दिखाना चाहिये।

* ,, ,, ,, न० ५३ ,, ,, ५६ ,, ,, ,,

वर्ष की समाप्ति पर जो चेक (Cheque) मुनाये न गये हों उनकी रकमें मद ५४ में नहीं दिखाना चाहिये, ऐसे चेकों के विषय में बैंकियत के बीच एक सादा नोट लिख देना चाहिये। (G O No 825

x1—19 H ता० पहिली नवम्बर सन १९१९ ई०)

दस्ताखत एक्सिक्यूटिव अफसर व—
सेक्रेटरी के—

चपरमैन के दस्तखत

दफा १०० दुहराया हुआ बजट

अक्टूबर की पहिली तारीखके पश्चात् जितना जल्द सम्भव हो वर्ष के लिये एक दुहराया हुआ बजट तैयार किया जायगा। और जहां तक हो सके ऐसा दुहराया हुआ बजट उन सब हुकमों के आधीन होगा जो दफा ९९ के अनुसार बनाये हुए बजट पर लागू होते हैं।

व्याख्या—

अप्रैल से अक्टूबर तक, ६ मास की आमदनी और खर्च के अनुभव से, तखमीना बजट की बहुत सी त्रुटियां ठीक कर दी जा सकती हैं, इसी उद्देश्य से इस दफाके अनुसार दुहराया हुआ बजट बना लिया जाता है। दुहराये हुए बजट के नकशे (फारम) के लिये देखिये नियम जो प्रान्तीय सरकार ने बजट के सम्बन्ध में बनाये हैं और जो दफा ९९ की व्याख्या में दिये गये हैं।

दफा १०१ साल समाप्त होनेपर की कम से कम बाकी जो बजट में दिखाई जाय (Minimum closing balance)

बोर्ड का कर्तव्य होगा कि बजट बनाने में ऐसा प्रबन्ध कर दे कि साल समाप्त पर की बाकी कम से कम उतनी रहे (यदि कोई बाकी हो) जितनी कि प्रान्तीय सरकार, हुकम के द्वारा नियमित कर दे।

व्याख्या—

इस बात की कोई मनाही नहीं है कि कोई बोर्ड उस कम से कम बाकी से, जो दफा १०१ के अनुसार उसको साल समाप्त होनेपर बचाना चाहिये (Minimum Closing balance) अधिक बचत करले, और उस दशा में जब कि म्यूनिसिपलटी में आरोग्यता (Sanitation) की उन्नति करने का विचार हो, या आरोग्यता के सम्बन्ध में कोई उन्नति करने की आवश्यकता पड़ने की सम्भावना हो, जिसके लिये कि व्यय किसी एक वर्ष की आमदनी से सुविधा के साथ न किया जा सकता हो तो बोर्ड को ऐसी अधिक बचत करने का उत्साह देना चाहिये।

(देखिये G O No- 2290 x1 428 B तारीख २ अक्टूबर सन १८९७ ई०)

—एक्ट की दफा ३२७ के अनुसार प्रान्तीय सरकार ने उस कम से कम रकम के नियमित करने का अधिकार जो बोर्डों को साल समाप्त पर बचाना चाहिये कमिश्नरों को सौंप दिया है।

(देखिये विज्ञापन No 1858 x1-10-H तारीख ३ जुलाई सन १९१६ ई०)

—साल समाप्ति की कम से कम बचत के नियत करने के लिये जो हिदायत कमिश्नरों को दी गई हैं उसके लिये देखिये म्यूनिसिपल मैनुअल के पन्ने २३९ और २४०।

दफा १०२ ऋणी बोर्डका बजट

जब प्रान्तीय सरकार की राय में किसी बोर्ड के ऋणी होने के कारण, ऐसी दशा हो कि उसके बजट पर सरकार का अधिकार रहना उचित जान पड़े, तो प्रान्तीय सरकार, पते हुकम के द्वारा जिससे यह घोषित किया जाय कि दशा इस प्रकार की है, यह आशा दे सकती है कि ऐसे बोर्ड के बजट के विषय में प्रान्तीय सरकार या कनि

भर की मंजूरी आवश्यक होगी, और यह कि दफा ९९ की उप दफा (३) के अनुसार वजट में कम बढ़ करने, या उसमें परिवर्तन करने का अधिकार उन शर्तों के आधीन होगा जो नियम द्वारा नियमित कर दी जाय ।

नोट—वजट के सम्बन्ध में जो नियम बनाये गये हैं आर जो दफा ९९ की व्याख्या में दिये गये हैं, उनमें से देखिये नियम न० ४ ।

दफा १०३ वजट द्वारा नियत किये हुए खर्चसे अधिक खर्च करने की मनाही

१ जब कोई वजट मजूर हो चुका हो तो बोर्ड कोई खर्च, वजट की मदों में से किसी मद में, सिवाय उस मद के जिसके द्वारा कर्मों की वापसी का प्रबन्ध रखा गया हो, उस रकम से अधिक न करेगा जो उस मद के लिये मजूर हुई हो जब तक कि ऐसे अधिक खर्च का प्रबन्ध वजट में कम बढ़ करने, या परिवर्तन करने, के द्वारा न करदे ।

२ जब किसी ऐसी मद में, जिसमें कर्मों की वापसी का प्रबन्ध रखा गया हो, कोई खर्च उस रकम से अधिक किया जाय जो उस मद के लिये मजूर हुई हो, तो बोर्ड ऐसे खर्च का प्रबन्ध बिना विलम्ब किये वजट में कम बढ़ करके, या उस में परिवर्तन करके, कर देगा ।

व्याख्या—

वजट की सब मदों के खर्च अपने हाथ के होते हैं, और यदि किसी मद के लिये मजूर की हुई रकम सब खर्च हो जाय, तो बोर्ड आज्ञा दे सकता है कि आगे उस मद में कोई रकम खर्च न की जाय । केवल वापसियों की एक ऐसी मद है जिसका खर्च बन्द नहीं किया जा सकता, चाहे उसके लिये मजूर की हुई कुल रकम खर्च हो चुके । अतएव वापसी की मद के लिये इस दफा में आज्ञा दे दी गई है, कि यदि आवश्यकता हो तो, मजूर की हुई रकम से अधिक रकम उसमें खर्च की जा सकती है ।

कमेटियां और ज्वाइन्ट कमेटियां

(Committees and Joint Committees)

दफा १०४ कमेटियोंका नियत किया जाना

१ कोई बोर्ड —

(ए) रेगुलेशन के द्वारा ऐसी कमेटीयां स्थापित कर सकता है जो वह उन अधिकारों के बरतने, या उन कर्तव्यों का पालन करने, या उन कामों को करने, के मतलब के लिये उचित समझे जो दफा ११२ के अनुसार किसी कमेटी को सौंपे जा सकते हैं । और

(बी) रेगुलेशन के द्वारा अपने भग्नों में से उन अख्तों को जिनको वह उचित समझे, किसी ऐसी वाग्धि के लिये जो एक वर्ष से अधिक न हो, इस प्रकार स्थापित की हुई किसी कमेटी में, नियुक्त कर सकता है । और

(सी) रेजोल्यूशन के द्वारा किसी मेम्बर को, जो कलाज (बी) के अनुसार नियुक्त किया गया हो कमेटी से हटा सकता है।

२ परन्तु शर्त यह है कि बोर्ड समय २ पर रेजोल्यूशन के द्वारा एक या एक से अधिक सलाह देने वाली कमेटी, (Advisory committee) किसी ऐसे मुआमले के सम्बन्ध में तहकीकात (छानचीन) और रिपोर्ट करने के अभिप्राय से स्थापित कर सकता है, जिसके विषय में इस एक्ट के अनुसार बोर्ड की सम्मति चाही गई हो, और ऐसी सलाह देने वाली कमेटी या कमेटियों के मेम्बर नियुक्त कर सकता है।

व्याख्या—

जो अधिकार और कर्तव्य और काम कमेटियों को सौंपे जा सकते हैं उनका जूतात दफा ११२ में दिया गया है। ऐसी कमेटियों के बनाने के लिये बोर्ड रेग्युलेशन के द्वारा काम करेगा। जो मेम्बर इन कमेटियों में काम करने के लिये नियुक्त किये जायगे वह एक वर्ष से अधिक के लिये नहीं नियुक्त किये जा सकेंगे। दफा २९७ की उप दफा (१) हॉज (डी) के अनुसार बोर्ड को कमेटियों के सम्बन्ध में रेग्युलेशन बनाने का अधिकार दिया गया है कमेटियों को अधिकार सौंपे जाने के विषय में देखिये दफा ११२ और उसकी व्याख्या।

सलाह देने वाली कमेटियों को बोर्ड अपने रेजोल्यूशन के द्वारा स्थापित कर सकता है, रेग्युलेशन के द्वारा उनकी स्थापना किये जाने की आवश्यकता नहीं है। सलाह देने वाली कमेटियों का केवल इतना ही काम होता है कि वे किसी विषय में तहकीकात करके बोर्ड को रिपोर्ट दे दें, अन्य कोई कर्तव्य या अधिकार उनको नहीं दिया जा सकता। जैसे यदि बोर्ड इस बात का पता लगाता चाहे कि उस म्यूनिसिपलटी में प्राथमिक शिक्षा बिना फीस के दी जाना चाहिये कि नहीं, और म्यूनिसिपलटी के निवासी अपने लड़कों को स्कूलों में भेजने के लिये मजबूर किये जाय या नहीं, तो इन बातों का पता लगाने के लिये बोर्ड, रेजोल्यूशन के द्वारा, एक सलाह देने वाली कमेटी स्थापित कर सकता है। परन्तु यदि ऐसी कमेटी की रिपोर्ट पर म्यूनिसिपलटी में प्राथमिक शिक्षा बिना फीस दी जाने लगे, और निवासी अपने लड़कों को भेजने के लिये मजबूर किये जाय, तो इन बातों का प्रयत्न जो कमेटी करेगी उसको बोर्ड रेग्युलेशन के द्वारा स्थापित करेगा। किसी सलाह देने वाली कमेटी को ऐसा कोई काम नहीं सौंपा जा सकता।

—दफा २९७ के हॉज (डी) के अनुसार कमेटियों की स्थापना के लिये जो नमूने के रेग्युलेशन बनाये गये हैं उनमें नीचे लिखी कमेटियों के स्थापित किये जाने के लिये सिफारिश है अर्थात् (१) आर्थिक कमेटी (Finance Committee) (२) पब्लिक वर्क्स कमेटी (अर्थात् जो सार्वजनिक काम म्यूनिसिपलटी की ओर से बनवाये जाते हैं उनकी देख भाल के लिये कमेटी, (३) पब्लिक हेल्थ कमेटी (अर्थात् जनता के स्वास्थ्य का प्रबन्ध करने वाली कमेटी) (४) बुद्धि के कर की कमेटी। यह रेग्युलेशन म्यूनिसिपल सैन्युअल के पन्ने ४२८ और ४२९ में दिये हैं।

नमूने के रेग्युलेशनों में कमेटियों के कर्तव्य इस प्रकार बतलाये गये हैं —

(ए) आर्थिक कमेटी के कर्तव्य—

१ आमदनी और खर्च के वार्षिक तालमीने तैयार करना।

२ भिन्न २ मन्त्रों
भीतर हों

किये

(जो कि उन तालमीनों के

- ३ इस बात का इत्मीनान (संतोष) करना, कि सब खर्च उचित मजूरी से, और बजट के तख्तीनों के अनुसार, और उन रकमों के अनुसार जो बजट में प्रत्येक मद के लिये अलग कर दी गई हैं, किये गये हैं या किये जा रहे हैं।
- ४ बोर्ड के सामने पेश किये जाने से पूर्व मासिक हिसाब किताब जाचना।
- ५ रुपया जमा करने वाले कर्मचारियों के काम का मुआहना करना (सिवाय खुशी के वसूल करने वाले कर्मचारियों के) और उनके हिसाब को जाचना।
- ६ यह बात देखना कि एक्ट की दफा ९६ और ९८ में जो हुक्म डेकों या मुआहदों के विषय में हैं, उनका ठीक तौर पर पालन किया जाय।
- ७ यह देखना कि सब विभागों के रजिस्टर असबाब (Stock books) और गोदाम के हिसाब, और औजारों तथा कलों आदिके रजिस्टर, रखे जाते हैं और यह बात देखना कि समय समय पर म्यूनिसिपलटी के असबाब और जायदाद का मिलान, उस विधि से जो कि म्यूनिसिपल अकाउण्ट कोड (Municipal Account Code) नियमों के द्वारा नियमित है, कर लिया जाता है।
- ८ आर्थिक सम्बन्धी सब घेमे मामलों पर, जो समय समय पर कमेटी से पूछे जाय, बोर्ड को सलाह देना।
- ९ एक्ट की दफाओं के अनुसार बोर्ड के अधिकारों को बताना कर्तव्यों का पालन करना और कामों का करना।

नोट—कमेटीयों के यह सब कर्तव्य नयूने के लिये बनाये गये हैं। इसी लिये न० ९ में शब्द "दफाओं" के बाद जगह छोड़ दी गई है कि जिन २ दफाओं के अधिकार और कर्तव्य कोई बोर्ड आर्थिक कमेटी को सौंपे, उनके नम्बर इस छूटी हुई जगह में भर दिये जाय।

(घ) पब्लिक वर्क्स कमेटी के कर्तव्य—

- १ जो रकमों कि सार्वजनिक कामों के लिये दी गई हैं उनके खर्च करने के लिये प्रस्तावों पर विचार करना और ऐसे प्रस्तावों को तैयार करना।
- २ इंजिनियर ओवरसियर, या सार्वजनिक कामों के सुपरिन्टेंडेण्ट से सार्वजनिक कामों के तख्तीने मागना (तलब करना) उन तख्तीनों की जांच करना, और इस बात की सलाह देना कि घेमे काम किस क्रम से किये जायें।
- ३ इस बातका देखना कि नापके रजिस्टर (Measurement Books) ठीक रखे जाते हैं। और जो काम किये जा रहे हैं और जो काम किया जा चुका हो, उसके विषय में रिपोर्ट देना।
- ४ सार्वजनिक कामों के पूरे हो जाने के विषय में सर्टीफिकेटों की जांच और मिलान करना।
- ५ बिलों (Bills) को जांच करना।
- ६ जो रकमों कि समय समय पर उसके डबलाने की जायें, उनमें से घेसे कामों के लिये अिनकी कि मजूरी बोर्ड ने दी हो, रुपया अलग अलग करना।

- ७ जो सार्वजनिक काम कि ठेकोंपर दिये जाने को हों, उनके बनवानेके ठेके देने के लिये टेण्डर (Tender) मागना, और टेण्डर स्वीकार किये जाने पर, सलाह देना कि कितनी जमानत ली जाय ।
- ८ दरों (शरह) का एक शिष्टिवूल रखना, और समय समयपर उसको दुहराना ।
- ९ इस बात को देखना कि प्रत्येक काम के लिये, तफसील सहित, नरुदो और तखमीने बनाये जाते हैं, और उचित अधिकारी की मजूरी ली जाती है, सिवाय एसे छोटे २ कामों के जिनमें कि २०) से कम व्यय होने की सम्भावना हो ।
- १० इस बात का देखना कि जिन कामों की मजूरी दी गई है वह तफसीलवार नकशों और तखमीनों के अनुसार आरम्भ किये जाते है, और जब एसे काम ठेके पर दिये गये हों, तो इस बात का देखना कि ठेके नाम की शर्तों के अनुसार वह आरम्भ किये जाते हैं और पूरे किये जाते है । और इस बात की सलाह देना कि किसी शर्तों के पूरा न किये जाने पर ठेकेदार से कितना दण्ड लिया जाय ।
- ११ इस बात को देखना कि रजिस्टर असबाब, औजारों तथा क्लों आदि के रजिस्टर, रखे जाते हैं, और यह कि पब्लिक चर्क्स विभाग के असबाब और जाय दाद का मिलान समय समय पर किया जाता है ।
- १२ इस बात का इतमीनान करना कि छिटकाव कराने और रोशनी कराने के ग्रन्थ पूरे किये जाते हैं ।
- १३ सार्वजनिक कामों से सम्बन्ध रखने वाले सब मामलों पर बोर्डको सलाह देना ।
- १४ एक्ट की दफाओं के अनुसार बोर्ड के अधिकारों को बरतना कर्तव्यों का पालन करना और कामों का करना ।

(सी) पब्लिक हेल्थ कमेटी के कर्तव्य —

- १ इस बात को देखना कि सफाई से सम्बन्ध रखने वाले सब नियमों, धाई लॉग, और हुकमों, का पालन किया जाता है, और यह कि वह नौकर निनको कि बोर्ड ने सफाई के लिये रखा हो, वह अपने कर्तव्यों को ठीक समय पर और सतोप पूर्वक पूरा करते हैं ।
- २ समय समय पर इस बात की रिपोर्ट देना, कि सफाई के लिये जो कर्मचारी रखे गये हैं, वह काफी हैं या नहीं (या जरूरत से ज्यादा है) और इस बात को देखना कि कर्मचारियों की जो सहाय मजूर की गई हो, उससे अधिक सहाय विना विशेष हुकमों न रली जाय ।
- ३ आर्थिक कमेटी को
ठीक ठीक पूरा कि
४ नीचे लिखी बातों
प) सार्वजनिक
अन्य
- देना कि
और किस
और उनके
(सी) ५.
- के कामों कि
होगी ।
गाइया

- ५ वेदाइया और मौतों की सग्याओंकी जांच करना और उनको रजिस्टर में चढवाना ।
- ६ वैक्सैनिशन एक्ट (गौधन शीतला के टीके का कानून) के अनुसार जो काम किये जाय बाकी देख भाल कराना और टीका लगाने वालों के काम और उनके द्वारा भेजे हुए नक़्तों की जांच करना ।
- ७ अरोप्यता, सफाई और जनता की स्वास्थ्य, से सम्बन्ध रखने वाले सब मामला पर बोर्ड को सलाह देना ।
- ८ एक्ट की दफाओं के अनुसार बोर्ड के अधिकारों को बरतना, कर्तव्यों का पालन करना, और कामों का करना ।

(बी) चुगी की कमेटी के कर्तव्य —

- १ चुगी की चौकियों पर समस समय जाना, और उनका मुआइना करना, और मुहरिंरों के हिस्सों का जाचना ।
- २ इस बातका देखना कि वस्तुओं के वर्तमान भावपर, चुगीके दर के सिहयूल की प्रतिवा,विधि पूर्वक,चुगीकी चौकियोंपर और चुगीके सदर दफ्तरमें टागी जाती हैं ।
- ३ इस बात का देखना कि चुगी के जमा करने वाले कर्मचारी, चुगी के कूतने और जमा करने के विषय में जो नियम म्यूनिसिपल अकाउन्टकोड में हैं, उनका पालन करते हैं ।
- ४ इस बातको देखना कि बिना चुगी के दिये, माल निकालले जाने से रोकने के लिये (Prevention of Evasion) जो प्रबन्ध किये गये हैं, या धोखा देके चुगी के देने से बचने के रोकने के जो प्रबन्ध किये गये हैं, वह काफी हैं ।
- ५ इस बात का देखना कि वापसी के नियमों पर ठीक ठीक काम किया जाता है, और यह कि वापसियों के तलब करने और दिये जाने के लिये जितनी सुविधा दी जासकती हो दीजाती है ।
- ६ जो माल चुगी से बाहर लेजाया जाता है उनके नक़्तों को और वापसियों के नक़्तों को, और उन नक़्तों को जिनसे इस बात का पता चले कि प्रति मनुष्य किसी वस्तु का कितना खर्च है जाचना । इस बात का देखना कि उन वस्तुओं पर, जिनका ब्यापार म्यूनिसिपलटी में होके लेजाई जाय कोई टैक्स नहीं लगाया जाता, न इस प्रकारके ब्यापार में किसी प्रकार का विघ्न डाला जाता है, और यदि आप्रश्यक हो तो बोर्डको इस विषयमें सलाह देना कि ऐसे ब्यापारपर जो बन्देज हों, उनके हटाने के लिये क्या उपाय किये जाय ।
- ७ इस बात का देखना कि जो माल म्यूनिसिपलटी के लिये भेजा जा रहा हो उस का गोदामों में रखे जाने का काफी प्रबन्ध किया जाता है ।
- ८ चुगी के सदर दफ्तर के कामकी जांच करना और यह देखना कि चुगी की कैलिअतें (Statements) ठीक समय पर और ठीक २ तैयार की जाती हैं ।
- ९ एक्ट की दफाओं के अनुसार बोर्ड के अधिकारों को बरतना कर्तव्यों का पालन करना और कामों का करना ।

दफा १०५ मेम्बरोके आतिरिक्त अन्य शख्सोंका नियुक्त किया जाना

१ इस कानून के हुक्मों के होते हुये भी, बोर्ड को अधिकार होगा, कि एक रेजोल्यूशन के द्वारा, जिसका समर्थन बोर्ड के उतने मेम्बरो ने किया हो जिनकी सख्या बोर्ड के, उस समय के, मेम्बरो की पूर्ण सख्या के आधे से कम न हो किसी ऐसे शख्सो को, चाहे वह स्त्रिया हों या मर्द, किसी कमेटी के मेम्बर नियुक्त करे जो बोर्ड के मेम्बर न हो, परन्तु जो बोर्ड की रायमें उक्त कमेटी में काम करने की विशेष योग्यता रखते हों।

परन्तु शर्त यह है कि उन शख्सोंकी सख्या जो किसी कमेटीमें इस प्रकार नियुक्त किये जाय, उक्त कमेटी के मेम्बरो का पूर्ण सख्या के एक तिहाई से अधिक न होगी।

२ इस एक्टके और उन नियमों के सब हुक्म, जो मेम्बरोके कर्तव्यों और अधिकारों, और ज़िम्मेदारियों और अयोग्यताओं, (Disqualifications) और नाकाचलित्वातों (Disabilities) के विषय में हैं, सिवाय उस अयोग्यताके जो स्त्री होने के कारण है, जहा तक सम्भव हो, ऐसे नियुक्त किये हुये शख्सों पर लागू होंगे।

व्याख्या—

उप दफा (१) के द्वारा आज्ञा दी गई है कि किसी कमेटी में स्त्रिया भी नियुक्त की जा सकती हैं। दफा १७ के द्वारा स्त्रिया म्यूनिसिपलटी की निर्वाचक, और निर्वाचन के लिये उम्मेदवार, और बोर्ड की मेम्बर हो सकती हैं।

दफा १०६ कमेटियोंमें जगहोंका खाली होना

जो जगह कि किसी कमेटी में खाली हो, उसको बोर्ड किसी समय पर किसी अन्य मेम्बर या शख्सको उस विधिसे नियुक्त करके, भर सकता है, जो, विधि कि दफा १०४, या दफा १०५, में नियत की गई है।

नोट—यह आवश्यक नहीं है कि जब किसी बाहर वाले शख्स की जगह खाली हो, तो फिर बाहर ही का कोई शख्स उस जगह के भरने के लिये नियुक्त किया जाय, बरन ऐसी जगह पर, यदि बोर्ड चाहे, तो अपने किसी मेम्बर को नियुक्त कर सकता है।

दफा १०७ कमेटी का चेयरमैन

१ बोर्ड रेजोल्यूशनके द्वारा किसी कमेटीके लिये चेयरमैन नियुक्त कर सकता है।

२ यदि बोर्ड कोई चेयरमैन नियुक्त न करे, तो कमेटी अपने मेम्बरो में से, स्वयं अपना चेयरमैन नियुक्त कर लेगी।

दफा १०८ कमेटियों का कार्यक्रम

१ दफा ९२ की उपदफा (१) और उपदफा (२) के, तथा दफा ९३ के और दफा ९४ की उपदफा (१) और (२) और (४) और (५) और (६) के हुक्म, बोर्ड की कमेटियों की कार्यवाहियों पर, उसी प्रकार लागू होंगे कि जैसे शब्द "कोई बोर्ड" और शब्द "बोर्ड" की जगह, जहा जहा वह उक्त दफाओं में आये हों, शब्द "कोई कमेटी" और शब्द "कमेटी" बदलके रख दिये गये हों।

१ कमेटिया जब जब उचित समझे अपनी मीटिंग कर सकती हैं और उनको मुलतवी कर सकती हैं। परन्तु किसी कमेटी के चयरमैन को अधिकार होगा कि जब वह उचित समझे, और बोर्ड के चयरमैन की दरखास्त पर, या कमेटी के कमसे कम दो मेम्बरो की लिखित दरखास्त पर, उसके लिये यह आवश्यक होगा, कि कमेटी की मीटिंग करे।

२ उप दफा (४) में दी हुई आज्ञा के अधीन, किसी मीटिंग में कोई काम नहीं किया जायगा जब तक कि कमेटी के मेम्बरो में से एक चौथाई से अधिक मेम्बर उस मीटिंग में उपस्थित न हों।

४ जब नियमित कोरम न होने के कारण, किसी कमेटी की मीटिंग में किसी कार्रवाई का मुलतवी किया जाना आवश्यक हो तो उस जावते (Procedure) का अनुसरण किया जायगा जो दफा ८८ की उप दफा (३) में अंकित किया गया है।

व्याख्या—

उप दफा (१) का आशय यह है कि कमेटियों के सामन जो प्रश्न पेश होंगे उनका फैसला उन हुक्मों के अनुसार होगा जो दफा ९९ में दिये गये हों, और दफा ९३ में गिनाये हुये सरकारी भफ-सरों को कमेटियों की मीटिंग में भी उपस्थित होने और भाषण देने का अधिकार होगा। तथा जो प्रस्ताव कमेटियों में पास होंगे उनके विषय में याद दास्तें लिखी जायगी, और ऐसी याददास्तें दूसरी मीटिंग में पढ़ी जायगी, और पास की जायगी। प्रस्तावों की नकल जिला मजिस्ट्रेट और कमिश्नर को भेजी जायगी। यदि प्रस्तावों में कोई परिवर्तन किये जाय तो उनकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट या कमिश्नर को दी जायगी। कमेटी के पास किये हुये प्रस्ताव भी कम से कम ६ मास तक प्रचलित रहेंगे। यदि उनमें कोई परिवर्तन बोर्ड करना चाहे, या उनको रद्द करना चाहे, तो दफा ९४ की उप दफा (६) के अनुसार कार्रवाई करना होगी। परन्तु कमेटियों के द्वारा पास किये हुये प्रस्तावों को समाचार पत्रों में छपवाने की आवश्यकता नहीं है।

दफा १०९ कमेटियों का बोर्ड के आधीन होना

१ बोर्ड, किसी समय, किसी कमेटी की किसी कार्रवाई में से उद्धृत किया हुआ कोई भाग, या कोई नकरो (Return), या कोई कौफियत (Statement), या हिस्ताब, या रिपोर्ट, जो किसी ऐसे मामले के विषय में हो, या उससे सम्बन्ध रखने वाला हो, जिस मामले के विषय में कार्रवाई करने का अधिकार या आज्ञा कमेटी को दी गई हो, माग सकता है।

२ प्रत्येक कमेटी, सुविधा के साथ जितनी शीघ्रता से सम्भव हो, बोर्ड की किसी ऐसी आज्ञा का पालन करेगी जो उप दफा (१) के अनुसार दी जाय।

दफा ११० ज्वाइंट कमेटी (Joint Committee)

१ बोर्ड को अधिकार होगा, और यदि मान्तीय सरकार आज्ञा दे तो बोर्ड के लिये आवश्यक होगा, कि एक या एक से अधिक अन्य ऐसे स्थानीय अधिकारियों (Local authority) को जो इस बात पर राजी हों, अपने साथ मिला के (शरीक करके) एक लिखित दस्तावेज के द्वारा, जिस पर सब राजामन्द होने वाले स्थानीय अधिकारियों के

- (ए) जो शिड्यूल न० १ के दूसरे खाने में अंकित किया गया हो, और जिसके सामने तीसरे खाने में कोई इन्दराज न हो ।
- (बी) जो दफा ५० के क्लॉज (ए) और (बी) और (सी) के द्वारा, या दफा ५१ के द्वारा, केवल चैयरमैन के लिये रखे गये हैं ।
- (सी) जहाँ एक्जिक्युटिव अफसर हो, जो दफा ६० के द्वारा केवल उक्त अफसर को दिये गये हों—

बोर्ड को अधिकार होगा, कि वह सब अधिकार या कर्तव्य, या काम, जो इस ऐक्ट के अनुसार बोर्ड को प्रदान किये गये हैं, या उस पर डाले गये हैं, या उसको दिये गये हैं, या उनमें से कोई अधिकार या कर्तव्य या काम, रेग्युलेशनके द्वारा किसी दूसरे को सौंप दे ।

२ सिवाय उस दशा के जिसका हुकम उप दफा (३) में है, बोर्ड स्वयं किसी ऐसे अधिकारो, कर्तव्यों, या कामों, में से जो उसने उप दफा (१) के अनुसार सुपुर्द कर दिये हों, कोई अधिकार न बरतेगा, न किसी कर्तव्य का पालन करेगा, न कोई काम करेगा, न उनके बरते जाने, पालन किये जाने, या किये जाने, में हस्तक्षेप करेगा

३ बोर्ड की ओर से, उप दफा (१) के अनुसार, कोई अधिकार, या कर्तव्य, या काम इस शर्त के अधीन सौंपा जा सकता है कि उन सब हुकमों की, या उनमें से किसी हुकम की, जो कि इस प्रकार सौंपे जाने पर दिये जाय, एक नियत की हुई अवधि के भीतर, अपील बोर्ड में करने का, या स्वयं बोर्ड को ऐसे हुकम अथवा हुकमों की निगरानी (Revision) करने का, अधिकार होगा ।

४ इस दफा के उपरोक्त हुकमों की किसी बात से यह न समझा जायगा कि उसके द्वारा बोर्ड की किसी कमेटी, रेजोल्यूशन को कार्यरूपमें लाने की किसी ऐसे शरतको मनाही की गई है, जिसको इस ऐक्ट के द्वारा, या इस ऐक्टके अनुसार, इस विषय में जायज रूपसे (Duly) अधिकार दिया गया हो । न यह समझा जायगा कि उसके द्वारा बोर्ड के किसी कर्मचारी को अपने कार्य सम्बन्धी अधिकारों की सीमा के भीतर किसी काम के करने की मनाही की गई है ।

व्याख्या—

१ ऐक्ट ने कुछ अधिकार ऐसे निर्दिष्ट कर दिये हैं जिनको केवल बोर्ड ही बरत सकता है । (देखिये शिड्यूल न० १) । और कुछ अधिकार ऐसे रखे हैं जिनको केवल चैयरमैन बरत सकता है (देखिये दफा ५० और ५१), और कुछ अधिकारों के विषय में यह आज्ञा दी है कि उनको केवल एक्जिक्युटिव अफसर बरते (देखिये दफा ६०) । यह अधिकार किसी को सौंपे नहीं जा सकते हैं । दफा ११२ की आज्ञा है कि उपरोक्त अधिकारों के अतिरिक्त, अन्य सारे अधिकार, जो बोर्ड को दिये हैं, उनमें, यदि बोर्ड चाहे, किसी दूसरे को सौंप सकता है । उप दफा (२) के अनुसार जब कोई ऐसा अधिकार सौंप दिया जाय, तो फिर बोर्ड उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है । यह अधिकार अत्रत्य बोर्ड को है कि जब कोई अधिकार बोर्ड सौंपे तो यह शर्त लगा दे कि उस अधिकार को पर तन में जो हुकम दिये जायगे उनकी अपील बोर्ड के सामने की जा सकेगी या यह कि बोर्ड ऐसे हुकमों की निगरानी कर सकेगा । दफा ११७ के क्लॉज (जी) के अनुसार बोर्ड अधिकारों को सौंपने के

सम्बन्ध में रेग्युलेशन बना सकता है, किन्तु अधिकार उन्हीं को सौंपे जा सकते हैं जिनके नाम उक्त क्लोज में गिना दिये गये हैं, अर्थात्—

(१) बोर्ड के चेयरमैन को (२) किसी कमेटी को जिसका संगठन दफा १९७ के क्लोज (डी) के अनुसार किया गया हो (३) किसी ऐसी कमेटी के चेयरमैन को (४) एक्जिक्युटिव अफसर को (५) जहाँ एक्जिक्युटिव अफसर न हो वहाँ बोर्ड के किसी कर्मचारी को ।

—G O No 1328XI-5 H तारीख १९ जून सन १९१६ क द्वारा नीचे लिखी जरूरी हिदायतें अधिकारों के सौंपे जाने के विषय में दी गई हैं —दफा २९७ के क्लोज (जी) के अनुसार (अर्थात् अधिकारों के सौंपे जाने के विषयमें) जब बोर्ड रेग्युलेशन बनाए तो यह उचित होगा कि वे ऐक्ट की दफायें ५०, ५१, ५३, ६०, ६१, ६२, १११, ११२, को ध्यान पूर्वक पढ़ें । जहाँ एक्जिक्युटिव अफसर होता है तो अधिकांश कार्य निर्वाहक अधिकार (Executive powers) उसको दिये जाते हैं । और दफा ६० की उपदफा (३) के हुकों के अनुसार बोर्ड के सब कर्मचारी, सिवाय उनके जिन्के विषय में दफा ७३ में हुक्म है, एक्जिक्युटिव अफसर के अधीन होते हैं । और सब म्युनिसिपल्टियोंमें ऐक्ट की दफा ५१ के क्लोज (बी) के अनुसार चेयरमैन का यह कर्तव्य होता है कि वह बोर्ड के आर्थिक सम्बन्धी शासन (Financial administration) पर दृष्टि रखे और कार्य निर्वाहक शासन (Executive administration) की देख भाल करे, और उनमें जो सुटिया हों उनकी ओर बोर्ड का ध्यान दिलाये । इस लिये कोई ऐसे नियम जो सन १९०० क ऐक्ट के अनुसार बनाये गये हों, और जिनमें कमेटियों के कर्तव्यों का वर्णन दिया गया हो, उनका संशोधन इस प्रकार किया जाना चाहिये कि उनमें से वह हुक्म निकाल दिये जाय, जिनका मतलब यह निकलता हो कि कमेटिया कार्यनिर्वाहक कामों की जिम्मेदार हैं, और जिससे कि यह बात स्पष्ट प्रगट हो जाय कि कमेटियों को भिन्न भिन्न विभागों के कामों का सुआहना करने और जाच करने का तो पूरा अधिकार है, परन्तु ऐसा अधिकार कमेटियों को होने के कारण, चेयरमैन, एक्जिक्युटिव अफसर, सेक्रेटरी, इन्जिनियर, हेल्थ अफसर, और अन्य विभागों के अफसर, अपने विभागों के काम चलाने की जिम्मेदारी स छूट नहीं जायगे । केवल एकही कमेटी है जिस पर यह बात लागू नहीं होती और वह शिक्षा कमेटी है । उसके लिये देखिये दफा ७३ और, उसके नीचे दिये हुये नोट । सन १९०० ई० के ऐक्ट न० १ क अनुसार कमेटियों को अन्तिम हुक्म देने के अधिकार नहीं थे, क्योंकि प्रत्येक कमेटी की कार्रवाई, हुक्म के लिये बोर्ड को भेजी जाना पड़ती थी । नतीजा यह होता था कि जब कभी कानून की आज्ञा का पूरा २ पालन किया जाता था तो कमेटियों की उपयोगिता बहुत कम हो जाती थी और जो उनको अधिभार दिये गये थे वह साधारण (General) और कबल सहाय देने के दग के होते थे । किसी कमेटी के फैसले के हुक्म के अनुसार कोई काम किये जाने से पूरा सम्पूर्ण बोर्ड के हुक्म के लिये ठहरा रहना पड़ता था और इस कारण बोर्ड के कार्यानिर्वाहक (Executive) कामों को किये जाने में बहुत समय लग जाया करता था । परन्तु हाल क ऐक्ट क अनुसार कमेटिया को निश्चित अधिकार दिये जा सकते हैं, और इसके कारण प्रति दिन काम काज अधिक शीघ्रता से हो सकते हैं और काम जल्दी जल्दी नियटाया जा सकता है । काम घाटों का प्रयन्ध जो किया जा सकता है वह नीचे विस्तार पूर्वक बताया गया है —

२ इस ऐक्ट के अनुसार वह अधिकार जो सम्पूर्ण बोर्ड को रख्य धरतना चाहिये वह हैं जो शिड्यूल न० १ में आहित हैं । बोर्ड के अन्य सब अधिकार उन म्युनिसिपल्टियों में जहाँ एक्जिक्युटिव अफसर है, (उन अधिकारों के अतिरिक्त जो दफा ६० के अनुसार एक्जिक्युटिव अफसर को दिये गये

हैं) चेयरमैन के हाथ में रहेंगे, यदि बोर्ड ने बलाज (जी) के अनुसार रेग्युलेशन के द्वारा ऐसे अधिकार किसी और को सौंप न दिये हों। चेयरमैन उन अधिकारों को जो उसको दिये जाते हैं वाईस चेयरमैन को एक्ट की दफा ५३ के अनुसार सौंप सकता है (सिंगल उन अधिकारों के जो दफा ५० (ए) में अंकित हैं, और जिनको वह दफा (५३ A) के अनुसार बोर्ड को किसी कर्मचारी को सौंप सकता है)। इस लिये यह जरूरी है कि बोर्ड यह बात निश्चय करले कि उनमें से कौन से अधिकार चेयरमैन या वाईस चेयरमैन नहीं धरत सकता, या जो उनको नहीं धरतना चाहिये, और किन शर्तों, या कमेटीयों को ऐसे अधिकार सौंपे जाना चाहिये। अधिकार या तो कमेटी को सौंपे जा सकते हैं जिसका सगठन बलाज (डी) के अनुसार रेग्युलेशन के द्वारा किया गया हो, या ऐसी कमेटी के चेयरमैन को या एक्जिक्युटिव अफसर को, या जहा एक्जिक्युटिव अफसर न हो तो बोर्ड के किसी कर्मचारी को। अधिकार सौंपने में यदि बोर्ड चाहे तो दफा ११२ की उप दफा (३) के हुक्मों के अनुसार यह शर्त रख सकता है कि कोई हुक्म, जो अधिकार सौंप दिये जाने पर दिये जाय उनकी बोर्ड के सामने अर्पण करने का हक, और बोर्ड को स्वयं डाकी निगराना करने का हक, नियत किये हुये समय के भीतर, प्राप्त होगा। इन अधिकारों को सौंपे जाने के विषय में कुछ सलाहें नीचे दी जाती हैं।

सब से अधिक सुभीता इसमें होगा कि पहले उन वचे हुए अधिकारों का बहल किया जाय, जो यदि वह किसी और को सौंपे न जाय, तो, उन म्यूनिसिपलटियों में जहां एक्जिक्युटिव अफसर होता है, चेयरमैन के हाथ में होते हैं।

एक्ट की दफा ९६ (२) के सम्बन्ध में यह सलाह दी जाती है, कि उन ठेकों की मजूरी देना जिनके लिये बजट में सवील रखी गयी है, और जो "शहर" की म्यूनिसिपलटी में एक हजार रुपये से अधिक रकम के न हों, और अन्य म्यूनिसिपलटियों में २५०) से अधिक के न हों, कमेटीयों को सौंप दिये जाय, कि वे अपने अपने विभागों के ठेकों की मजूरी दें। यह भी जरूरी है कि एक्जिक्युटिव अफसर को या उन म्यूनिसिपलटियों में जहा एक्जिक्युटिव अफसर नहीं है, चेयरमैन को, या सेक्रेटरी को, अधिकार सौंपा जाय, कि वह उन ठेकों की जिनकी रकम (मान लीजिये) सौ रुपये से अधिक न हो और जिनकी सवील कि बजट में की गई हो, मजूरी दें जिससे कि यह काम छोटी २ चीजें मोल लेने के, और छोटे २ काम बनवाने के अधिकारी हों जाय। दफा ९७ (२) (या) के सम्बन्ध में भी ऐसे ठेक देने या मुआहिदा करने का अधिकार पूर्व कथित कमेटीयों या अफसरों को सौंप देना चाहिये।

३ इमारत बनाने की अर्जियों के फैसला किये जाने में देर हो जाने की बहुत सी शिकायतें हुई हैं। अनेक मामलों में यह देर उन नियमों के कारण होती है, जो एक्ट न० १ मन १९०० के अनुसार बनाये गये थे, और जिनकी आज्ञा थी कि कमेटी का कोई हुक्म तब जारी किया जाय जब कमेटी की फारवाइ को बोर्ड मजूर कर दे। इसलिये यह सलाह दी जाती है कि एक्ट की दफा १८० के अनुसार जो हुक्म दिये जाय उनके लिये बोर्ड की मजूरी आवश्यक न रखी जाय सिवाय उम दशा के जब दफा १८३ के अनुसार हरजे की दिनदारी हो सकती हो। इमारत बनाने, या फिर से बनाने, के विषय में जिस बोर्ड ने सब बातों के लिये पूरे पूरे बाटलों बना लिये हैं तो उनमें इमारत बनाये जाने की अर्जियों की अन्तिम मजूरी का देना एक्जिक्युटिव अफसर को दे दिया जाना बरतना होगा। या जहा एक्जिक्युटिव अफसर न हो तो बोर्ड के चेयरमैन को या एक्जिक्युटिव अफसर को देना

(Public works Committee) को या बोर्ड के किसी कर्मचारी को, दे दिया जाना उचित होगा। जहाँ सब विषयों पर बाईलॉ न बनाये गये हों तो अच्छा होगा कि यह अधिकार पब्लिक वर्क्स कमेटी को सौंप दिया जाय, यदि वह कमेटी इस बात पर तैयार हो कि जल्दी जल्दी मीटिंग किया करेगी जिससे कि इमारत सम्बन्धी अर्जियों पर शीघ्र हुकम दिया जा सके। उस प्रकार की लिखित हिदायतों के अर्थात्, जो कि दफा १८० की उप दफा (१) के बलाज (ए) में अंकित हैं इमारत सम्बन्धी अर्जों की मजूरी देने का अधिकार, पब्लिक वर्क्स कमेटी को अंतिम रूप से सौंपा जा सकता है। या उस दफा में जब कि वह हिदायतें केवल यह है कि दफा २९८ की मद (ए) के अन्त (एच) के अनुसार बोर्ड द्वारा बनाये गये बाईलॉ (By Law) का पालन किया जाय, तो यह अधिकार एग्जिक्युटिव अफसर को सौंपा जा सकता है। या जहाँ एग्जिक्युटिव अफसर न हो तो बोर्ड के चेयरमैन को, या पब्लिक वर्क्स कमेटी के चेयरमैन को, सौंपा जा सकता है।

४ उन लिखित हिदायतों के अर्थात् जो उस प्रकार की हों जो दफा १८० की उप दफा (१) के बलाज (बी), या दफा १८३ के बलाज (ए), में अंकित की गई हैं इमारत सम्बन्धी अर्जों की मजूरी देने का अधिकार पब्लिक वर्क्स कमेटी को यदि आवश्यक हो, इस शर्त के सग सौंपना चाहिये, कि एक नियत की हुई अवधि के भीतर, अपील करने का हक प्राप्त होगा, या बोर्ड को निगरानी सुनने का हक प्राप्त होगा। इसी प्रकार इस कारण मजूरी न देने का अधिकार कि वह काम जो पनाया जाने का है बोर्ड के द्वारा दफा २९८ की मद (ए) के अन्त (एच) के अनुसार, बनाये हुए बाईलॉ की आज्ञा के अनुसार नहीं है, एग्जिक्युटिव अफसर को सौंपा जा सकता है, या जहाँ एग्जिक्युटिव अफसर न हो तो बोर्ड के चेयरमैन को या पब्लिक वर्क्स कमेटी के चेयरमैन को सौंपा जा सकता है। जिन म्यूनिसिपल्टियों में कोई बाईलॉ नहीं बनाये गये हैं वनमें सब मामलों में मजूरी न देने का अधिकार, और उन म्यूनिसिपल्टियों में जहाँ कि बाईलॉ बनाये गये हैं, उनमें उन कारणों से जो दफा १८३ के (ए) और (सी) बलाज में अंकित हैं, मजूरी न देने का अधिकार पब्लिक वर्क्स कमेटी को सौंप दिया जाना चाहिये। और दोनों दशाओं में यह बात होना चाहिये कि उस प्रकार के हुक्मों से, जो दफा १८३ के (ए) और (सी) क्लॉज में अंकित हैं, एक नियत की हुई अवधि के भीतर अपील करने का हक होगा या बोर्ड को निगरानी (Revision) का हक होगा। वह अवधि (मियाद) जिसके भीतर अपील हो सकेगी, उतनी ही होना चाहिये जितनी कि दफा ६१ (२) के द्वारा नियत कर दी गई है (अर्थात् हुक्म के पहुंचने से दस दिन के भीतर), और बोर्ड को निगरानी करने के अधिकार के लिये एक मास की मियाद देना चाहिये (क्योंकि एक मास के भीतर बोर्ड की एक मीटिंग अवश्य ही हो जाया करती है)।

दफा २०५ के अनुसार सडकों की मजूरी देने का अधिकार पब्लिक वर्क्स कमेटी को सौंपा जा सकता है। और दफा २०८ के अनुसार कार्रवाई करने का अधिकार या ता उस कमेटी ही को सौंपा जाय, या एग्जिक्युटिव अफसर को, या चेयरमैन के लिये छोड़ दिया जाय।

दफा २१२ के अधिकार, अर्थात् निजी सडकों पर खरजा धनाने या पानी के निकास के रास्ते बनाके के अधिकार पब्लिक वर्क्स कमेटी को, या हेल्थ कमेटी को इस शर्त पर (यदि ऐसी शर्त आवश्यक समझी जाय) सौंपे जा सकते हैं, कि बोर्ड के सामने अपील की जा सकेगी, यदि ऐसी अपील हुक्म के पहुंचने के दस दिन के भीतर कर दी जाय।

दफा २३२ की उप दफा (६) के अनुसार जो अधिकार किसी इमारत में कोई परिवर्तन

किये जाने, या किसी इमारत को तोड़ दिये जाने के हुक्म देने के विषय में हैं, वह पब्लिक वर्क्स कमेटी को सौंप दिये जाना चाहिये, और यह शर्त कर दी जाना चाहिये कि बोर्ड में अपील की जा सकेगी, और बोर्ड में हुक्म की निगरानी करने का भी अधिकार होगा।

अधिकारों का दूसरा समूह, जिं पर कि विचार करना है, वह है जो शिफ्टूल न० १ म दिया गया है और जो कि दूसरों को सौंपे जा सकते हैं, और जो यदि न सौंपे जाय तो केवल पूरे पार्क के द्वारा बरते जा सकते हैं। इस दशा में उन दशकों और कमेटियों के अतिरिक्त, जिनका वर्णन पैरा न० २ में किया गया है, आवेकार बोर्ड के चयरमैन को सौंपे जा सकते हैं।

दफा ६१ के अनुसार जो अधिकार दिया गया है (अर्थात् एक्जिज्युटिव अफसर के हुक्मों की अपील सुनने का अधिकार) यह कमेटियों को सौंप दिया जाना चाहिये, कि वे अपने अपने विभागके मामलों की अपील सुनें। अपील होनेपर जो हुक्म ऐसी कमेटिया दें वह अन्तिम (Final) होना चाहिये। कारण यह है कि उन दशाओं में जिनमें कि दूसरी अपील (Second appeal) होना अवश्यक समझा गया है, उनके लिये एक्ट की दफा ३१८ में काफी सचील, इस प्रकार कर दी गई है कि उनकी अपील कमिश्नर या जिला मजिस्ट्रेट को की जाय। यदि बोर्ड अपील सुनने का अधिकार कमेटियों को न सौंप देगा तो सम्भावना यह है कि बोर्ड पर इतना अत्याधिक छोटा काम पड़ जाय, कि जिसके कारण वह उन जरूरी कर्तव्यों की ओर जो शिफ्टूल न० १ में गिनाये गये हैं, ध्यान न दे सके। यदि बोर्ड के निरय प्रति के काम जल्दी निपटाये जाना है, तो यह आवश्यक है कि अपीलें जल्दी जल्दी सुनी जाय, और अपीलें जल्दी जल्दी सुनी नहीं जा सकतीं यदि वे केवल पूरे बोर्ड ही के सामने हों, क्योंकि बोर्ड की मीटिंग बहुत अन्तर से हुआ करती है। इसके अतिरिक्त यह सम्भावना भी नहीं है कि बोर्ड के सब मेम्बर प्रत्येक मामले से ऐसे परिचित हों, कि उनकी राय किसी एक या दूसरे पक्ष में ली जाना उचित हो। दफा १८६ के अनुसार इमारत में परिवर्तन किये जाने या तोड़ दिये जाने के हुक्म, या दफा २५७ (२) के अनुसार किसी ऐसे छानन (Roofs) को जो सहज से जल उठने वाला हो, हटा दिये जाने के हुक्म, या दफा २६३ के अनुसार तालाब को घेर देने, या उसकी मरम्मत करने के हुक्म के खिलाफ अपीलें सुनने का अधिकार पब्लिक वर्क्स कमेटी को सौंपा जा सकता है।

दफा १९१ (२), या दफा १९२ (१), या दफा १९३, या १९४ के हुक्म, जो मोरियों के विषय में दिये जाय या दफा २२५ (२), या दफा २२७ के अनुसार जारी किये हुये, कुए या पाटानों इत्यादि के विषय में हुक्म, या दफा २४५ (१) के अनुसार पृणित व्यवसायों के विषय में हुक्म, या दफा २६८ के अनुसार कुयों को साफ कराने, मरम्मत कराने इत्यादि के विषय में हुक्म की अपीलें सुनने का अधिकार हेरथ कमेटी को सौंपा जा सकता है। दफा २०९ और २११ के हुक्म (अर्थात् मोरियों और सबकों पर निकले हुये इमारतों के भाग के विषय) की अपील आर दफा २३६ के अनुसार दिये हुये हुक्म, (मोरियों पर भिना मजुगी लिये बनाई हुई इमारतों के हटाये जाने के विषय में), या दफा २६४ के अनुसार दिये हुये हुक्म (अर्थात् खाली इमारतों को घेर देने के विषय में) या दफा २७८ के अनुसार दिये हुये हुक्म (उन इमारतों के विषय में जो मनुष्य के रहने के अयोग्य हैं) की अपील या तो पब्लिक हेरथ कमेटी के सामने पेश हा या पब्लिक वर्क्स कमेटी के सामने।

पचास रुपया मासिक से अधिक खेतन पाने वाले, या शहर की म्यूनिसिपल्टी में ७५) ४० मा-

सिफ़ में अधिक वेतन पाने वाले, या किसी अन्य कम से कम सख्या के वेतन पाने वाले (जो कम से कम सख्या कि क्लाज (एफ) के लिये बनाये रेग्युलेशन के द्वारा नियत की जाय) कर्मचारियों को नियुक्त करने, मजा देने या डिस्मिस करने का अधिकार जो दफा ७४ के अनुसार दिया गया है, या तो कमेटीयों को, जो उन विभागों का काम करती हैं जिन विभागों के लिये वह नौकर हो सौंप दिया जाय । या एक छोटी सी कमेटी को सौंपा जाय जिसमें कि चेयरमैन और चाहलें चेयरमन हों, और (यदि आवश्यक हो) तो कमेटीयों के चेयरमैन भी हों । इस प्रकार का प्रबन्ध कर देना, इसकी अपेक्षा उचित होगा, कि म्युनिसिपल्टी के कर्मचारियों के सम्बन्ध में बोट की पूरी मीटिंग में बहस की जाय ।

दफा ७६ (२) के अनुसार चेयरमैन के उन हुकमों की अपील सुनने का अधिकार, जिन के द्वारा कर्मचारियों को दण्ड दिया जाय, या जिनके द्वारा वह डिस्मिस किये जाय, भी एक पेसों की कमेटी को उन म्युनिसिपल्टियों में सौंपा जा सकता है जिनमें कि एग्जिक्युटिव अफसर न हो ।

दफा ९२ (२) (बी) के अनुसार जो अधिकार इस विषय में दिया गया है, कि इजि नियर को ठेके देने या मुआवदे करने का अख्तियार दिया जाय वह पब्लिक वर्क्स कमेटी को सौंपा जा सकता है ।

दफा १४१ (१) के अनुसार जो अधिकार बोर्ड को इस विषय में है कि कूते हुये करों की सूची (Assessment list) तैयार कराये, उस कमेटी को सौंपा जा सकता है जिसको करों का काम दिया गया हो । और उक्त दफा की उप दफा (२) के अनुसार कूते हुये करों की सूची तैयार करने के लिये शहसों को नियत करने के विषय में जो अधिकार दिया गया हो, वह भी (यदि यह पात उचित न समझी जाय कि बोर्ड इस अधिकार को अपने ही हाथ में रखे) सौंपा जा सकता है । दफा १४३ (३) के अनुसार करों के कूते जाने के विरुद्ध उज्र सुनने और फैसला करने का अधिकार भी उसी कमेटी को सौंपा जा सकता है । दफा १४७ (१) के द्वारा दिया हुआ अधिकार भी उसी कमेटी को सौंपा जा सकता है, यदि बोर्ड ने उस अधिकार को दफा १४३ (३) के अनुसार, रेजोयुशन के द्वारा, किसी सरकारी अफसर, या बोर्ड के अफसर को न सौंप दिया हो ।

दफा १९७ (२) के अनुसार दिया हुआ अधिकार (अर्थात् किसी अर्जा पर, जो इस विषय में दी जाय कि कोई मकान दफा १९६ (ए) के नोटिस से, जो नोटिस मकानों से मिला बढाये जाने के विषय में हो बाहर निकाल दिया जावे) हेतु कमेटी को सौंपा जा सकता है ।

५ वह सत्र अधिकार जिनका वर्णन शिड्यूल न० २ में और दफा ६० की उप दफा (१) के क्लॉज (ए), (बी) और (सी) में किया गया है, उन म्युनिसिपल्टियों में जिनमें कि एग्जिक्युटिव अफसर नहीं है चेयरमैन के हाथ में रहेंगे, यदि बोर्ड ने उनको किसी और को न सौंप दिया हो । इस लिये उन म्युनिसिपल्टियों के बोर्डों को जिनमें कि एग्जिक्युटिव अफसर नहीं है इस बात पर विचार करना चाहिये कि इनमें से कौन अधिकार सौंपे जाना चाहिये और कौन से चेयरमैन और वार्ड्स चेयरमैन के हाथ में रहने दिये जाना चाहिये । जहां जरूरत हो वहां अधिकार एक एक कर्मचारी को अलग अलग भी सौंप दिये जाना चाहिये, क्योंकि जो अधिकार शिड्यूल में दूज है उनमें से ऐसे बहुत कम हैं जिनमें कमेटी के द्वारा बरते जाने से कुछ लाभ हो । बोर्डों को सलाह दी जाती है, कि इस विषय में जो कुछ वह निश्चय कर उसमें शिड्यूल न० २ की भाषाभाषा (अर्थात् किन किन हुकमों से अपील होगा और किन से नहीं) साधारणतः अनुसरण करें, और उन सलाह का भी जो

पैरा न० ४ में दी गई हैं, कि ऐसी अपीलें सुनने का अधिकार किन कमेटियों, अथवा शरतों, को दिया जाय ।

६ ऐक्ट की कुछ दफाओं के द्वारा एक्जिक्युटिव अफसर को कुछ अधिकार दिये गये हैं, जो उन म्यूनिसिपलटियों में जहाँ कि एक्जिक्युटिव अफसर न हो, म्यूनिसिपलटियों के कर्मचारियों को सौंप दिये जाना चाहिये । उदाहरणार्थ ऐक्ट की दफा १८६ में यह शब्द आये हैं "कोई शासक जिसको रेग्युलेशन के द्वारा रूपया लेने का अधिकार दिया गया हो"—दफा ६० (१) (सी) के अनुसार एक्जिक्युटिव अफसर को किसी ऐसी रकम को लेने वसूल करने, और म्यूनिसिपलटी के कोष में जमा करने, का अधिकार दिया गया है जो बोर्ड को दी जाय या पेश की जाय । और निसन्देह एक्जिक्युटिव अफसर दफा ६२ के द्वारा दिये हुये अधिकारों को भिन्न भिन्न कर्मचारियों को सौंप देगा । जहाँ एक्जिक्युटिव अफसर न हो वहाँ यह जान पड़ता है कि रेग्युलेशन के द्वारा वह अफसर निर्दिष्ट कर दिये जाय, जिनको म्यूनिसिपलटी का रूपया जो किसी पर बाकी हो लेने का अधिकार हो, सिवाय उन रकमों के जिनके जमा करने के विषय में विशेष नियम बना दिये गये हैं, और जिनके द्वारा वह शासक निर्दिष्ट कर दिये गये हैं जिनको रूपया वसूल करने का अधिकार है, जैसे कि चुगी, या टैसनों या तहयजारी, या वादों, के विषय में नियम ।

सम्भवतः अधिकांश मामलों में सेक्रेटरी उन मुतफरिंक रकमों के वसूल करने का अधिकारी निर्दिष्ट किया जायगा, जिनके वसूल करने के लिये किसी और को विशेष अधिकार न दिया गया हो, और ऐसी दशा में सेक्रेटरी ही, रेग्युलेशन के द्वारा, इस कामके लिये भी नियत किया जाय कि दफा १६९ (१) (बी) के अनुसार जो उन्न बिलों (Bills) पर ऐसे लोग करें, जिनके पास कि निल भेजे गये हों, वह उन्न उसी के पास किये जाय ।

दफा १६९ (२) के अनुसार हुकों करने का, वारन्ट जारी करने का अधिकार, चेयरमैन को, एक्जिक्युटिव अफसर को, या किसी ऐसे अफसर को जिसको बोर्ड रेग्युलेशन के द्वारा इस कामके लिये नियत कर दे दिया गया है । जहाँ एक्जिक्युटिव अफसर न हो उम म्यूनिसिपलटी में बोर्ड को चाहिये कि रेग्युलेशन के द्वारा इस अधिकार को किसी निर्दिष्ट कर्मचारी को सौंप दे ।

बोर्डके कामों और कार्रवाइयोंका जायज़ होना ।

(Validity of Acts & Proceedings)

दफा ११३ अनुमान और बचतें (Presumptions and Savings)

१ बोर्ड में, या बोर्ड की किसी कमेटी में किसी जगह के खाली होने के कारण, बोर्ड या ऐसी कमेटी का कोई काम, या कार्रवाई, नाजायज़ न हो जायगी ।

२ जो शासक बोर्ड के, या किसी कमेटी के जो इस ऐक्ट के अनुसार नियत की गईं हों, मेम्बर की हैसियत से, या बोर्ड के चेयरमैन या ऐसी किसी कमेटी की किसी मीटिंग के चेयरमैन, की हैसियत से काम करे उसकी किसी अयोग्यता के कारण या उसके निर्वाचन, या नामजदगी या नियुक्त किये जाने में किसी दोष के कारण, यह न समझा जायगा कि बोर्ड का, या कमेटी का, कोई काम या कार्रवाई दूषित हो गई, यदि उन शासकों में, जो किसी काम के किये जाने या कार्रवाई के करते जाने के समय उपस्थित

हैं ऐसे शर्तों की संख्या अधे से अधिक हो, जिनको (बोर्ड या कमेटी की मेम्बरी की) योग्यता प्राप्त हो, और जो जायज रूपसे बोर्ड या कमेटी के मेम्बर चुने गये हो ।

३ जब तक कि इसके विरुद्ध कोई बात साबित न की जाय, प्रायेक ऐसे कागज या याददाश्त (Minutes) के विषय में, जिससे यह विदित होता हो कि वह किसी बोर्ड या कमेटी की कार्रवाई की लिखा पढी है, यदि वह लगभग सब बातों में (Substantially) उस विधि के अनुसार लिखा गया हो, और उस विधि के अनुसार उस पर हस्ताक्षर किये गये हों, जो ऐसी कार्रवाइयों के लिखे जाने और उन पर हस्ताक्षर करने के लिये नियत की गईं हों । यह समझा जायगा कि वह ठीक लिखा पढी एक ऐसी जायज रूप से की हुई मीटिंग की कार्रवाई की है, जो किसी ऐसे बोर्ड या कमेटी ने की थी जिसका संगठन जायज रूप से हुआ था, और जिसके सब मेम्बर जायज रूप से योग्यता प्राप्त थे ।

व्याख्या—

उप दफा (१) में जो यत्न रखा गई है, यदि वह न होती, तो जब कभी बोर्ड में कोई जगह खाली होती तो महीनों तक, अर्थात् जब तक कि नया निर्वाचन, या नामजदगी न हो जाती, तब तक बोर्ड के सारे काम बन्द रहते ।

उप दफा (२) में जो यत्न रखा गई है, यदि वह न होती तो जब कहीं किसी मेम्बर के निर्वाचन के विरुद्ध अर्जी दी जाती, और उस अर्जी के फैसल होने में एक दो मास लग जाते, और तब उस मेम्बर का निर्वाचन नाजायज उद्धारया जाता, तो यह असर होता कि उस समय तक जितने काम बोर्ड ने किये होते, वह सब नाजायज हो जाते ।

—उप दफा (३) का अर्थ यह है, कि इस बात के साबित करने का भार कि कोई कागज या याददाश्त बोर्ड की किसी कार्रवाई की ठीक याददाश्त नहीं है, या यह कि कार्रवाई की लिखा पढी ऐसे कागज में ठीक नहीं की गई है, उस शरत के ऊपर होगा जो ऐसी याददाश्त या कागज के ठीक होने में निषेध करता हो । जैसे यदि किसी मुकद्दमे में बोर्ड की मिनिट बुक (याददाश्त की किताब) पेश हो, तो अदालत यह बात माता लेगी कि जो याददाश्तें उसमें लिखी हुई हैं वह ठीक हैं । जो शरत उनको गलत प्रमाणित करना चाहें, उसको उनके गलत होने के प्रमाण देना होंगे । अतएव जब कि एक शरत को किसी याई लॉ के उलघन करने के अपराध में दण्ड दिया गया, तो हाईकोर्ट ने तजवीज किया, कि ऐसे याई लॉ के सम्बन्ध में यह मान लिया जायगा, कि उसके पास करने में म्यूनिसिपल बोर्ड ने ठीक और कानून के अनुसार काम किया था, जब तक कि कोई ऐसे प्रमाण न दे दिये जाय जिनके कारण कि ऐसी बात न मानी जा सके । जो शरत कि ऐसे याई लॉ के विषय में बज्र करे कि वह जायज और कानून के अनुसार नहीं है, उसके ऊपर ऐसे प्रमाण देने का भार है, कि जिससे यह बात प्रगत हो कि ऐसे याई लॉ को जायज मान लेना उचित न होगा ।

हाईकोर्ट ने, इस विषय में, यह भी तजवीज किया कि यदि किसी अदालत के सामने कोई अपील या निगरानी पेश हो तो अदालत को भी यह अधिकार नहीं है कि स्वयं इस प्रश्न को बढाये कि म्यूनिसिपल बोर्ड का कोई याई लॉ जायज और कानूनी विधि से पास किया गया या नहीं ? देखिये सरकार बहादुर बनाम रामचन्द्र, 1897 A W N 133

पैरा न० ४ में दी गई हैं, कि ऐसी अपीलें सुनने का अधिकार किन कमेटियों, अथवा प्राप्सों, को दिया जाय ।

६ ऐक्ट की कुछ दफाओं के द्वारा एक्जिक्युटिव अफसर को कुछ अधिकार दिये गये हैं, जो उन म्यूनिसिपलटियों में जहाँ कि एक्जिक्युटिव अफसर न हो, म्यूनिसिपलटियों के कर्मचारियों को सौंप दिये जाना चाहिये । उदाहरणार्थ ऐक्ट की दफा १८६ में यह शब्द आये हैं "कोई शख्स जिसको रेग्युलेशन के द्वारा रूपया लेने का अधिकार दिया गया हो"—दफा ६० (१) (सी) के अनुसार एक्जिक्युटिव अफसर को किसी ऐसी रकम को लेने वसूल करने, और म्यूनिसिपलटी के कोष में जमा करने, का अधिकार दिया गया है जो बोर्ड को दी जाय या पेश की जाय । और निसन्देह एक्जिक्युटिव अफसर दफा ६२ के द्वारा दिये हुये अधिकारों को भिन्न भिन्न कर्मचारियों को सौंप देगा । जहाँ एक्जिक्युटिव अफसर न हो वहाँ यह जान पड़ता है कि रेग्युलेशन के द्वारा वह अफसर निर्दिष्ट कर दिये जाय, जिनको म्यूनिसिपलटी का रूपया जो किसी पर बाकी हो लेने का अधिकार हो, सिवाय उन रकमों के जिनके जमा करने के विषय में विशेष नियम बना दिये गये हैं, और जिनके द्वारा वह शख्स निर्दिष्ट कर दिये गये हैं जिनको रूपया वसूल करने का अधिकार है, जैसे कि जुगी, या लैसर्स या तह्यजारी, या चाणों, के विषय में नियम ।

सम्भवतः अधिकांश मामलों में सेक्रेटरी उन मुतफरिक् रकमों के वसूल करने का अधिकारी निर्दिष्ट किया जायगा, जिनके वसूल करने के लिये किसी और को विशेष अधिकार न दिया गया हो, और ऐसी दशा में सेक्रेटरी ही, रेग्युलेशन के द्वारा, इस कामके लिये भी नियत किया जाय कि दफा १६९ (१) (बी) के अनुसार जो बिल्लों (Bills) पर ऐसे लोग करें, जिनके पास कि बिल्ल भेजे गये हों, वह बिल्ल उसी के पास किये जाय ।

दफा १६९ (२) के अनुसार कुर्की करने का, चारण्ट जारी करने का अधिकार, चयनमैन को, एक्जिक्युटिव अफसर को, या किसी ऐसे अफसर को जिसको बोर्ड रेग्युलेशन के द्वारा इस अभिप्राय से नियत कर दे दिया गया है । जहाँ एक्जिक्युटिव अफसर न हो उस म्यूनिसिपलटी में बोर्ड को चाहिये कि रेग्युलेशन के द्वारा इस अधिकार को किसी निर्दिष्ट कर्मचारी को सौंप दे ।

बोर्डके कामों और कार्रवाइयोंका जायज़ होना ।

(Validity of Acts & Proceedings)

दफा ११३ अनुमान और बचतें (Presumptions and Savings)

१ बोर्ड में, या बोर्ड की किसी कमेटी में किसी जगह के खाली होने के कारण, बोर्ड या ऐसी कमेटी का कोई काम, या कार्रवाई, नाजायज़ न हो जायगी ।

२ जो शख्स बोर्ड को, या किसी कमेटी के जो इस ऐक्ट के अनुसार नियत की गई हो, मेम्बर की हैसियत से, या बोर्ड के चयनमैन या ऐसी किसी कमेटी की किसी मीटिंग के चयनमैन, की हैसियत से काम करे उसकी किसी अयोग्यता के कारण या उसके निर्वाचन, या नामजदगी या निष्कृत किये जाने में किसी दोष के कारण, यह न समझा जायगा कि बोर्ड का, या कमेटी का, कोई काम या कार्रवाई दूषित हो गई, यदि उन शख्सों में, जो किसी काम के किये जाने या कार्रवाई के बरते जाने के समय उपस्थित

हों ऐसे शर्तों की संख्या आधे से अधिक हो, जिनको (बोर्ड या कमेटी की मेम्बरी की) योग्यता प्राप्त हो, और जो जायज रूपसे बोर्ड या कमेटी के मेम्बर चुने गये हों ।

३ जब तक कि इसके विरुद्ध कोई बात साबित न की जाय, प्रत्येक ऐसे कागज या याददाश्त (Minutes) के विषय में, जिससे यह विदित होता हो कि वह किसी बोर्ड या कमेटी की कार्रवाई की लिखा पटी है, यदि वह लगभग सब बातों में (Substantially) उस विधि के अनुसार लिखा गया हो, और उस विधि के अनुसार उस पर हस्ताक्षर किये गये हों, जो ऐसी कार्रवाई के लिखे जाने और उन पर हस्ताक्षर करने के लिये नियत की गई हों । यह समझा जायगा कि वह ठीक लिखा पटी एक ऐसी जायज रूप से की हुई मीटिंग की कार्रवाई की है, जो किसी ऐसे बोर्ड या कमेटी ने की थी जिसका संगठन जायज रूप से हुआ था, और जिसके सब मेम्बर जायज रूप से योग्यता प्राप्त थे ।

न्याय्या—

उप दफा (१) में जो बचत रखी गई है, यदि वह १ होती, तो जब कभी बोर्ड में कोई जगह खाली होती तो महीनों तक, अर्थात् जब तक कि नया निर्वाचन, या नामजदगी न हो जाती, तब तक बोर्ड के सारे काम बन्द रहते ।

उप दफा (२) में जो बचत रखी गई है, यदि वह १ होती तो जब कहीं किसी मेम्बर के निर्वाचन के विरुद्ध अर्जी दी जाती, और उस अर्जी के फैसल होने में एक दो मास लग जाते, और तब उस मेम्बर का निर्वाचन नाजायज ठहराया जाता, तो यह असर होता कि उस समय तक जितने काम बोर्ड ने किये होते, वह सब नाजायज हो जाते ।

—उप दफा (३) का अर्थ यह है, कि इस बात के साबित करने का भार कि कोई कागज या याददाश्त बोर्ड की किसी कार्रवाई की ठीक याददाश्त नहीं है, या यह कि कार्रवाई की लिखा पटी ऐसे कागज में ठीक नहीं की गई है, उस शरत के ऊपर होगा जो ऐसी याददाश्त या कागज के ठीक होने में निषेध करता हो । जैसे यदि किसी मुकद्दमे में बोर्ड की मिनिट बुक (याददाश्त की किताब) पेश हो, तो अदालत यह बात मान लेगी कि जो याददाश्त उसमें लिखी हुई है वह ठीक है । जो शरत उनको गलत प्रमाणित करना चाहे, उसको उनके गलत होने के प्रमाण देना होंगे । अतएव जब कि एक शरत को किसी बार्ड लॉ के उल्लंघन करने के अपराध में दण्ड दिया गया, तो हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि ऐसे बार्ड लॉ के सम्बन्ध में यह मान लिया जायगा, कि उसके पास करने में म्यूनिसिपल बोर्ड ने ठीक और कानून के अनुसार काम किया था, जब तक कि कोई ऐसे प्रमाण न दे दिये जाय जिनके कारण कि ऐसी बात न मानी जा सके । जो शरत कि ऐसे बार्ड लॉ के विषय में उक्त करे कि वह जायज और कानून के अनुसार नहीं है, उसके ऊपर ऐसे प्रमाण देने का भार है, कि जिससे यह बात प्रगट हो कि ऐसे बार्ड लॉ को जायज मान लेना उचित न होगा ।

हाईकोर्ट ने, इस विषय में, यह भी तजवीज किया कि यदि किसी अदालत के सामने कोई अपील या निगरानी पेश हो तो अदालत को भी यह अधिकार नहीं है कि स्वयं इस प्रश्न को ठहराये कि म्यूनिसिपल बोर्ड का कोई बार्ड लॉ जायज और कानूनी विधि से पास किया गया या नहीं ? देखिये सरकार बहादुर बनाम रामचन्द्र, 1897 A W N 133

कार की पहले से मजूरी प्राप्त करके, म्यूनिसिपलटी के कोष का कोई भाग, जिसकी आवश्यकता तुरन्त किये जाने वाले व्यय में न पड़े, ऐसी जमानतों (Securities) के मोल लेने में न लगाये, जिनका वर्णन इण्डियन ट्रस्ट ऐक्ट सन १८८२ई० (The Indian Trust Act No II of 1882) की दफा २० में किया गया है, या किसी प्रेसी डेन्सी बैंक में निश्चित अवधि के लिये (On fixed deposit) जमा न करे।

व्याख्या—

इण्डियन ट्रस्ट ऐक्ट न० २ सन १८८२ ई० की दफा २० इस प्रकार है—

“अगर ट्रस्ट की जायजाद नकद रूपया हो, और यह रूपया ट्रस्ट के मतलबों के लिये तुरन्त, या जरूरी, काम में न लगाया जा सकता हो तो उस शर्त का, जिसके नाम ट्रस्ट हो, कर्तव्य होगा, कि (ट्रस्टनामा की आज्ञा के अधीन) उस रूपये को नीचे लिखी जमानतों (Securities) में लगा दे, और किसी अन्य प्रकार न लगाये—

- (ए) प्रामेसरी नोट, डिबेंचर (Debenture), या भारत सरकार की या यूनाइटेड किंगडम् आव् ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की, किसी दूसरी जमानतों में।
- (बी) उन दस्तावेजों (Bonds) डिबेंचर और वार्षिक वजीफों (Annuities) में, जिनका भार (Charge) इम्पीरियल पारलिमेंट द्वारा भारत की आमद नियों पर डाला गया हो।
- (सी) रेलवे, या किसी दूसरी कम्पनी के हिस्सों, डिबेंचर, या स्टॉक में, जिनके ध्यान के लिये भारत मन्त्री और उनकी कौन्सिल ने जमानत कर दी हो।
- (डी) यूटिला इण्डिया में प्रचलित, किसी कौन्सिल के द्वारा बनाया हुआ, किसी ऐक्ट के अधिकार के अनुसार उन डिबेंचरों और जमानतों में जो किसी म्यूनिसिपलटी ने जारी की हों, या म्यूनिसिपलटी की ओर से जारी की गई हों, या ऐसी ही किसी दूसरे प्रकार की जमानतों में।
- (ई) यूटिला इण्डिया में जो गैर मनकूला जायदाद (स्थावर) हो उस जायदाद के पहले रेहन में (First mortgage), परन्तु शर्त यह है कि जायदाद किसी अवधि के लिये पट्टे पर दी हुई न हो, और जायदाद का मूल्य इतना हो कि वह रेहन के रूपये से एक तिहाई अधिक हो या यदि जायदाद में इनातें हों, तो रेहन के रूपये से उधोडा हो।
- (एफ) या किसी दूसरी जमानत में जिसके लिये ट्रस्टनामा में स्पष्ट रूप से अधिकार दिया गया हो, या जिसके लिये हाईकोर्ट के किसी ऐसे नियम के द्वारा अधिकार दिया गया हो, जो कि हाईकोर्ट, समय समय पर इस विषय में नियमित करे। परन्तु शर्त यह है कि यदि कोई ऐसा शक्य मौजूद हो, जो मुआहिदा करन के योग्य हो, और जिसको अपने जीवन तक ट्रस्ट की जायदाद की आमदनी पाने का अधिकार प्राप्त हो, या इससे बड़ा कोई अधिकार प्राप्त हो, तो उपरोक्त क्लॉज (बी), (ई) (एफ) में बताई हुई जमानतों में बिना उस शक्य के किम्बित आज्ञा प्राप्त किये, कोई रूपया न लगाया जायगा।”

दफा ११६ बोर्डके अधिकारमें जायदाद

किसी ऐसी विशेष शर्त के अधीन जो प्रान्तीय सरकार लगा दे उस प्रकार की सब जायदाद जो इस दफा में आगे वर्णित हैं, और जो म्यूनिसिपलटी के भीतर हों, बोर्ड के अधिकार में रहेंगी, और बोर्ड ही उनका मालिक होगा, और उन सब जायदादों के सहित जो बोर्ड के अधिकार में आजाय, बोर्ड की आज्ञा के अधीन और उसके प्रबन्ध और निगरानी में वह रहेंगी, अर्थात्—

- (ए) सब सार्वजनिक प्रकोटे (शहर पनाह), फाटक, बाजार, घघ स्थान, खाद तथा मैले के गोदाम और सब प्रकार की सार्वजनिक इमारते, जो म्यूनिसिपलटी के कोष से बनाई गई हों, या कायम रखी जाती हों ।
- (बी) सब सार्वजनिक नदिया, झील, झरने, तालाब, कुए और संवसाधारण के लिये पानी लाने, जमा रखने, और पानी पहुँचाने, के काम (तामीरात) और सब पुल, इमारतें इंजन (Engine), सामान, और वस्तुए, जो उनके सङ्ग लगी हुई हों । या उनसे सम्बन्ध रखती हो, और कोई मिली हुई भाराजी भी, जो किसी की निजी जायदाद न हो, और किसी सार्वजनिक तालाब या कुए से सम्बन्ध रखती हो ।
- (सी) सब सार्वजनिक बन्द नालियाँ, और मोरियाँ, पुलिया और पानी के रास्ते, और सब ऐसे काम (तामीरात), सामान, और वस्तुए, जिन का उनसे सम्बन्ध हो ।
- (डी) सब मिट्टी, धूल, लीद, गोबर या ऐसी व्यर्थ वस्तुए जो फेक दी जाती हैं, (Refuse), या पशुओं के शरीर से निकली हुई कोई वस्तु, या किसी प्रकार की गन्दगी, या कूड़ा करकट, और पशुओं के मृत शरीर जो घोड़ ने सड़कों पर से, घरों से, या पाखानों से, बन्द नालियों से, चहवच्चों से, या अन्य स्थानों से, एकत्र किये हों, या जो ऐसे स्थानों में जमा हों, जो कि बोर्डने दफा १७३ के अनुसार नियत कर दिये हों ।
- (ई) सब सार्वजनिक लालटेनों, और लालटेनों के खम्भे, और वह पुरजे जो उनमें लगें हों, या जिनका उनसे सम्बन्ध हो ।
- (एफ) सब आराजिया, या अन्य जायदाद, जो श्रीमान् भारत सम्राट की ओर से, या हिवा (Gift) के द्वारा या मोल लेने के द्वारा या अन्य प्रकार, स्थानीय सार्वजनिक मतलबों के लिये बोर्ड को दे दी गई हो ।
- (जी) सब सार्वजनिक सड़कें, और खरजे पत्थर, और अन्य सामान, और सब पेड़, तामीरात, सामान और बाजार, और वस्तुएँ जो ऐसी सड़कों पर हों, या उनसे सम्बन्ध रखती हों ।

व्याख्या—

“जो बोर्ड ने सड़कों परसे घरों से पाखानों से एकत्र किये हों”—श्लोक (डी) के इन वाक्यों की व्याख्या—

हारीलाल बनाम सरकार बहादुर 21A L J. 149 वाले मामले में इस प्रकारकी गयी है:—

“यदि किसी म्यूनिसिपलटी में ऐसे भगी हों जिनका मैला साफ करने का मौख्सी हक प्राप्त हो (Customary Sweepers), और म्यूनिसिपलटी उनसे इस प्रकार का ठहराव करले, कि भगी घरों से मैला साफ करें, और म्यूनिसिपलटी के द्वारा नियत किये हुये किसी स्थान में उसको जमा करें और इसके बदले में भगी बोझों के हिसाब से कुछ रुपया पायें, तो ऐसे ठहराव के विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि भगी प्रति दिन मैला बेचा करते हैं, और म्यूनिसिपलटी उसको मोल लिया करती है। न यह कहा जा सकता है कि ऐसे मैले को भगी एकत्र करते हैं बोर्ड नहीं जमा कराता। ऐसे ठहराव के हो जाने पर ज्योंही भगी मैले को ढोने और एक निश्चित दर के हिसाब से उसको एक नियत किये हुये स्थान में जमा करने का भार अपने ऊपर ले लेते हैं, तो यह माना जाना चाहिये कि म्यूनिसिपलटी ही, भगियों की राजी से घरों का मैला साफ कराती है। अतएव, ऐसी दशा में, जो मैला और कूड़ा घरों से जमा किया जाता है, उसको बोर्ड ही दफा ११६ के अर्थ के अनुसार एकत्र कराता है। ऐसी दशा में यदि कोई सेनिटेरी इन्स्पेक्टर, अपने पदके दायव से भगियों से मैला और कूड़ा, किसी अन्य स्थान में जमा करवाता है, और उसको बेचके दाम स्वयं रख लेता है, तो यह माना जायगा कि उसने म्यूनिसिपलटी का माल बेचा, और रुपया खा गया, और यह कि उसने ताजीरात हिन्द की दफा ४२० का अपराध किया”।

—बोर्ड की सब जायदाद रजिस्ट्रों में चढाई जाती है। विज्ञापन No 1906 XI 6. H. तारीख ५ जुलाई सन १९१६ के द्वारा म्यूनिसिपलटी की जायदाद को रजिस्ट्रों में चढाने के विषय में नीचे लिखी आज्ञायें दी गई हैं —

१ सब प्रकार की गैर मनकूला जायदाद का (स्थावर), जिसमें पेढ भी शामिल होंगे, जो कि बोर्ड के अधिकार में हों, या जो उसको प्रवन्ध करने के लिये दी गई हों, रजिस्टर बोर्ड रखेगा।

२ आराजी नज़ूल, उस आराजी से, जो बोर्ड के अधिकार में हो, अलग लिखी जायगी, और इस अभिप्राय से रजिस्टर दो जित्तों में रखा जायगा, अर्थात् जिल्द न० १ उस जायदादके लिये जो बोर्ड के अधिकार में हो और जिल्द न० २ नज़ूल के लिये।

३ रजिस्टर की जित्त नं० २ में आराजी के प्रत्येक टुकड़े के लिये एक अलग पन्ना दिया जायगा, और सामने वाले पन्ने पर उस आराजी का नकशा दिया जायगा।

४ जो आराजी कि बोर्ड ने पन्ने पर ली हो (जैसे मैले की खाइयां बनाने के लिये) वह रजिस्टर की जित्त न० १ में लिखी जाय, परन्तु अलग २ पन्ने पर।

५ समय समय पर, परन्तु प्रति वर्ष एक बार अवश्य, बोर्ड रजिस्टर की जाच करायेंगा, और जो अफसर जाच करेगा, वह इस बात का सर्टीफिकेट देगा कि रजिस्टर ठीक है।

दफा ११७ आराज़ीका जबरदस्ती प्राप्त किया जाना

यदि कोई बोर्ड किसी ऐसे अधिकार को बरतने, या कर्तव्य के पालन करने, के अभिप्राय से, जो इस कानून या अन्य किसी कानून के द्वारा, या जो इस कानून या अन्य किसी कानून के अनुसार, दिया गया हो, या बोर्ड पर डाला गया हो यह इच्छा प्रगट करे कि प्रान्तीय सरकार उसके लिये लण्ड एक्वीजिशन ऐक्ट सन् १८९४ ई० अर्थात् जब-तब आराजी प्राप्त करनेका कानून (Land Acquisition Act 1894) या अन्य किसी

प्रचलित कानून के अनुसार, कोई आराजी, या किसी आराजी के विषय में कोई हक, स्थायी या अस्थायी रूपसे प्राप्त करे, तो प्रान्तीय सरकार बोर्ड की प्रार्थना पर, उक्त आराजी को या आराजी के उक्त हक को, पूर्वकथित हुकमों के अनुसार प्राप्त कर सकती है। और जब बोर्ड प्रान्तीय सरकार को वह मुआवजा (Compensation) जो उक्त कानून के अनुसार दिलाया जाय, और वह व्यय भी जो प्रान्तीय सरकार ने उन कार-वाइयों के सम्बन्ध में किये हों, भदा कर दे, तो उक्त आराजी अथवा हक, जैसी कि दशा हो, बोर्ड के अधिकार में आजायगी या प्राप्त हो जायगी।

व्याख्या—

हैन्ड एक्वीजिशन ऐक्ट के अनुसार आराजी प्राप्त करने के लिये दररवास्त सरकार के भूनिस्सिपल विभाग को भेजी जाना चाहिये (गवर्नमेंट आर्डर No 733 XI 130, तारीख ८ अगस्त सन् १९१० ई०)

—सार्वजनिक कामों के लिये आराजी प्राप्त करने के लिये जब दररवास्त दी जाय तो बोर्ड को चाहिये कि पूरी रिपोर्ट इस बात की दे, कि उस आराजी की क्या जरूरत है, और जो घदलाव, अर्थात् मुआवजा, देना पड़ेगा तथा जो मालगुजारी बोर्ड माफ कराना चाहता है, उसका तखमीना भी भेजना चाहिये। दररवास्त में यह भी दिखाया जाय कि वह आराजी साधारण निजी मुआहिदे के द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती, या यह बात कि विशेष कारणों से निजी मुआहिदे के द्वारा उसका प्राप्त किया जाना उचित नहीं है (विज्ञापन No 1906 XI 6, H. तारीख ५ जुलाई सन् १९१६ ई०)

दफा ११८ बोर्डका अधिकार ऐसी जायदादका प्रबन्ध तथा निगरानी करनेका, जो उसके प्रबन्धमें दी गई हो

इसके याद वाली दफा के हुकमों के अधीन, और किसी ऐसी शर्त के अधीन, जो जायदाद का मालिक लगा दे, बोर्ड किसी ऐसी जायदाद का प्रबन्ध और निगरानी कर सकता है, जो उसके प्रबन्ध और निगरानी में सौंपी जाय।

व्याख्या—

इस दफा के अनुसार बोर्ड को आराजी नजूल का प्रबन्ध करने और उसकी निगरानी करने का अधिकार है। आराजी नजूल वह होती है जिसकी मालिक सरकार होती है, परन्तु जो बोर्ड के कब्जे और अधिकार में देदी जाती है।

भूनिस्सिपलटी के भीतर आराजी नजूल, साधारणतः बोर्ड के प्रबन्ध में देदी जाया करती है, और जब तक कि बोर्ड उसका सुप्रबन्ध करता रहता है, तब तक उसके कब्जे में रक्ती जाती है। परन्तु ऐसी आराजी में बोर्ड को किसी प्रकार की मिलकियत प्राप्त नहीं होती और सरकार जब चाहे आराजी नजूल को वापस ले सकती है। कोई मुकद्दमा जो आराजी नजूल की मिलकियत के विषयमें दापर किया जाय वह भारत मंत्री (Secretary of State) की ओर से या उनके विरुद्ध दापर किया जाना चाहिये, बोर्ड की ओर से, या बोर्ड पर, नहीं। यदि कोई ऐसी आराजी बंधी जाय या पट्टे पर दी जाय, तो, यदि उसका मूल्य तीन हजार रुपये से अधिक हो, तो सरकार की मजूरी, लेना चाहिये, और यदि तीन सौ से अधिक हो तो कमिश्नर की, और अन्य दशाओं में कलक्टर की मजूरी

लेना चाहिये । थोड़े अपने किसी काम के लिये, जैसे कोई इमारत बनवाने के लिये, बिना सरकार की मजूरी के किसी आराजी नजूल पर कृत्जा नहीं कर सकता । आराजी नजूल का थोड़े को एक रजिस्टर रखना चाहिये, जिसमें प्रत्येक आराजी का पूरा घृतान्त हो, और जो धराधर ठीक किया जाता रहे ।

—आराजी नजूल से चार प्रकार की आमदनी हुआ करती हैं अर्थात्—

१ बेचे जाने का मूल्य, अथवा पट्टे पर दिये जाने पर जो इकट्ठी रकम पट्टा लेने वाला पहिले ही देता है (जर पेशगी) ।

२ पट्टे का किराया, लगान ।

३ तहबजारी की आमदनी, या वह फीस जो सबकों, या स्थानों पर थोड़े समय के लिये रुकाने की इजाजत लेने वाला देता है ।

४ तौल से आमदनी या बाजारों से आमदनी ।

ऐसी आराजी के बेचे जाने पर जो मूल्य मिले, और पट्टे पर दिये जाने पर जो जर पेशगी मिले वह थोड़े को तुरन्त सरकार में दाखिल कर देना चाहिये । परन्तु प्रान्तीय सरकार जिस म्यूनिसिपलटी को चाहे ऐसे जर पेशगी दाखिल करने से भाफ कर सकती है । पट्टे का भी जो पूरा (Gross) किराया या लगान, हो उसका एक चौथाई सरकार में दिया जाना चाहिये । परन्तु जो फीस ऊपर बताई हुई मद न० ३ के द्वारा प्राप्त हों, उनका कोई भाग सरकार नहीं लेती है ।

आमदनी का जो भाग बेचे वह थोड़े को आराजी नजूल का प्रबन्ध करने के बदले में दिया जाता है । (देखिये म्यूनिसिपल मैन्यूअल के पन्ने २५६ से २५८ तक और गवर्नमेंट आर्डरों की मैन्यूअल, विभाग न० १३)

सरक्युलर नं० १७ तारीख ९ अप्रैल सन् १९२१ के द्वारा आराजी नजूल के सम्बन्ध में हिदायत की गई है, कि ऐसी आराजी को बेच के, हमेशा के लिये हाथ से निकाल देना, सर्वथा अनुचित है, विशेष कर ऐसी आराजी जो बड़े बड़े नगरों के भीतर, या जो उनके पास हो । “वह बात ध्यान में रखना चाहिये कि भारतियों का मूल्य सब स्थानों में बढ़ रहा है, और यदि वर्तमान समय में किसी आराजी से पूरा लाभ न मिलता हो, तो भी यह सम्भव है कि भविष्य में इस समय की सब हानि पूरी हो जायगी ।

दफा ११९ सार्वजनिक संस्थायें

१ प्रत्येक सार्वजनिक संस्था का, जो केवल म्यूनिसिपलटी के रुपये से चलाई जाती हो, प्रबन्ध, निगरानी, और शासन, बोर्ड के अधिकार में होगा ।

२ कोई अन्य सार्वजनिक संस्था, बोर्ड के अधिकार, प्रबन्ध, निगरानी, और शासन में दी जा सकती है । परन्तु शर्त यह है कि उसके सम्बन्ध में बोर्ड के स्वतन्त्र अधिकार की सीमा, नियम के द्वारा नियमित की जा सकती है ।

३ सब जायदाद, दान में लगाई हुई सम्पत्ति (Endowments) और वह कोष जो किसी ऐसी सार्वजनिक संस्था के हों जो बोर्ड के अधिकार में हो, या जो बोर्ड के प्रबन्ध, निगरानी, और शासन, में देदी जाय, इस अभिप्राय के लिये कि बोर्ड के पास

अमानत की तरह रहने जिस अभिप्रायके लिये कि ऐसी जायदाद, दानमें लगाई हुई सम्पत्ति और कोष, उस समय कानून के अनुसार लगाये जा सकते थे, जब कि वह सस्था इस प्रकार बोर्ड के अधिकार में आई थी, या बोर्डके प्रबन्ध, निगरानी, और शासन में दी गई थी।

४ परन्तु शर्त यह है कि इस दफा के पूर्वोक्त हुक्मों में किसी बात से यह न समझा जायगा, कि किसी अमानत वाली जायदाद को चैरिटेबिल एन्डाऊमेन्ट्स ऐक्ट, सन १८९० (Charitable Endowments Act of 1890) के अनुसार, दानमें लगाई हुई सम्पत्ति के खजानची (Treasurer of Charitable Endowments) के अधिकार में दिये जाने की मनाही है।

दफा १२० म्युनिसिपलटीके कोष और जायदादका काममें लगाया जाना

१ म्युनिसिपलटी का कोष और सब जायदाद जो किसी बोर्ड के अधिकार में हो उन मतलबोंमें, चाहे वह स्पष्ट हो या उपलक्षित (Express or implied) लगाई जायगी जिनके लिये इस कानून या अन्य किसी कानून के द्वारा, या उसके अनुसार, बोर्ड को अधिकार दिये गये हों या कर्तव्य या जिम्मेदारियां लगाई गई हों।

२ परन्तु शर्त यह है कि बोर्ड म्युनिसिपलटी की हदों के बाहर भाराजी प्राप्त करने या किराये पर लेने, या उक्त हदों के बाहर किसी काम के बनाने में, कुछ व्यय न करेगा सिवाय—

(ए) प्रान्तीय सरकार की मजूरी से, और

(बी) ऐसे बन्धेजां और शर्तों के अधीन, जो प्रान्तीय सरकार लगाये।

३ यह भी शर्त है कि बोर्ड की निम्नलिखित जिम्मेदारियां, और भारों को, जिस क्रम से वह नीचे लिखी गई हैं, पहिला स्थान दिया जायगा—

(ए) वह जिम्मेदारियां और भार जो किसी ऐसी अमानत (Trust) के कारण उत्पन्न हो, जो कानून के अनुसार बोर्ड को सौंपी गई हों, या जिसको उसने स्वीकार कर लिया हो।

(बी) किसी ऐसे ऋण का, और उसके सूद का अदा किया जाना, जो लोन्ड आथॉरिटीज लोन्स ऐक्ट, सन १९१४ के अनुसार, लिया गया हो।

(सी) कर्मचारियों के वेतन इत्यादि का अदा किया जाना, जिनमें वह चन्दे की रकमें, जिनका वर्णन दफा ७८ में है, शामिल होंगी, और किसी ऐसे एक्जिज्यूटिव अफसर का वेतन, एलाउण्ड्स, और पेन्शन, जिसको सरकार ने नियुक्त किया हो, भी शामिल होंगी।

(डी) कोई ऐसी रकम जिसको म्युनिसिपलटी के कोष से अदा किये जाने का हुक्म दफा ३५ की उप दफा (३), या दफा ३६ की उप दफा (२), या दफा १३६ या दफा १६३ की उप दफा (३), या दफा ३२० की उप दफा (३), के अनुसार दिया गया हो।

२ इस दफा में किसी यात का यह मतलब न माना जायगा कि उसके द्वारा किसी स्थानीय अधिकारी को अधिकार दिया गया है कि—

(ए) वह किसी ऐसे मतलब के लिये भ्रण ले या रुपया खर्च करे जिसमें अपने कोष को लगाने के लिये उसको प्रचलित कानून के अनुसार अधिकार नहीं दिया गया है ।

(बी) वह ऐसे बिल तथा प्रामेसरी नोटों को जारी करके रुपया कर्ज ले जिनमें किसी ऐसे ही अधिकार के भीतर रुपया चुकाने की शर्त हो जो अत्रि कि बारह मास से कम हो ।

—दफा १२० की उप दफा (३) के द्वारा बोर्ड के लिये आज्ञा दी गई है कि म्यूनिसिपलटी का रुपया खर्च करने में यह ध्यान रखे कि रुपया कामों में उस क्रम से लगाया जाय जो क्रम कि उक्त उप दफा में नियमित है । अर्थात् सब से पहले किसी ट्रस्ट (Trust) की जिम्मेदारियों के पूरा करने में रुपया लगाया जाय, तत्पश्चात् म्यूनिसिपलटी का भ्रण और उसका सूद अदा किया जाय । उसके पश्चात् जो रुपया बचे उसमें से पहले कर्मचारियों का वेतन आदि दिया जाय । इत्यादि

दफा १२१ कोई रकवा म्यूनिसिपलटी न रहने पर म्यूनिसिपल कोषका ठिकाने लगाया जाना

१ जब दफा ३ के अनुसार दिये हुये किसी विज्ञापन के कारण कोई स्थानीय रकवा म्यूनिसिपलटी न रहे, और वह किसी अन्य स्थानीय अधिकारी की निगरानी और अधिकार में तुरन्त दे दिया जाय, तो म्यूनिसिपलटी का कोष, और यह जायदाद जो बोर्ड के अधिकार में हो, ऐसे दूसरे स्थानीय अधिकारी के अधिकार में आ जायगी, और बोर्ड के ऊपर जो भार हागे, वह बटल के, ऐसे अधिकारी के जिम्मे हो जायगे ।

२ जब इसी प्रकार, कोई स्थानीय रकवा म्यूनिसिपलटी न रहे, और वह किसी दूसरे स्थानीय अधिकारी की निगरानी और अधिकार में तुरन्त न दिया जाय, तो म्यूनिसिपल कोष में जितना रुपया बचा हुआ होगा, और जो जायदाद कि बोर्ड के अधिकार में होगी, वह श्रीमान भारत सम्राट के अधिकार में हो जायगी, और बोर्ड का भार बटल के भारत मन्त्री के जिम्मे हो जायगा ।

दफा १२२ रकवा म्यूनिसिपलटीमें शामिल न रहने पर म्यूनिसिपल कोषको ठिकाने लगाना

१ जब दफा ३ के अनुसार दिये हुये किसी विज्ञापन के कारण कोई स्थानीय रकवा किसी म्यूनिसिपलटी में सम्मिलित न रहे, और वह किसी दूसरे स्थानीय अधिकारी की निगरानी और अधिकार में तुरन्त दे दिया जाय, तो म्यूनिसिपलटी के कोष का, और दूसरी जायदाद का जो बोर्ड के अधिकार में हों उतना भाग उक्त स्थानीय अधिकारी के अधिकार में आ जायगा, और बोर्ड के भारों का उतना भाग उक्त स्थानीय अधिकारी के जिम्मे हो जायगा, जितना कि प्रान्तीय सरकार, बोर्ड और उक्त स्थानीय अधिकारी से सलाह करने के पश्चात्, विज्ञापन के द्वारा प्रकाशित कर दे ।

२ इसी प्रकार जब कोई स्थानीय रकवा किसी म्यूनिसिपलटी में सम्मिलित न रहे, और वह किसी दूसरे स्थानीय अधिकारी की निगरानी और अधिकार में न दिया जाय,

तो म्यूनिसिपलटी के कोष का, और दूसरी जायदाद का जो बोर्ड के अधिकार में हो, उतना भाग, श्रीमान भारत सम्राट के अधिकार में आ जायगा, और बोर्ड के भारों का उतना भाग भारत मन्त्री और उनकी कौन्सिल के जिम्मे हो जायगा, जितने का प्रांतीय सरकार, बोर्ड से सलाह करने पर, और किसी ऐसी दरखास्त पर विचार करने के पश्चात्, जो म्यूनिसिपलटी से बाहर निकले हुये रकबे के निवासियों की ओर से पेश की जाय, विज्ञापन के द्वारा प्रकाशित कर दे।

३ परन्तु शर्त यह है, कि जब म्यूनिसिपलटी के बाहर निकाला हुआ कोई रकबा, किसी ऐसे स्थानीय अधिकारी की निगरानी में दिया जाय, जिसका अस्तित्व (वजूद) इस प्रकार बाहर निकाले जाने की तारीख से पूर्व नहीं था, तो प्रांतीय सरकार को चाहिये कि उप दफा (१) के अनुसार विज्ञापन देने से पूर्व किसी ऐसी दरखास्त पर विचार करे, जो बाहर निकाले हुये रकबे के निवासी पेश करे।

४ यह भी शर्त है कि इस दफा के पूर्वोक्त हुक्म, किसी ऐसी दशा में लागू न होंगे, जिसमें कि प्रांतीय सरकार की रायमें, हालातों पर दृष्टि करके, यह अनुचित हो, कि म्यूनिसिपलटी के कोष का, अथवा म्यूनिसिपलटी के भारों का, कोई भाग बदलके किसी दूसरे को दिया जाय, या किसी दूसरे पर डाला जाय।

दफा १२३ दफा १२१ व १२२ के द्वारा मिली हुई जायदाद का सरकार द्वारा काम में लगाया जाना

किसी बोर्ड का म्यूनिसिपल कोष, या उसका कोई भाग, या बोर्ड की अन्य जायदाद, जो दफा १२१ या दफा १२२ के हुक्मों के अनुसार, श्रीमान भारत सम्राट को प्राप्त हो, पहिले बोर्ड के किसी ऐसे भारों के चुकाने में लगाया जायगा, जो उक्त हुक्मों के अनुसार, भारत मन्त्री और उनकी काउन्सिल के जिम्मे कर दिये गये हों, और उसके बाद उक्त स्थानीय रकबे के निवासियों के लाभ के कामों में लगाया जायगा।

दफा १२४ बोर्डका अधिकार जायदाद अलग करनेका

१ किसी ऐसे बन्धेज के आधीन, जो इस ऐक्ट के द्वारा, या इस ऐक्ट के अनुसार, लगाया गया हो, बोर्ड, किसी जायदाद को, जो उसके अधिकार में हो, और जो ऐसी जायदाद न हो जो अमानत की तरह बोर्ड के कब्जे में हो और जिसके विषय में ऐसी शर्तें हों कि वह इस प्रकार अलग किये जाने में बाधक हों, बेचके, आड करके, पट्टे पर देके, हिवा (Gift) करके, बदला बदला (Exchange) करके, या किसी अन्य प्रकार, अलग कर सकता है।

२ उप दफा (१) के हुक्मों के होते हुये भी, बोर्ड प्रांतीय सरकार की मजूरी से किसी ऐसी जायदाद को, जो बोर्ड के अधिकार में हो, श्रीमान भारत सम्राट को दे सकता है (हक में मुन्तकित कर सकता है) परन्तु इस प्रकार नहीं दे सकता कि किसी अमानत (Trust) पर, या जनता के किसी हक पर, जिसके आधीन ऐसी जायदाद हो, अमर पड़े।

३ परन्तु शर्त यह है कि उपदफा (१) के अनुसार, प्रत्येक इन्तकाल (दे दिया जाना), सिवाय किसी ऐसे पट्टे के जो एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिये न हो, लिखित दस्तावेज के द्वारा किया जायगा, जिस पर भूमिसिपलटी की आम मुहर (Commonseal) लगाई जायगी, और जिसमें अन्य प्रकार वह सब शर्तें काम में लाई जायगी जो इस ऐक्टके द्वारा, या इस ऐक्टके अनुसार, मुआहदोंके सम्बन्धमें लगाई गई हों ।

व्याख्या—

विज्ञापन No 1906 XI 6 H तारीख ५ जुलाई सन् १९१६ ई० के द्वारा निम्न लिखित नियम बोर्ड द्वारा जायदाद अलग किये जानेके विषयमें बना दिये गये हैं —

१ इन नियमोंमें, शब्द “ जायदाद गैरमनकूला ” (स्थावर) और “ मनकूला ” (जड़म) का जहां कहीं वे आवें, वही अर्थ होगा जो संयुक्त प्रान्तके जनरल क्लॉजेज एक्ट सन १९०४ ई० (U P General Clauses Act of 1904) में उसको दिया गया है । परन्तु जय जायदाद मुन्तकिल (अलग) करना हो तो ऐसा कानून इन्तकाल जायदाद सन १८८२ ई० (Transfer of Property Act, of 1882) के हुक्मोंके अधीन होगा ।

२ जायदाद गैरमनकूला (स्थावर) को, जो बोर्डके अधिकारमें हो सिवाय कमिश्नरकी पहलसे मजूरी प्राप्त किये हुये और सिवाय उन शर्तोंके अधीन जो कमिश्नर मंजूर करे, बेचने, भाद करने, या उसके ऊपर कोई भार (Charge) डालने या बदला बदला करनेके द्वारा, या किसी अन्य प्रकार सिवाय ऐसे पट्टेके द्वारा जिसमें कोई जर पेशगी (Premium) न लिया गया हो बोर्ड अलग न करेगा—यदि जायदादका मूलधन (Capital Value) पाच सौ रुपयेसे अधिक न हो तो वपरोक्त नियमोंमें जो अधिकार कमिश्नरको है वह जिला मजिस्ट्रेटको होगा ।

३ किसी ऐसी जायदाद गैरमनकूला, जो बोर्डके अधिकारमें हो, का ऐसा पट्टा जिसमें कोई जर पेशगी न लिया जाय, बोर्ड निम्न लिखित शर्तों पर दे सकता है ।

(१) वार्षिक लगानकी एक उचित रकमके अदा किये जानेकी शर्त लगाई जाय और यह शर्त लगाई जाय कि पट्टेकी अवधि समाप्त होने तक ऐसी रकम बराबर अदा की जाती रहेगी । और

(२) पट्टा, या पट्टेका मुआहिदा किसी ऐसी अवधिके लिये बोर्डकी बिना पहलसे मजूरी लिये किया जायगा, या यदि पट्टेकी अवधि पाच वर्षसे अधिक हो परन्तु तीस वर्षसे अधिक न हो तो बिना जिला मजिस्ट्रेटकी पहलसे मजूरी लिये न दिया जायगा या यदि पट्टेकी अवधि तीस वर्षसे अधिककी हो तो बिना कमिश्नरकी पहलसे मजूरी लिये न दिया जायगा ।

परन्तु शर्त यह है कि अवधि प्रान्तमें जो लगान पट्टे पर बांधा जायगा, वह अवधिके कानून लगानके हुक्मोंके अनुसार बांधा जायगा ।

४ जय कभी कोई बोर्ड जायदाद गैरमनकूला (स्थावर) को अलग करना चाहे और उसके दाम पांच सौ रुपयेसे अधिक ठहरे हों या जय कभी लैंडएक्वीजिशन ऐक्ट सन १९१४ ई० (Land Acquisition Act 1924) के अनुसार किसी ऐसी जायदाद गैरमनकूला के विषयमें कोई कार्रवाई की जाय जिसका मूल्य पाच सौ रुपयेसे अधिक हो, बोर्ड कमिश्नरसे दरखास्तके द्वारा आज्ञा मांगेगा कि जो रुपया जायदादके बदले मिलनेकी सम्भावना है वह कुछ

या उसका कुछ भाग ब्याज आदि पर लगाया जाय कि नहीं। और कमिश्नरकी जो आज्ञा ऐसी दरखास्त पर हो बोर्ड उसका पालन करेगा।

५ (१) कोई जायदाद मनकूला (जड़म) जो बोर्डके अधिकारमें हो सिवाय उन जमानतों (Securities) के जो ऐक्टकी दफा ११५ की उपदफा (३) में अंकित हैं, या जिनका उसमें उल्लेख है, या जो इन नियमोंके प्रकाशित होनेके समय बोर्डके नामसे एकाउन्टेण्ट जनरल (Accountant General) की किताबोंमें या किसी रेलकी या अन्य कम्पनीकी किताबोंमें हों उनको बोर्ड जिस प्रकार चाहे, ऐसी शर्तोंके अधीन जो बोर्ड मीटिंगमें रेजिस्ट्रारके द्वारा उचित समझे अलग कर सकता है।

(२) वह जमानतें (Securities) जो इस नियमके ऊपर वाले पैरामें वर्णित हैं उनको बोर्ड बिना सरकारकी पहलेसे मजूरी लिये हुये किसी प्रकार अलग नहीं कर सकता।

६ उपरोक्त नियमोंकी किसी बातका लोकल अथारिटीज लोनस ऐक्ट सन् १९१४ ई० (Local Authorities Loans Act 1914) पर कोई अमर न होगा, जिसके अनुसार (सिवाय उन दफाओंके जिनका हुकम उस ऐक्टमें अथवा उसके अनुसार बनाये हुये नियमोंमें है) किसी बोर्डको अधिकार नहीं है कि वह अपने कोषकी जमानत पर रपया कर्ज ले या किसी क्रणका भार अपने कोष पर डाले।

७ इन नियमोंमें जहां कहीं हुकम है कि जिला मजिस्ट्रेटकी या कमिश्नरकी या सरकारकी पहलेसे मजूरी किसी ऐसी जायदादको अलग करनेके लिये ली जाय जो बोर्डके अधिकारमें हो तो जिस दस्तावेजके द्वारा जायदाद अलग की जाय उसमें यह बात दर्ज होना चाहिये कि जिला मजिस्ट्रेट कमिश्नर या सरकार की मजूरी अर्थात् जैसी दशा हो प्राप्त कर ली गई है।

—आम सुहरके लिये देखिये दफा ६ और उसकी व्याख्या।

—भारती नजूलके अलग किये जानेके लिये देखिये दफा ११८ और उसकी व्याख्या।

दफा १२५ म्यूनिसिपल कोषसे मुआवजा (बदलाव) दिया जाना

बोर्ड म्यूनिसिपलटी के कोष में से किसी ऐसे शख्स को मुआवजा (Compensation) दे सकता है, जिसको किसी ऐसे अधिकार के बरते जाने के कारण हानि पहुँचे, जो इस कानून या अन्य किसी कानून के अनुसार बोर्ड, या उसके अफसरों, या कर्मचारियों को प्राप्त हुआ हो, या दफा ३४ के अनुसार, प्रान्तीय सरकार, या कमिश्नर, या जिला मजिस्ट्रेट, को प्राप्त हुआ हो, और यदि उस शख्स का जिसको हानि पहुँचे उस मामले में दोष न हो, जिस मामले के सम्बन्ध में कि वह अधिकार बरता गया हो, तो ऐसा मुआवजा देना बोर्ड के लिये आवश्यक होगा।

व्याख्या—

मुआवजे की सत्ता निर्णय करने में यदि झगडा हो, उसके लिये देखिये दफा ३२४। इस रत बनाने की अर्जिया के सम्बन्ध में मुआवजा देने की, बोर्ड की जिम्मेदारी के विषयमें देखिये दफा १८३ और २२२ (५)। इसमें नुकले हुये भागों के तोड़े जाने के विषयमें देखिये दफा २११। सहज से जल उठने वाले छायन के हटाये जाने के विषयमें देखिये दफा २५७। छत्ती के सम्बन्धमें किसी प्रकारकी मनाही कर दिये जाने के मुआवजे के विषयमें देखिये दफा २८२ (२)।

दफा १२६ मेलों इत्यादिमें पुलिसके द्वारा विशेष रक्षा किये जाने का खर्च बोर्ड द्वारा दिया जाना

१ जब प्रान्तीय सरकारकी रायमें किसी मेले या कृषि सम्बन्धी प्रदर्शनी (जराभती नुमाइश—(Agricultural Exhibition), या कारीगरी की प्रदर्शनी, के सम्बन्ध में, जिसका प्रबन्ध बोर्ड कर रहा हो, पुलिस के द्वारा विशेष रक्षाकी आवश्यकता हो, तो प्रान्तीय सरकार ऐसी रक्षा का प्रबन्ध कर सकती है, और बोर्ड ऐसी रक्षा का कुल खर्च अदा करेगा, या उसका उतना भाग अदा करेगा जितना कि प्रान्तीय सरकार न्याय की दृष्टि से, बोर्ड की ओर से दिया जाना उचित समझे ।

२ यदि वह रकम जो बोर्ड के ऊपर डाली गई हो अदा नहीं की जाय तो जिला मजिस्ट्रेट यह हुकम दे सकता है कि वह शख्स जिसके कब्जे में म्यूनिसिपलटी का कोष हो, ऐसे खर्च को उक्त कोष से दे ।

दफा १२७ म्यूनिसिपल कोष और जायदादसे सम्बन्ध रखने वाली अन्य बातें

निम्न लिखित मामलों का प्रबन्ध उन नियमों के अनुसार होगा, और वह उन नियमों के अधीन होंगे, जो प्रान्तीय सरकार, दफा २९६ के अनुसार, बनाये अर्थात्—

- (ए) यह कि किसके हुकम से म्यूनिसिपलटी के कोष से रुपया दिया जा सकता है ।
- (बी) शर्तें जिनपर बोर्ड कोई जायदाद प्राप्त कर सकता है, या जिन पर कोई ऐसी जायदाद, जो बोर्डके अधिकार में हो, बेच के बधवा (रेहन) कर के, पट्टे पर दे के, बदला बदला करके, या अन्य प्रकार अलग की जा सकती है ।
- (सी) म्यूनिसिपल कोष और म्यूनिसिपल जायदाद के सम्बन्ध में कोई और मामला जिसके विषयमें ऐक्टमें कोई हुकम न हो, या काफ़ी हुकम न हो, और जिसके विषय में हुकम होना आवश्यक हो ।

व्याख्या—

हॉज (ए) के सम्बन्ध में म्यूनिसिपल एकाउन्ट कोड में, नियम के द्वारा, आज्ञा दी गई है, कि जो रुपया म्यूनिसिपल कोष से दिया जाय, वह चेक (Cheque) के द्वारा दिया जाय, जिस पर चेयरमैन के, या एक्जिक्यूटिव अफसर के, या वार्ड्स चेयरमैन के, या बोर्ड के सदस्यों के दस्तपत्र हों । उस रुपये से कम की रकमों, और चुगी की कोई वापसी (यदि वापसी लेने वाला ऐसा चाहे) उस रकमों से जो किसी अफसर के पास जमा रखी जाती है (Advance) नक़्द दी जायगी । ऐसी पेशगी रकम उन अफसरों के पास जमा रखी जाती हैं जिनका छोटे छोटे खर्च करना पड़ा करते हैं, और जिनका रुपया किंशुन्त देना पड़ता है ।

—भारतियों के भाग दबा लेने से जनता को रोकने के लिये (Prevention of Encro-

achments) और द्वाये हुये भागों का पता लगाने के लिये ऊँज (सी) के अनुमार नीचे लिखे नियम बनाये गये हैं —

१ प्रत्येक बोर्ड को चाहिये कि म्यूनिसिपलटी का एक नकशा तैयार करे, और उसको कायम रखने का प्रबन्ध करे। नकशा स्केल (Scale) पर खींचा जाना चाहिये और सय सड़कों तथा सार्वजनिक स्थानों की जगह उसमें दिखाई जाना चाहिये।

२ प्रत्येक बोर्ड को यह प्रबन्ध करना चाहिये कि—

- (ए) वह कर्मचारी या (एक से अधिक कर्मचारी), जो इस अभिप्रायसे नियत किया जाय, या जिसको इस अभिप्राय से अधिकार दिया गया हो, चेयरमैन को, या पब्लिकव्यूटिव अफसर को, जहा कहीं कोई भाग किसी सड़क या स्थान का, दया लिया जाय, तुरन्त रिपोर्ट (सूचना) दे। और
- (बी) प्रत्येक मास ऐसा कर्मचारी (या एक से अधिक कर्मचारी) इस बात का सटी फिकेट दें, कि गत मास में सिवाय उन स्थानों के जिनके विषयमें सूचना दी जा चुकी है, और किसी स्थान में कोई भाग दबाया नहीं गया है।
- (सी) ऐसा कर्मचारी (या एक से अधिक कर्मचारी) म्यूनिसिपलटी के नक़्शे से प्रति वर्ष प्रत्येक सार्वजनिक सड़क और स्थान के क्षेत्र फल (रकबा) और चौड़ाई की जाच और मिलान करे, और जो अन्तर दोनोंमें हो उसकी रिपोर्ट दे



प्रकरण ५

म्यूनिसिपलटी के कर (Municipal Taxation)

करोंका लगाया जाना और उनमें परिवर्तन किया जाना (Imposition and Alteration of Taxes)

दफा १२८ कर जो लगाये जा सकते हैं

१ किसी ऐसे साधारण नियमों और विशेष हुकमों के आधीन, जो प्रान्तीय सरकार ने इस अभिप्राय से बनाये या दिये हों, कर (टैक्स) जो बोर्ड समस्त म्यूनिसिपलटी में, या उसके किसी भाग में लगा सकता है निम्नलिखित हैं —

- (१) इमारतों या भराजियों, या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर ।
- (२) व्यापारों तथा व्यवसायों पर कर जो व्यापार या व्यवसाय कि म्यूनिसिपलटी की हद्दों के भीतर किये जाते हैं ।
- (३) व्यापारों (Trades), व्यवसायों (Callings), और कामों (Vocations) पर, कर जिनमें ऐसे सब काम भी शामिल समझे जायगे, जिनका बदलाव (Remuneration) वेतन अथवा फीसके द्वारा दिया जाता हो ।
- (४) गाड़ियों तथा अन्य सवारियों पर कर, जो किराये पर चलाई जाती हों या म्यूनिसिपलटी के भीतर रखी जाती हों, या ऐसी नावों पर कर जो म्यूनिसिपलटी के भीतर धांधी जाती हों ।
- (५) इन छुनों पर कर जो म्यूनिसिपलटी के भीतर रखे जाते हों ।
- (६) इन पशुओं पर कर खवारीके, या गाड़ी में जोतने के, या बोझा रीचने अथवा लादने के काम में आते हों, उस दशा में जब कि वह म्यूनिसिपलटी के भीतर रखे जाय ।
- (७) गाड़ियों (Vehicles) तथा अन्य सवारियों पर और बोझा लादे हुए छुलियों पर, जो म्यूनिसिपलटी में प्रवेश कर (दाखिल हों) प्रदेश कर (Toll) ।
- (८) छुगी (Octroi), इन वस्तुओं या पशुओं पर, जो म्यूनिसिपलटी में रचने होनेको, या काममें लाये जानेको, उसके भीतर लाई या लाये जायें
- (९) निवासियों पर कर, जो उनकी हैसियत (आर्थिक स्थिति) और जायदादपर (Circumstances & Property) कृता (Assessed) जाय ।

- (१०) पानी का कर, इमारतों, या आराजियों, या दोनों के, वार्षिक मूल्य पर ।
- (११) मैला और कूड़ा उठवाने का कर ।
- (१२) पाखानों और पेशावखानों के साफ कराने का कर ।
- (१३) किसी ऐसे माल पर कर, जो किसी ऐसी म्यूनिसिपलटीके भीतर लाया जाय, या उसके बाहरले जाया जाय, जिस म्यूनिसिपलटीमें कि तारीख एक्ट नं० १ सन १९१८ई० ६, जुलाई सन १९१७ई० को चुगी का टैक्स लगा हुआ हो । या गवर्नर जनरल और उनकी कौंसिल की मंजूरी से, किसी अन्य म्यूनिसिपलटी में भी (उक्त कर लगाया जा सकता है)
- (१४) कोई अन्य कर जिसके गवर्नमेण्ट आव् इंडिया एक्ट की दफा ८० ए की उप दफा (३) के क्लॉज (ए) के अनुसार बनाये हुए नियमों के अनुसार, लगाने का अधिकार, बिना गवर्नर जनरल की मंजूरी पहले से प्राप्त किये हुए, किसी ऐसे कानून के द्वारा जो कि प्रान्तीय व्यवस्थापक काउन्सिल (Local legislature) ने बनायाहो, किसी स्थानीय अधिकारी को दिया जा सकता हो ।
- (१५) कोई कर जिसके लगाने का अधिकार क्लॉज (१) से क्लॉज (१३ ए) तक में न दिया गया हो, और जिसके लगाने की मंजूरी प्रान्तीय सरकारने दे दी हो और दफा १३३ की उप दफा (३) के अनुसार, जिस मंजूरी का समर्थन कि गवर्नर जनरल और उनकी कौंसिल ने तय कर दिया हो ।

२. परन्तु शर्त यह है कि उप दफा (१) के क्लॉज (३) और (९) में अंकित किये हुये कर एक साथ नहीं लगाये जायगे, न उपदफा (१) के क्लॉज (८) के अनुसार चुगी, और उपदफा (१) के क्लॉज (१३) में अंकित किया हुआ कर, एक साथ लगाये जायगे ।

व्याख्या—

“करों के लगाने का मुख्य अभिप्राय यह होना चाहिये कि म्यूनिसिपलटी का खर्च निकल आये । इस असूल को तभी छोड़ना चाहिये जब कि कोई विशेष आवश्यकता आ पड़े । जिस किसी म्यूनिसिपलटी में सब प्रकार के व्यय के पश्चात्, करों की कोई रकम बच रहा करती हो, उस म्यूनिसिपलटी के विषयमें यह समझना चाहिये कि उसको करों में कमी कर देने के उपाय करना चाहिये” ।

(देखिये—गवर्नमेण्ट आव् इण्डिया का रेजोल्युशन No. 2312-A, तारीख पहिली मई, सन् १९०१ ई०)

—दफा १२८ की उप दफा (१) में अंकित किये हुये कर दो प्रकार के हैं, अर्थात्—

(अ) सीधे (Direct), और (आ) परोक्ष (In direct) । ‘हैमियत और जायदाद पर’ का टैक्स सीधे (Direct) कर का एक उदाहरण है । अधिकांश देशों के नगरों की म्यूनिसिपलटियों का शुकाय अम सीधे करों की ओर है, और उनमें परोक्ष करों के बदले सीधे का लगाये जा रहे हैं । संयुक्त प्रान्त की म्यूनिसिपलटियों में भी “हैमियत और जायदाद” की सीधा कर

सुगी की जगह (जो एक परोक्ष कर है) लगाया गया था । किन्तु अनेक कारणों से उसको उठाके सुगी फिर से प्रचलित कर दी गई है ।

साधे करों में से कौन से लगाये जायें, इस बातके निश्चय करने में दो प्रधान वसूल ध्यान में रखना चाहिये । प्रथम तो यह कि, जो निर्दिष्ट सेवायें म्यूनिसिपलटी जनता की करे उनके बद्दलाव, प्रथमा उजरत, के कर म्यूनिसिपलटी को अवश्य लगा देना चाहिये । जैसे पानी का टैक्स, कूड़ा साफ कराने का टैक्स, तथा मैला उठवाने का टैक्स । दूसरे यह कि प्रत्येक शास्त्र की, म्यूनिसिपलटी के कर देने की योग्यता के आधार पर कर लगाना चाहिये ।

सुगी, प्रवेश कर (Toll), और टर्मिनल टैक्स (Terminal tax) परोक्ष करके उदाहरण हैं । यह कर 'परोक्ष' इस कारण कहलाते हैं कि म्यूनिसिपलटी इनको व्यापारियों से, बहुधा ऐसे माल पर, जो म्यूनिसिपलटी के भीतर लाया जाता है, ले लेती है, और व्यापारी अपने माल के दाम बढ़ाके, ग्राहकों से वसूल किया करते हैं । (देखिये, रेजोल्यूशन, No 3462x1-271 E, तारीख, १९ सितम्बर सन १९१६ ई०)

— क्लॉज (१) मकानों आदि के "वार्षिक मूल्य" की व्याख्या दफा १४० में की गई है । मकान एक ऐसी जायदाद है जिसके द्वारा, बहुधा, उसके मालिक की कर देने की योग्यता का अनुमान, ठीक २ किया जा सकता है । और म्यूनिसिपलटी के अनेक कामों से (जैसे पानी के निकास का प्रबन्ध, सफाई, सड़कें बनवाना, इत्यादि), मकानों को सीधा लाभ भी पहुँचता है, और मकानों के द्वारा एक प्रकार से, यह अनुमान भी किया जा सकता है कि मकान के रहने वाले को म्यूनिसिपलटी के कामों से कितना लाभ पहुँचता है । मकान का कर किससे घसूल किया जाना चाहिये, इसके लिये देखिये ऐक्ट की दफा १४९ ।

— (क्लॉज (२) और (३))— क्लॉज (२) में बताया हुआ कर केवल किसी २ विशेष व्यापारों तथा व्यवसायों पर लगाया जा सकता है, और उसके लिये यह बात भी आवश्यक है कि उक्त व्यापार और व्यवसाय ऐसे हों जो म्यूनिसिपलटी के भीतर ही किये जाते हों ।

— 'प्रायः देखा गया है कि म्यूनिसिपलटी योर्क यह समझते हैं, कि जिस व्यापार में अच्छा आर्थिक लाभ हो उस पर क्लॉज (२) के अनुसार विशेष कर (टैक्स) अवश्य लगा देना चाहिये; और यह कि यदि ऐसे व्यापार को सुगी के न रखे जाने से अन्य व्यापारों की अपेक्षा, कुछ अधिक लाभ पहुँचा हो, तो ऐसे व्यापार को, यह टैक्स अवश्य देना चाहिये । परन्तु, ऐसे विचारों से, किसी विशेष व्यापार पर क्लॉज (२) के अनुसार, कर लगा देना उचित न समझना चाहिये । व्यापारों में इस प्रकार के भेद कर देने की भारी जिम्मेदारी, कि किसी पर विशेष कर लगाया जाय और किसी पर नहीं, म्यूनिसिपलटियों को तब तक नहीं उठाना चाहिये, जब तक कि इस बात के भक्ति पर्याप्त प्रमाण न हों, कि किसी व्यापार को म्यूनिसिपलटी की सेवाओं से कोई विशेष लाभ पहुँचता है, या उस व्यापार के कारण म्यूनिसिपलटी के कामों पर कोई विशेष भार पड़ता है । और यदि ऐसे प्रमाण उपस्थित भी हों तो, ऐसा कर, उस व्यवसाय के आधार पर लगाना चाहिये, जो ऐसी सेवाओं के करने में म्यूनिसिपलटी को करना पड़े, न कि किसी व्यापार के नफे के आधार पर । (देखिये रेजोल्यूशन No 3463 x1 271. E ता० १९ सितम्बर, सन १९१६ ई०)

क्लॉज (३) में अंकित किया हुआ कर, एक साधारण टैक्स है, जिसके लिये वह कन्वेंजेंट नहीं रखे गये हैं जो उपरोक्त क्लॉज (२) के लिये हैं । ऐसे टैक्स की व्याख्या के अनुसार घेतन पर

नौकरी करने वालों, और बकील अधया डाक्टरों से घर कर लिया जा सकता है, किन्तु उसके क्षतिजिर्मीदारी की आमदनी नहीं आती। अतएव जिर्मीदारी की आमदनी पर, यदि म्यूनिसिपल्टी लेना चाहे, तो कर्ज (९) में अंकित किया हुआ कर लगाना चाहिये।

क्लॉज (३) के अनुसार जो टैक्स लगाया जाय उसके लिये, दफा १३३ के अनुसार, इनर की मजूरी देना आवश्यक है। और भारत सरकार की आज्ञा है कि क्लॉज (३) के अनुसार प्रस्ताव कर लगाने का किया जाय, उसकी मजूरी देने से पहले, कमिश्नर को, उस प्रस्ताव की प्रा. सरकार की सेवा में, विचार करने, और हुक्म देने के अभिप्राय से, भेजना चाहिये।

(देखिये G. O No 2386 XI-400 E, ता० २७ जुलाई, सन १९१६ ई०)

—क्लॉज (४) के अनुसार ऐसी सवारियों पर भी कर लगेगा जो म्यूनिसिपल्टी के किराये पर चलाई जाती हों, परन्तु जो म्यूनिसिपल्टी की हड़ों के बाहर रखी जाती हों।

—क्लॉज (५)—दफा २९८ की मद H, में घोड़ों को, कुत्तों की रजिस्ट्री करने, और रजि की वार्षिक फीस वाधने, का अधिकार दिया गया है। अतएव म्यूनिसिपल्टी चाहे कुत्तों पर इस के अनुसार कर प्राध दे, या चाहे २९८ (H) के अनुसार रजिस्ट्री की फीस वाध दे।

—क्लॉज (६) शब्द 'गाड़ी' की बजाय के लिये देखिये ऐक्टकी दफा २ का नं० २६

—क्लॉज (७) पानी का कर लगाने पर जो बन्देज रखे गये हैं, उनके लिये देखिये दफा १

—क्लॉज (८) मैला या पूड़ा उठाने के टैक्स पर जो बन्देज रखे गये हैं उनके लिये देखिये दफा १३० १

—क्लॉज (९) गवर्नमेण्ट आव इण्डिया ऐक्ट, सन १०१५-१६ ई० (जिसका सं. सन १९१९ ई० के ऐक्टके द्वारा किया गया है) की दफा ८०, की उप दफा, (३) का क्लॉज इस प्रकार है —

'गवर्न जनरल की मजूरी लिये बिना, किसी प्रांत की व्यवस्थापक सभा, नीचे लिखे क को नहीं बना सकती, और न उन पर विचार कर सकती है —

वह कानून जितके द्वारा कोई नया टैक्स लगाया जाता हो, या जिसके द्वारा नये टैक्स जाने का अधिकार दिया जाता हो। परन्तु बत यह है कि इस कानून के अनुसार (जहाँ वह ग. आन इण्डिया ऐक्ट के) जो नियम बनाये गये हों और उनके अनुसार जो टैक्स इस नियम से किये गये हों, उन गरी किये हुये टैक्सों में से यह टैक्स न हो।'

—कानूनों पर टैक्स, हैसियत और जायदादपर टैक्स (Circumstances & Proper और व्यापारों तथा व्यवसायों, और कामों, पर टैक्स लगाने के विषय में, रेजोल्यूशन No ६ XI 271 E ता० १९ सितम्बर, सन १९१६ ई० की यह आज्ञा है:—

ये सब टैक्स वास्तव में आमदनी के टैक्स हैं और इनके विषय में कुछ असूल हैं, और, घोड़ों का ध्यान, जितना अधिक दिखाना जाय उतनाही कम है।

यह सब असूल यह होना चाहिये कि आमदनी की, एक कम से कम रकम, प्राध दी चाहिये, कि जिससे कम की आमदनी पर ऐसा कोई कर न लगाया जाय। अत्यन्त गरियों की के लिये यह करना आवश्यक है। इस कम से कम रकम के बाधने में यह ध्यान रखना कि म्यूनिसिपल्टी की आमदनी की सहाय भी हो। और साथ ही साथ, ऐसा न हो, कि य

गरीबों के लूट जाने के कारण, उन लोगों पर जिनकी आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी है टैक्स का अधिक प्रोत्साहन पड़ जाय। ऐसी कम से कम रकम, किसी हद तक में, १००) रुपये वार्षिक आमदनी से कम न बांधी जाय।

दूसरा उसूल यह है कि, कर की एक ऐसी रकम भी निश्चय कर देना चाहिये, कि जो अधिक से अधिक किसी सही जा सके। अमीरों की रक्षाके लिये यह आवश्यक है कि उनको भी म्यूनिसिपल्टी की सेवाओं के लिये कोई ब ठिकाने बड़ी रकम देना पड़े।

तीसरा उसूल यह है कि ऐसे करों की दर, या उनकी दरया, आमदनी की छोटी २ रकमों पर घटाई घटाई न जाय, अर्थात् आमदनी के थोड़े २ अन्तर के लिये ऐसे करों की दरया, या दर भिन्न २ न होना चाहिये, वरन आमदनी के बड़े २ दरजे बना देना चाहिये, और प्रत्येक दरजे के लिये एक निश्चित रकम कर की बांध देना चाहिये, विशेष कर उन दरजों के लिये जिनकी आमदनी नीची हो।

—उप दफा (२) का आशय यह है कि कोई दो ऐसे कर किसी म्यूनिसिपल्टी में न लगाये जायें, जिनके कारण निवासियों की आमदनी पर, या म्यूनिसिपल्टी में आने वाली वस्तुओं पर दोहरा कर लग जाय। जैसे क्लॉज (३) में अंकित किया हुआ, व्यापार आदि का कर, और क्लॉज (९) में बताया हुआ हैसियत और जायदाद का कर दोनों आमदनी पर कर हैं। अतएव किसी म्यूनिसिपल्टी को यह दोनों कर एक साथ नहीं लगाना चाहिये।

—रेलवे पर टैक्स लगाने का अधिकार —

जब तक कि गवर्नर जनरल और उनकी कौंसिल के विज्ञापन के द्वारा, जो इंडियन रेलवेज ऐक्ट सन १८९० ई० की दफा १३५ (१) के अनुसार दिया जाय, यह प्रकाशित न कर दिया जाय कि किसी रेलवे कम्पनी पर कोई विशेष कर लगाया जा सकता है, तब तक किसी म्यूनिसिपल बोर्ड को उससे किसी प्रकार का कर लेने का अधिकार न होगा। और जब कोई म्यूनिसिपल्टी किसी रेलवे कम्पनी पर कर लगाना चाहे तो, उसके विषय में कमिश्नर को दरएवास्त देना चाहिये।

“इंडियन रेलवेज ऐक्ट, सन १८९० ई० (Indian Railways Act 1890) की दफा १३५ (१) का आशय यह नहीं है कि रेलों के प्रबन्धकर्ताओं पर किसी स्थायी टैक्स के देने की जिम्मेदारी न टाली जाय,। आवश्यकता केवल इतनी है कि स्थायी अधिकारियों के लाभ के लिये, रेलों को बहुत सा कर न देना पड़ जाय। जो विशेष सेनायें म्यूनिसिपल्टी रेलवे की करे। जैसे पानी पट्ट्याना नथवा सफाई कराना, इत्यादि, उनका कर रेलों की कम्पनियों को अवश्य देना चाहिये। और, कोई कारण नहीं कि, जायदाद के अन्य मालिकों के समान, रेल की कम्पनी भी अपनी जायदाद पर म्यूनिसिपल्टी आदि के साधारण कर क्यों न दें। (देखिये गवर्नमेण्ट आण इंडिया, पब्लिक वर्क्स विभाग, का पत्र No 20 R T तारीख ७ जनवरी, सन १९०१ ई०)।

—निम्नलिखित रेलवे कम्पनियों के विषय में गवर्नर जनरल और उनकी कौंसिल के द्वारा यह प्रकाशित कर दिया गया है, कि नीचे लिखी म्यूनिसिपल्टियों में उनको वह कर जो प्रत्येक म्यूनिसिपल्टी के नाम के सामने दजे हैं, देना होंगे —

अवध और रुहेल खण्ड रेलवे

यनारस म्यूनिसिपल्टी

... सकाओं का टैक्स, और पाठ का महसूल

इलाहाबाद	„	मकानों का टैक्स, और पानी का महसूल
कानपुर	„	” ” ”
लखनऊ	„	पानी का महसूल, और पहिये का टैक्स
उज्जैन	„	मकानों का टैक्स
सीतापुर	„	” ” ”
सुलतानपुर	„	” ” ”
मुरादाबाद	„	इमारतों और आराजियों का टैक्स

ग्रेट इंडियन पेनिन्सुला रेलवे

कानपुर	„	मकानों का टैक्स और पानी का महसूल
उरई	„	मकानों का टैक्स
आगरा	„	पानी का महसूल और मकानों का टैक्स
झांसी	„	मकानों का महसूल

रुहेलखण्ड और कमायूं रेलवे

बरेली	„	मकानों का टैक्स
मुरादाबाद	„	सफाई का टैक्स, और इमारतों तथा आराजियों का टैक्स
हल्द्वानी-नोटिफाईड एरिया	„	मकानों का टैक्स
लखीमपुर म्यूनिसिपलटी	„	मकानों का टैक्स
सीतापुर	„	” ”

बंगाल और नार्थ-वेस्टर्न रेलवे

बनारस	„	मकानों का टैक्स, तथा पानी का महसूल
-------	---	-----	-----	------------------------------------

बाम्बे बरौदा और सेंट्रल इंडिया रेलवे

कानपुर	„	मकानों इमारतों और आराजियों का टैक्स और पानी का महसूल।
आगरा	„	मकानों, इमारतों, और आराजियों का टैक्स

ईस्ट इंडियन रेलवे

इलाहाबाद	„	पानी का महसूल और मकानों का टैक्स
कानपुर	„	” ” ” ”
आगरा	„	” ” ” ”

(द्वितीय म्यूनिसिपल मैनुअल के पन्ने २२९--२३०)

--मकानों और इमारतों का कोई टैक्स, रेलवे की इमारतों के वन भागों पर नहीं लगाया जाये जो विशेष कर सर्वसाधारण के आराम के लिये कायम रखे जाते हों जैसे मुसाफिरों के लिये।

स्टेशन, प्लेटफारम, या मुसाफिरों के ठहरने के कमरे । ऐसी इमारतों पर कर लगाना चाहिये जिनमें दफ्तर हों, या जो रहने के काम में आती हों, या जो मालगोदांम हों, या जो माल लाने ल जाने के कामों के सम्बन्ध में बनाई जायें ।

(देखिये G O No, 1345 XII C तारीख ३ मई सन १९०२ ई०)

दफा १२९ पानीके महसूलके लगाये जानें पर बन्धेज

दफा १२८ की उपदफा (१) के क्लॉज (१०) के अनुसार किसी महसूलका लगाया जाना नीचे लिखे बन्धेजोंके आधीन होगा अर्थात्—

(ए) यह कि ऐसी आराजी पर महसूल न लगाया जायगा जो केवल कृषि के अभिप्रायोंके काममें आती हो, या जब वह चीज जिस पर महसूल लगाया जाय कोई ऐसी आराजीका टुकड़ा, या इमारत हो जिसकी व्याख्या आगे दी गई है किसी ऐसे आराजीके टुकड़े, या इमारत पर महसूल न लगाया जायगा जिसका कोई भाग सबसे पास वाले पानी के बन्धे (Stand Pipe) या पानीके अन्य ऐसे कामसे जो बोर्डने जनताको पानी पहुँचानेके लिये लगाया या बनाया हो, ऐसे घेरेके भीतर न हो जो प्रत्येक म्यूनिसिपलटीके लिये इस विषयमें नियमके द्वारा नियत कर दिया जाय । और

(बी) यह कि महसूल केवल इस आशयसे लगाया जाय कि म्यूनिसिपलटी के पानीके कारखानेके बनाने, कायम रखने, विस्तृत करने, या उसकी उन्नति करनेके सम्बन्धमें जो व्यय लगे वह प्राप्त हो जाय और यह कि जो रुपया इस महसूलके द्वारा मिले वह केवल उपरोक्त कामों ही में लगाया जाय ।

भावार्थ (Explanation) इस दफामें—

(ए) शब्द “ इमारत ” में उसका हाता (यदि कोई हो) और जहा एक ही हातेमें कई इमारतें हों, तो ऐसी सब इमारतें और साझेका हाता भी शामिल होंगे ।

(बी) शब्द “ आराजीका टुकड़ा ” का अर्थ है, ऐसा टुकड़ा, जो एक ही शख्स के कब्जेमें हो, या कई साझेदारोंके कब्जेमें सङ्ग सङ्ग (सुशतरका) हो, जिसका कोई भाग अपने किसी दूसरे भागसे किसी दूसरे काबिज या दूसरे काबिजोंकी आराजीके कारण या किसी सावजनिक जायदादके कारण, पूर्णतया अलग न हो ।

व्याख्या—

क्लॉज (ए) के मतलबसे प्रत्येक ऐसी म्यूनिसिपलटीके लिये, जिसमें पानीका कारखाना हो अलग अलग नियम बना दिया गया है जिसके द्वारा वह घेरा नियत किया गया है जिसके भीतर पानीका कोई बन्धे न होनेसे उसके भीतरकी किसी आराजी अथवा इमारत पर पानीका महसूल न लगाया जा सकेगा ।

—“ इमारत ” शब्दकी साधारण व्याख्या ऐक्टकी दफा २ के नं० २ में दी गई है। भाषार्थ के क्लॉज (ए) में जो व्याख्या इमारत शब्दकी दी गई है वह केवल इस दफाके मतलबके लिये है।

दफा १३० अन्य करोंके लगाये जाने पर बन्धेज

दफा १२८ की उपदफा (१) के क्लॉज (११) और क्लॉज (१२) में अंकित किये हुए टैक्सोंका लगाया जाना नीचे लिखे बन्धेजोंके अधीन होगा अर्थात् :—

- (ए) यह कि वर केवल इस आशयसे लगाया जाय कि उरुकी आय मकानों तथा इमारतोंसे मैला उठवाने या पाखानों और पेशाबखानोंके साफ करानेके (अर्थात् जैसी दशा हो) सम्बन्धके व्ययमें लगाई जाय और यह कि कुल रूपया जो उससे प्राप्त हो वह केवल उपरोक्त कामोंमें लगाया जाय। और
- (बी) यह कि कर किसी मकान, या इमारत पर उस समय तक नहीं लगाया जाय, न किसी मकान या इमारतके काविजसे वसूल किया जा सकेगा जब तक कि बोर्ड दफा १९६ के क्लॉज (ए) के अनुसार, ऐसे मकान अथवा इमारतसे मैला उठवाने या पाखानों या पेशाबखानोंके साफ करानेका काम अपने ऊपर ले न ले।

दफा १३१ प्राथमिक प्रस्तावोंका तैयार किया जाना

१ जब कोई बोर्ड कोई कर लगाना चाहे तो उसको चाहिये कि विशेष रेजोल्यूशन के द्वारा प्रस्ताव तैयार करे जिनमें नीचे लिखी बातें सोली जाये,—

- (ए) कर, (जो उन करोंमेंसे होना चाहिये जिनका वर्णन दफा १२८ की उपदफा (१) में दिया गया है) जो बोर्ड लगाना चाहता है।
- (बी) वह लोग या लोगोंका वह वर्ग (Class) जिन पर कर लगाया जायगा और उस जायदादका वृत्तान्त कर लगाये जानेके योग्य अन्य वस्तु या ऐसियतका वृत्तान्त जिनके विषयमें ऐसे शर्कों या वर्गों पर कर लगाया जायगा, सिवाय उस दशाके जब कि और जहां तक कि ऐसे वर्ग या वृत्तान्तकी व्याख्या, क्लॉज (ए) के अनुसार या इस ऐक्ट के द्वारा काफी दी जा चुकी हो।
- (सी) करकी सख्या या कर की दर, जो ऐसे शर्त, या शर्तोंके वर्ग (Class of Persons) पर लगाया जायगा।
- (टी) कोई अन्य मामला जो दफा १५३ में बताया गया हो, और जिसके सोले जाने की प्रांतीय सरकार ने, नियम के द्वारा आज्ञा दी हो।

२ बोर्ड उन नियमों का पब्य मसौदा भी तैयार करेगा, जो नियम कि वह, उन मामलोंके विषय में जो दफा १५३ में बताये गये हैं, प्रांतीय सरकार से बनवाना चाहता हो।

३ तत्पश्चात् बोर्ड उन प्रस्तावों को जो उपदफा (१) के अनुसार तैयार किये गये हों, और नियमों के मसौदे को जो उपदफा (२) के अनुसार तैयार किया गया हो, एक नोटिस के सहित, जो उस फारम पर होगा जो कि गिड्यूक न० ३ में दिया गया है, दफा ९४ में नियमित विधि के अनुसार, प्रकाशित करायेगा।

व्याख्या—

बोर्डों के लिये आज्ञा है कि उस जायते (Procedure) का अनुसरण, यही सख्ती से करें, जो टैक्स लगाने के विषय में, ऐक्ट की दफा १३१ से दफा १३५ तक में, नियमित है। उक्त दफाओं के द्वारा जो, कार्रवाहियाँ, एक के पश्चात् एक किये जाने को बताई गई हैं, उनमें से किसी कार्रवाई की उपेक्षा से, प्रस्तावों की मंजूरी दिये जाने में देर लग जाना अनिवार्य होगा। और ऐसी उपेक्षा का फल यह भी होगा कि बहुत सी अनावश्यक खत किताबत करना पड़ेगी। (देखिये म्युनिसिपल मैनुअल का पन्ना २२७)।

—हस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिये कि किसी टैक्स का लगाया जाना और उसका कूता जाना तथा जमा किया जाना अलग २ बातें हैं। टैक्स की दर, उसके लगाये जाने की तारीख, किन शरतों पर टैक्स लगाया जायगा इत्यादि, ये सब बातें टैक्स के लगाये जाने (Imposition) से सम्बन्ध रखती हैं। दफा १३१ की उपदफा (१) के अनुसार, जो विशेष प्रस्ताव बोर्ड पास करें, उसमें ये सब बातें पास की जाना चाहिये, और जब दफा १३५ के अनुसार, विज्ञापन के द्वारा, ऐसे कर का लगाया जाना प्रकाशित किया जाय तो उस विज्ञापनमें भी यह सब बातें छापी जाना चाहिये।

—इसके विरुद्ध गियमों के मसौदे में करके कूते जाने, जमा किये जाने इत्यादि के विषय में नियम होंगे। अतएव जो मसौदा उपदफा (२) के अनुसार तैयार किया जाय उसमें उपदफा (१) में दी हुई बातों के दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

—उप दफा (३) में बोर्ड को आज्ञा दी गई है कि वह टैक्स के प्रस्तावों को और नियमों के मसौदे को उसी प्रकार प्रकाशित कराये जैसे कि वह, दफा ९४ के अनुसार अपने अन्य रेजोल्युशनों को छपवाता है। परन्तु यह उसी दशा में आवश्यक होगा जब कोई नया टैक्स लगाया जाय, या जब उन बातों में, जो उपदफा (१) के क्लॉज (बी) (सी) और (डी) में दी गई हैं, कोई परिवर्तन किया जाय।

दफा १३२. प्रस्तावोंके तैयार किये जानेके बादकी कार्रवाई

१ म्युनिसिपलटी का कोई निवासी, उक्त नोटिस के प्रकाशित होने से दो सप्ताह के भीतर उपरोक्त दफा के अनुसार तैयार किये हुये सब प्रस्तावों के विरुद्ध, या उनमें से किसी प्रस्ताव के विरुद्ध कोई लिखित उज्र बोर्ड में पेश कर सकता है, और जो उज्र इस प्रकार पेश किया जाय, बोर्ड उस पर विचार करेगा, और उस पर, विशेष रेजोल्युशन के द्वारा हुकम देगा।

२ यदि बोर्ड अपने प्रस्तावों को, या उनमें से किसी को, तरमीम निश्चय करे, तो वह तरमीम किये हुये प्रस्तावों को, और (यदि आवश्यक हो) दोहराये हुये नियमों के मसौदे को, एक नोटिस के सहित, जिससे यह प्रकट किया जाय कि ये प्रस्ताव और नियम (यदि कोई हों) उन प्रस्तावों और नियमों की तरमीम हैं, जो उज्र किये जाने के लिये पहले प्रकाशित किये गये थे, प्रकाशित कर देगा।

३ तरमीम किये हुये प्रस्तावों के विरुद्ध जो कोई उज्र किये जाय, उनके सम्बन्ध में भी वही कार्रवाई की जायगी, जो उपदफा (१) में नियमित है।

४ जब बोर्ड अपने प्रस्तावों को, अन्तिम रूप से, निश्चय कर चुके तब वह उनको, उन उज्रों के सहित (यदि कोई हों), जो उनके सम्बन्ध में किये गये हों, कमिश्नर की सेवा में भेज देगा।

व्याख्या—

शब्द "निवासी" की व्याख्या ऐक्ट की दफा २ के नम्बर (७) में कर दी गई है।

—उप दफा (२) के अनुसार, यदि बोर्ड अपने प्रस्तावों को तरमीम करे तो तरमीम किये हुये प्रस्ताव, फिर इस उद्देश से प्रकाशित किये जाना चाहिये कि उन पर भी यदि कोई निवासी उज्र करना चाहे तो करे। और यदि कोई उज्र किये जायें तो उपदफा (३) की आज्ञा है, कि उन पर बोर्ड फिर, विचार करके, विशेष रैजोल्युशन के द्वारा हुक्म दे।

दफा १३३ प्रान्तीय सरकार या कमिश्नरका, प्रस्तावों को नामजूर करने, मंजूर करने, या तरमीम करनेका अधिकार

१ किसी ऐसी म्यूनिसिपलटी होने की दशा में जो 'शहर' न हो, यदि प्रस्तावित कर उनमें से हो, जिनका वर्णन दफा १२८ की उपदफा (१) के, क्लॉज (१) से क्लॉज (१२) तक में दिया गया है, तो कमिश्नर, उन उज्रों पर विचार करने के पश्चात्, जो दफा १३२ की उपदफा (४) के अनुसार किये जायें, या तो प्रस्तावों को मंजूर करने से मना कर सकता है, या उनको बोर्ड के पास और विचार करने के लिये लौटा सकता है या उनको बिना तरमीम किये या किसी ऐसी तरमीम के साथ मंजूर कर सकता है, जिसके द्वारा, कर की उस रकम में, जो लगाई जाने वाली हो, वृद्धि न हो।

२ किसी अन्य दशामे प्रस्तावों तथा उज्रों को, कमिश्नर प्रान्तीय सरकार की सेवा में भेज देगा, जो उन हुक्मों में से जो उपदफा (१) में वर्णित हैं, कोई सा हुक्म दे सकती है।

३ यदि प्रस्तावित कर, उनमें से न हो, जिनका वर्णन दफा १२८ की उपदफा (१) के क्लॉज (१) से क्लॉज (१२) तक में किया गया है, या क्लॉज (१३) के पहले भाग में या क्लॉज (१३ A) में किया गया है, तो प्रान्तीय सरकार अपने मंजूरी के हुक्म को, गवर्नर जनरल और उनकी कौन्सिल की सेवा में उसका समर्थन किये जाने के उद्देश से भेज देगी, और उसके साथ वह उज्र (यदि कोई हो), जो प्रस्तावों पर किया गया हो और बोर्ड द्वारा भेजा गया हो, भी भेजेगा। और गवर्नर जनरल और उनकी कौन्सिल को अधिकार होगा कि चाहे मजूरीका समर्थन करे, या उसको नामजूर करदे, या प्रस्तावों को, प्रान्तीय सरकार के पास, और विचार करने के लिये लौटा दे।

व्याख्या—

दफा १२८ की उपदफा (१) में जो कर वर्णित हैं उनके लगाये जाने पर, मजूरी अथवा नामजूर देने के अधिकार दफा १३३ के द्वारा इस प्रकार दिये गये हैं—

१ क्लॉज (१) से क्लॉज (१२) तक में जो कर वर्णित हैं, उनके मंजूर या नामजूर करने का अधिकार, शहरों की म्यूनिसिपलटियों में प्रान्तीय सरकार को है। अन्य म्यूनिसिपलटियों में कमिश्नरको।

परन्तु यदि कर क्लॉज (३) के अनुसार लगाया गया हो, तो मजूरी देने से पूर्व, कमिश्नर को चाहिये कि प्रस्ताव को प्रान्तीय सरकार के पास, विचार करने और हुक्म के लिये भेजे। (देखिये G O No 2386 XI 400 E, तारीख २७ जुलाई, सन १९१६, ई० जो दफा १२८ की उप दफा (१) के क्लॉज (३) की व्याख्या में दिया गया है)

२ क्लॉज (१३) के पहले भाग में जो कर दिया गया है, उसके मजूर या ना मजूर करने का अधिकार, दोनों प्रकार की म्यूनिसिपलटियों में, केवल प्रान्तीय सरकार को है।

३ क्लॉज (१३) के अन्तिम भाग में, तथा क्लॉज (१३ A) में, और क्लॉज (१० IV) में जो कर वर्णित है उनके मजूर अथवा नामजूर करने का अधिकार, दोनों प्रकार की म्यूनिसिपलटियों में, प्रान्तीय सरकार को है, परन्तु यदि ऐसे किसी कर को प्रान्तीय सरकार मजूर करे तो उसके हुक्म का समर्थन गवर्नर जनरल और उनकी कौन्सिल के द्वारा किया जाना भी आवश्यक है।

दफा १३४ टैक्स लगाये जानेके विषयमें बोर्डका रेज़ोल्युशन

१ जब प्रस्तावों को कमिश्नर या प्रान्तीय सरकार मजूर कर ले, या जब प्रान्तीय सरकार की मजूरी का समर्थन गवर्नर जनरल और उनकी कौन्सिल के द्वारा कर दिया जाय, अर्थात् जैसी कि दशा हो, तो प्रान्तीय सरकार, नियमों के उस मसौदे पर विचार करने के पश्चात्, जो बोर्ड ने भेजा हो, तुरन्त दफा २९६ के अनुसार, उक्त टैक्स के सम्बन्ध में ऐसे नियमों के बनाने की कार्रवाई आरम्भ कर देगी, जो वह उस समय के लिये आवश्यक समझे।

२ जब नियम तैयार हो जायें, तो मजूरी का हुक्म, और एक नकल नियमों की, बोर्ड के पास भेजी जायगी, और तब बोर्ड विशेष रेज़ोल्युशन के द्वारा, करके किसी ऐसी तारीखसे, लगाये जानेका हुक्म देगा, जो कि रेज़ोल्युशनमें अंकित करदी जायगी।

व्याख्या—

दफा १३१ से १२५ तक में जो जो कार्रवाहियाँ टैक्स लगाने के विषय में बताई गई हैं, उन सब का पूरा २ अनुसरण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है (देखिये दफा १३१ की व्याख्या)। जो कार्रवाहियाँ उक्त दफाओं में नियमित हैं उनमें से किसी की उपेक्षा से कर नाजायज हो जायगा, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी यही तर्जवीज किया है। देखिये टी ई स्टीची बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड कानपुर 21 All I L R 347=A W N 1899, Page 97

उक्त मामला म्यूनिसिपलटियों का ऐक्ट, न० १५ सन १८८३ ई० के समयमें पेश हुआ था। इस ऐक्ट में टैक्स लगाने के लिये, दफा ४२ में, लगभग वही सब कार्रवाहियाँ रखी गई थीं जो वर्तमान ऐक्ट में दफा १३१ से १३५ तक में नियमित हैं। हाईकोर्ट ने तर्जवीज किया कि जो २ कार्रवाहियाँ दफा ४२ में बताई गई हैं वका पूरा २, और टीक २, अनुसरण किया जाना आवश्यक है। उक्त दफा की उपदफा (३) में आज्ञा है कि म्यूनिसिपलटी का बोर्ड निवासी, यदि किसी प्रस्तावित टैक्स के विरुद्ध, कोई उन् करना चाहे तो वह उस उन् को लिखके बोर्ड को भेज सकता है, और बोर्ड के

लिये यह आवश्यक है, कि यह ऐसे उज़् पर विशेष मीटिंग में विचार करे (देखिये हाल के ऐक्ट की दफा १३२, जिसमें यही आज्ञा है। केवल विशेष मीटिंग की जगह विशेष रेजोल्युशन के द्वारा विचार करने का हुक्म है)। सुदई टी ई स्टैची ने एक उज़् किया, जिस पर बोर्ड ने एक ऐसी मीटिंग में विचार किया जो विशेष मीटिंग नहीं कही जा सकती थी। हाईकोर्ट ने यह बहस स्वीकार करने से इन्कार किया, कि निवासियों द्वारा उज़् किया जाना, एक अनावश्यक कार्रवाई है, जिसमें सूक हो जाने से किसी कर का लगाया जाना नाजायज नहीं हो सकता। बरन हाईकोर्ट ने, 'पूना शहर की न्यूनिसिपलटी बनाम मोहनलाल, "9 Bom I L R. 51," वाली नज़र की यह राय स्वीकार की कि 'किसी टैक्स पर जो उज़् किये जायँ, न्यूनिसिपलटी का उन पर विचार करना, उस कल का एक आवश्यक पुरजा है, जो कानून ने किसी टैक्स के जायज रूप से लगाये जाने के लिये, बना दी गई है"।

दूसरी त्रुटि इस मामलेमें यह थी कि उक्त दफा ४२ की उपदफा (७) की आज्ञा थी कि जब प्रान्तीय सरकार किसी टैक्स की मजूरी देदे, तब बोर्ड स्पेशल (विशेष) मीटिंग के द्वारा, उस टैक्स के लगाये जाने का हुक्म देगा (देखिये हाल के ऐक्ट की दफा १३४)। जिस मीटिंग में कि फानपुर न्यूनिसिपल बोर्ड ने उक्त हुक्म दिया, उसमें भी विशेष मीटिंग का कोरम नहीं था। अतएव हाईकोर्ट ने इस विषय में भी यह सजवीज किया कि वह रेजोल्युशन, जिसके द्वारा बोर्ड ने टैक्स के लगाये जाने का हुक्म दिया, थिल्कुल नाजायज था।

दफा १३५ करों का लगाया जाना

१ उस रेजोल्युशन की एक नकल जो दफा १३४ के अनुसार पास किया जाय यदि कर को प्रान्तीय सरकार ने मजूर किया हो, तो प्रान्तीय सरकार के पास भेजी जायगी, और किसी अन्य दशा में, कमिश्नर के पास भेजी जायगी।

२ रेजोल्युशन की नकल मिलने पर, प्रान्तीय सरकार या कमिश्नर, अर्थात् जैसी दशा हो, नयत की हुई तारीख से, कर के लगाये जाने का विज्ञापन, सरकारी गजट में, प्रकाशित कर देगा या कर देगा, और प्रत्येक दशा में कर का लगाना इस शर्त के अधीन होगा, कि इस प्रकार वह प्रकाशित कर दिया जाय।

३ उपदफा (२) के अनुसार कर लगाये जाने का जो विज्ञापन प्रकाशित किया जायगा, वह इस बात का अखंड प्रमाण (Conclusive proof) होगा, कि कर इस ऐक्ट के हुकमों के अनुसार लगाया गया है।

दफा १३६ कर में परिवर्तन करने के लिये ज़ाबता (कार्रवाई)

जो कार्रवाई कि नये टैक्स के लगाये जाने के लिये दफा १३१ से दफा १३५ तक में नियमित है, वही कार्रवाई, जहा तक सम्भव हो, किसी कर के रद्द किये जाने में भी या उन विषयों के सम्बन्ध में जो दफा १३१ की उपदफा (१) के क्लॉज (बी) और (सी) में अंकित किये गये हैं, किसी कर में परिवर्तन किये जाने में लाई जायगी।

नोट—यह बात ध्यान देने योग्य है कि जिस प्रकार कोई नया कर बिना उसके प्रस्ताव के प्रकाशित किये हुये नहीं लगाया जा सकता, उसी प्रकार किसी कर को रद्द करने अर्थात् उखा देने के लिये भी रद्द करने के प्रस्ताव की प्रकाशित करना आवश्यक है।

दफा १३७ किसी टैक्समें सुधार करने, या उसको रद्द कर देने का सरकार का अधिकार

१ जब किसी शिकायत के होने पर अथवा किसी अन्य प्रकार, प्रान्तीय सरकार को यह विदित हो कि किसी कर का वसूल किया जाना सार्वजनिक हित के प्रतिकूल है या यह विदित हो, कि किसी कर का भार लोगों पर, न्याय के अनुसार, नहीं डाला गया है, प्रान्तीय सरकार, जिस म्यूनिसिपलटी का मामला हो, उसके बोर्ड के जवाब पर विचार करने के पश्चात्, उक्त बोर्ड को हुक्म के द्वारा, यह हिदायत कर सकती है, कि वह, ऐसी अत्रि के भीतर जोकि हुक्म में अंकित कर दी जायगी, किसी ऐसे दोषों के दूर करने के उपाय करे, जो प्रान्तीय सरकार की राय में, किसी कर में, या उसके कूते जाने की विधि में या जमा किये जाने की विधि में हों।

२ यदि किसी ऐसी आज्ञा का जो उपदफा (१) के अनुसार दी जाय, बोर्ड पालन न करे, या उस आज्ञा का बोर्ड ऐसा पालन न कर सके जो प्रान्तीय सरकार के प्रति सतोपप्रद हो तो, प्रान्तीय सरकार, विज्ञापन प्रकाशित करके, उस टैक्स का या उस के किसी भाग का वसूल किया जाना उस समय तक के लिये बन्द कर दे सकती है, जब तक कि उस कर का दोष दूर न कर दिया जाय, या प्रान्तीय सरकार टैक्सको रद्द कर सकती है, या घटा दे सकती है।

नोट—किसी कर का भार लोगों पर न्याय के अनुसार नहीं डाला गया है—उपदफा (१) में इन शब्दों का यह अर्थ है कि कर, सब प्रकार के निवासियों पर, एक सा न लगा हो, बरन किसी वर्ग को अधिक और किसी को कम देना पड़ता हो, या गरीबों को अधिक और अमीरों को कम देना पड़ता हो, इत्यादि।

मिलाये हुये कर

(Consolidated taxes)

दफा १३८ करोंका मिला दिया जाना

१ किसी ऐसे करों के कूते जाने, वसूल, या जमा किये जाने, के अभिप्राय के लिये (परन्तु किसी करके लगाये जाने, या उससे माफी देने के अभिप्राय से नहीं) जिनका वर्णन दफा १२८ की उपदफा (१) के क्लॉज (१) और (१०) और (११) में है कोई बोर्ड किसी दो, या दो से अधिक, टैक्सों को, जो हमारतों या भाराजियों, या दोनों पर लगाये गये हों, मिला सकता है।

२ परन्तु शर्त यह है कि किसी रजिस्टर में या शफ्तों पर कूते हुये करकी सूची में (Assessment list) जो किसी मिलाये हुये करों के सम्बन्ध में हो, और जो रजिस्टर या सूची किसी शहर को इस बातकी सूचना देने के अभिप्राय के लिये, कि वह गण्ड उनके अनुसार टैक्स देने का जिम्मेदार है, काममें लाई जाती हो या जो दफा १०९ या १३० के हुक्मों के पालन कराने के अभिप्राय के लिये काममें लाई जाती हो, बोर्ड मिलाये

हुये टैक्सों को उन करों की अलग २ मदों में जो कि मिला दिये गये हो, इस प्रकार विभक्त कर देगा कि, उस बांटके द्वारा, उन रकमों का, अनुमान से (Approximately), पता लग सके, कि जो प्रत्येक अलग २ टैक्स के हिसाब में कूती गई हो, या जमा की जाती हो।

न्याख्या—

कोई दो या अधिक कर मिलाके "लगाये" (Impose) नहीं जा सकते, अर्थात् कर लगाने के लिये, जो कारवाहियां दफा १३१ से १३५ तक में बताई गई हैं, वह प्रत्येक करके लिये अलग २ करना होंगी। इसी प्रकार जब उन करों में से जो दफा १२८ की उपदफा (१) के क्लॉज १, १० और (११) में अंकित किये गये हैं, यदि किसी कर से किसी को माफी देना हो तो, ऐसी माफी प्रत्येक करके सम्बन्ध में अलग २ दी जाना चाहिये। इन दोनों बातों के आतिरिक्त कूते जाने के लिये, वसूल किये जाने के लिये और जमा किये जाने के मतलब के लिये उन करों में से दो या अधिक कर मिला दिये जा सकते हैं। जैसे यदि किसी इमारत पर पानी का टैक्स तथा उसके वार्षिक मूल्य पर टैक्स, दोनों लगे हों, तो यह दोनों मिलाके कूत तथा वसूल किये जा सकते हैं। करों के मिला दिये जाने का हुकम इस दफा में केवल बोर्ड की सुविधा के लिये रखा गया है, क्योंकि उससे बोर्ड का बहुत सा दोहरा काम बच जाता है। दो करों के अलग २ रजिस्टर रखने, हिसाब करने, बिल बनाने, उन्न दारियां सुाने इत्यादि की जगह, इस प्रकार मिला दिये जाने से, एक साथ दो करों का प्रबन्ध किया जा सकता है।

—यह बात स्मरणीय है कि उन करों के आतिरिक्त जिनका वर्णन दफा १२८ की उपदफा (१) के (१), (१०), (११) क्लॉजों में है, और कोई कर इस दफा के अनुसार मिलाये नहीं जा सकते।

इमारतों, आराजियों, या दोनों के वार्षिक मूल्य पर करों का कूतना और वसूल करना।

(Assessment and levy of taxes on the annual value of buildings or lands or both)

दफा १३९ माफी के कारण कर का घटा दिया जाना

१ किसी मिलाये हुये कर को कूतने में वह रकम घटा दी जायगी जो किसी ऐसे अकेले करके हिसाब में माफ कर दी गई हो, जो कि मिलाये हुये कर में सम्मिलित हो, चाहे ऐसी रकम के द्वारा कुछ भाग उस अकेले कर का माफ किया गया हो या चाहे उसकी पूर्ण रकम माफ कर दी गई हो।

२ घटाये जाने की विधि यह होगी कि—

(ए) (उस दशमे जबकि करका केवल कुछ भाग माफ कर दिया गया हो) मिलाये हुये करकी उस पूर्ण रकम में से, जो अन्य दशा में किसी माफी दी हुई इमारतों या आराजियों या दोनों के सम्बन्ध में वसूल की जा सकती या कूती जा सकती, उस रकम का जो अन्य दशमें उस अकेले

करके विषय में कृती जा सकती, एक ऐसा समानुपाती भाग (Proportion ato part) घटा दिया जायगा, जो भाग कि उस रकमके घराघर हो जिसकी माफी दी गई हो। और

- (बी) (उस दशा में जबकि करकी पूरी रकम माफ कर दी गई हो) ऐसी कुल रकम में से वह पूरी रकम घटा दी जायगी जो उस अकेले करके विषय में कृती गई हो।

नोटः—उपदशा १ के बलोज (ए) में शब्द “अन्य दशा में” जो आया है उतसे मारलन है “कोई ऐसे दशा जिसमें माफी न दी गई हो”।

रूफा १४० वार्षिक मूल्य की व्याख्या

वार्षिक मूल्य का अर्थ है—

- (ए) रेल के स्टेशनों, होटलों, कालिजों स्कूलों, अस्पतालों, कारखानों, और ऐसी ही ऐसी अन्य इमारतों के लिये-इमारत के बनाने में जो वर्तमान समय में व्यय पड़े उसके तखमीने, और आराजों, जो उक्त इमारत के लगाय में हो (Appurtenant Therots), उसके मूल्य के तखमीनेके जोड़ का ऐसा समानुपात, (Proportion) जो उस जोड़ के पाच प्रति सैकड़ा सेअधिक न हो, और जो समानुपात नियमके द्वारा, जो इस अभिप्राय से बना दिया जाय, नियत कर दिया गया हो।
- (बी) उन इमारतों या आराजियों के लिये जो क्लाज (ए) के हुकमों के भीतर न हों, वह पूरा (Gross) वार्षिक किराया या लगान, जिस पर कि ऐसी इमारत, उन सजावट के सामानों (Furniture) या कलों को छोड़के जो उसके भीतर हों, वास्तव में उठी हुई हो (Actuallylet) या जिस पर आराजी वास्तव में उठी हुई हो, या जब इमारत या आराजी उठी न हो, या जब वह ऐसे दामों पर उठी हो जो बोर्ड की रायमें उस के वाजबी किराये या लगान से कम हो, तो वह पूरा वार्षिक किराया या लगान, जिस पर, प्रति वर्ष, (Year to year) उसके उठ जाने की आशा की जा सके।

२ परन्तु शर्त यह है, कि उस दशामें जब कि किसी इमारत का वार्षिक मूल्य, यदि उसका हिसाब उपरोक्त विधि से लगाया जाय, विशेष हालतों के कारण, बोर्डकी रायमें अत्याधिक (Excessive) हो, तो बोर्ड उसका वार्षिक मूल्य, किसी ऐसी कम रकम पर नियत कर सकता है, जो उसको न्यायपुक्त (Equitable-करीन इन्साफ) जान पड़े।

व्याख्या—

उपदशा (१) के बलोज (ए) में वह सार्वजनिक इमारतें रखी गई हैं जो किराये पर उठाई नहीं लाया करतीं, और जिनके किराये का अनुमान भी यही किया जा सकता। ऐसी इमारतों का वार्षिक मूल्य इस प्रकार निश्चय किया जायगा, कि पहले यह देखा जायगा कि इमारत, उस समय

में कितने रुपये में धनाई जा सकती है। फिर इस रकम में उस इमारत, के हाते का मूल्य जोड़ा जाना चाहिये। मान लीजिये कि दोनों का जोड़ २५०००) रुपये हुआ, तो उक्त इमारत का वार्षिक मूल्य, अधिक से अधिक २५०००) का पांच प्रति सैकड़ा, अर्थात् १२५०) रुपये तक नियत किया जा सकता है। वार्षिक मूल्य का हिसाब लगाने के लिये कितना प्रति सैकड़ा लिया जाना चाहिये, यह नियम के द्वारा प्रत्येक म्यूनिसिपलटी के लिये अलग २ निश्चय कर दिया जायगा। इस सम्बन्ध में " नमूने के नियम" के लिये देखिये म्यूनिसिपल मैनुअल का पन्ना ३३५।

दफा १४१ कूते हुये करों की सूची तैयार की जाना

१ जब इमारतों या भाराजियों पर, या दोनों पर, कोई कर लगाया जाय, तो बोर्ड म्यूनिसिपलटी के भीतर की सब इमारतों या भाराजियों, या दोनों, पर कूते हुये कर की सूची तैयार करायेगा, जिसमें निम्नलिखित बातें लिखी जावेंगी।

- (ए) नाम उस सड़क या मुहल्ले का जिस पर, या जिसमें जायदाद हो।
- (बी) जायदाद का ऐसा पता, चाहे वह नामके द्वारा हो, या नम्बर के द्वारा, जो पहचानके लिये काफी हो।
- (सी) नाम उसके मालिक का और काबिज का, यदि मालूम हों।
- (डी) जायदाद का वार्षिक मूल्य, जिस पर कि वह उठाई जा सकती हो, या अन्य बातें जिनके द्वारा वार्षिक मूल्य निर्णय किया जा सके। और
- (ई) करकी रकम जो उस पर कूती गई हो।

२ कूते हुये करकी ऐसी सूची तैयार करने के अभिप्राय से, बोर्ड, किसी एक शहल को, या अधिक शहलो को, समय २ पर, बदलाव (उजेरत) देकर, या बिना किसी बदलाव के, नियुक्त कर सकता है, चाहे वह बोर्ड के मेम्बर हों या न हों, और ऐसा शहल, या ऐसे शहल, उपरोक्त मतलब के लिये, किसी जायदाद का मुआइना (जांच) कर सकता है, या कर सकते हैं।

दफा १४२ सूचीका प्रकाशित किया जाना

जब कूते हुये करकी सूची तैयार हो जाय, तो बोर्ड उस जगह के विषय में आम नोटिस देगा जहाँ कि वह सूची या उसकी नकल, जांचने को मिल सकती हो और प्रत्येक शहल को, जो किसी ऐसी जायदाद का मालिक या काबिज होने का दावा करता हो, जो कि सूची में दर्ज की गई हो, और ऐसे शहल के एजेंट को, आज्ञा होगी कि वह सूचीकी जांच कर सके, और बिना किसी फीसके दिये उसमेंसे कुछ नकल करे।

नोट.—एक्ट की दफा ३२८ में भी हुबम है कि कोई टैक्स देन वाला या कोई म्यूनिसिपलटी का निर्वाचक, ऐसे बार्डों के आधीन, जो इस विषय में बनाया गया हो, बिना किसी फीस के दिये हुये, कूते हुये कर की सूची को जांच सकता है।

—म्यूनिसिपलटी के किसी कारज, रजिस्टर आदि में से किसी भाग की कोई नकल देने के विषय में और उसकी फीस नियत करने को, बार्ड वर्ल्डज बनाये जा सकते हैं, देखिये दफा २९८ की मद (J) की शर्तें (जी)।

दफा १४३ सूची के इन्दराजों पर उज्रदारियाँ

१ साथही साथ, बोर्ड एक ऐसी तारीख का भी आम नोटिस (विज्ञापन) दे देगा, जो नोटिस के पश्चात एक माससे कमकी तारीख न हो, जिस पर कि वह उन वार्षिक मूल्यों, और कूती हुई रकमों (Assessments) पर, जो कि सूची में दर्ज हों, विचार करना आरम्भ करेगा । और ऐसी सब दशांशा में जिनमें कि किसी जायदाद पर पहले पहल कर कूता गया हो, या जिनमें कि कूते हुये कर में वृद्धि की गई हो, बोर्ड उसकी सूचना, जायदाद के मालिक या काचिज को, यदि उनके नाम मालूम हो, देगा ।

२ वार्षिक मूल्यों और कूती हुई रकमों के विषयमें सब उज्रदारियाँ बोर्ड में, उस तारीख से पूर्व जो नोटिस में नियत की गई हो, लिखित दरखास्त के द्वारा की जायगी, जिसमें वह कारण लिखे जायंगे, जिनके आधार पर वार्षिक मूल्यों और कूती हुई रकमों पर उज्र किया जाता है, और कुल दरखास्त जो इस प्रकार की जाय एक किताब में दर्ज की जायगी, जो कि बोर्ड इस अभिप्राय से रखेगा ।

३ बोर्ड, या कोई ऐसी कमेटी, जिसको इस विषयमें अधिकार सौंपे जाने के द्वारा अख्तियार दिया गया हो, या कोई सरकारी अफसर, या बोर्ड का अफसर, जिसको बोर्ड, कमिश्नर की आज्ञा से अख्तियार सौंपे (और रेजिस्ट्रेशन के द्वारा, इस प्रकार अधिकार सौंपने का बोर्ड को, इस दफा के द्वारा, अधिकार दिया जाता है) दरखास्त देने वाले को इस बात का मौका देने के पश्चात, कि वह जो चाहे, स्वयं या अपने एजेंट के द्वारा, बयान करे—

- (ए) उज्रदारियों के विषय में तहकीकात (निरूपण) करे, और उन पर फैसला दे । और
- (बी) ऐसी तहकीकात और फैसले का नतीजा उस किताब में दर्ज करा दे, जो उपदफा (२) के अनुसार रखी जायगी । और
- (सी) कूती हुई रकमों की सूची में ऐसी तस्वीर करादे जो, उपरोक्त नतीजे के अनुसार आवश्यक हो ।

व्याख्या—

उज्रदारियां सुनने के विषय में अधिकार सौंपे जाने के लिये दिये गये G O No 1328 XI- H 5, ता० १९ जून, सन १९१६ ई०, जो दफा ११२ की व्याख्या में दिया गया है ।

—उपदफा (३) के सम्बन्ध में जो अधिकार किसी कमेटी को सौंपा जाय वह दफा २९७ की उपदफा (१) के जॉज (जी) के अनुसार, रेग्युलेशन बना के सौंपा जायगा । परन्तु यदि ऐसा अधिकार किसी सरकारी अफसर, या बोर्ड के अफसर को सौंपा जाय तो, वह इस दफा में दिये हुए अधिकार के द्वारा सौंपा जायगा ।

दफा १४४ सूचीकी तसदीक और उसका रखा जाना

१ जब उन कुल उज्रदारियों का फैसला हो जाय जो दफा १४३ के अनुसार की गई हो, और ऐसी सब तस्वीरों (Amendments), जिनकी आवश्यकता उक्त दफा की

उपदफा (३) के अनुसार हो, कूती हुई रकमोंकी सूची में करदी जाये, तब उक्त सूची की तसदीक (Authentication) वेयरमैन के हस्ताक्षरों के द्वारा, या उस दशमे जब कि किसी कमेटी या किसी सरकारी अफसर या बोर्ड के अफसर को, दफा १४३ के अनुसार अधिकार सौंपा गया हो, तो तसदीक ऐसी कमेटी के, कम से कम दो मेम्ब्रों के हस्ताक्षरों के द्वारा, या पूर्वकथित अफसर के हस्ताक्षर के द्वारा, की जायगी। और वह एक से अधिक शख्स या एक शख्स, जो इस प्रकार सूची की तसदीक करे या करे वह इस बात का प्रमाण-लेख दर्ज कर देगे (Certify) या कर देगा, कि सब उज्रदारियों पर जो जायजरूप से की गई, विचार कर लिया गया है, और सूची की तरमीम, जहां तक कि तरमीम की आवश्यकता उन उज्रदारियों के फैसलों के कारण हुई थी, कर दी गई है।

२ वह सूची, जिसकी इस प्रकार तसदीक कर दी जाय, म्यूनिसिपलटी के दफतर में रख दी जायगी, और इस प्रकार रख दिये जाने के उपरान्त, आम नोटिस के द्वारा, यह घोषणा कर दी जायगी, कि जो चाहें उसका मुआइना कर सकता है।

दफा १४५ सूचीका दोहराया जाना और उसकी अवधि

१ करों की कूती हुई रकमों की एक नई सूची, साधारणतः, प्रति पांच वर्षों में एक बार, उस विधि के अनुसार, जो दफा १४१ से दफा १४४ तक में नियमित है, तैयार की जायगी।

२ किसी ऐसे परिवर्तन और तरमीम के अधीन जो दफा १४७ के अनुसार की जाय, और किसी ऐसी अपील के नतीजे के अधीन जो दफा १६० के अनुसारकी जाय, प्रत्येक वार्षिक मूल्य, और प्रत्येक कूती हुई रकम, जो कूतनेकी सूची (Valuationlist) में दर्ज की जाय उस तारीख से जायज मानी जायगी जिस तारीख से कि वह म्यूनिसिपलटी में प्रचलित हो, और नई सूची के पूरा हो जाने के उपरान्त जो अपील का मास पड़े, उसकी पहली तारीख तक जायज रहेंगे।

दफा १४६ करों की कूती हुई रकमोंके इन्दराजोंका अखंड्य होना
करों की कूती हुई रकमों का कोई इन्दराज अखंड्य प्रमाण (Conclusiveproof) होगा:—

(ए) (किसी ऐसे मतलब के लिये जो उस कर से सम्बन्ध रखता हो जिसके विषय में उक्त सूची बनाई गई हो) उस रकम का जो किसी इमारत या आराजी के विषय में, उस अवधि के भीतर वसूल की जा सकती है, जिस अवधि के लिये कि उक्त सूची बनाई गई है। और

(बी) म्यूनिसिपलटी के किसी अन्य कर के कूते जाने के अभिप्राय के लिये, उक्त अवधि के भीतर, किसी इमारत या आराजीके वार्षिक मूल्य का।

व्याख्या—

दफा १४२ के अनुसार प्रत्येक कर की कूती हुई रकमों की सूची प्रकाशित कर दी जाती है, और जगता को उसकी जांच का मौका दिया जाता है। तदनन्तर, दफा १४३ के अनुसार, हर शख्स

को जिसको सूची में दर्ज की हुई किसी रकम के विषय में कोई उज्र करना हो, उज्र करने का मौका दिया जाता है। और ऐसी उज्रदारी के फैसले के विरुद्ध दफा १६० के अनुसार अपील करने का भी मौका दे दिया जाता है। इन सब कार्रवाइयों के बाद, जो इन्द्रराज उस सूची में दर्ज किये जाते हैं, प्रकृतया अख्तय प्रमाण इस बात के माने जाते हैं कि जो कर की रकम किसी जायदाद के विषय में दर्ज है वह ठीक है। उसके विषय में कोई झगडा नहीं उठाया जा सकता न उसके गलत होने के विषयमें कोई सुवत दिया जासकता है। जिस समय तक कि वह सूची प्रचलित रहेगी, तब तक प्रत्येक जायदाद के विषय में, जो रकम कर की उसमें चडी होगी, वही ठीक मानी जायगी। यदि म्युनिसिपल्टी कोई नया कर भी लगाना चाहे, जिसके लिये मकान तथा भाराजियों के वार्षिक मूल्य के निर्णय करने की आवश्यकता हो, तो ऐसे नये कर के लिये भी, वही रकमें मान ली जायगी जो सूची में दर्ज होंगी।

दफा १४७ सूचीमें तरमीम और परिवर्तनका किया जाना

१ बोर्ड को अधिकार होगा कि किसी समय कर की कूती हुई रकमों की सूची में परिवर्तन या तरमीम करे-

- (ए) उसमें किसी ऐसे शख्स का नाम, या कोई ऐसी जायदाद दर्ज करके जो दर्ज होना चाहिये थी, या कोई ऐसी जायदाद दर्ज करके, जो कूती हुई रकमों की सूची की तसदीक के पश्चात, कर, लगाये जाने के योग्य हुई हो। या
- (बी) उसमें किसी जायदाद के मालिक या फाविज के नाम की जगह किसी अन्य ऐसे शख्सका नाम बदल दे कर, जो किसी इन्तकाल (Transfer) के द्वारा, या अन्य किसी प्रकार, ऐसी जायदादका मालिक या फाविज हो गया हो। या
- (सी) किसी ऐसी जायदादके वार्षिक मूल्य, या उसपर करकी कूती हुई रकम में वृद्धि करके, जिसका कि वार्षिक मूल्य, या जिस पर कर की कूती हुई रकम, फरेब (Fraud) या मिथ्या कथन (Misrepresentation) या गलती के कारण गलत लगाया गया हो, या गलत कूती गई हो। या
- (डी) किसी ऐसी जायदाद के वार्षिक मूल्य का नये सिरेसे तखमीना करके, या उस पर कर की रकम नये सिरे से कूत के, जिसका मूल्य, इमारत के बढा दिये जाने के कारण, या इमारत में परिवर्तन कर दिये जाने के कारण, बढ गया हो। या
- (ई) उस दशामें जब कि बोर्ड, दफा १२६के हुक्मोंके अनुसार, वार्षिक मूल्यके उस प्रति सैकडा के हिसाबमें परिवर्तन करे जिसके आधारपर कोई कर वसूल किया जाने को हो, तो प्रत्येक दशा में कर की जो रकम लगाई गई हो, उस रकम में, उपरोक्त परिवर्तन के अनुसार (Corresponding alteration) परिवर्तन करके। या

(एफ) मालिकके द्वारा दरखास्त दिये जाने पर, किसी ऐसी इमारतके वार्षिक मूल्य को घटा के, जो इमारत कि पूरी, या जिसका कुछ भाग, गिरा दिया गया हो, या नष्ट हो गया हो। या

(जी) लिया पड़ीकी किसी गलतीको, या हिसाबकी किसी गलतीको, ठीक करके।

२ परन्तु शर्त यह है कि बोर्डको किसी ऐसे शख्सको जिसका कि ऐसे परिवर्तनसे वास्ता हो किसी ऐसे परिवर्तनका जो बोर्ड उपदफा (१) के क्लॉज (ए), (बी), (सी), या (डी) के अनुसार करे और उस तारीखका जिस तारीखसे कि उक्त परिवर्तन किया जायगा, कमसे कम एक मास पहले नोटिस देना होगा।

३ दफा १४३ की उपदफा (२) और उपदफा (३) के हुक्म, जो ऐसी उच्चदारीयाँ के सम्बन्धमें दिये गये हों, जिनका वर्णन उक्त दफामें किया गया है, जहातक सम्भ्रमणको, किसी ऐसी उच्चदारीपर लागू होंग, जो उपदफा (२) के अनुसार जारी किये हुये किसी नोटिसपर की जाय, और किसी ऐसी दरखास्त जो उपदफा, (१) के क्लॉज (एफ) के अनुसार दी जाय, पर भी लागू होंगे।

४ प्रत्येक परिवर्तनकी जो उपदफा (१) के अनुसार की जाय, उस शख्स या उन शख्सोंके, जिसको या जिनको, दफा १४३ के अनुसार अधिकार दिया गया हो, हस्ताक्षरोंके द्वारा तसदीककी जायगी, और वह परिवर्तन, किसी ऐसी अपीलके नतीजेके अधीन जो दफा १६० के अनुसार की जाय, उस तारीखसे काममें लाया जायगा, जिस तारीखपर कि आगामी क्रिस्तके अदा करनेकी जिम्मेदारी होजाय (अर्थात् जिस तारीख पर आगामी क्रिस्त चढ जाय)।

व्याख्या—

उपदफा (१) के क्लॉज (बी) के लिये बोर्डको 'इन' विषयोंमें नियम बनाना होंगे कि कोई शख्स सूचीमें अपना नाम दर्ज कराने के लिये दरखास्त देसके, और जब यह निर्णय न किया जासके कि किसका नाम किसी जायदादके मालिककी हैसियतसे चढाया जाय, तो क्या कार्रवाई हो, और जायदादके इन्तकालपर, उस इन्तकाल की किन २ लोगोंको म्यूनिसिपलटीको सूचना देना चाहिये इत्यादि। नमूनेके नियम (Madel Rules) जो बना दिये गये हैं उनके लिये देखिये म्यूनिसिपल मैनुअल के पन्ना ३३५ और ३३६।

दफा १४८ तरसीम करनेके लिये सूचना देनेकी जिम्मेदारी

१ जब कोई इमारत बनाई जाय, या कोई इमारत फिरसे (डुबारा) बनाई जाय, या बढाई जाय, तो मालिक, ऐसी इमारत, बनाने, फिरसे बनाने, या बढानेके पूरा होजाने की तारीखसे, या उस तारीखसे जिसपर कि वह उक्त इमारतमें रहने लगे, या उसको काममें लाने लगे (Date of occupation) अर्थात् इन दोनों तारीखोंमें से जो तारीख पहले पड़े उससे १५ दिनके भीतर बोर्डको नोटिस देगा।

२ जो शख्स ऐसा नोटिस न दे जिसका हुक्म कि उपदफा (१) में दिया गया है, उसका अपराध साबित होनेपर (On conviction) जुमानेका दण्ड दिया जायगा, जिसकी

संख्या ५०) रु० तक, या कर की उस संख्याकी दसगुनी तक हो सकती है, जो उक्त इमारत, या इमारतमें उक्त वृद्धिपर तीन महीनेकी अवधिके लिये देना पडती हो, अर्थात् इन दोनोंमें से जो रकम अधिक हो।

दफा १४९ वार्षिक मूल्यपर कुछ करों के दिये जानेकी जिम्मेदारी

१ सिवाय उस दशके जबकि नियमके द्वारा किसी अन्य प्रकारकी आह्वा दी गई हो, प्रत्येक कर (सिवाय मेला उठवानेके कर के, या पाखानो, पेशाखानोकी रूफाई कराने के कर के) जो इमारतों या आराजियों या दोनोंके वार्षिक मूल्यपर लगा हो, प्रथम उस जायदादके जिसपर कि कर कूता गया हो, वास्तविक काबिजसे वसूल किया जायगा, यदि ऐसा काबिज उन इमारतों या आराजियोंका मालिक हो या उनपर, इमारत बनाने के पट्टे या अन्य प्रकारके पट्टेके द्वारा, जो भारत मंत्री (Secretary of State) और उनकी कौंसिलकी ओरसे या बोर्डकी ओरसे, दिया गया हो, कब्जा रखता हो, या इमारत बनानेके ऐसे पट्टेके द्वारा जो किसी और शहसकी ओरसे दिया गया हो, कब्जा रखता हो।

२ किसी और दशामें, कर प्रथम नीचे लिखे शहससे वसूल किया जायगा अर्थात्

(ए) यदि जायदाद किरायेपर उठी हो तो उस शहससे जो उसको किरायेपर दे (Lessor)।

(बी) यदि किरायेदारने जायदादको किसी और किरायेदारको उठा दिया हो (अर्थात् शिक्मी किरायेदारको) तो उस शहससे जिसने अखरमें पहले किरायेपर दी हो (Superiorlessor)।

(सी) यदि जायदाद किरायेपर न उठी हो, तो उस शहससे जिसको उसके किरायेपर देनेका अधिकार प्राप्त हो।

३ यदि कोई रकम, जो किसी ऐसे कर के विषयमें चाहिये हो, उस शहससे वसूल न की जासके जो उसके अदा करनेका प्रथम जिम्मेदार हो तो बोर्ड, उन इमारतों या आराजियोंके किसी भागपर कब्जा रखने वाले से, जिनके विषयमें कि कर चाहिये हो, उतना भाग वसूल कर सकता है, जिस भागका कि कुल वाजिब रकमसे बड़ा अनुपात (Ratio) हो जो उस किरायाका जो उक्त काबिजसे प्रति वर्ष वसूल किया जा सकता हो, उस पूर्ण (Aggregate) किरायेकी रकमसे हो जो पूरी इमारतों या आराजियोंपर लगा हो, या जो अनुपात (Ratio) उनके किरायेके धन (Lettingvalue) की उस पूर्ण रकमसे हो जो तसदीक की हुई, कृते हुये कर की सूचीमें दर्ज हो।

४ कोई काबिज जो कोई ऐसी रकम अदा करे जिसके अदा करनेका कि वह पूर्वोक्त हुयमोके अनुसार, प्रथम जिम्मेदार नहीं है, उसको (यदि इसके विपरीत कोई मुशाहिदा न हो) अदा की हुई रकमका उस शहससे पानेका अधिकार होगा, जिस शहसकी प्रथम जिम्मेदारी उस रकमके अदा करनेकी हो।

व्याख्या—

किसी आराजी या इमारत पर कब्जा रखने वाले से, दफा (१) के अनुसार, कर केवल

जियों का किराया हिसाब से उतने दिनों का माफ कर दिया जायगा जितने दिन कि वह खाली रहा हो। जैसे यदि मकान ३ मास तक खाली रहा हो तो चौथाई किराया और यदि ४ मास तक खाली रहा हो तिहाई किराया, माफ कर दिया जायगा।

—उपदफा (२) के सम्बन्ध में नभूने का नियम जो घना दिया गया है, इस प्रकार है—

एक्ट की दफा १५१ (२) के अनुसार कर-के कुछ भाग की माफी या वापसी पाने के लिये, किसी ऐसी इमारत का मालिक जिसमें रहने के लिये अलग २ घर घने हों, बोर्ड से उस समय, जब कि इमारत पर कर कूता जाय, यह प्रार्थना कर सकता है कि बोर्ड कूते हुये घर की सूची में, पूरी इमारत के वार्षिक मूल्यके अतिरिक्त एक नोट (लेटर) का भी इन्दराज कर दे, जिसमें प्रत्येक अलग २ घर के वार्षिक मूल्य का पूरा ब्योरा लिखा जाय। जब कोई घर, जिसका वार्षिक मूल्य इस प्रकार अलग दर्ज कर दिया गया हो, किसी वष में लगातार ९० दिन, या इस से अधिक दिन, तक खाली रहा हो, और उससे किराये की कोई आमदनी न हुई हो, तो पूरी इमारत के कर का उतना भाग माफ कर दिया जायगा, या लौटा दिया जायगा, जितना कि दफा १५१ की उपदफा (१) के अनुसार माफ कर दिया गया होता या लौटा दिया गया होता, यदि उस घर पर कर अलग कूता गया होता—(देखिये म्युनिसिपल मैनुअल पन्ना ३३६)

दफा १५२ फिरसे आबाद होनेकी सूचना देनेकी जिम्मेदारी

१ किसी ऐसी इमारत या आराजीके मालिकको जिसके विषयमें इससे पहली बाली दफाके अनुसार कर माफ किया गया हो, या वापिस किया गया हो, उक्त इमारत या आराजीके फिरसे आबाद होने (बसजाने) की सूचना इस प्रकार फिरसे बस-जानेकी तारीखसे १५ दिनके भीतर देना होगी।

२ कोई मालिक जो ऐसा नोटिस न देगा जिसके विषयमें उपदफा (१) में हुक्म दिया गया है उसको जुर्मानेके साबित हो जाने पर जुर्मानेका दण्ड दिया जायगा, जिसकी संख्या कर की-उस रकमके दुगुनेसे कम न होगी, जो उक्त इमारत या आराजी पर उस अवधिके लिये देना हो जिस अवधिमें कि वह बिना सूचना दिये फिरसे आबाद रही हो और जिस जुर्मानेकी अधिकसे अधिक संख्या पचास रुपये तक हो सकती है या उक्त कर के दसगुनी तक हो सकती है अर्थात् इन दोनों में जो रकम बड़ी हो।

करोंकी वसूली, चुकौता, माफी और कर लगानेके सम्बन्धकी अन्य बात ।

(Collection, Composition, Exemption & Other matters relating to taxation)

दफा १५३ कूतने, वसूल करने और अन्य बातोंके लिये नियम

जदा तक कि इस पैक्टमें नीचे लिखी बातोंकेलिये हुक्म कर दिया गया है उसके अतिरिक्त उनका प्रबन्ध और उनकी कार्रवाई नियमोंके अनुसार की जायगी। अर्थात्

(ए) करोंका कूता जाना, (Assessment) जमा किया जाना (Collection)

या चुकौता किया जाना (Composition) और चुङ्गीके कर के लिये चुङ्गीकी हदोंका निर्णय किया जाना ।

(बी) धोखा देकर टैक्स न देने (Evasion) को रोकनेका प्रबन्ध ।

(सी) वह प्रणाली जिसके अनुसार करों की वापसीकी आज्ञा होगी और वापसिया दी जायगी ।

(डी) उन नोटिसोंकी फीस जिनके द्वारा किसी करके हिसाबमें कोई रकम मांगी जाय (तलब की जाय) और कुर्कोंके वारण्टों (Warrants of distress) के तामील किये जानेका फीस ।

(ई) दर, उस खर्चका जो कुर्क किये हुये पशुओंकी खुराकके विषयमें लिया जायगा ।

(एफ) करोंके सम्बन्धकी अन्य बातें जिनके विषयमें इस ऐक्टमें कोई हुक्म नहीं दिया गया है या जो हुक्म है वह काफी नहीं है और जिसके लिये कि हुक्म किया जाना, प्रान्तीय सरकारकी रायमें, आवश्यक है ।

व्याख्या—

प्रान्तीय सरकारने चुङ्गीकी छोड़के अन्य करोंके कूते जाने और जमा किये जानेके नमूनेके नियम दफा १५३ और दफा १९६ के अनुसार बना दिये हैं । प्रान्तीय सरकारकी आज्ञा है कि जहाँ तक सम्भव हो सज म्यूनिसिपलटियाँ इन्हीं नमूनेके नियमोंको स्वीकार करलें ।

नीचे लिखे विषयों पर नमूनेके नियम (Model Rules) बना दिये गये हैं —

(१) हमारतों और आरजियों पर कर कूते जाने और जमा किये जानेके विषयमें । म्यूनिसिपल मैन्युअल पन्ने ३३५-३३६ ।

(२) तौला और पहँदारों पर कर कूते जाने और जमा किये जानेके विषयमें । म्यूनिसिपल मैन्युअल पन्ने ३३६-३३७ ।

(३) शकर (खाद) साफ करने वालों (Sugar refiners) पर कर कूते जानेके विषयमें नियम म्यूनिसिपल मैन्युअल पन्ने ३३७ से ३४० तक ।

(४) शकरके व्यापारियों और शकरके साफ करने वालों पर कर कूते जाने और जमा किये जानेके विषयमें नियम । म्यूनिसिपल मैन्युअल पन्ने ३४०-३४१ ।

(५) कपड़ेके व्यापारियों पर कर कूतने और जमा करनेके विषयमें नियम । म्यूनिसिपल मैन्युअल पन्ने ३४२-३४३ ।

(६) तम्बाकू और गाल्ट दोनों वालों पर कर कूतनेके विषयमें । म्यूनिसिपल मैन्युअल पन्ने ३४३-३४४ ।

(७) गाड़ियों (या पशुओं) पर कर कूतने और जमा करनेके विषयमें । म्यूनिसिपल मैन्युअल पन्ने ३४४-३४५ ।

(८) म्यापारों, स्वयंसायों और कामों पर कर कूतने और वसूल करनेके विषयमें (जो कि बट्टी म्यूनिसिपलटियाँ लिये ठीक होंग) म्यूनिसिपल मैन्युअल पन्ने ३४५ से ३४७ तक ।

- (९) व्यापारों, व्यवसायों और कामों पर कर कूतने और वसूल करनेके विषयमें (जहाँ कि छोटी म्यूनिसिपल्टियोंके लिये ठीक होंगे) म्यूनिसिपल मैन्युअल पन्ने ३४४ से ३४९ तक ।
- (१०) हैसियत और जायदाद पर कर कूतने और जमा करनेके विषयमें । म्यूनिसिपल मैन्युअल पन्ना ३४९ ।
- (११) पाखानों, पेशाबखानोंके साफ करानेके कर के कूतने और जमा करनेके विषयमें म्यूनिसिपल मैन्युअल पन्ना ३४९-३५०
- (१२) प्रवेश करों (Tolls) के कूतने और जमा करनेके विषयमें । म्यूनिसिपल मैन्युअल पन्ने ३५० से ३५१ ।
- (१३) (कानपूर की म्यूनिसिपलटी में) टर्मिनल टैक्स (Terminal tax) के कूतने और जमा करने के विषय में । म्यूनिसिपल मैन्युअल के पन्ने ३५१ से ३५५ तक।
- (१४) (कानपुर म्यूनिसिपलटी में) टर्मिनल प्रवेश कर (Terminal toll) के कूतने और जमा करने के विषय में म्यूनिसिपल मैन्युअल पन्ने ३५६ से ३५७ ।
- (१५) नाज के व्यापारियों पर कर कूतने और जमा करने के विषय में । म्यूनिसिपल मैन्युअल पन्ना ३५८ ।
- (१६) हॉटेल, खपडे और चूना बनाने वालों पर कर के कूतने और जमा करने के विषय में, म्यूनिसिपल मैन्युअल के पन्ने ३५८ से ३६० तक ।
- (१७) पानी पहुँचाने के विषय में । म्यूनिसिपल मैन्युअल के पन्ने ३६० से ३६५ तक
- (१८) निर्वाचन में, निर्वाचकों तथा, उम्मेदवारों की योग्यताओं के विषय में । म्यूनिसिपल मैन्युअल पन्ने ३६५ से ३६६ ।

—दफा ३२७ के अनुसार जो अधिकार कि प्रान्तीय सरकार को दिया गया है, इसको बरतते हुये, प्रान्तीय सरकार ने अपना अधिकार कमिश्नरों को सौंप दिया है, कि वे दफा २९६ के अनुसार, ऐक्ट की दफा १५३ के (प), (बी), और (सी) क्लॉजों के लिये नियम बनायें, जो उन म्यूनिसिपल्टियों पर लागू होंगे जोकि शहरकी म्यूनिसिपल्टियाँ नहीं हैं और दफा २९९ के द्वारा इस बात की मजूरी देने का अधिकार कि किसी ऐसे नियम के उल्लंघन के लिये जुर्माने का दण्ड दिया जायगा, जिसकी सख्वा ५०० रुपये तक हो सकती और यदि उल्लंघन ऐसा उल्लंघन हो जिसका लगातार होना माना जाता हो (Continuing breach) तो उपरोक्त दण्ड मिलने के उपरान्त, जितने दिन अपराधी उक्त अपराध को करता जाय, तो प्रति दिन ५ रुपये जुर्माने के और बढ़ते जायगे, भी कमिश्नरों को सौंप दिया है । (देखिये विज्ञापन No 706 XI 118 H, तारीख २ अप्रैल, ता १९१९)

—(सी) और (ई) क्लॉजों के लिये प्रान्तीय सरकार ने जो नियम बनाये हैं, उनके लिये देखिये दफा १७४ की व्याख्या ।

दफा १५४ चुंगीकी हदें नियत करनेका अधिकार

१ जब कोई छावनी का अधिकारी (Contonment authority) गवर्नर जन

रल और उनकी कौंसिल की मजूरी से किसी मिली हुई म्यूनिसिपलटी के साथ यह निश्चय करले कि छावनी और म्यूनिसिपलटी के लिये चुगी की एक ही हदें स्थापित की जाय, और चुगी के द्वारा जो रकम जमा हो और उसका खर्च, छावनी के कोष और म्यूनिसिपलटी के कोष में बांट दिया जाय, तो चुगी की उन हदों में, जो नियमके द्वारा नियत की जाय, छावनी और म्यूनिसिपलटी दोनों के क्षेत्र फलों का उतना भाग शामिल समझा जायगा, जितना कि प्रान्तीय सरकार आवश्यक समझे ।

२ जो पशु भधवा माल उक्त हदों के भीतर लाये जाय, उन पर चुगी का कर जमा करने के बोर्ड को वही अधिकार होंगे, और इस ऐक्ट के वह हुकम जो चुगी के विषय में हैं उसी प्रकार लागू होंगे, मानों ऐसी हदें पूरी २ म्यूनिसिपलटी के ही भीतर हैं ।

दफा १५५ चुंगीका कर देनेसे बचनेके लिये दण्ड

जो शख्स कोई ऐसे माल या जानवर जिन पर चुगीका कर लिया जाया करता हो, और जिनके विषय में चुगीका कर उनके प्रवेश होनेपर न तो दिया गया हो न पेश किया गया हो, म्यूनिसिपलटी की हदों के भीतर लाये, या लाने की कोशिश करे, या उनको म्यूनिसिपलटी के भीतर लाने के लिये किसी को उत्साहित करे (Abet) उसको जुर्माने की सजा दी जायगी, जिसकी सख्या या तो चुगी की ऐसी रकम के दस गुने तक या ५०) रुपये तक हो सकती है और जिसकी सख्या ऐसी चुगीकी मालि-अत के दुगने से कम न होगी ।

व्याख्या—

इस दफा में अधिक से अधिक जुर्माने की रकम, तथा कम से कम जुर्माना जो किया जा सकता है, दोनों की सख्या बता दी गई है । जो चुगी देना चाहिये थी उसके दस गुने तक जुर्माना किया जा सकता है या, यदि वह दसगुनी रकम ५०) रुपये से कम हो, तो ५०) रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है । कम से कम जो जुर्माना किया जा सकता है उस के लिये यह आज्ञा है कि वह चुगी की उस रकम से जो भदा की जाना चाहिये थी, दुगने से कम न हो ।

—इस दफाके अनुसार अपराधी वह शख्स होगा जो म्यूनिसिपलटी के भीतर कोई माल या जानवर, बिना उसकी चुगी भदा किये लाता है । इसलिये जब कि ६० बोरे शखर के एक शख्स A के नाम से भाये, और एक दूसरे शख्स B ने जो एक दलाल या उनको छुड़ाया, और बिना चुगी भदा किये, B उनको म्यूनिसिपलटी के भीतर ले गया । इस दफा के अनुसार B अपराधी ठहराया गया और उस पर जुर्माना हुआ । हाइकोर्ट के सामने यह बहस की गई कि B केवल दलाल था, और A का एजेण्ट था, इसलिये A अपराधी ठहराया जाना चाहिये । परंतु हाइकोर्ट ने इस महम को स्वीकार नहीं किया और तजवीज किया कि मजा उसी शख्स की होना चाहिये जो माल को बिना चुगी दिये, म्यूनिसिपलटी के भीतर लाता है । देखिये वायूराम घनान सरकार महादुर 16 A L J 623=46 I C 848

—जब कि किसी शख्स के पास रुपये से कुछ माल आया, और चुगी देनेके लिये उस शख्स ने चुगी के दफ्तर में रेल की बिस्की पेश करदी, और बिस्की में दो हुई ताल के डिस्कोम से चुगी भदा कर दी । याद में रेलवे कम्पनी को पता चला कि बिस्की में ताल कम दान थी, और इस पर शख

शरस ने चुगी की शेष रकम, अर्थात् पूरी तोल पर देना चाही, तो उस शरस पर "धोखा दे कर चुगी अदा करन से बचने" (Evasion of Octroidyuty) का मुकद्दमा चलाया गया। हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि ऐसी दशा में, कम तोल पर चुगी अदा करना उसी हासत में अपराध हो सकता है जब कि चुगी देने वाला यह जानता हो कि जो तोल थिटी में दर्ज है वह गलत है, और यदि इस बात का सुबूत न हो कि वह शरस यह बात जानता था कि तोल गलत दर्ज है, तो वह अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। देखिये सरकार महादुर बनाम रूपाराम (1882) A.W N. 231.

दफा १५६ चुकौता (Composition)

१ किसी नियमके हुकमोंके अधीन, कोई बोर्ड विशेष रेजोल्यूशनके द्वारा, जिसका समर्थन कमिश्नर ने किया हो वह आज्ञा दे सकता है कि सब शख्सों को, या किसी शख्स को, किसी कर के विषय में चुकौता करने की (अर्थात् किसी अवधि के लिये एक इकट्ठी रकम दे कर मामला करलेने की) आज्ञा दी जाय।

२ प्रत्येक रकम जो उपदफा (१) के अनुसार, किसी कर का चुकौता करलेने के कारण किसी पर चाहिये हो, उस विधि से वसूल की जा सकेगी, जो छूटे प्रकरण में बताया गयी है।

व्याख्या—

किसी कर का चुकौता करने में बोर्ड को नीचे लिखे नियमों पर ध्यान देना चाहिये—

१ जो रेजोल्यूशन कि बोर्ड दफा १५६ के अनुसार पास करे, उसमें वह शख्स, या वह समुदाय स्पष्टरूप से अंकित कर दिये जाना चाहिये, जिनको कि उस रेजोल्यूशन में बताया हुये, किसी टैक्स या टैक्सों के विषय में चुकौता करने की आज्ञा दी जाने को हो।

२ बोर्ड उस अवधि को भी अंकित कर देगा जिसमें कि चुकौता करने की आज्ञा दी गई हो, किन्तु सिवाय किसी विशेष कारणों के उपस्थित होने की दशा में, जिसकी मजूरी कि सरकार ने दी है, ऐसी अवधि किसी दशा में एक वर्ष से अधिक न होगी।

३ किसी समय पर बोर्ड, इसी प्रकार के रेजोल्यूशन के द्वारा, उचित कारण होने पर, उन शख्सों या समुदायों को जिन पर कि इसका असर पड़े, जायज रूप से नोटिस देने के पश्चात् चुकौता करने की आज्ञा को वापिस ले सकता है।

४ चुगी के टैक्स का चुकौता, साधारणतः, उस कुल (Gross) माल के तखमीने के आधार पर किया जायगा जो कि चुकौता करने वाला म्यूनिस्सिपलटी के भीतर लाता हो। जो माल चुकौता करने वाला म्यूनिस्सिपलटी के बाहर भेजेगा उसके विषय में वापसी पाने का उसको अधिकार होगा। किन्तु किसी प्रसिद्ध तथा इजाजतदार (प्रतिष्ठित), फुटकर माल बचने वाले व्यापारी से बोर्ड माल की खालिम (Net) मात्रा के आधार पर चुकौता कर सकता है अर्थात् माल की उस मात्रा का, जो वह वर्ष भर में म्यूनिस्सिपलटी के भीतर लाये, और उस मात्रा को जो वह म्यूनिस्सिपलटी के बाहर वर्ष भर में भेजे अन्तर के आधार पर। परन्तु शर्त यह है कि वह इस बात की प्रतिज्ञा, कानून के अनुसार लिख दे कि वह उस माल के सम्बन्ध में, जो वह बाहर भेजेगा वापसी न मागे। (विज्ञापन No 1906 XI, 6 H तारीख ५ जुलाई सन १९१६ ई०)

दफा १५७ माफी (Exemption)

१ कोई बोर्ड, किसी ऐसी अवधि के लिये जो एक वर्ष से अधिक न हो, किसी ऐसे कर के, या कर के किसी भाग के, अदा करने से, जो इस ऐक्ट के अनुसार लगाया गया हो, किसी ऐसे शख्स को माफ कर सकता है, जो उस की राय में, गरीबी के कारण, उसके अदा करने में अयोग्य हो, और जितनी बार बोर्ड आवश्यक समझे ऐसी माफी वह फिर दे सकता है।

२ बोर्ड, विशेष रेजोल्यूशन के द्वारा, जिसका समर्थन कमिश्नर ने किया है, किसी शख्स को, या किसी समुदाय को, या किसी जायदाद को, या किसी प्रकार की जायदाद को, किसी ऐसे कर या कर के किसी भाग के अदा करने से माफ कर सकता है जो इस ऐक्ट के अनुसार लगाया गया हो।

३ प्रान्तीय सरकार, हुकम के द्वारा, किसी शख्स को, या किसी समुदाय को, या किसी जायदाद को, या किसी प्रकार की जायदाद को, किसी ऐसे कर या कर के किसी भाग के अदा करने से, माफ कर सकती है, जो इस ऐक्ट के अनुसार लगाया गया हो।

ध्यान—

उपदफा (२) किसी कर की माफी के विषय में जो विशेष रेजोल्यूशन कोई बोर्ड पास करे, उसके समर्थन करने का अधिकार, शहरों की म्यूनिसिपलटियों के विषय में इस ऐक्ट के द्वारा, पहले प्रान्तीय सरकार को दिया गया था। प्रान्तीय सरकारने अपने इस अधिकार को, विज्ञापन No 908 XI 504 E ता० ६ मई सन १९१८ ई० के अनुसार, कमिश्नरों को सौंप दिया था। अतएव एमेण्डमेंट ऐक्ट न० २ सन १९१९ ई० के द्वारा दफा १५७ की उपदफा (२) में, 'सरमीन कर दी गयी और सब प्रकार की म्यूनिसिपलटियों के (चाहे, वह शहर की म्यूनिसिपलटियाँ हों या अन्य) रेजोल्यूशन का समर्थन करने का अधिकार कमिश्नरों को सौंप दिया गया है।

—“या कर के किसी भाग के” यह शब्द उपरोक्त दफा की तीनों उपदफाओं में जो रखे गये हैं, उनके द्वारा बोर्ड को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि चाहे कोई कर पूरा माफ कर दे, या उसका कोई भाग माफ करने के लिये, कर की दर घटा दे।

—किसी किसी विशेष हालतों में म्यूनिसिपलटी के करों के प्रचल किये जानेकी मनाही कर देने के लिये भारत सरकार ने ऐक्ट न० ११ सन १८८१ ई० (Act No .11 of 1881 An Act to give power to prohibit the levy of Municipal taxes in certain cases) पास कर दिया है। उक्त ऐक्ट की दफा ३ के अनुसार, गवर्नर जनरल और उनकी कौन्सिल ने नीचे लिखा नियम बना दिया है—

सब ऐसे शख्स जो कि केवल फौज की नौकरी करते हों, या जो किसी ऐसे विभाग के नौकर हों जो फौज से सम्बन्ध रखता हो, या जो फौज के पब्लिक धरम विभाग के नौकर हो, और जो कि ऐसे शख्स हों जो आर्मी डिस्सिप्लिन और रेग्युलेशन ऐक्ट सन १८७९ ई० (Army Discipline & Regulation Act 1879) के अधीन हो या इण्डियन आर्टिकुलस ऑफ वार (Indian Articles of war) के अधीन हों, और जो फौजी ड्यूटी (Duty) के काम पर किसी म्यूनिसिपलटी की इहाँ के भीतर रहने पर बाध्य हों, वह करों से माफ होंगे।

दफा १६३ खर्चा

१ प्रत्येक अपील में, खर्चों के विषय में हुकम देना, उस अफसर की इच्छा पर निर्भर होगा जो अपील को फैसल करेगा।

२ जो खर्चा इस दफा के अनुसार बोर्ड को दिलाया जाय उसको बोर्ड उस विधि से वसूल कर सकेगा जो छोटे प्रकरण में नियमित है।

३ यदि बोर्ड, कोई ऐसा खर्चा जो किसी अपीलान्ट को दिलाया जाय, उसके अदा किये जाने के हुकम के मिलने के दस दिनों के भीतर, अदा न करे, तो वह अफसर जिसने कि खर्चा दिलाया हो, उन शख्सों को जिनके कब्जे में कि म्यूनिसिपलटी के कोष की बाकी हो, उक्त खर्चे को अदा करने की आज्ञा दे सकता है।

दफा १६४ दीवानी और फौजदारीकी अदालतोंको कर के मामलों के सुननेका अधिकार न होगा

१ सिवाय उस विधि के जिसका हुकम इस ऐक्ट में है, और सिवाय उस अधिकारी के जिसको इस ऐक्ट के द्वारा अधिकार है, किसी अन्य विधि से, या किसी अन्य अधिकारीकी ओर से, कोई उच्च किसी मालियतके निश्चय किये जानेके विषयमें या कर के कूते जाने के विषय में न किया जायगा। न कोई उच्च सिवाय उक्त विधिके, और उक्त अधिकारी के द्वारा, इस विषय में किया जायगा कि किसी शख्स की ऐसी जिम्मेदारी है कि नहीं कि उस पर कर कूता जाय, या कर लगाया जाय।

२ हाकिम अपील का हुकम किसी ऐसे हुकम के समर्थन, या रद्द, या तरमीम किये जाने के विषय में, जो मालियत निश्चय किये जाने या कर की कूत (तशखीस) के विषय में हो, या ऐसी जिम्मेदारी के विषय में हो, जिस के कारण कर कूता जाय, या कर लगाया जाय, अन्तिम (Final) होगा। परन्तु शर्त यह है कि हाकिम अपील के लिये जायज़ होगा कि दरखवास्त पर या अपनी इच्छासे, किसी ऐसे हुकमकी जो उसने अपील में दिया हो, एक ऐसे दूसरे हुकम के द्वारा नजरसानी करे (Review), जो दूसरा हुकम कि उसके प्रथम हुकम की तारीख से तीन मास के भीतर दिया जाय।

व्याख्या—

इस दफा के द्वारा करों के सम्बन्ध में सब प्रकार के हुकम जो अपील सुनने वाला हाकिम दे अन्तिम माने गये हैं। किसी मकान या आराजी की मालियत जो हाकिम अपील निश्चय कर दे, या कर की रकम या कर देने की जिम्मेदारी आदि के विषय में जो हुकम वह दे वह अन्तिम होगा। परन्तु ऐसा कोई हुकम उसी दशा में अन्तिम माना जा सकता है और उसी दशा में अदालत दीवानी को उस हुकम में हस्तक्षेप करने का अधिकार न होगा, जब कि हुकम कानून की आज्ञाओं के अनुसार दिया गया हो अन्यथा नहीं। म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट के अनुसार अन्तिम माने हुये हुकमों में किस दशा में अदालत दीवानी को हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है इस विषय में अनेक फैसले इलाहाबाद हाईकोर्ट के हो चुके हैं (देखिये दफा-१४ की व्याख्या)। कलकत्ता कोर्ट का एक प्रथम फैसला इस वसूल पर हो चुका है जिस में यह तजवीज हुआ कि जब किसी

म्यूनिसिपल सस्था ने कानून के विपरीत कोई कार्रवाई की हो तो अदालत दीवानी को अधिकार है कि कर कूते जाने के विषय में यह निश्चय कर दे कि वह कानून के विरुद्ध कूता गया है। देखिये हामिद हुसैन बनाम पटना म्यूनिसिपलटी 17 C L J. 131=15 I C. 548

—टी ई स्टेची बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड कानपुर, 1899 A. W. N 97 वाले मामले में जो म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट न० १५ सन १८८३ के अनुसार दायर हुआ था मुद्दई ने प्रार्थना की थी कि मुद्दाअलेह म्यूनिसिपलटी के नाम हुक्म इस्तनाई (In Junction) निकाला जाय कि यह मुद्दई से कर वसूल न करे। हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि जिस रेजोल्यूशन के द्वारा म्यूनिसिपलटी ने उक्त कर मुद्दई पर लगाया था वह नाजायज था। अतएव हाईकोर्ट ने मुद्दई की प्रार्थना स्वीकार की और म्यूनिसिपलटी के नाम हुक्म इस्तनाई जारी कर दिया कि वह मुद्दई से कर वसूल न करे। हुक्म इस्तनाई की प्रार्थना के विषय में हाईकोर्ट ने तजवीज में लिखा —

“रेपण्डेंट (अर्थात् कानपुर म्यूनिसिपलटी) की ओर से बहस की जाती है कि इस अदालत को हुक्म इस्तनाई की प्रार्थना स्वीकार करने का अधिकार नहीं है और मोरन बनाम बेयर मैग मोतीहारी म्यूनिसिपलटी, I L R 17 Cal 329 की नजीर इस बहस के समर्थन के लिये पेश की जाती है। यह ठीक है कि इस मुकद्दमे को फैसल करने वाले योग्य जजों की यह राय थी कि समाहित सस्थाओं को उन के कर्तव्यों का पालन कराने के लिये मजबूर करने का अहितयार और उन को ऐसे किसी काम के करने से रोक देने का अहितयार जो उन को अधिकारों की सीमा के भीतर न हो हाईकोर्ट को केवल उसी दशा में दिया गया है जब कि वह प्रेसिडेंसी की राजधानियों के इस्तनाई मुकद्दमे सुनने के अपने अधिकार (Original Jurisdiction) को धरत रहा हो। सुफिसल की म्यूनिसिपलटियों के विषय में हाईकोर्ट को ऐसा अधिकार नहीं दिया गया है। ऐसा जान पड़ता है कि इस प्रकार की राय देते समय योग्य जजों का ध्यान स्पेसिफिक रिलीफ ऐक्ट (Specific Relief Act) के आठवें प्रकरण की ओर गया किन्तु उस प्रकरण के हुकमों पर विचार करने से यह बात स्पष्टतः प्रगट हो जायगी कि जिन हुकमों का उक्त प्रकरण में उल्लेख है वह ऐसे हुकम हैं जो दरखास्तों (Application) पर दिये जाय। उस प्रकरण के हुक्म नम्बरी दायों (Suit) की डिकरियों पर लागू नहीं हैं। उस प्रकरण में कोई ऐसा हुक्म नहीं है जिस के द्वारा अदालतों को हुक्म इस्तनाई जारी करने की मनाही की गई हो म्यूनिसिपलटियों के नाम इस अदालत ने हुक्म इस्तनाई जारी भी किये हैं जैसे गगानारायण बनाम कानपुर म्यूनिसिपलटी के मुकद्दमे में (देखिये I L R 19 All. 313) इस लिये हम नीचे की अदालत की डिकरी में इस तरह तरमीम करते हैं कि मुद्दाअलेह, बोर्ड के नाम हुक्म इस्तनाई जारी किया जाय कि वह मुद्दई से २५ अगस्त सन १८८७ ई० के रेजोल्यूशन के आधार पर (अर्थात् वह रेजोल्यूशन जिस को हाईकोर्ट ने नाजायज ठहराया था) कर वसूल न करे।”

इस नजीर से भी उस वसूल का समर्थन होता है कि यद्यपि म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट के द्वारा कोई हुक्म अन्तिम माना गया हो तथापि यदि ऐसा हुक्म कानून की किसी आज्ञा के विरुद्ध हो तो अदालत दीवानी में ऐसे हुक्म के विरुद्ध दावा दायर किया जा सकता है।

दफा १६५ बचतें

कोई कूते हुये कर की सूची, या अन्य सूची या नोटिस, या बिल (Bill) या अन्य ऐसा

अनुसार जारी किया गया हो, जायज होगा कि सूर्योदय और सूर्यास्तके बीच किसी समय, नीचे लिखी दशाओ मे (परन्तु अन्य किसी दशा में नहीं) किसी इमारत के किसी बाहरी या भीतरी दरवाजा या खिड़की को इस अभिप्राय से तोड़ कर खोले, कि उस कुर्की को करे जिसका हुकम वारण्ट मे है—

- (ए) अगर वारण्ट मे कोई विशेष हुकम हो जिसके द्वारा उसको इस बात की आज्ञा दी गई हो। और
- (बी) यदि उसके लिये इस बात के विश्वास करने के लिये उचित कारण हों कि इमारत मे ऐसी जायदाद है जो वारण्ट के अनुसार कब्जे मे ली जा सकती है। और
- (सी) यदि अपना अधिकार, और मतलब, की सूचना दे देने पर, और भीतर जाने की जायजरूप से आज्ञा मांगने पर, उसको अन्य प्रकार अन्दर न जाने दिया जाय।

२ परन्तु शर्त यह है, कि उक्त अफसर किसी ऐसे कमरे का, जो स्त्रियों के रहने के लिये अलग हो, दरवाजा न तोड़ेगा, न उसमें प्रवेश करेगा जब तक कि वह उन स्त्रियों को जो उसके भीतर हो हटाने का अवसर न दे दे।

दफा १७१ वारण्टकी तामील किये जानेकी विधि

१ उक्त अफसर उस शख्स की किसी जायदाद मनकूला (जङ्गम) को, जिस शख्स का नाम उक्त वारण्ट मे बाकीदार की तरह लिखा हो, जहा कही कि उक्त जायदाद मिले, उपदफा (२) और (३) के हुकमों के अधीन कुर्क कर सकता है।

२ नीचे लिखी जायदाद कुर्क नहीं की जायगी—

- (ए) जिस शख्स के ऊपर बाकी हो उसके और उसकी स्त्री और बच्चों के पहिनने के आवश्यक कपडे और विस्तर।
- (बी) कारीगरों के औजार।
- (सी) हिसाब की किताबे, अर्थात् बहियां।
- (डी) उस दशा मे, जब कि वह शख्स जिस पर बाकी हो कृषक (जराअत पेशा) हो, तो उसके कृषिके औजार, और बीज के लिये नाज, और ऐसे पशु जो उसके लिये अपनी जीविका कमाने के अभिप्राय के लिये आवश्यक हो।

३ कुर्की आवश्यकता से अधिक न की जायगी, अर्थात् जो जायदाद कुर्क की जाय उसका मूल्य, जहा तक सम्भव हो, लगभग उस रकम के बराबर हो जो वारण्ट के अनुसार वसूल की जाने को हो, और यदि वह वस्तुये जो कुर्क की गई हों, उस शख्स की राय मे, जिसको दफा १६९ की उपदफा (२) के द्वारा, या उसके अनुसार, वारण्ट पर हस्ताक्षर करने का अधिकार मिला हो, इस प्रकार कुर्क न की जाना चाहिये की, तो वह वस्तुये सुरत लौटा दी जायगी।

४ उक्त अफसर, जायदाद कुर्क करने के पश्चात् तुरन्त उसकी एक सूची तैयार करेगा, और जायदाद के उठा ले जाने से पूर्व, उस शख्स को जिसके कब्जे में उक्त जायदाद कुर्क के समय थी, एक लिखित नोटिस, गिड्डूयूल न० ६ में दिये हुये फार्म के अनुसार, इस विषय में देगा कि उक्त जायदाद उस प्रकार जैसा कि उक्त नोटिस में लिखा गया होगा, नीलाम की जायगी।

व्याख्या—

उप दफा (१) में शब्द “जहाँ कहीं उक्त जायदाद मिले” जो आये हैं, उनका मतलब यही लगाया जा सकता है कि म्यूनिसिपलटी की हदों के भीतर जहाँ कहीं जायदाद मिले, म्यूनिसिपलटी का वह अफसर, जिसको वारण्ट तामील करने के लिये दिया गया हो, कुर्क कर सकता है, क्योंकि दफा १७३ के द्वारा यह बात साफ कर दी गई है, कि म्यूनिसिपलटी की हदों के बाहर किसी नाल की कुर्क करने के लिये, जिला मजिस्ट्रेट अपने किसी अफसर को वारण्ट की तामील के लिये नियत करेगा।

दफा १७२ वारण्टके अनुसार मालका बेचा जाना और उससे जो रुपया मिले उसका लगाया जाना

१ जब वह जायदाद जो कुर्क की गई हो, ऐसी हो जो शीघ्र और प्राकृतिक रूप से, खराब हो जाने वाली हो, या जब इस बात की सम्भावना हो कि उक्त जायदाद को कब्जे में रखने का खर्च, उस रकूम के सहित, जो कि वसूल की जाने वाली हो, जायदाद के मूल्य से बढ़ जायगा, तो चैयरमैन, या अन्य अफसर, जिसने वारण्ट पर हस्ताक्षर किये हैं उस शख्स को जिसके कब्जे से जायदाद कुर्क की गई हो, इस विषय का नोटिस तुरन्त देगा, कि जायदाद तुरन्त बेची जायगी, और जायदाद को उसी नोटिस के अनुसार बच देगा सिवाय उस दशा के कि वह रकूम जो वारण्ट में दर्ज हो तुरन्त अटा कर दी जाय।

२ यदि जायदाद, उपदफा (१) के अनुसार, तुरन्त नीलामनकी जाय, तो सिवाय उस दशा के कि वारण्ट का अफसर उस शख्स ने स्थगित कर दिया हो, जिसने उस पर हस्ताक्षर किये हैं, या सिवाय उस दशा के कि वह रकूम जो बाकीदार पर चाहिये हो, उस पूरे खर्च के सहित, जो नोटिस देने में, वारण्ट निकालने में जायदाद की कुर्क करने में, और उसको कब्जे में रखने के सम्बन्ध में पडा हो, देदी गई हो, कुर्क की हुई जायदाद, या उसका एक काफी भाग, उस अवधि के समाप्त होने पर जो उस नोटिस में लिख दी गई हो, जिसकी तामील वारण्ट की तामील करने वाले अफसर ने की हो, बोर्ड के हुकूमो के अनुसार, आम नीलाम के द्वारा, बेच दी जायगी।

३ यदि कुछ रुपया बचे तो वह तुरन्त म्यूनिसिपलटीके कोषमें जमा किया जायगा। और साथ ही साथ उस रुपये के इस प्रकार जमा किये जाने का नोटिस उस शख्स को दिया जायगा, जिसके कब्जे से जायदाद कुर्क की गई हो। परन्तु यदि वह रुपया, लिखित दस्तखत के द्वारा, जो बोर्ड को दी जाय, नोटिस दिये जाने की तारीख से, एक वर्ष के भीतर मागा जाय, तो ऐसे शख्स को यह रुपया लौटा दिया जायगा। कोई

रकम जो ऐसे नोटिस की तारीख से एक वर्ष के भीतर न मांगी जाय वह बोर्ड की हो जायगी।

धृफा १७३ उस कार्रवाईकी विधि जो उस दशमैं की जायगी जब वारंटकी तामील किसी ऐसी जायदादके विरुद्धकी जाय जो म्यूनिसिपलटीके बाहर हो

१ यदि किसी ऐसे शख्स की जिस पर कर बाकी हो काफी जायदाद मनकूला (इङ्गम) म्यूनिसिपलटी के भीतर न मिल सके या जो जायदाद उस इमारत या आराजी मे हो जिस के सम्बन्ध मे उस शख्स पर कर कूता गया हो, वह काफी न हो तो जिला मजिस्ट्रेट बोर्ड की प्रार्थना (दरखुवास्त) पर अपनी अदालत के किसी अफसर के नाम—

(ए) किसी जायदाद मनकूला या माल की कुर्की और नीलाम के लिये जो उस शख्स की हो जिस पर कि बाकी है और जो ऐसे मजिस्ट्रेट के अधिकार की सीमा के किसी दूसरे भाग मे हो, वारण्ट जारी कर सकता है। या

(बी) किसी ऐसी जायदाद मनकूला की कुर्की और नीलाम के लिये जो उस शख्स की हो जिस पर कि बाकी है और जो किसी ऐसे दूसरे मजिस्ट्रेट के अधिकार के सीमा के भीतर हो जो सयुक्त प्रान्त के भीतर कहीं अपने अधिकारों को बरतता है, वारण्ट जारी कर सकता है।

२ जब उपधृफा (१) के क्लॉज़ (बी) के अनुसार कार्रवाई की जाय तो वह दूसरा मजिस्ट्रेट वारण्ट की पीठ पर जो इस प्रकार जारी हुआ है हस्ताक्षर करेगा और उस की तामील करायेगा और जो रकम प्राप्त हो उसको उस मजिस्ट्रेट के पास जिस ने वारण्ट जारी किया हो भिजवा देगा और वह मजिस्ट्रेट उस रकम को बोर्ड के पास भेज देगा।

व्याख्या—

उपधृफा (१) के मारम्भिक शब्द विचारणीय हैं। उन का अर्थ यह निकलता है कि म्यूनिसिपलटी के भीतर (परन्तु उस इमारत के बाहर जिस के सम्बन्ध में कि वह कर लगाया गया हो जो बाकी है) जहा कहीं कोई ऐसी जायदाद मिले जिस का वह शख्स मालिक हो जिस पर कि कर बाकी है, तो वह जायदाद कुर्क की जा सकती है। परन्तु जो जायदाद उस इमारत में मिले जिस इमारत के सम्बन्ध में कि कर लगाया गया है तो ऐसी जायदाद के विषय में यह बात देखने की आवश्यकता नहीं है कि उस का मालिक वही शख्स है कि नहीं जिस पर कि कर बाकी है, वरन ऐसी सब जायदाद के विषय में यह मान लिया जायगा कि वह उसी शख्स की है और वह सब कुर्क की जा सकेगी।

—उपधृफा (१) (ए) यदि जायदाद किसी ऐसे स्थान में हो जिस पर कि वही जिला मजिस्ट्रेट का अधिकार हो जिसका कि म्यूनिसिपलटी की हदों के भीतर अधिकार है जैसे कि जायदाद

जिले की किसी दूसरी तहसील में हो तो जिला मजिस्ट्रेट अपनी अदालत के किसी अफसर को चारण्ट कुर्की के लिये सौंप देगा। अर्थात् म्यूनिसिपल्टी का कोई अफसर चारण्ट की तामील केवल म्यूनिसिपल्टी की हदों के भीतर कर सकता है बाहर नहीं।

दफा १७४ फीसों और खर्चों

(ए) प्रत्येक नोटिस, जो दफा १६८ के अनुसार जारी किया जाय, की फीस

(बी) प्रत्येक कुर्की, जो दफा १७१ के अनुसार की जाय, की फीस। और

(सी) प्रत्येक पशु जो उक्त दफाके अनुसार कब्जे में लिया जाय उसकी खुराक का खर्च।

उन दरों के अनुसार ली जायगी, या लिया जायगा, जो प्रत्येक दशों के लिये उन नियमों में जो प्रान्तीय सरकार इस अभिप्राय से बना दे, अंकित की गई हों और ऐसी फीस या ऐसा खर्चा बाकी के वसूल किये जाने के खर्चों में जो दफा १६९ के अनुसार लिया जायगा शामिल कर दी जायगी, या कर दिया जायगा।

व्याख्या—

विज्ञापन No 1906XI-6 H ता० ५ जुलाई सन १९१६ ई० के द्वारा दफा १७४ के सम्बन्ध में नीचे लिखे नियम बना दिये गये हैं —

१ प्रत्येक माग के नोटिस (Notice of demand) के लिये जो दफा १६८ के अनुसार जारी किया जाय, चार आने की फीस ली जायगी।

२ प्रत्येक कुर्की के लिये जो दफा १७१ के अनुसार की जाय, आठ आने की फीस ली जायगी।

३ उन पशुओं की खुराक के लिये जो दफा १७१ के अनुसार कुर्क किये जाय, वही फीस ली जायगी जो कैटिलट्रैस्पस ऐक्ट सन १८७१ ई० (Cattle trespass Act 1871) की दफा ५ में बांड में बन्द किये हुए (In Pounded) पशुओं के सिलाने और पानी पिलाने के लिये नियत की गई है।

कैटिलट्रैस्पस ऐक्ट की दफा ५ के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को बांडों में बन्द किये हुए पशुओं के सिलाने पिलाने की फीस नियत करने का अधिकार दिया गया है और विज्ञापन No. 567 XII 751. B ता० २४ मार्च सन १८९९ ई० के द्वारा श्रीमान लेफ्टिनेण्ट गवर्नर ने मजिस्ट्रेट के इस अधिकार को जो उक्त ऐक्ट की दफा ५ के द्वारा मजिस्ट्रेट को दिया गया है म्यूनिसिपल बोर्ड और म्यूनिसिपल कमेटियों को सौंप दिया है, अतएव प्रत्येक म्यूनिसिपल बोर्ड को, बांडों में बन्द किये हुये पशुओं के सिलाने पिलाने की फीस, अपने अपने अधिकार की सीमा के लिये, नियत करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। हररी विज्ञापन के द्वारा यह भी आज्ञा दी गई है, कि खर्चों के बांडों में जो रूपया बच रहे, वह म्यूनिसिपल कोष में जमा कर दिया जायगा।

—विज्ञापन No. 341 XI 1 H ता० २५ जनवरी सन १९१७ ई० के द्वारा आज्ञा दी गई है कि प्रत्येक चारण्ट, जो ऐक्ट की दफा १७३ के अनुसार जारी किया जाय, उसके लिये आठ आने की फीस ली जायगी, और वह चारण्ट उन फारमों में से किसी फार्म पर होगा, जो वि सरदार, के म्यूनिसिपल विभाग ने ३७ K से ४२ K तक में नियमित किये हैं।

दफा १७५ बचतें

किसी विल, गा नोटिस, या कुर्की के वारण्ट, या सूची, या उसके सम्बन्ध में अन्य कार्रवाई, में किसी गलती, या दोष के हो जाने के कारण, या इस कारण कि वह फार्म के अनुसार नहीं है, कोई कुर्की या नीलाम जो इस ऐक्ट के अनुसार किया जाय, नाज्जयज समझा जायगा, और न कोई ऐसा शख्स जो कुर्की या नीलाम करे, मदाखिलतवेजा करने वाला (अर्थात् ऐसा शख्स जो किसी काम में बिना अधिकार के हस्तक्षेप करे) समझा जायगा ।

नोट.—देखिये दफा १६५ की व्याख्या ।

दफा १७६ कुर्की और नीलामके बदले नालिश करनेका अधिकार


कुर्की और नीलाम की कार्रवाई करने के बदले, या उस दशा में जब कुर्की और नीलाम के द्वारा, वह पूरी रकम जो मांगी गई हो, या उसका कुछ भाग, वसूल न हो सके, बोर्ड को अधिकार है कि उस शख्स पर, जो उक्त मांग के रुपये को अदा करने का जिम्मेदार हो, किसी अधिकार प्राप्त अदालत में नालिश करे ।

दफा १७७ जायदाद गैरमनकूला (स्थावर) का करों के अदा करनेका जिम्मेदार होना

उस मालगुजारी की अदायगी के प्रथम भारके अतिरिक्त, जो कि श्रीमान् भारत खन्नाट की, ऐसी इमारतों या आराजियों पर चाहिये हो (यदि ऐसी कोई मालगुजारी लगी हो), उन सब रकमों की अदायगी का भार, जो किसी ऐसे कर के हिसाबमें बाकी हो, जो इमारतों, या आराजियों या दोनों के वार्षिक मूल्य पर लगाये गये हों, ऐसी इमारतों या आराजियों पर सबसे पहला भार होगा ।

व्याख्या—

करों की बाकी के वसूल करने के लिये म्यूनिसिपलटी को बाकीदार का केवल माल असबाब कुर्की और नीलाम कराने का अधिकार दिया गया है । केवल एकही दशा में, अर्थात् जब कि इमारतों या आराजियों के वार्षिक मूल्य पर कोई कर लगा हो और वह बाकी हो, तो उसकी अदायगी के लिये वह इमारतों या आराजियों, जिन पर कि ऐसा कर लगा हो, जिम्मेदार रती गई हैं । सब से पहले, यदि कोई सरकारी मालगुजारी चाहिये हो वह अदा की जायगी, तत्पश्चात् म्यूनिसिपलटी के करों का रुपया दिया जायगा, और उसके बाद किसी कर्जदार वगैरह का ऐसी इमारतों या आराजियों के मूल्य में हफ़ होगा ।



प्रकरण ७

इमारतों और सार्वजनिक मोरियों, और सार्वजनिक रास्तों और आग बुझाने, और मैला उठवाने और पानी पहुंचाने और देने, के सम्बन्ध में अधिकार और दण्ड ।

Powers and penalties in respect of buildings, public drains streets
extinction of fires, scavenging and water supply

इमारतों के सम्बन्ध में कायदे ।

दफा १७८ इमारत बनाने और कुआं खोदने के इरादे की सूचना

१ प्रत्येक शहस को चाहिये कि इससे पूर्व कि वह म्यूनिसिपलटी की हदोंके भीतर-

(ए) कोई नई इमारत, या किसी इमारत का नया भाग बनाना, या

(बी) कोई इमारत फिर से बनाना (Reerect), या उसमें कोई भारी परिवर्तन करना (Maternal alterations), या

(सी) कोई छुआ खोदना या उसको बढ़ाना, आरम्भ करे, अपने इरादे की सूचना बोर्ड को दे ।

२ इमारत के विषय में जिस सूचना (नोटिस) को दिये जाने का हुक्म उप दफा (१) में है उसका दिया जाना केवल उस दशामे आवश्यक होगा जब उक्त इमारत किसी सार्वजनिक सड़क, या स्थानके या श्रीमान भारतके सम्राट, या बोर्डके, अधिकारकी किसी जापदादके, किनारे पर (Abuttangon) या उसके समीप, हो, सिवाय उस दशाके जबकि किसी बाईं लॉ के द्वारा, जो उस रकबे पर लागू हो जिसमें उक्त इमारत है, सब इमारतोंके विषयमें नोटिसका दिया जाना आवश्यक करदिया गया हो ।

३ इस प्रकरण के मतलबके लिये, और किसी बाईं लॉ के मतलबके लिये किसी इमारत में परिवर्तन उस दशामे भारी परिवर्तन (Maternal alteration) समझा जायगा-

(ए) जब इमारत की दृढ़ता और सुरक्षित, या पानी के निकास या वायु के गमन आगमन (Ventilation), या आरोग्यता (Sanilation), या सफाई (Hygiene) की दृष्टि से, इमारत की हालत पर, उसका बुरा प्रभाव पडता हो, या बुरा असर पडने की सम्भावना हो । या

(बी) जब उससे इमारत की ऊँचाई, या क्षेत्रफल, या घनफल, घटे या घटे, या इमारत के किसी कमरे का घनफल, उस कमरे कम घनफल से, जो किसी बाईं-लॉ में नियमित हो, घटे । या

- (सी) जब उससे कोई इमारत या इमारत का भाग, जो वास्तव में किसी और मतलब के लिये बनाया गया हो, बदल के एक ऐसा स्थान हो जाय, जो मनुष्य के निवास के काम में आवे । या
- (डी) जब वह ऐसा परिवर्तन हो, जो किसी बाई ला के द्वारा जो इस विषय में बनाया गया हो । भारी परिवर्तन ठहरा दिया गया है ।

व्याख्या—

इस दफा की उप दफा (१) के क्लॉज (ए) में शब्द "या किसी इमारत का नया भाग" नये बढाये गये हैं । ऐक्ट नं० १ सन् १९०० में यह शब्द नहीं थे ।

उप दफा (१) के क्लॉज (बी) में शब्द "या उसमें भारी परिवर्तन करना" नये बढाये गये हैं ।

उप दफा (१) का क्लॉज (सी) नया बढाया गया है । सन् १९०० के म्यूनिसिपलटियों के कानून में वह नहीं था ।

उप दफा (२) में जो शब्द "समीप" आया है वह भी नया है । सन् १९०० के ऐक्ट में शब्द "समीप" (Adjacent to) की जगह शब्द "मिला हुआ" (Adjoining) थे ।

उप दफा (३) के द्वारा भारी परिवर्तन की व्याख्या भी इस दफा में नई बढाई गई है ।

कानून के शब्दों में उपरोक्त सब परिवर्तन, ध्यान में रखना चाहिये, क्योंकि इस विषय में अधिकांश नज़ीरें पुराने ऐक्ट के समय में हुई हैं, और उनके समझने के लिये वर्तमान ऐक्ट और पुराने ऐक्ट के हुकमों का भेद जानना आवश्यक है ।

—शब्द "इमारत" की व्याख्या ऐक्ट की दफा २ के नं० (२) में दी गई है और शब्द "इमारत का भाग," की व्याख्या ऐक्ट की दफा २ के नं० १४ में दी गई है ।

—नगर की सफाई, आरोग्यता इत्यादि के प्रबन्ध का भार म्यूनिसिपलटी के ऊपर है, अतएव यह आवश्यक है कि जो इमारतें, नई या पुरानी बनाई जाय, उनकी सूचना पहले से म्यूनिसिपलटी को दे दी जाय जिससे कि बोर्ड को इस बात की जांच का अवसर मिले, कि उक्त इमारत से नगर की सफाई आदि नहीं बिगडेगी ।

म्यूनिसिपलटी के भीतर जब कोई नई इमारत बनाये जाने की इच्छा की जाय, या जब किसी गिरी हुई इमारत की जगह, या किसी इमारत को तोडके, फिर से दूसरी इमारत बनाई जाने की इच्छा की जाय, या जब किसी इमारत में कोई नया भाग बनाने की इच्छा की जाय, तो म्यूनि-सिपलटी को नोटिस देंके, बोर्ड की आज्ञा प्राप्त कर लेना चाहिये ।

किसी इमारत में कोई छोटे मोटे परिवर्तन करने के लिये तो नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु यदि परिवर्तन "भारी" (Material) हो, तो ऐसे परिवर्तन का भी नोटिस दिया जाना चाहिये ।

साधारणतः इस दफा के अनुसार नोटिस उन्हीं इमारतों आदि के बनाये जाने पर दिया जाना आवश्यक होता है जो

- (१) किसी सार्वजनिक सड़क या स्थान के किनारे पर हों या जो किसी सार्वजनिक सड़क या स्थान के समीप हों (Adjacent to) .

(२) किसी सरकारी जायदाद के किनारे पर हों, या उसके समीप हों ।

(३) बोट की किमी जायदाद के किनारे पर हों, या उसके समीप हों ।

—यदि किसी दायम की कोई बहुत बड़ी आराजी म्यूनिसिपल्टी के भीतर हो, और उस आराजी पर, सार्वजनिक सड़क से १००-२०० गज के अन्तर पर, माता बनाया जाय, तो उसके विषय में सम्भवतः नोटिस देने की आवश्यकता न होगी । परन्तु यदि कोई बाई लैं बनाके यह आज्ञा देदे कि सब इमारतों के विषय में नोटिस दिया जाय, चाहे यह सार्वजनिक सड़क आदि के समीप हो, या उनसे दूर हो, तो जो कोई इमारत, जहाँ कहीं, बनाई जाय, सब का नोटिस दिया जाना चाहिये ।

यह बात ध्यान में रखना चाहिये कि पुराने ऐक्ट, अर्थात् म्यूनिसिपल्टीज ऐक्ट न० १ सन् १९०० ई०, में यह आज्ञा थी कि नोटिस उन इमारतों के बनाये जाने पर दिया जाय, जो किसी सार्वजनिक सड़क आदि से मिली हुई हों" (Adjoining) । इसका अर्थ यह लगाया जाता था कि यदि कोई इमारत सार्वजनिक सड़क से गज, दो गज हटा के बनाई जाय, तो उसके लिये, किसी नोटिस के दिये जाने की आवश्यकता नहीं थी । अतएव इस ऐक्ट में शब्द 'समीप' छाया गया है, जिससे कि यह बात स्पष्टतः प्रगट हो जाय कि इमारत को केवल गज दो गज हटा लेने से नोटिस देने से बचत नहीं हो सकती ।

—पुराने ऐक्ट के अनुसार, हाईकोर्ट ने तर्जवीज किया था कि म्यूनिसिपल्टीज ऐक्ट न० १ सन् १९०० की दफा ८७ में जो शब्द 'सार्वजनिक सड़क के किनारे या उससे मिला हुआ' आया है उनका ऐसा अर्थ नहीं लगाया जाया सकता कि यह किसी ऐसी इमारत पर लागू हो सकते हैं जो किसी सार्वजनिक सड़क से बीस या पचास फुट के अन्तर पर हो । देखिये सरकार घाहदुर बनाम सुकुन्दलाल 1901 A W N 203 और "सार्वजनिक स्थान" (Public place) का अर्थ यह माना था कि सार्वजनिक स्थान यह है जिस पर जाने का सर्वसाधारण को इजाजत के द्वारा या रियाज के द्वारा, या अन्य प्रकार, अधिकार प्राप्त हो । परन्तु सार्वजनिक स्थान का यह अर्थ नहीं है कि यह ऐसा स्थान हो जिस पर सर्व साधारण में से कोई व्यक्ति चल फिर सके, या जो सर्वसाधारण को निकलते बैठते दिखाई पड सके । देखिये मैरिनाथ बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड बनारस 1901 A W N 56 ।

—किसी इमारत में कौन सा परिवर्तन "भारी" माना जाना चाहिये और कौन सा नहीं, इस विषय में बहुत सी कठिनाइयाँ सामने आया करती थीं । अतएव इस दफा की उपदफा (३) में "भारी परिवर्तन" की सविस्तर व्याख्या कर दी गई है । इस व्याख्या के अनुसार नीचे लिखी दशाओं में परिवर्तन भारी माना जायगा —

(१) जब किसी परिवर्तन के कारण किसी इमारत की दृढ़ता या सुरक्षित कम होनाय । म्यूनिसिपल्टी का कर्तव्य है कि यह किमी इमारतमें किसी ऐसे परिवर्तन के किये जाने की आज्ञा न दे जिस परिवर्तनके कारण कोई इमारत ऐसी कमजोर हो जाय कि आस पास की इमारतों को, अथवा मार्ग पर निकलने वालों को, उसके कारण जोखों हो ।

(२) जब किसी परिवर्तन के कारण पानी का निकास ठीक प्रकार न हो सके ।

(३) जब ऐसे परिवर्तन के कारण उक्त इमारत में स्वच्छ वायु के आने जाने में किसी प्रकार रुकवट हो ।

- (४) जब ऐसे परिवर्तन के कारण उक्त इमारत की सफाई, रिगडे, या किसी अन्य प्रकार स्वास्थ्य के लिये यह हानिकारक हो ।
- (५) जब ऐसे परिवर्तन के कारण इमारत की ऊंचाई घटे या बढ़े । इमारत की ऊंचाई बढ़ा दिये जाने से स्वच्छ वायु तथा धूप के आने में रुकावट हो सकती है । और कमरों आदि का नीचा कर दिया जाना भी स्वास्थ्य के विचार से अच्छा नहीं होता ।
- (६) जब किसी परिवर्तन के कारण इमारत बड़े या घटे, चाहे उसका क्षेत्रफल बड़े या घटे, या घनफल बढ़े या घटे ।
- (७) जब किसी परिवर्तन के कारण किसी कमरे का घनफल, उस कमरे कम घनफल से घटे, जो किसी बाई लॉ के द्वारा नियत कर दिया गया हो । (देखिये नमूने के बाई लॉ जो म्यूनिसिपल मैनुअलके पन्ने ४०२ से ४०९ तकमें दिये गयेहैं) कमरे के घनफल के घटाने बढ़ाने को भारी परिवर्तन मान लेने से किसी शरस को यह अपसर नहीं मिल सकता कि पहले तो कमरों को उतने घनफल का बनवाया जितने घनफल का बनवाना किसी बाई लॉ के अनुसार आवश्यक हो, और पछि से दीवारें खड़ी करके प्रत्येक कमरे को कई २ कमरों में विभाजित कर दे ।
- (८) जब किसी परिवर्तन के कारण कोई ऐसी इमारत, जो किसी अन्य मतलब के लिये बनवाई गई हो, मसुप्यके रहने के लिये बना ली जाय ।
- (९) जब परिवर्तन ऐसा हो जो किसी बाई लॉ के द्वारा भारी परिवर्तन मान लिया गया हो ।

—“भारी परिवर्तन” की इस व्याख्या को ध्यान में रखके, तथा उन शाब्दिक परिवर्तनों को जो इस दफा में किये गये हैं ध्यान में रखते हुये, नीचे लिखी नजरों पर विचार करना चाहिये —

—एक शरस ने एक नाज की खूती अपने मकान और सार्वजनिक सड़क के बीच में म्यूनिसिपलटी से बिना आज्ञा लिये खुदवाई । उस पर दफा ८७, ऐक्ट न० १, सन १९००, के अनुसार मुकद्दमा चलाया गया (ऐक्ट न० १, सन १९०० की दफा ९७, वर्तमान ऐक्ट की दफा १७८ के समान थी) । हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि नाज की खूती खुदवाना, “इमारत का बनवाना या फिर से बनवाना” (Erect or re-Erect) नहीं कहा जा सकता । देखिये हरसरनदास बनाम सरकार बहादुर 11 A. L. J 688=20 I C 611=14 Cr L J 45

—जब कि एक कच्चे चबूतरे के किनारे पर ईंट चूने की एक मुडेर बिना इजाजत के बनवाली गई, तो हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि ऐसे मुडेर के द्वारा चबूतरे की शकल (आकार) अथवा उसके स्थान में, कोई परिवर्तन नहीं हुआ । अतएव ऐसी मुडेर का बनवाया जाना भारी परिवर्तन नहीं माना जा सकता । देखिये राधावल्लभ बनाम सरकार बहादुर 12 A. L. J 257=23 I C 192=15 Cr L J 240

—जब कि एक स्थान पर पहले ही से एक छप्पा बना था, जिस को तोड़ के उस की जगह एक दूसरा छाया हुआ छप्पा, बिना इजाजत के बनवा लिया गया तो हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि इमारतमें परिवर्तन तो अपश्य किया गया परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि एक छप्पा की जगह

दूसरा छाया हुआ छजा बनना लेने से भारी परिवर्तन किया गया। देखिये शामलाल बनाम सरकार बहादुर 1 A L, J 694=14 I C 602=13 Cr L J 250

—यदि किसी ऐसे बरामदे की डाटें, जो सड़क के किनारे पर हों, धन्द करा के उस का कमरा या कमरे बनवा लिये जाय, तो हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि यह माना जायगा कि दफा ८७ ऐक्ट न० १ सन १९०० ई० के हुकमोंके अनुसार इमारत फिरसे बनाई गई और यदि उसके विषय में नोटिस देके म्यूनिसिपलटी की आज्ञा न ले ली गई हो तो उसका बनवाने वाला अपराधी उदरताया जा सकता है। देखिये 1904 A W N 233 सरकार बहादुर बनाम जगन्नाथ प्रसाद।

—किसी ऐसे गैरस के विरुद्ध निस ने कि सड़क पर एक पम्प लगाया हो, दफा ८७ के अनुसार (वर्तमान ऐक्ट की दफा १७८) कार्रवाई करना बिल्कुल गलत है। देखिये जगन्नाथ बनाम सरकार बहादुर 35 I C 526=17 Cr L J 350

—“ सरकारी इमारतों का ऐक्ट ” न० ४ सन १८९९ ई० (Government buildings Act No 4 of 1899) के कारण इस दफा का कोई हुकम या अन्य कोई हुकम जो इमारतोंके सम्बन्धमें म्यूनिसिपलटीके किसी कानून या नियमके द्वारा दिया गया हो किसी सरकारी इमारत पर लागू नहीं है। उक्त ऐक्ट की दफा (१) में न्यून दिया गया है कि कोई हुकम जो किसी कानून में, जो इस समय प्रचलित हो और जिस के द्वारा म्यूनिसिपलटी की हदों के भीतर इमारतों के बनाये जाने फिर से बनाये जाने, तामीर किये जाने या उन में परिवर्तन किये जाने या उन को कायम रखे जाने के विषय में कोई आज्ञा दी गई हो, किसी ऐसी इमारत पर लागू होगा जो सार्वजनिक कामों के लिये या सार्वजनिक कर्मचारियों के लिये इस्तेमाल की जाती हो या जिस की ऐसे कामों या कर्मचारियों के लिये आवश्यकता हो और जो सरकार की जायदाद हो, या सरकार के कब्जे में हो या जो ऐसी आरजी पर बनाई जाने का हो, जो सरकार की जायदाद हो या सरकार के कब्जे में हो परन्तु शर्त यह है कि जब कभी किसी ऐसी इमारत जिसका वर्णन ऊपर दिया गया है, के बनाये जाने, फिर से बनाये जाने तामीर किये जाने, या उसकी बनावट में कोई भारी परिवर्तन करने का विचार किया जाय तो (सिवाय उस दशाके जब कि ऐसी इमारत राष्ट्रीय रक्षा के सम्बन्ध रखती हो या वह कोई ऐसी इमारत हो जिस का नक़्सा या बनावट सरकार की राय में गुप्त या छिपी हुई रखी जाना चाहिये) उचित नोटिस इस्ताफित काम का म्यूनिसिपल अधिकारी को काम के आरम्भ होने से पहले दिया जायगा। दफा ४ के द्वारा आज्ञा है कि म्यूनिसिपलटी का कोई अधिकारी प्रान्तीय सरकार की आज्ञा पहले से प्राप्त करके (परन्तु बिना ऐसी आज्ञा प्राप्त किये हुये नहीं) और किसी ऐसे बंधेजों और शर्तों के अधीन जो प्रान्तीय सरकार साधारण या विशेष आज्ञा के द्वारा लगा दे ऐसी आरजी और इमारत और उन सब मक़सों का जो उस के बनाये जाने, फिर से बनाये जाने, तामीर किये जाने, या बनावट में भारी परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में हो मुआहना (जांच) कर सकता है और उस के विषय में जो उज्र या सलाह देना चाहे उस को किये के प्रान्तीय सरकार की सेवा में भेज सकता है। ऐसे उज्र या ऐसी सलाह पर प्रान्तीय सरकार विचार करेगी और उस पर हुक्म देगी और उसी हुक्म के अनुसार इमारत के बनाये जाने, फिर से बनाये जाने, इत्यादि में कार्रवाई की जायगी।

नोट—सरकारी इमारतोंका ऐक्ट न० ४ सन १८९९ ई० रेलों की इमारतों पर लागू नहीं है (G G O विभाग कार्पर्स तथा इन्स्टी न० ४१७० वा० १६ मार्च १९०६ ई०-)

७) — बोर्ड को दफा २९८ की उपदफा (२) की मद (ए) के अंश (बी) के अनुसार आज्ञा दी गई है कि बाईं लॉ बना के इमारत में किसी विशेष परिवर्तनके विषय में यह निश्चय कर दे कि यह भारी परिवर्तन माना जायगा ।

दफा १७९ वह नकशे और हाल, जोकि नोटिसको जायज़ बनानेके लिए आवश्यक हैं

१ जिस म्युनिसिपलटी में कोई ऐसा बाईं-लॉ बनाया गया हो, जिस में यह नियमित हो, या जिसकी यह आज्ञा हो, कि नोटिस के अतिरिक्त कोई हाल (Information) बतायाजाय, और नकशा दियाजाय, तो कोई नोटिस जो दफा १७८ के अनुसार दिया जाय, जायज नहीं माना जायगा, जबतक कि वह हाल (अगर कोई हाल हो) जिस के विषय में उक्त बाईं लॉ में हुक्म दिया गया हो, इस प्रकार, न दिया जाय जो बोर्ड की राय में सन्तोष प्रद हो।

२ किसी और दशा में बोर्ड उस नोटिस के मिलने की तारीख से जिस का हुक्म दफा १७८ में दिया गया है एक सप्ताह के भीतर उस शख्स को जिस ने उक्त नोटिस दिया हो, हिदायत कर सकता है कि किसी ऐसी इमारत का जो मौजूदा हो या किसी प्रस्तावित इमारत का या इमारत के भाग का या कुए का नकशा और हाल दाखिल करे, और उस के साथ उस जमीन का एक नकशा जिस पर कि इमारत बनाई जाने को हो ऐसे उचित विवरण के सहित जो बोर्ड अपने हुक्म में नियमित कर पेश करे और ऐसी दशा में उक्त नोटिस उस समय तक जायज न माना जायगा जब तक कि ऐसे नकशे और हाल इस प्रकार न दाखिल कर दिये जायँ कि जो बोर्ड की राय में सन्तोषप्रद हो।

व्याख्या—

दफा २९८ की मद (ए) के द्वारा बोर्ड को अधिकार दिया गया है कि उन सब बातोंके विषय में जो उक्त मद में अंकित की गई हैं इमारतों के सम्बन्ध में बाईं लॉ बनाये ।

दफा १८० बोर्ड द्वारा काम बनानेकी मंजूरी दी जाना

१ किसी बाईं लॉ के (जो इस विषय में हो) हुक्मों के अधीन बोर्ड किसी ऐसे काम की जिस का नोटिस दफा १७८ के अनुसार दिया गया हो, इजाजत देने से इनकार कर सकता है या बिना किसी बन्धेजों और शर्तों के इजाजत दे सकता है। या

(ए) किसी ऐसी लिखित हिदायतों के अधीन इजाजत दे सकता है जो हिदायत कि बोर्ड उन बातों के विषय में जो दफा २९८ की मद (ए) के अंश (एच) में दी गई हैं, देना उचित समझे। या

(बी) इस लिखित हिदायत के अधीन इजाजत दे सकता है कि उक्त इमारत या इमारत का भाग इमारतों की उस नियमित लैन तक जो लैन कि दफा २२२ के अनुसार नियमित हो, हटा दी जाय। या हटा दिया जाय या यदि कोई ऐसी लैन उक्त दफा के अनुसार न हो, तो आस

पासकी किसी इमारत या इमारतोंके अग्र भागकी लैन तक हटादी जाय या हटा दिया जाय ।

२ जब उपदफा (१) के अनुसार इजाजत देने से इनकार कर दिया जाय तो बोर्ड इस प्रकार इनकार कर देने के कारणों को लिखित सूचना उस शख्स को देगा, जिसने दफा १७८ के अनुसार नोटिस दिया हो ।

३ यदि दफा १७८ के अनुसार दिये हुए किसी जायज नोटिस के मिलने से एक मास तक बोर्ड उस शख्स को जिसने उक्त नोटिस दिया हो उस नोटिस के विषयमें कोई ऐसा हुकम जो उस प्रकार के हुकमों में से हो जो उपदफा (१) में अंकित हैं देने में और हवाला करने में उपेक्षा करे या हुकम न दे और हवाले न करे तो उक्त शख्स लिखित पत्र के द्वारा बोर्ड का ध्यान ऐसी चूक या उपेक्षा की ओर आकर्षित कर सकता है और यदि ऐसी चूक या उपेक्षा १५ दिन की अवधि तक और जारी रहे तो यह माना जायगा कि बोर्ड ने प्रस्तावित काम को बिना किसी वन्वेज और शर्त के इजाजत दे दी ।

४ परन्तु शर्त यह है कि उपदफा (३) की किसी बात का यह अर्थ न लगाया जायगा कि उस के द्वारा किसी शख्स को इस ऐक्ट के या किसी बाई-लॉ के विपरीत कोई काम करने का अधिकार दिया गया है ।

५ कोई शख्स किसी ऐसे काम को जिसका नोटिस दफा १७८ के अनुसार दिया गया हो आरम्भ न करेगा, जबतक कि इस दफा के अनुसार इजाजत न दे दी गई हो, या इजाजतका दिया जाना मान न लिया गया हो ।

व्याख्या—

इमारतों के सम्बन्ध में जब कोई म्यूनिसिपल्टी बाई लॉ बना लेगी, तो ऐसे बाईलाओं के हुकमों के विरुद्ध, किसी इमारत आदि के बनाये जाने की इजाजत देने का बोर्डको अधिकार न होगा । परन्तु बोर्ड को यह अधिकार प्राप्त होगा कि किसी इमारत के बनाने की आज्ञा न दे, चाहे ऐसी इमारत किसी बाई लॉ के हुकम के विरुद्ध न भी हो । जैसे, गणेशप्रसाद बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड छलनऊ 60 L J 33=49 I C 463 अवध की जुडिशल कमिश्नरीने यह निश्चय किया कि बोर्ड का अधिकार है कि किसी इमारत के बनाने, या फिर से बनाने, की आज्ञा इस कारण न दे कि उक्त इमारत की उच्चाई इतनी होगी, कि जिस स्थान में उसके बनाने का प्रस्ताव किया जाता है, उस स्थान के लिये, उतनी ऊंची इमारत अनुचित है ।

परन्तु यदि इमारत की उच्चाई के विषय में कोई बाई लॉ न हो, तो ऐसी दशा में, बोर्ड को, दफा १८३ के हुकम के अनुसार, ऐसी इमारत के बनाये जाने की मनाही कर देने पर हर्जाना देना होगा ।

—उप दफा (१) के हलाक (बी) में जो शब्द "नियमित लैन" (Regular line) आये हैं उनके अर्थ के लिये देखिये दफा २२२ ।

—बोर्ड को चाहिये कि इमारत बनाने के नोटिस पर एक उचित समयके भीतर हुकम दे दे । यदि एक मास तक बोर्ड कोई हुकम न दे, या जो हुकम बोर्ड दे, वह नोटिस देने वाले से पास न भेजा जाय, तो ऐसा शख्स बोर्ड का ध्यान उस नोटिस की ओर पत्र के द्वारा दिला सकता है और यदि ऐसे पत्र से पन्द्रह दिन तक, फिर भी बोर्ड उस नोटिस पर कोई हुकम न दे, तो नोटिस के देने वाले को यह अधिकार होगा, कि वह बोर्डकी इजाजतके लिये अनेक न उद्धर कर, इमारतकी बनवाले ।

(1907) A W N 251=29 All I. L R 737, के मामलेमें हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि जज इमारत बनाने की इजाजत के लिये म्युनिसिपल बोर्ड को दरखास्त दी गई, और वह अवधि जो ऐक्ट नं० १ सन् १९०० ई० की दफा ८७ की उप दफा (२) में बताई गई है, समाप्त हो गई हो, तो दरखास्त देने वाला उसी दफा में होगा, मानों उस इमारत की जिसके विषय में दरखास्त के द्वारा इजाजत मांगी गई थी, बोर्ड ने जायते के अनुसार, इजाजत दे दी है। इसी प्रकार रामनाथ बनाम म्युनिसिपल बोर्ड मथुरा, 12 A L J 740=26 I C 670, वाले मामले में जब कि रामनाथ ने लगभग दो मास तक ठहरने के पदनाइ बोर्ड को पत्र लिखा, और लगभग सात मास के बाद बोर्ड ने नोटिस और पत्र की पुनर ली तो हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि रामनाथ ने, बिना बोर्ड की इजाजत के ही मकान बना लेने में कोई अपराध नहीं किया, और उस पर ऐसे मकान के बना लेने के विषय में मुकद्दमा नहीं चलाया जा सकता।

—उप दफा (४) का यह अर्थ है, कि दरखास्त देने वाले को केवल इतनाही अधिकार है, कि बोर्ड की इजाजत प्राप्त किये बिना वह कोई ऐसी इमारत, या इमारत का भाग, बनवाले, जो किसी कानून के विरुद्ध, या इमारत सम्बन्धी किसी बाई लॉ के विरुद्ध न हो। उप दफा (३) के अनुसार जब बोर्ड किसी इमारत की इजाजत की दरखास्त पर हुक्म न दे, और दरखास्त देने वाले को बिना इजाजत के मकान बना लेने का अधिकार प्राप्त हो जाय, तो भी किसी ऐसे दावस को किसी ऐसी इमारत के बनाये का अधिकार न होगा, जो किसी कानून या बाई लॉ के विरुद्ध हो, और यदि ऐसी इमारत कोई बनाई जायगी तो, उप दफा (३) के हुक्मों के होते हुये भी, ऐसा मकान बनाये वाला, दफा १८५ के अनुसार अपराधी ठहराया जायगा।

—यदि बोर्ड किसी इमारत के बनाये जाने की इजाजत देने से मना कर दे तो दरखास्त देने वाला ऐक्ट की दफा ३१८ के अनुसार उस हुक्म की अपील कर सकता है परन्तु उसके नियम में अदालत दीवानी में कोई दावा नहीं कर सकता। अब्दुल समद बनाम म्युनिसिपल बोर्ड मेरठ 12 A L J 445 वाले मामले में मुद्दई ने किसी इमारत की मरम्मत करने के लिये इजाजत चाही। म्युनिसिपल बोर्ड ने इजाजत देने से इनकार कर दिया। मुद्दई ने अदालत दीवानी में इस विषय में दावा दायर किया कि बोर्ड के नाम, सदा के लिये हुक्म इस्तनाई निकाला जाय, कि वह मुद्दई को मरम्मत करने से न रोके। हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि यदि म्युनिसिपल बोर्ड मरम्मत की इजाजत न दे तो दरखास्त देने वाले के लिये केवल एक ही उपाय है कि उस हुक्म की, ऐक्ट के हुक्मों के अनुसार अपील करे। परन्तु ऐसे हुक्म के विरुद्ध अदालत दीवानी में कोई मुकद्दमा दायर करने का अधिकार नहीं हो सकता।

इसी प्रकार जब कि मुद्दई ने पुरानी नींव पर अपना मकान फिर से बनाने की इजाजत मांगी, और दरखास्तके साथ एक नकशा भी पेश किया, जिसमें एक सन्डास और छज्जा दिखाये गये थे, किन्तु जिसमें तोड़ों और अटिया का कोई चिन्ह नहीं बनाया गया था। बोर्ड ने मकान बनाने की आज्ञा दे दी परन्तु छज्जे और सन्डास की इजाजत नहीं दी। मुद्दई ने मकान में सन्डास, छज्जा, तोड़ा, और अटिया सब बनाये और लगाये। जब बोर्ड ने उसको नोटिस दिया तो मुद्दई ने अदालत दीवानी में दावा कर दिया और प्रार्थनाकी कि बोर्ड के नाम हुक्म इस्तनाई जारी किया जाय कि वह उक्त चीजों के बनाने में दखल न दे। हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि दीवानी में ऐसा दावा नहीं किया जा सकता,

मुद्दों के लिये केवल एकही उपाय था कि वह दफा १५२, ऐक्ट नं० १, सन १९०० के अनुसार अपील करता ।

नोट—सन १९०० के ऐक्ट की दफा १५२ में अपील का वैतर्ही अधिकार दिया गया था, जैसा कि वर्तमान ऐक्ट की दफा ३१८ में दिया गया है) देखिये रूस विहारलाल बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड कानपुर 35 I C 222

—जो शरत कि दफा १७८ के अनुसार, नोटिस देके, किसी काम या मकान के बनाने की इजाजत मागे, उसका बोर्ड की आज्ञा की प्रतीक्षा करना चाहिये । यदि बोर्ड का हुक्म होने से पूर्व ही वह ऐस काम या मकान को बनाना आरम्भ कर देगा तो उसको दफा १८५ के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है ।

दफा १८१ इजाजत कब तक कामकी रहेगी

१ जो इजाजत बोर्ड की ओर से, इससे पहिले वाली दफा के अनुसार दी जाय, या जिस इजाजत का दिया जाना मान लिया जाय वह एक वर्ष तक, या एक वर्ष से कम उतनी अवधि तक, जो वाई-लों के द्वारा नियमितकी जाय, काम की रहेगी ।

२ उक्त अवधि के समाप्त हो जाने के पश्चात्, प्रस्तावित काम आरम्भ नहीं किया जायगा, सिवाय एक दूसरी इजाजत के आधार पर, जो पूर्वोक्त दफाओं के अनुसार मागी जाय और दी जाय ।

व्याख्या—

इजाजत मिलने से एक वर्ष के भीतर मकान या काम (तामीर) का बनाना आरम्भ कर देना चाहिये, नहीं तो फिर से इजाजत लेना होगा ।

—बोर्ड को अधिकार है कि दफा २९८ की उप दफा (२) की मद (ए) के अन्त (ई) के अनुसार वाई लों बना के उक्त एक वर्ष की अवधि को घटा दे । नमूने के वाई लों में जो इस विषय में म्यूनिसिपल मैन्यूअल में दिया गया है, केवल ६ मास की अवधि रखी गई है ।

—जिस शरत को इजाजत दी जाय, यदि उसकी मृत्यु होजाय तो नियमित अवधि के भीतर, उसका जो कानूनी उत्तराधिकारी (वारिस) हो वह मकान या काम को, उसी इजाजत के आधार पर बनवा सकता है, या यदि ऐसा मकान जिसके विषय में कोई काम बनवाने की इजाजत ही गई हो, बेच डाला जाय, तो मोल लेने वाला उसी इजाजत के आधार पर वह काम जिसके लिये इजाजत दी गई हो, बना सकता है ।

दफा १८२ जिन कामोंकी इजाजत लेनेकी आवश्यकता हो उनका मुआइना (जांच)

बोर्ड का चेयरमैन और एक्जिम्यूटिव अफसर, और यदि इस विषय में रेजो-ल्यूशन के द्वारा अधिकार दिया गया हो, तो कोई अन्य मेम्बर, या अफसर या कर्मचारी किसी समय, और बिना सूचना दिये हुए किसी कामका जिसके सम्बन्ध में दफा १७८ के अनुसार नोटिस देने का हुक्म है —

(ए) उस समय जब वह बनाई जा रही हो। या

(बी) यह रिपोर्ट, कि काम बनकर पूरा हो गया है, मिलने से एक मास के भीतर, या जब उक्त रिपोर्ट न की जाय तो कामके बन् चुकनेके पश्चात् किसी समय, मुआवजा (जांच) कर सकता है।

दफा १८३ मुआवजा ऐसी हानिके विषयमें, जो उस हुक्मके कारण उठानी पड़ी हो जो दफा १८० के अनुसार दिया गया हो।

दफा १२५ में जो कुछ हुक्म हों उनके होते हुये भी, कोई शख्स जो दफा १७८ के अनुसार नोटिस दे, उस हर्जें या हानि के विषयमें जो उसको ऐसे हुक्मके कारण उठाना पड़ा हो, जो बोर्ड ने दफा १८० के अनुसार दिया हो, कुछ मुआवजा (बदलाव) पाने का अधिकारी न होगा, सिवाय उस दशा के कि—

(ए) वह हुक्म, इस कारण को छोड़ कर कि प्रस्तावित काम किसी बाईलों के विपरीत होगा, या जनता के या किसी शख्स के स्वास्थ्य और सुरक्षिता के लिये हानि कारक होगा, किसी अन्य कारण से दिया गया हो। या

(बी) हुक्म मे उस प्रकार की हिदायत दी गई हो जो दफा १८० की उपदफा (१) के क्लॉज़ (बी) में अंकित की गई है। या

(सी) उक्त हुक्म ऐसा हुक्म हो, जिसमे किसी इमारतके नये सिरे से बनाये जाने की इजाजत से इस कारण इनकार किया गया हो, कि वह इमारत अपने डंग (Plan) या बनावट (Design) की दृष्टिसे उस स्थान के लिये, जिसमें उसके बनाये जाने की इजाजत मांगी जाती हो, अनुचित है, या वह इमारत किसी ऐसे मतलब के लिये बनाई जाने की है, जो उस स्थान के लिये जहाँ वह बनाई जाने की है अनुचित है, या वह दफा २९८ की मद (ए) के अश (एफ) के अनुसार बनाये हुए किसी बाईलों के विपरीत है।

व्याख्या—

एक्ट की दफा १२५ में हुक्म है कि यदि किसी शख्स का कुछ हर्जा किसी ऐसे अधिकार के, बोर्ड द्वारा बरते जाने से हुआ हो, जो अधिकार कि बोर्ड को दिया गया हो, तो बोर्ड ऐसे शख्स को मुआवजा या हर्जा देगा। परन्तु जो हुक्म बोर्ड दफा १७८ के अनुसार, इमारतों के बनाये जाने के सम्बन्ध में, देगा, उनके कारण जो हर्जा किसी शख्स का हो उसका देनदार बोर्ड केवल नीचे लिखी दशाओं में होगा, अन्य किसी दशा में नहीं अर्थात्—

(१) जब कोई शख्स किसी ऐसे कामकी इजाजत चाहे, जो इमारत सम्बन्धी बाईलोंके विरुद्ध न हो, और जो जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षिता के लिये हानि कारक न हो, और फिर भी बोर्ड किसी और कारण से, उसके बनाये जाने की इजाजत न दे, तो बोर्ड को हर्जा देना होगा।

(२) यदि बोर्ड यह हुकम दे कि कोई इमारत पीछे हटा कर अन्य इमारतों की लैनमें या नियमित (Regular) लैन में कर दी जाय, तो बोर्ड को हर्जा देना पड़ेगा ।

(३) यदि बोर्ड किसी इमारतके फिरसे बनाये जाने की इस कारण आज्ञा न दे कि जिस स्थान में वह बनाई जाने को हो, उस स्थान के योग्य उस इमारत का ढग और बनावट नहीं है (जैसे उस दशा में जब कि किसी सड़क पर बड़ी बड़ी इमारतें हों और बोर्ड यह निश्चय करे कि जिस मकान के फिर से बनाये जाने की आज्ञा चाही जाती है उसके कारण सड़क की शोभा बिगड़ेगी) तो बोर्ड को हर्जा देना होगा । परन्तु यह बात ध्यान में रखना चाहिये कि बोर्ड, इस हुकम के अनुसार, केवल उसी दशा में हर्जा देने का जिम्मेदार होगा जब किसी इमारत के फिरसे बनाये जाने की आज्ञा चाही जाय, और बोर्ड आज्ञा न दे । यदि ऐसी आज्ञा किसी नई इमारत के बनाये जाने के लिये चाही जाय, और बोर्ड आज्ञा न दे, तो बोर्ड किसी हर्जे के देने का जिम्मेदार न होगा ।

(४) केवल एक और दशा है जिसमें बोर्ड हर्जे का देनदार होता है । जब दफा २९८ की उप दफा (१) की मद (ए) के अंश (एफ) के अनुसार बोर्ड ने कोई ऐसा बार्ड लॉ बनाया हो, जिस के द्वारा यह हुकम हो कि अमुक रकमे में केवल अमुक प्रकार की इमारत बनाई जाय, या अमुक प्रकार की इमारत न बनाई जाय या जिसके द्वारा यह हुकम दिया गया हो कि अमुक रकमे में केवल अमुक मतलब के लिये इमारत बनाई जाय, या अमुक मतलब के लिये इमारत न बनाई जाय, तो, यदि बोर्ड यह निश्चय करे कि जिस इमारत की आज्ञा चाही जाती है, वह ऐसे बार्ड लॉ के विपरीत है, और उसकी इजाजत न दे, तो बोर्ड को हर्जा देना होगा ।

—इमारतों की इजाजत न देने के विषय में जो हर्जा बोर्ड को देना होगा, वह किस प्रकार निश्चय किया जायगा इसके लिये देखिये दफा ३२४ ।

दफा १८४ इजाजतका असर

१ जो इजाजत दफा १८० के अनुसार दी जाय या जिसका दिया जाना मान लिया जाय उससे सिवाय इसके कि वह शख्स जिसको उक्त इजाजत दी गई हो या जिसको उसका दिया जाना मान लिया गया हो किसी ऐसे दण्ड या नतीजे से मुक्त रहे जिसका वह ऐसी इजाजत के न दिये जाने की दशा में दफा १८५ या १८६ या २२२ के अनुसार भागी होता, कोई अधिकार प्राप्त न होगा न कोई अयोग्यता नष्ट होगी । न उसका कोई ऐसा असर होगा कि उस के द्वारा कोई एस्टापल (Admission) या इक्तरा (Estoppel) माना जाय । न उसका कोई असर जायदाद के किसी हक पर पड़ेगा, न वह किसी प्रकार का कोई अन्य क़ानूनी असर रखेगी ।

२ विशेषत उक्त इजाजत का यह असर न होगा कि किसी शख्स को वह उस जिम्मेदारी से मुक्त कर दे जो दफा २०९ के द्वारा किसी ऐसे कामके विषयमें जिम्मेदारी न उक्त दफामें दिया गया है अलग इजाजत प्राप्त करनेके सम्बन्ध में लगाई गई हो ।

न्याख्या —

वाक्य "एस्टापल" (Estoppel) का अर्थ है "मानये त्फ़रीर मुखाकिर" अर्थात् जो बात कोई शख्स कहे या माने, तो पीछे से, उसके प्रतिबुद्ध कोई बात बहने या मानने का अधिकार न होना । कानून शास्त्र ऐक्ट न० १ सन् १८७२ की दफा ११५ में "एस्टापल" की व्याख्या इस प्रकार की गई है —

(ए) उस समय जब वह बनाई जा रही हो। या

(बी) यह रिपोर्ट, कि काम बनकर पूरा हो गया है, मिलने से एक मास के भीतर, या जब उक्त रिपोर्ट न की जाय तो कामके बन चुकनेके पश्चात् किसी समय, मुआवजा (जांच) कर सकता है।

दफा १८३ मुआवजा ऐसी हानिके विषयमें, जो उस हुक्मके कारण उठानी पड़ी हो जो दफा १८० के अनुसार दिया गया हो।

दफा १२५ में जो कुछ हुक्म हों उनके होते हुये भी, कोई शख्स जो दफा १७८ के अनुसार नोटिस दे, उस हर्ज या हानि के विषयमें जो उसको ऐसे हुक्मके कारण उठाना पड़ा हो जो बोर्ड ने दफा १८० के अनुसार दिया हो, कुछ मुआवजा (बदलाव) पाने का अधिकारी न होगा, सिवाय उस दशा के कि—

(ए) वह हुक्म, इस कारण को छोड़ कर कि प्रस्तावित काम किसी बाई लों के विपरीत होगा, या जनता के या किसी शख्स के स्वास्थ्य और सुरक्षिता के लिये हानि कारक होगा, किसी अन्य कारण से दिया गया हो। या

(बी) हुक्म में उस प्रकार की हिदायत दी गई हो जो दफा १८० की उपदफा (१) के क्लॉज (बी) में अंकित की गई है। या

(सी) उक्त हुक्म ऐसा हुक्म हो, जिसमें किसी इमारतके नये सिरे से बनाये जाने की इजाजत से इस कारण इनकार किया गया हो, कि वह इमारत अपने डेग (Plan) या बनावट (Design) की दृष्टिसे उस स्थान के लिये, जिसमें उसके बनाये जाने की इजाजत मागी जाती हो, अनुचित है, या वह इमारत किसी ऐसे मतलब के लिये बनाई जाने को है, जो उस स्थान के लिये जहाँ वह बनाई जाने को है अनुचित है, या वह दफा २९८ की मद (ए) के अश (एफ) के अनुसार बनाये हुए किसी बाई-लों के विपरीत है।

व्याख्या—

एक्ट की दफा १२५ में हुक्म है कि यदि किसी शख्स का कुछ हर्जो किसी ऐसे अधिकार के, बोर्ड द्वारा करते जाने से हुआ हो, जो अधिकार कि बोर्ड को दिया गया हो, तो बोर्ड ऐसे शख्स को मुआवजा या हर्जा देगा। परन्तु जो हुक्म बोर्ड दफा १७८ के अनुसार, इमारतों के बनाये जाने के सम्बन्ध में, देगा, उनके कारण जो हर्जा किसी शख्स का हो उसका देनदार बोर्ड केवल नीचे लिखी दशाओं में होगा, अन्य किसी दशा में नहीं अर्थात्—

(१) जब कोई शख्स किसी ऐसे कामकी इजाजत चाहे, जो इमारत सम्बन्धी बाईलाओंके विरुद्ध न हो, और जो जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षिता के लिये हानि कारक न हो, और फिर भी बोर्ड, किसी और कारण से, उसके बनाये जाने की इजाजत न दे, तो बोर्ड को हर्जा देना होगा।

ध्यान उसकी ओर विशेष रूपसे दिलाया जाना चाहिये और इसके लिये, दफा २०९ के अनुसार, अलग दरखास्त देकर, विशेष इजाजत लेना चाहिये ।

दफा १८५ कानूनके विरुद्ध काम बनाना या इमारतमें परिवर्तन करना

जो कोई शास्त्र विना ऐसे नोटिस के दिये, जिसका कि हुक्म दफा १७८ में दिया गया है, या बोर्ड के किसी ऐसे हुक्म के विरुद्ध, जिसके द्वारा इजाजत देने से इनकार कर दिया गया हो, या किसी ऐसी लिखित हिदायतों के विरुद्ध, जो दफा १८० या किसी चार्ज-ऑफ़ के अनुसार दी गई हों, किसी इमारत को या इमारत के भाग को, बनाना, या फिर से बनाना, या उसमें भारी परिवर्तन करना, आरम्भ करेगा या जारी रखेगा, या पूरा करेगा, या किसी कुए को बनाना, या बढाना आरम्भ करेगा, या जारी रखेगा, या पूरा करेगा, उसको, अपराध के साबित हो जाने पर, जुर्माने का दण्ड दिया जायगा, जिसकी सख्या पाच सौ (५००) रुपये तक हो सकती है ।

व्याख्या—

जो कोई शास्त्र विना बोर्ड को, दफा १७८ के अनुसार, नोटिस दिये कोई काम बनावेगा, या जो शास्त्र, बोर्ड द्वारा इजाजत न दिये जाने पर भी किसी काम को बनावेगा, और जो शास्त्र कि किसी ऐसी हिदायतों के विरुद्ध, जो बोर्ड उक्त काम के बनाने के विषय में जारी करे, काम को बनावेगा, वह दफा १८५ के अनुसार अपराधी होगा । जो हिदायतें बोर्ड किसी काम के बनावे जाने के विषय में दे सकता है वह दफा २९८ की मद (ए) के अन्तर् (एच) में और दफा १८० की उप दफा (१) के क्लॉज (बी) में बताई गई हैं, जैसे यह कि मकान की भीतें, छतें इत्यादि किस धरतु की बनावे जाय, या मोरिया, पाखाने, कुडियां आदि कहां पर बनावे जाय इत्यादि । तात्पर्य यह है कि बोर्ड से केवल इजाजत लेना ही आवश्यक नहीं है, बरत यह भी जरूरी है कि किसी काम को, जिस प्रकार से बनावे जाने की आज्ञा बोर्ड दे वह काम उसी प्रकार बनावया जाना चाहिये । इस लिये जब कि एक शास्त्र ने एक मोरी को पत्थर की पटियों से ढकने की बोर्ड से इजाजत ली । परन्तु मोरी को पत्थर की पटियों से ढकने की जगह, जो कि मोरी साफ करने के लिये उठाई जा सकती थी, उक्त शास्त्र ने ईंट की छत बनाव दी, जो मोरी को साफ करने के लिये किसी प्रकार हटाई नहीं जा सकती थी तो हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि उक्त शास्त्र ने दफा १४७, ऐक्ट न० १, सन १९०० के अनुसार अपराध किया (उक्त दफा १४७ के लिये देखिये वर्तमान ऐक्ट की दफा १८५) । देखिये सरकार बहादुर यनाम अमीर हुसन एा 15 A L J 159=38 I C 736 9 Cr L R 112

—परन्तु इस दफा के अनुसार किसी शास्त्र पर एक ही बेर मुकद्दमा चलाया जा सकता है, और एक बेरही जुर्माने का दंड दिया जा सकता है । यदि बोर्ड चाहे कि वह काम जो विना इजाजत के बनावया गया हो तोड़ भी दिया जाय, तो बाने वाले को दफा १८६ के अनुसार नोटिस दिया जाना चाहिये । और यदि उक्त शास्त्र नोटिस के पड़चात् भी उक्त कामको न तोड़े तो दफा ३०७ के अनुसार बोर्ड स्वयं उसको तुड़वा सकता है, और खर्चा उस विधि से वसूल कर सकता है जो छेदे प्रकरण में बताई गई है ।

“जब कोई शासक किसी बातके कहने से, या किसी काम के करने से, या किसी काम के न करने से, इरादा करने, किसी शासक को यह विश्वास दिलाता है, कि अमुक बात ठीक है, या ऐसे प्रालम्भ को इस प्रकार का विश्वास कर लेने देता है और ऐसे विश्वास के आधार पर ऐसा शासक कोई काम करता है, तो उस शासक को जो ऐसी विश्वास दिलाता है, और उसके उत्तराधिकारी को किसी मुकद्दमे या कार्रवाई में जो विश्वास दिलाने वाले और विश्वास करने वाले के बीच हो, इस बात की इजाजत न दी जायगी कि उक्त बातके ठीक होने से इनकार करे” ।

—दफा १८४ का अर्थ यह है कि जब मकान या काम के बनाने की बोर्ड आज्ञा देगा, तो ऐसी आज्ञा का केवल इतनाही असर होगा, कि वह इमारत जिसके विषय में आज्ञा मिली हो कानून के विरुद्ध नहीं मानी जायगी । उसके बनवाने वाले पर दफा १८५ के अनुसार कोई मुकद्दमा नहीं चलाया जा सकेगा, न बोर्ड दफा १८६ के अनुसार बनवाने वालेके विरुद्ध कोई कार्रवाई करेगा, और दफा २२२ के अनुसार उसको पीछे हटाने के नियमित लैन में कर देने का हुक्म न देगा । तात्पर्य यह है कि इजाजत के दिये जाने पर, केवल इतनी ही बात मानी जायगी कि बोर्ड ने जनता के स्वास्थ्य, सुरक्षिता इमारत का ढग, और बनावट, इत्यादि, विषयों पर विचार करके मकान बनाने की इजाजत दे दी है, अन्य किसी बात की जिम्मेदारी बोर्ड मकान बनाने की इजाजत देने में नहीं लेता । किसी प्रकार का कोई कानूनी हक ऐसी इजाजत के कारण उत्पन्न नहीं हो सकता । जैसे यदि किसी आराजी की मिलिकिअत के विषयमें झगडा हो, तो उसमें किसी शासक की मिलिकिअत केवल इस कारण नहीं माननी जायगी, कि म्यूनिसिपलटी ने उक्त शासक को उस आराजी पर मकान बनाने की आज्ञा दी है । इसी प्रकार, मान लीजिये, कि इजाजत देने के पश्चात् बोर्ड को पता चले कि वह आराजी, जिस पर मकान बनाने की आज्ञा दी गई है, आराजी नजूल है, और उसके विषय में बोर्ड मुकद्दमा दायर करे, तो इजाजत लेने वाला यह बहस पेश नहीं कर सकेगा, कि बोर्ड स्वयं उस आराजी पर इमारत बनाने की आज्ञा दे चुका है, इसलिये यह माना जाय कि बोर्ड ने इजाजत लेने वाले की मिलिकिअत स्वीकार कर ली, और अब बोर्ड को उसके विरुद्ध 'एस्टापल के कानूनके' अनुसार, कुछ कहनेका अधिकार नहीं है ।

—इसी प्रकार, हाईकोर्ट ने तजवीज किया है कि, बोर्ड किसी मकान आदि के बनाने की एक बार आज्ञा देकर, फिर हुक्म दे सकता है कि उक्त मकान गिरा दिया जाय, अर्थात् मकान बनाने की आज्ञा दे देनेका यह असर नहीं होता कि बोर्डके विरुद्ध ऐसा एस्टापल' उत्पन्न हो जाय, कि फिर वह अपनी ही दी हुई आज्ञा के विरुद्ध मकान को तोड़ देने का हुक्म न दे सके । न ऐसी आज्ञा का यह असर होगा कि उससे बोर्ड का वह अधिकार नष्ट हो जाय, जो उसको इस विषय में प्राप्त है कि किसी मकान के गिरा देने की आज्ञा दे सके । देरिये बाबूलाल बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड, फर्खावाद, 21 A. L. J. 828

—उप दफा (२) दफा २०९ में यह हुक्म है कि जो इमारत किसी सार्वजनिक सड़क या नाली के ऊपर निकली हुई बनाई जाय, उसके विषय में बोर्ड से आज्ञा लेना चाहिये । दफा १८४ की उप दफा (२) में यह बात साफ कर दी गई है कि दफा १८० के अनुसार जो आज्ञा मकान आदि के बनाने की दी जायगी वह इस बातके लिये काफी न होगी कि उसके आधार पर उक्त मकान आदि का कोई भाग सार्वजनिक सड़क या नाली पर निकला हुआ बनाया जाय । तात्पर्य यह है कि यदि मकान का कोई भाग सार्वजनिक सड़क आदि पर निकला हुआ बनाया जाय, तो बोर्ड का

ध्यान उसकी ओर विशेष रूपसे दिलाया जाना चाहिये और उसके लिये, दफा २०९ के अनुसार, अलग दरवास्त देकर, विशेष इजाजत लेना चाहिये ।

दफा १८५ कानूनके विरुद्ध काम बनाना या इमारतमें परिवर्तन करना

जो कोई शख्स बिना ऐसे नोटिस के दिये, जिसका कि हुकम दफा १७८ में दिया गया है, या बोर्ड के किसी ऐसे हुकम के विरुद्ध, जिसके द्वारा इजाजत देने से इनकार कर दिया गया हो, या किसी ऐसी लिखित हिदायतों के विरुद्ध, जो दफा १८० या किसी चार्ज-शॉ के अनुसार दी गई हो, किसी इमारत को या इमारत के भाग को, बनाना, या फिर से बनाना, या उसमें भारी परिवर्तन करना, आरम्भ करेगा या जारी रखेगा, या पूरा करेगा, या किसी कुए को बनाना, या बढाना आरम्भ करेगा, या जारी रखेगा, या पूरा करेगा, उसको, अपराध के साबित हो जाने पर, जुर्माने का दण्ड दिया जायगा, जिसकी सख्या पाच सौ (५००) रुपये तक हो सकती है ।

व्याख्या—

जो कोई शख्स बिना बोर्ड को, दफा १७८ के अनुसार, नोटिस दिये कोई काम पचायेगा, या जो शख्स, बोर्ड द्वारा इजाजत न दिये जाने पर भी किसी काम को बनवायेगा, और जो शख्स कि किसी ऐसी हिदायतों के विरुद्ध, जो बोर्ड उक्त काम के बनाने के विषय में जारी करे, काम को बनवायेगा, वह दफा १८५ के अनुसार अपराधी होगा । जो हिदायतें बोर्ड किसी काम के बनाये जाने के विषय में दे सकता है वह दफा २९८ की मद (ए) के अन्श (एच) में और दफा १८० की उप दफा (१) के क्लॉज (डी) में बताई गई हैं, जैसे यह कि मकान की भीतें, छतें इत्यादि किस पस्तु की बनाई जाय, या मोरिया, पाखाने, कुडियाँ आदि कठा पर बनाई जाय इत्यादि । साथमें यह है कि बोर्ड से केवल इजाजत लेना ही आवश्यक नहीं है, बरन यह भी जरूरी है कि किसी काम को, जिस प्रकार से बनाये जाने की आज्ञा बोर्ड दे वह काम उसी प्रकार बनाया जाना चाहिये । इस लिये जब कि एक शख्स ने एक मोरी को पत्थर की पटियों से ढकने की बोर्ड से इजाजत ली । परन्तु मोरी को पत्थर की पटियों से ढकने की जगह, जो कि मोरी साफ करने के लिये उठाई जा सकती थी, उक्त शख्स ने ईंट की छाट बनावा दी, जो मोरी को साफ करने के लिये किसी प्रकार हटाई नहीं जा सकती थी तो हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि उक्त शख्स ने दफा १४७, ऐक्ट नं० १, सन १९०० के अनुसार अपराध किया (उक्त दफा १४७ के लिये देखिये घर्तमात ऐक्ट की दफा १८५) । देखिये सरकार बहादुर बनाम अमीर हसन एा 15 A. L. J 159=38 I C 736 9 Cr L R 112

—परन्तु इस दफा के अनुसार किसी शख्स पर एक ही बेर मुकद्दमा चलाया जा सकता है, और एक बेरही जुर्माना का दंड दिया जा सकता है । यदि बोर्ड चाहे कि वह काम जो बिना इजाजत के बनाया गया हो तोह भी दिया जाय, तो बनाने वाले को दफा १८६ के अनुसार नोटिस दिया जाना चाहिये । और यदि उक्त शख्स नोटिस के पदचार भी उक्त कामको न तोड़े तो दफा ३०० के अनुसार बोर्ड स्वयं उसको गुब्गा सकता है और एर्चा उस विधि से बमूल कर सकता है जो उक्त प्रकरण में बताई गई है ।

दफा १८६ 'कामको बननेसे रोक देनेका, और बनी हुई इमारत के गिरवा देनेका बोर्डका अधिकार

बोर्ड किसी समय, लिखित नोटिस के द्वारा, किसी भाराजी के मालिक या कृषि विज्ञ को, यह हिदायत कर सकता है, कि उक्त भाराजी पर किसी इमारत, या इमारत के भागका बनाया जाना, या फिरसे बनाया जाना, या परिवर्तन किया जाना या किसी कुए के बनाये जाने, या बढ़ाये जानेको, ऐसी दशामे रोक दे, जब कि बोर्ड यह समझे कि उसका बनाया जाना, या फिर से बनाया जाना, या उसमें परिवर्तन किया जाना या कुए का बनाया जाना या बढ़ाया जाना, दफा १८५ के अनुसार अपराध है, और इसी प्रकार बोर्ड उस इमारत, या इमारत के भाग, या कुए को, जैसी कि दशा हो किसी प्रकार बदल देने या गिरा देने, जैसा वह उचित समझे, हिदायत कर सकता है।

व्याख्या—

जो नोटिस इस दफा के अनुसार दिया जाय, उसके विरुद्ध अपील, दफा ३१८ के अनुसार, की जा सकती है।

—यदि दफा १८६ के अनुसार दिये हुये किसी नोटिस की, कोई शरस तामील न करे तो उसको दफा ३०७ के अनुसार जुर्माने की सजा दी जा सकती है, और जितने दिन तक ऐसे नोटिस की तामील न की जायगी उतने दिन तक, उक्त दफा के अनुसार, पाच रुपया प्रति दिन तक जुर्माने की सजा दी जा सकती है, या यदि बोर्ड चाहे तो उक्त नोटिस की तामील स्वयं करा कर अपराधी से उसका खर्चा वसूल कर सकता है।

—रामदयाल बनाम सरकार बहादुर 7 A. L. J 1075 वाले मामले में हाईकोर्ट ने तजवीज किया है कि दफा ८७, ऐक्ट न० १ सन् १९०० ई०, का मतलब यह नहीं है कि बोर्ड किसी शरस को यह हुक्म दे कि वह अपने मकान को गिरा दे, चाहे वह मकान पचास वर्ष से बयों न खड़ा हो, और यह भी तजवीज किया कि अगर दफा ८७ की उप दफा (५) ऐक्ट न० १ सन् १९०० ई० के अनुसार बोर्ड नोटिस दे, और वह नोटिस नाजायज हो, तो दफा १५२ ऐक्ट न० १ सन् १९०० ई० के हुक्म लागू नहीं होते। यदि बोर्ड ऐसा नाजायज नोटिस दे और उसकी आज्ञा पालन न की जाय, तो उस शरस पर जिसको कि नोटिस दिया गया हो मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। (दफा ८७ के लिये देखिये हाल के ऐक्ट की दफा १७८, दफा ८७ की उप दफा (५) के लिये देखिये हाल के ऐक्ट की दफा १८६। दफा १५२ के लिये देखिये हालके ऐक्ट की दफा ३१८) उपरोक्त मामले में जिस दीवार के गिराये जाने के लिये नोटिस दिया गया था वह सन १८६५ ई० में बनाई गई थी और नोटिस सन् १९०९ में दिया गया। वर्तमान ऐक्ट की दफा १८६ में शब्द "किसी समय" नये बढाये गये हैं, जिसके द्वारा बोर्ड की अधिकार हो जाता है, कि किसी इमारत के तोड़ दिये जाने या बदल दिये जाने के लिये, वह जब चाहे नोटिस दे सकता है परन्तु इन शब्दों के होते हुये भी, कानून की यह मंशा शायद नहीं हो सकती कि बोर्ड किसी इमारत के बनाये जाने के ४०-५० वर्ष के बाद इस बात का नोटिस दे कि वह गिरा दी जाय। शब्द "किसी समय" के बढाये जाने का उद्देश्य यह जान पड़ता है कि यदि बोर्ड को किसी ऐसी इमारत के बनाये जाने की, जो कानून के विरुद्ध हो, सूचना कुछ दिन तक न मिले तो भी उसको नोटिस देने में किसी प्रकार की रुकावट न हो।

—सरकार बहादुर यनाम हारिम अली, 15 A L J 461 की नज़ीर में हाईकोर्ट ने तज़ घीत किया कि यह जरूरी नहीं है कि म्यूनिसिपल बोर्ड किसी शरूख पर दफा, १८५ के अनुसार मुक़द्दमा चलाने से पूर्व, उसको दफा १८६ के अनुसार मकान गिरा देने का नोटिस दे। जो अधिकार इन दोनों दफाओं के अनुसार बोर्ड को दिये गये हैं उनमें से कोई, मामले की दशा के अनुसार, जिस को चाहे काम में ला सकता है, अर्थात् बोर्ड को अधिकार है कि चाहे किसी शरूख पर, केवल दफा १८५ के अनुसार, मुक़द्दमा चलाये, और कोई नोटिस दफा १८६ के अनुसार न दे, या यदि बोर्ड उचित समझे तो केवल दफा १८६ के अनुसार मकान गिरा देने के लिये नोटिस दे, और दफा १८६ के अनुसार मुक़द्दमा न चलाये।

—इस घात में भी क़ानून का कोई हुक़म बाधक नहीं जान पड़ता कि बोर्ड दफा १८५ और दफा १८६ दोनों से क्यों न काम ले, अर्थात् प्रथम तो किसी ऐसे शरूख पर, जो बिना आज्ञा के कोई काम बनवाये, दफा १८५ के अनुसार मुक़द्दमा चलाये, तत्पश्चात् उक्त शरूख को नोटिस दे, कि इस काम की, जो इस प्रकार बिना आज्ञा के बनाया गया हो, तोड़ दे, या वसमें कोई परिवर्तन कर दे।

आग बुझाना

(Extinction of Fire)

दफा १८७ आग बुझाने वालोंकी मण्डली स्थापित करना और कायम रखना

बोर्ड, आग बुझाने वालोंकी एक मण्डली (Fire Brigade) स्थापित कर सकता है, और कायम रख सकता है और उसके लिये किसी ऐसे औजारों क़लों या सूचना देने के उपायों का जो वह आग लगने के पोकने के लिये और आग बुझाने के लिये आवश्यक समझे प्रबन्ध कर सकता है।

दफा १८८ आग बुझानेके लिये आग बुझाने वाली मण्डलीका और अन्य शरूखोंका अधिकार

१ किसी म्यूनिसिपलटी में आग लग जाने के अवसर पर कोई मजिस्ट्रेट, या बोर्ड का कोई मेम्बर या एक्जिक्यूटिव अफसर या बोर्ड का इञ्जीनियर या कोई सेक्रेटरी या आग बुझाने वाली मण्डली का कोई ऐसा शरूख जिस की अध्यक्षता में काम किया जा रहा हो और (यदि कोई मजिस्ट्रेट या बोर्ड का मेम्बर या एक्जिक्यूटिव अफसर या बोर्ड का इञ्जीनियर या कोई सेक्रेटरी ऐसा करने की आज्ञा दे) तो कोई पुलिस का अफसर जिसका पद कानिस्ट्रिबल के पद से ऊँचा हो।

(२) किसी ऐसे शरूख को हटा सकता है या हटा दिये जाने की आज्ञा दे सकता है जो अपनी उपस्थिति के कारण आग बुझाने की या जान या माल की रक्षा लिये जाने की कार्रवाई में दमूक देता हो या विपन्न दाक़त हो।

- (धी) किसी सड़क या रास्ते को बन्द कर सकता है, जिस में या जिस के समीप भाग लग रही हो।
- (सी) भाग बुझाने के अभिप्राय से किसी इमारत को तोड़ के उस में प्रवेश कर सकता है या उस में से हो के निकल सकता है या उस को गिरा दे सकता है या किसी दूसरे को प्रवेश करा सकता है या उस में से हो के निकलवा सकता है या उस को गिरवा सकता है या पानी के नलों या अन्य औजारों के लाने, ले जाने के काम के लिये उस का प्रयोग करा सकता है।
- (डी) बड़े घटे और छोटे पानी के नलों को बन्द करा सकता है जिससे कि उस स्थान में या उस स्थान के निकट जहाँ कि भाग लगी हो, पानी अधिक जोर से निकलने लगे।
- (ई) उस शख्स को जिस की सिपुर्दगी में कोई भाग बुझाने का इशान हो, भाड़ा दे सकता है कि जो सहायता सम्भव हो वह दे।
- (एफ) अन्य सब ऐसा उपाय कर सकता है, जो जान और माल की रक्षा के लिये आवश्यक जान पड़े।

२ कोई शख्स किसी ऐसे काम के लिये, जो उस ने उपदफा (१) के अनुसार नेक नीयती से किया हो, हरजा भदा करने का जिम्मेदार न होगा।

३ जो हानि कि किसी ऐसे अधिकार के बरते जाने से हो जो इस दफा के अनुसार दिया गया हो, या जो हानि किसी ऐसे कर्तव्य के पालन करने में हो, जो कर्तव्य इस दफा के द्वारा किसी पर डाला गया हो, उस के विषय में यह माना जायगा कि भाग के बीमे के इकरार के अर्थ के अनुसार, (Policy of insurance) वह हानि भाग के द्वारा ही हुई।

व्याख्या—

सन १९०० ई० के म्यूनिसिपलटीज़ ऐक्टमें जो भाग बुझाने के विषयमें दफायें थीं वह केवल छन्हीं म्यूनिसिपलटियों पर लागू होती थीं जिन पर प्रान्तीय सरकार उन को लागू कर देती थी। परन्तु सन १९१६ ई० के वर्तमान ऐक्ट के अनुसार दफा १८७ और दफा १८८ के हुक्म सब म्यूनि-सिपलटियों पर

—भाग (सी) के

में

बाई लों बनाने का अधिकार दफा २९८

—भाग जाने पर जो

का हैं उस इमारत में भाग

(१) बुझाने के

होती है। इस दफा बीमा किये हुए मकान हो तो पट्टेबाई जा को भाग बुझाने के हैं और ऐसी

जाय

सार्वजनिक (आम) मोरियां (Public Drains)

दफ़ा १८९ सार्वजनिक (आम) मोरियोंका बनाया जाना

१ बोर्ड म्यूनिसिपलटी के भीतर, या दफ़ा १२० की उपदफ़ा (२) के हुक्मों के अधीन म्यूनिसिपलटी के बाहर ऐसी मोरिया बना सकता है जो बोर्ड म्यूनिसिपलटी को उचित रूप से स्वच्छ रखने और उस के पानी का निकास ठीक प्रकार से किये जाने के लिये आवश्यक समझे और बोर्ड ऐसी मोरियों को किसी सड़क या स्थान में हो के या उस के भार पर या नीचे से निकाल सकता है और मालिक या क़ाविज को उचित समय पहले लिखित नोटिस देने के पश्चात् किसी इमारत या आराजी में या उन में हो के या उन के नीचे से निकाल सकता है ।

२ परन्तु शर्त यह है कि कोई मोरी किसी छावनी की हदों के भीतर बिना प्रान्तीय सरकार की मजूरी के और बिना उस जनरल अफसर की सहमति के, जो उस फौजी डिवीजन (Division) के कमान पर हो जिस में उक्त छावनी हो या यदि ऐसी सहमति प्राप्त न की जा सके तो बिना जनरल जनरल और उन की कौंसिल की पहले से मजूरी प्राप्त किये, न निकाली जायगी ।

व्याख्या—

यह दफ़ा केवल सार्वजनिक मोरियों के लिये है, निजी मोरियों के लिये नहीं ।

—जो मोरिया बोर्ड म्यूनिसिपलटी की हदों के बाहर बनवाये उन पर दफ़ा १२० की उप दफ़ा (२) के हुक्म लागू होंगे, अर्थात् यह कि कोई ऐसी मोरिया बिना प्रान्तीय सरकार की आज्ञा के नहीं बनाई जायगी, और यदि प्रान्तीय सरकार ऐसी आज्ञा दे तो जो शर्तें वह चाहे लगा सकती है ।

दफ़ा १९० सार्वजनिक मोरियोंमें परिवर्तन किया जाना

१ बोर्ड, समय २ पर किसी सार्वजनिक मोरी को बढ़ा सकता है, या घटा सकता है, या उसका रास्ता बदल दे सकता है, या उसको पाट दे सकता है, या किसी अन्य प्रकार उसमें कोई सुधार कर सकता है, और बोर्ड यह भी कर सकता है कि किसी ऐसी मोरी को क़ायम न रखे, या बन्द करदे, या हटा दे ।

२ उस अधिकार का बरता जाना जो उपदफ़ा (१) के द्वारा दिया गया है, इस शर्त के अधीन होगा, कि बोर्ड, किसी ऐसी मोरी की जगह, जो उस समय बनी हुई हो, और जिसको इस्तेमाल करने के अधिकार से कोई शख्स, पूर्वकथित अधिकार के बरते जाने के कारण, बन्धित रहे, एक दूसरी मोरी बनवा दे, जो उतने ही काम की हो ।

व्याख्या—

दफ़ा १९१ के द्वारा म्यूनिसिपलटियों के निवासियों को अधिकार दिया गया है कि बोर्ड की आज्ञा प्राप्त करके, वह अपनी निजी मोरियों को बोर्ड की सार्वजनिक मोरियों में निकाल सकते हैं । ऐसी दशा में यदि बोर्ड किसी सार्वजनिक नाली को बन्द कर दे, या उसका रास्ता बदल दे, तो घरों

के पानी के निकास के लिये कोई रास्ता न रह जायगा अतएव दफा १९० की उप दफा (२) के द्वारा यह आज्ञा देदी गई है कि यदि बोर्ड किसी सार्वजनिक मोरी को बन्द करे तो बोर्ड का यह भी कर्तव्य होगा कि उसकी जगह एक ऐसी दूसरी मोरी बनवा दे कि जिसके द्वारा पानी का निकास बतनी ही सुगमता से हो सके जितनी सुगमता से कि पड़ली गाली के द्वारा होता था ।

दफा १९१ इमारतों तथा आराजियोंके मालिकोंका सार्वजनिक मोरियोंको काममें लानेका अधिकार

१ म्यूनिसिपलटी के भीतर की किसी इमारत या धाराजी के मालिक को इस बात का अधिकार होगा कि बोर्ड की मोरियों में अपनी मोरियों का पानी निकाले, परन्तु शर्त यह है कि वह पहले बोर्ड की लिखित आज्ञा प्राप्त करले और ऐसी शर्तोंकी तामील करे जो किसी बाई-लॉ (Bye-Law) के प्रतिकूल न हो, और जो बोर्ड इस विषयमें नियमित करे कि किस विधि से, और किसकी देख भाल (निगरानी) में, बोर्डके अधिकार की मोरियों और उन मोरियों का मेल किया जायगा जो बोर्ड के अधिकार में न हों ।

२ जो कोई शख्स, बिना बोर्ड की लिखित आज्ञा के, या किसी बाई-लॉ के विपरीत, या किसी ऐसी हिदायत या शर्त के विपरीत जो उपदफा (१) के अनुसार दी गई हो, या लगाई गई हो, स्वयं अपनी किसी मोरी का, या किसी दूसरे शख्सकी किसी मोरीका बोर्ड के अधिकार की मोरी से मेल करे, या मेल कराये या ऐसे किसी मेल में परिवर्तन करे, या परिवर्तन कराये उसको अपराध के साधित होने पर जुर्माने का दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या ५० रुपये तक हो सकती है । और बोर्ड, लिखित नोटिस के द्वारा, ऐसे शख्स को हिदायत कर सकता है कि उस मेल को बन्द करदे, या तोड़ दे या बदल दे, या नये सिरे से बनवाये, या उसके सम्बन्ध में कोई और ऐसी कार्रवाई करे जो बोर्ड उचित समझे ।

नोट—इस दफा के लिये बाई-लॉ बनाने का अधिकार दफा २९८ की उपदफा (२) की मद (बी) में दिया गया है ।

दफा १९२ पानीके निकासका मेल सार्वजनिक मोरियोंसे करानेका बोर्डका अधिकार

१ जब किसी ऐसी इमारत या धाराजी का जो किसी सार्वजनिक मोरी से लौ (१००) फुट के भीतर हो, किसी समय पानी के निकास का प्रबन्ध, किसी ऐसी मोरी के द्वारा जो उक्त सार्वजनिक मोरी से मिली हो, या पानी के निकास के किसी काफी उपाय के द्वारा ऐसा न हो जो बोर्ड की राय में सन्तोषप्रद हो, तो बोर्ड नोटिस के द्वारा उक्त इमारत या धाराजी के मालिक या क्राविज को यह हुकम दे सकता है, कि पानी के निकास की एक मोरी, जो उक्त सार्वजनिक मोरी से मिलाई जाय, ऐसी विधि के अनुसार बनाये और कायम रखे, जिसकी कि बोर्ड, किसी बाई-लॉ के हुकमों के अधीन, हिदायत करे ।

२ दफा ३०६ से दफा ३१८ तक के हुकम (अर्थात् इन दोनों दफाओं के भी तथा

इनके बाँच वाली दफाओं के) प्रत्येक ऐसी दशा में लागू होंगे जब किसी ऐसी हिदायत की आज्ञा पालन न की जाय, चाहे उस आराजी का कोई भाग जिसमें होके पानी के निकास की मोरी के निकाले जाने की आज्ञा दी गई हो, उस शख्स की न हो, जिसने इस प्रकार आज्ञा पालन न की हो। उपरोक्त दफाओं के हुक्म ऐसी आज्ञा पालन न किये जाने पर केवल उसी दशा में लागू होंगे जब कि उक्त शख्स यह साबित करदे कि आज्ञा का पालन न किया जाना उतरोक्त आराजी के मालिक या क़ाबिज के किसी काम के कारण हुई, और यह भी साबित करदे कि वह दफा १९३ के अनुसार बोर्ड को दरखास्त दे चुका है।

व्याख्या—

अप दफा (२) का अर्थ यह है कि यदि कोई शख्स बोर्ड की हिदायत के अनुसार मोरी न बनाये तो उस पर दफा ३०६ से ३१२ तक के हुक्म लागू होंगे। परन्तु यदि मोरी किसी दूसरे शख्स की आराजी में होके निकाली जाने वाली हो और यह दूसरा शख्स कोई ऐसा काम करे, या कोई ऐसा विघ्न डाले, जिसके कारण कि मोरी न निकाली जा सके, और ऐसे काम या विघ्न के पश्चात् वह शख्स जिसको कि मोरी बनाने की आज्ञा दी गई हो, बोर्ड को, दफा १९३ के अनुसार इस विषय में दरखास्त भी दे कि बोर्ड ऐसे दूसरे शख्स को हुक्म दे कि वह नाली के बनाये जाने में विघ्न न डाले तो यह माना जायगा कि उसने बोर्ड की आज्ञा पालन के लिये यथा सम्भव कोशिश की और ऐसी दशा में उस पर दफा ३०६ से ३१२ तक के हुक्म लागू न होंगे।

दफा १९३ सर्व साधारणके किसी व्यक्तिका अपनी मोरीको किसी दूसरे शख्सकी आराजीसे हो कर ले जानेका अधिकार

१ किसी ऐसे शख्स को जो यह चाहता हो, कि कोई ऐसी मोरी जो उसकी आराजी पर बनी हुई हो, या जिस के बनाये जाने का प्रस्ताव किया जाता हो, किसी ऐसे शख्स की इमारत या आराजी से हो कर या उस के नीचे से जाय, या जो यह चाहता हो कि किसी ऐसे शख्स की मोरी से उस का मेल किया जाय जो किसी ऐसी इमारत या आराजी का मालिक हो जो किसी म्यूनिसिपलटी की किसी मोरी के किनारे पर हो, या जो यह चाहता हो कि उस की मोरी का किसी मोरी से मेल किया जाय जो किसी म्यूनिसिपलटी की किसी मोरी से मिली हुई हो, तो ऐसा शख्स इस विषय में बोर्ड से दरखास्त कर सकता है।

२ उपदफा (१) के अनुसार दी हुई दरखास्त के मिलने पर, बोर्ड ऐसे दूसरे शख्स को यह हुक्म दे सकता है कि वह एक चतार्ई हुई अवधि के भीतर इस बात का कारण प्रगट करे (वजह जाहिर करे) कि दरखास्त देने वाले की मोरी उस की इमारत या आराजी में हो कर या उस के नीचे से क्यों न ले जाई जाय या उसकी मोरी से क्यों न मिलाई जाय।

३ बोर्ड किसी ऐसे उन्न को जो ऐसा शख्स करे सुनेगा, यदि ऐसा उन्न चतार्ई हुई अवधि के भीतर किया गया हो, और ऐसे उन्न के सुनने के पश्चात् यदि बोर्ड की यह

राय हो कि मोरी बनाई जाय या मोरी का मेल किया जाय तो बोर्ड लिख के ऐसा हुक्म कर देगा।

४ हुक्म मे नीचे लिखी बातें लिखी जायेंगी--

- (ए) यह अवधि जिस के भीतर मोरी बनाने या मोरी का मेल किये जाने के सम्बन्ध मे पक्षकारों को किली प्रकार का परस्पर फ़ैसला कर लेना चाहिये।
- (बी) वह अवधि जिस के भीतर मोरी बनाई जानी चाहिये या मोरी का मेल किया जाना चाहिये।
- (सी) धन चाने पर, मोरी या मोरी के मेल के कायम रखने, मरम्मत करने, और सफाई करने के सम्बन्ध मे पक्षकारों की अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ।
- (डी) वह रकम (यदि कोई हो) जो किराये की तरह या अन्य प्रकार वह शख्स जो दरखास्त करे आराजी, इमारत, या मोरी, अर्थात् जैसी कि दशा हो, के मालिक को दिया करेगा।

५ यदि वह रकम जो उपदफा (४) के क्लॉज (डी) के अनुसार दिलाई गई हो एक साथ (एकमुश्त) दी जाने को हो तो बोर्ड को अधिकार होगा कि उस को उस विधि से वसूल करे जो छोटे प्रकरण मे बताई गई है और जो रकम कि वसूल हो वह उस शख्स को अदा कर दे जिस को उसके पानेका अधिकार हो। यदि कोई किराया दिलाया गया हो तो वह शख्स जिस को ऐसा किराया दिलाया गया हो अधिकार प्राप्त अदालत दीवानी मे मुकद्दमा दायर करके उक्त किराये को वसूल कर सकता है।

६ यदि पक्षकार उस अवधि के भीतर जो हुक्म मे अंकित हो परस्पर कोई फ़ैसला न करले, या यदि मोरी या मोरी का मेल उस अवधि के भीतर न बना लिया जाय जो अवधि कि उसके बनाने के लिये बताई गई हो, तो बोर्ड स्वयं उस को बनवा दे सकता है और उस के खर्च को दरखास्त देने वाले से उस विधि के अनुसार वसूल कर सकता है जो छोटे प्रकरण मे बताई गई है।

दफा १९४ मालिकका अधिकार उस नालीका रास्ता बदल देनेका जो उसकी आराजीमें बनाई गई हो

किसी ऐसी आराजी का मालिक जिस मे या जिस मे हो के या जिस के नीचे से कोई मोरी पिछली दफा के हुक्मों के अनुसार निकाली गई हो, किसी समय पर बोर्ड की लिखित इजाजत से और ऐसी शर्तों के अधीन जो बोर्ड लगाये; उक्त मोरी का रास्ता अपने खर्च से बदल दे सकता है।

व्याख्या—

यह अन्याय ही होता यदि किसी दूसरे की मोरी के कारण आराजीका मालिक उस पर कभी इमारत न बनवा सकता था अपनी ह्च अनुसार उस को अन्य किसी काम में न ला सकता। अतएव इस दफा के द्वारा मालिक को आज्ञा दी गई है कि बोर्ड की इजाजत से और किसी ऐसी शर्तों के

अधीन जो बोर्ड लगाना चाहे वह उक्त मोरी को अपनी आराजी पर किसी दूसरे स्थान से निकाल सकता है या उसका रास्ता बदलवा दे सकता है ।

मैला उठवाना और सफाई करवाना

(Scavenging and Cleansing)

दफा १९५ मकानसे मैला उठवानेकी व्याख्या

मकानसे मैला उठवानेका अर्थ यह है गिलाजत या कूड़ा करकट, या मैला, या और कोई हानिकारक पदार्थ, का कूड़ाखाने, या पाखाने, या कुडी, से, या ऐसे पदार्थोंके जमा किये जाने के किसी अन्य बर्तनसे, जो किसी मकान या इमारतमें हो, या उसके लगावमें हो, हटाया जाना ।

दफा १९६ बोर्डका, मकानका मैला उठवाने इत्यादि को अपने जिम्मे लेना, तथा इस कामको छोड़ देना

किसी ऐसे हुक्मोंके अधीन, जो मौजूसी भंगियो और कृपकोके अधिकारोंके विषयमें, इसके आगे दिये गये हो, बोर्ड—

- (ए) सार्वजनिक (आम) नोटिसके द्वारा म्यूनीसिपलटीके भीतर किसी मकानों या इमारतोंका मैला उठवाने, या किसी पाखाने या पेशाबखानों की सफाईका काम, किसी ऐसी तारीखसे अपने जिम्मे ले सकता है, जो उस नोटिसके जारी होने से, कमसे कम दो मास बाद हो ।
- (बी) सार्वजनिक नोटिसके द्वारा, या अन्य प्रकार, उन शख्सोंको जिनसे सम्बन्ध हो, कमसे कम, दो मास पहिले से नोटिस देने के पश्चात् उस कामको जो उसने क्लॉज (ए) के अनुसार अपने जिम्मे लिया हो, छोड़ दे सकता है ।
- (सी) काबिज की दरख्वास्तपर, या उसकी मर्जासे, किसी समय किसी मकान, या इमारतका, मैला उठवानेका काम या किसी पाखाने या कुडी (चहबच्चा) से, जो किसी इमारतमें, या किसी आराजीपर हो, मैले के हटानेका काम, या किसी इमारत या आराजीसे अन्य घृणित पदार्थों, या कूड़ा करकट के उठवानेका काम, उन शर्तोंपर जो किसी ऐसे बाईं लॉ के द्वारा नियत की गई हों, जो कि इस विषयमें घनाया गया हो, अपने जिम्मे ले सकता है । और
- (डी) काबिज को, कमसे कम दो मास पहिलेसे नोटिस देने के पश्चात् उस कामको, जिसको उसने क्लॉज (सी) के अनुसार अपने जिम्मे लिया हो छोड़ दे सकता है ।

राय हो कि मोरी बनाई जाय या मोरी का मेल किया जाय तो बोर्ड लिख के ऐसा हुकम कर देगा।

४ हुकम में नीचे लिखी बातें लिखी जायँगी—

- (ए) यह अवधि जिस के भीतर मोरी बनाने या मोरी का मेल किये जाने के सम्बन्ध में पक्षकारों को किसी प्रकार का परस्पर फैसला कर लेना चाहिये।
- (बी) वह अवधि जिस के भीतर मोरी बनाई जानी चाहिये या मोरी का मेल किया जाना चाहिये।
- (सी) धन ज्ञाने पर, मोरी या मोरी के मेल के कायम रखने, मरम्मत करने और सफाई करने के सम्बन्ध में पक्षकारों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां।
- (डी) वह रकम (यदि कोई हो) जो किराये की तरह या अन्य प्रकार वह शख्स जो दरखास्त करे आराजी, इमारत, या मोरी, अर्थात् जैसी कि दशा हो, के मालिक को दिया करेगा।

५ यदि वह रकम जो उपदफा (४) के क्लॉज (डी) के अनुसार दिलाई गई हो एक साथ (एकमुश्त) दी जाने को हो तो बोर्ड को अधिकार होगा कि उस को उस विधि से वसूल करे जो छोटे प्रकरण में बताई गई है और जो रकम कि वसूल हो वह उस शख्स को अदा कर दे जिस को उसके पानेका अधिकार हो। यदि कोई किराया दिलाया गया हो तो वह शख्स जिस को ऐसा किराया दिलाया गया हो अधिकार प्राप्त अदालत दीवानी में मुकद्दमा दायर करके उक्त किराये को वसूल कर सकता है।

६ यदि पक्षकार उस अवधि के भीतर जो हुकम में अंकित हो परस्पर कोई फैसला न करले, या यदि मोरी या मोरी का मेल उस अवधि के भीतर न बना लिया जाय जो अवधि कि उसके बनाने के लिये बताई गई हो, तो बोर्ड स्वयं उस को बनवा दे सकता है और उस के खर्च को दरखास्त देने वाले से उस विधि के अनुसार वसूल कर सकता है जो छोटे प्रकरण में बताई गई है।

दफा १९४ मालिकका अधिकार उस नालीका रास्ता बदल देनेका जो उसकी आराजीमें बनाई गई हो

किसी ऐसी आराजी का मालिक जिस में या जिस में हो के या जिस के नीचे से कोई मोरी पिछली दफा के हुकमों के अनुसार निकाली गई हो, किसी समय पर बोर्ड की लिखित इजाजत से और ऐसी शर्तों के अधीन जो बोर्ड लगाये, उक्त मोरी का रास्ता अपने खर्च से बदल दे सकता है।

व्याख्या—

यह अन्याय ही होता यदि किसी दूसरे की मोरी के कारण आराजीका मालिक उस पर कमी इमारत न बनवा सकता या अपनी इच्छानुसार उसे को अन्य किसी काम में न ला सकता। अतएव इस दफा के द्वारा मालिक को आज्ञा दी गई है कि बोर्ड की इजाजत से और किसी ऐसी शर्तों के

अधीन जो बोर्ड लगाना चाहे वह उक्त मोरी को अपनी आराजी पर किसी दूसरे स्थान से निकाल सकता है या उसका रास्ता बदलवा दे सकता है ।

मैला उठवाना और सफ़ाई करवाना

(Scavenging and Cleansing)

दफ़ा १९५ मकानसे मैला उठवानेकी व्याख्या

मकानसे मैला उठवानेका अर्थ यह है गिलाजत या कूड़ा करकट, या मैला, या और कोई हानिकारक पदार्थ, का कूड़ाखाने, या पाखाने, या कुडी, से, या ऐसे पदार्थोंके जमा किये जाने के किसी अन्य चर्तनसे, जो किसी मकान या इमारतमें हो, या उसके लगावमें हो, हटाया जाना ।

दफ़ा १९६ बोर्डका, मकानका मैला उठवाने इत्यादि को अपने जिम्मे लेना, तथा इस कामको छोड़ देना

किसी ऐसे हुक्मोंके अधीन, जो मौखसी भंगियों और कृपकोंके अधिकारोंके विषयमें, इसके आगे दिये गये हों, बोर्ड—

- (ए) सार्वजनिक (आम) नोटिसके द्वारा म्यूनीसिपलटीके भीतर किसी मकानो या इमारतका मैला उठवाने, या किसी पाखानों या पेशाबखानों की सफ़ाईका काम, किसी ऐसी तारीख़से अपने जिम्मे ले सकता है, जो उस नोटिसके जारी होने से कमसे कम दो मास बाद हो ।
- (बी) सार्वजनिक नोटिसके द्वारा, या अन्य प्रकार, उन शख्सोंको जिनसे सम्बन्ध हो, कमसे कम, दो मास पहिले से नोटिस देने के पश्चात् उस कामको जो उसने क्लॉज (ए) के अनुसार अपने जिम्मे लिया हो, छोड़ दे सकता है ।
- (सी) काबिज की दरख्वास्तपर, या उसकी मर्जासे, किसी समय किसी मकान, या इमारतका, मैला उठवानेका काम या किसी पाखाने या कुडी (चहबच्चा) से, जो किसी इमारतमें, या किसी आराजीपर हो, मिले के हटानेका काम, या किसी इमारत या आराजीसे अन्य घृणित पदार्थों, या कूड़ा करकट के उठवानेका काम, उन शर्तोंपर जो किसी ऐसे चाई लॉ के द्वारा नियत की गई हों, जो कि इस विषयमें बनाया गया हो, अपने जिम्मे ले सकता है । और
- (डी) काबिज को, कमसे कम दो मास पहिलेसे नोटिस देने के पश्चात् उस कामको जिसको उसने क्लॉज (सी) के अनुसार अपने जिम्मे लिया हो छोड़ दे सकता है ।

व्याख्या—

मैले की सफाई का टैक्स म्यूनिसिपलटी दफा १२८ और १३० के हुक्मों के अनुसार लगा सकती है परन्तु यदि मैले की सफाई का काम पूरी म्यूनिसिपलटी में न जारी किया जाय वरन किसी शासक की दरखास्त पर या मर्जी से किसी विशेष मकान या इमारती की सफाई का काम म्यूनि-सिपलटी अपने ऊपर लेना चाहे तो मुआहिदे से जो शर्त निश्चय की जायें उन के अनुसार म्यूनि-सिपलटी अपने जिम्मे उस काम को ले सकती है। बोर्ड को दफा २९८ की उपदफा (२) की मद (जे) के अन्तर्गत (डी) के अनुसार इन विषयों में बाई लॉ बनाने का अधिकार दिया गया है कि मैला साफ करने के लिये क्या फीस ली जाय, किस समय ली जाय और कौन उस को वसूल करे।

दफा १९७ मैला साफ करानेका काम म्यूनिसिपलटीका अपने जिम्मे लेनेपर उर्ज़

१ किसी मकान या इमारतका काबिज, जिसपर उस नोटिसका, जो दफा १९६ के क्लॉज (प) के अनुसार जारी किया जाय; अस्तर पड़े नोटिसके जारी होनेके पश्चात्, किसी समय, बोर्डसे दरखास्त कर सकता है कि वह मकान या इमारत नोटिसके अस्तरसे बाहर निकाल दी जाय (अर्थात्, यह कि नोटिस उस मकान या इमारतपर लागू न हो)।

२ बोर्ड ऐसी दरखास्तपर, उसके मिलने से छः सप्ताहके भीतर, विचार करके हुक्म देगा, और ऐसे हुक्मके द्वारा, उक्त मकान या इमारतको उक्त नोटिसके अस्तरसे बाहर निकाल दे सकता है।

३ यह निर्णय करने में कि किसी मकान या इमारतको नोटिससे बाहर निकाल दिया जाय या नही, बोर्डको चाहिये कि अन्य बातोंके सङ्ग, मकानका मैला उठवाने के उस प्रबन्ध की कार्यक्षमतापर विचार करे जो प्रबन्ध काबिज ने किया हो।

दफा १९८ मकानका मैला उठवानेके कामको, जब उसको बोर्ड अपने जिम्मे लेले, जारी रखना

जब बोर्ड दफा १९६ के अनुसार किसी मकान या इमारतका मैला उठवानेका काम अपने जिम्मे ले चुका हो, तो उस कामको बोर्ड उस शासककी मर्जीसे, या बिना मर्जीके लगातार जारी रख सकता है, जो शासक कि उक्त मकान या इमारतपर उस समय काबिज हो।

दफा १९९ मकानका मैला उठवानेके विषयमें म्यूनिसिपलटीके नौकरोंका अधिकार

— बोर्ड के नौकर, जो मकानका मैला उठाने के कामपर रखे गये हो, हरएक उचित समयपर, ऐसे सब कामको कर सकते हैं, जो मैला उठवाने के काम, जो कि बोर्डने अपने जिम्मे लिया हो, के पूरा करने के लिये आवश्यक हो।

दफा २०० मौरूसी भंगियों और कृषकोंके हककी वचतें

दफा १९६ में जो कुछ हुक्म ही, उनके होते हुये भी सिवाय उस दशाके जब कि षोडं दफा २०१ और २०२के अनुसार नीचे लिखे काम करे, बोर्डको अधिकार न होगा कि —

(ए) बिना मर्जी उस भंगीके जिसको मौरूसी हक मकानसे मैला उठवानेका प्राप्त हो, अपने जिम्मे मकान या इमारतसे मैला उठवानेका काम ले, या

(बी) बिना मर्जी काबिजके किसी ऐसे मकान या इमारतका मैला उठवानेका काम अपने जिम्मे ले जिसपर कोई ऐसा कृषक कब्जा रखता हो जो म्यूनिसिपलटीकी हद्दों के भीतर स्वयं खेती करता हो या जो म्यूनिसिपलटी की हद्दोंसे मिले हुये किसी गावमें स्वयं खेती करता हो ।

नोट—देखिये हेरीलाल नाम सरकार बहादुर 21 A L. J - 149, जो दफा १९६ की व्याख्यानमें दिया जा चुका है ।

दफा २०१ काममें उपेक्षा के लिये मौरूसी भंगियों को सजा

१ अगर कोई भंगी जो किसी मकान या इमारतका मैला उठानेका मौरूसी हक रखता हो, (ऐसे भङ्गियों को आगे मौरूसी भंगियों का नाम दिया जायगा) उचित ढङ्ग से, मैला उठाने के ऐसे कामको न करे तो मकान या इमारतका काबिज या बोर्ड, किसी मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत की अर्जी दे सकता है ।

२ जिस मजिस्ट्रेटको ऐसी शिकायत की अर्जी दी जाय, वह तदहकीकत करेगा, और यदि उसको यह विदित हो, कि मौरूसी भंगी उक्त मकान या इमारतके मैला उठानेका काम उचित ढङ्गसे नहीं करता, या उचित अंतरोंपर नहीं किया करता, तो वह ऐसी भंगीपर जुर्माना कर सकता है, जिसकी संख्या दस रुपये तक हो सकती है, और उसी मकान या इमारतके विषयमें ऐसा भंगी दूसरी बार, या उसके बाद फिर अपराधी टहराये जाने पर उक्त मजिस्ट्रेट यह भी आज्ञा दे सकता है, कि उस मौरूसी भंगीका उक्त मकान या इमारतके मैला उठानेका हक जब्त कर लिया जाय, और ऐसी आज्ञा मिलने पर उसका हक जब्त हो जायगा ।

नोट—मजिस्ट्रेट के किसी ऐसे हुक्मकी अपील, जिसके द्वारा मौरूसी भंगीका हक जम्द किया जाय दफा ३२३ के अनुसार, की जा सकती है ।

दफा २०२ कृषकोंके द्वारा सफाईका ठीक प्रबन्ध न किये जाने पर कार्रवाई

१ अगर कोई कृषक जो म्यूनिसिपलटी की हद्दों के भीतर, या म्यूनिसिपलटी की हद्दोंसे मिले हुये किसी गावमें, स्वयं खेती करता हो, किसी ऐसे मकान या इमारत के मैला उठवानेका उचित प्रबन्ध न करे, जो मकान या इमारत कि उसके कब्जेमें हो तो, बोर्ड किसी मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत की अर्जी दे सकता है ।

२ जिस मजिस्ट्रेट को ऐसी शिकायत की अर्जी दी जाय वह तदहकीकत करेगा, और यदि उसको यह विदित हो, कि उस कृषकने उक्त मकान या इमारत के मैला

व्याख्या—

मैले की सफाई का टैक्स म्यूनिसिपलटी दफा १२८ और १३० के हुकमों के अनुसार लगा सकती है परन्तु यदि मैले की सफाई का काम पूरी म्यूनिसिपलटी में जारी किया जाय वरन किसी शख्स की दरखास्त पर या मर्जी से किसी विशेष मकान या आराजी की सफाई का काम म्यूनि-सिपलटी अपने ऊपर लेना चाहे तो मुभाहिदे से जो शर्तें निश्चय की जायें उन के अनुसार म्यूनि-सिपलटी अपने जिम्मे उस काम को ले सकती है। बोर्ड को दफा २९८ की उपदफा (२) की मद (जे) के अन्तर्गत (डी) के अनुसार इन विषयों में बार्ड-लैं बनाने का अधिकार दिया गया है कि मैला साफ करने के लिये क्या फीस ली जाय, किस समय ली जाय और कौन इस को वसूल करे।

दफा १९७ मैला साफ करानेका काम म्यूनिसिपलटीका अपने जिम्मे लेनेपर उज्रें

१ किसी मकान या इमारतका काबिज, जिसपर उस नोटिसका, जो दफा १९६ के क्लॉज (५) के अनुसार जारी किया जाय, अखर पडे नोटिसके जारी होनेके पश्चात्, किसी समय, बोर्डसे दरखास्त कर सकता है कि वह मकान या इमारत नोटिसके अखरसे बाहर निकाल दी जाय (अर्थात्, यह कि नोटिस उस मकान या इमारतपर लागू न हो) ।

२ बोर्ड ऐसी दरखास्तपर, उसके मिलने से छः सप्ताहके भीतर, विचार करके हुकम देगा, और ऐसे हुकमके द्वारा उक्त मकान या इमारतको उक्त नोटिसके अखरसे बाहर निकाल दे सकता है ।

३ यह निर्णय करने में कि किसी मकान या इमारतको नोटिससे बाहर निकाल दिया जाय या नही, बोर्डको चाहिये कि अन्य बातोंके सङ्ग, मकानका मैला उठवाने के उस प्रबन्ध की कार्यक्षमतापर विचार करे जो प्रबन्ध काबिज ने किया हो ।

दफा १९८ मकानका मैला उठवानेके कामको, जब उसको बोर्ड अपने जिम्मे लेले, जारी रखना

जब बोर्ड दफा १९६ के अनुसार किसी मकान या इमारतका मैला उठवानेका काम अपने जिम्मे ले चुका हो, तो उस कामको बोर्ड उस शख्सकी मर्जीसे, या बिना मर्जीके लगातार जारी रख सकता है, जो शख्स कि उक्त मकान या इमारतपर उस समय काबिज हो ।

दफा १९९ मकानका मैला उठवानेके विषयमें म्यूनिसिपलटीके नौकरोंका अधिकार

बोर्ड के नौकर, जो मकानका मैला उठाने के कामपर रखे गये हों, हर एक उचित समयपर, ऐसे सब कामोंको कर सकते हैं, जो मैला उठवाने के काम, जो कि बोर्डने अपने जिम्मे लिया हो, के पूरा करने के लिये आवश्यक हो ।

दफ़ा २०० मौरूसी भंगियों और कृषकोंके हककी बचतें

दफ़ा १९६ में जो कुछ हुक्म हो, उनके हाँते हुये भी सिवाय उस दशाके जब कि बोर्ड दफ़ा २०१ और २०२के अनुसार नीचे लिखे काम करे, बोर्डको अधिकार न होगा कि—

- (ए) बिना मर्जी उस भगीके जिसको मौरूसी हक मकानसे मैला उठवानेका प्राप्त हो, अपने जिम्मे मकान या इमारतसे मैला उठवानेका काम ले। या
- (बी) बिना मर्जी काबिजके किसी ऐसे मकान या इमारतका मैला उठवानेका काम अपने जिम्मे ले जिसपर कोई ऐसा कृषक कब्ज़ा रखता हो जो म्यूनीसिपलटीकी हदों के भीतर स्वयं खेती करता हो या जो म्यूनीसिपलटी की हदोंसे मिले हुये किसी गावमें स्वयं खेती करता हो।

नोट—देखिये होरीजल बनाम सरकार बशुर 21 A L J. 149, ज़ा दफ़ा ११६ की धारणमें दिया जा चुका है।

दफ़ा २०१ काममें उपेक्षा के लिये मौरूसी भंगियों को सज़ा

१ अगर कोई भगी जो किसी मकान या इमारतका मैला उठानेका मौरूसी हक रखता हो, (ऐसे भङ्गियों को भागे मौरूसी भंगियों का नाम दिया जायगा) उचित ढङ्ग से, मैला उठाने के ऐसे कामको न करे तो मकान या इमारतका काबिज या बोर्ड, किसी मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत की अर्जी दे सकता है।

२ जिस मजिस्ट्रेटको ऐसी शिकायत की अर्जी दी जाय, वह तहकीकात करेगा, और यदि उसको यह विदित हो, कि मौरूसी भगी उक्त मकान या इमारतके मैला उठानेका काम उचित ढङ्गसे नहीं करता, या उचित अंतरोंपर नहीं किया करता, तो वह ऐसे भगीपर जुर्माना कर सकता है, जिसकी संख्या दस रुपये तक हो सकती है, और उसी मकान या इमारतके विषयमें ऐसा भगी दूसरी बार, या उसके बाद फिर अपराधी ठहराये जाने पर उक्त मजिस्ट्रेट यह भी आज्ञा दे सकता है, कि उस मौरूसी भगीका उक्त मकान या इमारतके मैला उठानेका हक जव्त कर लिया जाय, और ऐसी आज्ञा मिलने पर उसका हक जव्त हो जायगा।

नोट—मजिस्ट्रेट के किसी ऐसे हुक्मकी अपील, जिसके द्वारा मौरूसी भगीका हक जव्त किया जाय दफ़ा ३२३ के अनुसार, ही जा सकती है।

दफ़ा २०२ कृषकोंके द्वारा सफ़ाईका ठीक प्रबन्ध न किये जाने पर कार्रवाई

१ अगर कोई कृषक जो म्यूनीसिपलटी की हदों के भीतर, या म्यूनीसिपलटी की हदोंसे मिले हुये किसी गावमें, स्वयं खेती करता हो, किसी ऐसे मकान या इमारतके मैला उठानेका उचित प्रबन्ध न करे, जो मकान या इमारत कि उसके कब्जेमें हो तो, बोर्ड किसी मजिस्ट्रेट के सामने, शिकायत की अर्जी दे सकता है।

२ जिस मजिस्ट्रेटको ऐसी शिकायत की अर्जी दी जाय वह तहकीकात करेगा, और यदि उसको यह विदित हो, कि उस कृषकने उक्त मकान या इमारत के मैला

व्याख्या—

मैले की सफाई का टैक्स म्यूनिसिपलटी दफा १२८ और १३० के हुक्मों के अनुसार लगा सकती है परन्तु यदि मैले की सफाई का काम पूरी म्यूनिसिपलटी में न जारी किया जाय वरन किसी शहर की दरखास्त पर या मर्जी से किसी विशेष मकान या भाराजी की सफाई का काम म्यूनि-सिपलटी अपने ऊपर लेना चाहे तो मुआहिदे से जो शर्त निश्चय की जायें उन के अनुसार म्यूनि-सिपलटी अपने जिम्मे उस काम को ले सकती है । बोर्ड को दफा २९८ की उपदफा (२) की मद (जे) के अंदा (डी) के अनुसार इन विषयों में बाई लॉ बनाने का अधिकार दिया गया है कि मैला साफ करने के लिये क्या फीस ली जाय, किस समय ली जाय और कौन उस को वसूल करे ।

दफा १९७ मैला साफ करानेका काम म्यूनिसिपलटीका अपने जिम्मे लेनेपर उज्र

१ किसी मकान या इमारतका काबिज, जिसपर उस नोटिसका, जो दफा १९६ के क्लॉज (प) के अनुसार जारी किया जाय, असर पड़े नोटिसके जारी होनेके पश्चात्, किसी समय, बोर्डसे दरखास्त कर सकता है कि वह मकान या इमारत नोटिसके असरसे बाहर निकाल दी जाय (अर्थात्, यह कि नोटिस उस मकान या इमारतपर लागू न हो) ।

२ बोर्ड ऐसी दरखास्तपर, उसके मिलने से छः सप्ताहके भीतर, विचार करके हुक्म देगा, और ऐसे हुक्मके द्वारा उक्त मकान या इमारतको उक्त नोटिसके असरसे बाहर निकाल दे सकता है ।

३ यह निर्णय करने में कि किसी मकान या इमारतको नोटिससे बाहर निकाल दिया जाय या नहीं, बोर्डको चाहिये कि अन्य बातोंके सङ्ग, मकानका मैला उठवाने के उस प्रबन्ध की कार्यक्षमतापर विचार करे जो प्रबन्ध काबिज ने किया हो ।

दफा १९८ मकानका मैला उठवानेके कामको, जब उसको बोर्ड अपने जिम्मे लेले, जारी रखना

जब बोर्ड दफा १९६ के अनुसार किसी मकान या इमारतका मैला उठवानेका काम अपने जिम्मे ले चुका हो, तो उस कामको बोर्ड उस शख्सकी मर्जीसे, या बिना मर्जीके लगातार जारी रख सकता है, जो शख्स कि उक्त मकान या इमारतपर उस समय काबिज हो ।

दफा १९९ मकानका मैला उठवानेके विषयमें म्यूनिसिपलटीके नौकरोंका अधिकार

बोर्ड के नौकर, जो मकानको मैला उठाने के कामपर रखे गये हो, हरएक उचित समयपर, ऐसे सब कामोंको कर सकते हैं, जो मैला उठवाने के काम, जो कि बोर्डने अपने जिम्मे लिया हो, के पूरा करने के लिये आवश्यक हो ।

दफा २०० मौरूसी भंगियों और कृषकोंके हककी बचतें

दफा १९६ में जो कुछ हुक्म हो, उनके होते हुये भी, सिवाय उस दशाके जब कि बोर्ड दफा २०१ और २०२के अनुसार नीचे लिखे काम करे, बोर्डको अधिकार न होगा कि —

(ए) बिना मर्जी उस भगीके जिसको मौरूसी हक मकानसे मैला उठवानेका प्राप्त हो, अपने जिम्मे मकान या इमारतसे मैला उठवानेका काम ले। या

(बी) बिना मर्जी काबिजके किसी ऐसे मकान या इमारतका मैला उठवानेका काम अपने जिम्मे ले जिसपर कोई ऐसी कृषक कब्जा रखता हो जो म्यूनीसिपलटीकी हद्दों के भीतर स्वयं खेती करता हो या जो म्यूनीसिपलटी की हद्दोंसे मिले हुये किसी गावमें स्वयं खेती करता हो ।

नोट—देखिये हेरीअल बनाम सरकार वहाइर 21 A. L. J. 149, जो दफा १९६ की व्याख्यामें दिया जा चुका है ।

दफा २०१ काममें उपेक्षा के लिये मौरूसी भंगियों को सज़ा

१ अगर कोई भगी जो किसी मकान या इमारतका मैला उठानेका मौरूसी हक रखता हो, (ऐसी भंगियों को आगे मौरूसी भंगियों का नाम दिया जायगा) उचित ठड्डे से, मैला उठाने के ऐसे कामको न करे तो मकान या इमारतका काबिज या बोर्ड, किसी मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत की अर्जी दे सकता है ।

२ जिस मजिस्ट्रेटको ऐसी शिकायत की अर्जी दी जाय, वह तहकीकात करेगा, और यदि उसको यह विदित हो, कि मौरूसी भगी उक्त मकान या इमारतके मैला उठानेका काम उचित ठड्डे से नहीं करता, या उचित अंतरोंपर नहीं किया करता, तो वह ऐसे भगीपर जुर्माना कर सकता है, जिसकी संख्या दस रुपये तक हो सकती है, और उसी मकान या इमारतके विषयमें ऐसा भगी दूसरी बार, या उसके बाद फिर अपराधी ठहराये जाने पर उक्त मजिस्ट्रेट यह भी आज्ञा दे सकता है, कि उस मौरूसी भगीका उक्त मकान या इमारतके मैला उठानेका हक जब्त कर लिया जाय, और ऐसी आज्ञा मिलने पर उसका हक जब्त हो जायगा ।

नोट—मजिस्ट्रेट के किसी ऐसे हुक्मकी अपील, जिसके द्वारा मौरूसी भगीका हक नाम किया जाय दफा ३२३ के अनुसार, की जा सकती है ।

दफा २०२ कृषकोंके द्वारा सफाईका ठीक प्रवन्ध न किये जाने पर कार्रवाई

१ अगर कोई कृषक जो म्यूनीसिपलटी की हद्दों के भीतर, या म्यूनीसिपलटी की हद्दोंसे मिले हुये किसी गावमें, स्वयं खेती करता हो, किसी ऐसे मकान या इमारत के मैला उठवानेका उचित प्रवन्ध न करे, जो मकान या इमारत कि उसके कब्जेमें हो तो, बोर्ड किसी मजिस्ट्रेट के सामने, शिकायत की अर्जी दे सकता है ।

२ जिस मजिस्ट्रेट को ऐसी शिकायत की अर्जी दी जाय वह तहकीकात करेगा, और यदि उसको यह विदित हो, कि उस कृषकने उक्त मकान या इमारत के मैला

उठवानेका प्रवन्ध ठीक नहीं किया है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसा हुक्म दे सकता है, जिसके द्वारा बोर्डको अधिकार दिया जाय कि वह उस मकान या इमारतके मैला साफ कराने का काम अपने जिम्मे ले ले और ऐसा हुक्म हो जाने पर बोर्डको अधिकार हो जायगा कि वह ऐसे मकान का मैला उठवाने के काम को अपने जिम्मे ले ले।

नोट—जो हुक्म इस दफ्ते अनुसार दिया जाय उसकी अपील दफा ३२३ के हुक्म के अनुमार्की या सपती है।

सड़कों के विषयमें क़ायदे

(Street Regulations)

दफा २०३ सड़कों या गलियोंके निकालने या बनानेके इरादेका नोटिस

१ इससे पूर्व कि कोई शख्स कोई गली या सड़क निकालने या बनानेका काम आरम्भ करे, उसको चाहिये कि बोर्डको अपने इरादेका लिखित नोटिस दे।

२ उस दशमे जबकि कोई ऐसा बाईलों बनाया गया हो, जिसमे नोटिस के अतिरिक्त कोई हाल या नक़्शे नियमित हों, और ऐसा हाल और नक़्शोंके भेजे जानेकी आज्ञा दी गई हो, कोई नोटिस जो उपदफा (१) के अनुसार दिया गया हो, उस समय तक जायज न समझा जायगा, जबतक कि वह हाल (अगर कोई हो) जिनके दिये जानेका हुक्म बाईलों में हो, इस प्रकार न दे दिये जाय कि जो बोर्डकी रायमे सतोषप्रद हो।

व्याख्या—

दफा २०३ से दफा २०८ तक में जो हुक्म हैं वह केवल ऐसी निजी सड़कों के लिये हैं जो नहीं बनवाई जाय। जो निजी सड़कें या गलियाँ पहले से बनी हुई हो उन के सम्बन्ध में बोर्ड को जो अधिकार दिये गये हैं उन के लिये देखिये दफा २१२। दफा २०३ के मतलबों के लिये बाईलों बनानेका अधिकार बोर्ड को दफा २१८ की उपदफा (२) की मद (ई) के अन्तर्गत के अनुसार दिया गया है।

—निजी सड़कों या गलियों पर से अन्य लोग भी रास्ता अवश्य चलने लगते हैं अतएव प्रायः यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या दूसरे लोगोंके रास्ता निकलने या चलने के कारण कोई निजी सड़क या गली सार्वजनिक मानी जा सकती है, और बोर्ड उसपर क़ब्ज़ा कर सकता है या नहीं?

पञ्जाब म्यूनिसिपल एक्ट न० ३ सन १९११ के अनुसार इस प्रश्न पर एक मुकद्दमा दायर हुआ और उसका फैसला ट्रिबीनलके द्वारा हुआ है। मामला यह था कि अपीलाण्ट का एक घेरा या जिम्मे के चारों ओर की दूकानें व्यापारियों को उठाई गई थी। म्यूनिसिपलटी ने इस घेरा के भीतर पक्की सड़क बनवा कर उक्त रास्ते पर क़ब्ज़ा करना चाहा। म्यूनिसिपलटी का यह कहना था कि उक्त बाजार में हो के सर्व साधारण को रास्ता चलने का अधिकार था और यह अधिकार हम प्रकार प्राप्त हुआ था कि रास्ते के मालिकने उसको जनताके हितके लिये समर्पण कर दिया था। ट्रिबीनलके द्वारा तर्जवीज किया कि किसी ऐसी दशामें जब कि यह प्रश्न हो कि कोई सड़क सार्वजनिक

निक है या नहीं, मुख्य बात देखने की यह है कि क्या सड़क सर्व साधारणक हितके लिये समर्पण कर दी गई है ? परन्तु उन व्यापारियों के पाम जिन की घेरा में दुकानें हों आने जाने वालोंका रास्ता निकलना एक बिल्कुल भिन्न बात है और ऐसी इजाजतके होनेसे यह नहीं माना जा सकता कि रास्ते के मालिक ने उस को सर्व साधारण को समर्पण कर दिया है । और यदि कोई रास्ता जनता के हितार्थ समर्पण किया जाय तो ऐसा समर्पण सम्पूर्ण जनता के प्रति होना चाहिये । कानून किसी ऐसे समर्पण को नहीं मान सकता जो जनता के केवल किसी भूग को किया गया हो । अतएव व्यापारियों के पास आने जाने वाले लोगों को रास्ता निकलने की आज्ञा दे देने से यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त रास्ता जनता को समर्पण कर दिया गया था । प्रिवीकाउन्सिल ने यह भी तजवीज किया कि किसी सड़क का जनता के हितार्थ समर्पण किये जाने के लिये यह बात आवश्यक है कि उक्त सड़क के मालिक की इस बात की इच्छा हो । जनता के द्वारा सड़क का काम में लाया जाना समर्पण की केवल एक शहादत हो सकती है और कुछ नहीं । इन सब कारणों के आधार पर प्रिवी काउन्सिल ने यह निश्चय किया कि रास्ता निजी है न कि सार्वजनिक । देखिये मुहम्मद ख्ताम भलीख़ा वनाम म्युनिसिपल कमेटी करनाल 47 I A 25=56 I C 1=32 C L J 471=18 A L J 466 (P C)

दफ़ा २०४ कामका मुलतवी कर देना और उसका विवरण मागना

१ किसी ऐसे नोटिस पर, जो दफा २०३ के अनुसार दिया गया हो, हुकम देने से पूर्व बोर्ड—

- (ए) एक ऐसा हुकम जारी कर सकता है, जिसके द्वारा आज्ञा दी जाय, कि उस अवधि तक जो उक्त हुकममें लिखी हो, और जो अवधि उक्त हुकमकी तारीखसे एक माससे अधिक न होगी, वह काम आरम्भ न किया जाय जिसके बनाये जानेका इरादा किया जा रहा है । या
- (बी) ऐसा हुकम जारी कर सकता है, जिसके द्वारा कोई आगे विवरण देनेकी आज्ञा दी जाय ।

२ कोई नोटिस जो दफा २०३ के अनुसार दिया जाय उस समय तक जायज न समझा जायगा जबतक कि वह विवरण (अगर कोई हो) जो उपदफा (१) के बलोज (बी) के किसी हुकमके अनुसार मांगा गया हो, इस प्रकार न दे दिया गया हो, कि वह बोर्डकी रायमें संतोषमद हो ।

दफ़ा २०५ गली या सड़ककी मंजूरी बोर्ड द्वारा दी जाना

१ बोर्ड, प्रस्तावित गली या सड़कको, यातो घिना किसी शर्तके मंजूर कर सकता है, या किसी ऐसी लिखित शर्तके अधीन मंजूर कर सकता है, जो बोर्ड उसके लेवल (समतल) करने, और पानीके निकासके उपाय, और इसकी दिशा, और चौड़ाई, के सम्बन्धम जारी करना उचित समझे ।

२ यदि बोर्ड किसी जायज नोटिस, जो दफा २०३ के अनुसार दिया गया हो, के मिलने के पश्चात् दो मास तक उस शख्सको जिसने नोटिस दिया हो, नोटिस के सम्बन्धमें उस प्रकार का कोई हुकम जिनका वर्णन उपदफा (१) में है देने और हजारा

के ऊपर बाहर को निकली हुई हो। उस सीमा तक और उन शर्तों के अनुसार जो उपरोक्त विधि से नियमित की गई हों, बनाने, या फिर से बनाने की इजाजत।

२ उपदफा (१) क्लॉज (ए) के अनुसार इजाजत देते समय, बोर्ड इन बातों को नियमित कर सकता है कि किस सीमा तक, और किन शर्तों पर, कोई छत, भौलियां तयां (Eaves), पानी से बचाव के लिये तख्ते (Weatherboards) और दूकान के तख्ते, और इसी प्रकार की अन्य चीजें, ऐसी गलियों या सड़कों के ऊपर निकली हुई रहने दी जा सकती हैं।

व्याख्या—

सार्वजनिक गलियों या सड़कों पर निकली हुई इमारतों या इमारतों के भाग आदि की इजाजत वही बोर्ड दे सकता है जिस ने इन विषयों के लिये बाईं लॉ बना लिये हों। बाईं-लॉ बनाने का अधिकार बोर्ड को दफा २९८ की उपदफा (२) की मद (ई) के अन्तर्गत (सी) के द्वारा दिया गया है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि बाहर निकली हुई इमारतों आदि के केवल बनाने ही के लिये नहीं बरन फिर से बनाने के लिये भी बोर्ड की आज्ञा की आवश्यकता होती है। अतएव यदि कोई बाहर निकली हुई इमारत या इमारत का भाग जो बोर्ड की आज्ञा लेकर बनाया गया हो गिर पड़े तो उसके मालिक को उसको फिरसे बना लेनेका अधिकार बिना बोर्ड की इजाजत के नहीं होगा। 'भौलियां' उसे कहते हैं जिस जगह छप्पर या सायवानका पानी नीचे गिरता है। ओरौती भी कहते हैं।

—दफा २९३ की उपदफा (१) के द्वारा बोर्ड को अधिकार दिया गया है कि सार्वजनिक सड़कों पर निकली हुई जिन इमारतों आदि के बनाने की आज्ञा दे उन के लिये एक नियत की हुई फीस ले सकता है।

—सार्वजनिक सड़कों के किनारों पर के अधिकांश मकानों का कोई न कोई भाग सड़क पर बाहर की ओर निकला हुआ अवश्य बनाना पड़ता है, जैसे छप्पे-वाला खाने, मकान पर चढ़ने के लिये पुलिया, सीढिया इत्यादि। अतएव नमूने के जो बाईं लॉ बना दिये गये हैं वह सर्व साधारण के लिये महत्वपूर्ण हैं और उन पर एक दृष्टि डालना उचित होगा। बाईं लॉ न० १ की आज्ञा है कि जब दरवास्त इमारत के किसी निकले हुये भाग की इजाजत के लिये दी जाय तो इमारत के तथा गली या सड़क की चौड़ाई दिखाने के लिये नकशे भी उसके सग पेश किये जाय। और यदि कोई सार्वजनिक मोरी बन्द की जाने को हो, तो नकशे में स्पष्ट रूप से दिखाया जाय कि मोरी किस प्रकार ढकी जायगी। यदि पुलिया बनाई जाने को हों, तो उसका भीतरी नाप दिखाया जाय।

बाईं-लॉ न० २ की आज्ञा है कि नकशा स्केल पर खींचा जाना चाहिये और उस पर दरखा देने वाले के हस्ताक्षर होना चाहिये और पूरा विवरण दिया जाना चाहिये जिससे इस बात का पता लग सके कि इमारत के निकले हुये भाग की इजाजत देना उचित होगा या नहीं। जो इमारतें उससे मिली हुई हों उनके मालिकों के नाम देना चाहिये, इत्यादि। बाईं-लॉ न० ३ की आज्ञा है कि प्रस्तावित निकले हुये भागों की लम्बाई चौड़ाई और जगह, उन शर्तों के अनुसार होना चाहिये, जो आगे नियमित है। बाईं लॉ न० ४ की आज्ञा है कि नीचे वाले खण्ड से निकला हुआ कोई भाग बनाने की आज्ञा न दी जायगी, सिवाय किसी ऐसे भाग के जो मोरी को पार करके किसी इमारत में प्रवेश करने के अभिप्राय से बनाया जाय, बाईं लॉ न० ५ में बताया गया है कि, पुलिया को

छोड़ कर, मोरि के ऊपर अन्य निकले हुये भाग के नीचे, सड़क या गली की दिशा में, कम से कम एक फुट जगह खुली छोड़ दी जाना चाहिये। वार्ड-लॉ न० ६ की आज्ञा है कि जिस इमारत के सामने किसी गली या सड़क की चौड़ाई बीस फुट से कम हो उस इमारत के ऊपरी खण्ड से किसी निकले हुये बाला खाना, बरामदा, छजा, या अन्य भाग, की इजाजत न दी जायगी। सड़क या गली की चौड़ाई दोनों ओर की मोरियों से नापी जायगी। वार्ड-लॉ न० ७ इस प्रकार है कि इमारत का कोई निकला हुआ भाग तीन फुट से अधिक चौड़ा न होगा, सिवाय नीचे लिखी सड़कों या गलियों में (सिवाय किसी सड़क या गली के ऊपर जो फुट चौड़ाई न हो।)

नोट—यह नमूने के वार्ड-लॉ हैं। अतएव वार्ड लॉ न० ७ अनुसार, कई बोर्ड, या तो सड़कों और गलियों के नाम बता दे सकता है कि अगुक में निकले हुए भाग तीन फुट से चौड़े न हों, और अगुक में तीन फुट से चौड़े हो सकते हैं या बोर्ड गलियों और सड़कों की चौड़ाई के हिसाब से यह निश्चय कर सकता है कि अगुक चौड़ाई की गली में तीन फुट की, और अगुक चौड़ाई की गली में तीन फुट से अधिक की, आज्ञा दी जायगी।

वार्ड लॉ न० ८ की आज्ञा है कि निकले हुये भागों की इजाजत केवल नीचे लिखी बातों पर दी जाय—

- (१) कि मालिक या क़ाबिज प्रतिदिन निकले हुये भाग के नीचे से कूड़ा उठवायेगा।
- (२) किसी खुली हुई नाली को, जिसके ऊपर कि निकला हुआ भाग हो, ऐसी दशा में रखेगा, कि उससे काम ठीक ठीक चल सके, और उसमें कोई गदहे न होने देगा।
- (३) कि मालिक या क़ाबिज निकले हुये भाग को, जब उससे कहा जाय, ६ घण्टे के लिये खाली कर देगा, जिससे कि मोरि की देग भाल, मरम्मत, और सफ़ाई, की जा सके।
- (४) कि मालिक जो फ़ीस कि आगे नियमित है पेदायी दे दिया करेगा।

वार्ड लॉ न० ९ में बताया गया है कि निकले हुये भागों की फीस एक शिह्यूल के अनुसार होगी। वार्ड लॉ न० १० की आज्ञा है कि जब एक ही खण्ड से निकले हुये दो, या अधिक, भाग एक के ऊपर एक हों, तो केवल उसी भाग की फीस ली जायगी जिसकी फीस कि सब भागों की फीस से उर्ची हो।

नोट—नमूने के वार्ड-लॉ न० ९ और १० उन अधिकारों के आधार पर बनाये गये हैं, जो बोर्ड को दफ़ा २९३ और दफ़ा २९८ की मद (जे) के अन्तर्गत (डी) के अनुसार फीस लेने के विषय में दिये गये हैं। फीस नियत करने के लिये, बोर्ड भिन्न भिन्न सदस्यों और गलियों की हैसियत के अनुसार, सड़कों और गलियों की जितने दर्जों में आवश्यक हों, बाट सकता है। बोर्ड को अधिकार है कि तब गलियों या सड़कों में निकले हुये भागों के लिये अधिक फीस ले, जिससे कि ऐसी सड़कों और गलियों में निकले हुये भाग कम बनाये जाय। वार्ड लॉ न० १० की आवश्यकता किसी ऐसी दशा में हो सकती है कि जैसे यदि किसी दूकान में, दूकान के तस्ते भी निकले हों, और उनके ऊपर धूप बचाने के लिये भी तस्ते लगे हों, तो दोनों की फीस न ली जाय।

वार्ड लॉ न० ११ में यह आज्ञा रखी गई है कि वार्ड बोर्ड के किसी निकले हुये भाग की इजाजत देदी हो, तो भी वह उसको दफ़ा २११ के अनुसार यदि आवश्यक समझे हटवा सकता।

के ऊपर बाहर को निकली हुई हो। उस सीमा तक और उन शतों के अनुसार जो उपरोक्त विधि से नियमित की गई हो। बनाने, या फिर से बनाने की इजाजत।

२ उपदफा (१) क्लॉज़ (ए) के अनुसार इजाजत देते समय, बोर्ड इन बातों को नियमित कर सकता है कि किस सीमा तक, और किन शर्तों पर, कोई छत, औस्तिया तथा (Leaves), पानी से बचाव के लिये तखते (Weatherboards) और टूकान के तखते, और इसी प्रकार की अन्य चीजें, पेसी गलियों या सड़कों के ऊपर निकली हुई रहने दी जा सकती है।

व्याख्या—

सार्वजनिक गलियों या सड़कों पर निकली हुई इमारतों या इमारतों के भाग आदि की इजाजत वही बोर्ड दे सकता है जिस ने इन विषयों के लिये वार्ड लॉ बना लिये हों। वार्ड-लॉ बनाने का अधिकार बोर्ड को दफा २९८ की उपदफा (२) की मद (ई) के अंश (सी) के द्वारा दिया गया है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि बाहर निकली हुई इमारतों आदि के केवल बनाने ही के लिये नहीं वरन फिर से बनाने के लिये भी बोर्ड की आज्ञा की आवश्यकता होती है। अतएव यदि कोई बाहर निकली हुई इमारत या इमारत का भाग जो बोर्ड की आज्ञा लेकर बनाया गया हो गिर पड़े तो उसके मालिकको उमको फिरसे बना लेनेका अधिकार बिना बोर्ड की इजाजत के नहीं होगा। 'औस्तिया' उसे कहते हैं जिस जगह छप्पर या सायवानका पानी नीचे गिरता है। ओरती भी कहते हैं।

—दफा २९३ की उपदफा (१) के द्वारा बोर्ड को अधिकार दिया गया है कि सार्वजनिक सड़कों पर निकली हुई जिन इमारतों आदि के बनाने की आज्ञा दे उन के लिये एक नियत की हुई फीम ले सकता है।

—सार्वजनिक सड़कों के किनारों पर के अविकाश मकानों का कोई न कोई भाग सड़क पर बाहर की ओर निकला हुआ अवश्य बनाना पड़ता है, जैसे छत्रे, वाला खाने, मकान पर चढ़ने के लिये पुलिया, सीढिया इत्यादि। अतएव नमूने के जो वार्ड लॉ बना दिये गये हैं वह सर्व साधारण के लिये महत्वपूर्ण हैं और उन पर एक दृष्टि डालना उचित होगा। वार्ड-लॉ न० १ की आज्ञा है कि जब दरखवास्त इमारत के किसी निकले हुये भाग की इजाजत के लिये दी जाय तो इमारत के तथा गली या सड़क की चौड़ाई दिखाने के लिये नकशे भी उसके संग पेश किये जाय। और यदि कोई सार्वजनिक मोरी बन्द की जाने को हो, तो नकशे में स्पष्ट रूप से दिखाया जाय कि मोरी किस प्रकार ढकी जायगी। यदि पुलिया बनाई जाने को हों, तो उसका भीतरी नाप दिखाया जाय।

वार्ड-लॉ न० २ की आज्ञा है कि नकशा स्केल पर खींचा जाना चाहिये और उस पर दरखास्त देने वाले के हस्ताक्षर होना चाहिये और पूरा विवरण दिया जाना चाहिये जिससे इस बात का पता लग सके कि इमारत के निकले हुये भाग की इजाजत देना उचित होगा या नहीं। जो इमारतें उससे मिली हुई हों उनके मालिकों के नाम देना चाहिये, इत्यादि। वार्ड-लॉ न० ३ की आज्ञा है कि प्रस्तावित निकले हुये भागों की लम्बाई चौड़ाई और जगह, उन शर्तों के अनुसार होना चाहिये, जो आगे नियमित है। वार्ड लॉ न० ४ की आज्ञा है कि नीचे वाले चरण से निकला हुआ कोई भाग बनाने की आज्ञा न दी जायगी, सिवाय किसी ऐसे भाग के जो मोरी को पार करके किसी इमारत में प्रवेश करने के अभिप्राय से बनाया जाय। वार्ड लॉ न० ५ में बताया गया है कि, पुलिया को

उसको हटा देने से, या उसमें परिवर्तन करने से, जो हानि हो, उसका बदलाव (मुआविजा) भू, क़र्ग, जिसकी सख्या उसके बनाये जाने और गिराये जाने के खर्च के दसगुने से अधिक न होगी।

व्याख्या—

इस दफा के शब्दों के द्वारा यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि बोर्ड को अधिकार है कि किसी निकले हुए भाग के विषय में चाहे हटा देने का हुक्म दे, या उसमें परिवर्तन करने का हुक्म दे।

—किसी नोटिस की अपील जो कि इस दफा के अनुसार जारी किया जाय दफा ३१८ के अनुसार की जा सकती है।

—दसवीं मार्च सन् १९०० ई० की तारीख जो इस दफामें अङ्कित की गई है, वह म्यूनिसिपलिटियों का पुराना ऐक्ट, न० १ सन् १९०० ई० के प्रचलित किये जाने की तारीख है।

—इस दफा के अनुसार जो अधिकार कि बोर्ड को किसी निकले हुए भाग या इमारत को हटा देने का दिया गया है उस के विषय में यह आवश्यक नहीं है कि बोर्ड उसी दशा में नोटिस जारी करे, जय कि ऐसा भाग या इमारत जनता के लिये खतरनाक हो या जब आरोग्यताके विचार से उस को हटाया जाना आवश्यक हो। वरन बोर्ड को पूरा अधिकार है कि हर दशा में ऐसा नोटिस जारी कर सके। नन्हामल वनाम म्यूनिसिपल बोर्ड हायरस, 11 A L J. 486=35 All I L R 375 वाले मामले में नन्हामल के मकान में एक बालालाना था, जो सार्वजनिक सड़क पर निकला हुआ था। नन्हामल ने उस की मरम्मत, बिना बोर्ड की इजाजत के करा ली। बोर्ड ने उस को दफा ८८ ऐक्ट न० १ सन् १९०० ई० के अनुसार नोटिस दिया (उक्त दफा ८८ हालके ऐक्ट की दफा २१२ के समान थी) हाईकोर्ट ने तजवीज में लिखा कि इस दफा ८८ में कोई ऐसी बात नहीं है, कि जिस से यह मांगा जाय, कि बोर्ड केवल उसी दशा में नोटिस जारी कर सकता है जय कि इमारत से जनता के लिये भय हो, या जब वह जनता के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हो, या किसी ऐसी ही अन्य दशा में। स्पष्ट बोर्ड को पूरा अधिकार है, कि बिना किसी कारण के बताये हुए ऐसा नोटिस जारी करे। वह शर्त जो दफा के साथ लगा दी गई है, उस का केवल हस्ता ही मतलब है कि बोर्ड किसी किसी दशा में मकान के मालिक को मुआविजा देगा। नन्हामल की ओर से यह भी बरस की गई कि नोटिस के साथ बोर्ड को चाहिये कि या तो मुआविजा पेटा कर, या मुआविजा देने की इच्छा पगट करे। हाईकोर्ट ने इस बहस को भी अस्वीकार किया और तजवीज किया कि नन्हामल का कर्तव्य या कि बोर्ड की आज्ञा पालन करता और साथ ही साथ बोर्ड से अपगत मुआविजा मांगता।

—यदि किसी आरानी के दया लिये जाने के विषय में कोई म्यूनिसिपल बोर्ड दफा २११ के अनुसार नोटिस दे और आरानी पर से इमारत आदि के हटा देने की आज्ञा दे और इमारत बनाने वाला वक्त आरानी के मालिक हाने का दावा करे, तो ऐसी दशा में ऐसे शरस को पूरा अधिकार इस बात का होगा कि दफा ३१८ के अनुसार ऐसे नोटिस का अपील करे। यी जगह यह दीवानी अदालत में दवा दायर कर दे। इसलिये जय कि एक शरस ने एक आरानी पर एक फाटक बनाया और म्यूनिसिपल बोर्ड ने दफा ८८ ऐक्ट न० १ सन् १९०० ई० (हालके ऐक्ट की दफा २११) के अनुसार नोटिस के द्वारा उस शरस को आज्ञा दी कि फाटक को हटा दे। फाटक को बनवाने वाले ने दीवानी की अदालत में इस्तिकरार डक का दावा इस बदान से किया कि उस आरानी जिस पर कि फाटक बनवाया गया था, का मालिक मैं हूँ न कि म्यूनिसिपल बोर्ड। म्यूनिसिपल बोर्ड की ओर

दफा २१० बिना इजाजत लिये सड़कों गलियों या मोरियों के ऊपर निकले हुये भागों के बनाने के लिये दण्ड

जो शख्त बिना ऐसी इजाजत के, जिसका उल्लेख दफा २०९ में किया गया है, या किसी ऐसी इजाजत के बिना जो उक्त दफा के अनुसार दी गई हो, किसी ऐसे निकले हुये भाग या इमारत के जिसका उल्लेख उक्त दफा में है बनायेगा, या फिर से बनाएगा, उक्तको अत्राध के साबित हो जाने पर, जुमाने का दण्ड दिया जायगा, जिसकी सख्या दो सौ पचास (२५०) रुपये तक हो सकती है ।

व्याख्या—

इस दफा के अनुसार, जुमाना केवल किसी ऐसी इमारत के बनाने के लिये हो सकता है जो कि स्थायी ढंग की हो । सरकार बंदापुर बंगाम मुहम्मद यूसुफ, 15 A L J 290=39 All I L R 386, वाले मामले में मुहम्मद यूसुफ पर, इस दफा के अनुसार, यह अत्राध लगाया गया था कि उनको अपनी दूधान के सामने लकड़ी के तपते रख लिये थे, निन्ही एक ओर तो पुलियां पर साध दिया था, और दूसरी ओर दीन के कनस्ट्रों पर । हाईकोर्ट ने तजवीज में लिखा कि 'इमारत शब्द के पहिले शब्द बनाना, या फिर से बनाना' (Erect or reer ct) जो लार्थे गये हैं उनसे भगट होता है कि अभिनाय केवल ऐसी इमारत से है जो स्थायी ढंग की हो । शब्द "इमारत (Structure) की व्याख्या ऐक्ट में नहीं की गई है परन्तु शब्द 'बनाना' जो लाया गया है उसमें अभिनाय किसी ऐसी चीज से है जो स्थायी ढंग की हो, तसा कि कामत नाथ बनान न्यूनिस्लिपलटीज आई, इल.हायाद, 28 All I L R 196 वाले मामले की तजवीज में बताया गया था । इस अर्थ के अनुसार ऐसे तख्तों का लगा लेना जो कि हृथाये जो सड़ें, ऐक्ट की दफा २०९ के अर्थ के अनुसार इमारत का बनाया जाग नहीं कहा जा सकता ।"

दफा २११ सड़कों और गलियों और मोरियोंके ऊपरसे किसी ऐसी इमारतको जिसने कि उनका कोई भाग दबा लियाहो और इमारतको निकले हुये भागों को, हटा देनेका अधिकार

घोडे नोटिस के द्वारा, किसी इमारत के मालिक या काबिज को, किसी ऐसे निकले हुये भाग, या इमारत (Structure) को हटा देने, या उसमें परिवर्तन करने, की आज्ञा दे सकता है, जो किसी सड़क या गली के ऊपर हो, या उसमें बाहर को निकली हुई हो, या जिससे उक्त सड़क या गली का कोई भाग दबा लिया गया हो (Encroachment), या जो ऐसी लड़क गली की किसी मोरी, या बन्द मोरी, या पानी के रास्ता के ऊपर हो, या उसमें, या उसके ऊपर, बाहर को निकली हुई हो, या जिससे किसी मोरी, बन्द मोरी, या पानी के रास्ते का, कोई भाग दबा लिया गया हो । परन्तु शर्त यह है कि ~~अगर कोई~~ हुआ भाग या इमारत, सन् १९०० ई० के ऊपरसे उपस्थित हो, तो बोर्ड

जो सार्वजनिक सड़क या गली न हो, या उक्त सड़क या गलीके किसी भागमें, जनता के स्वास्थ्य या आराम या सुरक्षाके अभिप्रायसे, उसको चौरस करने, या उस पर ररजा बनाने, या पक्का करने, या पत्थर लगाने, या नालिया बनाने, या उसमें पानीके निकासका, या रोशनीका, या सफाईका, प्रबन्ध करनेके लिये कोई काम किया जाना चाहिये तो बोर्ड, लिखित नोटिसके द्वारा, उन आराजियों और इमारतोंके मालिकोंको, जो उक्त सड़क या गली, या उस सड़क या गलीके भागके सामने हो, या उससे मिली हुई हों, या उसके किनारे पर हों, यह आज्ञा दे सकता है कि उक्त कामको ऐसी विधिके अनुसार, और उतनी अवधिके भीतर, कराटे, जो उक्त नोटिसमें नियत करदी गई हो।

२ अगर उक्त नोटिसमें दी हुई आज्ञाका पालन, निरत की हुई अवधिमें न किया जाय, तो बोर्ड, यदि वह उचित समझे उस कामको स्वयं करा सकता है, और जो व्यय उसके करानेमें पड़े, वह छठे प्रकारणमें दी हुई विधिके अनुसार, उन मालिकोंसे जिन्होंने नोटिसकी आज्ञाका पालन न किया हो, उनकी आराजियों और इमारतोंके अग्र भागके विस्तारके हिसाबसे, और उस समानुपातसे जो बोर्ड निश्चय करे, वसूल कर सकता है।

३ किसी ऐसी सड़क, या गली या उसके भाग, का कोई एक या एक से अधिक मालिक, जिस सड़क या गलीमें कोई ऐसा काम किया गया हो, जिसका वर्णन उप दफा (१) में है, बोर्डसे यह दरखास्त (प्रार्थना) कर सकते हैं, कि उस विधिके अनुसार जो दफा २२१ में नियमित है, उक्त सड़क या गलीको सार्वजनिक सड़क या गली ठहरा दे।

भावार्थ—जो दरखास्त (प्रार्थना) कि सड़क या गली, या उसके भागके अधिकांश मालिकोंकी ओरसे कीजाय, उसके विषयमें इस उप दफाके अभिप्रायोंके लिये, यह माना जायगा, कि वह उस सड़क या गली या भागके कुल मालिकोंकी प्रार्थना है।

व्याख्या—

इस दफाके द्वारा म्यूनिसिपल्टीको उन निजी सड़कों और गलियों पर अधिकार दिये गये हैं जो कि यनी हुई मौजूद हों। इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि चाहे ऐसी कोई सड़क या गली किसी एकही शक्तिकी निजी जायदाद हो तो भी बोर्डको अधिकार दिया गया है कि जितने मकान उस सड़क या गलीमें हों, उन सबके मालिकोंको आज्ञादे, कि उप दफा (१) में बताये हुये कामों मेंसे, जिस कामको म्यूनिसिपल्टी आवश्यक समझे, वह सब मिलके बनवायें।

दफा २१३ इमारतोंके बनायेजाने इत्यादिके समयमें, सड़कों या गलियोंकी रक्षा करनेके विषयमें आज्ञा देनेका अधिकार

१ बोर्डकी लिखित इजाजतके बिना किसी शक्तिको अधिकार न होगा कि कोई पेड़ की कोई शाखा काटे, या किसी इमारतके भागको बनाये, या फिरसे बनाये, या गिराये, या किसी इमारतके बाहरी भागमें कोई परिवर्तन करे, या उसकी मरम्मत करे, यदि ऐसी कार्रवाई उस प्रकारकी हो जिससे किसी ऐसे शक्तिको, जो सड़क या गलीको काम में लाता हो, रुकावट, या जोषो, या कष्टके पहुँचनेकी सम्भावना हो।

२ बोर्ड किसी समय पर, नोटिसके द्वारा किसी ऐसे शक्तिको, जो उन कामोंमें से

से यह उत्र किया गया कि झगड़े वाली भाराजी एक सार्वजनिक सड़क है, इसलिये जिस शास्त्र के नोटिस दिया गया है उसको केवल इतना ही अधिकार है कि उस नोटिस की अपील दफा १५३ ऐक्ट नं० १, सन १९०० के अनुसार करे। अदालत दीवानी में उसको दावा दायर करने का अधिकार नहीं है। (ऐक्ट नं० १, सन १९०० की दफा १५२ हाल के ऐक्ट की दफा ३१८ के समाप्ति) हाईकोर्टने तजवीज किया कि जायदादकी मिलिकयत के विषय में कोई झगडा हो तो सरकार प्रजा के प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का अधिकार प्राप्त है कि सरकारी अदालत में दावा दायर करे कोई प्रांतीय कानून जैसे कि म्यूनिसिपलटी का ऐक्ट, प्रजा के इस अधिकार को किसी प्रकार कम नहीं कर सकता। जायदाद की मिलिकयत के प्रश्नों पर विचार करने और फैसला देने के लिये दीवानी की अदालतें ही उचित अदालतें हैं। और दीवानी की अदालतों में मुकद्दमा लड़ने के अधिकार को, वक्त दफा का कोई हुक्म या म्यूनिसिपलटी के किसी चाई लॉ का कोई हुक्म न तो किल प्रकार कम कर सकता है न नष्ट कर सकता है। देखिये महिमार्जन राय बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड बनारस 1 A L J 377.

—इसी प्रकार जब कि वह इमारत या इमारत का भाग जिस के गिरवा देने के लिये बोर्ड दफा २११ के अनुसार नोटिस दिया हो वास्तव में किसी सार्वजनिक सड़क में या उस के उपनिर्कले हुए न हों या साथ ऐसी इमारत या इमारत का भाग किसी सार्वजनिक सड़क के किसी भाग को दयाता न हो या जब वह भाराजी जिन पर कोई ऐसी इमारत या इमारत का भाग बनाया गया हो सार्वजनिक न हो तो नोटिस नाजायज होगा। ऐसे नोटिस की आज्ञा पालन न करने से कोई शास्त्र अपराधी नहीं ठहराया जा सकता और जिस शास्त्र को ऐसा नोटिस दिया गया हो उस के अदालत दीवानी में हुक्म यात का मुकद्दमा दायर करने का भी अधिकार होगा कि म्यूनिसिपल बोर्ड झगडे वाली इमारत या इमारत के भाग को हटवाने का अधिकार प्राप्त नहीं है देखिये अलोप दीन बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड इलाहाबाद 4 A L J. 8.)

—परन्तु यदि किसी मामलेमें यह बात प्रमाणित हो कि किसी गलीमें, यदि कभी मिलिकयत का कोई एक किसी शास्त्रको था भी, तो वह नष्ट हो चुका है, तो ऐसी दशामें, म्यूनिसिपलटीके दफा ८८ (हालकी दफा २११) के अनुसार नोटिस जारी करनेका अधिकार अवश्य प्राप्त होगा इसलिये जब कि किसी म्यूनिमिपलटीने, एक गलीमें बनवाये हुये किसी कामके गिरवा देनेका नोटिस एक शास्त्रको दिया, और उस शास्त्रने अदालत दीवानीमें दावा दायर किया कि हुक्म इस्तना म्यूनिमिपलटीके नाम जारी किया जाय, कि वह उस गलीमें बनवाये हुये काममें टखल न दे, क्या कि गलीका मालिक मुद्दई है, न कि म्यूनिसिपल बोर्ड। द्वाहादतसे यह बात साबित होती थी कि उक्त गली एक अन्नी गली थी (अर्थात् जो एक ओर बन्द थी), जिसको सर्वसाधारण ३० वर्षसे बिना किसी राक टोकके काममें लाते रहे हैं और म्यूनिमिपलटी उसमें रोशनी, हाई, और पानीके निदास का प्रबन्ध करती थी। यह भी साबित होता था कि भूतपूर्व मालिककी जायदाद जब बिकी था उसके साथ यह गली नहीं बिकी। हाईकोर्टने तजवीज किया कि म्यूनिसिपलटी को नोटिस देनेका अधिकार प्राप्त था, और ऐसी दशामें हुक्म इस्तनाई नहीं जारी किया जा सकता। देखिये, म्यूनिसिपल बोर्ड बुलन्दशहर बनाम दक्खनलाल, 5 A L J 45

दफा २१२ किसी सड़क या गलीको चौरस(समतल)करने या उस पर खरंजा बनाने, इत्यादिकी आज्ञा देनेका अधिकार

३ जब बोर्ड यह समझे, कि म्यूनिसिपलटीके भीतर, किसी ऐसी सड़क या गलीमें

दफ़ा २१५, संयोगवश, रुकावटके हो जाने पर इसको हटवा देनेका अधिकार

जब कोई निजी मक़ान, या भीत, या कोई अन्य इमारत, या कोई ऐसी वस्तु जो उनमें लगी हुई हो या कोई वृक्ष गिर पड़े और उसके कारण किसी सार्वजनिक मोदी में रुकावट हो जाये, या वह किसी सड़क या गलीको घेर ले तो बोर्ड ऐसी रुकावट, या घेर लेनेवाली वस्तुको, ऐसे मक़ान इत्यादि के मालिकके खर्चसे हटवा सकता है, और उक्त खर्चको छठे प्रकरणमें दी हुई विधिसे अनुसार, वसूल कर सकता है। या बोर्ड नोटिसके द्वारा मालिकको आज्ञा दे सकता है कि वह उस रुकावट, या सड़कको घेर लेनेवाली वस्तु, को उस अधिक भीतर जो नोटिसमें नियत कर दी जाय हटवा दे।

नोट—यदि एम नोटिस की आज्ञा पालन न किया जाय तो उस दशके लिये देखिये नोट नं० २१४ के भाग दिया गया - ।

दफ़ा २१६, ऐसे हाँजों, या बरसाती पानीके नलोंका प्रबन्ध, जिनसे किसी सड़क या गली पर असर पड़ता हो

नोटिसके द्वारा, बोर्ड, किसी ऐसी इमारत या भाराजोंके मालिक या कूदिजको जो किसी सड़क या गलीसे मिली हुई हो, यह आज्ञा दे सकता है, कि उस इमारत या भार जके पानीको इकट्ठा करने, और ले जानेके लिये, और ऐसे पानीको उस विधिसे निकाल देने के लिये, जो बोर्ड उचित समझे, ऐसे हाँज और नल जो उचित हों, बनाये और उक्तको अच्छी दूर में रखे, जिससे कि उक्त सड़क या गलीमें निकलने वाले पानीको असुविधा न हो।

व्याख्या—

इस दफ़ा के अनुसार, बोर्ड को अधिकार दिया गया है, कि हाँज या नलों के सम्बन्ध में, चाहे मक़ान के मालिक को कोई आज्ञा दे या मक़ान के कूदिज को।

—इस दफ़ाके अनुसार दिये हुये नोटिसकी आज्ञा के पालन न करनेपर दफ़ा ३०७ के अनुसार जुर्माना किया जा सकता है और बोर्ड स्वयं ऐसे हाँज या नल को बनवा के उनका खर्च वसूल कर सकता है।

दफ़ा २१७ सड़को और गलियोंका नाम रखा जाना, और इमारतों पर नम्बर डाला जाना

१ बोर्ड को अधिकार है कि—

- (ए) किसी सड़क या गली का नाम, या नया नाम, नियत कराये। और
- (बी) नाम, या नये नाम को, किसी इमारत के ऐसे स्थान पर लगवाये (Affix), या लिखवाये (Marked), जैसा कि उसको उचित जान-पड़े।
- (सी) लिखित नोटिस के द्वारा, किसी इमारत के मालिक या कूदिज को आज्ञा दे, कि उस पर नम्बर की तफ़्ती (Plato), या नम्बर की नई

जिनका उल्लेख उप दफा (१) में किया गया है, कोई काम करता हो, या करनेकी इच्छा प्रगट कर, यह आज्ञा दे सकता है, कि वह उस कामको आरम्भ न कर, या जारी न रखे, जब तक कि वह तख्तेकी ऐसी दीवार जो नोटिसमें अंकितकी गई हो, या जिनका दर्पण नोटिसमें दिया गया हो खड़ी न कर, और कायम न रखे, और जब तक कि वह उनके लिये सूत्रारतके समानले लेकर, सूत्रोंद्वारा समय तक, कक्षा रोशनीका प्रबन्ध न करे। और बोर्ड किसी समय पर, नोटिसके द्वारा, यह आज्ञा भी दे सकता है, कि कोई ऐसा परदा, या तख्तेकी दीवार जो उपरोक्त कामोंमें से किसी कामके करनेके विचारसे पहिलेहीसे खड़ी की गई हो, या उपरोक्त कामोंके कारण खड़ीकी गई हो, उस अवधिके भीतर हटा दी जाय जो कि नोटिस में अंकित की जायगी।

३ जो कोई गखल उप दफा (१) की आज्ञा के विरुद्ध कार्यवाई करेगा, उसको अपराध साबित हो जाने पर, जुर्माने का दण्ड दिया जायगा, जिसकी संख्या पचास (५०) रुपये तककी सकती है, और पहिली बेर अपराध साबित होने कीतारीखके पश्चात्, प्रत्येक ऐसे दिनके विषयमें, जिसमें कि ऐसी कार्यवाई जारी रहे जुर्माने का नया दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या पांच (५) रुपये प्रतिदिन तक हो सकती है।

व्याख्या—

दफा ८२ ऐक्ट नं० १ सन १९०० ई०के हुक्मोंके अनुसार यह आवश्यक था कि इमारत बनाने का सामान सड़कपर जमा करनेके लिये बोर्डकी आज्ञा लेनी जाय, परन्तु उस दफाके होते हुये भी हाई-कोर्टने यह तजवीज किया था, कि जब किसी इमारतके बनानेकी आज्ञा बोर्ड दे देता है, तो साथ साथ यह ध्यानभी माननी जायगी, कि उस इमारतके बनानेके लिये जो पाठ आदि खडी करनेकी आवश्यकता हो, उसकी भी आज्ञा बोर्डने दी। देखिये 1907 A. W. N 251=29 All. L. R 737 परन्तु हालके ऐक्टकी दफा १३३ शब्दोंके द्वारा, यह बात स्पष्ट कर दी गई है, कि बिना बोर्ड की इजाजतके पाठ खडी करनेका अधिकार किसी शरतको नहीं है, चाहे वह पाठ किसी ऐसी इमारतके गगनके लिये खडीकी गई हो, जिस इमारतके बनानेके लिये बोर्ड आज्ञा दे चुका हो। पठ खडी करनेके लिये बोर्डों से अलग इजाजत लेना होगी। यदि कोई पाठ बिना इजाजतके खडी की जायगी तो यह जान लिया जायगा कि दफा २१३ के अनुसार उसके द्वारा जनताको रूकावट, जोलों और कष्ट, पहुंचा। इस सम्बन्धमें भतीबी चुन्नीलाल बनाम सरकार बहादुर, 58 I C 944, वाला मामला भी देखिये जो आगे दफा २६५ की व्याख्यामें दिया गया है।

दफा २१४ झाड़ियो और वृक्षोंके छटवानेकी आज्ञा देनेका अधिकार

नोटिसके द्वारा, बोर्ड किसी आराजोंके मालिक या कान्चिजके, यह आज्ञा दे सकता है, कि उक्त आराजों पर उगी हुई ऐसी झाड़ियो को, जो किसी सड़क या गलीके किनारे पर हो, या उक्त आराजों पर लगे हुये वृक्षोंकी ऐसी शाखाओंको, जो किसी सड़क या गलीके ऊपर फैली हुई हो, और उसके काममें लानेमें रूकावट डालती हो, या जिनसे जोला हो, काट दे।

नोट—एगो आज्ञा पात्र न गिने जाने पर उस शरतके निमित्त नोटिस दिया गया हो दफा ३०७ के अनुसार शर्तनेका दण्ड दिया जा सकता है और यदि शय उक्त कामसे कष्ट उच्यो वस्तु पर सकता है।

व्याख्या—

दफा २१८ के अनुसार बोर्ड को निजी मकानों, और अन्य निजी जायदाद पर, छाँटेनी आदि के खर्भे, वेकेट, इत्यादि, लंगाने का अधिकार दिया गया है । परन्तु साथही साथ उपदफा (२) में आज्ञा दी गई है कि ऐसे सार्वजनिक कामों के लिये जब किसी शायस की निजी जायदाद काम में लाई जाय, तो जहा तक सम्भव हो, इस प्रकार काम किया जाय कि जिससे जायदाद के मासिक को हानि या असुविधा न हो । और टेलिग्राफ ऐक्ट में जो हुक्म तार के खर्भे निजी जायदाद पर लंगाने के सम्बन्ध में रखे गये हैं, वही उस दशा में भी लागू होंगे, जब म्युनिसिपलटी किसी निजी जायदाद पर कोई खर्भे इत्यादि लगाना चाहे । टेलिग्राफ ऐक्ट न० ३३ सन् १८८५ की धारा १० के द्वारा खर्भे लगाने का अधिकार इस प्रकार दिया गया है—

‘तार के अधिकारी, समय समय पर, किसी जायदाद गैर मनकूला के नीचे, ऊपर, बराबर या भारपर, तार की लैन लगा सकते हैं, और उसकी कायम रख सकते हैं, और ऐसी जायदाद में, या उसके ऊपर, तार के खर्भे लगा सकते हैं, और कायम रख सकते हैं ।

परन्तु शर्त यह है कि—

- (ए) जो अधिकार इस दफा के अनुसार दिये गये हैं, उनको तार के अधिकारी, सिवाय किसी ऐसे तार के मतलों के लिये जो सरकार ने स्थापित किया हो, या कायम रखा हो, या जिसको सरकार स्थापित करने वाली हो, या कायम रखने वाली हो, अन्य किसी मतलब के लिये, न बरतेंगे ।
- (बी) जिस जायदाद के नीचे, ऊपर, बराबर, भारपर, तार के अधिकारी कोई तार की लैन लगायें, या जिस जायदाद में, या उसके ऊपर कोई तार का खर्भे लगायें, उस जायदाद पर सरकार को केवल प्रयोग करने का अधिकार होगा, अन्य कोई अधिकार नहीं । और
- (सी) सिवाय उस दशा के जिसके लिये आगे हुक्म दिया गया है तार के अधिकारी, उक्त अधिकारों को किसी ऐसी जायदादके विषय में न बरतेंगे, जो किसी स्या मीय अधिकारी के अधिकार में हो, या उसकी गिरानी या प्रबन्ध में हो, जब तक कि ऐसे स्थानीय अधिकारी की आज्ञा न ले ली जाय । और
- (डी) जो अधिकार कि इस दफा के द्वारा दिये गये हैं उनके बरतने में तार के अधिकारी उतनी ही हानि पहुँचायें, जितनी कि कमरे कम सम्भव हो । और छान (सी) में वर्णन की हुई जायदाद के अतिरिक्त, जब अन्य किसी जायदाद के सम्बन्ध में, वह उक्त अधिकारों को बरतें, तो वह उन सब शायसों को, जिनका कि उक्त जायदाद से वास्ता हो किसी ऐसी हानि के लिये जो उक्त शायसों को ऐसे अधिकारों के बरते जाने के कारण पहुँची हो, पूरा बदलाव (मुआयिजा) देंगे ।

टेलिग्राफ ऐक्ट की दफा १६ की आज्ञा है, कि यदि कोई शायस उन अधिकारों के बरतने में, जो दफा १० के अनुसार तार के अधिकारियों को दिये गये हैं बाधा डाले, या न बरतने दे, तो जिला मजिस्ट्रेट, यदि उसकी राय में यह उचित जान पड़े, आज्ञा दे सकता है कि तार के अधिकारियों को उक्त अधिकार बरते जाने की इजाजत दी जाय । यदि जिला मजिस्ट्रेट का हुक्म होने पर किसी जायदाद का मासिक ऐसे अधिकारों के बरतने में सहायता न दे, तो उसकी राजीनामा दिवद

तख्ती, ऐसे नमूने की लगाये जिसको बोर्ड ने मजूर किया हो या बोर्ड स्वयं कोई नम्बर या नया नम्बर किसी इमारतपर लगवाये या लिखवाये ।

२ किसी ऐसे शख्स को, जो किसी ऐसे नाम, या नम्बर, या नम्बर की तख्ती को, जो उपदफा (१) के अनुसार किसी इमारत पर लगाया या लगाई गई हो, या लिखा गया हो, नष्ट करेगा, या नीचे गिरा देगा, या बिगाड़ेगा, या उसमें कुछ परिवर्तन करेगा, या जो नाम, या नम्बर, किसी इमारत पर स्वयं बोर्डने लगवाया हो, या लिखवाया हो, उसकी जगह कोई अन्य नाम या नम्बर लगायेगा, या लिखेगा, उसको अपराध के साबित होने पर, जुर्मानेका दण्ड दिया जायगा, जिसकी सख्ती पन्चीस २५ रुपये तक हो सकती है ।

व्याख्या—

गवर्नमेण्ट आर्डर न० ५६१ ता० २९ सितम्बर सन १८८० ई० की आज्ञा है कि म्यूनिसिपल-टियों में भकानों पर स्थाई रूप से नम्बर डाले जाय । नम्बर डालने की प्रणाली के सम्बन्ध की सब बातें जैसे यह कि तलती किस आकार की हो, या यह कि नम्बर डालने के लिये कौन घर अलग माना जाय और इसी प्रकार की अन्य बातें, बोर्ड जिस प्रकार उचित समझे, दफा २१७ के अनुसार, निश्चय करले । प्रत्येक नगर के लिये तक्षितया एक मी होना चाहिये । विविध नमूनों की तरितियों की आज्ञा नहीं देना चाहिये, सिवाय उस दशा के जब कि बोर्ड नम्बरों का लिखा जाना पसन्द करे ।

दफा २१८ इमारत इत्यादि में ब्रेकेट लगाने का अधिकार

१ बोर्ड किसी इमारत या आराजी पर, या किसी इमारत के बाहरी ओर, या किसी वृक्ष में—

(ए) तेल की, या गैस की, या विजली की, या और प्रकार की, लालटेनोंके लिये खम्भे, या ब्रेकेट (दीवारगीरी), या कोई अन्य सहारे की वस्तुये बनवा या लगवा सकता है । या

(बी) टेलिग्राफ (तार) के तारों के लिये, या टेलिफोन के तारों के लिये, या ऐसे तारों के लिये जिनके द्वारा विजली, गाड़ियों आदि के चलाने के काम के लिये, ले जाई जाती है खम्भे या दीवारगीरियां (ब्रेकेट), या कोई अन्य सहारे की वस्तुये, बनवा या लगवा सकता है । या

(सी) ऐसे शैफ्ट (अर्थात् हवा के आने जाने के लिये रास्ते) और नल बनवा सकता है या लगवा, सकता है जो मोरियों या पानी पहुँचानेके लिये बढ़ाये हुए कामों में हवा की पहुँचके उचित प्रवन्धके लिये आवश्यक समझे जाय ।

२ परन्तु शर्त यह है कि ऐसी सहारे की वस्तुये, और शैफ्ट (Shaft), और नल, इस प्रकार न बनाये या लगाये जायगे, कि उनके कारण कोई हानि, या असुविधा, हो, और उनका बनवाया जाना, या लगाया जाना, जहा तक सम्भव हो, इण्डियन टेलिग्राफ ऐक्ट सन १८८५ ई० (Indian Telegraph Act) के ऐसे हुकमों के अधीन होगा, जो तार की लैन, या खम्भों के लगाने या हटाने, या उनमें परिवर्तन करने, से सम्बन्ध रखते हैं ।

किनारे पर, या उससे मिले हुये, जिस सड़क या गली को बोर्ड ने क्लाज (ए) और (बी) और (सी) के अनुसार बनाया हो, या प्रान्तीय सरकार ने बनाया हो या चौड़ा किया हो या लम्बा किया हो या बढ़ाया हो या बड़ा किया हो या उसका सुधार किया हो, इमारत बनाने के लिये, ऐसी लम्बाई चौड़ाई के स्थान निकाले, जैसा कि वह उचित समझे। और किसी ऐसे नियम की आज्ञा के अधीन, जिसमें वह शर्तें नियमित हों, जिनके अधीन बोर्ड जायदाद प्राप्त कर सकता हो, कोई ऐसी आराजी, उस पर की इमारतों के सहित, प्राप्त करे, जो वह उस प्रबन्ध (Scheme) या काम के अभिप्राय के लिये आवश्यक समझे, जो (उन अधिकारों के अनुसार जो पूर्वोक्त क्लाजों के द्वारा मिले हैं) आरम्भ किये गये हो, या जिनके करने का इरादा किया गया हो। और

- (ई) किसी ऐसे नियम की आज्ञा के अधीन, जिसमें वह शर्तें नियमित हों, जिनके अधीन वह जायदाद जो बोर्ड के अधिकार में हो, अलग की जा सकती हो, किसी ऐसी जायदाद को जो बोर्ड ने क्लाज (डी) के अनुसार प्राप्त की हो या किसी ऐसी आराजी को जिसको बोर्ड सार्वजनिक सड़क या गली के प्रकार काम में लाता रहा हो, और जिसकी आवश्यकता अब आगे, इस काम के लिये न हो, पट्टे पर दे या बेचे, या अन्य प्रकार अलग करे, और ऐसा करने में, किसी ऐसी इमारत, जो उस पर बनी हो, के हटाये जाने के सम्बन्ध में और किसी नई इमारत, जो उस पर बनाई जाने वाली हो, की बनावट के सम्बन्ध में, और उस अवधि के सम्बन्ध में जिसके भीतर ऐसी नई इमारत पूरी की जायगी, और किसी अन्य बात के सम्बन्ध में जो उसको उचित जान पड़े, कोई शर्तें लगाये।

नोट—उपरोक्त क्लाज (ई) और (एफ) जिन नियमों के अधीन होंगे उनके बनाये जाने की आज्ञा दफा १२७ में दी गई है।

दफा २२० बेचने वालों और अन्य शहरोंका सार्वजनिक सड़क या गलीको काममें लाना

किसी ऐसे अधिकार, या विशेष अधिकार (Privilege) के होते हुये जो कि पहिले से किसी ऐसी म्यूनिसिपलटी में प्राप्त किया गया हो, या उत्पन्न हुआ हो, या बरता गया हो, जिस म्यूनिसिपलटीके लिये दफा २९८ की मद (ई) के अंश (डी) के अनुसार बार्डों बनाये गये हों, और प्रचलित हों, किसी घूम फिर के माल बेचने वाले को, या अन्य शहर को, अधिकार न होगा, कि किसी सार्वजनिक सड़क या गली या स्थान को वस्तुओं के बेचने, या किसी व्यवसायका कोई काम करने, या कोई धरौ (Booth), या दूकान (Stall), लगाने, के लिये, बिना बोर्ड की इजाजत के, जो उक्त बार्ड एगेंसों के अनुसार दी गई हो, काम में लाये या उस पर दखल करे।

की दफा १८८के अनुसार दण्ड दिया जायगा। टेलिग्राफ एक्टकी दफा १७के द्वारा, जायदादके मालिक को, तारकी लैन या खम्भे हटवानेका अधिकार इस प्रकार दिया गया है—

जब इस एक्ट के पूर्व कथित हुक्मों के अनुसार कोई तार की लैन या खम्भा, तार के अधिकारियों के द्वारा, किसी ऐसी जायदाद के नीचे, ऊपर, धरावर आरपार, या उसमें, या उसके ऊपर लगाया गया हो, जो जायदाद कि किसी स्थानीय अधिकारी के अधिकार, निगरानी, या प्रबन्ध, में न हो, और कोई शास्त्र जिसको कि ऐसा करने का अधिकार प्राप्त हो उक्त जायदाद को इस प्रकार काम में लाने की इच्छा करे कि जिसके कारण तार की लैन, या खम्भे का जायदाद के किसी अन्य भाग में हटा देना, या उसकी सतह ऊंची, या नीची, कर देना, या उसकी शक्ति में परिवर्तन करना, आवश्यक हो, या उसमें सुभीता हो, तो ऐसा शास्त्र, आवश्यकता या सुभीते के अनुसार, तार के अधिकारियों से दरखास्त कर सकता है, कि तार की लैन या खम्भे को हटा दें या उसमें परिवर्तन कर दें। परन्तु शर्त यह है कि यदि दफा १० के क्लॉज (डी) के अनुसार मुआविजा दिया जा चुका हो, तो ऐसा शास्त्र, जब वह दरखास्त करे, तो एक ऐसी रकम तार के अधिकारियों के सामने पेश करे, जो हटाने या परिवर्तन करने के खर्च में पड़े। या जो मुआविजा दिया गया हो उसकी आधी रकम पेश करे, अर्थात् दून दोनों रकमों में से जो थोड़ी हो।

नोट—उक्त हुक्मों में जो अधिकार और जिम्मेदारिया खम्भे आदि लगाने के सम्बन्ध में तारके अधिकारियों की हैं वही म्यूनिसिपलटी के एक्ट की दफा २१८ के अनुसार म्यूनिसिपल बोर्ड की हैं।

सार्वजनिक सड़कें या गलियां

(Public Streets)

दफा २१९ सार्वजनिक सड़कें या गलियां बनाने और सुधारने और उनपर मकान बनाने केलिये स्थान निकालनेका अधिकार

बोर्ड को अधिकार होगा कि—

- (ए) कोई नई सार्वजनिक सड़क या गली निकाले, और बनाये, और सुरङ्ग (Tunnels) और ऐसे काम तैय्यार करे जिनका उन सड़को या गलियोंके सङ्ग बनाया जाना आवश्यक हो। और
- (बी) किसी सार्वजनिक सड़क या गली को, जो बनी हुई हो, यदि वह बोर्ड के अधिकार में हो, चौड़ा करे, या लम्बा करे, या बढ़ाये (Extend) या बड़ा करे (Enlarge), या उसका अन्य प्रकार सुधार करे। और
- (सी) किसी सार्वजनिक सड़क या गली को जो इस प्रकार बोर्ड के अधिकार में हो, मोड़े (Turn), या दूसरी ओर को निकाल दे, (Divert) या उसको जारी न रखे, या बन्द कर दे। और
- (डी) अपनी राय के अनुसार, किसी ऐसी सार्वजनिक सड़क या गली के

व्याख्या—

दफा २१२ की उपदफा (३) के अनुसार किसी ऐसे मकानों के मालिक, जो किसी सड़क या गली के किनारे हों बोर्ड से प्रार्थना कर सकते हैं कि उक्त सड़क या गली को बोर्ड सार्वजनिक सड़क या गली ठहरा दे। ऐसी प्रार्थना किये जाने पर बोर्ड के लिये आवश्यक है कि वह ऐसी सड़क या गली को सावजनिक ठहरा के उसकी सगर्ह रोशनी इत्यादि कामों को अपने जिम्मे ले। परन्तु यदि बोर्ड किसी सड़क या गली को सार्वजनिक सड़क या गली ठहरा देने की स्वयं इच्छा करे, तो इस दफा के अनुसार उसको ऐसा करने का अधिकार उसी दशा में हो सकता है जब कि उस सड़क या गली का मालिक, या उसके मालिकों में से कोई एक भी मालिक, इस बात में उज्ज न करे।

—आम नोटिस की विधि के लिये देखिये ऐक्ट की दफा ३०४।

दफा २२२ सार्वजनिक सड़कों और गलियों में इमारतोंकी लैन (पंक्ति) निश्चित कर देने का अधिकार

१ जब कभी बोर्ड किसी ऐसी सार्वजनिक सड़क या गली जो घनी हुई हो, या जिसके बनाने जाने का प्रस्ताव किया जाता हो, के दोनों ओर या किसी एक ओर की इमारतों की साधारण पंक्ति (लैन) को निश्चय कर देना उचित समझे, तो वह ऐसा करने की इच्छा का आम नोटिस देगा।

२ प्रत्येक ऐसे नोटिस में वह अवधि अंकित कर दी जायगी जिसके भीतर उक्त दारिया ली जायगी।

३ बोर्ड, ऐसी कुल उज्जदारियों पर, जो अंकित की हुई अवधि के भीतर भेजी जाय, विचार करेगा, और इसके पश्चात् एक रेजोल्यूशन, जिसमें उक्त पंक्ति का वर्णन हों मजूर कर सकता है, और जो पंक्ति कि इस प्रकार नियत की जायगी वह "सड़क या गली की नियमित पंक्ति" (Regular line) कह लायगी।

४ तत्पश्चात् कोई शख्स किसी इमारत, या इमारत के भाग, को इस प्रकार नहीं बना सकेगा, न फिर से बना सकेगा, न उसमें इस प्रकार परिवर्तन कर सकेगा, कि वह सड़क या गली की नियमित पंक्ति से आगे निकल जाय, सिवाय उस दशा के जब कि उसको ऐसा करने का अधिकार ऐसी मजूरी के द्वारा दिया गया हो, जो मजूरी कि दफा १८० के अनुसार दी गई हो, या जब कि उसको ऐसा करने का अधिकार इस दफा के अनुसार लिखित इजाजत के द्वारा दिया गया हो, (और इस दफा के द्वारा बोर्डको ऐसी इजाजत देने का अधिकार दिया जाता है)।

५ किसी आराजी का कोई मालिक, जो इस दफा की आज्ञाओं के कारण, किसी आराजी पर किसी इमारत के बनाने या फिर से बनाने या उसमें परिवर्तन करने से रोक दिया जाय, वह बोर्ड से किसी ऐसी हानि के विषय में मुआविजा देने को कह सकता है, जो हानि उसको इस प्रकार रोक दिये जाने के कारण पहुँची हो, और किसी ऐसी आराजी के विषय में जो सड़क या गली की नियमित पंक्ति के भीतर हो, मुआविजा दे दिये जाने पर यह आराजी बोर्ड के अधिकार में धाजायेगी।

व्याख्या—

इस दफा के अनुसार म्यूनिसिपलटियों को अधिकार दिया गया है कि कोई विधोप स्थान म्यूनिसिपलटी के भीतर नियत कर दे जिसमें वस्तुओं के बेचने वाले दुकान लगा कर बैठ सकें, और उनसे फीस या तहयजारी लें। परन्तु तहयजारी वसी दशा में ली जा सकती है, जब दफा २९८ की मद (ई) के अंश (डी) के अनुसार म्यूनिसिपलटी बार्ड-लॉ बनाले, और एक सिद्ध्यूल तैयार कर ले, कि तहयजारी किस हिसाब से ली जायगी, और उसकी रसीद इत्यादि देने का भी प्रवन्ध कर दे। तहयजारी के लिये नमूने के बार्ड-लॉ बना दिये गये हैं जो म्यूनिसिपल मैनुअल के पन्ने ३७३ से, ३७५ तक में दिये हुये हैं। जो दरों का सिद्ध्यूल इस सम्बन्ध में तैयार किया जाय, उसकी प्रतिया यात्रारों के, सडकों के, और अन्य जगहों के, ऐसे स्थानों में कुल, म्यूनिसिपलटी में लगवा दी जाना चाहिये, कि जिससे उन पर सबकी दृष्टि पड सके। बार्डलाओं में वह स्थान भी निर्दिष्ट कर दिये जाय, जहां दुकानें लगाने की आज्ञा दी गई हो और ऐसे स्थान भी निर्दिष्ट कर दिये जाय जहां विधोप अवसरों पर, जैसे मेलों में, दुकानें लगा कर वस्तुयें बेचने की आज्ञा दी गई हो। यदि कोई बोर्ड सार्वजनिक जगहों में दुकानें लगाने की आज्ञा दे दे, और तहयजारी न वसूल करना चाहे तो उसको इस उद्देश से बार्ड-लॉ बना लेना चाहिये।

—जो शरस विना बोर्ड की इजाजत के कोई माल बेचने के लिये किसी सार्वजनिक सडक पर कोई थरो या दुकान लगायेगा उसको दफा २६५ के अनुसार जुमाने का दण्ड दिया जा सकता है।

इस दफा के साथ देखिये दफा २९३।

दफा २२१ किसी सडक या गलीको सार्वजनिक सडक या गली उहरा देना

१ कोई बोर्ड किसी समय पर, आम नोटिस के द्वारा, जो किसी सडक या गली में जो सार्वजनिक सडक या गली न हो, या ऐसी सडक या गली के किसी भाग में, लगा दिया जाय, अपनी इस इच्छा की सूचना दे सकता है कि वह उक्त सडक या गली को सार्वजनिक सडक या गली उहरा देगा, और यदि दफा २१२ की उप दफा (३) के अनुसार बोर्ड से ऐसी प्रार्थना की जाय, तो बोर्ड के लिये ऐसा करना आवश्यक होगा। और सिवाय उस दशा के, कि ऐसे नोटिस के इस प्रकार लगा दिये जाने से दो मास के भीतर उक्त सडक या गली का मालिक या एक से अधिक मालिक, या उक्त सडक या गली के किसी भाग का मालिक या एक से अधिक मालिक, या उक्त सडक या गली के अधिकांश भाग के मालिक या एक से अधिक मालिक, म्यूनिसिपलटी के दफतर में उद्धारियां दाखिल कर दे या कर दे, तो बोर्ड, एक दूसरे आम नोटिस के द्वारा, जो उक्त सडक या गली में या उसके भाग में, लगा दिया जाय, उसको सार्वजनिक सडक या गली उहरा दे सकता है।

२ आम नोटिस जिसके लिये आज्ञा उपदफा (१) में दी गई है सडक या गली में लगा दिये जाने के अतिरिक्त किसी स्थानीय समाचार पत्र में (यदि कोई हो) भी प्रकाशित कर दिया जायगा, या किसी अन्य प्रकार जो कि बोर्ड उचित समझे, प्रकाशित कर दिया जायगा।

(सी) किसी ऐसे काम पर जो बनाया जा रहा हो, पहरा रखना, और सूर्यास्तकेसमय से सूर्योदय तक, उसमें काफी रोशनी रखनेका प्रबन्ध करना।

२ जो शख्स बिना बोर्ड की आज्ञा या मरजी के, किसी ऐसे प्रबन्ध या बनाये जाने में, जो बोर्ड उपदफा (१) के अनुसार करे या बनवाये, किसी प्रकार का हस्तक्षेप करेगा, उसको, अपराध के साबित हो जाने पर, जुर्माने का दण्ड दिया जायगा, जिस की सखुया ५० रुपये तक हो सकती है।

पानी का पहुँचाना

(Water Supply)

दफा २२४ पानीके कारखानेके बनाने और उसमें परिवर्तन करनेका बोर्डका अधिकार

बोर्ड—

(ए) पानी पहुँचाने के कामों को म्यूनिसिपलटी के भीतर, या दफा १२० की उपदफा (२) की आज्ञा के अधीन म्यूनिसिपलटी के बाहर, बना सकता है और ऐसे कामों को किसी सड़क या गली, या स्थानमें होके या उसके भार पार, या उसके ऊपर, या नीचे, से ले जा सकता है, और मालिक या क्राबिज को उचित समय पहले से लिखित नोटिस (सूचना) देने के पश्चात् किसी इमारत या आराजी में, या उसमें होके, या उसके ऊपर, या नीचे से ले जा सकता है। और

(बी) समय समय पर पानी पहुँचाने के किसी काम को बड़ा कर सकता है, या घटा सकता है, या उसका रास्ता बदल सकता है, या उसको ढाक दे सकता है या किसी अन्य प्रकार उसमें सुधार कर सकता है। और यह भी कर सकता है कि उसको जारी न रहे, या बन्द कर दे, या हटा दे।

दफा २२५ निजी पानीके रास्ते आदि, को साफ या बन्द करने की आज्ञा देनेका अधिकार

१ बोर्ड, नोटिस के द्वारा किसी निजी पानी के रास्ते, या श्रोत या तालाब या कुंय, या अन्य स्थान के, जिसका पानी पीने के काम में लाया जाता हो, मालिक को, या उस शख्स को जिसके अधिकार में वह (अर्थात् पानी का रास्ता इत्यादि) हो, यह आज्ञा दे सकता है कि उसकी अच्छी मरम्मत की दशा में रहे, और उसमें से समय समय पर नीचे बैठी हुई मिटी, या बूझा करकट, या सड़ी हुई घास पात, इत्यादि, साफ करता रहे, और बोर्ड उसको यह भी आज्ञा दे सकता है, कि ऐसे पानी के रास्ते आदि के पानी को दूषित होने से, उस विधि से बचाये, जो बोर्ड उचित समझे।

६ बोर्ड, नोटिस के द्वारा, किसी ऐसी इमारत, या इमारत के भाग में, परिवर्तन करने, या उसको गिरा देने, की आज्ञा दे सकता है, जो उपदफा (४) की आज्ञा के विरुद्ध बनाई गई हो, या फिर से बनाई गई हो, या जिसमें उपदफा (४) की आज्ञा के विरुद्ध परिवर्तन किया गया हो ।

व्याख्या—

दफा १८० की उपदफा (१) के खंड (बी) के अनुसार, बोर्ड को अधिकार दिया गया है कि किसी इमारत के बनाने, या फिर से बनाने आदि, की दरएजास्त को इस शर्त पर मजूर करे, कि उक्त इमारत को दफा २२२ में वर्णित 'नियमित पक्ति' टुक हटा दे, और दफा १८३ के खंड (बी) के अनुसार, ऐसे हुक्म के दिये जाने पर बोर्ड को हर्जा देना होगा ।

—जो आज्ञा कोई मकान या मकान का भाग बनाने की दफा १८० के द्वारा बोर्ड से प्राप्त की गई हो, उसके बल पर किसी शाख्स को अधिकार न होगा कि वह ऐसी आज्ञा के होते हुये भी, नियमित पक्ति से निकला हुआ कोई मकान या मकान का भाग, बनाये । यदि नियमित पक्ति से आगे निकली हुई कोई इमारत या इमारत का भाग, बनाने की इच्छा की जाय, या दफा २२२ की उपदफा (४) के अनुसार इस विषय में विशेष आज्ञा लेना आवश्यक होगा ।

—उपदफा (६) के अनुसार जो नोटिस किसी शाख्स को दिया जाय, उसकी अपील दफा ३१८ के अनुसार की जा सकती है और यदि ऐसे किसी नोटिस की आज्ञा का पालन न किया जाय तो उक्त शाख्स को, जो उसके आज्ञा का पालन न करे, दफा ३०७ के अनुसार जुर्माने का दण्ड दिया जा सकता है, और, उसी दफा के अनुसार बोर्ड को यह भी अधिकार है कि स्वयं इमारत में परिवर्तन करा दे या उसको गिरवा दे और खर्चा उक्त शाख्स से वसूल करले ।

दफा २२३ सार्वजनिक सड़कें या गलियां इत्यादि बनानेके समय बोर्ड के कर्तव्य

१ बोर्ड किसी सार्वजनिक सड़क या गली के, या पानी पहुँचाने के काम के (Water works), या मोरियोंके, या मकान आदि, जो उसके अधिकार में हों, के बनाये जाने के समय या मरम्मत किये जाने के समय, या जब कभी कोई सार्वजनिक सड़क या गली की, या पानी पहुँचाने के काम की, या मोरी, या मकान आदि की, जो उसके अधिकार में हों, मरम्मत न होने के कारण, या अन्य किसी कारण, ऐसी दशा हो कि उनके काम में लाये जाने में सर्व साधारण के लिये जोखो हो, तो, दुर्घटनाओं से रक्षा करने के लिये, नीचे लिखे बचत के सारे उपाय काम में ला सकता है—

(ए) टेक लगाना (Shoring up) और मिली हुई इमारतों की रक्षा करना । और

(बी) किसी सड़क या गली के भारपार, या सड़क या गली में, लट्टे या जंजीरे, या खम्भे, इस अभिप्राय से लगाना कि ऐसे बनाये जाने, या मरम्मत किये जाने, के समय में, सड़क पर निकला बैठी न हो, या इस अभिप्राय से कि निकला बैठी किसी और रास्ते से होने लगे । और

(सी) किसी ऐसे काम पर जो बनाया जा रहा हो, पहरा रखना, और सूर्यास्तकेसमय से सूर्योदय तक, उसमें काफी रोशनी रखनेका प्रबन्ध करना।

२ जो शख्स विना बोर्ड की आज्ञा या मरजी के, किसी ऐसे प्रबन्ध या बनाये जाने में, जो बोर्ड उपदफा (१) के अनुसार करे या बनाये, किसी प्रकार का हस्तक्षेप करेगा, उसको, अपराध के साबित हो जाने पर जुर्माने का दण्ड दिया जायगा, जिस की सख्या ५०) रुपये तक हो सकती है।

पानी का पहुँचाना

(Water Supply)

दफा २२४ पानीके कारखानेके बनाने और उसमें परिवर्तन करनेका बोर्डका अधिकार

बोर्ड—

(ए) पानी पहुँचाने के कामों को म्यूनिसिपलटी के भीतर, या दफा १२० की उपदफा (२) की आज्ञा के अधीन म्यूनिसिपलटी के बाहर, बना सकता है और ऐसे कामों को किसी सड़क या गली, या स्थानमें होके या उसके आर पार, या उसके ऊपर, या नीचे, से ले जा सकता है, और मालिक या क्राबिज को उचित समय पहले से लिखित नोटिस (सूचना) देने के पश्चात् किसी इमारत या आराजी में, या उसमें होके, या उसके ऊपर, या नीचे से ले जा सकता है। और

(बी) समय समय पर पानी पहुँचाने के किसी काम को बढ़ा कर सकता है, या घटा सकता है, या उसका रास्ता बदल सकता है, या उसको ढाक दे सकता है या किसी अन्य प्रकार उसमें सुधार कर सकता है। और यह भी कर सकता है कि उसको जारी न रहे, या बन्द कर दे, या हटा दे।

दफा २२५ निजी पानीके रास्ते आदि, को साफ या बन्द करने की आज्ञा देनेका अधिकार

१ बोर्ड, नोटिस के द्वारा किसी निजी पानी के रास्ते, या श्रोत या तालाब या कुये, या अन्य स्थान के, जिसका पानी पीने के काम में लाया जाता हो, मालिक को, या उस शख्स को जिसके अधिकार में वह (अर्थात् पानी का रास्ता इत्यादि) हो, यह आज्ञा दे सकता है कि उसकी अच्छी मरम्मत की दशा में रहे, और उसमें से समय समय पर नीचे बैठी हुई मिटी, या रूखा करकट, या सड़ी हुई घास पात, इत्यादि, साफ करता रहे, और बोर्ड उसको यह भी आज्ञा दे सकता है, कि ऐसे पानी के रास्ते आदि के पानी को दूषित होने से, उस विधि से बचाये, जो बोर्ड उचित समझे।

६ बोर्ड, नोटिस के द्वारा, किसी ऐसी इमारत, या इमारत के भाग में, परिवर्तन करने, या उसको खिरा देने, की आज्ञा दे सकता है, जो उपदफा (४) की आज्ञा के विरुद्ध बनाई गई हो, या फिर से बनाई गई हो, या जिसमें उपदफा (४) की आज्ञा के विरुद्ध परिवर्तन किया गया हो।

व्याख्या—

दफा १८० की उपदफा (१) के हॉज (बी) के अनुसार बोर्ड को अधिकार दिया गया है कि किसी इमारत के बनाने, या फिर से बनाने आदि, की दरख्वास्त को इस शर्त पर मजूर करे, कि उक्त इमारत को दफा २२२ में वर्णित 'नियमित पक्ति' ठरू हटा दे, और दफा १८३ के हॉज (बी) के अनुसार, ऐसे हुकम के दिये जाने पर बोर्ड को हर्जा देना होगा।

—जो आज्ञा कोई मकान या मकान का भाग बनाने की दफा १८० के द्वारा बोर्ड से प्राप्त की गई हो, उसके बल पर किसी शख्स को अधिकार न होगा कि वह ऐसी आज्ञा के होते हुये भी, नियमित पक्ति से निकला हुआ कोई मकान या मकान का भाग, बनाये। यदि नियमित पक्ति से आगे निकली हुई कोई इमारत या इमारत का भाग, बनाने की इच्छा की जाय, या दफा २२२ की उपदफा (४) के अनुसार इस विषय में विशेष आज्ञा लेना आवश्यक होगा।

—उपदफा (६) के अनुसार जो नोटिस किसी शख्स को दिया जाय, उसकी अपील दफा ३१८ के अनुसार की जा सकती है और यदि ऐसे किसी नोटिस की आज्ञा का पालन न किया जाय तो उस शख्स को, जो उसकी आज्ञा का पालन न करे, दफा ३०७ के अनुसार जुर्माने का दण्ड दिया जा सकता है, और उसी दफा के अनुसार बोर्ड को यह भी अधिकार है कि स्वयं इमारत में परिवर्तन करा दे या उसको गिरवा दे और खर्चा उक्त शख्स से वसूल करले।

दफा २२३ सार्वजनिक सड़कें या गलियाँ इत्यादि बनानेके समय बोर्ड के कर्तव्य

१ बोर्ड किसी सार्वजनिक सड़क या गली के, या पानी पहुँचाने के काम के (Water works), या मोरियोंके, या मकान आदि, जो उसके अधिकार में हैं, के बनाये जाने के समय या मरम्मत किये जाने के समय, या जब कभी कोई सार्वजनिक सड़क या गली की, या पानी पहुँचाने के काम की, या मोरी, या मकान आदि की, जो उसके अधिकार में हैं, मरम्मत न होने के कारण, या अन्य किसी कारण, ऐसी दशा हो कि उनके काम में लाये जाने में सब साधारण के लिये जोखो हो, तो, दुर्घटनाओं से रक्षा करने के लिये, नीचे लिखे बचत के सारे उपाय काम में ला सकता है—

(ए) टेकें लगाना (Shoring up) और मिली हुई इमारतों की रक्षा करना। और

(बी) किसी सड़क या गली के आरपार, या सड़क या गली में, लट्टे या जंजीरें, या खम्भे, इस अभिप्राय से लगाना कि ऐसे बनाये जाने, या मरम्मत किये जाने, के समय में, सड़क पर निकला बैठी न हो, या इस अभिप्राय से कि निकला बैठी किसी और रास्ते से होने लगे। और

(सी) किसी ऐसे काम पर जो बनाया जा रहा हो, पहरा रखना, और सूर्यास्तकेसमय से सूर्योदय तक, उसमें काफ़ी रोशनी रखनेका प्रबन्ध करना।

२ जो शख्स विना बोर्ड की आज्ञा या मरज़ी के, किसी ऐसे प्रबन्ध या बनाये जाने में, जो बोर्ड उपदफ़ा (१) के अनुसार करे या बनवाये, किसी प्रकार का हस्तक्षेप करेगा, उसको, अपराध के साबित हो जाने पर, जुर्माने का दण्ड दिया जायगा, जिस की सख्या ५० रुपये तक हो सकती है।

पानी का पहुँचाना

(Water Supply)

दफ़ा २२४ पानीके कारखानेके बनाने और उसमें परिवर्तन करनेका बोर्डका अधिकार

बोर्ड—

(ए) पानी पहुँचाने के कामों को म्यूनििसिपलटी के भीतर, या दफ़ा १२० की उपदफ़ा (२) की आज्ञा के अधीन म्यूनििसिपलटी के बाहर, बना सकता है और ऐसे कामों को किसी सड़क या गली, या स्थानमें होके या उसके आर पार, या उसके ऊपर, या नीचे, से ले जा सकता है, और मालिक या क़ाबिज को उचित समय पहले से लिखित नोटिस (सूचना) देने के पश्चात् किसी इमारत या आराजी में, या उसमें होके, या उसके ऊपर, या नीचे से ले जा सकता है। और

(बी) समय समय पर पानी पहुँचाने के किसी काम को बड़ा कर सकता है, या घटा सकता है, या उसका रास्ता बदल सकता है, या उसको ढाक दे सकता है या किसी अन्य प्रकार उसमें सुधार कर सकता है। और यह भी कर सकता है कि उसको जारी न रखे, या बन्द कर दे, या हटा दे।

दफ़ा २२५ निजी पानीके रास्ते आदि, को साफ़ या बन्द करने की आज्ञा देनेका अधिकार

१ बोर्ड, नोटिस के द्वारा किसी निजी पानी के रास्ते, या श्रोत या तालाब या फ़ुंये, या अन्य स्थान के, जिसका पानी पीने के काम में लाया जाता हो, मालिक को, या उस शख्स को जिसके अधिकार में वह (अर्थात् पानी का रास्ता इत्यादि) हो, यह आज्ञा दे सकता है कि उसकी अच्छी मरम्मत की दशा में रहे, और उसमें से समय समय पर नीचे बैठी हुई मिट्टी, या बूझा करकट, या सड़ी हुई घास पात, इत्यादि, साफ़ करता रहे, और बोर्ड उसको यह भी आज्ञा दे सकता है, कि ऐसे पानी के रास्ते आदि के पानी को दूषित होने से, उस विधि से बचाये, जो बोर्ड उचित समझे।

२ जब यह बात इस प्रकार प्रमाणित हो जावे, कि उसके द्वारा बोर्ड को विद्वांस हो जाय, कि किसी ऐसे पानी के रास्ते, या श्रोत या तालाब, या कुये, या अन्य स्थान का पानी, पीने के योग्य नहीं है तो बोर्ड, नोटिस के द्वारा, उसके मालिक को, या उस शख्स को जिसके अधिकार में वह हो, यह आज्ञा दे सकता है, कि वह ऐसे पानी को काममें न लाये, या दूसरे शख्सोंको काममें लाने की आज्ञा न दे और यदि ऐसे नोटिस के पश्चात्, उस पानी को कोई शख्स पीने के काम में लाये, तो बोर्ड, नोटिस के द्वारा, उसके मालिक को या उस शख्स को जिसके अधिकार में वह हो, यह आज्ञा दे सकता है, कि ऐसे कुओं को अस्थायी रूप से, या स्थायीरूप से, उस विधि से, जिसकी आज्ञा बोर्ड दे, बन्द करदे, या ऐसे पानी के रास्ते को, या श्रोत, या तालाब, या कुये, या अन्य स्थान को, उस विधि से जितकी बोर्ड आज्ञा दे, वेर दे, या उसके चहुँओर जगला लगादे जिससे कि उसका पानी पीने के काम में न लाया जा सके।

व्याख्या—

इस दफा के द्वारा बोर्ड को अधिकार दिया गया है, कि किसी निजी कुयें आदि के मालिक को आज्ञा दे कि उसको साफ रखे और उस के जल को किसी प्रकार थिगडने से बचाये, और यदि आवश्यकता हो तो किसी निजी कुयें आदि को बन्द भी करा दे। जो अधिकार इस दफा के द्वारा बोर्ड को दिये गये हैं उनके अतिरिक्त, इस सम्बन्ध में, और भी अधिकार दफा २३५ की उप दफा (१) के अंतर्गत (जी) के अनुसार, नियम बना कर, दिये जा सकते हैं। किसी नोटिस की जो इस दफा के अनुसार दिया जाय, आज्ञा व १ पालन न किये जाने पर, दफा ३०७ के अनुसार उस शख्स को, जिसको नोटिस दिया गया हो, ठण्ड दिया जा सकता है, और बोर्डको अधिकार है कि स्वयं उस काम को करा के उक्त शख्स से खर्चा वसूल करले।

दफा २२६ फैलने वाली बीमारीके फैलनेकी दशमें अत्यन्त आवश्यकताके समयके अधिकार

यदि किसी म्यूनिसिपलटी के या उसके किसी भागमें हैजा या कोई अन्य फैलने वाली बीमारी जिसको प्रान्तीय सरकार ने इस सम्बन्ध में घोषित कर दिया हो, उत्पन्न हो, तो बोर्ड का चेयरमैन या अन्य कोई शख्स, जिसको चेयरमैन इस विषयमें अधिकार दे, बिना किसी सूचना दिये, और किसी समय पर, किसी कुये, या तालाब, या अन्य स्थान, जहा से पानी पीने के लिये लिया जाता हो, या जहा से पीने के लिये पानी लिये जाने की सम्भावना हो, जाच (मुआइना) कर सकता है, और उसको, औषधियों के द्वारा, शुद्ध करा सकता है (Disinfect), और ऐसी कार्रवाई भी कर सकता है जो वह इस अभिप्राय से उचित समझे, कि उसमें से पानी न लिया जाय।

व्याख्या—

हैजे के फैलने के समय के लिये कुछ अत्यन्त आवश्यक हिदायतें पानी को दूषित होने से बचाने, तथा उसको शुद्ध करने, के सम्बन्ध में दी गई हैं; जिनकी ओर, म्यूनिसिपल बोर्ड, जितना ही अधिक ध्यान दे उचित होगा। 1 G. O. No 7 XVI 127 ता० ५ जनवरी सन १९१४ ई०के द्वारा इस सम्बन्ध में नीचे लिखी आज्ञायें दी गई हैं। नगरों में आधिकार मकानों, और

शोषणों तक के, हातों में एक कुआ हुआ करता है। बहुधा ऐसे कुओं का पानी खारी होता है, और इस कारण वह पीने के काम में नहीं लाया जाता, सिवाय किसी ऐसी दशा के, जब कि कोई भावश्यकता पड़ जाय। घरों के निवासी भी यह बात तुरन्त कहने लगते हैं कि इस कुयें का पानी काम में नहीं आता। परन्तु ऐसे कुओं का पानी खाना खाने के, और खाना बनाने के, बर्तनों के धोने के काम में लाया जाता है, और यदि ऐसा पानी दूषित हो, या उसके दूषित होने की सम्भावना हो, तो उससे अवश्य भय होगा। नहुषा कुयें का कुछ भूमि से मिला होता है, अर्थात् या तो उस पर मनि होती ही नहीं, या बहुत नीची होती है। इसलिये जब लोग उसके निकट नहाते हैं, या बस्त्रादि धोते हैं, तो उसके पानी का कभी न कभी दूषित हो जाना अनिवार्य होता है। जब किसी को हुआ हो गया हो, तो कुयें में एक ऑस परमैंगिनेट भाव पुटस (Permanganate of Potash अर्थात् वह लाल दवा, जो कुओं का पानी शुद्ध करने के लिये डाली जाया करती है) और उसी के विसास से हाईड्रोक्लोरिक ऐसिड (एक प्रकार का तेजाब) कुयें में डालना चाहिये, जिससे कि पानी लिटमस पेपर को हलका लाल कर सके।

नोट—लिटमस कागज इस बात की जांच के लिये काम में लाया जाता है कि किसी पदार्थ में ऐसिड (तेजाब) है या नहीं। जिस पदार्थ में ऐसिड (Acid) होता है उसमें लिटमस कागज का नीला रंग बदलके लाल हो जाता है।

तत्पश्चात् कुआ एक मास के लिये बन्द कर देना चाहिये, या यदि उसी घर में और लोग इस रोग से ग्रसित हों, तो जो सबसे पीछे बीमार हो, उसके अच्छा होने, या मर जाने से, कुआ एक मास तक बन्द कर देना चाहिये।

किसी ऐसे कुयें के पानी को दूषित होने से बचाने के लिये, जिसमें से सर्वसाधारण पानी लेते हों, एक अच्छा उपाय यह है, कि स्थानीय अधिकारी (जैसे म्यूनिसिपल बोर्ड) ऐसे घर के निवासियों को, जिसमें कि उक्त रोग फैला हो, पानी देने का स्वयं प्रबन्ध कर दे। यदि रोग बहुत फैला हो, तो पानी के कारखाने की ओर भी ध्यान देना चाहिये, विशेषतः किसी ऐसे कुयें की ओर जिसकी सर्वसाधारण के साथ साथ वह लोग भी काम में लाते हैं जिनको कि रोग हुआ है, या हो चुका है। यदि रोग किसी विशेष मुहल्ले आदि में सीमा बद्ध हो, तो खाद्य पदार्थों की ओर ध्यान देना चाहिये। और यदि एक दो मनुष्यों को ही यह रोग हुआ हो, तो यह विश्वास कर देना चाहिये कि सम्भवतः रोग का दोष किसी अन्य स्थान से लाया गया है। सभ दवाओं में, जो फार्म-वार्ड की जाना चाहिये, वह यह है कि फिल्टर किये हुये पानी की जांच की जाना चाहिये, और उसका उचित प्रबन्ध किया जाना चाहिये। सार्वजनिक कुयें या तो बन्द कर दिये जाय, या उनका पानी औपाधियों के द्वारा, शुद्ध किया जाय। सम्भव है कि किसी मनिये की बूकान का माल मोल लेकर गट्ट कराने की भी आवश्यकता पड़े। परन्तु ऐसी आवश्यकता बहुधा नहीं पड़ती। अधिक काश दशाओं में, विश्वास यह है, कि इस रोग की उत्पत्ति पानी के दूषित होने से होती है। प्रायः इस बीमारी की उत्पत्ति ऐसे शरत्तों के द्वारा हुआ करती है जो ऐसे स्थानों से आते हैं जहाँ कि रोग फैला होता है।

छोटे छोटे नगरों में, जिनमें कि कुओं की संख्या कम होती है, और उनकी देखभाल रखना सम्भव होता है, ठरू या दो सभ से अच्छे कुओं को छोड़के, दोष स्व कुयें तकलों और मिट्टी के द्वारा थोड़े समय के लिये बन्द करा दिये जाना चाहिये। जो कुयें खुले रहने दिये जाय, उनमें परमैंगिनेट

(लाल दवा) छोड़ी जाना चाहिये, और उनके लिये पानी रींचने वाले कहार नियत कर दिये जा चाहिये । ऐसे नियत किये हुये कहारों के अतिरिक्त अन्य किसी को पानी भरने की आज्ञा न दी जा चाहिये । कहारों को नई रस्मिया दी जाना चाहिये, या ऐसी रस्मिया दी जाना चाहिये, या ऐसी रस्मियां जो लाल दवा में भिगोई रसी गई हों । रस्मियों के दोनों ओर लोहे के डोल या टिन कनस्टर बांधना चाहिये । यह कनस्टर, या डोल जब बीमारी फैली हो कुछ से कभी नहीं हटा चाहिये । कहार इस प्रकार पानी दे कि उसको घे बांस या टिन के परनालों में डालें, जिन परन के नीचे वह घरतन रख दिये जाय जो भरे जाने को हों । रोग के बन्द हो जाने के पश्चात्, छ । तक और ऐसे कहारों से काम लिया जाना जारी रखनी चाहिये ।

—पानी शुद्ध करने के लिये औपधियां —

(ए) परमेंगिनेट आवपुटाश (लाल दवा), कुओं के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रत्येक गैलन में आठ ग्रेन मिलाना चाहिये, अर्थात् तौल में उतना डाला जावे पानी का गुलाबी रंग कमसे कम ६ घंटे तक रहे । सामान्य कुओं के लिये जिन परिधि (Diameter) पांच फुट हो और जिनमें ६ फुट गहरा पानी उनमें दो औंस (पांच तोला) लाल दवा एक डोल पानी में घोलकर डालना चाहिये और दवा डाल कर कुयों के पानी को डोल से हिला देना चाहिये ।

(बी) ब्लैचिङ्ग पाऊडर (Bleaching Powder) छोटे २ लुडे हुये टिनों में आता जिस पर पैरेफिन (Paraffin) चढा होता है, या बोटलों में भी आता है, जब कारखाने से यह नया आता है तो एक दो आउन्स की टिन, या बोटल, या ऐसे कुछ के लिये काफी हो जाती है, जिसका परिधि पांच फुट हो और जिस ६ फुट गहरा पानी हो । परन्तु उसमें जो ह्योरीन होता है उसकी शक्ति शीघ्र बर्त हो जाती है इस लिये बहुधा जल को पूरे प्रकार शुद्ध करने के लिये दो टं चाहना पडती है, और उन कुओं के लिये भी दो टिन चाहिये होती हैं जिनका परिधि ५ फुट से अधिक हो ।

—उस जल का शुद्ध किया जाना जिसका प्रबन्ध म्यूनिस्त्रिपलटी पानी के कारखाने के द्वारा, कुओं आदि के द्वारा करती है —

—नीचे लिखी हिदायतें, जिनको सरकारी सेनिटेरी इंजिनियर ने, इस अभिप्राय से तैयार की हैं कि उनके अनुसार म्यूनिस्त्रिपलटी के कारखाने आदि का जल उस समय में शुद्ध किया जाय, जब कि टाई फायरड ज्वर, या हैजा, फैले, बोहों के लाभार्थ पुन प्रकाशित की जाती है —

पानीके कारखानेके जलको शुद्ध करनेके लिये हिदायतें

जब टाईफायरड ज्वर या हैजा फैले, और यह बात प्रमाणित हो जाय कि रोग के फैलने कारण का पता यह चलता है कि वह उस पानी के द्वारा उत्पन्न हुआ है जिसका प्रबन्ध म्यूनिस्त्रिपलटी की ओर से होता है, तो सेनिटेरी इंजिनियर के द्वारा आज्ञा दी जाने पर, वह इंजिनियर जिस सुसुद्धी में पानीका कारखाना हो, तुरन्त स्वच्छ पानी के हौजों (Clear water reservoir) को, और पानी पहुंचाने वाले नलों को, औपधियों के द्वारा शुद्ध करना नीची लिखी विधि से आरंभ कर देगा —

स्वच्छ पानी के हौज के एक त्पाने के पानी की गहराई कम की जाय, और केवल २००,००० गैलन पानी उसमें छोड़ दिया जाय। दस पाउंड (पर्वारहुपॉय तौल, अर्थात् अम्रेजी चलन की तौल) परमैंगिनेट अर्थात् लाल दवा (जो पहले से डोलों में अथवा किसी लोहे की टकी में घोली गयी हो) सन्ध्या के ६-७ बजे के समय, धीरे २, हौज में डाला जाय। ११ बजे रात्रि के समय, जब कि पाने के लिये पानी की माग नहीं रह जाती पम्पों से काम लिया जाय और गुलाबी पानी धीरे २ नलों में पहुँचाया जाय। जब कोई ज्चा उठा हुआ हौज हो, तो वह पानी पम्प के द्वारा फेकने से पहले, खाली कर दिया जाय, जिससे कि शुद्ध करने वाली औपधि के द्वारा हौज और नल सब पूर्ण तया धुल जाय।

—जब पानी पम्प किया जा रहा हो, तो ऐना प्रवन्ध करना चाहिये कि सब “स्कर वाव्व” (Scour Valves) धारी २ से खोल दिये जाय, जिससे कि शुद्ध करने वाला द्रव सब भागों में फैल सके।

—जब हौजके पानीको पम्प खाली करदें, तो फिल्टर किया हुआ पानी छोड़ा जाय, और ज्योंही कि काफी पानी एकत्र हो जाय, तो पम्प फिर चलाये जाय, और यह साफ पानी नलोंमें आधे घंटे तक फँका जाय।

—ग्यारह बजे रात्रिको पानी पम्प करना आरम्भ करके, यह सम्भव होगा, कि प्रात कालके तीन चार बजे तक जब कि घरैलू कामोंके लिये पानी चाहिये होता है, सब कारवाई पूरी हो चुके।

अपरोक्त विधि उस दशाके लिये है जब टार्ईफ़ायरड जर फेले। ईजा फैलने पर केवल इतना ही भेद होगा, कि १० गैलन टार्ईफ़ॉक्लोरिक ऐसिड भी (Commercial hydrochloric acid) लाल दवाके पानीमें मिलाके हौजमें डाला जाय। टार्ईफ़ॉक्लोरिक ऐसिड पहले डोलोंमें पानीमें मिला लेना चाहिये।

हिदायतें जिन पर कुओंकी रक्षाके लिये ध्यान देना चाहिये

कुयोंके घेरेकी दीवार ऊपरकी ओर ढालू कर दी जाना चाहिये जिससे कि वह लोग जो कुयोंसे पानी निकालें, उसके ऊपर न तो खड़े हो सकें, न घंडे रख सकें। यह दीवार कुयोंके चतूतरेसे लगभग टार्ईफ़ुट ऊँची होना चाहिये। उद्देश्य यह है कि मैले पानीकी छीटें, या ऐसे पत्थरों, या हाथों, या पैरोंकी छीटें, जो रोगसे दूषित हों कुयोंके अन्दर न जायें। चतूतरके लिये ऐसी मोरी होनी चाहिये कि जिसके द्वारा सब पानी बह जाया करे, और उस पकी मोरीकी छम्बाई जो पानी बहाने के लिये बनाई जाय, कुयोंकी गहराईसे उचोढी होना चाहिये (देखिये गवर्नमेण्ट आर्डर NO 100 XI 438 B तारीख ६ मई सन १८९९ ई०)

दफा २२७ किसी ऐसे स्थानके पाससे जिससे पानी प्राप्त होता हो

पाखानों आदिका हटाया जाना

बोर्ड नोटिस के द्वारा, किसी ऐसे मालिक या काषिजको जिसकी जमीनमें कोई मोरी, या पाखाना या पेशाबखाना, या छुण्डी (चदपच्चा), या गिलाजत या बूढ़ा करकट एकत्र करनेका कोई पात्र, किसी ऐसे श्रोत, या झुप, या ताण्डाय या हौज, या

अन्य ऐसे स्थानके जहांसे पानी प्राप्त हो, पचास फुटके भीतर हो, और जिससे संवसाधारणके कामके लिये पानी प्राप्त होता हो, या जिससे ऐसा पानी प्राप्त किया जा सके, आज्ञा दे सकता है, कि वह उसको, उक्त नोटिसके पहुचनेसे एक सप्ताहके भीतर, हटा दे, या वद करदे ।

नोट—नोटिसकी आज्ञाका पालन न किये जाने पर बोर्ड दफा ३०७ के अनुसार कार्रवाई कर सकता है ।

दफ्ता २२८ पानीका कर लगानेवाले बोर्डकी जिम्मेदारियां

१ प्रत्येक ऐसी म्यूनिस्सिपलटीके बोर्डका, जहा पानीका कर लगाया गया हो, कर्तव्य होगा कि—

(ए) किसी नियमित रकूवे, या नियमित रकूवों, के भीतर—

- १ नल्लोके द्वारा पानी पहुचानेका नियम (तरीका) स्थापित करे । और
- २ एक नियमित प्रेशर (Pressure, अर्थात् दबाव या शक्ति) से पानी पहुचानेका प्रबन्ध करे, और नियमित समयों पर पानी पहुचानेका प्रबन्ध करे । और
- ३ सब ऐसी बड़ी सडकोमे, जिनमे बड़े नल (Main) लगे हों स्टैण्ड पाईपों, (Stand Pipes) या पम्पों, के लिये जो नियमित अन्तरसे लगे हों, पानी पहुचाये । और

(बी) किसी ऐसी इमारत या आराज़ीके मालिक या क्वाजिजको, जिस पर पानी के करकी एक कमसे कम नियमित रकूम लगी हो, आज्ञा दे, कि वह घरेलू मतलबोंके लिये पानी लेनेके अभिप्रायसे, इमारत या आराज़ी को नियमित घरे अथवा मुटाईके और नियमित प्रकारके “जोड़नेवाले” नल (Communication pipe) के द्वारा किसी बड़े नलसे मिलादे । और

(सी) प्रति चौबीस घण्टेमे प्रत्येक ऐसे मालिक या क्वाजिजके लिये, जो क्लॉज (बी) के अनुसार अपने घरमे नल लगवानेका अधिकार रखता हो, और जिसकी आराज़ी या इमारतमें नल लगा दिया गया हो, उतना पानी जितना कि उस कर के विचारसे जो उस पर लगाया गया हो, और उसकी अनुमानित घरेलू आवश्यकताओंके विचारसे नियमित हो, एक जमा रखने वाले हौजमे पहुचाये, जो उस इमारत या आराज़ी मे या उसके ऊपर बना हो और जिसमें पानीकी उपरोक्त मात्रा समा सके, और जो उस नमूनेका हो जो नमूना कि नियमित किया गया हो, और जो उस ऊर्चाईसे ऊचा न हो, जो ऊर्चाई इस विषय मे नियमित हो ।

२ उप दफा (१) मे शब्द “नियमित” का अर्थ है, “दफा २३५ के अनुसार बनाये हुये नियम के द्वारा नियमित किया हुआ” ।

व्याख्या—

घरेलू मतलबोंके लिये पानीकी व्याख्या दफा २ के न० २५ में की गई है । क्लॉज (बी) के अनुसार अधिकार दिया गया है कि जो शख्स पानीके कर की एक नियमित रकूम दिया करे, वह

पने घरमें या अपनी जमीन पर, नल लगाना सकता है परन्तु प्रति दिन पानी देनेकी जिम्मेदारी बोर्डके ऊपर उसी दशामें होगी जब कि मालिक या काबिज अपने घरमें एक ऐसा हौज पानी जमानेके लिये बनवा ले, जो क्लॉज (सी) में वर्णित है। इस सम्बन्धमें नमूनेके नियम बना दिये गये हैं जो म्यूनिसिपल मैनुअलके पन्ने ३६० से ३६५ तकमें दिये हैं।

दफा २२९ मुआहिदेके अनुसार पानी देना

प्रत्येक बोर्ड मुआहिदेके द्वारा, किसी आराजीके मालिक या काबिजको जितना पानी वह किसी मतलबके लिये चाहे, ऐसे बदलाव पर जो उस दर या उन दरोंके तिकूल न हो जो नियमके द्वारा नियमित हो, और ऐसी शर्तों पर जो इस ऐक्टके और किसी नियमके प्रतिकूल न हो, और जो बोर्ड और उक्त मालिक या काबिजके बीच हरी हो, दे सकता है।

दफा २३० पानी देनेकी फीस

१ जब कोई इमारत या आराजीका मेल किसी बड़े नलसे कर दिया जाय, तो बोर्ड, इच्छा तक कि ऐसा करना ऐसे मुआहिदेके प्रतिकूल न हो जो दफा २२९ के अनुसार किया गया हो, मालिक या किरायेपर देने वाले, या काबिज पर, अर्थात् इन शर्तोंमें जो कोई नियममें नियमित हो, उस कुल पानीके विषयमें, जो खर्च किया जाय, उस दरसे या उन दरोंसे, फीस लगा सकता है, जो दर कि नियमित हों।

२ परन्तु शर्त यह है कि बोर्ड उस फीसमें से, जो उस पानीके विषयमें जो किसी घरमें दिया जाय, लगाई जाय पानीके उस कर का वारहवा भाग घटा देगा जो उक्त मारत या आराजी पर कूता गया हो।

व्याख्या—

उपदफा (२)—पानीका कर दफा १२८ के अनुसार लगाया जाता है, और वह म्यूनिसिपल बोर्डके सब निवासियोंको देना पडता है, चाहे उनके घरके भीतर नल लगा हो या नहीं। परन्तु जो पानीकी फीस इस दफा २३० के अनुसार ली जा सकती है वह केवल उन लोगोंसे ली जा सकती है जिनके घरके भीतर नल लगाया गया हो। उपदफा (२) का भासाय यह है कि किसी शरतको, फीसके लिये, दुहरा रुपया न देना पड़े, अर्थात् पानीका कर भी लिया जाय और पानीकी फीस भी। अतएव इस उपदफाके अनुसार यह आज्ञा दी गई है कि जिस मासके विषयमें पानीकी फीस किसी घरमें ली जाय, उस मासके लिये पानीका कर न लिया जाय, अर्थात् वर्ष भरके पानीके कर में से वारहवा भाग प्रतिमासके लिये घटा दिया जाय।

दफा २३१ किसी दुर्घटना आदिके होनेपर बोर्डका जिम्मेदारीसे मुक्त होना

किसी ऐसी जिम्मेदारीके होते हुये भी जो बोर्डके ऊपर दफा २२८ के अनुसार लगी गई हो, या जो दफा २२९ के अनुसार किसी मुआहिदेके कारण उस पर हो, बोर्ड, पानी न देनेके कारण, किसी प्रकारकी जन्ती, या दड, या हज, का देनदार न होगा,

य ऐसे स्थानके जहांसे पानी प्राप्त हो, पचास फुटके भीतर हो, और जिससे सर्वसाधारणके कामके लिये पानी प्राप्त होता हो, या जिससे ऐसा पानी प्राप्त किया जा सके, ज्ञा दे सकता है, कि वह उसको, उक्त नोटिसके पहुचनेसे एक सप्ताहके भीतर, हटा या बद करदे ।

नोट—नोटिसकी आज्ञाका पालन न किये जाने पर बोर्ड दफा ३०७ के अनुसार कार्रवाई कर सकता है ।

फ़ा २२८ पानीका कर लगानेवाले बोर्डकी जिम्मेदारियां

१ प्रत्येक ऐसी म्यूनिस्सिपलटीके बोर्डका, जहा पानीका कर लगाया गया हो, कर्तव्य गा कि—

(ए) किसी नियमित रक़्मे, या नियमित रक़्मों, के भीतर—

- १ नल्लोके द्वारा पानी पहुचानेका नियम (तरीका) स्थापित करे । और
- २ एक नियमित प्रेशर (Pressure, अर्थात् दबाव या शक्ति) से पानी पहुचानेका प्रबन्ध करे, और नियमित समयों पर पानी पहुचानेका प्रबन्ध करे । और
- ३ सब ऐसी बडी सड़कोमे, जिनमे बड़े नल (Main) लगे हों स्टेण्ड पाईपों, (Stand Pipes) या पम्पों, के लिये जो नियमित अन्तरसे लगे हो, पानी पहुचाये । और

(बी) किसी ऐसी इमारत या आराजीके मालिक या क़ाबिज़को, जिस पर पानी के करकी एक कमसेकम नियमित रक़म लगी हो, आज्ञा दे, कि वह घरेलू मतलबोंके लिये पानी लेनेके अभिप्रायसे, इमारत या आराजी को नियमित घरे अथवा मुटाईके और नियमित प्रकारके “जोड़नेवाले” नल (Communication pipe) के द्वारा किसी बड़े नलसे मिलादे । और

(सी) प्रति चौबीस घण्टेमे, प्रत्येक ऐसे मालिक या क़ाबिज़के लिये, जो क्लॉज (बी) के अनुसार अपने घरमे नल लगवानेका अधिकार रखता हो, और जिसकी आराजी या इमारतमें नल लगा दिया गया हो, उतना पानी जितना कि उस कर के विचारसे जो उस पर लगाया गया हो, और उसकी अनुमानित घरेलू आवश्यकताओंके विचारसे नियमित हो, एक जमा रखने वाले हौजमे पहुचाये, जो उस इमारत या आराजी में या उसके ऊपर बना हो और जिसमें पानीकी उपरोक्त मात्रा समा सके, और जो उस नमूनेका हो जो नमूना कि नियमित किया गया हो, और जो उस ऊर्चाईसे ऊंचा न हो, जो ऊर्चाई इस विषय मे नियमित हो ।

२ उप दफा (१) मे शब्द “नियमित” का अर्थ है “दफा २३५ के अनुसार बनाये हुये नियम के द्वारा नियमित किया हुआ” ।

व्याख्या—

घरेलू मतलबोंके लिये पानीकी व्याख्या दफा २ के न० २५ में की गई है । क्लॉज (बी) के अनुसार अधिकार दिया गया है कि जो शकस पानीके कर की एक नियमित रकम दिया करे, वह

अपने घरमें या अपनी जमीन पर, नल लगवा सकता है परन्तु प्रति दिन पानी देनेकी जिम्मेदारी बोर्डके ऊपर उसी दशमें होगी जब कि मालिक या काबिज अपने घरमें एक ऐसा हौज पानी जमा करनेके लिये बनवा ले, जो हौज (सी) में वर्णित है। इस सम्बन्धमें नमूनेके नियम बना दिये गये हैं जो म्यूनिसिपल मैनुअलके पन्ने ३६० से ३६५ तकमें दिये हैं।

दफा २२९ मुआहिदेके अनुसार पानी देना

प्रत्येक बोर्ड मुआहिदेके द्वारा, किसी आराजीके मालिक या काबिजको जितना पानी वह किसी मतलबके लिये चाहे, ऐसे बदलाव पर जो उस दर या उन दरोंके प्रतिकूल न हो जो नियमके द्वारा नियमित हो, और ऐसी शर्तों पर जो इस ऐक्टके और किसी नियमके प्रतिकूल न हो, और जो बोर्ड और उक्त मालिक या काबिजके बीच ठहरी हो, दे सकता है।

दफा २३० पानी देनेकी फीस

१ जब कोई इमारत या आराजीका मेल किसी घटे नलसे कर दिया जाय, तो बोर्ड, जहां तक कि ऐसा करना ऐसे मुआहिदेके प्रतिकूल न हो जो दफा २२९ के अनुसार किया गया हो, मालिक या किरायेपर देने वाले, या काबिज पर, अर्थात् इन शर्तोंमें से जो कोई नियममें नियमित हो, उस कुल पानीके विषयमें, जो खर्च किया जाय, उस दरसे या उन दरोंसे, फीस लगा सकता है, जो दर कि नियमित हों।

२ परन्तु शर्त यह है कि बोर्ड उस फीसमें से, जो उस पानीके विषयमें जो किसी मासमें दिया जाय, लगाई जाय पानीके उस कर का वारहवा भाग घटा देगा जो उक्त इमारत या आराजी पर कूता गया हो।

व्याख्या—

उपदफा (२)—पानीका कर दफा १२८ के अनुसार लगाया जाता है, और वह म्यूनिसिपल्टीके सत्र निवासियोंको देना पडता है, चाहे उनके घरके भीतर नल लगा हो या नहीं। परन्तु जो पानीकी फीस इस दफा २३० के अनुसार ली जा सकती है वह केवल उन लोगोंसे ली जा सकती है जिनके घरके भीतर नल टंगाया गया हो। उपदफा (२) का आशय यह है कि किसी शख्सको, पानीके लिये, दुहरा रुपया न देना पड़े, अर्थात् पानीका कर भी लिया जाय और पानीकी फीस भी अतएव इस उपदफाके अनुसार यह आज्ञा दी गई है कि जिस मासके विषयमें पानीकी फीस किसी शख्समें ली जाय, उस मासके लिये पानीका कर न लिया जाय, अर्थात् वर्ष भरके पानीके कर में से वारहवा भाग प्रतिमासके लिये घटा दिया जाय।

दफा २३१ किसी दुर्घटना आदिके होनेपर बोर्डका जिम्मेदारीसे मुक्त होना

किसी ऐसी जिम्मेदारीके होते हुये भी जो बोर्डके ऊपर दफा २२८ के अनुसार डाली गई हो, या जो दफा २२९ के अनुसार किसी मुआहिदेके कारण उस पर हो, बोर्ड, पानी न देनेके कारण, किसी प्रकारकी जन्तों, या दड़, या हजों, का देनदार न होगा।

यदि इस प्रकार पानी न पहुँचाया जाना किसी दुर्घटनाके कारण हो, या असाधारण अनावृष्टिके कारण हो, या किसी ऐसे कारणसे हो जो बोर्डकी सामर्थ्यसे बाहर हो।

नोट—जम्तीका अर्थ है जन्तकर लिया जाना। आशय यह है कि यदि उन कारणोंमें से, जो इस दफ्तरमें गिनाये गये हैं, किसी कारणसे बोर्ड पानी न दे सके तो किसीको यह अधिकार न होगा कि पानीके दर की कोई रकम जो उसके सिगमे चढ़ी हो जप्त करले, या अथ कोई रकम जो बोर्डकी चाहिये हो वह न दे।

दफ्ता २३२ अन्य मतलबोंके लिये पानीका दिया जाना, घरेलू मतलबोंके लिये पानी दिये जानेके अधीन होना

किसी ऐसी जिम्मेदारीके होते हुये भी जो बोर्डके ऊपर दफ्ता २२९के अनुसार किये हुये किसी मुआहिदेके कारण हो बोर्ड किसी समय पर, घरेलू मतलबोंके सिवाय, अन्य मतलबोंके लिये, पानीका पहुँचाना बन्द कर सकता है यदि बोर्डकी यह राय हो कि ऐसे अन्य मतलबोंके लिये पानी दिये जानेके कारण घरेलू मतलबोंके लिये पानी पहुँचाने में विघ्न पड़ेगा, और ऐसी दशामें पानी पहुँचाना बन्द कर देनेसे बोर्ड किसी जम्ती, या दण्ड, या हर्ज, का देनदार न होगा—

(ए) सिवा उस दशाके कि पानी उन कारणोंमें से जो दफ्ता २३१ में वर्णित किसी कारणसे नहीं बरन अन्य किसी कारणसे न पहुँचाया जाय। और

(बी) सिवाय उस शर्तके कि बोर्डने, घरेलू मतलबोंके सिवाय, अन्य मतलबोंके लिये, पानी पहुँचानेकी जिम्मेदारी किसी ऐसे मुआहिदेके द्वारा ली हो, जो दफ्ता २२९ के अनुसार किया गया हो, और उसमें पानी न पहुँचानेकी दशामें जम्ती, या दण्ड, या हर्ज, की स्पष्ट शर्त रखी गई हो।
न्याख्या—

“घरेलू मतलबोंके लिये पानी” की व्याख्या ऐक्टकी दफ्ता २ में कर दी गई है। म्यूनिसिपलटीके कारखानेका मुख्य उद्देश्य घरेलू मतलबोंके पानी देनेका माना गया है। अन्य मतलबोंके लिये, जैसे बाग सँचने या किसी कारखानेकी चलाने, के लिये बोर्ड उसी दशामें पानी देगा, जब कि घरेलू मतलबोंसे पानी बचे। चाहे बोर्डने कोई मुआहिदा, दफ्ता २२९ के अनुसार, अन्य मतलबोंके लिये पानी देनेका किया हो, तो भी बोर्डको अधिकार दिया गया है, कि उस दशामें बोर्ड ऐसे मुआहिदेको पूरा न करे, जब कि उसकी रायमें, अन्य मतलबोंके लिये पानी देनेसे घरेलू मतलबोंके लिये पूरा पानी न दिया जा सकता हो। बोर्ड किसी हर्ज आदिके देनेका जिम्मेदार उसी दशामें होगा जब कि बोर्डने उस मुआहिदेमें, जो उसने अन्य मतलबोंके लिये पानी देनेके लिये किया हो, यह शर्त स्पष्ट रूपसे की हो कि पानी न पहुँचानेकी दशामें बोर्ड हर्ज देगा। यदि हर्जकी स्पष्ट शर्त मुआहिदेमें न होगी तो बोर्डको उक्त मुआहिदेको पूरा न करनेके लिये कोई हर्ज न देना होगा। या दूसरी दशा जिसमें बोर्ड हर्जका देनदार होगा यह है कि पानी किसी ऐसे कारणसे न दिया जाय जो उन कारणोंमें से न हो जो दफ्ता २३१ में बताये गये हैं।

दफ्ता २३३ पानी दिये जानेके अधिकारका बंधेज, लगाने वाले नियमोंके अधीन होना

किसी ऐसे हुकमके होते हुये भी जो दफ्ता २२८ में हो, और किसी ऐसी बातके

होते हुये जो दफा २२९ के अनुसार किये हुये किसी मुआहिदेमें हो, किसी इमारत या आराजीके लिये पानीका पहुचाना, ऐसे नियमोंकी आज्ञाओंके अधीन होगा, जो दफा २३५ के द्वारा बनाये गये हैं, और विशेषत उन आज्ञाओंके अधीन होगा जो पानीकी मात्राकी सीमा नियत करने, और उसके रोक देने, और नष्ट किये जाने और उसका अनुचित प्रयोग करने, के सम्बन्धमें हैं, और यहाँ माना जायगा कि पानीका दिया जाना उन्ही आज्ञाओंके अधीन मजूर हुआ है।

नोट—दफा २३५ के द्वारा पानी दिये जानेके सम्बन्धमें नियम बनानेकी आज्ञा दी गई है। वह नियम उक्त दफाके बाद दिये गये हैं।

दफा २३४ मीटरों और मिलानेवाले नलोंके सम्बन्धमें हुक्म

किसी इमारत या आराजीमें पानी पहुचानेके सम्बन्धमें लगाये हुये सब मीटर (अर्थात् पानी नापनेके यन्त्र) और "मिलाने वाले नल" (Connection pipe), और अन्य काम, सिवाय उस दशाके जिसके लिये नियममें किसी अन्य प्रकारका हुक्म हो, उस गलतके खर्चसे, जो पानी चाहता हो, लिये जायगे, और उनकी मरम्मतकी जायगी, या बढ़ाये जायगे, या उनमें परिवर्तन किया जायगा, जैसी कि आवश्यकता हो। परन्तु वह सब बोर्डकी निगरानीमें रहेंगे।

व्याख्या—

मिलाने वाले नलका अर्थ है काई ऐसा नल जो पानीके बड़े नलसे किसी इमारत या आराजी को पानी पहुचाये। उसकी पूरी व्याख्याके लिये देखिये प्रान्तीय सरकार द्वारा बनाये हुये पानी पहुचानेके नियमोंमें से नियम न० १, जो दफा २३५ के बाद दिये गये हैं।

दफा २३५ पानी दिये जानेके सम्बन्धमें नियम

(नीचे लिखी बातोंका, जो म्यूनिसिपलटीके, या सार्वजनिक, पानीके कारखानों से, पानी दिये जानेके सम्बन्धमें है, प्रबन्ध नियमोंके अनुसार होगा, और वे नियमोंके अधीन होंगी, अर्थात्—

- (ए) प्रत्येक ऐसी बात, जिसके सम्बन्धमें, इस ऐक्टमें यह निश्चय किया गया हो, कि उसके विषयमें नियमके द्वारा हुक्म दिया जायगा।
- (बी) उन बड़े और छोटे नलोंका नाप, जो लगाये जायगे, और यह कि वे किस प्रकारके होंगे, और पानी पहुचानेके लिये काम (तामीरात) जो बोर्ड बनायेगा।
- (सी) पानीके कारखानेके कामोंका (तामीरात), और उन नलों, और पुरजों का, जो उनके सम्बन्धमें लगाये गये हों, बनाया जाना, निगरानी, और कायम रखा जाना।
- (डी) स्टेण्ड पाईप (Stand pipe), या पम्पों, का नाप जो बोर्ड बनायेगा, और यह कि वे किस प्रकारके होंगे।
- (ई) बड़े या छोटे नल, जिनमें भाग बुझानेकी टॉपिया (Fire plugs) लगाई

जायगी, और वह स्थान जहा भाग बुझानेकी टोटियोकी फुजिया रखी जायगी ।

- (एफ) किसी निश्चित अवधि पर किसी योग्यता प्राप्त जाच करने वाले (Analyst) के द्वारा, उस पानीकी जाचकी जाना, जो बोर्ड दे ।
- (जी) पानी प्राप्त करनेके जरियो, और स्थानो, और पानी पहुचानेकी वस्तुओंको, चाहे वह म्यूनिसिपलटीकी हद्दोंके भीतर हो या बाहर, सुरक्षित रखना, और उनको हानिसे और दूषित होनेसे बचाना ।
- (एच) वह विधि जिसके अनुसार पानीके कामोसे, घरो आदिमें पानी पहुचाने के नल बनाये जायगे, या कायम रखे जायगे, और वह शख्स जिनसे ऐसे कामोके बनाने या कायम रखनेके लिये, काम लिया जायगा, या लिया जा सकेगा ।
- (आई) उन सब बातोंका, और वस्तुओंका प्रबन्ध, जिनका सम्बन्ध पानीके पहुचाये जाने, और पानीको काममे लाये जाने, और पानीके खोले जाने, और बन्द किये जाने और पानीको नष्ट होनेसे बचाने, से हो ।
- (जे) पानीके महसूलका, और अन्य खर्चोंका, को पानीके दिये जानेमे पड़े, जमा किया जाना, और उनके देनेसे बचनेको रोकनेके उपाय ।
- (के) पानी दिये जानेके सम्बन्धमे कोई अन्य बात, जिसके विषयमे इस ऐक्ट मे कोई आज्ञा न हो, या जो आज्ञा हो वह काफी न हो, और प्रान्तीय सरकारकी रायमे, किसी और आज्ञाका दिया जाना आवश्यक हो ।

२ परन्तु शर्त यह है, कि बिना गवर्नर जनरल और उनकी कौन्सिलकी पहिलेसे मजूरी लिये हुये, कोई ऐसा नियम उपदफा (१) के अनुसार, नहीं बनाया जायगा, जिसका असर किसी छावनी पर, या छावनीके किसी भाग पर, पड़े ।

नोट—दफा ३३४ के सम्बन्धमे जो नियम प्रांतीय सरकारसे बना दिये हैं वह इसके आगे दिये जाते हैं ।

संयुक्तप्रान्तके लिये म्यूनिसिपलटीके द्वारा पानी दिये जानेके
विषयमें नियम (Rules)

(दफा २३५ के सम्बन्धमे)

(विज्ञापन No 1906 XI 6 H, तारीख ५ जुलाई सन १९१६ ई०)

प्रारम्भिक

१ इन नियमोंमें, यदि विषय अधवा प्रसंगकी दृष्टिसे नीचे लिखे अर्थ लगाना अयोग्य और अनुचित न हो—

(१) “जोडने वाला नल” (Communication pipe) का अर्थ होगा, कोई नल, या नलोंका समूह (System of pipe), उनके सय पुरजोंके सहित, जिसके या

- जिनके द्वारा, म्यूनिसिपल्टी के पानी देनेके किसी बड़े नल (Main) से, किसी इमारत या आराजीको पानी दिया जाय।
- (२) “मिलाने वाला नल” (Connection pipe) का अर्थ होगा, कोई नल, नलोंको मिलाने वाली टोपीसे (Ferrule) नल खोलने बन्द करने वाली कुजी (Stopcock) तक, जो म्यूनिसिपल्टीके पानी देने वाले बड़े नलको किसी ऐसे नलसे मिलाये, जिसके द्वारा इमारत आदिमें पानी पहुँचाया जाता हो।
- (३) “फेरयूल अर्थात् नलोंको मिलाने वाली टोपी” (Ferrule) का अर्थ होगा, ऐसी टोपी जो पानीके बड़े नलको (Main) किसी ‘मिलाने वाले नल’ से मिलाये।
- (४) “इमारत आदिमें पानी पहुँचाने वाला नल” (Service pipe) का अर्थ होगा, कोई ऐसा नल (मिलाने वाले नलको छोड़के) जिसके द्वारा पानी किसी इमारत या आराजीको दिया जाय।
- (५) “स्टॉपकोक अर्थात् नल खोलने बन्द करनेकी कुजी” का अर्थ होगा, कोई कुजी जो किसी मिलाने वाले नलके उस सिरे पर लगी हो जो पानी देनेके बड़े नलसे सबसे अधिक अन्तर पर हो, और जो बड़े नलसे किसी इमारत या आराजीमें पानीका जाना बन्द कर देनेके मतलबके लिये, या पानीका जाना कम बन्द करनेके मतलबके लिये, होती है।

२ वह सब रकमें जो, इन नियमोंके अनुसार, या अन्य किसी ऐसे नियमोंके अनुसार जो म्यूनिसिपल्टीके द्वारा पानी दिये जानेके सम्बन्धमें हों, किसी पर चाहिये हों, उस विधिसे वसूल की जा सकेंगी, जो छठे प्रकरणमें नियत कर दी गई है।

३ जब किसी फीसोंके, या अन्य खर्चोंके, विषयमें उक्त किसी नियमके द्वारा यह निश्चय किया गया हो, कि वह किसी इमारत या आराजीके काबिजसे वसूल किया जा सकता है और उस इमारत या आराजीके एकसे अधिक काबिज हों, तो उक्त इमारत या आराजीका मालिक उसका काबिज माना जायगा।

“सर्वसाधारणको पानी दिया जाना—साधारण” दरखवास्ते

४ इससे पूर्व कि कोई शख्स किसी मिलाने वाले नलको, लगाना या उसमें परिवर्तन करना, या बढ़ाना, आरम्भ करे, उसको एक दरखवास्त उस छपे हुये फारम पर, जो कि शिद्दुल न० १ में, जो इन नियमोंके सग लगा दिया गया है, नियमित है, भरना होगी, और म्यूनिसिपल्टीके दफ्तरमें देना होगी, और जिस जायदादमें नल लगाया जाने को हो, उसके मालिकके, दरखवास्त पर, हस्ताक्षर होंगे, या उस शख्सके हस्ताक्षर होंगे, जिसकी उक्त जायदादपर लगे हुये जायदादके करोंके देने की, प्रथम जिम्मेदारी हो।

५ किसी ऐसी दरखवास्तके सग, जो म्यूनिसिपल्टीके बड़े नलसे मिलाये जानेके लिये हो, दो रूपयोंकी फीस अदा की जायगी।

नोट—यह नियम नैनीताल में म्यूनिसिपल्टी पर लागू न होगा।

६ यदि दरखवास्त देने वाला किसी, लैमन्सदार नल लगाने वालेसे, (और बोर्डसे नहीं) मिलान

पानीके कारखानेके सुपरिण्टेण्डेण्टकी रायमें, उमको हानि पहुच सकसी हो, तो वह एक ऐसे बाहरी वारनिश किया हुआ पथरका खोल, या ढले हुये छोड़े के नलमेंसे होके ले जाया जायगा, जिसकी लम्बाई और मजबूती ऐसी हो कि वह पानीके नलकी पूरी रक्षा कर सके ।

१६ प्रत्येक मिलाने वाले नलमें एक पीतलकी 'कुजी' (Stopcock) लगाई जायगी जिसका पानी ले जानेका घेरा बतनाई होगा, जितना कि नलका, और वह कुजी उस स्थान पर लगाई जायगी जहा कि नल मकानादिमें प्रवेश करे, या उस स्थानके निकट लगायी जायगी, धार ऐसी कुजी सिवाय चेयरमैन या एक्जिक्यूटिव अफसरकी लिखित आज्ञाके, मकान आदिके बाहर न लगाई जायगी । उसके स्थानका पता देनेके आशयसे वह एक ऐसे बक्ससे भीतर रखी जायगी, जिसके ऊपरसे चला-फिरी हो सके और यह बक्स हूट चूनेकी चतुरी पर रखी जायगी । बक्स ऐसा बनाया जायगा कि उसमें ताला लगाया जा सके, और उसकी कुजी म्यूनिसिपलटीके इञ्जिनियर या पानीके कारखानेके सुपरिण्टेण्डेण्टकी निगरानीमें रहेगी । कुजी ऐसी होगी कि उससे नलका मुह छोटा बडा किया जा सके, जिससे पानीकी मात्रा जो किसी मकान आदिको दी जाय घटाई बढ़ाई जा सके ।

१७ सिवाय म्यूनिसिपलटीके इञ्जिनियरकी या पानीके कारखानेके सुपरिण्टेण्डेण्टकी आज्ञाके, कोई टैप (Tap अर्थात् पानी निकलनेका बाहरी मुहरा) भाधे इच्च घेरेसे अधिकका न होगा, और सिवाय उन नमूनोंके जो "स्प्रिंग कॉक" (Spring Cock) या "पुश टैप" (Push tap) कहलाते हैं, और किसी प्रकारका न होगा, और टैप किसी इमारतकी बाहरी भीतमें न लगाया जायगा, जब तक उस पानीके नापके लिये, जो दिया जाय, मीटर (Meter अर्थात् पानी नापनेका यन्त्र) न लगा हो ।

मीटर (Meters)

१८ प्रत्येक मीटर कुजीसे इतना निकट लगाया जायगा, जितना कि सम्भव हो और ऐसे स्थान में लगाया जायगा जहा कि सुविधासे उसकी जाचकी जा सके ।

१९ इमारत आदिमें पानी पहुचाने वाले नलसे कोई मीटर अलग न किया जायगा, न उसमें किसी अन्य प्रकार दखल दिया जायगा, सिवाय म्यूनिसिपलटीके इञ्जिनियर या पानीके कारखानेके सुपरिण्टेण्डेण्टकी आज्ञासे ।

२० मीटरकी सुई जितने पानीको जाने का सकेत दे, वह उस पानीकी मात्राका प्रत्यक्ष प्रमाण होगा जो कि खर्च की गई ।

२१ जब कोई मीटर, किसी ऐसी अवधि तक जो एक सप्ताहसे अधिक हो, बिगडा रहे, तो कोई या एक्जिक्यूटिव अफसर, उन सूचकाओंके आधार पर जो मास हो सके, और जिनको वह सबसे अधिक विश्वासनीय समझे, यह तख्तीना करेगा, कि पानीकी कितनी मात्रा ऐसी अवधिमें खर्च की गई । और ऐसे तख्तीनेसे जितनी मात्रा आवे, वही मानी जायगी कि वास्तवमें खर्च हुई । किन्तु उस अवधिके लिये जब तक कि मीटर बिगडा रहे, मीटरका कोई किराया न लिया जायगा ।

२२ किसी मासके विषयमें जब पानीके खर्चका वह हिसाब किसी काबिजके पास पहुचे, जो कि मीटरकी सुईने बताया हो, तो उससे १५ दिनके भीतर, उक्त काबिज थोड़ेसे प्रार्थना कर सकता है कि मीटरकी जाच कराई जाय । यदि जांचसे यह विदित हो कि मीटरकी सुईकी चाल उस पालकी अपेक्षा जो कि होना चाहिये, तीव्र हो गई है, किन्तु उक्त तीव्रताके कारण पांच प्रति सैकदासे कमका

भेद पड़ता है, तो ऐसी जाचका ध्यय फाविजको उठाना होगा। किसी अन्य दशामें ऐसा न्यय बोर्ड को उठाना पड़ेगा। और तख्तमनिसे, जितना अधिक महसूल लिया गया होगा वह उस मासके लिये जिसके विषयमें मीटरके ठीक होने की शका की गई हो, दरके हिसाबसे, लौटा दिया जायगा। मीटरकी जाच करनेकी फीस ५)६० होगी (या इलाहाबाद, बनारस और आगराकी म्यूनिसिपलटियोंमें २) रुपये होगी)।

हौज़, टंकियां और पाखाने इत्यादि

२३ प्रत्येक हौज़में एक "बॉल वाल्व" (Ball Valve), और पता देने वाला नल (Detective or Warning pipe), लगाया जायगा, और उसमें प्रवेश करने और जाच करनेके उचित उपाय रखे जायंगे, और यदि वह पानी पीनेके काममें लाया जाता हो, तो गरवा बचानेके लिये उस पर एक टक्का रहेगा।

२४ सब पाखानोंको (Water Closets) पानी हौज़से दिया जायगा, इमारत आदिमें पानी पहुचाने वाले नलसे पानी सीधा नहीं दिया जायगा। न किसी प्रकारके टैप (मुहरे) से पानी दिया जायगा। पाखानोंको पानी देने वाले प्रत्येक हौज़में, एक ऐसा यन्त्र लगाया जायगा, जिससे कि पानी ध्यर्थ जाना पूरे प्रकार रुक सके। और वह इस प्रकार बनाया जायगा कि उसमेंसे लगातार पानी न निकल सके, और प्रत्येक बार खोले जाने पर तीन गैलनसे अधिक पानी न निकल सके। और हौज़का नाप ऐसा होगा कि उसमें कमसे कम आठ बेर के लिये पानी समा सके।

२५ सब पेशाबखानोंको पानी या तो हौज़से दिया जायगा, या नलसे, जिसमें खोलने बन्द करनेके लिये कुजी लगी होगी। पेशाबखानोंको पानी देने वाले प्रत्येक हौज़में ऐसा यन्त्र लगाया जायगा कि जिससे पानीका नष्ट होना पूरे प्रकार रुक सके, और हौज़ इस प्रकार बनाया जायगा कि उसमेंसे लगातार पानी न निकल सके, और प्रत्येक बार खोले जाने पर आधे गैलन पानीसे अधिक न निकल सके।

२६ भाप उत्पन्न करने वाले प्रत्येक बॉयलर (Boiler) को पानी हौज़से दिया जायगा। मकानों आदिमें पानी पहुचाने वाले नलसे सीधा मेल करके नहीं दिया जायगा।

२७ ढोरोको पानी पिलानेकी टंकियोंमें उचित ढगकी "बॉल" कुजी लगाई जायगी।

२८ आग बुझाने अथवा अन्य कामों के लिये "हाईड्रंट" (Hydrant अर्थात् वह नल जिसमें बड़े नलसे, आग बुझाने आदिके लिये पानी आता है) के लगाये जानेकी आज्ञा बोर्डकी विशेष आज्ञा अतसे दी जायगी।

काम किसके द्वारा कराये जायं और उनकी निगरानी—

२९ जहां कहीं म्यूनिसिपलटीके बड़े नलसे, या पानी पहुचानेके अन्य किसी काम (तामीर) से, नया मेल किया जाय, या किसी ऐसे मेलमें जो किया जा चुका हो, किसी चीजके बदले जानेकी आवश्यकता हो तो मिलाने वाला नल (Connection pipe), और उसके सब पुर्जे बोर्ड देगा, और वे म्यूनिसिपलटीकी निगरानीमें लगाये जायंगे (लगानेका काम किन्ही उकेदारके द्वारा कराया जायगा या किसी अन्य प्रकार) और उसका ध्यय वह वाफस उठायेगा, जिसकी दरखास्त पर मेल दिया गया हो, या कोई चीज बदली गई हो।

३० पानी पहुँचाने का कोई नल, या कोई अन्य पुर्जा, सिवाय बोर्डके किसी ऐसे अफसर या कर्मचारीके निगरानीके, जिसको इस अभिप्रायसे चेररमैन या एंजिनियरिङ्ग अफसरने नियत किया हो न लगाया जायगा न जोड़ा जायगा। और ऐसा अफसर या कर्मचारी, जब मेल, सन्तोपजनक विधिसे, पूरा हो जाय, और जब यह हुये पानीके निकासका उचित प्रबन्ध कर दिया जाय, तो उसके पूरा हो जानेका सर्टिफिकेट देगा। यह शर्त जिसके कहनेसे कि मेल किया गया हो निगरानीका खर्चा और सर्टिफिकेटका खर्चा, उस म्यूनिसिपलटीको जिससे काम कराया गया हो, उस दरसे पेदागी देगा, जो म्यूनिसिपलटी के लिये नियत किया गया हो।

नोट—यद्यपि नियम न० २९ और ३० में वही भेद रखे गये हैं, जो मुपालिक मयारवी और शुमाली तथा अबध के वार वर्ष ऐक्ट, सन १८९१ ई० (North Western Provinces & Oud Water Works Act, 1891) की दफा १३ और १५ ने उन नलों और पुर्जों में, जो किसी इमारतके भीतर हों, और उन मेल करनेवाले नलों में जो सड़कोंके नीचे लगे हों, किये थे, और जिस भेदके द्वारा कि इमारतके भीतर वाले नलोंकी कोई लैसदार प्लम्बर (नल बनाने वाला) बना सकता था, परन्तु इमारतके बाहर वाले नलोंको म्यूनिसिपलटीही बना सकती थी, तथापि कोई बोर्ड जो यह चाहे कि नल लगानेके सम्बन्धके सब काम म्यूनिसिपलटीके द्वारा किये जाय, दफा २९० के अनुमार बार्ड-नों बना सकता है। ऐसी दशामें बोर्डको चाहिये कि वह इस बातकी दरखास्त करे कि वह उन सब नियमोंकी आज्ञा पालनेसे मुक्त किया जाय, जो इस विषयमें हों कि नलोंका काम किसके द्वारा कराया जाय, और कौन उनकी निगरानी करे।

३१ सिवाय म्यूनिसिपलटीके मारफत (जिसमें काम किसी ठेकेदारके द्वारा या अन्य प्रकार कराया जायगा) म्यूनिसिपलटीके किसी बड़े नल, या पानीके कामसे न कोई मेल किया जायगा, न वह बदला जायगा, न मरम्मत की जायगी, न मेल अलग किया जायगा।

३२ कोई मेल, या मकान आदिमें पानी पहुँचानेका नल, और कोई पुर्जा, ओ किसी नियमके विरुद्ध लगाया, या बदला, या जोड़ा गया हो, वह चेररमैन या एंजिनियरिङ्ग अफसरके हुकमसे, और पानी लेने वाले के खर्चेसे, हटा दिया जा सकता है, या फिरसे लगाया जा सकता है, या फिर से जोड़ा जा सकता है।

३३ पानी पहुँचानेके सम्बन्धमें, किसी कामको, कोई शर्त न करेगा, जब तक कि पानी के नलोंके लगाने वाले लैसन्सदारोंमें वह शामिल न कर लिया गया हो, और उसका नाम रजिस्टर में न चढ़ा लिया गया हो, और जब तक कि वह इस बातका मुआहिदा न करे कि वह बोर्डके नियमों के अनुसार काम करेगा, और उनकी आज्ञा पालन करेगा। नल लगाने वाले (Plumber) का लैसन्स, किसी ऐसे शर्तको दिया जा सकता है, जो या तो स्वयं इस काममें योग्यता प्राप्त किये हो, या जो किसी योग्यता प्राप्त कारीगर की नौकर रखता हो। बोर्डको अधिकार है कि वह कोई ऐसी परीक्षा, योग्यताओं की जाच के लिये नियमित कर दे, जो वह आवश्यक समझे।

३४ उस मुआहिदे में, जिसका उल्लेख नियम न० ३३ में किया गया है, निम्नलिखित शर्तें सम्मिलित होंगी, अर्थात्—

(ए) कि लैसन्सदार नल लगाने वाला, उन सब कामों में जिनमें उससे काम लिया जाय, बोर्डको, और म्यूनिसिपलटी के सब अफसरोंको, उन नियमों की आज्ञा के जो उस समय प्रचलित हों, पूरा कराने, और पालन कराने में सब प्रकारकी सहायता जो उसके बश में हो, देगा।

(बी) कि लैसन्सदार नल लगाने वाला, प्रत्येक दशा में, जिसमें कि उससे काम लिया

जाय, जहाँ तक उसके काम से सम्बन्ध हो, उन नियमों का पालन करेगा जो उस समय प्रचलित हों और उन हुक्मों का पालन करेगा जो म्यूनिसिपलटी का इजिनियर या पानी के कारखाने का सुपरिन्टेन्डेन्ट दे, और जो किसी मामले की दशा के अनुसार उस पर लागू होते हों ।

(सी) कि यदि किसी समय पर कोई ऐसा सैसन्सदार या कोई कारीगर, जिसको वह नौकर रखता हो, उक्त नियमों का उल्लंघन करे, या उनसे यहाना चाहे, तो उस का नाम बोर्ड की इच्छानुसार, या जहाँ ऐक्विजिब्युटिव अफसर हो, तो ऐक्विजिब्युटिव अफसर की इच्छानुसार, सैसन्सदार नल लगाने वालों की सूची से, काट दिया जाय, और ऐसी दशा में उक्त सैसन्सदार अपना सैसन्स म्यूनिसिपलटी के दफ्तर को नुरन्त लौटा देगा ।

(डी) जब कि कोई ऐसा नल लगाने वाला किसी ऐसे हुक्म के अनुसार कार्रवाई करे, जिसके द्वारा उसको (नल लगाने के लिये) सडक खोदने की आज्ञा दी गई हो और वह किसी सडक को खोदके, किसी ऐसी ट्रानि की उचित रूप से और कारी गरी के ढग से, ऐसी मरम्मत न करदे, जो म्यूनिसिपलटी के इजिनियर और पानी के कारखाने के सुपरिन्टेन्डेन्ट के प्रति संतोष प्रद हो, तो सडक की उचित रूप से मरम्मत उक्त नल लगाने वाले के खर्चे से, की जायगी, और ऐसा खर्चा, उस विधि से चसूल किया जायगा, जो छठे प्रकरण में बताया गई है ।

(ई) कि सैसन्सदार नल लगाने वाला, उस समय से बारह घण्टे के भीतर, जब कि, नियम नम्बर ४८ की आज्ञानुसार, कोई शरस उसको काम पर लगावे जोड़ने वाले नल में (Communication Pipe) या उस हौज में, जो उक्त नल के सम्बन्ध में हो, किसी ऐसे स्थान की मरम्मत कर देगा जहाँ से पानी टपकता हो ।

(एफ) कि ऐसा सैसन्सदार नलों के लगाने के किसी नये काम को बोर्ड का हुक्म मिलने से दो सप्ताह के भीतर बनाना आरम्भ कर देगा, और उक्त काम को बाकिधी समय के भीतर, समाप्त कर देगा ।

३५ जोड़ने वाले नल (Communication Pipe) के सब पुरजों की जाच म्यूनिसिपलटी का इजिनियर या पानी के कारखाने का सुपरिन्टेन्डेन्ट या कोई अन्य शरस जिसको उक्त अफसरों में से किसी ने जाच करने का अधिकार दिये हो इससे पूर्व कि वह लगाये जाय जाच करेगा और मरठ की म्यूनिसिपलटी को छोट के ऐसी जाच के लिये भीचे लिखी फीस ली जायगी ।

पुरजा	फीस
स्टॉप कॉक बॉक्स (Stop Cock Box)	२- आने
बिब कॉक तथा स्टॉप टैप (Bib Cock and Stop tap)	२ "
स्नानागार और पाखानों के पुजें	२ "
बॉल टॉप (Ball top)	३ "
नल वाले पाखानों का हौज	३ "
" " " " " बॉल कॉक सहित	६ "
गैलवेनाइज्ड लोहे की टकी	८ "
" " " " " का नल	६ " प्रति फुट

किसी ऐसे पुरजे की जाच नहीं की जायगी जिसपर बनाने वालेके नामकी मुहर न लगी होगी ।

३६ नियमित नाप के पुरजों के नमूने जिनको सरकारी सेनिटेरी इंजिनियर मजूर कर देगा, म्यूनिसिपलटी के इंजिनियर और पानी के कारखाने के सुपरिन्टेन्डेन्ट के दफ्तर में, जांच के लिये रखे जायगे ।

३७ नमूने के पुरजे, जो म्यूनिसिपलटी के इंजिनियर, को या पानी के कारखाने के सुपरिन्टेन्डेन्ट को भेंट किये जाय, उन पर यदि सेनिटेरी इंजिनियर उनको मजूर कर दे, मुहर लगाई जायगी और वह नियमित पुरजों (Stand and fittings) में रख दिये जायंगे ।

बोर्ड के अधिकार

३८ बोर्ड, या जहाँ ऐंक्विज्यूटिव अफसर, हो तो ऐसा अफसर, किसी मिलाने वाले नल को (Connection pipe) किसी ऐसी अवधि के लिये, जो वह उचित समझे अपनी निगरानी में रखाई रूप से ले सकता है ।

३९ बोर्ड, यदि वह उचित समझे, किसी ऐसे मिलाने वाले नल को, जो किसी ऐसी सड़क या आराजी में लगा हो, जिस पर बोर्ड का अधिकार हो अपने कब्जे में ले सकता है, और इसके पश्चात् ऐसा नल बोर्ड के अधिकार में रहेगा, और बोर्ड उसको कामय रखेगा, और बोर्ड ही के कब्जे में वह रहेगा, जैसे कि वह म्यूनिसिपलटी के कारखाने का भाग हो ।

४० नीचे लिखे उद्देश से, बोर्ड या जहाँ ऐंक्विज्यूटिव अफसर हो तो ऐसा अफसर, किसी ऐसी हमारत या आराजी की जाच कर सकता है, जिसका सम्बन्ध म्यूनिसिपलटी के किसी बड़े नल (Main) से हो —

- (ए) किसी मीटर को हटाने, जाचने, परीक्षा करने, या उसकी जगह दूसरा मीटर रखने के लिये । या
- (बी) किसी जोड़ने वाले नल की, और पानी जमा करने के किसी हौज की, जो उक्त नल के सम्बन्ध में बंधा हो, परीक्षा करने के लिये । या
- (सी) यह देखने के लिये कि पानी नष्ट तो नहीं होता, या उसका दुरुपयोग तो नहीं किया जाता ।

४१ जब किसी ऐसे जोड़ने वाले नल में, या हौज में, जो किसी हमारत या आराजी के मालिक या काबिज का हो, कोई दोष पाया जाय, तो बोर्ड, या जहाँ ऐंक्विज्यूटिव अफसर हो तो ऐसा अफसर, ऐसे मालिक या काबिज को यह आज्ञा दे सकता है कि वह उस दोष के दूर करने का उपाय करे ।

४२ बोर्ड को या जहाँ ऐंक्विज्यूटिव अफसर हो ऐसे अफसर को, अधिकार होगा (और इस अधिकार का किसी दूसरे अधिकार पर जो ऐक्ट के द्वारा या इस ऐक्ट के अनुसार दिया गया हो कोई प्रभाव न पड़ेगा) कि नीचे लिखी दशाओं में किसी समय, नलों के किसी निजी मेल को (Private Connection) बन्द कर दे, या किसी मिलाने वाले नल को बन्द नलसे प्रथक कर दे अर्थात् —

- (ए) उस दशा में, जब कि किसी निजी मेल के विषय में पानी के कर या अन्य फीसों उस सारीख्त से पन्द्रह दिन के भीतर, जिस पर बिल पेश किया जाय, न दी जाय उस समय तक जब तक कि पिछली बाकी दे न दी जाय ।

- (बी) उस दशामें जब कि जोड़ने वाला नल टूट जाय, या उसको कोई हानि हो जाय—उस समय तक जब तक कि ठूटे हुए स्थान की मरम्मत, या हानि या दोष का सुधार इस प्रकार न कर दिया जाय कि जो म्यूनिसिपलटी के इजिनियर या पानी के कारखाने के सुपरिन्टेन्डेन्ट के प्रति सन्तोष प्रद हो ।
- (सी) उस दशा में जब कि पानी खराब जाता हो—जब तक कि ऐसे उपाय इस प्रकार न कर दिये जाय जिनके द्वारा फिरकभी पानी खराब न जा सके, और जो म्यूनिसिपलटी के इजिनियर और पानी के कारखानेके सुपरिन्टेन्डेन्ट के प्रति सतोष प्रद हो ।
- (डी) उस दशा में जब कि जोड़ने वाला नल बिना बोर्ड की इजाजत के, या जहा ऐक्विजक्यूटिव अफसर हो तो बिना ऐसे अफसर की इजाजत के, उस हद से बढ़ा दिया जाय जो हद कि मजूर किये हुये नक़शे में दिखाई गई हो—जब तक कि ऐसा बढाव काट न दिया जाय ।
- (ई) उस दशा में जब कि कोई मकान या आराजी खाली हो ।
- (एफ) यदि किसी ऐसे अफसर को जिसका उल्लेख नियम न० ४० में किया गया है उन मतलबों के लिये जो उक्त नियम में बताये गये हैं, किसी मकान या आराजी में प्रवेश न करने दिया जाय, या यदि ऐसा कोई अफसर ऐसी परीक्षा करने से रोक जाय जिसका उल्लेख उक्त नियम में किया गया है—जब तक कि बिल्ला रोक टोक के प्रवेश करने की आज्ञा न दे दी जाय ।
- (जी) यदि बोर्ड द्वारा, या जहाँ ऐक्विजक्यूटिव अफसर हो तो ऐक्विजक्यूटिव अफसर के द्वारा, भेजा हुआ किसी लिखित नोटिस के मिलने के पश्चात, जिसके द्वारा किसी ऐसी इमारत के मालिक या काबिज को जिसका मेल म्यूनिसिपलटी के बड़े नल से हो, यह आज्ञा दी गई हो कि वह नीचे लिखे कामों को न करे और उक्त मालिक या काबिज नीचे लिखे कामों का करना जारी रखे—

- १ किसी ऐसे नियमके विरुद्ध जो उस समय प्रचलित हो, या किसी ऐसी शर्तके विरुद्ध, जो बोर्ड द्वारा ऐसे निजी मेलके सम्बन्धमें नियमित की गई हो, या जहाँ ऐक्विजक्यूटिव अफसर हो तो ऐसे अफसरके द्वारा नियमितकी गई हो, पानीको काममें लाना या काममें लानेकी इजाजत देना । या
- २ जहा मीटरके द्वारा पानीकी निगरानी न की जाती हो, वहा किसी ऐसे शख्स को, जो इमारतमें या आराजी पर न रहता हो, उससे पानीले जाने देना ।

कर्तव्य और मनाईयां

४३ जब बोर्डके द्वारा, या ऐक्विजक्यूटिव अफसरके द्वारा, कोई पानीका निजी मेल रोक दिया गया हो, या कोई मिलाने वाला नल बंद नलसे प्रथक कर दिया गया हो, तो बिना बोर्डकी इजाजतके, या जहा ऐक्विजक्यूटिव अफसर हो बिना ऐसे अफसरकी इजाजतके, कोई शख्स ऐसे मेलको न खोलेगा, न मिलाने वाले नलको बंद नलसे मिलायेगा ।

४४ जब किसी कारणसे कोई मिलाने वाला नल बंद नलसे प्रथक कर दिया गया हो, तो बोर्ड या जहाँ ऐक्विजक्यूटिव अफसर हो ऐसा अफसर, जोड़ने वाले नलके किसी ऐसे भागको, जो किसी

म्यूनिसिपलटीकी सड़कके नीचे या सार्वजनिक भाराजीके नीचे लगा हो, हटा सकता है, और ऐसा करनेका खर्चा और बडे नलमें टांटी लगाने (Plugging) का खर्चा, उस इमारत या भाराजीके मालिक या काबिजसे, जिसमे कि मामलेका सम्बन्ध हो, यच्चल किया जा सकता है ।

४५ सिपाय बोर्ड की लिखित मजूरीके, या जहां ऐंजिनियरिङ्ग अफसर हो तो सिपाय ऐसे अफसरकी लिखित मजूरीके, किसी इमारत या भाराजीको, जिसका मालिक कोई एक शख्स हो, किसी ऐसे जोडने वाले नलके द्वारा पानी न दिया जायगा, जिससे किसी ऐसी इमारत या भाराजी को पानी दिया जाता हो, जिसका मालिक कोई दूसरा शख्स हो, न किसी घर या निवास स्थानमें पृथक्से अधिक मिलाने वाला नल लगाया जायगा ।

४६ किसी ऐसी इमारत या भाराजी, जिसका म्यूनिसिपलटीके बडे नलसे, या पानीके काम (सामीर) से मेल हो, का काबिज, या यदि घर खाली हो, तो मालिक, उस दशामें जब कि बोर्डके द्वारा इन नियमोंके अनुसार दिये हुये अधिकारोंको बरतते हुये, या ऐसे मालिक या काबिजकी दरखास्त पर, पानीका मेल रोक दिया जाय, या मिलाने वाला नल बडे नलसे या पानीके काममे प्रथक कर दिया जाय, बोर्ड को इस प्रकार पानीके रोकने या नलको प्रथक करने के विषयमें २) रुपया फीस देगा (या इलाहाबाद बनारस और मेरठकी म्यूनिसिपलटियोंमें १) रुपया) और फिरसे खुलवाने, या फिरसे मेल कराने, के विषयमें ३) रुपयेकी फीस और देगा (इलाहाबाद बनारस और मेरठ की म्यूनिसिपलटियोंमें १) रुपया) । (देखिये विज्ञापन No 492 XI 383 E ता० ७ मार्च सन १९१८ ई०) ।

कानपुर की म्यूनिसिपलटीमें पानीके मेलको रोक देने, या बडे नलसे या पानीके कामसे प्रथक करने, की कोई फीस बोर्ड किसी दशामें न लेगा, परन्तु फिरसे खोलने या फिरसे मिलानेके लिये ३) रुपयेकी फीस ऐसे मेलके सम्बन्धमें ली जायगी जिसमें मीटर न लगा हो, और ५) रुपयेकी फीस मीटर एगे हुये किसी मेलके विषयमें, जो मेल कि काट दिया गया हो, ली जायगी । (देखिये विज्ञापन No 519 XI 383 E ता० १३ मार्च सन १९१९ ई०) ।

४७ किसी ऐसी इमारत या भाराजीका जिसका मेल म्यूनिसिपलटीके किसी पानीके कामसे हो, काबिज, या मकान खाली होनेकी दरामें मालिक, प्रत्येक जोडने वाले नलकी और प्रत्येक हौजकी, जो उससे सम्बन्धमें बना हो, इस प्रकार मरम्मत कराता रहेगा, कि जिससे पानीका यह धर खराब जाना पूर्णतया रक सके ।

४८ यदि किसी जोडने वाले नलमें, या हौजमें जो उसके सम्बन्धमें बना हो, किसी स्थानमे पानी टपकने लगे, तो इमारत या भाराजीका काबिज, ४८ घंटेके भीतर बोर्डको इस बातकी दरखास्त देगा, कि जो मरम्मत आवश्यक हो बोर्ड करा दे, या उक्त काबिज किसी ठैसन्सदार मल लगाने बन्दूको इस काम पर नियत कर देगा ।

४९ कोई शख्स म्यूनिसिपलटीके किसी बडे नलमें, या किसी पानीके नलमें, या उससे मेल रखने वाले किसी यन्त्रमें, चाहे वह बोर्डका हो या न हो, कोई नल नहीं लगायेगा न लगावायेगा, किसी जोडने वाले नलको बिना बोर्डकी इजाजतके, या जहां ऐंजिनियरिङ्ग अफसर हो बिना ऐसे अफसरकी इजाजतके, बढायेगा, न उसमें परिवर्तन करेगा न उसको प्रथक करेगा ।

५० किसी ऐसी इमारत या भाराजीका काबिज जिसका मेल म्यूनिसिपलटीके किसी बडे नलसे हो, न जो खराब करेगा, न बन्देगा, न उसको किसी ऐसे मतलबमें खच करेगा जिसमें खच करने प्राप्त सिवाय उस दशामें कि पानीकी मात्राकी जाचके लिये मीटर न इमारत आदिका काबिज न हो काममें लाने देगा ।

५१ कोई पावस करेय करके—

(ए) किसी मीटरके इंडेक्स (अर्थात् पानीमी मात्रा बताने वाला चिन्ह) को न बदलेगा, न मीटरमें कोई ऐसी कार्रवाई करेगा जिससे यह मीटर उसे पानीकी मात्रा की बतता सके, जो दिया गया हो । या

(बी) मीटरके द्वारा, जो नापनेके अभिप्रायसे लगाया गया हो, पानीका हिसाब लगानेसे पूर्व, न पानी को निकालेगा न काममें लायेगा ।

भावार्थ—(Explanation) इस प्रकार इंडेक्स (Index) को बदलने, मीटर को पानी की मात्रा बतानेसे रोकने, पानीको निकालने, या काममें लाने, के कृत्रिम उपायोंका किसी क्रायिण के अधिकारमें पाया जाना इस बातका प्रमाण होगा कि उसमें करेय करके उपरोक्त काम किये हैं ।

५२ जानबूझ कर, या बेपरवाहीसे, किसी शख्सको अधिकार न होगा कि—

(ए) बोटके किसी मीटरको कोई हानि पहुंचाये या किसी दूसरेको हानि पहुंचाने दे, या ऐसे मीटरके किसी घुस्केको हानि पहुंचाये या पहुंचाने दे ।

(बी) किसी ताले, कुंजी (Cock), वाल्व (Valve), नल, काम (तामीर), या इंजन, को जो म्यूनिस्सिपलटीके पानीके कारखानेके लगावमें हो तोटे हानि पहुंचाये या खोले ।

(सी) मोरियाँ धोनेके नलोंसे पानी निकलनेमें, कोई रुकावट डाले, या नलोंसे पानी खींचे, या पानीका रास्ता नलोंमें बदल दे, या पानीके किसी ऐंसे कामसे पानी ले ।

(डी) कोई ऐसा काम करे, जिसके द्वारा वह पानी, जो म्यूनिस्सिपलटीके पानीके किसी कामके भीतर हो, या जो उससे लिया जाय खराब जाय ।

(ई) पानीके किसी बड़े नल या यन्त्रे को, रोकने या उसका रास्ता बदलदे, या किसी प्रकारकी उसको हानि पहुंचाये, या उसमें परिवर्तन करे ।

(एफ) बिना मजूरीके, किसी ऐसे पानीको, जो घरेलू मतलबोंके लिये दिया गया हो, या जो किसी स्टैंडपाइप (Standpipe) या पम्प, जो किसी सडक पर लगे हों, में पहुंचाया गया हो, घरेलू मतलबोंके सिवाय, किसी अन्य मतलबमें, काममें लाये ।

५३ किसी शख्सको अधिकार न होगा कि—

(ए) म्यूनिस्सिपलटीके पानीके किसी काम (तामीर) में, या उसके निकट, या उसके ऊपर, नहाये, या धोये, या उसमें किसी पशुको फेंके या प्रवेश कराये । या

(बी) किसी पानीके काममें कोई कूड़ा करकट, धूल, गिलाजत, या अन्य हानिकारक पदार्थ फेंके, या उसमें कोई वस्तु या ऊन, या किसी पशुका चमड़ा, या खाल, या पहिनेके कोई वस्त्र, या कोई अन्य वस्तुयें, धोये या साफ करे । या

(सी) किसी कुद्री, या बंद मोरी, या मोरी, का पानी, या किसी स्टीम इंजन (भापका इंजन) या वॉयलर (इंजन आदिके लिये पानी उबालनेका पात्र) का पानी, या कोई अन्य मैला पानी, जो उसकी मितिक्रम हो या जिस पर उसका अधिकार हो, किसी पानीके काममें बहाके पहुंचाये या ले जाये, या कोई अन्य ऐसा काम करे जिसके द्वारा पानीके किसी काम का पानी दूषित हो जाय या उसके दूषित होनेकी सम्भावना हो ।

५४ यदि यह बात साबित कर दी जाय, कि इन नियमोंके किसी हुकमके विरुद्ध, कोई अपराध

किसी ऐसे मकान आदिमें किया गया है जिसको बोर्ड निजके लिये पानी देता हो, तो यह अनुमान कर लिया जायगा, जबतक कि इसके विरुद्ध प्रमाण न दे दिये जाय, कि ऐसा अपराध उक्त मकान आदिके क़ाबिज न किया है ।

दण्ड

ऐक्टकी दफा २९९ (१) के द्वारा दिये हुये अधिकार को बरतते हुये, प्रान्तीय सरकार, इस लेखके द्वारा, आज्ञा देती है, कि जो दाखल अपरोक्त नियमोंके हुकमोंका उल्लंघन करेगा, उसके, अपराधके साबित हो जाने पर, जुर्मानाका दण्ड दिया जायगा जिसकी सरया १०० रुपये तक हो सकती है, और जब उल्लंघन ऐसा हो जो लगातार जारी रहे तो पहले पहल सजा मिलनेकी तारीख़ के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिनके लिये, जिनके विषयमें यह साबित हो कि अपराधी ऐसे उल्लंघनके करनेमें आग्रह करता रहा, अपराधी पर और जुर्माना किया जा सकता है, जिसकी सरया ५ रुपये प्रति दिन तक हो सकती है ।

ऐसी इमारतों आदिके हटा देनेका अधिकार जो सार्वजनिक कामों (तामीरात) में बाधक हों ।

(Power for Removal of Structures interfering with Public Works)

दफा २३६ मोरी पर या पानी पहुँचानेके कामों पर बिना आज्ञा इमारत बनाना या पेड़ लगाना

१ उस दशा में, जब कि सन् १९०० ई० के मार्च मास की दसवी तारीख़ को, या उसके पश्चात्, किसी ऐसी सार्वजनिक मोरी, या पुलिया, या पानी पहुँचाने के किसी काम, के ऊपर, जो बोर्ड के अधिकार में हो, बिना बोर्ड की लिखित आज्ञाके, कोई सड़क या गली बनाई गई हो, या कोई इमारत, या भीत, या अन्य कोई तामीर, बनाई गई हो, या कोई पेड़ लगाया गया हो, तो बोर्ड—

(ए) नोटिस के द्वारा उस शख्स को, जिसने सड़क या गली बनाई हो, या तामीर की हो, या पेड़ लगाया हो, या उस आराजी के मालिक या क़ाबिज को, जिस पर सड़क बनाई गई हो, या तामीर की गई हो या पेड़ लगाया गया हो, यह आज्ञा दे सकता है, कि उस सड़क या गली को, या तामीर को, या पेड़ को, वह हटादे, या उसके सम्बन्ध में कोई अन्य ऐसी कार्रवाई करे, जो बोर्ड उचित समझे । या

(बी) उस सड़क या गली, या तामीर, या पेड़, को स्वयं हटवा दे, या उसके सम्बन्ध में कोई अन्य ऐसी कार्रवाई करे, जो वह उचित समझे ।

२ जो शर्च कि बोर्ड का किसी ऐसी कार्रवाई में पड़े, जो वह उपदफा (१) के क्लॉज (बी) के अनुसार करायें, वह उस विधि से, जो छोटे प्रकरण में नियतकी गई है, उस शख्स से वसूल किया जा सकेगा, जिसने सड़क या गली बनाई हो, या तामीरकी हो, या पेड़ लगाया हो ।

नोट—मार्च की दसवी तारीख़, भूतपूर्व म्युनिसिपैलिटीयों का क़ानून, एक्ट न० १, सन् १९०० ई०, के प्रचलित होने की तारीख़ है । इस दफा के हुकम तिमि ऐसे कामपर लागू होंगे जो, एक्ट न० १, सन् १९०० ई० के प्रचलित होने से पहले बना लिया गया हो ।

अध्याय ६

काम करिहान और दण्ड

... Sale of Food Etc

काम करिहान और दण्ड काम करिहान, खाद्य पदार्थ का बेचा जाया, इत्यादि

पशुओं को घासने के स्थान

काम करिहान और दण्ड का पशुओं को घासने के स्थान पर म्यूनिसिपलटी की हदों के भीतर या बाहर, घासने के ठीक पशुओं को घास करने के लिए या किसी विशेष प्रकार के पशुओं को घास करने के लिए स्थान पर दण्ड कर सकता है और ऐसी ही मजूरीसे, उन स्थानों को काम करिहान के लिए हीसलत दे सकता है और हीसलतों को वापस ले सकता है (अर्थात् दण्ड कर सकता है)।

२ जब बोर्ड, ऐसे स्थान म्यूनिसिपलटी की हदों के भीतर या बाहर, काम करिहान (जांच), और उचित प्रबंधन का अभाव में, जैसा कि घास स्थान पर दण्ड कर दिया गया है, अन्य स्थान में पशुओं को घासने पर दण्ड कर सकता है।

नियत करे, तो उसको दण्ड का उसी भीतर, शहर, को, दण्ड भीतर, पर

दफा २३८ उन पशुओंको बध करनेके स्थान, जो विक्रीके लिये न हों या जो धार्मिक प्रयोजनके लिये बध न किये जायं

बोर्ड आम नोटिस के द्वारा, और जिला मजिस्ट्रेट की पहिलेसे मंजूरी प्राप्त करके, म्यूनिसिपलटी के भीतर, ऐसे स्थान नियत कर सकता है, जिनमें किसी विशेष प्रकार के उन पशुओं के बध करने की आज्ञा होगी जो विक्री के लिये न हो, और म्यूनिसिपलटी के भीतर किसी अन्य स्थानमें, सिवाय उस दशाके कि ऐसा करना किसी कारण से आवश्यक हो, इस प्रकार बध करने की मनाई कर सकता है।

परन्तु शर्त यह है, कि इस दफा के हुक्म उन पशुओं पर लागू न होंगे जो किसी धार्मिक प्रयोजन के लिये बध किये जाय।

नोट—आम नोटिस दिये जाने की विधि के लिये देखिये दफा ३०४। किसी आम नोटिस की आज्ञा का पालन न किये जाने पर दफा ३०६ के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है।

दफा २३९ ज़िला मजिस्ट्रेटके अधिकार उन पशुओंके सम्बन्धमें जो विक्रीके लिये बध न किये जायं

जब कभी जिला मजिस्ट्रेट को सार्वजनिक शान्ति, और व्यवस्था (Peace and order)की रक्षाके लिये, यह बात आवश्यक जान पड़े, तो वह कमिश्नरकी निगरानीके आधीन, आम नोटिसके द्वारा, किसी म्यूनिसिपलटीकी हद्दोंके भीतर, पशुओंके, या किसी विशेष प्रकारके पशुओंके जिनका कि वर्णन दिया गया हो, सिवाय बच्चे जानेके अन्य अभिप्रायोंके लिये बध करनेकी मनाई कर सकता है, या इसके विषयमें कोई अन्य प्रवन्ध कर सकता है और वह विधि जिसके अनुसार, और वह मार्ग जिस पर से होकर ऐसे पशु बध स्थान को लाये जायेंगे, और बध स्थान से मांसले जाया जायगा, नियत कर सकता है।

व्याख्या—

यह दफा विशेषतः ऐसे पशुओं के लिये रखी गई है, जो धार्मिक प्रयोजनों के लिये बध किये जाते हैं, और जिनके कारण प्रायः बल्ले हुआ करते हैं। यदि किसी प्रकार शान्ति भंग होने की सम्भावना हो, तो जिला मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया गया है, कि उन पशुओं को, जिनके सम्बन्ध में कोई लड़ाई झगडा होने की हो, बध स्थान तक ले जाने के लिये कोई विशेष मार्ग नियत कर दे, और उनके मांस को ले जाने के लिये भी जो विधि और मार्ग वह चाहे, नियत कर दे। दफा २३८ के द्वारा म्यूनिसिपल बोर्ड को कोई अधिकार उन पशुओं के सम्बन्ध में नहीं दिया गया है जो धार्मिक प्रयोजनों के लिये बध किये जाय।

इस ऐक्ट के हुक्मों के अनुसार जो आम नोटिस दिये जाते हैं, उनके देने की विधि दफा ३०४ में नियमित है। परन्तु दफा २३९ के मतलब के लिये आम नोटिस देने की विधि विज्ञापन No 1906 XI 6 H तारीख ५ जुलाई सन १९१६ ई० के द्वारा, नियत कर दी गई है, और वह यह है।

उस प्रकार का आम नोटिस, जिसका बहल्ल दफा २३९ में किया गया है, नीचे लिखे ढपारों के द्वारा प्रकाशित किया जायगा अर्थात्—

- (ए) म्यूनिसिपलटी के भीतर किसी एक स्थान में या एक से अधिक स्थानों में दिवारा पिटवा कर ।
- (बी) म्यूनिसिपलटी में बड़ी बड़ी या, विशेष इमारतों और स्थानों में, नोटिस (विज्ञापन) लगावा कर ।
- (सी) लिखित या छपे हुये विज्ञापनों को, जनता में से प्रधान व्यक्तियों पर, या जमता के किसी भाग के या समुदाय के प्रधान व्यक्तियों पर, तामील कराके ।

दफा २४० ऐसे मांस का ठिकाने लगाया जाना जो किसी ऐसे बाई-लॉ के विरुद्ध भीतर लाया जाय, जो भीतर लाने के प्रबन्ध के विषय में हों

यदि किसी दोर (मवेशी), या भेड़, या बकरी, या सुअर, का मांस, म्यूनिसिपलटी की हदों के भीतर, किसी ऐसे बाई-लॉ के विरुद्ध, जो दफा २९८ की मद (एफ) के अर्थ (ई) के अनुसार बनाया गया हो लाया जाय तो बोर्ड का कोई अधिकार, जिसको इस विषय में अधिकार दिया गया हो, उसको अपने कब्जे में ले सकता है, और वह यह तो नष्ट कर दिया जा सकता है, या किसी अन्य प्रकार ठिकाने लगाया जा सकता है, जैसा कि बोर्ड साधारण या विशेष आज्ञा के द्वारा, हुकम दे ।

नोट—“साधारण या विशेष आज्ञा” के लिये देखिये दफा ११४ और उसकी व्याख्या ।

दफा २४१ कुछ निर्दिष्ट वस्तुओंके बेचे जाने के लिये बाजारों या दुकानोंको लैसंस दिया जाना

१ म्यूनिसिपलटी की हदों के भीतर, किसी स्थानको, जो म्यूनिसिपलटी का बाजार या मण्डी न हो, पशुओं, या मांस, या मछली, जो मनुष्यों के खाने के लिये हों, या फल या तरकारियों के बेचने का बाजार या दुकान, की तरह काममें लाने का किसी शख्स का अधिकार उन बाई-लॉयो के भाधीन होगा, (यदि कोई ऐसे बाई-लॉ हों) जो दफा २९८ की मद (एफ) के अनुसार बनाये जाय ।

२ परन्तु शर्त यह है कि उस दशा में जब कि कोई ऐसा बाई-लॉ प्रचलित हो, जिस के द्वारा किसी ऐसी वस्तु के बेचने के लिये, जो उपदफा (१) में अंकित हो, कोई बाजार या मण्डी या दुकान, लैसंस लेने का हुकम हो, तो बोर्ड—

(ए) यदि
तो
होनेकी
लैसंस

के

मांस के भीतर दी गई हो,
जो ऐसे बाई-लॉके प्रचलित
के लिये
स्थानमें,
शर्त पूर्ण

मही की गई है, जो, इस ऐक्ट के द्वारा या इस ऐक्ट के अनुसार नियमित हों। या

- (बी) जो लैसन्स उक्त चार्ज-ऑफ़ के अनुसार दिया गया हो उसको किसी कारण से, रद्द या स्थगित न कर सकेगा, न ऐसे लैसन्स की अवधि समाप्त हो जाने पर उसको फिर से देने से मना कर सकेगा सिवाय इस कारण से कि लैसन्स लेने वाले ने लैसन्स की शर्तों की, या इस ऐक्ट के, या इस ऐक्ट के अनुसार दिये हुये, किसी हुक्म की, तामील मही की है।

व्याख्या—

बोर्ड को दफा २९८ की मद (यंफ) के द्वारा अधिकार दिया गया है कि मनुष्यके खाने के लिये जो पशु, या मांस, या मछली बेचनेके बाजार या दुकानें स्थापित की जाय, उनके लिये चार्ज ऑफ़ बनाये, और ऐसे चार्ज ऑफ़ों के द्वारा जो शर्तें उनके विषय में लगाना चाहे लगाये। इसी प्रकार बोर्ड हरी तरकारियों के बेचने के बाजारोंके विषयमें भी चार्ज ऑफ़ बना सकता है। परन्तु हरी तरकारियोंके बेचने की दुकानोंके लिये बोर्डको चार्ज-ऑफ़ बनानेका अधिकार नहीं दिया गया है। चार्ज ऑफ़ के द्वारा, बोर्ड यह निश्चय कर सकता है कि पशु, मांस और मछलीके बाजारों और दुकानोंके लिये, तथा हरी तरकारियोंके बाजारोंके लिये, लैसन्स लिया जाय। ऐसी दशामें बोर्डको पूरा अधिकार इस बातका प्राप्त होता है कि उपरोक्त प्रकारके कोई नये बाजार या नई दुकानें, लैसन्स देनेसे मना करके, स्थापित न होने दें। नये बाजार और नई दुकानोंके विषयमें बोर्डको ऐसे विस्तृत अधिकारोंका दिया जाना न्याय युक्त नहीं जान पड़ता, कारण यह कि प्रायः म्यूनिसिपलटिया स्थय अपने बाजार खोल लिया करती हैं, और ऐसी दशामें बोर्ड किसीकी लैसन्स नहीं देना चाहता। जाताके सुभितेकी चिन्ता भी अपेक्षा बोर्डको प्रकृत्या, अपने बाजारकी आमदनीकी चिन्ता अधिक होता है। और यदि बोर्ड, किसी नये बाजार या नई दुकानके खोले जानेके लिये लैसन्स न दे तो बोर्डके ऐसे हुक्मकी अपील भी दफा ३१८ के अनुसार, नहीं हो सकती।

—उप दफा (२) के द्वारा, उन बाजारों और दुकानोंके सम्बन्धमें जो पहलेसे स्थापित हों, बोर्डोंके अधिकार सीमाबद्ध कर दिये गये हैं। और माननीय इलाहाबाद तथा कलकत्ता हाईकोर्टोंने भी नीचे लिखे दो मुकद्दमोंमें बोर्डके, बाजार आदि के सम्बन्धके अधिकारोंका, बड़ा विरोध किया है। पहला मुकद्दमा मोर्रा वगैरा बनाम चेयरमैन, मोतीदारी म्यूनिसिपलटी, 17 Cal I L R 329 का था। मुद्दयोंका एक बहुत पुराना बाजार था म्यूनिसिपलटीने भी अपना एक बाजार स्थापित किया और मुद्दयोंको लैसन्स देनेसे मना कर दिया। मुद्दई मुकद्दमा हाईकोर्ट तक ले गये। यद्यपि, हाईकोर्ट, मुकद्दमेका फैसला मुद्दयोंके अनुकूल न कर सका, (हाईकोर्टने यह निश्चय किया कि मुकद्दसिल की संगठित संस्थाओं (Corporations) को अपने कृतव्योंके पालन करनेका हुक्म देनेका अधिकार कलकत्ता हाईकोर्टको कानूनने नहीं दिया है) तथापि तजर्बीजमें इस बातकी ओर, बड़े शोकसे ध्यान दिलाया, कि ऐसी दशामें, कानून मुद्दयोंको हर्जा दिलानेकी आज्ञा भी नहीं देता। मुद्दयों का बाजार बन्द कर दिये जानेका, उनको किसी प्रकारका बदला नहीं मिलता कानूनने मुद्दयोंको बिल्कुल निरोपण छोड़ दिया है। “यह बात अत्यन्त शोकजनक है। कि कोई ऐक्ट (कानून) इस प्रकार बनाया जाय, जैसे कानून प्रायः बनाये जाते हैं, अर्थात् जिनमें निजी अधिकारों पर, सविचार ध्यान नहीं दिया जाय और इनका मान और रक्षा करनेकी चिन्ता न की जाय”।

- (ए) म्यूनिसिपलटी के भीतर किसी एक स्थान में या एक से अधिक स्थानों में डिग्रीत पिटवा कर ।
- (बी) म्यूनिसिपलटी में बड़ी बड़ी या, विशेष इमारतों और स्थानों में, नोटिस (विज्ञापन) लगवा कर ।
- (सी) लिखित या छपे हुए विज्ञापनों को, जनता में से प्रधान व्यक्तियों पर, या जनता के किसी भाग के या समुदाय के प्रधान व्यक्तियों पर, तामील कराके ।

दफा २४० ऐसे मांस का ठिकाने लगाया जाना जो किसी ऐसे बाई-लॉ के विरुद्ध भीतर लाया जाय, जो भीतर लाने के प्रबन्ध के विषय में हों

यदि किसी दोर (मवेशी), या भेड़, या बकरी, या सुअर, का मांस, म्यूनिसिपलटी की हद्दों के भीतर, किसी ऐसे बाई-लॉ के विरुद्ध, जो दफा २९८ की मद (एफ) के अंश (ई) के अनुसार बनाया गया हो लाया जाय तो बोर्ड का कोई अफसर, जिसको इस विषय में अधिकार दिया गया हो, उसको अपने कब्जे में ले सकता है, और वह यह तो नष्ट करा दिया जा सकता है, या किसी अन्य प्रकार ठिकाने लगाया जा सकता है, जैसा कि बोर्डे साधारण या विशेष आज्ञा के द्वारा, हुक्म दे ।

नोट—“साधारण या विशेष आज्ञा” के लिये देखिये दफा ३१४ और उसकी व्याख्या ।

दफा २४१ कुछ निर्दिष्ट वस्तुओंके बेचे जाने के लिये बाजारों या दुकानोंको लैसंस दिया जाना

१ म्यूनिसिपलटी की हद्दों के भीतर, किसी स्थानको, जो म्यूनिसिपलटी का बाजार या मण्डी न हो, पशुओं, या मांस, या मछली, जो मनुष्यों के खाने के लिये हों, या फल या तरकारियों के बेचने का बाजार या दुकान, की तरह काममें लाने का किसी शख्स का अधिकार उन बाई-लॉओं के आधीन होगा, (यदि कोई ऐसे बाई-लॉ हों) जो दफा २९८ की मद (एफ) के अनुसार बनाये जाय ।

२ परन्तु शर्त यह है कि उस दशा में जब कि कोई ऐसा बाई-लॉ प्रचलित हो, जिस के द्वारा किसी ऐसी वस्तु के बेचने के लिये, जो उपदफा (१) में अंकित हो, कोई बाजार या मण्डी या दुकान स्थापित करने, या जारी रखने, के लिये लैसन्स लेने का हुक्म हो, तो बोर्डे—

- (ए) यदि दरखुवास्त बाई-लॉ प्रचलित होने से छह मास के भीतर दी गई हो, तो किसी ऐसे बाजार, या मण्डी, या दुकानके जो ऐसे बाई-लॉके प्रचलित होनेकी तारीख पर कानून के अनुसार स्थापित हो, जारी रखने के लिये लैसन्स देनेसे मना न कर सकेगा, सिवाय इस कारणसे कि उस स्थानमें, जहा बाजार, या मण्डी, या दुकान स्थापित है, कोई ऐसी शर्त पूरी

नहीं की गई है, जो, इस ऐक्ट के द्वारा या इस ऐक्ट के अनुसार नियमित हों। या

(बी) जो लैसन्स उक्त बाई-लों के अनुसार दिया गया हो उसको किसी कारण से, रद्द या स्थगित न कर सकेगा, न ऐसे लैसन्स की अवधि समाप्त हो जाने पर उसको फिर से देने से मना कर सकेगा सिवाय इस कारण से कि लैसन्स लेने वाले ने लैसन्स की शर्तों की, या इस ऐक्ट के, या इस ऐक्ट के अनुसार दिये हुये, किसी हुक्म की, तामील नहीं की है।

व्याख्या—

बोर्ड को दफा २५८ की मंदा (यफ) के द्वारा अधिकार दिया गया है कि मनुष्यके खाने के लिये जो पशु, या मांस, या मछली बेचनेके बाजार या दुकानें स्थापित की जाय, उनके लिये बाईं लों बनावे, और ऐसे बाईं लोंके द्वारा जो शर्तें उनके विषय में लगाना चाहे लगाये। इसी प्रकार बोर्ड हरि तरकारियों के बेचने के बाजारोंके विषयमें भी बाईं लों बना सकता है। परन्तु हरि तरकारियोंके बेचने की दुकानोंके लिये बोर्डको बाईं लों बनानेका अधिकार नहीं दिया गया है। बाईं लोंके द्वारा, बोर्ड यह निश्चय कर सकता है कि पशु, मांस और मछलीके बाजारों और दुकानोंके लिये, तथा हरि तरकारियोंके बाजारोंके लिये, लैसन्स लिया जाय। ऐसी दशामें बोर्डको पूरा अधिकार इस बातका प्राप्त होता है कि उपरोक्त प्रकारके कोई नये बाजार या नई दुकानें, लैसन्स देनेसे मना करके, स्थापित न होने दें। नये बाजार और नई दुकानोंके विषयमें बोर्डको ऐसे विस्तृत अधिकारोंका दिया जाना न्याय युक्त नहीं जान पड़ता, कारण यह कि प्रायः म्यूनिसिपलटिया स्वयं अपने बाजार खोल लिया करती हैं, और ऐसी दशामें बोर्ड किसीको लैसन्स नहीं देना चाहता। जाताके सुभीतेकी चिन्ता की अपेक्षा बोर्डको प्रकृत्या, अपने बाजारकी आमदनीकी चिन्ता अधिक होती है। और यदि बोर्ड, किसी नये बाजार या नई दुकानके खोले जानेके लिये लैसन्स न दे तो बोर्डके ऐसे हुक्मकी अपील भी दफा ३१८ के अनुसार, नहीं हो सकती।

—उप दफा (२) के द्वारा, उन बाजारों और दुकानोंके सम्बन्धमें जो पहलेसे स्थापित हों, बोर्डके अधिकार सीमाबद्ध कर दिये गये हैं। और माननीय इलाहाबाद तथा कलकत्ता हाईकोर्टोंने भी नीचे लिखे दो मुकद्दमोंमें बार्डके, बाजार आदि के सम्बन्धके अधिकारोंका, बड़ा विरोध किया है। पहला मुकद्दमा मोरन वगैर बनाम चेरमैन, मोतीदारी म्यूनिसिपलटी, 17 Cal I L R 329 का था। मुद्दयोंका एक बहुत पुराना बाजार था म्यूनिसिपलटीने भी अपना एक बाजार स्थापित किया और मुद्दयोंको लैसन्स देनेसे मना कर दिया। मुद्दई मुकद्दमा हाईकोर्ट तक ले गये। यद्यपि, हाईकोर्ट, मुकद्दमेका फैसला मुद्दयोंके अनुकूल न कर सका, (हाईकोर्टने यह निश्चय किया कि म्यूनिसिपलटी की सगदित सस्थाओं (Corporations) को अपने कर्तव्योंके पालन करनेका हुक्म देनेका अधिकार कलकत्ता हाईकोर्टको कानूनने नहीं दिया है) तथापि सजर्जीजमें इस बातकी ओर, घटे शोकसे ध्यान दिलाया, कि ऐसी दशामें, कानून मुद्दयोंको हर्जा दिलानेकी आज्ञा भी नहीं देता। मुद्दयोंका बाजार बन्द कर दिये जानेका, उनको किसी प्रकारका बदला नहीं मिलता कानूनने मुद्दयोंको बिल्कुल निरोपण छोड़ दिया है। "यह बात अत्यन्त शोकजनक है कि कोई ऐक्ट (कानून) इस प्रकार बनाया जाय, जैसे कानून प्रायः बनाये जाते हैं, अर्थात् जिनमें निजी अधिकारों पर, सविचार ध्यान नहीं दिया जाय और उनका मान और रक्षा करनेकी चिन्ता न की जाय"।

दूसरा मुकद्दमा, अर्थात् गगाराम बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड कानपुर, 1897 A. W. N. 6। हलाहाबाद हाईकोर्टके सामने पेश हुआ। मुद्देका एक बहुत पुराना, डरी तरकारियोंका, बाजार था जिसको म्यूनिसिपलटीने अपने बाजारके लाभके लिये बन्द करना चाहा। मुद्देने दावा किया। बोर्डके नाम हुक्म इम्तनाई निकाला जाय कि मुद्देके बाजारमें हस्तक्षेप न करे। बोर्डने यह जवाब लगाया कि म्यूनिसिपलटीके नियमोंके अनुसार, मुद्देको, बिना बोर्ड की आज्ञाके, कोई नया बाजार स्थापित करने, या पुराना जारी रखने, का अधिकार नहीं है। इस मुकद्दमे की घटनायें, जो हाईकोर्टने अपनी तजवीजमें तिरस्कारयुक्त शब्दोंमें दिखाई हैं, साक्षी देती हैं, कि म्यूनिसिपल बोर्डों के इस धांधली किये जानेकी कहा तक सम्भावना है। ता० पहले, बोर्डने २३ जुलाईको मुद्देको नोटिस दिया कि बाजार तुरन्त बन्द कर दो। ता० २५ को नोटिस दिया गया कि मुद्देने जो बाजार नया लगा आरम्भ किया है उसको बन्द कर दें। इस दूसरे नोटिसके देनेकी आवश्यकता यह पडी कि बोर्डने यह ज्ञात हुआ कि जो नियम उस समय प्रचलित थे उनके द्वारा बोर्डको केवल नये बाजारोंकी। मनाई करनेका अधिकार था। मुद्देने फिर भी अपना बाजार, जारी रखा। तब बोर्डने गंगानारायण भाई पर फौजदारीका मुकद्दमा चलाया। अदालतने तजवीज किया कि बाजार पुराना था, अतएव अपराधीको छोड़ दिया। तब भी बोर्डको सन्तोष न हुआ। बोर्डने प्रान्तीय सरकारसे प्रार्थनाकी। नियममेंसे शब्द "नया" निकाल दिया जाय, जिससे बोर्डको पुराने बाजारोंके बन्द करा देनेका अधिकार हो जाय। पहले तो प्रान्तीय सरकारने यह तरजीम करनेसे मना कर दिया, परन्तु पब्लिक वयवहार करके किसी प्रकार बोर्डने एक ऐसा नियम मंजूर करा लिया जिसके द्वारा बोर्डको नये पुराने बाजारोंको बन्द करानेका अधिकार प्राप्त होगया। मुद्देने तब यह दावा दायर किया। जितने जजने यह निश्चय किया कि बाजार बहुत पुराना था और यह कि उसका प्रयन्ध ऐसा उत्तम था कि उसके विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा जा सकता। हाईकोर्टने जिला जजकी यह राय स्वीकार की और लिखा कि "यद्यपि कानपुर के म्यूनिसिपल बोर्ड ने मुद्दे को बरबाद करना ठान लिया था तथापि बोर्ड की ओरसे इतना अवश्य कहा जा सकता है कि उसने बाजार के प्रयन्धके विरुद्ध कोई बात कभी कहने का साहस नहीं किया।" हाईकोर्ट ने अन्तमें तजवीज किया कि कानून का मन्सा यह नहीं हो सकता कि म्यूनिसिपल बोर्ड को कोई ऐसा अधिकार दे कि जिसके द्वारा बोर्ड किसी के निजी अधिकारों को अपनी आमदनी बढ़ाने के लिये जन्त करले। और बोर्ड मुद्दे और मुद्दे के बाजार के सम्बन्ध में करना यही चाहता था। अतएव हाईकोर्ट ने अपील मंजूर की और म्यूनिसिपल बोर्डके नाम हुक्म इम्तनाई जारी करा दिया कि मुद्देके बाजारमें यह हस्तक्षेप न करे।

—उपदफा (२) के शब्दों पर विचार करना चाहिये। इस के द्वारा किसी बोर्ड को यह अधिकार है कि नये बाजार आदि के लिये, बिना किसी कारण ही के, लैसन्स देना मना कर दे। इसने विरुद्ध जो बाजार या दूकानें पहले से स्थापित हों, उनको लैसन्स देने से, योंडे उस दशा में हुक्म कर सकता है जो उक्त उपदफा के क्लॉज (ए) और (बी) में बताई गई हैं।

—ऊपर बताया जा चुका है कि किसी नये बाजार आदि को लैसन्स देने से मना कर देने के हुक्म की अपील नहीं हो सकती। परन्तु जो बाजार या दूकानें पहले से स्थापित हों उनको लैसन्स देने के हुक्म की अपील दफा ३१८ के अनुसार की जा सकती है।

दफा २४२ उन पशुओंको, जो दूधके लिये रखे जाय, या जिनका मांस खानेके काममें लाया जाय, अनुचित खाद्य देना जो कोई शख्स किसी ऐसे पशु को, जो दूध के लिये रखा गया हो, या जिसका

मांस खाने के काम में लाया जा सकता हो, अशुद्ध या हानिकारक वस्तुएं खिलायगा, या खिलाने की किसी दूखरेको आह्ला देगा, उसको, अपराध के साक्षित हो जाने पर, जुर्माना का दण्ड दिया जायगा, जिसकी संख्या ५० रुपये तक हो सकती है।

दफा २४३ खाने या पीनेकी वस्तुओं और औपधियोंके बेचनेके स्थानों का मुआइना (जांच) करना

बोर्ड का चेयरमैन तथा एक्जिक्यूटिव अफसर और यदि रेजोल्यूशनके द्वारा जो इस विषय में हो, अधिकार दिया जाय, तो कोई अन्य मेम्बर या अफसर या कर्मचारी, बिना सूचना दिये हुए, दिन या रात्रि के किसी समय पर, किसी ऐसे बाजार या दूकान या स्टाल (Stall अर्थात् छोटी दूकान) में, या किसी ऐसे स्थान में, जो मनुष्य के खाने या पीने की वस्तुओं के बेचने के काम में लाया जाता हो, या जो पशुओं को बध करने के काम में लाया जाता हो, या जो औपधियों के बेचने के काम में लाया जाता हो, प्रवेश कर सकता है, और उसकी जांच कर सकता है, और किसी ऐसे खाने पीने की वस्तु, या पशु, या औपधि को जो उसके भीतर हो, जांच और परीक्षा कर सकता है।

दफा २४४ हानिकारक वस्तुओं को कब्जेमें लेना, तथा हिंसक और प्रभावहीन औपधियों को हटवाना

१ यदि, इससे पहली वाली दफा के अनुसार, किसी स्थान की जांच करते हुये, यह विदित हो, कि खाने या पीने का कोई पदार्थ, या कोई पशु, जिसके देखने से यह बोध हो कि वह मनुष्य के खाने के काम में लाया जाने वाला है, और यह कि मनुष्य के काम में लाये जाने के योग्य वह नहीं है, बोर्ड उसको अपने कब्जे में ले के हटवा दे सकता है, या उसको नष्ट करवादे सकता है, या उसको इस प्रकार ठिकाने लगाने का प्रबन्ध कर सकता है कि वह बेचे जाने के लिये न रखा जा सके (Exposed for Sale) या मनुष्य के खाने के काम में न लाया जा सके।

२ यदि उचित कारणों से यह राका उत्पन्न हो कि किसी औपधि में किसी अन्य वस्तु का अनुचित रूप से मेल किया गया है, या यह राका उत्पन्न हो कि पुरानी हानि के कारण, या ऋतुओं के प्रभावसे, वह प्रभावहीन (बेतासीर) हो गई है, या अन्य किसी प्रकार वह ऐसी बिगड़ गई है कि उसका प्रभाव कम हो गया है, या जो प्रभाव उसके काममें लाये जानेसे होता है वह बदल गया है, या यह कि वह हानिकार हो गई है, तो बोर्ड, रसीद देकर, उसको उठवा ले जा सकता है, और उसको किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकता है।

३ यदि किसी ऐसे मजिस्ट्रेट को, जिसके सामने कोई औपधि उपदफा (२) के अनुसार पेश की जाय, यह विदित हो कि उक्त औपधि में उचित रूप से कोई मेल किया गया है, या यह कि वह प्रभावहीन अथवा हानिकारक हो गई है, या बिगड़ गई है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, तो वह आज्ञा दे सकता है कि वह नष्ट कर दी जाय, या यह आज्ञा दे सकता है कि उसका, उस प्रकार ठिकाने लगाया जाय, जैसा कि यह

उचित समझे। और यदि यह विदित हो कि कोई अपराध किया गया है, तो उस अपराध के सम्बन्ध में मुकद्दमे की कार्रवाई करना आरम्भ कर सकता है।

ज्याख्या—

खाने पीने की वस्तुओं के विषय में स्वयं बोर्ड को उनके नष्ट करा देने, या अन्य प्रकार ठिकाने लगवाने का हुक्म देने का अधिकार दिया गया है, परन्तु औपधियों के विषय में ऐसा कोई हुक्म कोई मजिस्ट्रेट ही दे सकता है। दफा २९८ की मद (जे) के अंश (एच) के द्वारा बोर्ड को अधिकार दिया गया है कि बाई-लॉ बनाके यह आज्ञा दे दे कि औपधियां बेचने अथवा उनको मिला कर देने के लिये बोर्ड से लैसन्स लिया जाय।

खाने पीने के ऐसे पदार्थों या औपधियों को जिनमें कि मेल किया गया हो, या जो हानि कारक आदि हों, नष्ट करवा देने या हटवा देने के अतिरिक्त बोर्ड को यह भी अधिकार होगा कि मेल करने वाले या बेचने वाले शास्त्र पर, ताजीरात हिन्द की दफा २७२, २७३, २७४, २७५, के अनुसार, जैसी दशा हो, मुकद्दमा चलाये, दफा २७२ के द्वारा, खाने पीने की किसी वस्तु में इस इच्छा से मेल करना कि वह बेची जाय, अपराध माना गया है। दफा २७३ के द्वारा खाने पीने की कोई ऐसी वस्तु बेचना या बेचने के लिये रचना, जो वस्तु कि हानिकारक हो, या जिसकी ऐसी दशा हो कि वह खाने पीने के अयोग्य हो, अपराध है। दफा २७४ के अनुसार किसी औपधि में कोई ऐसा मेल, जिससे उसका प्रभाव कम हो जाय, या बदल जाय, या जिसके कारण वह हानिकारक हो जाय, इस इच्छा से करना कि वह बेची जाय, अपराध है। दफा २७५ के अनुसार, जो शास्त्र, यह जानते हुये; कि किसी औपधि में मेल किया गया है, जिसके कारण उसका प्रभाव कम हो गया है, या बदल गया है, या वह हानिकारक हो गई है, उसको बेचने, या बेचने के लिये रखे, या औपधालय से उसको दे, या उसका औपधि की तरह प्रयोग कराये, वह अपराधी ठहराया जायगा।

—इस दफाके सम्बन्धमें देखिये “संयुक्त प्रान्तका, खाद्य पदार्थों तथा औपधियों में मेल किये जानेकी मनाहीका कानून” ऐक्ट न० ६, सन १९१२ ई० The united Provinces Prevention of Adulteration Act VI of 1922 उक्त ऐक्टके हुक्म केवल उसी स्थानमें लागू होते हैं जिनमें वह प्रान्तीय सरकारके द्वारा लागू कर दिये जाय। और प्रान्तीय सरकारको यहभी अधिकार है कि उक्त ऐक्टके हुक्मों को किसी विशेष खाद्य पदार्थ अथवा औपधि के सम्बन्ध में लागू कर दे। प्रान्तीय सरकारने उक्त ऐक्टके हुक्म दूध, मक्खन, घी, खाने के तेल और औपधियों के विषय में, ता० पहली अप्रैल सन १९१४ ई० से यरेली, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर और धनारस की म्यूनिसिपलटियों पर लागू कर दिये हैं (देखिये विज्ञापन No 99 XVI-80 ता० १८ मार्च, सन १९१४ ई०)।

—म्यूनिसिपलटियों के लिये उक्त ऐक्टके अनुसार जो इन्स्पेक्टर नियुक्त किये जाते हैं, उनकी नियुक्ति और अधिकारों के विषय में नीचे लिखे नियम बना दिये गये हैं —

१ म्यूनिसिपलटी के किसी रकबे के लिये, जिसमें कि संयुक्त प्रान्त का “खाद्य पदार्थों और औपधियों में मेल किये जाने की मनाहीका कानून” (न० ६, सन १९१२ ई०) के हुक्म लागू कर दिये गये हों, म्यूनिसिपलटी का हेल्थ अफसर (Health officer) “सरकारी इन्स्पेक्टर” होगा।

२ किसी म्यूनिसिपल रकबे का सरकारी इन्स्पेक्टर, उन अधिकारों को धरतने में, जो आगे नियमित हैं, म्यूनिसिपल बोर्ड की साधारण निगरानी में रहेगा।

३ किसी म्यूनिसिपल रकबे का सरकारी इन्स्पेक्टर, समय २ पर प्रत्येक ऐसे बाजार, इमारत, दूकान, स्टाल (Stall अर्थात् छोटी दूकान), या स्थान में, जो ऐसे रकबे के भीतर हों, और जिसमें खाने के पदार्थ या औषधियां, बेची जाती हों या सज्ज्य की जाती हों, या बेचने के लिये पेश की जाती हों, या निकाल के रखी जाती हों, या तैयार की जाती हों, या लाई जाती हों, प्रवेश करेगा, और उसकी जाच करेगा। और किसी ऐसे खाद्य पदार्थों की, अथवा औषधियों की, जो उसके भीतर हों और जिन पर उक्त ऐक्ट के हुक्म लागू कर दिये गये हों, जाच और परीक्षा करेगा।

४ सरकारी इन्स्पेक्टर को अधिकार होगा कि किसी ऐसे खाद्य पदार्थों के, जिन पर उक्त ऐक्ट के हुक्म लागू कर दिये गये हों, नमूने प्राप्त करे और उनको जाच (Analysis) के लिये सरकारी जाच करने वाले (Public Analysis) के पास भेजे।

५ किसी रकबे में जिसके लिये कि सरकारी इन्स्पेक्टर नियुक्त कर दिया गया हो, कोई स्थानीय अधिकारी (Local Authority), किसी अन्य शख्स को, उक्त ऐक्ट की दफा ८ के अनुसार, सरकारी जाच करने वाले से जाच कराने के लिये, खाद्य पदार्थों तथा औषधियों के नमूने प्राप्त करने का अधिकार न देगा। विज्ञान No 97 XVI 80 तारीख १८ मार्च सन १९१४ ई०।

कुछ विशिष्ट व्यापारों तथा पेशों से क्लेश

(Nuisances from Certain trades and professions)

दफा २४५ कष्टदायक व्यापारोंका प्रबन्ध

१ यदि बोर्ड को इस बात का विश्वास हो जाय, कि म्यूनिसिपलटी की हदों के भीतर, कोई इमारत या स्थान, जो कि कोई शख्स कारखानेकी तरह, अथवा काम काज करने की स्थान की तरह, किसी वस्तु के तैयार किये जाने या, सज्ज्य किये जाने, या किसी वस्तु के सम्बन्ध में कोई काम किये जाने या, उसको अलग करने के काम में लाता है, या काम में लाने का इरादा कर रहा है, और इस प्रकार काम में लाने से जनता को कोई क्लेश पहुँचता है, या इस प्रकार काम में लाने के इरादे के कारण जनता को कोई क्लेश पहुँचने की सम्भावना है तो बोर्ड, यदि यह चाहे, नोटिस के द्वारा उक्त इमारत या स्थान के मालिक या क्राबिज को आज्ञा दे सकता है कि—

(ए) वह उक्त इमारत या स्थान को ऐसे मतलब के लिये काम में लाने से बाज रहे (अर्थात् काम में न लाय), या किसी दूसरे को काम में लाने देने से बाज रहे।

(बी) वह उक्त इमारत या स्थान को, उक्त मतलब के लिये, केवल ऐसी शर्तों पर, या उसकी घनावट में ऐसे परिवर्तन करने के पश्चात्, काम में लाय, या किसी दूसरे को काम में लाने दे, जो बोर्ड नोटिस में इस दृष्टेय से लगाये, या नियमित करे, कि उक्त इमारत या स्थान के उक्त मतलब के लिये काम में लाय जाने के सम्बन्ध में कोई उल्लंघन न किया जा सके।

२ जो शख्स ऐसे नोटिस के पाने के उपरान्त, जो उपदफा (१) के अनुसार दिया गया हो, किसी इमारत या स्थान को उक्त नोटिस की आज्ञा के विरुद्ध काम में लायगा,

उचित समझे। और यदि यह विदित हो कि कोई अपराध किया गया है, तो उस अपराध के सम्बन्ध में मुकद्दमे की कार्रवाई करना आरम्भ कर सकता है।

व्याख्या—

खाने पीने की वस्तुओं के विषय में स्वयं बोर्ड को उनके नष्ट करा देने, या अन्य प्रकार ठिकाने लगवाने का हुक्म देने का अधिकार दिया गया है, परन्तु औपधियों के विषय में ऐसा कोई हुक्म कोई मजिस्ट्रेट ही दे सकता है। दफा २९८ की मद (जे) के अंश (एच) के द्वारा बोर्ड को अधिकार दिया गया है कि वार्ड लॉ बनाके यह आज्ञा दे दे कि औपधियां बेचने अथवा उनको मिला कर देने के लिये बोर्ड से लैसन्स लिया जाय।

खाने पीने के ऐसे पदार्थों या औपधियों को जिनमें कि मेल किया गया हो, या जो हानि कारक आदि हों, नष्ट करवा देने या हटवा देने के अतिरिक्त बोर्ड को यह भी अधिकार होगा कि मेल करने वाले या बेचने वाले शख्स पर, ताजीरात हिन्द की दफा २७२, २७३, २७४, २७५, के अनुसार, जैसी दशा हो, मुकद्दमा चलाये, दफा २७२ के द्वारा, खाने पीने की किसी वस्तु में इस ह्दछा से मेल करना कि वह बेची जाय, अपराध माना गया है। दफा २७३ के द्वारा खाने पीने की कोई ऐसी वस्तु बेचना या बेचने के लिये रखना, जो वस्तु कि हानिकारक हो, या जिसकी ऐसी दशा हो कि वह खाने पीने के न्योग्य हो, अपराध है। दफा २७४ के अनुसार किसी औपधि में कोई ऐसा मेल, जिससे उसका प्रभाव कम हो जाय, या बदल जाय, या जिसके कारण वह हानिकारक हो जाय, इस ह्दछा से करना कि वह बेची जाय, अपराध है। दफा २७५ के अनुसार, जो शख्स, यह जानते हुये; कि किसी औपधि में मेल किया गया है, जिसके कारण उसका प्रभाव कम हो गया है, या बदल गया है, या वह हानिकारक हो गई है, उसको बेचे, या बेचने के लिये रखे, या औपधालय से उसको दे, या उसका औपधि की तरह प्रयोग कराये, वह अपराधी ठहराया जायगा।

—इस दफाके सम्बन्धमें देखिये “संयुक्त प्रान्तका, खाद्य पदार्थों तथा औपधियों में मेल किये जानेकी मनाहीका कानून” ऐक्ट न० ६, सन १९१२ ई० The united Provinces Prevention of Adulteration Act VI of 1922 उक्त ऐक्टके हुक्म केवल उसी स्थानमें लागू होते हैं जिनमें वह प्रांतीय सरकारके द्वारा लागू कर दिये जाय। और प्रांतीय सरकारको यह भी अधिकार है कि उक्त ऐक्टके हुक्मों को किसी विशेष खाद्य पदार्थ अथवा औपधि के सम्बन्ध में लागू कर दे। प्रांतीय सरकारने उक्त ऐक्टके हुक्म दूध, मक्खन, घी, खाने के तेल और औपधियों के विषय में, ता० पहली अप्रैल सन १९१४ ई० से बरेली, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर और बनारस की म्यूनिसिपलटियों पर लागू कर दिये हैं (देखिये विज्ञापन No 99 XVI-80 ता० १८ मार्च, सन १९१४ ई०)।

—म्यूनिसिपलटियों के लिये उक्त ऐक्टके अनुसार जो इन्स्पेक्टर नियुक्त किये जाते हैं, उनकी नियुक्ति और अधिकारों के विषय में नीचे लिखे नियम बना दिये गये हैं —

१ म्यूनिसिपलटी के किसी रकबे के लिये, जिसमें कि संयुक्त प्रान्त का “खाद्य पदार्थों और औपधियों में मेल किये जाने की मनाहीका कानून” (न० ६, सन १९१२ ई०) के हुक्म लागू कर दिये गये हों, म्यूनिसिपलटी का हेरथ अफसर (Health officer) “सरकारी इन्स्पेक्टर” होगा।

२ किसी म्यूनिसिपल रकबे का सरकारी इन्स्पेक्टर, उन अधिकारों को धरतने में, जो आगे नियमित हैं, म्यूनिसिपल बोर्ड की साधारण निगरानी में रहेगा।

३ किसी म्यूनिसिपल रकबे का सरकारी इन्स्पेक्टर, समय २ पर प्रत्येक ऐसे बाजार, इमारत, दूकान, स्टाल (Stall अर्थात् छोटी दूकान), या स्थान में, जो ऐसे रकबे के भीतर हों, और जिसमें खाने के पदार्थ या औषधियां, बेची जाती हों या सज्ज्य की जाती हों, या बेचने के लिये पेश की जाती हों, या निकाल के रखी जाती हों, या तैयार की जाती हों, या लाई जाती हों, प्रवेश करेगा, और उसकी जाच करेगा। और किसी ऐसे खाद्य पदार्थों की, अथवा औषधियों की, जो उसके भीतर हों और जिन पर उक्त टिकट के हुक्म लागू कर दिये गये हों, जाच और परीक्षा करेगा।

४ सरकारी इन्स्पेक्टर को अधिकार होगा कि किसी ऐसे खाद्य पदार्थों के, जिन पर उक्त टिकट के हुक्म लागू कर दिये गये हों, नमूने प्राप्त करे और उनको जाच (Analysis) के लिये सरकारी जाच करने वाले (Public Analysis) के पास भेजे।

५ किसी रकबे में जिसके लिये कि सरकारी इन्स्पेक्टर नियुक्त कर दिया गया हो, कोई स्थानीय अधिकारी (Local Authority), किसी अन्य शख्स को, उक्त टिकट की दफा ८ के अनुसार, सरकारी जाच करने वाले से जाच कराने के लिये, खाद्य पदार्थों तथा औषधियों के नमूने प्राप्त करने का अधिकार न देगा। विज्ञान No 97 XVI 80 तारीख १८ मार्च सन १९१४ ई०।

कुछ विशिष्ट व्यापारों तथा पेशों से क्लेश (Nuisances from Certain trades and professions)

दफा २४५ कष्टदायक व्यापारोंका प्रवन्ध

१ यदि बोर्ड को इस बात का विश्वास हो जाय, कि म्यूनिसिपलटी की हदों के भीतर, कोई इमारत या स्थान; जो कि कोई शख्स कारखानेकी तरह, अथवा काम काज करने की स्थान की तरह, किसी वस्तु के तैयार किये जाने या, सज्ज्य किये जाने, या किसी वस्तु के सम्बन्ध में कोई काम किये जाने या, उसको अलग करने के काम में लाता है, या काम में लाने का इरादा कर रहा है, और इस प्रकार काम में लाने से जनता को कोई क्लेश पहुँचता है, या इस प्रकार काम में लाने के इरादे के कारण जनता को कोई क्लेश पहुँचने की सम्भावना है तो बोर्ड, यदि वह चाहे, नोटिस के द्वारा उक्त इमारत या स्थान के मालिक या क्वाजिज को आज्ञा दे सकता है कि—

(ए) वह उक्त इमारत या स्थान को ऐसे मतलब के लिये काम में लाने से बाज रहे (अर्थात् काम में न लाय), या किसी दूसरे को काम में लाने देने से बाज रहे।

(बी) वह उक्त इमारत या स्थान को, उक्त मतलब के लिये, केवल ऐसी शर्तों पर, या उसकी घनावट में ऐसे परिवर्तन करने के पश्चात्, काम में लाय, या किसी दूसरे को काम में लाने दे, जो बोर्ड नोटिस में इस दृष्ट्य से लगाये, या नियमित करे, कि उक्त इमारत या स्थान के उक्त मतलब के लिये काम में लाय जाने के सम्बन्ध में कोई उन्न न किया जा सके।

२ जो शख्स ऐसे नोटिस के पाने के उपरान्त, जो उपदफा (१) के अनुसार दिया गया हो, किसी इमारत या स्थान को उक्त नोटिस की आज्ञा के विरुद्ध काम में लायगा,

या किसी दूसरे को काम में लाने देगा, उसको, अपराध के साबित हो जाने पर, जुर्माना का दण्ड दिया जायगा, जिसकी सख्या दो सौ रुपये तक हो सकती है, और उस तारीख के उपरान्त जिस पर कि पहली बेर अपराध साबित हो, प्रत्येक ऐसे दिन के विषय में जिसमें वह शख्स उक्त इमारत या स्थान को उक्त प्रकार काम में लाय, या किसी दूसरे को काम में लाने दे, अधिक जुर्माना होता जायेगा, जिसकी सख्या प्रति दिन के लिये चालीस रुपये तक हो सकती है।

३ प्रान्तीय सरकार, विज्ञापन के द्वारा, इस दफा के हुक्मों को, या दफा २९८ की मद (जी) के अनुसार बनाये हुए किसी बाई-लों के हुक्मों को, किसी ऐसे रकवेपर लागू कर सकती है, जो म्यूनिसिपलटी के बाहर हो और जो म्यूनिसिपलटी की हद् से एक मील के भीतर हो।

व्याख्या—

“जनता के लिये छेदा” (Public Nuisance) समुक्त प्रान्त के जनरल क्लॉजिज ऐक्ट की दफा ४ के अनुसार पब्लिक न्युसेन्स (अर्थात् कोई ऐसा काम जिसके द्वारा जनता को छेदा पहुँचे), की व्याख्या बड़ी मानी गई है जो ताजीरात हिन्दू में दी गई है। ताजीरात हिन्दू की दफा २६८ में “पब्लिक न्युसेन्स” की व्याख्या इस प्रकार दी गई है—

“कोई शख्स “पब्लिक न्युसेन्स” अर्थात् जनता को छेदा पहुँचाने वाला काम, के करने का अपराधी होगा, जो कोई ऐसा काम करे, या जो कानून के विरुद्ध कोई ऐसी भूल करे, जिस काम या भूल के द्वारा जनता को कोई हानि, भय, या कष्ट पहुँचे, या जिसके द्वारा उन सब लोगों को जो आस पास में रहते हैं या जिनका आस पास की किसी जायदाद पर कब्जा हो उनको कोई हानि, भय, या कष्ट हो, या जिसके द्वारा किसी ऐसे शख्स को जिसको कोई सार्वजनिक हक बरतने का अवसर पड़े हानि, रुकावट, भय, या कष्ट पहुँचना अनिवार्य हो।

कोई ऐसा काम जिसके द्वारा सबको कष्ट पहुँचे (Common nuisance) इस कारण माफ नहीं किया जा सकता कि उसके द्वारा कोई सुविधा या लाभ होता है।”

—उन कामों के विषय में, जो “पब्लिक न्युसेन्स” हैं (अर्थात् जिनसे जनता को कष्ट, छेदा, या भय पहुँचता हो या होता हो) इस दफा के द्वारा चौदह को अधिकार दिया गया है, कि चाहे उनको बन्द करा दे, या उनके लिये जाने की किसी शर्तों के आधीन आज्ञा दे। या चौदह यह आज्ञा दे सकता है कि कोई ऐसा काम कि किसी इमारत आदि में किये जाने से पूर्व, उक्त इमारत में अमुक परिवर्तन कर दिया जाय, अर्थात् जो परिवर्तन कि चौदह इस उद्देश्य से उचित समझे कि उस काम के किये जाने के कारण कोई कष्ट या भय न हो।—ऐसे कामों के उदाहरण, जिनके द्वारा जनता को कोई छेदा या भय हो, हैं, हड्डियाँ, जाल, या सींग जमा करना, भट्टा या पजावा लगाना, घाम, फूस, लकड़ी या अन्य जलने वाली चीजें जमा करना, पेट्रोलियम या ऐसे ही अन्य जलने वाले तेल जमा करना इत्यादि।

किन्हीं ऐसे काम के विषय में, दफा २४५ के अनुसार, कार्रवाई करने का अधिकार, चौदह को केवल म्यूनिसिपलटी की हद्दों के भीतर ही हो सकता है। परन्तु अनेक व्यापार तथा काम, ऐसे होते हैं जिनकी दुर्गन्ध आदि के कारण उनका म्यूनिसिपलटी की हद्दों के बाहर भी कुछ अन्तर तक किया जाता अथवा नहीं होता। अतएव प्रान्तीय सरकार को, उपदफा (३) के द्वारा, अधिकार

दिया गया है कि, ऐसे कामों के विषय में जो बोर्ड को अधिकार हैं वार्की सीमा को एक मील म्यूनििसिपल्टी की हदों के बाहर तक विस्तृत कर दे।

कण्ट दायक या भयप्रद कामों के विषय में जो अधिकार बोर्ड को दफा २४५ के अनुसार दिये गये हैं, वार्के अतिरिक्त, बोर्ड, वा व्यापारों या कामोंके विषयमें जो दफा २९८ की मद (जी) में गिनाये गये हैं वार्हें लों भी वाा सकता है, और प्रान्तीय सरकार बोर्ड को यह अधिकार दे सकती है कि बोर्ड ऐसे वार्हें लोंको भी म्यूनििसिपल्टी की हदों के बाहर एक मील तक, लायू कर दे। विज्ञापन No 1103 XI 504 E तारीख ५जूनसा १९१८ई० केद्वारा प्रान्तीय सरकार ने उम अधिकारको, जो उसको उपदफा (३) के अनुसार दिया गया है, कमिश्नरोंको सौंप दिया है।

—जो नोटिस, कोई बोर्ड इस दफा के अनुसार जारी करे, उसकी अपील दफा ३९८ के अनुसार की जा सकती है।

(इस दफा के साथ देखिये दफा ३१८ की व्यवस्था, और दफा २९८ की उपदफा (१) की मद (जी) की व्याख्या)।

दफा २४६ दुराचारके उद्देश्य से मारा मारा फिरना और साग्रह दुराचारमें प्रवृत्ति कराना

जो शरुस म्यूनििसिपल्टी की हदों के भीतर, किसी सड़क या गली या सार्वजनिक स्थान में, व्यभिचार के प्रयोजन से मारा २ फिरे या किसी शरुस से व्यभिचार कर्म (Sexual Immorality) करने के लिये अनुरोध करे, उसको अपराध के साबित होने पर, जुर्माने का दण्ड दिया जायगा, जिसकी सख्या पचास रुपये तक हो सकती है। परन्तु शर्त यह है कि कोई अदालत, इस दफा के अनुसार किसी अपराध में, कोई कार्रवाई न करेगी, सिवाय उस शरुस के अर्जों देने पर (Complaint) जिसके साथ अनुरोध किया गया हो, या म्यूनििसिपल्टी के किसी अफसर की अर्जों पर (Complaint) या पुलिस के ऐसे अफसर की अर्जों पर, जिसका पद सब इस्पेक्टर से कम न हो, और जिनको इस विषय में लिखित अधिकार बोर्ड ने और जिन्हा मजिस्ट्रेट ने दिया हो।

नोट—इस दफा के अनुसार चलाये हुये किसी घुनहमें में दफा ३१५ के अनुसार चेरमैन या रेडिकव्यूटिव अफसर को कैसला कर लेने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

दफा २४७ चकले इत्यादि

१ जब किसी दर्जा अद्वल के मजिस्ट्रेट को यह सूचना मिले कि—

(ए) कोई मकान, जो किसी स्तुतिगृह (इवाद्दतगाह), या शिक्षा सम्बन्धी सस्था, या किसी बोर्डिंग हाउस, या हॉस्टल (छात्रों के रहने का स्थान) या भोजनालय (Mess) के समीप हो, जो छात्रों के काममें आता हो, या जिसमें वह निवास करतेहों, चकले की तरह काम में लाया जाता है, या नित्त व्यभिचार कर्म के लिये काम में लाया जाता है, या उसको किसी प्रकार के दुराचारी लोग काम में लाते हैं। या

(बी) कोई मकान, उपरोक्त कामोंके लिये, इस प्रकार काममें लाया जाता है, कि आसपासके भले मानुष निवासियोंको उससे कण्ट पहुँचता है। या

(सी) किसी छावनीके समीप कोई मकान चकलेकी तरह काम में लाया जाता है, या नित्त व्यभिचार कर्मके लिये काम में लाया जाता है।

तो ऐसा मजिस्ट्रेट मकानके मालिक, या किरायेदार, या मैनेजर (प्रबन्धक), या फ़ाब्रिज को, यह आज्ञा दे सकता है कि वह या तो स्वयम्, या एजेण्टके द्वारा, उसके सामने उपस्थित हो, और यदि उसको (अर्थात् मजिस्ट्रेट को) इस बातका विश्वास हो जाय, कि उक्त मकान उस प्रकार काम में लाया जाता है जिसका वर्णन क्लॉज़ (ए), या क्लॉज़ (बी), या क्लॉज़ (सी) में दिया गया है, तो उसको अधि-कार होगा कि लिखित हुक्म के द्वारा, ऐसे मालिक या किरायेदार या मैनेजर या फ़ाब्रिज को, यह आज्ञा दे कि ऐसी अवधि के भीतर, जो उक्त हुक्म में अंकित कर दी जायगी, और जो अवधि हुक्म की तारीख से पाच दिनसे कमकी न होगी, उस मकानको इस प्रकार काममें लाना बन्द कर दे। परन्तु शर्त यह है कि इस उपदफ़ा के अनुसार कोई कार्रवाई केवल—

- १ जिला मजिस्ट्रेटकी मजूरीसे, या उसके हुक्मसे की जायगी। या
- २ तीन या तीनसे अधिक ऐसे शख्सोंकी अर्जी (Complaint) पर की जायगी जो उस मकानके बिल्कुल पास निवास करते हों, जिसके सम्बन्ध में कि अर्जी दी गई हो। या
- ३ उन दशाओमें, जो इस उप दफ़ाके क्लॉज़ (ए) और क्लॉज़ (सी) में वर्णित हैं बोर्ड द्वारा अर्जी दिये जाने पर की जायगी।

२ यदि कोई शख्स, जिसके विरुद्ध किसी मजिस्ट्रेटने उपदफ़ा (१) के अनुसार कोई हुक्म दिया हो, उस अवधि के भीतर जो हुक्ममें अंकित हो उक्त हुक्मकी तामील न करे, तो ऐसा मजिस्ट्रेट उस शख्सको जुर्मानेका दण्ड दे सकता है जिसकी सख्या, उक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात्, प्रत्येक ऐसे दिनके विषय में, जिसमें मकान उक्त प्रकार काममें लाया जावे, पच्चीस रुपये तक हो सकती है।

व्याख्या

किसी विशेष सड़क पर स्थान में, चकले रखने की, या रंढियों को रहने की मनाई कर देने के लिये बोर्ड को वार्ड-लॉ बनाने का अधिकार दफ़ा २९८ की मद (यच) के अश (ई) के द्वारा किया गया है।

— दफ़ा २४७ के अनुसार चलाये हुये किसी मुक़द्दमें में फैसला करने का अधिकार दफ़ा ३१५ के अनुसार प्राप्त नहीं है।

— इस दफ़ा की आज्ञा के अनुसार यह आवश्यक है कि मजिस्ट्रेट शाहादत लेके अपना सतोप करले, कि, अर्जी का बयान ठीक है। जब कि एक दरखास्त एक मुहत्ले के रहने वाले बहुत से लोगों की ओर से इस विषय में दी गई, कि उनके घरों के समीप, मकानों में रंढिया रहती हैं, और वह दरखास्त एक मजिस्ट्रेट के पास भेज दी गई, और मजिस्ट्रेट ने बिना शाहादत लिखे उस दरखास्त पर हुक्म दे दिया, तो हाईकोर्ट ने तनवीज़ किया कि यह आवश्यक था कि मजिस्ट्रेट

प्रथम तो इस बात की गवाहदत लेता कि दरवास्त देने वाले ऐसे लोग थे जो उस मकान के, जिस के विषय में अर्जी दी गई थी विष्कूल समीप रहते थे, और दूसरे इस बात की कि वह मकान ३१ कामों के लिये, जिनका वर्णन दफा २४० के बलॉज (ए) में किया गया है, इस प्रकार काम में लाया जाता था कि उससे आस पास के भलेमानुस निवासियों को कष्ट पहुँचता था। जब तक उक्त दोनों बातों की तहकीकात न की जाय, तब तक मजिस्ट्रेट कानून के अनुसार, कोई हुकम दरवास्त पर नहीं दे सकता था। देखिये इनामन बीबी बनाम सरकार बहादुर, 18 A. L. J 302 = 55 I C 850

दफा २४८ भीख मांगना इत्यादि

जो शख्स, म्यूनिसिपलटी के भीतर, किसी सड़क या गली या सार्वजनिक स्थानमें, हट करके भीख मागे, या किसी दूसरे को भिक्षा देनेके लिये प्रस्तुत करनेके उद्देश्य से कोई व्यंगता या बीमारी या कोई घृणित फोडा या धाव को खोले, या दिखाये, उसको अपराध के साबित होजाने पर जुर्माने का दंड दिया जायगा, जिसकी सख्या बीस रुपये तक हो सकती है।

सार्वजनिक सुरक्षिता

(Public Safety)

दफा २४९ पागल कुत्तों आदिका ठिकाने लगाया जाना

बोर्ड किसी शख्स को यह अधिकार दे सकता है, कि वह किसी कुत्ते या अन्य पशु को, जिसको पागलपन अर्थात् बीमारी हो, या जिसके विषयमें ऐसी बीमारी के होने की, उचित कारणों से, शका की जाती हो, या जिसको किसी ऐसे कुत्ते या अन्य पशु ने काटा हो जिसको उपरोक्त बीमारी हो या जिसके विषय में, उचित कारणों से उपरोक्त बीमारी के होने की शका हो, मार डाले, या मरवा डाले, या किसी ऐसी अवधि के लिये, जिसकी बोर्ड आज्ञा दे, उस को बंद करे या बंद कराये।

व्याख्या—

ऐसे कुत्तों को, जिन का कोई मालिक न हो, मार डालने का अधिकार बोर्ड को दफा १२३ ऐक्ट न० १ सन १९०० ई० के द्वारा तो दिया गया था, परन्तु वर्तमान ऐक्ट की दफा २४९ में, ऐसे कुत्तों को मार डालने का हुकम निकाल दिया गया है। अथवा कुत्तों को मरवा डालने के लिए, यदि बोर्ड चाहे तो दफा २९८ की मद (यच) के अन्त (यल) के अनुसार बाईं लों बना सकता है। बिना बाईं-लों बनाये हुये किसी बोर्ड को आधारा कुत्तों के मरवा डालने का अधिकार प्राप्त न होगा। कुत्तों के विषय में जिन जिन बातों के लिये बाईं लों बनाये जा सकते हैं, उनके लिए देखिये दफा २९८ की मद (यच) के अन्त (यच) से (यल) तक।

दफा २५० मुसका (मुख बाधने की जाली) चढ़ानेका हुकम

१ जहा किसी म्यूनिसिपलटी में, पागल होने की बीमारी फैलने के कारण, बोर्ड की रायमें ऐसा करना आवश्यक हो, तो बोर्ड, आम नोटिसके द्वारा, यह आज्ञा दे सकता है

है, कि ऐसी अवधि के लिये जो वह उचित समझे, या उस समय तक जब तक कि ऐसा नोटिस रद्द न कर दिया जाय, म्यूनिस्सिपलटी के भीतर या म्यूनिस्सिपलटी के किसी भाग के भीतर, सब कुत्तों के मुसंका (मुख बांधने की जाली) चढ़ा दिये जाय।

२ ऐसी अवधि, और समय, के भीतर बोर्ड किसी ऐसे कुत्ते के विषय में, जो उस तारीख के पश्चात्, जो नोटिसमें अंकित हो, बिना मुसंका (मुखबांधनेकी जाली)के खुला हुआ फिरता पाया जायगा, उस अधिकारको बरत सकता है, जो बोर्ड को दफा २४९ के अनुसार दिया गया है।

नोट—आम नोटिस देने की विधि के लिये देखिये दफा ३०४ आम नोटिस की आज्ञाका पालन न किये जाने पर दण्डके लिये देखिये दफा ३०६।

दफा २५१ जो कुत्ते कानूनके अनुसार मार डाले जाय, उनके विषयमें मुआविजा देने की मनाही

किसी ऐसे कुत्ते या अन्य पशुके विषयमें, कोई मुआविजा न दिया जायगा, जो दफा २४९, या २५० के अनुसार मरवा डाला गया हो, या जो किसी ऐसे बाई लॉ के हुक्म के अनुसार जो दफा २९८ की मद (यच्च) के अश (यच्च) या (यल) के अनुसार बनाया गया हो, मरवा डाला गया हो, या जिसके विषय में कोई और कार्रवाई की गई हो।

दफा २५२ मार्गके नियमकी उपेक्षा

जो शख्स किसी सड़क या गलीमें, किसी गाड़ीके हांकने या खींचने, या ढकेलने में सिवाय उस दशाके कि इसके विरुद्ध काम करनेकी वास्तवमें आवश्यकता पड़े जाय—

- (ए) बाई ओर न रहे और
(बी) जब वह, किसी ऐसी गाड़ी के बराबर होकर, निकले जो उसी दिशामें जाती हो, तो उस गाड़ीकी दाहिनी ओर न रहे,

—उसको, अपराधके साबित हो जाने पर, जुर्माने का दण्ड दिया जायगा, जिसकी सख्पा दस रुपये तक हो सकती है।

वचन (Exception) यह दफा किसी ऐसी म्यूनिस्सिपलटी पर, जो पूरी पूरी, या जिसका कोई भाग, पहाड़ी प्रदेश में हो, लागू न होगी।

दफा २५३ बिना लगाये गये गाड़ियोंका चलाना

जो कोई शख्स किसी गाड़ीको हाके, रोका, मबन्ध दिया, को या यह कि किसी सड़क या गलीमें दशाके कि गाड़ीमें उचित साबित हो जाने पर, त— हो सकती है। परन्तु जिसका समर्थन लागू न होगी

दफा २५४ हाथियों आदिको ऐसे अन्तर पर, जहांसे भय न हो, न हटा देना

जो शकल, जिसकी सिपुर्दगीमें कोई हाथी, या ऊट, या रीछ हो, जब कोई घोड़ा पास पहुँचे प्रार्थना (द्रष्टवस्त) किये जाने पर, अपने हाथी या ऊट, या रीछ, को जहा तक सम्भव न हो, ऐसे अन्तर पर न हटा देगा, कि जहा से कोई भय न हो, चाहे उक्त घोड़े पर कोई सवार हो, या वह गाढीमें जुता हो, या उसको पकड़के कोई ले जा रहा हो, उसको अपराधके साबित हो जाने पर, जुर्मानेका दण्ड दिया जायगा, जिसकी सख्या बीस रुपये तक हो सकती है।

दफा २५५ सड़क या गलीमें ढोर बांधनेकी मनाही

१ किसी ऐसे ढोर (मवेशी), या अन्य पशुओंके मालिक, या रखवाले को, जो ढोर या पशु किसी सड़क या गली या सार्वजनिक स्थान में बंधे हुये पाये जाय, या मारे मारे फिरते पाये जाय, अपराध के साबित हो जाने पर, जुर्माने का दण्ड दिया जायगा, जिसकी सख्या बीस रुपये तक हो सकती है।

२ जो पशु कि उस प्रकार बधा हुआ पाया जाय जैसा कि ऊपर बताया गया है, उसको म्यूनििसिपलटीका कोई अफसर, या कर्मचारी, या कोई पुलिस का अफसर, हटा कर बाड़े (मवेशीखाना) में ले जा सकता है, मानो वह पशु मारा मारा फिरता पाया गया है।

ठ्याख्या—

इस दफा के अनुसार पशुओं का सड़कों पर बाधा जाना, या मारा मारा फिरना, स्वयं अपराध माने गये हैं, अर्थात् ऐसे पशुओं के मालिक या रखवाले को अपराधी ठहराये जाने के लिये इस बात के साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि पशु जान बूझ कर छोड़ दिया गया था, या यह कि उसके द्वारा किसी की हानि या कष्ट पहुँचा।

—कैटिल ट्रिपलस ऐक्ट सन १८७१ ई० की दफा ११ के अनुसार केवल ऐसे पशु पकड़ कर बाड़ेको भेजे जा सकते हैं जो किसी सड़क को, या सड़ककी पटरी, या ढाल को, कोई हानि पहुँचायें परन्तु इस दफाकी उपदफा (२) के अनुसार, कोई पशु जो सड़कपर बंधे मिले वही भी बाड़ेको भेजे जा सकते हैं।

—म्यूनििसिपलटी के भूतपूर्व ऐक्ट १० १ सन १९०० ई० की दफा १६७ के द्वारा किसी घोड़े या पशु को छोड़ देना उसी दफा में अपराध माना गया था जब कि वह जान बूझके छोड़ दिया गया हो और जब उससे किसी मनुष्य को कोई हानि, भय, या कष्ट हो या पहुँचे। हाईकोर्ट ने उक्त दफा का अर्थ लगाते हुये यह निश्चय किया था कि यदि किसी का पशु किसी दूसरे शक्ति के हाते में घुसके हानि करे तो उक्त दफा के अनुसार कोई अपराध नहीं होता, क्योंकि दफा के शब्दों के अनुसार आवश्यक यह है कि किसी मनुष्य को हानि, भय, आदि पहुँचे न कि हाते को। देखिये सरकार यहादुर यनाम पाटन दीन, 1905 A. W. N 19=2 A. L. J 261.

हमारे वर्तमान ऐक्ट में इस अपराध की शकल बिल्कुल बदल दी गई है। दफा २५५ में किसी पशु का केवल सड़क या गली या सार्वजनिक स्थान में मारा २ फिरना अपराध माना गया है। परन्तु यदि ऐसा कोई पशु किसी के हाते को कोई हानि पहुँचाये या किसी शकल को हानि पहुँचाये, तो इस दफा के अनुसार ऐसे पशु के मालिक आदि को, दण्ड नहीं दिया जा सकता।

है, कि ऐसी अवधि के लिये जो वह उचित समझे, या उस समय तक जब तक कि ऐसा नोटिस रद्द न कर दिया जाय, म्यूनिसिपलटी के भीतर या म्यूनिसिपलटी के किसी भाग के भीतर, सब कुत्तों के मुसका (सुरा बांधने की जाली) चढ़ा दिये जाय।

२ ऐसी अवधि, और समय, के भीतर बोर्ड किसी ऐसे कुत्ते के विषय में, जो उस तारीख के पश्चात्, जो नोटिसमें अंकित हो, बिना मुसका (सुरा बांधने की जाली) के खुला हुआ फिरता पाया जायगा, उस अधिकारको बरत सकता है, जो बोर्ड को दफा २४९ के अनुसार दिया गया है।

नोट—आम नोटिस देने की विधि के लिये देखिये दफा ३०४ आम नोटिस की आज्ञाका पालन न किये जाने पर दण्ड के लिये देखिये दफा ३०६।

दफा २५१ जो कुत्ते कानूनके अनुसार मार डाले जाय उनके विषयमें मुआविजा देने की मनाही।

किसी ऐसे कुत्ते या अन्य पशुके विषयमें, कोई मुआविजा न दिया जायगा, जो दफा २४९, या २५० के अनुसार मरवा डाला गया हो, या जो किसी ऐसे चाई लों के हुमम के अनुसार जो दफा २९८ की मद (यच) के अग (यच) या (यल) के अनुसार बनाया गया हो, मरवा डाला गया हो, या जिसके विषय में कोई और कार्रवाई की गई हो।

दफा २५२ मार्गके नियमकी उपेक्षा

जो शख्स किसी सड़क या गलीमें, किसी गाड़ीके हांकने या खींचने, या ढक्कलने में सिवाय उस दशाके कि इसके विरुद्ध काम करनेकी वास्तवमें आवश्यकता पड़ जाय—

(ए) चाई ओर न रहे और

(बी) जब वह किसी ऐसी गाड़ी के बराबर होकर निकले जो उसी दिशामें जाती हो, तो उस गाड़ीकी दाहिनी ओर न रहे,

—उसको, अपराधके साबित हो जाने पर, जुर्माने का दण्ड दिया जायगा, जिसकी संख्या दस रुपये तक हो सकती है।

वचन (Exception) यह दफा किसी ऐसी म्यूनिसिपलटी पर, जो पूरी पूरी, या जिसका कोई भाग, पहाड़ी प्रदेशों में हो, लागू न होगी।

दफा २५३ बिना उचित रोशनी लगाये हुये गाड़ियोंका चलाना

जो कोई शख्स रात हो जाने, और दिन निकलनेके बीच, किसी सड़क या गलीमें किसी गाड़ीको हाके, या खींचे, या ढक्कले, सिवाय उस दशाके कि गाड़ीमें उचित रोशनी करनेका प्रबन्ध कर दिया गया हो, उसको, अपराधके साबित हो जाने पर जुर्मानेका दण्ड दिया जायगा, जिसकी संख्या बीस रुपये तक हो सकती है। परन्तु शर्त यह है कि बोर्ड को अधिकार होगा कि विशेष रेजोल्यूशनके द्वारा, जिसका समर्थन कमिश्नरने किया हो, यह आज्ञा दे दे, कि यह दफा ऐसी गाड़ियों पर लागू न होगी - जिनकी गति पदगामियोंकी चालसे अधिक न हो।

दफा २५४ हाथियों आदिको ऐसे अन्तर पर, जहांसे भय न हो, न हटा देना

जो रखल, जिसकी सिपुर्दगीमें कोई हाथी, या ऊट, या रीछ हो, जब कोई घोड़ा पास पहुँचे प्रार्थना (दूरदृष्ट) किये जाने पर अपने हाथी या ऊट, या रीछ, को जहा तक सम्भव न हो, ऐसे अन्तर पर न हटा देगा, कि जहा से कोई भय न हो, चाहे उक्त घोड़े पर कोई सवार हो, या वह गाड़ीमें जुता हो, या उसको पकड़के कोई ले जा रहा हो, उसको अपराधके साबित हो जाने पर, जुर्मानेका दण्ड दिया जायगा, जिसकी सख्या बीस रुपये तक हो सकती है।

दफा २५५ सड़क या गलीमें ढोर बांधनेकी मनाही

१ किसी ऐसे ढोर (मवेशी), या अन्य पशुओंके मालिक, या रखवाले को, जो ढोर या पशु किसी सड़क या गली या सार्वजनिक स्थान में बँधे हुये पाये जाय, या मारे मारे फिरते पाये जाय, अपराध के साबित हो जाने पर, जुर्माने का दण्ड दिया जायगा, जिसकी सख्या बीस रुपये तक हो सकती है।

२ जो पशु कि उस प्रकार बधा हुआ पाया जाय जैसा कि ऊपर बताया गया है, उसको म्यूनिंसिपलटीका कोई अफसर, या कर्मचारी, या कोई पुलिस का अफसर, हटा कर बाड़े (मवेशीखाना) में ले जा सकता है, मानो वह पशु मारा मारा फिरता पाया गया है।

व्याख्या—

इस दफा के अनुसार पशुओं का सड़कों पर बाधा जाना, या मारा मारा फिरना, स्वयं अपराध माने गये हैं, अर्थात् ऐसे पशुओं के मालिक या रखवाले को अपराधी ठहराये जाने के लिये इस बात के साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि पशु जान बूझ कर छोड़ दिया गया था, या यह कि उसके द्वारा किसी को हानि या कष्ट पहुँचा।

—कैटिल ट्रिपास ऐक्ट सन १८७१ ई० की दफा ११ के अनुसार केवल ऐसे पशु पकड़ कर बाड़ेको भेजे जा सकते हैं जो किसी सड़क को, या सड़ककी पट्टी, या ढाल को, कोई हानि पहुँचावे परन्तु इस दफाकी उपदफा (२) के अनुसार, कोई पशु जो सड़कपर बँधे मिले वही भी बाड़ेको भेजे जा सकते हैं।

—म्यूनिंसिपलटी के भूतपूर्व ऐक्ट न० १ सन १९०० ई० की दफा १६७ के द्वारा किसी घोड़े या पशु को डोढ़ देना उसी दशा में अपराध माना गया था जब कि वह जान बूझके छोड़ दिया गया हो और जत्र उससे किसी मनुष्य को कोई हानि, भय, या कष्ट हो या पहुँचे। हाईकोर्ट ने उक्त दफा का अर्थ लगाते हुये यह निश्चय किया था कि यदि किसी का पशु किसी दूसरे शब्द के हाते में घुमके हानि करे तो उक्त दफा के अनुसार कोई अपराध नहीं होता, क्योंकि दफा के शब्दा के अनुसार आवश्यक यह है कि किसी मनुष्य को हानि, भय, आदि पहुँचे न कि हाते को। देमिये सरकार बहादुर बनाम पाटन दीन, 1905 A W N 19=2 A L J 261.

हमारे वर्तमान ऐक्ट में इस अपराध की शकल थिल्डल बदल दी गई है। दफा २५५ में किसी पशु का केवल सड़क या गली या सार्वजनिक स्थान में मारा २ फिरना अपराध माना गया है। परन्तु यदि ऐसा कोई पशु किसी के हाते को कोई हानि पहुँचाये या किसी शब्द को हानि पहुँचावे, तो इस दफा के अनुसार ऐसे पशु के मालिक आदि को, दण्ड नहीं दिया जा सकता।

है, कि ऐसी अवधि के लिये जो वह उचित समझे, या उस समय तक जब तक कि ऐसा नोटिस रद्द न कर दिया जाय, म्यूनिसिपलटी के भीतर या म्यूनिसिपलटी के किसी भाग के भीतर, सब कुत्तों के मुसका (मुरा बांधने की जाली) चढ़ा दिये जायं ।

२ ऐसी अवधि, और समय, के भीतर बोर्ड किसी ऐसे कुत्ते के विषय में, जो उस तारीख के पश्चात्, जो नोटिसमें अंकित हो, बिना मुसका (मुराबांधनेकी जाली) के खुला हुआ फिरता पाया जायगा, उस अधिकारको धरत सकता है, जो बोर्ड को दफा २४९ के अनुसार दिया गया है ।

नोट—आप नोटिस देने की विधि के लिये देखिये दफा ३०४ आप नोटिस की आसका पालन न भिये जाने पर दण्ड के लिये देखिये दफा ३०६ ।

दफा २५१ जो कुत्ते कानूनके अनुसार मार डाले जायं उनके विषयमें मुआविजा देने की मनाही.

किसी ऐसे कुत्ते या अन्य पशुके विषयमें, कोई मुआविजा न दिया जायगा, जो दफा २४९, या २५० के अनुसार मरवा डाला गया हो, या जो किसी ऐसे बाई लों के हुकम के अनुसार जो दफा २९८ की मद (यच) के अश (यच) या (यल) के अनुसार बनाया गया हो, मरवा डाला गया हो, या जिसके विषय में कोई और कार्रवाई की गई हो ।

दफा २५२ मार्गके नियमकी उपेक्षा-

जो शख्स किसी सड़क या गलीमें, किसी गाड़ीके हांकने या खींचने, या ठकेलने में सिवाय उस दशाके कि इसके विरुद्ध काम करनेकी वास्तवमें आवश्यकता पड़े जाय—

(ए) बाई ओर न रहे और

(बी) जब वह, किसी ऐसी गाड़ी के बराबर होकर निकले जो उसी दिशामें जाती हो, तो उस गाड़ीकी दाहिनी ओर न रहे,

—उसको, अपराधके साबित हो जाने पर, जुर्माने का दण्ड दिया जायगा, जिसकी संख्या दस रुपये तक हो सकती है ।

वचन (Exception) यह दफा किसी ऐसी म्यूनिसिपलटी पर, जो पूरी पूरी, या जिसका कोई भाग, पहाड़ी प्रदेश में हो, लागू न होगी ।

दफा २५३ बिना उचित रोशनी लगाये हुये गाड़ियोंका चलाना

जो कोई शख्स रात हो जाने, और दिन निकलनेके बीच, किसी सड़क या गलीमें किसी गाड़ीको हाके, या खींचे, या ठकेले, सिवाय उस दशाके कि गाड़ीमें उचित रोशनी करनेका प्रबन्ध कर दिया गया हो; उसको, अपराधके साबित हो जाने पर जुर्मानेका दण्ड दिया जायगा, जिसकी संख्या बीस रुपये तक हो सकती है । परन्तु शर्त यह है कि बोर्ड को अधिकार होगा कि विशेष रेजोल्यूशनके द्वारा, जिसका समर्थन कमिश्नरने किया हो, यह आज्ञा दे दे, कि यह दफा ऐसी गाड़ियों पर लागू न होगी - निम्नकी गति पद्गामियोंकी चालसे अधिक न हो ।

दफा २५४ हाथियों आदिको ऐसे अन्तर पर, जहांसे भय न हो, न हटा देना

जो शख्स, जिसकी सिपुर्दगीमे कोई हाथी, या ऊट, या रीछ हो, जब कोई घोडा पास पहुँचे प्रार्थना (दरखवास्त) किये जाने पर, अपने हाथी या ऊट, या रीछ, को जहाँ तक सम्भव न हो, ऐसे अन्तर पर न हटा देगा, कि जहाँ से कोई भय न हो, चाहे उक्त घोडे पर कोई सवार हो, या वह गाडीमें जुता हो, या उसको पकड़के कोई ले जा रहा हो, उसको अपराधके साबित हो जाने पर, जुर्मानेका दण्ड दिया जायगा, जिसकी सख्या बीस रुपये तक हो सकती है।

दफा २५५ सड़क या गलीमें ढोर बांधनेकी मनाही

१ किसी ऐसे ढोर (मवेशी), या अन्य पशुओंके मालिक, या रखवाले को, जो ढोर या पशु किसी सड़क या गली या सार्वजनिक स्थान में बँधे हुये पाये जाय, या मारे मारे फिरते पाये जाय; अपराध के साबित हो जाने पर, जुर्माने का दण्ड दिया जायगा, जिसकी सख्या बीस रुपये तक हो सकती है।

२ जो पशु कि उस प्रकार बधा हुआ पाया जाय जैसा कि ऊपर बताया गया है, उसको म्यूनििसिपलटीका कोई अफसर, या कर्मचारी, या कोई पुलिस का अफसर, हटा कर बाडे (मवेशीखाना) में ले जा सकता है, मानो वह पशु मारा मारा फिरता पाया गया है।

व्याख्या—

इस दफा के अनुसार पशुओं का सड़कों पर बाधा जाना, या मारा मारा फिरना, स्वयं अपराध माने गये हैं, अर्थात् ऐसे पशुओं के मालिक या रखवाले को अपराधी ठहराये जाने के लिये इस बात के साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि पशु जान बूझ कर छोड़ दिया गया था, या यह कि उसके द्वारा किसी को हानि या कष्ट पहुँचा।

—कैटिल ट्रिपल ऐक्ट सन १८७१ ई० की दफा ११ के अनुसार केवल ऐसे पशु पकड़ कर बाडेको भेजे जा सकते हैं जो किसी सड़क को, या सड़ककी पटरी, या ढाल को, कोई हानि पहुँचावे परन्तु इस दफाकी उपदफा (२) के अनुसार, कोई पशु जो सड़कपर बँधे मिले वही भी बाडेको भेजे जा सकते हैं।

—म्यूनििसिपलटी के भूतपूर्व ऐक्ट न० १ सन १९०० ई० की दफा १६७ के द्वारा किसी घोडे या पशु को छोड़ देना उसी दरा में अपराध माना गया था जब कि वह जान बूझके छोड़ दिया गया हो और जब उससे किसी मनुष्य को कोई हानि, भय, या कष्ट हो या पहुँचे। हाईकोर्ट ने उक्त दफा का अर्थ लगाते हुये यह निश्चय किया था कि यदि किसी का पशु किसी दूसरे शरस के हाते में घुमके हानि करे तो उक्त दफा के अनुसार कोई अपराध नहीं होता, क्योंकि दफा के शब्दों के अनुसार आवश्यक यह है कि किसी मनुष्य को हानि, भय, आदि पहुँचे न कि हाते को। देखिये सरकार बहादुर बनाम पाटन दीन, 1905 A. W. N 19=2 A. L. J 261.

हमारे वर्तमान ऐक्ट में इस अपराध की शकल बिल्कुल बदल दी गई है। दफा २५५ में किसी पशु का केवल सड़क या गली या सार्वजनिक स्थान में मारा २ फिरना अपराध माना गया है। परन्तु यदि ऐसा कोई पशु किसी के हाते को कोई हानि पहुँचाये या किसी शख्स को हानि पहुँचाये, तो इस दफा के अनुसार ऐसे पशु के मालिक आदि को, दण्ड नहीं दिया जा सकता।

दफा २५६ सार्वजनिक ज़मीन पर गाड़ियों या पशुओं को ठहराना

जब कभी कोई आराजी जो बोर्ड के अधिकार में हो, बोर्ड की लिखित आज्ञा के बिना, किसी गाड़ी या पशु के सड़के करने के स्थान की तरह पर या पड़ाव की तरह पर, काम में लाई जाय, तो गाड़ी या पशुके मालिक को या रखवाले को, या उस शख्स को जो पड़ाव डाले, अर्थात् जैसी कि दशा हो अपराध के साबित हो जाने पर जुर्माने का दण्ड दिया जायगा, जिसकी सख्या बीस रुपये तक हो सकती है, और यदि ऐसा अपराध लगातार जारी रहे तो, प्रथम बेर अपराध के साबित होने की तारीख के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिनके विषय में, जिसमें यह साबित हो कि अपराधी ने अपराध का करना जारी रखा, ऐसे अपराधी को और जुर्माने का दण्ड भी दिया जायगा, जिसकी सख्या पांच रुपये तक हो सकती है।

व्याख्या—

इस दफा का आशय केवल इतना ही है कि कोई शख्स अपनी गाड़ी को खड़ा करने के लिये या घोड़े आदि को बाधने के लिये म्यूनिसिपलटी की किसी सड़क या आराजी को इस प्रकार काम में न लाये कि जैसे वह उमका अस्तबल ही हो। परन्तु केवल थोड़ी देर के लिये किसी गाड़ी या पशु को किसी सड़क आदि पर सड़ा कर देना इस दफा के अनुसार, कोई अपराध नहीं है। इसलिये जब कि एक शख्स घोड़े को गाड़ी में से खोलके अस्तबल में बाधने को ले गया, और गाड़ी को सड़क पर छोड़ दिया, पर घोड़ा बाधने के पश्चात् तुरन्त गाड़ी को भी गाड़ीखाने में रख दिया, तो हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि उस शख्स ने दफा १७० में दिया हुआ अपराध नहीं किया क्योंकि ऐसी दशा में यह नहीं कहा जा सकता कि उस शख्स ने सड़क को गाड़ी ठहराने या सड़ा करने का स्थान बना लिया। देखिये ग्लिन कुमार मुकजी बनाम सरकार बहादुर, 11 A. L. J. 721=20 I. C. 1003=14 Cr. L. J 523

दफा २५७ ज्वलन शील इमारतोंके विषयमें अधिकार

१ बोर्ड, आम नोटिस के द्वारा, यह आज्ञा दे सकता है, कि किसी निर्दिष्ट हद्दोंके भीतर, जिनको कि बोर्ड नियत कर दे, झोपड़ों, या अन्य इमारतों की छत, और बाहरी भीति, घाम या चटाइयो या पर्तों की या अन्य किसी वस्तु की, जो अत्यन्त ज्वलन शील हों, बोर्ड की लिखित मंजूरीके बिना, न बनाई जाय और न ऐसी छतों या भीतोंके बदले जाने पर (Renewed with) कोई ऐसी वस्तु लगाई जाय।

२ चाहे उपदफा (१) के अनुसार, कोई आम नोटिस न दिया गया हो, या चाहे ऐसी छत या भीत बोर्ड की मजूरी से बनाई गई हो, या ऐसी आम नोटिस (यदि कोई दिया हो) के दिये जाने से पूर्व बनाई गई हो, बोर्ड, किसी समय पर लिखित नोटिसके द्वारा किसी ऐसी इमारत के मालिक को, जिसकी बाहरी छत या दीवार किसी ऐसी वस्तु की बनी हुई हो जिसका वर्णन ऊपर दिया गया है, यह आज्ञा दे सकता है, कि एक ऐसी उचित अवधिके भीतर, जो नोटिसमें अंकित हो, ऐसी छत या भीतको हटा दे।

परन्तु रत यह है कि किसी ऐसी छत या भीत की दशामें, जो ऐसे आम नोटिस के दिये जानेसे पूर्व बनाई जा चुकी हो, या जो बोर्ड की मजूरी से बनाई गई हो, बोर्ड,

किसी ऐसी हानि के विषय में, जो द्रुतये जाने के कारण हो, मुआविजा देगा, जो मुआविजा छत या भीत के बनाने के प्रथम व्यय से अधिक न होगा।

३ जो शरूख बिना ऐसी मजूरीके जिसके लिये हुक्म उपदफा (१) में दिया गया है किसी ऐसी वस्तु की, जिसका वर्णन ऊपर किया गया है, कोई छत या भीत, बनाये या बदले, या किसी दूसरे से बनवाये या बदलवाये, या उस नोटिस की आज्ञाके विरुद्ध जो उपदफा (२) के अनुसार दिया गया हो, ऐसी छत या भीत को कायम रहने दे, उसको, अपराध के साबित हो जाने पर, जुर्मानेका दण्ड दिया जायगा, जिसकी संख्या पच्चीस रुपये तक हो सकती है, और प्रथम बेर अपराध साबित होने की तारीख के पश्चात्, प्रत्येक ऐसे दिनके विषय में, जिसमें उक्त अपराध का किया जाना जारी रखा जाय, और जुर्मानेका दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या दस रुपये तक हो सकती है।

व्याख्या—

इस दफा के अनुसार उस मकान का मालिक जिसमें कि बोर्ड की आज्ञा के विरुद्ध कोई छत या भीत बनवाई जाये तथा वह शरूख जो कि ऐसी छत या भीत बनाये, दोनों में से कोई अपराधी ठहराया जा सकता है आम नोटिस के दिये जाने की विधि के लिये देखिये दफा ३०४। यदि मुआविजे के विषय में कोई झगडा हो तो वह दफा ३२४ के अनुसार निश्चय किया जायगा।

दफा २५७ ज्वलन शील वस्तुकी, उस मात्रासे, जिसके रखनेका अधिकार दिया गयाहो अधिक मात्राके लिये तलाशी करनेका अधिकार

१ बोर्ड, बिना किसी नोटिस के, और दिन या रात्रि में, किसी समय पर, किसी ऐसे मकान या इमारत में प्रवेश करके उसकी जांच कर सकता है, जिसके विषयमें यह शका हो कि उसमें पेट्रोलियम या अन्य ज्वलन शील वस्तु, उस मात्रा से अधिक रखा गया है, जिसके उक्त मकान या इमारत में रखे जाने की आज्ञा, दफा २४५ के अनुसार, या किसी चाई-लॉ के हुक्म के अनुसार दी गई हो।

२ यदि ऐसी वस्तु की कोई ऐसी अधिक मात्रा पाई जाय, तो वह कुब्जे में ली जा सकती है, और किसी ऐसे हुक्म के आधीन जो कोई मजिस्ट्रेट उसके विषय में दे, कुब्जे में रखी जा सकती है।

३ यदि मजिस्ट्रेट यह निर्णय करे कि वह वस्तु जो इस प्रकार कुब्जे में ली गई है, उक्त मकान या इमारत में किसी ऐसी आज्ञा के विरुद्ध जो दफा २४५ के अनुसार दी गई हो, या किसी चाई-लॉ के हुक्म के विरुद्ध जमा की गई थी, तो वह उसके जन्त कर लिये जाने का हुक्म दे सकता है।

४ किसी ऐसे हुक्म के आधीन, जो इस ऐक्ट के या अन्य किसी कानून के द्वारा, या उसके अनुसार, दिया गया हो, इस प्रकार जन्त की हुई वस्तु मजिस्ट्रेट की आज्ञासे बेची जा सकती है और उसका मूल्य, बेचे जानेके सूचनों देनेके पश्चात्, ग्यूनसिपलटी के कोषमें जमा कर दिया जायगा।

५ इस दफाके अनुसार जो जन्ती का हुक्म दिया जायगा, उसका ऐसा अंतर न होगा कि उसके कारण दीपानी या फौजदारी की कोई अन्य कार्रवाई न की जा सके,

जो उस शख्सके विरुद्ध की जा सकती हो जिसने उक्त वस्तु को, उस मात्रासे, जिसकी कि आज्ञा मिली हो, अधिक मात्रा में जमा किया हो।

व्याख्या—

उपदफा (१) के अनुसार जो अधिकार कि बोर्ड को इमारत में प्रवेश कर के जाच करने का दिया गया है, उसका आशय यह नहीं है कि स्वयं बोर्ड के सब मेम्बर ही ऐसी इमारत की जांच करें। धरन जहां कहीं बोर्ड को कोई अधिकार इस प्रकार दिया जाता है, तो शब्द बोर्ड में कोई कमेटी, या मेम्बर, या अफसर, या कर्मचारी, जिसको बोर्ड उस अधिकार के बरतने का अतिरिक्त दे दे, शामिल माना जाता है (देखिये “बोर्ड” की व्याख्या, एक्ट की दफा २ में)

—पेट्रोलियम, और अन्य ज्वलन शील वस्तुओं की, जो मात्रा किसी मकान या इमारत में रखा जा सकती है, उसके विषय में बोर्ड को बार्ड लॉ बनाने का अधिकार दफा २९८ की मद (जी) के अंश (ए) के द्वारा दिया गया है। इण्डियन पेट्रोलियम एक्ट न० ८ सन १८९९ ई० की दफा ११ के अनुसार, ५०० गैलन पेट्रोलियम प्रत्येक शख्स बिना लैसन्स के रख सकता है लेकिन अगर लैसन्स में या स्थानीय कानून में कोई और हुक्म हो तो उसकी पाबन्दी योग्य होगी।

—उपदफा (३) के अनुसार जो हुक्म किसी ज्वलन शील वस्तुके जस्तकर लिये जानेके विषयमें दिया जाय, उसकी अपील दफा ३२३ के अनुसार की जा सकती है।

दफा २५९ ज्वलन शील वस्तुओं का ढेर आदि लगाना

जहां कहीं, जान और माल को जोखों से बचाने के लिये, ऐसा करना आवश्यक जान पड़े, बोर्ड, आम नोटिस के द्वारा, सब शख्सों को, किसी ऐसे स्थान में या किसी हदों के भीतर जो उक्त नोटिस में अंकित कर दी जाय, लकड़ी या सूखी घास, या फूस, या अन्य ज्वलन शील वस्तु का ढेर लगाने या जमा करने, या चटाइयो, या ऐसे झोपड़ों, जिनके ऊपर छप्पर पड़ा हो, के बनाने की मनाही कर सकता है, या ऐसे स्थान या हदों के, भीतर आग सुलगाने की मनाही कर सकता है।

नोट—ज्वलनशील पदार्थों के जमा किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड दफा २९९ की मद (जी) के अंश (ए) के अनुसार बार्ड-लॉ बना सकता है।

—इस दफा के सम्बन्ध में देखिये, मन्तू बनाम सरकार बहादुर, 17 A. L. J. 976 और मन्तू बनाम सरकार बहादुर, 18 A. L. J. 187, जो दफा २९८ की मद (जी) की व्याख्या में दिये गये हैं।

दफा २६० खानमें से पत्थर आदि का खोदा जाना, जिसके खोदे जाने से कि जोखों हो

१ यदि बोर्ड की राय में किसी पत्थर की खान में काम किये जाने से, या किसी स्थानमें भूमिमें से पत्थर या मिट्टी या अन्य वस्तुओंके हटाये जानेसे, उन शख्सोंके लिये भय हो, जो उसके पडोसमें निवास करते हों, या जिनको वहां जानेका अधिकार प्राप्त हो, या उसके द्वारा जनता के लिये कोई बलेश (Public nuisance) उत्पन्न हो या उत्पन्न होने की सम्भावना हो, तो बोर्ड लिखित नोटिस के द्वारा, उक्त खान या स्थानके मालिक को, या उस शख्स को जो ऐसे हटाये जाने या बलेश उत्पन्न करने का जिम्मेदार हो, इस बात की मनाही कर सकता है, कि वह ऐसी खानमें काम करना, या ऐसी वस्तु

का हटाया जाना, जारी न रहे, या जारी न रहने दे, या बोर्ड उसको यह आज्ञा दे सकता है, कि उक्त खान या स्थान के सम्बन्ध में वह ऐसी कार्यवाई करे, जिसकी बोर्ड इस उद्देश्य से आज्ञा दे, कि जोखों न रहे या वह बलेश जाता रहे, जो जोखों या बलेश उससे उत्पन्न होता हो, या जिसके उत्पन्न होने की सम्भावना हो।

२ यदि किसी ऐसी दशा में जिसका उल्लेख उपदफा (१) में किया गया है किसी ऐसे खतरे से बचत करने के उद्देश्य से, जिसके द्वारा कि कोई हानि शीघ्र होने ही वाली हो, बोर्डको ऐसा करना आवश्यक जान पड़े, तो वह निकलने पैठने वालों की रक्षा के लिये, उस खान या स्थान के निकट, आवश्यकतानुसार तख्तों की दीवार या जंगला बनवा सकता है, और जो व्यय बोर्ड का किसीऐसी कार्यवाई के करने में पड़े उसको वह मालिक या अन्य शख्स जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है, भदा करेगा, और वह उस विधिसे वसूल किया जायगा जो छोटे प्रकरणमें बताई गई है।

दफा २६१ खरंजा आदि को उखाड़ना

१ जो शख्स बोर्ड की, या किसी अन्य कानूनी अधिकारों की, लिखित सम्मतिके बिना किसी सार्वजनिक सड़क या गली के खरजे या, नाली, या पत्थरो, या किसी अन्य घस्तु, को या आड़ के जगले, दीवारों, या खम्भों, या म्यूनिसिपलटी के लम्पों (लालटेनों) या लालटेनों के खम्भों, या दीवारगीरी, या रास्ता बताने वाले रम्भे, या कोई गाडे हुये खम्भे, या हार्डवेड या इसी प्रकार की ऐसी सार्वजनिक सड़क या गली में कोई अन्य, म्यूनिसिपलटी की जायदाद को, उखाड़े, या उठाये, या उसमें कोई परिवर्तन करे, या किसी अन्य प्रकार उसमें हस्तक्षेप करे, और जो शख्स म्यूनिसिपलटी की किसी रोशनी को बुझाये, उसको, अपराध के साबित हो जाने पर, जुर्माने का दंड दिया जायगा, जिस की सख्या (१००) एकसौ रुपये तक हो सकती है।

२ वह खर्च जो बोर्ड को किसी ऐसे काम के किये जाने के कारण करना पड़े, जो, उपदफा (१) में बताये गये हैं, अपराधी से, उस विधि से वसूल किया जा सकता है, जो छोटे प्रकरण में बताई गई है।

व्याख्या—

उपदफा (१) में शब्द में ' कानूनी अधिकारी ' का अर्थ है, कोई ऐसा अधिकारी जिसको कानून के अनुसार, सम्मति देने का अधिकार हो।

—इस दफा के अनुसार किसी को कोई सड़क, नाली आदि खोदने की मनाही की गई है। परन्तु जब कि एक शख्स को, दुकान के सामने, नाली पर एक पत्थर रख देने की आज्ञा दी गई, और चयरमेनके आनेका समाचार पा के सफाई करनेके उद्देश्यसे वह शख्स, पत्थरके नीचेसे मिट्टी तथा कूड़ा करकट खोदने लगा, तो उस पर सड़क खोदने का अपराध लगाया गया। हार्डकोर्टने तब चीज किया कि, इस प्रकार मिट्टी आदि के खोदने के कारण कोई शख्स सड़क के खोदने का अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। देखिये गुलायतिह बनाम सरकार बहादुर, 35 I C 964 = 17 Cr L J 404

—म्यूनिसिपलटी की जायदाद को हानि पहुंचने का हर्जो भी वसूल करने का अधिकार म्यूनिसिपलटी को दफा ३१६ के द्वारा भी दिया गया है।

दफा २६२ आग्नेयअस्त्रों का चलाना इत्यादि

जो शस्त्र आग्नेयअस्त्रों (अर्थात् अग्नि से चलने वाले अस्त्र जैसे बंदूक आदि) चलाये, या आतिशबाजी या भाग के शुब्बारे इस प्रकार छोड़े, या कोई खेल, इस प्रकार खेले कि पास से निकलने वाले या पड़ोस में रहने वाले, या पड़ोस में काम काज करने वाले, शस्त्रों को जोखों हो, या जोखो होने की सम्भावना हो, या जायदाद को हानि पहुँचने का डर हो, या हानि पहुँचने के डर होने की सम्भावना हो, उसको अपराध के साबित हो जाने पर, जुर्मानेका दंड दिया जायगा, जिस की सख्या २०)वीस रुपये तक हो सकती है।

दफा २६३ टूटी फूटी इमारतोंसे, और ऐसे कुओंसे जिनपर मनि आदि न बनीहो, जोखोंका बचाव करनेका अधिकार

१ बोर्ड, नोटिस के द्वारा, किसी आराज़ी या इमारत के मालिक या क्वाबिज को यह आज्ञा दे सकता है, कि वह—

(ए) किसी ऐसी इमारत, या भूत या बांध (पुस्ता) को या किसी अन्य काम (तामीर), या किसी ऐसी वस्तु को, जो उस में लगी हुई हो, गिरा दे, या उसकी इस प्रकार मरम्मत कर दे जो बोर्ड आवश्यक समझे, या किसी ऐसे पेड़ को दूर करदे, जो इमारत भीत इत्यादि, या पेड़ जो ऐसे मालिकके ही, या ऐसे क्वाबिजके कब्जेमें हों, और जिनके विषय में, बोर्ड की यह राय हो कि वह टूटी फूटी दशा में है, या यह कि उनके द्वारा लोंगो को या जायदाद को जोखों है। या

(बी) किसी ऐसे कुये या तालाब या हीज या पोखर, या रोदे हुये स्थान की, जो ऐसे मालिक का हो, या ऐसे क्वाबिज के कब्जे में हो, जो अपने मौके के कारण, या वे मरम्मत होने के कारण, या ऐसे ही किसी अन्य कारण से, बोर्ड को भय प्रद जान पड़े, उस प्रकार मरम्मत कर दे, या सुरक्षित कर दे, या घेर दे, जैसा कि बोर्ड आवश्यक समझे।

२ उस दशामें जब कि बोर्ड यह समझे कि किसी शस्त्र या जायदाद को, किसी ऐसे खतरे से बचाने के लिये, जो कि शीघ्र होने वाला हो, किसी कामके किये जानेकी तुरन्त आवश्यकता है, तो स्वयं बोर्ड का यह कर्तव्य होगा, कि तुरन्त ऐसा काम करे, और ऐसी दशा में, दफा २८७ के हुक्मों के होते हुये भी, यदि बोर्ड यह समझे कि नोटिस के देने में जो देर होगी, उसके कारण, इस प्रकार तुरन्त काम के करने का उद्देश्य नष्ट हो जायगा, तो यह आवश्यक न होगा कि बोर्ड नोटिस दे।

व्याख्या—

कलॉज (ए) और (बी) के शब्द इस प्रकार के रखे गये हैं कि बोर्ड किसी खतरनाक इमारत आदि से जनता की रक्षा करने के लिये भी कोई आज्ञा दे सके और उस दशा में भी आज्ञा दे सके जब ऐसी किसी इमारत आदि से स्वयं इमारत के रहने वालों ही को भय हो।

—दफा २८७ में आज्ञा दी गई है कि जब बोर्ड किसी काम को किसी निजी घर या मकान में बनवाये जिसके बनवाने का अधिकार इसको कानून के द्वारा दिया गया हो तो बोर्ड का कोई अफसर या कर्मचारी बिना चार घंटे का लिखित नोटिस दिये हुये उसमें प्रवेश न करेगा परन्तु इस दफा की उपदफा २ के अनुसार यदि बोर्ड किसी काम को इतना जरूरी समझे कि नोटिस देने का अवसर न हो तो बिना किसी नोटिस के ही इस काम को बनवा सकता है और उस घर या मकान में प्रवेश कर सकता है ।

—यदि बोर्ड को स्वयं कोई मकान भीत पेट इत्यादि को हटवाना पड़े तो ऐसे हटाये जाने में जो खर्चा पड़े उसके वसूल करने के लिए आगे दफा ३१२ में हुक्म है ।

दफा २६४ खाली इमारतों या आराजियों को कष्टदायक होजाने से रोकने का अधिकार

जो इमारत या आराजी, छोड़ दिये जानेके कारण, या उसकी मिल्कियतके विषयमें झगडा होनेके कारण, या किसी अन्य कारणसे, खाली हो, और वह ठलुआं और लुच्चों (Idle & Disorderly persons) के उठने बैठनेका स्थान हो गयी हो, या उसके द्वारा, जनताके लिये, कोई क्लेश होता हो, या क्लेश उत्पन्न होने की सम्भावना हो, तो बोर्ड, नोटिसके द्वारा उसके मालिकको आज्ञा दे सकता है कि एक उचित समय के भीतर, जो नोटिस में नियत कर दिया जाय, उसको सुरक्षित कर दे, या घेर दे ।

नोट—“पब्लिक न्यूतेन्स” अर्थात् कोई ऐसा काम जिसके कारण जनताको क्लेश हो, के लिये देखिये दफा २४५ की व्याख्या ।

दफा २६५ सड़कों या गलियोंका रोकना

१ जो शहर बिना बोर्ड की लिखित इजाजत के—

- (ए) कोई गाडी, चाहे उसमें कोई पशु जुता हो या न जुता हो, इस प्रकार रखवाये या खड़ी कराये, या रखने दे या खड़ी करने दे, कि उससे किसी सड़क या गली में, उतने समय से अधिक रुकावट हो जितना समय कि बोझ बढ़ाने या बोझ उतारने के लिये, या सवारियोंको चढ़ाने या उतारने के लिये आवश्यक हो । या
- (बी) किसी गाडी या पशुको इस प्रकार छोड़े या बाधे कि उससे किसी सड़क या गली में रुकावट हो । या
- (सी) किसी वस्तुको बेचनेके लिये, किसी छीटी दुकान, या धरी (Booth) में, या किसी अन्य प्रकार इस तरह रखे कि उससे किसी सड़क या गलीमें रुकावट हो । या
- (डी) कोई इमारत बनाने की सामग्री, या बक्स, या गद्दा, या पुलिन्दा, या व्यापार का माल किसी सड़क या गली में, जमा करे, या रखे, या रखने दे । या
- (ई) किसी सड़क या गलीमें कोई घेर (Fence) या लोहेकी रेल (सलाख) या रम्भा, या धरी, या मकान बनाने की कोई पाड़, या ऐसी ही गद्दी हुई कोई अन्य वस्तु (Fixture) बनाये या खड़ी करे । या

(यफ) किसी अन्य प्रकार किसी सड़क या गलीमें भाने जाने में जानबूझ कर रुकावट करे, या कराये, उसको अपराधके साबित हो जाने पर, जुर्माने का दण्ड दिया जायगा, जिसकी सख्या पचास रुपये तक हो सकती है।

२ बोर्डको अधिकार होगा कि किसी ऐसी रुकावटको जिसका उल्लेख उपदफा (१) में किया गया है, हटादे। और इस प्रकार रुपये दियेजानेका खर्चा अपराधीसे उस विधिसे वसूल किया जा सकेगा, जो छठे प्रकरण में बताई गई है।

३ सडकों और गलियों में से रुकावटों के दूर करने का अधिकार, जो बोर्ड उपदफा (२) के अनुसार बरत सकता है, उसको बोर्ड किसी ऐसे खुले स्थान से भी, चाहे वह स्थान बोर्ड के अधिकार में हो या न हो, परन्तु जो किसी शख्सकी निजी मिल्कियत न हो, रुकावट के हटाने के सम्बन्ध में बरत सकेगा।

४ इस दफा के कोई बात किसी सड़क या गलीकी ऐसी रुकावट पर लागू न होगी जिस रुकावटकी भाँजा बोर्डमें इस ऐक्टकी किसी दफाके अनुसार दी हो, या किसी ऐसे नियम या बाई-लॉके द्वारा दी हो, जो इस ऐक्टके अनुसार बनाया गयाहो, या जो भाँजा किसी लैसन्सके द्वारादी गई हो जो लैसन्स कि इस ऐक्टके अनुसार दिया गया हो।

व्याख्या—

इस दफा के क्लॉज (ए) का मिलान दफा २५६ से किया जाना चाहिये क्लॉज (ए) के अनुसार किसी गाड़ी को सडक पर छोडना या खडा करना उसी दशा में अपराध होगा जब सडक में उसके द्वारा रुकावट उत्पन्न हो।—क्लॉज (बी) का मिलान दफा २५५ से करना चाहिये। इस क्लॉज के अनुसार किसी पशु को सडक पर बाध देना उसी दशा में अपराध होगा, जब उससे रुकावट उत्पन्न हो। परन्तु दफा २५५ के अनुसार किसी पशु का सडक पर बाध देना स्वयं अपराध माना गया है, चाहे उससे कोई रुकावट हो या न हो। इसी प्रकार क्लॉज (सी) के साथ देखिये दफा २२०।— इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि क्लॉज (डी) में गिनार्ह हुई वस्तुओं का सडक पर रपना ही स्वयं अपराध है, चाहे उनसे कोई रुकावट उत्पन्न हो या न हो।—क्लॉज (ई) के साथ देखिये दफा २१३। इस क्लॉज के अपराध के लिये भी यह आवश्यक नहीं है कि कोई रुकावट हो। इसलिये जब कि एक शख्स पर यह अपराध लगाया गया कि उसने दफा २६५ के हुक्म के विरुद्ध एक सडक पर मकान बनाने के लिये पाढ़ बाध ली, तो हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि अपराध के साबित करने के लिये, इस बात के साबित करने की आवश्यकता नहीं है, कि उस पाढ से कोई रुकावट हुई। पाढ़ के बाधे जाने ही से, यह बात मान ली जायगी कि रुकावट उत्पन्न हुई। देखिये भतीथी चुशीलाल बनाम सरकार बहादुर 58 I C 944

—उपदफा (२) के अनुसार बोर्ड को अधिकार दिया गया है कि वह स्वयं, सडक या गली में से, किसी रुकावट को हटवा दे, कारण यह कि यदि बोर्ड को केवल मुकद्दमा चलाने ही का अधिकार दिया गया होता, तो सम्भव था कि सडका या गलियों पर से रुकावटें महीनों तक दूर न की जा सकती। किसी रुकावट के हटाने में बोर्ड का जो खर्चा हो, उसको बोर्ड दफा ३१२ के अनुसार वसूल कर सकता है।

दफा २६६ सार्वजनिक आराज़ी का खोदना

जो शख्स किसी खुली जगह में से, चाहे वह जगह बोर्ड के अधिकार में हो या

न हो, और जो किसी शख्सकी निजी मिल्कियत न हो, बिना बोर्डकी लिखित इजाजतके, मिट्टी या रेत या कोई अन्य वस्तु, खोदे या हटाये, उसको, अपराध के साबित हो जाने पर, जुर्माने का दण्ड दिया जायगा, जिसकी सख्खा पचास रुपये से अधिक न होगी, और जब अपराध लगातार जारी रहने वाला अपराध हो तो ऐसे अपराध के विषय में, पहले पहल जब अपराध साबित हो उसके उपरान्त, प्रत्येक ऐसे दिन के विषय में, जिसमें अपराध का किया जाना जारी रहे, उस शरस पर, अधिक जुर्माना होगा, जिसकी सख्खा दस रुपये से अधिक न होगी ।

आरोग्यता और रोगोंका रोकना

(Sanitation & Prevention of Diseases)

दफा २६७ निजी मोरिया, कुंडियां, कूड़ेके पात्र, पाखाने इत्यादि

१ बोर्ड, नोटिसके द्वारा, किसी आराजीके या इमारतके मालिक या काबिजको, यह आज्ञा दे सकता है कि—

- (ए) किसी पाखाने, या पेशाबखाने, या ऐसे पाखाने को जिसमें नलसे पानी आता है (Water Closet), या मोरी, या कुडीं (चह बच्चा), या कूड़ेके पात्र को, या गिलाजत, या मैले पानी, या कूड़ा करकटके किसी अन्य पात्रको, जो उक्त इमारत या आराजी से सम्बन्ध रखता हो, बन्द कर दे, या हटा दे, या उसमें कोई परिवर्तन कर दे या उसकी मरम्मत या सफाई करे, या उसको औषधियों के द्वारा साफ करे (Disinfect) या उसकी दूरा को सुधार, या किसी ऐसे पाखाने, या पेशाबखाने या ऐसे पाखानेके, जिसमें नलके द्वारा पानी आता हो, किसी दरवाजे या खिडकीको, जो किसी सड़क या गलीमें खुलती हो या मोरी पर खुलती हो, हटादे या उसमें परिवर्तन करदे । या
- (बी) ऐसे पाखाने, या पेशाबखाने, या नल वाले पाखाने या मोरिया, या कुडिया (चह बच्चे), या कूड़ेके पात्र, अथवा गिलाजत, या मैले पानी, या कूड़ा करकटके अन्य पात्र बनवाये, जो बोर्डकी रायमें, उक्त इमारत या आराजीके लिए बनवाये जाना चाहिये, चाहे वह उन पाखानों, या पेशाबखानों, इत्यादि, जो बने मौजूद हों, के अतिरिक्त हों या न हों । या
- (सी) किसी पाखाने, या पेशाबखाने, या नल वाले पाखाने को, जो इमारत या आराजीके लिये बनवाया गया हो, काफी छत, या भीत, या घेरने के द्वारा, उन लोगों की दृष्टिसे अलक्षित कर दे, जो उसके पाससे निकलते हों, या जो पड़ोसमें रहते हों ।

२ जब बोर्ड उपदफा (१) के अनुसार किसी चीजके बनवाने, या उसमें परिवर्तन करनेकी, या उसके सम्बन्धमें किसी कामके करनेकी आज्ञा दे, तो बोर्ड नोटिसमें, उक्त चीज का विवरण जो बनाइ जायगी, दे सकता है, और वह नमूना दे सकता है, जिसके

अनुसार परिवर्तन किया जायगा, तथा वह विधि दर्ज कर सकती है जिसके अनुसार काम किया जायगा।

व्याख्या—

नगर में सफाई रखने, और आरोग्यता के उपायों की उन्नति करने, तथा फैलने वाली बीमारियों से जनता की रक्षा करने का भार म्यूनिसिपलटी पर होता है। अतएव यह आवश्यक है कि बोर्ड को पाखानों, पेशाखानों आदि के सम्बन्ध में, विस्तृत अधिकार दिये जाय। दफ्ता २६७ के अनुसार बोर्ड को अधिकार दिया गया है कि जिस पाखाने पेशाखाने आदि के विषय में वह आवश्यक समझे, उसको बन्द करा देने, साफ़ कराने, उसमें परिवर्तन करने इत्यादि की आज्ञा दे। या कोई नये पाखाने, पेशाखाने, कूड़े के पात्र आदि के बनवाने या रखने की आज्ञा दे। और ऐसी आज्ञा बोर्ड चाहे मकान के मालिक को दे, चाहे क्रायिज को।

—आरोग्यता के प्रग्रन्थ और सफाई की जिम्मेदारी बोर्ड पर है, इसलिये बोर्ड द्वारा दिये-हुये हुकमों में अदालत दीवानी को भी दखल देने का अधिकार नहीं। जब कि एक म्यूनिसिपलबोर्ड ने किसी को एक मोरी का रास्ता बदलने की आज्ञा दी, जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक थी और जिसके द्वारा जनता को कष्ट पहुंचता था, और उक्त शहर ने बोर्ड के हुकम के विरुद्ध अदालत दीवानी से फैसला चाहा, तो हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि मोरियों के विषय में म्यूनिसिपलबोर्डको हुकम देनेका पूरा अधिकार है, और ऐसे हुकम में हस्तक्षेप करने का अदालत दीवानी को अधिकार नहीं है। यह भी तजवीज हुआ कि जब बोर्ड ऐसे अधिकारों के भीतर काम करे, जो कि उसको कानून ने दिये हों, तो बोर्ड के हुकम के विरुद्ध कोई प्रश्न दीवानी की अदालत के सामने नहीं उठाया जा सकता। देखिये अब्दुल अजीज बनाम म्यूनिसिपलबोर्ड पीलीभीत 2 A L J 222=1905 A W N 79

—माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने म्यूनिसिपलबोर्डों को यथा तक स्वतन्त्र माना है कि यदि कोई दीवानी की अदालत सफाई आदि के सम्बन्ध में बोर्ड डिफ़ी देवे, तो भी बोर्ड को उसके विरुद्ध हुकम देने का अधिकार है। चौली बनाम म्यूनिसिपलबोर्ड मुजफ्फरनगर वगैरा 12 A L J 1102=26 I C 781, चाले मामले में मुद्दे का मकान, मुद्दाअलेह न० २ के एक घरे से मिला हुआ था। मुद्दे की एक मोरी मुद्दाअलेह न० २ के घरे में होके बहती थी। इस मोरी के विषय में दोनों में झगडा था। मुद्दे ने दीवानी में दावा किया और डिफ़ी प्राप्त कर ली कि मोरी कायम रखी जाय। तत्पश्चात् म्यूनिसिपलटी के हेरथ अफसर ने बोर्ड को रिपोर्ट दी कि मोरी जनता के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है। इस रिपोर्ट पर बोर्ड ने मुद्दे को हुकम दिया कि मोरी का मुद्दाअलेह न० २ के मकान में होके जाना बन्द कर दे। मुद्दे ने तब एक दूसरा दावा अदालत दीवानी में दायर किया। मुद्दे की ओर से यह बहस की गई कि म्यूनिसिपल बोर्ड को अदालत दीवानी की डिफ़ी के विपरीत कोई हुकम देने का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। परन्तु हाईकोर्ट ने इस बहस को स्वीकार न करते हुये तजवीज किया, कि अदालत दीवानी की एक डिफ़ी उक्त मोरी के विषय में होते हुये भी, म्यूनिसिपलबोर्ड को, मोरी को बन्द करा देने का अधिकार प्राप्त है।

और जब कि बोर्ड की एक कमेटी ने, दफ्ता २६७ के अनुसार, एक शहर को एक कुंडी बनाने की आज्ञा दे और उक्त शहर आज्ञा के अनुसार कुंडी न बनवाये तो ऐसे शहर के विरुद्ध मुकद्दमा चलाये जाने पर मजिस्ट्रेट को यत्र अधिकार तक प्राप्त नहीं है कि वह इस बात को तै करे कि कमेटी के उक्त हुकम की जरूरत थी या नहीं अथवा यह कि हुकम ठीक था या नहीं। इस बात के निर्णय करने का अधिकार, कि उक्त हुकम का दिया जाना ठीक और जरूरी था केवल कमेटी ही को प्राप्त हो

सकता है। देभिये कश्मीरी लाल बनाम कैमरहिन्द 1922 H L J 14=19 A L J 541 =Rev d Cr L J Vol 7 Ct S 171

और यदि कोई म्यूनिसिपल बोर्ड किसी इमारत आदि के बनाने की आज्ञा देदे और पीछे से सफाई या स्वास्थ्य के विचार से यह उक्त इमारत का तोड़ दिया जाय आवश्यक समझे तो बोर्ड को अपने ही हुक्म के विरुद्ध ऐसी इमारत को तोड़ देने का हुक्म देने का अधिकार प्राप्त है। थानूला बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड करेन्दायाद, 21 A L J. 828 वाले मामले में बोर्ड की पब्लिक वर्क्स कमेटी ने दफा १७८ के अनुसार एक पाढ़ाना बनाने की आज्ञा दी। कुछ मास के बाद बोर्ड को यह निश्चय हुआ कि उक्त पाढ़ाने से जनता के लिये कष्ट उत्पन्न होता है और यह कि वह स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है इसलिये बोर्ड ने दफा २६७ के अनुसार उक्त पाढ़ाने के मालिक को नोटिस दिया कि पाढ़ाना बन्द कर दे। उक्त मालिक ने इस हुक्म के विरुद्ध अदालत दीवानी में दावा दायर किया। मुद्दा की ओर से हाईकोर्ट के सामने यह यहस की गई कि म्यूनिसिपल बोर्ड को अपने ही हुक्म के विपरीत दूसरा हुक्म जारी करने का अधिकार प्राप्त नहीं था और यह कि म्यूनिसिपल बोर्ड को ऐसा अधिकार प्राप्त होने से कि किसी इमारत के बनाये जाने की आज्ञा देने के पश्चात् फिर उसको तोड़ देने की आज्ञा दे सके, बड़ा अन्याय हो सकता है। हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि ऐक्ट में कोई ऐसा हुक्म नहीं है जो म्यूनिसिपल बोर्ड को, जनता के स्वास्थ्य के विचारसे, किसी ऐसी इमारतके तोड़ दिये जाने का हुक्म देने से रोक सके जिसके बनाये जाने की वह पहिले आज्ञा दे चुका हो। यदि यह मांग जाय कि केवल इस कारण किसी बोर्ड को कोई दूसरा हुक्म जारी करनेका अधिकार नहीं है कि पहिले वह उसी विषय में कोई हुक्म दे चुका है तो ऐसी द मामें यह सम्भव है कि पहिले हुक्मके कारण जनता के लिये घोर कष्ट उत्पन्न हो जाये।

—परन्तु इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि दफा २६७ का केवल एकही उद्देश्य है अर्थात् यह कि आरोग्यता, स्वास्थ्य और सफाई की बोर्ड उन्नति कर सके। इसलिये यदि बोर्ड, दफा २६७ के अनुसार, कोई हुक्म, आरोग्यता, स्वास्थ्य और सफाई के अतिरिक्त, किसी अन्य मतलबसे दे, तो ऐसा हुक्म नजायज होगा। जब कि एक म्यूनिसिपल बोर्ड ने, दफा २६७ के अनुसार, एक शहसको नोटिस दिया कि वह एक कुडोंको बन्द करदे, क्योंकि उसमें निकलने पैठने वालोंके गिर जानेका भय है, तो हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि यद्यपि म्यूनिसिपल बोर्ड का यह कहना निरकुल ठीक है कि कुडी पर बन्द न होनेके कारण निकलने पैठने वालोंके लिये जोखों है, तो भी ऐसा नोटिस दफा २६७ के अनुसार नहीं दिया जा सकता। दफा २६७ के द्वारा बोर्ड को केवल यह अधिकार है कि शोरा फैलानेवाली गिळाजतसे जनता को बचाये। इसलिये यदि उक्त नोटिस की आज्ञानुसार कुडी बन्द नहीं की गई, तो कोई अपराध नहीं हुआ। देभिये म्यूनिसिपल बोर्ड इटावा बनाम देवीप्रसाद, 18 A L J 572

—दफा २६७ का यह भाशय नहीं है कि निजी मोरियों आदि पर उनके मालिकों को किसी प्रकारका अधिकार प्राप्त नहीं है। किसी मोरी आदिके सम्बन्ध में कोई काम किये जाने पर म्यूनिसिपल बोर्ड को हस्तक्षेप करनेका वसी दशामें अधिकार है जब कि ऐसे काम के कारण जनता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़े या जनता के लिये कोई क्लेश उत्पन्न हो। दसू घौरा बनाम सरकार बहादुर 6 A L J 544 वाले मामलेमें अनेक शहसोंको इस कारण बंद दिया गया कि उन्होंने एक मोरी को बन्द कर दिया। उक्त मोरी बहुत लम्बी थी और जिस स्थान पर कि वह रोकी या बन्द की गई थी वहां पर वह निज की जायदाद थी। म्यूनिसिपल बोर्ड की ओरसे यह बहम की गई कि

अनुसार परिवर्तन किया जायगा, तथा वह विधि दर्ज कर सकता है जिसके अनुसार काम किया जायगा।

व्याख्या—

नगर में सफाई रखने, और आरोग्यता के उपायों की उन्नति करने, तथा फैलने वाली बीमारियों से जनता की रक्षा करने का भार म्यूनिसिपलटी पर होता है। अतएव यह आवश्यक है कि बोर्ड को पाखानों, पेशाखानों आदि के सम्बन्ध में, विस्तृत अधिकार दिये जाय। दफा २६७ के अनुसार बोर्ड को अधिकार दिया गया है कि जिस पाखाने पेशाखाने आदि के विषय में वह आवश्यक समझे, उसको बन्द करा देने, साफ़ कराने, उसमें परिवर्तन करने इत्यादि की आज्ञा दे। या कोई नये पाखाने, पेशाखाने, कूड़े के पात्र आदि के बनवाने या रखने की आज्ञा दे। और ऐसी आज्ञा बोर्ड चाहे मकान के मालिक को दे, चाहे कारिज को।

—आरोग्यता के प्रबन्ध और सफाई की जिम्मेदारी बोर्ड पर है, इसलिये बोर्ड द्वारा दिये हुये हुकमों में अदालत दीवानी को भी दखल देने का अधिकार नहीं। जब कि एक म्यूनिसिपलबोर्ड ने किसी को एक मोरी का रास्ता बदलने की आज्ञा दी, जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक थी और जिसके द्वारा जनता को कष्ट पहुंचता था और उक्त शहस ने बोर्ड के हुकम के विरुद्ध अदालत दीवानी से फैसला चाहा, तो हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि मोरियों के विषय में म्यूनिसिपलबोर्डके हुकम देनेका पूरा अधिकार है, और ऐसे हुकम में हस्तक्षेप करने का अदालत दीवानी को अधिकार नहीं है। यह भी तजवीज हुआ कि जब बोर्ड ऐसे अधिकारों के भीतर काम करे, जो कि वसको कानून ने दिये हों, तो बोर्ड के हुकम के विरुद्ध कोई प्रश्न दीवानी की अदालत के सामने नहीं उठाया जा सकता। देखिये अब्दुल अजीज बनाम म्यूनिसिपलबोर्ड पीलीभीत 2 A. L. J. 222=1905 A. W. N. 79

—माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने म्यूनिसिपलबोर्डों को यहा तक स्वतन्त्र माना है कि यदि कोई दीवानी की अदालत सफाई आदि के सम्बन्ध में कोई डिक्री देदे, तो भी बोर्ड को उसके विरुद्ध हुकम देने का अधिकार है। चौरी बनाम म्यूनिसिपलबोर्ड मुजफ्फरनगर वगैरा 12 A. L. J. 1102=26 I. C. 781, वाले मामले में मुद्दे का मकान, मुद्दाअलेह न० २ के एक घेरे से मिला हुआ था। मुद्दे की एक मोरी मुद्दाअलेह न० २ के घेरे में होके रहती थी। इस मोरी के विषय में दोनों में झगडा था। मुद्दे ने दीवानी में दावा किया और डिक्री प्राप्त कर ली कि मोरी कायम रखी जाय। तत्पश्चात् म्यूनिसिपलटी के हेरथ आफसर ने बोर्ड को रिपोर्ट दी कि मोरी जनता के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है। इस रिपोर्ट पर बोर्ड ने मुद्दे को हुकम दिया कि मोरी का मुद्दाअलेह न० २ के मकान में होके जाना बन्द कर दे। मुद्दे ने तब एक दूसरा दावा अदालत दीवानी में दायर किया। मुद्दे की ओर से यह बहस की गई कि म्यूनिसिपल बोर्ड को अदालत दीवानी की डिक्री के विपरीत कोई हुकम देने का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। परन्तु हाईकोर्ट ने इस बहस को स्वीकार न करते हुये तजवीज किया, कि अदालत दीवानी की एक डिक्री उक्त मोरी के विषय में होते हुये भी, म्यूनिसिपलबोर्ड की, मोरी को बन्द करा देने का अधिकार प्राप्त है।

और जब कि बोर्ड की एक कमेटी ने, दफा २६७ के अनुसार, एक शहस को एक कुडी बनाने की आज्ञा दे और उक्त शहस आज्ञा के अनुसार कुडी न जनवाये तो ऐसे शहस के विरुद्ध मुकद्दमा चलाये जाने पर मजिस्ट्रेट को यह अधिकार तक प्राप्त नहीं है कि वह इस बात को तै करे कि कमेटी के उक्त हुकम की जरूरत थी या नहीं अथवा यह कि हुकम ठीक था या नहीं। इस बात के निर्णय करने का अधिकार, कि उक्त हुकम का दिया जाना ठीक और जरूरी था केवल कमेटी ही को प्राप्त हो

सकता है। देखिये कश्मीरी लाल बनाम कैसरहिन्द 1922 H L J 14=19 A L J 541 =Rev d Cr L J Vol 7 Cr S 171

और यदि कोई म्यूनिसिपल बोर्ड किसी इमारत आदि के बनाने की आज्ञा देदे और पीछे से सफाई या स्वास्थ्य के विचार से यह उक्त इमारत का तोड़ दिया जाय आवश्यक समझे तो बोर्ड को अपने ही हुक्म के विरुद्ध ऐसी इमारत को तोड़ देने का हुक्म देने का अधिकार प्राप्त है। बाबूलाल बाम म्यूनिसिपल बोर्ड फर्रुखानाद, 21 A L J 828 वाले मामले में बोर्ड की पब्लिक वर्क्स कमेटी ने दफा 1७८ के अनुसार एक पाखाना बनाने की आज्ञा दी। कुछ मास के बाद बोर्ड को यह निश्चय हुआ कि उक्त पाखाने से जनता के लिये कष्ट उत्पन्न होता है और यह कि वह स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है इसलिये बोर्ड ने दफा २६७ के अनुसार उक्त पाखाने के मालिक को नोटिस दिया कि पाखाना बन्द कर दे। उक्त मालिक ने इस हुक्म के विरुद्ध अदालत दीवानी में दावा दायर किया। मुद्दे की ओर से हाईकोर्ट के सामने यह बहस की गई कि म्यूनिसिपल बोर्ड को अपने ही हुक्म के विपरीत दूसरा हुक्म जारी करने का अधिकार प्राप्त नहीं था और यह कि म्यूनिसिपल बोर्ड को ऐसा अधिकार प्राप्त होने से कि किसी इमारत के बनाये जाने की आज्ञा देने के पश्चात् फिर उसको तोड़ देने की आज्ञा दे सके, बड़ा अन्याय हो सकता है। हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि ऐक्ट में कोई ऐसा हुक्म नहीं है जो म्यूनिसिपल बोर्ड को, जनता के स्वास्थ्य के विचारसे, किसी ऐसी इमारतके तोड़ दिये जाने का हुक्म देने से रोक सके जिसके बनाये जाने की वह पहिले आज्ञा दे चुका हो। यदि यह माना जाय कि केवल इस कारण किसी बोर्ड को कोई दूसरा हुक्म जारी करनेका अधिकार नहीं है कि पहिले वह उसी विषय में कोई हुक्म दे चुका है तो ऐसी दशामें यह सम्भव है कि पहिले हुक्मके कारण जनता के लिये घोर कष्ट उत्पन्न हो जाये।

—परन्तु इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि दफा २६७ का केवल एकही उद्देश्य है अर्थात् यह कि आरोग्यता, स्वास्थ्य और सफाई की बोर्ड उद्यति कर सके। इसलिये यदि बोर्ड, दफा २६७ के अनुसार, कोई हुक्म, आरोग्यता, स्वास्थ्य और सफाई के अतिरिक्त, किसी अन्य मसलतसे दे, तो ऐसा हुक्म नाजायज होगा। जब कि एक म्यूनिसिपल बोर्ड ने, दफा २६७ के अनुसार, एक शख्सको नोटिस दिया कि वह एक कुडीको बन्द करदे, क्योंकि उसमें निकलने पैठने वालोंके गिर जानेका भय है, तो हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि यद्यपि म्यूनिसिपल बोर्ड का यह कहना चिन्तुल ठीक है कि कुडी पर बरत न होनेके कारण निकलने पैठने वालोंके लिये जोखों है, तो भी ऐसा नोटिस दफा २६७ के अनुसार नहीं दिया जा सकता। दफा २६७ के द्वारा बोर्ड को केवल यह अधिकार है कि रोस फैलानेवाली गिलाजतसे जनता को बचाये। इसलिये यदि उक्त नोटिस की आज्ञानुसार कुडी बन्द नहीं की गई, तो कोई अपराध नहीं हुआ। देखिये म्यूनिसिपल बोर्ड इटावा बनाम देवीप्रसाद, 18 A L J 572

—दफा २६७ का यह आदेश नहीं है कि निजी मोरियों आदि पर उनके मालिकों को किसी प्रकारका अधिकार प्राप्त नहीं है। किसी मोरी आदिके सम्बन्ध में कोई काम किये जाने पर म्यूनि सिएलटीको इस्तक्षेप करनेका उसी दशामें अधिकार है जब कि ऐसे काम के कारण जनता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़े या जनता के लिये कोई छेसा उत्पन्न हो। दस्तू यौरा बनाम सरकार बहादुर 6 A L J 544 वाले मामलेमें भोफ शख्सोंको इस कारण दंड दिया गया कि उन्होंने एक मोरी को बन्द कर दिया। उक्त मोरी बहुत छन्बी थी और जिस स्थान पर कि वह रोकी या बन्द की गई थी वहां पर वह निज की जायदाद थी। म्यूनिसिपल बोर्ड की ओरसे यह बहस की गई कि

उक्त मोरी के रोक दिये जाने के कारण मोरी के उस भाग का पानी निकलना बन्द हो गया है जो कि म्यूनिसिपलटी के अधिकार में है। परन्तु सफाई या जनता के स्वास्थ्य का कोई प्रश्न म्यूनिसिपलटी की ओर से इस मामले में नहीं उठाया गया था। हाईकोर्ट ने तय किया कि दस्तू वगैरा ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि यदि कानून का यह अभिप्राय था कि कोई ऐसा काम अपराध ठहराया जाय जो भिजी जायदाद के विषय में किया जाय, चाहे उसके कारण, कुछ अन्तर पर किसी सार्वजनिक जायदाद में कुछ रकावट हो, तो ऐसी दशा के लिये कानून में विशेष और स्पष्ट शब्दों में आज्ञा दी जाना चाहिये थी।

—कोई जायज नोटिस जो दफा २६७ के अनुसार बोर्ड जारी करे उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। उपरोक्त कश्मीरी लाल यनाम कैसरहिन्द वाले मामले में माननीय हाईकोर्ट ने भी यही राय प्रकट की है।

दफा २६८ कारखानों, स्कूलों, और सर्वसाधारण के आने जानेके स्थानों के लिये पाखाने

बोर्ड, नोटिस के द्वारा, किसी ऐसे शख्सको आज्ञा दे सकता है जो बीस से अधिक काम करने वाले या मजदूर नौकर रखता हो, या जो किसी बाजार, या स्कूल, या थियेटर (Theatre-नाटक घर), या सर्वसाधारण के आने जाने के अन्य स्थान का मालिक हो, या उसका प्रबन्ध करता हो, या उसकी निगरानी करता हो, कि वह ऐसे पाखाने और बेरावखाने बनाये जो बोर्ड उचित समझे, और उनको अच्छी हालत में रखवाये, और उनको प्रति दिन साफ कराये।

परन्तु शर्त यह है कि इस दफा की कोई बात किसी ऐसे कारखाने पर लागू न होगी जो इंडियन फैक्ट्रीज ऐक्ट सन् १९११ ई० (Indian Factories Act 1911) के हुकमों के आधीन हो।

दफा २६९ तालाबों इत्यादि से उत्पन्न होने वाली कष्टदायक बातों को दूर करने की आज्ञा देने का अधिकार

१ बोर्ड, नोटिस के द्वारा, किसी आराजी या इमारत के मालिक या क्राबिज को यह आज्ञा दे सकता है कि उसके भीतर किसी ऐसे निजी कुए, या तालाब, या हौज, या पोखर को, या गड्ढे, या खोदे हुए स्थान को, साफ करे, या मरम्मत करे, या ढाक दे, या भर दे, या उसमें पानी का निकास बनवाये, जो चार्ड को स्वास्थ्यके लिये हानिकारक जान पड़े, या जो पडोस वालों के लिये कष्टदायक हो।

२ परन्तु शर्त यह है कि ऐसा मालिक या क्राबिज बोर्ड से यह कह सकता है, कि बोर्ड, किसी आराजी को, या आराजी में किसी हक को, जो पानी के उस निकास का प्रबन्ध करने के लिये आवश्यक हो जिसका हुकम उपदफा (१) में दिया गया है, अपने खर्चों से प्राप्त करे, या अन्य प्रकार दिलवाये।

व्याख्या—

उपदफा (२) का आशय यह है कि यदि बोर्ड किसी को इस बात का हुकम दे कि यह किसी मकान या आराजी में से पानी के निकास का रास्ता बनवाये तो वह बोर्ड को इस बात

पर मजबूर कर सकता है, कि बोर्ड उस आराजीको, जिसमेंसे होके पाणीके निकास का रास्ता बनवाया जाने को हो स्वयं अपने खर्चसे मोल लेले, या उक्त आराजीमें कोई ऐसा अधिकार अपने खर्चसे प्राप्त करे, जिस अधिकार के द्वारा कि उक्त आराजी पर, पानी का निकास बनवाया जा सके। परन्तु पानी के निकास के अतिरिक्त, अन्य जिन २ बातों के लिये बोर्ड, उपदफा (१) के अनुसार, आज्ञा दे सकता है, उनके करानेके खर्च का भार इमारत या आराजी के मालिक या काबिज ही पर होगा।

दफा २७० मोरियों पाखानों आदि की जांच

१ दफा २८७ के हुकमों के आधीन, बोर्ड किसी मोरी, पाखाने, नल वाले पाखाने (Water closet), पेशाबखाने, कुन्डी, या गिलाजत के किसी अन्य पात्रकी जांचकर सकता है, और ऐसी जांच करने के अभिप्राय से भूमि को जहा कही वह उचित समझे खुदवा सकता है।

२ ऐसी जांच का खर्चा, और भूमि को बन्द कर के पहले के समान ठीक करा देने का खर्चा बोर्ड को उठाना होगा, सिवाय उस दशा के कि मोरी या सडास, या नल वाला पाखाना, या पाखाना, या पेशाबखाना, या कुन्डी, या गिलाजत का अन्य पात्र बिगडा हुआ या बुरी दशा में, पाया जाय, या सिवाय उस दशा के कि यह इस ऐक्ट या अन्य किसी कानून के द्वारा, या इस ऐक्ट के या अन्य किसी कानून के अनुसार, दिये हुये किसी हुकमों के विरुद्ध बनाया गया हो, और ऐसी दशा में ऐसा खर्चा मालिक या काबिज को देना होगा, और वह उस विधि से वसूल किया जा सकेगा जो छठे प्रकरण में बताई गई है।

दफा २७१ गलीज़ इमारतों और आराज़ियों को साफ कराना

यदि कोई इमारत या आराजी गलीज़ (अशुद्ध) दशा में हो, या ऐसी दशा में हो जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हो, तो बोर्ड, नोटिस के द्वारा, उसके मालिक या काबिज को आज्ञा दे सकता है कि उसको साफ कराये, या यह कि उसको उचित दशा में करदे, और तत्पश्चात् उसको साफ और उचित दशा में रखे।

दफा २७२ घृणित पदार्थों को न उठवाना

जब कभी किसी इमारत या आराजी में—

(ए) कोई कूड़ा करकट या लीद गोबर, या हड्डियां, या राख, या पाखाना, या गिलाजत या कोई हानिकारक या घृणित वस्तु, चौबीस घंटे से अधिक समय तक रखा जाय, या किसी उचित पात्र के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार रखी जाय। या

(बी) इन चीजों का कोई पात्र अशुद्ध या हानिकारक दशा में रहने दिया जाय, या उचित रूप से साफ और पवित्र न किया जाय,

—तो उक्त इमारत या आराजी के मालिक या काबिज को, अपराध के साबित हो जाने पर, जुर्माने का दण्ड दिया जायगा, जिसकी सख्या पचास रुपये तक हो सकती है, और जब ऐसा अपराध लगातार जारी रहने वाला अपराध हो तो ऐसे शर्त पर अधिक जुर्माना होगा जिसकी सख्या, पहले पहल अपराध साबित होने की तारीख के

उपरान्त प्रत्येक ऐसे दिन के विषय में जिसमें यह साबित हो कि अपराधी अपराध के करने में भाग्यह करता रहा, पांच रुपये तक हो सकती है।

दफा २७३ कूड़ा करकट और पाखाने आदिके ठिकाने लगानेका प्रबन्ध

१ बोर्ड को अधिकार है कि—

(ए) घृणित वस्तुओं और कूड़ा करकट को थोड़े समय तक के लिये जमा कर देने के लिये पात्र रख और स्थान नियत करे।

(बी) पाखाना, और पशुओं के मृत शरीर, और अन्य घृणित वस्तु और कूड़ा करकट के डालनेके लिये, स्थाननियत करे, और

(सी) ग्राम नोटिसके द्वारा, उस समय, विधि, और शर्तोंके विषयमें, जिनके अनुसार और जिनके अधीन कोई घृणित वस्तु या कूड़ा करकट, जिसका उल्लेख क्लॉज (ए) और क्लॉज (बी) में किया गया है, किसी सड़क या गलीमें होके ले जाया जा सकता है, या जमा किया जा सकता है, या अन्य प्रकार ठिकाने लगाया जा सकता है, हिदायतें जारी करदे।

२ उपदफा (१) के क्लॉज (बी) के अनुसार किसी स्थानके नियत करनेका यह काफी नोटिस होगा, कि एक नोटिस बोर्ड (नोटिस चपकाने का तख्ता) जिससे यह पता चल जाय कि ऐसा स्थान नियत कर दिया गया है, उस स्थान के निकट या उस पर, जो स्थान कि नियत किया गया हो, लगा दिया जाय।

३ उपदफा (१) के क्लॉज (बी) के अनुसार म्यूनिसिपलटी की हदों के बाहर कोई स्थान नियत करने से पूर्व, बोर्ड को जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी प्राप्त करना होगी।

व्याख्या—

—म्यूनिसिपलटी के मैले का उचित ढंग से ठिकाने लगाया जाना, स्वास्थ्य के विचार से, एक महत्व का काम है। इस काम में किसी प्रकार अपेक्षा होनी, या उसको अनुचित रूपसे ठिकाने लगाने से, रोगों के उत्पन्न होने का भय होता है। म्यूनिसिपल मैनुअल के पन्नों ३०४, ३०५ और ३०६ में इस काम के लिये अनेक विधियां बताई गई हैं जो नीचे दी जाती हैं—

१ खाइयों में गाड़ना (Tronching)

ऐसे मैले के लिये जो अद्रव हो सबसे अच्छी विधि यह है कि वह उचित ढंग की खाइयों में गाड़ दिया जाय और जब वह भूमि में गड़ा हुआ काफी समय रह ले, तब कूपकों के हाथ बँच दिया जाय। खाइयों दो फुट चौड़ी होना चाहिये और और १ फुट से अधिक गहराई की न हों। यह खाइया समानान्तर पंक्तियों में खोदी जाना चाहिये जिनमें परस्पर २ फुट का अन्तर हो। मैला उनमें एक फुट गहरा भर दिया जाना चाहिये, और तब खाइयों में वह सब मिट्टी जो खोदी गई हो भर दी जाना चाहिये। भर दिये जाने पर यह खाइया लम्बी लम्बी मुँदरों सी जान पड़ेंगी और इन मुँदरों के द्वारा खाई के स्थान का पता चल सकेगा। कुछ मास में मिट्टी वृषके भूमि की,

सतह के बराबर हो जायगी। जो मैला खाइयों में इस तरह दाब दिया जाता है वह बहुधा छ मास में निर्दोष पदार्थ हो जाता है। परन्तु उसमें परिवर्तन होगा बहुत कुछ इस बात पर निर्भर होता है कि मिट्टी किस प्रकार की है। इसलिये सर्वथा खोद के परीक्षा कर लेना चाहिये कि गाढा हुआ मैला सूख गया है कि नहीं और दुर्गन्ध रहित होगया है कि नहीं। ऐसी परीक्षा के बाद ही उसको बेचना चाहिये खाइयों में प्रत्येक मास का मैला जहाँ तक डाला जाय वहाँ पर एक छोटा सा एम्भा गाड़ देना चाहिये, और उस पर मास का नम्बर और वर्ष लिख दिया जाय जैसे १९१६ इस काम के लिये जो आराजी ली जाय उसकी मिट्टी चिकनी होना चाहिए, रेतीली मिट्टी न हो। जिस स्थान में खाइयाँ बना दी जाय उसमें फिर एक वर्ष से अधिक तक खाइयाँ न बनाई जाय या अधिक से अधिक दो वर्ष तक इस अवधि के पश्चात् उस स्थान में मैला दवाने के लिये मिट्टी न रह जायगी। तब उस स्थान को चौरस कर देना चाहिये। और कुछ फसलें उसमें बोई जाय। इसके उपरान्त फिर उसमें खाइयाँ बनाई जा सकती हैं।

२ जला देना (Incineration)

दूसरी विधि यह है कि वह जला दिया जाय। इस विधि से वन्हीं स्थानों में काम लिया जाय जहाँ पाखानों में द्रव तथा अद्रव पदार्थों को अलग कर दिये जाने के उपाय कर दिये गये हों और जहाँ जलाने के लिये सूखी वस्तुयें मिल सकें। इसलिये यह विधि उन स्थानों के लिये उचित है जहाँ वर्षा कम होती हो। जलाने के लिये सब से अच्छा चूल्हा वह है जो 'स्यालकोट का नमूना' कहलाता है। यह चूल्हा पाखानों के पास ही लगाना चाहिये और एक भगी इस काम के लिये हर समय उपस्थित रहना चाहिये। मैला भाग पर थोड़ा थोड़ा कर के डाला जाना चाहिये पहाड़ों पर मिट्टी मकानों के लिये छोड़े के चूल्हे हों जिनमें ६ फुट की चिमनी हों।

३ खाइयाँ खोदने की थार्नहिल की विधि

(Thornhill System of Trenching)

जो मैला पूर्णतया अद्रव न हो उसके ठिकाने लगाने के लिये थार्नहिल की विधि सबसे अच्छी पाई गई है। भूमि में उथली खाइयाँ खोदी जाती हैं, जो १६ फुट लम्बी ५ फुट चौड़ी, और ९ इंच गहरी होती हैं। इसमें से नीचे की ३ इंच मिट्टी खार्द की तली में रहने दी जाती है। बाहर निकाली हुई मिट्टी कूटदी जाती है। मैलेकी एक गाढी डममें डाली जाती है और उसके ऊपर रोदी हुई मिट्टी तुरन्त डाल दी जाती है। मैले का जो भाग द्रव की दशा में होता है उसको मिट्टी तुरन्त सुखा देती है और इस प्रकार उससे मक्खियाँ उत्पन्न नहीं होती हैं। खाइयों पर की भूमि इतनी कड़ी हो जाती है कि बूमरे ही दिन उस पर घोड़ा दौड़ाया जा सकता है, और तीन सप्ताह में भूमि रेतों के लिये जोनने को तैयार हो जाती है। यदि वह आराजी जिसमें ऐसी खाइयाँ बनाई जाय बोई की हों, तो इस विधि के द्वारा आर्थिक लाभ बहुत हो सकता है। परन्तु ऐसी भूमि के सींचने के लिये पानी बहुत चाहिये होता है। इस प्रकार की खाइयाँ रेतीली मिट्टी में भी बनाई जा सकती हैं। यह विधि अद्रव मैले के ठिकाने लगाने के लिये विटकुल अनुचित है क्योंकि बरेली में परीक्षा करने से जान पडा है कि उसके कारण असह्य मक्खियाँ उत्पन्न हो जाती हैं।

४ गड्डों में दबा देना (Pitting)

गड्डों में दबाने की एक विधि है जो किसी प्रकार सन्तोपप्रद नहीं होती, जब तक कि बहुत होशियारी से उसकी निगरानी न की जाय। यह विधि उन स्थानों में काम में लाई जाती है जहाँ सगाई का काम मौखसी भगी करते हैं। मैला कृपकों को सीधा बेच दिया जाता है इस शर्त पर कि वे उसको अपने ही खेतों में दबायेंगे। गड्डे जिमींदार की आराजी पर ३ फुट गहरे और ५ फुट चौड़े खोदे जाते हैं।

५ अन्य विधियां

पश्चिम के कुछ जिलों में मैले को गहरे और बड़े गड्डों में दबा देते हैं और कुछ समय के बाद उसको खोद के कृपकों के हाथ बेच देते हैं। यह विधि बिल्कुल गलत है। इसको हर जगह छोड़ देना चाहिये। मैले को सीधा कृपकों के हाथ बेच देना और भी खराब है उसको उथली ऐसी खाइयों में दबा देना जो ३ इंच गहरी और ६ इंच चौड़ी होती हैं, क्योंकि यदि उसके ऊपर काफी मिट्टी की तह नहीं डाली जाती तो उससे अगणित मक्खिया उत्पन्न होती हैं।

६ ईंट के भट्टों में

मैले को कूड़े करकट के साथ मिलाके भट्टों में जलाने के लिये बेच देना भी एक बुरी विधि है। जब तक भट्टे में आग लगाई जाती है, तब तक उसमें से अगणित मक्खिया उत्पन्न हो जाती हैं। भट्टे प्रायः नगरों के निकट होते हैं अतएव यह विधि स्पष्ट खराब है। परन्तु यदि भट्टा बस्ती से कमसे कम आधे मील पर हो और उसमें आग शीघ्र लगाई जाने वाली हो, तो इस विधि की इजाजत दी जा सकती है।

सड़कों पर से जमा किये हुये कूड़े करकट को इस काम में लाये जाने में कोई उन्न नहीं किया जा सकता, परन्तु उसको बहुत दिन तक जमा नहीं रहने देना चाहिये। कूड़ा करकट से उत्तम खाद बनती है, और मेरठ में उसको घास के फार्म पर काम में लाये जाने से बड़ी आमदनी होती है।

७ गड्डे और खाइयां खोदने के विषय में हिदायतें

गड्डे और खाइया खोदने के विषय में नीचे लिखी हिदायतों पर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिये।

- (ए) बस्ती के कुओं के, और पानी निकलने के अन्य स्थानों के, कमसे कम, तीन सौ गज के भीतर कोई गड्डे या खाइया खोदने की आज्ञा न देना चाहिये।
- (बी) गड्डे तीन फुट से अधिक गहरे न होना चाहिये, और यदि सम्भव हो तो प्रत्येक गड्डी के बोझ के ऊपर (यदि उसमें कूड़ा करकट न मिला हो) एक तह मिट्टी की डोली जाना चाहिये। प्रत्येक गड्डे के ऊपर एक फुट मिट्टी रहना चाहिये।
- (सी) गड्डे म्यूनिसिपलटी के नौकरों के द्वारा खुदवाये जाना चाहिये। यदि स्वयं कृपक गड्डे खुदवायें तो उन पर म्यूनिसिपलटी की ओर से निगरानी रखी जाना चाहिये।
- (डी) गड्डे और खाइया खोदने का काम वर्ष के किसी समय में किया जा सकता है।

दफा २७४ कूड़ा करकट और मैले आदि का अनुचित रूप से ठिकाने लगाने के लिये दण्ड

किसी ऐसी इमारत या आराजी के काबिज को, जिसमें से कोई हानिकारक पदार्थ, या कूड़ा करकट, या मैला, या कोई मृत शरीर, उस स्थान के अतिरिक्त जो दफा २७३ की उपदफा (१) के क्लॉज (बी) के अनुसार नियत किया गया हो, या उस पात्र के अतिरिक्त जिसके विषय में दफा २७३ की उपदफा (१) के क्लॉज (ए) में हुक्म दिया गया है किसी सार्वजनिक स्थान, या सड़क, या गली के किसी भाग पर, या किसी बन्द या खुली मोरी में, या किसी ऐसी मोरी में जिसका मेल किसी बन्द या खुली मोरी से हो, डाला या जमा किया जाय, तथा प्रत्येक ऐसे शख्स को जो किसी ऐसी आज्ञा के विरुद्ध काम करे जो उक्त उपदफा के क्लॉज (सी) के अनुसार दी गई हो, अपराधके साबित होने पर, जुर्मानाका दण्ड दिया जायगा, जिसकी सख्या २०) वीस रुपये से अधिक न होगी ।

व्याख्या—

इस धात पर ध्यान देना चाहिये कि किसी मकानका काबिज, इस दफाके शब्दोंके अनुसार अपने किसी नौकर या धरके किसी दूसरे व्यक्तिके कामका भी जिम्मेदार होगा । काबिज' शब्दके अर्थ के लिये देखिये, प्यारेलाल बनाम सरकार बहादुर 15 A. L. J. 187=39 All, I L R 309=38 I C 308, जो दफा २ के न० ११ की व्याख्यामें दी गई है ।

दफा २७५ पशुओंके मृत शरीरोंका ठिकाने लगाया जाना

१ यदि बेचे जाने के लिये या खानेके लिये या किसी धार्मिक प्रयोजनके लिये, मारे जानेके अतिरिक्त, किसी अन्य प्रकार कभी कोई पशु जो किसी शख्सकी सुपुर्दगी में हो, मर जाय तो उक्त शख्स को चाहिये कि चौबीस घण्टेके भीतर या तो—

(ए) मृत शरीर को किसी ऐसे स्थानमें (यदि कोई ऐसा स्थान हो) ले जाय, जो बोर्ड ने दफा २७३ के अनुसार पशुओंके मृत शरीरोंके ठिकाने लगाने के लिये नियत किया हो, या म्युनिसिपलटी की हदोंके बाहर किसी ऐसे स्थानमें ले जाय, जो स्थान उक्त हदों से एक मीलके भीतर न हो । या

(बी) उक्त जानवर के मर जाने की सूचना बोर्ड को दे और सूचना मिलने पर बोर्ड उक्त मृत शरीर को ठिकाने लगवा देगा ।

२ जिस शख्स का कर्तव्य उपदफा (१) के अनुसार कार्रवाई करने का हो, यदि वह उस प्रकार कार्रवाई न करे, तो उसको, अपराध के साबित हो जाने पर, जुर्माने का दण्ड दिया जायगा जिसकी सख्या १०) दस रुपये तक हो सकती है ।

३ उपदफा (१) के क्लॉज (बी) के अनुसार, किसी पशु के मृत शरीर के ठिकाने लगाने के लिये, बोर्ड उतनी फीस ले सकता है जितनी कि बोर्ड ने नियमित की है, और बोर्ड को अधिकार है कि यदि ऐसी फीस पशुमी न अदा करदी गई हो, तो उसको पशु

के मालिक से या राखवाले से, उस विधि में चसूल, करले जिसके लिये हुक्म छूटे प्रकरण में दिया गया है।

दफा २७६ सार्वजनिक सड़क या 'गली' इत्यादि पर मैले पानी बहाने के लिये दंड

जब कभी किसी छुन्डी, या बन्द मोरी या चहचच्चे, का पानी या अन्य कोई हानिकारक पदार्थ, किसी सार्वजनिक स्थान या सड़क या गली पर या किसी बन्द या खुली मोरी में, जो इस मतलब के लिये अलग न करदी गई हो, बिना बोर्ड की लिखित इजाजत के, या किसी ऐसी शर्त के विरुद्ध जो उक्त इजाजत में नियमित हो, जारी होने या बहने दिया जाय या रखा जाने दिया जाय, तो उस आराजी या इमारत के मालिक या क्वाबिज को, जिसमें से इस प्रकार का पानी या हानिकारक पदार्थ, इस प्रकार निकले या बहे या रखा जाय, अपराध के साबित हो जाने पर, जुर्मानेका दंड दिया जायगा, जिसकी संख्या २० बीस रुपये तक हो सकती है।

दफा २७७ इमारतमें प्रवेश करने, और उनको औपधियोंसे शुद्ध कराने का अधिकार

दफा २८७ के हुक्मों के आधीन, बोर्ड को अधिकार है कि किसी इमारत में प्रवेश करे, और उसकी जांच करे, और नोटिस के द्वारा, यह आज्ञा दे कि आरोग्यता के विचार से, उसके कुल या किसी भागमें, भीतर या बाहर, सफेदी कराई जाय, या औपधियों के द्वारा वह साफ की जाय, या अन्य प्रकार से सफाई की जाय।

परन्तु शर्त यह है कि इस दफा की कोई बात किसी ऐसे कारखाने पर लागू न होगी जो इंडियन फैक्ट्रीज ऐक्ट सन् १९११ई० (Indian Factories Act 1911) के आधीन हो।

दफा २७८ इमारतें जो मनुष्य के निवास के अयोग्य हों

१. यदि पानी के निकास के, या वायु के गमन आगमन के उचित उपाय न होने के कारण, या किसी अन्य कारण से कोई इमारत या किसी इमारत का कोई कमरा बोर्ड की राय से मनुष्य के निवास के अयोग्य हो, तो बोर्ड, उक्त के मालिक या क्वाबिज को, नोटिस के द्वारा उक्त इमारत या कमरे को मनुष्य के निवास के काम में लाने या लाने दिये जाने से, या तो बिल्कुल मनाही कर सकता है, या यह मनाही कर सकता है कि मनुष्य के निवास के लिये वह उस समय तक काम में न लाया जाय जब तक कि, उस अवधि के भीतर जो नोटिस में अंकित हो, वह शरह उसमें ऐसा परिवर्तन न करदे, जो नोटिस में नियमित हो।

२. उस दफा में जब कि वह शरह, जिसके नाम उपदफा (१) के अनुसार नोटिस जारी किया गया हो, नोटिस की आज्ञा पालन न करे, तो बोर्ड को जायज होगा कि दूसरे नोटिस के द्वारा यह आज्ञा दे कि उक्त इमारत या कमरा गिरा दिया जाय।

व्याख्या—

—जो हुक्म इस दफा की उपदफा (१) या (२) के अनुसार दिया जाय उसके विरुद्ध अपील

दफा ३१८ के अनुसार की जा सकती है, और दफा ३०७ के अनुसार बोर्ड को अधिकार हैं कि वह स्वयं ऐसी इमारत या कमरे को तुड़वा दे और उसमें जो खर्चा हो उसको दफा ३१२ के अनुसार वसूल कर ले।

दफा २७९ हैजा शीतला आदि रोगोंकी सूचना न देनेके लिये दण्ड जो कोई—

- (ए) रोग चिकित्सक (Medical practitioner) होकर रोग चिकित्सा करते हुये, म्यूनिसिपलटीके भीतर किसी ऐसे घरमें जो सार्वजनिक अस्पताल न हो, हैजा या ताऊन या शीतलाके होने से, या किसी अन्यपेसे ही फैलने वाले रोगके होने से, जिन रोगों के विषय में इस अभिप्राय से प्रान्तीय सरकार ने विज्ञापन दे दिया हो, अभिज्ञ होकर। या
- (बी) उस दशा में जब कि ऐसा रोग चिकित्सक सूचना न दे, तो ऐसे घर का मालिक या क्राविज होकर और उसमें किसी ऐसे फैलने वाले रोग के होने से अभिज्ञ होकर। या
- (सी) यदि ऐसा मालिक या क्राविज सूचना न दे, तो कोई ऐसा शख्स जिसकी सरक्षता में कोई ऐसा गृहस्थ हो जो ऐसे घर में किसी ऐसे फैलने वाले रोग से घीमार हो, या जो किसी ऐसे रोगी के पास उसका काम काज करने के लिये उपस्थित रहता हो, और जो ऐसे रोग के उस घर में होने से अभिज्ञ होकर,

—उक्त रोग के होने के विषय में, किसी ऐसे अफसर को जिसको बोर्ड ने इस विषय में नियत किया हो, सूचना न दे, या झूठी सूचना दे, उसको अपराध के साबित हो जाने पर, जुर्मानेका दंड दिया जायगा, जिसकी राक्या ५०) पचास रुपये तक हो सकती है।

परन्तु शर्त यह है कि यदि किसी शख्स को सबसे पहले सूचना देने का आज्ञा न हो वरन केवल उस दशा में जब कि कोई और शख्स ऐसी सूचना न दे, तो यदि यह साबित कर दिया जाय, कि उसके लिये यह बात ख्याल कर लेने के उचित कारण थे कि ऐसी सूचना दे दी जा चुकी है, या यह कि ऐसी सूचना जायज रूप से दे दी जायगी तो ऐसा शख्स दण्ड के योग्य न समझा जायगा।

व्याख्या—

छाँज (ए) के द्वारा प्रान्तीय सरकार को अधिकार दिया गया है कि हैजा ताऊन और शीतला के अतिरिक्त, किसी अन्य रोग के विषय में विज्ञापन के द्वारा यह आज्ञा दे दे कि उस रोग की भी सूचना म्यूनिसिपलटीज ऐक्टकी दफा २७९के अनुसार दी जाय। और विज्ञापन No 4825 XI 135 तारीख २ दिसम्बर सन् १९१६ ई० के द्वारा प्रान्तीय सरकार ने आज्ञा दी है कि डिप्थीरिया (Diphtheria), खसरा (छोटी चेचक) और स्कारलेट ज्वर अर्थात् लाल बुखार (Scarlet Fever) की भी सूचना ऐसे अफसर को, जिसको किसी म्यूनिसिपलटी के बोर्ड ने इस अभिप्राय से नियत किया हो, दी जाय।

—दफा २७९ के द्वारा फैलने वाली बीमारियों की सूचना देने का कर्तव्य सब से पहले रोग

चिकित्सकों पर डाला गया है। प्रत्येक डाक्टर आदि को चाहिये कि किसी ऐसे रोगी को देखने पर, जिसको उन रोगोंमें से कोई रोग हो जिनके विषय में म्युनिसिपलटी को सूचना दी जाना चाहिये, तुरन्त सूचना दे दे। यदि ऐसा रोग चिकित्सक सूचना न दे तो जिस मकानमें ऐसा रोगी हो उसके मालिक या फ़ाबिज को सूचना देना चाहिये। और यदि ऐसा मालिक या फ़ाबिज भी सूचना न दे तो उस शख्स का यह कर्तव्य रखा गया है जिसकी देख भाल में ऐसा रोगी हो, कि वह म्युनिसिपलटी को सूचना दे दे। यदि इनमें से कोई ऐसा शख्स जिसका सूचना देने का कर्तव्य हो, सूचना न दे, तो उस पर ५०) पचास रुपया तक जुर्माना हो सकता है।

परन्तु दृष्टके लिए यह शर्त रखी गई है कि यदि कोई ऐसा शख्स जिसका कर्तव्य सूचना देने का केवल उसी दशा में हो जब कि कोई अन्य शख्स सूचना न दे, (जैसे मकान के मालिक का कर्तव्य उसी दशा में है जब कि डाक्टर आदि सूचना न दे) यह साधित कर दे कि उसके केवल इस कारण सूचना नहीं दी थी कि उसको यह विश्वास था कि वह अन्य शख्स सूचना दे देगा जिसका उससे पहले कर्तव्य था, तो ऐसे दूसरे शख्स को दंड नहीं दिया जायगा जैसे (धी) एक मकान का मालिक, जुर्माने के दंड का भागी न होगा, यदि वह यह साधित कर दे कि उसको विश्वास था कि (ए) जो रोगी का चिकित्सक था, म्युनिसिपलटी को रोग की सूचना दे देगा।

दफ़ा २८० रोगियोंको हटवाके अस्पताल भिजवा देना

जब कोई शख्स, जो हैजा, या ताऊन, या शीतला, या किसी ऐसे फैलने वाले रोग से बीमार हो जिसका इस विषय में विज्ञापन प्रान्तीय सरकार ने दे दिया हो, या जिस शख्स के विषय में कोई ऐसा रोग चिकित्सक, जिसको क़ानूनके अनुसार योग्यता प्राप्त हो, यह तस्दीक करे कि वह इस प्रकार के किसी रोग से बीमार है, और वह—

- (ए) कोई उचित घर या वासस्थान न रखता हो। या
- (बी) किसी सराय में या किसी दूसरे ऐसे स्थान में, जिसमें और लोग भी किराये पर रहते हों, रहता हो। या
- (सी) किसी ऐसे कमरे, या घर में रहता हो जिसका वह मालिक न हो, और जिसमें रहनेका उसको किसी अन्य प्रकारका अधिकार न हो। या
- (डी) किसी ऐसे कमरे या कमरों के समूह में (Set of apartments) रखा जाता हो, जिसमें एक से अधिक कुटुम्ब रहते हो और उन में से कोई फ़ाबिज उसको, उस कमरे या कमरों के समूह में, रखे जाने पर उच्च करे।

तो बोर्ड किसी ऐसे डाक्टरी पेशा अफसर की सलाह से जिसका पद असिस्टेंट सर्जन के पद से नीचा न हो, उस रोगी को किसी ऐसे अस्पताल या स्थान में हटवा दे सकता है, जहां ऐसे रोगों के रोगी चिकित्सा के लिये दाखिल किए जाते हों, और इस प्रकार हटाये जाने के लिये जो काम आवश्यक हो बोर्ड वह भी कर सकता है।

व्याख्या—

फैलने वाले रोगोंके लिये अस्पताल खोले जानेके विषय में नीचे लिखी हिदायतें दी गई हैं —
१ बड़े बड़े समय तगरों में और विशेष कर उन स्थानों में जहां यात्री या अन्य लोग धार्मिक

विचार से, या अन्य कार्यों के लिये, समय समय पर, बड़ी बड़ी सख्या में, जमा हुआ करते हैं, फैलने वाले रोगों के अस्पतालों के खोले जाने की आवश्यकता पर यात्री कमेटी की रिपोर्ट (Pilgrims Committee Report) में भी जोर दिया गया है। जब उहरने के सब स्थान और धर्मशाले यात्रियों से भर जाते हैं, और उनके दलके दल पेड़ोंके नीचे भी, या जहाँकहीं स्थान मिले, उहर जाते हैं, तो ऐसी दशा में फैलने वाले रोगों के, इका दुका रोगी जो हों, उनको अलग कर दिया जाना स्पष्ट आवश्यक होता है। किन्तु जब तक कोई ठीक अस्पताल इस काम के लिये नहीं खोल दिया जाता तब तक ऐसे रोगियों को अलग रखना सम्भव नहीं होता। ऐसे रोगियों को अलग कर देने का प्रयत्न करने के लिये आवश्यक यह है कि किसी को रोग होने पर तुरन्त सूचना मिल जाय, और ऐसी सूचना तुरन्त उसी दशा में मिल सकती है जब कि सर्वसाधारण को उचित अस्पतालों के खुल जाने से, और उनमें रोग चिकित्सा का ठीक प्रबन्ध होने से, उन पर भरोसा हो जाय।

२ ऐसे अस्पतालों में कितने रोगियों के रखे जाने की जरूरत पड सकती है इसका निर्णय, प्रत्येक स्थान के लिये, पिछले अनुभव से किया जा सकता है परन्तु इतनी यात साफ है कि प्रबन्ध ऐसा करना चाहिये कि पहले तो एक छोटा सा अस्पताल खुल जाय और यदि आगन्तुकों में रोग बहुत बढे तो अस्पताल शीघ्रता से बढाया जा सके।

अन्य बातें जिन पर ध्यान देना चाहिये यह हैं —

- (१) रोगियों को अपने संग अस्पताल में एक दो भारतीय जनों को रखने की मनाही कर देने से उनको अनिष्टुक न करना चाहिये।
- (२) भिन्न २ हैसियत के रोगियों को एक संग न रखना चाहिये, और ऐसे रोगियों के लिये, जो अपनी चिकित्सा और भोजन के दाम देने को तैयार हों, अस्पताल में अलग वार्ड (Ward) खोल देना चाहिये।
- (३) हैजे की चिकित्सा के द्वारा रोगियों को अच्छा कर लेने में सफलता तो अब बहुत होने लगी है किन्तु पहले की अपेक्षा अस्पताल में अधिक स्थान की आवश्यकता भी होने लगी है।
- (४) स्थान की कमी के कारण, अच्छे हो चुके हुये (परन्तु निर्बल) रोगियोंको अस्पताल से शीघ्र निकाल देने से रोग फिर फैल जाता है अतएव इस यात के निश्चय करने में कि कितने रोगियों के रखने का प्रबन्ध किया जाय, इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि ऐसे निर्बल लोगों को अस्पताल से जल्दी अलग न करना पडे।
- (५) यदि सम्भव हो तो भिन्न भिन्न रोगों के लिये वार्ड अलग अलग हातों में रखे जाय, नहीं तो रोगियों की देख रेख करने वालों में रोग फैलने का भय रहेगा।

३ फैलने वाले रोगों के बीमारों को अलग करने के लिये अस्पताल खोल कर जो म्यूनििसिपल बोर्ड स्थानीय स्वराज्यका एक प्राथमिक कर्तव्य पूरा करने पर तैयार हों उनको चाहिये कि अस्पताल आदि के नकशों के लिये तथा इस प्रश्न के किसी ऐसे विषय पर सलाह के लिये, जो उनकी समझ में न आये, सनिटरी कमिश्नरको दरखास्त दें (देखिये म्यूनििसिपल मैनुअल के पन्ने ३११ और ३१२)

दफ्ता २८१ उन कामों के लिये दण्ड जो कोई ऐसे लोग करें जो रोगों से पीड़ित हों

जो शकस किसी फैलने वाले (Infectious) रोग से, या किसी स्पर्शजन्य

(Contagious) रोग से; या किसी घाणत रोग से, पीडित होने की दशा में—

(ए) कोई खाने, या पीने की वस्तु, या दवा या औषधि बेचनेके लिये बनाये, या बेचनेके लिये पेश करे। या

(बी) किसी ऐसी वस्तु, या दवा या औषधि को, जब उसको किसी दूसरे ने बेचनेके लिये रखा हो, जान बूझ कर छुये। या

(सी) मैले कपडे धोने या ले जाने के काम में कोई भाग, ले।

—उसको, अपराध के साबित हो जाने पर, जुर्माने का दण्ड दिया जायगा, जिसकी सख्या २०) बीस रुपये तक हो सकती है।

दफा २८२ ऐसी खेतीके करने, और ऐसी खादके काममें लाने, या इस प्रकार सींचनेकी मनाही, जो स्वास्थ्यके लिये हानिकारक हो

१ यदि सेनिटरी कमिश्नर, या सिविल सर्जन, या हेल्थ अफसर तस्दीक करे कि किसी प्रकार की फसल की खेती करना, या किसी प्रकार की खाद का काम में लाना, या भूमि को किसी निर्दिष्ट विधि से सींचना—

(ए) किसी म्यूनिस्लिपलटी की हदों के भीतर, किसी स्थान में, आस पास के रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है, या

(बी) किसी म्यूनिस्लिपलटी की हदों के बाहर या भीतर, किसी स्थान में, उससे ऐसे पानी के अशुद्ध हो जाने की सम्भावना है, जो म्यूनिस्लिपलटी के भीतर काम में लाया जाता हो, या उससे, किसी अन्य प्रकार, पानी का पीने के काम में अयोग्य हो जाने की सम्भावना है—

—तो बोर्ड, आम नोटिस के द्वारा, उस फसल की खेती, या उस खाद का काम में लाया जाना, या उस विधि से भूमि का सींचा जाना मना कर सकता है, जिसके हानिकारक होने की रिपोर्ट की गई हो, या ऐसी शर्त लगा सकता है जिनके द्वारा, उससे, हानि या अशुद्धता का होना रुक जाय।

२ परन्तु शर्त यह है कि जब किसी जमीन में, जिसके सम्बन्ध में ऐसा नोटिस जारी किया गया हो मनाही की तारीखसे पूर्व लगातार पांच वर्ष तक कृषिके साधारण रीति से किये जाने में, वह काम जिसकी मनाही की गई हो किया जाता रहा हो, तो ऐसी मनाही से जो हानि होगी, उसका मुआविजा म्यूनिस्लिपलटी के कोष से उन सब शर्तों को दिया जायगा जिन पर ऐसी मनाहीका प्रभाव पड़े।

नोट—आग नोटिस के दिने जाने की विधि के त्रिये देखिये दफा ३०४ और आग नोटिसकी आज्ञा पाउन न की जानेकी दशाके लिये देखिये दफा ३०६। पुआविजे के निरतर्प करनेमें यदि झगडा हो, उसके अिये देखिये दफा ३२४।

दफा २८३ मालिक को हानिकारक बनस्पतिके साफ करानेके लिये आज्ञा देने का अधिकार

बोर्ड, नोटिस के द्वारा, किसी जमीन के मालिक या फाविज को, यह आज्ञा दे सकता है कि वह किसी पेसी बनस्पति या झाड़ियों को साफ करदे और उठवादे, जो स्वास्थ्यके लिये हानिकारक हों, या जो आसपासके रहनेवाले लोगोंके लिये कष्टदायक हों।

दफा २८४ खोदे हुये स्थानों को भरवा देने, या उनका पानी निकलवा देने के लिये हुक्म देने का अधिकार

१ किसी ऐसी म्यूनिसिपलटी में, जिसके लिये दफा २९८ की मद् (जे) के अग (जी) के अनुसार, बाई-लो बना दिये गये हो, बोर्ड नोटिस के द्वारा, किसी ऐसी भाराजी के मालिक या फाविज को, जिस भाराजी पर ऐसे बाई-लाओं की आज्ञा के विरुद्ध, कोई स्थान खोदा गया हो, या कोई चहबच्चा, तालाब या गड्ढा बनाया या खोदा गया हो, या जो किसी ऐसी शर्तों की आज्ञा के विरुद्ध खोदा या बनाया गया हो जिन शर्तों के आधीन कि ऐसे स्थानके खोदने और चहबच्चा, तालाब या गड्ढेके खोदने या बनाने की आज्ञा दी गई हो, यह आज्ञा दे सकता है कि वह उस अवधि के भीतर जो उक्त नोटिस में अंकित कर दी गई हो ऐसे खोदे हुए स्थान को, या चहबच्चे, तालाब, या गड्ढे को, भर दे, या उसका पानी निकाल दे।

२ इस दफा के हुक्मों को, और ऐसे बाई-लाओं के हुक्मों जो इस दफा के मतलबों के लिये बनाये गये हों, प्रान्तीय सरकार, विज्ञापन के द्वारा, म्यूनिसिपलटी के बाहर किसी ऐसे रकबे पर लागू कर सकती है, जो रकबा म्यूनिसिपलटी की हद्द से एक मील के भीतर हो।

व्याख्या—

यह जरूरी नहीं है कि बोर्ड इस दफा के अनुसार उसी दफामें हुक्म दे जब कोई तालाब, गड्ढा आदि जाताके लिये कष्टदायक हो वरन बोर्डको पूरा अधिकार है कि जिस तालाब, गड्ढे आदि के विषयमें यह चाहे, उसको भरने आदि का हुक्म दे, चाहे उसमें उस समय कोई मत्त पहुंचता हो या न पहुंचता हो।

—उपदफा (२) के द्वारा प्रान्तीय सरकार को इस दफाके हुक्मोंके म्यूनिसिपलटीकी हद्दों के बाहर लागू कर देने का अधिकार इस कारण दिया गया है कि म्यूनिसिपलटी की हद्दों के बाहर तालाब या गड्ढों में पागि भरे रहने से बड़ी हानि हो सकती है, जैसी कि तालाबों या गड्ढों के म्यूनिसिपलटी की हद्दों के भीतर होने से होती है।

—प्रान्तीय सरकार का यह अधिकार विज्ञापन N0 1108 XI 504 E के द्वारा कमिश्नरों को सौंप दिया गया है।

दफा २८५ कबरिस्तानों और मग्घटों के विषय में अधिकार

१ बोर्ड, आम नोटिस के द्वारा किसी ऐसे कबरिस्तान या मग्घट के विषय में जिसके विषय में सिविल सर्जन या हेल्थ अफसर इस बात को तसदीक करे कि यह आसपास

के रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिये भयप्रद है, या उसके भयप्रद होने की सम्भावना है, यह आज्ञा दे सकता है, कि वह एक ऐसी तारीख से बन्द कर दिया जाय, जो नोटिस में अंकित हो, और ऐसी दशा में, यदि मृत शरीरों के गाड़ने या जलाने के लिये, एक उचित अंतर के भीतर, कोई ठीक स्थान न हो, तो बोर्ड इस अभिप्राय से, कोई उचित स्थान नियत कर सकता है।

२ मृतशरीरों के गाड़ने के जो निजी स्थान ऐसे कब्रिस्तानों में हों वह, उन शर्तों के आधीन जो बोर्ड इस विषय में लगाये, उक्त नोटिस से बाहर निकाल दिये जा सकते हैं।

परन्तु शर्त यह है कि ऐसे स्थानों की हदें काफी रूप से निश्चित होना चाहिये और यह कि ऐसे स्थान, केवल उनके मालिकों के गृहजनों को गाड़ने के काम में लाये जाय।

३ बोर्ड की लिखित इजाजत के बिना कोई आम या निजी कब्रिस्तान या मरघट नहीं बनाया जायगा न स्थापति किया जायगा।

४ कोई शख्स, सिवाय बोर्ड की लिखित इजाजत के, किसी मृतशरीर को सिवाय किसी ऐसे कब्रिस्तान या मरघट के जिसको बोर्ड ने स्वीकार कर लिया हो, (Recognized Burial Place) किसी अन्य स्थानमें न गाड़ेगा, न जलावेगा, न गढ़वायेगा, न जलवायेगा।

५ जो शख्स किसी मृतशरीर को, इस दफा के हुक्मों के विरुद्ध गाड़ेगा या जलावेगा गढ़वायेगा जलवायेगा या गाड़ने या जलानेकी आज्ञा देगा, उसको, अपराध के साबित हो जाने पर, जुर्मानेका दंड दिया जायगा, जिसकी संख्या पचास (५०) रु० तक हो सकती है।

व्याख्या—

कब्रिस्तानों और मरघटों के सम्बन्ध में बाई लॉ बनाने का अधिकार बोर्डों को दफा २९८ की मद (आई) के अन्त (सी) के द्वारा दिया गया है। आम नोटिस के लिये देखिये दफा ३०४ और आम नोटिस की आज्ञा पालन न किये जाने के लिये दण्ड दफा ३०६ में रखा गया है। इस दफा के हुक्मों के विरुद्ध जो अपराध किया जाय उसके विषयमें फैसला कर लेने का अधिकार नहीं दिया गया है (देखिये दफा ३१५)। इस दफा के अनुसार जो हुक्म दिये जाय उनके विरुद्ध अपील करनेका अधिकार दफा ३१८ के अनुसार दिया गया है।

दफा २८६ नहाने और वस्त्रादि धोने के स्थान

बोर्ड, नहाने के मतलब के लिये उचित स्थान अलग कर सकता है, और यह बात भी निश्चय कर सकता है कि किन समयों पर, और मर्दे या स्त्री, ऐसे स्थानों को काम में ला सकते हैं, और बोर्ड पशुओं को नहलाने, या वस्त्र, या अन्य वस्तुये धोने, के लिये भी उचित स्थान अलग कर सकता है, और आम नोटिस के द्वारा, किसी सार्वजनिक स्थान में, जो इस प्रकार अलग कर दिया गया हो, नहाने की या पशुओं को नहलाने की, या वस्त्र या अन्य वस्तुये धोने की, मनाही कर सकता है, या यह मनाही कर सकता है कि सिवाय उन समयों के और सिवाय उन शख्सों के, जो नोटिस में अंकित हों, किसी अन्य समय पर और कोई अन्य शख्स, ऐसे स्थानों में न नहाये, न पशुओं को नहलाये, न वस्त्र न अन्य वस्तु धोये। और बोर्ड इसी प्रकार किसी और ऐसे काम की

मनाही कर सकता है जिससे सार्वजनिक स्थानों का पानी दूषित हो जाय, या काम में लाये जाने के अयोग्य हो जाये, या किसी ऐसे काम की मनाही कर सकता है। जिसके कारण उन लोगों को, जो उक्त स्थानों को कानून के हुक्मों के अनुसार, काम में लाते हों, असुविधा या कष्ट हो, या असुविधा या कष्ट होने की सम्भावना हो।

इमारतों आदि की जांच करना, उनमें प्रवेश करना, और उनकी तलाशी करना, इत्यादि

(Inspection Entry Search Etc)

दफा २८७ साधारण जांच

१ बोर्ड का चेयरमैन और एक्जिक्यूटिव अफसर और यदि इस विषय में रेजोल्यूशन के द्वारा अधिकार दिया गया हो, तो कोई और मेम्बर, या अफसर, या कर्मचारी, किसी इमारत में, या किसी आराजी पर, सहायकों या काम करने वालों के सहित, या बिना उनके, किसी ऐसे काम (तामीर) की जांच या नाप करने या बनवानेके उद्देश्यसे प्रवेश कर सकता है जिस कामके बनाने या पूरा करनेका अधिकार, इस ऐक्ट के द्वारा, या नियमों या वाईलॉओंके द्वारा, किसी बोर्डको दिया गया हो, या जिस कामका बनाना या पूरा करना, बोर्डके लिये, इस ऐक्टके, या नियमोंके, या वाईलॉओंके मतलबों में से किसी मतलबके लिये, या उनके हुक्मों में से किसी हुक्मके अनुसार अवश्यक हो।

२ परन्तु शर्त यह है कि—

(ए) सिवाय उस दशाके इस ऐक्टमें या नियमों, या वाईलॉओंमें इस सम्बन्ध में, इसके विरुद्ध कोई स्पष्ट आज्ञा हो, सूर्योस्त और सूर्योदयके समय के बीच, इस प्रकार कोई प्रवेश न करेगा, और

(बी) सिवाय उस दशाके, कि इस ऐक्टमें या नियमों या वाईलॉओंमें, इस सम्बन्धमें इसके विरुद्ध कोई स्पष्ट आज्ञा हो, किसी ऐसी इमारतमें, जो मनुष्यके निवासके काममें आती हो, (सिवाय उस दशाके कि उसका क्वाचिज राजी हो) उक्त क्वाचिजको इस प्रकार प्रवेश करनेके इरादेका लिखित नोटिस, कमसे कम, चार घंटा पहलेसे दिये। बिना उसमें इस प्रकार कोई प्रवेश न करेगा, और

(सी) जब कभी किसी मकान आदिमें बिना नोटिस दिये हुये भी प्रवेश किया जाय, तो भी प्रत्येक ऐसे अवसर पर, काफी समय पहलेसे नोटिस इस उद्देश्यसे दिया जायगा कि किसी ऐसे कमरेमें रहनेवाली स्त्रिया, जो कमरा कि स्त्रियोंके रहनेके लिये अलग कर दिया गया हो, मकान आदि के किसी ऐसे भागमें जा सकें, जहां उनके परदेमें कोई विघ्न डाले जाने की आवश्यकता न हो।

(डी) जिस मकानमें प्रवेश किया जाय, उसके क्वाचिजके सामाजिक (Social) और धार्मिक व्यवहारोंका हर दशामें उचित ध्यान रखा जायगा।

के रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिये भयप्रद है, या उसके भयप्रद होने की सम्भावना है, यह आज्ञा दे सकता है, कि वह एक ऐसी तारीख से बन्द कर दिया जाय, जो नोटिस में अंकित हो, और ऐसी दशा में, यदि मृत शरीरों के गाड़ने या जलाने के लिये, एक उचित अतर के भीतर, कोई ठीक स्थान न हो, तो बोर्ड इस अभिप्राय से, कोई उचित स्थान नियत कर सकता है।

२ मृतशरीरों के गाड़ने के जो निजी स्थान ऐसे कब्रिस्तानों में हों वह, उन शर्तों के आधीन जो बोर्ड इस विषय में लगाये, उक्त नोटिस से बाहर निकाल दिये जा सकते हैं।

परन्तु शर्त यह है कि ऐसे स्थानों की हद्द काफी रूप से निश्चित होना चाहिये और यह कि ऐसे स्थान, केवल उनके मालिकों के गृहजनों को गाड़ने के काम में लाये जाय।

३ बोर्ड की लिखित इजाजत के बिना कोई आम या निजी कब्रिस्तान या मरघट नहीं बनाया जायगा न स्थापति किया जायगा।

४ कोई शख्स, सिवाय बोर्ड की लिखित इजाजत के, किसी मृतशरीर को सिवाय किसी ऐसे कब्रिस्तान या मरघट के जिसको बोर्ड ने स्वीकार कर लिया हो, (Recognized Burial Place) किसी अन्य स्थान में न गाड़ेगा, न जलायेगा, न गड़वायेगा, न जलवायेगा।

५ जो शख्स किसी मृतशरीर को, इस दफा के हुक्मों के विरुद्ध गाड़ेगा या जलायेगा गड़वायेगा जलवायेगा या गाड़ने या जलानेकी आज्ञा देगा, उसको, अपराध के साबित हो जाने पर, जुर्मानेका दंड दिया जायगा, जिसकी संख्या पचास (५०) रु० तक हो सकती है।

व्याख्या—

कब्रिस्तानों और मरघटों के सम्बन्ध में बाई लॉ बनाने का अधिकार बोर्डों को दफा २९८ की मद (आई) के अन्तर् (सी) के द्वारा दिया गया है। आम नोटिस के लिये देखिये दफा ३०४ और आम नोटिस की आज्ञा पालन न किये जाने के लिये दण्ड दफा ३०६ में रखा गया है। इस दफा के हुक्मों के विरुद्ध जो अपराध किया जाय उसके विषयमें फैसला कर लेने का अधिकार नहीं दिया गया है (देखिये दफा ३१५)। इस दफा के अनुसार जो हुक्म दिये जाय उनके विरुद्ध अपील करनेका अधिकार दफा ३१८ के अनुसार दिया गया है।

दफा २८६ नहाने और वस्त्रादि धोने के स्थान

बोर्ड, नहाने के मतलब के लिये उचित स्थान अलग कर सकता है, और यह बात भी निश्चय कर सकता है कि किन समयों पर, और मर्द या स्त्री, ऐसे स्थानों को काम में ला सकते हैं, और बोर्ड पशुओं को नहलाने, या वस्त्र, या अन्य वस्तुयें धोने, के लिये भी उचित स्थान अलग कर सकता है, और आम नोटिस के द्वारा, किसी सार्वजनिक स्थान में, जो इस प्रकार अलग कर दिया गया हो, नहाने की या पशुओं को नहलानेकी, या वस्त्र या अन्य वस्तुयें धोनेकी, मनाही कर सकता है, या यह मनाही कर सकता है कि सिवाय उन समयों के और सिवाय उन शख्सों के, जो नोटिस में अंकित हों, किसी अन्य समय पर और कोई अन्य शख्स, ऐसे स्थानों में न नहाये, न पशुओं को नहलाये, न वस्त्र न अन्य वस्तु धोये। और बोर्ड इसी प्रकार किसी और ऐसे काम की

मनाही कर सकता है जिससे सार्वजनिक स्थानों का पानी दूषित हो जाय, या काम में लाये जाने के अयोग्य हो जाये, या किसी ऐसे काम की मनाही कर सकता है। जिसके कारण उन लोगों को, जो उक्त स्थानों को कानून के हुक्मों के अनुसार, काम में लाते हैं, असुविधा या कष्ट हो, या असुविधा या कष्ट होने की सम्भावना हो।

इमारतों आदि की जांच करना, उनमें प्रवेश करना, और उनकी तलाशी करना, इत्यादि

(Inspection Entry Search Etc)

द्रफा २८७ साधारण जांच

१ बोर्ड का चेयरमैन और एक्जिक्यूटिव अफसर और यदि इस विषय में रेजोल्यूशन के द्वारा अधिकार दिया गया हो, तो कोई और मेम्बर, या अफसर, या कर्मचारी, किसी इमारत में, या किसी आराजी पर, सहायकों या काम करने वालों के सहित, या बिना उनके, किसी ऐसे काम (तामीर) की जांच या नाप करने या बनवानेके उद्देश्यसे प्रवेश कर सकता है जिस कामके बनाने या पूरा करनेका अधिकार, इस ऐक्ट के द्वारा, या नियमों या चार्जोंओंके द्वारा, किसी बोर्डको दिया गया हो, या जिस कामका बनाना या पूरा करना, बोर्डके लिये, इस ऐक्टके, या नियमोंके, या चार्जोंओंके मतलबों में से किसी मतलबके लिये, या उनके हुक्मों में से किसी हुक्मके अनुसार अवश्यक हो।

२ परन्तु शर्त यह है कि—

(ए) सिवाय उस दशाके इस ऐक्टमें या नियमों, या चार्जोंओंमें इस सम्बन्ध में, इसके विरुद्ध कोई स्पष्ट आज्ञा हो, सूर्योस्त और सूर्योदयके समय के बीच, इस प्रकार कोई प्रवेश न करेगा, और

(बी) सिवाय उस दशाके, कि इस ऐक्टमें या नियमों या चार्जोंओंमें, इस सम्बन्धमें इसके विरुद्ध कोई स्पष्ट आज्ञा हो, किसी ऐसी इमारतमें, जो मनुष्यके निवासके काममें भाती हो, (सिवाय उस दशाके कि उसका काबिज राजी हो) उक्त काबिज को इस प्रकार प्रवेश करनेके इरादेका लिखित नोटिस, कमसे कम, चार घंटा पहलेसे दिये बिना उसमें इस प्रकार कोई प्रवेश न करेगा, और

(सी) जब कभी किसी मकान आदिमें बिना नोटिस दियेहुये भी प्रवेश किया जाय, तो भी प्रत्येक ऐसे अवसर पर, काफी समय पहलेसे नोटिस इस उद्देश्यसे दिया जायगा कि किसी ऐसे कमरेमें रहनेवाली स्त्रियां, जो कमरा कि स्त्रियोंके रहनेके लिये अलग कर दिया गया हो, मकान आदि के किसी ऐसे भागमें जा सकें, जहा उनके परदेमें कोई विघ्न टाळे जाने की आवश्यकता न हो।

(टी) जिस मकानमें प्रवेश किया जाय, उसके काबिजाके सामाजिक (Social) और धार्मिक ध्वजारोंका हर दशामें उचित स्थान रखा जायगा।

दफा २८८ इस मतलबसे मुआइना करना कि कानूनके खिलाफ कोई काम बनाया जानेसे रोका जाय

जब इस बातका विश्वास करनेका कारण हो, कि म्यूनिस्सिपलटीके पानी पहुँचाने के उपायोंके सम्बन्धमें, या पानीके निकासके उपायोंके सम्बन्धमें, या किसी और कामके सम्बन्धमें, जिसको म्यूनिस्सिपलटीने अपने हाथमें लिया हो, कोई काम किसी इमारतमें या किसी आराज़ीपर, इस एक्टके, या नियमोंके, या वार्ड-लॉओंके हुकमोंके विरुद्ध बनवाया गया है, तो चेयरमैन या, यदि चेयरमैन आज्ञादे तो, एक्जिक्यूटिव अफसर, किसी समय पर, और बिना सूचना दिये हुये, उक्त इमारत या आराज़ीका मुआइना कर सकता है।

दफा २८९ प्रवेश करनेके सम्बन्धमें अधिकार

किसी ऐसे शख्सको, जिसको दफा २८७ या २८८ के हुकमोंके अनुसार, मुआइना (जांच) करने, या तलाशी करने, के मतलबसे, प्रवेश करनेका अधिकार हो, किसी दरवाजे या फाटक या अन्य रोक को खोलने या खुलवानेका अधिकार होगा।

(ए) यदि वह इस प्रकार प्रवेश करने, या मुआइना, या तलाशी करने, के मतलबके लिये उसका खोलना आवश्यक समझे। और

(बी) यदि मालिक या क्राबिज उपस्थित न हो। या मालिक या क्राबिजके उपस्थित होनेकी दशामे यदि वह ऐसे दरवाजे या फाटक या रोकको खोलनेसे मना करे।

दफा २९० बोर्डका इस विषयमें हुकम देनेका अधिकार कि कोई कोई काम स्वयं बोर्डके प्रबन्धसे बनवाये जाय

१ बोर्ड, वार्ड-लॉके द्वारा, यह हुकम दे सकता है, कि पानी पहुँचानेका कोई काम (Water Works), या उस ढगका कोई काम जिनका उल्लेख दफा १९२ और दफा २६७ और दफा २६८ में किया गया है, बोर्डके हुकमोंके अधीन, म्यूनिस्सिपलटीके कर्मचारियोंके द्वारा या किसी दूसरे काम बनाने वालेके द्वारा बनवाया जाय।

२ किसी ऐसे कामका व्यय, जो उस दफाके हुकमके अनुसार बनवाया जाय, उस शख्सको देना होगा, जिसको वह काम बनवाना होता, यदि वह काम उपरोक्त हुकमके अनुसार न बनवाया गया होता, सिवाय उस दशाके कि बोर्ड, आम या विशेष आज्ञा या रेजोल्यूशनके द्वारा, उस कामका म्यूनिस्सिपलटीके कोषसे बनवाया जाना मजूर कर दे। और इस दफाके द्वारा बोर्डको ऐसी मंजूरी देनेका अधिकार दिया जाता है।

३ किसी ऐसे नल या पुरजे, या कलों (Appliances) का मालिक, जो पानी पहुँचानेके किसी कामके लिये हों, या किसी निजी इमारत या आराज़ीके पानीके निकास के लिये हों, या उसके सम्बन्धमें हों, और जो बोर्डके खर्चसे दीर्गह हों, या बनाई या स्थापित की गई हों (Constructed or Erected), म्यूनिस्सिपलटी समझी जायगी, सिवाय उस दशाके कि बोर्डने अपना अधिकार (हक), जो उसको उनके सम्बन्धमें प्राप्त हो, उक्त इमारत या आराज़ीके मालिकको दे दिया हो (अर्थात् उसके हकमें मुतफिल कर दिया हो)।

व्याख्या—

इस दफा का उद्देश्य यह है कि नल आदि लगानेका काम, या सार्वजनिक मोरियोंसे निजी मोरियों का मेल कराने का काम, या सफाई आदि के सम्बन्धमें कोई अन्य काम जिसके बनावे जाने की आज्ञा बोर्डे दफा २६७ या २६८ के अनुसार दे, अच्छे कारीगरों के द्वारा और बोर्डे की देखभालमें बनवाये जा सकें, जिससे उनमें कोई दोष न रह जाय और वह बोर्डे की इच्छानुसार बन जाय। ऐसे काम का खर्चा उसी शरतको उठाना होगा जिसका कि वह काम हो, चाहे उक्त काम बोर्डे अपने कारीगरों से ही बनवाये। उपदफा (२) के द्वारा बोर्डे को यह अधिकार दिया गया है कि यदि वह किसी कारणसे उचित समझे, तो ऐसे काम का व्यय म्यूनिसिपलटी के कोष से दे। इस दफा के साथ देखिये पानी के कारखाने आदि के नियम जो दफा २१५ में आगे दिये गये हैं।

किराया या लगान और खर्च

(Rent & Charges)

दफा २९१ आराजीके किराया या लगानका वसूल किया जाना

१ जब कोई रकम किसी शहरसे बोर्डेको किसी आराजीके किराया या लगानके विषयमें चाहिये हो, जो आराजी कि उक्त बोर्डेके अधिकारमें हो, या जो उक्त बोर्डेके प्रबन्धमें सौंपी गई हो तो बोर्डे कलक्टरको इस विषयमें दरख्वास्त दे सकता है, कि वह उक्त किराया या लगानकी बाकी रकम इस प्रकार वसूल कर दे, कि जैसे वह रकम मालगुजारी की बाकी रकम हो।

२ इस बातका विश्वास हो जाने पर कि उक्त रकम बाकी है, कलक्टर उसको इस प्रकार वसूल करनेकी कार्रवाई करेगा जैसे कि वह मालगुजारी की बाकी रकम हो।

दफा २९२ अन्य स्थावर जायदादके किराये या लगानका वसूल किया जाना

कोई ऐसी बाकी रकम, जो किसी शहरसे बोर्डेको, आराजीके सिवाय किसी दूसरी ऐसी स्थावर जायदादके किराये या लगानके विषयमें चाहिये हो, जो जायदाद कि उक्त बोर्डेके अधिकारमें हो, या बोर्डेको प्रबन्धके लिये सौंपी गई हो, उस विधिसे वसूलकी जायगी, जो छठे प्रकरणमें बताई गई है।

दफा २९३ म्यूनिसिपलटीकी जायदादको काममें लानेकी फीस, सिवाय उस दशाके कि ऐसी जायदाद पट्टे पर दी जाय

१ किसी ऐसी स्थावर जायदादके (पट्टेके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार) काममें लाये जाने, या कब्जेमें रखे जानेके विषयमें, जो जायदाद कि बोर्डेके अधिकारमें हो, या उसको प्रबन्धके लिये सौंपी गई हो, और जिसमें कोई ऐसी सार्वजनिक सड़क या गली या स्थान भी शामिल समझा जायगा, जिस पर कोई आगे निकला हुआ भाग बनवाके या किसी अन्य प्रकार, काममें लानेकी या कब्जा रखनेकी बोर्डे आज्ञा दे, बोर्डे फीस ले सकता है, जो फीस कि चार्ज-लैंड या ग्राम मीलाम या मुआहिदेके द्वारा नियतकी जायगी।

२ ऐसी फीस या तो उस फीस के साथ वसूल की जा सकती है, जो दफा २९४ के अनुसार किसी मजूरी या लैसल या इजाजत के विषय में ली जाय, या इस विधि से वसूल की जा सकती है जो छठे प्रकरण में बताई गई है।

व्याख्या—

किसी किसी दशमों बोर्ड नियामियोंको अधिकार दे सकता है कि वे न्यूनिस्पलटीकी जायदाद को फीस देकर काममें लायें। जैसे दफा २०५ के अनुसार बोर्ड आज्ञा दे सकता है कि सड़कों अथवा मोरियों पर हमारतों के निकले हुये माग; जैसे चयतरे या छज्जे, बना लिये जाय। या दफा २१३ के अनुसार किसी मकान आदि के घाटरी भागके बनाने के लिये पाउ बाधने की बोर्ड आज्ञा दे सकता है। इसी प्रकार बोर्ड दफा २२० के अनुसार सड़कों आदि पर वस्तुओं को बेचने तथा दूकान लगाने की आज्ञा दे सकता है। ऐसी किसी आज्ञा के देने पर बोर्ड, इस दफा के अनुसार फीस ले सकता है।

—सड़कों और मोरियों पर निकले हुये भागों के बनाने की फीस के लिये देखिये दफा २०९ की व्याख्या। अन्य घातों की फीस के नियत करने के लिये बोर्ड को दफा २९८ की मद (जे) के अश (वी) के द्वारा बार्ड लॉ बनाने का अधिकार दिया गया है। नमूने के बार्ड-लॉ में, किसी सार्वजनिक सड़क या गली या स्थानको, या किसी अन्य स्थावर जायदादको, जो बोर्ड के अधिकार या प्रयत्नमें हों, बोर्ड समयके लिये, काममें लानेके लिये (जैसे हमारत बनानेकी सामग्री रखनेको, या पाठ बांधने को) नीचे लिखी फीसें बतवाई गई हैं—

पहले छ मास तक प्रति मासकी फीस	}	१) रुपया
प्रति १०० वर्ग फुटके लिये		
पहिले सात मास तक	}	२) रुपया
प्रति १०० वर्ग फुटके लिये		
पहिले आठ मास तक	}	३) रुपया
प्रति १०० वर्ग फुटके लिये		

और इसी तरह, प्रत्येक मासके लिये, दर एक रुपया प्रति मास, जब तक कि आराजी खाली न कर दी जाय, बढ़ता जायगा।

दफा २९४ लैसन्स आदि की फीसें

बोर्ड, किसी लैसन्स या मजूरी या इजाजत के विषय में, जिसके देने का उसको इस ऐक्ट के द्वारा या इस ऐक्ट के अनुसार, अधिकार प्राप्त हो, या जिसके देने की उसको इस ऐक्ट के द्वारा या इस ऐक्ट के अनुसार, आज्ञा दी गई है, फीस लगा सकता है, जो बार्ड-लॉ के द्वारा नियत की जायगी।

नोट— इस दफाके लिये बार्ड-लॉ बनानेका अधिकार दफा २९८की मद(जे)के अश(वी)के द्वारा दिया गया है।

जो लोग बोर्डकी ओर से कामपर रखे गये हों उनके काममें बाधा डालना

(Obstruction to persons Employed by board)

दफा २९५ जो लोग बोर्ड की ओर से नियत किये गये हों उनके काममें बाधा डालनेके लिये दण्ड

जो कोई शख्स, किसी ऐसे शख्स के, जिसको इस ऐक्ट के अनुसार बोर्ड ने किसी काम पर नियत किया हो, या जिसको बोर्ड ने कोई ठेका दिया हो, काम में बाधा डालेगा, या तंग करेगा, या जो किसी ऐसे चिन्हको जो किसी ऐसे पंताल (Levels) या दिशाको प्रगट करताहो, जो किसी ऐसे कामके बनानेके लिये आवश्यक हो, जिन कामोंके बनाये जानेका अधिकार इस ऐक्ट के द्वारा दिया गया हो, उसको अपराध के साबित हो जानेपर, जुर्मानेका दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या पचास रुपये तक हो सकती है।

प्रकरण ९

नियम, रेग्यूलेशन और वाई-लॉ

(Rules, Regulations & Bye-Laws)



दफा २९६ नियम बनानेकी प्रान्तीय सरकारकी जिम्मेदारी और अधिकार

१ प्रान्तीय सरकार का फर्तव्य होगा कि उन बातों के विषय में जो दफा २९, ९५, १२७, १५३ और २३५ में वर्णित हैं, ऐसे नियम बनाये जो इस ऐक्टकी भाजाओंके अनुकूल हों।

२ नीचे लिखी बातोंके लिये, प्रान्तीय सरकार, ऐसे नियम बना सकती है जो इस ऐक्टकी भाजाओंके अनुकूल हों—

(ए) किसी ऐसे मामले के प्रबन्धके लिये, जिसके प्रबन्ध का अधिकार, स्पष्ट या उपलक्षित रूप से, प्रान्तीय सरकारको, इस ऐक्टके द्वारा दिया गया हो, या किसी अन्य ऐसे कानूनके द्वारा दिया गया हो, जो इस ऐक्टके आरम्भ होनेके समय प्रचलित हो। और

(बी) आम तौरसे, बोर्डकी, या किसी सरकारी अफसरकी, पथप्रदर्शका (रहनुमाई-) के लिये, किसी ऐसे, मामलेके सम्बन्धमें जो इस ऐक्टके या किसी अन्य, म्युनिसिपलिटियोंसे सम्बन्ध रखने वाले, कानूनके हुकोंके पालन करानेसे सम्बन्ध रखता हो।

व्याख्या—

कुछ मामलोंके लिये नियम बनानेकी प्रान्तीय सरकारकी जिम्मेदारी रखी गई है। ऐसे नियमोंका बनाय प्रान्तीय सरकारके लिये आवश्यक है। उपदफा (५) में यह दफायें गिनाई गई हैं जिनके सम्बन्धमें प्रान्तीय सरकारकी जिम्मेदारी रखी गई है कि नियम बनाये।

फिर कुछ मामले ऐसे हैं जिनके विषयमें प्रान्तीय सरकारको यह अधिकार दिया गया है कि यदि यह आवश्यकता समझे तो नियम बना दे। जैसे ऐक्ट की दफा १०४ के द्वारा प्रान्तीय सरकार को यह अधिकार है कि यदि उसको आवश्यक जान पड़े तो वह नोटिस की, या हुर्की आदि के लिये, फीस नियत करनेके लिये नियम बना दे, और उक्त अधिकारके अनुसार प्रान्तीय सरकारने यह नियम बना दिये हैं जो दफा १०४ की व्याख्यामें दिये गये हैं।

उपदफा (२) (बी) के द्वारा प्रान्तीय सरकारको अधिकार दिया गया है कि बोर्डकी पथप्रदर्शकाके लिये जिस विषयमें यह आवश्यक समझे नियम बना दे, चाहे किसी ऐसे विषयके लिये नियम बनानेका कोई अधिकार कानूनके द्वारा न भी दिया गया हो। जैसे दफा ७९ में प्राचीन डेप्टफंड स्थापित करनेके विषयमें नियम बनानेके लिये प्रान्तीय सरकारको कोई टिदायत नहीं दी

बोर्ड, विशेष रेग्युलेशनके द्वारा, ऐसे रेग्युलेशन बना सकता है जिनका इस ऐक्टके हुकों से, या दफा २९६ के अनुसार बनाये हुये किसी नियमसे, या उप दफा (२) के अनुसार बनाये हुये किसी रेग्युलेशनसे, विरोध न हो:—

(ए) बोर्डकी मीटिंगोंका समय और स्थान ।

(बी) मीटिङ्ग करनेकी (अर्थात् जोड़नेकी) विधि, और उसकी नोटिस देनेकी विधि ।

एक्ट न० ६ (सी) मीटिङ्गों में कार्रवाहियोंका किया जाना व मीटिङ्गोंका मुलतवी किया
१०१९१९६० जाना, व मीटिङ्गोंमें मेम्बरोंके द्वारा प्रश्नोंका पूछा जाना ।

(डी) (ऐसी कमेटियोंको छोड़के, जो केवल सलाह देनेवाली कमेटियां हों) कमेटियोंका किसी मतलब के लिये स्थापित किया जाना, और ऐसी कमेटियोंके सङ्गठन और कार्रवाई के विषयमें सब बातोंको निश्चय करना ।

(ई) किसी ऐसे इन्दराजसे, जो शिद्द्यूल न० २ के खाना न० ३ में किया गया हो, बचाव करदेना ।

(एफ) दफा ७७ की उपदफा (२) के सम्बन्धमें—उन अधिकसे अधिक (Maximum) या कमसे कम (Minimum) मासिक वेतनोंका जो दफा ७४ व ७५ व ७६ में कर्मचारियों के ऊपर अधिकारोंके विषयमें अंकित किये गये हैं बढ़ा देना ।

(जी) नीचे लिखे अफसरों आदिको अधिकारों, कर्तव्यों, और कामोंका सौंपा जाना—

१ बोर्डके चेरमैन को ।

२ ऐसी कमेटीको जो कलॉज (डी) के अनुसार संगठित की गई हो ।

३ ऐसी कमेटीके चेरमैन को ।

४ एकजीक्यूटिव अफसरको ।

५ जहां, एकजीक्यूटिव अफसर न हो वहां बोर्डके किसी कर्मचारीको ।

(एच) बोर्डके कर्मचारियोंको छुट्टीपर रहने के कालका या अन्य एलाऊन्स दिया जाना ।

(आई) बोर्डके किसी कर्मचारीको जिससे जमानत लेना उचित समझा जाय कितने सख्याकी और किस प्रकारकी जमानत देनेकी आज्ञा दी जाय ।

(जे) बोर्डके कर्मचारियोंको छुट्टी दी जाना और वह बदलाव जो उन शख्सों को दिया जायगा जो ऐसे कर्मचारियोंके छुट्टी पर रहने के कालमें काम करने के लिये नियुक्त किये जाय (यदि कोई ऐसे शख्स नियुक्त किये जाय)

(के) बोर्डके सब कर्मचारियोंकी नौकरी की अवधि, और वह शर्तें जिनके अनुसार ऐसे कर्मचारीया उनमें से कोई काम पर से अलग होनेपर (Retirement) या अपने कर्तव्यके पूरा करने में कामके अयोग्य हो

जानेपर इनाम या करुणाई एलाऊन्स (Gratuities or Compassionate Allowances) पायेंगे और ऐसे इनामों तथा करुणाई एलाऊन्सों की संख्या और वह शर्तें जिनके अनुसार कोई इनाम या करुणाई एलाऊन्स किसी ऐसे कर्मचारियोंके जिनकी मृत्यु अपने कर्तव्यके पूरा करने में हुई हो ऐसे सम्बन्धियोंको दिये जायेंगे जिनको वे छोड़ गये हो ।

(यल) किसी ऐसी पेन्शन या प्रावीडेन्ट फण्डमें, जो बोर्डने स्थापित किये हैं ऐसे नौकरोंके द्वारा बोर्डकी मजूरीसे उन दरोंसे, और उन शर्तोंके आधीन, जो ऐसे रेग्युलेशनोमें नियमितकी गई हैं, चन्दे दिये जाना ।

(यम) वह शर्तें जिनके आधीन कोई ऐसी रकम जो बोर्डकी किसीपर चाहिये हो वसूल होने के अयोग्य मानके खारिज करदी जा सकेगी और वह शर्तें जिनके आधीन कोई ऐसी पूरी फीस या उसका कोई भाग जो हुकूम करने के लिये ली जा सकती हो माफ कर दी जा सकेगी ।

(यन) इसी प्रकारके अन्य सब मामले ।

२ परन्तु शर्त यह है कि प्रान्तीय सरकार, यदि वह उचित समझे, उन सब मामलों के सम्बन्धमें जो उपदफा (१) के क्लॉज (यच) से (यम) तक में अंकित हैं, कोई ऐसे रेग्युलेशन बना सकती है, जिनका इस ऐक्टके हुकूमोसे विरोध न हो । और ऐसे जो रेग्युलेशन बनाये जायेंगे उनका यह प्रभाव होगा कि वह किसी ऐसे रेग्युलेशनको रद्द कर देंगे जो उसी विषयमें बोर्ड द्वारा बनाये गये हो, या जो प्रान्तीय सरकार द्वारा बनाये हुये रेग्युलेशनोंके प्रतिफल हैं ।

न्याख्या—

—उन शर्तों के लिये जिनके आधीन बोर्ड रेग्युलेशन बना सकता है देखिये दफा ३०१, और उन शर्तों के लिये जिनके आधीन प्रान्तीय सरकार रेग्युलेशन बना सकती है देखिये दफा ३००

—क्लॉज (ए) से (डी) तक के अनुसार रेग्युलेशन "विशेष प्रस्ताव" (Special Resolution) के द्वारा बनाये जा सकते हैं और उनके लिये किसी की मजूरी नहीं चाहिये होती । परन्तु क्लॉज (ई) से (यम) तक के अनुसार जो रेग्युलेशन बनाये जायेंगे उनके लिये शाहर की म्यूनिसिपलिटियों में प्रान्तीय सरकार की मजूरी, और अन्य म्यूनिसिपलिटियों में कमिश्नर की मजूरी, आवश्यक होती है । रेग्युलेशनों के लिये यह आवश्यक नहीं होता कि वे पहले से प्रकाशित किये जाय ।

—क्लॉज (ई) के अनुसार रेग्युलेशन जन्हीं म्यूनिसिपलिटियों के बोर्डे बना सकते हैं जिनमें एक्जिक्यूटिव अफसर हो । सिविल म० २ में उन अधिकारों की सूची दी गई है जो एक्जिक्यूटिव अफसर को दिये गये हैं और यह भी बताया गया है कि उक्त अधिकारों को बरतते हुये जो हुकूम दिये जायें उनमें से किन्हींकी अपील हो सकती है । परन्तु इस क्लॉज के और दफा ६१ (१) के हुकूम के अनुसार बोर्ड की यह अधिकार दिया गया है कि ऐसा रेग्युलेशन बना दे कि जो हुकूम या जिस प्रकार के हुकूम इतन धर्मित हों उनकी अपील न होगी । जहां कहीं बोर्ड ने इस विधि को नियमित करने के लिये यह लॉ बनाये हों, जिस विधि से कि किसी विशेष दफाओं द्वारा दिये हुये अधिकार एक्जिक्यूटिव अफसर द्वारा बरते जायेंगे, वहां बोर्ड के लिये यह अधिकार उपयोगी होगा क्योंकि उसके द्वारा बोर्ड उन अपीलों की सप्या, जो ऐसे गार्ड लॉओं के अनुसार दिये हुये हुकूमों के

विरुद्ध की जाय, फस कर सकता है। (देखिये G. O. No. 1328 XI. 5 H, ता० १९ सन १९१६ ई०)

—छाँज (थफ)—इस छाँज के अनुसार रेग्युलेशन बनाये जा सकते हैं जिनके द्वारा उन भागों में, जो दफा ७५ और ७६ के द्वारा नौकरों पर चेयरमैन या एक्जिक्यूटिव अफसर को दिये हैं, वृद्धि की जा सकती है। म्यूनिसिपलटियों की स्थिति में ऐसे भेद होते हैं, और विशेष भिन्न २ नगरों में वेतन के दरों में इतने अन्तर होते हैं कि उन हदों का प्रभाव जो उक्त दफाओं नियमित हैं भिन्न भिन्न म्यूनिसिपलटियों में भिन्न २ होता है। विशेषकर बड़ी म्यूनिसिपलटियों में जिन छोटी म्यूनिसिपलटियों की अपेक्षा वेतन के दर ऊंचे होते हैं इन हदों का यह परिणाम होता है उनके चेयरमैन तथा एक्जिक्यूटिव अफसर को अनेक ऐसे नौकरों की नियुक्ति, सजा देने, या डिस्मिस करने का अधिकार नहीं रह जाता जिनकी नियुक्ति आदि का अधिकार छोटी म्यूनिसिपलटियों में चेयरमैन अथवा एक्जिक्यूटिव अफसर को होता है। उस उपाय के लिये कि सब म्यूनिसिपलटियों में वही सी दशा रहे बोर्ड, इस छाँज के अनुसार, उन हदों में वृद्धि कर सकते हैं जो ऐक्ट के द्वारा नियत हैं। (देखिये G O No 1328 XI. 5 H तारीख १९ जून सन १९१६ ई०)

—छाँज (जी)—देखिये दफा ११२ की व्याख्या।

दफा २९८ बोर्डका अधिकार बाई-लॉ बनानेका

१ बोर्ड को अधिकार होगा, और उस दशा में जब कि प्रान्तीय सरकार उसका आह्वा दे तो बोर्ड के लिये यह आवश्यक होगा कि विशेष रेजोल्यूशन के द्वारा, ऐसे बाई-लॉ जो कि सम्पूर्ण म्यूनिसिपलटी पर, या उसके किसी भाग पर लागू हों, और जिनके विरोध इस ऐक्ट के हुक्मों से या किसी ऐसे नियम के हुक्मों से न हो, म्यूनिसिपलटी निवासियों के स्वास्थ्य और सुरक्षिता और आराम के बढ़ाने या कायम रखने के उद्देश्य से, और इस ऐक्ट के अनुसार म्यूनिसिपलटी के प्रबन्ध में उन्नति करने के उद्देश्य से, बनाये।

२ विशेषतः, और बिना इसके कि उस अधिकार के जो उपदफा (१) के द्वारा दिया गया है आय होने पर कोई प्रभाव पड़े, किसी म्यूनिसिपलटी का बोर्ड, चाहे वह म्यूनिसिपलटी कही जाय, अधिकार हुये कोई ऐसे बाई-लॉ बना सकता है, जो किसी म्यूनिसिपलटी के बोर्ड, जो पूर्णतया या किसी म्यूनिसिपलटी के बोर्ड, जो पूर्णतया या किसी म्यूनिसिपलटी के कार को बरतते हुए किसी म्यूनिसिपलटी के बाई-लॉओं में स्थिर हो, उक्त अधिकार बाई-लॉओं में से जो तैयार हैं।

की सहायता में

विषयों

लिये (१०) ऐरटेड वाटर (Aerated water) के बनाने और बेचने के लिये (११) नान वाई के कारखाने के लिये (१२) वध स्थानों के मुआहना के लिये (१३) तेल और पहेदारों के लिये (१४) कबरिस्तानों और मरघटों के लिये (१५) म्यूनिसिपल्टी के नवासे में पशुओं की विक्री लिखी जान के लिये (१६) घृणित अथवा हानिकार व्यापारों के लिए (१७) सूखी घास, भूसा आदि जमा करने के लिये (१८) हड्डियां जमा करने के लिये (१९) पेट्रोलियम जमा करने के लिये (२०) कुत्तों के लैसन्स देने के लिये (२१) म्यूनिसिपल्टी के कागज रजिस्टर आदि के मुआहना और उनकी गरुलें दिये जाने के लिये (२२) मामों को थोड़े समय के लिये काम में लाने की फीसों के लिये (२३) इमारतों के निकले हुये भागों के लिये (२४) इमारत बनाने के लिये (२५) मौरियों, पाखानों, चह बच्चों आदि के लिये (२६) सार्वजनिक खेल तमाशे आदि के स्थानों के लिये (२७) म्यूनिसिपल्टी के भीतर बेचने के लिये मास लाने के लिये (२८) ईट चूने के भट्टों के लिये (२९) सूते मासकी तैयारी के लिये (३०) तांत की तैयारी और जमा करने के लिये (३१) म्यूनिसिपल्टी के विशेष रकूवों में रहियों को रहने की और चकले रखो की मनाही करने के लिये (३२) सार्वजनिक बाग आदि के लिये (३३) म्यूनिसिपल्टी के भीतर निवास करनेवाले सएशों का इमारतों तथा आराजियों के ऐसे मालिकों के पंजेंट बनाये जाने के लिये जो म्यूनिसिपल्टी में न रहते हों (३४) मिठाई के बनाने या बेचने के स्थानों के मुआहने के लिये ।

म्यूनिसिपल्टीज ऐक्ट में आरम्भ से अन्त तक उसूल यह रखा गया है कि सय कार्पनिवाहक काम (Executive work) कर्मचारियों को या कमेटियों को सौंपे जाय और बोर्ड चार्ज-लैंओं के द्वारा काम करने की शक्त या जायता प्रत्येक दशा के लिये नियमित कर दे, और कर्मचारियों अथवा कमेटियों पर निगरानी करे, या जहा सब दशाओंके लिये पूरे ब्योरेके सहित शक्त या जायता नियमित न किया जा सके तो कर्मचारियों अथवा कमेटियों के हुकम की अपील सुनने का अधिकार अपने लिये या अन्य कमेटियों के हुकम की अपील सुनने का अधिकार अपने लिये या अन्य कमेटियों के लिये रहे । चार्ज लैं बनाने का यही प्राथमिक उद्देश्य है । जब कभी कोई अधिकार या कर्तव्य कर्मचारियों को सौंपना हों तो जिन म्यूनिसिपल्टियों में एक्जिक्युटिव अफसर हों, वामें वह अधिकार या कर्तव्य एक्जिक्युटिव अफसर ही को सौंपना चाहिये । फिर एक्जिक्युटिव अफसर, ऐक्ट की दशा ६२ के अनुसार, कामों को अन्य कर्मचारियों को सौंप सकता है । परन्तु बोर्ड के प्रति एक्जिक्युटिव अफसर ऐसे सौंपे हुये कामों के लिये स्वयं जिम्मेदार रहेगा । ऐसे बोर्डों को, साथ में अपने चार्ज-लैं बनाने यह बात ध्यान में रखना चाहिये कि एक्जिक्युटिव अफसर को वी अधिकारों के अतिरिक्त, जो उसकी शिद्दूल न० २ के द्वारा प्रदान किये गये हैं, निम्नलिखित अधिकार भी दशा ६० के द्वारा दिये गये हैं —

- (ए) अपने हस्ताक्षरों से कोई ऐसा लैसन्स देना और जारी करना या लैसन्स देने की मनाही कर देना जो बोर्ड दे सकता हो (सिपाय वाजार या यधरथा या किराये की गलियों के लैसन्स के)
- (बी) किसी ऐसे लैसन्स को स्थगित कर देना या वापिस छ लेना ।
- (सी) कोई रकम जो बोर्ड की चाहिये हो या जो वेत की जाय हयरो लेना, वगुल करमा और म्यूनिसिपल्टी के कोष में जमा करना ।

विरुद्ध की जाय, कम कर सकता है। (देखिये G. O No. 1328 XI. 5 H, ता० १९ जून सन १९१६ ई०)

—छाँज (यफ)—इस छाँज के अनुसार रेग्युलेशन बनाये जा सकते हैं जिनके द्वारा उन अधिकारों में, जो दफा ७५ और ७६ के द्वारा नौकरों पर चयनमैन या एक्जिज्यूटिव अफसर को दिये गये हैं, वृद्धि की जा सकती है। म्यूनिसिपलटियों की स्थिति में ऐसे भेद होते हैं, और विशेष कर भिन्न २ नगरों में चयन के दरों में इतने अन्तर होते हैं कि उन हदों का प्रभाव जो उक्त दफाओं में नियमित हैं भिन्न भिन्न म्यूनिसिपलटियों में भिन्न २ होता है। विशेषकर बड़ी म्यूनिसिपलटियों में जिनमें छोटी म्यूनिसिपलटियों की अपेक्षा चयन के दर ऊँचे होते हैं इन हदों का यह परिणाम होता है कि उनके चयनमैन तथा एक्जिज्यूटिव अफसर को अनेक ऐसे नौकरों की नियुक्ति, सजा देने, या डिस्मिस करने का अधिकार नहीं रह जाता जिनकी नियुक्ति आदि का अधिकार छोटी म्यूनिसिपलटियों में चयनमैन अथवा एक्जिज्यूटिव अफसर को होता है। उस उपाय के लिये कि सब म्यूनिसिपलटियों में एक ही दशा रहे बोर्ड, इस छाँज के अनुसार, उन हदों में वृद्धि कर सकते हैं जो ऐक्ट के द्वारा नियत की गई हैं। (देखिये G. O No 1328 XI. 5 H तारीख १९ जून सन १९१६ ई०)

—छाँज (जी)—देखिये दफा ११२ की व्याख्या।

दफा २९८ बोर्डका अधिकार वाई-लॉ बनानेका

१ बोर्ड को अधिकार होगा, और उस दशा में जब कि प्रान्तीय सरकार उसको आज्ञा दे तो बोर्ड के लिये यह आवश्यक होगा कि विशेष रेजोल्यूशन के द्वारा, ऐसे वाई-लॉ जो कि सम्पूर्ण म्यूनिसिपलटी पर, या उसके किसी भाग पर लागू हों और जिनका विरोध इस ऐक्ट के हुक्मों से या किसी ऐसे नियम के हुक्मों से न हो, म्यूनिसिपलटी के निवासियों के स्वास्थ्य और सुरक्षिता और आराम के बढ़ाने या कायम रखने के उद्देश्य से, और इस ऐक्ट के अनुसार म्यूनिसिपलटी के प्रबन्ध में उन्नति करने के उद्देश्य से, बनाये।

२ विशेषतः, और बिना इसके कि उस अधिकार के जो उपदफा (१) के द्वारा दिया गया है आय होने पर कोई प्रभाव पड़े, किसी म्यूनिसिपलटी का बोर्ड, चाहे वह म्यूनिसिपलटी कहीं भी स्थित हो, उक्त अधिकार को बरतते हुये कोई ऐसे वाई-लॉ बना सकता है, जो कि नीचे सूची न १ में वर्णित है, किसी ऐसी म्यूनिसिपलटी का बोर्ड, जो पूर्णतया या जिसका कोई भाग, किसी पहाड़ी प्रदेश में स्थिर हो, उक्त अधिकार को बरतते हुये, उपरोक्त वाई-लॉओं के अतिरिक्त, उन वाई-लॉओं में से जो कि नीचे सूची न० २ में वर्णित है, कोई और वाई-लॉ भी बना सकता है।

व्याख्या—

बोर्डों की सहायता के लिये नीचे लिखे विषयों पर नमूने के वाई-लॉ बना दिये गये हैं और म्यूनिसिपल मैन्चुअल में दिखे गये हैं —

(१) म्यूनिसिपलटी और सरकार की जायदाद की रक्षा के लिये (२) मार्गों फिरी की सुविधा आदि के लिये (३) ठेले और हाथ गादियों के लिये (४) पैदायश और के लिये जाने के लिये (५) चह्रनगरी के लिये (६) पहाव के लिये (७) खाने और वस्तुओं के बनाने और बेचने के लिये (८) मास के बचे जाने के लिये (९) दुग्ध .

सूची नं० १

किसी म्यूनिसिपलटी के लिये वाई-लॉ



[ए] इमारत

- (ए) दफा १७८ की उपदफा (२) के सम्बन्ध में सब इमारतों के विषय में नोटिस का दिया जाना आवश्यक ठहरा देना ।
- (बी) दफा १७८ की उपदफा (३) के क्लॉज (डी) के सम्बन्ध में किसी विशेष प्रकार के परिवर्तन को "भारी परिवर्तन" ठहरा देना ।
- (सी) उन हाल और नकशों को निर्णय करना जो दफा २७९ के अनुसार बोर्ड को भेजे जाना चाहिये ।
- (डी) यह बात नियमित करना कि उस दर के अनुसार, जो इस मतलब के लिये अंकित की गई हो, फीस दिये जाने पर नकशे और विवरण बोर्ड के पास से या किसी ऐसे शख्स के पास से जिसको बोर्ड नियमित करे, मिल सकेंगे ।
- (ई) दफा १८१ के सम्बन्ध में वह अवधि नियत करना जिसमें कोई इजाजत काम की रहेगी ।
- (यफ) यह बात नियमित करना कि वह इमारतें, जो किसी नियमित रकबे या रकबों में बनाई जा सकती हैं, या नहीं बनाई जा सकती हैं, किस ढंग की और किस प्रकार की होगी, और उन मतलबों का नियमित करना किनके लिये कोई इमारत किसी नियमित रकबे में या रकबों में बनाई जा सकती है, या नहीं बनाई जा सकती है ।
- (जी) उन दशाओं का नियमित करना जिनमें किसी मसजिद, मन्दिर, गिरजा, या अन्य कोई धार्मिक स्थान बनाया जा सकता है या फिर से बनाया जा सकता है, या उसमें फिर से परिवर्तन किया जा सकता है ।
- (एच) इमारतों के बनाये जाने, या फिर से बनाये जाने, या उनमें परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में या किसी प्रकारकी इमारतों के बनाये जाने, फिर से बनाये जाने, या उनमें परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में, निम्नलिखित बातोंको नियमित करना —
- १ वह वस्तुएं, और निर्माण किये जाने की विधि जो बाहरी दीवारों को, और कमरों को प्रथक करने वाली भीतों को, छतों और फर्शों (Floors) के निर्माण के काम में लाई जायगी ।
 - २ अग्नि कुण्डों (Fire Places) धुँये के निकास के लिये चिमनियों, मोरियों, खट्टासों, पाखानों, पेशाबघरानों, और कुण्डियों (गद्दबच्चों) के स्थान,

इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये कि यद्यपि यह आवश्यक है कि नियमों और वार्ड-लॉओं के द्वारा एक्जिक्युटिव अफसर ही लैसन्स देने वाला अफसर बंनोया जाय (सिवाय उन दशाओं के जो उपरोक्त क्लॉज (५) में वर्णित हैं) तथापि ऐक्ट की दफा ६१ (१) के अनुसार बोर्ड को अधिकार है कि लैसन्स के विषय में जो हुक्म एक्जिक्युटिव अफसर दे, उससे अपील किये जाने का हुक्म दे ।

दफा ६१ (२) के द्वारा यह हुक्म दिया गया है कि एक्जिक्युटिव अफसर के हुक्म से अपील, हुक्म के मिलने से दस दिन के भीतर होना चाहिये । इसलिये नमूने के वार्ड-लॉओं में यही दस दिनकी अवधि डाल दी गई है । उन म्यूनिसिपलटियों में जहाँ कोई एक्जिक्युटिव अफसर नहीं है, उक्त अफसर के बर्हुत से अधिकार निस्सन्देह चेरमैन या सेक्रेटरी या नौकरों में से अन्य किसी को सौंपे जायगे । जब नौकरों में से किसी को अधिकार सौंपे जाय तो वह कर्मचारी वार्ड-लॉ में अर्हश्य अंकित कर दिया जाना चाहिये जो उस अधिकार को बरतेगा ।

जब किसी वार्ड-लॉ के द्वारा कोई अधिकार बोर्ड को दिया जाता है तो वह चेरमैन के द्वारा बरता जायगा (देखिये ऐक्ट की दफा ५०) सिवाय उस दशा के कि बोर्ड उक्त अधिकार को, रेग्युलेशन के द्वारा, किसी और को सौंप दे । चेरमैन की काम करने की स्वाधीनता वार्ड-लॉओं के हुक्म के अनुसार बरती जाना चाहिये । देखिये G. O. No. 1102 XI 389 E तारीख २० मई सन १९१६ ई०)

—उपदफा (२)—उपदफा (२) में कुछ विषय वर्णित हैं जिनके लिये बोर्ड वार्ड-लॉ बना सकता है । परन्तु इन विषयों के गिना दिये जाने का यह अभिप्राय नहीं है कि उनके अतिरिक्त अन्य किसी विषय के सम्बन्ध में बोर्ड वार्ड-लॉ नहीं बना सकता । उपदफा (१) के द्वारा, बोर्ड को साधारण अधिकार दे दिया गया है कि जिस विषय में वह चाहे वार्ड-लॉ बनाये । इस अधिकार पर उपदफा (२) का कोई प्रभाव नहीं है ।

सूची न० १ में कुछ ऐसे विषय वर्णित हैं जिनके लिये कोई भी म्यूनिसिपलटी वार्ड-लॉ बना सकती है चाहे वह किसी पहाडी नगर की म्यूनिसिपलटी हो या अन्य किसी की । सूची न० २ में जो विषय हैं उनकी आवश्यकता केवल पहाडी म्यूनिसिपलटियों ही को हो सकती है ।

—म्यूनिसिपलटी के निवासियों के स्वास्थ्य आदि के लिये बोर्ड को वार्ड लॉ बनाने का अधिकार दिया गया है । प्रश्न यह है कि यदि कोई बोर्ड कोई अनुचित वार्ड लॉ पास करले, और उसके उल्लेखन के लिये किसी शरूस् पर मुकद्दमा चलाये, तो क्या अदालत उक्त शरूस् को दण्ड देने पर बाध्य होगी या कि अदालत को यह स्वाधीनता प्राप्त होगी कि एक ऐसे वार्ड लॉ के उल्लेखन के लिये जो अदालतकी रायमें अनुचित है अभियोगी को दण्ड न दे । सरकार बहादुर बनाम बालकृष्ण (1901) I. L. R. 24 All 439, वाले मुकद्दमे में प्रामला यह था कि नैनीताल की म्यूनिसिपलटी ने एक वार्ड लॉ पास किया कि अमुक सड़क पर, प्रति दिन अमुक समय पर कोई कुली बोझ लेकर न निम्ले । हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि यह वार्ड-लॉ अनुचित है, और उसके उल्लेखन के लिये किसी को दण्ड नहीं दिया जा सकता । इंग्लैण्ड के कानून के अनुसार भी किसी ऐसी सस्था के पास किये हुए वार्ड लॉ के उल्लेखन के लिये, जैसी कि म्यूनिसिपलटी होती है, दण्ड देने से पूर्व अदालत को यह अधिकार है कि वह वार्ड लॉ की जाच करे कि उसके हुक्म उचित हैं या नहीं ।

किसी विशेष वस्तुओं के, घनाने तैयार करने, या बेचे जाने के लिये हों या जो ऐसे पशुओं के रखे जाने या दिखलाने के लिये हों जो पशु कि विक्री या किराये के लिये हों या जो स्थान कि ऐसे पशुओंके रखे जाने या दिखलाये जाने के लिये हो जिनसे कोई ऐसी वस्तु उत्पन्न होती हो, जो बेची जाती हो और ऐसे स्थान जो सर्वसाधारणके जी बहलानके तमारों (Places of Public Entertainment) के लिये हो, या जिनमे सर्वसाधारण भाया जाया करते हो, के स्थापित करनेका और (सिवाय इसके कि जहांतक अंश (सी) के अनुसार बनाये हुये बाई लॉओंके द्वारा प्रबन्ध किया जा सके) उनके प्रबन्ध और जाचका और उनके भीतर उचित ढङ्गसे और स्वच्छताके साथ काम काज किये जानेका प्रबन्ध करना ।

- (ई) किसी ऐसी म्यूनिसिपलटीमे जहा बोर्डने बध स्थानोंकी एक उचित संख्या बना दी हो या उनके लिये लैसन्स दे दिये हों म्यूनिसिपलटी की हदोंके भीतर बेचे जाने के लिये किसी ऐसे दोर या भेड या बकरी या सुअरका मांस (सिवाय ऐसे मांसके जो रखेजाने के अभिप्रायसे किसी उपायसे सुरक्षित कर दिया गया हो) लाये जानेकी निगरानी और प्रबन्ध करना, जो किसी ऐसे बध स्थान या अन्य स्थानमे बध किया गया हो जो इस ऐक्टके अनुसार कायम न रखा जाता हो या जिसका लैसंस इस ऐक्टके अनुसार न दिया गया हो ।

[जी] हानि कारक व्यापार

- (ए) सिवाय उस दशके जब, और सिवाय उस हदके जहांतक, किसी ऐसी बातका विरोध होता हो जो इंडियन पेट्रोलियम ऐक्ट सन् १८९९ ई० (Indian Petroleum Act 1899) मे या उसके अनुसार बने हुये नियमोंमे हो, बिना किसी लैसन्सके जो बोर्डने दिया हो, या सिवाय उस विधिके जो इस प्रकार दिये हुये लैसन्सकी शर्तों के अनुसार हो, नीचे लिखे हुये कामों के लिये किसी स्थानके कारखानेकी तरह या काम काज करने के अन्य स्थानकी तरह काममे लानेकी मनाही करना —

१ वस्तुओंके व्यर्थ अंश (Offal) या रुधिर या हड्डियो या अतड्डियां या चिथड़ों को उतारने या जमा करने के लिये ।

२ रालों या सीगों या चमडोको जमा करने के लिये ।

३ चमड़ा कमाने के लिये ।

४ चमड़ा या चमड़ेकी वस्तुएं तैयार करने के लिये ।

५ रङ्गने के लिये ।

६ चर्बों या गंधक पिघलाने के लिये ।

७ ईंटें या खपरे या मिट्टीके बरतन या चूना फूंकने या पकाने के लिये ।

८ साबुन घनाने के लिये ।

९ तेल उतारने के लिये ।

अग्नी घास या भूसा या छप्पर घनानेके फूस या लकड़ी या कोयला या अन्य

करना और इस प्रकार काममें लाये जाने या कब्जा किये जाने के विषयमें फीस लेनेका हुक्म देना ।

(सी) उन शर्तोंका प्रवन्ध करना जिनके आधीन दफा २०९ के अनुसार सड़कों या गलियों या मोरियोंपर निकले हुये कामों (तामीरों) के लिये और दफा २६५ के अनुसार सड़कों या गलियोंपर स्थाई रूपसे कब्जा करने के लिये आज्ञा दी जा सकती है ।

व्याख्या—

इमामी बनाम सरकार बहादुर (1910) 10 A, L J 426=16 I C 333=35 All I L R 24, वाले मामलेमें हाईकोर्टने यह फैसला किया था कि म्यूनिसिपल बोर्डको यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि सड़कों पर फेरी करने वालोंसे लैसन्सकी फीस ले । यह फैसला ऐक्ट न० १ सन् १९०० ई० के हुक्मोंके अनुसार हुआ था । वर्तमान ऐक्टकी दफा २२० और दफा २९८ के अन्तर्गत (ई) के खोज (वी) के द्वारा यह बात साफ- करदी गई है कि बोर्डको सड़कों पर फेरी करने वालोंसे तहबजारी लेनेका अधिकार है । उपरोक्त इमामी वाली नजीर अब निष्प्रभाव है ।

[यफ] बाजारों या मंडियों, बंध स्थान और खाद्य पदार्थोंका ब्रेजा जाना इत्यादि

(ए) दफा २४१ के हुक्मोंके आधीन बिना किसी लैसन्सके, जो बोर्डने दिया हो, या सिवाय उस विधिक जो इस प्रकार दिये हुये लैसन्सकी शर्तोंके अनुसार हो, किसी स्थानको बंध स्थानकी तरह या बाजार या मण्डीकी तरह या ऐसी दुकानकी तरह जो ऐसे पशुओंके बचे जाने के लिये हो, जो पशु कि आदमीके खाने के लिये हो, या ऐसी दुकानकी तरह जो मांस या मछली बचे जाने के लिये हो, या ऐसे बाजार या मण्डीकी तरह जो फल या तरकारियों के बचे जाने के लिये हो, काम में लाने की मनाही करना ।

(बी) उन शर्तोंका नियमित करना जिनके आधीन, और उन दशाओंका नियमित करना जिनमें, और उन रकमों तथा स्थानोंको नियमित करना जिनके विषयमें, इस प्रकार काममें लाने के लिये लैसन्स दिया जा सकता है, या नामजूर कर दिया जा सकता है, या स्थगित कर दिया जा सकता है, या वापिस ले लिया जा सकता है ।

(सी) जो स्थान, उपरोक्त कामों के लिये काममें लाया जाय उसकी जांच (मुआइना) और उसमें काम काज किये जानेकी जांच किये जानेका इस उद्देश्यसे प्रवन्ध करना कि उसके भीतर स्वच्छता रहे, या उससे जो हानिकारक या घृणित अथवा भयप्रद प्रभाव उत्पन्न हो या जिनके उत्पन्न होनेकी सम्भावना हो वह कम हो ।

(डी) बाजारों या मण्डियों और बंध स्थानों और लिबरी अस्तबलों (Livery) के और पड़ावों के, और सरायों और आटा पीसने की चक्कियों के, और बिस्कुट आदि बनाने के कारखानों के, और ऐसे स्थानों के जो राने या

किसी विशेष वस्तुओं के, बनाने तैय्यार करने, या बँचे जाने के लिये हों या जो ऐसे पशुओं के रखे जाने या दिखलाने के लिये हों जो पशु कि विक्री या किराये के लिये हों या जो स्थान कि ऐसे पशुओंके रखे जाने या दिखलाये जाने के लिये हो जिनसे कोई ऐसी वस्तु उत्पन्न होती हो, जो बेची जाती हो और ऐसे स्थान जो सर्वसाधारणके जी बहलावके तमाशा (Places of Public Entertainment) के लिये हो, या जिनमें सर्वसाधारण भाषा जाया करते हो, के स्थापित करनेका और (सिवाय इसके कि जहातक अंश (सी) के अनुसार बनाये हुये चाई लॉओंके द्वारा प्रबन्ध किया जा सके) उनके प्रबन्ध और जाचका और उनके भीतर उचित ढङ्गसे और स्वच्छताके साथ काम काज किये जानेका प्रबन्ध करना ।

- (ई) किसी ऐसी म्यूनिसिपलटीमें जहा बोर्डने बध स्थानोंकी एक उचित सख्या बना दी हो या उनके लिये लैसन्स दे दिये हों म्यूनिसिपलटी की हदोंके भीतर बचे जाने के लिये किसी ऐसे ढोर या भेड़ या बकरी या सुअरका मास (सिवाय ऐसे मासके जो रखेजाने के अभिप्रायसे किसी उपायसे सुरक्षित कर दिया गया हो) लाये जानेकी निगरानी और प्रबन्ध करना, जो किसी ऐसे बध स्थान या अन्य स्थानमें बध किया गया हो जो इस ऐक्टके अनुसार कायम न रखा जाता हो या जिसका लैसंस इस ऐक्टके अनुसार न दिया गया हो ।

[जी] हानि कारक व्यापार

- (ए) सिवाय उस दशके जय, और सिवाय उस हदके जहातक, किसी ऐसी घातका विरोध होता हो जो इंडियन पेट्रोलियम ऐक्ट सन् १८९९ ई० (Indian Petroleum Act 1899) में या उसके अनुसार बने हुये नियमोंमें हो, बिना किसी लैसन्सके जो बोर्डने दिया हो, या सिवाय उस विधिके जो इस प्रकार दिये हुये लैसन्सकी अर्तों के अनुसार हो, नीचे लिखे हुये कामों के लिये किसी स्थानके कारखानेकी तरह या काम काज करने के अन्य स्थानकी तरह काममें लानेकी मनाही करना—

१ वस्तुओंके व्यर्थ अंश (Offal) या रुधिर या हड्डियों या अतड़िया या चिपटों को उचालने या जमा करने के लिये ।

२ रगलों या सीमों या चमड़ाको जमा करने के लिये ।

३ चमड़ा कमाने के लिये ।

४ चमड़ा या चमड़ेकी वस्तुएं तैय्यार करने के लिये ।

५ रङ्गने के लिये ।

६ चर्चा या गंधक पिघलाने के लिये ।

७ ईंटे या खपरे या मिट्टीके बरतन या चूना फूंकने या पफाने के लिये ।

८ साबुन बनाने के लिये ।

९ तेल उचालने के लिये ।

१० सूती घास या भूसा या छप्पर बनानेके ढुल या एकट्टी या कोयला या शय

करना और इस प्रकार काममें लाये जाने या कब्जा किये जाने के विषयमें फीस लेनेका हुक्म देना ।

(सी) उन शर्तोंका प्रवन्ध करना जिनके आधीन दफा २०९ के अनुसार सड़कों या गलियों या मोरियोंपर निकले हुये कामो (ताम्बियों) के लिये और दफा २६५ के अनुसार सड़कों या गलियोंपर स्थाई रूपसे कब्जा करने के लिये आज्ञा दी जा सकती है ।

व्याख्या—

हमामी बनाम सरकार बहादुर (1910) 10 A. L. J. 426=16 I. C. 333=35 All. I. L. R. 24, वाले मामलेमें हाईकोर्टने यह फैसला किया था कि म्यूनिसिपल बोर्डको यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि सड़कों पर फेरी करने वालोंसे लैसन्सकी फीस ले । यह फैसला ऐक्ट न० १ सन् १९०० ई० के हुक्मोंके अनुसार हुआ था । वर्तमान ऐक्टकी दफा २२० और दफा २९८ के अन्तर्गत (ई) के क्लॉज (सी) के द्वारा यह बात साफ कर दी गई है कि बोर्डको सड़कों पर फेरी करने वालोंसे तहबजारी लेनेका अधिकार है । उपरोक्त हमामी वाली नजीर अब निष्प्रभाव है ।

[यफ] बाज़ार या मंडियां, बध स्थान और खाद्य पदार्थोंका बेचा जाना इत्यादि

(ए) दफा २४१ के हुक्मोंके आधीन बिना किसी लैसन्सके, जो बोर्डने दिया हो, या सिवाय उस विधिके जो इस प्रकार दिये हुये लैसन्सकी शर्तोंके अनुसार हो, किसी स्थानको बध स्थानकी तरह या बाजार या मण्डीकी तरह या ऐसी दुकानकी तरह जो ऐसे पशुओंके बेचे जाने के लिये हो, जो पशु कि आदमीके खाने के लिये हो, या ऐसी दुकानकी तरह जो मांस या मछली बेचे जाने के लिये हो, या ऐसे बाजार या मण्डीकी तरह जो फल या तरकारियों के बेचे जाने के लिये हो, काम में लाने की मनाही करना ।

(बी) उन शर्तोंका नियमित करना जिनके आधीन, और उन दशाओंका नियमित करना जिनमें, और उन रकमों तथा स्थानोंको नियमित करना जिनके विषयमें, इस प्रकार काममें लाने के लिये लैसन्स दिया जा सकता है, या नामंजूर कर दिया जा सकता है, या स्थगित कर दिया जा सकता है, या वापिस ले लिया जा सकता है ।

(सी) जो स्थान उपरोक्त कामों के लिये काममें लाया जाय उसकी जांच (सुआइना) और उसमें काम काज किये जानेकी जांच किये जानेका इस उद्देश्यसे प्रवन्ध करना कि उसके भीतर स्वच्छता रहे, या उससे, जो हानिकारक या घृणित या भयप्रद प्रभाव उत्पन्न हो, या जिनके उत्पन्न होनेकी सम्भावना हो वह कम हो जाय ।

(डी) बाजारों या मण्डियों और बध स्थानों और लिवरी भस्तबलों (Livery stables) के और पड़ावों के, और सरायों और आटा पीसने की चक्कियों के, और रोटी चिस्टुट आदि बनाने के कारखानों के, और ऐसे स्थानों के जो खाने या पीनेकी

किसी विशेष वस्तुओं के, धनाने तैयार करने, या बेचे जाने के लिये हों या जो ऐसे पशुओं के रखे जाने या दिखलाने के लिये हो जो पशु कि विक्री या किराये के लिये हों या जो स्थान कि ऐसे पशुओंके रखे जाने या दिखलाये जाने के लिये हो जिनसे कोई ऐसी वस्तु उत्पन्न होती हो, जो बेची जाती हो और ऐसे स्थान जो सर्वसाधारणकेजी वहलावके तमाराँ (Places of Public Entertainment) के लिये हो, या जिनमे सर्वसाधारण भाया जाया करते हों, के स्थापित करनेका और (सिवाय इसके कि जहातक भश (सी) के अनुसार बनाये हुये वाई लॉओंके द्वारा प्रबन्ध किया जा सके) उनके प्रबन्ध और जाचका और उनके भीतर उचित दङ्गसे और स्वच्छताके साथ काम काज किये जानेका प्रबन्ध करना ।

- (ई) किसी ऐसी म्यूनिसिपलटीमे जहां बोर्डने बध स्थानोंकी एक उचित सख्या बना दी हो या उनके लिये लैसन्स दे दिये हों म्यूनिसिपलटी की हदके भीतर बेचे जाने के लिये किसी ऐसे टोर या भेड़ या बकरी या सुभरका मांस (सिवाय ऐसे मांसके जो रखेजाने के अभिप्रायसे किसी उपायसे सुरक्षित कर दिया गया हो) लाये जानेकी निगरानी और प्रबन्ध करना, जैा किसी ऐसे बध म्यान या अन्य स्थानमे बध किया गया हो जो इस ऐक्टके अनुसार कायम न रखा जाता हो या जिसका लैसस इस ऐक्टके अनुसार न दिया गया हो ।

[जी] हानि कारक व्यापार

- (ए) सिवाय उस दशके जब, और सिवाय उस हदके जहांतक, किसी ऐसी घातका विरोध होता हो जो इंडियन पेट्रोलियम ऐक्ट सन् १८९९ ई० (Indian Petroleum Act 1899)मे या उसके अनुसार बने हुये नियमोंमे हो, बिना किसी लैससके जो बोर्डने दिया हो, या सिवाय उस विधिके जो इस प्रकार दिये हुये लैससकी शर्तों के अनुसार हो, नीचे लिखे हुये कामों के लिये किसी स्थानके कारखानेकी तरह या काम काज करने के अन्य स्थानकी तरह काममे लानेकी मनाही करना —

- १ वस्तुओंके व्यर्थ भंरा (Offnal) या रुधिर या हड्डियों या अतडियों या चिपडों को उवालने या जमा करने के लिये ।
- २ टारलों या सीगो या चमडोंको जमा करने के लिये ।
- ३ चमडा कमाने के लिये ।
- ४ चमड़ा या चमड़ेकी वस्तुएं तैयार करने के लिये ।
- ५ रङ्गने के लिये ।
- ६ चर्बा या गंधक पिघलाने के लिये ।
- ७ ईंटे या खपरे या मिट्टीके बरतन या चूना कुकने या पकाने के लिये ।
- ८ साबुन बनाने के लिये ।
- ९ तेल उवालने के लिये ।

- १० सूती घास या भूसा या छप्पर बनानेके फूस या लकड़ी या कोयला या अन्य

- ऐसी वस्तुओंको, जो भयदायक रूपसे ज्वलनशील हों, जमा करने के लिये ।
 ११ पेट्रोलियम या कोई ज्वलनशील तेल या स्पिरिट (Spirit) जमा करने के लिये ।
 १२ रूई या रूईका कूड़ा जमा करनेके लिये या रूईके गट्टे बनानेको दवाने के लिये ।
 १३ किसी अन्यमतलबके लिये यदि ऐसा काम जनताके लिये कष्टदायक हो (Public nuisance) या उससे आग लगजानेकी सम्भावना हो ।

(बी) उन दशाओंका नियमित करना, और उन रक़बों या स्थानोंको नियमित करना, जिनके विषयमें लैसंस दिये जा सकते हैं या उनके दिये जाने से मना किया जा सकता है या वह स्वगित किये जा सकते हैं (Suspended) या घापिस लिये जा सकते हैं (परन्तु इस प्रकार नहीं कि कोई ऐसा अधिकार जो बोर्डको दफा २४९ के द्वारा दिया गया हो कम हो जाय) ।

(सी) जो स्थान ऊपर बताये हुये किसी काममें लाया जाय उसकी जांचका प्रबन्ध करना और उसके भीतर काम काज किये जानेका प्रबन्ध इस उद्देश्यसे करना कि इस बातका सतोप हो जाय कि वह भीतरसे स्वच्छ रहे, या यह कि उससे जो हानि कारक या घुणित या भयप्रद प्रभाव उत्पन्न हो, या जिनके उत्पन्न होने, की सम्भावना हो, वह कम हो जाय ।

न्याख्या—

मद (जी) के अश (ए) में कुछ ऐसे काम गिनाये गये हैं जिनसे जनता के स्वास्थ्य के बिगड़ने की, और दुर्गन्ध आदि से निवासियोंको कष्ट पहुंचने की सम्भावना होती है । इसलिये म्यूनिसिपलटी को अधिकार दिया गया है कि म्यूनिसिपलटी के भीतर उक्त कामों के लिये लैसंस दे । परन्तु शर्त यह है कि जो लैसंस पेट्रोलियम जमा करने आदि के लिये बोर्ड दे उसकी शर्तें ऐसी होना चाहिये कि इण्डियन पेट्रोलियम ऐक्ट के हुकमों से उनका किसी प्रकार विरोध न हो ।

पेट्रोलियम के गोदाम के लिये लैसंस

म्यूनिसिपल मैनुअल में इस सम्बन्ध में निम्नलिखित नोट दिया हुआ है —

१ दफा २९८ की उपदफा (२) की मद (जी) के अश (ए), (बी), और (सी) के द्वारा बोर्ड को अधिकार दिया गया है कि सिवाय लैसंसदारों के अन्य शर्तों को पेट्रोलियम का गोदाम रखने की मनाही कर दे । और यह भी अधिकार दिया गया है कि बोर्ड उन दशाओं को, तथा म्यूनिसिपलटी के उन भागों को, जिनमें ऐसा लैसंस दिया जायगा, या जिसमें ऐसे लैसंस के देने की मनाही कर दी जायगी, नियमित कर दे । और ऐसे स्थान में काम काज के किये जाने की जांच और प्रबन्ध करे । परन्तु ऐसे बाईं छॉंओंका बनाया जाना इस शर्तके अधीन रखा गया है कि वे इण्डियन पेट्रोलियम ऐक्ट, सन् १८९९ ई० के, या उसके अनुसार बनाये हुये किसी नियम के, विपरीत न हों ।

२ ऐसे पेट्रोलियम का जो कि "खतरनाक न हो" (Non-dangerous), गोदाम रखा जाय, और ऐसे पेट्रोलियमका एक स्थानसे दूसरे स्थान को ले जाया जाना, जब कि उसकी मात्रा ५०० गैलनमें अधिक हो, और "खतरनाक पेट्रोलियम (Dangerous Petroleum) का गोदाम रखा जाना

और एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाया जाना, जब कि उसकी मात्रा ३ गैलन से अधिक हो, उन नियमों के आधीन होता है जो कि भारत सरकार इण्डियन पेट्रोलियम ऐक्ट की दफा ९ के अनुसार बनाती है। इसका परिणाम यह होता है कि कोई बोर्ड अपरोक्त मात्राओं से अधिक मात्रा के गोदाम के विषय में चार्ज लॉ नहीं बना सकता। "खतरनाक पेट्रोलियम" की वह मात्रा जो बिना पेट्रोलियम ऐक्ट की आज्ञा के रखी जा सकती है इतनी थोड़ी है कि बोर्डों को किसी चार्ज लॉ के बनाने की आवश्यकता न होगी। (नोट — खतरनाक पेट्रोलियम का अर्थ है वह पेट्रोलियम जिसका फ्लैशिंग पाइंट फ़ैराहाइट ५०मीटर की ७६ डिग्री से नीचा हो। फ्लैशिंग पाइंट के अर्थ के लिये देखिये दफा २ का न० १५ की व्याख्या)। परन्तु उस पेट्रोलियम के विषय में जो खतरनाक न हो, बोर्ड सादे चार्ज लॉ बना सकते हैं, जैसे कि वह गमूने के चार्ज लॉ हैं जो म्यूनिसिपल मैनुअल के पेज ३९६ और ३९७ पर दिये गये हैं, और जो ५०० गैलन तक के गोदाम के विषय में हैं। और बोर्ड उनके ऊपर उसी हिसाब से फीस लगा सकता है जैसी कि अधिक मात्राओं के लिये भारत सरकार लिया करती है।

३ म्यूनिसिपल्टीज ऐक्ट के अनुसार जो अधिकार कि ५०० गैलन तक की मात्राके लिये लैसन्स देने का बोर्डों को दिया गया है, उसके अतिरिक्त सरकार ने इण्डियन पेट्रोलियम ऐक्ट के अनुसार बोर्डों को यह अधिकार भी दिया है कि म्यूनिसिपल्टी की हदों के भीतर ऐसे पेट्रोलियम के रखने और एक स्थानसे दूसरे स्थानको ले जानेके लिये जो थोक मात्रा (In bulk) न हो और खतरनाक न हो, लैसन्स जारी करे। "थोक मात्रा में पेट्रोलियम" (Petroleum in bulk) का अर्थ है पेट्रोलियम की ऐसी मात्रा जो ५०० गैलन से अधिक हो और जो एक ही पात्र में रखा हो। बोर्डों को इस अधिकार के सौंप दिये जाने का परिणाम यह है कि उन सब व्यापारियों को लैसन्स देना, जो गैर खतरे वाले पेट्रोलियम को टिन में बेचते हैं, या जो थोक मात्रा रखने का यत्न नहीं करते, बोर्डों के अधिकार में है। परन्तु इस प्रकार जो अधिकार सांपा जाता है, उसके अनुसार जो लैसन्स दिये जाते हैं वह उन नियमों के आधीन होते हैं जो भारत सरकार बनाती है, और बोर्डों को उनके प्रतिकूल, म्यूनिसिपल्टीज ऐक्ट के अनुसार, कोई चार्ज लॉ न बनाना चाहिये। पाच सौ गैलन से अधिक मात्राओं के लिये लैसन्स नीचे लिखे फारम के अनुसार दिया जाना चाहिये —

फारम (ए)

(भाग २ के प्रकरण ४ का नियम)

खतरनाक पेट्रोलियम के अतिरिक्त अन्य प्रकार का पेट्रोलियम रखने के लिये लैसन्स (थोक में नहीं)।

न०

फीस ₹०

इस पत्र के द्वारा गैलन पेट्रोलियम, गोदाम में जिसका वर्णन नीचे दिया जाता है, पेट्रोलियम रखने के उन नियमों के आधीन, जो विज्ञापन न० २७२ ता० २८ जनवरी सन १९०९ ई० के द्वारा प्रकाशित किये गये थे, और उन शर्तों के आधीन जो लैसन्स के पीछे दिये हुये हैं, लैसन्स दिया जाता है।

ता०

चेयरमैन म्यूनिसिपल बोर्ड या एग्जिक्यूटिव अफसर

ऐसी वस्तुओंको, जो भयदायक रूपसे ज्वलनशील हों, जमा करने के लिये ।

११ पेट्रोलियम या कोई ज्वलनशील तेल या स्पिरिट (Spirit) जमा करने के लिये ।

१२ रई या रईका कड़ा जमा करने के लिये या रईके गट्टे बनानेको दवाने के लिये ।

१३ किसी अन्य मतलबके लिये यदि ऐसा काम जनताके लिये कष्टदायक हो (Public nuisance) या उससे आग लगजानेकी सम्भावना हो ।

बी) उन दशाओंका नियमित करना, और उन रकबो या स्थानोंको नियमित करना, जिनके विषयमें लैसंस दिये जा सकते हो या उनके दिये जाने से मना किया जा सकता है या वह स्थगित किये जा सकते हैं (Suspended) या वापिस लिये जा सकते हैं (परन्तु इस प्रकार नहीं कि कोई ऐसा अधिकार जो बोर्डको दफा २४५ के द्वारा दिया गया हो कम हो जाय) ।

सी) जो स्थान ऊपर बताये हुये किसी काममें लाया जाय उसकी जांचका प्रबन्ध करना और उसके भीतर काम काज किये जानेका प्रबन्ध इस उद्देश्यसे करना कि इस बातका सतोप हो जाय कि वह भीतरसे स्वच्छ रहे, या यह कि उससे जो हानि कारक या घृणित या भयप्रद प्रभाव उत्पन्न हो, या जिनके उत्पन्न होने, की सम्भावना हो, वह कम हो जाय ।

व्याख्या—

मद (जी) के अंश (ए) में कुछ ऐसे काम गिनाये गये हैं जिनसे जनता के स्वास्थ्य के खतरा होने की, और दुर्गन्ध आदि से निवासियों को कष्ट पहुंचने की सम्भावना होती है । इसलिये म्यूनिसिपलटी को अधिकार दिया गया है कि म्यूनिसिपलटी के भीतर उक्त कामों के लिये लैसंस दे । परन्तु शर्त यह है कि जो लैसंस पेट्रोलियम जमा करने आदि के लिये बोर्ड दे उसकी शर्तें ऐसी होना चाहिये कि इण्डियन पेट्रोलियम ऐक्ट के हुक्मों से उनका किसी प्रकार विरोध न हो ।

पेट्रोलियम के गोदाम के लिये लैसंस

म्यूनिसिपल मैनुअल में इस सम्बन्ध में निम्नलिखित नोट दिया हुआ है —

१ दफा २९८ की उपदफा (२) की मद (जी) के अंश (ए), (बी), और (सी) के द्वारा बोर्ड को अधिकार दिया गया है कि सिवाय लैसंसदारों के अन्य शरतों को पेट्रोलियम का गोदाम रखने की मनाही कर दे । और यह भी अधिकार दिया गया है कि बोर्ड उन दशाओं को, जिनका म्यूनिसिपलटी के उन भागों को, जिसमें ऐसा लैसंस दिया जायगा, या जिसमें ऐसे लैसंस के देने की मनाही कर दी जायगी, नियमित कर दे । और ऐसे स्थान में काम काज के किये जाने की जांच और प्रबन्ध करे । परन्तु ऐसे धाई लॉओका धनाया जाना इस शर्तके आधीन रखा गया है कि ये इण्डियन पेट्रोलियम ऐक्ट, सन् १८९९ ई० के, या उसके अनुसार बनाये हुये किसी नियम के, विपरीत न हों ।

२ ऐसे पेट्रोलियम का जो कि "खतरनाक न हो" (Non-dangerous), गोदाम रखा जाना, और ऐसे पेट्रोलियमका एक रजामे दूसरे स्थान को ले जाया जाना, जब कि उसकी मात्रा ५०० गैलमने अधिक हो, और "खतरनाक पेट्रोलियम (Dangerous Petroleum) का गोदाम रखा जाना

और एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाया जाना, जब कि उसकी मात्रा ३ गैलन से अधिक हो, उन नियमों के आधीन होता है जो कि भारत सरकार इण्डियन पेट्रोलियम ऐक्ट की दफा ९ के अनुसार बनाती है। इसका परिणाम यह होता है कि कोई बोर्ड अपरोक्त मात्राओं से अधिक मात्रा के गोदाम के विषय में वार्ड लॉ नहीं बना सकता। "खतरनाक पेट्रोलियम" की वह मात्रा जो बिना पेट्रोलियम ऐक्ट की आज्ञा के रखी जा सकती है इतनी थोड़ी है कि बोर्डों को किसी वार्ड लॉ के बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। (नोट — खतरनाक पेट्रोलियम का अर्थ है वह पेट्रोलियम जिसका फ्लैशिंग पाइंट फैनरहाइट ५०मीटर की ७६ डिग्री से नीचा हो। फ्लैशिंग पाइंट के अर्थ के लिये देखिये दफा २ का न० १५ की व्याख्या)। परन्तु उस पेट्रोलियम के विषय में जो खतरनाक न हो, बोर्ड सादे वार्ड लॉ बना सकते हैं, जैसे कि वह नमूने के वार्ड लॉ हैं जो म्यूनिसिपल मैनुअल के पेज ३९६ और ३९७ पर दिये गये हैं, और जो ५०० गैलन तक के गोदाम के विषय में हैं। और बोर्ड उनके ऊपर उसी हिसाब से फीस लगा सकता है जैसी कि अधिक मात्राओं के लिये भारत सरकार लिया करती है।

३ म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट के अनुसार जो अधिकार कि ५०० गैलन तक की मात्रा के लिये लैसन्स देने का बोर्डों को दिया गया है, उसके अतिरिक्त सरकार ने इण्डियन पेट्रोलियम ऐक्ट के अनुसार बोर्डों को यह अधिकार भी दिया है कि म्यूनिसिपलटी की हद्दों के भीतर ऐसे पेट्रोलियम के रखने और एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने के लिये जो थोक मात्रा (In bulk) न हो और खतरनाक न हो, लैसन्स जारी करे। "थोक मात्रा में पेट्रोलियम" (Petroleum in bulk) का अर्थ है पेट्रोलियम की ऐसी मात्रा जो ५०० गैलन से अधिक हो और जो एक ही पात्र में रखा हो। बोर्डों को इस अधिकार के सौंप दिये जाने का परिणाम यह है कि उन सब व्यापारियों को लैसन्स देना, जो गर खतरे वाले पेट्रोलियम को टिन में बेचते हैं, या जो थोक मात्रा रखने का यत्न नहीं करते, बोर्डों के अधिकार में है। परन्तु इस प्रकार जो अधिकार सौंपा जाता है, उसके अनुसार जो लैसन्स दिये जाते हैं वह उन नियमों के आधीन होते हैं जो भारत सरकार बनाती है, और बोर्डों को उनके प्रतिकूल, म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट के अनुसार, कोई वार्ड लॉ न बनाना चाहिये। पाच सौ गैलन से अधिक मात्राओं के लिये लैसन्स नाचे लिखे फारम के अनुसार दिया जाना चाहिये —

फारम (ए)

(भाग २ के प्रकरण ४ का नियम)

खतरनाक पेट्रोलियम के अतिरिक्त अन्य प्रकार का पेट्रोलियम रखने के लिये लैसन्स (थोक में नहीं) ।

न०

फीस २०

इस पत्र के द्वारा गैलन पेट्रोलियम, गोदाम में जिसका वर्णन नीचे दिया जाता है, पेट्रोलियम रखने के उन नियमों के आधीन, जो निम्नानुसार न० २७२ ता० २८ जनवरी सन १९०९ ई० के द्वारा प्रकाशित किये गये थे, और उन शर्तों के आधीन जो लैसन्स के पीछे दिये हुये हैं, लैसन्स दिया जाता है।

ता०

चेयरमैन म्यूनिसिपल बोर्ड या एग्जिक्यूटिव अफसर

“शर्तें जिन पर लैसन्स दिया जायगा”

१ यदि लैसन्स देने वाला अफसर, लैसन्सदार को लिखित नोटिस के द्वारा आज्ञा दे कि गोदाम की किसी प्रकार मरम्मत की जाय जो कि गोदाम की सुरक्षिताके लिये, ऐसे अफसरकी रायमें, आवश्यक हो, तो लैसन्सदार, एक ऐसी अवधि के भीतर, जो नोटिस के द्वारा नियत कर दी जाय, और जो अवधि नोटिस के मिलने की तारीख से एक मास से कम की न हो, ऐसी मरम्मत कर देगा।

२ गोदाम ईंट चूने का अथवा किसी अन्य ऐसे पदार्थ का बनाया जायगा जो सहज से जल उठने वाला न हो, और उस पर साधारण चपटी छत या खपरों की छत या लोहे की छत रहेगी। फर्श टाइल (Tiles) का या ईंट का, या मिट्टी का होगा। परन्तु छत के लट्टे, कड़िया तथा खम्भे खिड़किया और दरवाजे लकड़ी के हो सकते हैं।

३ सड़क या गलीकी सतहसे या तो गोदामके दरवाजे तथा प्रवेश करनेके अन्य रास्ते, दो फुट की उचाई पर बनाये जायगे, या गोदामका फर्श सड़क या गली की सतहसे दो फुट नीचा खोद दिया जायगा, जिससे कि यदि उस पात्रमेंसे, जिसमें कि पेट्रोलियम रखा हो वह टपके, तो वह इमारतके बाहर बह के जा सके। या इमारतके चहुओर ईंट चूनेकी एक भीत या धुस बना दिया जायगा, जिसकी उचाई दो फुट होगी, परन्तु दो फुटसे कम न होगी। जब पेट्रोलियमकी मात्रा जो सत्रायकी जाय १६ हजार गैलनसे अधिक हो, तो भीत तीन फुट ऊंची होगी या गोदामका फर्श तीन फुट गहंरा खोद दिया जायगा।

यह किया जा सकता है कि भीत भी बना दी जाय और साथही साथ फर्श भी खोद दिया जाय।

४ इमारतके चहुओर नीचे लिखे अन्तर तक स्थान खाली रखा जायगा (अर्थात् कोई इमारत आदि न बनाई जायगी)—

अन्तर, जो इमारत या भीतके चहुओर खाली रखा जायगा।

गैलनोंकी सख्या जो रखी जा सकेगी।

कोई अन्तर नहीं

५००० या कम

२० फुट

५००० से अधिक और ५०००० तक

३० फुट

जितनी सख्या चाही जाय रखी जाय।

५ गोदामके भीतर किसी प्रकारकी रोशनी करनेकी आज्ञा न होगी, सिवाय ऐसी रोशनीके जिसकी शक्ति और स्थान और लक्षण ऐसे हों कि वह किसी उबलनशील भागमें अग्नि उत्पन्न न कर दे। न किसी प्रकारकी अग्नि जलानेकी आज्ञा होगी।

—पारम (५) पर जो लैसन्स दिये जायेंगे उनके लिये नीचे लिखे दरसे फीस ली जायगी और वह लैसन्स देने वाले बोर्डके हिसाबमें जमा की जायगी —

(५) जब वह मात्रा जो गोदाममें रखी जाय २० १२)

५०० गैलनसे अधिक हो, परन्तु एक हजार गैलनसे अधिक न हो—

(६) जब मात्रा जो गोदाममें रखी जानेकी हो एक हजार गैलनसे अधिक हो, परन्तु ५००० से अधिक न हो।

१०) २० पहिले १००० गैलनके लिये, और उसके उपर प्रत्येक १००० गैलनके लिये या उसके किसी भागके लिये २) २०।

- (सी) जय मात्रा ५००० गैलनसे अधिक हो २०) ६० ५००० पांच हजार गैलनके लिये
परन्तु ५०००० गैलनसे अधिक न हो। और उसके ऊपर प्रत्येक १००० गैलन
के लिये या उसके भागके लिये ४) २०
- (डी) जय मात्रा जो गोदाममें जमा की जाने २५) ६०
को हो ५०००० गैलनसे अधिक हो ।

—प्रत्येक लैसन्स जो इण्डियन पेट्रोलियम ऐक्टके अनुसार दिया जायगा उसकी अवधि उस ३१ दिसम्बर तक रहेगी जो लैसन्स देनेके बाद पड़े ।

—इण्डियन पेट्रोलियम ऐक्टके अनुसार प्रत्येक लैसन्सके लिये दरखास्त देने वालेको दरखास्त पहले जिला मजिस्ट्रेटकी सेवामें देना पड़ेगी जो उन सब दरखास्तोंको जिन्हें सम्बन्धमें बोर्डको अधिकार प्राप्त होगा बोर्डके पास भेज देगा । लैसन्स बदलवानेके लिये दरखास्तें उस तारीखसे तीस दिन पहिले दी जाना चाहिये जिसदिन कि पहिले वाले लैसन्सकी अवधि समाप्त हो ।

—किसी ऐसे शरतके लिये जिसको म्यूनिसिपल बोर्ड दफा २९८ को मद (जी) के हुक्मके अनुसार लैसन्स देनेसे मना कर देता है क्या उपाय है, और अदालतको बोर्डके हुक्ममें हस्तक्षेप करनेका अधिकार है या नहीं ? इन प्रश्नोंके लिये मनुआ वगैरा बनाम सरकार बहादुर 17 A L J 976, और मन्नु बनाम सरकार बहादुर 18 A L J. 187 वाली नजीरों पर विचार करना चाहिये । दोनों मुकद्दमें एकही मामलेके सम्बन्धमें हुये हैं । कानपुर म्यूनिसिपलबोर्ड और मनुआ या मन्नूका झगडा सन १९१४ ई० से आरम्भ हुआ । उक्त वर्षमें म्यूनिसिपलबोर्डने यह निश्चय किया कि एक आराजी जिस पर मनुआ की लकड़ी की टाल है आराजी नजूल है और यह कि मनुआ वगैरा ने उस पर टाल बिना इजाजत के रख ली है । मनुआ वगैर का कहना था कि झगडे वाली आराजी नजूल नहीं है और वह उनके कब्जे में ५० वर्ष से है । सन् १९१८ ई० में बोर्ड ने फिर एक रेजोल्यूशन पास किया कि मनुआ वगैर को इस आराजी पर टाल रखने का लैसन्स न दिया जाय ।

उपरोक्त प्रश्नोंके सम्बन्ध में माननीय मिस्टर जस्टिस पिगट ने जो कुछ लिखा है उसका सारांश नीचे दिया जाता है —

“इस मामले में बोर्ड की एक विशेष स्थिति है क्योंकि बोर्ड झगडे वाली आराजी को नजूल ठहरा के स्वयं उस पर अधिकार जमाना चाहता है । प्रश्न यह है कि क्या बोर्ड की कानून के द्वारा यह अधिकार प्राप्त है कि मनुआ वगैरा को लैसन्स न देकर उन पर यह दण्ड डाले कि वह झगडे वाली आराजी को खाली कर दें । जब कोई शख्स नियमानुसार लैसन्स के लिये अर्ज दे तो बोर्ड को यह अधिकार नहीं है कि अपने लाभ के लिये यह किसी को लैसन्स देने से मना कर दे । लैसन्स न देने का अधिकार बोर्ड को केवल सर्वसाधारण की सुरक्षिता, स्वास्थ्य आदि के विचार से है ।

मन्नु की ओर से यह प्रार्थना की जाती है कि अदालत यह फैसला करे कि बोर्ड को यह रेजोल्यूशन पास करने का अधिकार नहीं था कि हम लोगों को लैसन्स न दिया जाय, और यह कि यदि इस अदालत को यह विश्वास हो जाय कि बोर्ड ने अपने अधिकारों का अनुचित प्रयोग किया है, तो यह अदालत सजा के हुक्म को रद्द कर सकती है । मन्नु की ओर से सरकार बहादुर बनाम बालकृष्ण का मुकद्दमा पेश किया जाता है । इस मुकद्दमे में इस अदालत के मामले यह प्रश्न था कि एक वार्ड-लॉ, जिसके उल्लंघन के लिये एक शख्स को दण्ड दिया गया था, उचित वार्ड-लॉ था या नहीं । अदालत ने निश्चय किया कि उक्त वार्ड-लॉ अनुचित था और यह कि ऐसा वार्ड-लॉ पास

करना बोर्ड का अपने अधिकारों का अनुचित प्रयोग करना था। परन्तु बालकृष्ण वाला मामला इस मुकद्दमे के समान नहीं था। मन्नु आदि ने जिस बार्ड लॉ का उल्लंघन किया है वह एक उचित और ठीक बार्ड-लॉ है और मन्नु आदि की यह भूल थी कि उन्होंने ने बोर्ड को लैसन्स के लिये अर्जी नहीं दी।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि भूतपूर्व म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट के अनुसार हुकम इस्तनाई का दावा म्यूनिसिपल बोर्ड पर किया जा सकता था कि वह मुद्दई के उस अधिकार में हस्तक्षेप न करे जिसके द्वारा मुद्दई कोई व्यापार या व्यवसाय जायज रूप से किसी विशेष स्थान में करने का अधिकार रखता है। परन्तु वर्तमान ऐक्ट न० २, सन १९१६ ई० के अनुसार अदालत दीवानी का अधिकार दफा ३१८ और दफा ३२१ के द्वारा सीमा बद्ध कर दिया गया है। उक्त दफाओं के हुकम के अनुसार, कोई शाख्स, जो दफा २९८ की मद् (जी) के किसी हुकम से असतुष्ट हो, वह केवल उस ऊचे अधिकारी को जो उक्त दफाओं में आदित है, अपील कर सकता है। अन्य कोई उपाय उसके लिये नहीं है। साथही साथ यह बात भी स्पष्ट नहीं है कि म्यूनिसिपल बोर्ड पर हुकम इस्तनाई का दावा इस प्रार्थना से नहीं किया जा सकता कि वह बाध्य किया जाय कि किसी विशेष व्यापार को किसी विशेष स्थान पर करने के लिये लैसन्स दे। परन्तु ऐसी दशा में यह शर्त होगी कि मुद्दई, बार्ड-लॉओं की सब शर्तों के आधेन लैसन्स लेने को तैयार हो, और अदालत को हम बात का सन्तोष दिला सके कि बोर्ड ने लैसन्स की मनाही किसी ऐसे कारणों से कर दी है जिनका सर्वसाधारण के स्वास्थ्य, सुरक्षिता आदि से कोई सम्बन्ध नहीं है।”

इस तजवीज के उपरान्त मन्नु वगैरा ने म्यूनिसिपल बोर्ड को लैसन्स के लिये अर्जी दी। पर बोर्ड ने बिना किसी कारण के लिखे तुरन्त अर्जी ना मजूर कर दी। मन्नु ने फिर भी अपनी टाल नहीं हटाई। बोर्ड ने मन्नु पर फिर मुकद्दमा चलाया और उसको सजा हुई। मन्नु ने इस हुकम की निगरानी फिर हाईकोर्ट में की। मन्नु की ओर से यह बहस की गई कि लैसन्स के सम्बन्ध में जो बार्ड-लॉ हैं, यदि वे सब दृष्टि में रखे जाय तो यह मानना होगा कि बोर्ड को प्रत्येक ऐसे शाख्स को लैसन्स देना होगा जो बार्ड-लॉओं की शर्तों का पालन करने को तैयार हो। केवल उसी दशा में बोर्ड लैसन्स देने से मना कर सकता है जब यह प्रगट हो कि लैसन्स का दिया जाना म्यूनिसिपलटी के निवामियों के स्वास्थ्य आदि के लिये हानिकारक होगा। तजवीज के आवश्यक भाग का साराफा नीचे दिया जाता है—

“बहस में यह बात मानी गई है कि मन्नु की अर्जी नामंजूर करते हुये यदि बोर्ड ने यह कारण लिखा होता कि जनता के स्वास्थ्य आदि के विचार से ऐसे कारण हैं कि उनसे लकड़ी की टाल रखने का लैसन्स दिया जाना अनुचित है तो ऐसे मुकद्दमे में, जैसा कि मन्नु पर चलाया गया है, अदालत फौजदारी को यह निर्णय करने का अधिकार न होता कि बोर्ड ने लैसन्स की मनाही काफी कारणों से की थी या नहीं। मेरी भी निश्चित यही राय है। मन्नु के पक्ष में जो सब से मजबूत नजीर पेश की गई है अर्थात् हाजी इसमाईल हाजी इसहाक बनाम बन्धई के म्यूनिसिपल कमिश्नर (1902) I L R 28 Bom 253, उसकी तजवीज में यह बात लिपी गई है कि जब तक स्पष्टतया यह बात प्रगट न हो कि कोई म्यूनिसिपल कमिश्नर अपने अधिकारोंको उस उद्देश्य से नहीं धरतता जिसके हेतु उसको यह अधिकार सौंपे गये हैं वरन किसी अन्य मतला से, तब तक अदालत म्यूनिसिपल कमिश्नर के हुकम को रद्द करके उसके बदले अपना हुकम नहीं दे सकती, न किसी ऐसे मामले में (जैसे कि लैसन्स की मनाही कर दी जाना) अदालत हस्तक्षेप कर सकती है। अब

मुकद्दमे में मन्नु की ओर से यह कहा जाता है कि बोर्ड ने लैसन्स देने से मनाही इस कारण से नहीं की है कि उक्त मनाही स म्यूनिसिपल्टी के निवासियों के स्वास्थ्य रक्षा आदि की अज्ञाति होगी। वरन मनाही का कारण यह है कि बोर्ड मन्नु पर अनुचित दबाव डालना चाहता है कि मन्नु उस आराजी को छोड़ दे। क्योंकि बोर्ड जानता है कि लकड़ी की टाल रखने के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार झगड़े वाली आराजी मन्नु के काम में नहीं आ सकती। मिसिल में ऐसी कोई बात नहीं है कि जिससे यह विदित हो कि बोर्ड की राय में उक्त टाल से निवासियों के स्वास्थ्य आदि पर कोई प्रभाव पड़ेगा। इसलिये यहस के लिये मैं यह माने लेता हूँ कि इस मामले में म्यूनिसिपल्टी के निवासियों के स्वास्थ्य आदि का कोई प्रश्न नहीं है। अतएव मेरी समझ में कानूनी प्रश्न जो उपस्थित होता है वह यह है —मन्नु को लैसन्स नहीं दिया गया तो भी वह झगड़े वाली आराजी पर लकड़ी की टाल रखे रहा और इसलिये उसने कानून का उल्लंघन किया। क्या अदालत को यह अधिकार है कि, केवल इस कारण कि म्यूनिसिपल बोर्ड ने अपने अधिकारों को दफा २९८ के आशय के अनुसार नहीं बरता है, वरन अन्याय के साथ बरता है, वह ऐसे उल्लंघन के लिये जो दण्ड ऐक्ट न० २ सन १९१६ ई० में रखा गया हो देने से मना कर दे।

यह बात ध्यान में रखना चाहिये कि उपरोक्त मुकद्दमा स्पेसिफिक रिलीफ ऐक्ट न० १ सन १८७७ई० (Specific relief Act 1877) की दफा ४५का था। उक्त दफा के हुक्म केवल प्रेसिडेंसी टाऊन्स पर लागू हैं। वे इस मुकद्दमा पर लागू नहीं हो सकते।

अन्य हाईकोर्टों के मुकद्दम जिनमें यह प्रश्न उपज चुका है कि म्यूनिसिपल बोर्ड ने अपने अधिकारों का उचित प्रयोग किया या नहीं निम्न लिखित हैं —

सोनु पिले बनाम म्यूनिसिपल काउन्सिल माया वरम I L. R. 28 Mad 520 इस मुकद्दमे में मदरास हाईकोर्ट की राय में म्यूनिसिपल बोर्ड ने उस स्वाधीनता का अनुचित प्रयोग किया था जो कि उसको लैसन्सों के देने या न देने के सम्बन्ध में दिये गये हैं। योग्य जजों ने सजवीज में यह लिखा है कि म्यूनिसिपल बोर्डों का कर्तव्य है कि अपने अधिकारों को न्याय के साथ और ठीक बरतें। परन्तु जो प्रश्न इस समय मेरे सामने उपस्थित है उसमें इस जगह से कुछ सहायता नहीं मिलती। उक्त मुकद्दमे में अदालत को केवल इतना निश्चय करना था कि एक मुआहिदा कानून के अनुसार पूरा कराया जा सकता है या नहीं और हाईकोर्ट ने निर्णय किया कि मुआहिदा पार्लर पॉलिसे (सार्वजनिकनीति) के विरुद्ध है।

ऐसे ही दो मुकद्दमे कलकत्ता हाईकोर्ट में भी हुये हैं। यदि वे मुकद्दमों का अनुसरण किया जाय तो मन्नु की अर्जी तुरन्त एारिज होना चाहिये। वह मुकद्दमे यह हैं —

मोरन बनाम धेयरमैंग मोतीहारी म्यूनिसिपल्टी I L R. 17 Cal -329 और सरकार वहादुर बनाम मुकुन्द चन्द्र चटरजी I L R 20 Cal 654

विशेष कर मुकुन्द चन्द्र चटरजी का मुकद्दमा महतु जरूरी है, क्योंकि उसमें योग्य जजों की यह स्पष्ट राय थी कि म्यूनिसिपल बोर्ड ने अपने अधिकारों का अनुचित प्रयोग किया था। ऐसा निश्चय करते हुये भी उन्होंने यह साधारण उच्च सजवीज में नियमित किया कि यगल म्यूनिसिपल ऐक्टके अनुसरण आजार लगाने के लिये लैसन्स देना या लैसन्स देनामे मगावर देना अधिकार पूर्णतया म्यूनिसिपल कमीशनों को है। यह अधिकार चाहे कितनेही मनमाने रूप से बरता जाय, तो भी किसी अदालत को एस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं हो सकता।

मन्नु की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुकद्दमा गगानारायण बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड कानपुर I L R 19 All 313=1907 A W N 65 भी पेश किया जाता है। इस मुकद्दमे की तजवीज में कुछ ऐसी बातें अवश्य कही गई हैं जिनसे मन्नुके पक्ष में सहायता मिलती है। परन्तु उस मुकद्दमे में कोई ऐसा कानूनी प्रश्न तय नहीं हुआ था कि उसके आधार पर मन्नु का मुकद्दमा फैसल किया जा सके (देखिये दफा २४१ की व्याख्या) इस हाईकोर्ट का दूसरा मुकद्दमा जो पेश किया जाता है वह सरकार बहादुर बनाम बालकृष्ण I L R 24 All 439 है। इस मुकद्दमे में यह तजवीज हुआ था कि किसी बाई-लों के उल्लघन के लिये दण्ड देने से पूर्व अदालत को इस बात की जाच करने का अधिकार प्राप्त है कि बाई-लों स्तय उचित है या नहीं। परन्तु इस मुकद्दमे में यह प्रश्न नहीं है कि जो बाई लों कानपुर म्यूनिसिपल बोर्ड ने दफार ९८ की मद (जी) के अनुसार पास किये हैं वह उचित हैं या नहीं। कानपुर म्यूनिसिपलटी के उक्त बाई-लों स्पष्ट उचित हैं और उनके द्वारा म्यूनिसिपलटी के निवासियों के स्वास्थ्य, सुरक्षिता आदि की उन्नति अवश्य हो सकती है। मेरे सामने जो प्रश्न है वह यह है कि क्या यह कहा जा सकता है कि जो अधिकार बोर्ड को कानून और बाई लों के द्वारा दिये गये हैं उनका बोर्डने अनुचित प्रयोग किया है या नहीं, और यदि किया है तो उनका एक ऐसे फौजदारीके मुकद्दमे में, जैसा कि मन्नुपर चलाया गया है क्या असर पड़ता है। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि दफार ९८ की मद (जी)के अनुसार बनाये हुये बाई लों के अनुसार जो हुकम किमी लैसन्स की मनाही कर देने के लिये दिया जाय उस हुकम के विषय में यह कहा जा सकता है कि वह उक्त बाई लों के अनुसार दिया गया है, ठीक उसी प्रकार जैसे कि एक हुकम जिसके द्वारा लैसन्स प्रदान किया जाता है वह दफा २९८ की मद (जी) का हुकम होता है। अर्थात् अर्जी दिये जाने पर चाहे लैसन्स की मनाही कर दी जाय या मजूरी दे दी जाय, दोनों ही प्रकारक हुकम दफा २९८ (जी)के हुकम कहलायेंगे। अतएव निस्सन्देह मन्नुको यह उपाय कानून ने दिया था कि मन्नु उस हुकम की अपील दफा ३१८ के अनुसार करता। यदि मेरा यह विचार ठीक है तो यह बात निश्चित है कि लैसन्स देने की मनाही कर देने के हुकम में कोई दीवानी की अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती। किन्तु इस प्रश्न पर मैं अपनी कोई अन्तिम राय नहीं देता क्योंकि इसमें यह प्रश्न उत्पन्न होगा कि एक प्रान्तीय ऐक्ट के बनाने वाली व्यवस्थापक काउन्सिल को यह अधिकार है या नहीं कि ऐसे मामले में अदालतों के अधिकार को लेले”।

[एच] सार्वजनिक सुरक्षिता और सुख

- (ए) निश्चित बाँट और नाप नियमित करना जो म्यूनिसिपलटी के भीतर काममे लाये जायेंगे और उनकी जाच का प्रबन्ध करना।
- (बी) उस दशा मे जब कि ऐसा प्रबन्ध या मनाही बोर्डको आवश्यक जान पड़े, सड़कों या गलियों मे किसी प्रकार की आवाजाहीके प्रबन्ध करने या मनाही करनेकी व्यवस्था करना।
- (सी) उन गाड़ियों या नावों या पशुओंके मालिकों या चलाने वालों पर, जो म्यूनिसिपलटी की हदों के भीतर किराये के लिये रखे जाते या चलाये जाते हों, या ऐसे शफ़्तों पर जो उक्त हदों के भीतर मजदूरी लेकर बौझ लादने का काम करते हों, लैसन्सों के लेने की जिम्मेदारी लगाना, और ऐसे लैसन्सों पर जो फीस ली जायगी

उनको नियत करना और उन शर्तों को नियत करना जिन पर ऐसे लैसस दिये जायेंगे या वापिस लिये जायेंगे ।

- (डी) उन दरों को बाध देना जो किसी गाड़ी, या छकड़े, या नाव, या अन्य सवारी, के किराये के विषय में मागे जा सकते हैं, या जो उन पशुओं के विषयमें जो बोझ लेजाने के लिये किराये किये जाय, या उन शख्सोंकी मजदूरी के विषयमें जिनसे बोझ लादने का काम मजदूरी देकर लिया जाय, मागे जा सकते हैं, और उन बोझों का बाध देना जो ऐसी सवारी या पशुओं या शख्सों को ले जाना चाहिये जब कि वह म्यूनिसिपलटी के भीतर, किसी ऐसी अवधि के लिये जो चौबीस घंटे से अधिक न हो, किराये किये जाय, या किसी ऐसी सेवा के लिये किराये किये जाय जो साधारणतः चौबीस घंटे के भीतर पूरी करदी जाना चाहिये ।
- (ई) किसी विशेष सड़क या गली या किसी विशेष रकूवे में आम रडियों के रहने, और चकलों के स्थापति करने, या किसी मकान या इमारत को आम रडियों को या चकलेके लिये किराये पर देने, या अन्य प्रकार अलग करने, की मनाही ।
- (एफ) विज्ञापनों (Bills) और इशतहारों के चिपकाने का प्रवन्ध करना ।
- (जी) ऐसे स्थानों का नियत करना और उनके काम में लाये जाने का प्रवन्ध करना जहां नावें बांधी जा सकें, या लादी जा सकें, या उनका बोझ उतारा जा सकें, और सिवाय ऐसे स्थानों के जो कि बोर्ड नियत करें, अन्य स्थानों में नावा के बाधने, या उनको लादने, या उनका बोझ उतारनेकी, मनाही करना ।
- (एच) ऐसे पशुओं के जो म्यूनिसिपलटी के भीतर मारे मारे फिरते पाये जाय पकड़ने और जस्त कर लेने का प्रवन्ध करना ।
- (आई) कुत्तों की रजिस्ट्री किये जाने का प्रवन्ध करना ।
- (जे) ऐसी रजिस्ट्री किये जानेके विषय में वार्षिक फ़ीस लगाये जानेका प्रवन्ध करना
- (के) यह आज्ञा देना कि रजिस्ट्री किया हुआ प्रत्येक कुत्ता ऐसा पट्टा पहिने रहे कि जिसमें एक चिन्ह, जो बोर्ड की ओर से दिया जाय, लगा रहे ।
- (एल) यह प्रवन्ध करना कि सिवाय उन कुत्तों के जिनकी रजिस्ट्री की गई हो, और जो ऐसा चिन्ह पहिनेहो, अन्य कोई कुत्ता, यदि वह किसी सावजनिक स्थानमें पाया जाय, मार डाला जाय, या अन्य प्रकार ठिकाने लगाया जाय ।
- (एम) जनता की सुरक्षिता या सुख में वृद्धि करने के उद्देश्य से किसी ऐसे काम की मनाही करना, या किसी ऐसेकाम का प्रवन्ध करना, जो जनताके लिये कष्ट प्रद हो, या जिससे जनता के लिये कष्ट उत्पन्न होने की सम्भावना हो, और जिसकी मनाही या प्रवन्ध के लिये इस मद में कोई हुस्म न दिया गया हो ।

[आई] आरोग्यता और बीमारीका रोकना

- (ए) जनता के स्वास्थ्य बिगड़ने के भय को रोकने के उद्देश्य से घोटों, या उट्टों, या दोर या सुभरो, या गधों, या भेड़, या बकरियां, को इकट्ठा बाधने या जमा करने

का प्रवन्ध करना या मनाही करना ।

- (बी) ऐसे दूध मखन आदि के कारखानों, या दूध बांधने के घरोंका, जो दूध मखन के कारखाने वालों, या दूध बेचने वालों के कब्जे में हों, निर्माण, और उनका परिमाण, और उनमें वायु के आने जाने के उपायों और रोशनी, और उनको स्वच्छ किये जाने, और पानी के निकास, और पानी पहुँचनेके लिये उपाय, नियमित करना और उनका प्रवन्ध करना और दूध देने वाले लोगों की जाच के लिये व्यवस्था करना, और दूध जमा करनेके स्थानों, और दूधकी दूकानों, और उन पत्रोंके, स्वच्छ रखने का प्रवन्ध करना, जिनको दूध या मखन बेचने वाले दूध या मखन के लिये काम में लाते हों ।
- (सी) कृषिस्थानों और मरघटों के काम में लाये जाने और उनके प्रवन्ध की निगरानी और व्यवस्था, करना और उस दशा में जब कि उनके लिये स्थान बोर्ड ने दिया हो, उन फीसों का नियत करना जो ली जायगी और कृषिस्थानों या मरघटों को मृतशरीर ठे जानेके लिये किसी मार्गोंका नियमित करना या मनाही करना ।
- (डी) आरोग्यता और सफाई का प्रवध करना ।
- (ई) यह घोषित करना कि कोई स्थान (सिवाय उस दशा के कि उसको विशेष रूप से इस हुक्मसे माफी दी गई हो) ठहरनेके मकानकी तरह (Lodging House) काम में न लाया जाय, जब तक कि बोर्ड ने जायज रूप से उसको इस प्रकार काम में लाये जाने के लिये लैसस न दे दिया हो, और उन शर्तों को नियमित करना जिनके आधीन ऐसे लैसस दिये जा सकते हैं, या उनके देने से मना किया जा सकता है, या यह स्थगित किये जा सकते हैं, या वापिस लिये जा सकते हैं, और वह फीसें नियत करना जो ऐसे लैससों के लिये ली जा सकती हैं ।
- (एफ) उस दशा में जब कि कोई ऐसा चाई-रूँ न हो जो इससे पहले वाली उपदफा के अनुसार बनया गया हो ठहरने के मकानों की रजिस्ट्री किये जाने, और उनकी जाच (मुआइना) के लिये आज्ञा देना और उनमें एक उचित सख्या से अधिक लोगों के रहने को रोकना, और सफाई और वायु के आने जाने के उपायों की वृद्धि करना, और यह नियमित करना कि किसी फैलने वाले या स्पर्श जन्य रोग के उनमें उत्पन्न होने पर कैसे नोटिस दिये जायगे, और बचत के लिये क्या पूर्वापाय किये जायगे, और आम तौर से ठहरने के मकानों के उचित प्रवन्ध के लिये हुक्म देना ।
- (जी) किसी विशेष रक़वमें, सिवाय बोर्ड की आज्ञा के, किसी स्थान को खोदने की मनाही करना, या चहचच्चे, या तालाब, या गड्ढे, खोदने की मनाही करना, और उन शर्तों को भक्ति करना जिनके आधीन कि ऐसी आज्ञा दी जा सकेगी ।
- (एच) आरोग्यता और बीमारीके रोकने के उद्देश्य से किसी ऐसे कामकी मनाही करना या उसका प्रवन्ध करना जिससे जनताके लिये कोई कष्टदायक बात उत्पन्न हो या उत्पन्न होने की सम्भावना हो और जिसकी मनाही या प्रवन्ध के लिये कोई हुक्म इस मद में न दिया गया हो ।

नोट — क्लॉज (एफ) के सम्बन्ध में देखिये दफा २४१ की व्याख्या ।

[जे] विविध—मुतफरिंक

- (ए) किसी ऐसे कामकी मनाही या प्रवन्ध करना जिसके कारण जनताके लिये कोई कष्ट दायक बात (Public Nuisance) उत्पन्न होती हो, या उत्पन्न होनेकी सम्भावना हो, और जिसकी मनाही या प्रवन्धके लिये इस ऐक्टके द्वारा, या इस ऐक्टके अनुसार, किसी अन्य स्थानमें कोई हुदम न दिया गया हो।
- (बी) म्यूनिसिपलटीके भीतर जन्म और मृत्यु (पैदाइश और मौत) और विवाहोंकी घटनाओंका रजिस्टरमें चढाये जानेका प्रवन्ध करना, और मनुष्य गणना करना, और ऐसी सूचनाके दिये जानेको अनिवार्य कर देना जिनकी आवश्यकता इस कारण हो कि रजिस्टर ठीक प्रकार भरे जा सकें, या मनुष्य गणना ठीक प्रकार की जा सके।
- (सी) म्यूनिसिपलटीके भीतर किसी ऐसी वस्तुको जो श्रीमान् भारत सम्राटकी, या घोड़ेकी, जायदाद हो, या जो घोड़ेकी निगरानीमें हो, हानिसे या उसमें हस्तक्षेप किये जाने से, बचाने के लिये।
- (टी) किसी ऐसे खर्चों या फीसोंको नियत करना, या किसी खर्चों या फीसोंकी दरको नियत करना, जो दफा १९६ (खी) के अनुसार मैला उठवाने या पाखानों या पेशाखानोंको साफ कराने के विषयमें, या म्यूनिसिपलटीकी किसी अन्य सेवा या कामके विषयमें, ली जायगी, या जो ऐक्टकी दफा २९३ (१) या दफा २९४ के अनुसार दी जायगी, और उन समर्थोंका नियमित करना जिनपर ऐसे खर्च या फीस दी जायगी, और उन शख्सोंका नियत करना जिनको इन विषयोंका रूपया देनेका अधिकार होगा।
- (ई) म्यूनिसिपलटीके भीतर और बोर्डकी निगरानीमें मेलोंके लगानेका प्रवन्ध करना, और दस्तकारीकी प्रदर्शनी लगानेका प्रवन्ध करना, और वह फीसे नियत करना जो उनमें ली जायगी।
- (एफ) इस बातकी आज्ञा देना और उसका प्रवन्ध करना कि उन इमारतों और आराजियों, जो म्यूनिसिपलटीमें हों, के मालिकों की ओरने ऐसे शख्सों की नियुक्ति की जाय जो म्यूनिसिपलटीके भीतर या म्यूनिसिपलटीके समीप रहते हों, इस उद्देश्यसे कि वह इस ऐक्ट, या किसी नियम, या वाई-लॉ, के सब मतलबोंके लिये, या किसी मतलबके लिये उनके एजेन्टकी तरह काम करें।
- (जी) ऐसे रजिस्टर आदि और कागजोंको निश्चित कर देना जो बोर्ड के हों, या बोर्ड के कन्जेमें हों, जिनका मुआइना किया जा सकता है, या जिनकी नकल दी जा सकती है, और उन फीसोंका निश्चित करना जो ऐसे रजिस्टर आदि या कागजों के मुआइना या नकलोंके विषयमें ली जायगी, और मुआइना किये जाने और नकल दिये जानेका प्रवन्ध करना।
- (एच) दवाओंके बेचने के लिये, और दवाये मिलाकर देने के लिये, लेखस देनेका प्रवन्ध करना।

सूची नं० २

उपरोक्त बाई-लॉओंके अतिरिक्त किसी पहाड़ी म्यूनिसिपलटी के लिये अन्य बाई-लॉ

[एच] सार्वजनिक सुरक्षिता और सुख

- (एन) वृक्षों या झाड़ियोंके काटने, या नष्ट करने, या भूमिको खोदने, या मिट्टी उठाने, या कड़ू पत्थर निकालनेका प्रवन्ध करना, या मनाही करना, और इमारतों तथा हातोंमें परिवर्तन करने, उनकी मरम्मत करने, और उनको उचित रूपसे कायम रखने के सम्बन्धमें, और सड़कों और पगडडियों के बन्द करने के सम्बन्धमें, और किसी पहाड़ीके पार्श्वमें किसी चौरस आराजीकी आम तौरसे रक्षा करने के सम्बन्धमें, प्रवन्ध करना, जहा कहीं ऐसे बाई लॉ पानी पहुँचाने के उपायोंको कायम रखने के लिये, या भूमिको रक्षित रखने के लिये, पहाड़ोंको टूटके गिर जानेसे रोकने के लिये, या नाले बन जानेको या जलके सवैग प्रवाहके स्थान बन जाने से रोकने के लिये, या भूमिको पानीके कटावसे बचाने के लिये, या उसपर बालू या कड़ू या पत्थर जमा न होने देने के लिये, बोर्डको आवश्यक जान पड़े ।
- (ओ) किसी ऐसी इमारतके सबसे ऊपर वाले खण्ड (मोजल) में अग्नि प्रज्वलित करने की मनाही करना जिसमें, अन्य इमारतोंके उसके समीप होनेके कारण, भाग लग जानेकी दशामे उपरोक्त इमारतोंके लिये भय हो, और जिस खण्डकी भीत सात फुटसे अधिक ऊँचाईकी न हो, या लेम्पाँ (Lamps) या मोमबनियों के लिये रखने की जगह किसी ऐसे स्थानमें बनाने, या खड़ा करने, की मनाही करना, जिसको बोर्ड सर्वसाधारणकी सुरक्षिताके लिये भयप्रद समझे ।
- (पी) सड़कके नियमके विषयमें प्रवन्ध करना ।
- (क्यू) म्यूनिसिपलटीके भीतर निम्नलिखित शर्तों आदिके लिये लैसस लेना आवश्यक ठहरा देना —
- १ उन लोगोंके लिये जो माल ले जानेका काम मजदूरी लेकर (Job-porters) करते हैं ।
 - २ उन पशुओं, और गाड़ियों, और सवारियों के लिये, जो एक दिनके लिये, या एक दिनके किसी भागके लिये, किरायेपर दी जाय ।
 - ३ उन शख्सोंके लिये जो ऐसी गाड़ियो और सवारियोंको ढकेलते या ले जाते हों
- (आर) उन गतोंको नियमित करना जिनके आधीन ऐसे लैसस दिये जा सकते हों, या मना किये जा सकते हो, या स्थगित किये जा सकते हो, या वापिस लिये जा सकते हो ।

(यस) उन फीसो (अर्थात् मजदूरी या किराया) को निश्चय करना जो उपरोक्त मजदूरी पर माल ले जाने वाले शख्स ले, या जो ऐसे पशुओ और गाडियो और अन्य सवारियोके किरायेपर देने के लिये ली जाय, और उन शख्सोंका बदलाव निश्चय करना जो ऐसी गाडियो या सवारियोको ढकेले या लें जाय ।

[आई] आरोग्यता और बीमारीका रोकना

- (आई) बाजारोके भीतर इमारतों अथवा आराजियोंको अस्तबल, या गौ स्थानकी तरह, या भेड़ों बकरियो, या मुर्गा मुर्गा रखने के स्थानकी तरह, काममे लाने के लिये लेससोंका लिया जाना, आवश्यक ठहरा देना ।
- (जे) इमारतों और बसे हुये स्थानोंमे एक उचित सख्या से अधिक लोगो के रहने को रोकना ।

[जे] विविध—मुतफरिक्क

(आई) आमतौरपर या किसी विशेष महीनोमे उन लोगोंके रजिस्टरमे चढाये जाने (अर्थात् लिखे जाने) का प्रबन्ध करना जो म्यूनिसिपलटीके भीतर प्रवेश करे या जो उससे बाहर जाय ।

दफा २९९ नियमों और वाई-लॉओंका उल्लंघन करना

१ किसी नियमके बनाने पर प्रान्तीय सरकार, और किसी वाई-लॉके बनाने पर प्रान्तीय सरकारकी मजूरीसे बोर्ड, यह आज्ञा दे सकता है कि उसकी आज्ञाके उल्लंघनके लिये जुर्मानेका दण्ड दिया जायगा जिसकी मख्या पाच सौ रुपये तक हो सकती है, और उस दशामे जब कि उल्लंघन ऐसा हो, जो लगातार जारी रहे तो पहिली बेर अपराध साबित होनेकी तारीखके उपरान्त, प्रत्येक ऐसे दिनके विषयमे जिसमे यह साबित हो कि अपराधीने अपराधके करनेमे आग्रह किया है, और अधिक जुर्माना किया जायगा, जिसकी सख्या पाच रुपये तक हो सकती है ।

२ इसी प्रकारकी मजूरी प्राप्त करके, बोर्ड इसीके सदृश दण्ड, किसी ऐसे नियमके उल्लंघनके लिये नियमित कर सकता है, जो जायज रूपसे मुमालिक मगरबी व शुमाली और अर्थधके म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट सन् १८७३ ई० के अनुसार बनाया गया हो, और जो अब तक प्रचलित हो ।

व्याख्या—

विज्ञापन No 50 XI 118 H, तारीख ९ जनवरी सन १९१८ ई० के द्वारा यह घोषित कर दिया गया है कि किसी वाई लॉके उल्लंघनके लिये जो दण्ड बोर्ड निश्चित करे उसकी मजूरी देने का अधिकार प्रान्तीय सरकारने कमिश्नरोंके सौंप दिया है ।

दफा ३०० सरकार द्वारा बनाये हुये नियमों आदिका पहल्लेसे प्रकाशित किया जाना

१ इस प्रकरणके अनुसार नियम अथवा रेग्युलेशन बनानेका प्रान्तीय सरकारका अधिकार, इस शर्तके आधीन होगा, कि नियम अथवा रेग्युलेशन पहल्लेसे प्रकाशित कर दिये जानेके पश्चात् बनाये जाय, और यह कि जब तक वे सरकारी गजटमे प्रकाशित न कर दिये जायगे वे प्रभावयुक्त न माने जायगे।

२ कोई नियम अथवा रेग्युलेशन जो प्रान्तीय सरकार बनाये, साधारण, अर्थात् सब म्यूनिसिपलटियोंके लिये ही सक्तता है, या उन सब म्यूनिसिपलटियोंके लिये ही सक्तता है जो स्पष्ट रूपसे उसके प्रभावसे अलग न कर दी गयी हो। या वह विशेष हो सकता है अर्थात् किसी एक म्यूनिसिपलटी या एकसे अधिक म्यूनिसिपलटियोंके लिये, या उसके या उनके किसी भागके लिये, जैसी कि प्रान्तीय सरकार आज्ञा दे।

व्याख्या—

“पहले प्रकाशित किये जानेके पश्चात्”—का क्या अर्थ है, यह सयुक्त प्रान्तके जनरल क्लर्कके ऐक्टकी दफा २३ में बताया गया है। उक्त ऐक्टकी दफा २३ इस प्रकार है—

१ जब कभी सयुक्त प्रान्तके किसी ऐक्टके द्वारा यह बात प्रकटकी गई हो कि नियम या वाई लॉ बनानेका अधिकार इस शर्तके आधीन है कि नियम या वाई लॉ पहले प्रकाशित करनेके पश्चात् बनाये जाय तो निम्न लिखित हुकम लागू होंगे—

- (१) वह अधिकारी जिसको नियम या वाई-लॉ बनानेका अधिकार दिया गया हो, उनको बनानेसे पूर्व, ऐसे शर्तोंके सूचित करनेके उद्देशसे, जिन पर कि नियमों या वाई लॉओंका प्रभाव पडनेकी सम्भावना हो, प्रस्तावित नियमों अथवा वाई लॉओं का मसविदा प्रकाशित कर देगा।
- (२) मसविदा उस विधिसे प्रकाशित किया जायगा जिसको कि उक्त अधिकारी काफी समझे। या यदि पहले प्रकाशित करनेकी शर्तमें यह विटायत दी गई हो, तो उस विधिसे जो कि प्रान्तीय सरकार नियमित करे।
- (३) मसविदेके सङ्ग एक नोटिस प्रकाशित किया जायगा जिसमें कि एक तारीख अङ्कित कर दी जायगी, जिन तारीख पर या जिनके पश्चात् मसविदे पर विचार किया जायगा।
- (४) वह अधिकारी जिसको कि नियम या वाई लॉ बनानेका अधिकार दिया गया हो (या उस दशामें जब कि नियम या वाई लॉ किसी अन्य अधिकारीकी मजूरीसे, या पसन्द किये जाने पर, या सहमतसे बनाये जानेको हों तो ऐसा अधिकारी भी) किसी ऐसे उजू या सलाह पर विचार करेगा, जो कि उस अधिकारीके पास जिसको नियम या वाई लॉ बनानेका अधिकार हो, मसविदेके विषयमें, शक्ति की हुई तारीखसे पूर्व, कोई शान्स भेजे।
- (५) किसी ऐसे नियम या वाई लॉका जो कि, पहिले प्रकाशित करके नियम या वाई लॉ बनानेके अधिकारके अनुसार बनाया गया हो, सरकारी गजटमें प्रकाशित कर दिया जाना इस बातका अलख प्रमाण होगा कि नियम या वाई लॉ जायज रूपसे बनाया गया है।

इस सम्बन्धमें गुरचरनदास ब्राम हरसरूप, 9 A L J 383 के फैसले पर विचार करना चाहिये। मुकद्दमें प्रदा यट धा कि प्रान्तीय सरकार द्वारा बनाये हुये नियम जायज रूपसे बनाये गये या नहीं। अपीलापट्टकी ओरसे यह घटमकी जाती थी कि ऐक्ट 70 १, सन १९०० ई० की दफा १८७ (वर्तमान ऐक्टकी दफा ३००) के अनुसार यह आवश्यक है कि जो नियम प्रान्तीय सरकार अन्तिम रूपसे बनाये वह पहले प्रकाशित कर दिये जाय। अब मसविदेके नियमोंमेंसे एकमें यह आज्ञा थी कि निर्वाचन पर आक्षेप निला मजिस्ट्रेटके सामने किया जाय पर अन्तिम रूपसे बनाये हुये नियमोंमें यह आज्ञा दी गई कि निर्वाचन पर आक्षेप "अधिकार प्राप्त अदालत" में किया जाय। यह समोचित नियम वृत्तरीधेर प्रकाशित नहीं किया गया, अतएव उक्त नियम जायज रूपसे नहीं बना।

हार्दकोर्टने यह महसूस किया नहीं की कि यदि मसविदोंमें कोई सरोधन किया जाय तो वह फिर दो बेर प्रकाशित होगा चाहिये। माननीय जस्टिस ट्रेवियालने सजयीनमें लिखा कि "इस मुकद्दमें नियमोंका मसविदा सरकारी प्रान्तीय गजटमें तारीख २७ फरवरी सन १९०९ ई० को प्रकाशित हुआ था। और सर्व साधारणको नोटिस दिया गया था कि प्रान्तीय सरकार द्वारा ता० १५ मई सन १९०९ ई० को या उसके उपरान्त नियमों पर विचार किया जायगा। इस नोटिस के अनुसार सत्र उजों पर विचार करनेके मद्द्चात् उक्त नियम इन प्रान्तके सरकारी गजटमें ता० ३० जुलाई सन १९१० ई० को प्रकाशित किये गये। अतएव नियम कानूनके अनुसार प्रकाशित कर दिये गये और वह कानूनका अंश रखते हैं।"

दफा ३०१ बोर्ड द्वारा बनाये हुये रेग्युलेशनों तथा वाई-लॉओंका समर्थन, आदि

१ दफा २९७ की उपदफा (१) के क्लॉज (ई) से (यम) तकके अनुसार रेग्युलेशन बनानेका बोर्डका अधिकार इस शर्तके आधीन होगा कि ऐसे रेग्युलेशन प्रभाव युक्त न होंगे जब तक कि उनका समर्थन शहरोकी दशामे प्रान्तीय सरकारके द्वारा न किया जाय और अन्य दशाओंमें कमिश्नरके द्वारा न किया जाय।

२ वाई-लॉ बनानेका बोर्डका अधिकार इस शर्तके आधीन होगा कि वाई-लॉ पहिले प्रकाशित किये जानेके पश्चात् बनाये जायें और यह कि वे प्रभाव युक्त न होंगे जबतक कि उनका समर्थन प्रान्तीय सरकारके द्वारा न कर दिया जाय और जब तक कि वे सरकारी गजटमें प्रकाशित न कर दिये जायें।

३ किसी वाई-लॉ या रेग्युलेशनके समर्थन करते समय प्रान्तीय सरकारको, और किसी रेग्युलेशनका समर्थन करते समय कमिश्नरको, अधिकार होगा कि जो परिवर्तन उसकी समझमें आवश्यक जान पड़े कर दें।

४ दफा २९७ की उपदफा (१) के क्लॉज (ई) से (यम) तकके अनुसार बनाये हुये किसी रेग्युलेशनमें बोर्ड द्वारा कोई परिवर्तन किये जानेका या उसको रद्द किये जाने का या किसी वाई-लॉमें बोर्ड द्वारा कोई परिवर्तन किये जानेका या उसको रद्द किये जाने का कोई प्रभाव न होगा जबतक कि (शहरोकी दशामे) उसका समर्थन प्रान्तीय सरकार द्वारा न किया गया हो, और अन्य दशाओंमें कमिश्नरके द्वारा न किया गया हो।

५ अपने ह्रादेको पहिलेले प्रकाशित करके प्रान्तीय सरकारको अधिकार होगा कि

किसी रेग्युलेशन या वार्ड-लॉको, जिसका उसने समर्थन किया हो, रद्द कर दे। और इसी प्रकार कमिश्नरको अधिकार होगा कि किसी रेग्युलेशनको जिसका उसने समर्थन किया हो, रद्द कर दे। और इस प्रकार रद्द करदियेजाने पर रेग्युलेशन अथवा वार्ड-लॉका प्रभाव समाप्त हो जायगा।

व्याख्या—

उपदफा (१) रेग्युलेशन और वार्ड-लॉके भेदके लिये देखिये दफा २ का न० २०

बोर्ड द्वारा बनाये हुये रेग्युलेशनोंके लिये यह आवश्यक नहीं रखा गया है कि वह पहले प्रकाशित किये जाय। केवल उन रेग्युलेशनोंके लिये जो दफा २९७ (१) के क्लॉज (ई) से (एम) तकके अनुसार बनाये जाय यह शर्त रखी गई है कि यह प्रभावयुक्त तभी समझे जायगे जब उनका समर्थन प्रान्तीय सरकार अथवा कमिश्नरके द्वारा कर दिया जाय।

उपदफा (२) रेग्युलेशनोंका प्रभाव सर्व साधारण पर नहीं पड़ता अतएव उनके प्रकाशित किये जानेकी आज्ञा नहीं दी गई है। पर वार्ड-लॉकोंका प्रभाव जनता पर पड़ता है। इसलिये इस उपदफाके अनुसार यह आवश्यक रखा गया है कि वे पहले प्रकाशित कर दिये जायं जिससे कि जनताको उज्ज करनेका अवसर मिले। 'पहले प्रकाशित किये जाने' के अर्थके लिये देखिये दफा ३०० की व्याख्या।

उपदफा (४)—उपदफा (१) के द्वारा यह आज्ञा दी गई है कि जो नये रेग्युलेशन दफा २९७ (१) के क्लॉज (ई) से (एम) तकके अनुसार बनाये जाय उनका समर्थन प्रान्तीय सरकार या कमिश्नरके द्वारा किया जाना आवश्यक है। इस उपदफामें यह आज्ञा दी गई है कि यदि किसी रेग्युलेशनमें बोर्ड कोई परिवर्तन करना चाहे या यदि बोर्ड किसी रेग्युलेशनको रद्द करना चाहे, तो भी ऐसे परिवर्तन या रद्द किये जानेके प्रस्तावका प्रान्तीय सरकार या कमिश्नरके द्वारा समर्थन किया जाना जरूरी है।

—विज्ञापन No 4162 XI 18 H, तारीख १६ नवम्बर, सन १९१७ई० के द्वारा प्रान्तीय सरकारने उन अधिकारोंको जो उसको उपदफा (२), (३), (४) और (५) के द्वारा दिये हैं कमिश्नरोंको सौंप दिये हैं।



प्रकरण १०

कार्रवाई या जावता

(Procedure)

म्यूनिसिपलटी के नोटिस

(Municipal Notices)

दफा ३०२ आज्ञा पालनके लिये उचित अवधिका नियत कर दिया जाना

जब इस ऐक्टकी किसी दफा, या किसी नियम या बाई-रॉ के अनुसार, जारी किये हुये किसी नोटिसमें किसी ऐसे कामके करने की आज्ञा दी गई हो, जिस कामके लिये ऐसी दफा या नियम या बाई-रॉ में कोई अवधि नियत न की गई हो, तो ऐसे नोटिस में उस कामके करने के लिये एक उचित अवधि अंकित कर दी जाना चाहिये, और इस बातके निर्णय करनेका अधिकार अदालतको होगा कि इस प्रकार अंकित की हुई अवधि इस दफा के अर्थके अनुसार, उचित अवधि थी या नहीं।

व्याख्या—

यदि बोर्ड द्वारा नियत की हुई अवधि के भीतर कोई काम न किया जाय, और वह शकस जिसको ऐसी अवधि के भीतर काम करने की आज्ञा दी गई हो, जब उस पर मुकद्दमा चलाया जाय, अदालत के सामने यह उत्र करे कि समय काफी नहीं दिया गया था, तो इस बात का फसला अदालत करेगी कि समय काफी था कि नहीं। बोर्ड की ओर से यह नहीं कहा जा सकता कि बोर्ड द्वारा नियत की हुई अवधि पर अदालत को किसी प्रकार की राय देने का अधिकार नहीं है।

दफा ३०३ नोटिस की तामील

१ इस ऐक्टकी किसी दफा के अनुसार या किसी नियम या बाई-रॉ के अनुसार, जो नोटिस जारी किया जाय, या जो बिल तैय्यार किया जाय, सिंगाय उस दशाके कि उक्त दफामें, उक्त नियम या बाई-रॉ में किसी अन्य प्रकारका इस विषयमें स्पष्ट हुक्म दिया गया हो, उस नोटिस की तामील नीचे लिखी विधिसे की जायगी, या वह बिल नीचे लिखी विधिसे पेश किया जायगा।—

(ए) उक्त नोटिस या बिल उस शख्सको, जिसके नाम वह हो, दे दिया जायगा, या उसके सामने पेश कर दिया जायगा, या उसके पास डाक के द्वारा भेज दिया जायगा। या

(बी) यदि उक्त शख्स न मिले, तो उक्त नोटिस या बिल उस शख्सके ऐसे निवास स्थानपर, जितने विषयमें वह मालूम हो कि यह शख्स उस निवास स्थानमें सधरे अलीरमें रहता था, यदि ऐसा स्थान म्यूनिसिपलटी

किसी रेग्युलेशन या वार्ड-लॉको, जिसका उसने समर्थन किया हो, रद्द कर दे। और इसी प्रकार कमिश्नरको अधिकार होगा कि किसी रेग्युलेशनको जिसका उसने समर्थन किया हो, रद्द कर दे। और इस प्रकार रद्द कर दिये जाने पर रेग्युलेशन अथवा वार्ड-लॉका प्रभाव समाप्त हो जायगा।

व्याख्या—

उपदफा (१) रेग्युलेशन और वार्ड-लॉके भेदके लिये देखिये दफा २ का न० २०

बोर्ड द्वारा बनाये हुये रेग्युलेशनोंके लिये यह आवश्यक नहीं रखा गया है कि वह पहले प्रकाशित किये जाय। केवल उन रेग्युलेशनोंके लिये जो दफा २९७ (१) के क्लॉज (ई) से (यम) तकके अनुसार बनाये जाय यह शर्त रखी गई है कि वह प्रभावयुक्त तभी समझे जायगे जब उनका समर्थन प्रान्तीय सरकार अथवा कमिश्नरके द्वारा कर दिया जाय।

उपदफा (२) रेग्युलेशनोंका प्रभाव सर्व साधारण पर नहीं पड़ता अतएव उनके प्रकाशित किये जानेकी आज्ञा नहीं दी गई है। पर वार्ड लॉओंका प्रभाव जनता पर पड़ता है। इसलिये इस उपदफाके अनुसार यह आवश्यक रखा गया है कि वे पहले प्रकाशित कर दिये जायं जिससे कि जनताको उन् करनेका अवसर मिले। "पहले प्रकाशित किये जाने" के अर्थके लिये देखिये दफा ३०० की व्याख्या।

उपदफा (४)—उपदफा (१) के द्वारा यह आज्ञा दी गई है कि जो नये रेग्युलेशन दफा २९७ (१) के क्लॉज (ई) से (एम) तकके अनुसार बनाये जाय उनका समर्थन प्रान्तीय सरकार या कमिश्नरके द्वारा किया जाना आवश्यक है। इस उपदफामें यह आज्ञा दी गई है कि यदि किसी रेग्युलेशनमें बोर्ड कोई परिवर्तन करना चाहे या यदि बोर्ड किसी रेग्युलेशनको रद्द करना चाहे, तो भी ऐसे परिवर्तन या रद्द किये जानेके प्रस्तावका प्रान्तीय सरकार या कमिश्नरके द्वारा समर्थन किया जाना जरूरी है।

—विज्ञापन No 4162 XI 18 H, तारीख १६ नवम्बर, सन १९१७ई० के द्वारा प्रान्तीय सरकारने उन अधिकारोंको जो उसको उपदफा (२), (३), (४) और (५) के द्वारा दिये हैं कमिश्नरोंको सौंप दिये हैं।



प्रकरण १०
कार्रवाई या जावता
(Procedure)

म्यूनिसिपलटी के नोटिस
(Municipal Notices)

दफा ३०२ आज्ञा पालनके लिये उचित अवधिका नियत कर दिया जाना

जब इस ऐक्टकी किसी दफा, या किसी नियम या वार्ड-लॉ के अनुसार, जारी किये हुये किसी नोटिसमें किसी ऐसे कामके करने की आज्ञा दी गई हो, जिस कामके लिये ऐसी दफा या नियम या वार्ड-लॉ में कोई अवधि नियत न की गई हो, तो ऐसे नोटिस में उस कामके करने के लिये एक उचित अवधि अंकित कर दी जाना चाहिये, और इस बातके निर्णय करनेका अधिकार अदालतको होगा कि इस प्रकार अंकित की हुई अवधि इस दफा के अर्थके अनुसार, उचित अवधि थी या नहीं ।

व्याख्या—

यदि वार्ड द्वारा नियत की हुई अवधि के भीतर कोई काम न किया जाय, और वह राफ्स जिसको ऐसी अवधि के भीतर काम करने की आज्ञा दी गई हो, जब उस पर मुकदमा चलाया जाय, अदालत के सामने यह उत्र करे कि समय काफी नहीं दिया गया था, तो इस बात का फैसला अदालत करेगी कि समय काफी था कि नहीं । वार्ड की ओर से यह नहीं कहा जा सकता कि वार्ड द्वारा नियत की हुई अवधि पर अदालत को किसी प्रकार की राय देने का अधिकार नहीं है ।

दफा ३०३ नोटिस की तामील

१ इस ऐक्टकी किसी दफा के अनुसार या किसी नियम या वार्ड-लॉ के अनुसार, जो नोटिस जारी किया जाय, या जो विल तैयार किया जाय, सिवाय उस दशाके कि उक्त दफामें, उक्त नियम या वार्ड-लॉ में किसी अन्य प्रकारका इस विषयमें स्पष्ट हुक्म दिया गया हो, उस नोटिस की तामील नीचे लिखी विधिसे की जायगी, या वह विल नीचे लिखी विधिसे पेश किया जायगा —

(ए) उक्त नोटिस या विल उस राफ्सको, जिसके नाम यह हो, दे दिया जायगा, या उसके सामने पेश कर दिया जायगा, या उसके पास डाक के द्वारा भेज दिया जायगा । या

(बी) यदि उक्त राफ्स न मिले, तो उक्त नोटिस या विल उस शरफ्सके येने निवास स्थानपर, जिसके विषयमें यह मालूम हो कि वह राफ्स उस निवास स्थानमें सधरे अक्षीरमें रहता था, यदि ऐसा स्थान म्यूनिसिपलटी

की हद्दोंके भीतर हो, छोड़ दिया जायगा, या उक्त नोटिस या विल उस के कुनवे के किसी पूरी अवस्था वाले मर्द को (अर्थात् चालकको नहीं) या नौकरको दे दिया जायगा, या उसके सामने पेश किया जायगा, या उक्त नोटिस या विल उस इमारत या आराजीके (यदि कोई हो) जिसके विषयमें ऐसा नोटिस जारी किया गया हो या ऐसा विल तैय्यार किया गया हो, किसी प्रत्यक्ष स्थानपर लगा दिया जायगा ।

२ जब इस ऐक्टके अनुसार, या किसी नियम या वाई-लॉ के अनुसार, जारी किये हुये किसी नोटिस के विषयमें यह हुकम दिया गया हो, या यह इजाज़त दी गई हो, कि उसकी तामील किसी इमारत या आराजीके मालिक या क्वाबिजपर की जाय, तो उस नोटिसमें ऐसे मालिक या क्वाबिजका नाम लिखे जानेकी आवश्यकता न होगी, और उन दशाओंमें जिनके विषयमें इस ऐक्टमें किसी अन्य प्रकारका विशेष हुकम न दिया गया हो, उसकी तामील नीचे लिखी विधिसे की जायगी, अर्थात् या तो—

(ए) नोटिस मालिक या क्वाबिजको, या यदि एक से अधिक मालिक या क्वाबिज हों तो उनमें से किसी को, दे दिया जायगा, या उसके सामने पेश किया जायगा, या उसके पास डाकके द्वारा भेज दिया जायगा, या

(बी) यदि ऐसा मालिक या क्वाबिज न मिले तो नोटिस उसके कुनवे के किसी पूरी उम्र वाले मर्दको, या नौकर को दे दिया जायगा या उसके सामने पेश किया जायगा, या नोटिस उस इमारत या आराजीके, जिसके विषयमें वह हो, किसी प्रत्यक्ष भागपर लगा दिया जायगा ।

३ यदि वह शख्स जिसपर किसी नोटिस या विलकी तामील की जाने को है, नावा लिग हो, तो उसके वलीपर, या उसके कुनवे के किसी पूरी उम्र वाले शख्स या नौकरपर, तामील कर दी जाने से यह मान लिया जायगा कि उक्त नावालिंग पर तामील हो गई ।

व्याख्या—

जय कि एक नोटिस की तामील उस शख्स के मुनीब (मुनीम) पर की गई, जिसके नाम वह नोटिस जारी किया गया था, तो हाईकोर्ट ने तजवीज़ किया, कि ऐसी तामील दफा ३०३ के अर्थ के अनुसार ठीक (फाफी) नहीं मानी जा सकती । हाईकोर्ट ने लिखा कि “यह नोटिस, जैसा कि शहादत से प्रकट होता है, उस स्थान को ले जाया गया जहाँ कि अपराधी का काम काज हुआ करता था और वहाँ वह मुनीब को दे दिया गया । जहाँ तक शहादत से विदित होता है कि अपराधी को हुंवे और उसका पता लगाने की कोई कोशिश नहीं की गई । यह बात भी नहीं दिखाई गई है, और यह बात कही भी नहीं जाती, कि मुनीब कुनवे का कोई पूरी उम्र का मर्द था । कहा यह जाता है कि वह कुनवे का एक नौकर था, परन्तु दफा ३०३ में जिस प्रकार के नौकर से मतलब है वह ऐसा नौकर होना चाहिये, जो घर के सब प्रकार के काम किया करता हो (अर्थात् जो किसी विशेष काम पर नियत न हो) । उस इमारत के, जिसके विषय में वह नोटिस जारी किया गया था किसी प्रत्यक्ष भाग पर, उक्त नोटिस लगाया भी नहीं गया । यह बात बिल्कुल सम्भव है कि कोई

नोटिस किसी ऐसे शरस को दे दिया जाय जिसको मालिक किसी विशेष काम के लिये नौकर रखता हो, और ऐसे काम का पत्रों अथवा नोटिसों के पाने या लेने से कोई सम्बन्ध न हो। ऐसी दशा में यह सम्भव है कि ऐसा शरस नोटिस की कुछ परवाह न करे, और उसकी कोई सूचना मालिक को या मालिक के कुन्धे के किसी शरस को न मिले। कुन्धे के किसी पुरी उन्न वाले मर्द को नोटिस दे देने में, और ऐसे नोटिस को इमारत के किसी प्रत्यक्ष भाग में लगा देने में (जहाँ कि लगा दिये जाने से कि सम्भावना यह होगी कि एक उचित समय के भीतर मालिक को उसकी सूचना मिल जायगी) बहुत अन्तर है" देखिये, रामप्रताप मार्रवाडी बनाम सरकार बहादुर 18 A. L. J 229.

दफा ३०४ आम नोटिस देनेकी विधि

इस ऐक्टके, या किसी नियम, रेग्युलेशन या वार्ड-लों के हुक्मोंके आधीन, प्रत्येक दशामे, जब बोर्डको कोई आम नोटिस देना हो, तो उक्त नोटिसका दे दिया जाना मान लिया जायगा यदि वह किसी स्थानीय अँग्रेजी भाषाके, या देशी भाषाके, समाचार पत्रमे (यदि कोई हो) प्रकाशित कर दिया जायगा, और यदि वह उस इमारतमे जिसमे बोर्ड की मीटिंग साधारणत हुआ करती है, नोटिस बोर्डपर (अर्थात् नोटिस लगाने के तख्ते पर) सर्वसाधारणको सूचना देने के लिये लगा दिया जायगा।

व्याख्या—

आम नोटिस देने के लिये दो बातें आवश्यक हैं, अर्थात् एक तो यह कि वह किसी स्थानीय समाचार पत्र में छाप दिया जाय और दूसरे यह कि वह उस स्थान में राग दिया जाय जहाँ बोर्ड की मीटिंग साधारणत हुआ करती है। इन दोनों आज्ञाओं के पूरा कर दिये जाने से यह मान लिया जायगा कि नोटिस की बात की सूचना सबको मिल गई। परन्तु यदि किसी स्थान से कोई समाचार पत्र न निकलता हो तो ऐसे नोटिस का उस स्थान में लगा दिया जाना ही काफी होगा जहाँ बोर्ड की मीटिंग हुआ करती है। और यदि किसी दफा में, या किसी नियम आदि के द्वारा, किसी बात के आम नोटिस देने के विषय में कोई विशेष आज्ञा दी गई हो, तो उक्त आम नोटिस देने के लिये उस विशेष आज्ञा के अनुसार कार्रवाई की जाना चाहिये। जैसे दफा २३९ के लिये आम नोटिस देने की एक विशेष विधि, नियम के द्वारा प्रान्तीय सरकार ने नियमित कर दी है, अतएव दफा २३९ के मतलब के लिये जो आम नोटिस दिया जाय उस पर दफा ३०४ के हुक्म लागू न होंगे।

दफा ३०५ फारम का दोष

कोई नोटिस या बिल फारम (अर्थात् वह नमूना जिसके अनुसार नोटिस दिया जाना चाहिये या बिल बनाया जाना चाहिये) के अनुसार न होने के कारण नाजायज न माना जायगा।

दफा ३०६ आम नोटिसकी, या ऐक्टके किसी ऐसे हुक्मकी, आज्ञा पालन न करना जो सर्वसाधारणपर लागू हो

जब इस ऐक्टके द्वारा, या किसी ऐसे नोटिस के द्वारा जो इन ऐक्टके अनुसार जारी किया गया हो, सर्वसाधारणको किसी कामके करने, या किसी कामके न करनेकी आज्ञा दी गई हो, तो जो शरस उक्त आज्ञाकी तामील न करेगा उसको यदि इस प्रकार

आज्ञा पालन न किया जाना कोई ऐसा अपराध न हो जिसके लिये दण्ड किसी अन्य दफामें रखा गया हो, किसी मजिस्ट्रेट के सामने, अपराधके साबित हो जानेपर जुर्माने का दण्ड दिया जायगा, जिसकी संख्या प्रत्येक ऐसे अपराधके लिये पांच सौ रुपये से अधिक न होगी, और किसी ऐसे अपराधके लिये कि लगातार जारी रहने वाला हो, पहले पहल अपराधके साबित होनेकी तारीख के पश्चात्, प्रत्येक ऐसे दिनके विषयमें, जिसमें अपराधीके विषयमें यह साबित हो कि उसने अपराध करने में आग्रह किया, और जुर्माना किया जायगा जिसकी संख्या पांच रुपये तक हो सकती है।

व्याख्या—

दफा ३०६ के द्वारा आम नोटिस की आज्ञा पालन न करने के लिये दण्ड रखा गया है और दफा ३०७ में किसी ऐसे नोटिस की आज्ञा पालन न करने के लिये दण्ड रखा गया है जो किसी विशेष व्यक्ति के नाम जारी किया जाय।

—म्यूनिसिपलटी के भूतपूर्व ऐक्ट नं० १, सन १९०० ई० में केवल ऐसे नोटिस की आज्ञा पालन का न किया जाना दण्डनीय था जो कि “क़ानून के अनुसार” हो, और जो “क़ानून के अनुसार जारी किया गया हो”। वर्तमान ऐक्ट की दफा ३०६ और दफा ३०७ में ये शब्द नहीं रखे गये हैं, जिस से कि प्रत्येक नोटिस की आज्ञा का पालन न किया जाना दण्डनीय हो जाय, चाहे नोटिस “क़ानून के अनुसार” न भी हो और “क़ानून के अनुसार जारी” भी न किया गया हो। परन्तु इन शब्दों के निकाल दिये जाने से भी यह प्रभाव नहीं हो सकता कि दफा ३०६ या दफा ३०७ के अनुसार किसी ऐसे नोटिस की आज्ञा पालन न किये जाने पर किसी को दण्ड दिया जा सके, जो नोटिस कि क़ानून के अनुसार न हो या जो क़ानून के अनुसार जारी न किया गया हो। क़ानून के विरुद्ध दिया हुआ या जारी किया हुआ नोटिस, रही कागज के मुल्य होगा और उसकी आज्ञा पालन न करना अपराध नहीं हो सकता। देखिये, रामप्रताप मारवाडी बनाम सरकार बहादुर 18 A. L. J 229=55 L. C. 302, जो आगे दफा ३०७ की व्याख्या में दिया गया है।

दफा ३०७ ऐसे नोटिसकी आज्ञा पालन न करना जो किसी विशेष शख्सके नाम जारी किया गया हो

यदि इस ऐक्टके हुकमोंके अनुसार, या किसी नियम या चार्ज-लॉ के अनुसार, किसी शख्सको कोई नोटिस दिया जाय, जिसमें उसको यह आज्ञा दी गई हो, कि वह उस अवधिके भीतर जो नोटिस में अंकित हो, किसी जायदाद मन्कूला या गैर मन्कूला (जंगम या स्थावर) के सम्बन्धमें कोई काम बनवाये, या कोई वस्तु मुहड़य्या करे या कोई काम करे, या न करे, और यदि उक्त शख्स उस नोटिस की आज्ञा पालन न करे तो—

(ए) बोर्ड स्वयं उस कामको बनवा सकता है, या उस वस्तुको मुहड़य्या करा सकता है, या उस कामको करा सकता है और उसमें जो कुछ खर्च बोर्डका पड़े, उसको बोर्ड उक्त शख्ससे, उस विधिसे, वसूल कर सकता है, जिसके विषयमें हुकम छठे प्रकरणमें दिया गया है। और इसके अतिरिक्त

(बी) उक्त शख्सको, अपराध किसी मजिस्ट्रेटके सामने साबित हो जानेपर, जुर्मानेका दण्ड दिया जायगा, जिसकी संख्या पांच सौ रुपये तक हो

सकती है। और उस दशामे जबकि अपराध लगातार जारी रहने वाला अपराध हो, तो पहले पहल अपराधके साबित होने की तारीख के उपरान्त प्रत्येक ऐसे दिनके विषयमें, जिसमें यह साबित हो, कि अपराधीने अपराधके करने में आग्रह किया, अधिक जुर्माना किया जायगा, जिसकी संख्या पांच रुपये तक हो सकती है।

व्याख्या—

इस दफा के अपराध के लिये यह आवश्यक है कि नोटिस कानून के अनुसार हो, और वह किसी ऐसे शास्त्र के हस्ताक्षर से जारी किया गया हो जिसको उसके जारी करने का अधिकार प्राप्त हो।

रामप्रताप मारवाडी बनाम सरकार बहादुर 18 A L J 229=55 I C 302 वाले मामलेमें, एक नोटिस सेक्रेटरी की ओर से जारी किया गया था। नोटिस जारी करने का विचार थोड़ेने किया था, और उसके जारी किये जाने की आज्ञा भी दी थी, किन्तु अन्त में नोटिस चेंबरमैन के हस्ताक्षर से जारी नहीं किया गया, वरन सेक्रेटरी के दस्तख़त से। हाईकोर्ट ने यह तर्जवीन किया कि उक्त नोटिस कानून के अनुसार जारी नहीं हुआ और इसलिये उसकी आज्ञा पालन न करने में कोई अपराध नहीं हो सकता। यदि कोई नोटिस म्यूनिसिपलटी का दफ्तरी या कोई चपरासी अपने हस्ताक्षर से जारी कर दे तो ऐसा नोटिस, उस नोटिस के तुल्य नहीं माना जा सकता जिसके जारी करने का, कानून ने, बोर्ड को, या बोर्ड के चेंबरमैन को, अधिकार दिया है। जबकि नोटिस पर चेंबरमैन के हस्ताक्षर होते हैं तो यह इस बात का प्रमाण होता है कि नोटिस बोर्ड की ओर से जारी किया गया है।

मुकद्दमे में, बोर्ड की ओर से, इस बात की शहादत भी दी जाना चाहिये कि नोटिस कानून के अनुसार जारी किया गया था। किसी नोटिस की आज्ञा पालन न किये जाने के लिये किसी शास्त्र को दण्ड देने से पूर्व अदालत को इस बात का इतमीनान कर लेना चाहिये कि नोटिस कानून के हुक्मों के अनुसार जारी किया गया था। देखिये सरकार बहादुर बनाम प्यारेलाल 12 A L J, 254=36 All I L R 185=28 I C, 745

छोटे बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड लखनऊ, 9 O C 29 में भी इस राय का समर्थन किया गया है। प्रत्येक ऐसे शास्त्र को जिसको कोई नोटिस दिया जाय यह अधिकार प्राप्त होता है कि उक्त नोटिस की आज्ञा पालन न करने पर जो मुकद्दमा चलाया जाय उसमें नोटिस के जायज और कानूनी न होने का उज्र करे।

—दफा ३१८ के द्वारा, अनेक दशाओं में, यह आज्ञा दी गई है कि जिसके नाम नोटिस जारी किया गया हो, वह नोटिस के हुक्म को रद्द करा देने के अनिप्राय से अपील करे। यदि ऐसी किसी दशा में, नोटिस के हुक्म को रद्द कराने के लिये कोई अपील न की जाय, तो भी यह अधिकार रहता है कि, नोटिस की आज्ञा पालन न किये जाने के लिये मुकद्दमा चलाये जाने पर, अदालत के सामने यह उज्र किया जाय कि उक्त नोटिस कानून के हुक्मों के अनुसार नहीं दिया या जारी किया गया था म्यूनिसिपल बोर्ड की ओर से यह नहीं कहा जा सकता कि यदि नोटिस कानून के विरुद्ध था तो, अपराधी की इस बात का मौफ़ा या कि उसकी अपील करके नोटिस को रद्द करा देता। जब अपराधी ने कोई अपील नहीं की तो उसका नोटिस पर आक्षेप करने का अधिकार मरु हो गया।

हजारीलाल बनाम सरकार बहादुर 36 All I L R 227=12 A L J 312=25 I C

आज्ञा पालन न किया जाना कोई ऐसा अपराध न हो जिसके लिये दण्ड किसी अन्य दफामे रखा गया हो, किसी मजिस्ट्रेट के सामने, अपराधके साबित हो जानेपर जुर्माने का दण्ड दिया जायगा, जिसकी संख्या प्रत्येक ऐसे अपराधके लिये पांच सौ रुपये से अधिक न होगी, और किसी ऐसे अपराधके लिये कि लगातार जारी रहने वाला हो, पहले पहल अपराधके साबित होनेकी तारीख के पश्चात्, प्रत्येक ऐसे दिनके विषयमें, जिसमें अपराधके विषयमें यह साबित हो कि उसने अपराध करने में आग्रह किया, और जुर्माना किया जायगा जिसकी संख्या पांच रुपये तक हो सकती है।

व्याख्या—

दफा ३०६ के द्वारा आम नोटिस की आज्ञा पालन न करने के लिये दण्ड रखा गया है और दफा ३०७ में किसी ऐसे नोटिस की आज्ञा पालन न करने के लिये दण्ड रखा गया है जो किसी विशेष व्यक्ति के नाम जारी किया जाय।

—म्यूनिसिपलटी के भूतपूर्व ऐक्ट नं० १, सन १९०० ई० में केवल ऐसे नोटिस की आज्ञा पालन का न किया जाना दण्डनीय था जो कि “कानून के अनुसार” हो, और जो “कानून के अनुसार जारी किया गया हो”। वर्तमान ऐक्ट की दफा ३०६ और दफा ३०७ में, ये शब्द नहीं रखे गये हैं, जिस से कि प्रत्येक नोटिस की आज्ञा का पालन न किया जाना दण्डनीय हो जाय, चाहे नोटिस “कानून के अनुसार” न भी हो और “कानून के अनुसार जारी” भी न किया गया हो। परन्तु इन शब्दों के निकाल दिये जाने से भी यह प्रभाव नहीं हो सकता कि दफा ३०६ या दफा ३०७ के अनुसार किसी ऐसे नोटिस की आज्ञा पालन न किये जाने पर किसी को दण्ड दिया जा सके, जो नोटिस कि कानून के अनुसार न हो या जो कानून के अनुसार जारी न किया गया हो। कानून के विरुद्ध दिया हुआ या जारी किया हुआ नोटिस, रही फागज के तुल्य होगा और उसकी आज्ञा पालन न करना अपराध, नहीं हो सकता। देखिये, रामप्रताप मारवाडी बनाम सरकार बहादुर 18 A. L. J 229=55, I. C 302, जो आगे दफा ३०७ की व्याख्या में दिया गया है।

दफा ३०७ ऐसे नोटिसकी आज्ञा पालन न करना जो किसी विशेष शख्सके नाम जारी किया गया हो

यदि इस ऐक्टके हुक्मोंके अनुसार, या किसी नियम या वार्ड-लॉ के अनुसार, किसी शख्सको कोई नोटिस दिया जाय, जिसमें उसको यह आज्ञा दी गई हो, कि वह उस अवधिके भीतर जो नोटिस में अंकित हो, किसी जायदाद मन्कूला या गैर मन्कूला (जंगम या स्थावर) के सम्बन्धमें कोई काम बनवाये, या कोई वस्तु मुहइय्या करे या कोई काम करे, या न करे, और यदि उक्त शख्स उस नोटिस की आज्ञा पालन न करे तो—

- (ए) वोहें स्वयं उस कामको बनवा सकता है, या उस वस्तुको मुहइय्या करा सकता है, या उस कामको करा सकता है और उसमें जो कुछ खर्च बोहंका पडे, उसको वोहें उक्त शख्ससे, उस विधिसे, वसूल कर सकता है, जिसके विषयमें हुक्म छुटे प्रकरणमें दिया गया है। और इसके अतिरिक्त
- (बी) उक्त शख्सको, अपराध किसी मजिस्ट्रेटके सामने साबित हो जानेपर, जुर्मानका दण्ड दिया जायगा, जिसकी संख्या पांच सौ रुपये तक हो

—दफा २०७ की आज्ञाके अनुसार दो प्रकारसे दण्ड दिया जा सकता है, अर्थात् प्रथम तो ५००) रुपये तक नोटिसकी आज्ञा पालन न करनेके लिये जुर्माना किया जा सकता है। और यदि इस प्रकार जुर्माना होने पर भी नोटिसका हुक्म न माना जाय तो, जब तक ऐसा उल्लघन जारी रहे, प्रति दिनके लिये ५) रुपये तक और जुर्माना किया जा सकता है। परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि कोई अदालत, मुकद्दमेमें सजा करते समय, आगेके उल्लघनके विषयमें भी हुक्म देदे कि प्रति दिन अमुक रकम जुर्मानेकी होगी। इसलिये जब कि एक शाहसको नोटिसके द्वारा एक मॉरीके सम्बन्ध में किसी कामके धनानेकी आज्ञा दी गई, और उस नोटिसकी आज्ञा पालन न करनेके कारण उस शाहस पर केवल ५) रुपये जुर्मानेका हुक्म अदालतने दिया। परन्तु इस हुक्मके साथ २ अदालतने यह आज्ञा भी देदी हो कि जब तक नोटिसके हुक्मके अनुसार काम न बनवा दिया जाय तब तक प्रतिदिन १) रुपया और जुर्माना बढता जायगा। तो हाईकोर्टने तजवीज किया कि यह दूसरा हुक्म कानून के विरुद्ध था। किसी अपराधीको, सजा हो जानेके पश्चात् भी, जारी रखनेके लिये जो जुर्माना किया जा सकता है, उसके विषयमें अपराधीको जिम्मेदार ठहरानेके लिये दूसरा मुकद्दमा चलाया जाना आवश्यक है। ऐसे दूसरे मुकद्दमेमें यह बात निश्चय करना होगी कि पहली सजाके उपरान्त कितने दिन ध्यतीत हो चुके हैं, और इन दिनोंके लिये, सब बातों पर विचार करके, प्रतिदिन कितना जुर्माना किया जाना चाहिये। देखिये अमीरहसनका बनाम सरकार बहादुर 40 All. L. L. R. 569=46 I. C. 150=16 A. L. J. 527

—यद्यपि कानूनमें, सजा हो जानेके पश्चात्, अपराध जारी रखनेके लिये, प्रतिदिन जुर्माना करने की आज्ञा देदी गई है, परन्तु यदि सजा हो जाने पर भी अपराधी नोटिसकी आज्ञाका पालन न करे, तो ऐसी दशामें न्यूनिस्सिपलटीका कैसा व्यवहार करना चाहिये, इसके विषयमें इलाहाबाद हाईकोर्टने स्पष्ट आज्ञा, कशमीरीलाल बनाम वैसरहिन्द H. L. J. 1922, P. 14=7 Rev. & Cr. L. J., Cr. S. 171, वाले मामलेमें दी है। एक हिन्दी लॉ जर्नल (H. L. J. 1922) की, इस मुकद्दमेकी रिपोर्टसे, नीचे लिखा लेख उद्धृत किया जाता है —

“जस्टिस वांशने इस मुकद्दमेमें यह कहा कि सब न्यूनिस्सिपलटियोंको यह ध्यान रखना चाहिये कि इसमें कोई शक नहीं कि खतरनाक हालतोंमें जुर्माना कराना जरूरी है, और कभी कभी यह भी जरूरत पड़ सकती है कि एक बार जुर्माना होनेके पीछे फिर दूसरे जुर्मानेके लिये नई कार्रवाई की जाये, लेकिन साथही साथ उपरोक्त ऐक्टमें न्यूनिस्सिपलटीको यह अधिकार दिया गया है कि जो काम अपराधी न करता हो यह स्वयं न्यूनिस्सिपलटी करा दे और जमीनके मालिकसे पचास वसूल कर लेवे। अगर किसी कारणसे न्यूनिस्सिपलटीको यह जरूरत मालूम हो कि अगर अमुक आदमी अमुक काम न करे तो उसके विरुद्ध फौजदारीका मुकद्दमा चलाना आवश्यक है तो उसी समय न्यूनिस्सिपलटीको यह ध्यान रखना चाहिये कि जनताको फायदा पहुंचागेके लिये यह काम शतनी जल्दी करे जितना सम्भव हो। कुछ दो या तीन रोजमें या सकता था यज्ञाय इसके कि न्यूनिस्सिपलटी फौजदारीका मुकद्दमा चलावे, और फिर अपील लड़े, और फिर हाईकोर्टमें निगारानी लड़े, यह आवश्यक है कि न्यूनिस्सिपलटी जनताका फायदा ध्यानमें रखे, और जो काम न होनेके कारण जनताको फट हो यह काम स्वयं करा दे, और खर्चा मालिक जमीनसे वसूल करले। इस मुकद्दमामें जू. सन १९२० ई०में न्यूनिस्सिपलटीने रेजोल्युशन द्वारा कुछका बनाया जाना आवश्यक समझा था, और अब मैं सन १९२१ ई० में यह कहूँ कि न्यूनिस्सिपलटी मुकद्दमा याजीमें पड़ी रही और कुछ अभी तक नहीं बना है।”—हालमें यद्यपि हाईकोर्टके सामनेभी एक ऐसाही मामला पेश हुआ। उक्त हाईकोर्टने भी इलाहाबाद हाईकोर्टके

326, में एक ऐसाही प्रश्न हाईकोर्ट के सामने उपस्थित हुआ। हजारीलाल के नाम बोर्ड के एक मेम्बर की ओर से एक नोटिस जारी किया गया था। परन्तु म्यूनिसिपलटी के एक वार्ड-ऑफ के अनुसार उक्त नोटिस सीनियर वार्ड्स चैयरमैन तथा उस मेम्बर के हस्ताक्षरों से जारी होना चाहिये था जिसको कि सर्वाइड का काम सौंपा गया था। हजारीलाल ने न तो उसकी अपील की, न उसकी आज्ञा मानी। मुकद्दमा चलाये जाने पर हजारीलाल ने यह उज्र लगाया कि नोटिस कानून के विरुद्ध जारी किया गया था, अतएव ऐसे नोटिस की आज्ञा पालन करने पर वह बाध्य नहीं था। हाईकोर्ट ने तजवीज में यही निश्चय किया है कि नोटिस की अपील न की जाने का यह प्रभाव नहीं हो सकता कि हजारीलाल, मुकद्दमे में यह उज्र न कर सके कि नोटिस, बोर्ड की ओर से, कानून के अनुसार जारी नहीं किया गया था। और यह भी निश्चय किया कि नोटिस पर इस प्रकार आक्षेप किये जाने पर, मजिस्ट्रेट का कर्तव्य था, कि शहादत लेकर इस घातका निर्णय करता कि नोटिस जायज रूप से, कानून के अनुसार जारी किया गया था कि नहीं।

—परन्तु इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये कि नोटिस के विरुद्ध ऐसा उज्र केवल एक बार किया जा सकता है। उस दशा में जब कि अपराध, लगातार जारी रहने वाला अपराध हो, तो अपराधी पर दूसरी बार भी मुकद्दमा चलाये जाने की आवश्यकता पड सकती है। यदि अपराधी ने पहले मुकद्दमे में यह उज्र किया हो कि नोटिस कानूनी नहीं है और अदालत ने इस उज्र को न माना हो तो अपराधी को यह अधिकार नहीं हो सकता कि जब फिर नोटिस के उल्लंघन का मुकद्दमा चलाया जाय तो फिर वही उज्र लगाये। देखिये शीतलप्रसाद बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड कानपुर, 12 A. L. J. 595=36 All I L. R. 430=25 I. C. 323.

—यदि नोटिस नाजायज हो, तो उसका कोई असर नहीं हो सकता, और ऐसे नोटिसके हुक्म न माननेके कारण कोई शख्स अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। इसलिये जब कि एक म्यूनिसिपलटीने एक रेजोल्युशन पास किया कि एक विशेष स्थानकी सब दुकानें खाली करा ली जावें, और दूकानदारोंको दुकानें खाली करनेके लिये नोटिस दिया, और उक्त नोटिसकी आज्ञानुसार एक शख्सने दूकान खाली नहीं की। हाईकोर्टने तजवीज किया कि उक्त शख्सने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि म्यूनिसिपलटीज ऐक्टमें कोई ऐसा हुक्म नहीं है जिसके द्वारा कोई म्यूनिसिपलटी किसी प्राक्सको किसी ऐसी दुकानके खाली करनेका नोटिस दे सके, जिस दुकान पर ऐसा शख्स जायज रूपसे काबिज हो, और न म्यूनिसिपलटीने कोई ऐसा नियमही बनाया था जिसके द्वारा वह किसी ऐसी दुकानके खाली करानेका नोटिस दे सकती। देखिये जीवा बनाम सरकार बहादुर 10 A. L. J. 286=13 Cr. L. J. 841=17 I. C. 713.

इसी प्रकार, रामदयाल बनाम सरकार बहादुर 7 A. L. J. 1075=33 All I L. R. 147=8 I. C. 569, वाले मामलेमें हाईकोर्टने तजवीज किया कि ऐक्ट नं० १ सन १९०० ई० की दफा ८७ का मतलब यह नहीं है कि उसके द्वारा बोर्डको यह अधिकार है कि वह किसी शख्सको यह आज्ञा दे दे कि वह शख्स अपने मकानको गिरा दे चाहे उक्त मकान उक्त ऐक्टके पास होनेके पहिलेमे खडा हो। इसलिये यदि बोर्डको ऐसा नोटिस देनेका अधिकार दफा ८७ (५) के अनुसार (वर्तमान ऐक्टकी दफा १८६) नहीं है तो यह माना जायगा कि नोटिस उक्त दफाके अनुसार दिया ही नहीं गया, और ऐसे नोटिसके हुक्मका उल्लंघन किये जानेसे मुकद्दमा नहीं चलाया जा सकता।

—दफा १०७ की आज्ञाके अनुसार दो प्रकारसे बण्ड दिया जा सकता है, अर्थात् प्रथम तो ५००) रुपये तक नोटिसकी आज्ञा पालन न करनेके लिये जुर्माना किया जा सकता है । और यदि इस प्रकार जुर्माना होने पर भी नोटिसका हुक्म न माना जाय तो, जब तक ऐसा उल्लंघन जारी रहे, प्रति दिनके लिये ५) रुपये तक और जुर्माना किया जा सकता है । परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि कोई अदालत, मुकद्दमेमें सजा करते समय, आगेके उल्लंघनके विषयमें भी हुक्म देवे कि प्रति दिन अमुक रकम जुर्मानेकी होगी । इसलिये जब कि एक शब्दको नोटिसके द्वारा एक मोरोके सम्बन्ध में किसी कामके बनानेकी आज्ञा दी गई, और उस नोटिसकी आज्ञा पालन न करनेके कारण उस शब्द पर केवल ५) रुपये जुर्मानेका हुक्म अदालतने दिया । परन्तु इस हुक्मके साथ २ अदालतने यह आज्ञा भी देदी हो कि जब तक नोटिसके हुक्मके अनुसार काम न बनया दिया जाय तब तक प्रतिदिन १) रुपये और जुर्माना घबता जायगा । तो हाईकोर्टने तजवीज किया कि यह दूसरा हुक्म कानून के विरुद्ध था । किसी अपराधीको, सजा हो जागेके पश्चात् भी, जारी रखनेके लिये जो जुर्माना किया जा सकता है, उसके विषयमें अपराधीको जिम्मेदार ठहरानेके लिये दूसरा मुकद्दमा चलाया जाना आवश्यक है । ऐसे दूसरे मुकद्दमेमें यह बात निश्चय करना होगी कि पहली सजाके उपरान्त कितने दिन व्यतीत हो चुके हैं, और इन दिनोंके लिये, सब बातों पर विचार करके, प्रतिदिन कितना जुर्माना किया जाना चाहिये । देखिये अमौरहसनवाँ बनाम सरकार महादुर 40 All. I. L. R 569=46 I. C 150=16 A L J 527

—यद्यपि कानूनमें, सजा हो जानेके पश्चात्, अपराध जारी रखनेके लिये, प्रतिदिन जुर्माना करने की आज्ञा देदी गई है, परन्तु यदि सजा हो जाने पर भी अपराधी नोटिसकी आज्ञाका पालन न करे, तो ऐसी दशामें म्यूनिसिपलटीका कैसा व्यवहार करना चाहिये इसके विषयमें इलाहाबाद हाईकोर्टने स्पष्ट आज्ञा, कश्मीरीलाल बनाम कैसरहिन्द H L J 1922, P 14=7 Rev & Cr L J, Cr S 171, वाले मामलेमें दी है । एक हिन्दी लै जरनल (H.L.J 1922) की, इस मुकद्दमेकी रिपोर्टसे, नीचे लिखा लेख उद्धृत किया जाता है —

“जस्टिस वाल्शने इस मुकद्दमेमें यह कहा कि सब म्यूनिसिपलटियोंको यह ध्यान रखना चाहिये कि इसमें कोई शक नहीं कि एतरनाक हालतोंमें जुर्माना कराना जरूरी है, और कभी कभी यह भी जरूरत पड़ सकती है कि एक बार जुर्माना होनेके पीछे फिर दूसरे जुर्मानेके लिये नई कार्रवाईकी जावे, लेकिन साथही साथ उपरोक्त पैक्टमें म्यूनिसिपलटीको यह अधिकार दिया गया है कि जो काम अपराधी न करता हो वह स्वयं म्यूनिसिपलटी करा दे और जमीनके मालिकसे खर्चा वसूल कर लेवे । अगर किसी कारणसे म्यूनिसिपलटीको यह जरूरत माटूम हो कि अगर अमुक आदमी अमुक काम न करे तो उसके विरुद्ध फौजदारीका मुकद्दमा चलाना आवश्यक है तो उसी समय म्यूनिसिपलटीको यह ध्यान रखना चाहिये कि जनताको फायदा पहुंचानेके लिये वह काम इतनी जल्दी करे जितना सम्भव हो । कुछ दो या तीन रोजमें बन सकता था धजाय इसके कि म्यूनिसिपलटी फौजदारीका मुकद्दमा चलावे, और फिर अपील लडे, और फिर हाईकोर्टमें निगरानी लडे, यह आवश्यक है कि म्यूनिसिपलटी जनताका फायदा ध्यानमें रखे, और जो काम न होनेके कारण जनताको कष्ट हो वह काम स्वयं करा दे, और खर्चा मालिक जमीनसे वसूल करले । इस मुकद्दमामें जून सन १९२० ई०में म्यूनिसिपलटीने रेजोल्पुशन द्वारा कुछका बनाया जाग आवश्यक समझा था, और भयमई सन १९२१ ई० है । अब तक म्यूनिसिपलटी मुकद्दमा बाजोमें पडी रही और कुछ अभी तक नहीं बना है ।”—हालमें वर्बाह हाईकोर्टके सामनेभी एक ऐसाही मामला पेश हुआ । उक्त हाईकोर्टने भी इलाहाबाद हाईकोर्टके

समानही रायदी कि यदि अपराधीने नोटिसके अनुसार ओटला हटाया नहीं था तो न्यूनिस्पल्टीको चाहिये था कि स्वयं उसको हटवा देती और खर्चा अपराधीसे वसूल कर लेती। देखिये आरमताम इयामजी वनाम सरकार घहादुर H L J 1923, P 467=66 I. C. 817 —सारांश यह है कि न्यूनिस्पल्टीका मुख्य उद्देश्य जनताको लाभ पहुंचानेका होना चाहिये, न कि अपराध करने वालोंको दण्ड दिलवाना। अतएव यदि कोई अपराधी अपराधके करनेमें आग्रह करे तो न्यूनिस्पल्टी को उस पर धारदार मुकदमा चलानेके समय नष्ट नहीं करना चाहिये, धरन स्वयम् कामको कराके उसका खर्चा अपराधीसे वसूल कर लेना चाहिये।

दफा ३०८ मालिकके आज्ञा पालन न करने की दशमं क्राबिजकी जिम्मेदारी

१ यदि वह शख्स, जिसको कोई ऐसा नोटिस दिया जाय जिसका दफा ३०७ में उल्लेख किया गया है, उस जायदाद का मालिक हो जिसके विषय में उक्त नोटिस दिया गया हो, तो (चाहे उक्त मालिक के विरुद्ध कोई नालिश या अन्य कोई कार्रवाई की गई हो या न की गई हो) किसी ऐसे शख्स को (यदि कोई हो) जो उक्त जायदाद या उसके किसी भाग का उक्त मालिक की ओर से क्राबिज हो, बोर्ड हुक्म दे सकता है, कि वह, किराया या लगान जो ऐसा शख्स उक्त जायदाद के विषय में दिया करता हो, जब जब ऐसा किराया या लगान चढ़ जाय, तो उस रकम तक जो उक्त मालिक से दफा ३०७के अनुसार वसूलकी जा सकती हो, मालिककी जगह बोर्डको दे, और प्रत्येक ऐसी रकम के विषय में, जो ऐसा क्राबिज बोर्ड को दे, यदि मालिक और क्राबिज के बीच इसके विपरीत कोई मुआहिदा नहो, यह माना जायगा कि वह जायदादके मालिक ही को दी गई।

२ इस बात के निश्चय करने के लिये कि उपदफा (१) के अनुसार कार्रवाई की जाना चाहिये या नहीं, बोर्ड जायदाद के क्राबिज को यह आज्ञा दे सकता है, कि उक्त जायदाद के विषयमें जो किराये या लगान की रकम उस पर चाहिये हो उसकी सख्या, और उस शख्स का नाम, और पता, जिसको वह रकम दी जाना चाहिये, बतलाये। और यदि उक्त क्राबिज ऐसी सूचना देने से इनकार करे, तो वह कुल खर्च का उसी प्रकार जिम्मेदार होगा मानो वह स्वयं ही मालिक हो।

३ वह पूरी रकम, जो इस दफा के अनुसार बोर्ड वसूल कर सकता हो, उस विधि से वसूल की जायगी, जो छठे प्रकरण में बताई गई है।

व्याख्या—

यदि, दफा ३०७ के अनुसार, कोई नोटिस किसी जायदाद के मालिक के नाम जारी किया गया हो, और उक्त मालिक के नोटिसकी आज्ञा पालन न करने के कारण, बोर्ड को काम स्वयं बन जाना पड़े, तो इस दफा के द्वारा, बोर्ड को अधिकार दिया गया है, कि काम बनवाने का खर्चा वसूल करने के लिये, यह उपाय करे कि, यदि जायदाद पर कोई किरायेदार क्राबिज हो, तो उसको यह आज्ञा दे दे कि जो किराया या लगान की रकम मालिक की चरती जाय, वह मालिक को न दे, धरन बोर्ड को उस समय तक देता रहे जब तक काम का परा खर्चा बोर्ड को वसूल हो जाय। यदि

दफा ३०७ के अनुसार खर्चा वसूल करने के लिये कोई कार्रवाई मालिक के विरुद्ध की गई हो; या मालिक के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया हो तो भी बोर्ड को अधिकार होगा कि साथही साथ इस दफा के अनुसार, काबिज को भी आज्ञा दे दे। जो रकमें कोई ऐसा काबिज बोर्ड को भदा करेगा उनके विषयमें यह समझा जायगा कि वह मालिक ही को दी गयीं अर्थात्, ऐसा काबिज अपने किराये आदि की जिम्मेदारी से, मुक्त समझा जायगा। केवल एक दशा है जब कि कोई ऐसा काबिज बोर्ड को किराया आदि देने से मना कर सकता है—अर्थात् जब कि काबिज और मालिक में ऐसा मुआहिदा हो चुका हो कि काबिज, किसी दशा में, मालिक के अतिरिक्त किसी और को किराया या लगान भदा न करेगा।

दफा ३०९ मालिक के आज्ञा पालन न करने की दशा में, कामों के करानेका काबिजका अधिकार

जब किसी इमारत या आराजी का मालिक किसी ऐसे काम को न कराये, जिस के कराने का उसको इस ऐक्ट के द्वारा, या इस ऐक्ट के अनुसार आज्ञा दी गई हो, तो उक्त इमारत या आराजी का काबिज, बोर्ड की मजूरी से, यह काम करा सकता है, और उसका खर्च, यदि इस बात के विरुद्ध कोई मुआहिदा न हो, तो मालिक उसको भदा करेगा, या वह खर्च उस किराया या लगान में से काटा जासकता है, जो समय समय पर, ऐसे मालिक का उस काबिज पर चाहिये हो।

दफा ३१० काम बनाये जाने पर काबिज के बाधक होने पर कार्रवाई

१ यदि किसी इमारत या आराजी के मालिक के इस इरादे की सूचना मिलने के पश्चात् कि वह उस इमारत या आराजी के सम्बन्ध में किसी ऐसे नोटिस की आज्ञा के अनुसार, जो इस ऐक्ट के अनुसार जारी किया गया हो कोई काम करना चाहता है, कोई काबिज उक्त मालिक को वह काम न करने दे, तो मालिक किसी मजिस्ट्रेट को दरखवास्त दे सकता है।

२ इस बात के साबित होने पर, कि इस प्रकार काम नहीं करने दिया गया है, मजिस्ट्रेट काबिज को लिखित हुक्म के द्वारा आज्ञा दे सकता है कि वह मालिक को ऐसे सब काम करने दे, जिनका उस इमारत या आराजी के सम्बन्ध में किया जाना, उक्त नोटिस की आज्ञापालन करने के लिये आवश्यक हो, और ऐसा मजिस्ट्रेट, यदि वह उचित समझे, काबिज को यह आज्ञा भी दे सकता है कि वह, ऐसी दरखवास्त या हुक्मके सम्बन्ध में जो खर्च पडा हो, वह मालिक को भदा करे।

३ यदि, मजिस्ट्रेट के हुक्म की तारीख से, आठ दिन समाप्त हो जाने के उपरान्त भी उक्त काबिज, मालिक को उक्त काम के बनाने देने में इन्कार जारी रखे तो उक्त काबिज को, अपराध के साबित हो जाने पर, जुमाने का दण्ड दिया जायगा, जिसकी संख्या, प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिसमें उसने इस प्रकार इन्कार जारी रखा हो, पच्चीस रुपये तक हो सकती है।

समानही रायदी कि यदि अपराधीने नोटिसके अनुसार भोटला हटाया नहीं था तो म्यूनिसिपलटीको चाहिये था कि स्वयं उसको हटवा देती और खर्चा अपराधीसे वसूल कर लेती। देखिये आरमाराम इयामजी बनाम सरकार घहादुर H L J 1923, P 467=66 L. C 817 — सारांश यह है कि म्यूनिसिपलटीका मुख्य उद्देश्य जनताको लाभ पहुंचानेका होना चाहिये, न कि अपराध करते वालोंको दण्ड दिलवाना। अतएव यदि कोई अपराधी अपराधके करनेमें आग्रह करे तो म्यूनिसिपलटी को उस पर धारदार मुकदमा चलाके समय नष्ट नहीं करना चाहिये, धरन स्वयम् कामको कराके उसका खर्चा अपराधीसे वसूल कर लेना चाहिये।

दफा ३०८ मालिकके आज्ञा पालन न करने की दशमैं क्राविज़की जिम्मेदारी

१ यदि वह शख्स, जिसको कोई ऐसा नोटिस दिया जाय जिसका दफा ३०७ में उल्लेख किया गया है, उस जायदाद का मालिक हो जिसके विषय में उक्त नोटिस दिया गया हो, तो (चाहे उक्त मालिक के विरुद्ध कोई नालिश या अन्य कोई कार्रवाई की गई हो या न की गई हो), किसी ऐसे शख्स को (यदि कोई हो) जो उक्त जायदाद या उसके किसी भाग का उक्त मालिक की ओर से क्राविज हो, बोर्ड हुक्म दे सकता है, कि वह, किराया या लगान जो ऐसा शख्स उक्त जायदाद के विषय में दिया करता हो, जब जब ऐसा किराया या लगान चढ़ जाय, तो उस रकम तक जो उक्त मालिक से दफा ३०७के अनुसार वसूलकी जा सकती हो, मालिककी जगह बोर्डको दे, और प्रत्येक ऐसी रकम के विषय में, जो ऐसा क्राविज बोर्ड को दे, यदि मालिक और क्राविज के बीच इसके विपरीत कोई मुआहिदा नहो, यह माना जायगा कि वह जायदादके मालिक ही को दी गई।

२ इस बात के निश्चय करने के लिये कि उपदफा (१) के अनुसार कार्रवाई की जाना चाहिये या नहीं, बोर्ड जायदाद के क्राविज को यह आज्ञा दे सकता है, कि उक्त जायदाद के विषयमें जो किराये या लगान की रकम उस पर चाहिये हो उसकी सख्या, और उस शख्स का नाम, और पता, जिसको वह रकम दी जाना चाहिये, बतलाये। और यदि उक्त क्राविज ऐसी सूचना देने से इनकार करे, तो वह कुल खर्च का उसी प्रकार जिम्मेदार होगा मानो वह स्वयं ही मालिक हो।

३ वह पूरी रकम, जो इस दफा के अनुसार बोर्ड वसूल कर सकता हो, उस विधि से वसूल की जायगी, जो छठे प्रकरण में बताई गई है।

व्याख्या—

यदि, दफा ३०७ के अनुसार, कोई नोटिस किसी जायदाद के मालिक के नाम जारी किया गया हो, और उक्त मालिक के नोटिसकी आज्ञा पालन न करने के कारण, बोर्ड को काम स्वयं बन माना पड़े, तो इस दफा के द्वारा, बोर्ड को अधिकार दिया गया है, कि काम बनवाने का खर्चा वसूल करने के लिये, यह उपाय करे कि, यदि जायदाद पर कोई किरायेदार क्राविज हो, तो उसको यह आज्ञा दे दे कि जो किराया या लगान की रकम मालिक की चढ़ती जाय, वह मालिक को न दे, धरन बोर्ड को उस समय तक देता रहे जब तक काम का पूरा खर्चा बोर्ड को वसूल हो जाय। यदि

दफा ३०७ के अनुसार खर्चा वसूल करने के लिये कोई कार्रवाई मालिक के विरुद्ध की गई हो; या मालिक के विरुद्ध मुकद्दमा चलाया गया हो तो भी बोर्ड को अधिकार होगा कि साथही साथ इस दफा के अनुसार, क्वाबिज को भी आज्ञा दे दे। जो रकमें कोई ऐसा क्वाबिज बोर्ड को अदा करेगा उसके विषयमें यह समझा जायगा कि वह मालिक ही को दी गयीं अर्थात् ऐसा क्वाबिज अपने किराये आदि की जिम्मेदारी से, मुक्त समझा जायगा। केवल एक दशा है जय कि कोई ऐसा क्वाबिज बोर्ड को किराया आदि देने से मना कर सकता है—अर्थात् जय कि क्वाबिज और मालिक में ऐसा मुआहिदा हो चुका हो कि क्वाबिज, किसी दशा में, मालिक के अतिरिक्त किसी और को किराया या लगान अदा न करेगा।

दफा ३०९ मालिक के आज्ञा पालन न करने की दशा में, कामों के करानेका क्वाबिजका अधिकार

जय किसी इमारत या आराजी का मालिक किसी ऐसे काम को न कराये, जिस के कराने का उसको इस ऐक्ट के द्वारा, या इस ऐक्ट के अनुसार, आज्ञा दी गई हो, तो उक्त इमारत या आराजी का क्वाबिज, बोर्ड की मजूरी से, यह काम करा सकता है, और उसका खर्च, यदि इस बात के विरुद्ध कोई मुआहिदा न हो, तो मालिक उसको अदा करेगा, या वह खर्च उस किराया या लगान में से काटा जासकता है, जो समय समय पर, ऐसे मालिक का उस क्वाबिज पर चाहिये हो।

दफा ३१० काम बनाये जाने पर क्वाबिज के बाधक होने पर कार्रवाई

१ यदि किसी इमारत या आराजी के मालिक के इस इरादे की सूचना मिलने के पश्चात् कि वह उस इमारत या आराजी के सम्बन्ध में किसी ऐसे नोटिस की आज्ञा के अनुसार, जो इस ऐक्ट के अनुसार जारी किया गया हो कोई काम करना चाहता है, कोई क्वाबिज उक्त मालिक को वह काम न करने दे, तो मालिक किसी मजिस्ट्रेट को दरखास्त दे सकता है।

२ इस बात के साबित होने पर, कि इस प्रकार काम नहीं करने दिया गया है, मजिस्ट्रेट क्वाबिज को लिखित हुकम के द्वारा आज्ञा दे सकता है कि वह मालिक को ऐसे सब काम करने दे, जिनका उस इमारत या आराजी के सम्बन्ध में किया जाना, उक्त नोटिस की आज्ञापालन करने के लिये आवश्यक हो, और ऐसा मजिस्ट्रेट, यदि वह उचित समझे, क्वाबिज को अद्वि आज्ञा भी दे सकता है कि वह, ऐसी दरखास्त या हुकमके सम्बन्ध में जो खर्च पडा हो, वह मालिक को अदा करे।

३ यदि, मजिस्ट्रेट के हुकम की तारीख से, आठ दिन समाप्त हो जाने के उपरान्त भी उक्त क्वाबिज, मालिक को उस काम के बनाने देने में इन्कार जारी रखे, तो उक्त क्वाबिज को, अपराध के साबित हो जाने पर, जुर्माने का दण्ड दिया जायगा, जिसकी संख्या, प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिसमें उसने इस प्रकार इन्कार जारी रखा हो, पच्चीस रुपये तक हो सकती है।

४ प्रत्येक ऐसा मालिक उस काल में जब तक कि ऐसा इन्कार जारी रहे, किसी ऐसे दंड से मुक्त रहेगा, जिसका वह, अन्य दशा में, उस काम के न बनाने के कारण, भागी होता।

दफा ३११ काम बनानेका खर्चा क्राबिजके द्वारा वसूल किया जाना

जब किसी इमारत या आराजी का क्राबिज, किसी ऐसे नोटिस की आज्ञा के अनुसार, जो इस एक्ट के हुकमों के अनुसार जारी किया गया हो कोई ऐसा काम बनवाये या करे, जिसके बनवाने का ऐसी इमारत या आराजी का मालिक, या तो उस मुआहिदेसे जो किराया या लगान के विषय में हुआ हो (Contract of tenancy) या कानून के अनुसार, जिम्मेदार हो, तो, यदि इसके विपरीत कोई मुआहिदा न हो, उक्त क्राबिज को इस बात का अधिकार होगा, कि ऐसे काम के उचित खर्च को, उस किराये में से काट ले जो उसको मालिक को देना हो, या किसी अन्य प्रकार, ऐसे मालिक से वसूल कर ले।

ब्याख्या—

अनेक दफाओंके द्वारा, बोर्डका अधिकार दिया गया है कि किसी ऐसे कामके करानेके लिये जो वह किसी इमारत या आराजीके सम्बन्धमें जरूरी समझ, चाहे तो उसके मालिकको आज्ञा दे, या चाहे उसके क्राबिज को। उदाहरणके लिये देखिये दफा १८६। परन्तु वास्तवमें ऐसे कामोंमें खर्च करनेकी जिम्मेदारी मालिक ही की होना चाहिये। अतएव इस दफाके द्वारा स्पष्ट हुकम दे दिया गया है कि क्राबिज, ऐसे किसी कामका खर्च, मालिकके किराये आदिमेंसे काटके, या किसी अन्य प्रकार वसूल कर सकता है।

दफा ३१२—दफा २११ व २६३ व २६४ व २६५ व २७८ के अनुसार किसी चीजका बोर्ड द्वारा हटाये जानेका खर्चा वसूल किया जाना

१ जो खर्च बोर्ड दफा २६३ या दफा २६५ के अनुसार किसी चीजके हटाने में करे, या उस दशा में जबकि किसी लिखित नोटिसकी, जो दफा २११ या २६३ या २६४ या ३७८ के अनुसार जारी किया गया हो, आज्ञाका पालन न किया जाय, तो जो खर्च बोर्ड दफा ३०७ के अनुसार करे, वह उस चीजको बेचके वसूल किया जायगा, जो हटाई गई हो, और इस प्रकार बेचने से जो रकम प्राप्त हो, वह यदि काफी न हो, तो बाकी रकम उक्त चीज के मालिक से, उस विधिसे, वसूल की जा सकेगी, जो छठे प्रकरणमें बताई गई है।

२ यदि किसी दशामें, किसी चीजके हटानेका खर्चा उसके बेचे जाने से पूर्व, भदा कर दिया जाय, तो बोर्ड उस चीज को, उसके मालिकको लौटा देगा, यदि ऐसा मालिक उस चीज के बेचे जाने या अन्य प्रकार अलग जाने से पूर्व उसको माने, और यदि ऐसा मालिक सब अन्य खर्चा () जो बोर्डके उसके

दिये जाय, या जो बौद्धने उसके बेचने या अलग करने के इरादे के सम्बन्ध में किया हो, अदा करदे ।

३ यदि मालिक उस चीजको न मांगे, तो वह चीज, हटाये जानेकी तारीखसे एक मासके उपरान्त, सुविधाके साथ जितने शीघ्र सम्भव हो, नीलाम के द्वारा बेचदी जायगी, या अन्य प्रकार अलग करदी जायगी, जैसा कि बोर्ड उचित समझे, चाहे उसके हटानेका खर्चा इस बीचमे दे दिया गया हो या नहीं। और नीलाम के द्वारा या अन्य प्रकार अलग किये जाने के द्वारा, जो रकम प्राप्त हो (यदि कोई रकम प्राप्त हो) उस नीलामका खर्चा या अन्य प्रकार अलग किये जानेका खर्चा, और यदि आवश्यक हो तो उस चीजके हटानेका खर्चा देने के पश्चात्, म्युनिसिपलटीके कोषमे जमा करदी जायगी, और बोर्डकी मिलकियत हो जायगी ।

दफा ३१३ एजेन्टों और ट्रस्टियोंके लिये बचत

१ जब कोई शख्स किसी शख्स या सभाके ट्रस्टी या एजेन्टकी हिसियतसे जायदाद गैरमनगुला का किराया या लगान वसूल करने के कारण या किराया या लगान वसूल करने का अधिकार होने के कारण, इस ऐक्टके अनुसार, किसी ऐसी जिम्मेदारीके पूरा करने पर बाध्य हो, जो जिम्मेदारी कि इस ऐक्टके द्वारा उक्त जायदाद के मालिक पर डाली गई हो, और जिसके पूरा करने के लिये रुपयेकी आवश्यकता हो, तो ऐसा शख्स उस जिम्मेदारी के पूरा करनेपर, सिवाय उस दशाके बाधे न होगा जब कि उसके हाथमे उस मतलबके लिये काफी रुपया मालिकका हो, या सिवाय उस दशाके कि उसके हाथमें काफी रुपया मालिकका होता यदि स्वयं उसने कोई अनुचित व्यवहार या कसूर न किया होता ।

२ जब कोई एजेन्ट या ट्रस्टी, इस दफाके अनुसार, इस बातका दावा करे और साबित करदे कि उसको जिम्मेदारी से मुक्ति मिलनी चाहिये तो बोर्ड उसको यह नोटिस दे सकता है, कि वह उपरोक्त जिम्मेदारी के पूरा करने में उस रुपये को खर्च करे, जो भविष्यमें, पहले ही पहल उसके हाथमें मालिकके लिये या मालिक के कामके लिये आये, और यदि ऐसा शख्स उक्त नोटिस की आज्ञा पालन न करे तो वह उस जिम्मेदारीके पूरा करनेका स्वयं जिम्मेदार समझा जायगा ।

व्याख्या—

शब्द 'ट्रस्टी'का अर्थ है कोई ऐसा वापस जिसने कोई ट्रस्ट (अमानत) अपने जिम्मे लिया हो । किसी ऐसी जिम्मेदारीके पूरा करनेका भार जो इस ऐक्टके द्वारा किसी ट्रस्टी या एजेन्ट पर डाला जा सके, वसी दशाम होगा जप ऐसे ट्रस्टी या एजेन्टके पास मालिकका या ट्रस्टका रुपया हो । ऐसा रुपया न होने पर केवल एक दशामें उक्त जिम्मेदारीके पूरा करनेका जिम्मेदार ठहराया जा सकता है अर्थात् जब ट्रस्टी या एजेन्ट कोई ऐसा अनुचित काम या कसूर करे- जिसके कारण रुपया उसके हाथसे निकल जाय । जैसे यदि कोई ट्रस्टी या एजेन्ट किसी ऐसे नोटिसकी सूचना पाके म्युनिसिपलटीके हानि पहुँचाने के लिये जान झूझकर कोई रुपया मालिकको लौटा दे तो ऐसा ट्रस्टी या एजेन्ट उक्त जिम्मेदारीके पूरा करनेका स्वयं जिम्मेदार हो जायगा और उसको अपना खर्चा करने के लिये जिम्मेदारीके पूरा करना होगा ।

मुकद्दमें चलाये जाना

(Prosecutions)

दफा ३१४. मुकद्दमें चलानेका अधिकार

सिवाय उस दशा के कि इसके विरुद्ध कोई स्पष्ट आज्ञा दी गई हो, कोई अदालत उन अपराधों में से किसी अपराध के विषय में, जो इस एक्ट के अनुसार दण्डनीय हैं (और जिनकी सूची शिड्यूल न० ८ में केवल इस उद्देश्य से दी गई है कि उनका पता लगाने में सुविधा हो), या उन अपराधों में से किसी अपराध के विषय में जो किसी नियम या बार्ड-लों के अनुसार दण्डनीय हैं, कोई मुकद्दमा न सुनेगी, जब तक कि बार्ड द्वारा या किसी ऐसे शख्स के द्वारा जिसको बार्ड ने इस विषय में साधारण या विशेष आज्ञा (General or Special order) के द्वारा अधिकार दिया हो अर्जा न दी जाय, या जब तक कि बार्ड द्वारा या ऐसे शख्स के द्वारा सूचना न मिले ।

व्याख्या—

“साधारण और विशेष आज्ञा” में क्या भेद है ? साधारण आज्ञा (General order) के द्वारा बार्ड अपने किसी अफसर या कर्मचारी को यह अधिकार दे सकता है कि वह अपनी राय से, म्यूनिसिपलटी के कानून के विरुद्ध, सब प्रकार के अपराधों के लिये मुकद्दमा चला सकता है । इसके विपरीत “विशेष आज्ञा” (Special order) के द्वारा या तो किसी विशेष मामले के सम्बन्ध में मुकद्दमा चलाने का किसी अफसर आदि को अधिकार दिया जा सकता है, या यह अधिकार दिया जा सकता है कि किसी विशेष प्रकार के अपराधों के सम्बन्ध में, उक्त अफसर आदि, अपनी राय से मुकद्दमा चला सकता है ।

“साधारण आज्ञा” की व्याख्या माननीय इलाहाबाद हाईकोर्टकी एक फुलबेंच ने, एम० जे० थोथल बनाम म्यूनिसिपल बार्ड मसूरी, 22 All I L R 123 F B, वाले मामले में की है । यह मामला उक्त हाईकोर्ट के मामले, म्यूनिसिपलटियों के एक्ट, न० १५ सन १८८३ के समय में पैदा हुआ था । उक्त एक्ट की दफा ६९ (वर्तमान एक्टकी दफा ३१४ के समान थी), केवल उसमें शब्द “साधारण या विशेष आज्ञा” नहीं थे । उक्त मामले में फुलबेंच के सामने यह प्रश्न उपास्थित था कि कोई बार्ड अपने किसी कर्मचारी को साधारण आज्ञा के द्वारा यह अधिकार दे सकता है कि नहीं ? कि ऐसा कर्मचारी अपनी राय और अपने निश्चय से उन सब अपराधों के विषय में जो म्यूनिसिपलटी के कानून के हुकमों के विरुद्ध किये जाय मुकद्दमा चलाये । फुलबेंच ने तजवीज किया कि बार्ड अपने किसी अफसर या कर्मचारी को ऐसा अधिकार दे सकता है और यह भी तजवीज किया कि ऐसा अधिकार दिये जाने पर केवल इतना ही नहीं कि ऐसा अफसर या कर्मचारी अदालत के सामने अर्जा पैदा करने का जायते का काम कर सके धरन उसको यह अधिकार भी प्राप्त हो जाता है कि वह इस पात को स्पष्ट निश्चय करे कि किसी विशेष मामले के सम्बन्ध में मुकद्दमा चलाया जाय या नहीं ।

—इस दफा का आशय यह है कि म्यूनिसिपलटी की ओर से जो मुकद्दमें चलाये जाय वह या तो स्वयं बार्ड की आज्ञा से चलाये जाय या किसी ऐसे अफसर की आज्ञा से जिसको बार्ड ने इस विषय में अधिकार दिया हो क्योंकि मुकद्दमें चलाने का काम एक उत्तर दायित्व का काम है ।

इस लिये जब कि एक शख्स पर यह अपराध लगाया गया, कि उसने कोई साग या तरकारी

पानी के कारखाने के तालाब में फेंक के पानी को अशुद्ध किया, और उसके विरुद्ध पानी के कारखाने के इन्स्पेक्टर ने अर्जी पेश करके मुकद्दमा चलाया, तो हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि यद्यपि शहादत से अपराध का किया जाना साबित होता है, तथापि पानी के कारखाने के इन्स्पेक्टर को बोर्ड की ओर से मुकद्दमा चलाने का अधिकार न होने के कारण, अपराधी बरी होना चाहिये, देखिये पुरुषोत्तम दास बनाम सरकार बहादुर 17 A L J 254=50 I C 494=20 Cr L J 318

इसी प्रकार जब कि एक म्यूनििसिपल्टी के नज़ूल दरोगा ने एक शख्स पर इस विषय में अर्जी दी कि उसने अपना गाड़ी घोडा सड़क पर छोड़ दिया, तो हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि ऐसे अपराध के विषय में नज़ूल दरोगा को बोर्ड की ओर से मुकद्दमा चलाने का अधिकार प्राप्त न होने के कारण अपराधी बरी किया जाना चाहिये। देखिये नलिन कुमार मुकर्जी बनाम सरकार बहादुर, 11 A L J 721=20 I C 1003=14 Cr L J 523

इस सम्बन्ध में जग्ग बनाम सरकार बहादुर 19 A L J 942 वाला मामला भी देखिये जो दफा ३३३ की व्याख्या में दिया गया है।

—जो अर्जी या हस्तगता म्यूनििसिपल्टी के किसी अफसर की ओर से दिया जाय उस पर कोर्ट फीस नहीं लगती। देखिये कोर्ट फीस ऐक्ट न० ७ सन् १८७० ई० की दफा १९ का क्लॉज १४ जिसमें यह आज्ञा दी गई है कि किसी ऐसी अर्जी पर कोर्टफीस माफ होता जो किसी सार्वजनिक नौकर (मुलाजिम) की ओर से दी जाय।

म्यूनििसिपल्टीज ऐक्ट के द्वारा म्यूनििसिपल्टी के सब अफसर और कर्मचारी सार्वजनिक नौकर माने गये हैं।

दफा ३१५ अपराधोंके सम्बन्धमें राजीनामा या फ़ैसला कर लेनेका अधिकार

१ बोर्ड का चेयरमैन, या उन म्यूनििसिपल्टियों में जहां एक्जिक्यूटिव अफसर हो, ऐसा एक्जिक्यूटिव अफसर चेयरमैन की साधारण या विशेष मंजूरी से, किसी मुकद्दमे के चलाने से पूर्व या, उसके चलाने के पश्चात्, किसी ऐसे अपराध के विषय में जो इस ऐक्ट के अनुसार या किसी नियम या चार्ज-ऑफ के अनुसार अपराध हो, राजीनामा या फ़ैसला कर सकता है, सिवाय उन अपराधों के जो दफा २३७ की उपदफा (४) में, या दफा २४१ में या २४६ में, या २४७ में, या २८१ में या २८५ की उपदफा (५) में, या दफा २९५ में अंकित हैं, और सिवाय उन अपराधों के जो किसी ऐसे नियमों के विरुद्ध किये जाय जो नियम कि दफा २९६ के अनुसार उन विषयों में बनाये जाय जो विषय कि दफा २९ में अंकित हैं। परन्तु शत यह है कि किसी ऐसे अपराध के विषय में राजीनामा न किया जायगा, जो किसी ऐसे लिखित नोटिस की आज्ञा पालन न किये जाने के कारण उत्पन्न हुआ हो जो नोटिस कि बोर्ड ने या बोर्ड की ओर से दिया गया हो, जब तक कि उक्त नोटिस की आज्ञा पालन न करदी जाय, जहां तक कि उसकी आज्ञा का पालन करना सम्भव हो।

२ जब किसी अपराध के विषय में राजीनामा कर लिया जाय, तो अपराधी, यदि बंधन (हिरासत) में हो, मुक्त कर दिया जायगा, और उस अपराधके सबंध में जिसके

विषयमें इस प्रकार राजीनामा कर लिया गयाहो, अपराधी के विरुद्ध कोई आगे कार्रवाई नहीं की जायगी ।

३ इस दफाके अनुसार जो रकम राजीनामा करनेके विषयमें दी जायें वह म्यूनि-सिपलटी के कोष में जमा की जायेंगी ।

व्याख्या—

वह अपराध जिनके विषय में राजीनामा नहीं किया जा सकता नीचे लिखे अपराध हैं —

२३७-(४) किसी पशु को उसका मांस बेचने के लिये किसी ऐसे स्थान में मारना जो म्यूनिसिपलटी ने नियत न किया हो ।

२४२-उन पशुओं को जो दूध या मांसके लिये रसे जाय अनुचित राय स्थलाना ।

२४६-व्यभिचार के लिये मारे मारे फिरना और दूसरों को साग्रह उसमें प्रवृत्ति कराना ।

२४७-चक्के, इत्यादि रखना ।

२८१-रोगियों का खाने पीने की वस्तुयें या औषधिया आदि बनाना या बेचना ।

२८५-(५) मृत शरीर को किसी ऐसे स्थान में गाड़ना या जलाना जिसमें गाड़ने और जलाने की आज्ञा न हो ।

२९५-बोर्ड द्वारा नियत किये हुये कर्मचारियों के कामों में बाधा डालना ।

२९६-म्यूनिसिपलटी के मेम्बरों के निर्वाचन के सम्बन्ध में बनाये हुये नियमों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करना ।

दफा ३१६ म्यूनिसिपलटीकी जायदादको हानिके लिये हर्जा ।

यदि किसी ऐसे काम या उपेक्षा के कारण, या किसी ऐसे काम के न करने के कारण जिसके लिये कोई शख्स किसी ऐसे जुर्माने के दण्ड का भागी हुआ हो, जो दण्ड कि इस ऐक्ट के द्वारा या इस ऐक्ट के अनुसार नियत किया गया हो, बोर्ड की जायदाद को कुछ हानि पहुँची हो, तो वह शख्स जो उक्त दण्डका भागी हुआ हो, इस बात का जिम्मेदार होगा, कि उक्त हानि का हर्जा दे और उक्त जुर्माना भी अदा करे, और यदि जुर्माने की रकमके विषयमें झगड़ा हो तो जुर्माने की सख्य वह मजिस्ट्रेट निश्चय करेगा, जिसने उस शख्स को दण्ड दिया हो जो ऐसे दण्ड का भागी हुआ है, और उक्त हर्जा, यदि मांगे जाने पर अदा न किया जाय तो कुर्की के द्वारा वसूल किया जायगा, और ऐसा मजिस्ट्रेट उसके वसूल किये जाने के लिये वारंट जारी करेगा ।

व्याख्या—

इस दफा का अभिप्राय यह है कि यदि कोई अपराध इस ऐक्ट के किसी हुकम के विरुद्ध किया जाय, तो अपराधी केवल उस दण्ड को पाकर, जो उक्त अपराध के लिये रखा गया हो, छूट न जायगा, वरन यदि उस अपराध के कारण म्यूनिसिपलटी की जायदाद को कोई हानि भी पहुँची हो, तो अपराधी को उक्त हानि के लिये हर्जा भी देना होगा ।

दफा ३१७ अपराधोंके विषयमें और म्यूनिसिपलटीके अधिकारियोंको सहायता देनेके विषयमें पुलिसके अधिकार और कर्तव्य

पुलिस का प्रत्येक अफसर बोर्ड को किसी ऐसे अपराध की सूचना तुरन्त देगा जिसका उसको पता लगे, और जो इस ऐक्ट के विरुद्ध किया गया हो, या जो किसी ऐसे ऐक्ट के विरुद्ध किया गया हो जिसका उल्लेख दफा ११४ की उपदफा (१) के बलोज (बी) में किया गया है, या जो उक्त ऐक्टों में से किसी ऐक्टके अनुसार बनाये हुये किसी नियम के विरुद्ध किया गया हो, और उसका कर्तव्य होगा कि वह बोर्ड के सब मेम्बरों अफसरों और कर्मचारियों को, अपने जायज अधिकारों के बरतने में सहायता दे।

बोर्डके हुक्मोंकी अपील और बोर्डके विरुद्ध मुकद्दमें
(Appeals from orders of Boards & suits against the Board)

दफा ३१८ बोर्डके हुक्मकी अपील

१ जो शख्स कि किसी ऐसे हुक्म या हिदायतके कारण असंतुष्ट हो (Aggrieved by) जो बोर्ड ने, उन अधिकारों के अनुसार, जो उसको दफा १८० की उपदफा (१) के या दफा १८६ या दफा २०५ की उपदफा (१) या २०८ या २११ या २२२ की उपदफा (६) या २४१ की उपदफा (२) या २४५ या २७८ या २८५ के द्वारा मिले हैं, दिया हो, या किसी ऐसे चार्ज-लॉके अनुसार दियाहो, जो चार्ज-लॉ दफा २९८ की मद (जी) के अनुसार बनाया गया हो, वह शख्स ऐसी हिदायत या हुक्म की तारीख से तीस दिन के भीतर, जिसमें वह अवधि जो उसको नकल मिलनेके लिये आवश्यक हो सम्मिलित न की जायगी, किसी ऐसे अफसर के सामने, जिसको प्रान्तीय सरकार ने ऐसी अपीलों के सुनने के लिये या उनमें से किसी के सुनने के लिये नियत किया हो, अपील कर सकता है, या यदि कोई ऐसा अफसर नियत न किया गया हो, तो जिला मजिस्ट्रेट के सामने अपीलकर सकता है।

परन्तु शर्त यह है कि यदि प्रान्तीय सरकार के द्वारा अपील सुनने के लिये कोई अफसर नियत न किया गयाहो, और जिला मजिस्ट्रेट स्वयं बोटका मेम्बर हो, तो अपील कमिश्नर के सामने की जायगी।

२ अपील सुनने वाला अधिकारी, यदि वह उचित समझे उस अवधि को बढ़ा सकता है, जो अपील करने के लिये उपदफा (१) के द्वारा मंजूर की गई है।

३ कोई अपील स्वारिज न की जायगी न कोई अपील पूरी मंजूर की जायगी, न किसी अपील का कोई भाग मंजूर किया जायगा, जब तक कि पक्षधरों को घजद जाहिर करने का, या उच्चदारी करने का, उचित अवसर न दे दिया जाय।

व्याख्या—

जो हुक्म कि उपदफा (१) में गिनाई हुई दफाओं के अनुसार दिये जाय वक्त विरुद्ध, दफा ३१४ के अनुसार अपील दायर की जा सकता है। परन्तु यह बर्तमान होता है कि अपील करने

की जगह क्या किसी को यह अधिकार प्राप्त हो सकता है कि किसी हुकम के विरुद्ध अदालत दीवानी में मुकद्दमा दायर करे। मनुभा वगैरा बनाम सरकार बहादुर 17 A L J 976=52 I. C 785=20 Cr L J 705, के मुकद्दमे में (जिसमें मामला यह था कि बोर्ड से, एक स्थान पर लकड़ी की टाल रखने के लिये लैसन्स मांगा गया था और बोर्ड ने ऐसा लैसन्स देने से इनकार कर दिया था) माननीय मिस्टर जस्टिस पिगट ने अपनी तजवीज में, इस प्रश्न के सम्बन्ध में नीचे लिखी राय प्रकट की है —

‘ इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि म्यूनिसिपलटी के भूत पूर्व ऐक्ट के अनुसार तो इस विषय में दावा दायर किया जा सकता था कि म्यूनिसिपल बोर्ड के नाम हुकम इस्तनाई जारी किया जाय कि वह मुद्दई को, किसी विशेष व्यापार या काम को किसी विशेष स्थान पर करने के जायज अधिकार को बरतने से न रोके। परं संयुक्त प्रान्त के म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट नं० २, सन १९१६ ई० (अर्थात् वर्तमान कानून) की दफा ३१८ और दफा ३२१ के द्वारा दीवानी की अदालतों का अधिकार सीमा बद्ध कर दिया गया है। मुझे इसमें सन्देह नहीं है कि इन दफाओं के अनुसार, किसी ऐसे शख्सके लिये, जो ऐक्टकी दफा २९८ की मद (जी) के अनुसार बनाये हुये बार्ड-लॉसे असतुष्ट हो, केवल एकही उपाय है कि वह उस ऊंचे पद के अधिकारी के सामने, जो दफा ३१८ में बताया गया है, अपील करे। किन्तु साथही साथ यह भी नहीं कहा जा सकता कि यह बात बिल्कुल सत्य है कि ऐसा मुकद्दमा दायर नहीं किया जा सकता कि किसी म्यूनिसिपल बोर्ड के नाम हुकम इस्तनाई जारी करके उसको हुकम दिया जाय कि वह मुद्दई को किसी निर्दिष्ट व्यापार को किसी निर्दिष्ट स्थान में करने के लिये लैसन्स दे। ”

दफा ३१९ फैसलेके लिये हाईकोर्टको मामला भेजा जाना

१ यदि दफा ३१८ के अनुसार कोई अपील सुनते हुए, कोई प्रश्न किसी मनाही, हिदायत, नोटिस, या हुकम के कानून के अनुसार होने या न होने के विषयमें उत्पन्न हो, जिसके विषयमें उस अफसरको जो अपील सुन रहा हो कोई उचित शङ्का हो तो ऐसा अफसर या तो अपनीही इच्छासे, या किसी ऐसे शख्सकी दरखवास्त पर, जिसका मामले से सम्बन्ध हो, मुकद्दमेकी घटनाओंका हाल लिखके और-वह विषय लिखके जिस पर कि उसको शङ्का हो, उक्त विषय पर अपनी रायके सहित, हाईकोर्ट को भेज सकता है।

२ जब कोई मामला उपदफा (१) के अनुसार हाईकोर्ट को फैसले के लिये भेजा जाय, तो उसके इस प्रकार भेजे जाने के उपरान्त जो कार्रवाहया मुकद्दमे में की जायगी वह यथा सम्भव उन नियमों के अनुसार होगी, जो हाईकोर्ट को फैसले के लिये मामला भेजे जाने के सम्बन्ध में जावता दीवानी, सन् १९०८ ई० के पहलेशिड्यूल के आर्डर नं० ४६ में दिये गये हैं, या किसी ऐसे नियमों के अनुसार की जायगी, जो उक्त जावता दीवानी की दफा १२२ के अनुसार हाईकोर्ट ने बनाये हो।

नोट—जावता दीवानी के आर्डर ४६ के लिये देखिये दफा २३ की उपदफा (२) का क्लोज (ई) और उसकी व्याख्या।

दफा ३२० खर्चा

१ जो अदालत में अपील फैसल करे उसको अधिकार होगा कि यदि वह उचित समझे, खर्चा दिये जाने का हुकम दे।

२ इस दफा के अनुसार जो खर्चा बोर्ड को दिलाया जाय उसको बोर्ड उसी प्रकार वसूल करसकेगा, जैसेकि वह किसी कर की बाकी रकमहो जो अपीलान्टपर चाहिये हो।

३ यदि बोर्ड कोई ऐसा खर्चा, जो किसी अपीलान्टको इस दफाके अनुसार दिलाया जाय, उस तारीख से दस दिन के भीतर जिस तारीख पर क्रिपेसा खर्चा देने का हुक्म बोर्ड के पास पहुँचे, न दे, तो वह अदालत जो खर्चा दिलाये, उस अख्त को आज्ञा दे सकती है जिसके पास म्युनिसिपलटी के कोष की बाकी रकम हो, कि वह खर्च की रकम को अदा करे।

दफा ३२१ अपील सुनने वाले अधिकारीके हुक्मका अंतिम होना

१ किसी ऐसे हुक्म या हिदायत पर, जिसका उल्लेख दफा ३१८ में किया गया है, किसी अन्य विधि से और किसी अन्य अधिकारी की ओर से, आक्षेप न किया जायगा, सिवाय उसके जिसका उक्त दफा में हुक्म है।

२ अपील सुनने वाले अधिकारी का हुक्म, जिसके द्वारा कोई ऐसा हुक्म या हिदायत बहाल रखा जाय, या रद्द की जाय, या उसमें परिवर्तन किया जाय, अंतिम होगा।

परन्तु शर्त यह है कि, अपील सुनने वाले अधिकारी को अधिकार होगा, कि दखलास्त दिये जाने पर, और दूसरे फीक को नोटिस देने के पश्चात्, किसी ऐसे हुक्म की नजरसानी (Review), जो उसने अपील में दिया हो एक ऐसे दूसरे हुक्म के द्वारा करे, जो उसके पहले हुक्म की तारीख से तीन मास के भीतर दिया जाय।

नोट—देखिये दफा ३१८ की व्याख्या।

दफा ३२२ किसी किमी दशामें मुकद्दमें स्थगित कर दिये जाना

जब उस प्रकार के किसी हुक्म की जो दफा ३१८ में अंकित है, अपील की जा सकती हो और उसके विरुद्ध अपील कर दी गई हो, तो ऐसे हुक्म की आज्ञा पालन कराने के लिये सब कारवाहियों और ऐसे हुक्म के उल्लघन के विषय में सब मुकद्दमें, अपील फैसल होने तक, अपील सुनने वाले अधिकारी के हुक्म से, स्थगित किये जा सकते हैं, और यदि अपील में उक्त हुक्म रद्द कर दिया जाय, तो उसका उल्लघन कोई अपराध नहीं माना जायगा।

दफा ३२३ अदालतके किसी किसी हुक्मोकी अपील

दफा २०१ के अनुसार दिये हुये जस्तीके प्रायेक हुक्म की, और प्रायेक ऐसे हुक्म की जो दफा २०२ या दफा २५८ के अनुसार दिया जाय, अपील उस अदालत में होगी, जिसका पद हुक्म देने वाली अदालत से उच्चतर हो, किन्तु अन्य किसी अदालत में उसकी अपील या निगमनी नहीं की जा सकेगी।

व्याख्या—

दफा २०१ में मौखी भगियों (Customary Sweepers) के हुक्म की जस्ती का हुक्म है। दफा २०२ में काइतकार के इस हुक्म की जस्ती का हुक्म है जिसके द्वारा वह मैला उठाने का रज्य प्रबन्ध कर सकता है। दफा २५८ में ऐसी जस्टनरील वस्तुओं की जस्ती का हुक्म है जो

की जगह तथा किसी को यह अधिकार प्राप्त हो सकता है कि किसी हुकम के विरुद्ध अदालत दीवानी में मुकद्दमा दायर करे। मनुभा चौरा बनाम सरकार बहादुर 17 A. L. J 976=52 I C 785=20 Cr L J 705, के मुकद्दमे में (जिसमें मामला यह था कि बोर्ड से, एक स्थान पर लकड़ी की टाल रखने के लिये लैसन्स मांगा गया था और बोर्ड ने ऐसा लैसन्स देने से इनकार कर दिया था) माननीय मिस्टर जस्टिस पिगट ने अपनी तजवीज में, इस प्रश्न के सम्बन्ध में नीचे लिखी राय प्रकट की है —

‘ इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि म्यूनिसिपलटी के भूत पूर्व ऐक्ट के अनुसार तो इस विषय में दावा दायर किया जा सकता था कि म्यूनिसिपल बोर्ड के नाम हुकम इम्तनाई जारी किया जाय कि वह मुद्दई को, किसी विशेष व्यापार या काम को किसी विशेष स्थान पर करने के जायज अधिकार को बरतने से न रोके। पर संयुक्त प्रान्त के म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट न० २, सन १९१६ ई० (अर्थात् वर्तमान कानून) की दफा ३१८ और दफा ३२१ के द्वारा दीवानी की अदालतों का अधिकार सीमा बद्ध कर दिया गया है। मुझे इसमें सन्देह नहीं है कि इन दफाओं के अनुसार, किसी ऐसे शख्सके लिये, जो ऐक्टकी दफा २९८ की मद (जी) के अनुसार बनाये हुये बार्ड-रॉसे असतुष्ट हो, केवल एकही उपाय है कि वह उस ऊंचे पद के अधिकारी के सामने, जो दफा ३१८ में बताया गया है, अपील करे। किन्तु साथही साथ यह भी नहीं कहा जा सकता कि यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसा मुकद्दमा दायर नहीं किया जा सकता कि किसी म्यूनिसिपल बोर्ड के नाम हुकम इम्तनाई जारी करके उसको हुकम दिया जाय कि वह मुद्दई को किसी निर्दिष्ट व्यापार को किसी निर्दिष्ट स्थान में करने के लिये लैसन्स दे। ”

दफा ३१९ फौसलेके लिये हाईकोर्टको मामला भेजा जाना

१ यदि दफा ३१८ के अनुसार कोई अपील सुनते हुए, कोई प्रश्न किसी मनाही, हिदायत, नोटिस, या हुकम के कानून के अनुसार होने या न होने के विषयमें उत्पन्न हो, जिसके विषयमें उस अफसरको जो अपील सुन रहा हो कोई उचित शङ्का हो तो ऐसा अफसर या तो अपनीही इच्छासे, या किसी ऐसे शख्सकी दरखवास्त पर, जिसका मामले से सम्बन्ध हो, मुकद्दमेकी घटनाओंका हाल लिखके और वह विषय लिखके जिस पर कि उसको शङ्का हो, उक्त विषय पर अपनी रायके सहित, हाईकोर्ट को भेज सकता है।

२ जब कोई मामला उपदफा (१-) के अनुसार हाईकोर्ट को फौसले के लिये भेजा जाय, तो उसके इस प्रकार भेजे जाने के उपरान्त जो कार्रवाइया मुकद्दमे में की जायगी वह यथा सम्भव उन नियमों के अनुसार होगी, जो हाईकोर्ट को फौसले के लिये मामला भेजे जाने के सम्बन्ध में जावता दीवानी, सन् १९०८ ई० के पहलेशिड्यूल के आर्डर न० ४६ में दिये गये हैं, या किसी ऐसे नियमों के अनुसार की जायगी, जो उक्त जावता दीवानी की दफा १२२ के अनुसार हाईकोर्ट ने बनाये हों।

नोट—जावता दीवानी के आर्डर ४६ के लिये देखिये दफा २३ की उपदफा (२) का क्लॉज (ई) और उसकी व्याख्या।

दफा ३२० खर्चा

१ जो अदालत कि अपील फौसल करे उसको अधिकार होगा कि यदि वह उचित समझे, खर्चा दिये जाने का हुकम दे।

२ इस दफा के अनुसार जो खर्चा बोर्ड को दिलाया जाय उसको बोर्ड उसी प्रकार वसूल करसकेगा, जैसेकि वह किसी कर की बाकी रकमहो जो अपीलान्टपर चाहिये हो

३ यदि बोर्ड कोई ऐसा खर्चा, जो किसी अपीलान्टको इस दफाके अनुसार दिलाया जाय, उस तारीख से दस दिन के भीतर जिस तारीख पर किसेसा खर्चा देने का हुक्म बोर्ड के पास पहुँचे, न दे, तो वह अदालत जो खर्चा दिलाये, उस शख्त को आज्ञा दे सकती है जिसके पास म्यूनिसिपलटी के कोष की बाकी रकम हो, कि वह खर्चे को रकम को अदा करे।

दफा ३२१ अपील सुनने वाले अधिकारीके हुक्मका अंतिम होना

१ किसी ऐसे हुक्म या हिदायत पर, जिसका उल्लेख दफा ३१८ में किया गया है, किसी अन्य विधि से और किसी अन्य अधिकारी की ओर से, आक्षेप न किया जायगा, सिवाय उसके जिसका उक्त दफा में हुक्म है।

२ अपील सुनने वाले अधिकारी का हुक्म, जिसके द्वारा कोई ऐसा हुक्म या हिदायत बहाल रखी जाय, या रद्द की जाय, या उसमें परिवर्तन कियाजाय, अंतिम होगा।

परन्तु शर्त यह है कि, अपील सुनने वाले अधिकारी को अधिकार होगा, कि दर-खवास्त दिये जाने पर, और दूसरे फीक को नोटिस देने के पश्चात्, किसी ऐसे हुक्म की नजरसानी (Review), जो उसने अपील में दिया हो एक ऐसे दूसरे हुक्म के द्वारा करे, जो उसके पहले हुक्म की तारीख से तीन मास के भीतर दिया जाय।

नोट—देखिये दफा ३१८ की व्याख्या।

दफा ३२२ किसी किमी दशामें मुकदममें स्थगित कर दिये जाना

जब उस प्रकार के किसी हुक्म की जो दफा ३१८ में अफिन है, अपील की जा सकती हो और उसके विरुद्ध अपील कर दी गई हो, तो ऐसे हुक्म की आज्ञा पालन कराने के लिये सब कार्टवाइयों और ऐसे हुक्म के उल्लघन के विषय में सब मुकदमों में, अपील फैसल होने तक, अपील सुनने वाले अधिकारी के हुक्म से, स्थगित किये जा सकते हैं, और यदि अपील में उक्त हुक्म रद्द कर दिया जाय, तो उसका उल्लघन कोई अपराध नहीं माना जायगा।

दफा ३२३ अदालतके किसी किमी हुक्मोंकी अपील

दफा २०१ के अनुसार दिये हुये जघनोके प्रत्येक हुक्म की, और प्रत्येक ऐसे हुक्म की जो दफा २०२ या दफा २५८ के अनुसार दिया जाय अपील उस अदालत में होगी, जिसका पद हुक्म देने वाली अदालत से उच्चतर हो, किन्तु अन्य किसी अदालत में उसकी अपील या निगरानी नहीं की जा सकेगी।

व्याख्या—

दफा २०१ में मौज्सी भगियों (Customary Sweepings) के दफ की जघनी का हुक्म है। दफा २०२ में फायतकार के इस दफ की जघनी का हुक्म है जिसके द्वारा वह मैसा जघनी का खय प्रपन्ध कर सकता है। दफा २५८ में पेसी जघनीका यह भुक्तों की जघनी का हुक्म है या

की जगह क्या किसी को यह अधिकार प्राप्त हो सकता है कि किसी हुकम के विरुद्ध अदालत दीवानी में मुकद्दमा दायर करे। मनुभा वगैरा बनाम सरकार बहादुर 17 A. L. J 976=52 I. C 785=20 Cr. L. J 705, के मुकद्दमे में (जिसमें मामला यह था कि बोर्ड से, एक स्थान पर लकड़ी की टाल रखने के लिये लैसन्स मांगा गया था और बोर्ड ने ऐसा लैसन्स देने से इनकार कर दिया था) माननीय मिस्टर जस्टिस पिगट ने अपनी तजवीज में, इस प्रश्न के सम्बन्ध में नीचे लिखी राय प्रकट की है —

‘ इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि म्यूनिसिपलटी के भूत पूर्व ऐक्ट के अनुसार तो इस विषय में दावा दायर किया जा सकता था कि म्यूनिसिपल बोर्ड के नाम हुकम इस्तनाई जारी किया जाय कि वह मुद्दई को, किसी विशेष व्यापार या काम को किसी विशेष स्थान पर करने के जायज अधिकार को बरतने से न रोके। पर संयुक्त प्रान्त के म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट न० २, सन १९१६ ई० (अर्थात् वर्तमान कानून) की दफा ३१८ और दफा ३२१ के द्वारा दीवानी की अदालतों का अधिकार सीमा वद्ध कर दिया गया है। मुझे इसमें सन्देह नहीं है कि इन दफाओं के अनुसार, किसी ऐसे शख्सके लिये, जो ऐक्टकी दफा २९८ की मद (जी) के अनुसार बनाये हुये बार्ड-लॉसे असतुष्ट हो, केवल एकही उपाय है कि वह उस ऊंचे पद के अधिकारी के सामने, जो दफा ३१८ में बताया गया है, अपील करे। किन्तु साथही साथ यह भी नहीं कहा जा सकता कि यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसा मुकद्दमा दायर नहीं किया जा सकता कि किसी म्यूनिसिपल बोर्ड के नाम हुकम इस्तनाई जारी करके उसको हुकम दिया जाय कि वह मुद्दई को किसी निर्दिष्ट व्यापार को किसी निर्दिष्ट स्थान में करने के लिये लैसन्स दे।’

दफा ३१९ फौसलेके लिये हाईकोर्टको मामला भेजा जाना

१ यदि दफा ३१८ के अनुसार कोई अपील सुनते हुए, कोई प्रश्न किसी मनाही, हिदायत, नोटिस, या हुकम के कानून के अनुसार होने या न होने के विषयमें उत्पन्न हो, जिसके विषयमें उस अफसरको जो अपील सुन रहा हो कोई उचित शङ्का हो तो ऐसा अफसर या तो अपनीही इच्छासे, या किसी ऐसे शख्सकी दरखास्त पर, जिसका मामले से सम्बन्ध हो, मुकद्दमेकी घटनाओका हाल लिखके और वह विषय लिखके जिस पर कि उसको शङ्का हो, उक्त विषय पर अपनी रायके सहित, हाईकोर्ट को भेज सकता है।

२ जब कोई मामला उपदफा (१) के अनुसार हाईकोर्ट को फौसले के लिये भेजा जाय, तो उसके इस प्रकार भेजे जाने के उपरान्त जो कार्रवाहीया मुकद्दमे में की जायगी वह यथा सम्भव उन नियमों के अनुसार होगी, जो हाईकोर्ट को फौसले के लिये मामला भेजे जाने के सम्बन्ध में जाबता दीवानी, सन् १९०८ ई० के पहलेशिड्यूल के आर्डर न० ४६ में दिये गये हैं, या किसी ऐसे नियमों के अनुसार की जायगी, जो उक्त जाबता दीवानी की दफा १२२ के अनुसार हाईकोर्ट ने बनाये हों।

नोट—जाबता दीवानी के आर्डर ४६ के लिये देखिये दफा २२ की उपदफा (२) या वलोज (ई) और उसकी व्याख्या।

दफा ३२० खर्चा

१ जो अदालत में अपील फौसल करे उसको अधिकार होगा कि यदि वह उचित समझे, खर्चा दिये जाने का हुकम दे।

२ इस दफा के अनुसार जो खर्चा बोर्ड को दिलाया जाय उसको मोर्ड उसी प्रकार घसूल करसकेगा, जैसेकि वह किसी कर की बाकी रकमहो जो अपीलान्टपर चाहिये हो

३ यदि मोर्ड कोई ऐसा खर्चा, जो किसी अपीलान्टको इस दफाके अनुसार दिलाया जाय, उस तारीख से दस दिन के भीतर जिस तारीख पर क्लिपेसा खर्चा देने का हुक्म बोर्ड के पास पहुँचे, न दे, तोवह अदागत जो खर्चा दिलाये, उस गखस को आद्धा दे सकती है जिसके पास म्यूनिसिपलटी के कोष की बाकी रकम हो, कि वह खर्च की रकम को अदा करे।

दफा ३२१ अपील सुनने वाले अधिकारीके हुक्मका अंतिम होना

१ किसी ऐसे हुक्म या हिदायत पर जिसका उल्लेख दफा ३१८ में किया गया है, किसी अन्य विधि से और किसी अन्य अधिकारी की ओर से, आक्षेप न किया जायगा, सिवाय उसके जिसका उक्त दफा में हुक्म है।

२ अपील सुनने वाले अधिकारी का हुक्म, जिसके द्वारा कोई ऐसा हुक्म या हिदायत बहाल रखा जाय, या रद्द की जाय, या उसमें परिवर्तन किया जाय, अंतिम होगा।

परन्तु राते यह है कि, अपील सुनने वाले अधिकारी को अधिकार होगा, कि दरखास्त दिये जाने पर, और दूसरे फरीक को नोटिस देने के पश्चात्, किसी ऐसे हुक्म की नजरसानी (Review), जो उसने अपील में दिया हो एक ऐसे दूसरे हुक्म के द्वारा करे, जो उसके पहले हुक्म की तारीख से तीन मास के भीतर दिया जाय।

नोट—देखिये दफा ३१८ की व्याख्या।

दफा ३२२ किसी किसी दशामें मुक्तहमे स्थगित कर दिये जाना

जब उस प्रकार के किसी हुक्म की जो दफा ३१८ में अंकित है, अपील की जा सकती हो और उसके विरुद्ध अपील कर दी गई हो, तो ऐसे हुक्म की आज्ञा पालन कराने के लिये सब कार्रवाइयाँ और ऐसे हुक्म के उल्लघन के विषय में सब मुक्तहमे, अपील फैसल होने तक, अपील सुनने वाले अधिकारी के हुक्म से, स्थगित किये जा सकते हैं, और यदि अपील में उक्त हुक्म रद्द कर दिया जाय, तो उसका उल्लघन कोई अपराध नहीं माना जायगा।

दफा ३२३ अदालतके किसी किसी हुक्मोंकी अपील

दफा २०१ के अनुसार दिये हुये जत्तीके प्रत्येक हुक्म की, और प्रत्येक ऐसे हुक्म की जो दफा २०२ या दफा २५८ के अनुसार दिया जाय, अपील उस अदालत में होगी, जिसका पद हुक्म देने वाली अदालत से उच्चतर हो, किन्तु अन्य किसी अदालत में उसकी अपील या निगरानी नहीं की जा सकेगी।

व्याख्या—

दफा २०१ में मौखी भगियों (Customary Sweepers) के हक की जत्ती का हुक्म है। दफा २०२ में कादतकार के हक की जत्ती का हुक्म है जिसके द्वारा वह मैला उठवाने का स्वयं प्रयत्न कर सकता है। दफा २५८ में ऐसी व्यवस्थाएँ वस्तुओं की जत्ती का हुक्म है जो

इजाजत से अधिक मात्रा में पाई जाय। उपरोक्त सब हुक्मों के देने का अधिकार अदालत ही को दिया गया है।

दफा ३२४ उस मुआविजेकी संख्याका झगड़ा जो बोर्डको अदा करना हो

१ यदि कोई झगड़ा ऐसे मुआविजे की संख्या के विषय में उत्पन्न हो जिसके अदा करने की इस ऐक्ट के अनुसार बोर्ड को आज्ञा दी गई हो, तो उसका फैसला उस विधि से किया जायगा जो दोनों फरीक परस्पर निश्चय कर ले, या, यदि दोनों फरीक इस प्रकार फैसला न कर सकें, तो फैसला बोर्ड की या उस शख्स की दरखास्त पर, जो मुआविजा का दावा करता हो, कलक्टर करेगा।

२ मुआविजा दिलाने के सम्बन्ध में कलक्टर का प्रत्येक फैसला इस बात के आधीन होगा, कि मुआविजा की दरखास्त करने वाले को यह अधिकार होगा, कि उस विधि के अनुसार, जो लैण्ड एक्वीजिशन ऐक्ट सन १८९४ ई० (अर्थात् जबरन आराजी प्राप्त करने का कानून) की दफा १८ में दी गई है, उसको जिला जज को फैसले के लिये भेजे जाने की दरखास्त करे।

३ उन दशाओं में जिनमें आराजी के विषय में मुआविजे का दावा हो, कलक्टर और जिला जज, जहां तक सम्भव हो उस जावते के अनुसार कार्रवाई करेंगे जो कि उक्त ऐक्ट में मुआविजे के सम्बन्ध में सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आराजी प्राप्त करने के लिये नियमित है।

व्याख्या—

यह दफा केवल उसी दशामें लागू होगी, जब कि मुआविजेके विषयमें झगड़ा सीधा बोर्डसे हो और उस मुआविजे के अदा करने की आज्ञा, ऐक्ट के हुक्मों के अनुसार, बोर्ड को हो। इसलिए मुहम्मद गजनफर उल्ला यताम बाबूलाल 19 A. L. J. 521 वाले मामले में हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट की दफा ३२४ को किसी ऐसे मुद्दामें से कोई वास्ता नहीं हो सकता जो कि किसी आराजी के पट्टेदारने म्यूनिसिपल बोर्ड के एक ठेकेदार के विरुद्ध दायर किया हो, जिस ठेकेदार ने कि आराजी पर हमारत बनाने की सामग्री जमा कर देने के द्वारा पट्टेदार को उक्त आराजी काम में नहीं लाने दी। हाईकोर्ट ने तजवीज में लिखा कि वह काम जिसके विषय में हर्जे का दावा किया गया था न तो म्यूनिसिपल बोर्ड ने किया था न बोर्ड के किसी मेंबर, अफसर या कर्मचारी ने किया था। न उक्त काम कोई ऐसा काम था जिसके विषय में म्यूनिसिपलटियों के कानून में यह आज्ञा हो कि बोर्ड ऐसे काम का हर्जा अदा करे।

—लैण्ड एक्वीजिशन ऐक्ट न० १ सन् १८९४ ई० की दफा १८ इस प्रकार है —

“१ कोई ऐसा शख्स जिम्को मामले से वास्ता हो और जिसने वह मुआविजे की रकम जो दिलाई गई हो स्वीकार न की हो, लिखित दरखास्त के द्वारा, कलक्टर से कह सकता है, कि मामला, कलक्टर के द्वारा अदालत के फैसले के लिये भेज दिया जाय, चाहे उक्त शख्स का उक्त आराजी के नाप के सम्बन्ध में हो या मुआविजे की संख्या के सम्बन्ध में हो, या इस सम्बन्ध में हो कि मुआविजा किमको दिया जाय, या चाहे उन के भेजे जाने के सम्बन्ध में उक्त हो।

२ दरखास्त में यह कारण लिखे जायेंगे, जिनके आधार पर मुभाविजे पर उजू किया जाता हो। परन्तु शर्त यह है कि प्रत्येक ऐसी दरखास्त—

(ए) यदि दरखास्त देने वाला उस समय पर जब कि मुभाविजे का हुक्म दिया गया था, स्वयं कलक्टर के सामने उपस्थित था, या उसकी ओर से कोई दूसरा शरस उपस्थित था, तो कलक्टर के मुभाविजा दिलाने के हुक्म से ६ सप्ताह के भीतर दरखास्त दी जाना चाहिये।

(बी) अन्य दफाओं में दफा १२ की उपदफा (२) के अनुसार कलक्टर द्वारा भेजे हुए नोटिस के मिलने से ६ सप्ताह के भीतर या कलक्टर के मुभाविजा दिलाने के हुक्म से ६ मास के भीतर दी जायगी, अर्थात् इन दोनों में से जो अवधि पहले समाप्त हो। ”

दफा ३२५ स्थानीय अधिकारियोंके झगड़ोंका फैसला

१ यदि कोई झगड़ा किसी म्यूनिसिपल बोर्ड और किसी अन्य स्थानीय अधिकारी में किसी ऐसे मामले के विषय में उत्पन्न हो, जिस मामलेसे उन दोनों का साथ २ वास्ता हो, तो ऐसा झगड़ा प्रान्तीय सरकारके द्वारा फैसल कराया जायगा और उसका फैसला अन्तिम होगा।

२ प्रान्तीय सरकार, नियम के द्वारा, जो दफा २९६ के अनुसार बनाया जायगा, उन पारस्परिक व्यवहारों को निश्चय कर सकती है, जो बोर्डों तथा दूसरे स्थानीय अधिकारियों के बीच, किसी ऐसे मामले के सम्बन्ध में बरते जायेंगे जिस मामले से उनको साथ २ वास्ता हो।

नोट—स्थानीय अधिकारी की व्याख्या के लिये देखिये दफा ११० की व्याख्या।

—यह दफा उन सब मामलों पर लागू है, जो किसी दो स्थानीय अधिकारियों के बीच उत्पन्न हों, चाहे कोई ज्वाइंट कमेटी दफा ११० के अनुसार बनाई गई हो या नहीं। यदि कोई ज्वाइंट कमेटी बनाई गई हो उसमें जो मेम्बर भिन्न भिन्न स्थानीय अधिकारियों के हों, उनमें जो झगड़ा उत्पन्न हो, उसके फैसले के लिये देखिये दफा ११० की उपदफा (४)।

दफा ३२६ बोर्डपर या उसके अफसरोंपर नालिशें

१ किसी बोर्ड पर, या बोर्ड के किसी मेम्बर, अफसर या कर्मचारी पर कोई नालिश किसी ऐसे काम के विषय में जो उक्त बोर्ड, या मेम्बर, या अफसर, या कर्मचारी ने, अपने पद के अधिकारों को बरतते हुये किया हो, (In official capacity) या जिस के विषय में यह कहा जाय कि वह पद के अधिकारों को बरतते हुये किया गया है, उस समय तक न की जायगी जब तक कि लिखित नोटिस (यदि नालिश बोर्ड पर करना हो) उसके दफतर में पहुँचा देने के पश्चात् दो मास व्यतीत न हो जाय, और यदि नालिश किसी मेम्बर, अफसर या कर्मचारी पर करना हो, तो जब तक लिखित नोटिस उसके हवाले कर दिये जाने से या उसके दफतर में, या निवासस्थान में, पहुँचा दिये जाने के पश्चात् दो मास व्यतीत न हो जाय, और जिस नोटिस में क्रि पिनार्य मुखारसमत (Cause of action) और यह कि किस प्रकारकी दादरसी चाही जाती

इजाजत से अधिक मात्रा में पाई जाय। उपरोक्त सभ हुक्मों के देने का अधिकार अदालत ही को दिया गया है।

दफा ३२४ उस मुआविजेकी संख्याका झगड़ा जो बोर्डको अदा करना हो

१ यदि कोई झगड़ा ऐसे मुआविजे की संख्या के विषय में उत्पन्न हो जिसके अदा करने की इस ऐक्ट के अनुसार बोर्ड को आज्ञा दी गई हो, तो उसका फैसला उस विधि से किया जायगा जो दोनों फरीक परस्पर निश्चय कर लें, या, यदि दोनों फरीक इस प्रकार फैसला न कर सकें, तो फैसला बोर्ड की या उस शख्स की दरखास्त पर, जो मुआविजा का दावा करता हो, कलक्टर करेगा।

२ मुआविजा दिलाने के सम्बन्ध में कलक्टर का प्रत्येक फैसला इस बात के आधीन होगा, कि मुआविजा की दरखास्त करने वाले को यह अधिकार होगा, कि उस विधि के अनुसार, जो लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट सन १८९४ ई० (अर्थात् जबरन आराजी प्राप्त करने का कानून) की दफा १८ में दी गई है, उसको जिला जज को फैसले के लिये भेजे जाने की दरखास्त करे।

३ उन दशाओं में जिनमें आराजी के विषय में मुआविजे का दावा हो, कलक्टर और जिला जज, जहां तक सम्भव हो उस जावते के अनुसार कार्रवाई करेंगे जो कि उक्त ऐक्ट में मुआविजे के सम्बन्ध में सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आराजी प्राप्त करने के लिये नियमित है।

व्याख्या—

यह दफा केवल उसी दशामें लागू होगी, जब कि मुआविजेके विषयमें झगड़ा सीधा बोर्डसे हो और उस मुआविजे के अदा करने की आज्ञा, ऐक्ट के हुक्मों के अनुसार, बोर्ड को हो। इसलिफ् मुहम्मद राजनफर उल्ला वनाम बाबूलाल 19 A. L. J 521 वाले मामले में हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट की दफा ३२४ को किसी ऐसे मुद्दामें से कोई वास्ता नहीं हो सकता जो कि किसी आराजी के पट्टेदारने म्यूनिसिपल बोर्ड के एक ठेकेदार के विरुद्ध दायर किया हो, जिस ठेकेदार ने कि आराजी पर इमारत बनाने की सामग्री जमा कर देने के द्वारा पट्टेदार को उक्त आराजी काम में नहीं लाने दी। हाईकोर्ट ने तजवीज में लिखा कि वह काम जिसके विषय में हर्जे का दावा किया गया था न तो म्यूनिसिपल बोर्ड ने किया था न बोर्ड के किसी मेम्बर, अफसर या कर्मचारी ने किया था। न उक्त काम कोई ऐसा काम था जिसके विषय में म्यूनिसिपलटियों के कानून में यह आज्ञा हो कि बोर्ड ऐसे काम का हर्जा अदा करे।

—लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट न० १ सन् १८९४ ई० की दफा १८ इस प्रकार है —

“१ कोई ऐसा शख्स जिसको मामले से वास्ता हो और जिसने वह मुआविजे की रकम जो दिलाई गई हो स्वीकार न की हो, लिखित दरखास्त के द्वारा, कलक्टर से कह सकता है, कि मामला, कलक्टर के द्वारा अदालत के फैसले के लिये भेज दिया जाय, चाहे उक्त शख्स का उक्त आराजी के नाप के सम्बन्ध में हो या मुआविजे की सरया के सम्बन्ध में हो, या इस सम्बन्ध में हो कि मुआविजा किसको दिया जाय, या चाहे उन शख्सों का जिनका मामला से वास्ता हो मुआविजे के बाटे जाने के सम्बन्ध में उक्त हो।

२ दरखास्त में वह कारण लिखे जायेंगे, जिनके आधार पर मुआविजे पर उजू किया जाता हो। परन्तु धर्त यह है कि प्रत्येक ऐसी दरखास्त—

(ए) यदि दरखास्त देने वाला उस समय पर जय कि मुआविजे का हुक्म दिया गया था, स्वयं कलक्टर के सामने उपस्थित था, या उसकी ओर से कोई दूसरा शरस उपस्थित था, तो कलक्टर के मुआविजा दिलाने के हुक्म से ६ सप्ताह के भीतर दरखास्त दी जाना चाहिये।

(बी) अन्य दफाओं में दफा १२ की उपदफा (२) के अनुसार कलक्टर द्वारा भेजे हुए नोटिस के मिलने से ६ सप्ताह के भीतर या कलक्टर के मुआविजा दिलाने के हुक्म से ६ मास के भीतर दी जायगी, अर्थात् इन दोनों में से जो अवधि पहले समाप्त हो। ”

दफा ३२५ स्थानीय अधिकारियोंके झगड़ोंका फैसला

१ यदि कोई झगडा किसी म्यूनिसिपल बोर्ड और किसी अन्य स्थानीय अधिकारी मे किसी ऐसे मामले के विषय मे उत्पन्न हो, जिस मामलेसे उन दोनों का साथ २ वास्ता हो, तो ऐसा झगडा प्रान्तीय सरकारके द्वारा फैसल कराया जायगा और उसका फैसला अन्तिम हीगा।

२ प्रान्तीय सरकार, नियम के द्वारा, जो दफा २९६ के अनुसार बनाया जायगा, उन पारस्परिक व्यवहारों को निश्चय कर सकती है, जो बोर्डों तथा दूसरे स्थानीय अधिकारियों के बीच, किसी ऐसे मामले के सम्बन्ध मे बरते जायेंगे जिस मामले से उनको साथ २ वास्ता हो।

नोट—स्थानीय अधिकारी की व्याख्या के लिये देखिये दफा ११० की व्याख्या।

—यह दफा उन सब मामलों पर लागू है, जो किसी दो स्थानीय अधिकारियों के बीच उत्पन्न हों, चाहे कोई ज्वाइंट कमेटी दफा ११० के अनुसार बनाई गई हो या नहीं। यदि कोई ज्वाइंट कमेटी बनाई गई हो उसमें जो मेम्बर भिन्न भिन्न स्थानीय अधिकारियों के हों, उनमें जो झगड़ा उत्पन्न हो, उसके फैसले के लिये देखिये दफा ११० की उपदफा (४)।

दफा ३२६ बोर्डपर या उसके अफसरोंपर नालिशें

१ किसी बोर्ड पर, या बोर्ड के किसी मेम्बर, अफसर या कर्मचारी पर कोई नालिश किसी ऐसे काम के विषय में जो उक्त बोर्ड, या मेम्बर, या अफसर, या कर्मचारी ने, अपने पद के अधिकारों को बरतते हुये किया हो, (In official capacity) या जिस के विषय में यह कहा जाय कि वह पद के अधिकारों को बरतते हुये किया गया है, उस समय तक न की जायगी जब तक कि लिखित नोटिस (यदि नालिश बोर्ड पर करना हो) उसके दफतर मे पहुँचा देने के पश्चात् दो मास व्यतीत न हो जाय, और यदि नालिश किसी मेम्बर, अफसर या कर्मचारी पर करना हो, तो जय तक लिखित नोटिस उसके हवाले कर दिये जाने से या उसके दफतर में, या निवासस्थान में, पहुँचा दिये जाने के पश्चात् दो मास व्यतीत न हो जाय, और जिस नोटिस में चि यिनाय मुख़ासमत (Cause of action) और यह कि किस प्रकारकी दादरसी चाही जाती

है, और हर्जें की सख्या जो मागी जाती है, और मुद्दईका नाम और निवास स्थान, प्रत्यक्ष रूप से लिखे जायगे, और अर्जी दावेमें यह बात लिखी जायगी कि ऐसा नोटिस दे दिया गया है, या पहुँचा दिया गया है।

२ यदि बोर्ड, या मेम्बर, या अफसर, या कर्मचारी ने, मुकुद्दमा आरम्भ होने से पूर्व मुद्दई को काफी बदला दे दिया हो, तो मुद्दई उस रकम से अधिक जो देदी गई हो, कोई रकम वसूल न करेगा, और ऐसी रकम के दे दिये जाने के पश्चात्, मुद्दाभलेह का जो खर्चा पड़े वह भी अदा करेगा।

३ कोई ऐसा मुकुद्दमा जिसका वर्णन उपदफा (१) में है, सिवाय उस दशा के कि उक्त मुकुद्दमा स्थावर जायदाद पर कब्जा लेने के लिये हो, या उसके सम्बन्ध में इस्तिफ़ार हक के लिये हो, सिवाय इसके कि वह विनाय मुख़ासमत के उत्पन्न होने से ६ मास के भीतर आरम्भ कर दिया जाय, इसके पश्चात् आरम्भ न किया जायगा।

४ परन्तु शर्त यह है कि उपदफा (१) की किसी बात का यह अर्थ न लगाया जायगा कि वह किसी ऐसी नालिश पर लागू है जिसमें वह टादरसी (Rebel) जिसका दावा किया जाय, केवल ऐसे हुकम इम्तनाई के लिये हो जिसका मतलब नोटिस के देनेसे, या मुकुद्दमा या कार्यवाई के आरम्भ करने को मुलतवी करनेसे नष्ट हो जायगा।

व्याख्या—

दफा ३२६ का सारांश यह है—

म्यूनिसिपल बोर्ड पर या बोर्ड के किसी अफसर आदि पर दावा करने से पूर्व दो मास का नोटिस दिया जाना चाहिये। ऐसे नोटिस में मामले का पूरा वृत्तान्त दिया जाना चाहिये। जिस दिन विनाय मुख़ासमत उत्पन्न हो उससे ६ मास के भीतर दावा कर दिया जाना चाहिये। परन्तु यह ६ मास की अवधि उस दशा में लागू न होगी जब दावा किसी स्थावर जायदाद पर कब्जा लेने के लिये हो या स्थावर जायदाद के विषय में इस्तिफ़ार हकके लिये हो। परन्तु दो मास का नोटिस इन दशाओं में भी आवश्यक होगा। यदि दावा हुकम इम्तनाई के लिये हो और दो मास के नोटिस देने का यह प्रभाव हो कि दावे का इतने समय के बाद किया जाना निरर्थक हो तो ऐसी दशा में दो मास के नोटिस की आवश्यकता न होगी।

—इस दफाके अनुसार नोटिस दिये जानेकी जो आज्ञा दी गई है यह केवल दीवानी के मामलों के लिये है उससे फौजदारी की अदालत की किसी कार्यवाई से कुछ सम्बन्ध नहीं है। इसलिये जब कुछ म्यूनिसिपल कर्मचारियों ने एक दरस के कुछ मवेशी पकड़ के बाड़े में दे दिये, और उक्त कर्मचारियों पर दफा २२, कैपिटल ट्रेस्पस ऐक्ट न० १ सन् १८७१ई० के अनुसार फौजदारी की अदालतने जुर्माना किया तो हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि दण्ड ठीक दिया गया और यह कि दो मासका नोटिस ऐसी दशा में आवश्यक नहीं है, न ऐसी फौजदारी की कार्यवाई से दफा ३२६ का कुछ सम्बन्ध है। देखिये सटोला चगैरा बनाम सरकार बहादुर 16 A. L. J 149.

—नोटिस के दिये जाने का तात्पर्य यह है, कि यदि बोर्ड या बोर्ड का कोई मेम्बर, अफसर या कर्मचारी सार्वजिक कामों में, कोई भूल चूक, कर जाय, या कानून की आज्ञा के विरुद्ध कोई काम करे, तो उनको इस बात का अवसर दिया जाय, कि वह उस हानि का बदला देकर, जो किसी को ऐसी भूल चूक आदि से पहुँची हो पब्लिक का रपया मुकुद्दमा लड़ने में ध्यान न करायें। हाई-

कोर्ट ने तजवीज किया है कि गोटेस का दिया जाना प्रत्येक दशा में आवश्यक है। म्यूनिसिपलटी के आफसर आदि ने काम नैरनीयत में किया था, या घुरीनीयत से, इसका प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। इसलिये जब कि म्यूनिसिपलटी के एक मेम्बर ने, जिसको सफाई के कामों की देख भाल करना सौंपा गया था, एन श्रांस के विरुद्ध रिपोर्ट की कि उसके घर से मैला पानी सड़क पर बह रहा था, परन्तु उस श्रांस के विरुद्ध अपराध साधित न हुआ, और उसने श्रांग मुकद्दमा चलाने का दावा उक्त मेम्बर पर किया। तो हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि ऐसा दशा म भी दो मास का नोटिस दिया जाना जरूरी था। देखिये जुगलकिशोर बनाम जुगलकिशोर 8 A L J 509=33 All I L, R 540=10 I C 1

—जो दावा थोड़े पर, या थोड़े के किसी मेम्बर आदि पर इस दफा की उपदफा (१) के अनुसार किया जाय, वह बिनाय मुखाममत के उत्पन्न होने से ६ मास के भीतर, अर्थात् उम दिन के ६ मास के भीतर, जिस दिन कि कानून के अनुसार, दावा करने का हक प्राप्त हो जाय, कर दिया जाना चाहिये। ऐसे मुकद्दमा पर कानून मियाद (Limitation Act) के हुकम लागू न होंगे।

माथनलाल बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड आगरा 18 A L J 180=54 I C 459 के मुकद्दमे में मामला यह था कि मुद्दई ने कुछ बपटा म्यूनिसिपलटी की हद्दों के बाहर भेजा और उसके लिये चुन्नी की चापसी चाही। म्यूनिसिपलटी ने चापसी देने से मना कर दिया। मुद्दई ने चापसी के लिये दावा बिनाय मुद्दासमत उत्पन्न होने से ६ मास के उपरान्त किया। ६ मास की मियाद, जो उपदफा (३) के अनुसार दी गई है, उससे बचने के लिये, मुद्दई की ओर से यह बहस की गई, कि उपदफा (१) का केवल उन्हीं मुकद्दमों से सम्बन्ध है जिनमें किसी काम के लिये हरजा मागा जाय। इसलिये उपदफा (३) में बतलाई हुई ६ मास की मियाद, ऐसे मुकद्दमे में, जिसमें हरजा नहीं वरन रुपये की चापसी मांगी जाती है, लागू नहीं हो सकती। इस बहस को हाईकोर्ट ने स्वीकार नहीं किया, और तजवीज किया कि समस्त ऐसे मुकद्दमे, जो किसी ऐसे काम के कारण दायर किये जाय, जो काम कि इस एक्ट के अनुसार किया गया हो, या जो इस एक्ट के हुकमों की आड़ में (Under Colour of) किया गया हो, या जिसके प्रिययमें यह कहा जाता हो (Purporting to be done) कि वह इस एक्ट के अनुसार किया गया था, उस विशेष मियाद के भाधीन होंगे, जो दफा में बतलाई गई है, चाहे ऐसे मुकद्दमे हरजे के लिये हों या अन्य किसी बात के लिये। केवल स्थावर जायदाद की चापसी के लिये, या स्थावर जायदाद के विषय में इस्तिफार हुक्के, जो मुकद्दमे हों, चापर यह विशेष मियाद लागू न होगी।

—परन्तु ऐसा कोई हक जैसे मरे हुये पशुओं के मृत शरीर भूमि पर से उठाने का, स्थावर जायदाद के सम्बन्ध का हक नहीं माना जा सकता है। इसलिये जब एक म्यूनिसिपलटी ने मुद्दाभलेह को पशुओं के मृत शरीर उठाने या जमा करने का देखा था पट्टा दे दिया और उक्त टेके या पट्टे से ६ मास व्यतीत हो जाने के उपरान्त मुद्दई ने इस्तिफार हक का दावा किया कि उक्त हक मुद्दको प्राप्त है। तो हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि भूमि पर से पशुओं के मृत शरीर उठाने का हक, स्थावर जायदाद से सम्बन्ध रखने वाला कोई हक नहीं है, और दावा ६ मास के भीतर किया जाना चाहिये था। देखिये झुनवा चर्गरा बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड धामपूर 21 A L J 101

—एक म्यूनिसिपलटी ने एक शरस अयदुल्वाहिद की, एक मले के लिये कुछ प्रांपे बनाने का देका दिया। जब टेकेदार ने अपना बिल पेदा किया तो म्यूनिसिपलटी व इन्जीनियर ने यह राय दी कि उसमें स कुछ रकम कम की जाना चाहिये। योर्दे ने इस राय का समर्थन किया और ता० १४

अगस्त सन् १९१८ ई० को ठेकेदार के पास इस यातकी सूचना भेज दी गई। चार वर्ष के पश्चात् अबदुल वाहिद ने उस रकम का दावा किया। हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि पूरा रुपया देने से बोर्ड ने इन्कार किया था वह एक ऐसा काम था जो उसने अपने पद की हैसियत से किया था अतएव उस रुपये का दावा, बोर्ड द्वारा मना करने से ६ मास के भीतर होना चाहिये था देखिये अबदुल वाहिद बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड इलाहाबाद, 21 A L J 161.

—केवल एक दशा है, जिसमें बिना दो मास का नोटिस दिये हुये, किसी म्यूनिसिपल बोर्ड पर, या उसके किसी अफसर, मेम्बर, कर्मचारी पर दावा किया जा सकता है, अर्थात् जब मुकद्दमें में ऐसे बोर्ड आदि के विरुद्ध हुक्म इम्तनाई निकाले जाने की प्रार्थना की जाय, और दो मास तक मुकद्दमा दायर न कर सकने के कारण, मुकद्दमें का दायर किया जाना व्यर्थ और निष्फल हो जाने की सम्भावना हो। जैसे यदि कोई बोर्ड किसी मकान को गिरा देने का हुक्म दे, ऐसी दशा में यदि दो मास का नोटिस दिया जाय, तो इस बीच में मकान के गिरा दिये जाने के कारण, मुकद्दमा का दायर किया जाना व्यर्थ हो जायगा। — यह बात ध्यान में रखना चाहिये कि ऐक्ट न० १ सन् १९०० ई० में ऐसा हुक्म नहीं था। अतएव उक्त ऐक्ट के अनुसार जो नज़रें इस विषय में हुई हों कि हुक्म इम्तनाई के दावे में भी दो मास का नोटिस दिया जाना चाहिये, यह वर्तमान ऐक्ट की दफा ३२६ की उपदफा (४) के हुक्म के सामने कोई असर नहीं रखती। जैसे देखिये ई० सी० एफ० ग्रीनवे बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड कानपुर, 1906 A W N 107=3 A L J 341.

—यह आवश्यक है कि मुकद्दमेंमें केवल हुक्म इम्तनाई की ही प्रार्थना की जाय। यदि ऐसी प्रार्थना के सग कोई अन्य प्रार्थना भी की गई हो, तो नोटिस का दिया जाना जरूरी है। म्यूनिसिपल बोर्ड बनारस बनाम गजाधर 41 All I L R 162=16 A L J. 793=47 I C 848, के मुकद्दमें में मामला यह था कि मुद्दई को म्यूनिसिपल बोर्ड ने एक चबूतरा दूर कर देने का हुक्म दिया। इस नोटिस पर मुद्दई ने मुकद्दमा दायर करने का नोटिस उक्त बोर्ड को ता० १४ जुलाई सन् १९१६ ई० को दिया, किन्तु मुकद्दमा ता० ४ अगस्त सन् १९१६ ई० को अर्थात् नोटिससे दो मास समाप्त होने से पूर्व ही, दायर कर दिया। मुद्दईने दो प्रकारकी प्रार्थनायें मुकद्दमेंमें की, अर्थात् (१) चबूतरे के विषय में इस्तिकरार/हक कर दिया जाय और (२) म्यूनिसिपलटी के नाम हुक्म इम्तनाई जारी किया जाय कि वह चबूतरे को न तोडवाये।



प्रकरण ११

परिशिष्ट

(Supplementary)

—*—

दफा ३२७ प्रान्तीय सरकार द्वारा अधिकारों का सौंपा जाना

प्रान्तीय सरकार विज्ञापन के द्वारा किसी कमिश्नर को, किसी विशेष म्यूनिसिपलटी के विषय में, या एक से अधिक म्यूनिसिपलटियों के विषय में, जो ऐसे कमिश्नर की कमिश्नरी के भीतर हो, कोई एक या एक से अधिक अधिकार, जो इस ऐक्टके द्वारा प्रान्तीय सरकार को दिये गये हो, सिवाय उन अधिकारों के जिनकी सूची शिड्यूल नं० ७ में दी गई है सौंप सकती है।

दफा ३२८ याददाश्तकी किताबों और कूते हुये करोंकी सूचियोंकी जाच के लिये सुभीता कर दिया जाना

प्रत्येक ऐसा शहर, जो कर भदा करता हो, और प्रत्येक निर्वाचक (Elector) उन शर्तों के आधीन, जो वार्ड-लों के द्वारा, जो इस विषय में बनाया गया हो, नियमित की गई हों, बोर्ड की याददाश्त की किताब (Minute Books) और कूते हुये करों की सूचियों की, बिना किसी फीस के दिये हुये, जाच कर सकेगा।

नोट-बोर्ड से इस दफा के लिये वार्ड लॉ बनानेका अधिकार दफा २९८ की मद (जे) के अग (जी) के द्वारा दिया गया है।

दफा ३२९ नियमों रेग्युलेशन और वार्ड-लॉओंको प्रकाशित कर देनेके लिये हुक्म

ऐसी किताबें जिनमें प्रत्येक नियम और रेग्युलेशन और वार्ड-लों लिखा हो, म्यूनिसिपलटी के दफतर में रखी जायगी, और काम काज के साधारण समय में, प्रत्येक शहर बिना किसी फीस के दिये हुये, उनकी जाच कर सकेगा, और वह उक्त दफतर में, लोगों के हाथ, ऐसे उचित मूल्य पर बेची जाने के लिये रखी जायेंगी, जो मूल्य कि वार्ड-लों में जो इस विषय में बनाया जाय भक्ति कर दिया जायगा।

नोट-दफा २९८ की मद (जे) के अग (जी) के अनुसार इस दफा के लिये वार्ड लॉ बनाये जा सकते हैं।

दफा ३३० म्यूनिसिपलटीके कागज़ोंके साबित करनेकी विधि

किसी ऐसी रसीद, या दरखास्त, या नक़्शे (Plan), या नोटिस, या हुक्म, या रजिस्टरके इन्दराज, या किसी अन्य दस्तावेज के इन्दराज की नक़ल, जो किसी बोर्डके कब्जे में हो, यदि ऐसी नक़ल की वह शहर तस्दीक करे जो क़ानून के अनुसार उसका रखने वाला हो या कोई अन्य ऐसा शहर तस्दीक करे जिसको वार्ड-लों के द्वारा इस

जायें, या जो दस्तावेजों उसके सामने आयें, उनके विषय में उसको अधिकार होगा कि यदि उन पर काफ़ी स्टाम्प न लगा हो, तो वह उनको जप्त कर ले। देखिये G. O. No. 1537 XI 414 A तारीख २३ जून सन १८९७ ई०।

दस्तावेजोंकी नकलोंकी फीस उसी दर से ली जाना चाहिये जो दफा २९८ की मद (जे) के अंश (बी) के द्वारा बनाये हुए धाई लॉओंमें नियमित हों, उक्त दफा के अनुसार बनाये हुए नमूने के धाई-लॉ न० ५ में नकलों के लिये नीचे लिखी फीसें बताई गई हैं —

१ याददाश्त की किताब (Minute book) या कूटे हुये करों की सूची (Assessment list) के अतिरिक्त किसी अन्य दस्तावेज या रजिस्टर आदिका जांचके लिये दिया जाना—१) रुपया।

२ किसी दस्तावेज का पता लगाने या खोजने के लिये इन्डेक्स रजिस्टर का ढूँढा जाना—प्रति घण्टे की खोज के लिये, १) रुपया।

३ (ए) किसी दस्तावेज, या दफ्तर के रजिस्टर आदि के नकल करने के लिये, या उसका कोई भाग नकल करने के लिये, फुलिस्केप के प्रत्येक पन्ने के लिये, जिसमें नव्ये शब्द होंगे या ऐसे पन्ने के किसी भाग के लिये।) आना। परन्तु ऐसी नकल के लिये कोई फीस ॥) आना से कम न ली जायगी।

(बी) यदि अमल में खाने आदि लिखे हों (Tabulated form) तो उरके लिये उपरोक्त (ए) में बताई हुई फीस से दुगनी फीस ली जायगी।

४ किसी नकल पर गवाही करने के लिए ॥) आना।

५ पैदाइश या मौत की तस्दीक की हुई नकल, ॥) आना।

६ किसी नकल (Copy) की नकल—उसके नाप और विवरण के अनुसार, परन्तु कम से कम जो फीस ली जायगी वह १) रुपया होगी।

दफा ३३१ कांराज्योंको पेश करनेके लिये म्यूनिसिपलटीके कर्म-चारियोंको तलब करनेके विषयमें बंधेज

म्यूनिसिपलटी के किसी अफसर या कर्मचारी को, किसी ऐसी कानूनी कार्यवाई में, जिसमें बोर्ड फरीक न हो, यह आज्ञा न दी जायगी, कि वह कोई पेशा रजिस्टर या फाइल पेश करने के लिये लाये जिसका लेख, ऊपर लिखी हुई दफा के अनुसार तस्दीक की हुई नकल के द्वारा साबित किया जा सकता हो, न यह आज्ञा दी जायगी कि वह गवाह की तरह, उन मामलों और कार्यवायियों को साबित करने के लिये उपस्थित हो, जो उसमें लिखे हो सिवाय उस दशा के कि अदालत ऐसा हुक्म किसी विशेष कारण से दे।

नोट—देखिये दफा ३३० वीं न्याया।

दफा ३३२ म्यूनिसिपलटीके कामों और रजिस्टरोंकी जांच करनेका मेम्बरोंका अधिकार

बोर्ड का प्रत्येक मेम्बर चेयरमैन की मजूरी पहले से प्राप्त करके किसी काम (तामीर) या सस्था की, जो पूर्णत या अंशत बोर्ड के सुचले घनी हो, या चलाने, जाती

विषय में अधिकार दिया गया हो, तो वह नकल उक्त इन्दराज या दस्तावेज इत्यादि के अस्तित्व का प्रत्यक्ष प्रमाण (सुवृत्त वादी उलनजर Prima Facie Evidence) माना जायगा, और वह उन मामलों और कार्रवाइयों की, जो उसमें लिखी हो प्रत्येक ऐसी दशा में, और उसी सीमा तक, शहादत मान कर स्वीकार की जायेगी (Admitted as evidence) जिस दशा में और जिस सीमा तक वह असल इन्दराज या दस्तावेज इत्यादि, यदि वह पेश की जाती, उन मामलों या कार्रवाइयों के साबित करने के लिये शहादत में स्वीकार की जाने के (Admissible) योग्य होती।

व्याख्या—

दफा ३३० तथा ३३१ का आशय यह है कि म्यूनिसिपलटी के असल रजिस्ट्रारों, कागजों आदि के तलब करने और अदालतों में दाखिल करने की आवश्यकता न पड़े, क्योंकि यदि किसी सार्वजनिक दफ्तर के रजिस्ट्रार आदि अदालत में दाखिल कर दिये जायें तो काम काज में बड़ा हर्जे होने की सम्भावना है। अतएव यह हुक्म रखा दिया गया है कि तस्दीक की हुई नकल के पेश किये जाने पर यह मान लिया जायगा कि उसका असल कागज म्यूनिसिपलटी के दफ्तर में मौजूद है, और ऐसी नकल उसी प्रकार शहादत में ली जा सकेगी जैसे कि असल कागज लिया जा सकता, और उसका ठीक वैसा ही प्रभाव होगा जैसा कि असल कागज का होता।

—तस्दीक की हुई नकलों के दिये जाने के विषय में नीचे लिखी हिदायत दी गई हैं —

(१) म्यूनिसिपलटी के कागजों की नकलें, जिनके विषय में यह तस्दीक की गई हो कि 'नकल असल के अनुसार है' ऐसे सरकारी स्टाम्प (अर्थात् जिम्पर सरकारी मुहर छपी होती है Impressed paper) पर, जनरल स्टाम्प ऐक्ट के, शिड्यूल न० १ की मद २२ के अनुसार (ऐक्ट न०, २ सन १८९९ ई० के शिड्यूल न० १ की दफा २४), जिसका मूल्य साधारणतया आठ आना हो, होना चाहिये।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक फुलबेच ने एक मामले में, जो स्टाम्प ऐक्ट न० १ सन १८७९ ई० की दफा ४६ के अनुसार उसके पास फैसले के लिये भेजा गया था, यह तजवीज किया कि कोई हुक्म जो म्यूनिसिपल बोर्ड किसी दूरदाम्त पर दे उसकी ऐसी नकल जिसकी कि म्यूनिसिपल सेक्रेटरी ने तरदीक की हो कि नकल असल के अनुसार है उक्त स्टाम्प ऐक्ट के पहले शिड्यूल की मद २२ के भीतर आती है और वह स्टाम्प पर होना चाहिये, और यह भी तजवीज किया कि बोर्ड का सेक्रेटरी, स्टाम्प ऐक्ट के पहले शिड्यूल की मद २२ के मतलब के लिये सार्वजनिक नौकर (Public Servant) है। देखिये 19 All I L R 293 F B

२ म्यूनिसिपलटी के कागजों की नकलें सादे कागज पर निजी काम के लिये दी जा सकती हैं, परन्तु ऐसी दशा में यह तस्दीक नहीं की जा सकती कि नकल असल के अनुसार है, और ऐसी नकलें को-कोई अदालत या सार्वजनिक सस्था दू, कापी (नकल मुताबिक असल) नहीं मानेगी। देखिये, G O No 1458 XI 414 A ता० २ जून सन १८९८ ई० ऐक्ट न० १ सन १८७९ ई० की दफा ३३ (जो स्टाम्प ऐक्ट न० २ सन १८९९ के शिड्यूल न० १ की मद २४ के समान थी) के अनुसार लेफ्टिनेण्ट गवर्नर ने यह निश्चय कर दिया है कि यह अक्सर जिसकी सुपुर्दगी में म्यूनिसिपलटी का दफ्तर हो, स्टाम्प ऐक्ट की दफा ३३ के अर्थ के अनुसार, सार्वजनिक दफ्तर के चार्ज में माना जायगा, और इसलिये अपने काम काज को करते हुए जो दस्तावेजों उसके सामने पेश की

जायें, या जो दस्तावेजें उसके सामने आयें, उनके विषय में उसको अधिकार होगा कि यदि उन पर काफ़ी स्टाम्प न लगा हो, तो वह उनको जप्त कर ले। देखिये G. O. No. 1537 XI 414 A तारीख २३ जून सन १८९७ ई०।

दस्तावेजोंकी नकलोंकी फीस उसी दर से ली जाना चाहिये जो दफा २९८ की मद (जे) के अर्थ (जी) के द्वारा बनाये हुए बाई लेंथोंमें नियमित हों, उक्त दफा के अनुसार धनाये हुए नमूने के बाई-लेंथों न० ५ में नकलों के लिये नीचे लिखी फीसें बताई गई हैं —

- १ याददाश्त की किताब (Minute book) या कृते कर्तों की सूची (Assessment list) के अतिरिक्त किसी अन्य दस्तावेज या रजिस्टर आदिका जांचके लिये दिया जाना—१) रुपये।
- २ किसी दस्तावेज का पता लगाने या खोजने के लिये इन्डेक्स रजिस्टर का बूँटा जाना—प्रति-वर्ष की खोज के लिये, १) रुपये।

३ (ए) किसी दस्तावेज, या दफ्तर के रजिस्टर आदि के नकल करने के लिये, या उसका कोई भाग नकल करने के लिये, फुलिस्केप के प्रत्येक पन्ने के लिये, जिसमें नव्ये शब्द होंगे या ऐसे पन्ने के किसी भाग के लिये। आना। परन्तु ऐसी नकल के लिये कोई फीस ॥) आना से कम न ली जायगी।

(बी) यदि असल में खाने आदि खिचे हों (Tabulated form) तो उनके लिये उपरोक्त (ए) में बताई हुई फीस से दुगुनी फीस ली जायगी।

४ किसी नकल पर गवाही करने के लिए ॥) आना।

५ पैदाइश या मौत की तस्दीक की हुई नकल, ॥) आना।

६ किसी नक्शे (Plan) की नकल—उसके नाप और विवरण के अनुसार, परन्तु कम से कम जो फीस ली जायगी वह १) रुपये होगी।

दफा ३३१ का राज़ीको पेश करनेके लिये म्यूनिसिपलटीके कर्म-चारियोंको तलब करनेके विषयमें बंधेज

म्यूनिसिपलटी के किसी अफसर या कर्मचारी को, किसी ऐसी कानूनी कार्यवाही में, जिसमें बोर्ड फरीक न हो, यह आज्ञा न दी जायगी, कि वह कोई ऐसा रजिस्टर या कागज पेश करने के लिये लाये जिसका लेख, ऊपर लिखी हुई दफा के अनुसार तस्दीक की हुई नकल के द्वारा साबित किया जा सकता हो, न यह आज्ञा दी जायगी कि वह गवाह की तरह, उन मामलों और कार्यवाहियों को साबित करने के लिये उपस्थित हो, जो उसमें लिखे हो सिवाय उस दशा के कि अदालत ऐसा हुकम किसी विशेष कारण से दे।

नोट—देखिये दफा ३३० की व्याख्या।

दफा ३३२ म्यूनिसिपलटीके कामों और रजिस्ट्रोंकी जांच करनेका मेम्बरोंका अधिकार

बोर्ड का प्रत्येक मेम्बर चेयरमैन की मजूरी पहले से प्राप्त करके, किसी काम (तामीर) या सस्था की, जो पूर्णत या अंशत बोर्ड के खर्चसे चनी हो, या चलाई जाती

हो, और किसी रजिस्टर, या किताब, या हिसाब, या अन्य कागज़ की जो बोर्ड का हो, या जो बोर्ड के कब्जे में हो, जांच कर सकता है।

दफा ३३३ बोर्डके स्थापित होने तक ज़िला मजिस्ट्रेटका बोर्डके अधिकारों को बरतना

जब इस ऐक्ट के अनुसार कोई नई म्यूनिसिपलटी स्थापित की जाय, तो जिला मजिस्ट्रेट या अन्य अफसर, जिसको उक्त मजिस्ट्रेट इस अभिप्राय से नियुक्त करे, बोर्ड के स्थापित होने तक, बोर्ड के अधिकार, मेम्बरों का पहला निर्वाचन कराने के लिये, या अन्य प्रकार की प्रारम्भिक व्यवस्था करने के उद्देश्य से बरतेंगा, या इस उद्देश्य से बरतेंगा, कि आम तौर से, ऐसा प्रवन्ध हो जाय कि बोर्ड, स्थापित हो जाने पर, अपने कर्तव्यों को, बिना विलम्ब के हाथ में ले सके।

व्याख्या—

इस दफा का यह उद्देश्य नहीं है कि बोर्ड के स्थापित होने और काम आरम्भ करने से पूर्व जिला मजिस्ट्रेट या कोई अन्य अफसर बोर्ड के सारे अधिकारों को बरतना आरम्भ कर दे। वरन अभिप्राय केवल इतना है कि बोर्ड के स्थापित करने के लिये जो मेम्बरों का निर्वाचन हो, उसके लिये प्रवन्ध किया जाय, और ऐसे सब प्रवन्ध कर दिये जाय जिनसे कि बोर्ड के स्थापित किये जाने में सहायता मिले, और जिनके द्वारा, स्थापित हो जाने पर, बोर्ड अपना काम तुरन्त आरम्भ करने के योग्य हो जाय।

इसलिये जब कि एक रकबा मुदतहरा (Notified Area) म्यूनिसिपलटी बनाया जाने को था, और उक्त रकबा मुदतहरा की कमेटी समाप्त हो चुकी थी परन्तु बोर्ड अभी स्थापित नहीं हुआ था। तहसीलदार ने एक शख्स पर मुकदमा चलाये जाने की मजूरी इस कारण दे दी कि उक्त शख्स ने रकबा मुदतहरा की कमेटी के हुकम के विरुद्ध एक भीत बनवा ली थी। हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि यह हुकम कानून के विरुद्ध था क्योंकि "यह बात स्पष्ट है कि किसी पर मुकदमा चलाये जाने की आज्ञा देने से न तो पहले निर्वाचन के प्रारम्भिक प्रवन्ध में कोई सहायता मिल सकती है न उससे इस बात में किसी प्रकार की सहायता मिलती है कि बोर्ड अपने काम को बिना विलम्ब हाथ में ले सके।" देखिये जगन वनाम सरकार बहादुर, 19 A L J 942.

—जब किसी म्यूनिसिपलटी का बोर्ड दफा ३१ के ड्रॉज (ई) के अनुसार अलग कर दिया जाता है (Superseded) और उसकी जगह नया बोर्ड स्थापित किया जाता है तो भी नये बोर्ड के मेम्बरों के निर्वाचन आदि का प्रवन्ध जिला मजिस्ट्रेट दफा ३३३ के अनुसार करता है।

दफा ३३४ कानूनोंका रद्द किया जाना और बचते

१ यह कानून जो गिहपुल न० ९में अङ्कित है रद्द किये जाते हैं।

२ परन्तु शर्त यह है कि उक्त कानूनों के रद्द किये जाने का प्रभाव निम्नलिखित बातों पर न पड़ेगा।

(ए) किसी नियुक्ति या किसी रुपये या जायदाद को किसी विशेष मद के लिये भलग कर दिये जाने के जायज होने पर या किसी ऐसे कर या

महसूल के जायज होने पर जो किसी ऐसे कानून के अनुसार लगाया गया हो जो इस दफा के द्वारा रद्द किया गया हो । या

(बी) किसी ऐसे अफसर के, जो इस ऐक्ट के प्रचलित होने से पूर्व नियुक्त किया गया हो, बदलाव की शर्तों पर या उसके पेन्शन के हक पर ।

दफा ३३५ इंडियन रेलवेज ऐक्ट सन् १८९० ई० के सम्बन्धमें वचन

इस ऐक्ट की किसी बातका प्रभाव इंडियन रेलवेज ऐक्ट सन् १८९० ई० (अर्थात् हिन्दुस्तान की रेलोंका कानून) पर या किसी नियम पर जो उक्त ऐक्टके अनुसार बनाये गये हों, न पड़ेगा ।

दफा ३३६ उन कामोंका जायज ठहराया जाना जो इस ऐक्टके आरम्भ होनेसे पूर्व किये गये हों

ऐसे सब कामों के विषय में, जो इस ऐक्ट के आरम्भ होने से पहले किये गये हों, और जो, यदि यह ऐक्ट प्रचलित होता तो कानून के अनुसार किये जा सकते, यह माना जायगा कि वह कानून के अनुसार किये गये थे ।



प्रकरण १२

मुश्तहिरा रकबे (Notified Areas)



दफा ३३७ मुश्तहिरा रकबोंका संगठन

१ प्रान्तीय सरकार, विज्ञापन के द्वारा, किसी ऐसे स्थानीय रकबे के विषय में, जो म्यूनिसिपलटी न हो, या रकबा कस्बा (Town Area) न हो, या ऐसा ग्राम न हो जिसमें खेती होती हो, यह घोषित कर सकती है कि उन बातोंमें से कुछ, या सब बातों के प्रबन्धके लिये जो दफा ७ और दफा ८ में वर्णित हैं, इस प्रकार हुक्म कर देना उचित है, कि इस प्रकार के हुक्म उक्त रकबे पर लागू कर दिये जाय।

२ जिस स्थानीय रकबे के विषय में उपदफा (१) के अनुसार विज्ञापन दिया गया हो, वह इस ऐक्ट में भागे रकबा मुश्तहिरा (घोषित क्षेत्र) कहलायेगा।

३ प्रान्तीय सरकार का निर्णय कि कोई स्थानीय रकबा इस दफा की उपदफा (१) के अर्थ के अनुसार कृषि-ग्राम नहीं है, अतिम और अखण्ड्य होगा, और सरकारी गजटमें किसी ऐसे विज्ञापन का प्रकाशित हो जाना, जिसके अनुसार उक्त रकबे के रकबा मुश्तहिरा होने की घोषणा दी गई हो, उक्त निर्णयका अखण्ड्य प्रमाण होगा।

व्याख्या—

रकबा मुश्तहिरा प्रायः वह छोटे छोटे कस्बे बना दिये जाते हैं, जिनमें, जन सख्या के विचार से सफाई, रोदानी, इत्यादि का थोडा बहुत प्रबन्ध किया जाना आवश्यक समझा जाता है, परन्तु जो इतने बड़े और जरूरी नहीं होते, और जिनमें न इतनी आमदनी हो सकती है कि उनमें म्यूनिसिपलटी स्थापित की जाय। म्यूनिसिपलटियों के भूत पूर्व ऐक्ट न० १ सन् १९००ई० का हुक्म कि कोई ऐसा स्थानीय रकबा, जिसकी जन सख्या दस हजारसे अधिक हो वर्तमान ऐक्टमें नहीं रखा गया है। मुश्तहिरा रकबों के विषय में नियम, हुक्म, इत्यादि मुश्तहिरा रकबों की मैनुअल में दिये गये हैं।

दफा ३३८ मुश्तहिरा रकबोंमें कानूनोंको प्रचलित करना और उनमें करोंका लगाना और उनकी कमेटियोंका संगठन

१ प्रान्तीय सरकार विज्ञापन के द्वारा—

(ए) ऐसे बंधजो और सशोधनों के आधीन, यदि कोई हों, जो वह उचित समझे, इस ऐक्ट की कोई दफा या किसी अन्य ऐक्ट की कोई दफा जो किसी म्यूनिसिपलटी पर लागू की जा सकती हो या ऐसी किसी दफा

के किसी भाग को या किसी नियम या रेग्युलेशन या बाई लॉ को जो प्रचलित हो या जो इस ऐक्ट के हुकमों के अनुसार या किसी अन्य ऐक्ट के हुकमों के अनुसार, किसी म्यूनििसिपलटी में प्रचलित किये जा सकते हैं, किसी रकबा मुश्तहिरा पर लागू कर सकती है।

(बी) किसी ऐसे सम्पूर्ण रकबे में, या उसके किसी भाग में, कोई ऐसा कर लगा सकती है, जो उस रकबे में इस ऐक्ट के या किसी अन्य ऐक्ट के हुकमों के अनुसार, उस दशा में लगाया जा सकता, कि उक्त रकबा म्यूनििसिपलटी होता।

(सी) उन शख्तों की सख्या नियत कर सकती है, जिनको एक कमेटी इस उद्देश्य से संगठित की जाय, कि वह किसी ऐसे कर को जो क्लॉज (बी) के अनुसार लगाया गया हो, कूते और वसूल करे, और ऐसे कर की आमदनीको उचित रूपसे खर्च करने का प्रबन्ध करे, और ठीक हिसाब बनाये और तैयार रखे, और आम तौरसे, किसी ऐसी दफा या नियमों या रेग्युलेशनों या बाई-लॉओं, जो क्लॉज (ए) के अनुसार लागू किये गये हो, या जो क्लॉज (ए) के अनुसार सशोधन करके लागू किये गये हो, की आज्ञाओं का पालन कराये।

२ जो कमेटी उपदफा (१) के क्लॉज (सी) के अनुसार नियत की जाय उसमें तीन या तीन से अधिक मेम्बर होंगे, जो या तो कमिश्नर के द्वारा नामजद कर दिये जायगे, या जिनका उस विधि से निर्वाचन किया जायगा, जो इस ऐक्ट के द्वारा या नियमों के द्वारा नियमित है, या जिनमें से कुछ नामजद किये जायगे और कुछ का निर्वाचन किया जायगा, जैसा कि प्रान्तीय सरकार साधारण या विशेष आज्ञा के द्वारा नियमित करदे।

३ जो कर किसी रकबा मुश्तहिरा में इस दफा के अनुसार लगाया गया हो, उसकी आमदनी उस प्रकार खर्च की जा सकती है, जिस प्रकार कि ऐसे रकबे मुश्तहिरा का म्यूनििसिपल कोष खर्च किया जा सकता यदि उक्त रकबा मुश्तहिरा म्यूनििसिपलटी होता।

४ किसी ऐसे कानून के मतलबों के लिये, जो किसी रकबा मुश्तहिरा पर लागू किये जाय, वह कमेटी जो उक्त रकबे के लिये उपदफा (१) के क्लॉज (सी) के अनुसार नियत की गई हो, इस ऐक्ट के मतलब के लिये बंध मानी जायगी, और उक्त रकबा एक म्यूनििसिपलटी माना जायगा।

व्याख्या—

विज्ञान No 72 M C XI-70 H ता० ६ जून सन १९१० ई० (जिसका सशोधन विज्ञापन No 2127 XI-70 H तारीख २२ जून सन १९१० ई० के द्वारा किया गया है) और विज्ञापन No 2755 IX-70 H ता० १ नवम्बर सन १९१० ई०, और विज्ञापन No 2033 IX-70 H ता० ११ जून सन १९१० ई०, और विज्ञापन No 2214 XI-70 H ता० ६ जुलाई सन १९१० ई० के द्वारा इस ऐक्ट की कुछ दफायें और उनके अनुसार बनाये हुये नियम, आवश्यक सशोधनों के सहित, मुश्तहिरा रकबा पर लागू कर दिये गये हैं (देखिये मुश्तहिरा रकबा की मेन्युबुल)।

—उपदफा (१) के क्लॉज (ए) और क्लॉज (बी) में जो अधिकार प्रान्तीय सरकार को दिये गये हैं, वह कमिश्नों को सौंप दिये गये हैं (देखिये विज्ञापन No. 4300 XI-70 H तारीख ३० नवम्बर सन १९१७ई०, और विज्ञापन No 2082 XI-70 H तारीख ११ जून सन् १९१७ई०। दफा ३३९ जो रकबे, रकबा मुश्तहिरा न रहें उनके कोषका काममें लगाया जाना

जब कोई रकबा मुश्तहिरा दफा ३३७ के अनुसार दिये हुये किसी विज्ञापन के रद्द कर दिये जाने के कारण, रकबा मुश्तहिरा न रहे, तो उनमें दफा ३३८ के अनुसार लगाये हुये करोकी बची हुई रकमें (अर्थात् जो खर्च न हुई हो) उक्त रकबे के निवासियों के लाभके लिये, उस प्रकार खर्चकी जायेंगी जैसा कि प्रान्तीय सरकार उचित समझे।



शिड्यूल नं० १

बोर्डके अधिकार और कर्तव्य
(The Powers and Functions of a Board)



[दफा ५० (ई) (२), दफा १११ (१), और दफा ११२ (१) (ए)]

१	२	३
दफा	अधिकार या कर्तव्य	कैफियत
३ (२) (सी)	इस बातके लिये दरखास्त देना या राजी होना कि म्यूनिसिपलटी शहर ठहरा दी जाय।	
८ (३)	किसी खर्चके विषयमें यह निश्चय कर देना कि म्यूनिसिपलटीके कौषसे उसका किया जाना उचित है।	
१३	किसी ऐसे पदके विषयमें, जो सयोगवश खाली हो गया हो, यह आज्ञा देना कि वह आगामी साधारण निर्वाचन तक खाली रहने दिया जाय।	
३७	किसी मेम्बरको कामके लिये बदलाव दिये जानेकी मजूरी देना।	
४० (१) (ए)	मीटिंगोंमें अनुपस्थित रहनेके विषयमें किसी मेम्बरके जवाबको, सन्तोषप्रद होना स्वीकार करना।	
४३	चेयरमैनका निर्वाचन करना।	
५२	चेयरमैनको रिपोर्टें आदि देनेकी हिदायत करना।	
५४	चाईस चेयरमैनका निर्वाचन करना, या चाईसचेयरमैनका इस्तीफा स्वीकार करना।	
५७	ऐविजक्यूटिव अफसर नियुक्त करना।	
५८	ऐविजक्यूटिव अफसरको डिस्मिस करना, या उसको दण्ड देना।	
५९	किसी शहरको ऐविजक्यूटिव अफसरकी जगह एवजी करनेको नियुक्त करना।	
६१	ऐविजक्यूटिव अफसर के हुक्मों की अपीलें लेना।	
६३	ऐविजक्यूटिव अफसरको नकरो इत्यादि देनेकी हिदायत करना।	
६६	सेक्रेटरी नियुक्त करना।	
६७	सेक्रेटरीको डिस्मिस करना, या दण्ड देना।	

संभाला जा सकता है।

१	२	३
दफ़ा	अधिकार या कर्तव्य	कैफियत
६८	हेल्थ अफसर या इजिनियर, या पानीके कारखाने का इजिनियर, या सुपरिण्टेण्डेण्ट नियुक्त करना ।	
६९	दफ़ा ६८ के अनुसार नियुक्त किये हुये किसी अफसर को दण्ड देना या डिस्मिस करना ।	
७० (ए)	किसी निर्दिष्ट कामके लिये अस्थाई कर्मचारियों को रखने की मनाही करना ।	
७१	अन्य कर्मचारियोंकी सख्या और वेतन निश्चय करना ।	
७२	किसी एक शहरस को दो, या दो से अधिक पर्दाकि कर्तव्यों के पालन करने केलिये नियुक्त करना ।	
७४	५० रुपये मासिक से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियोंको नियुक्त करना दण्ड देना, या डिस्मिस करना, या किसी ऐसी म्यूनिसिपलटी में जो शहर हो, ७५ रुपये मासिक से अधिक वेतन पाने वाले को, या किसी दूसरी कमसे कम रकमके वेतन पाने वालेको, जो दफ़ा २९७ (१) (यफ) के अनुसार रेग्युलेशन द्वारा बताई गई हो ।	सौंपा जा सकता है ।
७६ (२) (बी)	चेयरमैनके ऐसे हुक्मोंके विरुद्ध अपीलको लेना, जिन हुक्मोंके द्वारा ऐसे कर्मचारियों को दण्ड दिया गयाहो, या वह डिस्मिस किये गये हों, जिनका मासिक वेतन १० रुपये सेअधिक हो, परन्तु ५० रुपये से अधिक न हो, या शहर में १५ रुपये से अधिक हो, परन्तु ७५ रुपये से अधिक न हो, या जिनका मासिक वेतन ऐसी अन्य रकमोंके बीचमें हो जो दफ़ा २९७ (१) (यफ) के अनुसार रेग्युलेशन द्वारा बताई जायँ ।	सौंपा जा सकता है ।
७९ (२)	प्रावीडेण्ट फण्ड स्थापित करना ।	
७९ (२) (४) और (५)	इनाम, या करुणाई एलाऊन्स देना, या वार्षिक बजीफ़ा देना, या मोल ले देना ।	
८१	किसी मेम्बर के विरुद्ध नालिश करना ।	
८२ (२) (यफ)	उस रकम को नियत करना जिस तक कोई मेम्बर, बोर्डके हाथ वस्तुओं के कभी कभी बेचे जाने में, वास्ता रख सकता है ।	
९४ (६)	किसी रेजोल्यूशन में सशोधन करना, या उसको रद्द कर देना ।	

१	२	३
दफा	अधिकार या कर्तव्य	कैफियत
९६ (१)	ऐसे सुआहिदोंकी मजूरी देना जिनके लिये बजटमें खर्चील न रखी गई हो या जिसका मूल्य या रकम उस दशामे जब कि सुआहिदा शहर का बोर्ड करे (१०००) रुपयेसे अधिक हो, या किसी अन्य दशामे, २५०) रुपये से अधिक हो।	
९६ (२)	बोर्ड की किसी कमेटी, या अफसर, या कर्मचारीको, अन्य ठेको के मजूर करने का अधिकार देना।	
९६ (३)	इञ्जिनियर को ठेकोंके मजूर करनेका अधिकार देना।	
९७ (२)(बी)	इञ्जिनियर को ठेकेनामे पर हस्ताक्षर करने का अधिकार देना।	सौंपा जा सकता है
९९	बजट की मजूरी देना, और बजट में कम बढ़ करना या परिवर्तन करना।	
१०४ (१)	कमेटियोंके मेम्बरोंको नियुक्त करना और अलग करना।	
१०४ (२)	खलाह देने वाली कमेटिया स्थापित करना और उनके मेम्बर नियुक्त करना।	
१०५	बोर्ड के मेम्बरोंके अतिरिक्त अन्य शख्सोंको कमेटियों में नियुक्त करना।	
१०६	कमेटियों की खाली जगहों को भरना।	
१०७ (१)	किसी कमेटी का चैयरमैन नियुक्त करना।	
१०९	किसी कमेटी से नफरों इत्यादि मांगना।	
११०	ज्वाइण्ट कमेटिया नियुक्त करना और किसी ऐसी दस्तावेज में, जिसके आधार पर कोई ज्वाइण्ट कमेटी नियुक्तकी गई हो, परिवर्तन करना, या उसको रद्द करना।	
११२	उन अधिकारोंको जो बोर्डको दिये गये हों, और उन कर्तव्योंको जो बोर्ड पर डाले गये हों, दूसरों को सौंपना।	
११५	म्यूनििसिपलटी के कोषका कोई भाग ब्याज भादि पर लगाना या जमा करना।	
११७	प्रान्तीय सरकारसे जबरन आराजी प्राप्त कर देने के लिये दरख्वास्त करना।	
११८	ऐसी जापदाद का प्रबन्ध या निगरानी हापमें लेना, जो उसको सौंपी गई हो।	
११९	सांविजनिक सस्थाओं के घोषों का प्रबन्ध और निगरानी करना, और उनके खर्च भादि की इतरवा प्रवृत्ति, और उनको अमानत की तरह अपने कब्जे में रखना।	

१	२	३
दफ़ा	अधिकार या कर्तव्य	कैफियत
१२४	किसी ऐसी जायदाद को, जो बोर्ड के अधिकार में हो अलग (मुन्तकिल) करना ।	
१२५	म्यूनिसिपलटी के क्रोपमेसे मुआविजा (बदलाव) देना ।	
१२८ से १३७ - तक	किसी कर के सम्बन्ध में कोई कार्रवाई करना ।	
१४१	किसी कर की कूत (तशरूीस) की सूची तैय्यार कराना और कूत की सूची बनाने के लिये किसी शख्स को नियत करना ।	सौंपा जा सकता है
१४३ (३)	उज्रों को सुनना, और फैसल करना, और उज्रों के सुनने और फैसल करने के अधिकारको, दूसरेको सौंपना ।	सौंपा जा सकता है
१४७ (१)	कर की कूत की सूची में तरमीम करना ।	
१५६	करों के विषय में इकट्ठी रकम लेकर मामला कर लेने	
१५७ (१) (२)	की इजाजत देना । करों के भदा करने से माफी देना ।	
१८७	भाग बुझाने वालोंकी मडली स्थापित करना और कायम रखना ।	
१८९	मोरियां बनवाना ।	
१९०	म्यूनिसिपलटी की मोरियो में परिवर्तन करना या उनको बन्द कर देना ।	
१९६ (ए) - और (बी)	आम नोटिस देकर घरसे मैला उठवाने का काम हाथ में लेना, या-पाखानों पेशाबखानों की सफाई का काम हाथ में लेना, और ऐसे काम को छोड देना ।	
१९७ (२)	दफ़ा १९६ (ए) के अनुसार दिये हुये नोटिस से किसी मकानको बाहर निकाल दिये जाने की दरख्वास्त पर हुकम देना ।	सौंपा जा सकता है
२११	उस दशा में जिसमें मुआविजा दिया जा सकता हो, किसी हुये हटा देने या उसमें लिये हुये कर को बदलना ।	
२१७ (१) - (ए) २१९		
	वर्तन	

१	२	३
दफा	अधिकार या कर्तव्य	कैफियत
२२१	या इमारत बनानेके लिये आराजिवा निकालना, और ऐसे मतलबोंके लिये आराजी प्राप्त करनेके उपाय करना, और इस प्रकार प्राप्तकी हुई आराजीको बेचना या अलग करना । किसी सड़क या गली को सार्वजनिक सड़क या गली ठहराना ।	
२२२ (१)से -(३) तक	किसी सड़क या गलीकी इमारतों की नियमित पक्ति नियत करना । -	
२२४	पानीका कारखाना बनाना और उसमें परिवर्तन करना ।	
२२७ (१)	मास बेचनेके लिये, पशुओंको बध करनेके लिये स्थान नियत करना ।	
२३८	ऐसे पशुओंके बध करने के लिये स्थान नियत करना, जिनका मास बेचा जानेको न हो, या जो धार्मिक प्रयोजन के लिये बधकिये जाय, और अन्य स्थानोंमें ऐसे पशुओंके बध करने की मनाही करना ।	
२५० (१)	कुत्तोंके मुसका (मुखबैधनी) चढ़ानेका हुकम देना ।	
२५३ (शर्त)	इस बात का हुकम देना कि यह दफा उन गाड़ियों पर लागू न होगी जिनकी गति पदगामियोंकी साधारण गति से अधिक न हो ।	
२५७ (१)	इस बातका हुकम देना कि बिना बोर्डकी इजाजतके छत या बाहरी भीति ज्वलनशील वस्तुओंकी न बनाई जाय ।	
२५९	ज्वलन शील वस्तुओं आदि का ढेर लगाने या जमा करने की मनाही करना ।	
२६९	तालाबों या घेसे ही अन्य स्थानों से कष्टदायक बातों का दूर करने का हुकम देना, जब कि ऐसे हटाये जाने के कारण बाँडे को आराजी प्राप्त करना पड़े या देना पड़े ।	
२७३(१)(बी) -और (सी)	हानि कारक पदार्थ और कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने के लिए स्थान नियत करना और उनके हटाये जाने के लिये समय, विधि, और शर्तोंके विषयमें हिदायत जारी करना ।	
२७५ (३)	पशुओं के मृत शरीरों के ठिकाने लगाने के लिये फीस नियमित करना ।	
२८२	किसी फलल की देखती, या किसी प्रकार की खाद या किसी प्रकार से सींचने की, जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हो, मनाही करना ।	

१	२	३
दफा	अधिकार या कर्तव्य	कैफियत
२८५	मरघट और कब्रिस्तान बनाना या उनको बर्द करना, या उनके बनाने की आज्ञा देना, और निजी कब्रिस्तानों को आम नोटिस से अलग कर देना, और किसी ऐसे कब्रिस्तान या मरघट को काममें लानेकी इजाजत देना, जो म्यूनिसिपलटी के द्वारा नियत न किया गया हो।	
२८६	नहाने के और वस्त्रादि धोने के स्थान अलग नियत कर देना, और ऐसे स्थानों को काम में लाने के लिये शर्तें नियमित करना, और अन्य स्थानों में नहाने और वस्त्रादि धोने की मनाही करना।	
२९० (२)	म्यूनिसिपलटी के खर्च से पानी का कारखाना बनाने की या दफा १९२ व २६७ व २६८ के अनुसार किसी काम के बनाने की मजूरी देना।	
२९० (३)	पानी पहुँचाने के किसी काम, या पानीके निकास के किसी काम के कल, पुरजों इत्यादि में, जो अधिकार बोर्ड का हो, उसको किसी इमारत या ओराजी के मालिक को दे देना।	
२९७	रेग्युलेशन बनाना।	
२९८	बाई-लॉ बनाना।	
२९९	इस बात का हुक्म देना कि बाई लॉओंके उल्लंघन के लिये जुर्माने का दंड दिया जाय।	
आम	कोई अधिकार कर्तव्य या काम जिसके विषय में किसी नियमकी आज्ञा हो, कि उसको बोर्ड स्वयं रेग्युलेशन के द्वारा भरते, या पालन करे, या करे।	

शिड्यूल न० २

ऐक्विज़क्यूटिव अफसरके अधिकारोंकी सूची

[दफा ६० (१) (डी) और दफा ६१ (१) (ए)]

१	२	३
दफा	अधिकारों और कर्तव्यों की किस्म	कैफियत
७९ (१)	अफसरों और कर्मचारियोंको छुट्टी का ऐलाऊन्स देना।	
१४२	उस स्थान का आम नोटिस देना जहा किसी कर की कूती हुई रकमों की सूची जाची जा सकती है।	
१४३ (१)	उस समयका आम नोटिस देना जो वार्षिक मूल्यों और करों की कूत पर विचार करने के लिये नियत किया जाय, और जायदाद के मालिकों या क्राबिजों को नोटिस देना।	
१४३ (२)	वार्षिक मूल्यों और करकी कूती हुई रकमों पर उभ्र लेना।	
१४७ (२)	उन शख्सों को, जिनका किसी परिवर्तन से जो किसी कर की कूती हुई रकमों की सूची में किया जाने का हो, वास्ता हो, उस तारीख का नोटिस देना जिस पर परिवर्तन किया जायगा।	
१४८ (१)	ऐसी इमारत का नोटिस लेना, जो नई बनाई जाय, या फिर से बनाई जाय या बढाई जाय।	
१५० (२)	किराया या लगान पर देने वाले शख्स से कर वसूल करने के अधिकार को बरतना।	
१५१ (१) -और (२)	किसी इमारत या घर या थाराजी के खाली रहने की दशामें, और उससे किराया या लगानकी आमदनी न होने की दशा में, कर माफ करना या, छौटा देना।	
१५२ (१)	किसी इमारत या थाराजी के फिर से बस जाने का नोटिस लेना।	
१५८	ऐसी सूचना मागना जिसका प्रभाव किसीकी कर लगाये जानेकी जिम्मेदारी पर पड़े।	
१६६	कर और अन्य चढ़ी हुई रकमोंके लिये बिल पेश करना।	
१६८	मांग का कोई नोटिस तामील कराना।	
१६९	कुर्की का वारंट जारी करना।	
१७२ (१)	कुर्की किया हुआ माल बेचना।	
-घ (२)		
१७२ (३)	घापसीकी दरखवास्त लेना, और घापसी देना।	

१ दफा	२ अधिकारों और कर्तव्यों की किस्म	३ कैफियत
१७३	चारट जारी करनेके लियेमजिस्ट्रेटको दरखवास्त देना ।	
१७६	किसी रकमके लिये नालिश करना ।	
१७८ (१)	किसी इमारत आदि के बनाने या फिरसे बनाने, या उसमें कोई भारी परिवर्तन करनेकी इच्छाका नोटिस लेना इत्यादि ।	
१७९ (१)	यह निर्णय करना कि किस दशामे ऐसे नीटिसके विषयमे दी हुई सूचना सतोषप्रद है ।	
१७९ (२)	नकशे और विवरण और अन्य सूचना देनेका हुकम देना ।	
१८६	नोटिसके द्वारा हिदायत देना कि किसी इमारतका बनाना, फिरसे बनाना, या उसमे परिवर्तन किया जाना, रोक दिया जाय, इत्यादि या यहकि किसी इमारतमें परिवर्तन किया जाय, या यह गिरा दी जाय ।	किसी ऐसे हुकमकी जिसके द्वारा किसी इमारतमें, या इमारतके भाग में, या कुएमें, परिवर्तन करनेकी या उसको तोड़ देनेकी हिदायत कीजाय अपील हो सकती है ।
१९१ (१)	निजी मोरियोंका म्यूनिसिपलटीकी मोरियोंसे मेल करने की इजाजत देना, और उसके लिये शर्तें नियमित करना ।	
१९१ (२)	किसी ऐसी मोरीके बन्द किये जाने आदिकी, जो किसी बाई-लॉ के हुकमके विरुद्ध बनाई गईहो, या जो इजाजतकी शर्तोंके विरुद्ध बनाई गईहो, या जो बिना इजाजतके बनाई गईहो, आज्ञा देना ।	अपील होसकती है ।
१९२ (१)	किसी सार्वजनिक मोरीसे अन्य मोरीका मेल करनेकी आज्ञाका पालन कराना ।	अपील हो सकती है ।
१९३	मोरियां बनवानेकी दरखवास्त लेना, उन पर उच्च मागना, उनपर हुकम देना, और उनके बनानेका सूचां तथा मुआविजा वसूल करना ।	उस हुकमके विरुद्ध अपील हो सकती है जो उपदफा (३) केअनुसार दिया जाय ।
१९४	मोरीका रास्ता बदल देनेकी इजाजत देना, और इस प्रकार रास्ता बदल जानेके लिये शर्तें नियमित करना ।	अपील हो सकती है ।
१९६ (सी) -और (डी)	काबिजकी मिला बठवाने या कूडा करकट, छोड़ देना ।	
२०१ (१)		

१	२	३
दफा	अधिकारों और कर्तव्यों की क्रम	कैफियत
२०२ (१)	किसी कृषकके उचित ढंगसे मैला उठवानेका काम न करने पर मजिस्ट्रेट से शिकायत करना ।	
२०३ (१)	किसी सड़क या गलीके बनानेके इरादेका नोटिस लेना ।	
२०४	किसी प्रस्तावित कामको मुलतवी करना, या उसके विषयमें कोई आगे हाल मांगना ।	
२०९	आगे निकलेहुये कामों (तामीरों) की इजाजत देना ।	उस हुक्मके विरुद्ध अपील हो सकती है जिसके द्वारा इजाजत देनेसे मना कर दिया जाय ।
२११का भाग	उस दशमे जब बोर्डको मुआविजा देनेकी जिम्मेदारी नहो, मकानों आदिके आगे निकलेहुये भागोंके हटानेके लिये नोटिस देना ।	अपील हो सकती है
२१२	इमारतों आदिके बनाने और मरम्मत करनेकी इजाजत देना और ताल्लोंसे भाड़ वगैरा करनेके विषयमें हुक्म देना ।	
२१४	झाड़ियों और पेड़ोंके छाटनेका हुक्म देना ।	
२१५	जो रुकावट, गिरे हुये मकानों आदिके कारण उत्पन्न हो, उसका हटाना, और उसके हटानेका खर्चा बसूल करना और हटानेके लिये नोटिस जारी करना ।	
२१६	वृष्टिके पानीके लिये हीज और नलोंका प्रबन्ध करने के लिये हुक्म देना ।	
२१७(१)(बी) -और(सी)	किसी इमारत पर सड़क या गलीका नाम, या मकान का नम्बर लगाना, या मालिक या क्रायिजको नम्बर की तफ्ती लगानेकी हुक्म देना, और ऐसे नामों या नम्बरोंकी बदलवाना, या बदलनेका हुक्म देना ।	
२१८	इमारतोंमें लालटेनों और टेलीग्राफ (तार) और टेलीफोन के तारों आदिके लिये एम्बे और दीयारगीरियों लगाना ।	
२२०	किसी सार्वजनिक सड़क या गली या स्थानके काममें छानेके लिये, या उसपर कृन्ना करनेकी, इजाजत देना ।	
२२३	सार्वजनिक सड़कों आदिकी मरम्मत के समय भाड़ और रोशनीका प्रबन्ध करना ।	
२२५ (१)	निजके कुर्भों आदिके साफ करनेका हुक्म देना ।	

१ दफा	२ अधिकारों और कर्तव्यों की कृम	३ कफियत
१७३	वारट जारी करनेके लियेमजिस्ट्रेटको दरखवास्त देना ।	
१७६	किसी रकमके लिये नालिश करना ।	
१७८ (१)	किसी इमारत आदि के बनाने या फिरसे बनाने, या उसमे कोई भारी परिवर्तन करनेकी इच्छाका नोटिस लेना इत्यादि ।	
१७९ (१)	यह निर्णय करना कि किस दशामें ऐसे नोटिसके विषयमे दी हुई सूचना सतोषप्रद है ।	
१७९ (२)	नकशे और विवरण और अन्य सूचना देनेका हुकम देना ।	
१८६	नोटिसके द्वारा हिदायत देना कि किसी इमारतका बनाना, फिरसे बनाना, या उसमे परिवर्तन किया जाना, रोक दिया जाय, इत्यादि या यहकि किसी इमारतमें, परिवर्तन किया जाय, या यह गिरा दी जाय ।	किसी ऐसे हुकमकी जिसकेद्वारा किसी इमारतमें, या इमारतके भाग में, या छुपमें, परिवर्तन करनेकी या उसको तोड़ देनेकी हिदायत कीजाय अपील हो सकती है ।
१९१ (१)	निजी मोरियोंका म्यूनिसिपलटीकी मोरियोंसे मेल करने की इजाजत देना, और उसके लिये शर्तें नियमित करना ।	
१९१ (२)	किसी ऐसी मोरीके बन्द किये जाने आदिकी, जो किसी बार्ड-लों के हुकमके विरुद्ध बनाई गईहो, या जो इजाजतकी शर्तोंके विरुद्ध बनाई गईहो, या जो बिना इजाजतके बनाई गईहो, आज्ञा देना ।	अपील होसकती है ।
१९२ (१)	किसी सार्वजनिक मोरीसे अन्य मोरीका मेल करनेकी आज्ञाका पालन कराना ।	अपील हो सकती है ।
१९३	मोरियां बनवानेकी दरखवास्ते लेना, उन पर उच्च मांगना उनपर हुकम देना, और उनके बनानेका झुर्चा तथा सुभाविजा वसूल करना ।	उस हुकमके विरुद्ध अपील हो सकती है जो उपदका (३) के अउ सार दिया जाय ।
१९४	मोरीका रास्ता बदल देनेकी इजाजत देना, और इस प्रकार रास्ता बदल जानेके लिये शर्तें नियमित करना ।	अपील हो सकती है ।
१९६ (सी) -और (डी)	किसी क्वाचिजकी राजीसे मकानसे मिला उठवाने या पाखाना, या अन्य हानिकारक पदार्थ, या कूडा करकट, छुटवानेकी जिम्मेदारी लेना, और ऐसे कामको छोड़ देना ।	
२०१ (१)	किसी मीरूसी भगीकी उपेक्षाकी मजिस्ट्रेटसे शिकायत करना ।	

१	२	३
दफा	अधिकारों और कर्तव्यों की किस्म	कैफियत
२०२ (१)	किसी कृषकके उचित ढंगसे मैला उठानेका काम न करने मर मजिस्ट्रेट से शिकायत करना ।	
२०३ (१)	किसी सड़क या गलीके बनानेके इरादेका नोटिस लेना ।	
२०४	किसी प्रस्तावित कामको मुलतवी करना, या उसके विषयमे कोई आगे हाल मांगना ।	
२०९	आगे निकलेहुये कामों (तामीरों) की इजाजत देना ।	उस हुक्मके विरुद्ध अपील हो सकती है जिसके द्वारा इजाजत देनेसे मना कर दिया जाय ।
२११का भाग	उस दशमे जब बोर्डको मुभाविजा देनेकी जिम्मेदारी नहो, मकानों आदिके आगे निकलेहुये भागोंके हटानेके लिये नोटिस देना ।	अपील हो सकती है
२१३	इमारतों आदिके बनाने और मरम्मत करनेकी इजाजत देना और ताल्लोंसे भाङ्ग वगैरा करनेके विषयमे हुक्म देना ।	
२१४	झाड़ियो और पेड़ोंके छाटनेका हुक्म देना ।	
२१५	जो रुकावट, गिरे हुये मकानों आदिके कारण उत्पन्न हो, उसका हटाना, और उसके हटानेका खर्चा बसूल करना और हटानेके लिये नोटिस जारी करना ।	
२१६	वृष्टिके पानीके लिये हीज और नलोंका प्रबन्ध करने के लिये हुक्म देना ।	
२१७(१)(खी) -और(सी)	किसी इमारत पर सडक या गलीका नाम, या मकान का नम्बर लगाना, या मालिक या क्वाथिजकी नम्बर की तफ्ती लगानेको हुक्म देना, और ऐसे नामों या नम्बरोंको बदलवाना, या बदलनेका हुक्म देना ।	
२१८	इमारतोंमे लालटेनों और टेलीग्राफ (तार) और टेलीफोन के तारों आदिके लिये सम्भे और दीवारगीरियों लगाना ।	
२२०	किसी सार्वजनिक सड़क या गली या स्वातके काममे लानेके लिये, या उसपर कब्जा करनेकी, इजाजत देना ।	
२२३	सार्वजनिक सड़कों आदिकी मरम्मत के समय भाङ्ग और रोशनीका प्रबन्ध करना ।	
२२५ (१)	निजके कुओं आदिके साफ करनेका हुक्म देना ।	

१	२	३
दफा	अधिकारो और कर्तव्यों की किस्म	कैफियत
२२५ (२)	किसी शख्सको किसी निज के कुएँ आदिको काममें लानेसे रोकनेका, या उसको बन्द करने, या उसमें आड़ लगानेका हुक्म देना ।	अपील हो सकती है
२२७	पानी पहुँचानेके किसी कामके पाससे मोरियो; या पाखानो आदिके हटाने, या बन्द कर देने का हुक्म देना ।	अपील हो सकती है
२२९	सुआहिदा करके पानी पहुँचाना या देना ।	
२३०	जो पानी दिया जाय उसके लिये फीस लेना ।	
२३६	मोरियो आदिके ऊपरसे ऐसी इमारतोंका हटाना जिनके बनानेकी इजाजत न दी गई हो, या उनके सम्बन्धमें कोई अन्य कार्रवाई करना, या ऐसी इमारतों आदिके हटाये जानेके लिये, नोटिस जारी करना ।	अपील हो सकती है
२४०	किसी अफसरको ऐसे मासको कब्जेमें कर लेनेका अधिकार देना, जो स्पूनिंसिपलटीकी हदोंके भीतर किसी बाईलों के हुक्मके विपरीत लाया जाय, और ऐसे मासके ठिकाने लगाये जानेके विषयमें हुक्म देना ।	
२४४ (१) -व (२)	ऐसी वस्तुओं को कब्जेमें करना जो बेचे जानेके लिये बाहर रखी जाय और जो मनुष्यके काममें लाये जानेके अयोग्य हों, और ऐसी औषधियोंको कब्जेमें लेना, जिनके विषयमें यह शंका हो कि उनमें मेल किया गया है, या जो प्रभाव हीन होगई हैं और ऐसी औषधियोंको किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ।	
२४५ (१)	हानिकारक व्यापारोंके विषयमें नोटिस जारी करना ।	अपील हो सकती है
२४९	किसी शख्सको ऐसे कुत्तोंके मार डालने या बंद करने का अधिकार देना जिनको बीरा (पागल) जानेकी बीमारी आदि होने की शंका हो ।	
२५० (२)	लोगोंको ऐसे कुत्तोंके मार डालने या बन्द करनेका अधिकार देना जिनके मुखका (मुखबन्धनी) न चूड़ी हो ।	
२५६	पशुओं या गाड़ियोंके खड़ा करने के लिये सार्वजनिक आराजी काममें लानेकी इजाजत देना ।	
२५७ (२)	किसी छत या दीवारको, यदि वह खहजसे जल उठने वाली हो, हटा देनेका हुक्म देना ।	अपील हो सकती है
२५८	खलन शील वस्तुओंके लिये तलाशी देना, और उसकी किमी ऐसी मात्राको कब्जेमें लेना, जो अधिक हो जिसकी	

१ दफा	२ अधिकारों और कर्तव्यों की किस्म	३ कैफियत
२६०	खानमे से पत्थर निकालनेके विषयमे जब कि वह खतरनाकहो नोटिस जारी करना, और छकड़ीकी भीते या जगले इस अभिप्रायसे खड़े करना कि वह जोखों जिसका तुरन्त भय हो दूरहो जाय ।-	
२६१	खरजा आदि खोदनेकी इजाजत देना, और वह खर्च वसूल करना जो इस प्रकार खोदने आदिके कारण बोर्ड को करना पड़े हों ।	
२६३	नोटिसके द्वारा यह हुक्म देना कि जो इमारते आदि खतरनाक या टूटी फूटी दशामे हों, गिरा दी जाय, या उनकी मरम्मत की जाय, या कुओं और तालाब आदिकी मरम्मतकी जाय और वह घेर-दिये जाय, और जहां तुरन्त कोई जोखों हों तो तुरन्त कार्रवाई करना ।	किसी तालाबके मर भत करने या घेरे देने के हुक्मके विरुद्ध अपील हो सकती है ।
२६४	यह हुक्म देना कि खाली इमारत या भाराजी, जिस के द्वारा सर्वसाधारण के लिये कष्ट उत्पन्न होता हो, सुरक्षित करदी जाय या घेर दी जाय ।	
२६५	किसी सडक या गलीमे थोड़े समयके लिये रुकावट करने के लिये लिखित आज्ञा देना, और किसी सडक या गलीसे किसी रुकावटका हटाना और हटानेका खर्चा वसूल करना ।	
२६६ २६७	खुले हुए स्थानोंसे मिट्टी आदि उठानेकी आज्ञा देना । निजी मोरियो और चहबर्चों और कूड़ाखानो, और पाखानों, आदि के बनाने और उनमे परिवर्तन करने और हटाने, और बंद करने और साफ़ करने, और उनमे परदा लगाने का हुक्म देना ।	ऐसे हुक्मके विरुद्ध अपील हो सकती है जिसके द्वारा किसी मालिक या कानिजनी उपदफा (१) के प्रांज (ए) के अनुसार किसी पाखाना, या पेशाब-खाना, या नल लगा हुआ पाखाना या मोरिया या चहबर्चा, या कूड़ा खानेके, या गिल्लजत या मूत्रे पानी या कूड़ा करकटके किसी अन्य पाखाने, बन्द करने या हटानेकी या उपदफा (१) के बन्द (बी) के अनुसार उठाके तथ्यार करनेकी आज्ञा दी गई हो

१	२	३
दफा	अधिकारों और कर्तव्यों की किस्म	कैफियत
१६८	कारखानों आदि के लिये पाखानों और पेशावखानों का प्रबन्ध करने और उनको साफ करने का हुक्म देना।	
१६९ का भाग	कुओं और तालाबों आदिके साफ कराने या मरम्मत कराने, या ढक देने, या भर देने, या उनमें पानीका निकास कराने, का हुक्म देना।	अपील हो सकती है
२७०	मोरियों और पाखानोकी जांच करना और ज़मीनको खुदवाना।	
२७१	यदी इमारतों या आराज़ियोंके साफ करनेका हुक्म देना।	
२७३ (१) (घ)	हानिकारक पदार्थ, को थोड़े समय तक रखे जानेके लिये पात्रों और स्थानों का प्रबन्ध करना।	
२७५ (१)	पशुओं के मृत शरीरों के ठिकाने लगाने का प्रबन्ध करना।	
२७५ (३) का भाग	इस प्रकार ठिकाने लगाने के लिये फीस लगाना और वसूल करना।	
२७६	मैले पानीके बहाने आदि के लिये इजाजत देना और शर्तें लगाना।	
२७७	किसी इमारत में प्रवेश करके उसको जांच करना, और यह आज्ञा देना कि कोई इमारत औपधियों से साफ की जाय, इत्यादि।	
२७८	ऐसी इमारतों के विषय में हुक्म जारी करना जो मनुष्य के रहनेके अयोग्य हों।	अपील हो सकती है
२८०	हैजा या शीतला के किसी रोगी को अस्पताल पहुँचाना, इत्यादि।	
२८३	किसी मालिक या क्वाबिजको हानिकारक बनस्पति के साफ करने का हुक्म देना।	
२८४ (१)	यह हुक्म देना कि ऐसे गड्डे आदि जो बार्ड-लॉओं के हुक्म के विपरीत या किसी इजाजत के शर्तों के विपरीत बनाये गये हों भर दिये जाय, या उनमें पानीका निकास बना दिया जाय।	
२९१	आराज़ी का किराया या लगान वसूल करनेके लिये कलक्टर को दरख्वास्त देना।	

अपील हो सकती है

१ दफा	२ अधिकारों और कर्तव्यों की किस्म	३ कैफियत
२९३	ऐसी स्थावर जायदाद को काम में लाने या कब्जे में रखने के विषय में जो बोर्डके अधिकारमें हो या जो बोर्ड के प्रबन्ध में सौंपी गई हो, फीस लगाना, और ऐसी फीस को वसूल करना ।	
२९४	लैसन्सों, और मंजूरियों, और इजाजतों के विषयमें फीस लगाना ।	
३०७	किसी काम को बनवाना और उसके बनाये जानेका खर्चा वसूल करना ।	
३०८	किसी काबिजको यह हुक्म देना कि वह ऐसे मालिक की जगह, जिस पर कोई रकम चाहिये हो, किराया या लगान बोर्ड को दे, और किसी काबिजको यह हुक्म देना, कि वह उस किराये या लगान के विषय में, जिसके देने का वह ज़िम्मेदार हो, कोई हाल बतलाये इत्यादि ।	
३०९	किसी काबिज की ओर से किसी काम का किया जाना राजूर करना ।	
३१२	हटाने का खर्चा, हटाई हुई वस्तु को नीलाम करके वसूल करना, या किसी शर्तों पर वस्तुयें मालिक को लौटा देना, या ऐसी वस्तुओं को नीलाम आदि के द्वारा बेचना जिनका मालिक उनको न माने ।	
३१३ (२)	किसी ट्रस्टी या एजेंट को यह नोटिस देना, कि वह उस रुपये को जो मालिक के हिसाबमें वसूल हुआ हो, मालिक की ज़िम्मेदारियों के पूरा करने में लगाये ।	
३१४	अर्जों (इस्तगासा) देकर, और सूचना देकर, मुक़द्दमे चलाना, और अन्य शख्सों को ऐसी अर्जियाँ और सूचना देने का अधिकार देना ।	
३१७	किसी पुलिस के अफसर के द्वारा दी हुई सूचना लेना ।	

१	२	३
दफा	अधिकारों और कर्तव्यों की किस्म	कफियत
६८	कारखानों आदि के लिये पाखानों और पेशाबखानों का प्रबंध करने और उनको साफ करने का हुक्म देना।	
६९ का भाग	कुओं और तालाबों आदिके साफ कराने या मरम्मत कराने, या ढक देने, या भर देने; या उनमें पानीका निकास कराने, का हुक्म देना।	अपील हो सकती है
२७०	मोरियों और पाखानोंकी जांच करना और ज़मीनको खुदवाना।	
२७१	गद्दी इमारतों या आराज़ियोंके साफ करनेका हुक्म देना।	
२७३(१)(घ)	हानिकारक पदार्थों को थोड़े समय तक रखे जानेके लिये पात्रों और स्थानों का प्रबंध करना।	
२७५ (१)	पङ्खों के मृत शरीरों के ठिकाने लगाने का प्रबंध करना।	
२७५ (३) का भाग	इस प्रकार ठिकाने लगाने के लिये फीस लगाना और वसूल करना।	
२७६	मैले पानीके बहाने आदि के लिये इजाजत देना और शर्तें लगाना।	
२७७	किसी इमारत में प्रवेश करके उसकी जांच करना, और यह आज्ञा देना कि कोई इमारत औषधियों से साफ की जाय, इत्यादि।	
२७८	ऐसी इमारतों के विषय में हुक्म जारी करना जो मनुष्य के रहनेके अयोग्य हों।	अपील हो सकती है
२८०	हैजा या शीतला के किसी रोगी को अस्पताल पहुँचाना, इत्यादि।	
२८३	किसी मालिक या क़ाचिजको हानिकारक बनस्पति के साफ करने का हुक्म देना।	
२८४ (१)	यह हुक्म देना कि ऐसे गड्ढे आदि जो बाईन्लोंके हुक्म के विपरीत या किसी इजाजत के शर्तों के विपरीत बनाये गये हो भर दिये जाय, या उनमें पानीका निकास बना दिया जाय।	
२९१	आराज़ी का किराया या लगान वसूल करनेके लिये फलक्टर को दरख़वास्त देना।	

१	२	३
दफा	अधिकारों और कर्तव्यों की किस्म	विक्रियत
२९३	ऐसी स्थावर जायदाद को काम में लाने या कब्जे में रखने के विषय में जो बोर्डके अधिकारमें हो या जो बोर्ड के प्रबन्ध में सौंपी गई हो, फीस लगाना, और ऐसी फीस को वसूल करना ।	
२९४	लैसन्सों, और मंजूरियों, और इजाजतों के विषयमें फीस लगाना ।	
३०७	किसी काम को बनवाना और उसके बनाये जानेका खर्चा वसूल करना ।	
३०८	किसी काबिजको यह हुक्म देना कि वह ऐसे मालिक की जगह, जिस पर कोई रकम चाहिये हो, किराया या लगान बोर्ड को दे, और किसी काबिजको यह हुक्म देना, कि वह उस किराये या लगान के विषय में, जिसके देने का वह जिम्मेदार हो, कोई हाल बतलाये इत्यादि ।	
३०९	किसी काबिज की ओर से किसी काम का किया जाना गजूर करना ।	
३१२	हटाने का खर्चा, हटाई हुई वस्तु को नीलाम करके वसूल करना, या किसी शर्तों पर वस्तुयें मालिक को लौटा देना, या ऐसी वस्तुओं को नीलाम आदि के द्वारा बेचना जिनका मालिक उनको न मागे ।	
३१३ (२)	किसी ट्रस्टी या एजेंट को यह नोटिस देना, कि वह उस रुपये को जो मालिक के हिसाबमें वसूल हुआ हो, मालिक की जिम्मेदारियों के पूरा करने में लगाये ।	
३१४	अर्जों (इस्तमासा) देकर, और सूचना देकर, मुकद्दमे चलाना, और अन्य शफ़्तों को ऐसी आर्ज़ियाँ और सूचना देने का अधिकार देना ।	
३१७	किसी पुलीस के अफसर के द्वारा दी हुई सूचना लेना ।	

शिड्यूल नं० ३

टैक्स लगानेके प्रस्तावका नोटिस [Notice of Proposal to impose Tax]

[दफा १३१ की उपदफा (३)]

इस लेख के द्वारा की म्यूनिसिपलटी के निवास्त्रियों को नोटिस (सूचना) दिया जाता है, कि म्यूनिसिपल बोर्ड, उस कर, महसूल, टोल (प्रवेश कर) चुगी, या सेस (Cess) अर्थात्, भव्वाव (जैसी दशा हो) लगाना चाहता है, जो उन प्रस्तावों में वर्णित है जो इसके साथ है [उस टैक्स के बदले जो..... .. कहलाता है]।

म्यूनिसिपलटीका कोई ऐसा निवास्त्री, जो उन प्रस्तावों, या नियमोंपर, जो इसके साथ लगाये गये हैं, उअर करे वह इस नोटिस, की तारीख से, दो सप्ताह के भीतर, अपने उअर लिख के, म्यूनिसिपल बोर्ड, को भेज सकता है।

यह उस दशा, में लिखा जायगा, जब कि टैक्स किसी ऐसे टैक्स के बदले लगाया जाय जो म्यूनिसिपलटी में पहले से लगा हो।

प्रस्ताव

(दफा १३१ की उपदफा (१) के अनुसार जो प्रस्ताव बोर्ड तैयार करे वह यहाँ लगा दिये जायगे)।

नियम

(दफा १३१ की उपदफा (२) के अनुसार जो नियम बोर्ड तैयार करे, वह यहाँ पर लगा दिये जायगे)।

शिड्यूल न० ४

मांगके नोटिसका फारम (Form of Notice of Demand)



[दफा १६८]

बनाम

ए० बी० साकिन (निवासस्थान)
 सूचित हो कि का म्यूनिसिपल बोर्ड भा० पा०
 से तलब करता है, जो कि पर चाहिये, और जो
 कि हिसाब में (यहाँ पर जायदाद, काम या पेशा हैसियत या बीज,
 जिसके विषय में रकम चाहिये हो, का धर्णन दिया जाय) के अनुसार,
 उस अवधि के लिए जो सन् १९ को आरम्भ हुई, और
 सन् १९ को समाप्त हुई, वसूल की जा सकती है, और सूचित हो, कि यदि इस
 नोटिस के मिलने से पन्द्रह दिन के भीतर उक्त रकम स्थान पर
 म्यूनिसिपलटीके दफ्तर में न दे दी जायगी, या न दिये जानेका ऐसा काफी कारण न
 दिखाया जायगा, जो बोर्ड के प्रति-संतोष भद्र हो, तो उक्त रकम और सूचके वसूल करने
 के लिये कुर्कीका वारंट जारी किया जायगा ।
 तारीख सन् १९

(हस्ताक्षर)

. की म्यूनिसिपलटीके हुक्मसे जारी किया गया ।

शिड्यूल नं० ५

वारंटका फारम



[दफा १६९ की उपदफा (१)]

(यहाँ उस अफसरका नाम लिखना चाहिये, जिसको वारन्टके तामील करनेका काम सौंपा गया हो)

चूकि ए० बी० साकिन "ने रुपया" आना "पाई" जो इस अवधिके विषयमें, जो ता० "मास" सन् १९ "को आरम्भ हुई, और ता० "मास" सन् १९ "को समाप्त हुई, उस जिम्मेदारी (यहाँ जिम्मेदारीका वृतान्त देना चाहिये) के विषयमें जो हाशियेपर अंकित है, और जो रकम कि " "के अनुसार ली जा सकती है, नहीं दी है, और न उक्त रकम के न भदा करने के लिये कोई ऐसा कारण प्रकट किया है जो संतोषप्रद हो,

और चूकि उसपर उक्त रकमके विषयमें मांगके नोटिसको तामील हुये १५ दिन व्यतीत हो चुके हैं,

इसलिये इस लेखके द्वारा तुमको आज्ञा दी जाती है कि, संयुक्त प्रान्तके म्यूनिसिपलटियोंका ऐक्ट, सन् १९१६ई०, के हुक्मोंके अधीन, उक्त ए० बी० का माल असवाब रुपया " आना " पाई के मूल्यका कुर्क कर लो। उक्त रकम वह है जो उससे नीचे लिखे हिसाबमें चाहिये है।

उक्त जिम्मेदारीके विषयमें

रुपया " आना " पाई

नोटिस की तामीलके विषयमें

रुपया आना पाई

और तुरन्त मेरे पास, इस वारन्टके सहित, उस मालका पूरा विवरण जो तुम इस वारन्ट के अनुसार कब्जेमें लो, तस्दीक करके भेजें दो।

तारीख "मास" सन् १९ "ईसवी

(हस्ताक्षर)

चेयरमैन के या अन्य अफसर के

नोट—यदि वह शस्त्र जिसपर कि उक्त बाकी है, माल हटाये जाने से पूर्व पूरी रकम दे दे तो वारन्ट की तामील करना आवश्यक न होगा।



शिड्यूल नं० ६

फारम उस माल असबाबकी सूचीका जो कुर्क किया जाय और नीलामके नोटिसका

Form of Inventory of Goods Distrained and Notice



[दफा १७१ की उपदफा (४)]

बनाम

ए० बी० साकिन***

सूचित हो कि मैंने आज यह माल असबाब जो इस नोटिस के नीचे लिखी हुई सूचीमें अंकित है, रुपया** आना** पाई** की रकमके लिये, जो हाशियेपर अंकित की हुई जिम्मेदारी (यहां जिम्मेदारीका वृत्तान्त देना चाहिये) के विषयमें, उस अवधिके लिये चाहिये, जो तारीख** मास** सन् १९** ई० को आरम्भ हुई, और तारीख** मास** सन् १९** ई०को समाप्त हुई, और **रुपया आना** पाईके लिये जो मागके नोटिसके विषयमें चाहिये है, कब्जेमें कर लिया है, और सूचित हो कि यदि इस नोटिस के तामील होने की तारीख से पांच दिनके भीतर तक म्यूनिसिपलटीके दफ्तरमें, जो ** में है, उक्त रकम, उस खर्चके सहित जो उसको वसूल करने में पड़े, न दे दोगे, तो उक्त माल और असबाब नीलाम कर दिया जायगा।

तारीख** मास** सन् ई०

.....

(हस्ताक्षर उस अफसर के जो चारन्टकी तामील करे)

सूची

(यहां माल और असबाबका जो कब्जेमें लिया जाय, विवरण दिया जाना चाहिये)

शिड्यूल नं० ७

[प्रान्तीय सरकारके अधिकार जो सौंपे नहीं जा सकते]

(दफा ३३७)

१	२
दफा	अधिकार या कर्तव्य
३ (१) (ए)	किसी स्थानीय रकबे को म्यूनिसिपलटी ठहरा देना ।
३ (१) (बी)	किसी म्यूनिसिपलटी को जिसकी जन संख्या एक लाख निवासियोंसे कमहो शहर ठहरा देना ।
३ (१) (सी)	किसी म्यूनिसिपलटी की हद्दोंको निर्णय और नियत करना ।
३ (१) (डी)	किसी रकबेको किसी म्यूनिसिपलटीमें सम्मिलित करना या किसी म्यूनिसिपलटीसे बाहर निकाल देना ।
३ (१) (ई)	पूर्वाक्त क्लॉजों मेंसे, किसी क्लॉजके अनुसार दियेहुये, किसी विज्ञापन को रद्द करना ।
८ (३)	यह निश्चय करना, या शहरकी म्यूनिसिपलटीमें ऐसे निश्चयकी मजूरी देना कि किसी बातका खर्च म्यूनिसिपलटीके कोषसे दिया जाना उचित है ।
९ (१)	विज्ञापनके द्वारा किसी बोर्डके उन मेंबरोंकी संख्या नियत करना, जिनका निर्वाचन किया जा सकता है ।
१०	किसी म्यूनिसिपलटीके सम्बन्धमें यह निश्चय करना कि दफा ९ उसपर लागू न होगी, और ऐसी दशामें उन मेंबरोंकी संख्या नियमित करना, जो नामजद किये जायगे, तथा उनकी जिनका निर्वाचन किया जायगा ।
१२ (५)	यह बात निर्णय करना कि मुसलमानोंकी जन संख्या सब म्यूनिसिपलटियोंकी जन संख्या के जोड़ की कितनी प्रतिशत है ।
१६ (३)	इस उपदफाके क्लॉज (ए) और (बी) के अनुसार लगाई हुई किसी अयोग्यताको हटा देना ।
३०	किसी निर्दिष्ट अवधिके लिये बोर्डको अलग कर देना ।
३१	उस अवधिमें, जिसके लिये बोर्ड अलग किया गयाहो, किसी एक शख्सको, या एकसे अधिक शख्सोंको, बोर्डके अधिकार बरतने और कर्तव्योंका पालन करनेके लिये, नियुक्त करना ।
३४ (२)	किसी शहरके विषयमें, जो हुकम, इस दफाके अनुसार, कमिश्नर या जिला मजिस्ट्रेटके द्वारा दिया गयाहो, उसको रद्द करना, या उसमें संशोधन करना ।

दफा

अधिकार या कर्तव्य

३५ का भाग

किसी शहरकी दशमे, किसी कर्तव्यके पूरा किये जानेके लिये कोई अवधि नियत करना, और यदि ऐसी नियतकी हुई अवधिके भी कर्तव्य पूरा न किया जाय, तो जिला मजिस्ट्रेटको उसको पूरा करने लिये नियत करना, और यह आज्ञा देना कि उसके पूरा किये जाने पर खर्चा बोर्ड देगा।

३८ (४)

वह तारीख अंकित करना, जिस पर बोर्डके मेम्बर अपने पद अलग होजायगे।

४० (१)

किसी शहरके बोर्डके किसी मेम्बरको मेम्बरीसे हटाना।

४० (२)

उपदफा (१) के क्लॉज (डी) (ई) और (यफ) के अनुसंधान दिये हुये किसी हुक्मके विरुद्ध अपील लेना, और ऐसे हुक्मको रद्द करना, और उस मेम्बर को जिसको ऐसा हुक्म दिया गया हो वह पद छोड़ना।

४० (३)

किसी ऐसे मेम्बरको पदसे हटाना, जिसने अपने पद का ऐसा घटकर उपयोग किया हो कि उसका आगे मेम्बर रहना, जनताके हितके लिये हानिकारक हो।

४१ (४)

किसी ऐसे मेम्बरके विषयमे जिसको प्रान्तीय सरकारने मेम्बरी हटा दिया हो यह निश्चय करना कि वह आगे निर्वाचित या नामजद किये जानेके अयोग्य न होगा।

४२ (३)

यह बात निश्चय कर देना कि इस दफाकी उपदफाये (१) और (२) किसी म्यूनिसिपलटी पर लागू न होगी।

४४

किसी शहर के लिये उस दशा मे चेरमैन नामजद करना जो कि बोर्ड चेरमैन का निर्वाचन न करे।

४५

किसी शहरके चेरमैन को लगातार दो अवधियों से अधिक के लिये निर्वाचन किये जानेके विषयमे मजूरी देना।

४८

किसी चेरमैनको पदसे अलग करना।

५०

किसी ऐक्जिक्यूटिव अफसरकी नियुक्त, और वेतन और नियुक्त की शर्तोंकी मजूरी देना।

५८ (३) व (४)

किसी ऐसी अपीलको लेना, जो ऐक्जिक्यूटिव अफसर दण्ड दिये जाने और डिस्मिस किये जानेके हुक्मके विरुद्ध करे, और ऐसे दण्ड या डिस्मिस किये जानेको मजूर करना, नामजूर करना, या उसके हुक्मके परिणाम करना, और अपील के फैसले तक ऐक्जिक्यूटिव अफसर को पदसे अलग करना (मुनिअल)

दफ़ा	अधिकार या कर्तव्य
५ (१)	किसी शहरके बोर्डको ऐक्जिक्यूटिव अफसरको नियुक्त करनेका हुकम देना या किसी शख्सको ऐक्जिक्यूटिव अफसर की जगह काम करनेके लिये नियुक्त करनेका हुकम देना ।
५ (३)	यदि बोर्ड नियुक्त न करे, तो किसी शख्सको ऐक्जिक्यूटिव अफसर नियुक्त करना, या ऐक्जिक्यूटिव अफसरकी जगह काम करनेको नियुक्त करना, और ऐसे नियुक्त किये हुये शख्सके वेतन प्रावीडेण्टफंड का चदा, या पेन्शन, और नौकरी की शर्तें, नियत करना ।
९ (४) (५)	करणाद्रि ऐलाऊन्स दिये जाने की मजूरी देना, या वार्षिक बजीफे दिये जाने, या मोल ले दिये जाने, की मजूरी देना ।
९ (२)	किसी निर्दिष्ट अफसरोंके सामने बजट पेश करनेकी आज्ञा देना । यह निश्चय करना कि किसी निर्दिष्ट बोर्डों के बजट मजूरी के भाधीन होंगे ।
१०	क्वाइट कमेटियो के नियत किये जाने का हुकम देना ।
११५ (२)	किसी कोठीवाल की जमानत की खत्या निश्चय करना ।
११६	किसी ऐसी जायदाद के विषय में कोई शर्त लगाना, जो साधारणता बोर्ड के अधिकार में रहती हो ।
११७	लेन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट के अनुसार किसी बोर्ड के लिये आराज़ी प्राप्त करना ।
१२२ (१)	विज्ञापन के द्वारा घोषणा देना कि किसी म्यूनिसिपल बोर्ड की जायदाद और जिम्मेदारियों का कितना भाग किसी दूसरे स्थानीय अधिकारी को उस दशा में दे दिया जायगा, जब म्यूनिसिपल बोर्ड की जायदाद और जिम्मेदारियों का कितना भाग किसी दूसरे स्थानीय अधिकारीको उस दशा में दे दिया जायगा, जब म्यूनिसिपलटीके क्षेत्रफलका कोई भाग उक्त स्थानीय अधिकारीके अधिकारमें दे दिया जाय ।
१२२ (२)	विज्ञापन के द्वारा घोषणा देना कि किसी म्यूनिसिपल बोर्ड की जायदाद और जिम्मेदारियोंका कितना भाग भारत मन्त्रीको उस दशा में दे दिया जायगा, जब कोई स्थानीय रकबा म्यूनिसिपलटी के बाहर निकाल दिया जाय, और वह तुरंत किसी दूसरे स्थानीय अधिकारी की निगरानी में न रख दिया जाय ।
१२२ (४)	किसी ऐसी दशा में जो उपदफ़ा (३) और (२) से सम्बन्ध रखती हो यह निश्चय करना कि म्यूनिसिपलटी के कोष या जिम्मेदारियों का कोई भाग अलग किया जाना अनुचित है ।

१	२
दफा	अधिकार या कर्तव्य
१२४ (२)	श्रीमान् भारत सम्राट् को बोर्ड के अधिकार की किसी जायदाद के दिये जाने की मजूरी देना ।
१२६	मेलों इत्यादि में पुलिस के द्वारा रक्षा करने का प्रवन्ध करना और यह निश्चय करना कि खर्चका कितना भाग बोर्डको देना होगा ।
१२३ (२)	ऐसे प्रस्तावों को, जो दफा १२८ की उपदफा (१) के क्लॉज (१) से क्लॉज (१२) तक के अनुसार कर लगाने के विषय में किसी शहर की ओर से पेश किये गये हों, या ऐसे प्रस्तावों को जो दफा १२८ की उपदफा (१) के क्लॉज (१३) के अनुसार कर लगानेके विषयमें किसी बोर्डसे आयेहों मजूर करना या मजूर करनेसे मना करना, या और विचार करने के लिये उनको लौटा देना ।
१३५ (२)	ऐसे कर के लगाये जाने की, जिसको प्रान्तीय सरकारने मजूर किया हो, घोषणा देना ।
१३७ (१)	किसी बोर्ड को आज्ञा देना वह किसी ऐसे दोष को दूर करे जो किसी कर में या उसके सम्बन्ध में हो ।
१३७ (२)	कर को स्थगित करना, या उड़ा देना, या घटा देना ।
१५७ (३)	कर से माफ़ी देना ।
१६० (१)	किसी अफसर को ऐसी अपीलें सुनने का अधिकार देना, जो कर के विरुद्ध की जाय ।
२७९ व २८०	फैलने वाले रोगों के विषय में विज्ञापन देना ।
२९६ का भाग	ऐसे नियमोंका बनाना जो शहरोंके अतिरिक्त अन्य म्यूनिसिपलिटियों पर लागू हों, सिवाय दफा १५३ के क्लॉज (ए) और (बी) (सी) के अनुसार ।
३१८	ऐसी अपीलों के सुनने के लिये किसी अफसरको नियुक्त करना जो किसी बोर्ड के कुछ निश्चित हुकमों के विरुद्ध की जाय ।
३२७	अधिकारों का सौंपना ।
३३७	किसी स्थानीय रकबे को रकबा मुश्तहिरा ठहराना ।
३३८ (१) (सी)	किसी रकबा मुश्तहिराकी कमेटीके लिये मम्बरोंकी सङ्ख्या नियत करना ।
३३८ (२)	यह बात नियमित करना कि रकबा मुश्तहिरा के मम्बर नामजद किये जायगे, या उनका निर्वाचन किया जायगा, या यह कि उनमें से कुछ नामजद किये जायगे और कुछका निर्वाचन किया जायगा ।
३३९	यह बात निर्णय करना कि उन रकबोंके कोष, जो मुश्तहिरा न रहे किस प्रकार लगाया जाय ।

पृष्ठ नं० २ पृष्ठ १९१६ ई०

शिड्यूल नं० ८
अपराधों की सूची
Last of Offences.

[दफा (३१४)]

१	२	३
दफा	अपराध का वर्णन	जुर्माना जो किया जा सकता है
१४८ (२)	किसी नई या परिवर्तित इमारत की सूचना, कूते हुये करो की सूची में लिखे जानेके लिए, न देना	५०) रुपये, या फर्की उस रकमसे, जो ३ मासके लिए देना पड़े, दस गुना
१५२ (२)	ऐसी खाली इमारत के जो, कम टैक्स देती हो, फिर से बस जाने की सूचना न देना ।	५०) रुपये, या उस रकमका दस गुना जो बस जानेके समय से चढ गया हो
१५५	जुगी देने से धोखा देकर बचना ।	५०) रुपये, या जुगीकी जिस रकमके देनेसे बचा जाय, उसका दस गुना, अर्थात् दानोंमें जो रकम बडी हो
१५८ (२)	करकी जिम्मेदारी प्रकट करनेका नकशा ठीक न भरना ।	१००) रुपये
१८५	कानून के विरुद्ध इमारत बनवाना, या उसमें परिवर्तन करना ।	५००) रुपये
१९१ (२)	मोरीका मेल, कानूनके विरुद्ध बनाना और उसमें परिवर्तन करना ।	५०) रुपये
२०१ (२)	मौरूसी भगीकी उपेक्षा ।	१०) रुपये
२०७	कानून के विरुद्ध सड़क या गली बनवाना ।	५००) रुपये
२१०	सड़क या गली, अथवा मोरीके ऊपर इमारतका निकला हुआ भाग, बनाना जिसके बनाने का अधिकार न दिया गया-हो ।	२५०) रुपये,
२१३ (३)	उन पेढाके काटने, तथा इमारत सम्बन्धी किसी कामको करने, जिनमें जोखों हो, की इजाजत न लेना और उनके खतरोंको दूर करनेके उपाय न करना ।	५०) रुपये, और प्रत्येक ऐसे दिनके लिये जिसमें दण्डके पश्चात्, अपराध जारी रखा जाय
२१७ (२)	सड़कों के नामों और घरों के नम्बरों में अनुचित हस्तक्षेप करना ।	५) रुपये
२२३ (२)	सड़क की मरम्मत आदि होने के काल में जो मवन्ध किये गये हों, उनमें हस्तक्षेप करना ।	२५) रुपये
		५०) रुपये

१	२	३
दफा	अपराध का वर्णन	जुर्माना जो किया जा सकता है
२३७ (४)	विक्री के लिये पशुओं को ऐसे मकान आदि में मारना जिसके विषय में इस कामका लैसन्स न हो।	२०) रु० प्रति पशु।
२४२	उन पशुओंको जो दूध आदिके लिये और खाये जाने के लिये रखे जाय, अनुचित खाद्य खिलाना।	५०) रुपये
२४५	किसी नोटिसकी आज्ञाका उल्लंघन करना जिसके द्वारा किसी इमारत आदि में कोई हानिकारक व्यापार किये जाने की मनाही की गई हो, या उसका कोई प्रवन्ध किया गया हो।	२००) रुपये, और प्रत्येक ऐसे दिनके लिये जिसमें, दंड दिये जानेके पश्चात्, अपराध जारी रखा जाय, ४०) रुपये
२४६	दुराचार के उद्देश्य से मारे मारे फिरना और साग्रह दुराचार में प्रवृत्ति कराना।	५०) रुपये
२४७ (२)	मजिस्ट्रेटके किसी ऐसे हुक्मकी आज्ञाका उल्लंघन करना, जिसके द्वारा किसी घर को चकले की तरह काम में लाने की मनाही की गई हो।	२५) रुपये प्रति दिन
२४८	हठ के साथ भिक्षा मागना।	२०) रुपये
२५२	सड़क के नियम की उल्लंघना।	१०) रुपये
२५३	बिना उचित रोशनी लगाये हुये, गाड़ियों को चलाना।	२०) रुपये
२५४	हाथी आदि को हटा के ऐसे अन्तर पर न ले जाना, जहा से कोई भय न हो।	२०) रुपये
२५५ (१)	सड़क पर ढोरों को मारे २ फिरने देना या बांधना।	१०) रुपये
२५६	म्यूनिसिपलिटि की आराजी को (गाडी आदि) रूकी करने के काम में लाना, जिसका कि अधिकार न दिया गया हो।	२०) रुपये, और प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिसमें दण्डके बाद अपराध जारी रखा जाय ५) रुपये
२५७ (३)	ज्वलनशील इमारतों को बिना आज्ञा के धनाना या रूका रहने देना।	२५) रुपये, और प्रत्येक ऐसे दिनके लिये जिसमें, दण्ड के पश्चात् अपराध जारी रखा जाय, १०) रुपये
२६१ (१)	बिना आज्ञाके एरजों आदिसे या म्यूनिसिपलिटि की अन्य जापदादसे छेड़ छोट करना।	१००) रुपये
२६२	ऐसे आनेय अर्जों को छुड़ाना या भातिशाजी छुड़ाना जिनसे भय हो, या खतरनाक खेल खेलना।	२०) रुपये
२६५	सड़कों या गलियामें दफावट करना।	५०) रुपये

१	२	३
दफा	अपराध का वर्णन	जुर्माना जो किया जा सकता है
२६६	सार्वजनिक आराजीको बिना आज्ञा के खोदना ।	५०) रुपये और यदि पहली बार सजा होनेपर अपराध जारी रखा जाय तो प्रत्येक दिनके लिये १०) रुपये ।
२७२	मालिक या क्वाबिजको किसी हानिकारक पदार्थ को न हटाना ।	५०) रुपये और यदि पहली बार सजा होने पर अपराध जारी रखा जाय तो प्रत्येक दिनके लिये ५) रुपये ।
२७४	मालिक या क्वाबिजके द्वारा कूड़ा करकट, मैला आदि का अनुचित रूपसे ठिकाने लगाया जाना ।	२०) रुपये
२७५ (२)	मरे हुये पशुओंको ठिकाने न लगाना ।	१०) रुपये
२७६	मैले पानीको सड़कमें, या सड़क पर, या नाली में, अनुचित रूपसे बहाना ।	२०) रुपये
२७९	हैजा शीतला आदिकी सूचना न देना ।	५०) रुपये
२८१	फैलने वाले रोगसे पीडित होनेकी दशामें, कुछ निर्दिष्ट कामोंका करना ।	२०) रुपये
२८५ (५)	मृत शरीरोंको किसी ऐसे स्थानमें गाड़ना या जलाना, जो गाड़ने या जलानेके लिये नियत न की गईं हैं ।	५०) रुपये
२९५	म्यूनिसिपलटी के कर्मचारियों के काममें विघ्न डालना ।	५०) रुपये
२९९	किसी ऐसे नियम या आई-लॉ के विरुद्ध काम करना जिसके उल्लंघनके लिये दण्ड रखा गया हो ।	कोई रकम जो नियमितहो और जो ५००) रुपयेसे अधिक न हो और यदि पहली बार अपराध साबित होने पर अपराध जारी रखा जाय तो प्रत्येक दिनके लिये ५) रुपये ।
३०६	किसी ऐसे आम नोटिसका या ऐक्टके हुक्मका उल्लंघन करना जो सर्वसाधारण पर लागू हो ।	५००) रुपये और यदि पहली बार सजा होने पर अपराध जारी रखा जाय तो प्रत्येक दिनके लिये ५) रुपये
३०७	किसी ऐसे नोटिसका उल्लंघन जो किसी व्यक्ति के नाम जारी किया जाय, ।	उक्त सजा
३१० (३)	क्वाबिजका, मालिकको कोई ऐसा काम न करने देना जिसके करनेकी आज्ञा नोटिसके द्वारा दी गईं हो ।	प्रत्येक ऐसे दिनके लिये जिसमें काम न करने दिया जाय २५) रुपये

शिङ्गल न० ९

कानून जो इस ऐक्ट के द्वारा रद्द किये गये

Repealed Enactments

[दफा ३३४ (१)]

वर्ष	न०	छोटा नाम या विषय
		(लेफ्टिनेन्ट गवर्नर और उनकी कौंसिलके द्वारा पास किये हुये कानून)
सन १८९१ ई०	१	संयुक्त प्रान्तका पानी के कारखानेका ऐक्ट ।
सन १८९२ ई०	१	संयुक्त प्रान्तका ठहरने के मकानोंका ऐक्ट (Lodging House Act)
सन १८९४ ई०	३	संयुक्त प्रान्त का गन्दा पानी तथा पानी के निकास का ऐक्ट (Sewerage & Drainage Act)
सन १८९५ ई०	२	संयुक्त प्रान्तके पानी के कारखाने के ऐक्टमें सशोधन करने के लिये ऐक्ट
सन १९०० ई०	१	संयुक्त प्रान्तका म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट
सन १९०१ ई०	१	संयुक्त प्रान्तके पानी के कारखाने के ऐक्टमें सशोधन करने के लिये ऐक्ट
सन १९०१ ई०	५	संयुक्त प्रान्तके म्यूनिसिपलटीज ऐक्टमें सशोधन करने के लिये ऐक्ट ।
सन १९०४ ई०	१	संयुक्त प्रान्तके म्यूनिसिपलटीज ऐक्टमें सशोधन करने के लिये ऐक्ट ।
सन १९०८ ई०	१	संयुक्त प्रान्तके पानी के कारखाने के ऐक्टमें सशोधन करने के लिये ऐक्ट


६

...

...

...

...




...

सन १९२४ ई० की नयी नज़ीरें



ग्रन्थ छपते समय तक जितनी नयी नज़ीरें हाईकोर्टमें हुयीं
सबका पूरा हवाला इस म्यूनिसिपल ऐक्टकी दफाओं
के साथ विद्वान पाठकोंके जाननेके लिये आगे
दिया गया है





सन १९२४ ई० की नयी नज़ीरें



यूनिसेपलटीज ऐक्ट न० २ सन १९१६ ई० की दफा २२.

(१) सूरज नारायण बनाम जगवहादुर I L R 45 All, 687=74 I C 2.

संयुक्त प्रान्त के यूनिसेपलटीज ऐक्ट की दफा २० और २२ का अर्थ ऐसी सख्ती के साथ नहीं लगाया जाना चाहिये कि जो अर्जियाँ स्वयं कलक्टर के सामने पेश न की जाय वह माजायज ठहरा दी जाय। यदि किसी जिले में काम की यह रीति हो कि कलक्टर की अनुपस्थिति में कोई अन्य अफसर अर्जियाँ लिया करता हो, और अर्जियाँ लेकर कलक्टर के सामने पेश कर दिया करता हो, तो-ऐसे अफसर को अर्जा दी जाना फ़ाफी है। यह आवश्यक है कि अर्जा कलक्टरके पास मियाद के भीतर पहुँच जाय।

यूनिसेपलटीज ऐक्ट न० २ सन १९१६ ई० की दफा २३

(२) रामनाथ बनाम सरकार बहादुर 22 A L J 497

एक निर्वाचन सम्बन्धी अर्जा सुनने पर कमिश्नर ने आज्ञा दी कि अर्जा देने वाले पर जालसाजी का (Forgery) या जालसाजी करने के लिये प्रोत्साह दिलाने का मुकद्दमा चलाया जाय, क्योंकि असली वोट देने वालों के बदले अन्य लोग पेश किये गये और असली वोट देने वालों के झूठे हस्ताक्षर किये गये, या झूठे अगूठेके निशान लगावाये गये। इस दुबम की हाईकोर्ट में निगरानी की गई, और अर्जा देने वाले की ओर से दो पहलें पेश की गईं अर्थात्—

(१) यह कि जिस अपराध के लिये मुकद्दमा चलाया गया है वह एक निर्वाचन सम्बन्धी अपराध है, इसलिये ताज्जीरात हिन्द के प्रकरण ९ (ए) के अनुसार, मुकद्दमा चलाये जाने की मजुरी प्रान्तीय सरकार से प्राप्त करना चाहिये थी। ऐसी मजुरी प्राप्त न किये जाने के कारण मुकद्दमा फ़ाजूल के विरुद्ध है।

(२) यह कि कमिश्नर ने इस मामले में अपने अधिकारों की सीमा के बाहर काम किया क्योंकि कमिश्नर न तो दीवानी ही की, न फौजदारी की, न माल की अदालत है, अतएव कमिश्नर जायज़ता फौजदारी की न तो दफा १९५ के भीतर आता है और न दफा ४०६ के।

नोट—दफा १९५ जायज़ता फौजदारी की उपदफा (सी) की यह लाश है कि कोई अदालत उस अपराध का, जो ताज्जीरात हिन्द की दफा ४६३ में वर्णित है, कोई मुकद्दमा न सुनेगी जब कि ऐरा अगवध किसी अदालत की किसी कार्रवाई में, किसी पञ्चवार ने, किसी ऐसे वापस के विषय में किया हो जो कि उक्त कार्रवाई में पेश किया गया हो, या शहाना में दिया गया हो, सिवाय इसके कि उक्त अदालत की पर्ये ही मजुरी प्राप्त कर ली गई हो, या उक्त अदालत ने दाय हस्तगता दिया गया हो।

दफा ४७६ जावता मौजदारी की आज्ञा है कि जब किसी दीवानी, मौजदारी या माल की अदालत की राय में, किसी ऐसे अपराध के सम्बन्ध में, जो कि दफा १९५ में वर्णित है और जो कि उक्त अदालत के सामने ही किया गया हो, या जिसका पता किसी मुकद्दमे की कार्रवाई करते हुये उक्त अदालतको चला हो, तफसील करनेकी आवश्यकता है, तो ऐसी अदालत, प्रारम्भिक तफसील के पश्चात्, मुकद्दमे को तफसील के लिये या फैसल करने के लिये, सब से पास वाले अम्बल दर्जे के मजिस्ट्रेट के पास भेज दे .. ।

उपरोक्त दोनों अइसों को माननीय जज ने स्वीकार नहीं किया, तजवीज के आवश्यक भागों का सारांश यह है —

“इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि यह कार्रवाई रोक दी जाना चाहिये । कारण यह बताया जाता है कि यदि कोई शरस ताजीरात हिन्द के प्रकरण ९ (ए) के अनुसार कोई निर्वाचन सम्बन्धी अपराध करे, तो उसके साथ २ वह चाहे कोई अन्य अपराध भी करे, परन्तु उस पर बिना प्रान्तीय सरकार की आज्ञा के मुकद्दमा नहीं चलाया जाना चाहिये । यह केवल एक भ्रम है जो तुरन्त झड़ा ठहरा दिया जाना चाहिये । अर्जी देने वाले ने एक अनुपस्थित वोट देने वाला वन के झड़ा बोट दिया है । ताजीरात हिन्द के प्रकरण ९ (ए) के अनुसार यह एक अपराध है, और कुछ उचित कारणों से कानून में आज्ञा दी गई है कि उक्त प्रकरण के अपराध का मुकद्दमा चलाये जाने के लिये प्रान्तीय सरकार की मजूरी लेना चाहिये । परन्तु दूसरे के नाम से वोट देने के लिये यह भी करना पड़ता है कि वोट के कागज पर उस दूसरे शरस के झड़े हस्ताक्षर करना होते हैं या झड़ा निशान अगूठा लगाना पड़ता है । और ऐसे हस्ताक्षर करने वाला या अंगूठा लगाने वाला ताजीरात हिन्द की दफा ४६३ के अनुसार जालसाजी का अपराधी हो जाता है । निर्वाचन सम्बन्धी मामलों में इससे अधिक धोकेबाजी और कुछ नहीं हो सकती । ऐसा काम एक अधिक्षित वोट के लिये भी निन्दनीय है । परन्तु एक उम्मेदवार के लिये जिसके विषय में यह आज्ञा की जा सकती है कि वह एक शिक्षित मनुष्य होगा, और जो जनता का प्रतिनिधि बनने का दावा करता है, यदि वह ऐसा काम करे तो उसको बड़ा अपराध समझना चाहिये और उसके लिये फठोरता से दण्ड दिया जाना चाहिये । ऐसे २ अपराध जैसे कि निर्वाचन सम्बन्धी आन्दोलन या तमाशों में कुछ अधिक रुपया लगा देना, या किसी वोट पर अनुचित दबाव डालना, या किसी दूसरे उम्मेदवार का चरित्र बताने में उस सीमा से बढ जाना जहा तक कि कानून आज्ञा देता है, उनके विषय में मुकद्दमा चलाने के लिये प्रान्तीय सरकार की आज्ञा की आवश्यकता होती है । दो पक्षों के वाद विवाद की गर्मागर्मी में ऐसी बातें प्राय हो जाया करती हैं । परन्तु ऐसे अपराधों में और उन अपराधों में जो देश के साधारण कानूनके विरुद्ध जुर्म हैं बड़ा अन्तर है । अतएव यदि निर्वाचन सम्बन्धी अपराधोंके संग कोई शरस ऐसा कोई जुर्म जैसा कि ताजीरात हिन्द की दफा ४६३ में वर्णित है, भी करे तो ऐसे जुर्म का मुकद्दमा चलाने के लिये मजूरी की आवश्यकता नहीं है ।

दूसरे प्रश्न पर माननीय जज ने तजवीज में लिखा कि “इस प्रश्न पर कोई अन्तिम फैसला दिये बिना, हमारी राय १९६ है, एक्टके हुक्मों के अनुसार, कमिश्नर किसी न किसी प्रकार की अदालत है । उसकी को बरते । परन्तु तीनों में यह नहीं कहा गया है कि वह दीवानी कि वह दीवानी की अदालत के अधिकारों यह स्पष्ट हो जाता है कि

दफा ४७६ जायता फौजदारी की आज्ञा है कि जब किसी दीवानी, फौजदारी या माल की अदालत की राय में, किसी ऐसे अपराध के सम्बन्ध में, जो कि दफा १९५ में वर्णित है और जो कि उक्त अदालत के सामने ही किया गया हो, या जिसका पता किसी मुकद्दमे की कार्रवाई करते हुये उक्त अदालतको चला हो, तफसील करनेकी आवश्यकता है तो ऐसी अदालत, प्रारम्भिक तफसील के पश्चात्, मुकद्दमे को तफसील के लिये या फैसल करने के लिये, सब से पास वाले अन्वय दफ्तरे के मजिस्ट्रेट के पास भेज दे .।

उपरोक्त दोनों दफ्तरो की माननीय जज ने स्वीकार नहीं किया, तजवीज के आवश्यक भागों का सारांश यह है —

“इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि यह कार्रवाई रोक दी जाना चाहिये। कारण यह बताया जाता है कि यदि कोई शासक ताजीरात हिन्द के प्रकरण ९ (ए) के अनुसार कोई निर्वाचन सम्बन्धी अपराध करे, तो उसके साथ २ वह चाहे कोई अन्य अपराध भी करे, परन्तु उस पर बिना प्रान्तीय सरकार की आज्ञा के मुकद्दमा नहीं चलाया जाना चाहिये। यह केवल एक भ्रम है जो तुरन्त झट्टा ठहरा दिया जाना चाहिये। अर्जी देने वाले ने एक अनुपस्थित वोट देने वाला धन के झट्टा वोट दिया है। ताजीरात हिन्द के प्रकरण ९ (ए) के अनुसार यह एक अपराध है, और कुछ उचित कारणों से कानून में आज्ञा दी गई है कि उक्त प्रकरण के अपराध का मुकद्दमा चलाये जाने के लिये प्रान्तीय सरकार की मजूरी लेना चाहिये। परन्तु दूसरे के नाम से वोट देने के लिये यह भी करना पड़ता है कि वोट के कागज पर उस दूसरे शासक के झट्टे हस्ताक्षर करना होते हैं या झट्टा निशान अगूठा लगाना पड़ता है। और ऐसे हस्ताक्षर करने वाला या अगूठा लगाने वाला ताजीरात हिन्द की दफा ४६३ के अनुसार जालसाजी का अपराधी हो जाता है। निर्वाचन सम्बन्धी मामलों में इससे अधिक धोकेबाजी और कुछ नहीं हो सकती। ऐसा काम एक अशिक्षित वोट के लिये भी निन्दनीय है। परन्तु एक उम्मेदवार के लिये जिसके विषय में यह आज्ञा की जा सकती है कि वह एक शिक्षित मनुष्य होगा, और जो जनता का प्रतिनिधि बनने का दावा करता है, यदि वह ऐसा काम करे तो उसको बड़ा अपराध समझना चाहिये और उसके लिये कठोरता से दण्ड दिया जाना चाहिये। ऐसे २ अपराध जैसे कि निर्वाचन सम्बन्धी आन्दोलन या तमाशों में कुछ अधिक रुपया लगा देना, या किसी वोटर पर अनुचित दयाव डालना, या किसी दूसरे उम्मेदवार का चरित्र बताने में उस सीमा से बच जाना जहाँ तक कि कानून आज्ञा देता है, उनके विषय में मुकद्दमा चलाने के लिये प्रान्तीय सरकार की आज्ञा की आवश्यकता होती है। दो पक्षों के वाद विवाद की गर्मागर्मी में ऐसी बातें प्राय हो जाया करती हैं। परन्तु ऐसे अपराधों में और उन अपराधों में जो देश के साधारण कानूनों के विरुद्ध जुर्म हैं बड़ा अन्तर है। अतएव यदि निर्वाचन सम्बन्धी अपराधों के सग कोई शासक ऐसा कोई जुर्म जैसा कि ताजीरात हिन्द की दफा ४६३ में वर्णित है, भी करे तो ऐसे जुर्म का मुकद्दमा चलाने के लिये मजूरी की आवश्यकता नहीं है।

दूसरे प्रश्न पर माननीय जज ने तजवीज में लिखा कि “इस प्रश्न पर कोई अन्तिम फैसला दिये बिना, हमारी राय में, सन् १९६६ ई० के म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट के हुक्मों के अनुसार, कमिश्नर किसी न किसी प्रकार की अदालत अवश्य है। उक्त ऐक्ट में यह नहीं कहा गया है कि वह दीवानी की अदालत है। उसको केवल यह अधिकार दिया गया है कि वह दीवानी की अदालत के अधिकारों को धरते। पर तु तिनों प्रकार की अदालतों पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट विदित हो जाता है कि

निर्वाचन सम्बन्धी अदालत फौजदारी या माल की अदालत नहीं कही जा सकती चरन उसके लक्ष्मी दीवानी की अदालत के हैं ।

तीसरा प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यह मानके कि, इस प्रकार के निर्वाचन सम्बन्धी इसका मुकद्दमा तारीखत हिन्दू के साधारण हुक्मों के अनुसार न चलाया जाना चाहिये, और यह मान कि कमिश्नर को यह अधिकार न था कि वह लिखित इस्तग़ासा मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता, व हाईकोर्ट को यह अधिकार है कि निगरानी करके मामले में हस्तक्षेप करे ? ऐक्ट की दफा २३ के क्लॉज (३) की आज़ा है कि निर्वाचन सम्बन्धी अदालत के फैसले के विरुद्ध न तो अपील की जायगी निगरानी । इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है—कि हाईकोर्ट को केवल इतनाही अधिकार है कि सलवे और उन फानूनी प्रश्नों का उत्तर दे जो उसके पास फैसले के लिये विशेष रूप से भेजे जाय इसलिये जो हुक्म कि कमिश्नर ने रामनाथ पर मुकद्दमा चलाये जाने का दिया था वह अन्तिम उसकी निगरानी हाईकोर्ट में नहीं की जा सकती ।

म्यूनिसिपल्टीज ऐक्ट न० २ सन १९१६ ई० की दफा ११६ (जी)

(३) मुहम्मद रज़ी ख़ा बनाम मुहम्मद अस्गर ख़ा 1922 I. L. R. All 485

—संयुक्त प्रान्तके म्यूनिसिपल्टीज ऐक्ट के अनुसार, वह भूमि जिस पर सार्वजनिक सड़क हो है, म्यूनिसिपल्टी के अधिकार में होती है । अतएव यदि कोई मदाखिलत देजा उस पर की जाय उसके विषयमें शिकायत (अर्थात् इस्तग़ासा आदि) करनेका अधिकार केवल म्यूनिसिपल बोर्ड को सकता है, अन्य किसी को नहीं ।

म्यूनिसिपल्टीज ऐक्ट न० २ सन १९१६ ई० की दफा २

(४) म्यूनिसिपल बोर्ड बनारस बनाम रामकृष्णदास, 1922 A. I. R. 386 (A. Sec)=70 I. C. 416

बनारस में एक छोटी सी गली थी जो एक ओर से बन्द थी । गली के नीचे एक मोरी थी प्रश्न यह था कि यह गली सार्वजनिक है या कि रामकृष्ण दास की निजी जायदाद है म्यूनिसिपल की ओर से यह प्रश्न की जाती थी कि गली के नीचे बन्द मोरी होने के कारण गली को, ऐक्ट दफा २ के अर्थ के अनुसार, सार्वजनिक मानना चाहिये । परन्तु अदालत मातहत ने यह निर्णय किया था कि गली में सर्वसाधारण का रास्ता नहीं है और न हो सकता है क्योंकि गली में केवल रामकृष्ण दास के घर का दरवाजा है, अन्य किसी का नहीं । हाईकोर्ट ने राजकीय किया कि एक पेश गली, जिन पर से सर्वसाधारण रास्ता नहीं निकलते, केवल इस कारण सार्वजनिक नहीं गली कह सकती कि उसके नीचे एक बन्द मोरी है । यह बन्द मोरी मुसलमान यादगारों के रास्ता की सुरक्षा मोरिया में से एक है । बन्द सार्वजनिक गली में दोनों ओर की गलियाँ और मोरिया मजिल्लत होती हैं, किन्तु उसमें भूमि के नीचे की मोरिया सम्मिलित नहीं होतीं न हो सकती हैं ।

मोरियां बनारस में बहुत हैं और उनमें से कुछ घरों के नीचे से ढोके भी जाती हैं। यदि केवल बन्द मोरियों के कारण कोई स्थान सार्वजनिक गली मान ली जाय, तो बनारस के अधिकांश घर सार्वजनिक गली हो जायगे।

म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट न० २ सन १९१६ ई० की दफा १२८ (१) (६)

(५) ब्रजभूषण लाल बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड कन्नौज 22 A L J 599.

कन्नौज म्यूनिसिपलटी ने विज्ञापनके द्वारा निश्चित किया था कि दफा १२२ (१) (९) के अनुसार कर उन लोगों पर लगाया जायगा जो "म्यूनिसिपलटी के भीतर रहते हों, या कोई व्यापार करते हों, या किसी जायदादके मालिक हों।" मुकद्दमें में प्रश्न यह था कि व्यापार करने का क्या अर्थ है। क्या एक ऐसे शख्स के विषय में जो म्यूनिसिपलटी के बाहर रहता है, परन्तु जो म्यूनिसिपलटी के भीतर वेतन पर कुर्क का काम करता है यह कहा जा सकता है कि वह म्यूनिसिपलटी के भीतर व्यापार करता है। हाईकोर्ट ने यह तजवीज करते हुये कि एक वेतन पाने वाले शख्सके विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि वह व्यापार करता है, लिखा कि शब्द "व्यापार करना" का एक निश्चित अर्थ है इन शब्दों के अन्तर्गत कोई ऐसा शख्स किसी प्रकार सम्मिलित नहीं माना जा सकता जो वेतन पाके मालिक की छुर्की (सुहररी) का काम करता है। शब्द व्यापार का आशय ऐसे काम से है जिसमें कुछ बेचा जाय और मोल लिया जाय, या जिसमें रुपये का लेन देन किया जाय, या जिसमें कमसे कम कोई वस्तु बेचे जाने के अभिप्राय से बनाई जाय। दूसरे एक बात यह भी है कि शब्द व्यापार के साधारण अर्थ के अनुसार किसी शख्स के विषय में उसी दशा में यह बात कही जा सकती है कि वह व्यापार करता है जब कि वह अपने जातीय मुनाफे के लिये काम करता हो, न कि जत्र कि वह एक नियत वेतन पाया करता हो। इस बात पर भी विचार करना चाहिये कि दफा १२८ के क्लॉज (३) में व्यापार, व्यवसाय, और काम में भेद किया गया है। उक्त क्लॉज में शब्द "काम" के अन्तर्गत वह सब नौकरिया रखी गई हैं जिनका बदलाव वेतन के द्वारा दिया जाता है।"

म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट न० २ सन १९१६ ई० की दफा १७८.

(६) मुहम्मद रजा बनाम सरकार बहादुर 65 I C 767=23 Cr L J 191

एक ऐसी इमारत के विषय में जिसकी दीवारें सड़क से ४० फुटके अन्तर पर हों, यह नहीं कहा जा सकता कि वह सड़क के किनारे है या सड़क से मिली हुई है। और केवल इस कारण कि हाते की दीवार सड़क के किनारे पर होगी यह आवश्यक नहीं है कि बोर्ड को दफा १७८ के अनुसार उसके धनाये जाने का नोटिस दिया जाय।

म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट नं० २ सन १९१६ ई० की दफा १७८

(७) सरकार बहादुर बनाम चाबूराम 67 I C 828=25 O C 1

किसी इमारत की कुरसी ऊंची कर देना और दरवाजों या खिडकियों की जगह या नाप या संख्या में परिवर्तन कर देना, इमारत में भारी परिवर्तन करना नहीं कहा जा सकता।

म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट नं० २ सन १९१६ ई० की दफा १७८

(८) निहाल मुहम्मद बनाम सरकार बहादुर 21 A L J 775=L R 4 A 226 (Cr)

निहाल मुहम्मद ने एक दीवार उस ऊंचाई से जिसकी कि मंजूरी दी गई थी, अधिक ऊंचाई की बनवा ली थी, और इस अपराध के लिये निहाल मुहम्मद पर जुर्माना किया गया था। हाईकोर्ट ने सज्जीब किया कि—

१ दीवार इमारत का एक भाग होती है, इसलिये वह हवय इमारत कही जा सकती है। दीवार का बनाना एक भारी परिवर्तन (Material alteration) है। मेरी राय में दफा १७८ की छपदफा (३) में जो शब्द "इमारत में परिवर्तन" आये हैं उनमें इमारत का भाग भी सम्मिलित है। "इमारत का भाग" शब्दों की जो व्याख्या दफा २ (१४) में दी गई है उनसे विदित होता है कि उनका अर्थ क्या है। परन्तु उक्त व्याख्या में कोई बात ऐसी नहीं है कि उक्त शब्दों के अन्तर्गत धरामदे की, या सायबान की, या मकान या अन्य बड़ी इमारत की कोई दीवार न मानी जा सके। जिस हानि के बचाने की चेष्टा दफा १७८ के द्वारा की गई है वह हानि केवल एक दीवार के बनाने से भी हो सकता है यदि ऐसी दीवार उस ऊंचाई से जिसकी आज्ञा दी गई हो, अधिक ऊंचाई की बनाई जाय। यह वह है कि दीवार इमारत का केवल एक भाग होती है और इसलिये दफा १७८ के हुकम उस पर लागू नहीं हैं मानने योग्य नहीं है।

२ मकानों के नकशों के सम्बन्ध में जो प्रश्न उपर्युक्त होते हैं (जैसे यह कि इजाजत का उल्लंघन किया गया है, या यह कि जो अधिकार कि किसी सार्वजनिक अधिकारी के द्वारा प्रदान किया गया है या जिसकी मंजूरी दी गई है, उससे बाहर काम बनवाया या किया गया है) उनका आशय केवल यह होता है कि सार्वजनिक अधिकारी का अधिकार सड़कों और इमारतों पर रहे (अर्थात् जिस तरह की इमारत आदि स्वास्थ्य आदि के विचार से उक्त अधिकारी उचित समझे वही दी बनाई जाय)। इसलिये जब कोई शरस किसी आज्ञा का उल्लंघन करे तो उस पर जुर्माना किया जाना उतना आवश्यक नहीं होता जितनी कि यह बात आवश्यक होती है कि यह प्राप्य किया जाय कि अपनी इमारत को उस नकशे के अनुसार कर दे। जिसकी कि मंजूरी दी गई है।

कानून में दण्ड दिये जाने के लिये हुकम तो रखले ही जाना चाहिये, और दण्ड वा दण्डार्थ में दिये भी जाना चाहिये जब कि कोई व्यक्ति अनुचित कार्रवाई के करने में आग्रह करे या जाय हुकम के हुकम का उल्लंघन करे। परन्तु जो दण्ड कि इन विषयों में कानून में रखे गये हैं वह केवल इतने उद्देश्य से रखे गये हैं कि अपराधी को मय न हो कि इस उद्देश्य से कि अपराधी को अपराध का बदला दिया जाय।

म्यूनिसिपलटीज एक्ट नं० २ सन १९१९ ई० की दफा १७१.

(९) मुहम्मद कासिम बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड, सहारनपूर 1923 All. I. R. 371
(All Sec)=75 I C 607.

मुहम्मद कासिम का एक हाता था जिसमें दूकानें थीं। बोर्ड ने उसको नोटिस दिया कि उक्त हाते को हूँट या ककर या पत्थर से पक्का करा दे जिससे कि हाते का पानी निकल जाया करे। इसके अनन्तर बोर्ड ने फिर मुहम्मद कासिम को दूसरा नोटिस दिया कि या तो हाते को वह पक्का करा दे या उसमें मिट्टी डलवा के उसको ऊंचा करा दे जिससे कि गाड़ियों के आने जाने से हाते में कीचड़ न हो जाया करे। मुहम्मद कासिम ने मिट्टी डलवा के हाते को ऊंचा कराया, परन्तु बोर्ड ने उसको पसन्द नहीं किया। तब बोर्ड ने मुहम्मद कासिम पर फौजदारी का मुकद्दमा चलाया। इसके उपरान्त मुहम्मद कासिम ने फिर हाते को ठीक कराने की कोशिश की, परन्तु बोर्ड ने फिर उसको पसन्द नहीं किया। तब बोर्ड ने कासिम को अन्तिम नोटिस दिया। उसने नोटिस की आज्ञा पालन नहीं की। लगभग एक वर्ष के उपरान्त म्यूनिसिपल बोर्ड ने हाते में हूँटों का सरजो बनवा दिया और खर्च का बिल कासिम के पास भेजा। कासिम ने तब यह मुकद्दमा वायूर किया। हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि जब कि मुहम्मद कासिम ने बोर्ड के नोटिसों की आज्ञा पालन नहीं की थी, तो बोर्ड को इस बातका पूरा अधिकार था कि वह स्वयं हाते को ठीक करके खर्चा कासिमसे वसूल कर लेता।

(१०) रामचन्द्र बनाम मौला बख्श 21 A L J 882=L R 4-A 583.

—उस सारी जायदाद के लिये जो कि म्यूनिसिपल बोर्ड के अधिकार में होती है, बोर्ड जनता का प्रतिनिधि होता है। परन्तु यदि बोर्ड किसी जायदाद या हक की रक्षा न करे तो उससे जायदाद या हक पर कोई प्रभाव न पड़ेगा। सर्वसाधारण में से कोई व्यक्ति अपनी हक की रक्षा के लिये, ऐसी दशा में उस विधि से जो कि जायदादीवानी में बतलाई गई है कार्रवाई कर सकते हैं।




संयुक्त प्रान्तीय

प्राथमिक शिक्षा का कानून

एक्ट नं० ७ सन १९१९ ई०





संयुक्त प्रान्तका प्राथमिक शिक्षाका कानून


ऐक्ट नं० ७ सन् १९१९ ई०

The U P Primary Education Act No 7 of 1919



सूची

दफा	पेज
१ छोटा नाम विस्तार और अर्थ	४५४
२ व्याख्यायें	४५४
३ विज्ञापनका जारी किया जाना जिसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा अनिवार्यकी जाय	४५४
४ प्राथमिक शिक्षाका प्रबन्ध बोर्ड द्वारा किया जाना	४५५
५ विज्ञापन जारी किये जानेके लिये दरफ़्वास्त	४५५
६ स्कूल कमेटीका नियुक्त किया जाना	४५५
७ माता पिताका कर्तव्य बालकों को स्कूल भेजनेका	४५६
८ "स्कूल न भेजने के लिये उचित कारण" का अर्थ	४५६
९ स्कूल कमेटी द्वारा बालकको स्कूल भेजनेका हुक्म जारी किया जाना	४५६
१० बालकको स्कूल भेजने के हुक्मका उल्लंघन करने के लिये दण्ड	४५७
११ किसी ऐसे बालकको नौकर रखने के लिये दण्ड, जिसको प्राथमिक शिक्षाके स्कूलमे जाना आवश्यक हो	४५७
१२ अपराधोंके सुननेका अधिकार	४५७
१३ फीस माफ़ की जाना	४५८
१४ जनताके किसी विशेष भाग या समुदायको माफ़ी देनेका अधिकार	४५८
१५ इस ऐक्टके मतलबोंके लिये कर लगाया जाना	४५८
१६ जुमानोंका म्यूनििसिपलटीके कोषमे जमा किया जाना	४५८
१७ कर्तव्योंके पूरा न किये जानेपर विज्ञापनका वापिस ले लेना	४५८
१८ प्रान्तीय सरकारका नियम बनानेका अधिकार	४५९
१९ बोर्डका अधिकार रेगुलेशन बनानेका	४५९
२० अधिकारोंका सौंपा जाना	



संयुक्त प्रान्तीय
प्राथमिक शिक्षा का कानून
ऐक्ट नं० ७ सन १९१९ ई०

(संयुक्त प्रान्त आगरा और अवध के लेफ्टिनेन्ट गवर्नर और
उनकी काउन्सिल के द्वारा पास किया गया)

श्रीमान लेफ्टिनेन्ट गवर्नर संयुक्त प्रान्त आगरा और अवध ने ता० २ अप्रैल सन्
१९१९ ई० को मजूरी दी, और श्रीमान गवर्नर जनरल ने ता० १८ मई सन
१९१९ ई० को मजूरी दी, और गवर्नमेंट आव इंडिया ऐक्ट सन १९१५ ई० की
दफा ८१ के अनुसार ता० ७ जून सन १९१९ ई० को प्रकाशित किया गया ।

संयुक्त प्रान्तकी म्यूनिसिपलिटियोंमें प्राथमिक शिक्षाकी
वृद्धिके लिये कानून ।

यह उचित जान पड़ता है कि संयुक्त प्रान्तकी म्यूनिसिपलिटियों में प्राथमिक
शिक्षा की वृद्धि का प्रवन्ध किया जाय, अतएव उपरोक्त उद्देश्य से, और म्यूनिसिपल
मोडों की प्राथमिक शिक्षा प्रचलित करने का अधिकार देने के लिये, इस ऐक्ट के द्वारा
निम्न लिखित आज्ञा दी जाती है —



२ उपदफा (१) के अनुसार जारी किया हुआ विज्ञापन, जहाँ कहीं प्रचलित हो, वहाँ प्रान्तीय सरकार, बोर्ड की दरखास्त पर, इस बात का विज्ञापन जारी कर सकती है कि लड़कियों के लिये भी प्राथमिक शिक्षा पूरी म्युनिसिपलटी में या उसके किसी भाग में अनिवार्य होगी ।

३ उस विज्ञापनमें, जो इस दफा के अनुसार जारी किया जाय, वह तारीख जिससे, और वह रक़्वा या रक़वे जिनमें, प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होगी अंकित कर दिये जायेंगे और ऐसे विज्ञापन का आम नोटिस उस विधि से दिया जायगा जो प्रधान ऐक्ट की दफा ३०४ में नियमित है ।

दफा ४ प्राथमिक शिक्षाका प्रवन्ध बोर्ड द्वारा किया जाना

दफा ३ के अनुसार कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जायगा जब तक कि—

(ए) बोर्ड ने एक ऐसे विशेष रेजोल्यूशन के द्वारा, जो उन मेम्बरोंमें से कम, से कम दो तिहाई ने पास किया हो, जो मीटिंग में उपस्थित हों, और जो बोर्ड के मेम्बरोंकी सम्पूर्ण सख्याके कम से कम आधे मेम्बरों ने पास किया हो, यह निश्चय न कर लिया हो, कि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की जाना चाहिये, और

(बी) प्रान्तीय सरकार को इस बात का सन्तोष न हो, कि बोर्ड की हालत ऐसी है कि वह स्वीकृत प्राथमिक स्कूलों में ऐसी अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का उचित प्रवन्ध, बिना फीस लिये, कर सकता है, और इस बात का सन्तोष न हो कि बोर्ड ऐसा करेगा ।

नोट—क्लॉज (ए) का अभिप्राय यह है, कि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की जानेके लिये, जितने मेम्बर उस मीटिंगमें उपस्थित हों, जिनमें यह प्रश्न पेश हो, उनमें से कमसे कम दो तिहाई मेम्बरोंकी सहमति उसके अनिवार्य की जानेके लिये होना चाहिये । परन्तु यह भी आवश्यक है कि उक्त दो तिहाई मेम्बर बोर्डके कुल मेम्बरोंकी सख्या से आधे से कम न हों । जैसे यदि किसी बोर्डमें कुल १४ मेम्बर हों, और उनमेंसे ९ मेम्बर उक्त मीटिंगमें उपस्थित हों, और इन ९ में से ६ राय दें कि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय, तो ऐसा रेजोल्यूशन व्यर्थ होगा, क्योंकि, यद्यपि ६ मेम्बर ९ के दो तिहाई हैं, किन्तु उनकी सख्या बोर्डके मेम्बरोंकी कुल सख्याके आधेसे कम है । परन्तु, उपरोक्त दशामें, यदि बोर्डमें कुलमें ११ मेम्बर होते तो उक्त रेजोल्यूशन पास सम्भवा जा सकता है ।

दफा ५ विज्ञापन जारी किये जानेके लिये दरखास्त

बोर्ड द्वारा, दफा ३ के अनुसार, दरखास्त उस विधिसे दी जाना चाहिये, जो प्रान्तीय सरकार नियमित करदे, और दरखास्त के सम्बन्ध में जिस सूचना के दिये जाने का हुकम प्रान्तीय सरकार दे, वह बोर्ड को देना होगा ।

दफा ६ स्कूल कमेटीका नियुक्त किया जाना

१ जय दफा ३ के अनुसार कोई विज्ञापन जारी किया गया हो, तो बोर्ड एक कमेटी

दफा १ छोटा नाम विस्तार और अर्थ

- १ इस ऐक्ट का नाम 'संयुक्त प्रान्त का प्राथमिक शिक्षा का कानून, सन् १९१९ ई०' होगा।
- २ इसका विस्तार संयुक्त प्रान्त की सब म्यूनिसिपल टिचियों में होगा।
- ३ अर्थ लगाने के लिये यह ऐक्ट, संयुक्त प्रान्त के म्यूनिसिपल टिचिज ऐक्ट सन् १९१६ ई० का भाग और परिशिष्ट समझा जायगा (म्यूनिसिपल टिचिज ऐक्ट को भागे प्रधान ऐक्ट का नाम दिया जायगा)

दफा २ परिभाषा

—इस ऐक्ट में यदि विषय अथवा प्रसंग की दृष्टि से ऐसा अर्थ लगाना अनुचित या अयोग्य न हो तो—

१ प्राथमिक शिक्षा के किसी स्वीकृत (Recognised) स्कूल में "जाना" (To-attend) का अर्थ है ऐसे स्कूल में, शिक्षा के लिये वर्ष के उन दिनों में, और ऐसे समय या समयों पर, और प्रति दिन उतने घंटों के लिये, शिक्षा पाने के लिये उपस्थित होना, जैसा कि बोर्ड नियमित अधिकारी (Prescribed Authority) की मजूरी से नियमित करदे।

२ "बालक" (Child) का अर्थ है कोई ऐसा बालक जिसकी अवस्था ६ वर्ष से कम न हो और ग्यारह वर्ष से अधिक न हो।

३ "माता पिता" (Parents) शब्दों में शामिल समझा जायगा, कोई बली या कोई शख्स जिसके कुब्जे में बालक हो, या जिसकी सिपुर्दगी में बालक हो।

४ "प्राथमिक शिक्षा" (Primary Education) का अर्थ है, पढ़ने, लिखने, और अकगणित की ऐसी शिक्षा, जो प्रान्तीय सरकार द्वारा, उस समय में, प्राथमिक स्कूलों के लिये नियमित हो, और अन्य विषयों में ऐसी शिक्षा (यदि कोई ऐसे अन्य विषयों को बोर्ड नियमित अधिकारी की मजूरी से देना निर्णय करे।

५ "स्वीकृत प्राथमिक स्कूल" (Recognized Primary School) है, कोई स्कूल, या किसी स्कूल का ऐसा विभाग, जिसमें प्राथमिक शिक्षा दी जाय जो उस समय के लिये, नियमित अधिकारी के द्वारा, स्वीकार कर लिया

६ "स्कूल कमेटी" (School Committee) का अर्थ है, कोई कमेटी जो दफा ६ के हुकमों के अनुसार नियुक्त की गई हो।

दफा ३ विज्ञापन का जारी किया जाना, जिसके द्वारा

शिक्षा अनिवार्य की जाय

१ बोर्ड की दूरदवास्त पर, प्रान्तीय सरकार विज्ञापन जारी करेगी, कि लड़कों की प्राथमिक शिक्षा पूरी म्यूनिसिपल टिचियों में अनिवार्य होगी।

२ उपदफा (१) के अनुसार जारी किया हुआ विज्ञापन, जहाँ कहीं प्रचलित है वहाँ प्रान्तीय सरकार, बोर्ड की दरखास्त पर, इस बात का विज्ञापन जारी कर सकता है, कि लड़कियों के लिये भी प्राथमिक शिक्षा पूरी म्यूनिसिपलटी में या उसके किसी भाग में अनिवार्य होगी।

३ उस विज्ञापनमें, जो इस दफा के अनुसार जारी किया जाय, वह तारीख जिससे और वह रक़्वा या रक़्बे जिनमें, प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होगी अंकित कर दिये जायेंगे और ऐसे विज्ञापन का आम नोटिस उस विधि से दिया जायगा जो प्रधान ऐक्ट की दफा ३०४ में नियमित है।

दफा ४ प्राथमिक शिक्षाका प्रवन्ध बोर्ड द्वारा किया जाना

दफा ३ के अनुसार कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जायगा जब तक कि—

(ए) बोर्ड ने एक ऐसे विशेष रेजोल्यूशन के द्वारा, जो उन मेम्बरोंमें से कम, से कम दो तिहाई ने पास किया हो, जो मीटिंग में उपस्थित हों, और जो बोर्ड के मेम्बरोंकी सम्पूर्ण संख्याके कम से कम आधे मेम्बरों ने पास किया हो, यह निश्चय न कर लिया हो, कि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की जाना चाहिये, और

(बी) प्रान्तीय सरकार को इस बात, का सन्तोष न हो, कि बोर्ड की हालत ऐसी है कि वह स्वीकृत प्राथमिक स्कूलों में ऐसी अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का उचित प्रवन्ध, बिना फीस लिये, कर सकता है, और इस बात का सन्तोष न हो कि बोर्ड ऐसा करेगा।

नोट—बलॉन (ए) का अभिप्राय यह है, कि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की जानेके लिये, जितने मेम्बर उस मीटिंगमें उपस्थित हों, जिसमें यह प्रश्न पेश हो, उनमें से कमसे कम दो तिहाई मेम्बरोंकी सहमति उसके अनिवार्य की जानेके लिये होना चाहिये। परन्तु यह भी आवश्यक है कि उक्त दो तिहाई मेम्बर बोर्डके कुछ मेम्बरोंकी संख्या से अधिक से कम न हों। जैसे यदि किसी बोर्डमें कुल १४ मेम्बर हों, और उनमेंसे ९ मेम्बर उक्त मीटिंगमें उपस्थित हों, आर इन ९ में से ६ राय दें कि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय, तो ऐसा रेजोल्यूशन व्यर्थ होगा, क्योंकि, यद्यपि ६ मेम्बर ९ के दो तिहाई हैं, किन्तु उनकी संख्या बोर्डके मेम्बरोंकी कुल संख्याके आधेसे कम है। परन्तु, उपरोक्त दशामें, यदि बोर्डमें कुलमें ११ मेम्बर होते तो उक्त रेजोल्यूशन पास सम्भवा जा सकता है।

दफा ५ विज्ञापन जारी किये जानेके लिये दरखास्त

बोर्ड द्वारा, दफा ३ के अनुसार, दरखास्त उस विधिले दी जाना चाहिये, जो प्रान्तीय सरकार नियमित करदे, और दरखास्त के सम्बन्ध में जिस सूचना के दिये जाने का हुक्म प्रान्तीय सरकार दे, वह बोर्ड को देना होगा।

दफा ६ स्कूल कमेटीका नियुक्त किया जाना

१ जब दफा ३ के अनुसार कोई विज्ञापन जारी किया गया हो, तो बोर्ड एक कमेटी

दफा १ छोटा नाम विस्तार और अर्थ

- १ इस ऐक्टका नाम 'संयुक्त प्रान्तका प्राथमिक शिक्षाका कानून, सन् १९१९ ई०' होगा।
- २ इसका विस्तार संयुक्तप्रान्त की सब म्यूनिसिपलटियों में होगा।
- ३ अर्थ लगानेके लिये यह ऐक्ट संयुक्त प्रान्तके म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट सन् १९१६ ई० का भाग और परिशिष्ट समझा जायगा (म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट को आगे प्रधान ऐक्ट का नाम दिया जायगा)

दफा २ परिभाषा

- इस ऐक्टमे यदि विषय अथवा प्रसंगकी दृष्टिसे ऐसा अर्थ लगाना अनुचित या अयोग्य न हो तो—

१ प्राथमिक शिक्षा के किसी स्वीकृत (Recognised) स्कूल मे "जाना" (To-attend) का अर्थ है ऐसे स्कूल मे, शिक्षा के लिये वर्ष के उन दिनों मे, और ऐसे समय या समयों पर, और प्रति दिन उतने घंटों के लिये, शिक्षा पाने के लिये उपस्थित होना, जैसा कि बोर्ड नियमित अधिकारी (Prescribed Authority) की मजूरीसे नियमित करदे।

२ "बालक" (Child) का अर्थ है कोई ऐसा बालक जिसकी अवस्था ६ वर्ष से कम न हो, और ग्यारह वर्ष से अधिक न हो।

३ "माता पिता" (Parents) शब्दो मे शामिल समझा जायगा, कोई बली या कोई शख्स जिसके कब्जे मे बालक हो, या जिसकी सिपुर्दगी मे बालक हो।

४ "प्राथमिक शिक्षा" (Primary Education) का अर्थ है, पढ़ने, लिखने, और अकगणित की ऐसी शिक्षा, जो प्रान्तीय सरकार द्वारा, उस समय मे, प्राथमिक स्कूलों के लिये नियमित हो, और अन्य विषयों मे ऐसी शिक्षा (यदि कोई ऐसे अन्य विषय हों) जो बोर्ड नियमित अधिकारी की मजूरी से देना निर्णय करे।

५ "स्वीकृत प्राथमिक स्कूल" (Recognized Primary School) का अर्थ है, कोई स्कूल, या किसी स्कूल का ऐसा विभाग, जिसमे प्राथमिक शिक्षा दी जाय, और जो उस समय के लिये, नियमित अधिकारी के द्वारा, स्वीकार कर लिया गया हो।

६ "स्कूल कमेटी" (School Committee) का अर्थ है, कोई कमेटी जो इस ऐक्ट की दफा ६ के हुकमों के अनुसार नियुक्त की गई हो।

दफा ३ विज्ञापनका जारी किया जाना, जिसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा अनिवार्यकी जाय

१ बोर्ड की दरफ्वास्त पर, प्रान्तीय सरकार विज्ञापन के द्वारा, घोषित कर सकती है, कि लडकों की प्राथमिक शिक्षा पूरी म्यूनिसिपलटी मे या उसके किसी भाग में, अनिवार्य होगी।

पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, ऐसा हुक्म दे सकती है, जिसके द्वारा ऐसे बालक के माता या पिता को आज्ञा दी जाय कि किसी ऐसी तारीख से, जो हुक्म में भक्ति कर दी गई हो, उक्त बालक को किसी स्वीकृत प्राथमिक स्कूल में भेजे।

दफा १० बालकको स्कूल भेजनेके हुक्मका उल्लंघन करनेके लिये दण्ड

१ किसी ऐसे माता पिता को जिसके विरुद्ध कोई हुक्म दफा ९ के अनुसार दिया गया हो, और जिसने बिना किसी उचित कारण के, दफा ८ में दी हुई उचित कारण की व्याख्या के अर्थ के अनुसार, ऐसे हुक्म की आज्ञा पालन न की हो, किसी मजिस्ट्रेट के सामने अपराध साबित हो जाने पर जुर्माने का दण्ड दिया जायगा, जिसकी संख्या ५) रुपये से अधिक न होगी।

२ कोई माता पिता, जिसको उपदफा (१) में दिये हुये अपराधकी सजा मिल चुके, और जो दफा ९ के अनुसार दिये हुये हुक्मका उल्लंघन जारी रखे, उसको और जुर्माने का दण्ड दिया जायगा, जिसकी संख्या प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जिसमें, पहली बेर अपराधी ठहराये जाने के उपरान्त, यह साबित हो कि उसने हुक्म का उल्लंघन करने में आग्रह किया है, १) रुपये तक हो सकती है।

दफा ११ किसी ऐसे बालकको नौकर रखनेके लिये दण्ड, जिसको प्राथमिक शिक्षाके स्कूलमें जाना आवश्यक हो

किसी ऐसे शख्स को, जो उन घटों में, जो स्कूल में हाजिर रहने के लिये नियमित हों, अपने लिये या किसी दूसरे के लिये, किसी प्रकार की नौकरी या मजदूरी (Employment) के सम्बन्धमें, चाहे बदलाय (Remuneration) देकर, या बिना बदलाय के, किसी ऐसे बालक से काम लेगा, जिसके माता पिता को, इस ऐक्ट के अनुसार उक्त बालक को किसी स्वीकृत प्राथमिक स्कूल में भेजना जरूरी हो, मजिस्ट्रेट के सामने अपराध साबित हो जाने पर, जुर्माने का दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या २५) रुपये तक हो सकती है।

दफा १२ अपराधोंके सुननेका अधिकार

कोई अदालत, दफा १० या दफा ११के अनुसार कोई सुकृदमा न सुनेगी, सिवाय उस दशा के कि स्कूल कमेटी भर्ती दे, या स्कूल कमेटी अपराध की सूचना दे, या कोई ऐसा शख्स अपराध की सूचना दे, जिसको स्कूल कमेटी ने, साधारण या विशेष हुक्म के द्वारा, इस विषय में अधिकार दिया हो।

दफा १३ फीस माफ की जाना

म्यूनिसिपलटी के किसी ऐसे स्कूल में, जो ऐसे रकबे के भीतर हो, जिसमें दफा ३के अनुसार कोई विज्ञापन प्रचलितहो, किसी ऐसे बालककी प्राथमिक शिक्षाके सम्बन्ध में, जिस बालक पर कि उक्त विज्ञापन लागू हो, कोई फीस नहीं ली जायगी।

या एक से अधिक कमेटियां, इस ऐक्ट के अनुसार स्कूल कमेटी के अधिकारों को बरतने और कर्तव्यों को पालन करने के उद्देश्य से नियुक्त कर देगा ।

२ इस ऐक्ट के हुक्मों के और प्रधान ऐक्ट के हुक्मों के आधीन, ऐसी स्कूल कमेटी का कर्तव्य होगा कि बालकों को स्कूल भेजे जाने और बालकों के नौकर रखे जाने के सम्बन्ध में इस ऐक्ट में जो हुक्म हों, उनका पालन कराये ।

दफा ७ माता पिताका कर्तव्य बालकोंको स्कूल भेजनेका

दफा ३ के अनुसार दिया हुआ कोई विज्ञापन जब किसी म्यूनिसिपलिटि में या उसके किसी रकबे में प्रचलित हो, तो प्रत्येक ऐसे बालक का माता पिता, जिस बालक पर कि ऐसा विज्ञापन लागू हो, उसको किसी 'स्वीकृत प्राथमिक स्कूल' में पढ़ने को भेजेगा, यदि ऐसा बालक साधारणतया ऐसी म्यूनिसिपलिटि या रकबे में रहता हो, और यदि स्कूल न भेजने के उस प्रकार के उचित कारणों में से कोई कारण उपस्थित न हो, जैसे कि भागे बताये गये हैं ।

दफा ८ स्कूल न भेजनेके 'उचितकारण' का अर्थ

दफा ७ के मतलब के लिये निम्नलिखित दशाओं में से कोई दशा (बालक को स्कूल न भेजने का) उचित कारण' मानी जायगी.—

१ यह कि बालक के निवास स्थान से छोटे से छोटे रास्ते से १ मील के भीतर कोई स्वीकृत प्राथमिक स्कूल नहीं है ।

२ यह कि बालक को स्कूल कमेटी ने धार्मिक कारणों से माफ़ी दे दी है ।

३ यह कि स्वीकृत प्राथमिक स्कूल के अतिरिक्त अन्य प्रकार बालक को प्राथमिक शिक्षा सतोपप्रद विधि से दी जाती है ।

४ यह कि किसी ऐसे अधिकारी ने जिसको बोर्ड ने इस अभिप्राय से नियत किया हो, सर्टिफिकेट दे दिया है, कि बालकने प्राथमिक कोर्स (पढाई) समाप्त कर लिया है ।

५ यह कि बोर्ड द्वारा, इस ऐक्ट के अनुसार, बनाये हुये रेगुलेशनों के अनुसार बालक को कुछ समय के लिये स्कूल से गैरहाजिर रहने की आज्ञा दे दी गई है ।

६ यह कि बालक को किसी ऐसे डाक्टरी अफसर (Medical Officer), जिसको बोर्ड ने इस मतलब के लिये मजूर किया हो, यह सर्टिफिकेट दिया हो, कि वह किसी शारीरिक दोष या निर्बलता के कारण स्कूल जाने के अयोग्य है ।

दफा ९ स्कूल कमेटी द्वारा बालकको स्कूल भेजनेका हुक्म जारी किया जाना

जब स्कूल कमेटी को इस बातका सतोप हो कि किसी ऐसे माता या पिता ने, जिसका दफा ७ के हुक्मों के अनुसार किसी बालक को किसी स्वीकृत प्राथमिक स्कूल में भेजने का कर्तव्य हो, उसको ऐसे स्कूल में नहीं भेजा है, तो स्कूल कमेटी उक्त माता या पिता को, उन्न करने का अवसर देने के पश्चात्, और ऐसी तहकीकात करने के

पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, ऐसा हुक्म दे सकती है, जिसके द्वारा ऐसे बालक को माता या पिता को आज्ञा दी जाय कि किसी ऐसी तारीख से, जो हुक्म में अंकित कर दी गई हो, उक्त बालक को किसी स्वीकृत प्राथमिक स्कूल में भेजे ।

दफा १० बालकको स्कूल भेजनेके हुक्मका उल्लंघन करनेके लिये दण्ड

१ किसी ऐसे माता पिता को जिसके विरुद्ध कोई हुक्म दफा ९ के अनुसार दिया गया हो, और जिसने बिना किसी उचित कारण के, दफा ८ में दी हुई उचित कारण की व्याख्या के अर्थ के अनुसार, ऐसे हुक्म की आज्ञा पालन न की हो, किसी मजिस्ट्रेट के सामने अपराध साबित हो जाने पर जुर्माने का दण्ड दिया जायगा, जिसकी संख्या ५) रुपये से अधिक न होगी ।

२ कोई माता पिता, जिसको उपदफा (१) में दिये हुये अपराधकी सजा मिल चुके, और जो दफा ९ के अनुसार दिये हुये हुक्मका उल्लंघन जारी रखे, उसको और जुर्माने का दण्ड दिया जायगा, जिसकी संख्या प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जिसमें, पहली बेर अपराधी ठहराये जाने के उपरान्त, यह साबित हो कि उसने हुक्म का उल्लंघन करने में आग्रह किया है, १) रुपये तक हो सकती है ।

दफा ११ किसी ऐसे बालकको नौकर रखनेके लिये दण्ड, जिसको प्राथमिक शिक्षाके स्कूलमें जाना आवश्यक हो

किसी ऐसे शख्स को, जो उन घंटों में, जो स्कूल में हाजिर रहने के लिये नियमित हों, अपने लिये या किसी दूसरे के लिये, किसी प्रकार की नौकरी या मजदूरी (Employment) के सम्बन्धमें, चाहे बदलाव (Remuneration) देकर, या बिना बदलाव के, किसी ऐसे बालक से काम लेगा, जिसके माता पिता को, इस ऐक्ट के अनुसार उक्त बालक को किसी स्वीकृत प्राथमिक स्कूल में भेजना जरूरी हो, मजिस्ट्रेट के सामने अपराध साबित हो जाने पर, जुर्माने का दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या २५) रुपये तक हो सकती है ।

दफा १२ अपराधोंके सुननेका अधिकार

कोई अदालत, दफा १० या दफा ११ के अनुसार कोई मुकद्दमा न सुनेगी, सिवाय उस दशा के कि स्कूल कमेटी अर्जों दे, या स्कूल कमेटी अपराध की सूचना दे या कोई ऐसा शख्स अपराध की सूचना दे, जिसको स्कूल कमेटी ने, साधारण या विशेष हुक्म के द्वारा, इस विषय में अधिकार दिया हो ।

दफा १३ फीस माफ की जाना

म्युनिसिपलटी के किसी ऐसे स्कूल में, जो ऐसे रुपये के भीतर हो जिसमें दफा ३ के अनुसार कोई विद्यापन प्रचलित हो, किसी ऐसे छात्रकी प्राथमिक शिक्षाके सम्बन्ध में, जिस बालक पर कि उक्त विद्यापन लागू हो, कोई फीस नहीं ली जायगी ।

दफा १४ जनताके किसी विशेष भाग या समुदायको माफी

देनेका अधिकार

किसी ऐसी लिखित या जवानी दरख्वास्त (Representation) पर विचार करने के पश्चात्, जो दरख्वास्त कि इस विषय में बोर्ड ने की हो, प्रान्तीय सरकार, विज्ञापन के द्वारा, जनता के किसी विशेष भाग या समुदाय को, इस ऐक्ट के हुकमों से माफी दे सकता है।

दफा १५ इस ऐक्ट के मतलबोंके लिये कर लगाया जाना

१ किसी ऐसे स्थान में, जिसमें दफा ३ के अनुसार दिया हुआ कोई विज्ञापन प्रचलित हो, बोर्ड कर लगा सकता है [जिसको आगे "शिक्षाकर" (Cess) का नाम दिया जायगा] जिसकी भाय, केवल प्राथमिक शिक्षा के काम में लगाई जायगी।

२ बोर्ड, उन करों में से, जिनके लगाने का उसको, प्रधान ऐक्ट के द्वारा अधिकार दिया गया है किसी कर को चुनके शिक्षाकर बना सकता है, या इस मतलब के लिये किसी ऐसे कर को बढ़ा दे सकता है जो उक्त प्रधान ऐक्ट के अनुसार लगा हुआ हो, और इस उपरोक्त दशा में, जो धामदनी कर के बढ़ा दिये जाने से प्राप्त हो, वह शिक्षा कर की धामदनी मानी जायगी।

३ कोई शिक्षा पर कर न लगाया जायगा, जब द्वारा, जो उपस्थित मेम्बरों में से, कम से कम, दो हैं, यह निश्चय न करे, कि ऐसे कर का लगाया

दफा १६ जुमानोंका

जुमाने की सब रकम, जो इस ऐक्ट के अनुसार घसूल हों, म्यूनिसिपलिटि के कोष में जमा की

दफा १७ कर्तव्योंके पूरा न किये

जब प्रान्तीय सरकार की यह राय हो इस ऐक्ट के अनुसार है, पूरे नहीं किये हैं, तो करने का अवसर देने के पश्चात्, दफा ३ के रद्द कर दे सकती है।

दफा १८

१ इस ऐक्ट के पश्चात् नियम बनाये
२ विशेषत
परन्तु जो अधिकार इस अधिकार पर नहीं पड़ेगा

- (ए) उन अधिकारियों को नियमित करने के लिये जो दफा २ के क्लॉज (१) (४) और (५) में वाणित हैं।
- (बी) दफा २ के क्लॉज (४) के अनुसार यह बात नियमित करने के लिये कि प्राथमिक स्कूलों में किन विषयों की कहां से कहां तक शिक्षा दी जायगी।
- (सी) दफा ३ के अनुसार बोर्ड द्वारा दरख्वास्त दिये जाने की विधि को नियमित करने के लिये, और उस विवरण को नियमित करने के लिये जो दरख्वास्त में दिया जाना चाहिये।
- (डी) इस बात के, आम तौर से निर्णय करने के लिये कि निःशुल्क (बिना फीसके) अनिवार्य प्राथमिक शिक्षाका उचित प्रबन्ध क्या माना जाय।
- (ई) म्यूनिसिपलटी के बालकों का एक रजिस्टर (सूची) तैय्यार करनेको, और प्रकाशित करने को बोर्ड को आज्ञा देने के लिये।
- (एफ) उन शर्तों को निश्चय करने के लिये जिन पर प्रान्तीय सरकार प्राथमिक शिक्षा देने के व्यय का कोई भाग अपने ऊपर लेगी।

दफा १९ बोर्डका अधिकार रेग्युलेशन बनाने का

किसी ऐसी म्यूनिसिपलटी का बोर्ड जिसमें दफा ३ के अनुसार दिया हुआ कोई चेज़ापन प्रचलित हो, नीचे लिखी बातें नियमित करने के लिये ऐसे रेग्युलेशन बना सकता है जो इस ऐक्ट की आज्ञाओं के प्रतिभूत न हो —

- (ए) वह विधि जिसके अनुसार स्कूलकमेटी का सङ्गठन किया जायगा और, यह कि उनके मेम्बरों की संख्या क्या होगी, और उनके कर्तव्य अधिकार और जिम्मेदारियां क्या होंगी।
- (बी) वह उपाय जो बालकों को स्कूल में हाजिर कराने के लिये स्कूलकमेटी कर सकेगी, और वह शर्तें जिनके अनुसार स्कूल से गैरहाजिर रहने की आज्ञा दी जा सकेगी।
- (सी) जहां एक से अधिक स्कूलकमेटियां नियुक्त की गई हों तो प्रत्येक स्कूलकमेटी के अधिकारों की सीमा (Jurisdiction)
- (डी) स्कूलकमेटी और किसी शिक्षाकमेटी (Education Committee) को प्रधान ऐक्ट की दफा १०४ के अनुसार नियुक्तकी जाय, के पारस्परिक सम्बन्ध निश्चय करने के लिये।

दफा २० अधिकारोंका सौंपा जाना

प्रान्तीय सरकार को, उन अधिकारों को, जो उसको इस ऐक्ट के अनुसार दिये गये हैं किसी को सौंप देने का अधिकार न होगा।



इण्डियन

एलेक्शन्स आफेन्सेज ऐण्ड

इनक्वाइरीज ऐक्ट

ऐक्ट नं० ३९ सेन १९२० ई०

(Indian Elections Offences and Enquiries Act No 39 of 1920)

“निर्वाचन सम्बन्धी अपराध”

ऐक्ट नं० ३९, सन १९२० ई० के द्वारा निर्वाचनों से सम्बन्ध रखने वाले कुछ विशेष अपराध और उनके लिये दण्ड नियत कर दिये गये हैं। यह ऐक्ट सम्पूर्ण ब्रिटिश भारत पर लागू है। उसका आवश्यक भाग निर्वाचन के उम्मेदवारों, एजेण्टों और उम्मेदवारों के अनुयाइयों के लाभार्थ नीचे उद्धृत किया जाता है।

भाग (१)

ताजीरात हिन्द और जावता फौजदारी का संशोधन।

१ (१) ताजीरात हिन्द की दफा २१ में, दखं बलॉज के भागे, निम्नलिखित बलॉज बढा दिया जायगा, अर्थात्—

“(११) प्रत्येक शाख जो किसी ऐसे पदपर नियुक्त हो जिसके द्वारा उसको निर्वाचकों की कोई सूची तैयार करने का, प्रकाशित करने का, फायम रखने का, या दोहराने का, अधिकार हो, या कोई निर्वाचन कराने का, या निर्वाचन के किसी भाग के कराने का अधिकार हो।”

और दूसरे भावार्थ के भागे निम्नलिखित भावार्थ बढा दिया जायगा, अर्थात्—

“भावार्थ (३) ‘शब्द निर्वाचनका’ अर्थ है किसी व्यवस्थापक कौन्सिल, या स्पुनिसिपल अथवा अन्य सार्वजनिक अधिकारी के मेम्बर चुनने के लिये चुनाव (जेम्हा अधिकारी चाहे, जिष दइ का हो) जब कि किसी कानून के द्वारा, या कानून के अन्तर्गत पद नियमित हो, कि ऐसे सार्वजनिक अधिकारी के मेम्बरों का चुनाव दिया जायगा।”

२ उक्त कोड (अर्थात् ताजीरात हिन्द) के प्रकरण ९ के भागे निम्नलिखित एक प्रकरण बढा दिया जायगा ।

व्याख्या—

ताजीरात हिन्द की दफा २१ में "सार्वजनिक कर्मचारी" (Public Servant) की व्याख्या है । इस ऐक्ट के द्वारा उक्त दफा में एक क्लॉज और बढा के निर्वाचनों की सूची बनाने वाले तथा निर्वाचन के अन्य अफसर भी सार्वजनिक कर्मचारी ठहरा दिये गये हैं । अतएव जो जिम्मेदारियां सार्वजनिक कर्मचारियों की ताजीरात हिन्द में रखी गई हैं वह निर्वाचन के अफसरों की भी मानना चाहिये ।

—सन १८६० ई० में, जब कि ताजीरात हिन्द की रचना की गई थी, कौंसिलें और स्थानीय स्वराज्य की सस्थाएँ स्थापित नहीं हुई थीं, और कोई चुनाव नहीं होते थे । इसलिये निर्वाचन सम्बन्धी कोई अपराध ताजीरात हिन्द में नहीं रखे गये थे । परन्तु अब कौंसिलें तथा स्थानीय अधिकारियों के मेम्बर चुनने का अधिकार जनता को प्रदान कर दिया गया है । अतएव ऐक्ट न० ३९ सन १९२० ई० के द्वारा निर्वाचन सम्बन्धी अपराध निश्चित करके, वे ताजीरात हिन्द में सम्मिलित कर दिये गये हैं ।

ताजीरात हिन्द ऐक्ट न० ४५

सन १८६० ई०

प्रकरण ९ (ए)

निर्वाचन सम्बन्धी अपराध

दफा २७१ (ए) इस प्रकरण के अभिप्रायों के लिये

(ए) शब्द "उम्मेदवार" (Candidate) का अर्थ है कोई शख्स जो किसी चुनाव में उम्मेदवारीके लिये नामजद किया गयाहो । और उसमें शामिल होगा (जब कि कोई चुनाव होने वाला हो) कोई ऐसा शख्स, जो अपने को ऐसे चुनाव में उम्मेदवार बताता हो ।

(बी) "निर्वाचन सम्बन्धी अधिकार" (Electoral right) का अर्थ है किसी शख्स का चुनाव के लिये खडे होने या न खडे होने का अधिकार, या अपनी उम्मेदवारी वापस ले लेने का अधिकार, या चुनाव में राय देने या न देने का अधिकार ।

व्याख्या—

उम्मेदवारी उसी समय से आरम्भ नहीं होती वरन इन अभिप्रायों के लिये ऐसे प्रकट करते हैं ।

वापस नामजद कर दिया जाय जो उम्मेदवारी के लिये हुआ

—इन दफाओं को नम्बर १७१ (ए) १७१ (बी) इत्यादि इस कारण दिये गये हैं कि ताजीरात हिन्द में दफा १७१ के आगे इनको स्थान दिया गया है।

दफा १७१ (बी) रिशवत

१ जो कोई—

- (१) किसी शख्सको कोई पारितोषिक, उसको या किसी अन्य शख्सको इस बातपर राजी करने के उद्देश्यसे देता है कि ऐसा शख्स कोई निर्वाचन सम्बन्धी अधिकार बरते, या किसी शख्सको इस बातका इनाम देने के उद्देश्यसे देता है कि उसने ऐसा अधिकार बरता है। या
- (२) अपने लिये या किसी अन्य शख्सके लिये कोई पारितोषिक ऐसा अधिकार बरतने के इनाममें लेता है, या किसी अन्य शख्सको ऐसा अधिकार बरतनेपर राजी कर देने के इनाम में, या राजी कर देनेकी कोशिश के इनाममें लेता है—

“रिशवत” (Bribery) का अपराध करता है।

परन्तु शर्त यह है कि सार्वजनिक कामोंमें अपनी पॉलिसेको घोषित करना, या किसी सार्वजनिक कामको करनेकी प्रतिज्ञा करना इस दफाके अनुसार अपराध नहीं होगा।

२ किसी ऐसे शख्सके विषयमें, जो कि कोई पारितोषिक पेश करता है, या देनेपर राजी होता है, या जो पारितोषिक प्राप्त कर देने को कहता है, या पारितोषिक प्राप्त कर देने की कोशिश करता है, यह माना जायगा कि उसने पारितोषिक दिया।

३ किसी ऐसे शख्सके विषयमें जो कि कोई पारितोषिक प्राप्त करता है, या जो लेने को राजी हो जाता है, या जो पारितोषिक प्राप्त करनेकी कोशिश करता है, यह माना जायगा कि उसने पारितोषिक लिया। और किसी ऐसे शख्सके विषयमें जो किसी ऐसे कामके करनेके लिये पारितोषिक लेता है जिस कामको कि उसका इरादा करनेका नहीं है, या जो किसी ऐसे कामके करने के इनाममें पारितोषिक लेता है जो काम कि उसने किया नहीं है, यह माना जायगा कि उसने पारितोषिक लिया।

व्याख्या—

जब तक यह दफा १७१ (बी) ताजीरात हिन्द में नहीं बढ़ाई गई थी, रिशवत का अपराध केवल सार्वजनिक कर्मचारियों के लिये रखा गया था।

क्लॉज (१) के अनुसार यह बात आवश्यक नहीं है कि रिशवत, अधिकार के बरते जाते से पहलेही दी जाय, वरन यदि रिशवत अधिकार के बरत चुकने पर किसी को दी जाय तो भी इस दफा का अपराध पूरा हो जाता है। और इस दफा के अपराध के लिये यह भी आवश्यक नहीं है कि रिशवत उसी शख्स को दी जाय जो अधिकार बरतता। यदि (ए), (बी) के मित्र (सी) को कुछ रूपया देता है कि (सी) अपने मित्र (बी) को राजी कर दे कि (बी) चुनाव में (ए) की राय दे, तो इस दफा का उद्देश्य पूरा हो जाता है।

क्लॉज (२) के अनुसार रिशवत देने वाले के अतिरिक्त, रिशवत लेने वाला भी अपराधी माना

है। किसी शख्स को राजी कर देने की कोशिश करना, और उस कोशिश के लिये पारितोषिक लेना अपराध हैं, चाहे ऐसी कोशिश असफल और निष्प्रभाव रहे।

परन्तु सार्वजनिक कामों में अपने उसूलों को घोषित करना, या किसी सार्वजनिक काम को कराने की प्रतिज्ञा करना रिशवत नहीं माने जाते, चाहे ऐसी घोषणा या प्रतिज्ञा के कारण उम्मेदवार को अधिक वोट मिल जाय। उदाहरणार्थ उम्मेदवार के द्वारा यह घोषणा की जाना कि "मैं शिक्षा की उन्नति कराना चाहता हूँ कि म्यूनिसिपल्टी के गरीब निवासियों के लड़के भी शिक्षित हो जायें, और उनको शिक्षा मुफ्त में मिले" रिशवत नहीं है। इसी प्रकार यह प्रतिज्ञा करना कि "अमुक टैक्स अनुचित है, मैं कोशिश करूँगा कि वह रद्द हो जाय" रिशवत नहीं है।

उपदफा (२) और (३) के द्वारा यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि यह आवश्यक नहीं है कि रिशवत वस्तुतः दे दी या ले ली जाय तबही इस दफा का अपराध पूरा हो। चरन रिशवत का पेश करना, या देने या लेने पर राजी होना इत्यादि स्वयं अपराध हैं।

—इस दफा के साथ देखिये दफा १७१ (ई) भी।

दफा १७१ (सी) अनुचित दबाव

१ जो कोई किसी निर्वाचन सम्बन्धी अधिकारका स्वतन्त्रताके साथ बरते जानेमें स्वेच्छासे हस्ताक्षेप करता है, या हस्ताक्षेप करनेकी कोशिश करता है, वह निर्वाचनमें "अनुचित दबाव" (Undue influence) का अपराध करता है।

२ उपदफा (१) का हुकम सब दशाओंपर लागू होनेमें किसी प्रभावके बिना—
किसी ऐसे शख्सके विषयमें जो,

(ए) किसी उम्मेदवारको या वोटरको, या किसी ऐसे शख्सको जिससे किसी उम्मेदवार या वोटरका वास्ता हो, किसी प्रकारकी हानि पहुँचानेकी धमकी देता। है या

(बी) किसी उम्मेदवार या वोटरको यह विश्वास दिलाता है या दिलानेकी कोशिश करता है, कि वह (अर्थात् उम्मेदवार या वोटर), दैवी कोप या पारलौकिक तिरस्कारका पात्र (Object of Divine displeasure or Spiritual censure) हो जायगा या कर दिया जायगा।

यह माना जायगा कि उसने ऐसे उम्मेदवार या वोटरके निर्वाचन सम्बन्धी अधिकारका स्वतन्त्रतासे बरते जानेमें, उपदफा (१) के आशयके अनुसार, हस्ताक्षेप किया।

३ सार्वजनिक कामोंमें अपनी पालिसीको घोषित करना या किसी सार्वजनिक काम को करनेकी प्रतिज्ञा करना या किसी कानूनी अधिकारको, बिना इस इरादे के कि किसी निर्वाचन सम्बन्धी अधिकारमें हस्ताक्षेप किया जाय, बरतना, इस दफाके अर्थके अनुसार हस्ताक्षेप करना नहीं माना जायगा।

व्याख्या—

"अनुचित दबाव" (Undue influence) की साधारण (आम) व्याख्या उपदफा (१) में दी गई है। किनी शख्स को कोई निर्वाचन सम्बन्धी अधिकार स्वतन्त्रता से न बरतने देना या इस बात की कोशिश करना अपराध माना गया है। उपदफा (१) में अनुचित दबाव

की कोई विशेष शकल नहीं बताई गई है, वरन अनुचित दयाव चाहे जिस प्रकार का हो वह उपद्रवा (१) के अनुसार अपराध होगा। इसके विरुद्ध उपद्रवा (२) में अनुचित दयाव की दो विशेष शकलों का वर्णन दिया गया है, अर्थात् (१) हानि पहुँचाने की धमकी देना और (२) देवी कोप या पारलौकिक तिरस्कार की धमकी देना। स्पष्टतया इन दोनों शकलों को वर्णित करने का यह प्रभाव नहीं है कि "अनुचित दयाव" का अपराध इन्हीं दो शकलों पर सीमा बद्ध कर दिया गया है। उपद्रवा (२) के आरम्भ में यह बात स्पष्ट कर दी गई है।

दयाव प्रत्येक शास्त्र का धोटे या बहुत मनुष्यों पर अवश्य हुआ करता है। जैसे ज़िम्मीदार का अपो कृपकों पर, प्रादक का दुकानदार पर, साहूकार का कर्जदारों पर, घकील का मुवकिलों पर कुछ न कुछ दयाव अवश्य होता है। ऐसे दयाव को नष्ट कर देना कानून के लिये सम्भव नहीं है, न कानून का यह आशय है कि ऐसे सब दयाव नष्ट हो जाय, इस दफा का अपराध उसी दशा में होता है जब ऐसे दयाव का अनुचित प्रयोग किया जाता है। और उपद्रवा (३) में यह बात भी स्पष्ट कर दी गई है कि किसी कानूनी अधिकार को, जिना इस इरादे के बरतना, कि किसी निर्वाचन सम्बन्धी अधिकार में हस्तक्षेप किया जाय, इस दफा के अर्थ के अनुसार कोई अपराध नहीं माना जा सकता। जैसे ज़िम्मीदार को कानून के द्वारा यह अधिकार है कि यह अपने काश्तकार (असामी) को धेदखली करा सके। अतएव किसी ऐसे ज़िम्मीदार के द्वारा, जो निर्वाचन में उम्मेदवार भी हो, अपने काश्तकार पर, जो जोख भी हो, धेदखली का दावा दायर किया जाना स्वयं इस बात का प्रमाण नहीं है कि काश्तकार पर अनुचित दयाव डालने के लिये उक्त दावा किया गया है। हा यदि ऐसा दावा इस कारण किया गया हो कि उससे काश्तकार अपने निर्वाचन सम्बन्धी अधिकार को स्व तन्त्रता के साथ न बरत सके, वरन द्वावे से भयभीत होकर ज़िम्मीदार की राय दे, तो इस दफा का अपराध पूरा हो जायगा।

—म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट न० २, सन १९१६ ई० की दफा २८ (१) के द्वारा भी किसी वोटर पर अनुचित दयाव डालना एक ' कुभ्यधहार ' माना गया है। ऐसे अपराध के लिये तीन प्रकार के दण्ड उम्मेदवार के लिये रखे गये हैं अर्थात् (१) ताजीरात हिन्द की दफा १७१ (यफ) के अनुसार एक साल की कैद या जुर्माना या दोनों किये जा सकते हैं (२) म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट की दफा २६ के अनुसार उसका निर्वाचन नाज़ायज ठहराया जा सकता है और दफा २७ के अनुसार वह पाच वर्ष तक के लिये चुनाव के लिये सजा होने के अयोग्य ठहरा दिया जा सकता है।

—इस दफा के साथ देखिये दफा १७१ (यफ) भी।

दफा १७१ (डी)

जो कोई किसी निर्वाचनमें वोटका परचा (Voting Paper) या वोट, किसी दूसरे शख्सके नामसे (ऐसा दूसरा शख्स चाहे जीवित हो या मर गया हो), या किसी बनावटी (Fictitious) नामसे मागता है, या जो कोई ऐसे निर्वाचनमें एक बार वोट देके, अपने ही नामसे, उसी निर्वाचनमें, (फिरसे) वोटका परचा मागता है, और जो कोई उपरोक्त किसी विधिसे किसी शख्सको वोट देनेको उत्साहित करता है, या किसी शख्ससे वोट दिलवाता है, या दिलवानेकी कोशिश करता है वह झूठा वेष धारण करनेका (Personation) अपराध करता है।

व्याख्या—

इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि यह अपराध वोट का परचा मांगने ही से पूरा हो जाता है, अर्थात् यदि ऐसा शरस पहचान लिया जाय और वोट का परचा वस्तुतः उसको दिया न भी जाय, तो भी उक्त शरस अपराधी माना जायगा। परन्तु यदि किसी शरस के नाम या पते के चढाये जाने में कुछ गलती हो जाय, और ऐसा शरस वोट का परचा मांगे और वोट दे, तो वह अपराधी नहीं माना जा सकता। जैसे यदि "बाबूलाल" की जगह किसी का नाम "बाबूराम" लिख जाय, तो बाबूलाल परचा मांगने या वोट देने से अपराधी नहीं हो सकता।

—म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट की दफा २८ (३) के द्वारा भी यह अपराध एक "कुन्यवहार" माना गया है। ताजीरात हिन्दू के अनुसार सजा होने के अतिरिक्त ऐसे अपराधी उम्मेदवार को म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट की दफा २६ और २७ के अनुसार भी दण्ड दिया जा सकता है।

—इस दफा के साथ देखिये दफा १७१ (यफ) भी।

दफा १७१ (ई)

जो कोई 'रिशवत' का अपराध करेगा उसको कैदकी सजा दी जायगी, जो दोनो प्रकारमें से किसी प्रकारकी हो सकती है और जिसकी अवधि एक वर्ष तककी हो सकती है, या उसको जुर्माने का दण्ड दिया जायगा या दोनो प्रकार के दण्ड दिये जायगे।

परन्तु शर्त यह है कि खिलाने पिलाने के द्वारा जो रिशवत का अपराध किया जायगा, उसके लिये केवल जुर्माने का दण्ड दिया जायगा।

भावार्थ—“खिलाने पिलाने की रिशवत” (Treating) से अर्थ है वह रिशवत जिसमें पारितोषिक, भोजन, शराब आदि पीने की वस्तुओं, खातिर तंबाकू, या खान-पदार्थों का हो।

व्याख्या—

यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि पान तम्बाकू देना या हुका पिलाना आदि भी खिलाने, पिलाने की रिशवत माने जायगे या नहीं, तथापि उम्मेदवारके लिये यही उचित है कि वोट देने वाले, का किसी प्रकार से आदर सत्कार करने से दूर ही रहे। मिस्टर हैमण्ड लिखते हैं कि “भारत में, जहां कि आदर सत्कार करने की रीति परम्परा से चली आती है, उम्मेदवार को यह बात बड़ा लज्जा की जान पड़ती है कि वह एक ऐसे निर्वाचक को जो अपना वोट देने को दिन की श्रम में दूर से आया है एक गिलास शरब भी नहीं पिला सकता” परन्तु योरुप की प्रजातन्त्र संस्थाओं को पूर्वी देशों में स्थापित करने में ऐसी छोटी २ कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा। योग्य ग्रन्थकर्ता आगे राय देते हैं कि “किसी शरस को निर्वाचन के लिये उम्मेदवार होना उसको इस बात से अचित नहीं कर देता कि वह साधारण रीति के अनुसार किसी का आदर सत्कार न करे, परन्तु कुछ समय तक के लिये उम्मेदवार को यह मनाही अवश्य होती है कि वह अपने महमानों को संख्या बहुत न बढ़ायें और आदर सत्कार बहुत बड़ा घटा के न करे। यह बात कि किस दर्जे के चोटरो का, और किस विधि से वह आदर सत्कार करता है (इस बात के निश्चय करने में कि रिशवत का अपराध हुआ या नहीं) विचारणीय होगी। उन लोगों को भोजन देना जो उम्मेदवार के निर्वाचन सम्बन्धी कामों

में सहायता देते हैं कोई उराई नहीं हो सकती, परन्तु अधिक भण्डाई हैं। इसमें होगी कि उम्मेदवार अपने सब काम करने वालों को (चाहे वह धेतन पाते हैं या श्वेतनिक हैं) अपने र खाने पीने का खय उन्हीं को प्रवन्ध करने दें।" (The Indian Candidate & Returning Officer," by E. L. Hammond I C S, C B E, at Pages 133, 134)

दफा १७१ (यफ)

जो कोई किसी निर्वाचन में अनुचित दबाव का या झूठा वेष धारण करने का अपराध करता है उसको कैद की सजा दी जायगी, जो दोनों प्रकार में से किसी प्रकार की हो सकती है और जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकती है, या उसको जुमाने का दण्ड दिया जा सकता है, या दोनों प्रकार के दण्ड दिये जा सकते हैं।

दफा १७१ (जी)

किसी ऐसे शख्स को, जो किसी निर्वाचन के नतीजे पर प्रभाव डालने के उद्देश्य से कोई बयान (Statement) किसी उम्मेदवार के निजी आचरण या चरित्र के विषय में करता है या प्रकाशित करता है जिसको वह सच्चा बयान बताता है, परन्तु जो झूठ है, और जिसको वह झूठा जानता या झूठा समझता है या जिसको वह सच्चा नहीं समझता, जुमाने का दण्ड दिया जायगा।

दफा १७१ (यच)

किसी ऐसे शख्स को जो किसी उम्मेदवारकी साधारण या विशेष आज्ञाके बिना किसी सार्वजनिक मीटिंग के जोड़नेमें, या किसी विज्ञापन, सरक्यूलर या पुस्तक आदि के प्रकाशन में, या किसी भी अन्य प्रकार से, ऐसे उम्मेदवार के चुनाव में सहायता देने या निर्वाचित करा देने के उद्देश्य से कोई खर्च स्वयं करता है, या उसके करने का दूसरे को अधिकार देता है, जुमाने का दण्ड दिया जायगा, जिसकी संख्या ५०० रुपये तक हो सकती है।

परन्तु शर्त यह है कि यदि कोई शख्स कोई ऐसा खर्च बिना आज्ञा के करे और उसकी संख्या दस रुपये से अधिक न हो, और खर्चा करने से दस दिन के भीतर वह उम्मेदवार की लिखित मजूरी प्राप्त करले, तो यह माना जायगा कि उक्त शख्स ने खर्च उम्मेदवार की आज्ञा से किया।

दफा १७१ (आई)

किसी ऐसे शख्सको जिसको कि किसी कानून के द्वारा जो उस समय प्रचलित हो, या किसी नियम के द्वारा जिसका कि धैसा ही प्रभाव हो जैसा कि कानून का होता है उस खर्च का हिसाब रखने की आज्ञा दी गई हो जो कि किसी निर्वाचन में, या निर्वाचन के सम्बन्ध में हुआ हो, और जो ऐसा हिसाब न रखे, जुमाने का दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या ५०० रुपये तक हो सकती है।

नोट—म्युनिसिपलटी के निर्वाचन के खर्च का हिसाब रखने के लिये, नियमों के द्वाये आशा नहीं दी गई है यह दफा व्यवस्थापक कौंसिलों के निर्वाचनों के लिये है।

३ (१) जायता फौजदारी, सन १८९८ ई० की दफा १९६ में शब्द "प्रकरण ६" के आगे शब्द "या प्रकरण ९ (ए)" बढ़ा दिये जायेंगे ।

व्याख्या—

इस संशोधन का प्रभाव यह है कि 'प्रकरण ९ (ए)' में वर्णित अपराधों का कोई मुकद्दमा कोई अदालत नहीं सुन सकती जब तक कि गवर्नर जनरल और उनकी कौंसिल या प्रान्तीय सरकार के हुकम से या आज्ञा से, अथवा किसी ऐसे अफसर के हुकम या आज्ञा से जिसको इस विषय में अधिकार दिया गया हो, इस्तगसा न दिया जाय ।

—देखिये रामनाथ बनाम सरकार घहादुर का मुकद्दमा पेज ४४३ पर ।

भारतमें सबसे पहला क़ानून और नयी नज़ीरोंका मुकम्मिल अख़बार

कानून सिखानेवाला, बुद्धि बढ़ानेवाला और
आपको पूरा फ़ायदा पहुँचानेवाला ।

अभी आप मंगालें देर न करें

हिन्दी-लॉ-जरनल

१९२२ से १९२३

की

१४ अड्डों की डाइजेस्ट सहित पक्की चमड़े की बहुत मजबूत जिन्द सोने
के हरफों की तैयार है जिसमें लगभग १००० नज़ीरें छप चुकी हैं जिन तरह के
मुकद्दमेकी नज़ीरें चाहो निकाललो म्यूनिनिपलटीकी नव नज़ीरें छपी हैं अनेक तरकीबी
सूचिया शामिल हैं । जिल्द बहुतही मजबूत सूत्रसूत्र और लाइब्ररीके लिये मॅप्याग की
गयी हैं । बोडी जिल्दें वाली है फौरन मंगा लीजिये मूल्य ११।।) ५० डाक चार्ज माफ ।

पता—'कानून प्रेस' कानपुर

हिन्दी-लॉ-जरनल

मासिक पत्र

अगर आप कानून और नज़ीरो को पढते रहें तो अदालत के हजारो रज्जों से बचे, खुशामद करने और दौड धूप से बचें, सब-तरहके मुकदमे घरही में समझ सके, दूमरो को कानूनी सलाह दे सकें, वकीलों की बडी बडी फीसों देने से बचें, रिश्तत, और अमला की तहरीरे देने से बचें, धृथा लडाने वालों के फन्दों से बचे, और ठीक तरह से अपने मुकदमों की कानूनी पैरवी कर सकें ।

पत्र में है क्या ?

दीवानी, फौजदारी और मालकी अदालतों यानी, कलकत्ता, बम्बई, मदरास, इलाहाबाद पटना, लाहौर, रंगून हाईकोर्टों, लखनऊ, नागपुर जुडीशल कमिश्नरियों, रेज्युन्यू बोर्ड तथा विलायत के प्रिवी काउन्सिल की सरकारी बिल्डुल नई चुनी हुई नज़ीरे छपती है । दिल्ली की प्रधान तथा सब प्रान्तीय काउन्सिलो में बनने वाले नये कानूनों की खबरे निकलती हैं । व्यापार, कारीगरी आदि की उपयोगी कानूनी बातें रहती हैं । मुकदमा लडने में अपार धन खर्च होता है पहले तो वकील साहब का मेहनताना नाक में दम कर देता है पीछे अदालत के अमला और चपरासी दलकी तहरीर, इनाम, नज़राना, आफत में जान कर देता है पिण्ड छुटाना मुश्किल हो जाता है । इन्हीं तकलीफों के मिटाने के लिये यह कानून और नज़ीरो का 'पत्र' हिन्दी में निकाला गया है । आपको वकीलों से कानून और नज़ीरो की फायदेमन्द बातें नहीं मालूम होंगी । गावों के ज़िम्दारों, पटवारियों को नयी नज़ीरों से जानकारी जरूर रखना चाहिए, महाजनों और अदालत से सम्बन्ध रखने वालों को बहुत लाभ होगा । हमें देश भाइयों से यह कहना है कि कानून का ज्ञान सब लोग प्राप्त करो और धृथा लडाई, झगडे से बचो इससे रुपया बचेगा, परेशानी न होगी, आपसमें वैरभाव न चढेगा । अगर आपको कानून का कुछ भी ज्ञान रहेगा तो उससे फायदा उठा सकोगे, हाकिमों की खबर दस्ती तथा द्वाव के कामों में बचाव होगा, धरावर लट सकने की ताकत होगी कोई अफसर सत्ता नहीं । । कुछ दिनमें कानून के पठित हो सकोगे । पुलिस के वे 'हिन्दी-लॉ-जरनल' की नज़ीरों में कोई बात नहीं । की तरह ।

होशियार रहना हमारे कामसे स्वार्थी बकलित साहंनान बहुत नाराज लेकिन आप भाइयों का सच्चा हित चाहने वाले अनेक सज्जन बनील हमे प्रोत्साह दे रहे हैं तथा सहायता दे रहे हैं। एक अङ्क देखने से आप स्वयं हमारे कामव प्रशाना करेंगे तथा अपने लिये लाभकारी समझेंगे।

कीमत

आमिम वार्षिक मूल्य डाक गर्च सहित ९) ६० नमूने के १ अङ्क का मूल्य १) ६०। वी०पी० से भगाने में १) राजिस्ट्री और मनीआर्डर गर्च अविक देना पड़ेगा मगर पेशगी रुपया हमारे पास भेज देने में यह खर्च नहीं देना पड़ेगा। आप मनीआर्डर से रुपया भेज दें ताकि १) आपको ज्यादा न देना पड़े, नमूने का अङ्क बिना मूल्य नहीं भेजा जायगा। चिट्ठी साफ साफ अक्षरों में अपने पूरे पते के साथ लिखिये। अपना नाम स्थान, डाकघाना और जिला जहर लिखें।

हिन्दी में कानूनका (हिन्दू-लॉ) सबसे बड़ा ग्रन्थ

हिन्दी-लॉ-जरनल

मासिक पत्र

अगर आप कानून और नज़ीरों को पढते रहें तो अदालत के हजारों सचों से बचे, सुशामद करने और दौड धूप से बचें, सब तरहके मुकदमों घरही में समझ राके, दूधरों को कानूनी सलाह दे सके, वक़ीलों की बड़ी बड़ी फीसों देने से बचें, रिश्तत, और अमला की तहरीरें देने से बचें, वृथा लडाने वालों के फन्दों से बचें, और ठीक तरह से अपने मुकदमों की कानूनी पैरवी कर सकें ।

पत्र में है क्या ?

दीवानी, फौजदारी और मालकी अदालतों यानी, कलकत्ता, बम्बई, मदरास, इलाहाबाद पटना, लाहौर, रगून हार्दकोर्टों, लखनऊ, नागपुर जुडीशल कभिश्नरियों, रेव्युन्यू बोर्ड तथा विलायत के प्रिवी काउन्सिल की सरकारी बिल्कुल नई चुनी हुई नज़ीर छपती हैं । दिह्री की प्रधान तथा सब प्रान्तीय काउन्सिलों में बनने वाले नये कानूनो की खबरे निकलती हैं । व्यापार, कारीगरी आदि की उपयोगी कानूनी बातें रहती हैं । मुकदमा लडने मे अपार धन खर्च होता है पहले तो वक़ील राहब का मेहनताना नाक मे दम कर देता है पीछे अदालत के अमला और चपरासी दलकी तहरीर, इनाम, नजराना, आफत में जान कर देता है पिण्ड छुटाना मुश्किल हो जाता है । उन्ही तकलीफो के मिटाने के लिये यह कानून और नज़ीरो का 'पत्र' हिन्दी में निकाला गया है । आपको वक़ीलों से कानून ओर नज़ीरो की फायदेमन्द बातें नहीं मालूम होगी । गावों के ज़िर्मीदारों, पटवारियों को नयी नज़ीरों से जानकारी जरूर खयना चाहिए, महाजनो ओर अदालत से सम्बन्ध रखने वालो को बहुत लाभ होगा । हमे देश भाइयो से यह कहना है कि कानून का ज्ञान सब लोग प्राप्त करो और वृथा लडाईं झगडे से बचो इससे रुपया बचेगा, परेशानी न होगी, आपसमें बैरभाज न बडेगा । अगर आपको कानून का कुछ भी ज्ञान रहेगा तो उससे फायदा उठा सकोगे, हाकिमों की खबर दस्ती तथा दवाव के कामो से बचाव होगा, बराबर लड सकने की ताकत होगी कांडे अफसर सता नहीं सकेगा । कुछ दिनमें कानून के पढित हो सकोगे । पुलिस के वे फायदा कामों से नहीं डरोगे 'हिन्दी-लॉ-जरनल' की नज़ीरों में कोई बात नहीं छूटती बिल्कुल अज़रेजी नज़ीरो की तरह मोनहली जिन्द बूध जाती है । अज़रेजी नज़ीरो का पूरा पता रहता है ।

पंचायत ऐक्ट नं० ६ सन १९२० ई०

सयुक्त प्रान्तकी कुल देहातों (गावों) के लिये यह कानून बना है। हर एक गावमें पंचायतें कायम होंगी और उन्हें दीवानी तथा फौजदारीके मुकद्दमोंके फैसल करनेका अधिकार होगा। हमने इस कानूनकी बड़ीही सरल और बड़े विस्तारसे व्याख्याकी है। व्याख्यामें २५ दूसरे कानूनों की ८२ दफाओंका पूरा हवाला दिया है तथा ३२ नज्जीरों का यथास्थान वर्णन किया है। दूसरे कानूनों और नज्जीरों का हवाला इसलिये दिया है कि गावोंके लोग और पंचायत करने वाले पूरी तौरसे कानूनका मतलब समझ सकें और अपने मुकद्दमोंकी योग्य पेरवीकर सकें एव पंचोंका फैसला ठीक हो। हिन्दुस्तान के सब हाईकोर्टों और विलायत की भी नज्जीरेंदी है ताकि कानूनका पूरा ज्ञान प्राप्त हो। सूच्या पाच हैं। पहली दफावार सूची, दूसरी २५ दूसरे कानूनों के दफाओंके हवालेकी सूची, तीसरी ३२१ नज्जीरों की सूची, चौथी नज्जीरोंके सकेताक्षरों की सूची और पाचवी हिन्दीके पारिभाषिक शब्दोंकी सूची है। पंचायत जिस गावमें नहीं है वहापर पंचायत किस तरह कायस करना चाहिये, पंच और सरपच कैसे नियत किये जायगे, पंचायत के रजिस्टर, सम्मन, आदि कैसे होना चाहिये इत्यादि क्लायदे (रूल्स) गवर्नमेण्ट गजट से लेकर छाप दिये गये हैं। व्याख्यामें कोई बात नहीं छूटी जिसमें संदेह हो सके या दूसरे कानूनोंको कभी देखनेकी जरूरत पड़े या किसी वकीलसे पूछना पड़े। पंचायत के अधिकार क्या हैं, कैसे मुकद्दमोंके फैसल होंगे, कौन मुकद्दमों नहीं फैसल होंगे, पंचायत से मुकद्दमों कैसे उठा लिये जाय, फैसला कैसे मसूख हो, पक्षकार कैसे ढगसे पेरवी करे, पंच या सरपच कैसे निकाले जायगे, इत्यादि सैकड़ों बातोंका पूरा वर्णन किया गया है। ज़िमीदार, पटवारी, मुदरिस तथा पंचायत करने वालोंको इस कानूनसे बड़ाही उपकार होगा। पढे लिखे गावके सज्जनोंको इसके द्वारा अधिकार हक और तरीके मालूम होजायगे। आकार रायल आठ पेजी, पेज सख्या १२० है, कागज सुफेद चिकने पर बम्बईके बडिया टाइप में अति सुन्दर छपाईकी गयी है मूल्य सिर्फ ॥ प्रति। डारु खर्च ॥३) हमारे पास ६॥) २० मनीआर्डर से भेज देनेपर १२ प्रतिया बिना खर्च आपके पास भेज दी जावेगी।

वटवारे में किमका कितना हक है कैसी जायदाद बदेगी और कैसी नहीं। दान या वसीयत किस तरह की या लिखी जाय, कैसे संसूख होगी, रखा जाय या जवानी हो तो क्या करना चाहिये प्रोवेट कैसे लिया जाय। मौरूसी कर्जा कौन है, किसे देना चाहिये, ऐसे कर्जों से वारिस का हक कैसे बचेगा। कौन धन स्त्री धन है व वारिस कौन है, किस पर स्त्रियोका पूरा हक है, बेटी, पत्नी, विधवा बहन, माता, दादी आदिको जायदाद कहापर किस हकसे मिलेगी, स्त्रिया कब जायदाद को वसीयत, दान, विक्री या रहन कर राकती हैं। भोजन-वस्त्र किनको कब कैसे और कितना मिलेगा। मन्दिर पाठशाला, धर्मशाला आदिमें जायदाद कैसे लगाई या संसूख कराई जाय, माधु, सन्यासी, महन्तो की गद्दी की जायदाद में उनके क्या हक और अधिकार है, चेला कब वारिस होगा, वे कैसे पदच्युत और नियत किए जाए, कौन कर सकता है, पुजारी कथा वाचने वाले, भक्त लोगो के हक व अधिकार उस देवस्थान में कैसे है। ट्रस्ट का कानून क्या है। किस मुकदमे में कैसा सुवूत किसे देना चाहिये इत्यादि हजारो बातोंका पढनेसे पूर्ण ज्ञान होगा। ग्रन्थमें १७ प्रकरण और ८९४ दफाएँ तथा अनेक नकशे हैं। आर्प वचनों के साथ वर्तमान कानून और नजीरदी गई हैं। ग्रन्थ की छपाई और जिल्द बंदी बडीही उत्तमकी गई है। मूल्य १२) रु० डाक खर्च १=)

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट

पहिली फरवरी सन् १९२३ ई० से मयुक्त प्रान्तकी देहातो मे स्थानीय स्वराज्य द्वारा सुप्रबन्ध करने के लिये यह नया कानून जारी किया गया है। देहात के निवासियों पर नये नये टैक्स लगाने और देहाती रकता मे हजारों तरहके नये इन्तजाम करने के अधिकार जिला बोर्ड को दिये गये हैं। इस कानून के द्वारा देहात के रहने वालों पर हजारो तरह के टैक्स लगाये जायगे और उनकी स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आराम के साधनोंका इन्तजाम किया जायगा। देहात के निवाशियों, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की मेम्बरी के उम्मेदवारो, मेम्बरों तथा 'बोर्ड' के अफसरों मुलाजिमों और 'बोर्ड' से सम्बन्ध रखने वाल मनुष्यों आदि के लिये यह निहायत जरूरी कानून है। इसमें २०१ दफाएँ और कई एक शिड्यूल हैं तथा बहुत से दूसरे कानूनों की दफाओं के हवाले दिये गये हैं। हमने इस कानून को जनता के लाभ के लिये बडे परिश्रम और खर्च से सरल हिन्दी भाषामें अत्युत्तम छाप दिया है। जहा जहा पर दूसरे अङ्गरेजी कानूनोंकी दफाओंका हवाला है वहा पर उस कानूनकी वह दफा पूरी न्याख्यामे लिखी है। कठिन स्थलोंमें नोट देकर सरलकर दिया है। एक प्रतिका मूल्य २) रु० डाक खर्च १=) और उद्दे ना मूल्य २) रु० डाक खर्च १=)

हिन्दी में छप रहे हैं:—

पूरी और विस्तृत व्याख्या तथा कुल नज़ीरों सहित:—

हिन्दी जानने वाले सज्जनों को कानून के ज्ञानसे पूरा लाभ उठानेके लिये समग्र अङ्गरेजी कानूनों का सरल हिन्दी भाषानुवाद करनेकी हमारी इच्छा है। यह काम अत्यन्त कठिन होने पर भी हम उद्योगरू रहे हैं। अङ्गरेजीमें कानून का प्रायः प्रत्येक ग्रन्थ उसकी व्याख्या और समग्र नज़ीरों भिलाकर बहुत बड़ा है हिन्दी में इकदम उतना बड़ा ग्रन्थ छप जाना कठिन ही नहीं वरन हमारे लिये असाध्य है इस लिये प्रत्येक ऐसा ग्रन्थ कई भागों में छानने का प्रयत्न किया है। अलग अलग भागों में ग्रन्थ खरीदने में इकट्टा रुपया नहीं देना पड़ेगा तथा प्रत्येक ऐसे खरीदार को चार आना १) प्रति रुपया कमीशन दिया जायगा। २०) रुपया की पुस्तक १५) रु० में मिलेगी तिसपर भी थोड़ा थोड़ा दाम देना पड़ेगा तथा यह सुभीता होगा कि उन्हें उस कानून से जल्द लाभ पहुचने लगेगा और क्रम से ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करते जायगे। पूरे ग्रन्थ के छप जाने पर कदापि कमीशन आज तक किसी ग्राहक को नहीं दिया गया और न भविष्य में दिया जायगा। नीचे लिखे कानूनोंके छपनेका प्रयत्न हमने किया है। मगर यह निश्चय नहीं कर सकते कि इनमेंसे कौन कानून पहले छपेगा और कौन पीछे। कारण यह है कि छापेराने का यथेष्ट प्रबन्ध तो हो गया मगर हिन्दी के विद्वान वकीलों की कमी है दूसरे कानून का अनुवाद बहुत कठिन होता है फिर उस कानून की हर एक दफाकी विस्तृत व्याख्या लिखना एव हाल तककी समग्र नज़ीरों का दूढना, जटिल विषयों की छानबीन और विचार करना बहुतही मुश्किल काम है। अब हिन्दी साहित्य प्रेमी कुछ वकीलों ने हमें सहायता देने का भार गृहण किया है इसलिये आशा है कि हम उपयोगी कानून हिन्दी में छाप कर आपकी सेवामें भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे।

आप एक चिट्ठी लिख कर अपना नाम हमारे रजिस्टर में लिखा दें कि जब किसी कानून के ग्रन्थ का कोई भाग छप कर तैय्यार हो तो आपको सूचित किया जाय अथवा वी० पी० से भेज दिया जाय। चिट्ठी लिखने से आपको सूचना दी जायगी और जब आप लिखेंगे तब ग्रन्थ भेजा जायगा। अपना पता साफसाफ लिखें।

